

:- सर्वोदय साहित्य माला : तिहत्तरवाँ ग्रन्थ :-

मेरी कहानी

[पण्डित जवाहरलाल नेहरू की आत्म-कथा]

हिन्दी-सम्पादक
श्री हरिभाऊ उपाध्याय

प्रकाशक
सस्ता साहित्य भण्डाल, दिल्ली

प्रकाशक

भारतण्ड उपाध्याय, मंत्री,
सस्ता साहित्य मण्डल, दिल्ली ।

संस्करण

अक्तूबर १९३६ . ३०००

नवंबर १९३६ ३०००

सस्ता संस्करण

अक्तूबर १९३८ ४०००

मूल्य

दोई रुपये

मुद्रक—

एन एन भारती,
हिन्दुस्तान टाइम्स प्रेस
नई दिल्ली ।

कमला को
—जिसकी अब याद ही रह गई—

तीसरे संस्करण के लिए

मुझे खुशी है कि 'मेरी कहानी' का तीसरा संस्करण, और सो भी बहुत सस्ता, इतनी जल्दी प्रकाशित करने का दिन आगया। यह इसकी लोक-प्रियता का अच्छा प्रमाण है। इसमें मैंने नीचे लिखे मुताबिक सुधार करने और बढ़ाने की कोशिश की है—

१—पिछले संस्करणों में जहाँ-कहीं सस्त उर्दू-फारसी के शब्द आगये थे उनकी जगह बोलचाल की हिन्दी के शब्द डाले गये हैं।

२—श्री महादेव देसाई ने गुजराती अनुवाद में बहुत उपयोगी फुटनोट दिये हैं, जिनसे बहुत-सी बातें साफ हो जाती हैं। उनमें से अधिकांश इस संस्करण में जोड़ दिये गये हैं।

३—कुछ पद्यानुवाद बदल दिये गये हैं और कुछ नये दाखिल किये गये हैं।

इतनी विशेषताओं के बाद भी इस संस्करण का दाम सिर्फ २।।) रक्खा गया है। आशा है, मण्डल के इस उद्योग की हिन्दी-भाषी भाई-बहन यथोचित कद्र करेंगे।

इसे सस्ता बनाने में श्री जवाहरलालजी ने अपनी राँयल्टी आधी करके तथा 'हिन्दुस्तान टाइम्स प्रेस' ने छपाई के दर में कमी करके मण्डल को जो सहायता पहुँचाई है उसका मण्डल बहुत कृतज्ञ है। श्री महादेवभाई के गुजराती अनुवाद से मैंने जो पूर्वोक्त लाभ उठाया है उसके लिए उनका भी अभार प्रदर्शित करना जरूरी है।

इस संस्करण की तैयारी में मुझे अपने साथी श्री सुधीन्द्र वी० ए० 'साहित्यरत्न' की भी ठीक सहायता मिली है।

गाधी-जयन्ती
चरखा द्वादशी, १९९५

हरिभाऊ उपाध्याय

पहले संस्करण की भूमिका

आज, जब कि पूर्व-प्रकाशित सूचना के अनुसार इस पुस्तक को पाठकों के हाथों में पहुँचे एक महीना हो जाना चाहिए था, मैं अपना यह प्रारम्भिक निवेदन लिखने बैठा हूँ। समझ में नहीं आता, इस देरी के लिए किस प्रकार क्षमा माँगूँ। एक तो वैसे ही स्वास्थ्य कुछ बहुत नहीं अच्छा रहता, फिर दूसरी ओर जिम्मेदारियों का बोझ भी सिर पर था, जो इस अवसर पर शरीर को थका देने के लिए काफी था। ऐसी दशा में श्री बवाहरगाल जी की 'आत्म-कथा' के अनुवाद और सम्पादन के काम की जिम्मेदारी भरे लिए दुःसाहस की बात थी। लेकिन पागल भावुकता का क्या इलाज ? बापूजी—महात्माजी—की 'आत्मकथा' के अनुवाद का जब सुवसर मिला तो उसको मैंने अपना बहोभाग्य समझा। अब अपने मान्य राष्ट्रपति की जीवन-कथा के अनुवाद का सुसयोग आने पर इस गौरव से अपने को बञ्चित रखने की कल्पना ही कैसे हो सकती थी ? इसलिए जब 'सस्ता साहित्य मण्डल' ने कांग्रेस-इतिहास के दोनों संस्करणों के अनुवाद और संपादन के वाद ही यह जिम्मेदारी भी उठाने के लिए मुझसे कहा तो मैंने फौरन् उसे स्वीकार कर लिया और इस खयाल से कि काम जल्दी और समय पर खत्म हो जाय, अनुवाद में शक्ति से अधिक मेहनत करने लगा। नतीजा यह हुआ कि आगे चलकर शरीर ने जवाब दे दिया और गाड़ी अधधीच में ही रुक गई। लेकिन काम को जल्दी खत्म करने और पुस्तक जल्दी प्रकाशित करने की चिन्ता होना स्वाभाविक ही था। और स्वाम्य्य इतना अधिक गिर गया था, कि मैं डर गया। लेकिन भेरे मिन प्रो० गोबुल शंकरजी असावा तथा भाई शंकरलालजी वर्मा (मन्त्री-

प्रान्तीय कांग्रेस कमिटी, अजमेर) ने तुरन्त ही मुझे इस चिन्ता-भार से बचा लिया। प्रो० गोकुललालजी तो 'कांग्रेस-इतिहास' की तरह शुरू से ही इस काम में भी मेरी मदद कर रहे थे। इसवार इस समय भाई गकरलालजी भी मेरी मदद पर आ गये। यह इन दोनों के सहयोग और सहायता का ही परिणाम है कि पुस्तक का काम जल्दी पूरा हो गया। इसके लिए मैं इनका बहुत आभारी हूँ।

अनुवाद के सिलसिले में मुझे भाई श्रीकृष्णदत्तजी पालीवाल (असेम्बली सदस्य) भाई गोपीकृष्णजी विजयवर्गी (प्रधान मंत्री, इन्दौर-राज्य-प्रजा-मण्डल) और श्री चन्द्रगुप्तजी वाष्ण्य (अजमेर) से भी सहायता मिली है, और फ्रेञ्च उद्धरणों का अंग्रेजी भाषान्तर स्वयं मूल लेखक तथा पूज्य डॉ० हरि रामचन्द्रजी दिवेकर (गवालियर) ने किया है। इसके लिए मैं इन सबका अत्यन्त आभारी हूँ।

भाई श्री विद्योगी हरिजी ने कविता-क्षेत्र से अलग हट जाने पर भी मेरे अनुरोध पर, इस पुस्तक की कविता के हिन्दी-अनुवादों का सशोधन करने की कृपा की है। श्री मुकुटबिहारी वर्मा ने इस काम को अपना ही काम समझकर प्रूफ-सशोधन और कहीं-कहीं भाषा-सम्बन्धी सशोधन आदि में शुरू से ही सहायता दी है। अतः इन दोनों का भी मैं हृदय से कृतज्ञ हूँ।

कुछ शब्द अनुवाद की भाषा के सम्बन्ध में भी। मैं सरल और गोल-बाल की भाषा—जिसे पूज्य बापूजी ने 'हिन्दी-हिन्दुस्तानी' नाम दिया है, और जो असली राष्ट्रभाषा कही जा सकती है—लिखने का पक्षपाती हूँ। इस पुस्तक के ज़रिये मैं उसका एक नमूना पेश करना चाहता था। लेकिन अफसोस है कि प्रकाशन की जल्दी और अपनी बीमारी की वजह से मैं शुरू से अखीर तक उसे निवाह न सका। फिर

भी जहाँ तक सम्भव हो सक्ता था उसके सरल बनाने और भाषान्तर के नहीं होने का पूरा खयाल रक्ता गया है। इतना सब कुछ करने पर भी कहीं-कहीं श्लथनिर्या और नतनेद की आशका रहना मुमकिन है। इन्फिए वृषानु पालको ने नेरा अनुरोध है कि जो भूले उनकी निगाह में आवे उनपर नेरा ध्यान दिलाने की मिहरवानी करे, जिससे दूसरे सन्करप में उनका नुषार किया जा सके।

अनुवाद की भाषा में प्रचलित हिन्दी, उर्दू और अंग्रेजी शब्दों का खुलकर प्रयोग हुआ है। सम्भव है, कुछ रूढि-वृत्त लोगो को वह पसन्द न आवे। लेकिन अनुवाद का पहला फार्म छुद जवाहरलालजी ने देत लिया था और उनकी भाषा को उन्होंने पसन्द किया था। उनसे मुझे काफी उत्साह मिला था। अगर सारी पुस्तक पंडितजी की पसन्द आई तो मुझे बडा सतोप मिलेगा; क्योंकि मैं वर्तमान भारत की बहुतेरी आवशन्नाओ को, पंडितजी की राय में बोलता हुआ पाता हूँ।

गांधी-आश्रम, हट्टुडी (अजमेर)
गांधी जयन्ती १९३६

हरिमाऊ उपाध्याय

प्रस्तावना

यह सारी किताब, सिर्फ एकाध आखिरी बात और चन्द भामूली होवदल के अलावा, जून १९३४ से फरवरी १९३५ के बीच, जेल में लिखी गई है। इसके लिखने का खास मकसद यह था कि मैं किसी विशिष्ट काम में लग जाऊँ, जो कि जेल-जीवन की तनहाई के पहाड-से इन काटने के लिए बहुत जरूरी होता है। साथ ही मैं पिछले दिनों की इन्दुस्तान की उन घटनाओं की ऊहापोह भी कर लेना चाहता था, जिनसे मेरा ताल्लुक रहा है ताकि उनके बारे में मैं स्पष्टता के साथ सोच सकूँ। आत्म-बिजासा के भाव से मैंने इसे शुरू किया और, बहुत हद तक, यही क्रम बराबर जारी रखा है। पढनेवालो का खयाल रखकर मैंने सब-कुछ लिखा हो, सो बात नहीं है, लेकिन अगर पढनेवालो का ध्यान आया भी, तो पहले अपने ही देश के लोगो का आया है। विदेशी पाठको का खयाल करके लिखता तो शायद मैंने इससे मुस्तलिफ रूप में से लिखा होता, या दूसरी ही बातों पर ज्यादा जोर दिया होता। इस हालत में, जिन कुछ बातों को इसमें मैंने थो ही टाल दिया है, उन-पर जोर देता, और दूसरी जिन बातों को कुछ विस्तार से लिखा है उन्हें महज सरसरी तौर पर लिखता। मुमकिन है कि बाहरवालो की नज़रों से ज्यादातर बातों से दिलचस्पी न हो जिन्हें मैंने तफसील में लिखा है और वे उनके लिए अनावश्यक या इतनी खुली हुई बातें हो जिनके लिए वहस-मुवाहसे की कोई गुजाडण नहीं है, लेकिन मैं समझता

हैं कि आज के हिन्दुस्तान में उनका कुट-न-कुट महत्त्व ऊपर है। इस तरह हमारे देश के राजनैतिक मामलों और व्यक्तियों के बारे में बराबर जो कुछ लिखा गया है वह भी सम्भवतः बाहरवागों के लिए दिलचस्पी का विषय न हो।

मुझे उम्मीद है कि पाठक, इन्ने पढ़ते हुए, इस बात का खयाल रखेंगे कि यह किताब ऐसे समय में लिखी गई है जो मेरी जिन्दगी का ख़ाम तौर पर कष्टपूर्ण समय था। इसमें यह असर नाफ तौर पर झलकता है। अगर इसकी वजह और किन्हीं मामलों के बारे में यह लिखा गई होती तो यह कुछ और ही तरह लिखी जाती और कहीं-कहीं दान-ज्यादा सघन होती। अगर मैंने यही मुनासिब समझा कि यह जैसी-वैसी ही इसे रहने दें, क्योंकि दूसरों को शायद वही रूप ज्यादा पसन्द हो, जिससे उन भावों का ठीक-ठीक परिचय मिलता हो जो इस विषय को लिखते वक्त मेरे दिमाग उठते थे। इसमें जहाँ तक मुमकिन हो सकता था, मैंने अपना मानसिक विकास अक्षिप्त करने का प्रयत्न किया है, हिन्दुस्तान के आधुनिक इतिहास का विवेचन नहीं। यह बात कि यह किताब ऊपर से देखने पर उक्त विवेचन-सी मालूम होती है, पाठक को गुमराह कर सकती है, और इसलिए वह इसे उससे कहीं अधिक महत्त्व दे सकता है, जितने की कि यह मुस्तहक है। इसलिए मैं यह चेतावनी देना चाहता हूँ कि यह विवरण सर्वथा एकांगी—इक्तरफ़ी—है, और निश्चित रूप से, ध्येयगत है। अनेक महत्त्वपूर्ण घटनाओं की बिल्कुल उपेक्षा कर दी गई है, और कई प्रतिभाशाली व्यक्तियों का जिनका कि घटनाओं के निर्माण में हाथ रहा है, उल्लेख तक नहीं किया पाया है। किन्हीं बीती हुई घटनाओं के असली विवेचन में ऐसा करना असम्भव होता, किन्तु एक व्यक्तिगत विवरण इसके लिए क्षमापात्र हो सकता है। जो लोग हमारे नज़दीक भूतकाल की घटनाओं का ठीक-

ठीक अध्ययन करना चाहते हैं, उन्हें इसके लिए किसी दूसरे साधनो का सहारा लगाना होगा। लेकिन यह हो सकता है कि यह विवरण और ऐसी दूसरी कथायें उन्हें छूटी हुई कड़ियों को जोड़ने और कठोर तथ्य का अध्ययन करने में सहायक हो सके।

मैंने अपने कुछ साथियों की, जिनके साथ मुझे बरसों काम करने का सौभान्य रहा है, और जिनके प्रति मेरे हृदय में सबसे अधिक आदर और प्रेम है, खुली चर्चा की है, साथ ही समुदायो और व्यक्तियों की भी शायद और भी कड़ी आलोचना की है। मेरी यह आलोचना उनमें के अधिकतर के प्रति मेरे आदर को घटा नहीं सकती। लेकिन मुझे ऐसा लगा, कि जो लोग सार्वजनिक कामों में पड़ते हैं, उन्हें आपस में एक-दूसरे के और जनता के साथ, जिसकी कि वे सेवा करना चाहते हैं, स्पष्टवादिता से काम लेना चाहिए। दिखावटी शिष्टाचार और अस-मञ्जस और कभी-कभी परेशानी में डालनेवाले प्रश्नों को टाल देने से न तो हम एक-दूसरे को अच्छी तरह समझ सकते हैं, और न अपने सामने की समस्याओं का मर्म ही जान सकते हैं आपस के मतभेदों और उन सब बातों के प्रति, जिनमें मतभेद है, आदर और वस्तुस्थिति का, चाहे वह कितनी ही कठोर क्यों न हो, मुकाबिला ही हमारे वास्तविक सहयोग का आधार होना चाहिए। लेकिन मेरा विश्वास है कि मैंने जो कुछ भी लिखा है, उसमें किसी व्यक्ति के साथ किसी प्रकार के द्वेष या दुर्भाव का लेशमात्र भी नहीं है।

सरसरी तौर पर या अप्रत्यक्ष रूप से चर्चा करने के सिवा, मैंने भारत की मौजूदा समस्याओं के विवेचन को जान-बूझकर टाला है। जेल में मैं न तो इस स्थिति में था कि इनकी इच्छी तरह विवेचना कर सकूँ, न मैं अपने मन में यही निश्चय कर सकता था कि क्या किया जाना चाहिए। जेल से छूटने के बाद भी मैंने इसमें उस सम्बन्ध में कुछ

बढ़ाना ठीक नहीं समझा । मैं जो कुछ लिख चुका था, उसके यह अनुकूल नहीं जान पडा । इस तरह यह 'मेरी कहानी' एक व्यक्तिगत, और ऐसे अनीत के, जो वर्तमान के नज़दीक किन्तु जो उसके सम्पर्क से सतर्कता-पूर्वक दूर हैं, अपूर्ण विवरण का रेखा-चित्रमात्र रह गई है ।

वेडनवीलर,
२ जनवरी, १९३६ ।

विषय-सूची

१—कश्मीरी घराना	...	३
२—वृचपन	..	११
३—थियोसॉफी	...	२०
४—हॅरो और केम्ब्रिज	...	३०
५—चापसी पर देश का राजनैतिक वातावरण	...	४९
६—हिमालय की एक घटना	...	६६
७—गांधीजी मैदान में सत्याग्रह और अमृतसर	...	७०
८—नेरा निर्वासन	..	८४
९—किसानों में भ्रमण	...	९६
१०—असहयोग	...	१०८
११—पहली जेल-यात्रा	...	१२८
१२—अहिंसा और तलवार का न्याय	...	१४०
१३—लखनऊ जिला-जेल	...	१५४
१४—फिर बाहर	..	१६८
१५—सन्वेह और संघर्ष	.	१७८
१६—नाभा का नाटक	.	१८७

१७—कोकनाड़ा और मुहम्मदअली	...	२००
१८—पिताजी और गांधीजी	...	२११
१९—माम्प्रदायिकता का बौरदौरा	..	२३०
२०—न्युनिक्सपैलिटी का काम	...	२४४
२१—यूरप में	...	२५६
२२—आपनी मननेब	..	२७०
२३—बनेलन में पीडितों की सना	...	२८०
२४—हिन्दुस्तान में बापती और फिर राजनीति में	...	२८९
२५—काठी-प्रहारो का अनुभव	...	३०९
२६—ट्रेड यूनियन कांप्रेस	..	३१६
२७—बिसौन का वातावरण	..	३३३
२८—पूर्ण स्वाधीनता और उसके बाद	...	३५०
२९—सबिनय भंग झुठ	...	३६२
३०—मैनी-बेल में	...	३७६
३१—घरवठा में मधिनवर्षा	...	३९१
३२—युक्नप्रान में कर-बन्दी	...	४०५
३३—पिताजी का देहान्त	...	४२२
३४—दिल्ली का नरसौगा	...	४३७
३५—कराची कांप्रेस	...	४४५
३६—लका में विधान	..	४६४
३७—सन्सौगा-काल में दिक्कने	..	४७०
३८—गोल्मेव काङ्ग्रेस	...	४८९
३९—युक्नप्रान के दिग्गनों में अक्षान्ति	...	५०८
४०—मुल्ह का खाल्सा	...	५३५
४१—गिरफ्तारियाँ, आर्टिनेल और बख्तियाँ	.	५४८

४२—	ब्रिटिश शासको की छेड़छाड़	•	५५५
४३—	बरेली और देहरादून जेलों में	...	५७५
४४—	जेल में मानसिक उतार-चढ़ाव	...	५९४
४५—	जेल में जीव-जन्तु	...	६०७
४६—	संघर्ष	...	६१९
४७—	मजहब क्या है ? ✓	•	६३५
४८—	ब्रिटिश सरकार की 'दो-रुखी' नीति	•	६५५
४९—	लाबी सच्चा का अन्त		६७९
५०—	गांधीजी से मुलाकात	•	६८५
५१—	लिवरल दृष्टिकोण	•	७०२
५२—	औपनिवेशिक स्वराज्य और आजादी	••	७१४
५३—	हिन्दुस्तान—पुराना और नया	••	७३०
५४—	ब्रिटिश शासन का कच्चा चिट्ठा	...	७४२
५५—	अन्तर्जातीय विवाह और लिपि का प्रश्न ✓	••	७७२
५६—	साम्प्रदायिकता और प्रतिक्रिया	•	७८५
५७—	दुर्गम घाटी ✓	•	८१२
५८—	भूकम्प	••	८२५
५९—	अलीपुर-जेल		८४५
६०—	पूरब और पश्चिम में लोकतन्त्र ✓		८५३
६१—	नैराश्य	••	८६३
६२—	विकट समस्याएँ ✓	••	८८३
६३—	हृदय-परिवर्तन या बल-प्रयोग	...	९२६
६४—	फिर देहरादून जेल	••	९५६
६५—	ग्यारह दिन	•	९६८
६६—	फिर जेल में	...	९७७

६७—कुछ ताजी घटनाये ✓	..	१८८
—उपसंहार	.	१०२८
—कुछ और		१०३३
—परिशिष्ट	..	१०३६

क—२६ जनवरी १९३०, पूर्ण स्वाधीनता-दिवस, का प्रतिज्ञा-पत्र ।

ख—यरवडा सेण्ट्रल जेल, पूना, से १५ अगस्त, १९३० को कांग्रेस-नेताओं द्वारा सर तेजबहादुर सन्नू और श्री मुकुन्दराव जयकर को लिखा गया सुलह की धर्मोवाला पत्र ।

ग—२६ जनवरी १९३१ को पढा गया स्मारक-प्रस्ताव ।

मेरी कहानी

कश्मीरी घराना

“अपने बारे में खुद लिखना मुश्किल भी है और दिलचस्प भी। क्योंकि अपनी बुराई या निन्दा लिखना खुद हमें बुरा मालूम होता है, और अगर अपनी तारीफ करें, तो पाठको को उसे सुनना नागवार मालूम होता है।”

—अब्राहम कोली

माँ-बाप धनी-मानी और बेटा इकलौता हो तो, यो भी वह सिर पर चढ़ जाता है—फिर हिन्दुस्तान में तो और भी ज्यादा। और जब लड़का ऐसा हो जो गुरु के ११ साल तक अपने मा-बाप का अकेला ही बच्चा रहा हो, तो फिर दुलार की खराबी से उसके बचने की आशा और भी कम रह जाती है। मेरे दो बहने हैं, जो उम्र में मुझसे बहुत ही छोटी हैं और हम हरेक के बीच में काफी साल का फर्क है। इस तरह अपने बचपन में मैं बहुत-कुछ अकेला ही रहा। मुझे कोई हम-उम्र साथी न मिला—यहाँ तक कि मुझे स्कूल का भी कोई साथी नसीब न हुआ, क्योंकि मैं किसी किंडरगार्टन या बच्चों के मदरसे में पढने नहीं भेजा गया। मेरी पढाई की जिम्मेदारी खानगी मास्टरो या अध्यापिकाओं पर थी।

मगर हमारे घर में किसी तरह का अकेलापन न था। हमारा परिवार बहुत बड़ा था, जिसमें चचेरे भाई बगैरा और दूसरे नजदीकी रिश्तेदार बहुत थे, जैसा कि हिन्दू-परिवारों में आमतौर पर हुआ करता है। मगर मुश्किल यह थी कि मेरे तमाम चचेरे भाई उम्र में मुझसे बहुत बड़े थे और वे सब हाई स्कूल या कॉलेज में पढते थे। उनकी

नहर में मैं उनके कामों या खेलों में धरीक होने लामक नहीं हुआ था। इस तरह इतने बड़े परिवार में, मैं और भी अकेलापन महसूस करना था और ज्यादातर अपने ही खयालों और खेलों में ही मुझे अकेले अपना वक्त बटना पड़ता था।

हम लोग कश्मीरी हैं। २०० वरन ने ज्यादा हुए होते १८वीं नदी के शुरू में हमारे पुरखे दौलत और नामवरी हासिल करने के इरादे से कश्मीर की सुन्दर तराइयों से नीचे के उपजाऊ मैदानों में आये। वे मुगल सत्तान की गिरावट के दिन थे। औरजेव नर चुका था और फरखनियर बादशाह था। हमारे जो पुरखा नबसे पहले बाये, उनका नाम था राजकौल। कश्मीर के संस्कृत और फारसी के विद्वानों में उनका बड़ा नाम था। फरखनियर जब कश्मीर गया, तो उसकी नहर उनपर पड़ी। और शायद उसीके कहने ने उनका परिवार दिल्ली आया, जो कि उस समय मुगलों की राजधानी थी। यह १७१६ के आन-यात्र की बात है। राजकौल को एक मकान और कुछ जागीर दी गई। मगान नहर के किनारे था, इन्हीं उनका नाम नेहरू पड गया। और जो उनका खानदानी लकड़ था वह बदलकर कौल-नेहरू हो गया और, आगे चलकर, वह मौल ग्रायब हो गया और इन नेहरू नेहरू रहे।

उनके बाद ऐसा डावाडोल जमाना आया कि जिनमें हमारे कुटुम्ब के जीवन में उना-बटाव आये, जिनमें वह जमाने में नेहरू-नेहन हो गये। मेरे परदादा लक्ष्मीनाथया नेहरू, दिल्ली के बादशाह के नाम-मान के दरबार में कश्मीर-मगल के पहले बर्तल हुए। मेरे दादा, गंगाधर नेहरू, १८५० के मुद्रा के हुए पहले एक दिल्ली के कोतवाल थे। १८६६ में ३६ साल की उमर में दिल्ली में ही वह मर गये थे।

१८५७ के मुद्रा में कुछ न मगान पत्रिका का मक विन्सिलिया टट गया। गंगार खानदान ने मगान गाउ-वन और दम्मावेद नहर-

कश्मीरी घराना

नहम होगये । इस तरह अपना सब-कुछ खो चुकने पर हमारा परिवार दिल्ली छोड़नेवाले और कई लोगों के साथ वहाँसे चल पडा और आगे जाकर बस गया । उस समय मेरे पिताजी का जन्म नहीं हुआ था । लेकिन मेरे दो चाचा जवान थे और कुछ अंग्रेजी जानते थे । इस अंग्रेजी जानने की वदौअत मेरे छोटे चाचा और परिवार के कुछ दूसरे लोग एक वृरी और अचानक मौत, से बच गये । हमारे परिवार के कुछ लोगो के साथ वह दिल्ली से कही जा रहे थे । उनके साथ उनकी एक छोटी बहन भी थी, जिसका रूप-रंग गोरा और बहुत अच्छा था, जैसा कि अक्सर कश्मीरी बच्चो का हुआ करता है । इतिफाक से कुछ अंग्रेज मिपाही उन्हे रास्ते में मिले । उन्हे शक हुआ कि, हो-न-हो, यह लडकी किसी अंग्रेज की है और ये लोग इसे भगाये लिये जा रहे हैं । उन दिनों सरसरी तीर पर मुकदमा करके सजा ठोक देना एक मामूली बात थी, इसलिए मेरे चाचा तथा परिवार के दूसरे लोग किसी नजदीकी पेड पर ज़रूर फाँसी पर लटका दिये गये होते । मगर खुश-किस्मती से मेरे चाचा के अंग्रेजी जानने ने मदद की, जिससे इस फैसले में कुछ देरी हुई । इनने ही में उधर से एक गल्स गुजरा, जो मेरे चाचा वगैरा को जानता था, उसने उनकी और दूसरो की जान बचाई ।

कुछ बरसो तक वे लोग आगरा रहे और वही ६ मई १८६१ को मेरे पिताजी का जन्म हुआ । मगर वह पैदा हुए थे मेरे दादा के मरने के तीन महीने के बाद । मेरे दादा की एक छोटी तस्वीर हमारे यहाँ है जिसमें वह मुगलो का दरवारी लिवाअ पहने और हाथ में एक टेडी तलवार लिये हुए है । उनमें वह एक मुगल सरदार-से दिखाई देते हैं, हालाँकि उनकी सूरत-शकल कश्मीरियों की-सी ही थी ।

१. एक अजीब और मजेदार बँवयोग है कि कवि सम्प्रदा रवीन्द्रनाथ ठाकुर भी उसी दिन, उसी महीने और उसी साल पैदा हुए हैं ।

तब हमारे परिवार के भरण-पोषण की जिम्मेदारी मेरे दो चाचाओं पर आ पड़ी, जो कि उम्र में मेरे पिता से काफी बड़े थे। बड़े चाचा बशीर नेहरू, थोड़े ही दिन बाद ब्रिटिश सरकार के न्याय-विभाग में नौकर हो गये। जगह-जगह उनका तवादला होता रहा, जिससे वह परिवार के और लोगो से बहुत-कुछ जुदा पड़ गये। छोटे चाचा नन्दलाल नेहरू, राजपूताना की एक छोटी रियासत, खेतड़ी के दीवान हुए और वहाँ दम बरम तक रहे। बाद में उन्होंने कानून का अध्ययन किया और आगरे में वकालत शुरू की। मेरे पिता भी उन्हींके साथ रहे और उन्हींकी छवछाया में उनका लालन-पालन हुआ। दोनों का आपस में बड़ा प्रेम था और उसमें बन्धु-प्रेम, पितृ-प्रेम और वात्मल्य का अनोखा मिश्रण था। मेरे पिता सबसे छोटे होने के कारण स्वभावतः मेरी दादी के बहुत लालने थे। वह बूढ़ी थी और बड़ी दबंग भी। किमी की नाव नहीं थी कि उसकी बात को टाले। उनको मरे अब पचास वर्ष हो गये होंगे, मगर बूढ़ी कदमीरी स्त्रियाँ अब भी उनको याद करती हैं और कहती हैं कि वह बड़ी जोरदार औरत थी। अगर किमीने उनको मर्जी के खिलाफ कोई काम किया तो वम मीन ही समझिए।

मेरे चाचा नये हाउसपोर्ट में जाया करते थे और जब वह हाउसपोर्ट टलागाराद चला गया तो हमारे परिवार के लोग भी वहीं जा बसे। तब से टलागाराद ही हमारा घर बन गया है और वनी, बहुत नाल के पार, मेरा जन्म हुआ। चाचा जॉर्ज ने दसालन धीरे-धीरे उतनी गई और मा टलागाराद-हाउसपोर्ट के चले जाने में गिने जाने लगे। इस बीच मेरे पिता भी वास्तु के शुरू और टलागाराद के इन्जिन में भिजा जाने लगे। मुम्बई में टलागाराद के लोग आगे और बम्बई की तालीम पाई थी। उनकी उम्मीदें, जिन्हें दादा-नन्दा ने उम्र के बाद शुरू कीं। मगर टलागाराद में वे वास्तु के इन्जिन बनने से जानकार नमसे जाते थे

और अरबी में भी कुछ दखल रखते थे। इसी कारण उनसे उम्र में बहुत बड़े लोग भी उनके साथ इज्जत से पेश आते थे। छोटी उम्र में इतनी लियाकत हो जाने पर भी स्कूल और कॉलेज में वह ज्यादातर हँसी-खेल और धूमामस्ती के लिए मशहूर थे। उन्हें सजीदा विद्यार्थी किसी तरह नहीं कह सकते थे। पढ़ने-लिखने की बनिस्वत खेल-कूद और शरारत का शौक बहुत था। कॉलेज में सरकश लडकों के अगुआ समझे जाते थे। उनका झुकाव पश्चिमी लिबास की तरफ हो गया था, और सों भी उस वक्त जब कि हिन्दुस्तान में कलकत्ता और बम्बई जैसे बड़े शहरो को छोड़कर इसका चलन नहीं हुआ था। वह तेज-मिजाज और अक्लढ थें, तो भी उनके अँग्रेज प्रोफेसर उनको बहुत चाहते थे और अक्सर मुश्किलों से बचा लिया करते थे। वह उनकी स्पिरिट को पसन्द करते थे। उनकी बुद्धि तेज थी और कमी-कमी एकाएक जोर लगाकर वह क्लास में भी अपना काम ठीक चला लेते थे। अर्से वाद अक्सर वह अपने एक प्रोफेसर का जिक्र प्रेम-भरे शब्दों में किया करते थे। यह थे मि० हैरिसन, जो म्योर सेन्ट्रल कॉलेज इलाहाबाद के प्रिन्सिपल थे। उनकी एक चिट्ठी भी उन्होंने बड़े जतन से सम्हालकर रक्खी थी। यह उन दिनों की है, जब कि वह कॉलेज में पढते थे।

कॉलेज की परीक्षाओं में वह पास हीते चले गये। मगर कोई खास नामवरी उन्होंने हासिल नहीं की। आखिर को बी० ए० के इम्तिहान में बैठे। मगर उसके लिए उन्होंने कुछ मेहनत या तैयारी नहीं की थी और जो पहला परचा किया तो उससे उन्हें विलकुल सन्तोप नहीं हुआ। उन्होंने सोचा, जब पहला ही परचा बिगड गया है तो अब पास होने की क्या उम्मीद ? उन्होंने बाकी परचे किये ही नहीं और जाकर ताजमहल की सैर करने लगे। (उन दिनों विश्वविद्यालय की परीक्षाये आगरा में हुआ करती थी)। मगर वाद को उनके प्रोफेसर ने उन्हें बुलाया और

बहुन बिगड़े। उनका कहना था कि पहला परचा तुमने ठीक-ठीक किया है और बेवकूफी की जो आगे के परचे नहीं किये। खैर, इस तरह पिनाजी की कॉलेज-बिस्सा हमेशा के लिए खतम हो गई और बी० ए० पान करना आखिर रही गया।

अब उन्हें काम-धंधा जमाने की फिर हुई। महज ही उनकी निगाह वकालत की ओर गई, क्योंकि उन समय वही एक पेसा ऐसा था कि जिनमें बुद्धिमान और होशियार आदमियों के लिए काम की गुञ्जाइश थी और जिनकी चल जाती उसके पी-बाराह होते थे। अपने भाई की मिमाल उनके मामने थी ही। वन हाइकोर्ट-वकालत के इम्तिहान में बैठे और उनका नम्बर नम्बने पहला रहा। उन्हें एक स्वर्णपदक भी मिला। कानून का विषय उन्हें दिल में पसन्द था और उसमें नफला पाने का उन्होंने निश्चय कर लिया था।

उन्होंने कानपुर की खिला-अदालतों में वकालत शुरू की, और चूँकि वह सफलता पाने के लिए बहुत लालायित थे, इसलिए जी तोड़कर मेहनत की। फिर क्या था, उनकी वकालत अच्छी चलक उठी। मार ही, हँसी-खेल और मौज-मजा उनका उनी तरह जग रहा और अबनक भी उनका कुछ बका उनमें चला जाना था। उन्हें कुप्ती और दगल का नाम शौक था। उन दिनों कानपुर कुम्हियां और दगल के लिए मसहर था।

तीन साल तक कानपुर में उन्हीं दवा के तौर पर काम करने के बाद पिनाजी इलाहाबाद आये जहाँ हाइकोर्ट में काम करने लगे। इधर चाचा पण्डित नन्दलाल आचार्य गुजर गये। इनमें पिताजी को उमरदन्त घक्का लगा। वह उनके लिए भाई ही नहीं, पिता के समान थे, और उन दोनों में बड़ा प्रेम था। उनके गुजर जाने से परिवार का एक भूमिना, इन्तज नानी जामदानी का दागीमदार था, उठ गया। परि-

वार की और पिताजी की यह बहुत बड़ी हानि थी। अब इतने बड़े कुनबे के भरण-पोषण का प्रायः मारा भार हम नीजवान के कंधे पर आ पड़ा।

वह अपने पेजे में जुट पड़े। सफलता पर तो तुले हुए थे ही। इन लिए कई महीनों तक दूसरी सब बातों से जो हटाकर इन्हींमें लगे रहे। चाचाजी के करीब-रुगीय सब मुकदमे उन्हें मिल गये और उन्हें उनमें अच्छी कामयाबी भी मिली। इससे अपने पेजे में भी उन्हें बहुत ज़रूरी कामयाबी मिलती चली गई। मुकदमों घडाघड़ आने लगे और रुपया खूब मिलने लगा। छोटी उम्र में ही उन्होंने बगालती सफलता में नामचरी हासिल कर ली, परन्तु उमरकी कीमन उन्हें यह देनी पड़ी कि बगालत देनी के ही मानो जर्धान होगये। उनके पास न सार्वजनिक और न गानगी कामों के लिए पक न रहता था—यहाँ तक कि छुट्टियों के दिन भी वह बगालत के काम में ही लगाते थे। कश्मिर उन दिनों मध्यम श्रेणी के जूटो-दी-पोंगः था जहाँ अपनी तरफ ग्रीचने में लगी थी। वह उमरकी शुरू में कुछ धेड़धेड़ में गये भी थे और, जहाँ तक विचारों में सम्बन्ध है, वह परिश्रमियों के दर। उनके कामों में वह जोई काम लिखवाती नगी लेते थे। अपने पेजे में ही नये बने गये थे कि उसमें लिख डाले बात नहीं था। हाँ, एक बान थी थी। हमने शिक्षा, उन्हें वह लिखत न था कि सार्वजनिक और सार्वजनिक कामों का क्षेत्र उन्हें लिख लिखकर होना था नहीं। उन समय तक इन विचारों पर उन्होंने न तो ज़रा ध्यान ही दिया था न कुछ उन्हें हमसे साविक जलवाही थी थी। वह जैसे दिनों के गीतों और मकल्लों में शामिल होना शुरू करके थे, जिन्होंने उन्हें दिनों के बड़े बड़े पदों पर लाना पड़ा था। वे सार्वजनिक और जलवाही के कामों में बड़े बड़े पदों में काम हो गये थे। वह दरबख्त उनके लिये कामों के लिये था। दरबख्त की ओर उन्हें काम देने के लिये न मकल्लों दिनों दिनांक सुना

गर्द और आत्मावलम्बन का भाव बट गया। पर फिर भी विचित्रता यह थी कि एक ओर वह लड़ाई लड़ना, दिक्कतों का मुकाबिला करना पसन्द करते थे और दूसरी ओर उन दिनों राजनैतिक क्षेत्र से अपने को बचाये रखते थे। और उन दिनों तो कांग्रेस में लड़ाई का मौका भी बहुत कम था। बात दर असल यह थी कि उन क्षेत्र में उनका परिचय नहीं था और उनका दिमाग अपने पैरों की बातों में और उसके लिए कहीं मेहनत करने में लगा रहना था। उन्होंने मफल्ना की सीढ़ी पर अपना पैर मजबूती से जमा लिया था और एक-एक कदम ऊपर चढ़ते जाते थे और यह किसी की मेहरबानी से नहीं, और न किसी की खिदमत करके, बल्कि खुद अपने दृढ़ संकल्प और बुद्धि के बल पर।

साधारण अर्थ में वह खरूर ही राष्ट्रवादी थे। मगर वह अंग्रेजों और उनके तौर-तरीक के इद्रवी भी थे। उनका यह खयाल बन गया था कि हमारे देशवासी ही नीचे गिर गये हैं और वे जिस हाल में हैं, बहुत-कुछ उन्हींके लायक हैं। जो राजनैतिक लोग बातें-ही-बातें किया करते हैं, करते-करने कुछ नहीं, उनसे वह मन-ही-मन कुछ अपरन-भी करते थे, हालांकि वह यह नहीं जानते थे कि इनमें ज्यादा वे और कर ही क्या करने थे। हाँ, एक और खयाल भी उनके दिमाग में था, जो कि उनकी कामयाबी के नशे से पैदा हुआ था। वह यह कि जो राजनीति में पड़े हैं, उनमें ज्यादातर—सब नहीं—वे लोग हैं, जो अपने जीवन में नाकामयाब हो चुके हैं।

बिनामी की आमदनी दिन-दिन बढ़ती जाती थी, बिनासे हमारे गहन-महन में बहुत परिवर्तन हो गया था। जहाँ आमदनी बढी नहीं कि उर्ब भी उसके साथ बढा नहीं। राजा जमा कजा मेरे बिनामी को ऐना मानून पढना था नालो जब और जितना जाहें करन पनाने की अपनी शक्ति पर तुहम्न लगाना है। बिनामी की शक्ति और हर तरह के

.

;

खींचकर बाहर लाया जाता और, मैं सहमा हुआ, कुछ देर तक पिताजी की गोदी में बैठाया जाता। एक बार मैंने उन्हें 'क्लेरेट' या कोई दूसरी लाल शराब पीते हुए देखा। 'विह्स्की' को मैं जानता था। अक्सर पिताजी और उनके मित्रों को पीते देखा था। मगर इस नई लाल चीज को देखकर मैं सहम गया और माँ के पास दौड़ा गया और कहा कि "माँ, माँ, देखो तो, पिताजी खून पी रहे हैं।"

मैं पिताजी को बहुत इज्जत करता था। मैं उन्हें बल, साहस और होशियारी की मूर्ति समझता था और दूसरों के मुकाबिले में इन बातों में बहुत ही ऊँचा और बड़ा-बड़ा पाता था। मैं भी अपने दिल में यह मनसूबे बाधा करता था कि बड़ा होने पर पिताजी की तरह होऊँगा। पर जहाँ मैं उनकी इज्जत करता था और उन्हें बहुत ही चाहता था, वहाँ मैं उनसे डरता भी बहुत था। नौकर-चाकरो पर और दूसरों पर बिगड़ते हुए मैंने उन्हें देखा था। उस समय वह बड़े भयकर मालूम होते थे और मैं मारे डरके काँपने लगता था। नौकरो के साथ उनका जो यह वर्तव होता था, उसके प्रति मेरे मन में उनपर कभी-कभी गुस्सा भी आ जाया करता था। उनका स्वभाव दरअसल भयकर था, और उनकी आयु के ढलते दिनों में भी उनका-सा गुस्सा मुझे किसी दूसरे में देखने को नहीं मिला। लेकिन खुशकिस्मती से उनमें हँसी-मजाक का माद्दा बड़े जोर का था और वह हरादे के बड़े पक्के थे। इससे आम तौर पर अपने-आपपर जन्न रख सकते थे। ज्यो-ज्यो उनकी उम्र बढ़ती गई उनकी मयम-शक्ति भी बढ़ती गई। और फिर शायद ही कभी वह ऐसा भीषण स्वरूप धारण करते।

उनकी तेज-मिजाजी की एक घटना मुझे याद है। बचपन ही में मैं उसका शिकार हो गया था। कोई ५-६ वर्ष की मेरी उम्र रही होगी। एक रोज मैंने पिताजी की मेज पर दो फाउण्टेन-पेन पड़े देखे। मेरा जी

ललचाया। मैंने दिल में कहा—पिताजी एक साथ दो पेनो का क्या करेंगे? एक मैंने अपनी जेब में डाल लिया। बाद में बड़े चोरो की तलाश हुई, कि पेन कहाँ चला गया? तब तो मैं घबराया। मगर मैंने बताया नहीं। आखिर पेन मिल गया और मैं गुनहगार करार दिया गया। पिताजी बहुत गुस्सा हुए और मेरी खूब जी भर के मरम्मत की। आखिर पिटकर धर्म से अपना-सा मुँह लिये मैं माँ की गोद में दौड़ा गया। पिटा इतना था कि कई दिन तक मेरे वदन पर क्रीम और मरहम लगाने पड़े थे।

लेकिन मुझे याद नहीं पड़ता कि इस सजा के कारण पिताजी को मैंने कौसा हो। मैं समझता हूँ मेरे दिल ने यही कहा होगा कि सजा तो तुझे वाजिब ही मिली है, मगर थोड़ा ज़रूरत से ज्यादा। लेकिन पिताजी के लिए मेरे दिल में वैसी ही इज्जत और मुहब्बत बनी रहो—हाँ, अब एक डर उसमें और शामिल होगया था। मगर माँ के साथ ऐसा न था। उसने मैं त्रिलकुल नहीं डरता था। क्योंकि मैं जानता था कि वह मेरे नव कुछ किये-धरे को माफ़ कर देगी और उसके इस ज्यादा और बेहद प्रेम के कारण मैं उमपर थोड़ा-बहुत हावी होने की भी कोशिश करता था। पिताजी की वनिम्बत मैं माँ को ज्यादा पहचान सका था और वह मुझे पिताजी से अपने ज्यादा नज़दीक मालूम होती थी। मैं जिनने भरोसे के साथ माताजी से अपनी बात कह सकता था, उतने भ्राम के साथ पिताजी से कहने का स्वप्न में भी खयाल नहीं कर सकता था। वह सुडील, कद में छोटी और नाटी थी और मैं जल्द ही करीब-करीब उनसे बराबर उँचा होगया था और अपने को उनके बराबर समझने लगा था। वह बहुत सुन्दर थी। जका सुन्दर चेहरा और छोटे-छोटे खूबसूरत हाथ-पाँव मुझे बहुत भाते थे। मेरी माँ के पूर्वज कोई दो पुत्र पहले ही कश्मीर में नीचे मैदान में धाये थे।

एक और शरस जो लडकपन में मेरे भरोसे के आदमी थे, वह पिताजी के मुशी मुधारक अली थे। वह वदार्य के रहनेवाले थे और उनके घर के लोग खुदाहाल थे। मगर १८७७ के गदर ने उनके कुनवे को बरबाद कर दिया और अंग्रेजी फौज ने उसको एक हृद तक जड़-मूल में उखाड़ फेंका था। इस मुसीबत ने उन्हें हरेक के प्रति, और खासकर वच्चो के प्रति, बहुत नम्र और सहनशील बना दिया था, और मेरे लिए तो वह, जब कभी मैं किसी बात से दुखी होता या तकलीफ महसूस करता तो, सान्त्वना के निश्चिन्त आघार थे। उनके बढिया सफेद दाढी थी और मेरी नौजवान आँखों को वह बहुत पुराने और प्राचीन जानकारी के खजाने भालूम होते थे। मैं उनके पाम लेटे-लेटे घण्टे अलिफ-लैला के और दूसरे किस्से-कहानियाँ या १८५७ और १८५८ की गदर की बातें सुना करता। बहुत दिन बाद, मेरे बड़े होने पर, मुशीजी इन्तकाल कर गये। उनकी प्यारी सुखद स्मृति अब भी मेरे मन में बसी हुई है।

हिन्दू पुराणों और रामायण-महाभारत की कथायें भी मैं सुना करता था, जोकि मेरी माँ और चाचियाँ सुनाया करती थी। मेरी एक चाची, पण्डित नन्दलालजी की विधवा पत्नी, पुराने हिन्दू-ग्रन्थों की बहुत जानकारी रखती थी। उनके पास इन कहानियों का तो मानो खजाना ही भरा था। इस कारण हिन्दू पौराणिक बातों और दन्तकथाओं की मुझे काफी जानकारी होगई थी।

धर्म के मामले में मेरे खयालात बहुत धुंधले थे। मुझे वह स्त्रियों से सम्बन्ध रखनेवाला विषय मालूम होता था। पिताजी और बड़े चचेरे भाई धर्म की बात को हँसी में उबा दिया करते थे और इमको कोई महत्त्व नहीं देते थे। हाँ, हमारे घर की औरतें अलबत्ता पूजा पाठ और व्रत-त्योहार किया करती थी। हालाकि मैं इस मामले में घर के बड़े-बूढ़े आदमियों की देखा-देखी उनकी अबहेलना किया करता था, फिर भी

कहना होगा कि मुझे उनमें एक लुप्त आता था। कभी-कभी मैं अपनी माँ या चाची के साथ गया नहाने जाया करता, और कभी इलाहाबाद या काशी या दूसरी जगह मन्दिरों में भी या किसी नामी और बड़े साधु-सन्यासी के दर्शन के लिए भी जाया करता। मगर इन सबका बहुत कम असर मेरे दिल पर हुआ।

फिर त्यौहार के दिन आते थे—होली, जबकि सारे शहर में रंगरेलियों की घूम मच जाती थी और हम लोग एक दूसरे पर रंग की पिच्छकारियाँ चलाते थे, दिवाली, रोगनी का त्यौहार होता, जबकि सब घरों पर घीमी रोगनीवाले मिट्टी के हज़ारों दीये जलाये जाते, जन्माष्टमी, जिसमें कि जेल में जन्मे श्रीकृष्ण की आबीरात को वर्षगांठ मनाई जाती (लेकिन उम्र समय तक जागते रहना हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता था), दमहरा और रामलीला, जिसमें कि स्वांग और जुलूमों के द्वारा रामचन्द्र और उरु-विजय की पुरानी कहानी की नकल की जाती थी और जिन्हे देखने के लिए लोगों की बड़ी भारी भीड़ इकट्ठी होती थी। सब बच्चे मुहर्रम का जुलूम भी देखने जाते थे, जिसमें गेगमी अलम होते थे और मुद्दर अरब में हमन और हुसैन के साथ हुई घटनाओं की यादगार में धारुपूर्ण मरमिये गाये जाते थे। दोनों ईद पर मुंवीजी बढिया कपड़े पहनकर बड़ी मसजिद में नमाज़ के लिए जाने और मैं उनके घर जाकर भीठी सैरिया और दूमरी बढिया चीजें ग्याया करता। इनके गिवा रक्षा-बन्धन, मेवा-रूज वर्गग छंटे त्यौहार भी हम लोग मनाने थे।

बदमीरों के कुछ खास त्यौहार भी होते हैं, चिन्ह उत्तर में बहुतेरे दूसरे हिन्दू नहीं मानते। इनमें सबसे बड़ा नोरोज याने वर्ष-प्रतिष्ठा का त्यौहार है। इस दिन हम लोग नये बरतें पहनकर बन-उत्सव निरुत्तरे और घर के बड़े मरत-प्रतिष्ठा का हाग-मार्च के तौर पर कुछ पंम दिग्ग करते हैं।

मगर इन तमाम उत्सवों में मुझे एक सालाना जलसे में ज्यादा दिलचस्पी रहती थी, जिसका खास मुझीसे ताल्लुक था—याने मेरी वर्ष-गाठ का उत्सव। इस दिन मैं बड़े उत्साह और रग में रहता था। सुबह ही एक बड़ी तराजू में मैं गेहूँ और दूसरी चीजों के थैलों से तोला जाता और फिर वे चीजें गरीबों को बाँट दी जाती और बाद को नये-नये कपड़ों से सजा-धजाकर मुझे भेट और तोहफे नज़र किये जाते। फिर शाम को दावत दी जाती। उस दिन का मानो मैं राजा ही हो जाता था। मगर मुझे इस बात का बड़ा दुःख होता था कि वर्ष-गाठ साल में एक बार ही क्यों आती है? वास्तव में मैंने इस बात का आन्दोलन खड़ा करने की कोशिश की कि वर्ष-गाठ के मौके बरस में एक बार ही क्यों और अधिक क्यों न आया करे? उस वक्त मुझे क्या पता था कि एक समय ऐसा भी आया जब ये वर्षगांठें हमको अपने बूढ़ापे के आने की दुःख-दायी याद दिलाया करेगी।

कभी-कभी हम सब घर के लोग अपने किसी भाँई या किसी रिश्तेदार या किसी दोस्त की शादी में बरात भी जाया करते। उस सफर में बड़ी धूम रहती। शादी के उत्सव में हम बच्चों की तमाम पात्रन्दियाँ ढीली हो जाती थी और हम आज़ादी से आ-जा सकते थे। शादीखाने में कई कुटुम्बों के लोग आकर रहते थे और उनमें बहुतेरे लड़के और लड़कियाँ भी होती थी। ऐसे मौकों पर मुझे अकेलेपन की शिकायत नहीं रहती थी और जो भरकर खेलने-झूदने और शरारत करने का मौका मिल जाता था। हाँ, कभी-कभी बड़े-बूढ़ों की डाँट-फटकार भी खरूर पड़ जाती थी।

हिन्दुस्तान में क्या गरीब और क्या अमीर सब जिस तरह चादियों में धूम-धाम और फजूल-खर्ची करते हैं उनका सब तरह बुराई ही की जाती है और वह ठीक भी है। फजूल-खर्ची के अलावा उसमें बड़े भड़े ढग के प्रदर्शन भी होने हैं, जिनमें न कोई सुन्दरना होती है, न कला।

(कहना नहीं होगा कि इसमें अपवाद भी होते हैं) इन सबके अमली गुन्हागार हैं मध्यम वर्ग के लोग। गरीब भी क्रुद्ध लेकर फुजूल-खर्ची करते हैं। मगर यह कहना विलकुल बेमानी है कि उनकी मुफ़लिसी उनकी इन सामाजिक कुप्रथाओं के कारण है। अक्सर यह भुला दिया जाता है कि गरीब लोगों की खिन्दगी बड़ी उदान नीरस और एक ठर्रे की होती है। जब कभी कोई गादी का जलना होता है, तो उसमें उन्हें अच्छा खाने-पीने और गाने-बजाने का कुछ मौका मिल जाता है, जोकि उनकी मेहनत-मशक़त के रेगिस्तान में एक झरने का काम देना है। रोडमर्रा के जो उषा देनेवाले काम-काज और जीवन-क्रम से हटकर कुछ आराम और आनन्द-छटा दीख जानी है, और जिनको हँसने-खेलने के इतने कम मौके मिलते हैं उनको ऐसा कौन निष्ठुर बेपीर होगा जो इतना नो आनन्द, आराम और मनमोहक न मिलने देना चाहेगा? हाँ, फुजूल-खर्ची को आप शीक़ में बन्द कर दीजिए और उनकी शाहखर्ची नी—कैसे बड़े और बेमानी लफ़्ज़ है ये जो उस थोड़े-से प्रदर्शन के लिए इन्तमाल किये जाते हैं, जिसे गरीब लोग अपनी गरीबी में भी दिखाते हैं—कम कर दीजिए लेकिन मेहरबानी करके उनके जीवन को ज्यादा उदान और हँसी-खुशी में खाली मत बनाइए।

यही वान मध्यमवर्गी के लोगों के लिए भी है। फुजूल-खर्ची को छोड़ दें तो ये शादियाँ एक तरह के सामाजिक सम्मेलन ही हैं जहाँकि दूर से दिग्गेश्वर और पुगले साथी व दोस्त बहूत दिनों के बाद मिल जाते हैं। हमारा देश बड़ा सम्मेलन-खंडा है। यहाँ करने नगो-नादियों व दोस्तों में मिलना आसान नहीं है। सबका साथ और एक जगह मिलना तो और भी मुश्किल है। उन्नीस-पचास सालों के जल्मों को लोग रचना चाहते हैं। एक और चीज़ जो मुकामिने की है और कुछ कामों में भी, जो सामाजिक सम्मेलन की दृष्टि में भी, वह उसने

आगे निकल गई है। वह है राजनैतिक सम्मेलन, अर्थात् प्रान्तीय परिषदें, या कांग्रेस की बैठके।

और लोगों की वनिस्वत, खासकर उत्तर भारत में, कश्मीरियों को एक खास मुभीता है। उनमें परदे का रिवाज, स्त्री-पुरुषों को एक दूसरे से न मिलने-जुलने देने का रिवाज, कभी नहीं रहा है। मैदान में आने पर, वहाँ के रिवाज के मुताबिक, दूसरों से और गैर-कश्मीरियों से जहाँ तक ताल्लुक है, उन्होंने इस रिवाज को एक हद तक अपना लिया है। उत्तर में जहाँ कि कश्मीरी अधिक बसते हैं, उन दिनों यह सामाजिक उच्चता का एक चिन्ह समझा जाता रहा था। मगर अपने आपस में उन्होंने स्त्री और पुरुष के सामाजिक जीवन को वैसा ही आजाद रक्खा है। कोई भी कश्मीरी किसी भी कश्मीरी के घर में आजादी से आ-जा सकता है। कश्मीरियों की दावतों और उत्सवों में स्त्री-पुरुष आपस में एक-दूसरे के साथ मिलते-जुलते और बैठते हैं। हाँ, अक्सर स्त्रियाँ अपना एक झुण्ड बनाकर बैठती हैं, लडके-लडकियाँ बहुत-कुछ बरावार की हैसियत से मिलते-जुलते हैं। लेकिन हाँ, यह तो कहना ही पड़ेगा कि आधुनिक पश्चिम की तरह की आजादी उन्हें नहीं थी।

इस तरह मेरा वचपन गुजरा। कभी-कभी, जैसा कि बड़े कुटुम्बों में हुआ ही करता है, हमारे कुटुम्ब में भी झगड़े हो जाया करते थे। जब ब्रे बढ़ जाते तो पिताजी के कानों तक पहुँचते। तब वह गुस्सा होते और कहते कि ये सब औरतों की बेवकूफी के नतीजे हैं। मैं यह तो नहीं समझ पाता था कि दरअसल क्या घटना हुई है, मगर मैं इतना खरूर समझता था कि कोई बुरी बात हुई है, क्योंकि लोग एक-दूसरे से विगड़ कर बढमचागी से बोलते थे और आपस में लठे रहते थे। ऐसी हालत में मैं बड़ा डु खी हो जाता। पिताजी जब कभी बीच में पड़ते तो हम लोगों के देवता कूच कर जाते थे।

उन दिनों का एक छोटा चाकड़ा मुझे अभी तक याद है। मैं ६-७ वर्ष का रहा होऊँगा। मैं रोब घुड़-सवारी के लिए जाया करता था। मेरे माय घुड़-सेना का एक सवार रहता था। एक रोब शाम को मैं घोड़े ने गिर पड़ा और मेरा टट्टू—जो अरबी नस्ल का एक अच्छा जानवर था—खाली घर लौट आया। पिताजी टेनिस खेल रहे थे। काफी घबराहट और हलचल मच गई और बहा जितने लोग थे सब-के-नव जो भी सवारी मिली उसे लेकर, मेरी तलाश में दौड़ पड़े। पिताजी उन सबके अगुवा बने हुए थे। वह रास्ते में मुझे मिले और मेरा इन तरह स्वागत किया मानी मैंने कोई बड़ी बहादुरी का काम किया हो।

: ३ :

धियोसॉफी

जबकि मैं दस साल का था, हम लोग एक नये और काफी बड़े मकान में आगये, जिसका नाम पिताजी ने 'आनन्द-भवन' रक्खा था। इस मकान में एक बड़ा बाग था और एक तैरने का बड़ा-ना हौज। वहाँ ज्यो-ज्यो नई-नई चीजें दिलाई पढ़नी त्यों-त्यों मेरी तबीयत लहरा उठती। इमारत में नये-नये हिस्से जोड़े जा रहे थे और बट्टेरा खुदाई और चुनाई का काम हो रहा था। वहाँ मजदूरी को काम करते हुए देखना मुझे अच्छा लगता था।

मैं कह चुका हूँ कि मकान में तैरने के लिए एक बड़ा हौज था। मैं तैरना जान गया और पानी में गिने मुझे जरा भी डर मालूम नहीं होता था। गर्म के दिनों में ऊँचे द्वार मीठा-बे-मीठा मैं उनमें नहाया जाता। शाम को पिताजी के ऊँचे दोन तैने आया करते थे। वह एक नई चीज थी और बहा नया मकान में बिजली की बत्तियाँ लगाई गई

थी। इलाहाबाद में उन दिनों ये नई बातें थीं। इन नहानेवालों के झुण्ड में मुझे बड़ा आनन्द रहता था और उनमें जो तैरना नहीं जानते थे उनमें से किसीको आगे धक्का देकर या पीछे खींचकर डराने में बड़ा ही लुत्फ आता था। मुझे डाक्टर तेजवहादुर सन्नू का किस्सा याद आता है, जबकि उन्होंने इलाहाबाद-हाईकोर्ट में नई-नई कालन शुरू की थी। वह तैरना नहीं जानते थे और न जानना ही चाहते थे। वह पन्द्रह इंच पानी में पहली सीढ़ी पर ही बैठ जाते थे और कसम खाने को एक सीढ़ी नीचे नहीं उतरते थे, और अगर कोई उन्हें आगे खींचने की कोशिश करता तो जोर से चिल्ला उठते थे। मेरे पिताजी खुद भी तैराक नहीं थे, भगर वह किसी तरह हाथ-पैर फटफटाकर और जी कबा करके ही जल के आर-पार चले जाते थे।

उन दिनों वोअर-युद्ध हो रहा था। उसमें मेरी दिलचस्पी होने लगी। वोअरों की तरफ मेरी हमदर्दी थी। इस लड़ाई की खबरों को पढ़ने के लिए मैं अखबार पढ़ने लगा।

इसी समय एक घरेलू बात में मेरा चित्त रम गया। वह थी मेरी एक छोटी बहन का पैदा होना। मेरे दिल में एक असेंसे एक रज छिपा रहता था और वह यह कि मेरे कोई भाई या बहन नहीं हैं जबकि और कइयों के हैं। जब मुझे यह मालूम हुआ कि मेरे भाई या बहन होनेवाली है, तो मेरी खुशी का पार न रहा। पिताजी उन दिनों यूरोप थे। मुझे याद है कि मैं उस वक्त बरामदे में बैठा-बैठा कितनी उत्सुकता से इस बात की राह देख रहा था। इतने में एक डॉक्टर ने आकर मुझे बहन होने की खबर दी और कहा—शायद अज्ञात में—कि तुमको सुन होना चाहिए कि भाई नहीं हुआ, जो तुम्हारी जायदाद में हिस्सा बँटा लेता। यह बात मुझे बहुत चुभी और मुझे गुस्सा भी आ गया—इस खयाल पर कि कोई मुझे ऐसा कमीना खयाल रखनेवाला नमझे।

विनाजी की बुरत-यात्रा ने कश्मीरी बाह्यगो में अन्दर-हो-अन्दर एक नूतन गडा कर दिया। यूग ने लीटने पर उन्होंने किमी विम्म या प्राद्विचन करने मे इन्कार कर दिया। कुछ साल पहले एक दसरे कर्मिगी, पन्डित विगननारायण दग, जो बाद में काँग्रेस के सभापति हुए थे, इन्डिया गये थे और वहाँ से बैंग्लोर हाकर आये थे। लीटने पर वेचना ने प्राद्विचन भी कर लिया तो भी पुराने ख्याल के लोगो ने डाँतो जाति में बाहर पर दिया और उनमे किमी विम्म का तान्द्रा नही रहता। उनमे विगदगी में तरेत्र-तरोत्र बराबर के दो टुकडे हो गये थे। बाट की कडे तश्मोर्गि युग विनायन पढ़ने गये और लोटकर नुयागक-दम मिड गये— यति उन सबसे प्राद्विचन करना पडा था। यह प्राद्विचन-पधि बता, एक नूतना जाला था, जिसमे विनी गरल की धर्मिपना नही था। उनमें मानो विने, रम्म बदा जरना या एक विगोर्ग की तरफ का बाट जेना जेह्ल था। और विगोर्ग बाट विगोर्ग का प्राद्विचन कर लेके बाद के मय जोत पर मय के नवेन युग। क बाया के कर्गिण हाइ-मयों मय कि अबादल और अर्गिण के रगे की भाव जगे प्रोड माया मारी थे।

इसका एक बड़ा जोर था कि यह मय का प्रोड माया मारी था। यह मय का प्रोड माया मारी था। यह मय का प्रोड माया मारी था।

योगों को, खासकर बड़ी-बूढ़ी स्त्रियों को, छोड़कर गैर-कश्मीरियों, मुसलमानों तथा गैर-हिन्दुस्तानियों के साथ र्थठकर खाना खाना एक ममूठी बात हो गई। दूमरी जातिवालों के साथ स्त्रियों का परदा उठ गया और उनके मिलने-जुलने की रूकावट भी हट गई। १९३० के राजनैतिक आन्दोलन ने इनको एक जोर का आखिरी धक्का दिया। दूमरी विरादरीवालों के साथ शादी-व्याह करने का रिवाज भी अभी बहुत बढा नहीं है—हालाँकि दिन-दिन बढती पर है।—दोनों बहनों ने गैर-कश्मीरियों के साथ शादी की और हमारे कुटुम्ब का एक युवक हाल ही एक हंगेरियन लडकी व्याह लाया है। अन्तर्जातीय विवाह पर ऐतराज धार्मिक दृष्टि से नहीं, बरिक्त ज्यादातर वक्ष-शुद्धि की दृष्टि से किया जाता है। कश्मीरियों में यह अभिलाषा पाई जाती है कि वे अपनी जाति की एकता को और आर्यत्व के सम्कारों को कायम रखें। उन्हें डर है कि यदि वे हिन्दुस्तानी और गैर हिन्दुस्तानी मजाज के समुद्र में कूदेगे तो इन दोनों बातों को खो देगे। इस विगल देश में हम कश्मीरियों की सत्या दरिया में खसके बराबर हैं।

सबसे पहला कश्मीरी ब्राह्मण, जिसने आधुनिक समय में, कोई सौ बरस पहले, पश्चिमी देशों की यात्रा की, वह था मिर्जा मोहनलाल 'कश्मीरी'। (वह अपने को ऐसा ही कहा करते थे) वह बड़े खूबमूरत और जहीन थे। दिल्ली के मिशन कॉलेज में पढते थे। एक ब्रिटिश मिशन काबुल गया तो उसके साथ फारसी के दुभाषिया बनकर वह गये। बाद को तमाम मध्य-एशिया और ईरान की उन्होंने सैर की। और जहाँ कहीं गये उन्होंने अपनी एक-एक भादी की। मगर आम तौर पर ऊँचे दर्जे के लोगों के यहाँ। वह मुसलमान हो गये थे और ईरान में भाड़ी घराने की एक लडकी से शादी कर ली थी, इसीलिए उनको मिर्जा की उपाधि मिली थी। वह यूरोप भी गये थे और तत्कालीन

युवती महारानी विक्टोरिया से भी मिले थे । उन्होंने अपनी यात्रा का बड़ा रोचक वर्णन और सुन्दर सस्मरण लिखे हैं ।

जब मैं कुल ग्यारह वर्ष का था तो मेरे लिए एक नये शिक्षक आये, जिनका नाम था एफ़० टी० वुक्स । वह मेरे साथ ही रहते थे । उनके पिता आयरिश थे और मा फ़रासीसी या ब्रेलजियन थी । वह एक पक्के थियोसॉफ़िस्ट थे और मिसेस वेसेण्ट की मिफारिदा से आये थे । कोई तीन साल तक वह मेरे साथ रहे । कई बातों में मुझपर उनका गहरा असर पडा । उस समय मेरे एक और शिक्षक थे—एक बूढे पण्डितजी, जो मुझे हिन्दी और सन्कृत पठाने के लिए रक्खे गये थे । कई वर्षों की मेहनत के बाद भी पण्डितजी मुझे बहुत कम पढा पाये थे—इतना थोडा कि मैं अपने नाम-भात्र के सस्कृत ज्ञान की तुलना अपने लैटिन-ज्ञान के साथ ही कर नकता हूँ, जोकि मैंने हूँरो में पढी थी । इन्नुर तो इन्में मेरा ही था । भाषाओं पढने में मेरी गति अच्छी नहीं थी और व्याकरण में तो मेरी रुचि बिल्कुल ही न थी ।

एफ़० टी० वुक्स की सोहबत ने मुझे किनावें पढने का चाव लगा, और मैंने कई अंग्रेजी किनावें पढ डाली—बलवता विना किनी उद्देश के । बच्चों और लडकों सम्बन्धी अच्छा साहित्य मैंने देल लिया था । लुई कैरोल की किताबें और फ़िफ्लिंग की पुस्तकें मुझे बहुत पसंद थी । डॉन क्विक्जोट् पुस्तक में गुन्ताव दोरे के चित्र मुझे बहुत लुभावने मालूम

१. अतिशय कल्पनीतेजक बालसाहित्य-लेखक । २ हिन्दुस्तान में जन्मा और भारतीय जीवन के विषय में अनेक काल्पनिक कथायें लिखने वाला एक साम्राज्यभवन अंग्रेज लेखक । इंग्लैण्ड और साम्राज्य विषयक इसकी अंधभक्ति तो पाठक को खटकती है, लेकिन लेखनशैली पर वह भुग्घ हो जाना है । ३ यह एक स्पेनिश उपन्यास है जिसमें थोडी शक्ति पर हवाई बिले बाँधनेवाले पात्र का अनुपम चित्र खींचा गया है ।

हुए और फिजॉफ नान्सन की 'फारवेस्ट नार्वे' ने तो मेरे लिए अद्भुतता और साहस की एक नई दुनिया का दरवाजा खोल दिया। स्कॉट, 'डिकेन्स' और 'थॉकरे' के कई उपन्यास मुझे पढ़े याद हैं। एच० जी० वेल्स की साहस-कथायें, मार्क ट्वेन की विनोद-कथायें और शार्लॉक-होमस की जासूसी-कहानियाँ भी पढ़ी हैं। 'प्रिजनर्स ऑफ जेन्दा', ने मेरे दिमाग में घर ही कर लिया था। और जेरोम के० जेरोम की 'थ्री मेन इन ए बोट' से बढ़कर हास्य-रस की पुस्तक मैंने नहीं पढ़ी। दूसरी किताबें भी मुझे याद हैं। वे हैं 'डू भॉरियर' की 'ट्रिलवी' और 'पीटर डवटसन'। काव्य-साहित्य के प्रति भी मेरी रूचि बढ़ी थी, जोकि कई परिवर्तनों के हो चुकने के बाद अब भी मुझमें कुछ हद तक कायम है।

श्रुक्स ने विज्ञान के रहस्यों से भी मेरा परिचय कराया। हमने एक विज्ञान की प्रयोगशाला खड़ी करली थी और मैं घण्टो प्रारम्भिक वस्तु-

१. पेरी के उत्तरी ध्रुव तक पहुँचने के पहले उत्तर में बढ़ी दूर-दूर तक जानेवाला नावियन यात्री। इस पुस्तक में इसने अपनी यात्रा का वर्णन किया है। वह नार्वे में अध्यापक था। इसने पीडितों के लिए बहुत काम किया और जब रूस में भयानक अकाल पड़ा था तब इसने भारी सेवा की थी। इसे ज्ञान्ति स्थापना के लिए नोबल प्राइज मिला है। थोड़े ही दिन पहले इसकी मृत्यु हुई है। २-३-४. प्रसिद्ध अंग्रेज उपन्यासकार। ५. प्रसिद्ध आधुनिक विज्ञान-कथा लेखक और सुधारक। ६. अमेरिकन हास्य रसज्ञ लेखक ७. कानन डाइल नामक अंग्रेज लेखक का प्रसिद्ध जासूस पात्र। ८. एण्टनी होप का प्रसिद्ध उपन्यास। ९. काल्पनिक यात्रा-वर्णन-विषयक पुस्तक जिसे पढ़कर हँसते-हँसते छोट-मोठ हो जाते हैं। इस अंग्रेज लेखक का सारा साहित्य इसी प्रकार का है। १०—पिछली सबी के एक अंग्रेज लेखक (जिसके पिता फरासीसी और माता अंग्रेज थीं)। इसकी पुस्तकें बालकों की कल्पना को उत्तेजित

विज्ञान और रसायन-शास्त्र के प्रयोग किया करता था, जो बड़े दिलचस्प मालूम होते थे ।

पुस्तकें पढ़ने के अलावा ब्रुक्स साहब ने एक और बात का असर भूखपर डाला, जो कुछ समय तक बड़े जोर के साथ रहा । वह थी थियोसॉफी । हर हफ्ते उनके कमरे में थियोसॉफिस्टों की सभा हुआ करती । मैं भी उसमें जाया करता और धीरे-धीरे थियोसॉफी की भाषा और विचार-शैली मुझे हृदयगम होने लगी । वहाँ आध्यात्मिक विषयों पर तथा 'अवतार', 'कामगरीर' और दूसरे 'अलौकिक शरीरों' और दिव्य पुरुषों के आसपास दिखाई देने वाले 'तेजोबलय' तथा 'कर्म-तत्त्व' इन विषयों पर चर्चा होती और मंडम ब्लेवेट्स्की तथा दूसरे थियोसॉफिस्टों से लेकर हिन्दू धर्म-ग्रन्थों, बूद्ध-धर्म के धम्मपद, पाययागोरस', तयाना के अपोलोनियम' और कई दार्शनिकों और ऋषियों के ग्रन्थों का चिक्र आया करता था । वह सब कुछ मेरी समझ में तो नहीं आता था, परन्तु वह मुझे बहुत रहस्यपूर्ण और लुभावना मालूम होता था, और मैं मानने लगा था कि सारे विश्व के रहस्यों की कुँजी यही है । यहीं से जिन्दगी में सबसे पहले मैं अपनी तरफ से धर्म और परलोक के बारे में गंभीरता से सोचने लगा था । हिन्दू-धर्म, खामकर, मेरी

करती हैं । 'पीटर इब्रटसन' में अपने वक्ते का सुन्दर वर्णन है और बड़ी आकर्षक भाषा में उपन्यास के पात्रों के मुख से जीवन का धर्म समझाया गया है । १. ईसा पूर्व छठी सदी में एक यूनानी तत्त्ववेत्ता हुआ था । इसे सारयवादी कह सकते हैं । पुनर्जन्म और कर्म के सिद्धान्त को मानता था । इसकी दृष्टि में पशुओं के आत्मा थी और इसलिए यह तथा इसके अनुयायी मासाहार से नफरत करते थे । २. एक यूनानी तत्त्ववेत्ता जो ईसा के पहले ही गया है । कहते हैं यह हिन्दुस्तान में आया था । यह वेदान्ती था । —अनु०

नज़र में ऊँचा उठ गया था, उसके क्रिया-काण्ड और व्रत-उत्सव नहीं— बल्कि उसके महान् ग्रन्थ, उपनिषद् और भगवद्गीता । मैं उन्हें समझ तो नहीं पाता था, परन्तु वे मुझे बहुत विलक्षण ज़रूर मालूम होते थे । मुझे 'कामधारीरो' के सपने आते और मैं बड़ी-बड़ी दूर तक आकाश में उड़ता जाता । बिना किसी विमान के यो ही ऊँचे आकाश में उड़ते जाने के सपने मुझे जीवन में अक्सर आया करते हैं । कभी-कभी तो वे बहुत सच्चे और साफ मालूम होते हैं और नीचे को सारा विशाल विश्व-पटल एक चित्रपट सा मुझे दिखाई पड़ता । मैं नहीं जानता कि फ़ूडड' तथा दूसरे आधुनिक स्वप्न-शास्त्री इस सपने का क्या अर्थ लगाते होंगे ।

उन दिनों मिसेज बेसेण्ट इलाहाबाद आई हुई थी, और उन्होंने थियोसॉफी-सम्बन्धी कई विषयों पर भाषण दिये थे । उनके सुन्दर भाषणों से मेरा दिल हिल उठता था और मैं चकाचौंध होकर घर आता था— अपने आपको भूले जाता था, जैसे कि कोई सपने में हो । मैं उस समय तेरह साल का था, तो भी मैंने थियोसॉफिकल सोसायटी का मेम्बर बनना तय कर लिया । जब मैं पिताजी से इजाज़त लेने गया तो उन्होंने उसे हँसकर उड़ा दिया । वह इस मामले को इधर या उधर कोई महत्व देना नहीं चाहते थे । उनकी इस उदासीनता पर मुझे दुःख हुआ । यो तो वह मेरी निगाह में बहुत बातों में बड़े थे । फिर भी मुझे लगा कि उनमें आध्यात्मिकता की कमी है । यो सच पूछिए तो वह बहुत पुराने थियोसॉफिस्ट थे । वह तब से थियोसॉफिकल सोसायटी में शरीक हुए जब मैडम ब्लेवेट्स्की हिन्दुस्तान में थी । धार्मिक-विश्वास से नहीं बल्कि कुतूहल के कारण ही शायद वह मेम्बर बने थे । मगर शीघ्र ही वह उसमें से हट गये । हाँ, उनके कुछ मित्र जो उनके साथ सोसायटी में शरीक

१. इस युग का प्रसिद्ध जर्मन मानस शास्त्रवेत्ता ।

—अनु०

हुए थे कायम रहे, और सोसायटी के उच्च आध्यात्मिक पदों पर ऊँचे चढ़ते गये।

इस तरह मैं तेरह वर्ष की उम्र में थियोसॉफिकल सोसायटी का मेम्बर बना, और खुद मिसेज वेसेण्ट ने मुझे प्रारम्भिक दीक्षा दी, जिनमें कुछ उपदेश दिया, और कुछ गूढ चिन्हों से परिचित कराया— जो कि शायद फ्री मेसनरी ढंग के थे। उस समय में हर्ष से पुलकित हो उठा था। मैं थियोसॉफिकल कन्वेंशन में बनारस गया था और कर्नल थलकॉट को देखा था, जिनकी डाढ़ी बड़ी भव्य थी।

तीस बरस पहले अपने यचान में कोई कैसा लगता होगा, और कैसा क्या अनुभव करता होगा, इसका खयाल करना बहुत मुश्किल है। मगर मुझे यह अच्छी तरह खयाल पड़ता है कि अपने थियोसॉफी के उन दिनों में मेरा चेहरा गम्भीर, नीरस और उदाम दिखाई पड़ता था, जो कि कभी-कभी पवित्रता का सूचक होता है, और जैसा कि थियोसॉफिस्ट स्त्री-पुरुषों का अक्सर दिखाई पड़ना है। मैं अपने मन में समझना था कि मैं जीरो में ऊँची मनह पर हूँ, और अवश्य ही मेरा रगड़ग ऐसा था कि जिनमें मुझे अपने हम-उम्र लड़के या लड़की अपनी मगत के लायक न समझते होंगे।

शुद्ध माह्व के मूत्रमें अलहदा होने ही थियोसॉफी में भी मेरा सम्पर्क रुट गया, और बहुत चोटें टी अरमे में थियोसॉफी मेरी चिन्तनी में चिन्तुन हट गई। इमकीं मुत्र वजह तो यह थी कि मैं इन्ड्रेण्ड पढ़ने लगा गया था। मगर उममें रोटं घर नहीं सि शुद्ध माह्व की नगनि का सागर गदग जग टुग है और मैं उनका और थियोसॉफी का चहूँ अर्पी हूँ। जिन मूत्र कटो रुग होना है कि थियोसॉफिस्ट तवमे कैरं निरग में कुछ भीर उग गये है। वे मनने की वनिम्बन आगम

आदमीसे दिखाई देते हैं। शहीदों के रास्ते जाने की वनिस्वत फूलों पर चलना पसन्द करते हैं। लेकिन हाँ, मिसेज़ वेसेण्ट के लिए मेरे दिल में जीता-जागता आदर रहा है।

एक दूसरी मार्क की घटना थी, जिसने मेरे जीवन पर उस समय असर डाला, रूस-जापान की लड़ाई। जापानियों की विजय से मेरा दिल उत्साह से उछलने लगता और रोज़ में अख़बारों में ताज़ी ख़बरे पढ़ने का मुत्तज़िर रहता। मैंने जापान-सम्बन्धी कई किताबें मँगवाई और उनमें से थोड़ी-बहुत पढ़ी भी। जापान के इतिहास में तो मानो मैं अपने को गँवा बैठा था, लेकिन पुराने जापान के सरदारों की कहानियाँ चाव से पढ़ता और लाफ़केडियो हर्न' का गद्य मुझे रचिकर लगता था।

मेरा दिल 'राष्ट्रीय भावों से भरा रहता था। मैं यूरोप के पत्रों से एशिया और हिन्दुस्तान को आज़ाद करने के भावों में डूबा रहता। मैं बटे-बड़े बहादुरी के मनसूबे बाँधा करता था, कि कैसे हाथ में तलवार लेकर मैं हिन्दुस्तान को आज़ाद करने के लिए लड़ूँगा।

मैं चौदह साल का था। हमारे घर में रद्दोबदल हो रहे थे। मेरे बड़े चचेरे भाई अपने-अपने काम-धन्धों में लग गये थे और अलहदा रहने लगे थे। मेरे मन में नये-नये विचार और गोल-मोल कल्पनायें मेंडराया करती थी। और स्त्री जाति में मेरी कुछ दिलचस्पी बढ़ने लगी थी, लेकिन अब भी मैं लड़कियों की वनिस्वत लड़कों के साथ मिलना ज्यादा पसन्द करता था, और लड़कियों के साथ मिलना-जुलना अपनी धान के खिलाफ़ समझता था। लेकिन कभी-कभी कश्मीरी दावतों में—जहाँ सुन्दर लड़कियों का अभाव नहीं रहता था—या दूसरी जगह उनपर कहीं निगाह पड़ गई या वदन छू गया तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते थे।

✓ जापानी लेखक जिसने जापान-जीवन के अनुपम चित्र चित्रित किये हैं। —अनु०

मई १९०५ में जब मैं पंद्रह साल का था, हम इंग्लैण्ड रवाना हुए। पिनाजी, माँ, मेरी छोटी बहन और मैं, चारों एकसाथ गये।

: ४ :

हैरो और कैम्ब्रिज

मई के अखीर में हम लोग लन्दन पहुँचे। डोवर से ट्रेन में जाते हुए रास्ते में चुंगीमा में जापानी जलसेना की भारी विजय का समाचार पटा। मेरी खुशी का ठिकाना न रहा। दूसरे ही दिन डर्बी की घड़दौड़ थी। हम लोग उने देखने गये। मुझे याद है कि लन्दन में आने के कुछ दिनों बाद ही डाक्टर बन्मारी से मेरी भेंट हुई। उन दिनों वह एक बूस्त और होशियार नौजवान थे। उन्होंने वहाँ के विद्यालयों में भारी मफल्ता प्राप्त की थी। उन दिनों वह लन्दन के अस्पताल में हाडम-मर्जम थे।

हैरो में बाँधिल होने के लिए मेरी उम्र कुछ बड़ी थी, क्योंकि मैं उन दिनों पंद्रह बरस का था। इसलिए यह मेरी खुशकिस्मती ही थी कि मुझे वहाँ जगह मिल गई। मेरे परिवार के लोग पहले तो यूरप के दूसरे देगों की यात्रा को चले गये और फिर वहाँ ने कुछ महीनों बाद हिन्दुस्तान भेड़ गये।

उनके पढ़ने में अजनबी आदमियों में बिल्कुल अकेला बनी नहीं रहा था। इसलिए मुझे बहुत ही गुना-गुना मारूम पहना था और घर की गड मरानी थी। लेकिन यह हाजम ज्यादा दिनों तक नहीं रही। कुछ दिनों तक मैं स्कूल की छिन्दगी में हिठ-मिल गया और काम तथा गैर-काम में मगल-मगल रहने लगा, लेकिन मेरा पूरा मेन कर्मी नहीं बँठा। अदला के लिए मैं नग-गनाग बसा रहना दि में उन लोगों में से नहीं

हैं और दूसरे लोग भी मेरी वादत यही खयाल करते होंगे। कुछ हद तक मैं सबसे अलग अकेला ही रहा। लेकिन कुल मिलाकर मैं खेलो में पूरा-पूरा हिस्सा लेता था। खेलो में मैं चमका-चमकाया तो कभी नहीं, लेकिन मेरा विश्वास है कि लोग यह मानते थे कि मैं खेल से पीछे हटने-वाला भी न था।

शुरू में तो मुझे नीचे के दर्जों में भरती किया गया क्योंकि मुझे लैटिन कम आती थी, लेकिन फौरन ही मुझे तरक्की मिल गई। सम्भवतः कई बातों में, और खासकर आम बातों की जानकारी में, मैं अपनी उम्र के लोगों से आगे था। इसमें शक नहीं कि मेरी दिलचस्पी के विषय बहुतेरे थे और मैं अपने ज्यादातर सहपाठियों से ज्यादा किताबें और अखबार पढ़ता था। मुझे याद है कि मैंने पिताजी को लिखा था कि अंग्रेज लड़के बड़े मट्ठे होते हैं, क्योंकि वे खेलो के सिवा और किसी विषय पर बात ही नहीं कर सकते। लेकिन मुझे इसमें अपवाद भी मिले थे, खास तौर पर ऊपर के दर्जों में।

इंग्लैण्ड के आम चुनाव में मुझे बहुत दिलचस्पी थी। जहां तक मुझे याद है, यह चुनाव १९०५ के अखीर में हुआ और उसमें लिबरलो की बड़ी भारी जीत हुई। १९०६ के शुरू में हमारे दर्जों के मास्टर ने हमसे सरकार की वादत कई सवाल पूछे, और मुझे यह देख कर बड़ा अचरज हुआ कि उस दर्जों में मैं ही एक ऐसा लड़का था जो उस विषय पर बहुत-सी बातें बता सका—यहाँ तक कि कैम्पबेल-ब्रैनरमैन के मंत्रिमण्डल के सदस्यों की करीब-करीब पूरी फेहरिस्त बता दी।

राजनीति के अलावा जिस दूसरे विषय में मुझे बहुत दिलचस्पी थी वह था हवाई जहाजों की शुरूआत। वह जमाना राइट ब्रदरों और सन्तोस ड्युमो का था। इनके बाद ही फौरन फारमन लैथम और ब्लीरियो आये। जोश में आकर मैंने हॅरो से पिताजी को लिखा था कि मैं हर

हृष्टे के अर्धर ने हवाई-अहाड द्वारा उड़कर आग्ने हिन्दुस्तान में मिल नगंगा ।

इन दिनों हँरो में चार या पाँच हिन्दुस्तानी लड़के थे । इनकी जगह रहनेवालों से मिलने का तो मुझे बहुत ही कम मौका मिलता था लेकिन हमारे अपने ही घर में—हेडमास्टर के यहाँ—महाराजा बड़ीदा के एक पुत्र हमारे साथ थे । वह मुझसे बहुत आगे थे और क्रिकेट के अच्छे खिलाड़ी होने की वजह से लोक-प्रिय थे । मेरे जाने के बाद प्रौरन ही वह वहाँ से चले गये । बाद में महाराजा कपूरसला के बड़े लड़के परमजीतसिंह आये, जो आजकल टीकासाहब हैं । वहाँ उनका नेल बिल्कुल नहीं मिला । वह छुली रहते थे और दूसरे लड़कों से मिलने-जुलने नहीं थे । लड़के अक्सर उनका तथा उनके तीर-सरीकों का नडाका उठाते थे । इससे वह बहुत चिन्ते थे, और कर्म-कर्मों उनको बनकी बैसे कि जब कभी तुम कपूरसला आओगे तब मुझे देव नंगा । यह कहना बेकार है, कि इस घुड़की का कोई अच्छा अगर नहीं होता था । इसके पहले वह कुछ समय तक फ्रांस में रह चुके थे और फ्रांसीसी भाषा में धारा-प्रवाह बोल सकते थे । लेकिन ताश्कूद की वजह से यह भी कि अँगरेजी स्कूलों में विदेशी भाषाओं के मिलाने के नगड़े कुछ ऐसे थे, कि फ्रांसीसी भाषा के बजों में उनका यह ज्ञान उनके कुछ काम नहीं आता था ।

एक दिन एक अजीब घटना हुई । अजीब रान को हाउस मास्टर साहब यमपक हमारे कमरे में घुस-घुसकर नगंगा लेने लगे । जैसे ही मैं आठून हुआ कि परमजीतसिंह की सोने की नूँठ की लूहमुरत स्टिक् गने गई है । तम्बाकी में वह नहीं मिला । इसके दो या तीन दिन बाद माई-मैदान में डेलन जा रहा था मैंच हुआ और उसके बाद प्रौरन ही वह स्टिक् उनके मकान में गबो मिला । चाहिए है, कि किसी

साहब ने मैच में उससे काम लिया और उसके बाद उसे लौटा दिया ।

हमारे छात्रावास तथा दूसरे छात्रावासों में थोड़े से यहूदी भी थे । जो वे मञ्चे में खिला खरखशा रहते थे, लेकिन तह में उनके खिलाफ यह खयाल ज़रूर काम करता था कि ये लोग 'वदमाश यहूदी' हैं और कुछ दिन बाद ही, लगभग अनजाने, मैं भी यही सोचने लगा कि इनसे नफ-रत करना ठीक ही है । लेकिन दरअसल मेरे दिल में यहूदियों के खिलाफ कभी कोई भाव न था, और अपने जीवन में आगे जाकर तो यहूदियों में मुझे कई अच्छे दोस्त मिले ।

धीरे-धीरे मैं हॅरो का आदी हो गया और मुझे वहाँ अच्छा लगने लगा । लेकिन न जाने कैसे मैं यह महसूस करने लगा कि अब यहाँ मेरा काम नहीं चल सकता । विश्व-विद्यालय मुझे अपनी तरफ खींच रहा था । १९०६ और १९०७ भर हिन्दुस्तान से जो खबरे आती थी उनसे मैं बहुत बेचैन रहता था । अग्नेजी अखबारों में बहुत ही कम खबरे मिलती थी, लेकिन जितनी मिलती थी उनसे ही यह मालूम हो जाता था कि देश में, बंगाल, पंजाब और महाराष्ट्र में बड़ी-बड़ी बातें हो रही हैं । लाला लाजपतराय और सरदार अजीतसिंह को देश-निकाला दिया गया था । बंगाल में हाहाकार-सा मचा हुआ मालूम पड़ता था । पूना से तिलक का नाम बिजली की तरह चमकता था और स्वदेशी तथा बहिष्कार की आवाज़ गूँज रही थी । इन बातों से मेरे ऊपर भारी असर पड़ा । लेकिन हॅरो में एक भी शरूस ऐसा न था जिससे मैं इस बारे की बातें कर सकता । छट्टियों में मैं अपने कुछ चचेरे भाइयों तथा दूसरे हिन्दुस्तानी दोस्तों से मिला और तभी मुझे अपने जी को हल्का करने का मौका मिला ।

स्कूल में अच्छा काम करने के लिए मुझे एक इनाम जो मिला था वह जी० एम० ट्रैवेलियन की गैरीबाल्डी-विषयक एक पुस्तक थी । इस पुस्तक

मे मेरा मन ऐसा लगा कि मैंने फॉगन ही डम माला की बाकी दो किताबें भी खरीद ली और उनमें गैरीशान्डी की पूरी कहानी बड़ी मावधानी से राख पटी। हिन्दुस्तान में भी इसी तरह की घटनाओं की कल्पना मेरे मन में उठने लगी। मैं आजादी की बहादुराना लडाईं के मनने देखने लगा और मेरे मन में इटली और हिन्दुस्तान अजीब तरह ने मिश्र-बुल गये। इन न्यायों के लिए हँरो कुछ छोटी और तंग जगह मालूम होने लगी, और मैं विश्व-विद्यालय के ज्यादा बड़े क्षेत्र में जाने की इच्छा करने लगा। इनीलिए मैंने पिताजी को इस बात के लिए राजी कर लिया और मैं हँरो में मिर्फ दो बरस रहकर वहा से चला गया। यह दो बरस का मनय वहाँ के निश्चिन माधारण समय से बहुत कम था।

यद्यपि मैं हँरो में खुद अपनी मरजी से जाना चाहता था, फिर भी मुझे यह अच्छी तरह याद है कि जब अलग होने का मनय आया तब मुझे बड़ा दुःख हुआ, और मेरी आँखों में आँसू आ गये। मुझे वह जगह अच्छी लगने लगी थी और वहा सदा के लिए अलग होने ने मेरे जीवन के एक अध्याय को समाप्त कर दिया। परन्तु फिर भी मुझे कभी-कभी यह खयाल आ जाता है कि हँरो छोड़ने पर मेरे मन में असली कुछ कितना था? क्या कुछ हद तक यह बात न थी कि मैं इसलिए दुःखी था कि हँरो की परम्परा जीर उसके नीति की ध्वनि के अनुमान मुझे दुःखी होना चाहिए था? मैं भी इन परम्पराओं के प्रभाव से अपने को बचा नहीं सकता था, क्योंकि वहानि वातावरण ने इन-मिल जाने के ज़याल में मैंने उन प्रथा का विरोध नहीं किया था।

१९०७ के अक्टूबर के मस में केंम्ब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज में पहुँच गया। उन वस्त मेरी उम्र मगरह बरस की ज अठारह बरस के नजदीक थी। मुझे इन बात ने बँहद मुग्गी हुई कि अब मैं अच्छर-ट्रेजुएट हूँ, स्कूल के प्रुजाविने में यहाँ मुझे जो चाहें तो करने की काफी आजादी मिलेगी।

मैं लडकपन के बन्धन से मुक्त होगया और यह महसूस करने लगा कि आखिर मैं भी अब बडा होने का दावा कर सकता हूँ । मैं एँठ के साथ केम्ब्रिज के विशाल भवनो और उसकी तग गलियो में चक्कर काटा करता और यदि कोई जान-पहचान वाला मिल जाता तो बहुत खुश होता ।

केम्ब्रिज में मैं तीन साल रहा । ये तीनो साल शांति-पूर्वक बीते, इनमें किसी प्रकार के विघ्न नहीं पडे । तीनो साल धीरे-धीरे, धीमी-धीमी बहनेवाली कैम नदी की तरह चले । ये साल बडे-आनन्द के थे । इनमें बहुत से मित्र मिले, कुछ काम किया, कुछ खेले और मानसिक क्षितिज धीरे-धीरे बढ़ता रहा । मैंने प्राकृतिक विज्ञान का ट्राइपस कोर्स लिया । मेरे विषय थे रसायन-शास्त्र, भूगर्भ-शास्त्र और वनस्पति-शास्त्र । परन्तु मेरी दिलचस्वी इन्ही विषयो तक महसूस न थी । केम्ब्रिज में या छुट्टियो में लदन में अथवा दूसरी जगहो में मुझे जो लोग मिले, उनमें से बहुत-से विद्वत्ता-पूर्वक ग्रन्थो के बारे में, साहित्य और इतिहास के बारे में, राजनीति और अर्थशास्त्र के बारे में बात-चीत करते थे । पहले-पहल तो ये बढी-चढी बातें मुझे बढी मुश्किल मालूम हुई, परन्तु जब मैंने कुछ किताबें पढी तब सब बातें समझने लगा, जिससे मैं कम-से-कम अन्त तक बात करते हुए भी इन साधारण विषयो में से किसी के बारे में अपना घोर अज्ञान जाहिर नहीं होने देता था । हम लोग नीत्शे^१ और बर्नाडिंशो^२ की भूमिकायो तथा लॉज डिकिन्सन^३ की नई-से-नई पुस्तको के बारे में बहम किया करते थे । उन दिनों केम्ब्रिज में नीत्शे की धूम थी । हम लोग अपनेको बडा अकलमन्द समझते थे और स्त्री-पुरुष-सम्बन्ध तथा सदा-चार आदि विषयो पर बडे अधिकारी-रूप से, ज्ञान के साथ बातें करते

१. आधुनिक जर्मन तत्त्ववेत्ता—प्रचलित नीति और धर्म-मान्यताओ का शत्रु । २. आधुनिक प्रसिद्ध अप्रेंज नाट्यकार । ३. केम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक प्रसिद्ध अध्यापक । —अनु०

थे और वातचीत के सिलसिले में ब्लॉक, हैबलोक एलिस, एविन और वीनिंगर के नाम लेते जाते थे। हम लोग यह महसूस करते थे कि इन विषयों के सिद्धांतों के बारे में हम जितना जानते हैं, विशेषज्ञों को छोड़कर और किसीको उसने ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है।

बाल्य में, हम वाते जरूर बढ-बढकर मारते थे, लेकिन स्त्री-पुरुष-सम्बन्ध के बारे में हममें से ज्यादातर डरपोक थे और कम-से-कम में तो जरूर डरपोक था। मेरा इस विषय का ज्ञान, केम्ब्रिज छोड़ने के बाद भी, बहुत बरसों तक केवल सिद्धान्त तक ही सीमित रहा। ऐसा क्यों हुआ, यह कहना कुछ कठिन है। हममें से अधिकांश का स्त्रियों की ओर खोर वा आकर्षण था, और मुझे इस बात में नन्हेह है कि उनके महकम में हममें से कोई किसी प्रकार का पाप समझता था। यह निश्चिन्त है कि मैं उसमें कोई पाप नहीं समझता था, मेरे मन में कोई आसक्ति काकषट नहीं थी। हम लोग आपस में कहा करते थे—स्त्री-पुरुषों के सम्बन्धों का न मशवार में सम्बन्ध है न दुराचार से, कृत्ती इन आषागे में परे है। यह सब होने पर भी एक प्रकार की शिक्षक नया इस सम्बन्ध में आमतौर पर दिन मरीचों ने जान लिया जाता था उनके प्रति मेरी अरवि ने मुझे जने दबा रखा। उन दिनों में निश्चिन्त से एक लेटू रखा था, धायद यह जमटिए ही दि मैं बचपन में अकेला रहा था।

उन दिनों जीवन के प्रति मेरा धाम रूड एक अन्वष्ट प्रमान के भीतर-बाद रा था, जो कुछ उम तक प्रभावस्था के लिए आभाविक था जो कुछ उम तक आन्वष्ट वान्ट। जी. वान्टर पटर के प्रभाव के कारण था। आन्वष्टमर जी. वान्ट जी. विन्टर्गी की दमहिम की भीतर-बाद में रखा नाम देता है जो आन्वष्ट आन्वष्टिन को मुझ

थी, क्योंकि मैं खास तौर पर आराम की जिन्दगी की तरफ रुजू न था। मेरी प्रकृति धार्मिक नहीं थी और धर्म के दमनकारी बन्धनों को मैं पसन्द भी नहीं करता था, इसलिए मेरे लिए यह स्वभाविक था कि मैं किसी दूसरे स्टैण्डर्ड की खोज करता। उन दिनों मैं सतह पर ही रहना पसन्द करना था, किसी मामले की गहराई तक नहीं जाता था, इसीलिए जीवन का मौन्दर्य-मय पहलू मुझे अश्लील करता था। मैं चाहता था कि मैं सुयोग्यता के साथ जीवन-यापन करूँ। गैवारू ढग से उसका उपभोग तो मैं नहीं करना चाहता था, लेकिन मेरा रुझान जीवन का सर्वोत्तम उपभोग करने और उसका पूर्ण तथा विविध आनन्द लेने की ओर था। मैं जीवन का उपभोग करता था और इस बात से इन्कार करता था कि मैं उसमें पाप की कोई बात क्यों समझूँ? साथ ही खतरे और साहस के काम भी मुझे अपनी ओर आकर्षित करते थे। पिताजी की तरह मैं भी हर वक्त कुछ हृद तक जुआरी था। पहले रुपये का जुआरी, और फिर बड़ी-बड़ी वाजियो का—जीवन के बड़े-बड़े आदर्शों का। १९०७ तथा १९०८ में हिन्दुस्तान की राजनीति में उथल-पुथल मची हुई थी और मैं उसमें वीरता के साथ भाग लेना चाहता था। ऐसी दशा में मैं आराम की जिन्दगी तो बसर कर ही नहीं सकता था। ये सब बातें मिलकर, और कभी-कभी परस्पर-विरोधी इच्छायें, मेरे मन में अजीब खिचड़ी पकाती, भवर-सी पैदा कर देती। उन दिनों ये सब बातें अस्पष्ट तथा गोल-मोल थी। परन्तु इससे उन दिनों मैं परेशान न था, क्योंकि इनका फैसला करने का समय तो अभी बहुत दूर था। तब तक जीवन—शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार का—आनन्दमय था। हमेशा नित-नये क्षितिज दिखाई पड़ते थे। इतने काम करने थे, इतनी चीजें देखनी थी, इतने नये क्षेत्रों की खोज करनी थी। जाड़े की लम्बी रातों में हम लोग अगोठी के सहारे बैठ जाते और धीरे-

धीरे इतमीनान के साथ रात में आपस में बातें तथा विचार-विनिमय करते, उस समय तक, जबतक अगोठी की आग बुझ कर हमें जाड़े से कपा कर विछौने पर न भेज देती थी। कभी-कभी वाद-विवाद में हमारी आवाज मामूली न रहकर तेज हो जाती और हम लोग वहस की गरमा-गरमी से जोश में आजाते थे। लेकिन यह सब कहने भर को था। उन दिनों हम लोग जीवन की समस्याओं के साथ गम्भीरता के स्वाँग करके खेलते थे, क्योंकि उस वक्त तक वे हमारे लिए वास्तविक समस्याएँ न हो पाई थी और हम लोग ससार के झमेलों के चक्कर में नहीं फँस पाये थे। वे दिन महायुद्ध से पहले के, बीसवीं शताब्दी के शुरू के दिन थे। कुछ ही दिनों में हमारा वह ससार भिटने को था—इसलिए कि जिससे ऐसे दूसरे ससार को जगह मिले जो दुनिया के युवकों के लिए मृत्यु और विनाश एब पोडा तथा हृदय-वेदना से भरा हुआ था। लेकिन हम भविष्य का परदा तोड़ कर आनेवाले जमाने को नहीं देख सकते थे। हमें तो ऐसा लगना था कि हम किसी अचूक प्रगतिशील परिस्थिति से धिरे हुए हैं और जिनके पास इस परिस्थिति के लिए साधन थे उनके लिए तो वह नुखदायिनी थी।

मैंने नौग-वाद तथा वैमी ही हमारी और उन दूसरी अनेक भावनाओं की चर्चा की है, जिन्होंने उन दिनों मेरे ऊपर अपना असर डाला। उनिन यह मोचना गलत होगा कि मैंने उन दिनों इन विषयों पर भली-भाँति नाफ तौर पर विचार कर लिया था, या मैंने उनकी वाकत स्पष्टतया निश्चिन् विचार करने की कोशिश करने की चरुरत भी नमझी थी। वे तो कुछ अस्पष्ट लहरे भर थी जो मेरे मन में उठा करनी थीं और जिन्होंने अपने-जो दौगन में अपना थोडा या बहुत प्रभाव मेरे ऊपर जिनका रज दिया। उन बातों के ध्यान के बारे में मैं उन दिनों केमा पनेगान नहीं होना था। उन दिनों तो मेरी जिन्दगी काम

और विनोद से गरी हुई थी। सिर्फ एक चीज ऐसी जल्दरी थी जिससे मैं कभी-कभी विचलित हो जाता था। वह थी हिन्दुस्तान की राजनैतिक कश्मकश। केम्ब्रिज में जिन किताबों ने मेरे ऊपर राजनैतिक प्रभाव डाला उनमें मैरीडिथ टाउनसेण्ड की 'एशिया और योरप' मुख्य है।

१९०७ से कई साल तक हिन्दुस्तान बेचैनी और कष्टों से मानो उबलता रहा। १८५७ के गदर के बाद पहली मर्तवा हिन्दुस्तान फिर लड़ने पर आमादा हुआ था। वह विदेशी शासन के सामने चुपचाप सिर झुकाने की तैयार न था। तिलक की हलचल और कारावास की तथा अरविन्द घोष की खबरो से और बगाल की जनता जिस ढंग से स्वदेशी और वहिष्कार की प्रतिज्ञायें ले रही थी उनसे इंग्लैण्ड में रहनेवाले तमाम हिन्दुस्तानियों में खलबली मच जाती थी। हम सब लोग बिना किसी अपवाद के तिलक-दल या गरम-दल के थे। हिन्दुस्तान में यह नया दल उन दिनों इन्ही नामों से पुकारा जाता था।

केम्ब्रिज में जो हिन्दुस्तानी रहते थे उनकी एक सोसायटी थी, जिसका नाम था, मजलिस। इस मजलिस में हम लोग अक्सर राजनैतिक मामलों पर बहस करते थे, लेकिन ये बहसे कुछ हद तक बेवजूद थी। पार्लैमेण्ट की अयबा यूनिवर्सिटी-यूनियन की बहस की शैली तथा अदाओं की नकल करने की जितनी कोशिश की जाती थी उतनी विषय की समझने की नहीं। मैं अक्सर मजलिस में जाया करता था, लेकिन तीन साल में मैं वहाँ गायद ही बोला होऊँ। मैं अपनी क्षिप्रक और हिचकिचाहट को दूर नहीं कर सका। कॉलेज में "मैग्पी और स्टाम्प" नाम की जो वाद-विवाद-सभा थी उसमें भी मुझे इसी कठिनाई का सामना करना पडा। इस सभा में यह नियम था कि अगर कोई मेम्बर पूरी मियाद तक न बोले तो उसे जुर्माना देना पड़ेगा और मुझे अक्सर जुर्माना देना पड़ता था।

मुझे यह याद है कि एडविन मॉण्टेगु, जो पीछे जाकर भारत-मंत्री

हो गये थे, वहुन बार इस सभा में आया करने थे । वह ट्रिनिटी कॉलेज के पुराने विद्यार्थी थे और उन दिनों केम्ब्रिज की ओर वे पार्लियामेंट के मेम्बर थे । पहले-पहल श्रद्धा की अर्चावीन परिभाषा मैंने उन्हीं सुनी । जिन बात के बारे में तुम्हारी वृद्धि यह कहे कि वह सच नहीं हो सकती, उनमें विश्वास करना ही अच्छी श्रद्धा है क्योंकि तुम्हारी तर्क-शक्ति ने भी उसे पसन्द कर लिया तो फिर अक्षरशः का मंचाल ही नहीं रहना । विश्वविद्यालय के विज्ञानों के अव्ययन का नुसपर बहुत प्रभाव पड़ा और विज्ञान उन दिनों जिन तरह अपने सिद्धान्तों और निश्चयों को ला-कमाल सन्नता था वही ही मैं मन्सने लाया था । क्योंकि उद्योगवीं और वीन्वी नदी के धरु का विज्ञान अपनी और सतार की बावन बडा निश्चयान्मक था, आजकल का विज्ञान वैसा नहीं है ।

मजलिम में और निजी बान-बोन में हिन्दुस्तान की राजनीति पर चर्चा करते हुए हिन्दुस्तानी विद्यार्थी बडी गरम तथा उग्र भाषा काम में लगने थे, यहाँ तक कि बंगाल में जो हिंसाकारी कार्य धरु होने लगे थे उनकी भी नारीकृत करने थे । लेकिन पीछे मैंने देखा कि यही लोग कुछ नो इडियन सिविल सर्विस के मेम्बर हुए, कुछ हाईकोर्ट के जज हुए, कुछ बडे धीर-शम्मीर दैरिन्ट आदि बन गये । इन आगन-गृह के भाग-दमूने में मे दिग्लो ने ही पीछे जाकर हिन्दुस्तान के राजनैतिक अन्दोर्गनो में कारगर हिम्मा लिजा होगा ।

हिन्दुस्तान के उन दिनों के कुछ नामी गजनीनिजा ने केम्ब्रिज में हम श्रोतों को भेट देने की कृपा की थी । हम उनकी इच्छन तो करते थे, लेकिन हम उनसे उम तरह नेन आने थे मानों हम उनसे बडे हैं । हम गीत महमूम करने थे कि हमारी सम्बृति उनसे कहीं बडी-बडी थी और दृष्टि व्याप्त थी । जो गीत हमारे यहा आये उनमें विविनचन्द्र पाल, लाल गजानगय और मोराल कृपा गोमके भी थे । विविनचन्द्र पाल

से हम अपने एक बैठने के कमरे में मिले। वहाँ हम सिर्फ एक दर्जन के करीब थे। लेकिन उन्होंने तो ऐसी गर्जना की मानो वह दस हजार की सभा में भाषण दे रहे हों। उनकी आवाज इतनी भयानक थी कि मैं उनकी बात को बहुत ही कम समझ सका। लालाजी ने हमसे अधिक विवेक-पूर्ण ढंग से बातचीत की और उनकी बातों का मुझपर बहुत असर पड़ा। मैंने पिताजी को लिखा कि विपिनचन्द्र पाठ के मुकाबिले मैं मुझे लालाजी का भाषण अधिक अच्छा लगा। इससे वह बड़े खुश हुए, क्योंकि उन दिनों उन्हें बंगाल के आग-बवूला राजनीतिज्ञ अच्छे नहीं लगते थे। गोखले ने केम्ब्रिज में एक सार्वजनिक सभा में भाषण दिया। उस भाषण की मुझे सिर्फ यही खास बात याद है कि भाषण के बाद अब्दुलमजीद स्वाजा ने एक सवाल पूछा था। हॉल में खड़े होकर उन्होंने जो सवाल पूछना शुरू किया तो पूछते ही चले गये, यहाँ तक कि हममें से बहुतों को यही भाव नहीं रहा कि सवाल शुरू किस तरह हुआ था और वह किस सम्बन्ध में था।

हिन्दुस्तानियों में हरदयाल का बड़ा नाम था। लेकिन वह मेरे केम्ब्रिज में पहुँचने से कुछ पहले आक्सफोर्ड में थे। अपने हॅरो के दिनों में मैं उनसे लन्दन में एक या दो बार मिला था।

केम्ब्रिज में मेरे समकालीनों में से कई ऐसे निबले जिन्होंने आगे जाकर हिन्दुस्तान की कांग्रेस की राजनीति में प्रमुख भाग लिया। जे० एम० सेनगुप्त मेरे केम्ब्रिज पहुँचने के कुछ दिन बाद ही वहाँ से चले गये। सैफुद्दीन किचलू, सैयद महमूद और तमददुक्त अहमद खेरवानी कम-बढ़ मेरे समकालीन थे। एस० एम० नुलेमान भी, जो इन दिनों इलाहाबाद-हार्डकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, मेरे समय में केम्ब्रिज में थे। मेरे दूसरे समकालीनों में से कोई मिनिस्टर बना और कोई इंडियन सिविल सर्विस का सदस्य।

लन्दन में हम ध्यामजी वृष्ण वर्मा और उनके इण्डिया-हाउस की वाबत भी सुना करते थे, लेकिन मुझे न तो वह कमी मिले और न मैं कमी उन हाउस में ही गया। कभी-कभी हमें उनका 'इण्डियन-सोशलॉजिस्ट' नामका अखबार देखने को मिल जाना था। बहुत दिनों बाद, मन् १९२६ में ध्यामजी मुझे जिनेवा में मिले थे। उनकी जेबें 'इण्डियन सोशलॉजिस्ट' को पुरानी कापियों से भरी पड़ी थी और वह प्रायः हरेक हिन्दुस्तानी को, जो उनके पास जाता था, ब्रिटिश-सरकार का भेजा हुआ भेदिया समझते थे।

लन्दन में इण्डिया-ऑफिस ने विद्यार्थियों के लिए एक केन्द्र खोला था। इसकी वाबत तमाम हिन्दुस्तानी यही समझते थे कि यह हिन्दुस्तानी विद्यार्थियों के भेद जानने का एक जाल है और इसमें बहुत कुछ सचार्ड भी थी। फिर भी यह बहुत ने हिन्दुस्तानियों को बरदाश्त करना पड़ता था, चाहे मन से ही या बेमन से, क्योंकि उसकी सिफारिश के बिना किन्हीं विश्वविद्यालय में दाखिल होना गैरमुमकिन हो गया था।

हिन्दुस्तान की राजनैतिक स्थिति ने पिताजी को अधिक सक्रिय राजनीति की ओर खींच लिया था और मुझे इस बात से खुशी-हुई थी, हालांकि मैं उनकी राजनीति से सहमत नहीं था। यह स्वभाविक ही था कि वह माइरेटो में शामिल हुए, क्योंकि उनमें से बहुतों को वह जानते थे और उनमें से बहुत ने वकालत में उनके साथी थे। उन्होंने अपने सूबे की एक कान्फ्रेंस का समापित्व भी किया था, और बपाल नभा महाराष्ट्र के गरम-दलवालो की तीव्र आलोचना की थी। वह नयुक्त प्रान्तीय कांग्रेस कमिटी के समापति भी बन गये थे। १९०७ में जिन समय मृत में कांग्रेस ने गोलमाल होकर वह भग हुई और अन्त में नोलहो आना माइरेटो की ही गई, उस समय वह वहाँ उपस्थित थे।

मृत के कुछ ही दिनों बाद एच० डबल्यू० नैविन्सन कुछ समय तक

इलाहावाद में पिताजी के अतिथि बनकर रहे। उन्होंने हिन्दुस्तान पर जो किताब लिखी उसमें पिताजी की दाबन लिखा कि "वह मेहमानों की खातिर-नवाजों को छोड़कर और सब बातों में माडरेट है।" उनका यह अन्दाज़ कतई गलत था, क्योंकि पिताजी अपनी राजनीति को छोड़कर और किसी बान में कभी माडरेट नहीं रहे, और उनकी प्रकृति ने धीरे-धीरे उनको उस बची-खुची नरमी से भी अलग भगा दिया। प्रचण्ड भावों, प्रबल विकारों, घोर अभिमान और महती इच्छा-शक्ति ने नम्यन्न वह माडरेटों की जाति से बहुत ही दूर थे। फिर भी १९०७ और १९०८ में और कुछ साल बाद तक वह वैशक माडरेटों में भी माडरेट थे, और गरम-दल के सख्त खिलाफ थे, हालाँकि मेरा खयाल है, वह तिलक की तारीफ करते थे।

ऐसा क्यों था ? कानून और विधि-विधान ही उनके द्युनियादी पाये थे, जो उनके लिए यह म्वाभाविक ही था कि वह राजनीति को बकील और विधानवादी की दृष्टि से देखते। उनकी स्पष्ट विचारशीलता ने उन्हें यह दिसाया कि कड़े और गरम शब्दों से तत्रतक कुछ होता-जाता नहीं जबतक कि इन शब्दों के मुताबिक काम न हो और उन्हें किसी कारगर काम की कोई सम्भावना नजदीक में दिखाई नहीं देती थी। उनका यह नहीं मालूम होता था कि स्वदेशी और बहिष्कार के आन्दोलन हमें बहुत दूर तक ले जा सकेंगे। इसके अलावा उन आन्दोलनों की पुस्त में वह धार्मिक राष्ट्रीयता थी जो उनकी प्रकृति के प्रतिकूल थी। वह प्राचीन भारत के पुनरुद्धार की ओर आशा नहीं लगाने थे। ऐसी बातों को न तो वह कुछ समझने ही थे, न इनसे उन्हें कोई हमदर्दी ही थी। इसके अलावा बहुत से पुराने सामाजिक रीति-रिवाजों को, जात-पाँत वगैरा को, कतई नापसन्द करते थे, और उन्हें उन्नति-विरोधी समझते थे। उनकी दृष्टि पश्चिम की ओर थी। पाश्चात्य ढंग

की उन्नति की ओर उनका बहुत अधिक आकर्षण था, और वह समझते थे कि ऐसी उन्नति हमारे देश में इंग्लैंड के ससर्ग से ही आ सकती है। १९०७ में हिन्दुस्तान की राष्ट्रीयता का जो पुनरुत्थान हुआ वह सामाजिक दृष्टि ने जरूर पीछे धकीटनेवाला था। हिन्दुस्तान की नई राष्ट्रीयता, पूर्व के दूसरे देशों की तरह अवश्य ही धार्मिकता को लिये हुए थी। इन दृष्टि से माडरेटों का सामाजिक दृष्टिकोण अधिक उन्नति शील था। परन्तु वे तो चौटी के सिर्फ मूड्ठीमर मनुष्य थे जिनका आम जनता से कोई सम्बन्ध न था। वे समस्याओं पर अर्थशास्त्र की दृष्टि ने अधिक विचार नहीं करते थे, महज उस ऊपरी मध्यम वर्ग के लोको के दृष्टिकोण से विचार करते थे जिसके वे प्रतिनिधि थे और जो अपने विकास के लिए जगह चाहता था। वे जाति के बन्धनों को ढीला करने और उन्नति को रोकनेवाले पुराने सामाजिक रिवाजों को दूर करने के लिए छोटे-छोटे सामाजिक सुधारों की परीक्षा करते थे।

माडरेटों के साथ अपना भाग्य मिठाकर पिताजी ने आनामक ढंग इकलियार किया। बंगाल और पूना के कुछ नेताओं को छोड़कर अधिकांश गरम-दलवाले नौजवान थे, और पिताजी को इन बातों ने बहुत चिढ़ थी कि ये सब के छोड़कर अपने मन-भांगिक काम करने की हिम्मत करते हैं। विरोध में वह अधीर हो जाते थे, विरोध को सहन नहीं कर सकते थे। जिन लोगों को वह बंधकूत समझते थे उनको तो फूटी बाँध भी नहीं देन सकते थे, और इसलिए वह सब कर्षा यीशु मिलना उनपर दृष्ट पड़ते थे। वेग था कि केन्द्रित छोड़ देने के बाद मैंने उनका हाँ देना पड़ा था, जो मुझे बहन वृग मालूम हुआ था और मैंने उन्हें एक पुस्तकालय बनाना, जिसमें मैंने यह भी मन्जुराया कि उनमें से नहीं कि आता राजनेता चारंगियों के विरिध मरकार का मूँ दृष्ट मंगी। यह मूँ ऐसी बात थी जिसे मुनकर वह आपे से

बाहर हो सकते थे, और वह सचमुच बहुत नाराज हुए भी। उन्होंने करीब-करीब यहाँ तक सोच लिया था, कि मुझे फौरन इंग्लैण्ड से वापस बुला ले।

जब मैं केम्ब्रिज में रहता था तभी यह सवाल उठ खड़ा हुआ था कि मुझे कौन-सा 'कैरियर' चुनना चाहिए। कुछ समय के लिए इण्डियन सिविल सर्विस की बात भी सोची गई। उन दिनों तक उसमें एक खास आकर्षण था। परन्तु चूँकि न तो पिताजी ही उसके लिए बहुत उत्सुक थे न मैं ही, वह विचार छोड़ दिया गया। मेरा खयाल है कि इसका मुख्य कारण यह था कि उसके लिए अभी मेरी उम्र कम थी और अगर मैं उस इन्सिद्धान में बैठना चाहता तो मुझे अपनी डिग्री लेने के बाद भी तीन-चार साल और वहाँ ठहरना पड़ता। मैंने केम्ब्रिज में जब अपनी डिग्री ली तब मैं बीस वर्ष का था और उन बिना इण्डियन सिविल सर्विस के लिए उम्र की मियाद बाईस वर्ष से लेकर चौबीस बरस तक थी। इन्सिद्धान में कामयाब होने पर इंग्लैण्ड में एक साल और बिताना पड़ता है। मेरे परिवार के लोग मेरे इंग्लैण्ड में इतने दिनों तक रहने के कारण ऊब गये थे और चाहते थे कि मैं जल्द ही घर लौट आऊँ। पिताजी पर एक बात का और भी जोर पड़ा और वह यह थी कि अगर मैं आई० सी० एस० हो जाता तो मुझे घर से दूर-दूर जगहों में रहना पड़ता। पिताजी और माँ दोनों ही यह चाहते थे कि इतने दिनों तक अलग रहने के बाद मैं उनके पान ही रहूँ। वस, पासा पुस्तकें पेशे के यानी वकालत के पक्ष में पढ़ा और मैं इनर टैम्पिल में भरती हो गया।

यह अजीब बात है कि राजनीति में गरम-दल की ओर झुकाव बढ़ता जाने पर भी आई० सी० एस० में शामिल होने को और इस तरह हिन्दुस्तान में ब्रिटिश-शासन की मशीन का एक पुरजा बनने के ब्रयाल

को मैंने ऐसा बुरा नहीं समझा। आगे के सालों में इस तरह का खयाल मुझे बहुत त्याज्य मालूम होता।

१९१० में अपनी डिग्री लेने के बाद मैं केम्ब्रिज से चला आया। ट्राइपस के इम्तिहान में मुझे मामूली सफलता मिली, दूसरे दर्जे में सम्मान के साथ पास हुआ। अगले दो साल मैं लन्दन के इधर-उधर घूमता रहा। मेरी कानून की पढाई में बहुत समय नहीं लगता था और वैरिस्टरी के एक के बाद दूसरे इम्तिहान में मैं पास होता रहा। हाँ उसमें मुझे न तो सम्मान मिला, न अपमान। बाकी वक्त मैंने यो ही बिताया। कुछ आम किनावें पढी, फैंथियन^१ और साम्यवादी^२ विचारों की और एक अस्पष्ट आकर्षण हुआ और उन दिनों के राजनैतिक बान्दोलन में भी दिलचस्पी ली। आयर्लैण्ड और स्विट्जरलैंड के मताधिकार के बान्दोलनों में मेरी खाम दिलचस्पी थी। मुझे यह भी याद है कि १९१० की गरमी में जब मैं आयर्लैण्ड गया तो मिनिफिन-बान्दोलन की घुरावत ने मुझे अपनी तरफ खींचा था।

इन्हीं दिनों मुझे हॅरो के पुराने दोस्तों के साथ रहने का मौका मिला और उनके साथ मेरी आदतें खर्चीली हो गई थी। पिनाजी मुझे खर्च को काफी रुपया भेजते थे। लेविन मैं अक्सर उनमें भी ज्यादा खर्च कर डालता था, इसलिए उन्हें मेरे बारे में बड़ी चिन्ता हो गई थी।

१. २ १८८४ में स्थापित समाजवादी सिद्धान्त रखने वालों की सस्था और उनके सदस्य। ये कान्ति के द्वारा सुधार नहीं चाहते। यह आशा रखते हैं कि लोगों और प्रजा के द्वारा औद्योगिक न्बिति में सुधार हो जायगा। समाजवादी इसमें आगे गये। उन्होंने अपना ध्येय बनाया—जमीन और सम्पत्ति का नालिक समाज है और समाज की ही सत्ता उन पर होनी चाहिए—इस सिद्धान्त के आधार पर कान्ति करना। इस कारण फैंथियन अर्थ 'सूनिमिपन्ड समाजवादी' नाम के पात्र हुए। अनु०

उन्हे अदेवा होगया था कि कहीं मे वुरे रास्ते तो नहीं पड गया हूँ । परन्तु दरहकीकत मे ऐसी कोई खास बात नहीं कर रहा था । मे तो सिर्फ, उन खुगहाल परन्तु कमअक्ल अँग्रेजो की देखा देखी भर कर रहा था जो बडे ठाठ-चाट में रहा करते थे । यह कहना बेकार है कि इस उद्देश-हीन आराम-सलबी की जिन्दगी से मेरी किसी तरह की कोई तरक्की नहीं हुई । मेरे पहले के हीसले ठडे पडने लगे और खाली एक चीज जो बढ रही थी वह था मेरा घमण्ड ।

छुट्टियो में मेने कमी-कमी यूरोप के जुदा-जुदा देशो की भी सैर की । १९०९ की गरमी मे जब काउण्ट जैपलिन अपने नये हवाई जहाज मे कौन्स्टेन्स झील पर फ्रीडरिच शैफ्लिन से उड कर बर्लिन आये तब मे और पिताजी दोनो वही थे । मेरा खयाल है कि वह उसकी सबसे पहली लम्बी उडान थी । इसलिए उस अवसर पर बडी खुशियाँ मनाई गई और खुद कैसर ने उसका स्वागत किया । बर्लिन के टेम्प्लौफ फील्ड मे जो भीड इकट्ठी हुई थी वह दस लाख से लेकर बीस लाख तक कूती गई थी । जैपलिन ने ठीक समय पर आकर बडी बजादारी के साथ हमारी परिक्रमा की । ऐडलॉ होटल ने उस दिन अपने सब निवासियो को काउण्ट जैपलिन का एक-एक सुन्दर चित्र भेट किया था । वह चित्र अब तक मेरे पास है ।

कोई दो महीने बाद हमने पैरिस मे वह हवाई जहाज देखा जो उस शहर पर पहले-पहल उडा और जिसने एफिल टावर के चक्कर पहले-पहल लगाये । मेरा खयाल है कि उडाके का नाम कोत द लावेर था । अठारह बरस बाद, जब लिडबर्ग अटलांटिक के उस पार से दमकने हुए तीर की तरह उड कर पैरिस आया था, तब भी मे वहाँ था ।

१९१० में केम्ब्रिज से अपनी डिग्री लेने के बाद फौरन ही जब मे नार्वे सैर-सपाटे के लिए गया हुआ था तब मे वाल-गल बच गया ।

हम लोग पहाड़ी प्रदेश में पैदल घूम रहे थे। बुरी तरह थके हुए एक छोटे से होटल में अपने मुकाम पर पहुँचे, और गरमी के मारे नहाने की इच्छा प्रकट की। वहाँ ऐसी बात पहले ज़िन्दी ने न सुनी थी। होटल में नहाने के लिए कोई इन्तिज़ाम न था। लेकिन हमको यह बता दिया गया कि हम लोग पान की एक नदी में नहा सकते हैं। अतः भेज की या मुँह पोछने के छोटे-छोटे तौलियों से जो होटलवालों ने हमें उदारतापूर्वक दिये थे, चुमज्जित होकर हम में से दो, एक मैं और एक नौजवान अंग्रेज़, पडीस के हिन सरोवर से निकलती और दहाड़ती हुई तूफानी धारा में जा पहुँचे। मैं पानी में घुस गया। वह गहरा तो न था लेकिन ठंडा इतना था कि हाथ पैर जमे जाते थे और उसकी क्षमीन बड़ी स्पटीली थी। मैं स्पट कर गिर गया। बरफ की तरह ठंडे पानी से मेरे हाथ पैर निर्जीव हो गये। मेरा शरीर और सारे अवयव मुझ पड गये, मेरे पैर जम न सके, तूफानी धारा मुझे तेजी से बहावे ले जा रही थी, परन्तु मेरे अंग्रेज़ साथी ने किनी तरह बाहर निकल कर मेरे साथ भागना धरु किया और जल में मेरा पैर पकड़ने में कामयाब होकर उसने मुझे बाहर खींच लिया। इसके बाद हमें मालूम हुआ कि हम कितने बड़े खतरे में थे; क्यों कि हम से दो तीन-तीन गज की दूरी पर यह पहाड़ी धारा एक विशाल चट्टान के नीचे गिरती थी जिसका जल-प्रपात हम जगह की एक दर्शनीय बात थी।

१९१० की गर्मी में मैंने बैरिस्टरी पान करली और उसी धरदू खुशु में मैं, कोई नात जाल से जगदा इग्रेड न रहने क बाद, आखिर यो हिन्दुस्तान लौट आया। इस बीच छुट्टी के दिनों में दो बार मैं घर गया था। परन्तु जब मैं हमेशा के लिए लौटा और मुझे भय है कि जब दम्बर में उतरा तो अपने बडप्पन का अमिमान लेकर टपरा था।

वापसी पर देश का राजनैतिक वातावरण

१९१२ के अखीर में राजनैतिक दृष्टि से हिन्दुस्तान बहुत फीका मालूम होता था। तिलक जेल में थे, गरम दल वाले कुचल दिये गये थे। किसी प्रभावशाली नेता के न होने से वे चुपचाप पडे हुए थे। बग-भग दूर होने पर बगाल में शान्ति होगई थी और सरकार को कौंसिलो की मिन्टो-मॉरले योजना के मातहत माडरेटो को अपने वश करने में काम-यावी मिल गई थी। प्रवासी भारतवासियो की समस्या के बारे में, खास तौर पर दक्षिण अफ्रीका में रहनेवाले भारतीयो की दशा के बारे में, कुछ दिलचस्पी जरूर लीजाती थी। कांग्रेस माडरेटो के हाथ में थी। साल भर में एक बार उसका जलसा होता था और वह कुछ ढीले-ढाले प्रस्ताव पास कर देती थी। उसकी तरफ लोगो का ध्यान बहुत ही कम जाता था।

१९१२ की बडे दिन की छुट्टियो में मैं डेलीगेट की हैसियत से वाकीपुर की काँग्रेस में शामिल हुआ। बहुत हद तक वह अग्रेजी जानने वाले उच्च श्रेणी के लोगो का उत्सव था। जहा सुबह पहनने के कोट और सुन्दर इस्त्री किये हुए पतलून बहुत दिखाई देते थे। वस्तुतः वह एक सामाजिक उत्सव था, जिसमें किन्ही प्रकार की राजनैतिक गरमागरमी न थी। गोखले, जो हाल ही अफ्रीका से लौटकर आये थे, उसमें शामिल हुए थे। उस अधिवेशन के प्रमुख वही थे। उनकी तेजस्विता, उनकी सच्चाई और उनकी शक्ति से वहा आये उन थोडे से व्यक्तियो में वही एक ऐसे मालूम होते थे जो राजनीति और सार्वजनिक मामलो पर

मजीदगो मे विचार करते थे और उनके सम्बन्ध मे गहराई से सोचते थे । मेरे ऊपर उनका अच्छा प्रभाव पडा ।

जब गोखले वाकीपूर से लौट रहे थे तब एक खाम घटना होगई । वह उन दिनों पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्य थे । उन हंसियत से उन्हें अपने लिए एक फर्स्ट क्लास का डब्बा रिजर्व कराने का हक था । उनकी तबीयत ठीक न थी और शोरो की भीड से तथा बेमेल गायियो से इनके आराम में खलल पडता था । इसीलिए वह चाहते थे कि उन्हें एकान्त में चुपचाप पडा रहने दिया जाय और काग्रेस के अधिवेशन के बाद वह उत्तुक थे कि सफर मे उन्हें शान्ति मिले । उन्हें उनका डब्बा मिल गया, लेकिन वाकी गाडी कलकत्ता लौटने वाले प्रतिनिधियो ने ठमा-ठम नरी हुई थी । कुछ समय के बाद, नूपेन्द्रनाथ वसु जो बाद में जाकर इडिया काँसिल के मेम्बर हुए, गोखलेजी के पास गये और यो ही उनमे पूछने लगे कि क्या मे आपके डब्बे में सफर कर सकता हूँ ? यह सुन कर पहले तो गोखलेजी कुछ चौंके, क्योंकि वसु महाशय बडे ब्राह्मणी थे, लेकिन फिर स्वभाव-बच वह राखी हों गये । चन्द मिनट बाद श्री वसु फिर गोखलेजी के पास आये और उनसे कहने लगे कि अगर मेरे एक और दोस्त आपके साथ इनी कम्पार्टमेण्ट में चले चले तो आपको तकलीफ तो न होगी । गोखलेजी ने फिर चुपचाप 'हाँ' कर दिया । ट्रेन छूटने मे कुछ समय पहले वसु नाहव ने फिर उमी हग से कहा कि मुझे और मेरे नाथी को ऊपर को बर्यो पर गीने में बहुत तकलीफ होगी । इसलिए अगर आपको तकलीफ न हो तो आप ऊपर की बर्ये पर नो जायें, और हम दोनो नीचे की दोनो बर्यो पर नो जायें । मेरा खयाल है कि अन्त में यही हुआ बेचारे गोखले को ऊपरी बर्ये पर चड कर जैसे-जैसे रात बिनानी पडी ।

मे हाईकोर्ट में बकान्न करने लगा । कुछ हद तक मुझे अपने कान

में दिलचस्पी आने लगी। यूरोप से लौटने के बाद शुरू-शुरू के महीने बड़े आनन्द के थे। मुझे घर आने और वहाँ आकर पुरानी मेल-मुलाकातें कायम कर लेने से खुशी हुई। परन्तु धीरे-धीरे, अपनी तरह के अधिकांश लोगों के साथ-साथ जिस तरह की चिन्वगी वितानी पड़ती थी, उनकी सब ताजगी गायब होने लगी और मैं यह महसूस करने लगा कि मैं बेकार और उद्देश्य-हीन जीवन की नीरस खाना-पूरी में ही फँस रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि मेरी दौगली, कम-से-कम खिचड़ी, शिक्षा इस बात के लिए उत्तरदायी थी कि मेरे मन में अपनी परिस्थितियों से असन्तोष था। इंग्लैंड की अपनी सात बरस की चिन्वगी में मेरी जो आदतें और जो भावनाएँ बन गई थी वे जिन चीजों को मैं यहाँ देखता था उनसे मेल नहीं खाती थी। सौभाग्य से मेरे घर का वायु-मण्डल बहुत अनुकूल था और उससे कुछ शान्ति भी मिलती थी। परन्तु उतना भी काफी न था। उसके बाद तो वही बार-लाइब्रेरी, वही क्लब और दोनों में वहीं साथी, जो उन्हीं पुराने विषयों पर, आमतौर पर कानूनी पेसों-सम्बन्धी बातों पर ही बार-बार बातें करते थे। निस्सन्देह यह वायु-मण्डल ऐसा न था जिससे बुद्धि को कुछ गति या स्फूर्ति मिले, और मेरे मन में जीवन के नितान्त नीरसपन या मनहूसी का भाव घर करने लगा। कहने योग्य विनोद या प्रमोद की बातें भी न थी।

ई० एम० फॉर्स्टर ने हाल ही में लॉर्ड डिक्सन की जो जीवनी लिखी है, उसमें उन्होंने लिखा है कि डिक्सन ने एक बार हिन्दुस्तान के बारे में कहा था कि, "ये दोनों जातियाँ (यूरोपियन और हिन्दुस्तानी) एक दूसरे से मिल बयो नहीं सकती, महज इसलिए कि हिन्दुस्तानियों में अंग्रेज जब जाते हैं, यही सीधा और कठोर सत्य है।" यह मभव है कि बहुत से अंग्रेज यही महसूस करते ही और इसमें कोई आश्चर्य की बात भी नहीं है। दूसरी पुस्तक में फॉर्स्टर ने कहा है, कि हिन्दुस्तान में हरेक

अंग्रेज यही नहनुम करता है, और उनकी मुनासिब बर्ताव करना है कि वह विजिन देस पर कब्जा बनाये रखनेवाली सेना का एक सत्रस्य है और ऐसी हालत में दोनों जातियों में परस्पर सहज और मंकीबहीन सम्बन्ध स्थापित होना अनम्भव है। हिन्दुस्तानी और अंग्रेज दोनों ही एक-दूसरे के नामने बगते हैं और च्चनावत-दोगो एक-दूसरे के सामने अमुबिधा अनुभव करते हैं। दोनों एक-दूसरे से ऊचे उहते हैं और वव दोनों ही एक-दूसरे से अलग होते हैं तो उन्हे खुशी होती है और वे आजादी के साथ साथ लेने तथा फिर से स्वाभाविक रूप से चलने फिरने लगते हैं।

आम तौर पर अंग्रेज एक ही किसिम के हिन्दुस्तानियों से मिलते हैं— उन लोगों से जिनका हाकिमों की कुनिया से ताल्लुक रहता है। वास्त्रव में भले और बढिया लोगों तक उनकी पहुँच ही नहीं होती और अगर ऐसा कोई शख्स उन्हें मिल भी जाय, तो वे उसे जी खोलकर बात करने को तैयार नहीं कर पाते। हिन्दुस्तान में ब्रिटिश शासन ने, सामाजिक मामलों में भी, हाकिमों की श्रेणी को ही महत्व देकर आगे बढ़ाया है। इनमें हिन्दुस्तानी और अंग्रेजी दोनों ही तरह के हाकिम आजाते हैं। इन वर्ग के लोग आम तौर पर मढ़े और तग खयाल के होते हैं। एक सुयोग्य अंग्रेज नौजवान भी हिन्दुस्तान में जाने पर अधि ही एक प्रकार की मानसिक और सांस्कृतिक तन्ना में ग्रस्त हो जाता है तथा समन्त मजीब विचारों और आन्दोलनों में अलग हो जाता है। वपतर में दिन-भर मिनलों में, जो हमेशा चक्कर लगाती रहती है और कमी खतम नहीं होती, मर खपाकर ये हाकिम थोडा-सा व्यायान करने हैं। फिर वहा में अपने सम्राज के लोगों में मिलने-जुलने को कज्र में चले जाते हैं, वहाँ शिन्की पीकर 'पच' तथा इगलैंड से आये हुए सचित्र आन्नाहिक पत्र पढते हैं। किताब तो वे आज़द ही पढते हो। पढते भी

होगे तो अपनी किसी पुरानी मनचाही किताब को ही। इस पर भी अपने इस धीमे मानसिक ह्यास के लिए आप हिन्दुस्तान पर दोष मढते हैं, यहाकी आवोहवा को कोसते हैं और आमतौर पर आन्दोलन करने वालो को वददुआ देते हैं जो उनकी दिक्कते वढाते हैं। लेकिन यह भ्रहसूस नही कर पाते कि उनके मानसिक और सास्कृतिक क्षय का कारण वह मजबूत नौकरशाही तथा स्वेच्छाचारी शासन-प्रणाली है जो हिन्दुस्तान में प्रचलित है और वह खुद जिसका एक छोटा-सा पुर्जा है।

जब छुट्टियो और फलों के बाद भी अंग्रेज हाकिमो की यह हालत है तब जो हिन्दुस्तानी अफसर उनके साथ या उनके मातहत काम करते हैं वे उनसे बेहतर कैसे हो सकते हैं, क्योंकि वे अंग्रेजी नमूनो की नकल करने की कोशिश करते हैं। साम्राज्य की राजधानी नई दिल्ली में ऊँचे हिन्दुस्तानी और अंग्रेज हाकिमो के पास बैठ कर तरक्की, छुट्टी के कायदो, तबादिलो और नौकर तथा नौकरो की रिस्वतखोरी तथा वेईमानियो वर्गो के किस्सो को सुनने से ज्यादा जी घवढानेवाली बात शायद ही कोई हो।

शायद कुछ हद तक कलकत्ता, बम्बई जैसे शहरो को छोडकर बाकी सब जगहो में इस हाकिमाना और 'सर्विस' के वातावरण ने हिन्दुस्तान की मध्यम श्रेणी के लगभग तमाम लोगो की जिन्दगी पर, खास तौर पर अंग्रेजी पढे-लिखे लोगो के जीवन पर, चढाई करके उसे अपने रग में रग दिया है। पेशवर लोग जैसे वकील, डाक्टर तथा दूसरे लोग भी उसके शिकार हो गये, और अर्द्ध-सरकारी विश्व-विद्यालयो के शिक्षा-भवन भी उससे न बच सके। ये सब लोग अपनी एक अलग दुनिया में रहते हैं जिसका सर्व-साधारण से तथा मध्यम श्रेणी के नीचे के लोगो से कतई कोई ताल्लुक नही है। उन दिनों राजनीति इसी ऊर की तह के लोगो तक महद्द थी। बंगाल में १९०६ से राष्ट्रीयता के आन्दोलन ने जरा

इस वस्तुस्थिति को झण्डा कर बंगाल के मध्यम श्रेणी के निवृत्त लोगों में और कुछ हद तक जनता में भी नई जागृता फैला दी। आगे चल कर गांधीजी के नेतृत्व ने यह गतिविधि और तेजी से बढ़ने को था। परन्तु राष्ट्रीय नगम जीवनप्रद होने पर तो वह एक सकारण मिथ्या होना है और वह अपने में इतनी अधिक शक्ति तथा इतना अधिक ध्यान लगाने लाता है कि हमारे कामों के लिए कुछ नहीं बचता।

इसलिए इंग्लैन्ड से लौटने के बाद उन शुरु के सालों में मैं जीवन से अन्तर्गत अनुभव करने लगा। अपने वकालत के पेशे में मुझे प्रयत्न करना नहीं था। राजनीति के मामलों मेरे मन में यह धे कि विदेशी शासन के खिलाफ उग्र राष्ट्रीय आन्दोलन हो। लेकिन उन समय की राजनीति ने इसके लिए कोई गुंजाइश नहीं दी। मैं कांग्रेस में शरीक हो गया और दलभी बैठकों में जाना रहना। क्रिजी में हिन्दुस्तानी मजदूरों के लिए सर्वोच्च कृषि-प्रदा के खिलाफ या दक्षिण अफ्रीका में प्रवासी भारतीयों के साथ दुर्यवहार किये जाने के खिलाफ यानी ऐसे कामों पर जो अब अभी कोई आन्दोलन खड़ा होगा तो मैं अपनी पूरी ताकत से उसमें जुट कर नुकसान करना। लेकिन ये काम तो निर्दिष्ट कुछ समय के लिए ही होते थे।

शिक्षण जैसे हमारे कामों में जैसे करना ही बहलाना चाहते लेकिन उनका मरुत भेदा ज्ञान या क्षमता न था। बाहर जाना और जंगल में घूमना तो मुझे अच्छा लगता था, लेकिन इन बातों की ओर मैं कम ध्यान देता कि कोई काम कर लाने। उस बात तो यह है कि मैं जानबूझकर ही न करने के लिए कभी नजर नहीं हुआ, हालांकि एक दिन अमीर में पोटो-बहुत इतिहास के ही एक रीस के मामले में मुझे काम-यावी मिला गई थी। गिजा के लिए मेरे मन में जो थोड़ा-बहुत उत्साह था वह भी एक छोटे से कारखाने के साथ जो बटन हुई उसने ठंडा

पड गया। यह छोटा-सा निर्दोष अहिंसक पशु, चोट से मर कर मेरे पैरो पर गिर पडा और अपनी आँसू भरी बड़ी-बड़ी आँखों से मेरी तरफ देखने लगा। तबसे उन आँखों की मुझे अक्सर याद आजाती है।

उन गुरु के सालों में श्री गोकुले की भारत-सेवक समिति की ओर भी मेरा आकर्षण हुआ था। मैंने उसमें शामिल होने की बात तो कभी नहीं सोची। कुछ तो इसलिए कि उनकी राजनीति मेरे लिए बहुत ही नरम थी, और कुछ इसलिए कि उन दिनों अपना पैसा छोड़ने का मेरा कोई इरादा न था। परन्तु समिति के मेम्बरो के लिए मेरे दिल में बड़ी इज्जत थी, क्योंकि उन्होंने निर्वाह मात्र पर अपने को स्वदेश की सेवा में लगा दिया था। मैंने दिल में कहा कि कम-से-कम यह एक समिति ऐसी है, जिसके लोग एकाग्र-चित्त होकर लगातार सीधा काम करते हैं, फिर चाहे वह काम मोलहो जाने ठीक दिशा में भले ही न हो।

विश्व-व्यापी महा-युद्ध गुरु हुआ और उसमें हमारा ध्यान लग गया हालांकि वह हमसे बहुत दूर हो रहा था। गुरु में उससे हमारे जीवन पर ऐसा ज्यादा प्रभाव नहीं पडा और हिन्दुस्तान ने तो उसकी वीभत्सता का पूरा स्वरूप अनुभव भी नहीं किया। राजनीति के वरसाती नाले बहते और लोप हो जाते थे। 'ब्रिटिश डिफेन्स आफ रिपब्लिक एक्ट' की तरह जो 'भारत-रक्षा कानून' बना था, वह देश को जोर से जकड़े हुए था। लडाई के दूसरे साल से ही पडयन्त्रों की और गोलियों से मारे जाने की खबरे आने लगीं। उधर पंजाब में रंगरूटी की जबरन् भरती की खबरे सुनाई देती थी।

यद्यपि लोग जोर-जोर से राजभक्ति का राग मलापते थे तो भी अंग्रेजों के साथ उनकी बहुत ही कम हमदर्दी थी। जर्मनी की जीत की खबरे सुन कर क्या माडरेट और क्या गरम-दल वाले दोनों को ही खुशी होती थी। यह नहीं कि किसी को जर्मनी से कोई प्रेम था, बल्कि यह

इच्छा थी कि हमारे इन प्रभुओं का गरूर उतर जाय। असल में यह नाव ऐसा ही था, जैसा कमखोर और असहाय मनुष्यों के मन में अपने से ख़बरदस्त के दूसरे ने पीटे जाने की ख़बर सुनकर ख़ुशी पैदा होती है। मेरा ख़याल है कि हममें से अधिकांश इस लड़ाई के बारे में मिश्रित भाव रखते थे। जितने राष्ट्र लड़ रहे थे, उनमें मेरी हमदर्दी सबसे ज्यादा फ़्रान्सीसियों के साथ थी। मित्र राष्ट्रों की ओर से, वेह्याई के साथ जो प्रचार लगातार किया गया, उसका कुछ असर ज़रूर पड़ा, यद्यपि हम लोग उसकी सब बातें सही न मानने की काफ़ी कोशिश करते थे।

धीरे-धीरे फिर राजनैतिक जीवन बढने लगा। लोकमान्य तिलक जेल से बाहर आगये, और उन्होंने तथा मिनेज़ वेसेन्ट ने होमरूल लीगों कायम की। मैं दोनों लीगों में शामिल हुआ, लेकिन काम मैंने खासतौर पर मिनेज़ वेसेन्ट की लीग के लिए ही किया। हिन्दुस्तान के राजनैतिक मंच पर मिनेज़ वेसेन्ट दिन-दिन अधिक भाग लेने लगे। कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशनों में कुछ अधिक जोश भर गया और मुस्लिम लीग कांग्रेस के साथ-साथ चलने लगी। वायु-मण्डल में त्रिजली-सी दौड़ गई, धीरे-धीरे अफ़्रीका नवयुवकों का दिल फटने लगा। नज़दीक अधिकांश में हम बटी-बड़ी बाने होने की उम्मीद करने लगे। मिनेज़ वेसेन्ट की नज़रबन्दी में पड़े-गले लोगों में बहने उम्मीदना बंदी और उम्मीद देना भर में होमरूल आन्दोलन में जान डाल दी। होमरूल लीगों में न सिर्फ़ वे पुर्णतः सम्मिलित बाने ही शामिल हुए जा १९०८ में कांग्रेस में बाहर गये जाने थे, बल्कि मजदूर श्रेणी के लोग भी नज़र में नये कार्यकर्ता भी बाने। तैरिन आम जनता की उम्मीदों ने टूटा तक नहीं।

मिनेज़ वेसेन्ट की नज़रबन्दी में बूटों में रखनी मच गई, जिनमें बड़े मास्टेड लोग भी थे। मुझे पार है कि नज़रबन्दी न कुछ दिन पहले के सम्मिलितों में थीं। शीर्षक मास्टेड में बरतूनरून भागों की पड-

कर हम लोगो के दिल कैसे हिल जाते थे। लेकिन नजरबन्दी से ठीक पहले या उसके बाद में श्री शास्त्री चुप हो गये। जब काम का बक्ता आया तब वह हमें बिलकुल छोड़ गये, और एक ऐसे बक्ता पर, जब सब से ज्यादा नेतृत्व की जरूरत थी। उनकी चुप्पी पर हममें बहुत मायूसी और नाराजगी फैली। तब से मेरे दिल में यह विश्वास घर कर गया है कि श्री शास्त्री कर्मवीर नहीं हैं, और सकट-काल में उनकी प्रतिभा काम नहीं आती।

लेकिन दूसरे माडरेट लीडर आगे बढ़ते गये। उनमें से कुछ तो बाद को पीछे हट गये, कुछ जहाँ पहुँच चुके थे, वे वहीं डटे रहे। मुझे याद है कि यूरोपियन डिफेंस फोर्स के ढग पर सरकार हिन्दुस्तान में मध्यम-वर्ग के लोगो में से जिस नये इण्डियन डिफेंस फोर्स का संगठन कर रही थी, उनके बारे में बड़ी चर्चा होती थी। कई मामलो में इस हिन्दुस्तानी डिफेंस फोर्स के साथ वह व्यवहार नहीं किया जाता था, जो यूरोपियन डिफेंस फोर्स के साथ किया जाता था, और हममें से बहुतो को यह महसूस हुआ कि जब तक यह सब अपमान-जनक भेद-भाव न मिटा दिया जाय, तब तक हमें इस फोर्स में सहयोग न करना चाहिए। लेकिन बहुत बहस के बाद, आखिर हम लोगो ने सयुक्त प्रांत में सहयोग करना ही तय किया, क्योंकि यह सोचा गया कि इन हालतो से भी हमारे नीजवानो के लिए यह अच्छा है कि वे फौजी शिक्षा गृहण करे। मैंने इस फोर्स में शामिल होने के लिए अपनी अर्जी भेज दी, और उस तजवीज को बढ़ाने के लिए हम लोगो ने इलाहाबाद में एक कमेटी भी बना ली। इसी समय मिसेज वेसेन्ट की नजरबन्दी हुई, और उस क्षण के जोश में मैंने कमेटी के मेम्बरों को, जिनमें पिताजी, डाक्टर तेज बहादुर सप्रू, श्री० सी० वाई० चिन्तामणि तथा दूसरे माडरेट लीडर शामिल थे, इस बात के लिए राजी कर लिया कि वे अपनी मीटिंग रद्द कर दें, और सरकार की

नजरबन्दी वाली हक्कन के विगेब-स्वल्प डिपें फोन के मिनिट में दूसरे सब काम भी बन्द कर दें। मुग्ल ही इस मतलब का एक मात्र नोटिस निवाला दिया गया। मेरा खयाल है कि लडाई के बकन में ऐंग लडाकू काम करने के लिए हमें ने कुछ लोग पोछे बहुत पछताये।

मिनेज वेसेन्ट की नजरबन्दी का नतीजा यह हुआ कि पिताजी तथा हमारे माडरेट लीडर होम-रूल लीग में शामिल हो गये। कुछ महीने बाद इन माडरेट नेताओं में ने कुछेन होम-रूल लीग ने स्वीका दे दिया। मेरे पिताजी उनके मेम्बर बने रहे और उसको इन्गहावाद वाली शाखा के नभापति भी बन गये।

धीरे-धीरे पिताजी कट्टर माडरेटों की स्थिति ने अलग हटने जा रहे थे। उनकी प्रकृति तो जो मत्ता हमारी उपेक्षा करती थी और हमारे नाथ हिंकारन का बर्ताव करती थी, उनसे ज्यादा दबने और उमीने अपील करने के खिलाफ बघावन करती थी, परन्तु पुगने गरम-दल के नेता उन्हें आकर्षित नहीं करते थे। उनकी भाषा और उनके रंग उन्हें बहुत खटकते थे। मिनेज वेसेन्ट की नजरबन्दी की घटनाओं का उनके ऊपर काफी असर पड़ा, लेकिन आगे कदम रखने में पहले वह अब भी हिचकिचाते थे। अकसर वह उन दिनों यह कहा करने दे कि माडरेटों के तरीकों ने कुछ नहीं हो सकना, लेकिन नाथ ही जवनक हिन्दू-मुस्लिम सवाल का हल नहीं मिलना तब तक इनग भी कोई कारगर काम नहीं किया जा सकना। वह वादा करने दे कि अगर इनका हल मिल जाय तो मैं आर में से तेज-ने-नेज के नाथ बन्दन मिलाकर चलने को तैयार हूँ। हमारे ही घर में आल इंडिया कांग्रेस कन्वेंट की मीटिंग में वह ज्वाइंट कांग्रेस लीग योजना बनी जिने १९१६ ईसवी में कांग्रेस ने लखनऊ में मंडूर किंग। इस बात ने पिताजी बड़े खुश हुए, क्योंकि इमने सम्मिलित प्रयाण का रास्ता बूल गया। उन समय वह माडरेट

दल के अपने पुराने साथियों से विगाड करके भी हमारे साथ चलने को तैयार थे। भारत-मन्त्री की हैसियत से एडविन मान्टेगु ने हिन्दुस्तान में जो दौरा किया तब तक, और दीरे के दरम्यान, माडरेट और पिताजी साथ-साथ रहे। लेकिन मान्टेगु-चेम्सफोर्ड रिपोर्ट^१ के प्रकाशन के बाद तुरन्त ही मत-भेद शुरू होगया। १९१८ में लखनऊ में सूवे की एक विशेष कान्फेंस हुई। पिताजी इसके सभापति थे। इसीमें वह सदा के लिए माडरेटों से अलग होगये। माडरेटों को डर था कि यह कान्फेंस मान्टेगु-चेम्सफोर्ड प्रस्तावों के खिलाफ कडा रुख अख्तियार करेगी। इस-लिए उन्होंने उसका वायकाट कर दिया। इसके बाद इन प्रस्तावों पर विचार करने के लिए काँग्रेस का जो विशेष अधिवेशन हुआ उसका भी उन्होंने वायकाट किया। तब से अवतक वे काँग्रेस के बाहर ही हैं।

माडरेटों ने जो ढग अख्तियार किया वह यह था कि वे काँग्रेस के अधिवेशनों तथा दूसरे आम जत्सों में चुपचाप अलग होकर दूर रहे, और बहुमत के खिलाफ होने पर वहाँ जाकर अपना दृष्टि-कोण भी न रखें और न उसके लिए लडे। यह ढग बहुत ही भद्दा और अनुचित मालूम हुआ। मेरा खयाल है कि देश में अधिकांश लोगों का यही आम खयाल था और मुझे विश्वास है कि हिन्दुस्तान की राजनीति में माडरेटों का प्रभाव जो प्रायः सोलहो आने जाता रहा, वह एक हद तक उनके इस डरपोकपन के कारण भी हुआ। मेरा खयाल है कि अकेले श्री शास्त्री ही एक ऐसे माडरेट नेता थे जो काँग्रेस के शुरू के उन कुछ जत्सों में भी शामिल हुए जिनका माडरेट दल ने वायकाट कर दिया था, और उन्होंने अपने अकेले का दृष्टि-कोण वहाँ रक्खा। इसके बदौलत पब्लिक की निगाह में उनकी इज्जत बढ गई।

१ 'काँग्रेस का इतिहास' प्रकाशक सत्ता संहित्य भंडल, दिल्ली, प्रका-
रण ४ देखिए। —अनु०

लडाई के शुरू के सालों में मेरे अपने राजनैतिक और सार्वजनिक कार्य साधारण ही थे और मैं आम सभाओं में व्याख्यान देने से बच रहा। अभी तक मुझे पब्लिक में व्याख्यान देने में डर व शिश्क मालूम होती थी। कुछ हद तक इसकी वजह यह भी थी कि मैं यह महसूस करता था कि सार्वजनिक व्याख्यान अंग्रेजी में तो होने नहीं चाहिए और हिन्दुस्तानी में देर तक बोलने की अपनी योग्यता में मुझे सन्देह था। मुझे वह छोटी-सी घटना याद है जो उस समय हुई जब मुझे इस बात के लिए मजबूर कर दिया गया कि मैं पहले-पहल इलाहाबाद में सार्वजनिक भाषण दूँ। सम्भवत यह १९१५ में हुआ। तारीख के बारे में मैं ठीक-ठीक नहीं कह सकता। इसके अलावा पहले क्या हुआ और फिर क्या यह तरतीब भी मुझे साफ-साफ याद नहीं है। प्रेस का मुँह बन्द करनेवाले एक कानून के विरोध में समा होनेवाली थी और उसमें मुझे यह मौका मिला था। मैं बहुत थोड़ा बोला, सो भी अंग्रेजी में। ज्यों ही भीड़िंग खतम हुई मुझे इस बात से बड़ी संकुच हुई कि डॉक्टर तेजबहादुर सप्रू ने मंच पर पब्लिक के सामने मुझे छाती से लगाकर प्यार से चूमा। मैंने जो-कुछ या जिन तरह कहा उस पर वह खूब हुए हैं सो बात नहीं। बल्कि उनकी इस वेहद खुशी का सबब निर्फ यह था कि मैंने आम रचना में व्याख्यान दिया, और इस तरह सार्वजनिक कार्य के लिए एक नया रगड़ट मिल गया। उन दिनों सार्वजनिक काम दरअसल महज व्याख्यान देना ही था।

मुझे याद है कि उन दिनों हमें, इलाहाबाद के बहुत से नीजवानों को, यह भी जाना था कि डॉक्टर सप्रू मुसकिन हैं, राजनीति में कुछ आगे कदम रखेंगे। यह मैं माउरेंट दल के जिनने लोग थे उन मंत्र में उर्दीमें उस खान की मदद ज्यादा सम्भावना थी, क्योंकि वह भांगुत थे और अपनी-सनीं मीरे पर उर्दाद की लहर में बह जाने थे।

उनके मुकाबिले में पिताजी बहुत ठंडे मालूम पड़ते थे हालाँकि उनकी इस बाहरी चादर के नीचे काफी आग थी। लेकिन पिताजी की दृढ़ इच्छा-शक्ति के कारण हमें उनसे बहुत कम उम्मेद रह गई थी, और कुछ वक्त के लिए हमें सचमुच डॉक्टर सप्रू से ज्यादा उम्मीदें थीं। इसमें तो कोई शक नहीं कि अपनी लम्बी सार्वजनिक सेवाओं के कारण पण्डित मदनमोहन मालवीय हमें अपनी तरफ खींचते थे और हम लोग उनसे देर-देर तक बातें करते तथा उन पर यह जोर डालते थे कि वह जोर के साथ मुल्क का नेतृत्व करें।

उस ज़माने में, घर में राजनैतिक सवाल चर्चा और बहस के लिए शान्तिमय विषय नहीं था। उनकी चर्चा अक्सर होती थी, लेकिन चर्चा होते ही तनातनी होने लगती थी। गरमदल की तरफ जो मेरा झुकाव था उसे पिताजी बड़े गौर से देख रहे थे, खास तौर पर बातूनी राजनीति के बारे में मेरी नुक्ता-चीनियों को और कार्य के लिए की जाने वाली मेरी हठीली भाग को। मुझे भी यह बात साफ-साफ नहीं दिखाई देती थी कि क्या काम होना चाहिए, और पिताजी कभी-कभी खयाल करते थे कि मैं सीधे उस हिंसात्मक काम की तरफ जा रहा हूँ जिसको वगाल के नीजवानो ने अस्तित्वार किया था इससे वह बहुत ही चिन्तित रहते थे। जब कि दरअसल मेरा आकर्षण उस तरफ न था। हाँ, यह खयाल मुझे हर वक्त घेरे रहता था कि हमें मौजूदा हालत को चुपचाप नहीं बरदाश्त करना चाहिए और कुछ-न-कुछ खरूर करना चाहिए। राष्ट्रीय दृष्टि से किसी काम को सफल करना बहुत आसान नहीं दिखाई देता था। लेकिन मैं यह महसूस करता था कि स्वाभिमान और स्वदेशाभिमान दोनों ही यह चाहते हैं कि विदेशी हुकूमत के खिलाफ अधिक लड़ाकू और आक्रामक रवैया अस्तित्वार किया जाय। पिताजी खुद माइरेटो की विचार-पद्धति से असन्तुष्ट थे और उनके मन के भीतर

इन्द्र-युद्ध मच रहा था। वह इतने हठी थे कि जबतक इस बात न पूरा-पूरा विश्वास न हो जाय कि ऐसा करने के अलावा और कोई चारा नहीं तबतक वह एक स्थिति को छोड़कर दूसरी को कभी न अपनाते। आगे रक्खे जानेवाले हरेक कदम के मानी यह थे कि उनके मन में कठिन और कठोर दृढ़ हों, लेकिन अपने मन से इस तरह लड़ने के बाद जब वह कोई कदम आगे रख देते थे तब फिर पीछे पैर नहीं हटाते थे। उन्होंने आगे जो कदम बढ़ाया वह किसी उत्साह के क्षोभे में नहीं, बल्कि वीर्यवान् विश्वास के फलस्वरूप, और एक बार आगे कदम रख देने के बाद उनका सारा अभिमान उन्हें पीछे मुड़कर देखने ने भी रोकता था।

उनकी राजनीति में वाह्य परिवर्तन मिसेज बेसेण्ट की नज़रबन्दी के वक्त से आया और तब से वह कदम-ब-कदम आगे ही बढ़ते गये और अपने माडरेट द्रोस्तों को पीछे छोड़ते गये। अन्त में १९१९ में पंजाब में जो दुःखान्त काण्ड हुआ उसने उन्हें हमेशा के लिए अपने पुराने जीवन और अपने पेशे से अलग फाट फंका, और उन्होंने गाँधीजी के चलाये गये आन्दोलन के साथ अपने भाग्य की डोर बाँध दी।

लेकिन यह बात तो आगे जाकर होने को थी और १९१५ में १९१७ तक तो वह यह तय ही नहीं कर पाये कि क्या करना चाहिए। एक तो उनके अपने मन में तरह-तरह की शक़ायें उठ रही थी दूसरे वह मेरी बजह में चिन्तित थे। इसलिए वह उन दिनों के सार्वजनिक प्रश्नों पर शान्ति-पूर्वक बान-बँस नहीं कर मजने थे। अन्त में यह हाँसा था कि बात-चीत में वह गुम्मा हो जाने की हमे बान जहा को तहा खनम कर देनी पडती।

न गाँधीजी से पहले-महले १९१८ में बड़े दिन की छुट्टियों में लखनऊ-वाटन में मिला। अद्विनिश अफ्रीका में उनकी बहादुराना लडाई के लिए हम गन् गोग उनका मारोण करने थे, लेकिन हम नौजवानों में बहुतो में यह कर्न कू और अलग नया राजनीति में हूँ व्यक्ति मालूम होते

थे। उन दिनों उन्होंने कांग्रेस या राष्ट्रीय राजनीति में भाग लेने से इन्कार कर दिया था, और अपने को प्रवासी भारतीयों के मसले की सीमा तक बाँध रक्खा था। इसके बाद ही चम्पारन में निलहे गोरो से होने वाले किसानों के दुःख दूर करने में उन्होंने जैसा साहस दिखाया और उस मामले में उनकी जो जीत हुई, उससे हम लोग उत्साह से भर गये। हम लोगो ने देखा कि वह हिन्दुस्तान में भी अपने इस तरीके से काम लेने को तैयार हैं और उनसे सफलता की भी आशा होती थी।

लखनऊ-काँग्रेस के बाद उन दिनों इलाहाबाद में सरोजिनी नायडू ने जो कई वक्तव्यपूर्ण भाषण दिये, उनसे भी, मुझे याद है, मेरा दिल हिल उठता था। वे भाषण शुरू से आखिर तक राष्ट्रीयता और देश-भक्ति से सराबोर होते थे और उन दिनों में विखुद राष्ट्रीयता-वादी था। मेरे कालेज के दिनों के गौलगोल साम्यवादी भाव पीछे जा छिपे थे। १९१६ में रोजर केसमेन्ट ने अपने मुकदमे में जो आश्चर्यजनक भाषण दिया उसने हमें यह बताया कि गुलाम जाति वालों के भाव

१—रोजर केसमेन्ट एक समय ब्रिटिश सरकार के उपनिवेशों में उच्च पद पर था। दक्षिण अमेरिका के पुटुमायो में एग्लो-बेल्जियन रबर कम्पनी ने वहाँ के निवासियों पर जो जुल्म किये थे उनकी जाँच करने के लिए १९१० में इसकी नियुक्ति की गई थी और उसकी रिपोर्ट से बड़ी सनसनी फैली थी। इसके बाद यह ब्रिटिश साम्राज्य का कट्टर शत्रु बन गया। महायुद्ध में भाग न लेने के लिए, उसने अपने आयरिश भाइयों से अनुरोध किया। नवंबर १९१४ में बर्लिन गया और वहाँ जर्मन सरकार के साथ ब्रिटिश के खिलाफ युद्ध की। आयरलैंड में १९१६ के ईस्टर सप्ताह में चलने की तैयारी की वारह अप्रैल को जर्मनी से जहाज में पोला-बाल्ट भर कर आयरलैंड के किनारे उतरा। जहाज और वह छुद दोनों पकड़े गये। 'राज्य के शत्रु' होने का इल्जाम इस पर लगाया गया और तीन अगस्त को उसे फाँसी की सजा दी गई।

कैसे होने चाहिए ? आयरलैण्ड में ईस्टर के दिनों में जो बगावत हुई उसकी विफलता ने भी हमें अपनी तरफ खींचा, क्योंकि जो निश्चित विफलता पर हसता हुआ ससार के सामने यह ऐलान करता है कि एक राष्ट्र की अजेय आत्मा को कोई भी ज़ारीरक शक्ति नहीं कुचल सकती वह सच्चा साहस नहीं था, तो क्या था ।

उन दिनों ये ही मेरे भाव थे । परन्तु नई किताबों के पढ़ने से मेरे दिमाग में साम्यवादी विचारों के अगारे भी फिर जलने लगे थे । उन दिनों वे भाव अस्पष्ट थे । उतने वैज्ञानिक नहीं थे जितने दयापूर्ण और हवाई । युद्धकाल में तथा उसके बाद भी मुझे बर्ट्रैंड रसल^१ के लेख तथा श्रय बहुत पसन्द आते थे ।

इन विचारों और इच्छाओं से मेरे मन का भीतरी सर्षप तथा अपने बकालात के पेशे के प्रति मेरा असन्तोष और भी बढ़ गया । यो मैं उसे चलाता रहा, क्योंकि उसके सिवा मैं करता भी क्या ? लेकिन मैं अधिकाधिक यह महसूस करने लगा कि एक ओर खासतौर पर आक्रामक ढंग का सार्वजनिक कार्य, जो मुझे पसन्द है, और दूसरी तरफ यह बकालात का पेशा, दोनों एक साथ निभ नहीं सकते । सवाल सिद्धान्त का नहीं, समय और शक्ति का था । न जाने क्यों कलकत्ता के नामी वकील सर रासबिहारी घोष मुझसे बहुत खूब थे । वह मुझे इस विषय में बहुत नेक सलाह दिया करते थे । खासतौर पर उन्होंने मुझे यह सलाह दी कि मैं अपने पसन्द के किसी कानूनी विषय पर एक किताब लिखूँ । क्योंकि उनका कहना था कि जूनियर वकील के लिए अपनेको 'ट्रेन' करने का यही सबसे अच्छा रास्ता है । उन्होंने यह भी कहा कि

१. लार्ड-मद छोड़कर समाजवाद का प्रचार करनेवाला अप्रेज अध्यापक और समर्थ लेखक । महायुद्ध में युद्धनीतियों का विरोध करने के लिए इसने सजा भी पाई थी । —अनु०

एन रिनाय के लिखने में वह मुझे विचारों की भी मदद देगे और उस रिनाय का सहायन भी कर देंगे। लेकिन मेरे बकीली जीवन में उनकी यह डिग्रिमी चंकार थी, क्योंकि मेरे लिए इससे ज्यादा बखरने वाली "नौ कोटि चंक्र नहीं हो सकती थी कि मैं कानूनी किताब लिखने में अपना समय और शक्ति बरबाद करूँ।

यद्यपि मैं मगर रामविहारी बहुत ही चिड-चिडे ही गये थे। फौरन ही उन्हें गुन्गा जा जाना था, जिसमें उनके जूनियरों पर उनका बड़ा आतंक-सा प्रभाव था। लेकिन मुझे वह फिर भी अच्छे लगते थे। उनकी कमियाँ और कमजोरियाँ भी त्रिलकुल अनाकर्षक नहीं मालूम होती थी। एक एनर्जिक और जिज्ञासी शिमला में उनके मेहमान थे। मेरा खयाल है कि यह १९१८ की बात है, ठीक उस समय की, जब माण्टेगु-चेम्सफोर्ड-रिपोर्ट प्रकाश आती थी। उन्होंने एक दिन शाम को कुछ मित्रों को खाने के लिए बुलाया और उनमें घापड़ें नाहब भी थे। खाना खाने के बाद मैं रामविहारी और गाराटें आपस में जोर-जोर से बातें तथा एक-दूसरे पर हसना करने लगे, क्योंकि वह राजनीति में भिन्न-भिन्न फिरकों के थे। मगर रामविहारी घुटे हुए माडरेट थे और गाराटें उन दिनों प्रबल अल्पसंख्यक माने जाते थे, यद्यपि पीछे जाकर वे कौल की तरह बोलने और माण्टेगु के विरुद्ध भी अत्यधिक माडरेट हो गये। तबपड़ें ने हम दोनों के आचरण गुण गी। कुछ माण्टेगु पहले ही गौरे के का देहान्त की बातें की। "गदर" कहने लगे कि गौरे के रिटिड मन्थार के एजेण्ट थे और गौरे के लक्ष्य में मेरे ऊपर भेदिये का काम किया। मगर गौरे की हँसी की देखाएत पर छाने दे ? वह रिगटार्ड होते कि गौरे के लक्ष्य में और मेरे काम लिए थे। मैं जिज्ञासी उनके लक्ष्य में थे। मगर गौरे की बातें सुनीं। वह गाराटें अंतियाम इत्यादी बातें करते लगे। मगर रामविहारी का मत भी इत्यादी का ही था।

लेकिन उन्होंने कोई नाराजगी नहीं दिखलाई। जाहिर है कि वह ग्राम्जी जी के उनसे प्रथमक नहीं थे जिनसे गोखले के। यहाँ तक उन्होंने यह कहा कि जब तक गोखले जीवित थे मैं रुपये-पैसे से भारत-सेवक समिति की मदद करता था, लेकिन उनकी मौत के बाद मैंने रुपया देना बन्द कर दिया है। इसके बाद सापडे उनके मुकाबिले में तिलक की तारीफ करने लगे। बोले, "तिलक निम्सन्देह महापुरुष, एक आश्चर्यजनक पुरुष, महात्मा है।" "महात्मा।" रासबिहारी बोले—मुझे महात्माओं से घिटा है। मैं उनसे कोई वास्ता नहीं रखना चाहता।"

: ६ :

हिमालय की एक घटना

मेरी शादी १९१६ में, दिल्ली में, बसन्त-मचमी को हुई थी। उन साल गरमी में हमने कुछ महीने कश्मीर में बिताये। मैंने अपने परिवार को तो श्रीनगर की घाटी में छोड़ दिया, और अपने एक चत्रेरे भाई के साथ कई हफ्ते तक पहाड़ों में घूमता रहा, तथा लडाख, रोड तक बढ़ता चला गया।

असार के उच्च प्रदेश में उन नकीर्ण और निर्जन घाटियों में, जो कि तिब्बत के मैदान की तरफ ले जाती हैं। घूमने का वह मेरा पहला अनुभव था, जो जीलाघाटी की चोटी में हमने देखा तो हमारी एक तरफ नीचे की ओर पहाड़ों की घनी हरियाली थी, और दूसरी तरफ खाली बड़ी गिला की चट्टान। हम उस घाटी की नैकड़ी तह के ऊपर चढ़ने चले गये, जिनके दोनों ओर पहाड़ हैं। एक तरफ बरफ से ढकी हुई चोटियाँ चमक रही थीं, और उनमें से छोटे-छोटे ग्लेशर—हिमसरोवर—हमने भिन्न-भिन्न के लिए, नीचे की रंग रहे थे। हवा ठंडी और बटोली थी।

लेकिन दिन में धूप अच्छी पड़ती थी, और हवा इतनी साफ थी कि अक्सर हमें चीखों की दूरी के बारे में भ्रम हो जाता था। वे दरअसल जितनी दूर होती थी, हम उन्हें उसमें बहुत कम दूर समझने थे। धीरे-धीरे सूनापन बढ़ता गया, पेड़ों और वनस्पतियों तक ने हमारा साथ छोड़ दिया—सिर्फ नगी चट्टान और बरफ और हिम और कभी-कभी कुछ खुग-नुमा फूल रह गये। फिर भी प्रकृति के इन जगली और सुनसान निवासों में मुझे अजीब सन्तोष मिला। मेरे उत्साह और उमग का ठिकाना न था।

इस यात्रा में मुझे एक बड़ा रूढ़ कपादेनेवाला अनुभव हुआ। जोजीला-घाटी से आगे अफर करते हुए एक जगह, जो मेरे खयाल में मातायन कहलाती थी, हमसे कहा गया कि अमरनाथ की गुफा यहाँ से सिर्फ आठ मील दूर है। यह ठीक था कि बीच में बुरी तरह हिम व बरफ से ढका हुआ एक बड़ा पहाट पड़ता था, जिसे पार करना था। लेकिन उससे क्या? आठ मील होते ही क्या है? जोग खूब था और तजुरवे नदारद। हमने तय किया कि हम गुफा तक पहुँचने की कोशिश करेंगे। अतः हमने अपने डेरे-तम्बू, जो ग्यारह हजार पाचसौ फीट की ऊँचाई पर थे, छोड़ दिये और एक छोटे-से दल के साथ पहाड़ पर चढ़ने लगे। रास्ता दिखाने के लिए हमारे साथ वहाँ का एक गडरिया था।

हम लोगों ने रस्सियों के सहारे कई बरफीली-नदियों को पार किया। हमारी मुश्किलें बढ़ती गईं तथा सास लेने में भी कठिनाई मालूम होने लगी। हमारे कुछ सामान उठानेवालों के मुँह से खून निकलने लगा, हालाँकि उनपर बहुत जोर नहीं था। इधर बर्फ पड़ने लगी और बरफीली-नदियाँ भयानक रूप से रपटीली हो गईं। हम लोग बुरी तरह थक गये और एक-एक कदम आगे बढ़ने के लिए खास कोशिश करनी पड़ती थी। लेकिन फिर भी हम यह मूर्खता करते ही गये। हमने अपना खीमा सुबह चार

वजे छोटा था और बारह घंटे तक लगातार चढते रहने के बाद एक सुविशाल हिम-सरोवर देखने का इनाम मिला। यह दृश्य बहुत ही सुन्दर था। उनके चारों ओर बरफ से ढकी हुई पर्वत-चोटियाँ थीं। मानो देवताओं का मुकुट अथवा अर्द्धचन्द्र हो। परन्तु ताजा बरफ और कुहरे ने शीघ्र ही इस दृश्य को हमारी आँखों से ओझल कर दिया। पता नहीं कि हम कितनी ऊँचाई पर थे, लेकिन मेरा खयाल है कि हम लोग कोई पदरह सोलह हज़ार फीट ऊँचाई पर ज़रूर होंगे, क्योंकि हम अमरनाथ की गुफा से बहुत ऊँचे थे। अब हमें इस हिम-सरोवर को, जो सम्भवतः आष मील लम्बा होगा, पार करके हमारी तरफ नीचे गुफा को जाना था। हम लोगो ने सोचा कि चढाई खत्म होने से हमारी मुठ्ठिले भी खत्म हो गई होगी, इसलिए बहुत थके होने पर भी हम लोगो ने हँसते हुए यात्रा की यह मजिल भी तय करना शुरू की। इसमें बड़ा धोखा था, क्योंकि वहाँ दरारें बहुत-सी थीं और ताजा गिरनेवाली बरफ खतरनाक दरारों को ढक देती थी। इस नई बरफ ने ही मेरा करीब-करीब आत्मा कर दिया होता। क्योंकि मैंने ज्योंही उनके ऊपर पैर रखता, वह धमक गई और मैं धम में नीचे एक विशाल दरार में, जो मुँह बाय हुए थी, जा गिरा। यह दरार बहुत बड़ी थी और कोई भी चीज उसमें बिलकुल नीचे पहुँचकर हज़ारों वर्ष बाद तक भूगर्भ गाम्भियों की गोज के लिए उपयोग के साथ मुगधिन रह सकती थी। लेकिन मेरे हाथ में गम्भी नहीं छटी थीं मैं दरार की धाजू तो पकड़े रक्ता और ऊपर लीच लिया गया। इस दरार में हम लोगो के होना तो टोके हो गये थे, पर फिन भी हम लोग आगे चरने लगे। लेकिन दरारों की तदाद और उनकी चौड़ाई आगे जाकर भी बड़ गई। उनमें से कुछ तो पार करने के कोई माधन भी नमा पाग न थे जिनमें अग में हम लोग थरे-माँदे इनाम हो लीट ज ने जोग उर प्ररर प्ररररर तो गुफा अनदेखी ही रह गई।

कश्मीर के पहाड़ों तथा ऊँची-ऊँची घाटियों ने मुझे ऐसा मुग्ध कर दिया कि मैंने एक बार फिर वहाँ जाने का सकल्प किया। मैंने कई योजनायें सोचीं, और कई यात्राओं के मनसूबे बाँधे और उनमें से एक के तो खयाल ही से मेरी खुशी का ठिकाना न रहा। वह थी तिब्बत की अलौकिक झील मानसरोवर और उसके पास का हिमाच्छादित कैलाश। यह अठारह वरम पहले की बात है और मैं आज भी कैलाश तथा मानसरोवर से उतना ही दूर हूँ जितना पहले था। मैं फिर कश्मीर न जा सका, हालाँकि वहाँ जाने की मेरी बहुत ख्वाहिश रहो। लेकिन मैं राजनीति और सार्वजनिक कामों के जजाल में अधिकाधिक उलझता गया। पहाड़ों पर चढ़ने या समुद्रों को पार करने के बदले मेरी सैलानी तवीयत को जेलों में जाकर ही सतोप करना पड़ा। लेकिन अब भी मैं वहाँ जाने के मनसूबे गढा करता हूँ, क्योंकि वह तो एक ऐसे आनन्द की बात है जिसे कोई जेल में भी नहीं रोक सकता। और इसके अलावा जेलों में ये स्कीमें सोचने के सिवा और कोई करे भी क्या? अतः मैं उस दिन का स्वप्न देख रहा हूँ जब मैं हिमालय पर चढ़कर उसे पार करूँगा और उस झील तथा कैलाश के दर्शन करके अपना मनोरथ पूरा करूँगा। परन्तु इस बीच में जीवन की बालू दौड़ती जा रही है, जवानी अवेहपन में तबदील हो रही है और कभी-कभी मैं यह मोचता हूँ कि मैं इतना बुढ़ा हो जाऊँगा कि कैलाश और मानसरोवर जा ही न सकूँगा, परन्तु यद्यपि यात्रा का अन्त न भी दिखाई दे तब भी यात्रा करने में हमेशा आनन्द ही आता है—

मेरे अन्तर्पट पर इन गिरि-श्रृंगों की पढती छाया-

साध्य गुलाबों से रजित है जिनकी भीषण दुर्गमता,

फिर भी मेरे प्राण मुग्ध पलकों पर बैठे अकुलाते,

शांत क्षुभ्र हिम के ये प्यासे, हैं कैसी पागल ममता ! १

१ वास्तर दि ला मेयर के एक पद्य का भावानुवाद । —अनु०

गांधीजी मैदान में : मत्याग्रह और अमृतसर

यूरोपियन महायुद्ध के अन्त में हिन्दुस्तान में एक दवा हुआ जोध फैला हुआ था। कल-कारखाने जगह-जगह फँस गये थे और पूँजीवादी वर्ग घन और नत्ता में बड़ गया था। चोटी पर के मुद्दीभर लोग मालामाल हो गये थे और उनके जी इन बात के लिए लड़चा रहे थे कि बचन की इन दौलत को और भी बढ़ाने के लिए मीके और सत्ता मिले। मगर आम लोग इतने खुशकिस्मत न थे और वे उम बोझे को कम करने की टोह में थे जिमके मले वे कुचले जा रहे थे। मध्यम वर्ग के लोगो में यह आशा फँस रही थी कि अब धामन-मुधार हांगे ही, जिनने स्वराज के कुछ अधिकार मिलेगे और उसके द्वारा उन्हें अपनी बटती के नये सन्ने मिलेगे। राजनैतिक अन्डोलन, जोकि नासिनय और त्रिलकुल वैध था, कामयाब होना हुआ दिखाई देना था और लोग दिग्बाम के नाथ आत्म-निर्णय और स्वशासन और स्वराज की बातें करने थे। इन अध्यान्ति के कुछ आमार जनता में भी, और खासकर किमानो में भी, दिखाई पडने थे। पञ्जाब के देहानी इलाको में अवरदस्ती रगस्ट अर्नी करने की दुःखदायी बात लोग अभी तक बुरी तरह याद करने थे और 'कोनागाटा-मारुवाल' नया इनरे लोगो पर पडयन्त्र के

१ कोना-गाटा-मारुवाली घटना थोड़े में इस प्रकार है — कनाडा में एक ऐसा कानून पास हुआ कि सिवा उन लोगो के जो ठेठ कनाडा तक एक ही जहाज में सीधे यात्रा करें, हमरे किमी को कनाडा में न उतरने दिया जाय। कनाडा से हिन्दुस्तान तक सीधा एक भी जहाज

मुकदमे चलाकर जो दमन किया गया था उसने उनकी चारों ओर फँगी हुई नाराजगी को और भी बढ़ा दिया था। जगह-जगह लड़ाई के मैदानों से जो सिपाही लौटे थे वे अब पहले जैसे 'जो हुकुम' नहीं रह गये थे। उनकी जानकारी और अनुभव बढ़ गया था और उनमें भी बहुत अशान्ति थी।

मुसलमानों में भी, तुर्किस्तान और खिलाफत के मसले पर जैसा रुझा अस्त्रियार किया गया उसपर, गुस्सा बढ़ रहा था और आन्दोलन तेज हो रहा था। तुर्किस्तान के साथ सुलहनामों पर अभी दस्तखत नहीं हो चुके थे, मगर ऐसा मालूम होता था कि कुछ बुरा होनेवाला है, सो जहाँ एक ओर वे आन्दोलन कर रहे थे तहाँ दूसरी ओर इन्तजार भी कर रहे थे।

नहीं आता। कनाडा में कई सिक्ख जा बसे हैं। अतएव उनके लिए इस कानून का यह अर्थ हुआ कि वहाँ बस जाने वाले कोई भी सिक्ख जो यहाँ थोड़े दिन के लिए आये हों, वापस कनाडा नहीं जा सकते, न कनाडा-स्थित कोई सिक्ख हिन्दुस्तान से अपने कुटुम्बियों को ही ले जा सकते थे। इस चुनौती का जवाब देने के लिए १९१५ में बाबा गुरुदत्त सिंह ने 'कोमागाटा-मारू' नामक एक ठेक कनाडा जानेवाला जहाज किराये किया और ६०० सिक्खों को उसमें 'वहाँ ले गये। इन्हें वहाँ उतरने नहीं दिया गया। वापस लौटते हुए उन्हें कलकत्ते में बजबज स्टेशन पर उतरकर सीधा पंजाब जाने का हुक्म मिला। इस हुक्म को भंग किया गया और इससे बलवा पैदा हुआ गोलियाँ, चलाई गईं, कितने ही मारे गये, कइयों पर राजद्रोह और खडक के मुकदमों में घले। बाबा गुरुदत्त सिंह वहाँ से भाग निकले और छुपे रहे। १९२१ तक वे इधर-उधर घूमते रहे, फिर गाधीजी से भेंट हुई और उनकी 'सलाह के अनुसार खुद अपनेको गिरफ्तार करा दिया। १९२२ में वह लाहौर जेल से छूटे।

नारे देशभर में इन्जिनियर और आगा की हुवा जोरो पर थी, लेकिन उन आशा में चिन्ता और भय समाये हुए थे। इसके बाद रौलट-बिल का दौर हुआ, जिनमें कानूनी कार्रवाई के बिना भी गिरफ्तार करने और मजबूत देने की धारों रखी गई थी। नारे हिन्दुस्तान में चारों ओर उठे हुए क्रोध की लहर ने उनका स्वागत किया था। यहाँ तक कि माइस्ट्रे लोगो ने भी अपनी पूरी ताकत से उनका विरोध किया था। और सब तो यह है कि हिन्दुस्तान के सब विचार और दल के लोगों ने एक स्वर में उनका विरोध किया था। फिर भी सरकारी अफसरों ने उनको कानून बनावा ही डाला। और खान रिवायत सब पूछो तो यह की गई कि उसकी मीयाद महज तीन वर्ष की रखदी गई ?

पन्द्रह वरस पहले इन बिल के जमाने पर और इनकी बदौलत जो हलचल मची उनपर सरा निगाह दौडाना यहा उपयोगी होगा। रौलट-कानून बन तो गया, मगर, जहाँ तक में जानता हूँ, अपनी तीन वर्ष की ज़िन्दगी में वह कभी काम में नहीं लाया गया। हाँलाकि वे तीन साल शान्ति के नहीं, ऐसे उपद्रव के साल थे, जो १८५७ के शहर के बाद हिन्दुस्तान ने पहले-पहल देखे थे। इस तरह ब्रिटिश सरकार ने लोकमत के धोर विरोधी होते हुए एक ऐसा कानून बनाया जिनका उसने कुछ उपयोग भी नहीं किया और बदले में एक तूफान पैदा कर दिया। इससे यह बहुत-कुछ खयाल किया जा सकता है कि इन कानून को बनाने का उद्देश्य सिर्फ खलबली मचाना था।

एक और मजेदार वान मुनिग। आज पन्द्रह साल के बाद ऐसे कितने ही कानून बन गये हैं जो रोब-न-रोब बरते भी जाते हैं और जो रौलट-बिल से भी ज्यादा मदन हैं। इन नये कानूनों और आर्डिनेन्सों के मुक़ाबिले

१ एक बिल वापिस लिया गया और दूसरा बिल पास होकर कानून बना। —अनु०

में, जिनके मातहत हम आज ब्रिटिश हुकूमत की नियामत का आनन्द लूट रहे हैं, रौलट-बिल तो आजादी का परवाना समझा जा सकता है। हाँ, एक फर्क जरूर है। १९१९ से हमें माण्टेगु-चेम्सफोर्ड-योजना नामक स्वराज की एक किस्ती मिल चुकी है और अब, मुनते हैं, एक बड़ी किस्म और मिलनेवाली है। हम तरक्की जो कर रहे हैं।

१९१९ के शुरु में गांधीजी एक सख्त वीमारी से उठे थे। रोग-शय्या से उठने ही उन्होंने वाइसराय से प्रार्थना की थी कि वह इस बिल को कानून न बनने दें। इस अपील की उन्होंने, दूसरी अपीलों की तरह कोई परवा न की और उस हालत में, गांधीजी को अपनी तबीयत के खिलाफ इस आन्दोलन का अगुआ बनना पड़ा जो, उनके जीवन में पहला भारत-व्यापी आन्दोलन था। उन्होंने सत्याग्रह-सभा शुरू की, जिसके मेम्बरो से यह प्रतिज्ञा कराई गई थी कि उनपर लागू किये जाने पर वे रौलट-कानून को न मानेंगे। दूसरे शब्दों में उन्हें खुल्लम-खुल्ला और जान-बूझकर जेल जाने की तैयारी करनी थी।

जब मैंने अखबारों में यह खबर पढ़ी तो मुझे बड़ी तसल्ली हुई। आखिर इस उलझन से एक रास्ता मिला तो। बार करने के लिए एक हथियार तो मिला जो सीधा, खुला और बहुत करके राम-बाण था। मेरे उत्साह का पार न रहा और मैं फौरन ही सत्याग्रह-सभा में सम्मिलित होना चाहता था। लेकिन मैंने उसके नतीजे पर—कानून तोड़ना, जेल जाना वगैरा पर—शायद ही गौर किया हो और अगर मैंने गौर किया भी होता तो मुझे उनकी परवा न होती। मगर एका-एक मेरे सारे उत्साह पर पाला पड़ गया और मैंने समझ लिया कि मेरा रास्ता आमान नहीं है। क्योंकि पिताजी इस नये खयाल के घोर विरोधी थे। वह नये-नये प्रस्तावों के बहाव में बह जाने वाले न थे। कोई नया कदम आगे बढ़ाने के पहले वह उसके नतीजे को बहुत अच्छी तरह सोच

गिया कानून के और गिनना ही ज्यादा उन्होंने सत्याग्रह के प्रश्न को उनके प्रोग्राम के बारे में सोना उनका ही नम वह उन्हें जेबा। बोर्डने लोगों के जेठ जाने में ज़ा फ़ायदा होगा ? हमने मगर पर पना अपर होगा और क्या दबाव पड़ेगा ? उन आम वानों के अगावा अपर वान तो ही हमारी जानी नवाले। उन्हें यह वान बहुत बेहदा दिखार देनी ही कि मैं जेठ जाऊँ। जेठ जाने का मिल्मिठा धनी पडा नहीं था और यह खयाल ही उनको बहुत नागवार मालूम होना था। पिताजी अपने बच्चों से बहुत ही मुह्वन्नत रहने थे। यद्यपि वह प्रेम का दिखारा नहीं करते थे, तो भी उनके अन्दर प्रेम बहुत छिना रहना था।

बहुत दिनों तक मानसिक मधर्ष चलना रहा और नूँकि हम दोनों जानने थे कि यह बड़ी-बड़ी बाजियाँ लगाने का सवाल है, जिसमें हमारे सारे जीवन में बड़ी उचल-पुचल होने की सम्भावना है, दोनों ने इन वान की कोशिश की कि जहाँतक हो सके एक दूसरे की भावनाओं और बातों का खयाल रखते। मैं चाहता था कि जहाँतक हो सके कोशिश करू कि उनको तकलीफ न उठानी पड़े। मगर मुझे अपने दिल में यकीन हो गया था कि मुझे जाना तो सत्याग्रह के ही सन्ने है। हम दोनों के लिए वह मुनोवत का समय था और कई रात मैंने अकेले बड़ी चिन्ता और बेचैनी में काटी। मैं सोचता रहता कि इनमें से कोई रास्ता निकले। बाद को मुझे मालूम हुआ कि पिताजी रात को मचमुच फर्ज पर मौकर खुद यह अनुभव कर लेना चाहते थे कि जेल में मेरी क्या गत होगी, क्योंकि उनके खयाल में मुझे आगे-पीछे जेल जरूर जाना पड़ेगा।

पिताजी ने गाँधीजी को बुलाया और वह इलाहाबाद आये। दोनों की बड़ी देर तक बातें होनी रहीं। उस समय मैं मौजूद न था। इनका नतीजा यह हुआ कि गाँधीजी ने मुझे सलाह दी कि जल्दी न करो और

ऐसा काम न करो जो पिताजी को नागवार हो। मुझे इससे दुःख ही हुआ, मगर उगी समय देग में ऐसी घटनाये घट गईं जिनसे सारी हालत ही बदल गई, और सत्याग्रह-मभा ने अपनी कार्रवाई बन्द कर दी।

सत्याग्रह-दिवस थाने—सारे हिन्दुस्तान में हड़तालें और तमाम काम-काज बन्द—दिल्ली और अमृतसर में पुलिस और फौज का गोली चलाना और बहुत से आदमियों का मारा जाना—अमृतसर और अहमदाबाद में भीड़ के द्वारा हिंसा-फाण्ड हो जाना—जालियावाला-वाग का हत्या-काण्ड—पंजाब में फौजी कानून के भीषण अपमानजनक और जी दहलानेवाले कारनामे। पंजाब मानो दूसरे प्रान्तों से अलग काट दिया गया हो, उसपर मानो एक गहरा परदा पड़ गया था जिससे बाहरी दुनिया की आँखें उस तक नहीं पहुँच पाती थी। वहाँ से भूमिकल से कोई खबर मिलती थी, और कोई वहाँ न जा सकता था, न वहाँ से आ ही सकता था।

कोई इक्का-बुक्का जो किमी तरह उस नरक-कुड से बाहर आ पहुँचता था, तो वह द्रतना भयभीत हो जाता था कि साफ-साफ हाल नहीं बता सकता था। हम लोग जो कि बाहर थे, असहाय और असमर्थ थे, छोटी-बड़ी खबर का इन्तजार करते रहते थे। और हमारे दिल में कटुता भरती जा रही थी। हममें से कुछ लोग फौजी कानून की परवा न करके खुलम खुल्ला पंजाब के उन हिस्सों में जाना चाहते थे, लेकिन हमें ऐसा नहीं करने दिया गया और इस दमियन कांग्रेस की तरफ से दुखियों और पीड़ितों की सहायता पहुँचाने तथा जाँच करने के लिए एक बड़ा सगठन बनाया गया।

ज्योही खास-खास जगहों से फौजी कानून बापम लिया गया और बाहर वालों को जाने की छुट्टी मिली, मुख्य-मुख्य कांग्रेसी और दूसरे लोग पंजाब में जा पहुँचे और सहायता तथा जाँच के काम में अपनी

मेवायें अपित की। पीड़ितों की महायज्ञ का काम मुरत. पण्डित मदनमोहन मालवीय और स्वामी श्रद्धानन्दजी की देखभाल में होता था और जाँच का काम मुख्यतः मेरे पिताजी और देशबन्धु दास की देखरेख में। गाँधीजी उनमें बहुत दिलचस्पी ले रहे थे और दूसरे लोग अक्सर उनमें सलाह-मगवरा लिया करते थे। देशबन्धु दास ने अमृतसर का हिस्सा खाम तौर पर अपनी तरफ़ लिया और वहाँ मैं उनके साथ उनकी सहायता के लिए तैयार किया गया। मुझे वह पहला मौका था उनके साथ और उनके नीचे काम करने का। वह अनुभव मेरे लिए बड़ा कीमती था और इससे उनके प्रति मेरा आदर बढ़ा। जालियाँवाला-बाग़ से और उस भयकर गली से जिसमें लोगों को पेट के बल रेंगाया गया था, सम्बन्ध रखनेवाले वयान, जो बाद को कांग्रेस-जाँच-रिपोर्ट में छपे थे, हमारे सामने लिये गये थे। हमने कई बार खुद जाकर उस बाग़ को देखा था और उसकी हर चीज़ की जाँच बड़े धीरे से की थी।

यह कहा गया था, मैं समझता हूँ मि० एडवर्ड थामसन के द्वारा, कि जनरल डायर का यह ज़याल था कि बाग़ से निकलने के दूसरे दरवाज़े भी थे और यही कारण है जो उसने इतनी देर तक गोलियाँ जारी रखीं। यदि डायर का यही ज़याल था और दरअसल उसमें दरवाज़ा रहा होता तो भी इससे उनकी जिम्मेदारी कम नहीं हो जाती।

१. सरकार-नियुक्त हण्डर-कमेटी से असहयोग पथों किया गया, इसका हाल 'काँग्रेस इतिहास' में पढ़िए। इसके बाद कांग्रेस ने खुद अपनी जाँच कमेटी बैठाई। कमेटी के सदस्य थे—गाँधीजी, प० मोतीलालजी, देशबन्धु दास, अब्दुल क़य्युमजी, फ़जलुलहक़ और श्री सन्तानम्। प० मोतीलालजी अमृतसर महामन्त्र के तन्नापति चुने गये। तब श्री जयकर ने कमेटी में उनका स्थान लिया। कमेटी की रिपोर्ट का सारा मसविदा गाँधीजी ने बनाया था। —जनु०

मगर यह ताज्मुज की बात मागूम होती है कि उसे ऐना जयाल रहा । कोई भी शन्य इननी ऊँची जगह पर खडा होकर, जहाँ कि वह खडा था, उस सारी जगह को अच्छी तरह देख सकता था कि वह किस तरह चारों ओर में बड़े ऊँचे-ऊँचे मकानों से घिरी हुई थी और घन है । सिर्फ एक तरफ कोई सी फीट के करीब कोई मकान न था, महज पाँच फीट ऊँची दीवार थी । गोलिया तडा-तडा चल रही थी और लोग चट-पट मर रहे थे । जब उन्हें कोई रास्ता नहीं मूझ पडा तो हज़ारों आदमी उस दीवार की ओर झपटे और उसपर चढ़ने की कोशिश करने लगे । तब गोलियाँ उस दीवार की ओर निशाना लगाकर चलाई गईं—जैसा कि हमारे वयानात तथा दीवार पर लगे गोलियों के निशानात से मालूम होता है—ताकि कोई उसपर से चढ़ कर भाग न सके । और जब यह सब खतम हो चुका, तो क्या देखा गया कि मुर्दों और घायलों के ढेर दीवार के दोनों ओर पड़े हुए थे ।

उस साल (१९१९) के अन्त में मैं अमृतसर से देहली रात की गाड़ी में रवाना हुआ था । जिस डिब्बे में मैं चढा उसकी तमाम जगहें भरी हुई थीं, सिर्फ ऊपर एक 'बर्थ' खाली थी । सब मुसाफिर सो रहे थे । मैंने उस खाली बर्थ को ले लिया । हमारे दिन मुबह मुझे मालूम हुआ कि वे तमाम मुसाफिर फीजी अफसर थे । वे आपस में जोर-जोर से बातें कर रहे थे, जो मेरे कानों तक आ ही पहुँचती थी । उनमें से एक बड़ी तेज़ी के साथ, मगर विजय के धमंड में, बोल रहा था और फौरन ही मैं समझ गया कि यह वही जालियाँवाला-वाग के 'बहादुर' डायर सा० है । वह अपने अमृतसर के अनुभव सुना रहा था । उसने बताया कि कैसे सारा शहर उसकी दया के भरोसे हो रहा था । उसने सोचा, एक बार इस सारे वागी शहर को खाक में मिला दूँ । मगर कहा, कि फिर मुझे रहम आ गया और मैं रुक गया । हष्टर-कमिटी में अपना वयान देकर वह

लाहौर से वापस आ रहा था। उनकी बातचीत थीर उसकी नगदिली को देखकर मेरे दिल को बड़ा धक्का लगा—वह देहली स्टेशन पर उतरा तो गहरी गुलाबी धारियोंवाला पायजामा और ड्रेसिंग-गाउन पहने हुए था।

पजाब-जाँच के जमाने में मुझे गाधीजी को बहुत-कुछ समझने का मौका मिला। बहुत बार उनके प्रस्ताव कमिटी को अजीब मालूम होते थे और कमिटी उन्हें पसन्द नहीं करती थी। मगर करीब-करीब हमेशा अपनी दलीलों से कमिटी को वह समझा लिया करते थे और कमिटी उन्हें मंजूर कर लिया करती थी। और बाद की घटनाओं ने मालूम हुआ कि उनकी सलाह में दूर-देखी थी। तब से उनकी राजनैतिक अतर्दृष्टि में मेरी श्रद्धा बटती गई।

पजाब की दुर्घटनाओं और उनकी जाँच के कार्य का मेरे पिताजी पर जबरदस्त असर हुआ। उनकी तमाम कानूनी और वैधानिक बुनियाद उसके द्वारा हिल गई थी और उनका मन उस परिवर्तन के लिए धीरे-धीरे तैयार हो रहा था, जो एक साल बाद आने वाला था। अपनी पुरानी साइरेट स्थिति में वह पहले ही बहुत-कुछ आगे बट चुके थे। उन दिनों इलाहाबाद से नरम दल का अखबार-‘लीडर’ निकल रहा था, उनसे उनको सतोष नहीं था और उन्होंने १९१९ में ‘इण्डियन-डेन्ट’ नाम का दैनिक पत्र इलाहाबाद में निकाला। यो तो इन अखबार को बड़ी सफलता मिली, लेकिन शुरू से ही उनमें एक बात की बड़ी कमी रही। उसका प्रबन्ध अच्छा नहीं था। उनसे सम्बन्ध रखनेवाले सभी लोगों पर—क्या टाइपेक्टर, क्या सम्पादक और क्या प्रबन्ध-विभाग के लोग—इन कमी की जिम्मेदारी आती है। मैं खुद भी एक टाइपेक्टर था, मगर इन काम का मुझे कुछ भी तजुबाना न था। और उनके रगड़े-झगड़ों की चिन्ता में मैं दिन-रात परेशान रहता था। मुझे और पिताजी दोनों को जाँच के मिलमिले में पजाब जाना और ठहरना पड़ा था। हमारी लन्बी

गैरहाजिरी में पत्र की हालत बहुत गिर गई और उसकी माली हालत भी बहुत बिगड़ गई। उस हालत से वह कभी उभर न सका। हालांकि १९२०—२१ में उसकी हालत बीच-बीच में कुछ बेहतर होजाती थी, लेकिन ज्यों ही हम जेल गये उसकी हालत अबतर होने लगी। आखिर १९२३ के शुरु में उसकी जिन्दगी खतम हो गई। अखबार के मालिक बनने के इस अनुभव ने मुझे इतना भयभीत कर दिया कि उसके बाद से मैंने किसी अखबार का डाइरेक्टर बनने की जिम्मेदारी नहीं ली। हाँ, जेल में तथा बाहर और-और कामों में लगे रहने के कारण ही मैं ऐसा न कर सकता था।

१९१९ के बड़े दिनों में पिताजी अमृतसर-कांग्रेस के सभापति हुए। उन्होंने माइरेट नेताओं के नाम एक दिल हिंसा देनेवाली अपील की, कि वे अमृतसर के अधिवेशन में शामिल हो। चूँकि फौजी-कानून की वजह से एक नई हालत पैदा होगई थी, उन्होंने लिखा—'पंजाब का जल्मी और पीड़ित दिल आपको बुला रहा है। क्या आप उसकी पुकार न सुनेंगे?' मगर उन्होंने उसका वैसा जवाब नहीं दिया जैसा कि वह चाहते थे। वे लोग शामिल नहीं हुए। उनकी आँखें उन नये सुधारों की ओर लगी हुई थी जो माण्टेगु-चेम्सफोर्ड सिफारिशों के फल-स्वरूप आने वाले थे। उनके इनकार कर देने से पिताजी के दिल को बड़ा सदमा पहुँचा और इससे उनके और माइरेटों के दिल की त्वाई और चौड़ी हो गई।

अमृतसर-कांग्रेस पहली गाधी-कांग्रेस हुई। लोकमान्य तिलक भी आये थे और उन्होंने उसकी कार्यवाही में प्रमुख भाग लिया था। मगर इसमें कुछ शक नहीं कि प्रतिनिधियों में अधिकांश और इससे भी ज्यादा बाहर की भीड़ में ज्यादातर लोग अगुवा बनने के लिए गाधीजी की ओर देख रहे थे। हिन्दुस्तान के राजनैतिक क्षितिज में 'महात्मा गाधी की जय' की आवाज बुरद हो रही थी। अली-बन्दु हाल ही नजर बन्दी से छूटे थे और सीधे

अमृतसर-कार्राम आये थे। राष्ट्रीय आन्दोलन एक नया रूप धारण कर रहा था और उनकी नई नीति निर्माण हो रही थी।

गांधी ही मौलाना मुहम्मदअली खिलाफत-डेपुटेशन में योरप चले गये। इधर हिन्दुस्तान में लिग्राफन-कमिटी दिन-पर-दिन गांधीजी के अमर में आने लगी और उनके अहिंसात्मक अमहयोग के विचारों में नाना जोड़ने की फिराक में थी। दिल्ली में जनवरी १९२० में खिलाफत के नेताओं और मौलवियों और उल्लेमा की एक शुरु-शुरु की मीटिंग मुझे याद है। खिलाफत-डेपुटेशन वाइसराय से मिलने जानेवाला था और गांधीजी भी नाय जानेवाले थे। उनके देहली पहुँचने से पहले, जो एड्रेस वाइसराय को दिया जानेवाला था, उनका मसविदा उन्हें रिवाज के मुताबिक भेजा जा चुका था। अब गांधीजी पहुँचे और उन्होंने उनका मजमून पढ़ा तो उसे नापसन्द किया और यह भी कहा कि अगर इसमें बहुत-कुछ रद्दोबदल नहीं किया गया तो मैं डेपुटेशन में शरीक न हो नरूँगा। उनका ऐतराज यह था कि इस मजमून में गोल-मोल बातें कही गई हैं। इनमें यद्यत् कुछ है मगर यह सार तौर पर नहीं कहा गया कि मुसलमानों की बन-बे-कम भाँगे बना है। उन्होंने कहा कि इससे न तो वाइसराय के नाय इन्साफ़ होता है और न ब्रिटिश-मरकार के साथ, न लोगों के साथ, न अपने साथ। उन्हें बड़ी-बड़ी भाँगे पेश न करनी चाहिए जिनपर वे अडना न चाहते हों। मगर छोटी-से-छोटी भाँगे विन्डुल माफ़ शब्दों में हों, जिनमें किसी प्रकार शक-शुभा न हो और न मरने तक उसपर डटे रहें। अगर आप लोग सचमुच कुछ किया चाहते हों तो यही सच्चा और नही राजमार्ग है।

यह दलील हिन्दुस्तान के राजनैतिक और दूसरे हल्कों में एक नई चीज़ थी। हम लोग बड़ी-बड़ी और गोल-मोल बातें और लच्छेदार भाषा से आदी थे और दिमाग में हमेशा मोदा करने की तजवीज़ें बना करती

थी। आखिर गांधीजी की बात कायम रही और उन्होंने वाइसराय के प्राइवेट सेक्रेटरी को पत्र लिखा, जिसमें बताया कि पिछले मजमून में क्या सामियाँ हैं और वह किस तरह गोल-मोल है और कुछ नया मजमून भी अपनी तरफ से भेजा जो उसमें जोड़ा जानेवाला था। इसमें उन्होंने कम-से-कम मांग पेश की थी। वाइसराय का जवाब दिलचस्प था। उन्होंने नये मजमून का जोड़ा जाना मजूर नहीं किया और कहा, कि मेरी राय में पहला मजमून ही बिल्कुल ठीक है। मगर गांधीजीने मोचा कि इस चिट्ठी-पत्री में उनकी और खिलाफत कमिटी की स्थिति साफ हो जानी है और वह उपेक्षित के माथ चले गये।

यह जाहिर था कि सरकार खिलाफत-कमिटी की मांगें मजूर नहीं करेगी और सटार्ड लिट्टे गिना न रहेगी। अब मौलवियों और उठेमाओं में दर-दर तक बाने होनी रहती। अहिंसात्मक असहयोग पर और साम-पर अहिंसा पर चर्चा होनी रहती। गांधीजी ने उनमें यह दिया कि मैं अगुया बनने के लिए तैयार हूँ, मगर धर्म यह है कि आप लोग अहिंसा को उसके पूरे मानी में अपना लें। इसका बारे में कोई धमकीयाँ, आग-उपद्रव और छिपावट मन में न होनी चाहिए। मीठियों के लिए एन चीन को मान लेना जानान न था। लेकिन वे राजामन् हो गये। हाँ, उन्होंने यह आश्चर्य नाफ कर दिया कि वे एन चीन के तीर पर नहीं बरिक्त तात्कालिक नीति के तीर पर मानेगे, तबोपि दूसरे मजमून में नेन हान के लिए सलवार उड़ाना मना नहीं है। - /

१९२० में राजनैतिक और जिम्मेदार-आन्दोलन रोगे एन ही दिना में और एनमाथ चले। और कर्षेन के द्वारा गांधीजी के अहिंसात्मक असहयोग के मजूर कर लिये जाने पर जागिर जा दोनों एनमाथ नि-रन्ते। पहले सिन्धका कमिटी ने उन मांग-पत्र को अपनाया और १ अगस्त १९२० जारी करने का दिन सुकरेंद्र हुआ।

अगुआ मानते हैं, तबतक आपको मेरी शर्तों का पाबन्द चरुर रहना होगा, आपसों डिक्टेटर की राय पर चलना होगा और फौजी कानून के निष्कास में रहना होगा। लेकिन डिक्टेटर बना रहना विलकुल आपके सद्भाव आपकी मजूरी और आपके महयोग पर अवलम्बित रहेगा। ज्यों ही आप मुझसे उकता जायें, त्यों ही आप मुझे उठाकर फेंक दें, पैरो तले रीढ़ दें और मैं चूँ तक न करूँगा।

इस आशय की कुछ बातें उन्होंने कहीं और यह फौजी मिमाल और उनकी खबरदस्त सरगर्मी देपयर वहाँ बहुत से श्रोताओं के वदन में चोटियाँ रँगने लगीं। मगर शीकतभली वहाँ मौजूद थे, जो अधिकचरं लोगों में जोश भरा करने थे। और जब रायें लेने का समय आया तो उनमें से बहुतों ने रूपचाप, मगर झेवने हुए, उन प्रत्याय के, यानी कटाई धूम करने के, हक में हाथ ऊँच कर दिये।

जब हम मभा में लौट रहे थे तो मैंने गांधीजी से पूछा, कि क्या इसी तरीके में आप एक महान् युद्ध को शुरू करेंगे ? मैंने तो वहाँ जोश और उत्साह की, गरमागरम भाषा की आँतों में आग की चिनगारी निभाने की जाना रखी थी। लेकिन उनके सजाय मुझे वहाँ गालतू, उन्मोह और अग्रेष्ठ लोगों का जमघट दिखाई पया। और फिर भी उन लोगों ने—आज राय का उनका जवर था कि—जहाँ के हर में राय द ही। निरखर ही मुस्लिम लोग के इस मेरुगो में मे चढ़न रस में आने कटाई में रोड दिया था। वहाँ तो तो मरतारी लोगों में बनाए सिद्ध गईं थीं। मुस्लिम लोग उन मरुत का दाद भी मुसलमानों के दिन्नी भी बड़े तकरने की प्रीतिरिधि नहीं कर गईं थीं। जै. १९२० की विचारणा-बर्तनी, आन्दोलन एवं खोरसत और उनमें जै। अन्ततः प्रीतिरिधि मुसलमानों की और उनकी दिन्नी में जगत और उत्साह के साथ उत्साह के सिद्ध करतक जम गई।

१ अगस्त गाधीजी ने असहयोग की गुरुआत का दिन रखा था— हालांकि अभी कांग्रेस ने न तो इसको मंजूर ही किया था, और न इसपर विचार ही किया था। इसी दिन लोकमान्य तिलक का बम्बई में देहान्त हो गया। उसी दिन मुवह गाधीजी सिन्ध के दौरे से बम्बई पहुँचे थे।^१ मैं उनके साथ था, और हम सब उन जबरदस्त जलूम में शरीक हुए थे जिसमें सारी बर्बई के लाखों आदमी अपने उस महान् और मान्य नेता को अपनी श्रद्धाञ्जलि देने के लिए दौड़ पड़े थे।

: ८ :

मेरा निर्वासन

मेरी राजनीति वही थी जो मेरे यानी मध्यम वर्ग की राजनीति थी। हाँ, उस समय, और बहुत हद तक अब भी, मध्यम वर्ग के लोगों की राजनीति ज़वानी थी। क्या नरम और क्या गरम, दोनों विचार के लोग मध्यम वर्ग का प्रतिनिधित्व करते थे और अपने-अपने ढंग से उनकी बहवृद्धी चाहते थे। माडरेट लोग ख़ाम करके मध्यम वर्ग की ऊँची श्रेणी के मुट्ठीनर लोगों में से थे जो कि आम तौर पर ब्रिटिश शासन की बदीलत फले-फूले थे, और एकाएक ऐसे परिवर्तन नहीं चाहते थे जिनसे उनकी मौजूदा स्थिति और स्वार्थों को धक्का लगे। ब्रिटिश सरकार ने ज़ोर बट्टे जमींदारों ने उनके घने सम्बन्ध थे। गरम विचार के लोग भी मध्यम वर्ग के ही थे, परन्तु निचली सतह के। कल-शरकानों के मज़दूर, चिनारी नया महायुद्ध के कारण बेहद बड़ गई थी, कुछ कुछ जगहों में ही, मुकामों तौर पर मगठिन हो पाये थे, और उनका प्रभाव

१ इसमें कुछ स्मृति-दोष मालूम होता है। गाँधीजी तिलक महाराज के अग्रमान के पहले से अग्रमान तक काफी दिन बर्बई में ही थे। —अनु०

नहीं के बराबर था ।-किसान अपद, अज्ञान, मुफलिस, गवार, दु खी और मुसीबत के मारे थे । भाग्य के भरोसे दिन काटते और सरकार, जमींदार, साहूकार, छोटे-बड़े हुक्काम, पुलिस, वकील, पड़े-पुरोहित, जो भी होते सब उन पर सवारी गाँठते और उनको चूसते थे ।

किसी अखबार का कोई पाठक गायद ही उन दिनों खयाल करता होगा कि हिन्दुस्तान में करोड़ों किसान और लाखों मजदूर हैं या उनकी कोई वकत है । अंग्रेजों के अखबार बड़े अफसरो के कारनामों से भरे रहते । उनमें शहरो और पहाडों पर रहनेवाले अंग्रेजों के सामाजिक जीवन, की यानी उनकी पार्टियों की, उनके नाच-गान और नाटकों की, लम्बी-लम्बी खबरे छपा करती । उनमें हिन्दुस्तानियों के दृष्टिबिन्दु से हिन्दुस्तान की राजनीति की चर्चा प्राय विलकुल नहीं की जाती थी, यहाँ तक कि काँग्रेस के अधिवेशन के समाचार भी किसी ऐसे-वैसे पत्र के एक कोने में और सो भी कुछ सतरो में, दे दिया करते थे । कोई गवर तभी किसी काम की समझी जाती जब कोई हिन्दुस्तानी, चाहे वह बडा हो या मामूली, कांग्रेस को या उसके दावों को बुरा-भला कह बैठता या मुफताचीनी कर बैठता । कभी-कभी किसी हडताल का थोडा छिफ आजाता, और देहात को तो महत्व तभी दिया जाता जब वहाँ कोई दगा-फसाद हो जाता ।

हिन्दुस्तानी अखबार भी अंग्रेजी अखबारों की नकल करने की कोशिश करते । लेकिन वे राष्ट्रीय आन्दोलन को उनसे कहीं ज्यादा महत्व देने थे । यों तो वे हिन्दुस्तानियों को छोटी-बड़ी नीकरियाँ दिखाने, उनकी नरनगी और तबदीली में, और जब किसी जानेवाले अफसर की दिहाई में कोई पार्टी दी जाती थी, जिनमें लोगों में बड़ा उन्माह होता था, लिखनी लेने थे । पर जमी नया बन्दोबस्त होता तो नई-नई ऐसी-ऐसी लफान परोंरा दड जाता था, जिनमें पुकार मत जनी,

क्योंकि उनका अनर जमींदारों की जेब पर भी पड़ता। बेचारे किसान जो जमीन जोतते थे, उनकी तो कोई बात ही नहीं पड़ता था। ये अन्नवार जमींदार और कल-कारखानेवालों के होते थे। यह हालत थी उन अन्नवारों की जो 'राष्ट्रीय' कहे जाते थे।

यही क्यों, खुद कांग्रेस का भी धरु के दिनों में एक यह मतालबा था कि जहाँ-जहाँ अभी बदोबस्त नहीं हो पाया है वहाँ स्थायी बदोबस्त कर दिया जाय कि जिसमें जमींदारों के हक्क की रक्षा हो सके, और उनमें किसानों का कहीं झिंक तक न रहना था।

पिछले बीस वर्षों में राष्ट्रीय आन्दोलन की बढ़ती के कारण हालत बहुत बदल गई है, और अब अंग्रेजों के अन्नवारों को भी हिन्दुस्तान के राजनैतिक प्रश्नों के लिए जगह देनी पड़ती है, क्योंकि ऐसा न करें तो हिन्दुस्तानी पाठकों के टूट जाने का अदेशा रहता है। परन्तु यह बात वे अपने खाम ढग से ही करते हैं। हिन्दुस्तानी अन्नवारों की दृष्टि कुछ विशाल हो गई है। वे किमानों और मजदूरों की बलाई की भी बातें किया करते हैं क्योंकि एक तो आजकल यह फैशन होया है और दूसरे उनके पाठकों में कल-कारखानों और गाँव-मन्बन्वी बातों के जानने की तरफ दिलचस्पी बढ रही है। परन्तु दरअसल तो अब भी वे पहले की तरह हिन्दुस्तानी पूँजीपतियों और जमींदारों के हिमों का ही ध्यान रखते हैं, जो कि उनके मालिक होने हैं। जिनने ही हिन्दुस्तानी राजा-महाराजा भी अन्नवारों में अपना रूपया लगाने लगे हैं और वे हर तरह कोशिश करते हैं कि उन्हें अपने रूपयों का मुआवजा मिल जाय। फिर भी इनमें से बहुत से अन्नवार 'काँग्रेसी' कहलाने हैं, हालाँकि वे जिनके नाचे हैं उनमें से बहुतनेरे काँग्रेस के मेम्बर भी न होंगे। किन्तु काँग्रेस मन्द लोगों को बहुत प्यारा होगया है और कितने ही लोग और नम्यार्ये उसे अपने फायदे के लिए इलमाल करते हैं। जो अन्नवार जरा

आगे बड़े विचारों का प्रतिपादन करते हैं उन्हें या तो बड़े-बड़े जुमानों का, यहाँ तक कि प्रेस-एक्ट के जरिये दबा दिये जाने या सेसर किये जाने का भी, खीफ बना रहता है ।

१९२० में मुझे इस बात का विलकुल पता न था कि कारखानों में या खेतों में काम करने वाले मजदूरों की हालत क्या है, और मेरा राजनैतिक दृष्टिकोण विलकुल मध्यम वर्ग के जैसा था । फिर भी मैं इतना जरूर जानता था कि उनमें गरीबी बहुत है और उनके दुःख भयंकर हैं और मैं सोचता था कि राजनैतिक दृष्टि से हिन्दुस्तान आजाद होजाय तो उसका पहला लक्ष्य यह होगा कि इस गरीबी के मसले को हल करे । मगर मुझे सबसे पहली सीढ़ी तो राजनैतिक आजादी ही दिखाई दी, जिसमें मध्यम वर्ग की प्रधानता हुए बिना नहीं रह सकती । गाँधीजी के चम्पारन (बिहार) और खेडा (गुजरात) के किसान-आन्दोलन के बाद किसानों के प्रश्न पर मैं ज्यादा ध्यान देने लगा । फिर भी मेरा ध्यान तो १९२० में राजनैतिक बातों में और असहयोग के आगमन में लग रहा था, जिसकी चर्चा से राजनैतिक वायुमण्डल भरा हुआ था ।

उन्हीं दिनों एक नई बात में मेरी दिलचस्पी पैदा हो रही थी, जिसे कि आगे चलकर एक महत्व का काम करना था । मैं अपनी खुद की प्रायः कोई इच्छा न रहते हुए, किसानों के सम्पर्क में आ गया, और नो भी एक अजीब तरीके से ।

मेरी माँ और कमला (मेरी पत्नी) दोनों की तन्दुरुस्ती खराब थी और मई १९२० के शुरु में मैं उनको मसूरी ले गया । पिताजी उस वक्त एक बड़े राज्य के मामले में मशगूल थे, जिसमें कि दूसरी ओर के यंगील वेगवन्दुदान थे । हम मेवाय हॉटल में ठहरे थे । उन दिनों अफगान और ब्रिटिश राज-प्रतिनिधियों के दर्भान मसूरी में सुलह की बातें हो रही थीं (यह १९१९ में हुए छोटे अफगान युद्ध के बाद की

जान है जबकि कमालुल्ला तल्ल पर बैठा था) और अफगान प्रतिनिधि नेचाय होटल में ठहरे हुए थे। लेकिन वे एक तरफ ही रहने थे, खाना भी अकेले खाते थे और किसी ने मिलते-जुलने न थे। मुझे उनमें कोई खान मिलचस्सी नहीं थी और इस-न्हीने भर में मैंने उस प्रतिनिधि-मंडल के एक भी आदमी को नहीं देखा और अगर देखा भी हो तो मैं किसी को पहचानना न था। लेकिन क्या देखना है, कि एक दिन एकाएक खान को पुलिस-नुपरिन्टेण्डेंट वहाँ लाया और मुझे स्थानीय सरकार का खत दिखाया, जिसमें मुझे यह वादा चाहा गया था कि मैं अफगान-प्रतिनिधि मण्डल में कोई नरोकार न रखूँ। मुझे यह एक बड़ी अजीब बात मालूम हुई क्योंकि इन-न्हीने भर में मैंने उन्हें कभी देखा तक नहीं और न मुझे उनका मौका मिल सकता था। नुपरिन्टेण्डेंट इन बात को जानता था, क्योंकि वह प्रतिनिधि-मण्डल को हलचलो पर और मे निगाह रखता था और वहाँ दरअसल खुफिया लोगो का एक डाना जमघट लगा रहता था। मगर ऐसा वादा करना मेरे मिजाज के खिलाफ था और मैंने उनको ऐसा कह भी दिया। उन्होंने नूचें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में जो कि देहपद्म का सुपरिन्टेण्डेंट था, मिलने के लिए कहा और उसने मैं मित्र। चूंकि मैं अफगान कहना रहा कि मैं ऐसा वादा नहीं कर सकता, मुझे मन्गी ने जले जाने का हुक्म मिला जिसमें कहा गया कि मैं २४ घंटे के अन्दर देहपद्म जिले के बाहर चला जाऊँ। इसके भानी यही थे कि मैं कुछ घंटों में ही मन्गी छोड़ दूँ। मुझे यह अच्छा तो नहीं लगता कि अपनी बीमार ना और पत्नी दोनों को वहाँ छोड़कर जाऊँ लेकिन उन वक्त मुझे उन हुक्म को खिलाने-बर्झी करना मुनासिब मालूम नहीं हुआ। क्योंकि उन समय मन्दिब नग तो था नहीं, इसलिये मैं मन्गी ने चला दिया।

मेरे मित्रों की तर हारकोर्ट बन्दर में, जो कि उन समय युक्त-

प्रान्त के गवर्नर थे, अच्छी तरह मुलाकात थी। उन्होंने दोस्ताना तरीके पर सर हारफोर्ट को पत्र लिखा, कि मुझे यकीन है कि ऐसा वाहियात हुकम आपने न दिया होगा, यह शिमला के किसी मनचले हाकिम की कार्रवाई मालूम होती है। सर हारफोर्ट ने जवाब दिया, कि हुकम में कोई ऐसी खराब बात नहीं है जिमके भानने से जवाहरलाल के शान में कोई फर्क आ जाता। इसके जवाब में पिताजी ने उनसे अपना मतभेद प्रकट किया और लिखा कि जवाहरलाल का जानबूझकर हुकम तोड़ने का तो कोई इरादा नहीं है, पर अगर उसकी माँ या पत्नी की तन्दुरुस्ती के लिए जरूरी हुआ तो वह जरूर मसूरी जायगा, चाहे आपका हुकम रहे या न रहे। और ऐसा ही हुआ भी। मेरी माँ की हालत ज्यादा खराब होगई और पिताजी व मैं दोनों तुरन्त मसूरी के लिए रवाना हो गये। उसके ठीक पहले हमें उस हुकम की मसूखी का एक तार मिला।

हमारे दिन सुबह मसूरी पहुँचने पर सबसे पहले जो शक्स मैंने होटल के आँगन में देखा वह अफगान था और मेरी छोटी बच्ची को गोद में लिए हुए था। मुझे मालूम हुआ कि वह वहाँका एक मिनिस्टर और अफगान प्रतिनिधि-मण्डल का एक सदस्य था। बाद को पता चला कि मसूरी से भेरे निकाले जाने का हुकम मिलते ही उन अफगानों ने अखबारों में उसके समाचार पढ़े और उनकी दिलचस्पी यहाँतक बढ़ी कि प्रतिनिधि-मण्डल के प्रधान हर रोज फूल और फलों की एक ढलिया मेरी मा को भेजा करते।

बाद को पिताजी और मैं प्रतिनिधि-मण्डल के एक-दो सदस्य से मिले भी थे, और उन्होंने हमें अफगानिस्तान आने का प्रेमपूर्वक निमन्त्रण दिया था। मगर अफसोस है कि हम उससे कुछ फायदा न उठा पाये, और पता नहीं वहाँकी नई हुकूमत में वह निमन्त्रण अब कायम रहा है या नहीं।

ममूरी से निकाल दिये जाने के फल-स्वरूप मुझे दो हफ्ते इलाहाबाद रहना पड़ा और इमी अमें में मैं किसान-आन्दोलन में जा फँसा और ज्यों-ज्यों दिन आते गये त्यों-त्यों मैं उसमें अधिकाधिक ही फँसता गया, जिसने मेरे विचारों और दृष्टिकोण पर काफी असर डाला। कभी-कभी मेरे मन में यह विचार उठा है कि अगर मैं न तो ममूरी से निकाला जाता और न इलाहाबाद में ठहरा होता, या उन्हीं दिनों कोई दूसरा काम होता तो क्या हुआ होता? बहुत मुमकिन है कि मैं किमानों की ओर तो किमी-न-किमी तरह आगे-पीछे खींचा गया होता, परन्तु मेरा उनके पास जाने का तरीका और इसलिए उमका असर भी कुछ और ही होता।

जून १९२० के शुरू में, जहाँतक मुझे याद है, कोई दो सौ किमान परताबगढ़ के देहात में पचाम मील पैदल चलकर इलाहाबाद आये—इन ऋाधे ने कि वे अपने दुष्टों और मुनीवतों की तरफ वहाँ के त्ताम-त्ताम राजनैतिन पुरुषों का ध्यान आकर्षित करें। रामचन्द्र नामक उनके एक जगुआ थे, जो न तो वहाँ के रहनेवाले ही थे और न बुद्ध किमान ही। मैंने मुता किमानों से यह जन्मा उमता के घाट पर डेरा डाले हुए हैं। मैं कुछ मित्रों के साथ उनसे मिलने गया। उन्होंने बताया कि किम नर मास्टरदार जोग-कुम्भ ने यमुन्यावाँ चरने हैं फँसा उनका अमान्य अमता है, और मैंनी उननी आत्म हानन ही गई है। उन्होंने उनके प्रार्थना की कि हम उनके ज्ञान चरन उननी हानन ही ज्ञान हने। उननी नर ना कि मास्टरदार उनके अज्ञानवादी आने पर जन्म नर जिनके नो इत्या उदरन जिने विना न रहने, उमतिने वे चाने

मैं कुछ साथियों को लेकर वहाँ पहुँचा। कोई तीन दिन वहाँ हम जोग गाँव में रहे। वे रेलवे ने और पक्की सड़क से बहुत दूर थे। उस दौरे में मैंने कई नई बातें देखीं। हमने देखा सारे देहाती इलाके में उत्साह की लहर फैल रही है और उनमें अजीब जोग उमड़ा पड़ता है। जरा जवानों को कहला दिया और बड़ी-बड़ी सभाओं के लिए लोग इकट्ठे हो गये। एक गाँव में दूसरे गाँव, और दूसरे ने तीसरे गाँव, इस तरह सब गाँवों में सन्देश पहुँच जाना और देखते-देखते मारे गाँव सली हो जाते और खेतों में दूर-दूर तक मभास्थान पर आते हुए मर्द, औरत और बच्चे दिखाई देते। और इससे भी ज्यादा तेजी से 'सौताराम, सीता रा 'आ' आ 'म' की धुन की आवाज आकाश में गूँज उठती और चारों तरफ दूर-दूर तक फैल जाती और दूसरे गाँव से उसीकी प्रति-ध्वनि मुनाई पड़ती और बम, जोग पानी की धारा की तरह दौड़ते चले आने। मर्द-औरत फट्टे-टूटे चियड़े पहने थे, मगर उनके चेहरो पर जोश और उत्साह था और आँखें चमकती हुई दिखाई देती थी, मानो कोई विचित्र बात होने को थी, जिसके द्वारा जादू की तरह आनन-फानन में उनकी तमाम मुसीबतों का खात्मा हो जायगा।

उन्होंने हम पर बहुत प्रेम बरसाया और वे हमें आशा तथा प्रेमभरी आँखों से देखते थे—मानो हम कोई शुभ सन्देश सुनाने आये हो, या उनके रहनुमा हो, जो उन्हें उनके लक्ष्य तक पहुँचा देगे। उनकी मुसीबतों को और उनकी अपार कृतज्ञता को देखकर मैं दुःख और शर्म के मारे गड़ गया। दुःख तो हिन्दुस्तान की जबरदस्त गरीबी और जिल्लत पर, और शर्म मेरी अपनी आराम की जिन्दगी पर, और शहरो की न-कुछ राजनीति पर, जिसमें भारत के इन अवनगे करोड़ों पुत्र-पुत्रियों के लिए कोई स्थान न था। नगे-भूखे, दलित-पीड़ित भारतवर्ष का एक नया चित्र मेरी आँखों के सामने खड़ा होता हुआ दिखाई दिया। और हम

लोग जो दूर शहर से उन्हें देखने कभी-कभी ला जाते हैं, उनके प्रति उनकी श्रद्धा जो देखकर मैं परेशानी में पड़ गया और उनसे मुझमें यह नई जिम्मेदारी का भाव पैदा कर दिया जिन्की कल्पना ने मेरा दिल दहल उठा।

मैंने उनके दुःख की नैकडों कहानियाँ सुनीं। कैसे लगान का बोझ दिन-दिन बढ़ता जा रहा है, जिनके तले वे कुचने जा रहे हैं। किम तरह त्रिणाथ-कानून लागू लाये जाते हैं और जोरो-जुल्म से कसूली की जाती है, जमीन और अच्छे झोपडों से किम तरह उनको बेदखल किया जाता है, कैसे उनपर भार पड़ती है, कैसे चारों तरफ जमींदारों के एजेंट, साहूकारों और पुलिस के गिद्धों ने घिरे रहते हैं, किम तरह कहीं धूप में मद्यक्लन करते हैं और अलग में यह देखते हैं कि उनकी मारी पैदावार उनकी नहीं है—दूसरे ही उठा ले जाते हैं और उनका बदला उन्हें मिलता है ठोकरो, गालियों और मूत्रे पेट से। जो लोग वहाँ आये थे उनसे से बहुतायत के जमीन नहीं थी और जिन्हें जमींदारों ने बे-दखल कर दिया था, उन्हें सहारे के लिए न अपनी जमीन थी न अपना झोंड़ा। यो जनीन उपजाऊ थी मगर उसपर लगान आदि का बोझ दहन मारी था। छेत छोटे-छोटे थे और एक-एक खेत पाने के लिए कितने ही लोग मरते थे। उनकी इन तबय ने जागदा उठाकर जमींदारों ने, जो कि कानून के नुनाधिक एक हद में ज्यादा लगान नहीं बढ़ा सकते थे, कानून को नाइ पर रखकर भारी-भारी नजबतना वसूला बटा दिया था। बेघारे किसान कोई चारा न देख तपसा उभार लाते और नजबतना वसूला अदा करते और फिर उब कूड़ें और लगान तक न दे पाते तो बेदखल कर दिये जाते, और उनका सब-कुछ छिन जाता था।

यह तरीका पुजता चला जा रहा है और जिमाना की दिन-ब-दिन बढ़ने-बढ़ती दरिद्रता का मिच्छिना की एक लन्दे करने में चला जा

रहा है। तब फिर क्या बात हुई जिससे मामला इस हद तक बढ़ गया और देहात के लोग इस तरह उमड़ पड़े ? निश्चय ही इसका कारण उनकी आर्थिक दशा थी। परन्तु यह हालत तो सारे अवध में एकसी थी। और यह किसानों का १९२०-२१ का बवण्डर तो सिर्फ परतावगढ, रायबरेली और फैजाबाद जिले में ही फैला हुआ था। इसका आंशिक कारण तो था रामचन्द्र नामक विलक्षण व्यक्ति का अगुआ हो जाना, जो कि वावा रामचन्द्र कहलाता था।

रामचन्द्र महाराष्ट्रीय था और कुली-प्रथा के अन्दर मजदूर बनकर फिजी चला गया था। वहाँ से लौटने पर धीरे-धीरे वह अवध के जिलों की तरफ आ गया। तुलसीदास की रामायण गाता हुआ और किसानों के कष्टों और दुखों को सुनता हुआ वह ड़घर-उड़घर घूमने लगा। वह पढा-लिखा थोड़ा था और कुछ हद तक उसने किसानों से अपना जाती फायदा भी कर लिया। मगर हाँ, उसने भारी सगठन-शक्ति का परिचय दिया। उसने किसानों को आपस में समय-समय पर सभा करना और अपनी तकलीफों पर चर्चा करना सिखलाया और हर तरह उनके आपस में एके का भाव पैदा किया। कमी-कमी बड़ी भारी-भारी समायें होती और उससे उन्हें एक बल का अनुभव होता। यो 'सीताराम' एक पुरानी और प्रचलित धुन है, मगर उसने उसे करीब-करीब एक युद्ध-धोप का रूप दे दिया और ज़रूरत के वक़्त लोगों को बुलाने का तथा जुदा-जुदा गाँवों को आपस में बाँधने का चिन्ह बना दिया। फैजाबाद, परतावगढ और रायबरेली राम और सीता की पुरानी कथाओं से भरे पड़े हैं। इन जिलों का समावेश पुराने अयोध्या-राज्य में होता था। तुलसीदास की रामायण वहाँ लोगों के घर-घर गाई जाती है। कितने ही लोगों को इसके हज़ारों दोहे, चौपाई वर-अवान थे। इस रामायण का गान और अच्छे-अच्छे प्रसंगों पर मौजूं दोहे-चौपाइयों की मिसाल देना वावा

रामचन्द्र का एक खाम नर्ज था। कुछ हद तक किसानों का सगठन करके उसने उनके सामने बहुतेरे गोल-मोल और उट-पटांग वायदे भी किये, जिनसे उन्हें बड़ी-बड़ी आशायें बँबी। उसके पास किनी-किन्म का कोई कार्य-क्रम नहीं था, और जब उनका जोग बाजरी सीमा तक पहुँच गया तो उसने उनकी जिम्मेदारी को दूनरो पर डालने की कोशिशें कीं। यही कारण है जो वह कितने ही किसानों को इलाहाबाद लाया कि वहाँ के लोग उन आन्दोलन में दिलचस्पी ले।

एक माल तक और रामचन्द्र ने आन्दोलन में प्रधान रूप से भाग लिया और दो-तीन बार जेल भी गया। मगर बाद में जाकर वह बड़ा गैर-जिम्मेदार और अविज्वमनीय साबित हुआ।

किमान-आन्दोलन के लिए अबध खाम तौर पर अच्छा क्षेत्र था। वह तान्द्रकेदारों की, जो कि अपने को 'अबध के राजा' कहते हैं, भूमि की और अब भी है। जमींदारी-भया का सबसे बिगड़ा हुआ रूप वहाँ मिलता है। जमींदारों के लगाये कठों के बोझ अमह्य हो गये थे और वे-जमीन मजदूरों की तादाद बढ रही थी। वहाँ यों भिर्फ एक ही किन्म के किमान थे। और इमीने वे नव मिलकर एक-मात्र बोट करंवाड ग मने।

हिन्दुस्तान को मोटे तौर पर दो भागों में बाँट सकते हैं। एक जमींदारी इलाका, जिसे बड़े-बड़े जमींदार हैं, और दूसरा वह, जहाँ किसान जमीन के मालिक हैं। अगर वहाँ-वहाँ दोनों को बिचड़ी हो जाती है। अगर, बिना जो मजदूर-श्रम जमींदारी इलाका है। किसानों को न तो, ही काम उनमें अच्छा है, हालांकि वहाँ भी उनकी जमीन का उपयोग ही जाती है। पञ्जाब और गुजरात के (जहाँ जमीन के मालिक किसान हैं) किन्म, की हाका जमींदारी इलाके के जमींदारों हैं। जमींदारों का जमीन के उपयोग किन्म में कई किन्म

के काश्तकार थे, दखीलकार गैर दखीलकार और गिकमी वगैरा । इन जुदा-जुदा काश्तकारों के स्वार्थ अक्सर आपस में टकराते और इस कारण मिलकर एक साथ कोई जोरदार काम नहीं किया जा सकता । लेकिन अब मे १९२० में न तो दखीलकार काश्तकार थे और न हीनहयात काश्तकार ही थे । वहाँ सिर्फ आरजी काश्तकार थे, जो बे-दखल होते रहते थे और जिनकी ज़मीनें ज्यादा नज़राना या लगान देने पर दूसरों को दे दी जाया करती थी । इस तरह चूँकि वहाँ खास तौर पर एक ही तरह के काश्तकार थे, वहाँ एकसाथ काम करने के लिए सगठन करना और भी आसान था ।

अब मे आरजी पट्टे की भी कोई गारंटी देने का रिवाज नहीं था । ज़मींदार शायद ही कहीं लगान की रसीद देते थे । और कोई भी ज़मींदार कह सकता था कि लगान अदा नहीं किया गया और काश्तकार को बे-दखल कर सकता था । उस बेचारे के लिए यह साबित करना गैर-मुमकिन था कि लगान अदा कर दिया । लगान के अलावा बहुतेरी बेजा लागें लगी हुई थी । मुझे मालूम हुआ कि उस ताल्लुके में तरह-तरह की कोई पचास ऐसी लागें लगी हुई हैं । मुमकिन है यह बात बढाकर कहीं गई हो । मगर ताल्लुकेदार जिस तरह खास-खास मौकों पर—जैसे अपने कुटुम्ब में किसी की शादी हो तो, लडके विलायत पढने गये हो तो, गवर्नर या दूसरे बड़े अफसर को पार्टी दी गई हो तो, एक मोटर या हाथी खरीदा गया हो तो—उनके खर्च का रुपया वसूल करते थे, यह कितनी दुष्टता थी । यहाँ तक कि इन लोगों के मोटरोंना (मोटर-ट्रैक), हथियोना (हाँथी के खरीदने का खर्च) वगैरा नाम पड गये थे ।

ऐसी हालत में कोई ताज्जुब नहीं जो अब मे इतना बडा किसान-आन्दोलन उठ खडा हुआ हो, वल्कि मुझे उस वक्त ताज्जुब तो इस

बात पर हुआ कि बिना शहरवालों की मदद के या राजनैतिक पुरुषों अथवा ऐसे ही दूसरे लोगों की प्रेरणा के कैसे बिलकुल अपने-आप वह इतना बढ़ गया। यह किसान-आन्दोलन कांग्रेस से बिलकुल अलहदा था। देश में जो अमहयोग-आन्दोलन आरम्भ हो रहा था, उसका इससे कोई ताल्लुक न था। बल्कि यह कहना ज्यादा सही होगा कि न दोनों विशाल और जोरदार आन्दोलनों का मूल-कारण एक-सा था। हाँ, १९१९ में गांधीजी ने जो बड़ी-बड़ी हड़ताले कराई थी उनमें किसानों ने भी हिस्सा लिया था, और उसके बाद से उनका नाम देहातियों में जादू का काम करता था।

मुझे सबसे बड़ा आश्चर्य तो इस बात पर हुआ कि हम शहरवालों को इतने बड़े किसान-आन्दोलन का पता तक नहीं था। किसी बखवार में उनपर एक मतर नी नहीं आती थी। उन्हें देहात की बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैंने इस बात को और भी ज्यादा महसूस किया कि हम अपने लोगों ने किस तरह दूर पड़े हुए हैं, और उनसे अलग अपनी छोटी-सी दुनिया में किस तरह रहते और काम करते हैं।

: ६ :

किमानों में भ्रमण

तीन दिन तक मैं गाँवों में घूमता रहा। और एक बार ज्वाहारवाद जगमग किन्ना भविष्य गया। हम गाँव-गाँव घूमे—किमानों के माथ झाँते, दर्द। मैं नाउ उनके बच्चे जोपटो में रहने, घण्टो उनमे बान-बीन करते और कनी-कनी छोटी-बड़ी सभाओं में व्याख्यान नी देने। शुरू में हम एग छोटी मीटर में गये थे। किमानों में इनना जल्माह था कि नैकडों ने ना-गन न-वाम बग्गे गेने के दाम्ने बच्ची नडक नैवार की,

जिससे मोटर ठेठ दूर-दूर के गाँवों में जासके। अक्सर मोटर अड जाती और बीसो आदमी खुशी-खुशी दीडकर उसे उठाते। आखिर को हमे मोटर छोड देनी पडी और ज्यादातर सफर पैदल ही करना पडा। जहाँ कही हम गये, हमारे साथ पुलिस के लोग, खुफिया और लखनऊ के डिप्टी कलेक्टर रहते थे। मैं समझता हूँ, खेतों में हमारे साथ दूर-दूर तक पैदल चलते हुए उनपर एक प्रकार की मुसीबत आ गई होगी। वे सब एक गये थे। हमसे और किसानों मे बिलकुल उकता उठे थे। डिप्टी कलेक्टर थे लखनऊ के एक नाजुक-मिश्नाज नीजवान, पम्प-शू पहने हुए। कभी-कभी वह हमसे कहते कि जरा धीरे चले। मैं ममझता हूँ आखिर हमारे साथ चलना उन्हें दुश्वार हो गया और वह रास्ते में ही कही रह गये।

जून का महीना था, जिसमे सबसे ज्यादा गर्मी पडा करती है। वारिश के पहले की तपिश थी। सूरज की तेजी वदन को झुलसाये देती थी और आँखों को अधा बना देती थी। मुझे धूप में चलने की बिलकुल आदत न थी और इंग्लैण्ड मे लौटने के बाद हर साल गर्मियों में मैं पहाड पर चला जाया करता था। किन्तु इस बार मैं दिन भर झुली धूप मे घूमता था और सिर पर धूप से बचने को हैट भी न था। मिर्फ एक छोटा तौलिया सिर पर लपेट लिया था। दूसरी बातों में मैं इनना मगगूल था कि धूप का कुछ खयाल भी नहीं रहा, और इलाहाबाद लौटने पर जब कही मैंने देखा तो मेरे चेहरे का रंग कितना पुरका हो गया था। और मुझे याद पडा कि सफर मे क्या-क्या बीती। किन्तु इस बात पर मैं अपने-आपने गुना हुआ, क्योंकि मुझे मालूम हो गया कि बड़े-बड़े मजबूत आदमियों के बराबर मैं धूप की बर्दाश्त कर नवा और मैं जो उसमे डरता था उसकी बहरत नहीं थी। मैंने देरा दिया है कि मैं कडी-से-कडी गर्मी और बड़े-से-बड़े जाडे को बिना ज्माना

तन्त्रीक के दर्शाए गए नरना हूँ। इमने मुझे जाने काम में नया जेल-
 जीवन दिवाने में बड़ी मदद मिली। एमजी बजह यह था कि मेरा
 मरीज आम तौर पर मजबूत और काम करने के लायक था जो मैं
 हमेशा कमरन किया करता था। इनका मदद करने पिनाजी ने भी
 था, जो बोडे-बहुत समझती थे और करीब-करीब अपने आखिरी दिनों
 तक जिन्होंने रोजाना ससग्न जारी रखी थी। उनके मिर पर चादी-ने
 सफेद बाल हो गये थे, चेहरे पर झुरियाँ पड़ गई थी और वह विचार
 करने-करते बूटे और यक़े-ने दिगई देने थे। मगर उनका बाकी मरीज
 मृत्यु के एक-दो साल पहले तक उनमें वीम वरम कम उम्र के आदमी
 का सा जान पड़ता था।

जून १९२० में परस्ताबगट जाने के पहले भी मैं गाँवों में अक्सर
 गुजरता था। वहाँ ठहरता था और किमानों में वान-चीन भी करता
 था। बड़े-बड़े मेलों के अवसर पर गंगा-किनारे हजारों देशानियों को
 मैंने देखा था और उनमें हीमरल का प्रचार किया था। लेकिन उन
 समय में यह अच्छी तरह न जानता था कि दरजसल वे क्या हैं, और
 हिन्दुस्तान के लिए उनका क्या महत्व है। हमने ने ज्यादातर लोगों की
 तरह मैं भी उनके बारे में कोई विचार न करता था। यह बात मुझे
 इन परस्ताबगट की यात्रा में मालूम हुई, और तबने हिन्दुस्तान का जो
 चित्र मैंने अपने दिमाग में बना रक्खा है उनमें हमेशा के लिए इन नगी-
 भूली जनता का स्थान बन गया है। सम्भवत उन हवा में एक क्रिस्म
 की बिजली थी। शायद मेरा दिमाग उनका अन्तर अपनेपर पड़ने देने के
 लिए तैयार था। और उस समय जो चित्र मैंने देखे और जो छाप मुझ-
 पर पड़ी वह मेरे दिल पर हमेशा के लिए अमिट हो गई।

इन किमानों की बदौलत मेरी ज़ेप निकल गई और मैं नमाओं में
 बोलना सीख गया। तबतक मैं शायद ही किसी नमा में बोलना होऊँ।

अक्सर हमेशा हिन्दुस्तानी में बोलने की नीबत आती थी और उसके खयाल से मैं दहगत खाया करता था। लेकिन मैं किसान-सभाओं में बोलने को कैसे टाल सकता था ? और इन सीधे-सादे गरीब लोगों के सामने बोलने में झेंपने की भी क्या बात थी ? मैं बक्तूत्व-कला तो जानता न था। इसलिए उनके साथ एक-दिल होकर बोलता और मेरे दिल और दिमाग में जो-कुछ होता था वह सब उनसे कह देता था। लोग चाहे थोड़े ही चाहे हजारा की तादाद में हो, मैं हमेशा बात-चीत के या जाती ढग से ही उनके सामने बोलता, और मैंने देखा कि चाहे कुछ कमी भी उसमें रह जाती हो लेकिन मेरा काम चल जाता था। मेरे व्याख्यान में प्रवाह काफी रहता था। मैं जो-कुछ कहता था शायद उसका बहुत-कुछ हिस्सा उनमें से बहुतेरे समझ नहीं पाते थे। मेरी भाषा और मेरे विचार इतने सरल न थे कि वे समझ सकते। बहुत लोग तो मेरा भाषण सुन ही नहीं पाते थे, क्योंकि भीड़ तो भारी होती थी और मेरी आवाज दूर तक नहीं पहुँच पाती थी। लेकिन जबकि वे किसी एक शब्द पर भरोसा और श्रद्धा कर लेते हैं, तब इन सब बातों की ज्यादा परवा उन्हें नहीं रहती।

मैं अपनी मा और पत्नी से मिलने मसूरी गया तो, मगर मेरे दिमाग में किसानों की ही बातें भरी थी और मैं फिर उनमें जाने के लिए उत्सुक था। ज्योंही मैं मसूरी से वापस लौटा, गावों में घूमने चला गया, और मैंने देखा कि किसान-आन्दोलन बढ़ता जा रहा था। उन पीड़ित किसानों के अन्दर एक नया आत्म-विश्वास पैदा हो रहा था। वे छाती तानकर और सिर ऊँचा करके चलने लगे थे। जमींदारों के कारिन्दों और पुलिस का डर उनके दिल में कम होता चला-था। और यदि किसीका खेत बे-दखल होता था तो कोई दूसरा किसान उसे लेने के लिए आगे नहीं बढ़ता था। जमींदारों के नीकर जो उन्हें मार-पीटा

करते थे और कानून के खिलाफ उनमें वोटार और लाग लिया करते थे, वह कम हो गया था, और जब कभी कोई ज्यादाती होती तो फौरन उनकी रिपोर्ट होती और तहकीकात की कोमिंग की जाती। इनसे जमींदारों के कारिन्दों और पुलिस की ज्यादातियों को कुछ रोक हुई। ताल्लुकदार घबराये और अपनी रक्षा का उपाय करते रहे और प्रान्तीय सरकार ने अवध-कायतकारी-कानून में सुधार करने का वादा किया।

ताल्लुकदार और बड़े जमींदार जमीन के मालिक कहलाते हैं। वे अपने को "लोगों के स्वाभाविक नेता" कहने में अपना फट्ट समझते हैं। वे यो तो ब्रिटिश सरकार के लाडले और बिगडैल बेटे हैं, लेकिन सरकार ने उनके लिए शिक्षा और लालन-पालन की जो विशेष व्यवस्था की थी, या करने की भूल की थी, उनके द्वारा उसने उनके सारे वर्ग को बुद्धि और दिमाग में विलकुल बोधा और निरुत्साह बना दिया। वे अपने कायतकारों के लिए कुछ भी नहीं करने थे जैसा कि दूसरे देशों के जमींदार अक्सर घोडा-बहुत किया करते हैं, और जमीन और लोगों को महज चूस कर अपना पेट भरने वाले रह गये थे। उनके पास सबने बड़ा काम यह रह गया था कि वे मुकामी अफमरों की खुशामद-दरामद करते रहें—जिनकी कि मेहरबानी के बिना उनकी हस्ती ज्यादा दिन ठहर नहीं सकती थी। और वे हमेशा अपने खान स्वार्थों और हुकों की रक्षा का लगातार मतलबवा करते रहते थे।

जमींदार शब्द में सरा घोला हो जाता है और किनी-किसी को यह समझ हो सकता है कि तमाम जमींदार बड़ी-बड़ी जमीनों के मालिक हैं। जिन सूबों में रयतवारी तरीका है वहाँ जमींदार के मानी हैं खुद खेती करने वाला जमीन-मालिक। उन प्रान्तों में भी जहाँ जमींदारी-प्रथा है, जमींदारों में कम जमीन के मालिक, मध्यम दर्जे के दशरों जमीन-मालिक, और वे हजारों लोग भी जो हद दर्जे की गरीबी

में दिन काटते हैं और जो किसी तरह कास्तकारों से अच्छी हालत में नहीं है, आजाते हैं। सयुक्त-प्रान्त में, जहाँ तक मुझे याद है, पन्द्रह लाख के करीब वे लोग हैं जिनकी गिनती ज़मींदार-वर्ग में की जाती है। गालिवन इनमें से ९० फीसदी से ऊपर की हालत गरीब-से-गरीब कास्तकार की हालत से मिलती-जुलती है और दूसरे ९ फीसदी की हालत किमी कदर अच्छी है। बड़े समझे जाने वाले ज़मीन-मालिक सारे सूबे में पाँच हजार से ज्यादा नहीं हैं और इसके कोई ४' दर-हकौकत बड़े ज़मींदार और ताल्लुकदार कहलाने लायक हैं। बाज-बाज बड़े कास्तकार की हालत तो छोटे गरीब ज़मींदारों से कहीं अच्छी है। गरीब ज़मीन-मालिक और मध्यम दर्जे के ज़मींदार शिक्षा में पिछड़े हुए हैं। मगर हैं आम तौर पर बहुत अच्छे लोग—स्त्री व पुरुष दोनों। और यदि उनकी शिक्षा-दीक्षा का प्रबन्ध अच्छा हो तो वे बढ़िया नागरिक बन सकते हैं। उन्होंने राष्ट्रीय आन्दोलनों में खासा हिस्सा लिया है। मगर ताल्लुकदारों और बड़े ज़मींदारों ने नहीं—हाँ, कुछ अच्छे अपवादों को छोड़ कर। और तो और उनमें कुलीन वर्ग की खूबिया भी नहीं पाई जाती। एक वर्ग की हैसियत से शरीर और बुद्धि दोनों में वे गिर गये हैं। अबतक तो उनका खाल्ता ही हो जाना चाहिए था। अब वे तभी तक जीवित रह सकेंगे कि जबतक ब्रिटिश सरकार ऊपर से उनको सहारा लगानी रहेगी।

पूरे १९२१ भर मैं देहली इलाको में आता-जाता रहा। लेकिन मेरा कार्य-क्षेत्र बढ़ता गया—यहाँ तक कि सारे युक्त-प्रान्त में फैल गया। असहयोग सरगर्मी से शुरू हो गया था और उसका सन्देश दूर-दूर के गावों में पहुँच चुका था। हर जिले में कांग्रेस-कार्यकर्त्ताओं का एक झुण्ड इस नये सन्देश को लेकर देहात में जाता, और उसके साथ वे किसानों की शिकायतें दूर करने की बात भी मोटे तौर पर जोड़ देते

थे। न्वराज एक ऐसा व्यापक शब्द था जिसमें सब-कुछ आ जाता था, फिर भी ये दोनो आन्दोलन—अनहयोग और किमान—विलकुल अलहदा-अलहदा थे, हालाँकि हमारे प्रान्त में ये दोनो बहुत कुछ एक दूसरे में मिल जुल जाते थे और एक-दूसरे पर अमर डालते थे। काँग्रेस के इस प्रचार का यह फल हुआ कि मुकदमेवाजी एकदरगी कम हो गई और गावों में पञ्चायतें कायम होकर उनमें मुकदमें फैसल होने लगे। काँग्रेस का असर शान्ति के दृष्ट में खास तौर पर ज्यादा गिरा, क्योंकि जहाँ भी कोई काँग्रेस-कार्यकर्ता जाता वहाँ डम नये अहिंसा के सिद्धान्त पर द्वास तौर पर जोर देता। हो सकता है कि लोगे ने न तो इसकी पूरी कद्र की हो, न इसे पूरा नमस्का ही हो, लेकिन इनमें किसानों को मार-काट पर उत्तर पडने में रोका बन्दर है।

यह कोई कम बात न थी। किसान जब उमडते हैं तो मार-पीट कर बैठते हैं और उनका उमाड किसानों और मालिकों की एक लडाई ही बन जाती है। और उन दिनों अदब के हिलने के किमानों के जोश का पारा बहुत ऊँचा चडा हुआ था और वे सब-कुछ कर डालने पर आमादा थे। एक चिनगारी पडने की देर थी कि बाग धक्क उठनी। फिर भी उन्होंने शजब की शान्ति रखी। मुझे सिर्फ़ एक ही मिमाल याद आती है कि जिसमें एक ताल्लुकेदार पीटा गया। ताल्लुकेदार अपने घर में बैठा था—उसके यार-दोस्त आसपान बैठे थे। एक किसान उनके पास गया और उसके गाल पर एक धप्पड़ जमा दिया। किमान का कहना था कि वह अपनी पत्नी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता और बदचलन था।

एक और क्रिस्म का हिंसा-कार्य आगे जाकर हुआ, जिससे सरकार के साथ टक्करे हुईं। मगर ये टक्करे तो आगे-पीछे होकर ही रहनी; क्योंकि सरकार संगठित किसानों की बटती हुई ताकत को वर्दाश्त नहीं

कर सकती थी। डेर-के-डेर किसान विना टिकट रेल में सफर करने लगे—झास तीर पर तब, जब कि उन्हें अपनी बड़ी-बड़ी समाजों में समय-समय पर जाना पड़ता था। कभी-कभी तो उनकी तादाद साठ से सत्तर हजार तक हो जाती। उन्हें हटाना मुश्किल था। और वे खुल्लम-खुल्ला रेलवे की हुकूमत का मुकाबला करने लगे, जैसा कि पहले कभी न देखा न सुना गया था। वे रेलवे कर्मचारियों से कहते—‘साहब, अब पुराना जमाना चला गया।’ किसके भडकाने से वे विना टिकट झुण्ड-के-झुण्ड सफर करते थे, मैं नहीं जानता। हाँ, हमने उन्हें ऐसी कोई बात नहीं सुझाई थी। हमने तो अचानक सुना कि वे ऐसा कर रहे हैं। वाद को जाकर रेलवेवालों ने कड़ाई की तब यह सिलसिला बन्द होगया।

१९२० की शरद-ऋतु में (जब मैं कलकत्ते में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में गया हुआ था) कुछ मामूली-सी बात पर कुछ किसान-नेता गिरफ्तार कर लिए गये। झास परतावगढ में उनपर मुकदमा चलाया जानेवाला था। लेकिन मुकदमे के दिन किसानों की एक बड़ी भीड़ से अदालत का हाता भर गया और वहाँ से जेल तक के रास्ते भर एक लाइन बन गई, जहाँ कि नेता लोग रखे गये थे। मजिस्ट्रेट घबरा गया और उसने मुकदमा दूसरे दिन के लिए मुत्तवी कर दिया। लेकिन भीड़ बढ़ती गई और उसने जेल को करीब-करीब घेर लिया। किसान लोग मुट्ठी-भर चने खाकर कुछ दिन बड़े मजे से रह सकते हैं। आखिर को किसान-नेता छोड़ दिये गये। शायद जेल में उनका मुकदमा कर दिया गया था। मैं यह तो भूल गया कि यह घटना कैसे हुई, लेकिन किसानों ने उसे अपनी एक बड़ी विजय समझा और वे यह सोचने लगे कि महज अपनी भीड़ के बल पर ही हम अपना चाहा करा लिया करेंगे। मगर सरकार के लिए यह स्थिति असह्य थी। और एक ऐसा ही मौका जल्दी पेश आया, लेकिन उनका अन्त दूसरी तरह हुआ।

१९२१ की जनवरी के आरम्भ की बात है। मैं नागपुर-कांग्रेस से लौटा ही था कि मुझे रायवरेली में तार मिला, कि जन्दी आओ, क्योंकि वहाँ उपद्रव की आशंका थी। दूसरे दिन मैं गया। मुझे मालूम हुआ कि कुछ दिन पहले कुछ प्रमुख किसान पकड़े गये थे और वही जेल में रक़्ते गये थे। किसानों को परतावगड की सफलता और उस समय जो नीति उन्होंने अख्तियार की थी वह याद थी ही। चुनावे किसानों की एक बड़ी मीड रायवरेली जा पहुँची। मगर इस बार सरकार उन्हें ऐसा नहीं करने देना चाहती थी और इसलिए उसने जायद पुलिस और फौज का इतजाम कर रक्खा था कि उन्हें आगे न बढ़ने दे। कस्बे के ठीक बाहर एक छोटी नदी के उस पार किसानों का मुख्य भाग रोक दिया गया। लेकिन फिर भी दूसरी तरफ से लोग लगातार चले आ रहे थे। स्टेशन पर आते ही नूते इस स्थिति की खबर मिली और मैं फौरन नदी की तरफ गया, जहाँ फौज किानानों का सामना करने के लिए रक्ती गई थी। रास्ते में मुझे जिला-मजिस्ट्रेट का जन्दी में लिखा एक पुर्जा मिला, कि मैं वापस लौट जाऊँ। उनीकी पीठ पर मैंने जवाब लिखा और पूछा, कि किस क़ानून की किस दफा की रु से मुझे वापस जाने के लिए कहा गया है, और जब तक इसका जवाब नहीं मिलेगा तब तक मैं अपना काम जारी रखना चहता हूँ। जैने ही में नदी तक पहुँचा कि दूसरे किनारे पर से गोलियों की आबाज सुनाई दी। मुझे पुल पर ही फौज-बालो ने रोक दिया। मैं वहा इन्तज़ार कर ही रहा था कि एकाएक किनने हँ। डरे और धवराये हुए किानानों ने मुझे आ घेरा, जोकि नदी के इन किनारे खेतों में छिन रहे थे। तब मैंने वहाँ उमी जगह कोई दो हज़ार किानानों की सभा करके उनके डर को दूर और उत्तेजना को कम करने की कोशिश की। कुछ कदम आगे ही एक छोटे नाळे के उस पार उनके नाइयों पर गोलियों का बरनना और चारों ओर फौज-ही-फौज

दिखाई देना—यह उनके लिए एक असाधारण स्थिति थी। मगर फिर भी नभा बहुत सफलता के साथ हुई, जिसमें किसानों का डर कुछ कम हो गया। तब जिला-मजिस्ट्रेट उस स्थान से लौटे जहाँ से गोलियाँ चलाई जा रही थी और उनके अनुरोध पर मैं उनके साथ उनके घर गया। वहाँ उन्होंने किसी-न-किसी वहाने कोई दो घण्टे तक मुझे रोक रक्खा—जाहिर है कि उनका इरादा मुझे किसानों से और शहरों के अपने मित्रों से दूर रखने का था।

बाद को हमें पता चला कि गोली-काण्ड से बहुतेरे आदमी मारे गये। किसानों ने तितर-बितर होने या पीछे हटने से इन्कार कर दिया था, मगर वो वे बिलकुल धान्त बने रहे थे। मुझे बिलकुल यकीन है कि अगर मैं, या हममें से कोई, जिनपर वे भरोसा रखते थे, वहाँ होते और उन्होंने उनसे कहा होता तो वे बरूर वहाँ से हट गये होते। जिन लोगों का वे विश्वास नहीं करते थे उनका हुक्म मानने से उन्होंने इन्कार कर दिया। किमीने तो दर-असल मजिस्ट्रेट को सुझाया भी था, कि मेरे आने तक कुछ ठहर जावे, किन्तु उन्होंने नहीं सुना। जहाँ वह खुद नाकामयाब हो चुके थे, वहाँ भला वह किसी आन्दोलनकारी को क्यों कर सफल होने दे सकते थे? विदेशी सरकारों का, जिनका कि दारोमदार अपने रीब पर होता है, यह तरीका नहीं हुआ करता।

रायवरेली जिले में उन्ही दिनों दो बार किसानों पर गोलीया चली, और उनके बाद तो हरेक प्रमुख किसान-कार्यकर्ता या पञ्चायत के मेम्बर के लिए मानों डर का राज्य ही फैल गया। सरकार ने उस आन्दोलन को कुचल डालने का पक्का इरादा कर लिया था। उन दिनों कांग्रेस की तैरणा से किसानों के अन्दर चरखा चलाने की प्रवृत्ति हो रही थी। इसलिए चरखा मानों राजद्रोह का प्रतीक हो गया था, और जिसके घर चरखा पाया जाता उसीकी आफत आ जाती। चरखें अक्तर जला भी

दिये जाते थे। इन तरह सरकार ने मकड़ों लोगों को गिरफ्तार करके तथा दूसरे तरीकों से रायवरेली और परतावगढ जिले के देहाती इलाकों के किसान और कांग्रेस दोनों आन्दोलनों को कुचलने को कोसिश की। ज्यादातर मुख्य-मुख्य कार्यकर्ता दोनों आन्दोलनों में एकही थे।

कुछ दिन बाद, १९२१ में फैजाबाद जिले में दूर-दूर तक दमन का मन्ना खलाया गया। वहाँ एक अनोखे ढंग से झगडा खडा हुआ। कुछ देहात के किसानों ने जाकर एक ताल्लुकेदार का माल-असबाब लूट लिया। बाद को पता लगा कि उन लोगों को एक दूसरे खर्मीदार के नीकरो ने नडका दिया था, जिनका ताल्लुकेदार से कुछ झगडा था। उन ग्रामीणों से सचमुच यह कहा गया था कि महात्मा गांधी चाहते हैं कि वे लूट लें; और उन्होंने 'महात्मा गांधी की जाय' बोलते हुए इम आदेश का पालन किया।

जब मैंने यह सुना तो मैं बहुत बिगडा और दुर्घटना के एक या दो ही दिन में उसी स्थान पर जा पहुँचा, जो अकबरपुर (फैजाबाद जिला) के पान ही था। मैंने उसी दिन एक सभा बुलाई और कुछ ही घण्टों में पाच-छ हजार लोग कई गाँवों में, कोई दस-बस मील की दूरी में वहाँ इकट्ठे हो गये। मैंने उन्हें बुरी तरह आडे हाथों लिया, कि किस तरह उन्होंने अपने-आपको तथा हमारे काम को बक्का पहुँचाया, और शमिन्दगी दिलाई और कहा कि जिन-जिनने लूट-गट की है वे सबके सामने अपना गुनाह कबूल करे। (उन दिनों में गांधीजी के सन्पाश्रह की स्तिरिट से, जैसा-कुछ मैं उसे समझता था, भरा हुआ था।) मैंने उन लोगों से, जो लूट-भार में शरीक थे, हाथ ऊँचा उठाने के लिए कहा, और कहते ताज्जुब होता है कि बीसों पुलिस-अफसरों के सामने कोई दो दर्जन हाथ ऊपर उठ गये। इसके मानी थे यकीनन उनपर आफत आना।

जब उनमें से बहुतेरे लोगों से मैंने खानगी में वास्त-चीन की और

उन्होंने सीधे-सादे ढंग से सुनाया कि किस तरह उन्हें गुमराह किया गया था, तो मुझे उनकी हालत पर बड़ा दुःख हुआ और इस बात पर अफसोस होने लगा कि मैंने नाहक ही इन मीधे-मोले लोगों को लम्बी-लम्बी सजायें पाने की हालत में रक्खा। लेकिन जिन लोगों को सजा भुगतनी पड़ी वे दो या तीन दर्जन नहीं थे। सरकार के लिए इतना अच्छा मौका भला कहीं सोने जैसा था? उम ज़िले के किमान-आन्दोलन का कुचलने के लिए इस अवसर का पूरा-पूरा फायदा उठाया गया। एक हजार से ऊपर गिरफ्तारियाँ हुईं और जिला-जेल ठमाठस भर गईं। कोई एक साल तक मुकदमे चलते रहे। किन्तु ही तो मुकदमे के दौरान में जेल ही में मर गये। दूसरे कितनी ही को लम्बी-लम्बी सजायें दी गईं और पिछ्छे दिनों जब मैं जेल गया तो वहाँ उनमें से कुछ से मुलाकात हुई थी। क्या लडके और क्या जवान, सब अपनी जवानी जेल में काट रहे थे।

भारतीय किसान में टिके रहने की शक्ति बहुत कम है। ज्यादा दिनों तक मुकाबला करने की ताकत नहीं रहती। अकालों और बीमारियों के दौरे में लाखों मर जाते हैं। ऐसी दशा में यह आश्चर्य की बात है कि एक साल भर तक उन्होंने सरकार और जमींदार दोनों के सम्मिलित दबाव का मुकाबला करने की ताकत का परिचय दिया। लेकिन वे कुछ-कुछ थकने लग गये थे और सरकार उनके आन्दोलन पर दृढतापूर्वक हमले करती रहती थी, जिसमें अन्त में उनकी हिम्मत उस समय के लिए तो टूट गई। फिर भी उनका आन्दोलन घीमी रफ्तार से चलता रहा—हाँ, पहले जैसे बड़े-बड़े प्रदर्शन नहीं होते थे, लेकिन अधिकांश गावों में पुराने कार्यकर्ता बच रहे थे जिनपर डर का कोई असर न हुआ था और जो थोड़ा-बहुत काम करते रहे। यहाँ यह याद रखना चाहिए कि यह सब हुआ था कांग्रेस के १९२१ के जेल जाने के कार्य-क्रम बनने के पहले।

किन्तु इसमें भी किमानो ने, पिछले साल के दमन के बावजूद, बहुत कुछ हाथ बढ़ाया था।

सरकार किसान-आन्दोलन से डर गई थी और उसने किसानों-मजदूरी कानून को पास करने की जल्दी की। इनके द्वारा किसानों को हालत सुवरने की आशा हुई थी। किन्तु जब देखा कि आन्दोलन काबू में आ चुका है तो उनको नरम बना दिया गया। इसके द्वारा जो मुख्य परिवर्तन किया गया वह था अवध के किसानों को हीन-द्वेषात जमीन पर अधिकार दे देना। यह दिखाई तो दिया था उनके लिए लुभावना, लेकिन अन्त में साबित यह हुआ कि उनकी हालत में उससे कुछ भी सुधार नहीं हुआ।

अवध में किसानों की हलचले जब-तब होती रहती थी, लेकिन छोटे पैमाने पर। मगर, १९२१ में जो मन्दी सारे सत्तार में आई उससे चीजों के भाव गिर गये और इसलिए फिर एक मकट-काल आ खड़ा हुआ।

: १० :

असहयोग

अवध के किसानों की उथल-पुथल का यहाँ कुछ व्यौरे के साथ मैंने वर्णन किया है, क्योंकि उसने भारत की समस्या पर से परदा उठाकर उसका मूल-स्वरूप मेरे नामने खड़ा कर दिया, जिसकी तरफ कि राष्ट्रीय विचार वालों ने भावद ही कुछ तबज्जो की हो। हिन्दुस्तान के भिन्न-भिन्न भागों में किमानो की हलचले बार-बार होती रहती है, जो कि गहरी अज्ञान्ति के लक्षण है। अवध के कुछ हिस्सों में जो किमान-आन्दोलन १९२०-२१ में हुआ वह उसी तरह का था—हालाकि वह अपने ढंग का निराला था, जिसे कोई रहस्य सामने जाये। उनकी शूरजात का सम्बन्ध किमी तरह न तो राजनीति से था, न राजनैतिक पुरुषों से

वल्कि शुरु से आखिर तक बाहरी और राजनैतिक लोगो का उसपर कम-से-कम असर था। सारे हिन्दुस्तान की दृष्टि से वह एक मुकामी मामला था, और इसलिए उसकी तरफ बहुत-कम ध्यान दिया गया था। यहाँतक कि सयुक्त प्रात के अखबारो ने भी उसकी तरफ बहुत कुछ लापरवाही ही दिखाई। उनके सम्पादको और उनके अधिकांश शहराती पाठको के लिए अब नये किसानो की जमात के उन कामो मे कोई असली राजनैतिक या दूसरे प्रकार का महत्व न था।

पजाव और खिलाफत-सम्बन्धी अन्यायो की रीज चर्चा होती थी और असहयोग, जिसके बल पर उन अन्यायो को दूर करने की कोशिश की जाने वाली थी, लोगो की ज्वान पर एक ही विषय था। सब लोगो का ध्यान उसी में लगा हुआ था। अलवत्ता शुरु में राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के बड़े प्रश्न, यानी स्वराज्य, पर ज्यादा जोर नहीं दिया जाता था। गांधीजी गोल-मोल और लम्बी-चौड़ी बातो को पसन्द नहीं करते हैं—वह हमेशा किसी खास और निश्चित बात पर सारी ताकत लगाना ज्यादा पसन्द करते हैं। फिर भी स्वराज्य की बातें वायु-मण्डल मे और लोगो के दिमागो मे बहुत-कुछ घूमती रहती थी, और जगह-जगह जो सभा-सम्मेलन होते थे उनमें बार-बार उनका झिक्र आया करता था।

१९२० के सितम्बर में कलकत्ता में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ—पजाव और खिलाफत के और खासकर असहयोग के प्रश्न पर अपना निर्णय देने के लिए। लाला लाजपतराय उसके सभापति थे, जो लम्बे अरसे तक देश से बाहर रहने के बाद हाल ही अमेरिका से लौटे थे। उन्हें असहयोग की यह नई योजना नापसन्द थी और उन्होंने उसका विरोध किया था। हिन्दुस्तान की राजनीति मे वह आम तौर पर गरम-दल के माने जाते थे, लेकिन उनकी साधारण जीवन-दृष्टि निश्चित-रूप से वैध और माडरेट थी। नदी के शुरु के उन दिनों परिस्थिति ने—न

कि हार्दिक विश्वास या इच्छा ने—उन्हें लोकमान्य तिलक तथा दूसरे गन्ध-दल वालों का साथी बना दिया था। लेकिन उनका दृष्टि-कोण निश्चय ही सामाजिक तथा आर्थिक था, जो कि उनके बरसे तक विदेशों में रहने में और भी मजबूत हो गया था, और उसके कारण उनकी दृष्टि अधिकतर हिन्दुस्तानी नेताओं की बनिस्वत ज्यादा व्यापक थी।

विन्फ्रेड भ्केवन ब्लूट ने अपनी 'डायरियों' में गोखले और लालाजी के साथ हुई मुलाकातों (१९०९ के लगभग) का हाल लिखा है। दोनों के बारे में उनमें बहुत मज़ह लिखा है, क्योंकि उसकी राय में वे बहुत फूट-फूट कर चले थे और वान्तविक्रम का सामना करते हुए डरते थे। लेकिन फिर भी लालाजी दूसरे बहुत-से हिन्दुस्तानी नेताओं से कहीं ज्यादा उनका मुकाबला करते थे। ब्लूट पर जो छाप पड़ी उसमें तो हम यह चमत्कृत करने हैं कि उस समय हमारी राजनीति में हमारे नेताओं की नाडी कितनी धीनी चलती थी और उनका क्या असर एक सनब और अनुभवी विदेशी मज्जन पर पड़ा। लेकिन पिछले बीस वर्षों में उनकी गजब की चारों में बड़ा फर्क पड़ गया है।

उन विरोध में लाला लाजपतराय अकेले न थे। उनके साथ बड़े-बड़े और प्रभावशाली लोग भी थे। कांग्रेस के करीब-करीब सभी पुराने महारथियों ने गांधीजी के अग्रगण्य-प्रस्ताव का विरोध किया था। देश-दुन्दुमान उन विरोध में अनुदा थे—इसलिए नहीं कि वह उनकी स्मिस्ट की नागमन्द करने थे—बल्कि वह उम हद तक बलिक उनमें भी आगे जाने को तैयार थे—बल्कि गगनग इमलिए कि नई कीमियों के बहि-गार पर उम ऐनाज था।

दुर्गम पीढ़ी के बड़े-बड़े नेताओं में एक मेरे पिताजी ही ऐसे थे, जिन्होंने उन गन्ध गांधीजी का साथ दिया। उनके लिए ऐसा करना हँसी-मजा न था। उनके पुराने साथियों ने जो-जो ऐनाज किये थे उनमें से

बहुतेरो को वे ठीक समझते थे और उनका उनपर बहुत असर भी हुआ था। उनकी तरह वह भी एक अज्ञात दिशा में एक अजीब नये तरीके से आगे बढ़ने में हिचकिचाते थे, जहाँ जाकर किसी के लिए अपने पुराने तौर-तरीके कायम रखना मुश्किल ही था। फिर भी उनके दिल में एक अनिवार्य कोशिश थी कोई कारगर उपाय करने की ओर—और असहयोग के प्रस्ताव में ऐसे निश्चित उपाय की योजना थी, अलवत्ता वह ठीक उसी तरह की न थी जैसी कि पिताजी चाहते थे। पक्का इरादा करने में उन्हें बहुत बक्त लगा था। बड़ी देर-देर तक उन्होंने गांधीजी और देशबन्धु से बातें की थी। उन्हीं दिनों सयोग से यह और दासबाबू दोनों बहुत-कुछ एक साथ पढ गये थे, क्योंकि एक बड़े मुफस्सिल मुकदमे में वे दोनों एक-दूसरे के खिलाफ पैरवी के लिए खड़े हुए थे। वे दोनों इस मामले को बहुत-कुछ एकसा नुक्ते-निगाह से देखते थे और उसके अन्त के बारे में भी उनका बहुत कम मत-भेद था। फिर भी, वह थोड़ा-सा ही मतभेद काफी था उनसे विशेष कांग्रेस के मुख्य प्रस्ताव का परस्पर-विरोधी पक्ष लिवाने के लिए। तीन महीने बाद वे फिर नागपुर कांग्रेस में मिले, और तबसे आगे चलकर दोनों एकसाथ चलते रहे और एक-दूसरे के अधिक नजदीक आते चले गये।

उन दिनों, कलकत्ता की विशेष कांग्रेस के पहले, मैं उनको बहुत-कम समझ पाया था। परन्तु जब कभी मैं उनसे मिलता मैंने देखा कि वह बराबर इस समस्या का मुकाबला करने में लगे रहते थे। इस सवाल के राष्ट्रीय स्वरूप के अलावा इसका ज़ाती पहलू भी था। असहयोग के मानी होते थे उनका बकालत छोड़ देना, जिसके मानी होते थे उनका अपने पुराने जीवन से विलकुल नाता तोड़ लेना और एक विलकुल नये जीवन में अपने को डालना—यह कोई आसान बात नहीं थी, खासकर उस समय जब कि कोई अपनी साठ वी वर्षगांठ मनाने की तैयार कर

रहा हो। पुराने राजनैतिक माधियो से, अपने पैरों में, उस सामाजिक जीवन से जिनके वह अब तक आदी थे, सबसे ताल्लुक तोड़ना था और जिनकी ही खर्चीली आदतों को छोड़ देना था, जो अब तक पड़ी हुई थीं। फिर रुपये और त्रचे-त्रचे का नवाल भी कम महत्व का न था, और यह जाहिर था कि अगर बकालत की आमदनी खली गई तो उन्हें अपने रहन-सहन का स्टैंडर्ड बहुत कम करना होगा।

लेकिन उनकी बुद्धि, उनका खबरदस्त स्वाभिमान, और उनका गर्व—ये सब मिलाकर उन्हें एक-एक कदम नये आन्दोलन की तरफ ही बढ़ाते गये यहाँ तक कि अन्त में वह सीलहो आना उनमें कूद पड़े। उन कई घटनाओं ने, जिनका अन्त पञ्जाब-काण्ड में हुआ, और उनके बाद जो कुछ हुआ उसमें उनके दिल में जो गुस्सा भरता जा रहा था उसको, जो अन्याय और अत्याचार वहाँ हुए थे उनकी याद को, और जो राष्ट्रीय अपमान हुआ उसकी कटुता को बाहर निकलने का कोई मार्ग चाहिए था। लेकिन वह नहस उत्साह की लहर में बह जाने वाले न थे। उन्होंने आखिरी फैमला तभी किया और गाँधीजी के आंदोलन में तभी कूदे जब उनके दिमाग ने, और एक मँजे हुए वकील के दिमाग ने, सारा जागा-पीछा अच्छी तरह मोच लिया।

गाँधीजी के व्यक्तित्व की तरफ वे खिंचे थे और इसमें कोई शक नहीं कि हम बात ने भी उनके निर्णय पर असर डाला था। जिस शक्त को वह नापसन्द करते थे उससे उनका भाव कोई भी शक्ति नहीं करा सक्ती थी, क्योंकि उनकी रुचि और अरुचि दोनों बड़ी तेज होती थी। लेकिन यह मिलाप था अनोखा—एक तो साधु, सयमी, धर्मात्मा, जीवन में ग्राप्त होने वाले आनन्द-विलास और शारीरिक सुखों को खत मारने वाला, और दूसरा कुछ भोग-प्रिय जिम्मे जीवन के किनारे ही आनन्दों का स्नात और उपभोग किया और इस बात की बहुत कम परवा की

कि परलोक में क्या होगा । मनोविश्लेषण-शास्त्र की भाषा में कहे तो यह एक अन्तर्मुख का एक वहिर्मुख के साथ मिलाप था । फिर भी उन दोनों के बीच एक प्रेम-बन्धन और एक हित-सम्बन्ध था, जिसने दोनों को एक-दूसरे की तरफ खींचा और बाँध रक्खा—यहाँ तक कि जब आगे चलकर दोनों की राजनीति में अन्तर पड़ गया तब भी दोनों में गाढ़ी मित्रता रही ।

वाल्टर पेण्टर ने अपनी एक किताब में बताया है कि कैसे एक साधु और एक शौकीन, एक धार्मिक प्रकृति का एक और दूसरा उसके विरुद्ध स्वभाव का, परस्पर विरोधी स्थानों से शुरू करके, मित्र-मित्र रास्तों से सफर करते हुए, पर फिर भी दोनों ऐसी जीवन-दृष्टि रखते हुए जो अपने उत्साह और सरगमियों में आँसू से उच्च और उदार रहती है, अक्सर एक-दूसरे को ज्यादा अच्छी तरह समझते और पहचानते हैं—बनिस्वत इसके कि उनमें से हरेक दुनिया के किसी साधारण मनुष्य को समझें और पहचानें—और कभी-कभी तो वे दरअसल एक-दूसरे के हृदय को स्पर्श भी करते हैं ।

कलकत्ता के विशेष अधिवेशन ने कांग्रेस की राजनीति में गाँधी-युग को शुरू किया, जो तब में अवतक कायम है—हाँ, बीच में एक छोटा-सा जमाना (१९२२ से १९२९ तक) खरूर ऐसा गया जिसमें उन्हें ने अपने-आपको पीछे रख लिया था और स्वराज्य-पार्टी को, जिसके नेता देशबन्धुदास और भेरे पिताजी थे, अपना काम करने दिया था । तब से कांग्रेस की सारी दृष्टि ही बदल गई, विलायती कपड़े चले गये और देखते-देखते सिर्फ खादी-ही-खादी दिखाई देने लगी, कांग्रेस में नये किस्म के लोग—प्रतिनिधि—दिखाई देने लगे, जो खास करके मध्यम-वर्ग की निचली श्रेणी के थे । हिन्दुस्तानी, और कभी-कभी तो उस प्रान्त की भाषा जहाँ अधिवेशन होता था, अधिकाधिक बोली जाने लगी, क्योंकि

किनने ही डेलीगेट अग्रेजी नहीं जानते थे। राष्ट्रीय कामों में विदेशी भाषा का व्यवहार करने के खिलाफ भी लोगों के भाव तेजी से बढ़ रहे थे, और कांग्रेस की सभाओं में माफ तीर पर एक नई खिन्दी, नया जोन, और एक मरगर्मी दिखाई देती थी।

अधिवेशन खतम होने के बाद गांधीजी 'अमृत बाजार पत्रिका' के जवरदस्त सम्पादक श्री मोतीलाल घोष से मिलने गये, जो कि मृत्यु गैर्या पर पड़े हुए थे। मैं उनके साथ गया था। मोतीबाबू ने गांधीजी के आन्दोलन को आर्गीवाद दिया और माय में कहा—'मैं तो अब दूसरी दुनिया में जा रहा हूँ। मैं, और तो क्या कहूँ, कहीं भी जाऊँ, मुझे एक वान का बहुत मतोप है कि वहाँ ब्रिटिश साम्राज्य न होगा—अब मैं इस साम्राज्य की पहुँच के परे हो जाऊँगा।'

कलकत्ता से लौटते समय मैं गांधीजी के साथ रवीन्द्रनाथ ठाकुर और उनके बति प्यारे बड़े भाई 'बडा दादा' से मिलने शान्ति निकेतन गया। वहाँ कुछ दिन रहे। मुझे याद है कि चार्ली एण्डरुज ने कुछ किताबें मुझे दी थी, जो मुझे दिलचस्प मालूम हुई थी और जिनका मुझ पर बहुत असर भी पडा था। उनका विषय था अफ्रीका में ब्रिटिश साम्राज्य से हुई आर्थिक हानि। इनमें से मॉरेल की लिखी एक किताब—'कैम्बेन्स वर्डन—की मेरे दिल पर बहुत गहरी छाप पडी थी।

इन्हीं दिनों या इसके कुछ दिन बाद, एण्डरुज साहब ने एक पुस्तिका लिखी, जिनमें हिन्दुस्तान के लिए स्वाधीनता की पैरवी की गई थी। मैं समझता हूँ कि उसका नाम था—'इंडिपेंडेन्स—दि इमीजिएट नीड'। यह एक बहुत ऊँचे दरजे का निबन्ध था, जो कि सिली के हिन्दुस्तान—विषयक कुछ लेखों और पुस्तकों के अवार पर लिखा गया था। और मुझे ऐसा लगा कि उसमें स्वाधीनता का प्रतिपादन इतनी अच्छी तरह किया गया है कि उसका कोई जवाब नहीं हो सकता—यही नहीं, बल्कि

मुझे वह मेरे हार्दिक भावों का चित्र खींचती हुई मालूम हुई। उसकी भाषा बड़ी मीठी-सादी और सरगर्मी लिए हुए थी। उसमें मानो हमारे दिल को हिला देने वाली गहरी प्रेरणाएँ और अचखिली अभिलाषायें साफ तौर पर मूर्त बनती दिखाई दीं। न तो वह आर्थिक आधार पर लिखी गई थी और न उसमें साम्यवाद ही था, उसमें शुद्ध राष्ट्रियता, हिन्दुस्तान की जिल्लत के प्रति मन में सहानुभूति और इससे छुटकारा पाने की और हमारे इस वरमों के अब पतन का खात्मा कर देने की ज़बरदस्त स्वाहृष्ट थी। यह कितनी विचित्र बात है कि एक विदेशी, और सो भी वह जो हमपर हुकूमत करनेवाली जाति का है, हमारे अन्तःस्तर की पुकार को इस तरह प्रतिध्वनित करे। असहयोग नो, जैसा कि सिली ने बहुत पहले कह दिया है, “यह भावना है कि हमारे लिए विदेशियों को अपनी हुकूमत हमपर जमाये रखने में सहायता पहुँचाना गर्भनाक है।” और एण्डरुज ने लिखा है—“आत्मोद्धार का एक ही मार्ग है, कि अपने अन्दर से कोई ज़बरदस्त हलचल—उभाड़—मैदा हो। ऐसे उभाड़ के लिए जिस वारुद की ज़रूरत है वह खुद हिन्दुस्तान की रूढ़ि में ही पैदा होनी चाहिए। वह बाहर से किमीके देने, मागने, मिलने, ऐलान करने और रियायते देने से नहीं आ सकती। वह अपने अन्दर से ही आनी चाहिए।” . . . इसलिए जब मैंने देखा कि ऐसी ही आन्तरिक शक्ति, वह वारुद, दरअसल भक्त से घडाका कर चुकी है—जब महात्मा गांधी ने भारत के हृदय में मन्त्र फूका—“आज्ञाद हो जाओ, गुलाम मत बने रहो, और हिन्दुस्तान की हतन्त्री उसी स्वर में झनझना उठी—तो मेरे मन और आत्मा उस असह्य बौद्ध से छुटकारा पाने की ख़ुशी से नाच उठे। एक आकस्मिक हलचल के साथ उसकी वेडियाँ ढीली हुईं और आजादी का रास्ता खुल गया।”

अगले तीन मास में सारे देश भर में असहयोग की लहर बढ़ती चली-

गई। नई कौन्सिलो का बहिष्कार करने की जो अनीस की गई थी उसमें आश्चर्यजनक सफलता मिली। यह बात नहीं कि नभी लोग वहाँ जाने में रुक गये, या रुक सकते थे, और इन तरह तमाम नाँवों वाली रक्खी जा सकती थी। बल्कि मूट्ठीभर वोटर भी चुनाव कर सकने थे और अधिकार चुनाव भी हो सकता था। लेकिन, हाँ, यह सच है कि अधिकार वोटर—मतदाता—वोट देने नहीं गये, और वे सब उम्मीदवार जिन्हें देश की प्रकार का खयाल था, कौन्सिलो के लिए लड़ें नहीं हुए। चुनाव के दिन सर वेलेन्टाइन गिरोल दैवयोग से इलाहाबाद में थे और चुनाव के मुकामों पर खुद देखने गये थे। वह वायकाट की सफलता को देखकर दग रह गये। एक देहाती चुनाव-स्टेशन पर, जो कि इलाहाबाद शहर से पन्द्रह मील दूर था, उन्होंने देखा कि एक भी वोटर वोट देने नहीं गया था। हिन्दुस्तान पर लिखी अपनी एक पुस्तक में उन्होंने अपने इस अनुभव का वर्णन किया है।

यद्यपि देगबन्धु दास तथा दूसरे लोगों ने कठकता-अधिवेशन में बहिष्कार की उपयोगिता पर सन्देह प्रकट किया था, तो भी बाहर की उन्होंने कांग्रेस के फ्रैन्चिज को माना। चुनाव हो जाने के बाद मतभेद भी दूर हो गया और नागपुर-कांग्रेस (१९२०) में फिर बहुत से पुराने कांग्रेसी नेता असहयोग के मञ्च पर आकर मिल गये। उस आन्दोलन की कामयाबी ने बहुतेरे डाँवाडोल और सन्देह रखनेवालों को कायल कर दिया था।

फिर भी, कलकत्ता के बाद, कुछ पुराने नेता कांग्रेस से पीछे हट गये, जिनमें एक महादूर और लोकप्रिय नेता थे श्री जिता। सरोजिनी नायडू ने उन्हें 'हिन्दू-मुस्लिम एजन्ता का राज-दूत' कहा था और पिछले दिनों में उन्हीं की बदीलन मुस्लिम-लीग का कांग्रेस के सदस्य बनना बहुत-कुछ मुमकिन हुआ था, मगर कांग्रेस ने बाद में जो रूप धारण किया—असहयोग को तथा अपने नये विधान को अपनाया, जिनमें वह ज्यादातर

जनता का सगठन बन गई, वह उन्हें कतई नापसन्द था। उनके मतभेद का कारण यो तो राजनैतिक बताया गया था, परन्तु वह मुख्यतः राजनैतिक न था। उस समय की कांग्रेस में ऐसे बहुत-से लोग थे जो राजनैतिक विचारों में जिन्ना साहब से पीछे ही थे। पर बात यह है कि कांग्रेस के इस नये रंग-रूप से उनका स्वभाव मेल नहीं खाता था। उस खादीधारी मन्मथ में, जो हिन्दुस्तानी में व्याख्यान देने का मत्तालवा करती थी, वह अपने को बिल्कुल बेमेल पाते थे। बाहर लोगों में जो जोग था वह उन्हें पागलो की उछल-कूद-सा मालूम होता था। उनमें और भारतीय जनता में उतना ही फर्क था जितना कि सेबाइल रो और वॉण्ड स्ट्रीट में और क्षोपड़ोवाले हिन्दुस्तानी गावों में है। एक बार उन्होंने खानगी में सुझाया था कि सिर्फ मैट्रिक पास ही कांग्रेस में लिये जावे। मैं नहीं कह सकता कि उन्होंने दरअसल सजीदगी के साथ ही यह बात सुझाई थी। परन्तु यह सच है कि उनके साधारण दृष्टिकोण के वह मुआफिक ही थी। इस तरह वह कांग्रेस से दूर चले गये और हिन्दुस्तान की राजनीति में अकेले-से पड़ गये। दुःख की बात है कि आगे जाकर एकता का यह पुराना एलची उन प्रतिगामी लोगों में मिल गया जो मुसलमानों में बहुत ही सम्प्रदायवादी थे।

माडरेटो या यो कहे कि लिवरलो का तो कांग्रेस से कोई ताल्लुक ही न रहा था। वे उससे सिर्फ दूर ही नहीं हट गये, बल्कि सरकार में घुल-मिल गये, नई योजना के अन्दर मिनिस्टर और बड़े-बड़े अफसर बने और असहयोग तथा कांग्रेस का मुकाबला करने में सरकार की मदद की। वे जो कुछ चाहते थे, करीब-करीब सब उन्हें मिल गया था— पानी कुछ सुधार दे दिये गये थे, और इसलिए अब उन्हें किसी आन्दोलन की जरूरत न थी। सो, एक ओर देश जहाँ जोश-खरोश से उबल रहा था, और अधिकाधिक क्रान्तिकारी बनता जा रहा था, तथा वे खूले

साम क्रान्ति-विरोधी, खुद सरकार के एक अंग बन गये। वे लोगों से कटकर बिल्कुल अलग जा पड़े और तब से हर मनले को हाकिमों के दृष्टि-बिन्दु में देखने की उनकी आदत पड़ गई जो अब तक कायम है। मन्चे अर्थ में उनकी अब कोई पार्टी नहीं रह गई है—सिर्फ चन्द लोग रह गये हैं, जो भी कुछ बड़े गहने हैं। श्री श्रीनिवान शान्ती शाही राजद्वार और ब्रिटिश सरकार की प्रेरणा ने भिन्न-भिन्न ब्रिटिश उपनिवेशों में तथा नयुन राज्य अमेरिका में बूमे और जहाँ-जहाँ गये उन्होंने कांग्रेस को और खुद अपने ही देश-वासियों को उन सरकार से लड़ाई लड़ते रहने के लिए बुरा-भला कहा।

फिर भी यह न समझिए कि लिबरल लोग निश्चिन्त थे। खुद अपने ही लोगों से बट्ट बर बलहदा पड़ जाना, जहा दुश्मनी नहीं दिखाई या चुनौती देनी हो वहाँ श्री दुश्मनी ममझना, कोई आनन्ददायी अनुभव नहीं कहा जा सकता। जब नारी जनता उभड़ उठती है तो वह अपने से अलहदा रहनेवालों के प्रति महरवान नहीं रह सकती। हालांकि गांधीजी की बार-बार की चेतावनियों ने दसहयोग की मुञ्चालियों के लिए उनमें कहीं अधिक मृदुल और नौम्य बना दिया था जितना कि दूसरी हालत में वह हो सकता था। लेकिन फिर भी नरह उम वायुमण्डल ने ही उनका दम बन्द कर दिया था जो उसका विरोध करते थे, जिन तरह कि वह उन लोगों को बल और स्मृति देना था और उनमें जीवन तथा कार्य-शक्ति का मञ्चान करना था जो कि उनके हानी थे। जनता के उनाड और मन्चे ऋणिकारों शान्दालनों के हमेसा ऐसे दोहरे अमर होने हैं, वे उन लोगों को जो जनता में से होते हैं या जो उनकी तरफ हो जाते हैं, उन्नाहिन करने हैं और उनको बागे लाने हैं, और साथ ही उन लोगों के दिवाने को बवाने हैं और उनको पीछे हटा देने हैं जो उनके मनमें नरने हैं।

यही कारण है जो कुछ लोगों की यह शिकायत थी कि असहयोग में तो सहनशीलता का अभाव है और उनसे बन्धे की तरह एकनी राय देने और एकसे काम करने की प्रवृत्ति पैदा होती है। इस शिकायत में सच्चाई तो थी, लेकिन वह थी इस बात में कि असहयोग जनता का एक आन्दोलन था और उसका अगुआ था ऐसा प्रचण्ड शक्ति जिसे हिन्दुस्तान के करोड़ों लोग भक्ति-भाव से देखते थे। मगर हमने भी गहरी सच्चाई तो थी जनता पर हुए उसके असर में। ऐसा अनुभव होता था मानो किसी कैद से या बोझ से वह छुटकारा पा गई हो और आजादी का एक नया भाव आ गया हो। जिस भय से वह अवतक दबी और कुचली जा रही थी वह पीछे हट गया था और उसकी कमर सीधी और मिर ऊँचा हो गया था। यहाँ तक कि दूर-दूर के बाजारों में भी राह चलते लोग फ्रांस और स्वराज (क्योंकि नागपुर-काँग्रेस ने स्वराज को अपना ध्येय बना लिया था) की, पंजाब की घटनाओं की, तथा खिलाफत की बातें करते थे। लेकिन 'खिलाफत' शब्द के अजीब मानी देहात के लोग समझते थे। लोग समझते थे कि यह 'खिलाफ' में बना है और इसलिए वे हमें मानी करते थे 'सरकार के खिलाफ' ! हाँ, वे अपने साम-खाम अधिक बरतों पर भी बात-चीत करते थे। वेधुमार सभायें और सम्मेलन होते और उनमें उनमें बहुत-कुछ राजनैतिक शिक्षा फैली।

हममें ने बहुत लोग जो कांग्रेस-कार्यक्रम को पूरा करने में लगे हुए थे, १९२१ में मानो एक किस्म के नरों में बनवाले ही रहे थे। हमारे जोग, आनावाद और उछलने हुए उल्हाह का दिवाना न था। हमें वैसा आनन्द और सुख का स्वाद जाता था जैसा किसी दुःख काम में मिले। धर्म-युद्ध करनेवाले को होता है। हमारे मन में न शक्यता के लिए उत्साह था, न हिचक के लिए हमें अपना रास्ता अपने गाने दिखाने का रिवाज देता था, और हम आगे बढ़ते चले जाते थे दूसरों के उत्साह से

उत्साहित होते तथा दूसरों को और आगे धक्का देते थे। हमने जी-जान लगाकर काम करने में कोई बात उठा न रखी, इतनी बड़ी मेहनत हमने कभी न की थी, क्योंकि हम जानते थे कि सरकार से मुकाबला शीघ्र ही होनेवाला है, और इसमें पहले कि सरकार हमें उठा कर अलग कर दे, हम ज्यादा-से-ज्यादा काम कर डालना चाहते थे।

इन सब बातों से चकर हमारे अन्दर आजादी का और आजादी के गर्व का भाव आ गया था। यह पुराना भाव कि हम दबे हुए हैं और हमें कामयाबी नहीं हो सकती, बिलकुल चला गया था। अब न तो डरसे काना-फुँनी होती थी और न गोल-गोल कानूनी भाषा इस्तमाल की जाती थी, कि जिसमें अधिकारियों के साथ झगडा मोल लेने से अपनेको बचाया जा सके। हम वही कहते थे जो हम मानते थे और महसूस करते थे, और उसे खुल्लमखुल्ला डके की चोट कहते थे। हमें उसके नतीजे की क्या परवा थी ? जेल ? उसकी तो हम राह ही देख रहे थे। उससे तो हमारे उद्देग्य-सिद्धि में मदद ही पहुँचानेवाली थी। बेशुमार भेदिया और बुफिया पुलिस के लोग हमें घेरे रहने थे और हम जहाँ जाते वहाँ साथ रहते थे। उनकी हालत दयाजनक हो गई थी, क्योंकि हमारे पास उनके पता लगाने के लिए कोई छिपी बात ही न थी। हमारी सारी बाखी खुली थी।

हमको इस बात का ही सिर्फ सतोष न था कि हम एक सफल राजनीतिक काम कर रहे हैं, जिनमें हमारी आँखों के सामने भारत की तमबीर ददल्नी जा रही है, और जो जैसा कि हमारा विश्वास था, हिन्दुस्तान की आजादी बहुत नजदीक ला रहा है। बल्कि हमारे अन्दर एक नैतिक उच्चता का भाव भी पैदा हो गया था, कि हमारे साथ जीर मानव दोनों हमारे मुजाहिदों के मुकाबले में अच्छे और ऊँचे हैं। हमें अपने नेता पर और उनके बताने लासानी तरीके पर फटा था। और कर्मी-गर्मी हम अपने को नपुंसक मानने का दावा करने लगते थे। लडाई

के जारी होते हुए भी और हमारे खुद उसमें लिप्त होते हुए और उसे बढ़ाव देते हुए भी एक आन्तरिक शान्ति का अनुभव होता था ।

ज्यो-ज्यो हमारा नैतिक तेज, हमारा सत्व, बढ़ता गया, त्यो-त्यो सरकार का तेज घटता गया । उसकी समझ में नहीं आता था कि यह हो क्या रहा है । ऐसा जान पड़ता था कि हिन्दुस्तान में उनकी परिचित पुरानी दुनिया एकाएक ढहे जा रही है । दूर-दूर तक एक नई आक्रामक स्पिरिट और आत्मावलम्बन और निर्भयता के भाव फैल रहे हैं और भारत में ब्रिटिश हुकूमत का बहुत बड़ा सहारा—रौब—सरेदस्त गिरता जा रहा है । थोड़ा-थोड़ा दमन करने से आन्दोलन उलटा बढ़ता जाता था और सरकार बहुत देर तक बड़े-बड़े नेताओं पर हाथ डालने से हिचकती ही रही । वह नहीं जानती थी कि इमका नतीजा आखिर क्या होगा । हिन्दुस्तानी फौज पर भरोसा रक्खा जा सकता है या नहीं ? पुलिस हमारे हुकमों पर अमल करेगी या नहीं ? दिसम्बर १९२१ में लार्ड रीडिंग ने तो कही दिया था कि हम 'हैरान और परेशान हो रहे हैं ।'

१९२१ की गमियों में युक्तप्रान्त की सरकार की ओर से जिला-अफसरों के नाम एक मजददार गुप्त गश्ती-बिट्ठी भेजी गई थी । वह वाद को एक अखबार में भी छप गई थी । उसमें दुख के साथ यह कहा गया था कि इस आन्दोलन में प्रारम्भिक सूत्र हमेशा दुश्मन यानी काँग्रेस के हाथों में हैं, और प्रारम्भिक सूत्र सरकार के हाथों में आ जाय, इसके लिए उसमें तरह-तरह के उपाय बताये गये थे, जिनमें एक था निकम्मी 'अमन सभाओं' को कायम करना । यह माना जाता था कि असहयोग से लड़ने का यह तरीका लिबरल मिनिस्ट्रो का सुझाया हुआ था ।

'कितने ही ब्रिटिश अफसरों के होश-हवास गुम होने लगे थे । दिमागी परेशानी कम न थी । दिन-दिन प्रबल होनेवाला विरोध और हुकूमत का मुकाबला करने की स्पिरिट हाकिमों के सिर पर घने

मलमली दादलों की तरह मँडंग रहे थे, पशु निरुत्पी चूकि वांछित के माधन इन्निष्ठा थे, उन्हें उम्मा मुकाम्मा करते उनपर हावी होने का खोर के माधु वर दशाने का मोई नैत्रा नहीं मिलना था। मौसम दर्व के इन्नेत्र इम्मान को नहीं मानते थे, कि हम काछेरी मन्ने दिल ने अहिंसा चाहते हैं। वे समझने थे कि यह नव घोडा-बड़ी है—स्त्री गहरी छिनी मादिका को छिगने का दहाना-मात्र है, जो स्त्री-न-स्त्री दिन एक हिमान्मक उपात के रूप में फूट पडनेवाली है। अंधेड़ों को बचपन ने ही यह सिखाया जाना है कि पूर्व एक रहस्यमय देश है, और वहाँ के वाजारो और नय गलियों में दिन-रात छिनी सादियों होती रहनी हैं। इसलिए वे इन रहस्यमय उनसे जानेवाले देशों के मानलों को मोका नहीं देना चाहते। वे एक पूर्वी पुरुष को जो एक जीषा-साया और गह्य ने खाने है, मन्नेने की कनी कोमिष्ठ ही नहीं करते। वे उत्तमे एक दरि पर ही रहते हैं, उनके बारे में जो कुछ ख्याल बनाते हैं वे मेदियों और क्षुब्धिया पुस्ति के द्वारा गिनी नलीवरी खबरों के आधार पर और मिर उनके मन्नेत्र में अपनी कल्पना की उड़ाव को खुला छोड देने हैं। कर्त्त १९१९ के मुरु में पंजाब में ऐना ही हुआ। अठिचारियों ने और काम नीर उर अन्नेत्र लोको में एकाएक दह्यन फँस गत। उन्हें हर जाह खान्-ही-खान, एक बघावन, एक इत्तरा अदर जिमने नयानक मारकाट होगी, दिनाई देने लगा और हर मूरत से हाँके म्बकर खान-रला की महक वृत्ति ने उनमे केवे म्बकर काण्ड का डाले जिमके अमृतमर का मन्निवाकान्-वाद्य और रंगनेवाली गली वे मन्नेत्र और इमरे नाम ही गये।

१९०१ का साल बडाँ नमूननी का साल था, और उनमे बहुर-मनी ऐनी अने हुई जिमने हाकिमों को बिटने, बिगडने और बचराने का डर बने की गुजारा थी। जो कुछ दर-अमन हो रहा था वह तो कुछ था

हीं, परन्तु जो-कुछ खयाल कर लिया गया वह उससे भी बुरा था। मुझे एक घटना याद है, जिससे इस कल्पना की घुडदौड़ का नमूना मिल जायगा। मेरी वहन सरूप की शादी इलाहाबाद में दस मई १९२१ को होनेवाली थी। देवी तिथि के हिमाब से पचाग में शुभ-दिन देखकर यह तारीख मुकर्रर की गई थी। गाँधीजी तथा दूसरे काँग्रेसियों को, जिनमें अली-अन्वु भी थे, निमन्त्रण दिया गया था, और उनकी सुविधा का खयाल करके उसी समय के आस-पास कार्य-समिति की भी बैठक इलाहाबाद में रख ली गई थी। स्थानिक काँग्रेसी चाहते थे कि बाहर से आये हुए नामी-नामी नेताओं की मीजूदगी से फायदा उठाया जाय और इसलिए उन्होंने बड़े पैमाने पर एक जिला-कान्फरेन्स का आयोजन किया। उन्हें उम्मीद थी कि आस-पास के देहात से किसान लोग बहुत बड़ी तादाद में आ जायेंगे।

इन राजनैतिक सभाओं की वदीलत इलाहाबाद में खूब चहल-पहल और जोश छाया हुआ था। इससे कुछ लोगों के दिलों में अजीब धवडाहट छा गई। एक रीस एक वैरिस्टर-दोस्त से मैंने सुना कि इस आयोजन से कितने ही अग्रेजों के होश ठिकाने न रहे और उन्हें डर हो गया कि शहर में एकाएक कोई धवडर खडा हो जानेवाला है। हिन्दुस्तानी नौकरो पर से उनका विश्वास हट गया और वे अपनी जेब में पिस्तौल रखने लगे। खानगी में यहाँ तक कहा गया कि इलाहाबाद का किला इस बात के लिए तैयार रक्खा गया था कि जरूरत पडने पर तमाम अग्रेजों को पनाह के लिए वहाँ भेज दिया जाय। मुझे यह सुनकर बडा ताज्जुब हुआ और इस बात को समझ न सका कि कोई क्यों इलाहाबाद जैसे सोये हुए और शान्ति-मय शहर में ऐसे किसी धवडर का अन्देशा रखे, खासकर उसी समय जब कि खुद अहिंसा का दूत ही वहाँ आ रहा हो। ओफ । यहाँ तक कहा गया कि दस मई,

और गहरी नाराज इत्फाक में मेरी बहन की गादी की निम्न हुई थी, १८५७ को मेरठ में गदर शुरू हुआ था और उनका मालाना जलना करने की ये तैयारियाँ हो रही हैं

१९२१ में खिलाफत-आन्दोलन को बहुत प्रशानता दी गई थी, इनसे कितने ही मौलवी और मुसलमानों के मजहबवी नेताओं ने इन राजनैतिक लड़ाई में बड़ा हाथ बँटाया था। उन्होंने इस हलचल पर एक निश्चित मजहबवी रंग चढ़ा दिया था और मुसलमान लोग आम तौर पर उससे बहुत प्रभावित हुए थे। बहुत-से पश्चिमी रा में रगे हुए मुसलमान भी, जिनकी कोई खान रघवत मजहब की तरफ नहीं थी, डाढ़ी रखने तथा शरीयत के हमरे फरमानों की पाबन्दी करने लगे थे। बढ़ते हुए पश्चिमी अमर के और नये खयालात के सबब से मौलवियों का जो असर और रीब घटता जा रहा था वह फिर बटने और मुसलमानों पर अपनी धाक जमाने लगा। थली भाइयों ने भी, जो खुद भी मजहबवी तबीयत के आदमी थे, इस सिलमिने को और ताकत दी, और इनी तरह गाबीजी ने भी, जो मौलवी और मालानाओं को बहुत ही इज्जत दिया करते थे।

इनमें कोई शक नहीं कि गाँधीजी बराबर आन्दोलन के धार्मिक और आध्यात्मिक पहलू पर जोर दिया करते थे। उनका धर्म रूढियों से जकड़ा हुआ न था, परन्तु उसकी यह मशा जरूर थी कि जीवन को देखने की दृष्टि धार्मिक हो। और इसलिए सारे आन्दोलन पर उसका बहुत प्रभाव पड़ा था तथा, जहाँ तक जनता ने ताल्लुक है, वह उसे एक पुनरुद्धार का आन्दोलन मालूम होता था। काँग्रेस के बहुसंख्यक कार्यकर्ता स्वभाव अपने नेता का अनुकरण करने लगे और कितने ही तो उनकी तरह भाषा भी बोलने लगे। और फिर भी कार्य-समिति में गाँधीजी के मुख्य-मुख्य नाथी थे—मेरे पिताजी देशबन्धुदास, लाला लजपतराय, और हमरे लोग—जो साधारण बर्ग में धार्मिक पुरुष न थे, और राजनैतिक ममलों को

राजनैतिक कक्षा में ही रखकर विचार करते थे। अपने व्याख्यानो और वक्तव्यो में वे धर्म को नहीं लाया करते थे। मगर वह जो कुछ कहते थे उससे उनके प्रत्यक्ष उदाहरण का ज्यादा अमर होता था—क्योंकि उन्होंने वह सब बहुत कुछ छोड़ दिया, जिसको दुनिया कीमती समझती है, और पहले से ज्यादा सादी रहन-सहन अख्तियार करली थी। त्याग खुद ही धर्म का एक चिन्ह समझा जाता है और इसने भी पुनरुद्धार के वायु-मण्डल को फैलाने में मदद की।

राजनीति में, क्या हिन्दू और क्या मुसलमान दोनों तरफ धार्मिकता की इस बढ़ती से कभी-कभी मुझे परेशानी होती थी। मुझे वह विलकुल पसन्द न थी। मौलवी, मौलाना और स्वामी तथा ऐसे ही दूसरे लोग जो-कुछ अपने भाषणों में कहते उसका बहुतांश मुझे बहुत-कुछ पैदा करनेवाला मालूम होता था। उसका सारा इतिहास, सारा समाज-शास्त्र और अर्थ-शास्त्र मुझे गलत दिखाई देता था और हर चीज को जो मजहबों मरोड़ दी जाती, उससे स्पष्ट विचार करना रुक जाता था। कुछ-कुछ तो गांधीजी के भी शब्द-प्रयोग मेरे कानों को खटकते थे—जैसे 'रामराज्य', जिसे वह फिर लाना चाहते हैं। लेकिन उस समय मुझमें दखल देने की शक्ति न थी, और मैं इसी खयाल से तसल्ली कर लिया करता था कि गांधीजी ने उनका प्रयोग इसलिए किया है कि इन शब्दों को सब लोग जानते हैं और जनता इन्हें समझ लेती है। उनमें जनता के हृदय तक पहुँच जाने की विलक्षण स्वभाव-सिद्ध कला है।

लेकिन मैं इन बातों की क्षणभङ्ग में ज्यादा नहीं पढ़ता था। मेरे पास काम इतना ज्यादा था और हमारे आन्दोलन की प्रगति इम तेजी से हो रही थी कि ऐसी छोटी-छोटी बातों की परवा करने की जरूरत न थी, क्योंकि उस समय मैं उन्हें वैसा ही न-कुछ समझता था। किन्हीं बड़े आन्दोलन में हर किस्म के लोग रहने हैं, और जब तक हमारी

अमली दिशा सही है, कुछ भँवरों और चक्करों में कुछ बिगड़ नहीं सकता। और खुद गांधीजी को लें तो वह ऐसे अत्यंत थे जिन्हें समझना बहुत मुश्किल था। कभी-कभी तो उनकी भाषा और दृष्टि के आधुनिक आदमी की समझ में प्रायः नहीं आती थी। लेकिन हम यह मानते थे कि हम उन्हें इतना जरूर अच्छी तरह समझ गये हैं कि वह एक महान और अद्वितीय पुरुष और तेजस्वी नेता हैं और जबकि हमने उनपर कम-से-कम उस समय तो श्रद्धा रखी थी तो मानो हमने कोरे कागज पर ही दस्तखत करके उनके हवाले कर दिया था। अबसर हम आपस में उनके इन उक्तों और विचित्रताओं की चर्चा किया करते थे और कुछ-कुछ दिल्ली में कहा करते कि जब स्वराज्य आ जायगा तब इन उक्तों को इस तरह आगे न चलने देंगे।

इतना होने पर भी हमसे बहुत-से लोग राजनैतिक तथा दूसरे मामलों में उनके इतने प्रभाव में थे कि धर्म-क्षेत्र में भी विलकुल आबाद बने रहना असंभव था। जहाँ सीधे हमसे कामयाबी की उम्मीद न थी वहाँ ज़रा चक्कर खाकर जाने से बहुत हद तक प्रभाव पड़े बिना न रहता। धर्म के बाहरी आचार कभी मेरे दिल में जगह न कर पाये, और सबसे बड़ी बात तो यह कि मुझे इन धार्मिक कहलानेवाले लोगों के द्वारा जनता का चूसा जाना बहुत नापसंद था, मगर फिर भी मैंने धर्म के प्रति नरमी अट्टार करली थी। अपने ठेठ वचन से लेकर किसी भी समय की अनिश्चित १९२१ में मेरा मानसिक झुकाव धर्म की तरफ ज्यादा हुआ था। लेकिन तब भी मैं उसके बहुत नज़दीक नहीं पहुँचा था।

जिन बात का मैं आदर करता था वह थी उस आन्दोलन का नैतिक और सदाचार-मन्वी पहलू और सत्याग्रह। मैंने अहिंसा के सिद्धान्त को सोलहो आने नहीं मान लिया था, या हमेशा के लिए नहीं अपना लिया था, लेकिन हाँ, वह मुझे अपनी तरफ अधिकाधिक खींचता चला

जाता था और यह विश्वास मेरे दिल में पक्का बैठता जाता था कि हिन्दुस्तान की जैसी परिस्थिति बन गई है, हमारी जैसी परम्परा और जैसे संस्कार हैं उन्हें देखते हुए यही हमारे लिए सही नीति है। राजनीति को आध्यात्मिकता के—सग और मजहबी मानी में नहीं—साँचे में ढालना मुझे एक उमदा खयाल मालूम हुआ। निस्सन्देह एक उच्च ध्येय को पाने के लिए साधन भी वैसे ही उच्च होने चाहिए—यह एक अच्छा नीति-सिद्धान्त ही नहीं, बल्कि निर्मम व्यावहारिक राजनीति भी थी, क्योंकि जो साधन अच्छे नहीं होते वे अक्सर हमारे उद्देश्य को ही विफल बना देते हैं और नई समस्याएँ और नई दिक्कतें पैदा कर देते हैं। और ऐसी दशा में, एक व्यक्ति या एक कौम के लिए, ऐसे साधनों के सामने सिर झुकाना—दलदल में से गुजरना, कितना बुरा, कितना स्वाभिमान को गिरानेवाला मालूम होता था। उससे अपने को कलुपित किये बिना कोई कैसे बच सकता था? यदि हम सिर झुकाते हैं, या पेट के बल रोगते हैं, तो कैसे हम अपने गौरव को कायम रखते हुए तेजी के साथ आगे बढ़ सकते हैं।

उस समय मेरे विचार ऐसे थे। और असहयोग-आन्दोलन ने मुझे बह चीज दी जो मैं चाहता था—कौमी आजादी का ध्येय और (जैसा मैंने समझा) निचले दर्जे के लोगों के शोषण का अन्त कर देना, और ऐसे साधन जो मेरे नैतिक भावों के मुआफिक थे और जिन्होंने मुझे जाती आजादी का मान कराया। यह जाती तसल्ली मुझे इतनी ज्यादा मिली कि नाकामयाबी के अन्देशों की भी मैं ज्यादा परवा न करता था, क्योंकि ऐसी असफलता तो थोड़े समय के लिए ही हो सकती थी। भगवद्गीता के आध्यात्मिक भाग को मैं न तो समझता था और न उसकी तरफ मेरा खिचाव ही हुआ था, लेकिन हाँ, उन श्लोकों को पढ़ना पसन्द करना था जो शाम को गाँधीजी के आश्रम में प्रार्थना के समय पढ़े जाते थे,

और जिनमे यह बताया गया है कि मनुष्य को कैसा होना चाहिए, शान्त, स्थिर, गभीर, अचल, निष्काम भाव से कर्म करनेवाला और फल के विषय में अनासक्त। मैं खुद बहुत शान्त-स्वभाव या अनानक्त नहीं हूँ, इसीलिए शायद यह आदर्श मुझे अच्छा लगा होगा।

: ११ :

पहली जेल-यात्रा

१९२१ का साल हमारे लिए एक असाधारण वर्ष था। राष्ट्रीयता और राजनीति और धर्म भावुकता और धमन्विता का एक अजीब मिश्रण हो गया था। इस सब की तह में किसानों की अशान्ति और बड़े शहरों का बढ़ता हुआ मजदूरवर्गीय आन्दोलन था। राष्ट्रीयता और अस्पष्ट किन्तु देशव्यापी जनरदस्त आदर्शवाद ने इन सब भिन्न-भिन्न और कभी-कभी परस्पर-विरोधी असन्तोषों को मिला देने का प्रयत्न किया, और इसमें बड़ी हद तक कामयाबी भी मिली। परन्तु इस राष्ट्रीयता को कई धर्मियों से बल मिला था। उसकी तह में थी हिन्दू राष्ट्रीयता, मुस्लिम राष्ट्रीयता, जिसका ध्यान कुछ-कुछ हिन्दुस्तान की सीमा के बाहर भी बिचा हुआ था, और हिन्दुस्तानी राष्ट्रीयता, जो जमाने की स्पिण्ट के अधिक अनुकूल थी। उन समय ये सब एक-दूसरे में मिश्र-मिश्र कर माय-माय चरने लगी थीं। हर जाह 'हिन्दू-मुसलमान का जय' थी। यह देखने लायक बात थी कि किम तरह गांधीजी ने सब बातों और मजदूरों के लोगों पर जादू-मा डाल दिया था, और उन मजदूरों पर दिया में चरनेवाला एक पत्थरों की बना दिया था। वास्तव में यह 'गोपी' की अस्पष्ट अनिर्गम्यता का एक मूर्त रूप (जो वाक्य कि 'मूर्त' की नेना के विषय में कहा गया है) बन गये थे।

इसने भी ज्यादा निराली बात यह थी कि ये सब अभिलाषायें और उमर्गें उन विदेशी हाकिमों के प्रति घृणा-भाव से कही मुक्त थी, जिनके खिलाफ वे इस्तैमाल हो रही थीं। राष्ट्रीयता मूल में ही एक विरोध-रूपी भाव है, और यह जीता और पनपता है दूसरे राष्ट्रीय समुदायों के, ग्रास कर किसी शासित देश के, विरोधी शासकों के खिलाफ घृणा और क्रोध के भावों पर। १९२१ में हिन्दुस्तान में ब्रिटिश लोगों के खिलाफ घृणा और क्रोध ज्वलित था, मगर इसी हालतवाले दूसरे मुल्कों के मुकाबले में यह निहायत ही कम था। इसमें शक नहीं कि यह बात हुई है गांधीजी के अहिंसा के रहस्य पर जोर देते रहने के कारण ही। इसका यह भी कारण था कि सारे देश में आन्दोलन चालू होने के साथ ही यह भावना ब्या गई थी कि हमारे बन्धन टूट रहे हैं, हमारा बल बढ़ रहा है, और नजदीक भविष्य में कामयाब हो जाने का व्यापक विश्वास पैदा हो गया था। जब हमारा काम अच्छी तरह चल रहा हो और जब हम जल्दी ही सफल हो जानेवाले हो तो गुस्सा होने और नफरत करने से फायदा ही क्या है? हमें लगा कि उदार बनने में हमारा कुछ बिगाड नहीं।

मगर हमारे अपने ही कुछ देववासियों के प्रति, जो हमारे खिलाफ हो गये थे और राष्ट्रीय आन्दोलन का विरोध करते थे, हम अपने दिलों में इतने उदार नहीं थे, हालांकि जो-जो काम हम करते थे और खूब आगा-पीछा सोचकर करते थे। उनके प्रति घृणा या क्रोध का तो कोई सवाल ही न था, क्योंकि उनकी कोई बकत नहीं थी, और हम उनकी उपेक्षा कर सकते थे। मगर हमारे दिल की गहराई में उनकी कमजोरी, समय-साधुता तथा उनके द्वारा राष्ट्रीय सम्मान और स्वाभिमान के गिराविले जाने के कारण हिकारत भरी हुई थी।

इस तरह हम चलते रहे—अस्पष्टता से किन्तु उत्कटता के साथ,

और हम इस आनन्द में मग्न थे कि हमने अपना हथियार चला दिया है। मगर लक्ष्य के बारे में तो स्पष्ट विचार का बिलकुल अभाव था। अब तो इस बात पर ताज्जुब ही होता है कि हमने सैद्धान्तिक पहलुओं को, अपने आन्दोलन के बुनियादी उद्देश्यों को, और जिस निश्चित चीज को हमें प्राप्त करना है उसे, किन्तु बुरी तरह से भुला दिया था। वेदक, हम स्वराज के बारे में बहुत बड़-बड़कर बातें करते थे, मगर गायब हर व्यक्ति जैसा चाहना वैसा उसका मतलब निकाला करता था। ज्यादातर नवयुवकों के लिए तो इसका मतलब था राजनैतिक आजादी या ऐसी ही कोई चीज, और लोकन्यायी हग की शानन-प्रणाली, और यही बात हम अपने सार्वजनिक भाषणों में कहा करते थे। बहुत लोगों ने यह भी सोचा था कि इससे लाजमी तौर पर मजदूरों और किसानों के वे बोझों जिनके तले वे कुचले जा रहे हैं हलके हो जावेंगे। मगर यह चाहिए था कि हमारे ज्यादातर नेताओं के दिमाग में स्वराज का मतलब आजादी से बहुत छोटी चीज थी। गाँधीजी इस विषय पर एक अजीब तौर पर अभ्यस्त रहते थे और इस बारे में नाफ विचार कर लेनेवालों को वह बटावा नहीं देते थे। मगर हाँ हमें, अस्पष्टता से ही किन्तु निश्चित रूप से, पद-दलित लोगों को लक्ष्य करके बोला करते थे, और इससे हम कड़ियों को बड़ी तसल्ली होनी थी, हालाँकि उसी के साथ वह लैबी श्रेणीवालों को भी कई प्रकार के आश्वासन दे डालते थे। गाँधीजी का जोर किनी नवाल को बुद्धि से समझने पर कमी नहीं होता था, बल्कि चरित्रबल और पवित्रता पर रहना था, और उन्हें हिन्दुस्तान के लोगों को दृढ़ता और चरित्रबल देने में आश्चर्यजनक नफ़लता मिली थी। फिर भी ऐसे बहुत-से लोग थे, जिनमें न अधिक दृढ़ता बढी न चरित्रबल बढा, मगर जो नमस बैठे थे कि डीन्ना-टाला धरोर और कुम्हाया हुआ चैहण ही पवित्रता की प्रतीक है।

जनता को यह असाधारण चुस्ती और मजबूती ही हमम विरवास भर देती थी। हिम्मत हारे, पिछड़े और दबे हुए लोग अचानक अपनी कमर भीधी और सिर ऊँचा करके चलने लगे और एक देशव्यापी, सुनियंत्रित और सम्मिलित उपाय में जुट पड़े। हमने समझा कि इस उपाय से ही जनता को अदम्य शक्ति मिल जायगी। मगर उपाय के साथ उसके मूलस्य विचार की आवश्यकता का खयाल हमने छोड़ दिया। हमने भुला दिया कि एक ज्ञानपूर्वक निश्चित विचार-प्रणाली और उद्देश्य के बिना, जनता की शक्ति और उत्साह बहुत-कुछ धुँधुआ कर रह जायगा। किसी हद तक हमारे आन्दोलन में धर्मजागृति के बल ने हमें आगे बढ़ाया। और वह यह भावना थी कि राजनैतिक या आर्थिक आन्दोलनों के लिए या अन्यायो को दूर करने के लिए अहिंसा का प्रयोग करना एक नया ही सन्देश है, जो हमारा राष्ट्र ससार को देगा। सभी जातियों और सभी राष्ट्रों में जो यह विशिष्ट मिथ्याविश्वास फैल जाता है कि हमारी ही जाति एक विशेष प्रकार से ससार में सबसे ऊँची है, उसीमें हम फँस गये थे। अहिंसा, युद्ध या सब प्रकार की हिंसात्मक लड़ाइयों में, शस्त्रास्त्रों के बजाय एक नैतिक शस्त्र का काम दे सकती है। यह एक कोरा नैतिक उपाय ही नहीं है, बल्कि रामबाण भी है। मेरे खयाल से, शायद ही कोई मशीनरी और वर्तमान सभ्यता विषयक गाँधीजी के पुराने विचारों से सहमत था। हम समझते थे कि खुद वह भी अपने विचारों को कल्पना-सृष्टि या मनोराज्य और वर्तमान परिस्थितियों में ज्यादातर अव्यवहार्य समझते होंगे। निश्चय ही, हममें से ज्यादातर लोग तो आधुनिक सभ्यता की नियामतों को त्यागने को तैयार न थे, हालांकि हमें चाहे यह महसूस हुआ हो कि हिन्दुस्तान की परिस्थिति के मुताबिक उनमें कुछ परिवर्तन कर देना ठीक होगा। खुद में तो बड़ी मशीनरी और तेज सफर को हमेशा पसन्द करता रहा हूँ। फिर भी इसमें

मन्देह नहीं हो सकना कि गाँधीजी के आदर्श का बहुत लोगों पर असर पड़ा और वह मञ्जीनों और उनके सब परिणामों को तोलने-जोखने लगे। इस तरह, कुछ लोग तो भविष्यकाल की तरफ देखने लगे और दूसरे कुछ भूतकाल की तरफ निगाह डालने लगे। और कुतूहल की बात यह है कि दोनों ही तरह के लोगों ने सोचा कि हम जिम सम्मिलित उपाय में लगे हुए हैं वह मिलकर करने ही योग्य है, और इसी स्पिरिट के वदीलत खुदी-खुशी बलिदान करना और आत्मत्याग के लिए तैयार होना आसान हो गया।

मेरे आन्दोलन में दिलोजान से जुट पड़ा और दूसरे बहुत-से लोगों ने भी ऐसा ही किया। मैंने अपने दूसरे कामकाज और सम्बन्ध, पुराने मित्र, पुस्तकें और अखबार तक, सिवा उस हद तक कि जितना उनका चालू काम से ताल्लुक था, सब छोड़ दिये। हा, उन समय तक प्रचलित किताबों को कुछ-कुछ पढ़ना कायम रखता था और ससारा में क्या-क्या घटनायें घटती जाती हैं इसको जानने की ज़रूरत करता था। मगर अब तो इसके लिए वक्त ही नहीं था—हालाँकि परिवारिक मोह ज़बर-दस्त था, मगर मैं अपने परिवार, अपनी पत्नी, अपनी लड़की, सबको करीब-करीब भूल ही गया था। बहुत अरमे के बाद मुझे मालूम हुआ कि उन दिनों में उनकी कितनी कठिनाई और कितने कष्टों का कारण बन गया था, और मेरी पत्नी ने मेरे प्रति कितने विलक्षण धैर्य और सहनशीलता का परिचय दिया था—दफ्तर और कमिटी की मीटिंगों और लोगों की भीड़ों में मेरा घर बन गया था। “गाँवों में जाओ” यही सबकी आवाज़ थी, और हम कोमो खेतों में चलकर जाते थे, दूर-दूर के गाँवों में पहुँचते थे, और किसानों की सभाओं में भागण देते थे। मैं रोम-रोम में जनता की सामूहिक भावना का और जनता को प्रभावित करने की शक्ति का अनुभव करता था। मैं थोड़ा-थोड़ा भीड़

का मानस, शहर की जनता और किसानों के फर्क को समझने लगा, और मुझे बूल और तकलीफों और बड़े-बड़े ग़ज़बों के धक्कम-धक्को में मज़ा आने लगा, हालाकि उनमें अनुशासन के न होने से मैं अक्सर चिढ़ जाता था । उसके बाद तो कभी-कभी मुझे विरोधी और क्रोधित मजमों के सामने भी जाना पड़ा है, जिनकी तेज़ी इतनी बढ़ी हुई थी कि एक चिनगारी भी उन्हें भड़का सकती थी, और शुरू के तज़ुबों से और उससे उत्पन्न आत्म-विश्वास से मुझे बड़ी मदद मिली । मैं हमेशा विश्वास के साथ सोचा मजमों के सामने जाता । अभी तक तो उसने मेरे प्रति सद्व्यवहार और गुणग्राहकता का ही परिचय दिया है, चाहे हममें मत-भेद ही रहा हो । मगर मजमों के स्वभाव का कुछ कह नहीं सकते, सम्भव है भविष्य में मुझे कुछ और ही अनुभव मिले ।

मैं मजमों को अपना समझता था और मजमों मुझे अपना लेते थे, मगर उनमें मैं अपने-आपको भुला नहीं देता था । मैं अपनेको उससे हमेशा अलग ही समझता रहा । मैं अपनी अलग मानसिक स्थिति से उन्हें समीक्षक-दृष्टि से देखता था, और मुझे ताज़ुब होता था कि मैं, जो कि अपने आसपास जमा होने वाले इन हजारों आदमियों से हर बात में भिन्न था, अपनी आदतों में, इच्छाओं में, मानसिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण में बहुमत भिन्न था, इन लोगों की सदृच्छा और विश्वास कैसे हासिल कर सका ? क्या इसका सबब यह तो न था कि इन लोगों ने मुझे मेरे मूल स्वरूप से कुछ ज़ुदा समझ लिया ? जब वे मुझे ज्यादा पहचानने लगेंगे, क्या तब भी वे मुझे चाहेंगे ? क्या मैं लम्बी-चीड़ी बातें बना-बनाकर उनकी सदृच्छा प्राप्त कर रहा हूँ ? मैंने उनके सामने सच्ची और खरी बातें कहने की कोशिश की, कभी-कभी मैंने उनसे सख्ती से बातचीत की, और उनके कई प्रिय विश्वासों और रीतियों की नुकताचीनी की, फिर भी वे मेरी इन सब बातों को बरदाश्त

कर देते थे। मगर मेरा यह विचार न हटा कि उनका मुझपर प्रेम, मे जैसा कुछ है, उसके लिए नहीं, बल्कि मेरी वाचन उन्होंने जो-कुछ मुन्दर कल्पना कर ली थी उनके कारण था। यह जूठी कल्पना जिनने समय तक टिकी रह सकनी थी ? और वह टिकी रहने भी क्यों दी जाय ? जब उनकी वह कल्पना झूठ निकलेगी और उन्हें अनलियन मालूम होंगी, तब क्या होगा ?

मुझमें तो कई तरह का अभिमान है, नगर नजमों के इन भोले-भाले लोगों में तो ऐसे किसी अभिमान का कोई सवाल ही नहीं हो सकता है। उनमें कोई दिखावा न था, और न कोई आडम्बर ही था, जैसा कि मध्यम वर्ग के कई लोगो में, जो अपने को उनसे अच्छा समझते हैं, होना है। हाँ, वे जड़ बेशक थे और व्यक्तिगत रूप से ऐसे न थे कि उनमें कोई दिलचस्पी ले, मगर समुदाय-रूप में उनको देखकर तो असीम कल्याण का भाव पैदा होता और उनके आने वाले दुःखान्त जीवन का दृश्य आँखों के सामने खड़ा हो जाता था।

मगर हमारी कान्फरेन्सों का तो, जहाँ हमारे चुने हुए कार्यकर्ता (जिनमें मैं भी शामिल था) व्याख्यान-मंच पर अपना करतब दिखाते थे, हाल ही दूसरा था। वहाँ काफी दिखावा होता था, और हमारे बुँआ-वार मापणों में आडम्बर की कोई कमी न थी। हममें ने मभी थोड़े-बहुत इस मामले में कुनूरवार रहे होंगे, मगर खिलाफत के कई छोटे नेता तो उनमें नवने ज्यादा बढे हुए थे। जहाँ बहुत लोग जमा हो उनके सामने व्याख्यान-मंच पर स्वाभाविक वर्ताव रखना आसान नहीं है, और इन तरह लोगों के सामने आने का पहले किसी को तजुर्वा भी न था। इसलिए हमारे छयाल के मुताबिक नेताओं को जैसे रहना चाहिए उसी तरह से हम अपने-आपको विचार-पूर्ण और गभीर, चञ्चलता और छिछोरपन में विलकुल बरी, दिखाते थे। जब हम चलते, या बात करते

या हँसते थे, तो हमें यह खयाल रहता था कि हज़ारों आँखें हमें घूर रही हैं और उसी की ध्यान में रखते हुए हम सब-कुछ करते थे। हमारे भाषण अक्सर बड़े छटादार होते थे मगर अक्सर ही वे ज्यादातर बे-मुद्दा भी होते थे। दूसरे लोग हमको जैसा देखते हैं उसी तरह अपने-आपको देखना मुश्किल ही है। इसलिए जब मैं अपने-आपको टीका की दृष्टि से न देख सका तो मैंने दूसरों के तर्जो-अमल पर गौर करना शुरू किया, और इस काम में मुझे खूब मजा आया और फिर यह भयकर खयाल भी आता था कि शायद मैं भी दूसरों को इतना ही बाह्यांत दिखाई देता होऊँगा।

१९२१ भर कांग्रेस-कार्यकर्ताओं की व्यक्तिगत गिरफ्तारी और सजा-याची होती रही, मगर मजमूई गिरफ्तारियाँ न हुईं। अली-बन्वुओं को हिन्दुस्तानी फौज में असन्तोष पैदा करने के लिए लम्बी-लम्बी सजायें दी गई थी। जिन शब्दों के लिए उन्हें सजा मिली थी, उनको सैकड़ों व्याख्यान-मञ्चों से हज़ारों आदमियों ने दोहराया। अपने कुछ भाषणों के कारण राजद्रोह का मुकदमा चलाये जाने की घमकी मुझे गर्मियों में दी गई थी। मगर उस वक्त ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की गई। साल के अखीर में मामला अजहद बढ़ गया। युवराज हिन्दुस्तान आने वाले थे, और उनकी आमद के मुताल्लिक की जानेवाली तमाम कार्रवाइयों का वहिष्कार करने की घोषणा कांग्रेस ने कर दी थी। नवम्बर के अखीर तक बगाल में कांग्रेस के स्वयंसेवक गैरकानूनी करार दे दिये गये, और फिर युक्तप्रान्त के लिए भी ऐसी ही घोषणा निकल गई। देशबन्वुदास ने बगाल को एक बड़ा जोशीला सदेश दिया—“मैं महमूस कर रहा हूँ कि मेरे हाथों मे हयकबियाँ पड़ी हुई हैं और मेरा सारा शरीर लोहे की बजनी जजीरो से जकड़ा हुआ है। यह है गुलामी की वेदना और यन्त्रणा। अरे, सारा हिन्दुस्तान एक बड़ा जेलखाना ही हो गया है। कांग्रेस का

काम हर हालत में जारी रहना चाहिए—इसकी पर्वाह नहीं कि मैं पकड़ लिया जाऊँ या खुला रहूँ, इसकी पर्वाह नहीं कि मैं भर जाऊँ या जिन्दा रहूँ।" यू० पी० में भी हमने सरकार की चुनौती को स्वीकार कर लिया। हमने न सिर्फ़ यही ऐलान किया कि हमारा स्वयंसेवक-नगठन कायम रहेगा, बल्कि दैनिक अखबारों में अपने स्वयंसेवकों की नामावलियाँ भी छपवा दीं। पहली फहरिस्त में सबसे ऊपर मेरे पिता का नाम था। वह स्वयंसेवक तो नहीं थे, मगर सिर्फ़ सरकार की हुक्म-उदूली करने के लिए ही वह शामिल हो गये थे और उन्होंने अपना नाम दे दिया था। दिसम्बर के शुरू ही में, हमारे प्रान्त में युवराज के आने के कुछ ही दिन पहले, सामूहिक गिरफ्तारियाँ शुरू हुईं।

हमने जान लिया कि आखिर अब तो पासा पड़ चुका है, कांग्रेस और सरकार का अनिवार्य संघर्ष अब होने ही वाला था। अभी तक भी जेल एक अपरिचित जगह थी और वहाँ जाना भी एक नई बात थी। एक दिन मैं इलाहाबाद के कांग्रेस-दफ्तर में ज़रा देर तक बकाया काम निपटा रहा था। इतने ही में एन क्लर्क ज़रा उत्तेजित होता हुआ आया और उमने कहा कि पुलिस तलाशी का वारण्ट लेकर आई है, और दफ्तर के मकान को घेरे रहीं हैं। निम्नदेह में भी थोड़ा अस्तव्यस्त तो हो गया, क्योंकि मेरे लिए भी इन तरह की यह पहली ही बात थी, मगर दृढ़ दिवाड़े देने की इच्छा, पूरी तरह शान्त और निश्चिन्त प्रतीत होने तथा पुलिस के आने और जाने में प्रभावित न होने की अभिलाषा प्रबल थी। इसलिए मैंने एक कर्ज़ में कहा कि जब पुलिस-अफसर दफ्तर के कमरों में तलाशी लेतीं तो तुम उनके साथ-साथ रहो, और बाकी के कार-गुनों ने कहा कि सब अपना-अपना काम बिला खरखगा करते रहो और पुलिस की तरफ़ ध्यान न दो। कुछ देर के बाद एक मित्र और एक सारी सार्व-सत्ताओं, दफ्तर के बाहर ही गिरफ्तार कर लिये गये

थे, एक पुलिस-मैन के साथ, मेरे पास मुझसे विदा लेने आये। मुझे इन नई घटनाओं को मामूली घटनायें समझना चाहिए, यह अभिमान मुझमें इतना भर गया था कि मैं अपने साथी कार्यकर्ता के साथ विलकुल खाई से पेग आया। उनसे और पुलिस-मैन से मैंने कहा कि मैं जबतक अपनी चिट्ठी, जिसे मैं लिख रहा था, पूरी न कर लूँ, तबतक जरा ठहरे रहे। जल्दी ही शहर में और भी लोगों के गिरफ्तार होने की खबर आई। आखिरकार मैंने यह तय किया कि मैं घर जाऊँ और देखूँ कि वहाँ क्या हो रहा है। वहाँ सर्वव्यापी पुलिस के दर्शन हुए वह हमारे उस लम्बे-चौड़े घर के एक हिस्से की तलाशी ले रही है और मालूम हुआ कि पिताजी और मुझे दोनों को गिरफ्तार करने आई है।

युवराज के आगमन के वहिष्कार-सम्बन्धी कार्य-क्रम के लिए हमारा और कोई कार्य इतना उपयुक्त न होता। युवराज जहाँ-जहाँ गये, वहाँ-वहाँ उन्हें हड़ताल और सूनी सबके ही मिली। जब वह इलाहाबाद आये तो वह एक सुनसान शहर मालूम पडा। कुछ दिनों बाद कलकत्ता ने भी कुछ समय के लिए अचानक अपना सारा कारोबार बन्द कर दिया। युवराज के लिए यह सब एक मूसीबत थी। मगर उनका कोई कसूर न था, और न उनके खिलाफ कोई दुर्भावना थी। हाँ, हिन्दुस्तान की सरकार ने अलवत्ता उनके व्यक्तित्व का बेजा फायदा उठाने की कोशिश की थी, इसलिए कि अपनी गिरती हुई प्रतिष्ठा को बनाये रख सके।

इसके बाद तो, खासकर युक्तप्रान्त और बंगाल में, गिरफ्तारियों और सजाओं की धूम मच गई। इन प्रान्तों में सभी खास-खास कांग्रेसी नेता और काम करनेवाले पकड़ लिये गये, और मामूली स्वयंसेवक तो हथारों की तादाद में जेल गये। शुरू-शुरू में तो ज्यादातर शहर के ही लोग थे, और जेल जाने के लिए स्वयंसेवकों की तादाद मानो खत्म हीं

न होती थी। युक्तप्रान्तीय कांग्रेस-कमिटी के लोग सब-के-सब (५५ व्यक्ति), जब वे कमिटी की एक मीटिंग कर रहे थे, एकसाथ गिरफ्तार कर लिये गये। कई ऐसे लोगों को भी, जिन्होंने अभीतक कांग्रेस या राजनैतिक हल-चल में कोई हिस्सा नहीं लिया था, जोश चढाया, और वे गिरफ्तार होने की छिद करने लगे। ऐसी भी मिसालें हुई कि कुछ सरकारी क्लर्क, जो शाम को दफ्तर से लौट रहे थे, इसी जोश में बह गये, और घर के बजाय जेल में जा पहुँचे। नवयुवक और बच्चे पुलिस की लारियों के भीतर घुस जाते थे और बाहर निकलने से इन्कार कर देते थे। हम जेल के अन्दर से, शाम-की-शाम, अपने परिचित नारों और आवाजें सुनते थे, जिनसे हमें पता लगता था कि बाहर पुलिस की लारियों-मद-लारियाँ आ रही हैं। जेल भर गई थी, और जेल-अफसर इस असाधारण बात से परेशान हो गये थे। कभी-कभी ऐसा भी होता था कि लारी के साथ जो वारण्ट आता था उसमें सिर्फ लाये जाने वालों की तादाद ही लिखी रहती थी, नाम नहीं लिखे होते थे या न लिखे जा सकते थे। और वास्तव में लिखी तादाद से भी ज्यादा व्यक्ति लारी में से निकलते थे, तब जेल-अधिकारी यह नहीं समझ पाते थे कि इस अजीब परिस्थिति में क्या करना चाहिए, जेल-मैनुअल में इसकी बात कोई हिदायत नहीं थी।

धीरे-धीरे सरकार ने हर किसी को गिरफ्तार कर लेने की नीति छोड़ दी, सिर्फ खास-खास कार्यकर्ता चुनकर पकड़े जाने लगे। धीरे-धीरे लोगों के उत्साह की पहली बाढ़ भी उतर गई, और सभी भरोसे के कार्यकर्ताओं के जेल चले जाने में अनिश्चय और असहायता की भावना फैल गई। परन्तु यह सब क्षणिक ही था। वातावरण में तो विजली भरी हुई थी और चारों ओर गड़गड़ाहट ही रही थी। ऐसा जान पड़ता था कि अन्दर-ही-अन्दर आग की तैयारी हो रही है। दिसम्बर

१९२१ और जनवरी १९२२ में, यह अनुमान किया जाता है कि, कोई ३० हज़ार आदमियों को असहयोग के सम्बन्ध में सज़ाये मिली। मगर हालांकि ज्यादातर प्रमुख व्यक्ति और काम करनेवाले जेल चले गये, इस सारी लड़ाई के नेता महात्मा गांधी फिर भी वाहर थे, जो रौपाना लोगो को अपने सदेश देते और हिदायते जारी करते रहते थे, जिनसे लोगो को स्फूर्ति मिलती थी और कई अवाञ्छनीय बातें होने से बच जाती थी। सरकार ने उनपर अभीतक हाथ नहीं डाला था, क्योंकि उसे डर था कि शायद इसका नतीजा खराब हो और कहीं हिन्दुस्तानी फौज और पुलिस तो बिगड़ न उठे।

अचानक १९२२ की फरवरी के शुरू में ही सारा दृश्य बदल गया, और जेल में ही हमने बड़े आश्चर्य और भय के साथ सुना कि गांधीजी ने सविनय भंग की लड़ाई रोक दी और सत्याग्रह मुत्तवी कर दिया है। हमने पढ़ा कि यह इसलिए किया गया कि चौरीचौरा नामक गाँव के पास लोगो की एक भीड़ ने बदले में पुलिस-स्टेशन में आग लगा दी थी और उसमें करीब आठ दर्जन पुलिसवालो को जला डाला था।

जब हमें मालूम हुआ कि ऐसे वक़्त में जब कि हम अपनी स्थिति मजबूत करते जा रहे थे और सभी मोर्चों पर आगे बढ़ रहे थे, हमारी लड़ाई बन्द कर दी गई है, तो हम बहुत बिगड़े। मगर हम जेल वालो की भायूसी और नाराज़गी से हो ही क्या सकता था? सत्याग्रह बन्द हो गया, और उसके साथ ही असहयोग भी जाता रहा। कई महीनो की विवकत और परेशानी के बाद सरकार को आराम की साँस मिली, और पहली बार उसे अपनी तरफ से हमला शुरू करने का मौका मिला। कुछ हफ़्तो बाद उसने गांधीजी को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें एक लम्बी कैद की सज़ा दे दी।

अहिंसा और तलवार का न्याय

चीरोचीरा-काँड के बाद हमारे आन्दोलन के एकाएक मूलतः किये जाने से, मेरा खयाल है, गांधीजी जो छोड़कर कांग्रेस के चारों तमाम नेताओं में बहुत ही नाराज़गी फैली थी। मेरे पिताजी जो उन वक्ता जेल में थे, उस पर बहुत ही विगड़े थे। कुदरतन् नीजवान कांग्रेसियों की तो यह बात और भी ज्यादा बुरी लगी थी। हमारी बटती हुई उम्मीदें धूल में मिल गईं। इसलिए उसके खिलाफ इनकी नाराज़गी का फैलना स्वभाविक ही था। आन्दोलन के मूलतः किये जाने से जो तकलीफ़ें हुईं उनसे भी ज्यादा तकलीफ़ें मूलतः करने के जो कारण बताये गये उनसे तथा उन कारणों से पैदा होनेवाले नतीजों से हुईं। ही सकता है कि चीरोचीरा एक खेदजनक घटना हो, वह थी भी खेद-जनक और अहिंसात्मक आन्दोलन के भाव के बिल्कुल खिलाफ, लेकिन क्या हमारी आजादी की राष्ट्रीय लड़ाई कम-से-कम कुछ वक्त के लिए महज इसलिए बन्द हो जाया करेगी कि कहीं बहुत दूर के किसी कोने में पड़े गाँव में किसानों की उत्तेजित भीड़ ने कोई हिंसात्मक काम कर डाला ? अगर इस तरह अचानक खून-खराबी का यही बरूरी नतीजा होना है तब तो इस बात में कोई शक नहीं कि अहिंसात्मक लड़ाई की विद्या और उसके मूल सिद्धान्त में कुछ कमी है, क्योंकि हम लोगों को इसी तरह की किसी-न-किसी अनचाही घटना के न होने की गारन्टी करना गैरमुमकिन मालूम होता था। क्या हमारे लिए यह लाजिमी है कि आजादी की लड़ाई में आगे कदम रखने से पहले हम हिन्दुस्तान के तीस करोड़ से भी

ज्यादा लोगों को अहिंसात्मक लड़ाई का उमूल और उसका अमल सिखा दें और, यही क्यों, हममें ऐसे कितने हैं जो यह कह सकते हैं कि पुलिस से बहुत ज्यादा उत्तेजना मिलने पर भी हम लोग पूरी तरह शान्त रह सकेगे ? लेकिन अगर हम इसमें कामयाब भी हो जायें तो जो बहुत-से भडकानेवाले एजेन्ट और चुगलखोर वगैरा हमारे आन्दोलन में आ घुसते हैं, और या तो खुद ही कोई मारकाट कर डालते हैं या दूसरो से करा देते हैं, उनका क्या होगा ? अगर अहिंसात्मक लड़ाई के लिए यही धर्म रही कि वह तभी चल सकती है जब कहीं कोई ज़रा भी लून-खराबी न करे, तब तो अहिंसात्मक लड़ाई हमेशा असफल ही रहेगी ।

हम लोगो ने अहिंसा के तरीके को इसलिए मज़ूर किया था, और कांग्रेस ने भी इसीलिए उसे अपनाया था, कि हमें यह विश्वास था कि वह तरीका कारगर है । गांधीजी ने उसे मुल्क के सामने महज़ इसीलिए नहीं रक्खा था कि वह सही तरीका है, बल्कि इसलिए भी कि हमारे मतलब के लिए वह सब से ज्यादा कारगर था । यद्यपि उसका नाम नकार में है, तो भी वह है बहुत ही बल और प्रभाव रखनेवाला तरीका और ऐसा तरीका जो ज़ालिम की ख्वाहिश के सामने चुपचाप सिर झुकाने के विलकुल खिलाफ था । वह तरीका कायरो का तरीका नहीं था जिसमें लड़ाई से मुंह छिपाया जाय, बल्कि बुराई और कौमी गुलामी को मुखा-लिफ्त करने के लिए बहादुरों का तरीका था । लेकिन अगर किन्हीं भी थोड़े से शर्म्मा के—मुमकिन है वे दोस्ती का लवादा ओढ़े हुए हमारे दुश्मन हो—हाथ में यह ताकत हो कि वे ऊटपटांग बेतहाशा कामो से हमारे आन्दोलन को रोक या खत्म कर सकते हैं, तो बहा-दुराना-से-बहादुराना और मजबूत-से-मजबूत तरीके से भी आखिर क्या फ़ायदा ?

घारा-भ्रवाह बोलने की और लोगो को समझाने की ताकत गांधीजी

में कसरत से मीजुद हूँ। अहिंसा का और गौनिमय असहयोग का रास्ता अक्षय्यार कराने के लिए उन्होंने अपनी ताकत में पूरा-पूरा काम लिया था। उनकी भाषा मीठी-सादी थी, उसमें वनावट विलकुल न थी। उनकी आवाज और उनकी मुद्रा-भुद्रा शान्त और साफ़ थी। उसमें विकार का नामोनिशान भी न था, लेकिन वरफ की उन बाहरी ओङ्गों के पीछे एक ठोस जोश और समग और जलती हुई ज्वाला की गरमी थी। उनके मुख से शब्द उड़-उड़ कर ठेठ हमारे दिलो-दिमाग के नीतरी-बे-भीतरी कोने में धर कर गये, और उन्होंने वहाँ एक अजीब खलवली पैदा कर दी। उन्होंने जो रास्ता बताया था वह कडा और मुश्किल था, लेकिन था बहादुरी का, और ऐसा मालूम पड़ता था कि वह आजादी के मकसद पर हमें जरूर पहुँचा देगा। १९२० में 'तलवार का न्याय' नाम के एक नामी लेख में उन्होंने लिखा था—

“यह विश्वास जरूर रखता हूँ कि अगर सिर्फ मुजदिली और हिंसा में से ही चुनाव करना हो तो मैं हिंसा को चुनने की सलाह दूँगा। मैं यह पसन्द करूँगा कि हिन्दुस्तान अपनी इज्जत बचाने के लिए हथियारों की मदद ले, वनिस्वत इसके कि वह कायरों की तरह खुद अपनी बेइज्जती का असहाय शिकार हो जाय या बना-रहे। लेकिन मेरा विश्वास है कि अहिंसा हिंसा से कहीं ऊँची है, सखा की वनिस्वत माफी देना कहीं ज्यादा बहादुरी का काम है। 'क्षमा वीरस्य भूषणम्'। क्षमा से वीर की शोभा बढ़ती है। लेकिन सखा न देना उसी हालत में क्षमा होती है जब सखा देने की ताकत हो। किसी असहाय जीव का यह कहना कि मैंने अपने से बलवान को क्षमा किया, कोई मानी नहीं रखता। जब एक चूहा विल्ली को अपने शरीर के टुकड़े-टुकड़े करने देता है तब वह विल्ली को क्षमा नहीं करता। लेकिन मैं यह नहीं समझता कि हिन्दुस्तान कायर है। न मैं यही समझता हूँ कि मैं विलकुल असहाय हूँ। ...”

“कोई मुझे समझने में गलती न करे। ताकत शारीरिक बल से नहीं आती, वह तो अदम्य इच्छा-शक्ति से ही आती है।”

“कोई यह न समझे कि मैं हवाई और खयाली आदमी हूँ। मैं तो अमली आदर्श-वादी होने का दावा करता हूँ। अहिंसा-धर्म महज ऋषि और महात्माओं के लिए ही नहीं है, वह तो आम लोगों के लिए भी है। जैसे पशुओं के लिए हिंसा प्रकृति का नियम है वैसे ही अहिंसा हम मनुष्यों की प्रकृति का कानून है। पशुओं की आत्मा सोती पड़ी रहती है और वह शारीरिक बल के अलावा कानून को जानती ही नहीं। इन्सान का गौरव चाहता है कि वह ज्यादा ऊँचे कानून की ताकत, आत्मा की ताकत, के सामने सिर झुकावे।

“इसीलिए मैंने हिन्दुस्तान के सामने आत्म बलिदान का, अपनी कुर्बानी का, प्राचीन नियम पेश करने की ज़रूरत की है, क्योंकि सत्याग्रह और उसकी शाखायें, असहयोग और सविनय प्रतिरोध, कष्ट-सहन के नियम के दूसरे नामों के अलावा और कुछ नहीं हैं। जिन ऋषियों ने, हिंसा में से अहिंसा का नियम बूढ़ निकाला, वे न्यूटन से ज्यादा प्रतिभाशाली थे। वे खुद वॉलिंगटन से ज्यादा योद्धा थे। वे हथियार चलाना जानते थे, लेकिन अपने अनुभव से उन्होंने उन्हें बेकार पाया और भयभीत दुनिया को यह सिखाया कि उसका छूटकारा हिंसा के जरिये नहीं होगा बल्कि अहिंसा के जरिये होगा।

“अपनी सक्रिय दशा में अहिंसा के मानी है जान-बूझकर तकलीफें उठाना। उसके मानी यह नहीं है कि आप बुरा करने वाले की इच्छा के सामने चुपचाप अपना सिर झुका दें, बल्कि उसके मानी यह है कि हम जालिम की इच्छा के खिलाफ अपनी पूरी आत्मा को भिड़ा दें। अपनी हस्ती के इस कानून के मुताबिक काम करते हुए, महज एक गल्ले के लिए भी यह मुमकिन है कि वह अपनी इज्जत, अपने मजहब और अपनी

आत्मा को बचाने के लिए, किसी अन्यायी साम्राज्य की ताकत को ललकार दे और उसके साम्राज्य के पुनरुद्धार या पतन की नींव डाल दे।

“और इसीलिए मैं हिन्दुस्तान से अहिंसा का रास्ता अस्वीकार करने के लिए इसलिए नहीं कहता कि वह कमजोर है। मैं चाहता हूँ कि वह अपनी ताकत और अपने बल-भरोसे को जानते हुए अहिंसा पर अमल करे मैं चाहता हूँ कि हिन्दुस्तान यह पहचान ले कि उसके एक आत्मा है, जिसका नाम नहीं हो सकता और जो तमाम शारीरिक कमजोरियों पर फतह पा सकती है और तमाम दुनिया के शारीरिक बलों का मुकाबला कर सकती है।

“इस असहयोग को मैं ‘सिनफिन’-आन्दोलन से अलग समझता हूँ, क्योंकि इसका जिस तरह से खयाल किया गया है उस तरह में वह हिंसा के नाथ-नाथ कभी हो ही नहीं सकता। लेकिन मैं तो हिंसा के सम्प्रदाय को भी दावत देता हूँ कि वे इस शान्तिमय असहयोग की परीक्षा तो करें। वह अपनी अन्दरूनी कमजोरी की वजह से असफल न होगा। हाँ, अगर ज्यादा तादाद में लोग उसे अस्वीकार न करें तो वह असफल हो सकता है। वही वक्त अमली खतरे का वक्त होगा, क्योंकि उस वक्त वे उच्चात्मा जो अधिक काल तक राष्ट्रीय अपमान सहन नहीं कर सकते, अपना गुम्फा नहीं रोक सकेंगे। वे हिंसा का रास्ता अस्वीकार करेंगे। उन्होंने मैं जानता हूँ, वे अपना वा गुलामी से मुक्त का छुटकारा दिये बिना ही बरखाद ही जायेंगे। अगर हिन्दुस्तान तलवार के पक्ष को पकड़ कर ले तो मुमकिन है कि शायद वह क्षणिक विजय पा ले। परन्तु उस वक्त हिन्दुस्तान के लिए मेरे हृदय में गर्म न होगा। मैं तो हिन्दुस्तान के अहिंसक संघर्ष को ही मानता हूँ कि मेरे पास जो कुछ है वह सब मैंने अहिंसक ही पाया है। मुझे पता ही नहीं कि दुनिया के लिए हिन्दुस्तान का क्या भविष्य है।”

इन दलीलो का हमारे ऊपर बहुत असर पडा, लेकिन हम लोगो की राय मे और कुल मिलाकर काँग्रेस की राय मे अहिंसा का तरीका न तो मजहब या अकादम्य सिद्धान्त या धर्म का तरीका था, और न ही हो सकता था। हमारे लिए तो वह ज्यादा-से-ज्यादा एक ऐसी नीति या एक ऐसा महल तरीका ही हो सकता था जिसमे हम खास नतीजो की जम्मीद करते थे, और उन्ही नतीजो से अखीर में हम उसकी वावत फंसला करते। अपने-अपने लिए लोग उसे मले ही मजहब बना ले या निर्विवाद धर्म मान ले, परन्तु कोई भी राजनैतिक सस्था, जबतक वह राजनैतिक है, ऐसा नहीं कर सकती।

चौरीचौरा और उसके नतीजे ने हम लोगो को, एक साधन के रूप में, अहिंसा के इन पहलुओ की जाच करने को मजबूर कर दिया और हम लोगो ने यह महसूस किया कि अगर आन्दोलन मुलतवी करने के लिए गाँधीजी ने जो कारण बताये हैं वे सही हैं तो हमारे विरोधियो के पास हमेशा वह ताकत रहेगी, जिसे वे ऐसी हालते पैदा कर दे जिनसे लाजिमी तौर पर हमें अपनी लडाई छोड देनी पडे। आया वह कसूर खुद अहिंसा के तरीके का था या उसकी उस व्याख्या का जो गाधीजी ने की ? लेकिन आखिर ब्रही तो उस तरीके के जन्मदाता थे ? उनसे ज्यादा इस बात का बेहतर जज और कौन हो सकता था कि वह तरीका क्या है और क्या नहीं है ? और बिना उनके हमारे आन्दोलन का क्या ठिकाना होगा ?

लेकिन बहुत बरसो के बाद, १९३० की सत्याग्रह की लडाई शुरू होने से ठीक पहले, हमे यह देखकर बडा सतोप हुआ कि गाधीजी ने इस बात को साफ कर दिया। उन्होने कहा कि कही इक्के-दुधके-हिंसारमक काण्ड हो जायें तो उसकी वजह से हमे अपनी लडाई छोडने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसी घटनाओ की वजह से, जो कही-न-

कही हुए बिना नहीं रह सकती, अहिंसा का तरीका काम नहीं कर सकता तो चाहिए था कि वह हर मीके के लिए सबसे अच्छा तरीका नहीं है। और गांधीजी इस बात को मानने के लिये तैयार नहीं थे। उनकी राय में तो जब वह तरीका सही तरीका है तो वह सब मीको के लिए मौजू होना चाहिए, और कम-से-कम सकुचित दायरे में ही सही लेकिन बिरोधी आबोहवा में भी उसे अपना काम करते रहना चाहिए। इस व्याख्या ने अहिंसात्मक लड़ाई का क्षेत्र बढ़ा दिया। लेकिन यह व्याख्या गांधीजी के विचारों के विकास की गवाही देती है या क्या, यह मैं नहीं जानता।

असल बात तो यह है कि फरवरी १९२२ में सत्याग्रह का मुत्तबी किया जाना महेश चौरीचौरा की वजह से नहीं हुआ, हालाँकि ज्यादातर लोग यही समझते थे। वह तो असल में एक आखिरी निमित्त हो गया था। गाँधीजी अक्सर अपनी अन्त प्रेरणा या सहज-बुद्धि से प्रेरित होकर काम करते हैं। ऐसा मालूम होता है कि जैसे महान् लोक-प्रिय नेता अक्सर किना करते हैं वैसे ही गाँधीजी ने बहुत असें से जनता के नच-दीक रहकर एक नई इन्द्रिय पैदा कर ली है, जो उनको यह बता देती है कि जनता क्या महसूस कर रही है और वह क्या कर सकती है तथा क्या नहीं कर सकती। वह इस सहज-प्रेरणा को सुनते हैं और तुरन्त उनकी मुताबिक रूप अपने कार्य को दे देते हैं और उसके बाद अपने चर्चित और नाराज नाशियों के लिए अपने फ्रंसलो को कारणों का जामा पहनाने का कोशिस करते हैं। यह जामा अक्सर विलकुल नाकाफ़ी होता है, जैसे कि चौरीचौरा के बाद मालूम होता था। उस वक्त हमारा आन्दोलन, बावजूद उसके ऊपरी दिवाई देने वाले और लम्बे-चौड़े जोश के, अन्दर में निरन्-बिनर हो रहा था। तमाम मगठन और अनुशासन का शेर हो रहा था। करीब-करीब हमारे मद्र अच्छे आदमी जेल

में थे, और उस वक्त तक आम लोगो को खुद अपने बल पर लडाईं चलाते रहने की बहुत ही कम, नही के बराबर, शिक्षा मिली थी। जो भी अजनबी आदमी चाहता, काँग्रेस-कमिटी का चार्ज ले सकता था, और दर-असल बहुत-से अनिष्ट लोग, जिनमे लोगो को उसकाने तथा भडकाने वाले सरकारी एजेंट तक शामिल थे, घुस आये थे और कुछ मुकामी काँग्रेस और खिलाफत-कमिटियो पर हावी हो गये थे। ऐसे लोगो को रोकने का उस वक्त कोई चारा न था।

इसमें कोई शक नही कि कुछ हदतक इस तरह की बात इस किस्म की लडाईं में बहुत कुछ लाञ्छिमी है। नेताओ के लिए यह लाञ्छिमी है कि वे सबसे पहले खुद जेल जाकर लोगो को रास्ता दिखावे और दूसरो पर यह भरोसा करे कि वे लडाईं चलाते रहेगे। ऐसी दशा में जो कुछ किया जा सकता है वह सिर्फ इतना ही कि जनता को कुछ मामूली सीधे-सादे काम धरना और उससे भी ज्यादा कुछ किस्म के कामो से बचते रहना सिखा दिया जाय। १९३० में इस तरह की तालीम देने में हमने पहले ही कुछ साल लगा दिये थे। इसीसे उस वक्त और १९३२ में सविनय-भंग-आन्दोलन बहुत ही ताकत के साथ और सगठित रूप में चला था। १९२१ और १९२२ में इस बात की कमी थी। उन दिनों लोगो के जोशोखरोश के पीछे और कुछ न था। इसमें कोई शक नही कि अगर आन्दोलन जारी रहता तो कई जगह भयंकर हत्याकाण्ड हो जाते। इन हत्याकाण्डो को सरकार बदतर हत्याकाण्डो द्वारा कुचलती। डर का राज कायम हो जाता, जिससे लोग दुरी तरह पस्त-हिम्मत हो जाते।

गाँधीजी के दिमाग में जिन असरो और सबवो ने काम किया वे सम्भवत यही थे। उनकी मूल बातो को, तथा अहिंसा-शास्त्र के मुताबिक काम करना बाञ्छनीय था इस बात को, मान लेने के बाद कहना

होगा कि उनका प्रेमना नहीं ही था। उनको ये मन्त्र खुराबियाँ रोककर नये निरे ने रचना करनी थी। एक दूनरी और बिलकुल ज़दा दृष्टि ने देवने पर उनका प्रेमना प्रेमनी नाना जग मकना है, लेकिन उन दृष्टि-कोण का अहिंसात्मक तरीके ने कोई ताल्लुक न था। उन एन-नाथ दाजों और बायें दोनों रास्तों पर नहीं चल सकते। इसने कोई शक नहीं कि अपने उन आन्दोलन को उन अन्धकारों में और उन छान इक्की-दुक्की बजह ने सरकारी हत्याकाण्डों द्वारा कुचल डालने का निमंन्य देने से भी राष्ट्रीय आन्दोलन खत्म नहीं हो सकता था। क्योंकि ऐसे आन्दोलनों का ऐसा तरीका है कि वे अपनी जिना की मत्स में से ही फिर उठ खड़े होते हैं। अक्सर थोड़े बक्त के लिए हार जाने से भी नमस्कारों को गली-भानि समझने में और लोगों को पक्का तथा नडबून करने में मदद मिलती है। अखली दान पीछे हटना या दिहावटी हार नहीं है बल्कि मिद्वान्त और आदर्श है। अगर जनता इन उन्नतों का सेद बन न होने दे तो नये निरे ने ताउन हानिल करने में देर नहीं लगती। लेकिन १९२१ और १९२२ में हमारे सिद्धान्त और हमारा लक्ष्य क्या था? एक बुधला स्वराज, जिसकी कोई स्पष्ट व्याख्या न थी लेकिन या सिर्फ अहिंसात्मक लड़ाई का एक छान मान्य। अगर लोग किसी बड़े पैमाने पर इक्के-दुक्के हिंसा-काण्ड कर डालने तो अपने-आप पिछना यानी अहिंसा का तरीका खत्म हो जाता, और जहाँ तक पहली बात, यानी स्वराज से ताल्लुक है उनमें ऐसी कोई बात न थी जिसके लिए लोग अड़ते। मान तौर पर लोग इतने नडबून न थे कि वे ज्यादा बरसे तक लड़ाई चलाने चाहे, और विदेशी शासन के खिलाफ करीब-करीब सर्वव्यापी असन्तोष और कांग्रेस के साथ उन लोगों की हमदर्दी के दावबूद लोगों में जाड़ी कुचल या समझ न था। वे टिक नहीं सकते थे। जो हथारों लोग जेठ गये वे भी क्षणिक जोश में जाकर और यह

उम्मीद करते हुए कि तमाम किस्सा कुछ ही दिनों में तय हो जायगा।

इसलिए यह हो सकता है कि १९२२ में सत्याग्रह को मुलतवी करने का जो फैसला किया गया वह ठीक ही था, हालाँकि उसके मुलतवी करने का तरीका और भी बेहतर हो सकता था और उसकी वजह से लोगो की निष्ठा ढीली होगई और एक प्रकार की पस्त-हिम्मती आ गई।

मगर मुमकिन है कि इस बडे आन्दोलन को इस तरह एकाएक वोटल में बन्द करने से उन दु खान्त काण्डो के होने मे मदद मिली जो देश में वाद को जाकर हुए। राजनीतिक सप्राम मे फुटकर और बेकार हिंसा-काण्डो की ओर बहाव तो रुक गया, लेकिन इस तरह दवाई गई हिंसा-वृत्ति अपने निकलने का रास्ता तो ढूँढती ही, और शायद वाद के सालो में इसी वात ने हिन्दू-मुसलिम झगडो को बढाया। असहयोग और सविनय भग या सिविल नाफरमानी की हलचल को आम लोगो की जो भारी इमदाद मिली उससे तरह-तरह के साम्प्रदायिक नेता, जो ज्यादातर राजनीति में प्रतिक्रियावादी थे, लोगो की निगाह से गिरकर दबे पडे थे। लेकिन उस हलचल के बन्द होने पर अब वे बाहर निकल आये। बहुता-से दूसरे लोगो ने भी—जैसे खुफिया के एजण्टो तथा उन लोगो ने जो हिन्दू-मुसलमानो में फिसाद कराके हाकिमो को खुश करना चाहते थे—हिन्दू-मुस्लिम-बैर बढाने मे मदद की। मोपलाओ के उल्पात से तथा जिस निहायत बेरहमी से उसे कुचला गया उससे उन लोगो को एक अच्छा हथियार मिला जो फिरकेवाराना झगडे पैदा कराना चाहते थे। रेलवे के बन्द डिव्वो में मोपला कैदियो का भुरता कर देना एक बहुत-ही वीमत्स दृश्य था। यह मुमकिन हो सकता है कि अगर सत्याग्रह बन्द न किया गया होता और उसे सरकार ने ही कुचला होता तो उस हालत में कौमी खहर इतना न बढता और वाद को जो कौमी दगे हुए उनके लिए बहुत ही कम ताकत बाकी रहती।

मन्दाग्न अर्थात् जमी में धारण एवं पदार्थ दूर्ज, शिबिके तनीने विन्दुत्त
 दूरने ही गतने में । मन्दाग्न की पदार्थी धार में नरकार भीषक वृ पर
 और पर वृत् । इसी वरत मन्दाग्न धारः गौं व ने एव भाव स्वीत में
 यह पहा ति में हैगन व परेगान है । उा शिबो सुवगत विन्दुत्तान में
 ये और उनही मौजूदगी में मन्दाग्न ही शिबिन्दारी बटन दत्त गई थी ।
 दिगम्बर १९३१ के दूर में जो घटाना गिरफ्तारियां दूर्ज थीं उनमें बाद
 ही फौरन उनी महीने में मन्दाग्न में एव कोशिश ही कि बख्सेम से
 तिनी किम्ब व गलीलामा वन गिया जाय । नर वान छाम तौर पर
 कलकत्ते में सुवराज की आनद यो महेनर एगार की गई थी । वगाल-
 मन्दाग्न के प्रतिनिधियों में और देशवन्धु दान में, जो उन दिनों जेल में
 थे कुछ आपनी वान-नीन दूर्ज । मालूम पडना है कि इन तरह की
 तजवीज की गई कि नरकार और काफ्रेम के प्रतिनिधियों में एक छोटी-
 सी गोलमेद-कानफ्रेम की जाय । यह तजवीज एमलिन गिर गई, क्योंकि
 गांधीजी ने इस वान पर जोर दिया कि मोगला मुहम्मदअली का भी,
 जो उस वक्त कराची की जेल में थे, इन कानफ्रेम में मौजूद रहना
 जरूरी है और नरकार इन बात के लिए राखी न थी ।

इस मामले में गांधीजी का यह रुज दान बाबू को पसन्द नहीं आया
 और कुछ वक्त बाद जब वह जेल में छूटकर आये तब उन्होंने सुलेजाम
 गांधीजी की आलोचना की और कहा कि उन्होंने सला गलती की है ।
 हम लो उन दिनों जेल में थे, इसलिए हममें से ज्यादातर वे सब बातें
 नहीं जान सकते जो इस मामले में हुईं, और तमाम बातों को जाने बिना
 कोई फ्रैमला करना मुदिकल है । लेकिन यह मालूम होता है कि उस
 हालत में उस कानफ्रेम से कोई फायदा नहीं हो सकता था । असल में
 सरकार महत्त यह कोशिश कर रही थी कि किसी तरह कलकत्ते में शाह-
 खादे की आनद का वक्त बिना खरबधा निकल जाय । इससे तो जो

बुनियादी मसले हमारे सामने थे वे ज्यो-के-त्यो बने रहते । नौ वरस बाद जब राष्ट्र और कांग्रेस पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर थी तब, गोलमेख कानफ्रेन्स हुई और उससे कोई नतीजा नहीं निकला । लेकिन इसके अलावा भी मुझे ऐसा मालूम होता है कि गांधीजी ने मुहम्मदअली की मौजूदगी पर ख़ोर देकर बिल्कुल ठीक ही किया । कांग्रेस के लीडर की हैसियत से ही नहीं, बल्कि खिलाफत की हलचल के लीडर की हैसियत से भी, और उन दिनों कांग्रेस के प्रोग्राम का खिलाफत एक अहम मुद्दा था, उनकी मौजूदगी लाजिमी थी । जिस नीति या कार्रवाई में अपने साथी को छोड़ना पड़े वह कभी सही हो ही नहीं सकती । सरकार की एक इसी बात से कि वह उन्हें जेल से छोड़ने को तैयार न थी, इस बात का पता चल जाता है कि कानफ्रेन्स से किसी किस्म के नतीजे की उम्मीद करना बेकार था ।

मुझे और पिताजी को अलग-अलग जुर्मों में अलग-अलग अदालतों ने ६-६ महीने की सजायें दी थी । मुकदमे महज़ एक स्वाँग थे और अपने रिवाज के मुताबिक हम लोगो ने उनमें कोई हिस्ता नहीं लिया था । इसमें कोई शक नहीं कि हमारे सब व्याख्यानो में और दूसरी हलचलो में सच्चा देने के लिए काफी मसाला ढूँढ निकालना बहुत आसान था । लेकिन सच्चा दिलाने के लिए जो मसाला दर-असल पसंद किया गया वह मजेदार था । पिताजी पर एक गैर-कानूनी जमात का मबर होने—कांग्रेस-स्वयंसेवक होने—के जुर्म में मुकदमा चलाया गया था और इस जुर्म को साबित करने के लिए एक फार्म पेश किया गया जिसमें हिन्दी में उनके दस्तखत दिखाये गये थे । बिला शक दस्तखत उन्हीं के थे, लेकिन असल में हुआ यह कि इससे पहले उन्होंने प्रायः कभी हिन्दी में दस्तखत नहीं किये थे । इसलिए बहुत ही कम लोग उनके हिन्दी के दस्तखत पहचान सकते थे । अदालत में एक फटे-हाल महाशय

पेन किये गये, जिन्होंने हलफिया बगान दिया कि दस्ताखत मोतीलालजी के ही हैं। वह महाशय बिल्कूल अपद थे और जब उन्होंने दस्ताखतों को देखा तब वह फार्म को बाँधा पकड़े हुए थे। पिताजी अदालत में मेरी लड़की को बराबर अपनी गोद में लिए रहे। इनसे उनके मुकदमे में उसे पहली नर्तिका अदालत का तजुर्वा हुआ। उन वक्त उनकी उम्र चार बरस की थी।

मेरा जुर्म यह था कि मैंने हडनाल कराने के लिये नोटिस बाँटे थे। उन दिनों यह कोई जुर्म न था—यद्यपि मेरा खयाल है कि इन वक्त ऐसा करना जुर्म है, क्योंकि हम बड़ी तेजी के साथ डोमिनियन स्टेट्स (औरनिवेशक स्वराज्य) की तरफ बढ़ते जा रहे हैं—फिर भी मुझे सजा दे दी गई। तीन नहीने बाद जब मैं पिताजी तथा हमारे लोगों के साथ जेल में था तब मुझे इतला मिची कि कोई मुकदमों की जाँच करनेवाले अफसर इन नर्तिका पर पहुँचे हैं कि कि मुझे जो सजा दी गई वह गलत है और इसलिए मुझे छोड़ा जायगा। मुझे इन बात ने बड़ा अचरज हुआ—क्योंकि मेरे मुकदमे की जाँच कराने के लिए मेरी तरफ से किसीने कोई कार्रवाई नहीं की थी। ऐसा मालूम पड़ना है कि सत्ताग्रह मूलतः ही जाने पर जाँच करने वाले जजों में मुकदमों की जाँच करने का एकाएक जोग सम्भू आया हो। मुझे पिताजी को जेल में छोड़कर बाहर जाने में बहुत दुःख हुआ।

मैंने तब कर लिया कि अब प्रौरल ही अहमदाबाद जाकर गांधीजी से मिलूँगा। लेकिन मेरे वहाँ पहुँचने से पहले वह गिरफ्तार हो चुके थे। इसलिए उन्हें मैं मावरमनी-जेल में ही जाना मिला था। उनके मुकदमे के बदन में अदालत में मौजूद था। वह एक विरसमन्वीय प्रमं था और हममें मैं जो लो। उन वक्त वहाँ नर्तिका के वे गायद उसे कभी नूच नहीं मन्ने। जब एक अंग्रेज था। उम्मे अपने व्यवहार में कजों नराम्त

और सद्भावना दिखाई। अदालत में गांधीजी ने जो बयान दिया वह दिलों पर बहुत ही असर डालने वाला था। हम लोग वहाँ से जब लौटे तब हमारे दिल हिलोरे ले रहे थे और उनके जिन्दा वाक्यों और उनके चमत्कारी भावों और विचारों की गहरी छाप हमारे मन पर पड़ी हुई थी।

मैं इलाहाबाद लौट आया। मुझे एक ऐसे वक्त पर जेल से बाहर रहना बहुत ही सुनसान और दुःखप्रद मालूम हुआ जब मेरे इतने दोस्त और साथी जेल के सीखचों के अंदर बन्द थे। बाहर आकर मैंने देखा कि कांग्रेस का सगठन ठीक-ठीक काम नहीं कर रहा है और मैंने उसे ठीक करने की कोशिश की। खास तौर पर मैंने विलायती कपड़े के बायकाट में दिलचस्पी ली। सत्याग्रह के वापस ले लिए जाने पर भी हमारे कार्यक्रम का वह हिस्सा अब भी चालू था। इलाहाबाद के कपड़े के करीब-करीब तमाम व्यापारियों ने यह वादा किया था कि वे न तो विलायती कपड़ा हिन्दुस्तान में ही किसी से खरीदेंगे न विलायत से ही मंगावेंगे। इस मतलब के लिए उन्होंने एक मण्डल भी कायम कर लिया था। मण्डल के फायदों में यह लिखा हुआ था कि जो अपना वादा तोड़ेगा उसे जुर्माने की सजा दी जायगी। मैंने देखा कि कपड़े के कई बड़े-बड़े व्यापारियों ने अपना वादा तोड़ दिया है और वे विदेशों से विलायती कपड़ा मंगा रहे हैं। यह उन लोगों के साथ बहुत बड़ी नाइतानी थी जो अपने वादे पर डटे हुए थे। हम लोगों ने कहा-सुनी की, लेकिन कुछ नतीजा न निकला और कपड़े के दूकानदारों का मण्डल किसी कारणर काम के लिए विलम्बूल बेकार साबित हुआ। इसलिए हम लोगों ने तय किया कि वादा तोड़नेवाले दूकानदारों को दूकानों पर धरना दिया जाय। हमारे काम के लिए धरने का इशारा-भर काफी था। बस, जुर्माने दे दिये गये और नये निरे से फिर वादे कर लिये गये। जुर्मानों से जो राधा आया वह दूकानदारों के मण्डल के पाम गया।

दो-तीन दिन बाट अपने कई नाबियों के साथ मुझे गिरफ्तार कर लिया गया। ये सभी वे लोग थे जिन्होंने इकान्तारों के साथ बानचीत करने में हिस्सा लिया था। हमारे ऊपर उदरदस्ती रखा ऐंठने और शोषों को डराने का जुर्म लगाया गया। मेरे ऊपर राजद्रोह नभेत, कुछ और भी जुर्म लगाये गये। मैंने अपनी कोई मसाले नहीं दी, उदालन में सिर्फ एक मन्दा बजान दिया। मुझे कम-से-कम तीन जुर्मों में सजा दी गई, जिनमें उदरदस्ती रखा ऐंठना और शोषों को डराने के जुर्म शामिल थे। लेकिन राजद्रोह वाला मानना नहीं बलया गया क्योंकि ग्रामि-वन यह सोचा गया कि मुझे जिनकी सजा मिलनी चाहिए थी-वह पहले ही मिला चुकी है। जहाँ तक मुझे नाद है, मुझे तीन सजायें दी गई जिनमें दो अठारह-अठारह महीने की थीं और एक-साय चलने की थी। मेरा नयाल है कि कुछ मिलाकर मुझे एक साल भी नहींने की सजा दी गई थी। यह मेरी दूसरी सजा थी। मैं छ हत्ते के करीब जेठ से बाहर रहकर फिर वहीं बला गया।

: १३ :

सखनऊ-जिला-जेल

१९२१ में हिन्दुस्तान में राजनैतिक अपराधों के लिए बेल जाला कोई नई बात नहीं थी। ब्रासकर दर-आ-आन्दोलन के वक्त से बराबर ऐसे लोगों का तांता लगा रहा जो जेल जाते थे और उनको अक्सर बड़ी मन्दी-मन्दी सजायें होती थीं। वरिष्ठ मुकदमे बचाने नदरदन्दिया भी होती थीं। लोकमन्य सिलक की, जो अपने समय के हिन्दुस्तान के सबसे बड़े नेता थे, उनकी टलती हुई उम्र में छ साल जैद की सजा दी गई थी। सिद्धले अहामुद के कारण वो नदरदन्दियों और जेल भेजने का यह

सिलसिला और भी बढ़ गया, और षड्यन्त्रों के मामले बहुत होने लगे जिनमें आमतौर पर मौत की या आजीवन कैद की सजायें दी जाती थी। अली-वन्धु और मौ० अब्दुलकलाम आचाद भी लडाई के जमाने में नजर-बन्द हुए थे। लडाई के बाद ही फौरन पंजाब में फौजी कानून जारी हुआ, जिसमें लोग बड़ी तादाद में जेल गये और बहुत लोगों को षड्यन्त्र के या सरसरी मुकदमों में सजायें दी गईं। इस तरह हिन्दुस्तान में राज-नैतिक सजा होना एक काफी आम बात हो गई थी, मगर अभी तक खुद जानबूझकर कोई जेल न जाता था। लोग अपना काम करते थे और उस सिलसिले में उन्हें राजनैतिक सजा अपने-आप मिल जाती थी, या चायद इसलिए मिल जाती थी कि खुफिया पुलिस उनको नापसन्द करती थी, लेकिन, ऐसा होने पर, आदालत में पैरवी करके उससे बचने की पूरी कोशिश की जाती थी। हाँ, दक्षिण-अफ्रीका में अलबत्ता सत्याग्रह की लडाई में गांधीजी और उनके ह्जारों अनुयायियों ने एक नहीं ही मिसाल पेश की थी।

मगर फिर भी १९२१ में जेलखाना करीब-करीब एक अज्ञात जगह थी, और बहुत कम लोग जानते थे कि नये सजायापत्ता आदमियों को अपने अन्दर हूँप जानेवाले डरावने फाटक के भीतर क्या होता है। अन्दाज से हम कुछ-कुछ ऐसा समझते थे कि जेल के अन्दर बड़े-बड़े खतरनाक जीव होंगे, जिनके लिए कुछ भी कर गुजरना तो वार्यों हाथ का खेल था। हमारे खयाल से जेल एकान्त, बेइज्जती और कष्टों की जगह थी, और सबसे बड़ी बात यह थी कि उसके साथ अनजान जगह होने का खौफ लगा हुआ था। १९२० से जेल जाने का बार-बार जिक्र सुनते रहने के कारण, और उसमें अपने कई साथियों के चले जाने से, हम इस खयाल के आदी हो गये, और उसके बारे में आशका और अरुचि की जो भावना अक्सर अपने आप पैदा हो जाती थी उसकी तेजी कम हो गई। परन्तु दिमागी

हृदो को वहा न ले जाय । इससे भी ज्यादा चिन्ता की बात यह थी कि नये आनेवाले लोग विलकुल निराले हँग के थे । यो आदमी तो सभी वर्ग के थे, मगर मध्यम-वर्ग के बहुत ज्यादा थे । लेकिन इन सब वर्गों मे एक बात सामान्य थी । वे मामूली सजायापत्ता लोगो से विलकुल दूसरी तरह के थे और उनके साथ पुराने तरीके से वर्ताव नहीं किया जा सकता था । अधिकारियो ने यह बात भानी तो, मगर मीजूदा कायदो की जगह दूसरे कायदे न थे, और न पहले की कोई मिसालें थी, न कोई पहले का तजुर्वा । मामूली काँप्रेसी कैदी न तो बहुत दब्बू था और न नरम । और जेल के अन्दर होते हुए भी अपनी तादाद ज्यादा होने से उसमें यह खयाल भी आगया था कि हममें कुछ ताकत है । बाहर के आन्दोलन से, और जेलखानो के अन्दर के मामलात मे पब्लिक की नई दिलचस्पी पैदा होजाने के कारण, वह और भी मजबूत होगया था । ऐसे कुछ-कुछ तेज रख के होते हुए भी हमारी आम नीति जेल-अधिकारियो से सहयोग करने की थी । अगर हम लोग उनकी इमदाद न करते तो अफसरो की तकलीफे बहुत ज्यादा हो गई होती । जेलर अक्सर हमारे पास आया करता था, और कुछ बैरको में, जिनमें हमारे स्वयसेवक थे, चलकर इन्हे शान्त करने या किसी बात के लिए राखी करने को कहता था ।

हम अपनी खुशी से जेल आये थे, और कई स्वयसेवक तो प्राय बिना बुलाये खुद जबरदस्ती भीतर घुस आये थे । इस तरह वह सवाल तो था ही नहीं कि कोई भाग जाने की कोशिश करता । अगर कोई बाहर जाना चाहता तो वह अपनी हरकत के लिए अफसोस जाहिर करने पर या आग्रह ऐसे काम में न पडने का इकरार लिखने पर आसानी से बाहर जा सकता था । भागने की कोशिश करने से तो किन्ही हद तक बदनामी होती थी, और ऐसा काम सत्याग्रह जैसे राजनैतिक

कार्य में अलग हो जाने के बराबर था । हमारे लखनऊ-जेल के सुपरिन्टेन्डेन्ट ने यह बात अच्छी तरह समझ ली थी, और वह जेलर से (जोकि खानमाहव था) कहा करता था कि अगर आप कुछ कांग्रेस-स्वयंसेवकों को बाग जाने देने में कामयाब हो सकें, तो मैं आपको खानबहादुर बनाने के लिए सरकार ने सिफारिश कर दूंगा ।

हमारे नाय के ज्यादातर कैंदी जेल के भीतरी बन्दर की बड़ी-बड़ी बँकरों में रक्खे जाते थे । हमने से अठारह को, जिन्हें मेरे अनुमान से अच्छे बर्ताव के लिए चुना गया था, एक पुराने वीविंग-शेड में रक्खा गया था, जिसके नाय एक बड़ी लुली हुई जगह थी । मेरे पिताजी, मेरे दो चचेरे भाई और मैं, इन लोगों के लिए एक अलग सायवान था, जो करीब-करीब २०x१६ फीट था । हमें एक बँकर ने दूसरी बँकर में जाने-जाने की काफ़ी आखादी थी । बाहर के दिग्देशरो से मुलाकात बहुत दार करने की इजाजत थी । अन्नदार जाने थे, और नई गिरफ्तारियों और हमारी लडाईं की चडती को ताड़ी घटनाओं की रोखाना खबरों से जोग का बानावरण रहता था । आपसी बातचीत और बहस में बहुत बन्द जाना था, और मैं पटना या दूसरा ठेग काम कुछ नहीं कर पाता था । मैं भुवह का बन्म अपने सायवान को अच्छी तरह साफ़ करने और बाने में, पिताजी के और अपने कपड़े बाने में और चर्खा बाने में मुबाय्य करना था । वे जाड़े के दिन थे, जोकि उमर-हिंदुस्तान का सबसे अच्छा मौसम है । मुन् के कुछ हफ्तों में हमें अपने स्वयंसेवकों के लिए, या उनमें से को पठना नहीं जानने थे उनके लिए, हिंदी लई और हमारे प्रारम्भिक विषय पठान के बाने म्थम बाने की इजाजत मिल गई थी । मौसरे पफ़ ह्म चात्री-बाल खेरा बाने थे ।

१. अजराओं में एक बैमिग-थैर की छतर निकली है, और हार्मोनिक समझ पण्डन किया आ बकर है छिर नी वह समय-मसम पर प्रसन्न

धीरे-धीरे बन्धन बढने लगे । हमें अपने अहाते से बाहर जाने और जेल के उस हिस्से में, जहाँ हमारे ज्यादातर स्वयंसेवक रक्खे गये थे, पहुँचने से रोक दिया गया । तब पढाई के क्लास अपने-आप बन्द हो गये । करीब-करीब उसी वक्त मैं जेल से छोड दिया गया ।

मैं मार्च के शुरु में बाहर निकला, और छ या सात हफ्ते बाद, अप्रैल में, फिर लौट आया । तब क्या देखता हूँ कि हालते बहुत बदल गई थीं । पिताजी को बदलकर नैनीताल-जेल में भेज दिया गया था, और उनके जाने के बाद फौरन ही नये कायदे लागू कर दिये गये थे । बडे बीविंग-बोड के, जहाँ पहले मैं रक्खा गया था, सारे कैदी भीतरी जेल में बदल दिये गये और वहाँ बैरको में रख दिये गये थे । हरेक बैरक करीब-करीब जेल के अन्दर दूसरी जेल ही थी, और एक बैरक वालो को दूसरी बैरक वालो से मिलने-जुलने या बातचीत करने की इजाजत न थी । मुलाकात और खत अब कम किये जाकर महीने भर में एक कर दिये गये । खाना बहुत मामूली कर दिया गया, हालाकि हमें बाहर से खाने की चीजें मगाने की इजाजत थी ।

जिस बैरक में मैं रक्खा गया उसमें करीब पचास आदमी रहते होंगे । हम सबको एकसाथ ठूस दिया गया, हमारे बिस्तरे एक-दूसरे से तीन-चार फीट के फासले पर थे । खुशकिस्मती से उस बैरक का करीब-

होती रहती है । वह यह कि उस वक्त के यू० पी० के गवर्नर सर हारकोर्ट बटलर ने जेल में मेरे पिताजी के पास शोम्पेन शराब भेजी । सच तो यह है कि सर हारकोर्ट ने पिताजी के लिए जेल में कुछ नहीं भेजा, और न किसी दूसरे ने ही शोम्पेन या दूसरी कोई नशीली चीज भेजी । वास्तव में, कांग्रेस के असहयोग को अपना लेने के बाद, १९२० ई० से, उन्होंने शराब बर्गारा पीना छोड दिया था, और उस वक्त वह कोई ऐसी चीज नहीं पीते थे ।

करीब हरेक आदमी मेरा जाना हुआ था। और कई मेरे दोस्त भी थे। मगर दिन-रात एकान्त का बिलकुल न मिलना तो नागवार होत गया। हमेशा उर्ली झुगड को देखना-दिखाना, वही छोटे-छोटे झगड़े-टटे चलते रहना, और इन सबसे बचकर शान्ति का कोई कोना भी बिलकुल न मिलना। हम सबके सामने नहाते, सबके सामने कपड़े धोते, कसरत के लिए बैंगनों के चारों तरफ चक्कर लगाकर दौड़ते, और बहस और वानचीत इम हद तक करते कि जिनसे विभाग थक जाता और सोच-समझकर वान भी करने की ताकत न रह जाती थी। यह कौटुम्बिक जीवन का एक नीरस—सौगुना नीरस दृश्य था, जिसमें उसका आनन्द, शोभा और सुख-सुविधा का अंश बहुत थोड़ा था, और यह सब ऐसे लोगों के साथ कि जो सब तरह के स्वभाव और रुचियों के थे। हम सबके मन में इम बात का बड़ा उद्वेग रहता था, और मैं तो अक्सर अकेला रहने के लिए तरसता रहता था। कुछ सालों के बाद तो जेल में मुझे खूब एकान्त और अकेलापन मिल गया—ऐसा कि महीनों तक लगातार मुझे किमी-किमी जेल-अधिकारी के सिवा और किसीकी सूरत दिखाई न देती थी। तब फिर मेरे मन में उद्वेग रहने लगा—मगर इम द्वार अच्छे साथियों की जरूरत महसूस करता था। अब मैं कमी-कमी १९२२ में लखनऊ-जिला-जेल में इम्कूदा रहने की हालत को रज्ज के नाथ याद करता था। फिर भी मैं खूब अच्छी तरह जानता था कि दोनों हालतों में से मुझे अकेलापन ही ज्यादा पसन्द है, वगर्त कि मुझे गऱने और लिराने की सुविधा हो।

फिर भी मुझे कहना होगा कि उन वकन के साथी निहायत अच्छे और गुणामिजाज थे, और हम सबकी अच्छी बनी। मगर मेरा खयाल है कि हम सबकी बनी-कनी एक-दूसरे में तग-जे जा जाते थे और अकहूदा हॉल में घुट्ट एषान्त में रहना चाहते थे। ज्यादा-से-ज्यादा एकान्त जो

मे पा सकता था वह यही था कि मैं बैरक छोड़कर अहाते के खुले हिस्से में आ बैठता था। इन दिनों बारिश का मौसम था और बादल होने के कारण बाहर बैठ जा सकता था। मैं गरमी का, और कभी-कभी बूँदा-बूँदी का भी मुकाबिला कर लेता था, और ज्यादा-से-ज्यादा वक्त बैरक के बाहर बिताया करता था।

खुले हिस्से में लेटकर मैं आकाश और बादलों को निहारा करता था, और जो सौन्दर्य मैंने पहले कभी अनुभव नहीं किया वह बादलों के नितनव सुन्दर रंगों में करने लगा—

“अहो ! मेघमालाओं का यह

पल-पल रूप पलटना,

कितना मधुर स्वप्न है लेटे-

लेटे इन्हे निरखना ।”

लेकिन वह समय मेरे लिए सुख और आनन्द-युक्त न था, वह तो हमारे लिए भार-रूप था। मगर जो वक्त मैं इन बरसाती बादलों को, जो हमेशा बदलते रहते थे, देखने में गुञ्जारता था वह आनन्द से भरा रहता था और मुझे राहत मालूम होती थी। मुझे ऐसा आनन्द होता मानो मैंने कोई आविष्कार किया हो, और ऐसी भावना पैदा होती मानो मैं कंद से छुटकारा पा गया हूँ। मैं नहीं जानता कि खास उसी बारिश ने मुझ-पर इतना बड़ा अज़र क्यों डाला, इससे पहले या बाद की किसी साल की भी बारिश ने इस तरह प्रभावित नहीं किया। मैंने कई बार पहाड़ों पर और समुद्र पर सूर्योदय और सूर्यास्त के मनोरम दृश्य देखे थे, उनकी शोभा को सराहा था और उस समय का आनन्द लूटा था एव उनकी महान् भव्यता और सुन्दरता से उस समय आन्दोलित हो उठता था। मगर मैं उनको देखकर यही खयाल कर लेना कि ये तो रोजाना की

१ अग्नेची फविता का भावानुवाद ।

—अनु०

माने हैं, और दूसरी बातों की तन्त्र-गान-सें लगी। मगर वे-में से तो शूरोदय और शूरोंग दिगार्ड नहीं थे, किन्तु तमसे शिवा दृष्टा या जोर बुद्ध-से-ने तर-तरि-ने-तर-दृष्ट-र-मारी-शर-री-संगे-के-का-ने-निर-ला-या। जो-र-ग-रा-त-मो-भि-मान-की-या, जो-र-र-गी-बांगे-म-उ-नी-म-उ-नी-र-ी-संगे-औ-र-ध-र-ना-या-म-उ-नी-दे-ग-ने-दे-ग-ने-पा-ग-ग-दी-वी। ये-त-ह-न-ग-ने-प्र-वा-न, द-या-औ-र-र-गी-की-द-ग-ने-के-लिए-भू-नी-ह-र-ही-सी, और-जब-ब-र-म-नी-बा-न-अ-उ-नी-वि-या-ब-ने-हू-ए-गु-र-ने-ल-गे, त-ह-न-ग-की-भा-ने-उ-ना-ते-हू-ए-नि-अ-भि-न्न-प्र-वा-न-के-र-गी-के-च-म-न-वा-र-दि-वा-ने-ल-गे, तो-मैं-ता-ग-रू-ब-औ-र-दु-नी-में-उ-ने-नि-हा-ने-ल-गा-औ-र-द-ग-ने-दे-ग-ने-म-नी-आ-न-द-में-पा-ग-ल-ही-जा-ना। त-मो-क-मी-बा-द-ने-के-बी-च-में-में-गु-छ-हि-म-ना-अ-न-ग-श्री-जा-ता-थ-औ-र-व-पा-र-ह-नु-का-ए-क-अ-द-भु-त-दृ-श-दि-ग-ार्-ट-दे-ता-था। उन-छा-नी-ज-ग-ह-में-में-ह-रा-नी-ला-आ-म-मान-न-ज-र-आ-ता-था-जो-कि-अ-न-न-का-ही-ए-क-हि-म-ना-म-ल-ूम-हो-ना-था।

हमारे ऊपर सजावटे धीरे-धीरे बरने लगीं, और ज्यादा-ज्यादा सत्तन कायदे लागू किये जाने लगे। सरकार ने हमारे आन्दोलन की नाप कर ली थी, और वह हमें यह महसूस करा देना चाहती थी कि उसका मुकाबिला करने की जुरत करने के मन्व से वह हमपर किम कदर नाराज है। नये कायदों के चालू करने या उनके अमल में लाने के तरीकों से जेल-अधिकारियों और राजनैतिक कैदियों के बीच झगड़े होने लगे। कई महीनों तक करीब-करीब हम सबने—हम लोग उती जेल में कई सौ थे—विरोध के तीर पर मुलाकाते करना छोड़ दिया था। जाहिर यह खयाल किया गया कि हमसे से कुछ झगडा खडा करानेवाले हैं, इसलिए हममें से सान आदमियों को जेल के एक दूर के हिस्से में बदल दिया गया, जो कि खास बैरको से बिलकुल अल-हदा

था। इस तरह जिन लोगो को अलग किया गया उनमें में, पुरुपोत्तम-दास टण्डन, महादेव देशाई, चार्ज जोजफ, बालकृष्ण शर्मा और देवदास गांधी थे। -

हमें एक छोटे अहाने में भेजा गया, और वहाँ रहने में कुछ तकलीफें भी थीं। मगर कुल मिलाकर मुझे तो इस तबदीली से खुशी ही हुई। यहाँ भीड़-भाड़ नहीं थी, हम ज्यादा शान्ति और ज्यादा एकान्त से रह सकते थे। पढ़ने या दूसरे काम के लिए वक्त ज्यादा मिलता था। हम जेल के दूसरे हिस्सों के अपने साथी-कैदियों से अलहदा कर दिये गये और बाहरी दुनिया से भी अलहदा कर दिये गये, क्योंकि अब सब राजनैतिक कैदियों के लिए अखबार भी बन्द कर दिये गये थे।

हमारे पास अखबार नहीं आते थे, मगर बाहर से कोई-कोई खबर अन्दर टपक आती थी, जैसे कि जेलों में हमेशा टपका करती है। हमारी माहवारी मुलाकातों और खतों से भी हमें बाज़-बाज़ ऐसी-वैसी खबरें मिल जाती थी। हमको पता लगा कि हमारा आन्दोलन बाहर कमजोर हो रहा है। वह चमत्कारिक युग गुजर गया था और कामयाबी घुघले भविष्य में दूर जाती हुई मालूम हुई। बाहर, कांग्रेस में दो दल हो गये थे— परिवर्तनवादी और अ-परिवर्तनवादी। पहला दल, जिसके नेता देशबन्धु दास और मेरे पिताजी थे, चाहता था कि कांग्रेस अगले केन्द्रीय और प्रान्तीय काँग्रेसों के चुनावों में हिस्सा ले और हो सके तो इन काँग्रेसों पर कब्ज़ा कर ले, दूसरा दल, जिसके नेता राजगोपालाचार्य थे, असहयोग के पुराने कार्यक्रम में कोई भी परिवर्तन किये जाने के विरुद्ध था। उस समय गांधीजी तो जेल में ही थे। आन्दोलन के जिन सुन्दर आदर्शों ने हमें ज्वार की लहरों की चोटी पर बैठे हुए की तरह आगे बढ़ाया था वे छोटे-छोटे झगड़ों और सत्ता प्राप्त करने की साजिशों के द्वारा दूर उछाले जाने लगे। हमने यह महसूस किया कि जोग गुजर

- जाने के बाद रोजाना का काम चलाने की बनिस्तरन उम्माह और जोग के वक्त में बड़े-बड़े और हिम्मत के काम पर जाना किना आमान है। बाहर की सवरो मे हमारा जोग ठण्डा होने लगा, और उनके माय-साय जेल से दिल पर जो अलग-जलग तरह के अनर पैदा होते हैं उनके कारण हमारा वहाँ रहना और भी दूमर हो गया। मगर, फिर भी, हमारे अन्दर यह एक तमन्ली का खयाल रहा कि हमने अपने म्याभिमान और गौरव को सुरक्षित रक्खा है, और हमने मत्व का ही मार्ग ग्रहण किया है, चाहे उसका नतीजा कुछ भी हो। चागे क्या होगा यह तो साफ किम्पाई नहीं बता था, मगर आगे कुछ भी हो, हमें ऐसा मालूम होता था कि हम कह्यो की किस्मतों में तो खिन्दगी का ज्यादा हिस्सा जेलों में गुजारना ही बदा है। इसी तरह की बातें हम आपस में किया करते थे, और मुझे खास तौर पर याद है कि मेरी जार्ज जोजफ से एक बार बात-चीत हुई थी जिसमें हम इसी नतीजे पर पहुँचे थे। उन दिनों के बाद जोजफ हमसे दूर-दूरी-दूर होते चले गये है, और यहाँ तक कि हमारे कार्यों के एक खबरदस्त आलोचक भी बन गये हैं। क्या पता कि लसनऊ-खिला-जेल के सिविल वार्ड में शरद्-ऋतु की एक शाम को हुई उस बात-चीत की याद उनको कभी आती है या नहीं ?

हम रोजाना कुछ काम और कसरत करने में जुट पडे। कसरत के लिए हम उस छोटे-से अहाते के चारो तरफ दीडकर चक्कर लगाया करते थे, या दो बैलों की तरह से दो-दो आदमी मिलकर अपने सहन के कुएँ से एक बडा चमडे का डोल खींचा करते थे। इस तरह हम अपने अहाते के एक छोटे-से शाक-भाजी के बाग में पानी दे देते थे। हममें से ज्यादातर लोग रोजाना थोडा-थोडा सूत कातते थे। मगर उन जाडे के दिनों और लम्बी रातों में पढना ही मेरा खास काम था। करीब करीब हमेशा जब-जब सुपरिन्टेन्डेन्ट आता तो वह मुझे पढता हुआ ही देखता

था। यह पढते रहने की आदत शायद उसे खटकी और उसने इसपर एक बार कुछ कहा भी। उमने यह भी कहा कि मैंने तो अपना साधारण पढना चारह साल की उम्र में ही उत्तम कर दिया था। वेशक, पढना छोड देने में उस बहादुर अग्रेज कर्नल को यह फायदा ही हुआ कि उसे बेचैनी पैदा करनेवाले बिचार आये ही नहीं, और शायद इसीसे बाद में उसे युक्तप्रात की जेलों के इन्स्पेक्टर-जनरल की जगह पर तरक्की पा जाने में मदद मिली।

जाडे की लम्बी रातों और हिन्दुस्तान के साफ आस्मान ने हमारा ध्यान तारों की तरफ खींचा, और कुछ नकशों की मदद से हमने कई तारे पहचान लिये। हर रात हम उनके उगने का इन्तजार करते थे और मानो अपने पुगने परिचितों के दर्शन करते हो इस आनन्द से उनका स्वागत करते थे।

इस तरह हम अपना वक्त गुजारते थे। दिन गुजरते-गुजरते हफ्ते हो जाते और हफ्ते महीने हो जाते। हम अपनी रोजमर्रा की रहन-सहन के आदी हो गये। मगर बाहर की दुनिया में असली बोझ तो हमारे महिला-वर्ग पर—हमारी मानाओ, पत्नियों और बहनों पर पडा। वे इन्तजार करते-करते थक गईं, और जब कि उनके प्यारे जेल के सीखवों में बन्द थे उन्हें अपनेको आजाद रखना बहुत खटकता था।

दिसम्बर १९२१ में हमारी पहली गिरफ्तारी के बाद ही इलाहाबाद के हमारे मकान, आनन्द-भवन, में पुलिसवालों ने अक्सर आना-जाना शुरू किया। वे उन जुर्मानों को वसूल करने आते थे, जो पिताजी पर और मुझपर किये गये थे। कांग्रेस की नीति यह थी कि जुर्माना न दिया जाय। इसलिए पुलिस रोज-रोज आती और कुछ-न-कुछ फर्नीचर कुर्क करके उठा ले जाती। मेरी चार साल की छोटी लडकी इन्दिरा इस बार-बार की लगातार लूट से बहुत नाराज होती थी। उसने पुलिस का

विरोध किया और अपनी सख्त नाराजगी जाहिर की। मुझे आशका है कि पुलिस-दल के बारे में उसके ये वचन के भाव उसके भावी विचारों पर असर डाले बिना न रहेंगे।

जेल में पूरी कोशिश की जाती थी कि हमें मामूली गैर-राजनैतिक कैदियों से अलग रखा जाय। मामूली तौर पर राजनैतिक कैदियों के लिए अलग जेले मखसूस कर दी जाती थी। मगर पूरी तरह अलहदा किया जाना तो नामुमकिन था, और हम उन कैदियों से अक्सर मिल लेते थे, और उनसे तथा खुद तजुबों से हमने जान लिया कि उन दिनों वास्तव में जेल की चिन्दगी कैसी होती थी। उसे मार-पीट और चोर की रिश्तदारों और झप्टता की एक कहानी ही समझना चाहिए। खाना बजीव तौर पर खराब था, मैंने कई मर्त्तबा उसे खाने की कोशिश की मगर बिल्कुल न खाये जाने लायक पाया। कर्मचारी आमतौर पर बिल्कुल अयोग्य थे और उन्हें बहुत कम तनखाहे मिलती थी। मगर उनके लिए कैदियों या कैदियों के रिश्तदारों से हर मुमकिन मौके पर रुपया ऐंठकर अपनी आमदनी बढ़ाने का रास्ता पूरी तरह खुला था। जेलर और उसके असिस्टेण्टों और वार्डरों के फरायज और जिम्मेदारियाँ, जेल-मैनुअल में लिखे मुताबिक, इतनी ज्यादा और इतनी किस्म की थी कि रिमी भी आदमी के लिए उन्हें ईमानदारी या योग्यता के साथ पूरा करना नामुमकिन था। युक्तप्रान्त में (और सम्भवत दूसरे प्रान्तों में भी) जेल-जामन की सामान्य नीति का कैदी के सुधार या उसे अच्छी आदतों या उपयोगी धन्वे मिखाने से कोई ताल्लुक न था। जेल की मजबूत का मकसद सजायाफना आदमी को तग करना था।

१ युक्तप्रान्त के जेल-मैनुअल की धारा १८७ में, जो अब नये सम्करण से हटा दी गई है, लिखा था --

“जेल में मजबूत करना, मिर्क काम देने के लिए ही नहीं बल्कि

और यह कि उसको इतना भयभीत कर दिया जाय और दबाकर पूरी तरह ताबे में कर लिया जाय, जिससे जब वह जेल से छूटे तो दिल में उसका डर और खौफ लेकर जावे और आयन्दा जुर्म करने और फिर जेल लौटने से वाज्र आवे ।

पिछले कुछ बरसों में कुछ सुधार जरूर हुए हैं । खाना थोड़ा सुबरा है, और कपड़े वगैरा भी सुधरे हैं । यह भी ज्यादातर राजनैतिक कैदियों के छूटने के बाद उनके बाहर आन्दोलन करने के कारण हुआ है । असाहयोग के कारण वार्डों की तनख्वाहों में भी काफी तरक्की हुई है, ताकि वे 'सरकार' के वफादार बने रहे । लडको और छोटी उम्र के कैदियों को पढना-लिखना सिखाने के लिए भी अब थोड़ी-सी कोशिश की जाती है । मगर अच्छे होते हुए भी, इन सुधारों से अमली सवाल कुछ भी हल नहीं होता है और अब भी ज्यादातर वही पुरानी स्पिरिट चली आ रही है ।

खासकर सजा देने के लिए समझा जाना चाहिए । इसका भी ज्यादा खयाल न किया जाय कि उससे खूब पैसा पैदा किया जा सकता है । सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि जेल का काम तकलीफ-देह और मेहनत का होना चाहिए और उससे बदमाशों को खौफ पैदा होना चाहिए ।”

इसके मुकाबिले में रूस के एस० एफ० एस० आर० की ताक़ीरात फौजदारी की नीचे लिखी धारा देखने योग्य है :—

धारा ९—“सामाजिक सुरक्षा के उपायों का यह मकसद नहीं है कि शारीरिक यातनायें दी जायें, न यह है कि मनुष्य के गौरव को गिराया जाय, और न यह मकसद है कि बदला लिया जाय या दण्ड दिया जाय ।”

धारा २६—“सजायें देना चाँकि सुरक्षा का ही एक उपाय है, वह तकलीफें देने के उसूल से बिल्कुल बरी होना चाहिए, और उससे अपराधी को गैरजरूरी या फालतू तकलीफ न पहुँचनी चाहिए ।”

ज्यादातर राजनैतिक क्रियाओं को माफ़ने की शक्ति का यह विषय ज्ञान-वादी उन नियमित व्यवहार की ही मन्ना करता है। उन्हीं की ही नियमित अधिकांश या व्यवहार नहीं मिला, मात्र कर्मों में मात्रा केवल-पर्यन्त और नमजदारों की ही वास्तविकता उनमें आती है तो ही बंजर व्यवहार नहीं उठा सकता था, न उनमें रखा ऐसा ही था। उस समय में आपसी कर्म-चारी उन्हीं पन्थ नहीं करते थे, मात्र जब भीका आता तो उनमें से किसीको भी जेल के कार्यदे टूटने पर मन्ना सदा ही जाती थी। ऐसे ही कार्यदे सोहने के लिए एक छोटे लट्टे की, जिसकी लम्बा १५ या १६ माल की थी और जो अपनेको 'जाजाद' कहता था, बँत की सदा ही गई। वह नया किया गया और बँत की टिस्टी में बाँध दिया गया, और जैसे-जैसे बँत उभरते पड़ते थे और उनके चमड़ी फाड़कर घुस जाते थे, वह 'महात्मा गांधी की जय' चिल्लाता था। हर बँत के बाद वह लडका यही नारा लगाता रहा, जबतक कि वह बेहोश न हो गया। बाद में वहाँ लडका उत्तर-भारत के आतङ्कारी कार्यों के दल का एक नेता बना।

: १४ :

फिर बाहर

आदमी की जेल में कई बातों का अभाव मालूम होता है, मगर सबसे ज्यादा अभाव तो शायद स्त्रियों के मधुर वचनों का और बच्चों की हँसी का ही महसूस होता है। जो आवाजे वहाँ आन तीर से सुनाई देती हैं वे कोई बड़ी खुशगवार नहीं होती हैं। वे ज्यादातर कठोर और डरावनी होती हैं। भाषा जगली होती है और उसमें गाली-गलौज भरती रहती है। मुझे याद है कि मुझे एकवार एक नई चीज का अभाव मालूम

हुआ। मैं लखनऊ-जिला-जेल में पा और अचानक मुझे महसूस हुआ कि साल या आठ महीने से मैंने कृत्ते का भौंकना नहीं सुना है।

जनवरी १९२३ के आखिरी दिन लखनऊ-जेल के हम सब राजनैतिक कैदी छोट दिये गये। उस समय लखनऊ में एरुमी और दोसी के बीच 'स्पेन्सल क्लाम' के कैदी होंगे। दिसम्बर १९२१ या १९२२ के धरु में जिन लोगों को एक साल या कम की सजा मिली थी, वे सब तो अपनी पूरी सजा कम्पे चले गये थे, सिर्फ वे जिनकी लम्बी सजाये थी, या जो दुबारा आगये थे, रह गये थे। इस अचानक रिहाई से हम सबको बड़ा ताज़्जुब हुआ, क्योंकि आम रिहाई की पहले से कोई खबर न थी। प्रान्तीय काँग्रेस ने राजनैतिक कैदियों की आम रिहाई कर देने के प्रस्ताव में एक प्रस्ताव भी पास किया था, मगर सरकार की कार्यकारिणी ऐसी माँगों को मुनवाई बहुत कम करती है। लेकिन इस समय ऐसा हुआ कि सरकार की निगाह में यह वक्त मौजू था। कांग्रेस सरकार के विरुद्ध कुछ नहीं कर रही थी, और कांग्रेसवाले आपसी झगडों में ही फँसे हुए थे। जेल में भी नामी-गिरामी कांग्रेसवाले ज्यादा नहीं थे, इसलिए यह रिहाई कर दी गई।

जेल के फाटक में बाहर निकलने में हमेंना एक राहत का भाव और आनन्दोत्सास रहता है। ताज़ा हवा और खुले मैदान, सबको पर के चलने हुए दृश्य, और पुराने मित्रों से मिलना-जुलना, ये सब दिमाग में एक सुमारी लाते हैं और कुछ-कुछ दीवाना बना देते हैं। बाहर की दुनिया को देखने से पहलेपहल जो अमर होता है उसमें कुछ पागलो कासा एक आनन्द छाया रहता है। हमारा दिल उछलने लगा, मगर यह भाव रहा थोड़ी देर के लिए ही, क्योंकि कांग्रेस-राजनीति की दशा काफी निराशाजनक थी। ऊँचे आदर्शों की जगह पदयत्र होने लगे थे, और कई गुट उन सामान्य तरीकों से कांग्रेस-तन्त्र पर कब्जा करने की कोशिश

करने लगे थे, जिनसे कुछ मृदुल भावना रखनेवाले लोगों की निगाह में राजनीति एक धृष्टिज शब्द बन गया है।

मेरे मन का झूकाव तो कीर्तिल-प्रवेश के बिल्कुल खिलाफ था, क्योंकि इनका उल्हरी नतीजा यह भाव्य होना था कि समझीता करने की चाल करनी पड़ेगी और अपना लक्ष्य हमेशा नीचा करना पड़ेगा। मगर सच पछो तो देश के नामने कोई दूसरा राजनैतिक प्रोग्राम ही न था। अपरिवर्तनवादी 'रचनात्मक कार्यक्रम' पर जोर देते थे, जो कि दरअसल सामाजिक सुधार का कार्यक्रम था और जिसका मुख्य गुण यह था कि हमने हमारे कार्यकर्ताओं का जनता में सम्पर्क पैदा हो जाय। मगर हमने उन लोगों को तनल्ली नहीं हो मङ्गी थी जो राजनैतिक कार्य में विश्वास करते थे, और यह कुछ अनिवार्य ही था कि नीचे मर्ष्य की लहर के बाट, कि जो कानयाव न हुई हो, कौन्सिल-सम्बन्धी कार्यक्रम अपने भावे। यह कार्यक्रम भी देशवन्धु दाम और मेरे पिताजी ने, जोकि इस नये एन्डोल्स के नेता थे, सहयोग और रचना के लिए नहीं बल्कि वाधा डालने और मुकाबिला करने की दृष्टि से नोचा था।

देशवन्धु दास कौन्सिलों में भी राष्ट्रीय सत्राम को जारी रखने के उद्देश से वहाँ जाने के पक्ष में हमेशा रहे थे। मेरे पिताजी का भी लगन यही दृष्टिकोण था। १९२० में जो उन्होंने कौन्सिलों का बहिष्कार मजूर किया था, वह कुछ बंगों में अपने दृष्टिकोण को गांधीजी के दृष्टिकोण के अर्थात् कर देने के रूप में था। वह लडाई में पूरी तरह शामिल हो जाना चाहते थे, और उस समय ऐसा करने का एक ही रास्ता था कि गांधीजी के नुस्खे को सोलहों आना आसमाया जाय। कई नौजवानों के दिमाग में यह नग हुआ था कि जिस तरह निनफीन ने पार्लमेण्ट की सीटों पर कब्जा कर लिया और फिर वे कामन्स-मभा में दाखिल नहीं हुए, उसी तरह यहाँ भी किया जाय। मुझे याद है कि मैंने १९२० की

गर्मियों में गांधीजी पर बहिष्कार के इस तरीके को अख्तियार करने के लिए जोर दिया था, मगर ऐसे मामलों में वह झुकनेवाले नहीं थे। मुहम्मदअली उन दिनों खिलाफत सम्बन्धी एक डेपुटेशन के साथ योरप में थे। लौटने पर उन्होंने भी बहिष्कार के इस तरीके पर अफसोस जाहिर किया था। उन्हें सिनफीन-मार्ग ज्यादा पसंद था। मगर दूसरे व्यक्ति इस मामले में क्या विचार रखते हैं, इस बात की कोई वकन न थी, क्योंकि आखिरकार गांधीजी का दृष्टिकोण ही कायम रहने को था। वही आन्दोलन के जन्मदाता थे, इसलिए यह खयाल किया गया कि ब्यूह-रचना के बारे में उन्हींको पूर्ण स्वतन्त्रता रहनी चाहिए। सिनफीन तरीके के बारे में उनके धाम ऐतराज (हिंसा से उसका सम्बन्ध होने के अलावा) यह था कि जनता यह सीधी बात ज्यादा आसानी से समझ सकती है कि वोट देने के मुकामों का और वोट देने का बहिष्कार कर दिया जाय, मगर सिनफीन तरीके को मुश्किल से समझेगी। चुनाव करवा लेने और फिर कॉंसिलों में न जाने से जनता के दिमाग में उलझन पैदा हो जायगी। इसके सिवा, अगर एक बार हमारे लोग चुन दिये गये तो वे कॉंसिलों की तरफ ही खिंचेगे और उन्हें उसके बाहर रखना मुश्किल होगा। हमारे आन्दोलन में इतना अनुशासन और शक्ति नहीं है कि देर तक उन्हें बाहर रखा जा सके, और धीरे-धीरे अपनी स्थितियों से गिरकर लॉग कॉंसिलों के जरिये सरकारी आश्रय का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से फायदा उठाने लगेगे।

इन दलीलों में सचाई काफी थी, और सचमुच १९२४-२६ में जब स्वराजपार्टी कॉंसिलों में गई तब बहुत-कुछ ऐसा ही हुआ भी। फिर भी कभी-कभी विचार आ ही जाता है, कि अगर कांग्रेस १९२० में कॉंसिलों पर कब्जा करना चाहती तो क्या हुआ होता? इसमें शक नहीं है। सचता कि चूंकि उस समय खिलाफत-कमिटी भी माय थी, वह राष्ट्रीय

नया केन्द्रीय दोनो ही कांसिलो की करीब-करीब हर सीट को जीत सकती थी। मात्र (अगस्त, १९३४ में) यह फिर चर्चा है कि कांग्रेस अनेम्बर्ली के लिए उम्मीदवार खड़े करे, और एक पार्लियामेण्टरी-बोर्ड भी बन गया है। मगर १९३० के बाद से हमारे सामाजिक और राज-नीतिक जीवन में कई बड़ी-बड़ी दरारें पड़ चुकी हैं, अतः अगले चुनाव में कांग्रेस को कितनी ही कामयाबी क्यों न मिले वह इतनी नहीं हो सकती जितनी १९३० में हो सकती थी।

जेल से छूटने पर कुछ हमारे लोगों के साथ मैंने भी कोमिदा की कि परिवर्तनवादी और अपरिवर्तनवादी दलों में कुछ समझौता हो जाय। किन्तु हमें कुछ भी सफलता न मिली, और मैं इन अगडों से ऊब उठा। तब मैं तो नयुक्तप्रान्तीय कांग्रेस-कमिटी के मन्त्री की हैमियत से कांग्रेस को संगठित करने के काम में लग गया। पिछले साल के घकों ने बहुत छिन्न-भिन्नता आगई थी और उन्हें दूर करने के लिए काम बहुत था। मैंने बहुत मेहनत की, मगर उनका कोई नतीजा न निकला। असल में मेरे दिमाग के लिए कोई काम न था। मगर जल्दी ही मेरे सामने एक नई तरह का काम आ खड़ा हुआ। मेरी रिहाई के कुछ हफ्तों के अन्दर ही मैं इन्फ्राहावाद-म्युनिनिपैलिटी की नदाल पर बैठा दिया गया। यह चुनाव इतना अचानक हुआ कि घटना के पेटार्लिस मिनट पहले तक इन बातों किर्त्ताने भी मेरे नाम का जिक्र नहीं किया था, बल्कि मेरा खयाल तक नहीं किया था। मगर अन्तिम घडी में कांग्रेस-पक्ष ने यह अनुभव किया कि मैं ही उनके दल में एक ऐसा आदमी हूँ जिसका कामयाब होना निश्चिन था।

उस साल ऐसा हुआ कि देशभर में बड़े-बड़े कांग्रेसवाले ही म्युनि-सिपैलिटियों के प्रेसिडेन्ट बन गये। देवाबन्धु दास, कलकत्ता के पहले मेयर बने, विट्टुलभाई पटेल बम्बई कापोरिसन के प्रेसिडेन्ट बने, सरदार

वल्लभभाई अहमदाबाद के बने। युक्तप्रान्त में ज्यादातर बड़ी म्युनिसिपैलिटियो में कांग्रेसी ही चैयरमैन थे।

अब तो मुझे म्युनिसिपैलिटी के सभी मुस्तलिफ कामों में दिलचस्पी पैदा होने लगी और मैं उसमें ज्यादा-ज्यादा वक्त देने लगा। उसके कई सवालो ने तो मुझे लुभा ही लिया। मैंने इस विषय का खूब अध्ययन किया और म्युनिसिपैलिटी का सुधार करने के मैंने बहुत बड़े-बड़े मनसूबे बाधे। बाद में मुझे मालूम हुआ कि आजकल हिन्दुस्तानी म्युनिसिपैलिटियो की रचना जिस तरह की गई है उसके रहते हुए उनमें बड़े सुधारो या उन्नति के लिए बहुत कम गुजाइश है। फिर भी काम करने के लिए और म्युनिसिपल तन्त्र को साफ-सूफ करने और सुगम बनाने की गुजाइश तो थी ही, और मैंने इसी बात के लिए काफी मेहनत की। उन्ही दिनों मेरे पास कांग्रेस का काम भी बढ़ रहा था, और प्रान्तीय सेक्रेटरी के अलावा मैं अखिल-भारतीय सेक्रेटरी भी बना दिया गया था। इन मुस्तलिफ कामों के सबब अक्सर मुझे रोजाना पन्द्रह-पन्द्रह घंटे तक काम करना पड़ता था, और दिन खत्म होने पर मैं अपनेको बिलकुल थका हुआ पाता था।

अलेस घर लौटने पर मेरी आँखों के सामने जो पहला खत आया वह इलाहाबाद-हाईकोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस सर ग्रिमवुड मियर्स का था। यह खत मेरे छूटने से पहले लिखा गया था, मगर जाहिरा यह जानते हुए लिखा गया था कि रिहाई होनेवाली है। उनको सौजन्यपूर्ण भाषा और उनसे अक्सर मिलते रहने के उनके निमन्त्रण से मुझे थोड़ा ताज्जुब हुआ। मैं उन्हें नहीं जानता था। वह इलाहाबाद में अगस्त १९१९ में ही आये थे, जबकि मैं वकालत के पेशे से दूर होता जाता था। मेरा खयाल है कि उनके सामने मैंने सिर्फ एक ही मुकदमे की बहस की थी, और हाइकोर्ट में मेरा वह आखिरी ही मुकदमा था। किसी-न-किसी कारण से, मुझे ज्यादा जाने-बूझे बिना ही, मेरी तरफ उनका कुछ अधिक

शुक्रव होने लगा। उनकी यह आशा थी, उन्होंने मुझे वाद में बताया, कि मैं खूब आगे बढ़ूंगा, और इसलिए मुझे अंग्रेजों के दृष्टिकोण को समझाने में वह मुझपर अपनी नेक मलाह का भय डालना चाहते थे। वह बड़ी बारीकी से काम कर रहे थे। उनकी राय थी, और अब भी कई अंग्रेज ऐसा ही समझते हैं कि हिन्दुस्तान के साधारण 'गरम-राजनीतिज्ञ ब्रिटिश-विरोधी इसलिए हो गये हैं कि सामाजिक दायरे में अंग्रेजों ने उनके नाथ बुरा बर्ताव किया है। इसीसे रोव, तौर दुःख और 'गरम-पन' पैदा हो गया है। यह कहा जाता है, और इसे कई जिम्मेदार लोगों ने भी दोहराया है, कि मेरे पिताजी को एक अंग्रेजी क्लब में नहीं चुना गया इसीसे वह ब्रिटिश-विरोधी और 'गरम' विचार के हो गये। यह बात ज़रई बेवुनियाद है और एक बिलकुल दूसरी तरह की घटना का मिश्रित रूप है।' मगर कई अंग्रेजों को ऐसी गिनतें, चाहे वे सही हों या गलत, राष्ट्रीय आन्दोलन की उत्पत्ति का सीधा और काफ़ी कारण मालूम होती हैं। दरहकीकत, मेरे पिताजी को और मुझे इस मानले में कोई खास शिकायत थी ही नहीं। व्यक्तिगत रूप से अंग्रेज हमेशा हमने शिष्टता से पेश आते थे और उनसे हमारी अच्छी बनती है, हालाँकि सभी हिन्दुस्तानियों की तरह वे एक हमें अपनी जाति की गुलामी का अहसास रहा और वह हमें बहुत ज्यादा खटकती रही। मैं मानता हूँ कि आज भी मेरी अंग्रेजों से बहुत अच्छी पटनी है, वसतः कि वह कोई अवि-कारी न हो और मुझपर महारखानी न बनाता हो। और इतने पर भी हमारे सम्बन्धों में खुशमिजाजी की कमी नहीं होती। शायद नरम दिलवालों तथा अन्य लोगों की दमिस्वन, जो हिन्दुस्तान में अंग्रेजों से राजनैतिक सहयोग करते हैं, मेरा अंग्रेजों से ज्यादा मेल खाता है।

१. इस घटना का ज्यादा हाल जानने के लिए अध्याय ३८ का फुटनोट देखिए।

सर ग्रिमवुड का इरादा था कि दोस्ताना मेल-जोल, सरल और शिष्टतापूर्ण बर्तव्य के द्वारा कटुता के इस मूल कारण को निकाल डाले। मेरी उनमें कई बार मुलाकात हुई। किमी-न-किसी म्यूनिसिपल टैंक्स पर ऐतराज करने के बहाने वह मुझसे मिलने के लिए आया करते थे और हमारी बातों पर वहस किया करते थे। एक मर्तवा उन्होंने हिन्दुस्तान के लिबरलों पर खूब हमला किया। वह उन्हें डरपोक, डीले, मीकापरस्त—जिनमें न चरित्र-बल है, न दम-स्वम—कहने लगे, और उनकी भाषा में फटोरता और घृणा आ गई। उन्होंने कहा—“क्या आप समझते हैं कि हमारे दिल में उनके लिए कोई इज्जत है?” मुझे ताज्जुब होता था कि वह मुझसे इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं, शायद उनका खयाल था कि ऐसी बातों से मैं खुश होऊँगा। इसके बाद बात-चीत फेरकर वह नई कौंसिलो, उनके मंत्रियों और मंत्रियों को देश-सेवा करने का कितना बड़ा मौका हासिल है इन बातों की चर्चा करने लगे। देश के सामने सबसे जरूरी सवाल तालीम का है। क्या किसी शिक्षा-मन्त्री को जिसे अपनी इच्छा के अनुसार काम करने की आजादी हो, लाखों आदमियों की किस्मत सुधारने का मौका नहीं है? क्या यह खिन्दगी का सबसे बड़ा मौका नहीं है? उन्होंने कहा, फर्ज कीजिए कि आप जैसा कोई आदमी, जिसमें समझदारी, चरित्र-बल, आदर्श और आदर्शों को अमल में लाने की शक्ति हो, प्रान्त की शिक्षा का जिम्मेदार हो, तो क्या आप अद्भुत काम करके नहीं दिखा सकते? और, उन्होंने कहा कि, मैं हाल में ही गवर्नर से मिला हूँ, और विश्वास रखिए कि आपको अपनी नीति चलाने की पूरी आजादी रहेगी। फिर, शायद यह अनुभव करके कि वह अरुणत से ज्यादा आगे बढ़ गये हैं, उन्होंने कहा कि सरकारी तौर पर किसीकी तरफ से कोई वादा तो नहीं कर सकते, मगर जो तजवीज उन्होंने रखी है वह उनकी जाती ही है।

मर ग्रिमबुड ने बड़ी सफाई और टेढ़े-मेढ़े तरीके से जो प्रस्ताव रक्खा उसकी तरफ मेरा ध्यान तो गया। मगर सरकार का मन्त्री बनकर उसका माय देने का विचार मैं कर भी नहीं सकता था। वास्तव में इस खयाल से ही मैं नफरत करता था। मगर, उस समय और उसके बाद भी, कुछ ठोस, निश्चित और रचनात्मक काम करने का मौका पाने की मैंने अक्षर तमन्ना की है। विध्वंस, आन्दोलन और असहयोग तो मानव-प्राणी की दैनिक प्रवृत्तियाँ नहीं हो सकती। फिर भी हमारी किस्मत में यही लिखा है कि हम सघर्ष और विनाश के रेगिस्तान में से गुज़रने के बाद ही उस देश में पहुँच सकते हैं जहाँ हम रचना कर सकते हैं, और सम्भव है कि हममें से ज्यादातर लोग अपनी शक्तियों और जीवन को उन बदलते हुए रेगिस्तानों में से गुज़रने की सख्त जहोजहद करते हुए ही बिता देंगे, और रचना का काम हमारे बच्चों या उनके बच्चों के हाथ से होगा।

उन दिनों, कम-से-कम युक्तप्रान्त में तो, मन्त्रि-पद बहुत सस्ते हो गये थे। दो नरम-दली मन्त्री, जो असहयोग के जमाने में काम कर रहे थे, हट गये थे। जब काँग्रेस के आन्दोलन ने मौजूदा तन्त्र को तोड़ना चाहा, तब सरकार ने काँग्रेस से लड़ने के लिए नरम-दली मन्त्रियों से फायदा उठाने की कोशिश की। मन्त्रि-मण्डल के लोग उन दिनों उनको मान देते थे और उनके प्रति आदर प्रदर्शित करते थे, क्योंकि उस मुश्किल वक्त में उन्हें मन्त्रार वा हिमायती बनाये रखने के लिए यह जरूरी था। शायद वे समझते थे कि यह मान और इज्जत उन्हें बतौर हक के दिये गये हैं, मगर वे नहीं जानते थे कि यह तो काँग्रेस के सामूहिक आग्रहों के परिणाम-स्वरूप मन्त्रार की एक शान्ति-योजना थी। जब वह आभयपट्ट हटा दिया गया, तो मन्त्रार की निगाह में नरम-दली मन्त्रियों की भीमा बढ़ा दि गये, और साथ ही वह मान और इज्जत भी जानी

रही। मन्त्रियों को यह अलखरा, मगर उनका कुछ बस न चला, और जल्दी ही उन्हें इस्तीफा दे देना पड़ा। तब नये मन्त्रियों के लिए तलाश होने लगी, और इममें जल्दी कामयाबी नहीं हुई। कीसिल में जो मुट्ठीभर नरम दली लोग थे, वे अपने माथियों की, जो वर्ग किसी लिहाज के निकाल वारह किये गये थे, हमदर्दी के सबब दूर ही रहे। दूसरे लोगो में ये जो ज्यादातर जमींदार थे, शायद ही कुछ ऐसे हो जो मामूली तौर पर भी तालीम-यापता कहे जा सके। काँग्रेस द्वारा कीमिलो का बहिष्कार होने से उनमें एक अजीब पबरगी गिरोह दाखिल हो गया था।

एक बात यह प्रसिद्ध है कि इसी समय, या कुछ वक्त बाद, एक शस्त्र को मन्त्री बनने के लिए कहा गया। उसने जवाब दिया कि मैं बहुत होशियार आदमी होने का फख्र तो नहीं करता, मगर मैं अपनेको मामूली समझदार और शायद औसत दर्जे के लोगो से कुछ ज्यादा ही समझदार समझता हूँ, और मैं समझता हूँ कि मेरी ऐसी गोहरत भी है, क्या सरकार चाहती है कि मैं मन्त्री-पद मजूर कर लूँ और दुनिया में अपने-आपको सख्त बेवकूफ जाहिर करूँ ?

यह विरोध कुछ उचित भी था। नरम-दली मन्त्री कुछ सकुचित विचार के थे, राजनीति या सामाजिक मामलो में उनकी निगाह दूर तक नहीं जाती थी। मगर यह तो उनके बेकार उसूलो का कुसूर था। परन्तु एक पेजेवर की हैसियत से उनकी लियाकत अच्छी थी, और अपने दफ्तर का रोबमर्त का काम वे ईमानदारी से करते थे। उनके बाद जो मन्त्री बने उनमें से कुछ जमींदार-वर्ग में से आये, और उनकी शिक्षा, प्रचलित मानी में भी, बहुत ही सीमित थी। मैं समझता हूँ कि उन्हें ठीक तौर पर सिर्फ साक्षर कह सकते थे, इससे ज्यादा नहीं। कभी-कभी ऐसा मालूम होता था कि गवर्नर ने इन भले आदमियों को हिन्दुस्तानियों को विलकुल नाकाविल साबित करने के लिए ही चुना और ऊँची जगह पर

मुकरंर कर दिया था। उनके बारे में यह कहना बिलकुल मुनासिब होगा कि —

‘दिया भाग्य ने इसी हेतु तुझको यह ऊँचा उद्भव है,

जिससे दुनिया कहे भाग्य को कुछ भी नहीं असभव है।’

तालीम-याफता हो या नहीं, मगर इन मन्त्रियों की तरफ उमीदारी के बोट तो ये ही, और वे बड़े अफसरो को बढिया गार्डन-पार्टियाँ भी दे सकते थे। मूल ने तडपते हुए किमानो से जो रुपया उनके पास आता था, उसका इनसे अच्छा इस्तेमाल और क्या हो सकता था।

: १५ :

सन्देह और संघर्ष

मैं बहुत-से कामों में लग गया, और इस तरह मैंने उन मामलों से बचने की कोशिश की जो मुझे परेशानी में डाले हुए थे। लेकिन उनमें बचना मुमकिन न था। जो सवालगत बार-बार मेरे मन में उठते थे, और जिनका कोई मतोपजनक जवाब मुझे नहीं मिलता था, उनसे मैं कहीं भाग सकता था ? वान यह है कि वह १९२०-२१ की तरह मेरी बाल्या का मोलहो आने प्रतिशुम्भ नहीं था। इन दिनों जो काम मैं करता था वह बिक्रम इमल्लिण नि में आने अल्लद्वन्द्व में बचना चाहता था। उस वकन जो धावरण मुझपर पडा हुआ था अब उद्यम में निकल आया था, और अरने चारों तरफ हिन्दुस्तान में और हिन्दुस्तान में बाहर जो कुछ हो रहा था उमा निगाह डाल रहा था। मैंने बहुत-से ऐसे परिश्रम देने शिबकी नय्य श्रमोतक भेग चलाऊ ही नहीं गया था। मैंने नये-नये निगाह देने, और नये-नये स्पष्ट, और मुझे प्रकाश की जगह

१. रिचर्ड गार्नेट के एक पद्य का भायानुवाद।

उलटे बढ़ती हुई अस्पष्टता दिखाई दी। गांधीजी के नेतृत्व में मेरा विश्वास बना रहा, लेकिन उनके प्रोग्राम के कुछ हिस्सों की मैं बारीकी से छान-बीन करने लगा। पर वह तो थे जेल में। हम लोग जब चाहते तब उनसे मिल नहीं सकते थे, और न उनकी सलाह ही ले सकते थे। उन दिनों जो दो पार्टियाँ—कौंसिल-पार्टी और अपरिवर्तनवादी—काम कर रही थी उनमें से कोई भी मुझे अपनी तरफ नहीं खींच रही थी। कौंसिल-पार्टी ज़ाहिरा तीर पर सुधारवाद और विधानवाद की तरफ झुक रही थी, और मुझे लगा कि यह मार्ग तो हमें एक अन्धी गली में लेजाकर पटक देगा। अपरिवर्तनवादी महात्माजी के कट्टर अनुयायी माने जाते थे, लेकिन महान् पुरुषों के दूसरे सब अनुयायियों की तरह वे भी उनके उपदेशों के सार को न मानकर उनके अक्षरों के अनुसार चलते थे। उनमें सजीवता और संचालक-शक्ति नहीं थी, और अमल में उनमें से ज्यादातर लोग लडाकू नहीं थे और सीधे-सादे समाज-सुधारक थे। लेकिन उनमें एक गुण था। आम किसानों से उन्होंने अपना सम्बन्ध बनाये रक्खा था, जबकि कौंसिलों में जानेवाले स्वराजी सोलहो आने पार्लमेण्टो की पंतरेवाजियों में ही लगे रहे।

मेरे जेल से छूटते ही देशबन्धु दास ने मुझे स्वराजियों के मत का बनाने की कोशिश की। यद्यपि मुझे दिखाई नहीं देता था कि मुझे क्या करना चाहिए, और उन्होंने अपनी सारी बकालत खर्च कर दी, तो भी मेरा दिल उनके अनुकूल न हुआ। यह बात विचित्र किन्तु ध्यान देने योग्य थी, जिससे कि मेरे पिताजी के स्वभाव का पता भी लगता था, कि उन्होंने मुझपर कभी इस बात के लिए खोर या असर डालने की कोशिश नहीं की कि मैं स्वराजी हो जाऊँ, यद्यपि वह खुद स्वराज-पार्टी के लिए उन दिनों बहुत उत्सुक थे। साफ ज़ाहिर है कि अगर मैं उनके आन्दोलन में उनके साथ हो जाता तो उन्हें बड़ी खुशी होती, लेकिन मेरे

भावों के लिए उनके दिल में इतना ज्यादा खयाल था कि जहाँतक इस मामले में गाल्लुक था उन्होंने सब कुछ मेरी मर्जी पर ही छोड़ दिया, मुझसे कभी कुछ नहीं कहा।

इन्हीं दिनों में मेरे पिताजी और देशबन्धु दास में बहुत गहरी दोस्ती पैदा हो गई। यह दोस्ती राजनीतिक मित्रता में कहीं ज्यादा गहरी थी। इन दोनों में मैंने जो मुहब्बत की गहराई और अपनापन देखा उसपर कम अचरज न हुआ, क्योंकि बड़ी उम्र में तो गहरी दोस्तियाँ शायद ही कभी पैदा होती हैं। पिताजी के मेल-मुलाकातियों की तादाद बहुत बड़ी थी। उनके साथ हँस-खेलकर घुल-मिल जाने का उनमें विशेष गुण था। लेकिन वह दोस्ती बहुत सोच-विचारकर ही करते थे, और खिन्दगी के पिछले मालों में तो वह ऐसी बातों में वास्त्याहीन हो गये थे। लेकिन उनके और देशबन्धु के बीच में तो कोई बाधा न उठर सकी, और दोनों एक-दूसरे को तहे-दिल से चाहने लगे। मेरे पिताजी देशबन्धु से नौ बरस बड़े थे, फिर भी गार्गरिक दृष्टि से वही ज्यादा ताकतवर और तन्दुरुस्त थे। हालांकि दोना की कानूनी शिक्षा और कालन की कामयाबी का पिछला इतिहास एक-सा ही था, फिर भी दोनों में कई बातों में बड़ा फ़र्क था। देशबन्धु दाम बजील होने पर भी कवि थे। उनका दृष्टिकोण नानुना-मय—बच्चियों का—था। मेरा खयाल है कि उन्होंने बगाली में बहुत अच्छी कविताएँ भी लिखी हैं। वह बड़े अच्छे बस्ता थे, तथा उनकी प्रकृति पार्थिव थी। मेरे पिताजी उनमें अधिक अमंगी जो मनने थे, उनमें मगउन लगने की बहुत बड़ी क्षमता थी, और धर्म-विश्वास का उनमें नानो-निगान न था। वह हमेशा लडाके रहे थे, इन बस्तु बंगाली भाषा में जो बरने से बगार। इन लोगों को वह बंगाली मन्नाते थे। उनमें बहुत बड़ा मन नती बर मनको थे। अरनी मन्नाते से भी नहीं हैं। चरने ५। और यह जाने विराय का भी दग्दाहन

नहीं कर सकते थे। कोई उनका विरोध करता, तो उन्हें वह ऐसी चुनीती मौलूम पटती जिसका बुरी तरह मुकाबिला करना ही चाहिए। मौलूम होता था कि मेरे पिताजी और देशबन्धु यद्यपि कई बातों में एक-दूसरे से भिन्न थे, फिर भी एक-दूसरे के साथ अच्छा मेल खा गये। पार्टी के नेतृत्व के लिए इन दोनों का मेल बहुत ही उम्दा और कारगर साबित हुआ। इनमें हरेक, कुछ हद तक, दूसरे की कमी को पूरा करता था। दोनों को आपस में एक-दूसरे पर पूरा भरोसा था। यहाँतक कि दोनों ने एक-दूसरे को यह अख्तियार दे दिया था कि किसी भी किस्म का बयान या ऐलान निकालते वक्त दूसरे के नाम का इस्तमाल कर सकते हैं। इसके लिए पहले से पूछने या सलाह लेने की कोई जरूरत न थी।

स्वराज-पार्टी को मजबूती के साथ कायम करने में और देश में उसकी ताकत और धाक जमाने में इस जाती दोस्ती का बहुत कुछ हाथ था। शुरू से ही इस पार्टी में फूट फैलानेवाली प्रवृत्तियाँ थी, क्योंकि काँग्रेस के जरिये अपनी जाती तरक्की की गुंजाइश होने की वजह से बहुत-से मौका-परस्त और ओहदों के भूखे लोग उसमें आ घुसे थे। उसमें कुछ असली माडरेट भी थे, जिनका झुकाव सरकार के साथ ज्यादा सहयोग करने की तरफ था। चुनाव के बाद ज्योंही ये प्रवृत्तियाँ सामने आने लगी, त्योंही पार्टी के नेताओं ने उनकी निन्दा की। मेरे पिताजी ने ऐलान किया कि मैं पार्टी के गरीब से सड़े हुए अंग को काटने में न हिचकूंगा, और उन्होंने अपने इसी ऐलान के अनुसार काम भी किया।

१९२३ से आगे अपने पारिवारिक जीवन में मुझे बहुत सुख व सतोप मिलने लगा, हालाँकि मैं पारिवारिक जीवन के लिए विलकुल वक्त न दे सकता था। अपने पारिवारिक सबबों में मैं बड़ा भाग्यशाली रहा हूँ। जबरदस्त कशमकश और मुसीबतों के वक्त में मुझे अपने परिवार में शान्ति और सान्त्वना मिली है। मैंने महसूस किया कि इस

दिसा मे मैं खुद कितना अपात्र निकला । यह सोचकर मुझे कुछ गर्म भी नालूम हुई । मैंने महसूस किया कि १९२० से लेकर मेरी पत्नी ने जो उत्तम व्यवहार किया उसका मैं कितना ऋणी हूँ । स्वाभिमानी और मृदुल स्वभाव की होते हुए भी उसने न सिर्फ मेरी सनको ही को वरदास्त किया, बल्कि जब-जब मुझे शान्ति और तसल्ली की सबसे ज्यादा जरूरत थी तब-तब वह उसने मुझे दी ।

१९२० से हमारे रहन-सहन के ढंग में कुछ फर्क पड़ गया था । वह बहुत सादा हो गया था, और नौकरो की तादाद भी बहुत कम कर दी थी । फिर भी उससे किसी आवश्यक आराम में कोई कमी नहीं हुई थी । किसी हद तक तो जरूरी चीजों को अलग करने के लिए, और कुछ हद तक चालू खर्च के लिए रुपया इकट्ठा करने के वास्ते, बहुत-सी चीजें, घोड़े-गाड़िया और घर-गृहस्थी की वे सब चीजें जो हमारे रहन-सहन के नये ढंग के लिए मौजूद नहीं थी, बेच दी गई थी । हमारे फर्नीचर का कुछ हिस्सा तो पुलिस ने ही लेकर बेच दिया था । इस फर्नीचर की और मालियों की कमी से घर की सफाई और खूबसूरती जाती रही, और बाग जगल-या हो गया । कोई तीन साल तक घर व बाग की तरफ नहीं के बराबर ध्यान दिया गया था । बहुत हाथ खोलकर खर्च करने के आदी होने की वजह से पिताजी कई बातों की किफायतगारी को पसन्द नहीं करते थे । इसलिए उन्होंने तय किया कि वह, घर बैठे-बैठे, लोगो को कानूनी सलाह देकर कुछ पैसे पंदा किया करे ।

जो वक्त सार्वजनिक धामों से बचा रहता उसमें वह यह काम करते थे । उनके पास बचन बहुत कम बचता था, फिर भी वह इस हालत में भी काफी कमा लेते थे ।

खर्च के लिए पिताजी पर अवलम्बित रहने की वजह से मैं बहुत ही दुःख और श्लानि महसूस करता था । जबमे मैंने वकालत छोड़ी थी,

तबसे असल मे मेरी कोई निजी आमदनी नहीं रही—सिर्फ उस न-कुछ आमदनी को छोड़कर, जो शेअरों के मुनाफे—डिवीडेण्ड—के रूप में मिलती थी। मेरा और मेरी पत्नी का खर्च ज्यादा न था। सच बात तो यह है कि मुझे यह देखकर काफी अचरज हुआ कि हम लोग इतने कम खर्च में अपना काम चला लेते हैं। इसका पता मुझे १९२१ में लगा, और उससे मुझे बड़ी तसल्ली हुई। खादी के कपडों और रेल के तीसरे दर्जे के सफर में ज्यादा खर्च नहीं पड़ता। उन दिनों पिताजी के साथ रहने की वजह से मैं पूरी तरह यह महसूस नहीं कर सका कि इनके अलावा भी घर-गृहस्थी के ऐसे बहुत बेशुमार खर्च हैं जिनका जोड़ बहुत ज्यादा बैठता है। कुछ भी हो, रुपया न रहने के डर ने मुझे कभी नहीं सताया। मेरा खयाल है कि जरूरत पड़ने पर मैं काफी कमा सकता हूँ, और हम लोग अपना काम बहुत कम खर्च में चला सकते हैं।

पिताजी के ऊपर हमारा कोई बहुत बड़ा बोझ नहीं था। इतना ही नहीं, अगर उनको इस बात का इशारा भी मिल जाता कि हम अपनेको उनपर एक बोझ समझते हैं तो उन्हें बड़ा दुःख होता। फिर भी मैं जिस हालत में था उसको पसन्द नहीं करता था, और तीन साल तक मैं इस मामले पर सोचता रहा, लेकिन मुझे उसका कोई हल नहीं मिला। मुझे ऐसा काम ढूँढ लेने में कोई मुश्किल न थी जिससे मैं कमाई कर लेता, लेकिन ऐसा काम कर लेने के मानी थे कि पब्लिक का जो काम मैं कर रहा था उसे या तो बन्द कर दूँ या कम कर दूँ। इस वक्त तक मैं जितना समय दे सकता था वह सब मैंने कांग्रेस और म्युनिसिपैलिटी के काम में लगाया। मुझे यह बात पसन्द नहीं आई कि मैं रुपया कमाने के लिए उस काम को छोड़ दूँ। इसलिए बड़े-बड़े औद्योगिक फर्मों ने मुझे रुपये की दृष्टि से बड़े-बड़े लाभदायक काम सुझाये, मगर उनको मैंने नामजूर कर दिया। शायद वे इतना ज्यादा रुपया महसूस मेरी लियारकन

के खयाल ने उतना नहीं देना चाहते थे, जिनका कि मेरे नाम का प्रायवा उजाने की दृष्टि से। मुझे बड़े-बड़े उद्योग-वन्धे वालों के साथ इस तरह का सम्बन्ध करने की वान अच्छी नहीं लगी। मेरे लिए यह बात बिल्कुल ग़ैर-मुमकिन थी कि मैं फिर ने बकालत का पेशा अल्लयार करता, क्योंकि बकालत के लिए मेरी अरुधि बट गई थी, और वह बढ़ती ही चली गई।

१९२४ की काँग्रेस में एक बात उठी थी कि प्रधान-मन्त्रियों को तनस्वाह दी जानी चाहिए। मैं उस वक्त भी काँग्रेस का एक प्रधान-मन्त्री था, और मैंने इस विचार का न्यागत किया था। मुझे यह बात बिल्कुल ग़लत मालूम होती थी, कि किनीसे एक तरफ तो यह उम्मीद की जाय कि वह अपना पूरा वक्त देकर काम करे और दूसरी तरफ उसे कम-से-कम पेट भरने भर को भी कुछ न दिया जाय। नहीं तो हमें ऐसे ही आदमियों के भरोसे सार्वजनिक काम छोड़ना पड़ेगा, जिनके पास खर्च का निजी इत्तफ़ाम हो। लेकिन इस तरह की फुरसतवाले लोग राज-नैतिक दृष्टि से हमेशा वाञ्छनीय नहीं होते, और न आप उनको उनके काम के लिए जिम्मेदार ही ठहरा सकते हैं। मगर काँग्रेस ज्यादा नहीं दे सकती थी, क्योंकि हमारी वेतन की दर बहुत कम थी। लेकिन हिन्दुस्तान में सार्वजनिक फ़ण्डों से तनस्वाह लेने के खिलाफ एक अर्जाब और विष्कृत अनुचित धारणा फैली हुई है, हालांकि सरकारी नौकरी को वावण यह वान नहीं है, और इसलिए गिनाजी ने इस बात पर बहुत एतराह किया कि मैं काँग्रेस में तनस्वाह लूँ। मेरे सहकारी भत्री महाशय को हमें भी मज़ा उदरन थी, लेकिन वह भी काँग्रेस से तनस्वाह लेना धान के खिलाफ़ समनने थे। इसलिए मुझे भी उसके बिना ही रहना पडा, हालांकि मैं उनमें कोई बेइच्छनी की वान नहीं समझता था और तनस्वाह लेने को तैयार था।

सिर्फ एक मर्तवा मैंने इस मामले में पिताजी से वाते छेड़ी, और उनसे कहा कि रुपये के लिए पराबलम्बी रहना मुझे कितना नापसन्द है। मैंने यह बात जहाँतक हो सकता था बड़े सकोच से और धुमा-फिराकर कही, जिससे उन्हें दुरा न लगे। उन्होंने मुझे बताया कि "तुम्हारे लिए अपना सारा या ज्यादातर वक्त पब्लिक के काम के बजाय थोड़ा-सा रुपया कमाने में लगाना बड़ी बेवकूफी होगी, जबकि मैं (पिताजी) थोड़े दिनों की मेहनत से आमानी से उतना रुपया कमा सकता हूँ जितना तुम्हारे और तुम्हारी पत्नी के लिए सालभर काफी होगा।" दलील जोरदार थी, लेकिन उससे मुझे सन्तोष नहीं हुआ। फिर भी मैं उसके मुताबिक ही काम करता रहा।

इन कौटुम्बिक मामलों में और रुपये-पैसे की परेशानियों में १९२३ से लेकर १९२५ तक के साल बीत गये। इस बीच में राजनैतिक हालत बदल रही थी, और करीब-करीब अपनी मर्जी के खिलाफ मुझे भिन्न-भिन्न समूहों में अपनेको शामिल करना पड़ा, और कांग्रेस में भी मुझे जिम्मेदारी का पद लेना पड़ा। १९२३में एक अजीब हालत थी। देशबन्धु दास पिछले साल गया-कांग्रेस के सभापति थे। उस हैसियत से वह १९२३ के लिए अ० भा० कांग्रेस कमिटी के पदेन अध्यक्ष थे। लेकिन इस कमिटी में कसरत राय उनके व स्वराजी नीति के खिलाफ थी, यद्यपि वह बहुमन बहुत थोड़ा-सा था और दोनों दल करीब-करीब बराबर थे। १९२३ की गर्मियों में लम्बई में अ० भा० कांग्रेस कमिटी की बैठक में मामला यहाँतक बढ़ गया कि देशबन्धु दास ने कमिटी की अध्यक्षता से इस्तीफा दे दिया और एक छोटा-सा मध्यवर्ती दल आगे आया और उसीने नई कार्य-समिति बनाई। अ० भा० कांग्रेस कमिटी में इस मध्यवर्ती दल के कोई समर्थक न थे, और यह दो मुख्य पार्टियों में से किसी-न-किसी की कृपा पर ही जीवित रह सकता था। किसी भी एक

दल में मिलकर वह हमारे को थोड़े-से बहुमत में हरा सकता था। डॉक्टर अन्नारी नये अखिल बने और मैं एक मन्त्री।

फौरन ही हमें रौनो तरफ से मुनीवनों का सामना करना पड़ा। गुजरात ने, जो उन दिनों अखिलवादीयों का एक मजबूत क्रिया था, केन्द्रीय कार्यालय की कुछ हिदायतों को मानने में इन्कार कर दिया। गर्मियों के अजीर में उनी नाल नागपुर में २० भा० कोरेम कमिटी की बैठक की गई। नागपुर में इन दिनों अगला-मत्याग्रह चल रहा था। यही हमारे कार्य-नमिति का, जो अभाग मध्यवर्ती दल की प्रतिनिधि थी, थोड़े बन्त तक बदनाम जिन्दगी बिताने के दाद खानना हो गया। इस समिति को इसलिए हटाना पड़ा कि अमरा में खान तोर पर वह किनीका भी प्रतिनिधि नहीं थी, और वह उन्हीं लोगों पर हुकूमत चलाना चाहती थी, जिनके हाथ में काँरेम नगठन की असली ताकत थी। कार्य-नमिति के इन्तीफा देने का कारण यह हुआ कि उनमें केन्द्रीय कार्यालय का हुकम न मानने के लिए गुजरात-नमिटी पर खानत का जो प्रस्ताव रखा था वह गिर गया। मुझे याद है कि अपना इन्तीफा देते हुए मुझे किनीका-भ्रुंगी हुई और मैंने किने सतोप की मान ली। पार्टी की पतरे-वादियों के इस थोड़े-से ही अनुभव से मैं बिलकुल उकता गया, और मुझे यह देखकर बड़ा धक्का लगा कि कुछ मध्यहूर काँरेमी भी इस तरह साक्षिण कर सकते हैं।

इस भीटिंग में देगवन्धु दास ने मुझपर यह इलजाम लगाया कि तुम भावना-हीन हो। मैं समझता हूँ कि उनका खयाल नहीं था। तुलना के लिए जिन पैमाने ने काम लिया जाय उसीपर नब कुछ निर्भर रहता है। अपने बहुत-से दोस्तों और साथियों के मुकाबिले में मे भावना-हीन हूँ। फिर भी मुझे अपनी वावत हर बख्त यह डर रहता है कि कहीं मैं भावुकता या आवेश की लहर में डूब या बह न जाऊँ। बरनों मेंने इस

वात की कोशिश की है कि मैं भावनाहीन हो जाऊँ । लेकिन मुझे डर है कि इस मामले में मुझे जो कामयाबी मिली वह सिर्फ ऊपरी ही है ।

: १६ :

नाभा का नाटक

स्वराजिस्टो और अपरिवर्तनवादियों की कशमकश चलती रही और स्वराजिस्टो की ताकत धीरे-धीरे बढ़ती गई । १९२३ के सितम्बर में दिल्ली में कांग्रेस का जो खास अधिवेशन हुआ, उसमें स्वराजिस्टो का जोर और बढ़ गया । इस कांग्रेस के बाद ही मेरे साथ एक ऐसी घटना हुई जो बड़ी अजीब थी और जिसकी मुझे कोई उम्मीद नहीं थी ।

सिख, और उनमें से खासकर अकाली, पंजाब में वारन्ट्दार सरकार के सघर्ष में आ रहे थे । उनमें एक सुधार-आन्दोलन उठ खड़ा हुआ था, और उसने यह काम हाथ में लिया कि बदचलन महन्तो को निकालकर उपासना के स्थानों पर और उनकी सम्पत्ति पर कब्जा करके गुप्तद्वारों को इस खराबी से छुड़ाया जाय । सरकार ने इसमें दखल दिया और सघर्ष हो गया । गुप्तद्वारा-आन्दोलन कुछ-कुछ असहयोग से उत्पन्न हुई जागृति के सबब से पैदा हुआ था, और अकालियों के तरीके अहिंसात्मक सत्याग्रह के ढंग पर बनाये गये थे । यो सघर्ष कई जगहों पर हुए, मगर सबसे बड़ी लड़ाई गुप्त-का-बाग की थी, जहाँ वीसियों सिखों ने, जिनमें कई पहले फौज में काम किये हुए सिपाही भी शामिल थे, हाथ तक उठाये बिना या अपने कर्तव्य से पीठ फेरे बिना पुलिस की पाशविक मार का सामना किया । इस साबित-कदमी और हिम्मत के अद्भुत दृश्य से सारा हिन्दुस्तान चर्चित हो उठा । सरकार ने गुप्तद्वारा-फमिटी को गैरकानूनी करार दे दिया । यह लड़ाई कुछ बरसों तक

जारी रही, और अन्त में सिख कामयाब हुए। स्वभावतः कांग्रेस की इसमें हमदर्दी थी, और उसने कुछ वक्त तक अमृतसर में अकाली-आन्दोलन में निकट-सम्बन्ध बनाये रखने के लिए वतौर माध्यम के खाम मन्धि-कर्मचारी मुकर्रर किया था।

जिस घटना का मैं जिक्र करनेवाला हूँ उसका इस आम सिख-आन्दोलन से कोई ताल्लुक नहीं था। मगर इसमें शक नहीं कि वह घटना इन सिख-हलचल के सबब से ही हुई। पंजाब की दो सिख रियासतों, पटियाला और नामा, के नरेशों में बड़ा गहरा ज्वाती झगडा था, जिसका नतीजा यह हुआ कि भारत-सरकार ने महाराजा नामा को गद्दी से उतार दिया। नामा रियासत की हुकूमत करने को एक अगेज एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर कर दिया गया। सिखों ने महाराजा नामा के गद्दी से उतारे जाने का विरोध किया, और उसके विरुद्ध नामा में और बाहर दोनों जगह आन्दोलन उठाया। इन आन्दोलन के बीच में, जैतो नामक स्थान पर, अलख पाठ को नये एडमिनिस्ट्रेटर ने रोक दिया। इनका विरोध करने के लिए, और रोके हुए पाठ को जारी रखने के स्पष्ट उद्देश्य में, सिखों ने जैतो को जल्ये भेजने शुरू किये। पुलिस इन जल्यो को रोकनी, मारती, गिरफ्तार करती और आम तौर पर जगल की एक घीहऽ जगह में ले जाकर छोड देती थी। मैं ममय-समय पर इस मार का हाल पढा करता था। जब मुझे दिल्ली में विगेप कांग्रेस के बाद ही मालूम हुआ कि हमारा जल्यो जा रहा है, और मुझे वहाँ चलने और वहाँ क्या होना है यह देखने का आमत्रण मिला, तो मैंने खुशी से उसको मगूर बर लिया। इसमें मेरा सिर्फ एक ही दिन खर्च होता था, क्योंकि जैतो दिल्ली के पास ही है। कांग्रेस के मेरे दो साथी भी—आचार्य गिडवानो और मग्रास क वे० सन्मानम्—मेरे साथ गये। ज्यादातर फामला जल्ये में जायदे में ऊनार में बडक नत्र किया। यह

सोचा गया था कि मैं नज़दीक के रेलवे स्टेशन तक रेल से जाऊँ और फिर जैतो के पास नाभा की सरहद में, जिस वक्त वहाँ जत्या पहुँचने वाला हो, सड़क के रास्ते से पहुँच जाऊँ। हम एक बैलगाड़ी से आये और ठीक वक्त पर पहुँचे, और जत्ये के पीछे-पीछे उमसे अलग रहते हुए चले। जैतो पहुँचने पर जत्ये को पुलिस ने रोक दिया, और उसी वक्त मुझे भी एक हुकम मिला, जिसपर अग्रेज एडमिनिस्ट्रेटर के दस्तखत थे कि मैं नाभा के इलाके में दाखिल न होऊँ, और अगर मैं दाखिल हो गया होऊँ तो फौरन वापस चला जाऊँ। गिडवानी और सन्तानम् को भी ऐसे ही हुकम दिये गये, मगर उनमें उनके नाम नहीं लिखे हुए थे, क्योंकि नाभा के अधिकारियों को उनके नाम ही नहीं मालूम थे। मेरे साथियों ने और मैंने पुलिस-अफसर से कहा कि हम जत्ये में शामिल नहीं हैं, सिर्फ तमाशबीन की तरह हैं, और नाभा के किसी भी बानून को तोड़ने का हमारा इरादा नहीं है। इसके सिवा जब हम नाभा के इलाके में ही थे तो उसमें दाखिल न होने का सवाल ही नहीं हो सकता था, और स्पष्टतः हम एकदम अदृश्य होकर तो कहीं नहीं चले जा सकते। जैतो से दूसरी गाड़ी शायद कई घण्टे बाद जाती थी। इसलिए, हमने उससे कहा कि अभी तो हम यहीं रहना चाहते हैं। वस, हम फौरन गिरफ्तार कर लिये गये और हवालालत में ले जाकर बन्द कर दिये गये। हमको इस तरह हटाने के बाद, उस जत्ये का वहीं हाल हुआ जो और जत्यो का होता था।

सारे दिन हम हवालालत में बन्द रक्खे गये और गाम को हमें विधिवत् स्टेशन ले जाया गया। सन्तानम् को और मुझको एक ही हथकड़ी डाली गई—उनकी बाईं कलाई मेरी दाहिनी कलाई से फाँद दी गई थी, और हथकड़ी की छड़ीर हमें ले चलनेवाले पुलिसवाले ने पकड़ ली। गिडवानी के भी हथकड़ी डाली गई और वह हमारे पीछे-पीछे

जंग। दोनों के बाजारों में हंगरी इस कूच को देखकर मुझे बार-बार कुत्तों के दहीर पकटकर ले जाने की याद आती थी। चलते चलते वक्त ही पहले तो हम जल्मा ठोके मगर फिर हमें इन घटना की नजदीकियाँ का सुपाल लाया और इतना भी हम नडा चले लगे। उसके बाद की रात हमने अच्छी नहीं गुजारी। रात को हमारा कुछ वक्त तो धीनी चाल वाली रेल के तीमरे दूजे के डिब्बे में बीता जो ठनाठन भरा हुआ था। रात में शायद लाधी रात को गाड़ी भी बन्दगी पडी थी। और रात का कुछ हिस्सा नाना के एक हवालात में गुजरा। इन सारे समय और आले दिन तीमरे पहर तक जबकि हम जन्म में नाना-जेल में रख दिने जने वह अनुभव हयकडी और नागी दहीर हमारे साथ ही रही। हम दोनों में से एक भी दूसरे के सहयोग के बिना हिल-डुल नहीं सकता था। एक-दूसरे आदमी के साथ सारी रात और दूसरे दिन काजी देर तक हयकडी से जुड़ा रहना एक ऐसा अनुभव है जिसका अब फिर मचा केला मैं समझ न करूँगा।

नाना-जेल में हम तीनों एक बरत ही रही और गन्दी कोठरी में रखे गये। वह छोटी-सी और मीठवाली कोठरी थी, जिसकी छत उननी नीची थी कि उस तक हमारा हाथ करीब-करीब पहुँच जाता था। हम जमीन पर ही सोते और मैं बीच-बीच में एकाएक जाग उठता था, और सब नागून होता कि मेरे मुँह पर मे कोई चूहा या चूहिया गुदरी थी।

दोस्तों! इन बातें पंजी के लिए हमें अवालग ले गये, और बहुत ही अट-टोल वाले से वहाँ रोड-रोड कारेंडें चलने लगी। नबिन्देह या जक विकसुल अन्त नागून रहना था। नबिन्देह अँडेही तो वह जानना ही न था, मगर मुझे शक है कि वह जमीनी अवालग की उवान उई लिखना भी शायद ही जानन ही। हम उसे एक हप्ते ने ज्यादा

देखते रहे, और इस अमें में उमने एक भी लाइन नहीं लिखी। अगर उसे कुछ लिखना होता था तो वह भरिश्तेदार ने लिखावाता था। हमने कई छोटी-मोटी अर्जियाँ पेश की। वह उन वक्त उनपर कोई हुक्म नहीं लिखता था। वह उन्हें रख लेता था और दूसरे दिन उन्हें निकालता था। उनपर किमी और के ही लिखे हुए नोट रहते थे। हमने बाकायदा अपनी सफाई नहीं दी। अमहयोग-आन्दोलन में हमें अपनी पैरवी न करने की इतनी आदत हो गई थी, कि जहाँ पैरवी करने की छुट्टी थी वहाँ भी हमें सफाई देने का खयाल तक प्रायः बुरा लगता था। मैंने एक लम्बा बयान पेश किया, जिनमें मैंने सारे बाकयात लिखे, और सासकर एक अग्रज की अमलदारी होते हुए भी नाभा रियासत के तरीके कैसे हैं हमपर अपनी राय भी जाहिर की।

हमारा मुकदमा दिन-ब-दिन बढ़ता ही गया, हालांकि वह एक काफी मीठा मामला था। अब अचानक एक नई बात और हुई। एक दिन शाम को, उन रोज की अदालत उठ जाने के बाद भी, हमें उसी मकान में बिठा रक्खा। और बहुत देर में, करीब ७ बजे, हमें एक दूसरे कमरे में ले गये जहाँ एक शल्स मेज के सामने बैठा था। और वहाँ और भी कई लोग थे। एक आदमी—जो वही पुलिस-अफसर था जिसने हमें जैती में गिरफ्तार किया था—खड़ा हुआ और एक बयान देने लगा। मैंने पूछा कि यह कौन-सी जगह है और यहाँ क्या हो रहा है? मुझे इत्तिला दी गई कि यह अदालत है और हमपर पड्यन्त्र करने का मुकदमा चलाया जा रहा है। यह कार्रवाई उससे बिल्कुल भिन्न थी जिसको अभी तक हम देखते थे, और जो नाभा में न दाखिल होने के हुक्म की उदूली के सिलसिले में चल रही थी। जाहिरा यह सोचा गया कि इस हुक्म-उदूली की ज्यादा-से-ज्यादा सजा तो सिर्फ ६ माह ही है इस लिए यह हमारे लिए काफी न होगी, लिहाजा और कुछ ज्यादा सगोन

इन्तदान जाना लक्ष्मी है। भाऊ है कि मित्र तीन आदमी पड़पन्न के लिए जात्रा नहीं दे, इसलिए उन चौथे आदमी को जिनका हमसे कोई कोई सम्बन्ध न था विचार किया गया और उनपर भी हमारे साथ ही मुकुन्दना चलाया गया। इस समारोह आदमी को, जो एक निम्न था, हम नहीं जानते थे, हाँ हमने उसे देखा मित्र जाने क्या लेन में देखा भर था।

मेरे वैशिश्वरूपन को यह देखकर बड़ा चक्का लगा। जिस बचानक टा से एक पड़पन्न का मुकुन्दना चलाया जा रहा है! मामला तो बिलकुल झूठा था ही, नगर सिप्लन के खानिर भी तो कुछ दाखों की पकडवी होती चाहिए। मैंने जब ने कहा कि हमें इसकी पहचान से कुछ भी इत्तना नहीं दी गई और हम अपनी सजाई का इन्तदान भी करना चाहेंगे। अगर उसकी हमने कुछ भी बिना न की। यह नामा का निराला तरीका था। अगर हमें सजाई के लिए कोई वकील करना हो तो वह नामा का ही होना चाहिए। जब मैंने कहा कि मैं बाहर का कोई वकील करना चाहेंगा, तो मुझे जवाब मिला कि नामा के क्रायदो में इसकी इदास्त नहीं है। इसने नामा के खाने की विचित्रताओं का हर्ष और भी जान लिया। हमें एक तरह की नफरत होगई, और हमने जब ने कह दिया कि जो उसके जी में आवे करे, हम लोग इस कारवाई में कोई हिस्सा न लेंगे। किन्तु मैं इन निमित्त पर पूरी तरह ज़ायम न रह सका। अपने बारे में अत्यन्त आश्चर्यजनक झूठी बातें सुनकर चुप रहना मुश्किल था, और इसलिए कभी-कभी हम गवाहों के बारे में मुकुन्दना तौर पर नौकरी-नीक्रे से अपनी राय जाहिर करते जाते थे। हमने अदालत को अच्छी वाक्यान्त के बारे में एक तहरीरो बयान दिया। यह दूसरा एक, जो पड़पन्न का मुकुन्दना चला रहा था, पहले से ज्यादा क्षिणित और सम्झदार था।

ये दोनों मुकुन्दने चलने रहे, और हम दोनों अदालतों में जाने का

रोजाना इन्तज़ार किया करते थे, क्योंकि इससे जेल की गद्दी कोठरी से तबतक के लिए छूटकारा तो हो ही जाता था। इसी दरमियान एडमिनिस्ट्रेटर की तरफ से जेल का सुपरिण्टेण्डेण्ट हमारे पास आया और उसने हमसे कहा कि अगर हम अफसोस जाहिर कर दें और नाभा से चले जाने का इकरार कर दें, तो हमपर से मुकदमा उठा लिया जा सकता है। हमने कहा कि हम किस वान का अफसोस जाहिर करे ? हमने कोई ऐसी बात नहीं की है। बल्कि रियासत को हमसे माफी माँगनी चाहिए। हम किसी किस्म का वादा करने को भी तैयार नहीं हैं।

गिरफ्तारी के करीब दो हफ्ते बाद आखिर हमारे मुकदमे खत्म हुए। यह सारा वक्त इस्तगासे में ही लगा, क्योंकि हम तो अपनी पैरवी कर ही नहीं रहे थे। ज्यादा वक्त तो देर-देर तक इन्तज़ार करने में गया, क्योंकि जहाँ कहीं ज़रा-सी भी कठिनाई पैदा होती थी वही कार्रवाई मुल्तवी करदी जाती थी या उसकी वावत किसी अन्दरूनी अफसर से, जो शायद अग्रेज एडमिनिस्ट्रेटर ही था, पूछने की ज़रूरत होती थी। आखिरी दिन, जबकि इस्तगासे की तरफ से मामला खत्म किया गया, हमने भी अपने तहरीरी वयानात दे दिये। पहले जज ने कार्रवाई खत्म करदी, और यह जानकर हमे बड़ा ताज्जुब हुआ कि वह थोड़ी ही देर में फिर वापिस आ गया और उसके साथ उर्दू में लिखा हुआ एक बड़ा भारी फैसला था। यह जाहिर है कि यह भारी फैसला इतने थोड़े से अरसे में ही नहीं लिखा जा सकता था। यह फैसला हमारे वयानात देने के पहले ही तैयार हो गया था। फैसला पढ़कर सुनाया नहीं गया। हमें सिर्फ इतना कह दिया गया कि हमें नाभा इलाक़ में से चले जाने के हुक्म की उदूली करने के जुर्म में छ माह की सज़ा, जो इस जुर्म की ज्यादा-से-ज्यादा सज़ा थी, दी गई है।

उसी रोज़ पइयन्त्र के मुकदमे मे भी हमें, ठीक-ठीक में भूल गया

हूँ, या तो अठारह माह की या दो साल की सजा मिली। यह सजा छ माह की सजा के अलावा हुई। इस तरह हमें कुल दो या ढाई साल की सजा दे दी गई।

हमारे मुकदमे के दौरान मैं बहुत बातें ध्यान देने लायक हुईं, जिनसे हमें देवी-रियासतो की तर्ज-हुकूमत या देवी रियासतो में अंग्रेजों की तर्ज-हुकूमत का कुछ हाल मालूम हुआ। सारी कार्रवाई एक स्वाँग-जैसी थी। इन्हींसे शायद किमी अखबारवाले या बाहरवाले को अदालत में आने नहीं दिया गया। पुलिस जो चाहती थी करती थी और अक्सर जज या मजिस्ट्रेट की भी पर्वाह नहीं करती थी, और उसकी हिदायतों की मचमुच खिलाफ-बर्बा भी करती थी। बेचारा मजिस्ट्रेट तो यह सब बरदाश्त कर लेता था, मगर हम इसे बरदाश्त क्यों करते ? कई मौकों पर मुझे खडा होना पडा और खोर देना पडा कि पुलिस को मजिस्ट्रेट के कहने के मुताबिक अमल करना चाहिए और उसका हुकम मानना चाहिए। कमी-कमी पुलिस भद्दी तरह से कागजों को छीन लेती थी, और चीक मजिस्ट्रेट अपनी ही अदालत में उसपर कोई कार्रवाई करने या व्यवस्था कायम रखने में असमर्थ था, इसलिए हमें थोडा-थोडा उसका काम करना पडता था। बेचारा मजिस्ट्रेट बडे पगोपेश में था। वह पुलिस से भी डरता था, और हमसे भी कुछ-कुछ डरा हुआ दिखाई देता था, क्योंकि अखबारों में हमारी गिरफ्तारी की खूब चर्चा हो रही थी। जब हमारे जैम योडे-बहुत नामी राजनैतिक लोगों के साथ यह अयेर हो मरना था, तो जो लोग कम प्रसिद्ध हैं उनका क्या हाल होता होगा ?

मेरे पिताजी को देवी रियासतो का हाल कुछ-कुछ मालूम था, उनमिठ बह नामा में मेरी यथायक गिरफ्तारी से बहुत परेजान हुए। उन्हें सिर्फ गिरफ्तारी का बाकया मालूम हुआ, मगर इसके अलावा और

कोई खबर बाहर न जा पाई। अपनी परेशानी में उन्होंने मेरे समाचार जानने के लिए वाइसराय को भी तार दे डाला। नाभा में भ्रष्टसे मिलने के बारे में उनके रास्ते में बहुत मुश्किलें खड़ी कर दी गईं। मगर आखिर उन्हें जेल में भ्रष्टसे मुलाकात करने की इजाजत मिल गई। परन्तु वह मेरी कोई मदद नहीं कर सकते थे, क्योंकि मैं अपनी सफाई भी पेश नहीं कर रहा था और मैंने उनसे प्रार्थना की कि वह इलाहाबाद वापिस चले जायें और कोई चिन्ता न करे। वह लौट गये, लेकिन कपिलदेव मालवीय को, जो हमारे एक युवक साथी वकील हैं, नाभा में मुकदमे की कार्रवाई पर ध्यान रखने को छोड़ गये। नाभा की अदालतों को थोड़े दिन देखकर कपिलदेव की कानून और जाल्ते-सम्बन्धी जानकारी में काफी इजाफा हुआ होगा। पुलिस ने खुली अदालत में उनके कुछ कागजात जबरदस्ती छीन लेने की भी कौशिश की थी।

ज्यादातर देशी-रियासते पिछड़ी हुई हैं और उनकी हालत जागीर-दारी पद्धति की याद दिलाती हैं, यह सब जानते हैं। वहाँ अकेला राजा सब कुछ कर सकता है। उनमें न तो काबलियत होती है और न लोक-हित का भाव। वहाँ बड़ी-बड़ी अजीब बातें हुआ करती हैं, जो कभी प्रकाश में भी नहीं आती। मगर उनकी नाकाबलियत से ही किसी-न-किसी तरह यह बुराई कम हो जाती है, और उनकी बदकिस्मत प्रजा का बोझ कुछ हल्का हो जाता है। क्योंकि इस कारण से वहाँ की कार्य-कारी सत्ता में भी कमजोरी रहती है, जिससे जुल्म और बेइन्साफी करने में भी नाकाबलियत से काम लिया जाता है। इससे जुल्म ज्यादा बरदास्त करने लायक नहीं हो जाता, बल्कि हाँ इससे वह कम गहरा और व्यापक हो जाता है। मगर देशी-रियासत में जब अंग्रेजी सरकार खुद हुकूमत अपने हाथ में ले लेती है, तब उसका एक विचित्र नतीजा यह होता है कि यह हालत नहीं रहती। जागीरदारी पद्धति कायम रखी

जाती है, एकतन्त्री-पन भी ज्यों-का-त्यों रहता है, पुगने सत्र नानून और जाबा ही जायज माना जाता है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, मगठन और मत-प्रकाशन (और इनमें सब कुछ शामिल है) इनपर नारे बग्वन कायम रहते हैं, मगर एक तबदीली ऐसी हो जाती है जिससे सारी हालत बदल जाती है। कार्यकारिणी सत्ता ज्यादा मजबूत हो जाती है, और कायदे और उनकी पाबन्दी बट जाती है। इसमें जागीरदारी-श्रथा में और एकतन्त्री धामन में रहनेवाले सब बग्वन मजबूत हो जाते हैं। धीरे-धीरे अंग्रेजी हुकूमत पुराने रिवाजों और तरीकों में बेशक कुछ परिवर्तन करती है, क्योंकि इनमें अच्छी तरह हुकूमत और व्यापारिक प्रवेश करने में रुकावटें आती हैं। मगर शुरु-शुरु में तो वह लोगों पर अपना प्रभुत्व मजबूत करने के लिए उन पुराने रिवाजों और तरीकों से पूरा फायदा उठाती है। इधर लोगों को अब जागीर-नगता और एक-तन्त्रता ही नहीं, बल्कि एक मजबूत कार्यकारिणी द्वारा उनकी सख्त पाबन्दी भी बरदाश्त करनी पडती है।

मैंने नामा में कुछ ऐसा ही हाल देखा। रियासत का इन्तजाम एक अंग्रेज एडमिनिस्ट्रेटर के हाथ में था, जो इंडियन सिविल सर्विस का मेम्बर था, और उसे एकतन्त्री शासक के पूरे अहत्थारात थे। वह सिर्फ भारत-सरकार के मातहत था, और फिर भी हर मर्तबा हमें, अपने अत्यन्त सामान्य हकों के छीनने की पुष्टि में, नामा के कायदे-कानूनों का हवाला दिया जाता था। हमें जागीरतत्र और आधुनिक नीकरशाही-तंत्र के मिश्रण का मुकाबला करना पडा, जिसमें दुराइयाँ दोनों की शामिल थीं, लेकिन अच्छाइयाँ एक की भी न थी।

इस तरह हमारा मुकदमा खत्म हुआ और हमें सजा हो गई। फंसलो में क्या लिखा था यह हमें मालूम नहीं, मगर इस असल बात से कि हमें लंबी सजा मिली है हमारी झल्लाहट कुछ कम हुई। हमने फंसलो की

नकले मांगी, मगर हमें जवाब मिला कि इसके लिए वाकायदा अर्जी दो।

उसी ग्राम को जेल में सुपरिण्टेण्डेंट ने हमें बुलाया, और उसने हमें ज्ञान्ता-फौजदारी की रु से एडमिनिस्ट्रेटर का एक आर्डर दिखाया जिसमें हमारी सजायें मुलतवी कर दी गई थी। उसमें कोई शर्त नहीं रखी गई थी, और इमका कानूनी नतीजा यह था कि जहातक हमारा ताल्लुक था हमारी सजायें खत्म हो गईं। फिर सुपरिण्टेण्डेंट ने एक दूसरा हुकम, जिसका नाम एक्जीक्यूटिव आर्डर था, दिखाया। यह भी एडमिनिस्ट्रेटर का जारी किया हुआ था। उसमें यह हिदायत थी कि हम नाभा छोड़कर चले जायें, और खास इजाजत लिये जिन रियासत में न लौटें। मैंने दोनो हुकमों की नकले मांगी, मगर वे हमें नहीं दी गईं। तब हमें रेलवे-स्टेशन भेज दिया गया, और हम वहाँ छोड़ दिये गये। नाभा में हम किसीको भी नहीं जानते थे, और रात को शहर के दरवाजे भी बन्द हो गये थे। हमें पता लगा कि अमी अम्बाला को एक गाड़ी जाने वाली है और हम उसीमें बैठ गये। अम्बाला से मैं दिल्ली और वहाँ से डलाहावाद चला गया।

इशहावाद से मैंने एडमिनिस्ट्रेटर को पत्र लिखा कि मुझे दोनो हुकमों की नकले भेज दीजिए, जिससे मुझे मालूम हो सके कि सचमुच वह किस तरह के हुकम हैं, और साथ ही दोनो फैसलों की नकले भी। उसने किसी चीज की भी नकल देने में इन्कार कर दिया। मैंने बताया कि शायद मुझे अपील करनी पड़े, मगर वह इन्कार ही करता रहा। कई बार कोशिश करने पर भी मुझे इन फैसलों को, जिनके द्वारा मुझे और मेरे दो साथियों को दो या ढाई साल की सजा मिली, पढ़ने का मौका नहीं मिला। क्योंकि मुझे जानना चाहिए कि ये सजायें अब भी मेरे नाम पर लिखी हुई होंगी, और जब कभी नाभा के अधिकारी या ब्रिटिश सरकार चाहे उसी वक्त मुझपर लागू की जा सकेंगी।

हम तीन तो इस तरह 'भौकूफी' की हालत में छोड़ दिये गये, मगर मैं इस बात का पता नहीं लगा सका कि पद्मिनी के चौथे आदमी, उस सिख का क्या हुआ, जो दूसरे मुकदमे के लिए हमारे साथ जोड़ दिया गया था। बहुत मुमकिन है कि वह छोड़ा न गया हो। उसकी मदद में किसी जोरदार दोस्त या पब्लिक की आवाज न थी, और कई दूसरे आदमियों की तरह रियासती जेल में जाकर वह अंधकार में पड़ गया होगा। मगर हम उसे नहीं भूले। हमसे जो कुछ बना वह हम करते रहे, किन्तु उससे कुछ हुआ नहीं। मेरा खयाल है कि गुरुद्वारा-कमिटी ने भी इस मामले में दिलचस्पी ली थी। हमें पता लगा कि वह पुराने 'कोमागाटा मार्त्' दल का एक आदमी था, और वह लम्बे अरसे तक जेल में रहकर हाल में ही छूटकर आया था। पुलिस वाले ऐसे आदमियों को बाहर रहने देने का उसूल नहीं मानते, और इसलिए उन्होंने बनाबटी इलाज में हमारे साथ उसे भी फाँस लिया।

हम तीनों—गिडबानी, सन्तानम् और मैं—नाभा-जेल की कोठरी से एक दुःखदायी साथी सग में ले आये। वह था विषमज्वर का क्रीटाणु, क्योंकि हम तीनों पर ही विषमज्वर का हमला हुआ। मेरी बीमारी और की थी और शायद खतरनाक भी थी, मगर उसकी मियाद दोनों से कम थी, और मैं सिर्फ तीन या चार हफ्ते ही बिस्तर पर रहा। मगर बाकी दोनों तो लम्बे अरसे तक बहुत गंभीर हालत में बीमार पड़े रहे।

इस गाना की घटना के बाद एक और भी बात हुई। शायद छ या ज्यादा महीने बाद गिडबानी अमृतसर में सिख-गुरुद्वारा-कमिटी से सम्पर्क रखने के लिए प्राथम-प्रतिनिधि का काम करते थे। कमिटी ने जैतो की पांच भी आदमियों का एक छाम जत्या भेजा, और गिडबानी ने दर्शक की तरह मैं गाना की सरहद तक चमके साथ-साथ जाने का

निश्चय किया। नाभा की हृद में दाखिल होने का उनका कोई इरादा न था। सरहद के पास जल्ये पर पुलिस ने गोली चलाई, और मेरे खयाल से बहुत आदमी घायल हुए और मरे। गिडवानी घायलो की मदद करने गये तो पुलिस वाले उनपर टूट पड़े और उनको पकड़ कर ले गए। उनके खिलाफ अदालत में कोई कार्रवाई न की गई। उन्हें करीब-करीब एक साल तक जेल में योही पटक रक्खा, और बाद में बहुत खराब तन्दुरुस्ती की हालत में वह छोड़ दिये गये।

गिडवानी की गिरफ्तारी और उनका जेल में रक्खा जाना मुझे कार्य-कारिणी सत्ता का एक भयकर दुरुपयोग मालूम हुआ। मैंने एडमिनिस्ट्रेटर को (जोकि वही अग्रेज आई० सी० एस० था) खत लिखा और उससे पूछा कि गिडवानी के साथ ऐसा क्यों किया गया? उसने जवाब में लिखा कि उन्हें इसलिए गिरफ्तार किया गया था कि उन्होंने नाभा के इलाके में बिना इजाजत न आने के आर्डर की खिलाफवर्ती की थी। मैंने चुनौती दी कि कानून के मुताबिक भी यह ठीक न था, और साथ ही लिखा कि घायलो को मदद देते हुए आदमी गिरफ्तार करना मुनासिब न था। और, मैंने उस आर्डर की नकल मुझे देने या आमतौर पर शायी करने के लिए भी एडमिनिस्ट्रेटर को लिखा। मगर उसने ऐसा करने से इन्कार किया। मेरा इरादा हुआ कि मैं खुद भी नाभा जाऊँ और एडमिनिस्ट्रेटर को मेरे साथ भी वही बर्ताव करने दूँ जैसा गिडवानी के साथ हुआ। अपने साथी के साथ वफादारी का तो यही तकाजा था। मगर मेरे कई दोस्तों ने ऐसी राय न दी और मेरा इरादा बदलवा दिया। सच तो यह है कि मैंने अपने दोस्तों की सलाह का बहाना ले लिया, और उसमें अपनी कमजोरी को छिपा लिया। क्योंकि, आखिरकार यह मेरी अपनी कमजोरी और नाभा-जेल में दुवारा जाने की अनिच्छा ही थी जिसने मुझे वहा जाने से रोका, और मुझे अपने साथी को इस तरह

छोड़ देने की कुछ-कुछ शर्म हमेशा रहती है। इस तरह, जैसा कि हम सब अकसर करते हैं, अकलमदी को बहादुरी पर तरजीह मिली।

: १७ :

कोकनाडा और मुहम्मदअली

दिसम्बर १९२३ में कांग्रेस का सालाना अधिवेशन कोकनाडा (दक्षिण) में हुआ। मीनाना मुहम्मदअली उसके सदस्य थे, और जैसी कि उनकी वादना थी, सभापति की हैनियत से उन्होंने अपनी लम्बी-चौड़ी स्वीच पढ़ी। लेकिन वह थी दिलचस्प। उनमें उन्होंने यह दिखाया कि मुसलमानों में किम तरह राजनीतिक व साम्प्रदायिक भावना की वृद्धि होती गई। उन्होंने बताया कि १९०८ में आगाखा के नेतृत्व में जो ट्रेडेशन वाडनराय में मिला था और जिमकी कोशिश में ही सरकार ने पहली बार अल्हदा निर्वाचन के हक में घोषणा की थी वह एक कैसी जबरदस्त बात थी जिसे मूल में आम सरकार का ही हाथ था।

मुहम्मदअली ने मुझे, मेरी इच्छा के बहन खिलाफ, अपनी सदारत के माग में अतिरिक्त-भातीय कांग्रेस-कमिटी का मेम्बेदरी बनने के लिए यादो दिया। कांग्रेस की भावी नीति के सम्बन्ध में मुझे साफ-साफ पता न था, तैसी हालत में मैं नहीं चाहता था कि कोई व्यवस्था-सम्बन्धी विस्मयानी गतो कर लें।

अनिम में मुहम्मदअली को इन्कार नहीं पर सरना था, क्योंकि हम दोनों ने अलग-अलग विचारों में इतना मेम्बेदरी थायद नये सदस्य के रूप में। अली को मेरे नाम में कर मने जितना कि मैं। रवि और अली। अली में १९२३ में मेरे और जीभाय में मेरे उन दोनों में मेरे था तो अली '१९१३' में था तो मेरे। हम दोनों प्रेम और परस्पर

की गुणग्राहकता के घामे से बँधे हुए थे । वह प्रबल धार्मिक—और मेरी समझ से बुद्धि-विरुद्ध—धार्मिक थे और मैं वैसा नहीं था । मगर मैं उनकी सरगमी, अतिगय कार्य-शक्ति और प्रखर बुद्धि में आकर्षित था । वह बड़े चपल वाक्पटु थे । लेकिन कभी-कभी उनका भयकर व्यग्र दिल को चोट पहुँचा देता था और उसमें उनके बहुतेरे दोस्त कम हो गये थे । कोई बढिया टिप्पणी मन में आई तो उनके लिए उने मन में रख लेना असम्भव था—फिर उसका नतीजा चाहे कुछ हो ।

उनके सभापति-काल में हम दोनों की गाड़ी ठीक-ठीक चली—हालाँकि कई छोटी-छोटी वानों में हमारा झूलाफ रहता था । हमारे अखिल-भारतीय कांग्रेस-कमिटी के दफतर में मैंने एक नया रिवाज डाला था । किमी के भी नाम के आगे-पीछे कोई प्रत्यय या पदवी वर्ग न लिखी जाय । महात्मा, मौलाना, शेख, सैयद, मुन्शी, मौलवी और आज कल के श्रीयुत और श्री और मिस्टर तथा एस्क्वायर वर्ग जो बहुत-से ऐसे मानवाचक शब्द हैं और इनका प्रयोग इतना बहुतायत से और अक्सर गैरखरूरी होता है कि मैं इस बारे में एक अच्छी मिसाल पेश करना चाहता था । लेकिन मैं ऐसा कर नहीं पाया । मुहम्मदअली ने बहुत बिगडकर मुझे एक तार भेजा, जिममें सवर की हैसियत से मुझे हिदायत दी थी कि मैं पुराने तरीके से ही काम लूँ, और खासतौर पर गाधीजी को हमेशा महात्मा लिखा कलूँ ।

एक और विषय था जिसमें अक्सर हमारी वहस हुआ करती, और वह था ईस्वर । मुहम्मदअली एक अजीब तरीके से अल्लाह का जिक्र कांग्रेस के प्रस्तावों में भी ले आया करते थे, या तो शुकिया अदा करने की शकल में, या किसी किरम की दुआ की शकल में । मैं इसका विरोध किया करता । वह जोर से बिगडते और कहते, तुम बड़े नास्तिक हो । मगर फिर भी आश्चर्य है कि वह थोड़ी देर बाद मुझसे कहते कि एक

मदहवीं ज्ञानियों के इकट्ठे हुए मुझे हैं हालाँकि दुःखीय आहिय बसोई
 और ठाक इसके विचार है। और मैंने कई बार मनमें सोचा है कि
 उनका कहना किन्ना कुछ था। थापर यह इस बात पर हजर रहता है
 कि कोई मदहवीं या मदहवीं के क्या मानी करता है।

मैं उनके साथ होनेका मदहवीं के मानके में रहस्य करना टाछता था।
 क्योंकि मैं जानता था इनका तरीका यही होता कि हम दोनों एक-दूसरे
 पर फिर उठने और मुनकिन था कि उनका जी कुछ जाता। किन्ती भी मज
 के कदुर माननेवाले से इन किन्ना की कर्ना करता हमेशा मुश्किल होता
 है। बहुतसे मुन्नावालों के लिए भी यह थापर और भी मुश्किल हो;
 क्योंकि उनके यहाँ किन्नारी की आवादी मदहवीं तीर पर नहीं थी गई
 है। विचारों की गहर से देखा जाय तो उनका सीका मगर संग रास्ता
 है और उलका अनुयायी क्या भी आहिये-वाले नहीं का उलका। हिन्दुओं
 की हालत इससे कुछ उलका है, सो भी उलका नहीं। व्यवहार में चाहे
 वे कदुर हों, उनके यहाँ बहुत पुराने बुरे और पीछे कर्नानेवाले रत्न-
 रिवाज माने जाते हैं, जिन्नी वे धर्म के विषय में दिहायन कर्नावाले
 और मौलिक विचारों की कर्ना करने के लिए भी होनेका तैयार रहते हैं।
 मेरा खयाल है कि आधुनिक आधुनिकियों की दृष्टि काय तीर पर
 इनकी किन्ना नहीं होती। मुन्नावालों की तरह वे अपने सीवे और तैय
 रास्ते पर ही चरने हैं। विद्या-बुद्धि में बड़े-बड़े हिन्दुओं के यहाँ ऐसी
 कुछ दार्शनिक रचना कर्ना जा रही है जो मौलिक जसमें में निकल-निक
 विचार-दृष्टियों को ध्यान देनी है, हालाँकि व्यवहार पर उनका कोई
 उमर नहीं पड़ता। मैं मनपता है कि इनका आर्थिक कारण यह है कि
 हिन्दु-जाति में मज-मज के और उलका परम्पर-विरोधी प्रभाव और
 रिवाज पाये जाते हैं। उन मज-मज में धार्मिक कहा जाता है कि हिन्दु-
 धर्म को आधुनिक रूप में मदहवीं नहीं कह सकते। और जिन्नी किन्नी

गजब की दृढता उसमें है ! अपने-आपको जिन्दा रखने की कितनी जबरदस्त ताकत ! भले ही कोई अपने को नास्तिक कहता हो, जैसा कि चार्वाक था, फिर भी कोई यह नहीं कह सकता कि वह हिन्दू नहीं रहा । हिन्दू-धर्म अपने सतानो को उनके न चाहते हुए भी पकड़ रखता है । मैं एक ब्राह्मण पैदा हुआ था और मालूम होता है कि ब्राह्मण ही रहूँगा, फिर मैं धर्म और सामाजिक रस्म-रिवाज के बारे में कुछ भी कहता और करता रहूँ । हिन्दुस्तानी दुनिया के लिए मैं पण्डित ही हूँ, चाहे मैं इस उपाधि को ना पसन्द ही करूँ । मुझे याद है कि एक बार मैं तुर्की विद्वान से स्वीजरलैण्ड में मिला था । उन्हें मैंने पहले से ही एक परिचय-पत्र भेज दिया था, जिसमें मेरे लिए लिखा था—'पण्डित जवाहरलाल नेहरू ।' लेकिन मिलने पर वह हैरान हुए और कुछ मायूस भी । क्योंकि उन्होंने मुझ से कहा, कि 'पण्डित' शब्द से मैं समझा था कि आप कोई बड़े विद्वान् धार्मिक वयोवृद्ध शास्त्री होंगे ।

हाँ, तो, मुहम्मदअली और मैं मजहब पर बहस नहीं करते थे । लेकिन उनमें खामोश रहने का गुण न था । और कुछ साल बाद (मैं समझता हूँ, १९२५ में या १९२६ के शुरू में) वह अपनेको ज्यादा न रोक सके । एक रोज़ जब मैं उनके घर, दिल्ली में, उनसे मिला तो वह भभक उठे और बोले कि मैं तुमसे मजहब पर ज़रूर बहस करना चाहता हूँ । मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की । कहा—आपके मेरे नुक्ते-निगाह एक-दूसरे से बहुत जुदा हैं और हम एक-दूसरे पर कोई ज्यादा असर न डाल सकेगे । लेकिन वह कब सुनते ? उन्होंने कहा—“नहीं, हम दो-दो बातें कर ही ले । मैं समझता हूँ, तुम मुझे कठमुल्ला मानते हो । मगर मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं ऐसा नहीं हूँ ।” उन्होंने कहा कि मैंने मजहब पर बहुत-सी किताबें पढ़ी हैं और गहराई से सोचा है । उन्होंने आल्मारियाँ बतवाईं, जो अलग-अलग मजहबों पर लिखी किताबों में और

ज्ञानकर इन्सान और ईसाई धर्म-सम्बन्धी कित्तवां न भरी हुई थीं और जिन्हें कुछ आधुनिक सिद्धांतों—वैसे एच जी वेल्स की गॉड, दि इन्विजिबल मिंग—भी थीं। म्हातू के दिनों में जब वह सन्धे अपने तक नजरबन्द रहे थे, उन्होंने कुरान के कई पारायण लिये और किन्तों ही भावों को पडा। उन्होंने कहा कि इन नारे अध्ययन के फलस्वरूप मैंने देखा कि कुरान में जो कुछ लिखा गया है उनका ९७ फीसदी यूनिसंगत है, और कुरान को छोड़कर भी इसकी पुष्टि की जा सकती है। ३ फीसदी जो अरबान तो यूनिसंगत नहीं दिखाई देता है, अगर यह ज्यादा मुश्किल है कि जो कुरान ९७ फीसदी बातों पर माफ़ थीर पर सही है वह बाकी ३ फीसदी में भी सही होगा। बजाय इसके कि मेरी दुर्बल तर्क-शक्ति नहीं हो और कुरान चलन वह इस नीति पर पहुँचे कि कुरान के महँ होने का रक भारी है और इसलिए उन्होंने कुरान को १०० फीसदी सही मान लिया।

इन दलील का तर्क स्पष्ट न था, लेकिन मैं वहन करना न चाहता था। मित्तु इसके बाद जो कुछ हुआ उसे देखकर तो मैं दंग रह गया। म्हातू-दुखनी ने कहा कि कोई भी कुरान को अपने दिमाग का दर्वाजा खोलना और उस दिमाग की भावना में पड़ेगा तो अन्दर ही वह उसकी मर्यादा का जाल हो जायगा। उन्होंने यह भी कहा कि बाबू (शाहीजी) ने उसे बड़े गौर में पढ़ा है और वह अन्दर इस्लाम की मर्यादों के जाल में गिरने लगे। लेकिन उनके दिनों में अरब के अरू उन्हें उनकी जाहिर तर्क में मना दगा है।

म्हातू-दुखनी उनमें इस बात के आत्मिक-जाल के बाद से धीरे-धीरे तर्क-मद्दत करने लगे। मैंने कि वह करने, बावजूद उनमें दूर रहने लगे। मैंने उनका दूरा दूर धीरे-धीरे। फटे माफ़ जाने तक जो उनमें मैंने जोर उठाया पाठ-सम्बन्धी में जाने रहे जोर उनमें

ज़ोर-शोर से हिस्सा लेते रहे, लेकिन घाई चीड़ी होती ही गई और अनशन बढ़ती ही गई। दायद किमी खास व्यक्ति या व्यक्तियों पर हमका दोष नहीं लगाया जा सकता। मगर देग की वास्तविक परिस्थिति जैसी बन गई थी उसमें ऐसा हुए बिना रह नहीं सकता था। लेकिन यह हुआ बहुत ही बुरा। और इसमें हम बहुतों के जी को बड़ा दुःख हुआ। क्योंकि जातिगत मामले में कंसा ही इस्लाम रहा ही, राजनैतिक मामले में हमारा-उनका कम मतभेद था। भारतीय स्वाधीनता का विचार उन्हें भी बहुत भाता था। और चूंकि उनकी हमारी राजनैतिक दृष्टि एक थी, इसलिए हमेशा हम बात की सम्भावना रहती थी कि जातिगत या यो कहें कि साम्प्रदायिक प्रश्न पर उनके साथ कोई ऐसी तजवीज हो सकती थी कि जो दोनों के लिए सतोपजनक हो। राजनैतिक दृष्टि से उन प्रतिगामी लोगों से जो अपने को जातिगत स्वार्थों के रक्षक बताते हैं, उनकी कोई बात मेल नहीं मानी थी।

हिन्दुस्तान के लिए यह दुर्भाग्य की बात हुई कि १९२८ की गर्मियों में वह यहाँ से यूरोप चले गये। उस वक़्त इस जातिगत समस्या को सुलझाने के लिए बड़े ज़ोर की कोशिश की गई थी और वह करीब-करीब कामयाबी की हद तक जा पहुँची थी। अगर मुहम्मदअली यहाँ होते तो कयास होना है कि मामला और ही धक्कल अटपटार करता। लेकिन जबतक वह वापस लौटे तबतक वहाँ सब टूट-टोट चुका था। और स्वाभाविक तौर पर वे विरोधी पक्ष में मिल गये।

दो साल बाद, १९३० में, जब सत्याग्रह-आन्दोलन ज़ोर पर था और हमारे भाई-बहन बड़ाबड़ जेल जा रहे थे, मुहम्मदअली ने कांग्रेस के निर्णय की परवा न कर गोलमेज-परिषद् में जाना पसन्द किया। इस से मेरे जी को बड़ा दुःख हुआ। मैं मानता हूँ कि वह भी अपने दिल में

दुखी ही हुए होंगे। और लन्दन में उन्होंने जो कुछ किया उससे इसका काफी प्रमाण मिलता है। उन्होंने महसूस किया कि उनकी असली जगह हिन्दुस्तान में और लडाई के मैदान में है, न कि लन्दन के कान्फेन्-नवन में। और अगर वह हिन्दुस्तान वापस आये होते तो मुझे यकीन है कि वह सन्ध्याग्रह में शरीक हो गये होते। सेहन उनकी बहुत ही विगड़ गई थी और बरसों में बीमारी उनपर हावी हो रही थी। लन्दन ने जाकर उन्होंने बड़ी चिन्ता के साथ कुछ-न-कुछ काम की चीख पाने की जो कोशिश की, और खासकर ऐसे समय जबकि उन्हें आराम और इलाज जो जरूरत थी, उससे उनके आखिरी दिन और नजदीक आ गये। नैनी जेल में मुझे उनके मरने की खबर से बड़ा धक्का लगा।

दिसम्बर १९२९ में लाहौर-काँग्रेस के वक्त आखिरी दफा मैं उनसे मिला था। मेरे सभापति-पद में दिये भाषण के कुछ हिस्से से वह नाराज थे और उन्होंने बड़े जोर में उनकी आलोचना भी की। उन्होंने देखा कि काँग्रेस सरमट दीड़ी जा रही है और राजनैतिक दृष्टि से बहुत तेज होनी जा रही है। वह खुद भी कम तेज न थे, और इसलिए खुद पीछे रह जाना और हमारे का मैदान में आगे बढ़ जाना उन्हें पसन्द न था। उन्होंने मुझे गम्भीर चेतावनी दी—“जवाहर! मैं तुम्हें चेतावनी देना हूँ कि तुम्हारे आज के ये नगी-भायी सब तुमको अकेला छोड़ देंगे। जब कौर्ड मुनीत्रन आ और आनवान का मौका आवेगा उसी वक्त ये तुम्हारा साथ छोड़ देंगे। याद रखना, खुद तुम्हारे काँग्रेसी ही तुम्हें फामी के नष्टे पर भेज देंगे।” जैनी मनहूस भविष्यवाणी थी।

कोशान्ताटा-काँग्रेस (१९२३) में मेरे त्रिण एक खान दिल्लीवासी की बात थी, यशोवि वर्मा हिन्दुस्तानी-संवादक की बुनियाद रखी गई। स्वयंसेवा-दल हममें पहले नहीं थे मो बात नहीं। वे इन्तजाम भी करने थे और जेन भी जाने थे। अगर उनमें अनुशासन और आन्तरिक

एकता का भाव बहुत कम था। डॉक्टर नारायण सुब्बाराव हार्डीकर को यह बात सूझी कि राष्ट्रीय कार्यों के लिए क्यों न एक अच्छा अनुशासन-वद्ध स्वयंसेवक-दल बना लिया जाय, जो कांग्रेस की आम रहनुमाई में अपना काम करे ? उन्होंने इसमें सहयोग देने के लिए मुझे से आग्रह किया और मैंने बड़ी खुशी से उसे मंजूर किया, क्योंकि यह खयाल मुझे जँच गया था। इसकी शुरुआत कोकनाडा में हुई। वाद को हमें यह जानकर आश्चर्य हुआ कि बड़े-बड़े काँग्रेसियों की तरफ से भी सेवा-दल के सवाल पर कैसा विरोध-भाव प्रकट हुआ था। कुछ लोगों ने कहा कि कांग्रेस के लिए ऐसा करना खतरनाक होगा। यह तो कांग्रेस में फौजी तत्त्व को लाने जैसा है। और यह फौजी तत्त्व उन्हें भय था कि कहीं कांग्रेस की मुस्की सत्ता को ही धर दवाये ! दूसरे कुछ लोगों का यह खयाल दिखाई दिया कि स्वयंसेवको के दल के लिए तो सिर्फ इतना ही अनुशासन काफी है कि वे ऊपर से मिले आदेशों का पालन करते रहे। कुछ के खयाल में उन्हें कदम मिलाकर चलने की भी ऐसी जरूरत नहीं। कुछ लोगों के दिल में भीतर-भीतर यह खयाल था कि तालीम और कवायद-याफता स्वयंसेवको का रखना एक तरह से कांग्रेस के अहिंसा-सिद्धान्त से मेल नहीं खाता है। लेकिन हार्डीकर इस काम में भिड़ ही गये और बरसों की मेहनत के बाद उन्होंने प्रत्यक्ष दिखावा दिया कि ये तालीम-याफता स्वयंसेवक कितने ज्यादा कार्यकुशल और अहिंसात्मक भी हो सकते हैं।

कोकनाडा से लौटने के बाद ही, जनवरी १९२४ में मुझे इलाहाबाद में एक नये ढंग का तजुर्वा हुआ। मैं अपनी याददाश्त से यह लिख रहा हूँ और मुमकिन है कि तारीखी के सम्बन्ध में कुछ भूल और गड़बड़ हो जाय। मैं समझता हूँ, वह क्रुम्भ या अर्द्धक्रुम्भ के मेले का साल था। खासो यात्री सगम धानी त्रिवेणी नहाने आते हैं। गंगा-घाट यो कोई एक

मील चौड़ा है, भंगर जाड़े में धारा सिक्कूट जाती है, और दोनों तरफ वालू का बड़ा मैदान छोड़ देती है जोकि यात्रियों के ठहरने के लिए बड़ा उपयोगी हो जाता है। अपने इस पट में गंगा अक्सर अपना बहाव बदलती रहती है। १९२४ में गंगा की धारा इस तरह हो गई थी कि यात्रियों के लिए नहाना अवश्य ही खतरनाक था। कुछ पावनन्दियाँ और अहत्यात लगाकर और एक वक्त में नहानेवालों की सत्या मुकर्र करके यह खतरा कम किया जा सका था।

मुझे इस मामले में किसी किस्म की दिलचस्पी न थी, क्योंकि ऐसे पर्वों के अवसर पर गंगा नहाकर पुण्य कमाने की मुझे तो चाह न थी। लेकिन मैंने अखबारों में पढ़ा कि इस मामले में प० मदनमोहन मालवीय और प्रान्तीय सरकार के बीच एक चर्चा छिड़ गई है, क्योंकि प्रान्तीय सरकार ने एक ऐसा फरमान निकाल दिया था कि कोई सगम पर न नहाने पावे। मालवीयजी ने इसपर ऐतराज किया, क्योंकि धार्मिक दृष्टि से तो सगम पर नहाने का ही महत्त्व था। डगर सरकार का अहत्यात रखना भी ठीक ही था कि जिससे जान का खतरा न रहे। लेकिन हस्वमामूल उसने निहायत ही बेवकूफी और चिढ़ा देनेवाले ढंग से इस सम्बन्ध में कार्रवाई की थी।

कुम्भ के दिन सुबह ही मैं मेला देखने गया। मेरा कोई इरादा नहाने का न था। गंगा-किनारे पहुँचने पर मैंने सुना कि मालवीयजी ने जिला मजिस्ट्रेट को एक सीम्ह चैतावनी दे दी है, जिसमें त्रिवेणी में नहाने की इजाजत माँगी गई है। मालवीयजी गरम हो रहे थे और वातावरण में क्षोभ फैला हुआ था। जिला-मजिस्ट्रेट ने इजाजत नहीं दी तब मालवीयजी ने सत्याग्रह करने का निश्चय किया, और कोई दो सौ लोगों को साथ लेकर वह सगम की तरफ बड़े। इन घटनाओं से मेरी दिलचस्पी थी, और मैं उसी वक्त जोश में आकर सत्याग्रही दल में शामिल

हो गया। मैदान के उस पार लकड़ियों का एक जवर्दस्त घेरा बना दिया गया था कि लोग मगम तक पहुँचने से बचे। जब हम हम ऊँचे घेरे तक पहुँचे तो पुलिस ने हमें रोका और एक निसैनी, जो हम साथ लिये हुए थे, छीन ली। हम तो ये अहिंसात्मक सत्याग्रही, इसलिए उस घेरे के पास बालू में शान्ति के साथ बैठ गये। सुबह भर और दोपहर के भी कुछ घण्टे हम उसी तरह बैठे रहे। एक-एक घण्टा बीतने लगा। धूप तेज-तेज होने लगी। पैदल और घुड़सवार पुलिस हमारे दोनों तरफ खड़ी थी। मैं समझता हूँ कि सरकारी घुड़-सेना भी वहाँ मौजूद थी। हम बहुतेरो का बीरज छूटने लगा, और हमने कहा कि अब तो कुछ-न-कुछ फंसला करना ही चाहिए। मैं मानता हूँ कि अधिकारी भी उकता उठे थे। और उन्होंने कदम आगे बढ़ाने का निश्चय किया। घुड़-सेना को कुछ आर्डर दिया। इस समय मुझे लगा (मैं नहीं कह सकता कि वह सही था) कि वे हमपर घोड़े फेंकेगे, और यो हमको बुरी तरह खदेड़ेंगे। घुड़सवारो से इस तरह पीटे जाने का खयाल मुझे अच्छा न लगा और वहाँ बैठे-बैठे मेरा जी भी उकता उठा था। मैंने शट से अपने नज़दीकवाले को सुझाया कि हम इस घेरे को ही-क्यो न फाँद जायें। और मैं उसपर चढ़ गया। तुरन्त ही बीसो आदमी उसपर चढ़ गये और कुछ लोगो ने तो उसकी बल्लियाँ भी निकाल डाली, जिससे एक खासा रास्ता बन गया। किसीने मुझे एक राष्ट्रीय झण्डा दे दिया, जिसे मैंने उस घेरे के सिरे पर खोस दिया जहाँ कि मैं बैठा हुआ था। मैं अपने पूरे रग में था और खूब मगन हो रहा था और लोगो को उसपर चढ़ते और उसके बीच में घुसते हुए और घुड़सवारो को उन्हें हटाने की कोशिश करते देख रहा था। यहाँ मुझे यह ज़रूर कहना चाहिए कि घुड़सवारो ने जितना हो सका इस तरह अपना काम किया कि किसीको चोट नहीं पहुँची। वे अपने लकड़ी के ढण्डो को हिलाते थे और लोगो को उनसे धक्का देते थे।

भगर किसीको चोट न पहुँचाई। उन समय मुझे बलवे के समय के घरे के दृश्य का कुछ-कुछ स्मरण हो आया।

आखिर को मैं दूसरी तरफ़ उतर पड़ा। इतनी मेहनत के कारण गर्मी बढ गई थी, मो मैंने गंगा में शोता लगा लिया। जब वापन आया तो मुझे यह देखकर अचरज हुआ कि मालवीयजी और दूसरे अबतक जहाँ-कहाँ बैठे हुए हैं और घुड़मवार और पैदल पुलिस सत्याग्रहियों और घरे के बीच कचे-ने-कचा मिठाकर खड़ी हुई थी। सो मैं (ज्या डेढ़े-मैटे गन्ते ने निकलकर) फिर मालवीयजी के पास जा बैठा। हम कुछ देर तक बैठे रहे, और मैंने देखा कि मालवीयजी मन-ही-मन बहुत निभाये हुए थे और ऐसा भालूम होना था कि वह अपने मन को बहुत मनोस रहे थे। एनाएक बिना किसीको कुछ पता दिये उन पुलिसवालों और घोड़ों के बीच बन्दुत रोनि से निकलकर उन्होंने शोता लगा लिया। यो तो किसी भी गटम के लिए डम तरह शोता लगाना आश्चर्य की बात होती, लेकिन मालवीयजी जैसे बूढ़े और दुर्बल-शरीर व्यक्ति के लिए तो ऐसा करना बहुत ही न्यमित कर देने वाला था। और; हम सबने उनका अनुकरण किया। हम सब पानी में कूद पड़े। पुलिस और घुड़मंता ने हमें पीछे हटाने की घोड़ी-बहुत कोशिश की, भगर बाद में बहर गई। घोड़ों के बाद वह वहाँमे हटा ली गई।

हमने सोचा था कि सरकार हमारे खिलाफ़ कोई कार्रवाई करेगी। मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। शायद सरकार मालवीयजी के खिलाफ़ कुछ करना नहीं चाहती थी, और इसलिए बड़े के पीछे हम छुटनेया भी अपने आप बच गये।

पिताजी और गांधीजी

१९२४ के शुरु में यकायक खबर आई कि गांधीजी जेल में बहुत ज्यादा बीमार हो गये हैं जिसकी वजह से वह अस्पताल पहुँचा दिये गये हैं और वहाँ उनका ऑपरेशन हुआ है। इस खबर को सुनकर चिन्ता के मारे हिन्दुस्तान सन्न होगया। हम लोग डर से परेशान थे और दम साध कर खबरों का इतजार करते थे। अखीर में सकट गुजर गया और देश के तमाम हिस्सों से लोगों की टोलियाँ उन्हे देखने के लिए पूना पहुँचने लगी। इस वक्त तक वह अस्पताल में ही थे। कौदी होने की वजह से उनके ऊपर गारद रहती थी, लेकिन कुछ-दोस्तों को उनसे मिलने की इजाजत थी। मैं और पिताजी उनसे अस्पताल में ही मिले।

अस्पताल से वह वापस जेल नहीं लेजाये गये। जब उनकी कमचोरी दूर हो रही थी तभी सरकार ने उनकी बाकी सजा रद्द करके उन्हे छोड़ दिया। उस वक्त वह जो छ साल की सजा उन्हे मिली थी उसमें से करीब-करीब दो साल की काट चुके थे। अपनी तन्दुरुस्ती ठीक करने के लिए वह बम्बई के नजदीक समुद्र के किनारे जुहू चले गये।

हमारा परिवार भी जुहू जा पहुँचा और वही समुद्र के किनारे एक छोटे-से बगले में रहने लगा। हम लोगों ने कुछ हफ्ते वही गुजारे और अर्से के बाद अपने मन के मुताबिक छुट्टी मिल गई, क्योंकि मैं वहाँ मञ्जे से तैर सकता था, दौड़ सकता था और समुद्र-तट की बालू पर घुड़दौड़ कर सकता था। लेकिन हमारे वहाँ रहने का असली मतलब छुट्टियाँ मनाना नहीं था, बल्कि गांधीजी के साथ देश की समस्याओं

पर चर्चा करना था। रिताजी चाहते थे कि गांधीजी को यह बात दें कि स्वराजी क्या चाहते हैं और इस तरह वह गांधीजी की सक्रिय हमदर्दी नहीं तो कम-से-कम उनका निष्क्रिय सहयोग जरूर हासिल कर लें। मैं भी इस बात में चिन्तित था कि जो ममके मुझे परेशान कर रहे हैं उनपर कुछ रोशनी पड़ जाय। मैं यह जानना चाहता था कि उनका मार्ग का कार्यक्रम क्या होगा।

जहाँतक स्वराजियों से ताल्लुक है वहाँतक उनको जूह की बात-चीत से गांधीजी को आनी तरफ कर लेने में या किसी हद तक भी उनपर असर डालने में कोई कामयाबी नहीं मिली। यद्यपि बात-चीत बड़े दोस्ताना ढंग से और बहुत ही क्षराकृत के साथ होती थी, लेकिन यह बात तो रही ही कि आपस में कोई समझौता नहीं हो सका। यह तय रहा कि उनकी राय एक-दूसरे से नहीं मिलती और इसी मतलब के बयान अखबारों में छपा दिये गये।

मैं भी जूह से कुछ हद तक मायूस होकर लौटा, क्योंकि गांधीजी से मेरी एक भी शक का समाधान नहीं हुआ। अपने मामूली तरीके के मुताबिक उन्होंने अविष्य की बात सोचने या बहुत लम्बे अरसे के लिए कोई कार्यक्रम बनाने में साफ इन्कार कर दिया। उनका कहना था कि हमें धीरज के साथ लोगो की सेवा का काम करते रहना चाहिए, कारेन के रचनात्मक और समाज-सुधारक कार्यक्रम को पूरा करना चाहिए और लडाकू काम के वक्त का रास्ता देखना चाहिए। लेकिन हमारी अतली मुश्किल तो यह थी कि ऐना वक्त आने पर कहीं चौरीचौरा जैसा काण्ड तो नहीं होजायगा, जो सारा तल्ला ही उलट दे और हमारी लडाई को रोक दे। इस वक्त गांधीजी ने हमारे इस शक का कोई जबाब नहीं दिया। न हमारे भ्रमसद—ज्येय—के बारे में ही उनके विचार स्पष्ट थे। हमसे से बहुत-से अपने मन में यह बात साथ-साथ

जान लेना चाहते थे कि आखिर हम जा कहाँ रहे हैं ? फिर चाहे कांग्रेस इस मामले पर कोई वाजान्ता ऐलान करे या न करे। हम जानना चाहते थे कि क्या हम लोग आजादी के लिए और कुछ हद तक समाज-रचना में हेर-फेर के लिए अडेंगे, या हमारे नेता इसमें बहुत कम किसी बात पर राजीनामा कर लेंगे ? कुछ ही महीने पहले सयुक्त-भ्रान्त की सूबा कान्फ्रेंस में अपने उस भाषण में, जो मैंने सदर की हैमियत में दिया था, मैंने आजादी पर जोर दिया था। यह कान्फ्रेंस १९२६ के वसन्त में मेरे नामा से लौटने से कुछ दिन बाद हुई थी। उन दिनों मैं उम वीमारी से ठीक हो ही रहा था जो नामा ने मेरी भेंट की थी, इसलिए मैं कान्फ्रेंस में शामिल नहीं हो सका, लेकिन मेरा वह भाषण जो मैंने चारपाई पर बुखार में पड़े हुए लिखा था वही पहुँचा दिया गया था।

जबकि हम कुछ लोग कांग्रेस में आजादी के मसले को साफ कर लेना चाहते थे, तब हमारे लिबरल दोस्त हम लोगों से इतनी दूर बह गये थे—या शायद हमी लोगों ने उन्हें दूर बहा दिया था—कि वे सरेआम साम्राज्य की ताकत और उसकी शानोशौकत पर नाब करने थे, फिर चाहे वह साम्राज्य हमारे देगभाइयो के साथ पापीग का-सा वर्ताव करे और उसके उपनिवेश या तो हमारे भाइयो को अपना गुलाम बनाकर रखें या उनको अपने मुल्क में घुसने ही न दें। श्रीं ग्रास्त्री राजदूत बन गये थे और सर तेजबहादुर सप्रू ने १९२३ में लन्दन में होनेवाली इम्पीरियल कान्फ्रेंस में बड़े फद्य के साथ कहा था, कि “मैं अभिमान के साथ कह सकता हूँ कि वह मेरा ही देग है जो साम्राज्य को साम्राज्य बनाये हुए है।”

एक बहुत बड़ा समुद्र हमें इन लिबरल लीडरो से अलग किये हुए था। हम लोग अलग-अलग दुनिया में रहते थे, अलग-अलग भाषाओं

में बात करते थे और हमारे स्त्राबो में, अगर लिबरल कभी स्त्राब देखते हो तो, कोई चीज ऐसी न थी जो एक-सी हो। तब क्या यह जरूरी न था कि हम अपने मकसद की वास्तु साफ और सही फैसला करले ?

लेकिन उस वक्त ऐसे खयालात थोड़े ही लोगों को आते थे। ज्यादातर आदमी बहुत साफ और ठीक-ठीक सोचना पसन्द नहीं करते थे—खास तौर पर किसी राष्ट्रीय हलचल में, जोकि स्वभावत ही कुछ हद तक अस्पष्ट और धार्मिक रंग की होती है। १९२४ के शुरू के महीनो में जनता का खयाल ज्यादातर उन स्वराजियो की तरफ था जो सूबे की काँग्रेसो और असेम्बली में गये थे। भीतर से विरोध करने और काँग्रेसो को तोड़ने की लम्बी-बौड़ी वाते मारने के बाद यह दल क्या करेगा ? हाँ, कुछ मजबूत वातें तो हुईं। असेम्बली ने उस साल बजट ठुकरा दिया, हिन्दुस्तान की आजादी की शर्तें तय करने के लिए गोलमेज में बहम करने की माँग करनेवाला प्रस्ताव पास हो गया। देगवन्धु के नेतृत्व में बंगाल-काँग्रेस ने भी बहादुरी के साथ सरकारी खर्चों की माँगो को ठुकरा दिया। लेकिन असेम्बली और सूबे की काँग्रेसो में, दोनो में ही, वाइसराय और गवर्नर ने बजट पर सही करदी, जिसने वे कानून बन गये। कुछ व्यापार हुए, काँग्रेसो में कुछ मजबूती मची, स्वराजियो में थोड़ी देर के लिए अपनी फतह पर खुशी छा गई, जनवारो में अच्छे-अच्छे हेडिंग आये, लेकिन इनके अलावा और कुछ नहीं हुआ। इससे ज्यादा वे कर ही क्या सकते थे ? ज्यादा-से-ज्यादा वे फिर यही काम करते, लेकिन उनका नयापन चला गया था। जोग गुरुन होगया था और लोग बजटों और कानूनों को वाइसराय या गवर्नरों द्वारा मही होने देखने के आदी हागये थे। इसके बाद का कदम अगस्त ही काँग्रेसो में जो म्यगजी मेम्बर थे उनकी पहुँच के बाहर था। वह तो काँग्रेस-जनन में बाहर का था।

इस साल १९२४ के बीच में किसी महीने में अहमदाबाद में अखिल-भारतीय कांग्रेस कमिटी की बैठक हुई। इस बैठक में, जाशा से वाहर, स्वराजियो में और गाधीजी में बहुत गहरी तनातनी हो गई और कुछ अचानक विलक्षण हालात पैदा हो गये। शुरुआत गाधीजी की तरफ से हुई। उन्होंने कांग्रेस के विधान में एक खास परिवर्तन करना चाहा। वह बोट देने के हक को और मेम्बरी से ताल्लुक रखनेवाले नियम को बदल देना चाहते थे। इस वक्त तक जो कोई कांग्रेस-विधान की पहली धारा को, जिसमें यह लिखा हुआ था कि कांग्रेस का उद्देश शांतिमय उपायो से स्वराज लेना है, मञ्चूर करता और चार आने देता वही मेम्बर हो जाता था। अब गाधीजी चाहते थे कि सिर्फ वही लोग मेम्बर हो सके जो चार आने के वजाय निश्चित भिकदार में अपने हाथ का कता हुआ सूत दें। इससे बोट देने का हक बहुत कम होजाता था और इसमें कोई शक नहीं कि आ० भा० कांग्रेस कमिटी को कोई हक न था कि वह इस हक को इस हद तक कम करनी। लेकिन जब विधान के अक्षर गाधीजी की मर्जी के खिलाफ पडते हैं तब वह उन हरफों की शायद ही कभी परवा करते हो। मैं इसे विधान के साथ इतनी जबरबस्त ज्यादाती समझता था कि उसे देखकर मुझे बड़ा धक्का लगा और मैंने कार्य-समिति से कहा कि मन्त्री-पद से मेरा इस्तीफा ले लीजिए। लेकिन इसी बीच में कुछ नई बातें और होगईं जिनकी वजह से मैंने इसपर जोर नहीं दिया। अ० भा० कांग्रेस कमिटी की बैठक में देजबन्धु दास और पिताजी ने जोर-शोर से इस प्रस्ताव का विरोध किया और अखीर में वे उसके खिलाफ अपनी पूरी नाराजगी जाहिर करने की गरज से बोट होने से कुछ पहले अपने अनुयायियों की काफी तादाद के साथ उठकर चले गये। उसके बाद भी कमिटी में कुछ लोग ऐसे रह गये जो उस तजवीज के खिलाफ थे। प्रस्ताव कसरत राय से पास हो गया, लेकिन

मुखाभिनन की जायगी। शाद वह यह चाहते थे कि कांग्रेस में सिर्फ ऐसे शटन रहे जो उनके खादी बगैरा के रचनात्मक कार्यक्रम में ऐतबार रखते हों और दूसरों के लिए वह या तो यह चाहते थे कि वे लोग भी उन कार्यक्रम को मान लें नहीं तो कांग्रेस से निकाल दिए जायें। लेकिन अगले कमरन राय उनके नाय थी फिर भी उन्होंने अपना इरादा ठीका

बिहार-सम्बन्धी यह प्रस्ताव ही वापस लिया था। इस प्रस्ताव में एक भाग सजा देने-सम्बन्धी था—कोई मँवर इतना सूत न काते तो वह सबस्य न रह सकेगा। यह भाग उन सबको बहुत अखरता था। इसके प्रति विरोध दशनि के लिए वे उठकर चले गये थे। उनके चले जाने के बाद इस भाग पर राय ली गई—पक्ष में ६७ और विपक्ष में ३७ मत आये। इनपर गांधीजी ने दूसरा प्रस्ताव पेश किया—इस आशय का कि यदि त्वराजी न चले गये होते तो उनकी रायें ख़िलाफ़ ही पडतीं, और प्रस्ताव का यह भाग उड ही जाता, इसलिए यह भाग प्रस्ताव में से निकाल दिया जाय। इस तरह परिवर्तन-सम्बन्धी मूल प्रस्ताव तो कायम रहा, गांधीजी ने उसे वापस नहीं लिया, सिर्फ सजा वाला अंश वापस लिया गया था।

(२) गोपीनाथ साहा विषयक मूल प्रस्ताव उड नहीं गया था। मूल प्रस्ताव गांधीजी ने पेश किया था, जिसमें गोपीनाथ द्वारा किये खून को निन्दा की गई थी। इसपर देशबन्धु ने एक नुधार सूचित किया था। उनमें भी निन्दा तो थी ही, परन्तु माय ही यह स्तुति भी थी कि फ़ासी पर चटकर गोपीनाथ ने अपनी देशभक्ति का परिचय दिया। इससे वह निन्दा मिट जानी थी। गांधीजी ने इन नुधार का विरोध किया। कहा—यद् अहिंसा-मिद्वान को मटियामेट कर देना है। गांधीजी के मूल प्रस्ताव पर ७८ और देशबन्धु के नुधार पर ७० मत मिले थे। १४८ मतदाताओं में ७० मवन्धु अहिंसा के नान-नाव के हामी थे, इस खवाल ने गांधीजी को अद्यन्दन आगान पहुँचा था।

कर दिया और दूसरे दल से समझौता कर लिया। मुझे यह देखकर हैरत हुई कि अगले तीन-चार महीनों में इस मामले में उन्होंने कई बार अपनी राय बदली। ऐसा मालूम पड़ता था कि खुद उनकी समझ में कुछ नहीं आता था कि वह कहाँ है और किवर जाना चाहते हैं? उनके बारे में मैं ऐसा खयाल कभी नहीं करता था कि उनकी भी कभी ऐसी हालत हो सकती है। इसीलिए मुझे अचम्भा हुआ। मेरी राय में वह मामला खुद कोई ऐसा बहुत जरूरी नहीं था। वोट देने का अख्तियार हासिल करने के लिए कुछ श्रम कराने का खयाल बहुत अच्छा था, लेकिन जबरदस्ती लादने से उसका मतलब ख़त् हो जाता था।

मैं इस नतीजे पर पहुँचा कि गाँधीजी को इन मुश्किलों का सामना इसलिए करना पड़ा कि वह अपरिचित वातावरण में रह रहे थे। सत्याग्रह की सीधी लड़ाई के खास मैदान में उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता था। उस मैदान में उनकी सहज-बुद्धि अचूक उन्हें सही कदम रखने के लिए प्रेरित किया करती थी। जनता में सामाजिक सुधार कराने के लिए चुपचाप खुद काम करने और दूसरों से काम कराने में भी वह बहुत होशियार थे। या तो दिल खोलकर लड़ाई या सच्ची शान्ति को वे समझ सकते थे। इन दोनों के बीच की हालत उनके काम की नहीं थी।

कौंसिलो के भीतर विरोध करने और लड़ाई लड़ने के स्वराजी प्रोग्राम से वह बिल्कुल उदासीन थे। उनकी राय थी कि अगर कोई माहव कौंसिलो में जाना चाहते हैं तो वे वहाँ सरकार की मुखातिफत करने न जायें, बल्कि बेहतर कानून बनवाने वगैरा के लिए सरकार से सहयोग करने के लिए जायें। अगर वे ऐसा नहीं करना चाहते तो बाहर ही रहें। स्वराजियो ने इनमें से एक भी सूरत अख्तियार नहीं की, और इसीलिए उनके साथ व्यवहार करने में उन्हें मुश्किल पड़ती थी।

लेकिन आखिर में गांधीजी ने स्वराजियों से अपना ठीक-ठाक कर लिया। कना हुआ सूत भी, चार आने के साथ-साथ, बोट का हज़ू हासिल करने का एक साधन मान लिया गया। उन्होंने कॉमिन्सों में स्वराजियों के काम को लगभग अपना आशीर्वाद दे दिया। लेकिन वह खुद उसने बिलकुल अलग रहे। यह कहा जाता था कि वह त्री राजनीति से अलहदा हो गये हैं, और ब्रिटिश सरकार और उसके अफसर यह समझते थे कि उनकी लोकप्रियता कम हो रही है और उनमें कुछ दम नहीं रहा। यह कहा जाता था कि दास और नेहरू ने गांधीजी को रणभूमि से पीछे हटा दिया है, और खुद नायक बन बैठे हैं। पिछले पन्द्रह बरसों में इस तरह की बातें समय के अनुसार मौजूं हेरफेर के साथ बार-बार दुहराई गई हैं और उन्होंने हर मर्तबा यह दिखा दिया है कि हमारे शासक हिन्दुस्तानी लोगों के खयालात के बारे में कितनी कम जानकारी रखने हैं। जबमे गांधीजी हिन्दुस्तान के राजनैतिक मैदान में आये तबसे उनकी लोकप्रियता में कभी कमी नहीं आई, कम-से-कम जहाँतक आम लोगों का ताल्लुक है उनकी लोकप्रियता बराबर बटती चली गई है। और यह सिलसिला अभीतक ज्यो-का-त्यो जारी है। लोग गांधीजी की इच्छाओं को पूरा भले ही न कर सके, क्योंकि आदमी की तबीयत अक्सर कमजोर होती है, लेकिन उनके दिलों में गांधीजी के लिए आदर बराबर बना हुआ है। जब मुल्क के हालात मुभाफिक होते हैं तब लोग विशाल जन-साधारण के आन्दोलनों के रूप में उठ खड़े होते हैं, नहीं तो चुपचाप मुंह छिपाये पड़े रहते हैं। नेता का काम यह नहीं है कि वह न-कुछ में जादू की-सी लकड़ी फेर कर जनता की हलचले पैदा करदे। हाँ, जब हालात ऐसी पैदा हो जाय तो वह उसका फायदा उठा सकता है, उन हालात से फायदा उठाने के लिए तैयारी कर सकता है, लेकिन वह उन हालात को पैदा नहीं कर सकता।

लेकिन यह बात सच है कि पढे-लिखे लोगो में गाँधीजी की लोक-प्रियता घटती-बढती रहती है। जब आगे बढने का जोश आता है तब वे उनके पीछे-पीछे चलते है, और जब उसकी लाजिमी प्रतिक्रिया होती है तब वे गाँधीजी की नुक्ताचीनी करने लगते है। लेकिन इस हालत में भी उनकी बहुत ज्यादा तादाद गाँधीजी के सामने सिर झुकाती है। कुछ हद तक तो यह बात इसलिए है कि गाँधीजी के सिवा दूसरा कोई कारगर प्रोग्राम ही नहीं है। लिबरलो या उन्हीसे मिलते-जुलते दूसरे उन जैसे प्रतिसहयोगी वर्ग को कोई पूछता नहीं, और जो लोग आतककारी हिंसा में विश्वास रखते है उनका आजकल की दुनिया में कोई स्थान नहीं रहा। उन्हे लोग बेकार तथा पुराने और पिछडे हुए समझते है। इधर समाजवादी कार्यक्रम को लोग अभी बहुत कम जानते है, और कांग्रेस में ऊँची श्रेणियो के जो लोग है वे उससे भडकते है।

१९२४ के बीच मे थोडे वक्त के लिए जो राजनैतिक अनबन हो गई थी, उसके बाद मेरे पिताजी और गांधीजी मे पुरानी दोस्ती फिर कायम हो गई और वह और भी ज्यादा बढ गई। एक-दूसरे से उनकी राय चाहे जितनी ही खिलाफ होती, लेकिन दोनो के दिल मे एक-दूसरे के लिए सद्भाव और आदर था। दोनो मे आखिर ऐसी क्या बात है, जिसको दोनो इज्जत करते थे ? 'विचार-प्रवाह' (Thought-currents) नाम की एक पुस्तिका मे गाँधीजी के लेखो का संग्रह छापा गया था। इन पुस्तिका की भूमिका पिताजी ने लिखी थी। उस भूमिका में हमे उनके मन की झलक मिल जाती है। उन्होने लिखा है —

“मेने महात्माओ और महान् पुरुषो की बाबत बहुत सुना है, लेकिन उनसे मिलने का आनन्द मुझे कभी नहीं मिला। और मैं यह मजबूर करता हूँ कि मुझे उनकी असली हस्ती के बारे मे भी कुछ शक है। मैं तो मर्दों में और मर्दानगी मे विश्वास करता हूँ। इस पुस्तिका मे जो विचार-

प्रवाह नकलित किये गये हैं, वे एक ऐसे ही नर्द के दिमाग से निकले हैं वीर उनमें मर्दानगी है। वे मानव-प्रकृति के दो बड़े गुणों के नमूने हैं— यानी श्रद्धा और पुत्रपार्य के

“जिस आदमी में न श्रद्धा है न पुत्रपार्य, वह पूछता है, इस सबका नतीजा क्या होगा ? यह जवाब कि मौत होगी या जीत, उसे अपील नहीं करता” .. इन बीच में वह विनीत और छोटा-सा व्यक्ति, अजेय शक्ति और अचल श्रद्धा के मजबूत पैतानों पर नीचा लड़ा हुआ अपने देग के लोगों को मातृभूमि के लिए अपनी कुर्बानी करने और बचपन नहने का अगना नदेश देता चला जा रहा है। लाखों लोगों के हृदयों में इन नदेश की प्रतिचित्रि उठनी है। .. .”

उन्होंने स्विकार की नीचे लिखी पंक्तियाँ देकर अपनी भूमिका खत्म की है—

नहीं हमारे पास रहे क्या पुरुषार्थ वे नामी—

जो कि परिस्थितियों के होवे धामक एव स्वामी ! :

जाहिर है कि वह इन बात पर जोर देना चाहते थे कि वह गाँधीजी की तारीफ़ इसलिए नहीं करने कि वह कोई माधु या महात्मा हैं, बल्कि इसलिए कि यह नर्द है। वह खुद मजबूत तथा कभी न झुकनेवाले थे, इसलिए गाँधीजी की आत्म-शक्ति की तारीफ़ करने थे। क्योंकि यह मात्र मात्र ही होता था कि दुर्दम-पनले शरीर वाले एक छोटे-से आदमी में अत्यन्त शक्ति मजबूती थी है, वृद्ध बटुआ शैली चीज है जो धारौरीक मामलों के गमने नहीं झुकती, फिर चाहे वे नाज़ों पिनती ही बड़ी क्या न हो, और मराने उनमें अफ़सूसन, उनका गंगा शरीर, उनसे छोटी गंभीर, ऐसी न थी कि शिरीर बड़न धार जमें, लेकिन उनमें कुछ कुर्बानिगीत और ऐसी आदमाशियन शरर है जो दूसरा की नुर्मा-शुद्धी

१. अंग्रेज़ी शक्ति का आदान-प्रदान।

उनका हुकम बजा लाने को मजबूर कर देती है। यद्यपि उन्होंने जान-बूझकर नम्रता और निरभिमानता प्राप्त की थी, फिर भी शक्ति व अधिकार उनमें लवालव भरे हुए थे और वह इस बात को जानते भी थे, और कभी-कभी तो वह बादशाह की तरह हुकम छोड़ते थे जिसे पूरा ही करना पड़ता। उनकी शान्त लेकिन गहरी आँखें आदमी को जकड़ लेती और उसके दिल के भीतर तक की बातें खोज लेती। उनकी साफ-सुथरी आवाज मीठी गूँज के साथ दिल के अन्दर घुसकर हमारे भावों को जगाकर अपनी तरफ खींच लेती। उनकी बात सुननेवाला चाहे एक शक्स हो या हज़ार हो, उनका चुम्बक का-सा आकर्षण उन्हें अपनी तरफ खींचे बिना नहीं रहता और हरेक सुननेवाला मन्त्र-मुग्ध हो जाता था। इस भाव का दिमाग से बहुत कम ताल्लुक होता था। गाँधीजी दिमाग को अपील करने की विलकुल उपेक्षा करते हो सो बात नहीं, फिर भी इतना निश्चित है कि दिमाग व मर्क को दूसरा नम्बर मिलता था। मन्त्र-मुग्ध करने का यह जादू न तो वाग्मिता के बल से होता था और न रेशमी मुलायम वाक्यावली के मोहक प्रभाव से। उनकी भाषा हमेशा सरल और मुद्देसूद होती थी, गैर-ज़रूरी शब्दों का इस्तमाल शायद ही कभी होता हो। महज उनकी पारदर्शक सच्चाई और उनका व्यक्तित्व ही दूसरों को जकड़ लेता है। उनसे मिलने पर यह खयाल जम जाता है कि उनके भीतर प्रचण्ड आत्मशक्ति का भंडार भरा हुआ है। शायद यह भी हो कि उनके चारों तरफ ऐसी प्रथाये भी बन गईं हैं जो उचित आबोहवा पैदा करने में मदद देती हैं। हो सकता है कि कोई अजनबी आदमी, जिसे उन प्रथाओं का पता न हो और गाँधीजी के आमपास की हालतों से जिसका मेल न खाता हो, उनके जादू के असर में न आवे या इस हद तक न आवे, लेकिन फिर भी गाँधीजी के बारे में सबसे ज्यादा कमाल की बात यही थी और यही है कि वे अपने मुखा-

लिफो को या तो सोलहो आने जीत लेते है या कम-से-कम उनको निराश्रित कर देते है ।

यद्यपि गांधीजी प्राकृतिक सौन्दर्य की बहुत तारीफ करते हैं, लेकिन मनुष्य की बनाई चीजों में वह कला या खूबसूरती नहीं देख सकते । उनके लिए ताजमहल चबूतरा लो हुई वेगार की प्रतिमूर्ति के सिवा और कुछ नहीं । उनमें मूर्खने की शक्ति की भी बहुत कमी है । फिर भी उन्होंने अपने तरीके से उन्हींमें जीवन-यापन की कला खोज निकाली है और अपनी जिन्दगी को कलामय बना दिया है । उनका हर एक इशारा सार्थक और खूबी लिये हुए होता है, और खूबी यह है कि वनावट का नामोनिशान नहीं । उनमें न कहीं नुकीलापन है, न कटौती-पन । उनमें उस अशिष्टता या नाधारणपन का निशान तक नहीं जिसमें, दुर्भाग्य से, हमारे बीच के दर्जे के लोग डूबे रहते हैं । भीतरी शान्ति प्राप्त करके वह दूसरों को भी शान्ति देते हैं और जिन्दगी के कंटोले रास्ते पर मजबूत और निडर कदम रखने हुए चले जाते हैं ।

मगर मेरे पिताजी गांधीजी से कितने भिन्न थे । लेकिन उनमें भी व्यक्तित्व का चल था और वादनाहियत की मात्रा थी । स्वनिर्बन्ध की वे पक्षियाँ उनके लिए भी लागू होती हैं । जिस किसी समाज में वह जा बैठते उनके केन्द्र और घुंरीण बही बन जाते । जैसा कि एक अग्रज जज ने पीछे कहा था, वह जहाँ-कहीं भी जाकर बैठते वही मुखिया बन जाते । यह न तो नम्र ही थे न मुलायम ही, और गांधीजी के उलटा यह उन लोगों की मगर अग्नि बिना नहीं रहते थे जिनकी राय उनके उन्मादक होती थी । उन्हें उन बात का मान रहता था कि उनका मित्राज्य शान्ति है । उनके प्रति या तो आर्पण होता था या निरस्कार । उनमें कोई दृढ़ उद्देश्य या नटम्य नहीं रह सकता था । हरेक को या तो उन्हें पगल या मारमल्ल करना पड़ता । चौड़ा ललाट, चूमन हाँठ और

सुनिश्चित ठोड़ी। इटली के अजायबघरों में रोमन शहशाहों की जो अर्द्ध-मूर्तियाँ हैं उनसे उनकी शकल बहुत काफी मिलती थी। इटली में बहुत-से मित्रों ने जो उनकी तस्वीर देखी तो उन्होंने भी इस साम्य का जिक्र किया था। खास तौर पर उनकी जिन्दगी के पिछले सालों में जबकि उनका सिर सफेद बालों से भर गया था, उनमें एक खास किस्म की महत्ता और भव्यता आ गई थी जो इस दुनिया में आजकल बहुत ही कम दिखाई देती है। वह मेरी तरह न थे, उनके सिर के बाल अखीर तक बने रहे।

मैं समझता हूँ कि आर्यद में उनके साथ पक्षपात कर रहा हूँ, लेकिन इस सकुचितता और कमजोरी से भरी हुई दुनिया में उनकी गरीफाना हस्ती की रह-रहकर याद आती है। मैं अपने चारों तरफ उनकी-सी अजीब ताकत और उनकी-सी शानो-शौकत को खोजता हूँ, लेकिन बेकार।

मुझे याद है कि १९२४ में मैंने गांधीजी को पिताजी का एक फोटो दिया था। इन दिनों गांधीजी की और स्वराजियों की रस्साकशी हो रही थी। इस फोटो में पिताजी के मूँछें न थीं और उस वक्त तक गांधीजीने उन्हें हमेशा सुन्दर मूँछी-सहित देखा था। इस फोटो को देख-कर गांधीजी चौंक गये और बहुत देर तक उसे निहारते रहे, क्योंकि मूँछे न रहने से मुँह व ठोड़ी की कठोरता और भी प्रगट हो गई थी, और कुछ सूखी-सी हँसी हँसते हुए उन्होंने कहा कि अब मैंने यह जान लिया कि मुझे किसका मुकाबिला करना है। उनकी आँखों ने और निरतर हँसी ने चहरे पर जो रेखायें बना दी थीं उन्होंने चेहरे की कठोरता को कम कर दिया था, फिर भी कभी-कभी आखे चमक उठती थीं।

पिताजी असेम्बली के काम में उसी तरह तैरने लगे जैसे बतक पानी में। वह उनकी कानूनी और विधान-ज्ञान-सम्बन्धी तालीम के लिए मौजूद था। सत्याग्रह तथा उसकी शाखाओं के खेलों के नियम तो वह

रिआयतो और ऊँचे ओहदों के लालच दिये जाने लगे। उन्हें सिर्फ इन चीजों में मे जिने वे चाहे उसे चुन लेना था। उनकी लियाकत, उनकी मीठी विवेकशीलता तथा उनकी राजनीति-चतुरता आदि गुणों की तारीफें होने लगीं। उनके चारों तरफ एक आनन्द-मय तथा सुखप्रद वातावरण पैदा कर दिया गया, जो दोतों व बाजार की धूल और शौरोगुल से विलकुल ज्दा था।

स्वराजिस्टो का आम लहजा नीचे गिर गया। कोई शरूम किसी मूवे में से तो कोई असेम्बली में से विरोधी पक्ष की तरफ खिसरने लगे, पिताजी बहुत चिल्लाये और गरजे। उन्होंने कहा, मैं सडे हुए अग को काट फेंकूंगा। लेकिन जब सडा हुआ अग खुद ही शरीर छोडकर चले जाने को उत्पुक हो तब इस धमकी का कोई बडा असर नहीं हो सकता था। कुछ स्वराजिस्ट मिनिस्टर हो गये और कुछ बाद को सूवो मे कार्यकारिणी के मेंबर। उनमें से कुछ ने अपना अलग दल बना लिया और अपना नाम रक्खा प्रति-सहयोगी। इस नाम को शुरु में लोकमान्य तिलक ने विलकुल दूसरे मानी में इस्तमाल किया था। इन दिनों में तो इसके मानी यही थे कि मौका मिलते ही जो ओहदा मिले उसे हडप लो और उससे जितना फायदा उठा सकते हो उठाओ। इन लोगो के घोखा दे जाने पर भी स्वराज-पार्टी का काम चलता रहा। लेकिन घटना चक्र ने जो शकल अस्त्यार की उससे पिताजी व देशबधु दास को कुछ हद तक नफरत हो गई। कौंसिलो और असेम्बली के अन्दर उन्हें अपना काम बेफायदा-सा मालूम होने लगा, जिसकी वजह से वे उससे ऊबने लगे। मानी उनकी इस ऊब को बढाने के लिए उत्तरी हिन्दुस्तान में हिन्दू-मुस्लिम झगडा बढ रहा था, जिसकी वजह से कभी-कभी दगो भी हो जाते थे।

कुछ कांग्रेसी जो हमारे साथ १९२१ और २२ में जेल गये थे,

अब सूबे की सरकारों में मिनिस्टर हो गये थे या दूसरे ऊँचे ओहदों पर पहुँच गये थे। १९२१ में हमें इस बात का फटा था कि हमें एक ऐसी सरकार ने गैर कानूनी करार दिया है और वही हमें जेल भेज रही है, जिसके कुछ सदस्य लिबरल थे जो पुराने कांग्रेसी भी थे। भविष्य में हमें यह तसल्ली और हीन को थी कि कम से कम कुछ मूबों में हमारे अपने पुराने साथी ही हमें गैर-कानूनी करार देकर जेल में भेजेंगे। ये नये मिनिस्टर और कार्यकारिणी के मेम्बर इस काम के लिए लिबरलों से कहीं ज्यादा कुशल थे। वे हमें जानते थे, हमारी कमजोरियों को जानते थे, और यह भी जानते थे कि उनसे कैसे फायदा उठाया जाय। वे हमारे तरीकों से भली-भाँति जाकिफ थे तथा जन-समूहों और उनके मनोभावों का भी उन्हें कुछ तजुर्बा जरूर था। दूसरी तरफ जाने से पहले उन्होंने नाज़ियों की तरह क्रान्तिकारी हलचल के साथ नाता जोड़ा था। और कांग्रेस के अपने पुराने साथियों का दमन करने में वे इन तरीकों से अलग-अलग पुराने हाकिमों या लिबरल मिनिस्ट्रो से कहीं ज्यादा क्षमतापूर्वक अपने इस ज्ञान का उपयोग कर सकते थे।

दिसम्बर १९२४ में कांग्रेस का जलसा वेल्सिंग में हुआ और गाँधी जी उसके सभापति थे। उनके लिए कांग्रेस का सभापति होना तो एक भोण्डी-सी बात थी, क्योंकि वह तो बहुत असें से उसके स्थायी सभापति से भी बढकर थे। उनका सदर की हैसियत से दिया हुआ भाषण मुझे पसंद नहीं आया। उसमें जरा भी स्फूर्ति नहीं मिली। जलसा खतम होते ही, गाँधीजी के कहने पर, मैं फिर अगले साल के लिए अ० भा०

१ नाबो लोग हिटलर के अनुयायी हैं। ये यहूदियों के, तथा जो अपने को अनार्य मानते हैं उनके, घोर शत्रु हैं, तथा बलपूर्वक डिक्टेटरशाही के पुजारी हैं। ये लोग एकबार क्रान्तिकारी भी थे, परन्तु बादको क्रान्तिकारियों के दुश्मन बन गये। —अनु०

काँग्रेस कमिटी का कार्यकारी मंत्री चुन लिया गया। मेरी इच्छाओं के बावजूद धीरे-धीरे मैं काँग्रेस का अर्द्ध-स्थायी मंत्री बनता जा रहा था।

१९२५ की गर्मियों में पिताजी बीमार थे। उनका दमा बहुत ज्यादा तकलीफ दे रहा था। वह परिवार के साथ हिमालय में डलहीजी चले गये। बाद की कुछ अर्से के लिए मैं भी उन्हींके पास जा पहुँचा। हम लोगो ने हिमालय के भीतर डलहीजी से चम्बा तक का सफर किया जब हम लोग चम्बा पहुँचे तब जून का कोई दिन था, और हम लोग पहाड़ी रास्तों पर सफर करके कुछ थक गये थे। इसी समय एक तार आया, उससे मालूम हुआ कि देशबन्धु मर गये। बहुत देर तक पिताजी शोक के भार से झुककर बैठे रहे, उनके मुँह से एक शब्द तक नहीं निकला। यह आघात उनके लिए बहुत ही निर्दयता-पूर्ण था। मैंने उन्हें इतना दुखी होते हुए कभी नहीं देखा था। वह एक शख्स जो उनके लिए दूसरे सब लोगो से ज्यादा घनिष्ठ और प्यारा साथी हो गया था यकायक उन्हें छोड़ कर चला गया और सारा बोझ उनके कंधों पर छोड़ गया। वह बोझा वैसे ही बढ़ रहा था, वह तथा देशबन्धु दोनों ही उसमें तथा लोगो की कमजोरियों से ऊब रहे थे। फरीदपुर-कान्फ्रेंस में देशबन्धु ने जो आखिरी भाषण दिया वह एक थके हुए-से शरम का भाषण था।

हम हमारे ही दिन सुबह चम्बा से चल दिये और पहाड़ों पर चलते-चलते डलहीजी पहुँचे, वहाँ मैंने कार द्वारा रेलवे स्टेशन पर, फिर इलाहाबाद और वहाँ से कलकत्ता।

साम्प्रदायिकता का दौरा

नामा-जेठ से लौटने पर १९२३ के जाड़े में मैं बीमार पड़ गया। मिवादी बुखार से मेरी यह कुम्भी मेरे लिए एक नया तजुर्वा था। मुझे आरिंरिक कमडोरी ने मा बुखार से चारपाई पर पड़ा रहने का बीमार पडने की आदन न थी। मुझे अपनी तन्दुरुस्ती पर कुछ नाच था और हिन्दुस्मान में आमतौर पर जो बीमार बने रहने का रिवाज-ता पडा हुआ था उसके मैं खिलाफ था। अपनी जवानी और अच्छे शरीर की वजह ने मैंने बीमारी पर पार पा लिया, लेकिन मरुत के टल जाने पर मुझे कमडोरी को हाथ में चारपाई पर पड़े रहना पडा और अपनी तन्दुरुस्ती भी धीरे-धीरे हामिक करनी पडी। इन दिनों में अपने आन-पास की चीछा और अपने रोबमरी के कामों से बजीव विराम-ना मह-सूस करना था और उन्हें तटव्यता में देखता रहना था। मुझे ऐसा भासूम पड़ता था कि जंगल में मैं पेडों की आड़ में से बाहर निकल आया हूँ और अब तनाम जगल को अच्छी तरह देख सकता हूँ। मेरा दिमाग जिनना माफ और साक्रुवर इन दिनों का समना पहले कभी न था। मैं नमसना हूँ कि यह तजुर्वा था इन तरह का बोर्ड दूसरा तजुर्वा उन सब शोषों को हुआ होगा जिन्हें नल बीमारी में होकर गुडरला पडा है। लेकिन मेरे लिए तो वह एक तरह का आध्यात्मिक अनुभव-ना हुआ। मैं आध्यात्मिक धज का इर्णमाल उसके मकीर्ग बर्म के मानी में नहीं करता। इस तजुर्वे का मुझ पर बहुत काफ़ी असर पडा। मैंने महसूस किया कि मैं अपनी राजनीति के नाबुकता-भर आयुमण्डल में ऊपर उठ गया हूँ, और जिन ध्येयों तथा मकियों ने मुझे कार्य के लिए प्रेरित

किया उन्हें ज्यादा तटस्थता के साथ देख सकता हूँ। इस स्पष्टता के फल-स्वरूप मेरे दिल में तरह-तरह के तर्क-गिनत उठने लगे, जिनका कोई माकूल जवाब नहीं मिलता था। लेकिन मैं जिन्दगी और राजनीति दोनों मामलों को मजहबी निगाह से देखने के दिन-पर-दिन ज्यादा ही खिलाफ होता गया। मैं अपने उस तजुर्वे की वाकत ज्यादा नहीं लिख सकता। वह एक ऐसा छयाल था जिसे मैं आगामी में जाहिर नहीं कर सकता। यह बात ग्यारह वर्ष पहले हुई थी और अब तो उसकी मेरे मन पर बहुत ही हल्की छाप रह गई है। लेकिन इतनी बात मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरे ऊपर और मेरे विचार करने के तरीके पर उसका टिकाऊ असर पड़ा और अगले दो या तीन साल में मेरे अना काग कुछ हद तक उसी तटस्थता में किया।

हाँ, वेगक कुछ हद तक तो यह बात उन घटनाओं की वजह से हुई जो बिल्कुल मेरी ताकत के बाहर थी और जिनमें मैं फिट नहीं होता था। कुछ राजनैतिक परिवर्तनों का जिक्र मैं पहले ही कर चुका हूँ। उसमें भी ज्यादा असल बात थी हिन्दू-मुसलमानों के मालुमान में दिन-पर-दिन ज्यादा बढ़ने वाली गटाबी, जो आम तौर पर उनमें हिन्दु-स्तान में आना असर दिया गयी थी। बटे-बटे मन्तों में गटे गटे हुए, जिनमें हद बर्जे की पनुना और कूना दिगारुं दी थी। उन और मन्तों की आवोहवा ने नये-नये शगडे पैदा कर दिये जिनके नाम भी हमने से ज्यादातर लोगों ने पहले नहीं सुने थे। उनमें एक प्रमुख पैदा करने वाली पन्तु भी गो-भुनी जीव का भी गलतार गरीद के लिए। हिन्दू और मुसलमानों के स्वोहात के लिए गते पर भी गले गले से

का त्यौहार था जिसमें बुराई के ऊपर भलाई की विजय का उत्सव मनाया जाता था। दोनों एक-दूसरे से चस्पा नहीं हो सकते थे, लेकिन जुग-किम्मती ने ये त्यौहार तीन साल में सिर्फ एक दफा साथ-साथ पड़ते थे। रामलीला तो सौर मास के अनुसार नियत चैत वदी नवमी को मनाई जाती है जब कि मुहर्रम चन्द्रमास के मुताबिक कभी इस महीने में और कभी उम महीने में मनाये जाते हैं।

लेकिन अब तो झगड़े का एक मन्त्रव ऐसा पैदा हो गया जो हमेशा मौजूद रहता था और हमेशा लड़ा हो सकता था। यह था मसजिदों के नामने बाजा बजाने का मवाल। नमाज के बन्द बाजा बजाने या जरा भी बाबाज जाने पर मुसलमान ऐतराज करने लगे—रुहते, इससे नमाज में गल्ल पड़ता है। हर शहर में बहुत सी मसजिदें हैं और उनमें हर रोज़ पांच मर्नवा नमाज पढ़ी जाती है और शहरों में जलूमों की, जिनमें धादी बगैरा के जङ्ग भी शामिल हैं, तथा दूसरे शोरोगुल की बर्मी बर्गी। उम्किग हाउज होने का अन्देश हर बन्द मौजूद रहता था। शाम तौर पर जब मसजिद में शाम होने वाली नमाज के बन्द उम्किग निरन्तर और बाजों का शोरगुल होता तो ऐतराज किया जाता था। इतिहास में कभी उम्किग है जयति हिन्दुओं के मन्दिर में शाम का पूजा माता आरती होती है और शोर मचाये जाते हैं तथा मन्दिरों के चूड़े उम्किग हैं। उम्किग धारणी-नमाज के झगड़े ने बहुत बड़ा उम्किग उम्किग है।

करने वाली एक तीसरी पार्टी एक को दूसरे के खिलाफ भिडा सकती है तब उस जोश को भडकाना बहुत ही आसान होता है ।

उत्तरी हिन्दुस्तान के थोड़े-से शहरो मे होने वाले इन दगो को जरूरत से ज्यादा महत्त्व दे दिया जाता है, क्योंकि हिन्दुस्तान के ज्यादातर शहरो और सूबो में और तमाम गावो में हिन्दू-मुसलमान अमन के साथ रहते रहे थे, उनके ऊपर इन दगो का कोई कहने लायक असर नही पडा । लेकिन अखबारो ने स्वभावत ही मामूली-से-मामूली और टुच्चे-से-टुच्चे झगडे को भी बहुत ज्यादा शोहरत दी । हाँ, यह विलकुल सच है कि शहरो के आम लोगो में भी यह साम्प्रदायिक तनातनी और कटुता बढती गई । चोटी के साम्प्रदायिक लीडरो ने उसे और भी बढाया और वह साम्प्रदायिक राजनैतिक माँगो की कडाई के रूप मे जाहिर हुई । हिन्दू मुसलमान झगडे से मुसलमानो के दकियानूसी लीडर, जो राजनीति मे प्रतिगामी दल के है और जो असहयोग के इतने बरसो में कोनो में पीछे पडे हुए थे, बाहर निकले और इस प्रतिक्रिया में सरकार ने उनकी मदद की । उनको तरफ से रोज-ब-रोज नई-नई और पहले से ज्यादा दूर तक जानेवाली साम्प्रदायिक माँगें पेश होती जो हिन्दुस्तान की आजादी और कौमी एकता की जड को काटती थी । हिन्दुओ की तरफ भी जो लोग राजनीति में प्रगति-विरोधी थे वे ही-हिन्दुओ के साम्प्रदायिक नेता थे और हिन्दुओ के हको की रक्षायाली करने के वहाने वे नियमित-रूप से सरकार के हाथो की कठपुतली बन गये । उन्होने जिन बातो पर जोर दिया उन्हें हासिल करने में उन्हें कोई कामयाबी नही मिली । जिन तरीको से वे काम ले रहे थे उनसे वे लाख कोशिश करने पर भी कामयाव नही हो सकते थे । हाँ, उन्होने मुल्क में जातिगत विद्वेष फैलाने में जरूर कामयाबी हासिल की ।

कांग्रेस बडे असमजस मे पड गई । वह तो कौमी जखवान की

प्रतिनिधि-स्वरूप थी, उन्हींका उसे खयाल रहना था, इसलिए इन नामप्रदायिक मनमुटाव का उसपर अनर पडना लाजिमी था। कई काँग्रेसी राष्ट्रीयता की चादर ओढ़े हुए सम्प्रदायवादी सावित हुए। लेकिन कांग्रेस के नेता मजबूत बने रहे और कुछ भिलाकर उन्हींने किमी की भी तरफदारी करने में साफ इन्कार कर दिया। हिन्दू-मुसलमानों के मामलों में ही नहीं, बल्कि और फिरको के मामलों में भी, क्योंकि अब तो मिस्र वगैरा कम नाबाद वाली जातियाँ भी जोर-जोर से अपनी माँगें पेन कर रही थीं। लाजिमी तौर पर इस बात का गतीजा यह हुआ कि दोनों तरफ के अन्तिममार्गी लोग कांग्रेस की बुराई करने लगे।

बहुत दिन पहले वसहयोग के शुरू होते ही या उसने भी पहले गांधीजी ने हिन्दू-मुस्लिम मसले को हल करने की तदबीर बताई थी। उनका कहना था कि यह मसला तो तभी हल हो सकता है जब बड़ी जाति उदारगना और सद्भावना में काम ले। इसलिए वह मुसलमानों की हरेक माँग को पूरा करने को राजी थे। वह उनसे सीदा नहीं करना चाहते बल्कि उन्हें अपनी तरफ पूरी तरह मिला लेना चाहते हैं। चीड़ों की कीमतों को ठीक-ठीक कूनकर उन्हींने दूरदर्शिता के साथ जो अमली काम को बान धी उमें पफड लिया। लेकिन हमारे को जो नमसते थे कि वे हरेक चीड़ का बाजार-भाव जानने हैं लेकिन अमल में किमी भी जिन गी नहीं जीमन में बाकिड न थे बाजार के सीदा करने के तरीके में चिन्ते नह। उन्हें वह सर्व मो साक-माक दिवाई दिया जो अमली निम की गरीबने में उना पट रहा था, जो उसमें उन्हें हट भी होना था, जेम्बिन जिन निम की वे मायद उगीद लेने उनकी अपनी जीमन की वे कुछ भी नह नई रर गाने ने।

मुसलमानों की नयताओंमें राना और उनपर दोन मड देना आमान है और अपनी नयताओं की नयताओंमें क लिए काउन्-गोई बहाना दहने

के लिए तो इनके के मिर कसूर थोपने के लालच को रोकना प्रायः दुश्वार ही हो जाता है। हम कहते हैं—कसूर हमारे खयाल का या नाम में किन्नी-किन्म की गलती का बोडे ही था, वह तो दूसरे लोगो ने जान-बूझकर जो रोडे अटकाय उनका था। हमने सरकार को और साम्प्रदायिक लीडरो को दोष दिया। साम्प्रदायिक लीडरो ने हमारा कसूर बताया। इनमें कोई शक नहीं कि हम लोगो के-रास्ते में सरकार तथा उनके साधियो ने अडचने डाली, और जान-बूझकर लगातार रोडे अटकाये। इसमें कोई शक नहीं कि ब्रिटिश सरकार ने क्या पहले से और क्या अब अपनी कार्य-नीति का आचार हम लोगो में फूट पैदा करने पर ही रक्खा है। फूट डालकर राज्य करो, यह हमेशा साम्राज्यो का तरीका रहा है, और उनकी इस नीति की कामयाबी की मात्रा से, जिन लोगो का वे उसने शोषण करते हैं उनके ऊपर, शासको की उच्चता की मात्रा साबित होती है। हमें इस बात की कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। कम-से-कम हमें उसपर कोई अचम्भा नहीं होना चाहिए। उमकी उपेक्षा करनी या पहले से ही उमका इन्तजाम न कर लेना, खुद हमारे विचारो की ही एक गलती है।

लेकिन हम उसका भी क्या इन्तजाम करे ? यह तो तय है कि हुकादारो की तरह से सौदा करने और आम तौर पर उन्ही की चालो से काम लेने से कुछ फायदा नहीं हो सकता, क्योंकि हम कितना भी क्यों न दें, हमारी बोली कितनी भी ज्यादा क्यों न हो, एक ऐसा तीसरा दल हमेशा मौजूद है जो हमसे ज्यादा बोली बोल सकता है और इससे भी ज्यादा यह कि वह जो कुछ कहता है उसे पूरा कर सकता है। अगर हम लोगो में कोई एक राष्ट्रीय या सामाजिक दृष्टिकोण नहीं है तो हम अपने समान वरी पर सब मिलकर एकसाथ चढाई नहीं कर सकते। अगर हम मौजूदा राजनैतिक और आर्थिक ढांचे की भाषा में ही सोचे

जीर नथ करे कि उनी में मिर्फ इतना ही इधर-उधर कुछ हेर-फेर करेगे, उनका सुधार या 'भारतीय करण' कर लेगे, तो फिर मयुक्त प्रहार के लिए कमली प्रलोभन का अनाब ही रहेगा। क्योंकि उन हालत में हमारा मकसद जो कुछ पल्ले पड़े उसके बटवारे का रह जाता है, जिसमें तीसरी और हमपर काबू रखने वाली पार्टी या शक्ति का लाजिमी तौर पर बोलचाला रहता है और वही जिसे इनाम देना पसन्द करती है उसको जो इनाम चाहती है देती है। हा, लेकिन एक विलकुल दूसरे ढंग के राजनैतिक ढांचे की बात सोचने पर और इससे भी ज्यादा विलकुल दूसरे सामाजिक ढांचे की बात नीचकर ही हम मयुक्त उपाय की मजबूत नींव डाल सकते हैं। हमारी आजादी की माँग की तह में जो खयाल बाम कर रहा था वह यह था कि हम लोगों को यह महसूस करा दें कि हम मौजूदा व्यवस्था का वह हिन्दुस्तानी संस्करण नहीं चाहते, जिसमें परदे के पीछे ब्रिटेन का ही नियन्त्रण रहे, और 'डोमिनियन स्टेट्स' के मानी यही है। लेकिन हम लोग तो विलकुल ही दूसरी किस्म के राजनैतिक ढांचे के लिए लड़ रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि राजनैतिक स्वाधीनता के मानी तो राजनैतिक आजादी ही थे। उसमें आम लोगों के लिए कोई आर्थिक या सामाजिक रद्दोददल शामिल न थी, लेकिन उनमें यह मानी जरूर थे कि आर्थिक नीति और मुद्रा-नीति जो बैंक ऑफ इंग्लैंड के द्वारा ठहपाई जाती है वह बन्द हो जायगी और उसके बन्द हो जाने पर हमारे लिए सामाजिक टाँचे की बदलना बहुत आसान हो जायगा। उन दिनों में ऐसा नीचता था। अब मैं इतना और दटा देना चाहता हूँ कि मेरे खयाल में राजनैतिक आजादी भी हमें अपने नहीं मिलेगी, जब वह हमें हासिल होगी तब वह अपने साथ बहुत-कुछ सामाजिक आजादी को भी लेती आवेगी।

लेकिन हमारे वर्ग-उद्देश्य तभी नेता मौजूदा राजनैतिक और,

विलासक, सामाजिक ढाँचे के फौलादी चौखटे के तग दायरो में ही सोचते रहे। साम्प्रदायिक या स्वराज्य-सम्बन्धी हरेक मसले का सामना करने समय उनके पीछे यही खयाल होता था। इसीसे वे ब्रिटिश सरकार से मात खाते रहे। क्योंकि उस ढाँचे पर तो उस सरकार का पूरा-पूरा कावू था। लेकिन वे इसके अलावा और कुछ कर भी नहीं सकते थे। क्योंकि सीधी लड़ाई का प्रयोग करने के बावजूद अभी भी उनका तमाम दृष्टिकोण क्रान्तिकारी न होकर मुख्यतः सुधारवादी था, और वह समय बहुत पहले चला गया जब हिन्दुस्तान में कोई भी राजनैतिक या आर्थिक या जातिगत मसला सुधारवादी तरीके में सन्तोष-जनक रूप से हलम हो सकता था। हालात की माँग थी कि क्रान्तिकारी दृष्टिकोण से योजना निर्माण करके क्रान्तिकारी उपाय किया जाय। लेकिन नेताओं में ऐसा कोई न था जो इन माँगों को पूरा करता।

इसमें कोई शक नहीं कि हमारी आजादी की लड़ाई में स्पष्ट आदर्शों और ध्येयों की कमी ने साम्प्रदायिक जहर को फैलाने में मदद दी। जनता को स्वराज्य की लड़ाई का उनकी रोचकमर्मा की तकलीफों से कोई ताल्लुक दिखाई नहीं दिया। वे कभी-कभी अपनी सहज-बुद्धि ने प्रेरित होकर खूब लड़े। लेकिन वह हथियार इतना कमजोर था कि उसे आसानी से कुण्ठित किया जा सकता था और दूसरी तरफ दूसरे कामों के लिए भी उसका इस्तमाल किया जा सकता था। उसके पीछे कोई तर्क तथा विवेक न था और प्रतिक्रिया के समय में जातीय नेताओं को इस काम में कोई मुश्किल नहीं पड़ती थी कि वे इभी जलवे को मजहब के नाम पर उभाड़कर उसका इस्तमाल करे। ताहम यह बात बड़ी अचम्भे की है कि हिन्दू और मुसलमान दोनों में दुरुजुआ यानी मध्यम श्रेणी के लोगों की मजहब के नाम पर उन प्रोग्रामों और माँगों के लिए भी जनता की-हमदर्दी काफी हद तक मिल गई, जिनका

जनता ने ही नहीं, निचली मध्यम श्रेणी के लोगों से भी कोई ताल्लुक न था। हरक जाति जनता से ही जो भी अपनी जातीय माँग पेश करती है उसकी लाञ्छ करने पर अखीर में यही मालूम होता है कि वह माँग नीकरियों की माँग है और ये नीकरियाँ तो मध्यम श्रेणी के मुट्ठी-भर लोग के लोगों को ही मिल सकती हैं। बेशक, यह माँग भी की जाती है कि कॉमिलो में, जोकि राजनीतिक ताकत का मुकाम है, स्पेशल और ज्यादा जगह दी जायें, मगर इस माँग का भी यही मतलब है कि इससे ज्यादा हमरो में बड़े बनकर उन्हें अपनाने की सत्ता मिलेगी। इन छोटी मियागी माँगों से ज्यादा-से ज्यादा मध्यम श्रेणी के ऊपरी तह के थोड़े-से लोग को कुछ कुछ फायदा पहुँचता था, लेकिन उनसे अक्सर राष्ट्रीय उन्नति और एकता के रास्ते में बड़ी अड़चने पैदा होती थीं। फिर भी बड़ी चालाकी के साथ इन माँगों को अपने मजहूरी फिरके के आम लोगों की माँग के रूप में दिखाया जाता था। असल में उनका मतलब सिर्फ़ाने के लिए उनपर मजहूरी जोग की चादर लपेट दी जाती थी।

इस तरह जो लोग राजनीति में प्रतिभासी थे वे ही साम्प्रदायिक या जातीय नेताओं या रूप धरकर राजनीति मंडल में आये और उन्होंने इस दुनियाँ का राजकारण ही वे प्रमत्त में जानियन पक्षरान से श्रेष्ठ मानकर उसी रास्ते की गिनती राजनीति मजहूरी को रोकने के लिए की। राजनीतिक मामलों में उन्हें हमें हमेशा मजहूरान ही ही मानना पड़ता था, क्योंकि जिस भी एक दुर्ग नाम का वह सामाजिक पर धर्म-मूलक एक दुर्ग का हिस्सा बनकर के शिरों में हमें हमें एक ही मजहूरान ही ही मानना पड़ता था। जो लोग मजहूरान के शिरों में मजहूरान ही ही मानना पड़ता था। जो लोग मजहूरान के शिरों में मजहूरान ही ही मानना पड़ता था। जो लोग मजहूरान के शिरों में मजहूरान ही ही मानना पड़ता था।

जातीय नेता यद्यपि जाहिरा तौर पर राष्ट्रीयता के नाम पर बोलते थे लेकिन असल में उनका उससे कोई ताल्लुक नहीं था। चूँकि वे कोई अमली उपाय नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने सरकार की खुशामद करके उसे राखी करने की कोशिश की, लेकिन वह भी बेकार गई। हिन्दू-मुसलमान दोनों के नेता साम्यवाद या ऐसी ही "सत्यानासी" हलचलो की बुराई करते थे। स्थापित स्वार्थों के हक़ों में खलल डालने वाली हर तजवीज़ के मामले में इनकी एक राय देखते बनती थी। मुसलमानों के जातीय नेताओं ने ऐसी बहुत-सी बातें कही और बहुत-सी हरकतें की जिनसे राजनैतिक और आर्थिक स्वाधीनता को नुकसान पहुँचता था। लेकिन व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों रूप में उनका व्यवहार पब्लिक और सरकार के सामने कुछ थोड़ा-बहुत गौरव लिये हुए होता था। लेकिन हिन्दू साम्प्रदायिक नेताओं की बाबत यह बात नहीं कही जा सकती।

काँग्रेस में बहुत-से मुसलमान थे। उनकी तादाद बहुत बड़ी थी, जिनमें बहुत-से काबिल शख्स भी थे। इतना ही नहीं, हिन्दुस्तान के सबसे ज्यादा मशहूर और सबसे ज्यादा लोकप्रिय मुसलमान नेता काँग्रेस में शामिल थे। उनमें से बहुत-से काँग्रेसी मुसलमानों ने नेशनलिस्ट मुस्लिम पार्टी नाम का एक दल बनाया और उन्होंने जातीय मुसलमान नेताओं का मुकाबिला किया। शुरू में तो उन्हें इस काम में कामयाबी भी मिली, और ऐसा मालूम पड़ता था कि पढ़े-लिखे मुसलमानों का बहुत बड़ा हिस्सा उनके साथ था, लेकिन ये सब-के-सब मध्यम वर्ग की ऊपरी श्रेणी के लोगो में से थे और उनमें कोई ऐसा वेगवान् नेता न था। वे अपने-अपने काम-धन्धों में लग गये और आम लोगो से उनका सम्बन्ध हट गया। बल्कि सच तो यह है कि वे लोग अपनी काम के आम लोगो के पास कभी गये ही नहीं। उनका तरीका अच्छे अच्छे

कमरो में बैठकर मीटिंगें करके आपसमें राजीनामा कर लेने और पैक्ट करने का था और इस खेल में उसके रकीब यानी जातीय नेता उनमें कहीं ज्यादा होनियाय थे । इन जातीय नेताओं ने नेशनलिस्ट मुसलमानों को धीरे-धीरे एक स्थिति से हटाकर दूसरी स्थिति पर लगाया और इसी तरह एक-के-बाद-एक स्थिति से वे उन्हें हटाते गये और जिन उम्मीदों के लिए वे शुरू में बड़े थे उनको वे इन ने एक-एक करके छुड़वाने गये । नेशनलिस्ट मुसलमान हमेशा, कभी पीछे न ज्यादा हटना पड़े इस डर में, खुद-ब-खुद कुछ पीछे हटते गये और 'कम बुराई' को चुनने की नीति को अद्वयार करके अपनी हालत मजबूत करने की कोशिश करते रहे । लेकिन इस नीति का नतीजा हमेशा यही हुआ कि उन्हें हमेशा पीछे हटना पड़ा और हमेशा 'कम बुराई' के बाद उनमें ज्यादा बुरी दूसरी 'कम बुराई' मजूर करनी पड़ी । फलस्वरूप ऐसा बन आ गया कि उनके पास कोई ऐसी चीज नहीं रह गई जिसे वे अपनी कह सकते । उनके आचार्यगत निदानों में भी एक के बिना और कोई बाकी नहीं रहा । यह एक उम्मीद हमेशा से उनकी उम्मीद या लगन रहा है और वह ही सामान्यतः चुनाव । लेकिन 'कम बुराई' का चुनने की नीति के फिर उनके सामने यही घातक चुनाव पेश कर दिया जाय उन शक्ति-मगीया ने तो वह अपने लेकिन अपना खतरा भी मोटा गये । दूसरी ओर उनकी यह हालत है कि जिन उम्मीदों का उम्मीद था उन्होंने अपनी जमान बनाई थी उन मजबूत ने भी पीछे । दूसरी उम्मीदों की जमान तो उन्होंने पहले बड़े पक्ष के साथ अपने जमान के उम्मीद पर लगाया था, लेकिन अब उनमें ने उनको पास उनके नाम के बिना जाय कुछ नहीं, ग्या ।

दूसरी हीमियत न था ये था, बिना प्रक, उ- भी कारणों ने अद्वय
 अशांति में है, हीमियत न थी हीमियत ने हीमियत न हीमियतों के

गिरने और भिटने की कहानी बहुत ही दयनीय है। इसमें बहुत बरस लगे और उस कहानी का आखिरी अध्याय पिछले साल, १९३४ में ही लिखा गया है। १९२३ में और उसके बाद उनकी जमात बहुत मजबूत थी और वे साम्प्रदायिक लोगों के मुकाबले में लडाकू ढंग भी अख्तियार किया करते थे, और सच बात तो यह है कि कई मौकों पर गाधीजी तो मन्मदायवादी मुसलमानों की कुछ माँगों को सख्त नापसन्द करते हुए भी पूरा करने को तैयार हो जाते थे, लेकिन उनके साथी नेशनलिस्ट मुसलमान नेता गाधीजी को ऐसा करने से रोकते और उन माँगों की मुखालफत बड़ी सत्ती के साथ करते थे।

१९२० से लेकर १९२९ तक के बीच के सालों में आपस में बात-चीत और वहस-मुवाहिसा करके हिन्दू-मुस्लिम मसलों को हल करने की कई कोशिशें की गईं। ये कोशिशें एकता-सम्मेलनों के नाम से मशहूर हैं। इन सम्मेलनों में सबसे ज्यादा मशहूर वह था जो १९२४ में मौलाना मुहम्मदअली ने कांग्रेस के सदर की हैसियत से बुलाया और जो गाधीजी के इक्कीस दिन के अनशन के अवसर पर दिल्ली में हुआ। इन सम्मेलनों में बहुत-से भले और सच्चे आदमी शरीक हुए थे और उन्होंने समझौता करने की बहुत सख्त कोशिश की, कुछ अच्छे व भले प्रस्ताव भी पास किये गये, लेकिन असली मसला हल हुए बिना ही रह गया। ये सम्मेलन उस मसले को हल कर ही नहीं सकते थे, क्योंकि समझौता बहुमत से नहीं हो सकता था। वह तो वास्तविक एक-राय से ही तय हो सकता है और किसी-न-किसी दल के ऐसे कट्टर लोग हमेशा मौजूद रहते थे जो समझते थे कि समझौता तभी हो सकता है जब सब लोग सोलहो आने हमारी बात मान ले। सचमुच कभी-कभी तो यह शक होने लगता था कि कुछ नामी-नामी जातीय नेता बाकई निपटारा चाहते भी हैं या नहीं? उनमें से बहुत-से राजनैतिक मामलों में प्रगति-

विरोधी थे और उनमें तथा उन लोगों में जो राजनीति में काया-पलट चाहते थे, कोई भी शक सामान्य न थी।

लेकिन अचानक मुझिले तो ज्यादा गहरी थी और वे महत्त्व शक्तों की खराबी की वजह से ही नहीं थी। अचानक निम्न भी अपनी जाति की भाँगे और के साथ पैस करने लगे थे, जिनकी वजह से पंजाब में भी एक गैरसामूहिक और विकट निष्पत्ति खिचाव पैदा हो गया था। सचमुच पंजाब ही तमाम गमले की जड़ बन गया और वहाँ हरेक जाति में इनके के टर की वजह से बोग और दुर्भाव का वायु-मण्डल बन गया। कुछ शक्तों में किसान और जमींदारों के व बगाल में हिन्दू-जमींदार और मुसलमान-किसानों के किन्हीं जातीयवेद्य में सामने आये। पंजाब और निम्न में माहूकार और रुपयेवाले लोग आमदार पर हिन्दू हैं और ऊर्ध्व ने दबे हुए लोग मुसलमान चेरीहर। वहाँ ऊर्ध्व ने दबे हुए लोगों में उनकी जान के गाहक बोहरो के खिलाफ जो भाव होते हैं उन तमाम भावों ने साम्प्रदायिक लहर को बढ़ाया। जानदार पर मुसलमान शरीर थे और मुसलमानों के साम्प्रदायिक लीडरों ने शरीरों में अमीरों के खिलाफ जो बुरे भाव होते हैं उनका इस्तेमाल अपने साम्प्रदायिक हेतुओं के लिए किया। यद्यपि साम्प्रदायिकी का नाम तो यह है कि इन हेतुओं से शरीरों को नकारा जा उन्हें कोई साल्फुज न था, लेकिन इनकी वजह से साम्प्रदायिक मुसलमान लीडर कुछ हद तक बहर जान लोगों के प्रतिनिधि थे और इनकी वजह से उन्हें ताकत भी मिली। आर्थिक दृष्टि से हिन्दुओं के साम्प्रदायिक नेता अमीर साहूकारों और पैसेवर लोगों के प्रतिनिधि थे—इसलिए हिन्दू जन-साधारण में उनकी पीठ पर कोई न था, यद्यपि कुछ सीधों पर जन-साधारण की महानुभूति उन्हें मिल जाती थी। इसलिए यह समझा कुछ हद तक आर्थिक खिलाफती के मयलों में हिन्दू-निम्नता आ रहा है, हालाँकि राज की बात तो यह है कि लोगों

ने अभी इस बात को महसूस नहीं किया। हो सकता है कि यह बात बढ़कर स्पष्ट रूप से आर्थिक वर्गों के झगड़ों की शकल अस्तित्व कर ले, लेकिन अगर वह वक्त आया तो आजकल के साम्प्रदायिक लीडर, जो फिरके के अमीरों के प्रतिनिधि हैं, दौड़कर अपने भेद-भाव को मिटा देंगे जिससे कि वे मिलकर अपने वर्ग के वंदी का मुकाबला कर सकें। यो तो जुदा हालतों में भी इन जातिगत झगड़ों को निपटा कर राज-नैतिक एकता कर लेना उतना मुश्किल न होना चाहिए, बशर्त—लेकिन बहुत बड़ी शर्त है—कि तीसरी पार्टी न मौजूद हो।

दिल्ली का 'एकता-सम्मेलन' मुश्किल से खत्म हो पाया था कि इलाहाबाद में हिन्दू-मुसलमानों में दगा हो गया। यो और दगों को देखते हुए यह दगा कोई बड़ा दगा न था, क्योंकि उसमें हताहतों की तादाद बहुत न थी, लेकिन अपने ही शहर में इस तरह के दगों के होने से मुझे रज बरूर होता था। मैं दूसरे लोगों के साथ इलाहाबाद दौड़ पड़ा। लेकिन यहाँ पहुँचते-पहुँचते मालूम हुआ कि दगा खत्म हो गया। हाँ, उसके फल-स्वरूप जो आपसी वैर-भाव बढ़ा और मुकदमेबाजी चली वह बहुत दिनों तक बनी रही। मैं यह भूल गया हूँ कि यह झगड़ा क्यों हुआ? उस साल या शायद उसके बाद इलाहाबाद में रामलीला के उत्सव के सिलसिले में भी कुछ टण्टा हो गया था। रामलीला के उत्सव में बड़े भारी-भारी जुलूस भी निकला करते थे—लेकिन चूँकि मसजिदों के सामने बाजा बजाने में कुछ बन्धन लगा दिये गये, उसके विरोध-स्वरूप, लोगोंने रामलीला मनाना ही छोड़ दिया। करीब-करीब आठ वर्ष से इलाहाबाद में रामलीला नहीं हुई। यह त्यौहार इलाहाबाद के जिले के लाखों लोगों के लिए सालभर में सबसे बड़ा त्यौहार था। लेकिन अब वहाँ उसकी दुखद याद-भर है। बचपन में जब मैं रामलीला देखने जाया करता था तबकी याद मुझे अच्छी तरह बनी हुई है। उसको

देखकर हम लोगों को किननी जुगी, किना जोश होता था और जिले-भर से तथा हमारे कमवो ने लोगों की भारी भीड़ उमे देखने को आती थी। त्यौहार हिन्दुओं का था, लेकिन वह खूले आम मनाया जाता था इसलिए मुसलमान भी उसे देखने को भीड़ में शामिल हो जाते थे और चारों तरफ सब लोग खूब खुशियाँ मनाते और मीज करते थे। व्यापार चमक उठता था। इसके बहुत दिनों बाद बढा हो जाने पर जब मैं रामलीला देखने गया तो मुझे कोई जोश न आया तथा जुलूम और त्वागो ने मेरा जी ऊव गया। कला और आमोद-प्रमोद के बारे में मेरी रचि का माप-दण्ड ऊँचा होगया था। लेकिन उस वक्त भी मैंने यह देखा कि आदमियों की भारी भीड़ उसको देख-देखकर बहुत खुश होती थी और उसे पसन्द करती थी। उनके लिए तो वह वक्त मीज करने का वक्त था, और अब आठ या नौ वरसों से इलाहाबाद के वन्चो को—वन्चो को ही क्यों, बडे लोगो को भी—उस उत्सव को देखने का कोई मौका नही मिलता। उनकी खिन्दगी में रोजमर्रा के नीरस काम से खुशी के जोश का जो एक उज्ज्वल दिन साल उन्हें मिल जाया करता था वह भी न रहा, और यह सब बिलकुल नाचीब बेकार के अगडे-टण्टो की बजह से। बेगक मजहब और मजहब की स्पिस्ट को ऐसी बहुत-सी बातों के लिए जवाबदेह होना पडेगा। ओफ, वे कितने आनन्द-नाशक आवित हुए हैं !

: २० :

म्युनिसिपैलिटी का काम

दो साल तक मैं इलाहाबाद-म्युनिमिपैलिटी के चेयरमैन की हैसियत में काम करता रहा। लेकिन रोज-ब-रोज इस काम में मेरी-तवीयन

उच्चती-नी जानी थी। मेरी चेपरमनी की मियाद कायदे मे दो-तीन मान् की थी, लेकिन हमरा भाल अच्छी तरह शुरू ही हुआ था कि मैंने उम जिम्मेदारी मे अपना पिण्ड छुटाने की कोशिश शुरू कर दी। मैं उस काम को पसन्द करना था और उममें मैंने अपना काफी बत और काफी ध्यान लगाया था। कुछ हदतक उसमें मुझे कामयाबी भी मिली और अपने साथियों का भी मदभाव मैंने प्राप्त किया था। सूबे की सरकार ने भी मेरे म्युनिमिपैलिटी-सम्बन्धी कुछ कामों को इतना पसन्द किया कि उनमें मेरे राजनैतिक कामों की वजह से अपनी नाराजी को भूलकर उनकी तारीफ की। लेकिन फिर भी मैं यह पाता था कि मैं चारों तरफ से जकड़ा हुआ हूँ और कोई वाकई कहने लायक काम करने से मुझे रोका जाता है तथा मेरे रास्ते में अटकने डाली जाती है।

उसके मानी यह नहीं है कि कोई साहब जान-बूझकर मेरे काम में अड़ये लगाते थे, बल्कि सच बात तो यह है कि लोगो ने राजी-खुशी से मुझे जितना सहयोग दिया वह आश्चर्यजनक था। लेकिन एक तरफ सरकारी मशीन थी और दूसरी तरफ म्युनिमिपैलिटी के मेम्बरो और पब्लिक की उदासीनता थी। सरकार ने म्युनिमिपैलिटी के शासन का फौलादी चीखटे में जैसा ढांचा बनाया वह आमूल परिवर्तन या नवीन सुधारों को रोकने वाला था। राजस्व-सम्बन्धी नीति ऐसी थी कि म्युनिमिपैलिटी को हमेशा सरकार के भरोसे रहना पड़ता था। मौजूदा म्युनिमिपैलिटी कानूनो के मुताबिक सामाजिक विकास की और टैक्स लगाने सम्बन्धी कायापलट करने वाली योजनाओं की इजाजत न थी। जो योजनायें कानून के मुताबिक की जा सकती थी उनपर अमल करने के लिए भी सरकार की स्वीकृति लेनी पड़ती थी, और उस स्वीकृति को वही लोग माँग सकते थे तथा वही उसकी राह देख सकते थे जो बड़े आगावादी हो और जिनके सामने बहुत बड़ी-जिन्दगी पड़ी हो। मुझे यह देखकर हैरत हुई कि जब कोई सामाजिक

पुनःस्थापन का या राष्ट्र-निर्माण का मामला था पड़ता है तब सरकारी मशीन कितनी धीरे-धीरे, मार-मारकर और टील-पील के साथ चलती है, लेकिन जब किनी राजनैतिक मुखालिफ को दवाना हो तब ज़रा भी ढील और गलती नहीं रहती। इन दोनों कामों में सरकार के रुख की दुरीत देखने लायक होती थी।

स्थानीय स्वराज्य से ताल्लुक रखने वाली सूबे की सरकार के महकमे मिनिस्टर के मानहूत होते हैं, लेकिन आम तौर पर ये मिनिस्टर देवता म्युनिसिपैलिटी के मामलों में ही नहीं बल्कि पब्लिक मामलों में भी बिलकुल कोरे थे। सच बात तो यह है कि उनको कोई पूछता ही न था। खूद उनके महकमे के कारकुन ही उनका कोई खयाल नहीं करते थे। उनसे तो इंडियन सिविल सर्विस के स्थायी हाकिम चलाते थे और इन हाकिमों पर हिन्दुस्तान के ऊँचे हाकिमों की इस प्रचलित धारणा का बहुत असर था कि सरकार का काम तो खास तौर पर पुलिस का यानी अमन-चैन रखने का काम है। अधिकारीपन और भाँजापन के थोड़े-से खयाल ने भी इस धारणा पर कुछ हद तक असर डाला था। लेकिन बड़े पैमाने पर सामाजिक सेवा के कार्यों की ज़रूरत को कोई भी महसूस नहीं करता था।

म्युनिसिपैलिटियाँ हमेशा ही सरकार के कर्ज से दबी रहती हैं और इसलिए पुलिस की निगाह के अलावा सरकार जिन दूसरी निगाह से म्युनिसिपैलिटी को देखती है वह है कर्ज देनेवाले बोहरे की निगाह। आया कर्ज की कितनी वापसे पर अदा हो रही है? आया म्युनिसिपैलिटी कर्ज अदा करने की ताकत भी रखती है? उनके पास काफ़ी रोकड़-चाकी है या नहीं? ये सब सवाल ज़रूरी और भाकूल हैं, लेकिन अक्सर यह बात भुला दी जाती है कि म्युनिसिपैलिटी को कुछ खास काम भी करने हैं—जैसे तालीम, सफाई बर्गरा, और वह महज एक ऐना मण्डल नहीं है जिनका काम

रुपये कर्ज लेकर उन्हें तयगुदा भियादो पर अदा करते रहना हो। हिन्दु-स्तान की म्युनिसिपैलिटियाँ शहर की भलाई के लिए जो काम करती हैं वे बीमे ही बहुत कम हैं, लेकिन ये थोड़े-से काम भी रुपये की तगी होते ही फौरन कम कर दिये जाते हैं और आम तौर पर सबसे पहले यह बला शिक्षा के ऊपर पड़ती है। म्युनिसिपैलिटी के मदर्सों में हाकिम लोगो की कोई जानी दिग्दर्शी नहीं, उनके बाल-बच्चे-तो उन्हें बिलकुल अप-टू-डेंट और खर्चीले प्राइवेट स्कूलों में पढते हैं जिन्हें अक्सर सरकार से ग्राण्ट मिलती है।

✓ ज्यादातर हिन्दुस्तानी शहरो को दो हिस्सों में बाँटा जा सकता है। एक तो घना बना हुआ खास शहर, दूसरा लम्बा-चौड़ा फैला हुआ बगले-बगलियों का रकबा। इन हरेक बगलो में काफी बटा अहाता या बाग भी होते हैं। इस रकबे को अग्रेज आम तौर पर 'सिविल लाइन' कहकर पुकारते हैं। अग्रेज अफसर और व्यापारी तथा ऊपरी मध्यम श्रेणी के पेण्डेर और हाकिमों के वर्जों के हिन्दुस्तानी इन्ही सिविल-लाइनों में रहते हैं। म्युनिसिपैलिटी की आमदनी ज्यादातर शहर खास से होती है न कि सिविल-लाइन से। लेकिन म्युनिसिपैलिटियाँ खर्च जितना शहर खाम पर करती हैं उससे कहीं ज्यादा सिविल-लाइनो पर करती हैं, क्योंकि सिविल-लाइनो के कहीं बड़े रकबे में ज्यादा सड़को की जरूरत होती है। इन सड़कों की सफाई और उनपर छिडकाव कराना होता है। उनपर रोशनी का इन्तजाम करना होता है तथा उनकी मरम्मत भी करानी पडती है। इसी तरह उनमें नालियों का, पानी पहुँचाने का और सफाई का इन्तजाम भी ज्यादा जगह में करना होता है। मगर शहर खास की हमेशा बुरी तरह से लापरवाही की जाती है और बिला शक, शहर के गरीबों की गलियों की तो अक्सर कोई परवाह ही नहीं की जाती। शहर खास में अच्छी सड़के तो बहुत ही कम होती हैं और उसकी

नग गलियों में रोमनी का इन्जाम ज्यादातर बहुत नाकाफ़ी होता है। उसने नालियो और मज़ार्ड का भी काफी माकूल इन्जाम नहीं होता। घट्टर खास के लोग बेचारे औरज के साथ इन सब बातों को बरदास्त कर लेते हैं। कभी कोई गिनायत नहीं करते, और जब वे गिनायत करते हैं तब भी ऐसा कोई नतीजा नहीं निकलता, क्योंकि ऊरीब-ऊरीब मनी बड़े-छोटे घोर भवानेवाले लोग तो सिविल-लाइनों में ही रहते हैं।

टैक्स के बोझ को कुछ दिन तक गरीबों और अमीरों पर बराबर बराबर झालने के लिए और कुछ मुषारों के कुछ काम करने के लिए मैं जमीनों की क्रॉम्प के आधार पर टैक्स लगाना चाहता था। लेकिन ज्योंही मैंने यह तबदील पेश की त्योंही एक नरकाने अप्रसर ने उसकी मुन्नालफ्त की। मैं समझता हूँ कि वह अल्फर डिजा-नरिस्ट्रेड था जिन्होंने यह कहा कि ऐसा करना जमीन के कच्चे के बारे में जो बहुत-सी घर्तें ब डानून हैं उनके डिजाग्र पड़ेगा। चाहिए है कि ऐसा टैक्स-निक्लि-स्टाइन के जंगलों में रहनेवालों का ज्यादा देना पड़ता। लेकिन नरकार उस चुगो को बहुत पसन्द करती है जिन्होंने व्यापार कुचला जाता है, तनाम चौबों की—जिनमें खाने की चीखें भी शामिल हैं—क्रीमते बट जाती हैं और गिनका बहुत ज्यादा बोझ गरीबों पर आकर पड़ता है। और सनाद-बिरुद्ध तथा हानिकारक यह टैक्स हिन्दुलान की ज्यादातर न्युनिनिर्पैन्डियों को आमदनी की खास दुनियाद है—दखपि मैं समझना हूँ, वह धीरे-धीरे दहे-दहे ग्रहणों से उजना जाता है।

न्युनिनिर्पैन्डियों के बेपरवाह की हैमियन से मुझे इन तरह एक हृदयहीन सत्तावादी नरकारों नयीन से जान लेना पड़ना था जो बड़ी नगनकर के साथ पुगनी नीक पर चर-मर करती चलती थी और अडिबल टट्टू की तरह ज्यादा वेदों में या दूरी तरह चलने से इन्कार करती थी। इनकी तरह मेरे साथी मन्वर लौ थे। उनमें से ज्यादातर

लीक-लीक ही चलना पसन्द करते थे। उनमें से कुछ तो आदर्शवादी थे। इन लोगों ने अपने काम में उत्साह दिखाया। लेकिन कुल मिलाकर मेम्बरो में न तो दूरदृष्टि ही थी, न तवदीली या सुधार करने की धुन। पुराने तरीके काफी अच्छे हैं, फिर क्या जरूरत है कि ऐसे प्रयोगों से काम लिया जाय जो मुमकिन है कि पूरे न पडे ? आदर्शवादी और जोशीले मेम्बर भी धीरे-धीरे उन रोजमर्रा की जड बातों के नशीले असर के शिकार हो गये। लेकिन हाँ, एक बात ऐसी जरूर थी जिस पर हमेशा यह भरोसा किया जा सकता था कि वह मेम्बरो में नया जोश पैदा कर देगी, और वह थी अपने नाते रिस्तेदारों को नौकरियों तथा ठेके वगैरा देने के मामले। लेकिन इसमें दिलचस्पी रखने से हमेशा ही काम में अच्छाई नहीं बढ़ती थी।

हर साल सरकारी प्रस्ताव, हाकिम लोग और कुछ अखबार म्युनिसिपैलिटियाँ और जिला-बोर्डों की नुक्ताचीनी करते हैं और उनकी बहुतासी कमियों की तरफ इशारा करते हैं, और इससे यह नतीजा निकाला जाता है कि लोक-तन्त्री सस्थायें हिन्दुस्तान के लिए मौजू नही हैं। उनकी कमियाँ तो जाहिर हैं, लेकिन उस ढांचे की तरफ कतई ध्यान नहीं दिया जाता, जिसके अन्दर उन्हें अपना काम करना पड़ता है। यह ढांचा न तो लोक-तन्त्री ही है न एक-तन्त्री। वह तो इन दोनों की दोगली मनान है और उसमें दोनों की ही खराबियाँ मीजूद है। यह बात तो मजूर की जा सकती है कि केन्द्रीय-सरकार को मुकामी या स्थानिक सस्थाओं पर देखभाल तथा नियन्त्रण करने के कुछ अस्त्यार जरूर होने चाहिए, लेकिन स्थानीय लोक-सस्थाओं के लिए यह तभी लागू हो सकता है जब केन्द्रीय सरकार खुद लोक-तन्त्री और पब्लिक की जरूरतों का खयाल रखने वाली हो। जहाँ ऐसा न होगा वहाँ या तो केन्द्रीय सरकार और स्थानीय शासन-सस्था में रस्साकशी होगी या मुकामी सस्था चुप-

चाप केन्द्रीय सरकार के हुकम बजाया करेगी। इस तरह केन्द्रीय सरकार ही असल में स्थानिक मन्त्रियों से जो चाहेगी भी करायेगी। लेकिन तात्पर्य यह है कि वह जो कुछ करेगी उनके लिए जिम्मेदार नहीं होगी। अल्पधार तो उसी को होंगे, लेकिन जवाबदेही उसकी न होगी। बाहिर है कि यह हालत मन्त्रोप-जनक नहीं कही जा सकती, क्योंकि उनमें पब्लिक के नियन्त्रण की वास्तविकता जाती रहती है। म्युनिसिपल बोर्डों के मेम्बर केन्द्रीय सरकार को खुश रखने की जितनी कोशिश करते हैं उतनी पब्लिक के अपने चुननेवालों को खुश रखने की नहीं; और जहाँ तक पब्लिक ने ताल्लुक है, वह अक्सर बोर्ड के कामों की तरफ से बिल्कुल उदासीन रहती है। समाज की भलाई में अमली ताल्लुक रखनेवाले मामले तो बोर्ड के सामने मुश्किल में ही कभी आते हैं—खास तौरपर इनमें, क्योंकि वे बोर्ड के काम के दायरे से बाहर हैं, और बोर्ड का मनमें ज्यादा बाहिर काम है पब्लिक ने टैकम वक्त करना। और यह काम उसे ऐसा ज्यादा लोकप्रिय नहीं बना सकता।

स्थानिक मन्त्रियों के लिए वोट देने का हक भी थोड़े ही लोगों तक महसूस है। वोट देने का अल्पधार और भी ज्यादा बढ़ाया जाना चाहिए, जो वोट होने की योग्यता को घटाकर किया जा सकता है। मन्त्रोप-कार्यक्रम जैसे बड़े-बड़े कार्यक्रमों के कारोबार तक के मेम्बरों का चुनाव भी बहुत महसूस वोटों द्वारा होना है। कुछ समय पहले खुद मन्त्रोप-कार्यक्रम में वोट देने का अल्पधार ज्यादा लोगों को देने का प्रस्ताव किया गया था। जाति है कि बादतर मेम्बर अपनी हालत में खुश हो और वे हममें से-हमें होते या हमें अपने में शामिल की वोटें जमावें नहीं, हममें से।

उपर्युक्त बातों से यह निष्कर्ष निकलता है कि हमारी स्थानिक मन्त्रियों के काम को हमें अपने-आपके ही कार्यवाहकता के समान ही

नमूने नहीं हैं, यद्यपि वे जैसी हैं वैसी हालत में भी बहुत आगे-वढे हुए लोकतन्त्री देशों की कुछ म्युनिसिपैलिटियों से टक्कर ले सकती हैं। आमतौर पर उनमें रिश्वत की बुराई नहीं है। महज सुब्यवस्था की कमी है। उनकी खास कमजोरी है पक्षपात, और उनके दृष्टिकोण सब गलत है। यह सब स्वभाविक है, क्योंकि लोकतन्त्र तो तभी कामयाब हो सकता है जब उसके पीछे सुविज्ञ लोकमत और जिम्मेदारी का भान हो। उसकी जगह पर हमें हुकूमत का सर्वव्यापी वायुमण्डल मिलता है और लोकतन्त्र के साथ जिन बातों की जरूरत है वे नहीं पाई जाती। आम जनता को तालीम देने का कोई इतजाम नहीं है, न इस बात की कमी कोशिश की गई है कि जानकारी की बुनियाद पर पब्लिक की राय बनाई जाय। लाजिमी तौर पर ऐसी हालत में पब्लिक का खयाल गलती या साम्प्रदायिक या दूसरे टुच्चे-टुच्चे मामलों की तरफ चला जाता है।

म्युनिसिपैलिटी के इतजाम में सरकार की दिलचस्पी इस बात में रहती है कि राजनीति उससे बाहर रक्खी जाय। अगर राष्ट्रीय हलचल से हमदर्दी रखनेवाला कोई प्रस्ताव पास किया जाता है तो सरकार की तयोरियां चढ जाती हैं। जिन पाठ्य पुस्तकों में राष्ट्रीयता की बू हो उन्हें म्युनिसिपैलिटी के मदरसों में नहीं पढाने दिया जाता। इतना ही नहीं, उनमें राष्ट्रीय नेताओं की तस्वीरे भी नहीं लगाने दी जाती। म्युनिसिपैलिटियों से राष्ट्रीय झंडा उतारना पडता है, न उतारे तो म्युनिसिपैलिटी तोड दी जाती है। ऐसा मालूम होता है कि हाल ही में कई सूबों की सरकारों ने इस बात की कोशिश की है कि कांफेरिशन और म्युनिसिपैलिटियों में जितने कांग्रेसी नौकर हो उन सबको निकाल बाहर किया जाय। मामूली तौर पर इस मतलब को पूरा कराने के लिए इन सस्याओं पर सरकारी दबाव काफी होता है, क्योंकि उसके साथ-साथ

यह धमकी भी दी जाती है कि उन्हें न निकाला गया तो सरकार म्युनिसिपैलिटियों को तालीम बगैरा के लिए जो इमदाद देती है उसे बन्द कर देगी। लेकिन कहीं-कहीं तो—खास तौर पर कलकत्ता-कार्पोरेशन के लिए तो—क़ानून ही ऐसा बना दिया है जिससे उन सब लोगों की जो अन्वययोग या सरकार के खिलाफ किमी और सियासो हलचल में जेल गये नौकरी न मिलने पावे। इस मामले में सरकार का मतलब महज राजनैतिक होता है। काम के लिए उस शस्त्र की लायक्री या नालायकी का कोई सवाल नहीं।

इन थोड़ी-नी मिसालों से यह जाहिर हो जाता है कि हमारी म्युनिसिपैलिटियों और हमारे ज़िला-बोर्डों की कितनी आजादी मिली हुई है और उसमें लोकतन्त्रता की कितनी कमी है। यह तो तय ही है कि वे लोग सीधी सरकारी नौकरी नहीं चाहते। ऐसी हालत में अपने इन राजनैतिक मुखालिफों को तमाम म्युनिसिपल और ज़िला-बोर्डों की नौकरी से अगल रखने की जो कोशिश हो रही है उसपर कुछ गौर करने की जरूरत है। यह कूता गया है कि पिछले चौदह वर्षों में करीब तीन लाख लोग जुदा-जुदा मौकों पर जेल हो आये हैं और यदि राजनैतिक दृष्टि से न देखें तो इममें किसीको शक नहीं हो सकता कि इन तीन लाख लोगों में हिन्दुस्तान के सबसे ज्यादा सज्जन और आदर्शवादी, सबसे ज्यादा बेबा-बनी और स्वार्थ-हीन शस्त्र धामिल हैं। इन लोगों में जोश है, आगे बढ़ने की ताकत है और किमी उद्देश की पूर्ति के लिए संघा का आदर्श है। इन तरह किसी भी पब्लिक महकमे या मार्बजनिक् हित की सम्स्या के काम के लिए आदमी ढूँढने का सबसे अच्छा मामान इन्हींमें मिल सकता था। फिर भी सरकार ने क़ानून बनाकर इस बात की पूरी-पूरी कोशिश की है कि वे लोग नौकर न होने पावे, ज़िम्मे न सिर्फ़ उन्हींको मजा मिले वरकि उन लोगों को

भी जो उनमें हमदर्दी रखते हैं। मरताग खुद ऐसे लोगों को पसन्द करती है और आगे बढ़ती है जो विचकूल जो-हुजर हो, और उसके बाद यह गिनगयन करती है कि हिन्दुस्तान की स्थानिक नस्थाये ठीक तरह में काम नहीं करती, जोर यद्यपि यह गढ़ा जाता है कि राजनीति स्थानिक नस्थायों के काम की हद से बाहर है, फिर भी सरकार को इन बातों में कोई ऐंगगज नहीं कि वे सरकार की मदद के लिए राजनीति में हिस्सा ले। स्थानीय बोर्डों के स्कूलों के मास्टरो को यह डर दिनाकर, कि उन्हें नीकरी से निकाल दिया जायगा, मजबूर किया गया कि गाँवों में जाकर सरकार के पक्ष में प्रचार करे।

पिछले पन्द्रह वर्षों में काँग्रेस-कार्यकर्ताओं को कई मुद्दियों का सामना करना पड़ा है। उन्हें बड़ी भारी-भारी जिम्मेदारियाँ झेलनी पड़ी हैं और आगिर उन्होंने ऐसी सरकार से टक्कर ली जो बड़ी ताकतवर और नुरक्षित है। और यह नहीं कि उनमें उन्हें कामयाबी भी न मिली हो। ब्रिज तालीम के इस कठे क्रम ने उन्हें आत्म-निर्भरता, प्रबन्ध-पटुता और टटे रहने की ताकत दी है। जिन गुणों को एक हुकूमत की स्प्रिट में भरी हुई सरकार की लम्बी और नामदं करने वाली तालीम ने छीन लिया था उन्हींको हमारी हलचलो ने हिन्दुस्तानियों में फिर से डाल दिया है। हाँ, निस्सन्देह, तमाम सार्वजनिक आन्दोलनों की तरह काँग्रेस की हलचलो में भी बहुत-से नामाकूल, वेवकूफ, निकम्मे और इसमें भी बदतर लोग आये और हैं। लेकिन इस बात में भी मुझे कोई शक नहीं है कि असतन काँग्रेस-कार्यकर्ता अपनी बराबर योग्यता रखने-वाले किमी दूसरे शक के मुकाबले में ज्यादा होशियार और कार्यकुशल साबित होगा।

इस मामले का एक और पहलू है, जिसको शायद सरकार और उसके सलाहकारों ने नहीं समझ पाया है। वह यह है कि असली

क्रान्तिकारी तो इन बात का खुशी से स्वागत करते हैं जो सरकार कांग्रेस-कार्यकर्ताओं को ही कोई नौकरी नहीं मिलने देनी और उनके लिए काम नया नौकरी के तमाम रास्तों को रोक देनी है। औसत कांग्रेसी इस बात के लिए वदनाम है कि वे क्रान्तिकारी नहीं होते और कुछ बका अर्ध-क्रान्तिकारी काम करने के बाद वे अपनी उसी पुराने ठर्रें की जिन्दगी और हालातों को धरु कर देते हैं। वे फिर अपने धन्धे या पेंजे या मुकामी राजनैतिक मामलों में फँस जाते हैं। बड़े-बड़े मामले उनके दिग्ग से ओझल होने लगते हैं और उनमें जो थोड़ा-बहुत क्रान्तिकारी जोश था वह ठंडा पड जाता है। उनके पुट्टों पर चरबी चटने लगती है और उनकी आत्मा मुरझितता चाहती है। मध्यमवर्गीयों के कार्यकर्ताओं के इन लाजिमी झुकाव की वजह से ही आगे बढे हुए तथा क्रान्तिकारी खयालों के कांग्रेसियों ने हमेशा से इस बात की कोशिश की है कि उनके साथी स्थानिक वीरों और कौमिलों के विधानों के जजाल में पूरे समय के कामों में न फँसने पावे जो उन्हें कांग्रेस का कारगर काम करने से रोकते हो।

मगर अब खुद सरकार ही कुछ हद तक भवद कर रही है, क्योंकि वह कांग्रेसियों के लिए कोई काम पाना मुश्किल बनाये दे रही है, जिसने यह मुमकिन है कि उनके क्रान्तिकारी उत्साह का कुछ हिस्सा जरूर कायम रहेगा या हो सक्ता है कि वह भी जाय।

एक माल था उसने कुछ ज्यादा बिनो तक म्युनिपैलिटी का काम करने के बाद में वह महत्सुम करने लगा कि मैं यहा अपनी शक्तियों का सबसे अच्छा उपयोग नहीं कर रहा हूँ। मैं ज्यादा-से-ज्यादा जो कुछ कर सकता था वह यह था कि काम जल्दी निबटे और वह पहले से ज्यादा हौशियारी के नाय किया जाय। मैं जोई कहने लायक तब्दीली तो करा नहीं सकता था। इसलिए मैं बेयरबैनी से इस्तीफा देना चाहता

था। लेकिन बोर्ड के तमाम मेम्बरो ने मुझपर जोर दिया कि मैं चैंबरमैन बना रहूँ। मेरे इन साथियो ने मेरे साथ हमेशा शराफत व मेहरबानी का बर्ताव किया था। इस कारण मेरे लिए उनकी बात न मानना मुश्किल हो गया। लेकिन अपनी चैंबरमैनी के दूसरे साल के अखीर में मैंने इस्तीफा दे ही दिया।

। यह १९२५ की बात है। उस साल वसन्त-ऋतु में मेरी पत्नी बहुत बीमार पड गई। कई महीनो तक वह लखनऊ के अस्ताल में पडी रही। उस साल काँग्रेस कानपुर में हुई थी। मुझे मुद्दत तक दुखी दिल के साथ कभी इलाहाबाद, कभी कानपुर और कभी लखनऊ तथा वहाँ से वापस चक्कर लगाने पडे थे। (मैं इन दिनो भी काँग्रेस का प्रधान-मंत्री था।)

डाक्टरों ने सिफारिश की कि कमला का इलाज स्त्रीखरलैण्ड में कराया जाय। मुझे यह बात पसद आई, क्योंकि मैं खुद भी हिन्दुस्तान से बाहर चला जाना चाहता था। मेरा दिमाग साफ नहीं था। कोई साफ रास्ता नहीं दिखाई देता था। मैंने सोचा कि अगर मैं हिन्दुस्तान से दूर पहुँच जाऊँ तो चीजो को और अच्छी दृष्टि से देख सकूँगा और अपने दिमाग के अन्धेरे कोनो में रोशनी पहुँचा सकूँगा।

। मार्च १९२६ के शुरू में हम लोग जहाज में बम्बई से वेनिस के लिए रवाना हुए। मैं, मेरी पत्नी और हमारी बेटी। उसी जहाज में हमारे साथ मेरी बहन और बहनोई रणजीत एस० पण्डित भी गये। उन लोगो ने अपनी योरप-यात्रा का इतजाम हम लोगो के योरप जाने का सवाल पैदा होने से बहुत पहले ही कर रक्खा था।

: २१ :

यूरप में

मुझे यूरप छोड़े तेरह साल से भी ज्यादा हो चुके थे और ये साल लड़ाई और क्रांति तथा भारी परिवर्तन के साल थे। जिस पुरानी दुनिया को मैं जानता था वह लड़ाई के लून और उसकी वीमत्सता में डूब चुकी थी और एक नई दुनिया मेरा रास्ता देख रही थी। मुझे उम्मीद थी कि योरप में छ या सात महीने या ज्यादा-से-ज्यादा साल के अखीर तक रह पाऊंगा। लेकिन दरअसल हम लोग वहाँ ठहरे एक साल और नी महीने।

यह वक्त मेरे शरीर और दिमाग दोनों के लिए चैन व आराम का वक़्त था। ज्यादातर हमने यह वक़्त स्वीज़रलैण्ड के जिनेवा में और मोन्टाना के पहाड़ी सेनेटोरियम में बिताया था। मेरी छोटी बहन कृष्णा भी १९२६ की गर्मियों के शुरू में हिन्दुस्तान में हमारे पास आ गई और जवना हम लोग योरप में रहे तबतक हमारे साथ रही। मैं अपनी पत्नी को ज्यादा अमें के लिए नहीं छोड़ सकता था, इसलिए दूसरी जगहों में मैं बहुत थोड़े वक़्त के लिए ही जा सका। कुछ दिनों बाद जब मेरी पत्नी की तमिज़न रुक डीर हो गई तब हम लोग ने कुछ दिनों तक फ़्रान्स, डर्स्टैड और स्वीडन की सैर की। जिन पहाड़ी की चोटी पर हम लोग ठहरे वे हमारे कामकाज पारों और बर्फ थी। वहाँ में यह महसूस आता था कि वे हिन्दुस्तान तथा यूरोपियन ममान में त्रिकुल अलहदा हो गया है। हिन्दुस्तान में रोजगारी वाले खास तौर पर बहुत बुरे मान्य हो जाते हैं। मैं एक दिन में देखने जाया एक नमाशबिन बन गया था जो अगला पद था, जो मैंने दोनी थी उन्हें समझा उनपर

भौर करता था, नये यूरप तथा उसकी राजनीति और उसके अर्थशास्त्र तथा उसके कहीं ज्यादा आजादाना मानव-समबन्धों को देखा करता था। जब मैं जिनेवा में था तब स्वभावतः मुझे राष्ट्र-संघ के कामों में और अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर-दफ्तर में भी दिलचस्पी रही थी।

लेकिन जाड़ा आते ही, जाड़े के खेलों में मेरा मन लग गया। कुछ महीनों तक इन खेलों में ही मेरी खास दिलचस्पी रही और इन्हींमें मैं लगा रहा। बरफ पर एक किस्म के फिसल-खड़ाऊँ पहनकर तो मैं पहले भी चलता तथा खिसकता था, लेकिन लकड़ी के आठ फीट लम्बे और चार इंच चौड़े फिसल-जोड़े को पैरों से बाँध कर बरफ पर चलने का तजुर्ना मेरे लिए बिल्कुल नया था और मैं उसपर मुग्ध हो गया। बहुत दिनों तक तो मुझे इस खेल में काफी तकलीफ मालूम हुई, लेकिन बार-बार गिरने पर भी मैं हिम्मत के साथ जुटा रहा और अखीर मैं मुझे खूब मज्जा आने लगा।

सब मिलाकर इन दिनों हमारी जिन्दगी में कोई खास घटना नहीं हुई। दिन बीतते गये और धीरे-धीरे मेरी पत्नी ताकत व तन्दुरुस्ती हासिल करती गई। वहाँ हम लोगों को बहुत कम हिन्दुस्तानियों से मिलने का मौका मिला। सच बात तो यह है कि उस-पहाड़ी बस्ती में रहनेवाले थाड़े-से लोगों को छोड़कर और किसीसे हमें मिलने का मौका नहीं मिला। लेकिन हम लोगों ने यूरप में जो एक और तीन-चोथाई साल बिताया उसमें हमें बहुत-से ऐसे पुराने क्रान्तिकारी और हिन्दुस्तान से निकाले हुए भाई मिले जिनके नामों से मैं वाकिफ था।

उनमें से श्यामजी कृष्ण वर्मा जिनेवा में एक मकान की नव में ऊँची मजिल पर अपनी बीमार पत्नि के साथ रहते थे। ये दोनों बूढ़े मिर्दा-बीबी अकेले ही रहते थे। उनके साथ दिन-भर रहकर काम करनेवाले नौकर न थे, इसलिए उनके कमरे गन्दे पड़े रहते थे, जिनमें दम-ना

घुटता था। हर चीख के ऊपर धूल की मोटी तह जमी हुई थी। व्यामर्जी के पान काफी रुपया था, लेकिन वह रुपया खर्च करने में विश्वास नहीं करते थे। वह ट्राम में बैठकर जाने के बदले कुछ पैसे वचा लेना ज्यादा पसन्द करते थे। जो कोई उनसे मिलने जाता उसको वह शक की निगाह से देखते थे और जबतक इसकी उलटी बात साबित न हो जाय तबतक यही मान बैठते थे कि आनेवाले महाशय या तो ब्रिटिश सरकार के एजेंट हैं या उनके धन के ग्राहक हैं। उनकी जेबें उनके 'इण्डियन मोशियॉनोजिस्ट' नाम के अखबारों की पुरानी कापियों से भरी रहती थीं। वह उन्हें खींचकर निकालते और कुछ जोश के साथ उन लेखों को दिखाते जो उन्होंने कोई बारह बरस पहले लिखे थे। वह ज्यादातर पुर्नने जमाने की बातें किया करते थे। हैम्स्टीड में इण्डिया-हाउस में क्या हुआ, ब्रिटिश सरकार ने उनके भेद लेने के लिए कौन-कौन शक्य भेजे और उन्होंने किस तरह उन्हें पहचान कर उनको चकमा दिया, आदि। उनके कमरों की दीवारें पुरानी किनावों से भरी अलमारियों से सटी हुई थीं। उन किनावों को पढ़ना-पढ़ाता कोई नहीं था, इसलिए उनपर धूल जमी हुई थी और वे जो रोई बहा जा पहुँचता उसकी तरफ दुःख भरी निगाहों से देखती-सी भात्रूम होती थीं। किनावों और अखबार फर्ग पर जो टखन-टखन पड़े रहते थे। ऐसा भात्रूम पढ़ना था मानो वे कई दिनों और जगहों में, मुमकिन है महीनों से, इसी तरह पड़े हुए हैं। उन तमाम अर्थ में शोक की छाया-सी, हृषान की हवा-सी छाई हुई थी। किनावों परों के भात्रूम पढ़ती थीं जैसे कोई उनकाहा अजनबी घुस आया हो। अंधेरे जोर रुग्णान बगमदों में चलने हुए ऐसा डर-सा भात्रूम पढ़ना था कि किसी जगह में नहीं मौन की छाया भी नहीं छिनी हुई है। भात्रूम उ भात्रूम में वे निमग्न जागम थीं रम्बी माँम के जोर बगम की हग पात्रूम गुन गुन थे।

✓ श्यामजी अपनी दौलत की बावत कुछ इन्तज़ाम, पब्लिक के कामों के लिए कोई ट्रस्ट, कर देना चाहते थे। शायद वह विदेशों में शिक्षा पाने वाले हिन्दुस्तानियों के लिए कुछ इन्तज़ाम करना पसंद करते थे। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं भी उनके उस ट्रस्ट का एक ट्रस्टी होजाऊँ। लेकिन मैंने उस जिम्मेदारी को अपने ऊपर लेने की कोई ख्वाहिश जाहिर नहीं की। मैं नहीं चाहता था कि मैं उनके आर्थिक मामलों के चक्कर में फँसू। इसके अलावा मैंने यह भी महसूस किया कि अगर मैंने कहीं खरबत से ज्यादा दिलचस्पी जाहिर की तो उन्हें फौरन ही यह शक हो जायगा कि उनकी दौलत पर मेरा दात है। यह तो किसी को नहीं मालूम था कि उनके पास कितनी दौलत है। यह अफवाह भी उठी थी कि जर्मनी में सिक्के की कीमत गिरने पर उनको बहुत नुकसान हुआ था।

कभी-कभी नामी-गरामी हिन्दुस्तानी जिनेवा में होकर गुज़रते थे। जो लोग राष्ट्र-सभ में शामिल होने के लिए आते थे, वे तो हाकिमी किस्म के लोग होते थे और यह जाहिर है कि श्यामजी ऐसे लोगों के पास तक नहीं फटक सकते थे। लेकिन मजदूर दफ्तर में कभी-कभी नामी गैर-सरकारी हिन्दुस्तानी आ जाते थे, जिनमें मसहूर काग्रेसी भी थे। श्यामजी इन लोगों से मिलने की कोशिश करते। श्यामजी से मिलकर उन लोगों पर जो असर होता वह बड़ा ही दिलचस्प होता था। पर श्यामजी से मिलते ही ये लोग धबरा उठते थे और न सिर्फ पब्लिक में ही उनसे मिलने से बचने की कोशिश करते थे, बल्कि खानगी में भी उनसे मिलने के लिए किसी-न-किसी बहाने से माफी माग लेते थे। वे लोग समझते थे कि श्यामजी से ताल्लुक रखने या उनके साथ देखे जाने में खैर नहीं है।

इसलिए श्यामजी और उनकी पत्नी को एकाकी चिन्दिगी बितानी पड़ती थी। उनके न तो बाल-बच्चे ही थे, न कोई रिश्तेदार या दोस्त

हुआ भी एक खूबसूरत खर्चा था। इसके अलावा अनगिनत कागजात और तस्वीरे थीं। उन जेबों में कितनी चीजें भरी हुई थीं, यह देखकर हैरत होती थी। उन्होंने हमसे कहा कि एक दफा चीन में उनका एक डिस्पैच बक्स खो गया, जिसमें उनके बड़े कीमती कागजात भरे हुए थे, तब से उन्होंने हमी में ज्यादा सुरक्षितता समझी है कि वह हमेशा अपने कागजात को अपनी जेबों में ही रखें। इसीसे उन्होंने इतनी ज्यादा जेबें बनवाई थीं। ✓

✓ महेन्द्रप्रतापजी के पास जापान, चीन, तिब्बत और अफगानिस्तान की और उन यात्राओं में जो घटनायें हुईं उनकी कहानियों की भरमार थी। उनको अपनी जिन्दगी तरह-तरह की हालतों में बिनानी पड़ी, जिनका हाल बड़ा दिलचस्प था। उस वक़्त उनको सबसे ज्यादा जोश "आनन्द-समाज" (A Happiness Society) के लिए था, जो खुद उन्होंने कायम की थी और जिसका मूल-मन्त्र था—“खुश रहो”। मालूम पड़ता है कि इस सस्या को लटाबिया (या लियुवानिया) में बहुत कामयाबी मिली। ✓

✓ उनके प्रचार का तरीका यह था कि वह वक्तन-फवक्तन जिनेवा या दूसरी जगह होनेवाली कान्फ़ेन्सों के मेम्बरो के पास पोस्टकार्ड पर छत्रे हुए अपने बहुत-से सन्देश भेज दिया करते थे। इन पोस्टकार्डों पर उनके दस्तखत रहते थे, लेकिन जो नाम रहता था वह विचित्र, लम्बा और विविध। महेन्द्रप्रताप को तो उन्होंने म० प्र० यही रहने दिया था, लेकिन उसके साथ और बहुत-से नाम जोड़ दिये गये थे, जो जाहिरा तौर पर जिन देशों की उन्होंने सँर की थी उनमें से उनके मनचाहे देश के नाम के चोखे थे। इस तरह वह इस बात पर जोर देने थे कि वह अपने को जाति, मजहब और क़ौम के बन्धनों से ऊपर मजहूर हैं। उन विचित्र नाम के नीचे आखिरी निम्नोपता "मनुष्य-जाति का मेबर" लिख-

कुल मीर्ज़ू था। महेन्द्रप्रतापजी की बातों को ज़रादा महत्त्व देना मुश्किल था। वह तो मध्यकालीन उपन्यासों के एक पात्र-से, डॉन क्विजोट-से, मान्द्र होते थे, जो गलती से बीसवीं सदी में आ मटके थे। लेकिन वह थे मोलहो आने सच्चे और अपनी धुन के पक्के।

पेरिस में हमने वुडिया मेडम कामा को भी देखा। जब हमारे पास आकर उन्होंने हमारे चेहरे को तरफ गौर से देखा, और हमारी तरफ अँगुली उठाकर एकाएक हमसे यह पूछा कि आप कौन हैं, तब वह कुछ-कुछ खँखरार और डरावनी-सी मालूम हुई। आपके जवाब से उनके ऊपर कोई अमर नहीं पड़ता, शायद उनको इतना ऊँचा सुनाई देता है कि वह आपकी बात सुन ही नहीं पाती। वह अपनी इच्छाओं के अनुसार धारणायें बना लेती हैं, और फिर उन्हीपर अड़ी रहती हैं, चाहे वाकयात उन धारणाओं के खिलाफ ही हों।

इनके अलावा मीलवी उवेदुल्ला थे, जो मुझे कुछ वक्त के लिए इटली में मिले। वह मुझे चालाक जँचे, लेकिन उनकी लियाकत पुराने ज़माने की राजनैतिक चालवाज़ियों में जो होशियारी होती थी वैसी थी। वह नये विचारों के सम्पर्क में न थे। हिन्दुस्तान की 'संयुक्त राज्यों' या 'हिन्दुस्तान के संयुक्त प्रजातन्त्र' की उन्होंने एक स्कीम बनाई थी, जो हिन्दुस्तान की साम्प्रदायिक समस्या को हल करने को एक काफी अच्छी कोशिश थी। उन्होंने इस्लाम्बूल में, जो उन दिनों तक कुस्तुनुनिया ही कहलाता था, अपनी कुछ पुरानी हलचलों की वावत भी मुझमें कुछ कहा, लेकिन उनको मैंने इनका महत्त्व नहीं दिया, इसलिए मैं जल्दी ही उन सब बातों को भूल गया। कुछ महीने बाद वह लाला लाजपतराय

१ थोड़ी क्षति पर हवाई किले बाँबनेवाला एक पात्र जिसका अनुपम चित्र इसी नाम के एक स्पेनिश उपन्यास में चित्रित किया गया है—अनु०

से मिले और ऐसा मालूम पड़ता है कि उन्हें भी उन्होंने वही बातें कह सुनाईं। लालाजी पर उनका बहुत असर पड़ा, उससे वह बहुत ही विन्तित हो गये थे। यहाँ तक कि उस साल हिन्दुस्तान की कौंसिलों के चुनाव में उन बातों का बड़ा अहम हिस्सा रहा। उनके बिलकुल अनुचित विचित्र नतीजे तथा मतलब निकाले गये। इसके बाद मौलवी उत्रेदुल्ला हेजाज चले गये और कई पिछले सालों से मुझे उनकी बाबत कोई खबर नहीं मिली।

उनसे बिलकुल दूसरी किस्म के मौलवी बरकतउल्ला साहब थे। उनसे मैं बर्लिन में मिला। वह बड़े मजेदार बूढ़े आदमी थे। बड़े उत्साही और बहुत ही भले। वह बेचारे कुछ मीठे-सादे थे, बहुत तीव्र-बुद्धि न थे। फिर भी वह नये खयालात को अपनाने और आजकल की दुनिया को समझने की कोशिश करते थे। १९२७ में सेनफ्रान्सिस्को में उनकी मीत हुई, जबकि हम लोग स्वीजरलैंड में थे। उनकी मौत की खबर सुनकर मुझे बहुत रज हुआ।

बर्लिन में ऐसे बहुत-से लोग थे जिन्होंने लडाई के वक़्त में हिन्दुस्तानियों का एक दल बना लिया था। वह दल तो बहुत पहले ही टुकड़े-टुकड़े हो गया। उन लोगों की आपस में नहीं बनी और वे एक-दूसरे से लड़ पड़े, क्योंकि हर शख्स दूसरे पर विस्वाम-धान करने का शक करता था। ऐसा मालूम होता है कि अब जगह देना में निकाले हुए राजनैतिक कार्यकर्ताओं का यही हाल होता है। बर्लिन के उन हिन्दुस्तानियों में से बहुत से तो मध्ययुगी के लोगों के उन बँटो-बिठारे पेशों में लग गये। महायुद्ध के बाद जर्मनी में इस तरह के पेशे अत्यन्त नहीं मिल सकते थे। अब जो उनमें हिलग गये उनमें आन्तिजारो-गन का कोई चिन्ह नहीं रहा। यहाँ तक कि वे राजनैति में भी हूँ रहने लगे।

लडाई के जमाने के इन पुराने दल की बहानी मनोरञ्जक है।

इनमें ज्यादातर तो वे लोग थे जो १९१४ की इतिहास-पूर्ण गर्मियों में जर्मनी के जुदा-जुदा विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे थे। ये लोग जर्मनी के विद्यार्थियों के साथ उन्हीं-की सी बिन्दगी बिताते थे, उनके साथ बियर (शराब) पीते थे और उनकी (जर्मनी की) संस्कृति को सहानुभूति तथा सम्मान के साथ देखते थे। लड़ाई से उनको कुछ मतलब न था, लेकिन उस वक्त जर्मनी के ऊपर राष्ट्रीय उन्माद का जो तूफान आया उससे विचलित हुए बिना नहीं रह सके। उनकी भावना तो वास्तव में विटिग-विरोधी थी, न कि जर्मनों की पक्षपाती। अपने हिन्दुस्तान की राष्ट्रीयता ने उन्हें ब्रिटेन के दुश्मनों की ओर झुका दिया। लड़ाई शुरू होने के बाद फ़ौरन ही कुछ और थोड़े-से हिन्दुस्तानी, जो इनसे कहीं ज्यादा क्रान्तिकारी थे, स्वीडरलैण्ड से जर्मनी में जा पहुँचे। इन लोगों ने अपनी एक कमिटी बनाली और हरदयाल को ब्ला भेजा। वह उन दिनों मयूक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी किनारे पर थे। हरदयाल कुछ महीने पीछे जा गये, लेकिन इस वक्त तक यह कमिटी काफी महत्वपूर्ण हो गई थी। कमिटी पर यह महत्त्व जर्मन-सरकार ने लाद दिया था। जर्मन-सरकार कूदरतन यह चाहती थी कि वह तमाम ब्रिटिश-विरोधी भावों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करे। उबर हिन्दुस्तानी यह चाहते थे कि वे अपने कौमी मक़सदों को पूरा करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति का फ़ायदा उठावे। वे यह नहीं चाहते थे कि महज जर्मनी के ही फायदे के लिए अपने को इस्तेमाल होने दें। इस मामले में उनकी बहुत शक नहीं सकती थी, लेकिन वे यह महसूस करते थे कि उनके पास कोई ऐसी चीज़ जरूर है जिसे लेने के लिए जर्मन-सरकार बहुत उत्सुक है। इस बात ने उन्हें जर्मन-सरकार से मोदा करने को एक हथियार मिल गया। उन्होंने इस बात पर बहुत जोर दिया कि हिन्दुस्तान की आजादी का जर्मन-सरकार अहद करे और इशतियाज दिलावे कि उस

अहद पर कायम रहेंगे। ऐसा मालूम होता है कि जर्मनी के वैदेशिक दफ्तर ने इन लोगों से नाकायदा सुलहनामा किया, जिसमें उन्होंने यह वादा किया कि अगर जर्मन लोगों की फतह हुई तो जर्मन-सरकार हिन्दुस्तान की आजादी को मजूर कर लेगी। इसी अहद और इसी शर्त तथा कई छोटी शर्तों की बुनियाद पर इस हिन्दुस्तादी दल ने यह वादा किया कि हम लडाई में जर्मनी की मदद करेंगे। जर्मनी की सरकार हर तरह से इस कमिटी की इज्जत करती थी, और उसके प्रतिनिधियों के साथ करीब-करीब विदेशी राजदूतों की बराबरी का बर्ताव किया जाता था।

खाम तीर पर बेतजुर्बा नीजवानों के इस छोटे-मे दल को यकायक जी इतना महत्व मिल गया, उससे उनमें से कई का सिर फिर गया। वे यह महसूस करने लगे कि हम कोई बहुत बड़ा ऐतिहासिक कार्य कर रहे हैं, वे बहुत ही बड़ी और युगान्तरकारी कार्रवाइयों में लगे हुए हैं। उनमें से बहुतों को बड़े रोमाचक साहसों का सामना करना पड़ा और वे बाल-बाल बचे। लेकिन लडाई के निछेरे हिस्से में उनकी अहमियत खुल्लम-खुल्ला कम होने लगी, और उनकी उपेक्षा शुरू हो गई। हरदयाल को, जो अमेरिका से आये थे, बहुत पहले ही सलाम कर लिया गया था। कमिटी से उनको बिल्कुल नहीं बनी, और कमिटी तथा जर्मन सरकार दोनों ही उनको विश्वास-पात्र नहीं मानते थे। उन्होंने उन्हें चुपचाप खिमका दिया। कई साल बाद जब १९२६ और १९२७ में मैं यूरप में था, तब मुझे यह देखकर अचम्भा हुआ कि यूरप में रहनेवाले ज्यादातर हिन्दुस्तानियों के दिलों में हरदयाल के खिलाफ कितनी कटुता और किननी ताराजगी है। उन दिनों वह स्वीडन में रहते थे। मैं उनमें नहीं मिला।

लडाई खतम होते ही बर्लिनवाली हिन्दुस्तानी कमिटी का वृत्त तरह खाता ही गया। उन लोगों की तमाम उम्मीदों पर पानी फिर गया।

था, जिममे उनके लिए जिन्दगी बिलकुल नीरस हो गई थी। उन्होंने बहुत बड़ा जुआ खेला था, और वे उसमें हार गये थे। लडाई के सालों में उन्हें जो महत्त्व मिला, और जैसे बड़े-बड़े वाक्यात हुए, उनके बाद तो हर हालत में जिन्दगी भारभूत मालूम होती। लेकिन उन बेचारों को मुंह-माँगे इस तरह की बेफिक्री की जिन्दगी भी नहीं नसीब हो सकती थी। वे हिन्दुस्तान में लौट नहीं सकने थे, और लडाई के बाद के हारे हुए जर्मनी में रहने के लिए कोई आराम की जगह थी नहीं। उन बेचारों को बड़ी मुश्किल का सामना करना पडा। उनमें से कुछेक को ब्रिटिश सरकार ने बाद में हिन्दुस्तान में आने की इजाजत दे दी, लेकिन बहुतों को तो जर्मनी में ही रहना पडा। उनकी हालत बड़ी नाजुक थी। चाहिर है कि वे किसी भी राज्य के नागरिक न थे। उनके पास नाजिव पासपोर्ट तक नहीं थे। जर्मनी के बाहर तो सफर करना मुमकिन था ही नहीं, जर्मनी में रहने में भी बहुतसी मुश्किलें थी, वे वहाँ की पुलिस की मेहरबानी से ही रह सकते थे। उनकी जिन्दगी बहुत ही दिन्ता और मुसीबत से भरी थी। रौख-बरोख उन्हें कोई-न-कोई फिक्र सवार रहती थी। हर वक्त उन्हें इसी बात के लिए परेशान रहना पडता था, कि क्या खायें और कैसे जियें ?

१९३३ के शुरू से नाशियों के दौर-दौरे ने उनकी बदनसामी को और भी बढा दिया। अगर वे सोलहो आने नाशियों के मत को मान ले तो दूसरी बात है। अनार्यों और खास तौर पर एशियायी विदेशियों का आजकल जर्मनी में स्वागत नहीं होता। उन लोगों को ज्यादा-से-ज्यादा उस वक्त तक वहाँ ठहरने भर दिया जाता है जब तक कि वे ठीक तरह से रहें। हिटलर ने कई बार यह ऐलान किया है कि वह हिन्दुस्तान में ब्रिटेन के साम्राज्यवादी शासन का तरफदार है। इसमें शक नहीं कि यह बात वह ब्रिटेन की मद्मावना प्राप्त करने को कहता है, इसीलिए

वह ऐसे किमी हिन्दुस्तानी को यह नही देना चाहता जिसने ब्रिटिश सरकार को नाराज कर दिया हो ।

वॉलिन में हमें जो देन-निकाले हुए हिन्दुस्तानी मिले उनमें से एक चम्पकरमन पिल्ले थे । वह पुराने युद्धकालीन दलके एक मशहूर मेम्बर थे । वह कुछ घूमघाम-पसन्द थे, और नौजवान हिन्दुस्तानियों ने उन्हें एक दुरासा खिताब दे रक्खा था । वह सिर्फ़ राष्ट्रीयता की भाषा में ही मोच सकते थे । किसी भी सवाल को उसके सामाजिक और आर्थिक पहलू से देखने से वह दूर भागते थे । जर्मनी के राष्ट्रवादी 'स्टील हेल्मेट्स' से उनकी खूब पटती थी । वह जर्मनी में उन थोड़े-से हिन्दुस्तानियों में से थे, जिनकी नाज़ियो से खूब छनती थी । कुछ महीने हुए, जेल में मैंने खबर पढ़ी कि वॉलिन में उनका देहान्त हो गया ।

हिन्दुस्तान के एक मशहूर घराने के वीरेन्द्रनाथ चट्टोपाध्याय विलकुल दूसरी किस्म के आदमी थे । आम तौर पर लोग उन्हें चट्टो के नाम से जानते थे । वह बहुत ही काविल और बड़े मज्जे के आदमी थे । हमेशा मुसीबतों में रहते । उनके कपड़े विलकुल फटे-पुराने थे, और अकमर उन्हें अपने खाने का इन्तज़ाम करना बहुत ही मुश्किल हो जाता था । लेकिन उनके मजाक और उनकी खुशदिली ने उनका साथ कभी नहीं छोड़ा । जब मैं इंग्लैण्ड में पढ़ रहा था, तब वह मुझसे कुछ साल आगे थे । जब मैं हैरो में दाखिल हुआ, तब वह ऑक्सफोर्ड में थे । तबसे वह कभी हिन्दुस्तान को नहीं लौटे । कभी-कभी घर की याद उनकी सताने लगती और वह हिन्दुस्तान को लौटने के लिए ब्याकुल हो उठते । उनके तमाम पारिवारिक बन्धन खत्म हो चुके थे । और यह तय है कि अगर वह कभी हिन्दुस्तान आये तो फौरन ही वह दुखी होने लगेंगे, और यह पावेगे कि यहाँ उनका मेल नहीं मिलता । लेकिन इतने वर्षों के वीत जाने और लम्बे-लम्बे सफर करने के बावजूद घर का खिंचाव

तो रहता ही है। देश से निकाला हुआ कोई भी शत्रु अपनी इस बीमारी में, जिसे मैजिनी 'आत्मा का तपेदिक' कहता था, नहीं बच सकता।

मैं यह जरूर नहूँगा कि मुझे दूसरे मुल्को में जितने देश-निकाले हुए हिन्दुस्तानी मिले, उनमें ज्यादातर लोगो का मेरे ऊपर अच्छा असर नहीं पडा, यद्यपि मैं उनकी कुर्बानियों की तारीफ करता था और जिन वाकई और असली मौजूदा मुनीवतों में वे फँसे हुए थे और उन्होंने जो तकलीफें सही थीं और जो सहनी पड रही थीं, उनसे मेरी पूरी हमदर्दी थी। मैं उनमें से ज्यादा लोगो से नहीं मिला, क्योंकि उनकी तादाद बहुत काफी है और वे दुनिया-भर में फैले हुए हैं। उनमें से नाम भी तो हमने बहुत कम के सुने हैं, बाकी तो हिन्दुस्तान की दुनिया से बिल्कुल अलग ही गये हैं और अपने जिन हिन्दुस्तानी भाइयो की खिदमत करने की उन्होंने कोशिश की वे उन्हें मूल गये हैं। उनमें से जिन थोड़े-ने लोगो से मैं मिला उनमें वीरेन्द्र चट्टोपाध्याय और एम० एन० राय के बुद्धि-बैभव का मुझपर अच्छा असर पडा। राय से मैं कोई आध घण्टे तक मास्को में मिला था। उन दिनों वह प्रमुख कम्युनिस्ट थे, लेकिन कम्युनिस्ट इंटरनेशनल ब्राद के कट्टर कम्युनिज्म से वाद के उनके कम्युनिज्म में फर्क हो गया था। मैं सयसता हूँ कि

१ एम० एन० राय बगाली हैं और पहले क्रान्तिकारी थे। यहाँ से भागकर वे रूस में बस गये। वहाँ इन्हें कोमिषर्न में अग्रगण्य स्थान मिला। कोमिषर्न कम्युनिस्ट इंटरनेशनल—साम्यवादियों की मुख्य सत्ता है। बादको एम० एन० राय उससे हट गये। इसका कारण यह बताया जाता है कि यह मुख्य सत्ता बाहर के देशो की सत्ताओं से स्थानिक परिस्थितियों का विचार किये बिना अपनी नीति का कठोरता से पालन चाहती थी। चीन में ये इसी सत्ता की तरफ से गये थे। उसके बाद ये हिन्दुस्तान में आये और पकड़े गये। अब छूट गये हैं। इनका असली नाम कुछ और ही है। —अनु०

चट्टो वाकायदा कम्प्यूनिस्ट न थे, सिर्फ उनका झुकाव कम्प्यूनिज्म की तरफ था। अब तो राय को हिन्दुस्तानी जेलो में पड़े हुए तीन साल से भी ज्यादा हो गये हैं।

इनके अलावा और भी बहुत से हिन्दुस्तानी थे जो यूरोप के मुल्को में घूमते-फिरते थे। ये लोग क्रान्तिकारियों की जवान में बात-चीत करते, बड़े-बड़े जीवट की और अजीब वाते चुझाते, कौतूहल-भरे विचित्र सवाल पूछते। ऐसा मालूम पड़ता था कि इन लोगों पर ब्रिटिश सीक्रेट सर्विस (खुफिया महकमे) की छाप लगी हुई थी।

हां, हम बहुत से यूरोपियनो और अमेरिकनो से भी मिले। जिनेवा से हम कई बार वीलनाव में रोमा रोर्ला को देखने के लिए विला आँला गये। उनके पास पहली मर्तबा जाते वक्त हम गाँधीजी से परिचय-पत्र लेते गये थे। एक नौजवान जर्मन कवि और नाटककार की याद भी मैं बहुत बहुमूल्य समझता हूँ। इसका नाम था अन्स्टं टॉलर। अब नाजियो के शासन में वह जर्मन नहीं रहा। यही बात न्यूयार्क के नागरिक-स्वाधीनता-सभ के रोखर वाल्डविन के लिए है। जिनेवा में नामी लेखक धनगोपाल मुकर्जी से भी हमारी दोस्ती हो गई थी। वह अमेरिका में बस गये हैं।^१

यूरप जाने से पहले मैं हिन्दुस्तान में फ्रैंक बुकमैन से मिला था। यह आक्सफोर्डशूप-भूवमेण्ट के हैं। इन्होंने अपनी हलचल के सम्बन्ध में कुछ साहित्य मुझे दिया। उसे पढ़कर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। यकायक मचहब बदल देना या गुनाहो का इकवाल करते फिरना और आम तौर

१. मई १९३६ में अमेरिका में इनकी मृत्यु हो गई—बड़ी कष्ट परिस्थिति में। अपनी अनेक पुस्तको में इन्होंने भारतीय सभ्यता के उज्वल चित्र खींचे हैं। अंग्रेजी भाषा पर इनका आश्चर्यजनक प्रभुत्व था।

—अनु०

पर धर्म का पुनरुद्धार करना मेरी निगाह में ऐसी बातें हैं जिनका बुद्धि-वाद के साथ मेल नहीं खाता। मैं यह नहीं समझ सका कि जो अटस ज़ाहिरा तीर पर माफ-माफ बुद्धिमान मालूम होते थे वे ऐसे अजीब मनोभावों के शिकार कैसे हो जाते हैं और उनपर इन मनोविकारों का इस हद तक असर कैसे पड़ जाता है ? मेरा कौतूहल बढ़ा। जिनैवा में फ्रेंच वृत्तमैन मुझे फिर मिले और उन्होंने मुझे ल्यीना दिया कि रूमानिया में उनका जो अन्तर्राष्ट्रीय गृह सम्मेलन होने वाला है उनमें मैं शामिल हों। मुझे अफसोस है कि मैं वहाँ नहीं जा सका और नज़दीक से इस नई भावपूर्णता को नहीं देख सका। इस तरह मेरा कौतूहल अभीतक अनृप्त ही है और मैं इस आक्सफोर्ड-ग्रूप-प्रवेशके की बड़ती की जिनकी खबरें पढ़ता हूँ उतना ही आश्चर्य करता हूँ।

: २२ :

आपसी मतभेद

हमारे स्वीत्जरलैण्ड में पहुँचने के बाद फौरन ही इंग्लैण्ड में आम हड़ताल हो गई थी, जिसने मुझे बहुत उत्तेजना हुई। मेरी हमदर्दी पूरी तरह हड़तालियों के साथ थी। कुछ दिनों के बाद जब हड़ताल दुरी तरह खत्म हुई तब मुझे ऐसा मालूम पड़ा मानो खुद मुझपर थोटा पडो है। कुछ महीने बाद मुझे कुछ दिनों के लिए इंग्लैण्ड जाने का मौका मिला। वहाँ कोयले की खानों के मजदूरों की लड़ाई अभी तक चल रही थी और रात में लन्दन आधे अंधेरे-से में रहता था। एक खान में भी मैं कुछ समय के लिए गया। मेरा खयाल है कि वह जगह डरवी-गायर में होगी। मर्दों, औरतों और बच्चों के पीले और पिचके हुए चेहरे मैंने अपनी आँखों से देखे। इससे भी ज्यादा आँखें खोलनेवाली

बात यह हुई कि मैंने हृदताल करनेवाले मजदूरों और उनकी औरतो पर मुकामी या देहाती अदालती में मुकदमे चलते हुए देखे । इन अदालतों के मजिस्ट्रेट खुद उन कोयलों की खानों के डाइरेक्टर या मैनेजर थे । उन्हीं की अदालतों में मजदूरी का मुकदमा हुआ और उन्हें जरा-जरा-से जुर्मानों के लिए कुछ खास तौर पर बनाये गये कानूनों के मुताबिक सजा दे दी जाती थी । एक मुकदमे से मुझे खास तौर पर गुस्सा आया । अदालत के कठघरे में तीन या चार औरते ऐसी लाई गईं जिनकी गोद में बच्चे थे । उनकां जुर्म था कि उन्होंने हृदताल करनेवालों की जगह पर काम करने जानेवाले मजदूर-द्रोहियों को धिक्कारा था । ये नौजवान माताये और उनके नन्हें-नन्हें बच्चे दुःखी हैं और उन्हें भरपेट भोजन नहीं मिलता, यह बात साफ-साफ दिखाई देती थी । लम्बी लड़ाई से वे बहुत ही कमजोर हो गईं थी । उनकी हालत बहुत बिगड गई थी । उनमें उन मजदूर-द्रोहियों के प्रति कटुता आ गई थी जो उनके मूंह का कौर छीनते हुए मालूम होते थे ।

वर्ग-न्याय अर्थात् अमीर श्रेणी के लोग गरीब दर्जों के लोगों के साथ कैसा इसाफ करने हैं, इसकी वाकत अक्सर हम लोग बहुत-सी बातें पढा करते हैं, और हिन्दुस्तान में तो इस तरह के इन्माफों के किस्से रोजमर्रा की बातें हैं । लेकिन, किसी भी बजह से हो, मैं यह उम्मीद नहीं करता था कि इंग्लैण्ड में ऐसे 'इसाफ' का इतना बुरा नमूना मुझे देखने को मिलेगा । इस बजह से उससे मेरे मन में भारी धक्का लगा । एक और बात जिसे देखकर मुझे कुछ अचरज हुआ यह थी कि हृदताल करनेवालों में डर की आवहवा फँसी हुई थी । निश्चित रूप से पुलिस और हाकिमों ने उन्हें बुरी तरह डरा दिया था जिनमें वे बेचारे सब बातों को, मैं समझता हूँ कि उनके नाथ जो वेइज्जती फा यर्ताव किया जाता था उसे भी, चुपचाप सह लेते थे । यह सही है कि

एक लम्बी लड़ाई के बाद वे बुरी तरह थक गये थे। उनकी हिम्मत उम्ला नाथ छोड़ने को ही थी। दूसरे मजदूर-सघों के उनके साथी मजदूरों ने उनका साथ छोड़ ही दिया था। लेकिन गरीब हिन्दुस्तानी मजदूरों के मुकाबिले में फिर भी दुनिया-भर का फर्क था। ब्रिटिश खानों के मजदूरों का मगठन तो अभी तक बहुत मजबूत था। मजबूत मुन्क-भर के मजदूरों की ही नहीं दुनिया-भर के मजदूर-सघों की हमदर्दी उनके साथ थी। उनके विषय में काफी प्रचार हो रहा था। इसके अलावा भी उनके पान तरह-तरह के माघन थे। हिन्दुस्तानी मजदूरों को इनमें से एक भी बात नमीव नहीं। लेकिन फिर भी दोनों मुल्को के मजदूरों की नयनीत, बाँलों में एक अजीब साम्य दिखाई देता था।

उम साल हिन्दुस्तान में असेम्बली और प्रांतीय कॉमिन्सो का हर तीसरे साल शैनेवाला चुनाव था। मुझे उन चुनावों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन वहाँ जो घमाना वाग्युद हुआ उसकी कुछ आवाजें स्व.अरकैट में भी पहुँच गई। स्वराज-पार्टी इन दिनों तक कॉमिन्सो में बाजयदा काँग्रेस-पार्टी हो गई थी। इसकी मुडालिफ़न करने लिए, मुझे मालूम हुआ कि, प० मदनमोहन मालवीय और लाला लाजपतराय ने एन नरे पार्टी बनाई थी। इन पार्टी का नाम रक्का गया था नैशन-लिन्ट-पार्टी। मेरी मजज में यह नहीं आया और अभी तक मैं नहीं समझ सका कि नरे पार्टी और पुतली पार्टी में जिन बुनियादी उमूलों का फर्क था। अब जान तो यह है कि आजकल कॉमिन्सो की ज्यादातर पार्टियाँ में कोई फर्क नयन नहीं है—उतना ही फर्क है जितना ईंग्लैंड और अमेरिका के नामों में। नरे पार्टी उमर उन्हीं एव-दूनरे के लम्पन नहीं करती था। स्वराज-पार्टी ने पहले-पहल कॉमिन्सो में एक नया जोर लगाया था। अन्वयान किया और दूमरों के मुगबदे में वह

ज्यादा गरम नीति से काम लेने की पक्ष-पाती थी। लेकिन यह तो मात्रा का फर्क था, तत्व का नहीं।

नई नैशनलिस्ट-पार्टी अधिक माडरेट यानी नरम दृष्टि-कोण की प्रतिनिधि थी। वह निश्चित रूपसे स्वराज-पार्टी से ज्यादा सरकार की ओर झुकी हुई थी। इसके अलावा वह सोलहो आने हिन्दू-पार्टी भी थी, जो हिन्दू-समा के घनिष्ठ सहयोग के साथ काम करती थी। ५० मालवीयजी का इस पार्टी का नेतृत्व करना तो आमानी से समझ में आ सकता था, क्योंकि वह उनके सार्वजनिक रुख को अधिक-से-अधिक प्रदर्शित करती थी। पुराने ताल्लुकात की वजह से वह कांग्रेस में खरूर बने हुए थे, लेकिन उनकी विचार-दृष्टि लिबरलो या माडरेटो के दृष्टि-कोण से ज्यादा भिन्न न थी। कांग्रेस ने असहयोग और सीधी लडाई के जो नये ढंग अल्ल्यार किये थे, वे उन्हें पसन्द न थे। कांग्रेस की नीति को तय करने में भी उनका कोई खास हाथ न था। यद्यपि लोग उनकी बड़ी इज्जत करते थे और कांग्रेस में हमेशा उनका स्वागत किया जाता था, लेकिन दरअसल मालवीयजी की कांग्रेस के प्रति आत्मीयता नहीं रही थी। वह उनकी छोटी कार्य-कारिणी,—कार्य-समिति—के मेम्बर नहीं थे। और वह कांग्रेस के आदेशों पर भी अमल नहीं करते थे, खासकर उन आदेशों पर जो कॉंसिलो के वारे में दिये जाते थे। वह हिन्दू-समा के सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता थे, और हिन्दू-मुसलमानों के मामलों में उनकी नीति कांग्रेस की नीति से जुदा थी। कांग्रेस के प्रति उनको बड़ी भावुकता-पूर्ण समता थी, जैसी किन्ही एक संस्था से किन्हीका करीब-करीब शुरु ने ही सम्बन्ध होने पर हो जाती है। कुछ हद तक इसलिये भी उन्हें कांग्रेस में प्रेम था, क्योंकि आत्मादी को लडाई की दिशा में भी उगरी भावुकता उन्हें खींच ले जाती थी और वह यह देखते थे कि कांग्रेस ही एक ऐसी संस्था है जो उसके लिए कोई अगरगर काम कर

पारदर्शक है। उनकी भाषण-शक्ति बहुत ही वा-असर है। उनका स्वभाव भीठा है और उनका व्यक्तित्व मोहक है। इन सब बातों से हिन्दुस्तान के लोगो को, खास तौर पर हिन्दुओ को, वह बहुत प्यारे हैं, और यद्यपि बहुत-से लोग राजनीति में उनसे सहमत नहीं हैं, न उनके पीछे ही चलते हैं, लेकिन वह उनसे प्रेम तथा उनकी इज्जत जरूर करते हैं। अपनी अवस्था और बहुत लम्बी सार्वजनिक सेवा की वजह से वह हिन्दुस्तान की राजनीति के वृद्ध-वशिष्ट हैं, लेकिन ऐसे जो समय से पीछे मालूम देते हैं और जो आजकल की दुनिया से विलकुल अलग-से हैं। उनकी आवाज की तरफ लोगो का ध्यान अब भी जाता है, लेकिन वह जो भाषा बोलते हैं उसे अब बहुत-से लोग न तो समझते ही हैं न उसकी परवाह ही करते हैं।

इन बातों से मालवीयजी के लिए यह स्वाभाविक ही था कि वह स्वराज-पार्टी में शामिल न होते। वह पार्टी राजनैतिक दृष्टि से उनके लिए बहुत ज्यादा आगे बढ़ी हुई थी, और उसमें कांग्रेस की नीति पर बटे रहने का कडा अनुशासन जरूरी था। वह चाहते थे कि कोई ऐसी पार्टी हो जो ज्यादातर उग्र न हो और जिसमें राजनैतिक और साम्प्रदायिक दोनों मामलो में मन-मुताबिक काम करने की ज्यादा छूट मिले। ये दोनों बातें उन्हें उस नई पार्टी में मिल गईं जिसके वह जन्मदाता और नेता थे।

लेकिन यह बात आसानी से समझ में नहीं आती कि लाला लाजपत राय क्यों नई पार्टी में शामिल हुए, यद्यपि उनका झुकाव भी कुछ-कुछ दाहिनी तरफ और ज्यादा साम्प्रदायिक नीति की तरफ था। उस साल गर्मियों में मैं जिनेवा में लालाजी से मिला था और मुझसे उनकी जो बातें बहरीं हुईं उनसे तो यह नहीं मालूम पड़ता था कि वह कांग्रेस-पार्टी के खिलाफ लडाकू रुख अख्तियार करेंगे। यह क्यों हुआ, इस

बात का अभी तक मुझे कुछ पता नहीं। लेकिन चुनाव को लड़ाई के दौरान मैं उन्होंने कुछ स्पष्ट आक्षेप किये थे जिनसे यह पता चल जाता है कि उनके मन में क्या-क्या चल रहा था। उन्होंने कांग्रेस के नेताओं पर इलजाम लगाया कि वे हिन्दुस्तान से बाहर के लोगों के साथ साजिश कर रहे हैं। उन्होंने एक यह भी इलजाम लगाया कि काबुल में कांग्रेस की शाखा खोलकर इन्होंने कुछ साजिश की है। मेरा खयाल है कि उन्होंने अपने इन आक्षेपों की वाकत कोई खास बात कभी नहीं बताई। बार-बार प्रार्थना करने पर भी वह तफ्तील में कोई सबूत न दे सके।

मुझे याद है कि जब मैंने स्वीत्जरलैण्ड में हिन्दुस्तानी अखबारों में लालाजी के इलजामों को पढ़ा तो मैं दग रह गया। कांग्रेस के मन्त्री की हैसियत से मैं कांग्रेस की वाकत सब बातें जानता था। काबुल की कांग्रेस कमिटी का कांग्रेस में सम्मेलन कराने में मेरा अपना हाथ था। उसकी शुरुआत देगवम्बुदाम ने की थी। यद्यपि मुझे उस वकत यह नहीं मालूम था, अब भी नहीं मालूम है, कि लालाजी के पास उन इलजामों की क्या तफ्तील थी, फिर भी मैं उनके स्वस्व को देखकर यह कह सकता हूँ कि जहाँ तक कांग्रेस का ताल्लुक है इन इलजामों की कोई बुनियाद नहीं हो सकती। मैं नहीं जानता कि इस मामले में लालाजी कैसे गुमराह हो गये। मुमकिन है कि तरह-तरह की भ्रष्टाचारों का उन्होंने एतबार कर लिया हो। और मेरा भयानक है कि हाल्ही में मौलवी अब्दुल्ला के साथ उनकी जो बात-चीत हुई थी उससे उनके ऊपर जल्द जबर पड़ा होगा। हालाँकि उस बतर्बात में मुझे कोई बात ऐसी गैर-मामूरी नहीं मालूम होती थी, जिन चुनाव के वकत में गैर-मामूरी हाल्ति पंदा होजाती है। उनमें एक ऐसी बतर्बात होनी है कि लोगों का भिजाउ विगट जाता है और वे मारामार विचार भूल जाते हैं। इन घुआओं को मैं जिनना ही

ज्यादा देखता हूँ उतनी ही ज्यादा मेरी हैरत बढ़ती जाती है, और मेरे मन में उनके खिलाफ एक ऐसी अशुचि पैदा हो रही है जो लोकतन्त्री भाव के कतई खिलाफ है।

लेकिन, शिकायतों की बात जाने दीजिए, मुल्क के बढ़ते हुए साम्प्रदायिक वातावरण को देखकर, नेशनलिस्ट-पार्टी का या ऐसी ही किसी और पार्टी का खड़ा होना लाजिमी था। एक तरफ मुसलमानों के दिलों में हिन्दुओं की ज्यादा तादाद का डर था, दूसरी तरफ हिन्दुओं के दिलों में इस बात पर बहुत नाराजगी थी कि मुसलमान उन पर घाँस जमाते हैं। बहुत से हिन्दू यह महसूस करते थे कि मुसलमानों का रख बहुत-कुछ 'जो-कुछ पास पल्ले है उसे रख दे नहीं ठीक कर दूँगा' जैसा है और वे दूसरी तरफ सरकार की तरफ मिलने की धमकी देकर जबरदस्ती खास रियायतें ले लेने की भी बहुत ज्यादा कोशिश करते थे। इसी वजह से हिन्दू-महासभा को कुछ अहमियत मिल गई, क्योंकि वह हिन्दू राष्ट्रीयता की प्रतिनिधि थी। अब हिन्दुओं की हिन्दू-साम्प्रदायिकता मुसलमानों की साम्प्रदायिकता के मुकाबले पर आ डटी थी। महासभा को लडाकू हरकतों का यह नतीजा हुआ कि मुसलमानों की यह साम्प्रदायिकता और भी ज़ोर पकड़ गई। इसी तरह घात-प्रतिघात होता रहा और इस प्रक्रिया में मुल्क का साम्प्रदायिक पारा बहुत चढ़ गया। खास तौर पर यह सवाल देश के अल्पसंख्यक दल और बहुसंख्यक दल के क्षणों का मवाल था। लेकिन अजीब बात तो यह थी कि मुल्क के कुछ हिस्सों में बात बिल्कुल उलटी थी। पंजाब और सिन्ध में हिन्दू और सिक्ख दोनों की तादाद मिलकर भी मुसलमानों से कम थी। और इन सूबों के अल्पसंख्यक हिन्दू और सिक्खों को भी वैर-भाव रखनेवाली बहुसंख्या से कुचले जाने का उतना ही डर था जितना मुसलमानों को हिन्दुमान से दूसरे सूबों में। या अगर बिल्कुल ठीक-ठीक बात कही जाय तो यों

कहिए कि दोनों दलों के मध्यश्रेणी वाले नौकरों की फिराक में लगे हुए लोगों को यह डर था कि कहीं ऐसा न होजाय कि नौकरियाँ मिलने ही न पावे, और कुछ हद तक स्थापित स्वार्थ रखने वाले जमींदारों और साहूकारों वगैरा को यह डर था कि कहीं ऐसे मामूल परिवर्तन न कर दिने जायें जिनमें हमारे स्वार्थों का तत्यानाश हो जाय ।

साम्प्रदायिकता की इन बढती से स्वराज्य-पार्टी को बहुत नुकसान पहुँचा । उसके कुछ मुसलमान मेम्बर उसे छोडकर चले गये और मुसलमानों की साम्प्रदायिक जमातों में जा मिले, और उसके कुछ हिन्दू मेम्बर खिसककर नेशनलिस्ट-पार्टी में जा मिले । जहाँ तक हिन्दू लीडरों से ताल्लुक था, मालवीयजी और लाला लाधपतराय का मेल बहुत ताकतवर मुकाबिला था और साम्प्रदायिकता के तूफान के केन्द्र पत्राज में उनका बहुत अमर था । स्वराज्य-पार्टी या काँग्रेस की तरफ चुनाव लडने का नाम बोल मेरे पिताजी के ऊपर पडा । उन बौद्ध को उनसे बैटाने के लिए देशबन्धुदाम भी अय नहीं रहे थे । उन्हें लडाई में मजा जाता था । किमी भी हालत में वह लडाई में जी नहीं चुराते थे, और मुस्सालिफ़ की ताकत को बढती हुई देखकर उन्होंने चुनाव की लडाई में अपनी तमाम ताकत लगा दी । उन्होंने गहरी घोटें खाई और दी । दोनों पार्टियों से संघर्षों में किमी ना कुछ लिहाज नहीं किया । मिष्टना भी छोड दी । उस चुनाव के पीछे भी उनकी याद बड़ी कड़वी बनी रही ।

नैशनलिस्ट पार्टी को बहुत काफी मात्रा में सामयावी मित्रों । लेकिन इस सामयावी ने निदिष्ट रूप से अनेम्यन्टी की गजनेतिक आब को कम कर दिया । जालंधर-केन्द्र और भी ज्यादा तरम नीति की ओर चला गया । स्वराज्य-पार्टी कुछ आदिम का दार्डिना परक था । जरनी ताकत बढाने के लिए उन्हें बढते-बढते मॉरिंग गैंगों को पार्टी में घुस आने दिया । इस वजह से उनकी श्रेष्ठता में रमी होगई । नैशनलिस्ट-पार्टी ने और

भी नीचे जाकर उमी नीति में काम लिया। खिताबधारी लोगों, बड़े जर्मीदारों, मिल्-मालिकों तथा हमारे लोगों का एक अजीब भानमतों का पिढारा उनमें आ इकट्ठा हुआ। इन लोगों का भला राजनीति में क्या ताल्लुक ? उम माल १९२६ के अजीर में हिन्दुस्तान में एक भारी दुखद घटना में अन्वेष-मा छा गया। इस घटना से हिन्दुस्तान भर घृणा व रोप में काँप उठा। उनमें पता चलता था कि जातीय वैमनस्य हमारे लोगों को किनना नीचे गिरा मरना था। स्वामी श्रद्धानन्द को, जबकि वह बीमारी से चारपाई पर पड़े हुए थे, एक मजहब के अन्वेष ने कत्ल कर दिया। जिम पुरुष ने गोरखों की सगीनों के सामने अपनी छाती खोल दी थी और उनकी गोलियों का सामना किया था उसकी ऐसी मीत ! करीब-करीब आठ बरस पहले इमी आर्य ममाजी नेता ने दिल्ली की विशाल जामा मसजिद की बेदी पर खड़े होकर हिन्दुओं और मुसलमानों की एक बहुत बड़ी जमात को एके का और हिन्दुस्तान की आजादी का उपदेश दिया था। उस विशाल भीड़ ने 'हिन्दू-मुसलमानों की जय' के शोर से उनका स्वागत किया था और मसजिद से बाहर गलियों में उन्होंने उस ब्वनि को अपने खून की एक शामिल मुहर लगादी थी। और अब अपने ही बर्ग-भाई द्वारा मारे जाकर उनके प्राण-पखेरू उड़ गये। हत्यारा यह समझता था कि वह एक ऐसा अच्छा काम कर रहा है जो उसे वहिश्त को ले जायगा।

विशुद्ध शारीरिक साहस का, किसी भी अच्छे काम में शारीरिक तकलीफ सहने और मीत तक की परवाह न करने वाली हिम्मत का, मैं हमेशा से प्रसन्न रहता हूँ। मेरा खयाल है कि हममें से ज्यादातर लोग उस तरह की हिम्मत की तारीफ करते हैं। स्वामी श्रद्धानन्द में इस निडरता की मात्रा आश्चर्यजनक थी। लम्बा कद, मजबूत, सन्यासी के वेश में बहुत उमर हो जाने पर भी विलकुल सीधी चमकती हुई आखे

और चेहरे पर कभी-कभी दूसरो की कमचोरियो पर आनेवाली चिढ़-
बिडाहट या गुस्से की छाया का गुजरना, मैं इस सजीव तस्वीर को कैसे
भूल सकता हूँ ? अक्सर वह मेरी आँखों के सामने आ जाती है। ✓

: २३ :

ब्रसेल्स में पीड़ितों की समा

१९२६ के अखीर में मैं इतिफाक से बर्लिन में था और वही मुझे
यह मालूम हुआ कि हाल ही में ब्रसेल्स शहर में पददलित क्रौमो की
एक कान्फेन्स होने वाली है। यह खयाल मुझे बहुत पसन्द आया और
मैंने घर यानी हिन्दुस्तान को लिखा कि कांग्रेस को ब्रसेल्स-कांग्रेस में हिस्सा
लेना चाहिए। कांग्रेस ने मेरी यह बात पसन्द की और मुझे ब्रसेल्स-कान्फेन्स
के लिए हिन्दुस्तान की राष्ट्रीय महासभा का प्रतिनिधि बना दिया गया।

ब्रसेल्स की यह कांग्रेस १९२७ की फरवरी के गुरु में हुई। मुझे
पता नहीं कि यह खयाल पहले पहल किमको सूझा ? उन दिनों बर्लिन
एक ऐमा केन्द्र था, जो देशनिकाले हुए राजनैतिक लोगो और दूसरे
मुन्कों के उग्र विचार के लोगो को अपनी तरफ खींचता था। इस
मामले में बर्लिन धीरे-धीरे पेरिस के बराबर पहुँच रहा था। वहाँ
कम्प्यूनिस्टदल भी काफ़ी मजबूत था। पददलित क्रौमो में आपस में तथा
इन क्रौमो में और मजदूर उग्र-दलों में एक-दूसरे के साथ मिलकर
गयुक्त रूप में कुछ काम करने का खयाल उन दिनों लोगो में फैला हुआ
था। लोग अविनाशिक यह महसूस करते जाते थे कि साम्राज्यवाद नाम
की चीज के खिलाफ जाजादी की लड़ाई मरके लिए एक-ही है, इसलिए
एक-मुनामिब मालूम होता है कि उग्र लड़ाई की बग़वत मिलकर ही
रिचा जाय और ज़ुत हो गये वहाँ मिलकर काम करने की कोशिश की

की जाय। इंग्लैंड, फ्रान्स, एटली यंगरा जिन राष्ट्रों के पाम उपनिवेश थे वे कुदमन इस वान के गिराफ थे कि ऐसी होई कोनिग की जाय। लेकिन लटार्ड के बाद जर्मनी के पाम तो उपनिवेश रहे नहीं थे, इसलिए जर्मनी सरकार डूमरी ताफुजों के उपनिवेशों और आधीन देशों में आन्दोलन की इस वदनी को एक हितैपी की तटस्यता से देखती थी। यह उन कारणों में से एक था जिनसे बर्लिन को एक केन्द्र बना दिया था। उन लोगों में सबसे ज्यादा मजहूज व प्रियाशील थे चीनी थे जो वहाँ की क्यूमिनटेंग-पार्टी के बायें दल (गरमदल) के थे। यह पार्टी उन दिनों चीन में तूफान की तरह जीतती जा रही थी और उसकी वेरोक गति के आगे पुराने जमाने के जागीरदारी तत्व जमीन में लुहकते नजर आ रहे थे। चीन के इस नये चमत्कार के सामने साम्राज्यवादी ताकतों ने भी अपनी तानाशाही आदतों को और घाँस-डपट को छोड़ दिया था। ऐसा मालूम पडता था कि अब चीन के एके और उसकी आजादी के मसले के हल हो जाने में ज्यादा देर नहीं लगेगी क्यूमिनटेंग खुशी से फूलकर कुप्पा हो गई थी। लेकिन उसके सामने जो मुश्किलें आने को थीं उन्हें भी वह जानती थी। इसलिए वह अन्तर्राष्ट्रीय प्रचार द्वारा अपनी ताकत बढ़ाना चाहती थी। गालिवन इस पार्टी के बायें दल के लोगों ने ही, जो दूसरे मुल्कों के कम्यूनिस्टों से मिलते-जुलते लोगों से मिलकर काम करते थे, इस तरह के प्रचार पर जोर दिया था, जिससे वे दूसरे मुल्कों में चीन की राष्ट्रीय परिस्थिति को और घर पर पार्टी में अपनी स्थिति को मजबूत कर सके। उस वक्त पार्टी ऐसे दो या तीन परस्पर प्रतिस्पर्धी और कट्टर-शत्रु-दलों में नहीं बँट गई थी। उस वक्त वह बाहर से देखने वाले सब लोगों को सयुक्त सामना करती हुई मालूम होती थी।

इसलिए क्यूमिनटेंग के यूरोपियन प्रतिनिधियों ने पद-दलित कौमो

की कान्फेस करने के खयाल का स्वागत किया, शायद उन्होंने ही कुछ और लोगों से मिलकर इस खयाल को पहले-पहल जन्म दिया। कुछ कम्युनिस्ट और कम्युनिस्टो से मिलने-जुलते लोग भी शुरू से इस खयाल के समर्थक थे, लेकिन कुल मिलाकर कम्युनिस्ट लोग कान्फेस के मामले में अलग, पीछे ही रहे। लेटिन अमेरिका^१ से भी क्रियात्मक मदद और सहायता आई, क्योंकि उन दिनों वह सयुक्तराज्य के आर्थिक साम्राज्यवाद के मारे कुडमुडा रहा था। मैक्सिको की नीति उग्र थी। उसका सभापति भी उग्र बल का था। वह इस बात के लिए उत्सुक था कि सयुक्तराज्य के खिलाफ लेटिन अमेरिका के गट्टू की रहनुमाई करे। इस-लिए मैक्सिको ने ब्रसेल्स कांग्रेस में बड़ी दिलचस्पी ली। वहाँ को सरकार एक सरकार की हैसियत से तो कांग्रेस में हिस्सा नहीं ले सकती थी, लेकिन उसने अपने एक प्रमुख राजनीतिज्ञ को भेजा कि वहाँ वह एक तटस्थ दल की हैसियत से मौजूद रहे।

ब्रसेल्स में जावा, इण्डो चाइना, फिलिपीन्स, सीरिया, मिश्र, उत्तरी अफ्रीका के अरब और अफ्रीका के ह्यूयी लोगों की कौमी सस्याओं के प्रतिनिधि भी मौजूद थे। इनके अलावा बहुत-से मजदूरों के उग्रदलों ने भी अपने प्रतिनिधि भेजे थे। बहुत-से ऐसे लोग भी जिन्होंने एक युग में मजदूरों की लढाईयों में दास हिस्सा लिया था, वहाँ मौजूद थे। कम्युनिस्ट भी वहाँ थे। उन्होंने कांग्रेस की कारवाई में काफी हिस्सा लिया, लेकिन वे वहाँ कम्युनिस्टों की हैसियत में न आकर कई मजदूर-मध्य या बर्गी ही गम्याओं के प्रतिनिधि होकर आये थे।

१. लेटिन अमेरिका जर्मान-मैक्सिको, ब्राजिल, अर्जेंटीना, इरवादि अमेरिकन प्रदेश—जहाँ लेटिन भाषा में निवासी भाषा में बोलने वाले लोग घोरत से जाकर बसे हैं, जैसे—कोल, इटोलियन, स्पेनिश, पोर्चुगीज लोग। —अनु०

जार्ज लेन्सवरी उस कांग्रेस के सभापति चुने गये और उन्होंने बहुत ही जोरदार भाषण दिया। यह बात इस बात का सबूत थी कि कांग्रेस कोई ऐसी-वैसी सभा न थी और न उसने अपना माग्य ही कम्युनिस्टो के साथ जोड़ दिया था। लेकिन इस बात में कोई शक नहीं कि वहाँ एकत्र लोग कम्युनिस्टो के प्रति भिन्न-भाव रखते थे और यद्यपि उनमें और कम्युनिस्टो में कई बातों में समझौता भले ही न हो सकता ही फिर भी काम करने के लिए कई बातें ऐसी भी थी जिनमें मिलकर काम किया जा सकता था।

- वहाँ जो स्थायी सस्या साम्राज्यवाद-विरोधी लीग कायम की गई उसका भी सभापतित्व लेन्सवरी साहब ने स्वीकार कर लिया, लेकिन फौरन ही उन्हें अपनी इस जल्दबाजी पर पछताना पडा, या शायद ब्रिटिश मजदूर-दल के उनके साथियों ने उनकी इस बात को पसन्द नहीं किया। उन दिनों यह मजदूर-दल 'सम्राट का विरोधी दल' था और जल्दी ही बढ़कर 'सम्राट्-सरकार' बनने को था। अब भला मन्त्रि-मण्डल के भावी सदस्य खतरनाक और क्रान्तिकारी राजनीति में कैसे पैर फँसा सकते थे? मिस्टर लेन्सवरी ने पहले तो काम में बहुत मशगूल रहने का बहाना करके लीग की सदारत से इस्तीफा दे दिया, वाद को उन्होंने उसकी मेम्बर भी छोड़ दी। मुझे इस बात से बहुत अफसोस हुआ कि जिस शरूक के व्याख्यान की दो-तीन महीने पहले मैंने इतनी तारीफ की थी उसमें यकायक ऐसी तब्दीली हो गई।

कुछ भी हो, काफी प्रतिष्ठित व्यक्ति साम्राज्य-विरोधी लीग के सरक्षक हैं। उसमें एक तो आइस्टीन^१ साहब हैं और दूसरी श्रीमती सनयातसेन,^२ और मेरा खयाल है कि रोमा रीला^३ भी। कई महीने बाद

१. सुप्रसिद्ध जर्मन वैज्ञानिक, जो यहूदी होने के कारण अमेरिका में देश निकाला भोग रहे हैं। २. स्वतन्त्र चीन के प्रथम प्रमुख की विधवा पत्नी। ३. सुप्रसिद्ध साम्राज्य-विरोधी फ्रेंच विद्वान्। —अनु०

आइन्स्टीन ने इस्तीफा दे दिया, क्योंकि फ्रिजल्सोन में अरबों और यहूदियों के जो झगडे हो रहे थे उनमें चींग ने अरबों का पक्ष लिया था और यह बात उन्हें नापसन्द थी।

ब्रनेल्स-अप्रेम के बाद लोग की कमिटियों की कई मीटिंगें बकन-फक्कतन निरु-भिन्न जगहों में हुईं। इन सबसे मुझे अवीनस्य बीर जोपनिदेशिक प्रदेगों की कुछ समस्याओं को समझने में बड़ी मदद मिली। उनकी बड़हू से पश्चिमी समार में मबद्रो के जो भीतरी संघर्ष चल रहे हैं उनकी तह तक पहुँचने में भी मुझे आसानी हुई। उनकी बातत मने बहुत-कुछ पटा था, और कुछ तो मैं पहले से ही जानता था, लेकिन मेरे उस ज्ञान के पीछे कोई अनन्यित नहीं थी क्योंकि उनमें मेरा कोई आती ताल्लुक नहीं पडा था। लेकिन अब मैं उनके सम्पर्क में आया और कमी-कमी मुझे उन मनसों का भी सामना करना पडा जो इन भीतरों सघर्षों में प्रकट होते हैं। डूचरी? इंटरनेशनल और तीनरी इंटरनेशनल नाम की मबद्रों की जो दो दुनिग हैं उनमें मेरी हनददीं नीमरी के माय थी। लडाईं से लेकर बदनक डूनरी इंटरनेशनल ने जो कुछ किया जगमें मुझे अरुचि हो गई और हम्मो तो हिन्दुस्तान में

१. अखिल यूरप के अम जीवियों के संघ के ये नाम हैं। पहला संघ जिसे आबर्न ने स्थापित किया था वह नाममात्र का था। डूनरा संघ १८८९ में स्थापित हुआ उनमें जोरदार प्रस्ताव होते, लेकिन उनपर अमल शायद ही होता। जमने इस आगय के प्रभाव किये थे कि पूंजी-पनि राष्ट्रमन्त्र में अथवा युद्ध में बनी भाग न किया जाय। ये १९१४-१८ के महायुद्ध में ही घटे रह गये। तब १९१९ में सोशलिज्म लोगों ने तीनरा अन्तराष्ट्रीय अमनीजी मघ स्थापित किया। इन मघ की कार्यप्रणाली आन्डिशान्क है। इसका प्रयान उद्देश है—समार से पूंजी-वाइ का नाश और अमनीजियों की रिस्ट्रिगिणय की स्थापना करना। डूनरे संघ सुधारक और अरु आन्डिशान्क बना जाता है। —अनु०

इस इटरनेशनल के सबसे जबरदस्त हिमायती ब्रिटिश मजदूर दल के तरीको का जाती तर्जुवा हो चुका था। इसलिए लाजिमी तौर पर कम्यूनिज्म की बाबत मेरा खयाल अच्छा हो गया, क्योंकि उसमें कितने भी ऐव क्यों न हो, कम्यूनिस्ट कम-से-कम साम्राज्यवादी और पाखण्डी तो न थे। कम्यूनिज्म से मेरा यह सम्बन्ध उसके सिद्धान्तों की वजह से नहीं था, क्योंकि मैं कम्यूनिज्म की कई सूक्ष्म बातों की बाबत ज्यादा नहीं जानता था। उस वक्त उससे मेरी जान-पहचान सिर्फ उसकी मोटी-मोटी बातों तक ही महसूस थी। ये बातें और वे भारी-भारी परिवर्तन जो रूस में हो रहे थे मुझे आकर्षित कर रहे थे। लेकिन अक्सर कम्यूनिस्टों से मैं उनके डिक्टेटराना ढंग तथा उनके नये लडाकू और कुछ हदतक अशिष्ट तरीके से और जो लोग उनसे सहमत न हो उन सबकी बुराई करने की उनकी आदतों की वजह से चिढ़ जाता था। उनके कहने के मुताबिक तो मेरा यह मनो-भाव मेरी बुराईओं की-सी, अमीराना, तालीम और लालन-पालन की वजह से था।

एक अजीब बात यह भी थी कि साम्राज्य-विरोधी लीग की कमिटियों की बैठकों में बहस के छोटे-छोटे मामलों में मैं मामूली तौर पर एंग्लो-अमेरिकन मेम्बरो की तरफ रहता था। किस तरीके से काम किया जाय, कम-से-कम इस मामले में तो हम लोगों के दृष्टि-कोण एक-से ही थे। मैं और वे लोग ऐसी सब तजवीजों के खिलाफ थे जो लम्बी-चौड़ी और आलकायिक हो और जो घोषणापत्रों जैसी मालूम पड़ती हो। हम लोग तो छोटी-सी और सीधी-सादी-सी चीज चाहते थे। लेकिन यूरोपीय महाद्वीप के देशों की परम्परा इसके खिलाफ थी। अक्सर कम्यूनिस्टों में और गैर-कम्यूनिस्टों में भी मन-भेद हो जाता करता था। मामूली तौर पर हम लोग समझौते पर राजी हो जाते थे।

इसके बाद हममें से कुछ लोग अपने-अपने घर लौट आये और उसके बाद होनेवाली कमिटियो की मीटिंगो में शामिल नहीं हो सके ।

साम्राज्यवादी शक्तियो के वैदेशिक औपनिवेशिक दफ्तर ब्रिटेन-कांग्रेस से कुछ खीझ खाते थे । ब्रिटिश वैदेशिक विभाग के नामी लेखक 'बगूर' ने अपनी एक किताब में इस कान्फ्रेंस का कुछ जनसनीदार और वहीं-कहीं हास्यास्पद हाल दिया है । गालिवन खुद कांग्रेस में खुफियाबों की भरमार थी । बहुतने प्रतिनिधि भी कई खुफियादलो के प्रतिनिधि थे । इमज्जी हमें एक मजेदार मिमाल मिली । मेरे एक अमेरिकन दोस्त उन दिनों पेरिस में रहते थे । उनने एक दिन फ्रांस की खुफिया पुलिस के एक साहब मिलने के लिए आये । वह महज कुछ मामलो की वाबत दोस्ताना तरीके से कुछ बातें पूछना चाहते थे । जब वह साहब अपनी बातें पूछ चुके तब उन अमेरिकन सज्जन से बोले—आपने मुझे पहचाना या नहीं, मैं तो आपसे पहले भी मिल चुका हूँ । अमेरिकन ने उन्हें बड़े गौर से देखा, लेकिन उन्हें यह मजूर करना पडा कि मुझे याद नहीं आता कि मैंने आपको कब और कहाँ देखा । तब खुफिया पुलिस के उन साहब ने उन्हें बताया, कि मैं आपसे बसेल्स-कांग्रेस में नीग्रो प्रतिनिधि की हैसियत से मिला था, उस वक्त मैंने अपना चेहरा और अपने हाथ वगैर सब बिलकुल काले कर लिए थे । २

साम्राज्य-विरोधी-मध की एक बैठक कोलोन में हुई और मैं भी उसमें शामिल हुआ । जब कमिटी की बैठक खत्म हो गई तब हमने यह कहा गया कि, चलो, नज़दीक ही हुसेल्डॉर्फ में सेक्को-वेन्जेटी के सिल-सिले में जो जलसा हो रहा है उसमें चले । जब हम उस मभा से वापस

१. दो इटालियन मलबूर-कार्यकर्ता जिन्हे अमेरिकन सरकार ने मूठे मुकदमे खलाकर फाँसी की सजा दी थी । सारे मजूर-संसार में इस खटना से भारी खलबली मची थी ।

आरहे थे तब हमने कहा गया कि पुलिस को अपने-अपने पास-पोर्ट दिमाइये। हममें से ज्यादातर लोगों के पास अपना-अपना पासपोर्ट था, लेकिन मैं अपना पासपोर्ट कोलोन के होटल में छोड़ गया था। क्योंकि हम लोग ड्रसेल्डॉर्फ तो सिर्फ कुछ घण्टों के लिए ही आये थे। इसपर मुझे पुलिस-थाने में ले जाया गया। मेरी खुशकिस्मती से इस मुसीबत में मुझे दो साथी भी मिल गये। वे ये एक अग्रेज और उनकी बीबी। ये दोनों भी अपने पासपोर्ट कोलोन में छोड़ आये थे। हमें वहाँ कोई एक घण्टा ठहरना पडा होगा, इस बीच में शायद फोन से सब बातें दर्याप्त करली गईं। इसके बाद पुलिसवालों ने हमें जाने देने की महरबानी की।

पिछले सालों में यह साम्राज्य-विरोधी-लीग कम्युनिज्म की तरफ ज्यादा झुक गई। लेकिन जहाँ तक मुझे मालूम है, उसने किसी भी वक्त अपनी अलग हस्ती को नहीं खोया। मैं तो उसके साथ अपना सम्पर्क दूर से पत्रों द्वारा ही रख सकता था। १९३१ में कांग्रेस और सरकार के बीच दिल्ली में जो समझौता हुआ और उसमें मैंने जो हिस्सा लिया उसकी वजह से यह लीग बहुत ज्यादा नाराज हो गई और उसने मुझे बिल्कुल निकाल बाहर किया, या ठीक-ठीक यो कहिए कि उसने मुझे निकालने के लिए एक प्रस्ताव भी पास किया। मैं यह मजूर करता हूँ कि मैंने उसे नाराजी का काफी मसाला दिया था, लेकिन फिर भी वह मुझे स्थिति साफ करने का कुछ मौका दे सकती थी।

१९२७ की गर्मियों में मेरे पिताजी यूरोप आये। मैं उनसे बेनिस में मिला और उसके बाद वे कुछ महीनों तक अक्सर हम लोग साथ-साथ रहे। हम सब लोगो ने—मेरे पिताजी, पत्नी, छोटी बहन और मैंने—नवम्बर में थोड़े दिनों के लिए मास्को की यात्रा की। उन दिनों सोवियट सरकार की दसवीं सालगिरह मनाई जा रही थी। हम लोग

नाम्ने में रहने ही बोझे दिनों के लिए, तिर्ग तीन-चार दिन के ही लिए गये थे, क्योंकि हमने प्रत्यापक वहाँ जाना तय किया था। लेकिन हमें इन बात की ख़ुशी है कि हम वहाँ गये, क्योंकि उसकी इनकी झाँकी भी काफी थी। इसकी जल्दी में लिया गया वह दौरा हमें नये रूप की वादन न तो ज्यादा बड़ा ही सक्ता था न उसने बनाया ही, लेकिन उसने हमें अपने अध्ययन के लिए एक बुनियाद दे दी। पिताजी के लिए ये सब सांख्यिक और मनोविज्ञान विचार बिलकुल नये थे। उनकी नमान तालीन कानूनी और विधान-मन्वन्वी थी और वे उस ढाँचे में से आसानी से नहीं निकल सकने थे। लेकिन मास्को में उन्होंने जो कुछ देखा उसका उनके ऊपर निश्चय रूप से अमर पडा था।

जब पहले-पहले माइमन-कमीशन की वादन ऐलान हुआ तब हम भी मास्को में ही थे। हमने उनकी वादन पहले-पहले मास्को के एक अखबार में पडा। इसके कुछ दिनों बाद पिताजी लन्दन में—ब्रिटीश-कौंसिल में—हिन्दुस्तान के एक मामले की अपील में सर जान माइमन के साथ-साथ वकील थे। यह एक पुरानी खर्चीदारी का मुकदमा था जिनमें मुकुन्दशुरू में बहुत साल पहले गैने भी पैरवी की थी। उस मुकदमे में मुझे कुछ दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन एक मर्तबा मैं सर जान साइमन के कहने पर पिताजी के साथ-साथ कुछ मलाह-मसवरे में शामिल होने के लिए माइमन साहब के चेम्बर में गया था।

१९२७ का साल भी खत्म हो रहा था, और यूरप में हम बहुत ज्यादा ठहर चुके थे। अगर पिताजी यूरप न जाते तो आपदा हम पहले ही घर लौट गये होते। हमारा एक इरादा यह भी था कि घर लौटते वक़्त कुछ समय दक्षिण-पूर्वी यूरप, टर्की और मिश्र में भी बिताते। लेकिन उस वक़्त उनके लिए समय नहीं रहा था और मैं इस बात के लिए उत्तुङ्ग था कि काँग्रेस का जो अगला जलसा मद्रास में बड़े दिन

की छुट्टियों में होने को था उसमें शामिल हो सकूँ। इसलिए मैं, मेरी पत्नी, मेरी बहन व मेरी पुत्री दिसम्बर के शुरू में मारसेल्स से कोलम्बो के लिए रवाना हो गये। पिताजी तीन महीने और यूरोप में ही रहे।

: २४ :

हिन्दुस्तान में वापसी और फिर राजनीति में

यूरोप से मैं बहुत अच्छी शारीरिक और मानसिक हालत लेकर लौट रहा था। मेरी पत्नी अभी पूरी तरह चगी तो नहीं हुई थी, लेकिन वह पहले से बहुत बेहतर थी। इसीलिए मुझे उनकी तरफ से किसी किस्म की फिक्र नहीं रही थी। मैं ऐसा महसूस करता था कि मुझमें शक्ति और जीवन लबालब भर गया है, और इससे पेश्वर भीतरी द्वन्द्व और मनसूबों के विगड़ जाने का जो खयाल मुझे अक्सर परेशान करता रहता था, गह इस वक्त न रहा था। मेरा दृष्टि-बिन्दु व्यापक हो गया था और बजात खुद राष्ट्रीयता का मकसद मुझे निश्चित रूप से तग और नाकाफी मालूम होता था। इसमें कोई शक नहीं कि राजनैतिक स्वतन्त्रता, आजादी, लाजिमी थी, लेकिन वह तो सही दिशा में कदमभर है। जबतक सामाजिक आजादी न होगी और समाज का तथा राज का बनाव समाजवादी न होगा तबतक न तो मुल्क ही ज्यादा तरक्की कर सकता है, न उसमें रहनेवाले लोग ही। मैं यह महसूस करने लगा कि मुझे दुनिया के मामलात ज्यादा नाफ दिखाई दे रहे हैं। आज-कल की दुनिया को जोकि हर वक्त बदलनी रहनी है, मैंने अच्छी तरह समझ लिया है। चानू मामलो और राजनीति के बारे में ही नहीं लेकिन सांस्कृतिक और वैज्ञानिक तथा और भी ऐसे विषयों पर जिनमें मेरी दिलचस्पी थी, मैंने खूब पढ़ा। यूरोप और अमेरिका में जो बड़े-बड़े

राजनैतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिवर्तन हो रहे थे, उनके अध्ययन में मुझे बड़ा लुत्फ आता था। यद्यपि सोवियट रूस के कई पहलू अच्छे नहीं मालूम होते थे, फिर भी वह मुझे जोरो से अपनी ओर खींचता था और ऐसा मालूम होता था कि वह दुनिया को आशा का संदेश दे रहा है। १९२५ के आसपास यूरोप एक तरीके से एक जगह जमकर बैठने की कोशिश कर रहा था। महान् आर्थिक संकट तो उसके बाद ही आने को था। लेकिन मैं वहा से यह विश्वास लेकर लौटा कि जमकर बैठने की यह कोशिश तो ऊनरी है और निकट-भविष्य में यूरोप में और दुनिया में भारी उथल-पुथल होने वाली है, तथा बड़े-बड़े विस्फोट होनेवाले हैं।

मुझे फौरन ही सबसे पहले करने का काम यह दिखाई देता था कि हम देश को इन विश्वव्यापी घटनाओं के लिए शिक्षित व उद्यत करें, उसे उनके लिए जहाँतक हमसे हो सके वहाँतक तैयार रखें। यह तैयारी ज्यादातर खयालों की तैयारी थी, जिसमें सबसे पहली थी कि हमारी राजनैतिक आजादी के मकसद के बारे में किनीको कुछ शक नहीं होना चाहिए। यह जान तो सबको साफ़-साफ़ समझ लेनी चाहिए कि हमारे लिए एकमात्र राजनैतिक ध्येय-संही ही मकतब है और यह औपनिवेशिक-पद के बारे में जो अल्पमत और गोलमोल बाने की जानी हैं उनमें बिल्कुल जुदा हैं। इसके अलावा सामाजिक ध्येय भी था। मैंने महत्त्व दिया कि कार्यक्रम से यह उम्मीद करनी कि अभी हम तक वह ज्यादा दूर जा सकेगी वहन ज्यादा होगी। कार्यक्रम को बहुत एक राजनैतिक राष्ट्रीय ध्येय है जिसे दूसरे-तरीकों पर मोचन का अन्वयान न था। लेकिन फिर भी, हम दिशा में ही इच्छान की जा सकती है। कार्यक्रम में बाहर मरहम-मरहम में और नीतियों में यह उम्मीद करने में आशा दूर तक फैलाने जा सकते थे। इसके सिवा मैं अपने ही कार्यक्रमों के अन्वयान के काम में अन्वयान

कि मैं कुछ महीने सुदूर भोतर के गाँवों में रहकर उनकी हालत का अध्ययन करने में बिताऊँ। लेकिन होनहार ऐसा न था और घटनाओं ने तय कर लिया था कि वे मुझे कांग्रेस की राजनीति में घसीट लेगी।

हम लोगों के मदरास में पहुँचने के बाद फौरन ही मैं कांग्रेस के भँवर में फँस गया। कार्य-समिति के सामने मैंने कई प्रस्ताव पास किये। आजादी के बारे में, लडाई के खतरे के बारे में, साम्राज्य-विरोधी सच के बारे में और ऐसे ही कुछ और प्रस्ताव पेश किये। करीब-करीब ये सब प्रस्ताव मजूर हुए और वे कार्य-समिति के सरकारी प्रस्ताव बना लिए गये। कांग्रेस के खुले अधिवेशन में भी वे प्रस्ताव मुझे ही पेश करने पड़े और मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि वे सब-के-सब करीब-करीब एक राय से पास हो गये। आजादी के प्रस्ताव का तो मिसेज एनी बेसेण्ट तक ने समर्थन किया। इस चारों ओर के समर्थन से मुझे बड़ी खुशी हुई, लेकिन मेरे दिल में यह खयाल बेचैनी पैदा करता था कि या तो लोगों ने उन प्रस्तावों को समझा ही नहीं है कि वे क्या हैं या उन्होंने उनके मानी तोड़ मरोड़कर बिल्कुल दूसरे लगा लिये हैं। कांग्रेस के बाद फौरन ही आजादी के प्रस्ताव के बारे में जो बहस उठ खड़ी हुई उससे यह जाहिर हो गया कि असल में यही बात थी।

मेरे ये प्रस्ताव कांग्रेस के हस्वमामूल प्रस्तावों से कुछ भिन्न थे। वे एक नये दृष्टिकोण को व्यक्त करते थे। इसमें शक नहीं कि बहुत-से कांग्रेसी उन्हें पसन्द करते थे, कुछ लोग कुछ हद तक उन्हें नापसन्द करते थे लेकिन इतना नहीं कि उनकी मुखालिफत करे। गालिबन ये पिछले लोग यह समझते थे कि प्रस्ताव महज तात्त्विक है, उनके पास होने न होने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता, और उनसे पिण्ड छुड़ाने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि उनको पास कर दिया जाय और और ज्यादा महत्व-पूर्ण काम की तरफ ध्यान दिया जाय। इस तरह उन दिनों आजादी का

प्रस्ताव कांग्रेस में उठनेवाली एक सजीव और अदम्य प्रेरणा को व्यक्त नहीं करता था जैसा कि उसने एक या दो साल बाद किया। उस वक्त तो वह एक बहु-आपी और बढ़ते जानेवाले भाव को ही व्यक्त करता था।

गाँधीजी मद्रास में ही थे। वह कांग्रेस के खुले अधिवेशन में आते थे, लेकिन उन्होंने कांग्रेस के नीति-निर्माण में कोई हिस्सा नहीं लिया। वह जिस कार्य-समिति के मेम्बर थे उसकी बैठको तक में भी शामिल न हुए। जवने कांग्रेस में स्वराज्य-पार्टी का जोर हुआ तबसे कांग्रेस के प्रति उनका अपना राजनैतिक रुख यही रहता था। लेकिन हा, उनसे समय-समय पर सलाह ली जाती थी और कोई भी महत्वपूर्ण बात उनको बताये बिना नहीं की जाती थी। मुझे नहीं मालूम कि मैंने कांग्रेस में जो प्रस्ताव पेश किये उन्हें वह कहाँ तक पसन्द करते थे। मेरा झुकाव तो इस खयाल की तरफ है कि वह उन्हें नापसन्द करते थे—उन प्रस्तावों में जो कुछ कहा गया था उसकी वजह से उतना नहीं जितना उनकी आम प्रवृत्ति और दृष्टिकोण की वजह से। लेकिन उन्होंने किसी भी अवसर पर उनकी नुकताचीनी नहीं की। मेरे पिताजी तो उन दिनों यूरप ही थे।

आजादी के प्रस्ताव की अवास्तविकता तो कांग्रेस की उसी बैठक में उसी वक्त जाहिर होगई थी जबकि माइमन-कमीशन की निन्दा और उसके बायकाट के लिए अपील करने सम्बन्धी दूसरे प्रस्ताव पर विचार हुआ। इन प्रस्ताव के फल स्वरूप यह तजवीज की गई कि सब दलों की एक कॉन्फ्रेंस बुलाई जाय, जो हिन्दुस्तान के लिए एक शासन-विधान बनावे। यह जाहिर था कि जिन माडरेट दलों का सहयोग लेने की कोशिश की गई थी, वे आजादी की भाषा में कभी विचार नहीं कर सकने थे। वे तो ज्यादा-से-ज्यादा उपनिवेशों के-से पद के किमी स्वरूप तक जा सकने थे।

मुझे फिर कांग्रेस का सेक्रेटरी होना पडा। इसके कुछ कारण तो जाती थें। उस साल के प्रेसिडेंट डाक्टर अन्सारी मेरे पुराने और प्यारे दोस्त थे। उनकी ख्वाहिश थी कि मैं ही सेक्रेटरी बनूँ और मुझे भी यह खयाल था कि जब मेरे इतने प्रस्ताव पास हुए हैं तब मेरा फर्ज है कि मैं यह देखूँ कि उनके मुताबिक काम हो। यह सच है कि सर्वदल-सम्मेलन के सम्बन्ध में जो प्रस्ताव पास हुआ था उसने कुछ हद तक मेरे प्रस्तावों के असर को मार दिया था, फिर भी बहुत कुछ रह गया था। इसके अलावा मेरे मन्त्रि-पद मजूर कर लेने का असली कारण तो यह डर था कि कांग्रेस सब दलों की कान्फेस के जरिए या दूसरी वजह से कहीं माडरेट स्थिति की तरफ, राजीनामे और समझौते की तरफ, न झुक जाय। उन दिनों ऐसा मालूम होता था कि कांग्रेस दुविधा में पडी हुई है, कभी वह उग्रता की तरफ बढ़ती तो कभी नरमी की तरफ हटती। मैं चाहता था कि जहातक मुझ से हो सके बहातक इस दुविधा में झूलती हुई कांग्रेस को नरमी की तरफ न झुकने दूँ और उसे आजादी के ध्येय पर डटायें रहूँ।

राष्ट्रीय कांग्रेस के सालाना जलसों के मौकों पर बहुत-से दूसरे जलसे भी हमेगा हुआ करते हैं। मदरास में इस तरह का एक जलसा 'रिपब्लिकन कान्फेस' नाम का हुआ। इसका पहला (व आखरी) जलसा उसी साल वही हुआ। मुझ से कहा गया कि मैं उसका समापति बन जाऊँ। मुझे यह खयाल पमन्द आया, क्योंकि मैं अपनेको रिपब्लिकन (प्रजातन्त्रवादी) समझता हूँ। लेकिन मुझे शिक्षक इस बात की थी कि मुझे यह नहीं मालूम था कि इस कान्फेस को करानेवाले साहब कौन हैं और मैं यो ही बरसानी मेढकों की तरह पैदा होनेवाली चीजों से अपना सम्बन्ध नहीं करना चाहता था। अखीर में जाकर मैं उसका समापति बना। लेकिन बाद को मुझे इसके लिए पछताना पडा, क्योंकि ऐसे बहुत-से

मामलो की तरह यह रिपब्लिकन कार्यक्रम भी मरी हुई पैदा होनेवाली नाबिन हुई। कई महीनों तक मैंने इस बान को कोशिश की कि उसने जो प्रस्ताव पाम किये थे उनकी प्रतिज्ञा मुझे मिल जाय। लेकिन मेरी सब कोशिश बेकार गई। यह देखकर हैरत होती है कि हमारे किनारे ही लोग नई-नई चीजें कायम करना पसन्द करते हैं और फिर उनकी तरफ से उदाराना होकर उन्हें उनके भाग्य के भरोसे छोड़ देते हैं। इस समालोचना में बहुत-कुछ सचाई है कि हम लोग किमी काम को उठाकर उभे पूरा करना, उमपर डटे रहना, नहीं जानते।

काँग्रेस के बाद हम लोग मदरान से खाना नहीं हो पाये थे कि खबर मिली कि दिल्ली में हकीम अजमलखान की मृत्यु हो गई। काँग्रेस के नूनपूर्व नभापनि की हैमियत ने वह उसके बजुर्ग राजनीतिज्ञों में से थे। लेकिन वह उनके अलावा कुछ विगेष भी थे। काँग्रेस के नेताओं में उनकी अपनी ज्ञान जगह थी। यद्यपि जिम पुराने अनुदार तरीके ने उनका लाइन-मालन हुआ, उममें नयेपन का तो कहीं पता तक न था और मुगलों के जमाने की माही दिल्ली की नसृति में वह सराबोर थे, फिर भी उनकी धरापन को देखकर, उनकी आहिस्ता-आहिस्ता बाते मुनक और उन्ने रुले-मूले मजारां की मुनक, उनीयन खुद हो जाती थी। उनमें मिष्टाचार ने वह मुगले जमाने के रईमों के नमूने थे। उनकी नजर और उनके नीर-नीके माही थे। उनका बेहग भी मुगल-मजारां की मुनिको ने बहुत-कुछ मिटना-बुलना था। ऐसे ज्ञान मामूली नीर प गजनीति की धरना-मूनी में शामिल नही होने और जदमे उन्ने-मजारां की नई नजर ने उन्ने परेशान करना मुनक किया नवने

परिवार के मुखिया थे, इसलिए वह अपने पेशे में बहुत मशगूल रहते थे। लेकिन लडाई के पिछले सालों के ज़माने की घटनाओं और उनके पुराने दोस्त और साथी डॉक्टर एम० ए० अन्सारी का अमर उन्हें कांग्रेस की तरफ ढकेल रहा था। उसके बाद की घटनाओं ने, पंजाब के मार्शल-लॉ और खिलाफत के सबाल ने, तो उनके दिलपर गहरा असर डाला और वह राखी-खुशी से गांधीजी के असहयोग के नये तरीके के हामी हो गये। कांग्रेस में अपने साथ वह एक निराला गुण तथा कई बहुमूल्य खूबियाँ लाये। वह पुराने और नये ढर्रे के लोगों के बीच दोनों को मिलानेवाली कड़ी बन गये, और उन्होंने राष्ट्रीय आन्दोलन को पुराने ढर्रे के लोगों की मदद दिला दी। इस तरह उन्होंने नये और पुराने में एक तरह का मेल मिला दिया और आन्दोलन की आगे बढ़नेवाली टुकड़ी को ताकत और मजबूती पहुँचाई। हिन्दू और मुसलमानों को भी उन्होंने एक-दूसरे के बहुत नज़दीक ला दिया, क्योंकि दोनों ही उनकी इज्जत करते थे और दोनों पर ही उनकी मिसाल का असर पड़ता था। गाँधीजी के लिए तो वह एक ऐसे विश्वास-पात्र मित्र हो गये, जिनकी सलाह हिन्दू-मुसलमानों के मामले में उनके लिए 'ब्रह्म-वाक्य' थी। मेरे पिताजी और हकीमजी कुदरतन् एक-दूसरे के दोस्त हो गये।

पिछले साल हिन्दू-महासभा के कुछ नेताओं ने मुझपर यह इलज़ाम लगाया था कि अपनी सद्दोष शिक्षा तथा फारसी सस्कृति के असर के कारण मैं हिन्दुओं के भावों से अनभिन्न हूँ। मैं किम सस्कृति से सम्पन्न हूँ या मेरे पास कोई सस्कृति है भी या नहीं, यह कहना मेरे लिए कुछ भुविक्ल है। बदकिस्मती से फारसी ज़बान को तो मैं जानता भी नहीं। लेकिन यह सही है कि मेरे पिताजी हिन्दुस्तानी-फारसी सस्कृति की आबोहवा में बड़े हुए थे। यह सस्कृति उत्तरी भारत को दिल्ली के पुराने

दरबार से विरासत में मिली थी और आज के इन विगड़े हुए दिनों में भी दिल्ली और लखनऊ उसके खास केन्द्र हैं। कश्मीरी ब्राह्मणों में समय के अनुकूल हो जाने की अद्भुत दक्षिण है। हिन्दुस्तान के मैदान में आने पर जब उन्होंने उन दिनों यह देखा कि ऐसी सस्कृति का बोनवाला है, तो उन्होंने उसे अल्यार कर लिया और उनमें फारसी और उर्दू के भारी पण्डित पैदा हुए। उसके बाद उन्होंने अपनी ही तैयारी के साथ बढ़नेवाली व्यवस्था के भी अनुसार अपने को बदल लिया। जब अंग्रेजी भाषा का जानना और यूरोपियन सस्कृति के अंशों को ग्रहण करना जरूरी हो गया तब उन्होंने इन्हें भी ग्रहण कर लिया। लेकिन जब भी हिन्दुस्तान में कश्मीरियों में फारसी के कई-नामी विद्वान् हैं। इनमें से दो के नाम लिये जा सकते हैं, सर तेजबहादुर सप्रू और राजा नरेन्द्रनाथ।

इस तरह मेरे पिताजी और हकीमजी में ऐसी बहुत-सी बातें थी जो एक-दूसरे से मिलती-जुलती थी। इतना ही नहीं, उन्होंने पुराने ज्ञानवासी रिश्ते भी ढूँढ निकाले। उन दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। वे एक-दूसरे को 'भाई माहव' कहकर पुकारते थे। राजनीति तो उनके बहुत-से प्रेम-बन्धनों में से सिर्फ एक और सबसे कम बन्धन था। अपनी घर-गृहस्थी की आवृत्तों में हकीमजी बहुत ही पुराण-भक्ती थे। वह या उनके परिवार के लोग पुण्य की आवृत्तों को नहीं छोड़ सकते थे। उनके परिवार में जैसा विकट परदा किया जाता था वैसा मैंने कभी नहीं देखा था। फिर भी हकीम माहव को इन बातों का पूर्ण विश्वास था कि जबतक किसी मुल्क की ओरते अपनी आजादी हासिल न करने तक वह मुल्क हरगिज तरनकी नहीं कर सकता। मेरे सामने वह इस बात पर बहुत खोर देते थे और कहते थे कि टर्की की आजादी की लड़ाई में वहाँ की ओरतों ने जो हिस्सा लिया है उसे मैं बहुत ही काबिल-सारीफ

समझता हूँ। उनका कहना था कि खास तौर पर टर्की की औरतो की वदौलत ही कमालपाशा को कामयाबी मिली।

हकीम अजमलख़ाँ के शरीरान्त से काँग्रेस को भारी धक्का लगा। उसके मानी थे कि काँग्रेस का एक सबसे ताकतवर मददगार जाता रहा। तबसे लेकर अबतक हम सब लोगो को दिल्ली जाने पर वहाँ किसी चीज़ की कमी मालूम होती है, क्योंकि हमारी दिल्ली का हकीम साहब से और बल्लीमारान में उनके मकान से बहुत गहरा सम्बन्ध था।

राजनैतिक दृष्टि से १९२८ का साल एक भरा-पूरा साल था। देशभर में तरह-तरह की हलचलो की भरमार थी। ऐसा मालूम पड़ता था कि एक नई प्रेरणा, एक नया जीवन जो तरह-तरह के सभी समूहो में एक-सा मौजूद था, लोगो को आगे की तरफ बढ़ा रहा है। जिन दिनों में देश से बाहर था शायद उन दिनों धीरे-धीरे यह तबदीली हो रही थी और मेरे लीटने पर मुझे वह बहुत थड़ी तबदीली मालूम हुई। १९२६ के शुरू में हिन्दुस्तान जैसा-का तैसा सुप्त और निष्कर्म बना हुआ था। शायद उस वक्त तक उसकी १९२१-२२ की मेहनत की थकान दूर नहीं हुई थी। १९२८ में वह तरोताजा क्रियाशील और रुकी हुई शक्ति से पूर्ण है, इस बात का सबूत हर जगह मिलता था। कारखानो के मजदूरों में भी और किसानों में भी। मध्यमवर्ग के नौजवानों में भी और आमतौर पर पढ़े-लिखे लोगों में भी।

मजदूर सघों की हलचल बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। सात-आठ साल पहले जो आल-इंडिया ट्रेड-यूनियन काँग्रेस कायम हुई थी वह एक मजबूत और प्रातिनिधिक जमात थी। न सिर्फ उसकी तादाद और उसके सगठन में ही काफी तरक्की हुई थी, बल्कि उसके विचार भी ज्यादा लड़ाकू और ज्यादा गरम हो गये थे। हड़ताले अक्सर होती थी और मजदूरों में बर्ग-चेतना ख़ोर पकड़ रही थी। कपड़े की मिलों में

और रेलों में काम करने वाले मजदूर सबसे ज्यादा संगठित थे और इन में से भी सबसे ज्यादा संगठित और सबसे ज्यादा संगठित सघ थे बम्बई की गिरनी-कामगार-यूनियन और जी० आई० पी० रेलवे-यूनियन। मजदूरों के संगठन के बढ़ने के साथ-साथ लाबिमी तौर पर पश्चिम से घरेलू लडाई-सगडों के बीज भी आये। हिन्दुस्तान के मजदूर-सघों को हलचल को कावम हुए देर न हुई कि वे आपस में होड़ करने और दुश्मनी रखनेवाले दलों में बँट गये। कुछ लोग दूसरी इंटरनेशनल के हामी थे, कुछ तीसरी इंटरनेशनल के कायल। यानी एक दल का दृष्टिकोण नरमी की तरफ, मुघार-बादी, था और दूसरा दल वह था जो दुल्लम-खुल्ला क्रान्तिकारी था तथा आमूल परिवर्तन चाहता था। इन दोनों के बीच में कई किम्म की रायें थी, जिनमें मात्रा का भेद था, और जैसा कि आम जनता के संगठन में होता है इनमें समय-साधुलोग भी आ घुसे थे।

जिमान भी करबट बदल रहे थे। उनकी यह जागृति सयुक्ताप्रान्त में और खासतौर पर अवध में दिखाई देती थी जहाँ अपने ऊपर होने-वाले अत्यायों का विरोध करने के लिए किसानों की बड़ी-थड़ी सभाएँ आयें दिन होने लगी थी। लोग यह महसूस करने लगे थे कि अवध के जंगल-मन्दगरी जिम कानून ने जिमानों को हॉन-हूयाती मौल्मी दी थी और जिमने बहुत ज्यादा उम्मीद की जाती थी उम्मे जिमानों की दू गमर जिमनों में तोड़ फट नहीं पडा था। गुजरात के जिमानों ने तो उम्मे पंमान पर मारें शुरू कर दिया, क्योंकि गवर्नमेण्ट ने यह चाहि कि मन्तुगरी जग दी जाय। गुजरात में जिमान गुद अपनी जमीन के मन्तुगरी, जहाँ मन्तुगरी मन्तुगरी के मन्तुगरी हैं। यह मन्तुगरी मन्तुगरी मन्तुगरी के मन्तुगरी में गुना कारोगी का सन्तुगरी था। इम मन्तुगरी में जिमानों को मन्तुगरी की जिमद दूटे, जिम देयकर

तमाम हिन्दुस्तान बाह-बाह करने लगा । वारडोली के किमानों को बहुत काफी कामयाबी मिली । लेकिन उनकी लड़ाई की असली कामयाबी तो इम बात में थी कि उसने हिन्दुस्तान-भर के किसानों पर बड़ा अच्छा असर डाला । हिन्दुस्तान के किमानों के लिए वारडोली आशा और शक्ति और विजय का प्रतीक और चिन्ह हो गई ।

१९२८ के हिन्दुस्तान की एक और बहुत खास बात थी नौजवानों के आन्दोलन की बढ़ती । हर जगह युवक-सब कायम हो रहे थे और युवक-कान्फेसों की जा रही थी । ये सब और कान्फेस तरह-तरह के थे । कोई अर्द्ध-धार्मिक थे तो कोई आन्किकारी विचारों और उनके शास्त्रों पर विचार करनेवाले । लेकिन उनकी उत्पत्ति कुछ भी हो, और उनका नियंत्रण किसीके हाथ में हो, युवकों की ऐसी सभाये हमेना अपने-आप आजकल की सजीव सामाजिक और आर्थिक समस्याओं पर विचार करने लगती थी और आम तौर पर उनका झुकाव यही था कि एकदम काया-पलट करदी जाय ।

महत्त्व राजनीतिक विचार से देखा जाय तो यह साल साइमन-कमीशन के वायकाट के लिए और (वायकाट के रचनात्मक पहलू के नाम से पुकारे जानेवाले) सर्वदल-सम्मेलन के लिए मशहूर है । इस वायकाट में नरम-दलवालों ने कांग्रेस का साथ दिया और उसमें गलब की कामयाबी हुई । जहाँ-जहाँ कमीशन गया वहाँ-वहाँ विरोधी जन-समूहों ने "साइमन गो बैक" (साइमन लौट जाओ) के नारे लगाकर उसका स्वागत किया और इस तरह हिन्दुस्तान के तमाम लोगों की बहुत बड़ी तादाद न सिर्फ सर जॉन साइमन का नाम ही जान गई बल्कि अंग्रेजों के "गो बैक" ये दो शब्द भी उसे मालूम होगये । वस, अंग्रेजों के इन्ही दो शब्दों में उनका ज्ञान खतम हो जाता है । ऐसा मालूम पड़ता है कि इन शब्दों से कमीशन के मेम्बरो के कान भडकते थे और

अपनी उनी भडकन की वजह ने वे चॉक पड़ते थे। कहते हैं कि एक मर्तवा जब वे नई दिल्ली के वेस्टर्न होटल में ठहरे हुए थे तब उन्हें रात के बँचरे में "साइमन गो बैक" का नारा सुनाई देने लगा। इस तरह रात में नी पीछा किये जाने पर मेम्बर लोग बहुत चिढ़े, जबकि असल बात यह थी कि वह आवाज उन गीदड़ों की थी जो शाही राज-घानी के ऊजड़ प्रदेशों में रहते हैं।

विधान के खास-खास उसूलों के तय करने में सर्व-दल-सम्मेलन को कुछ भी मुश्किल नहीं हुई। ये उसूल लोकतंत्रीय पार्लेमेन्टरी ढंग के थे और कोई भी उनकी रूप-रेखा बना सकता था। असली मुश्किल और एकमात्र कठिनाई तो साम्प्रदायिक या अल्पमत वाली कौमो के सवाल की वजह से पैदा हुई और चूँकि कान्फेन्स में भिन्न-भिन्न जातियों के तमाम कट्टर-मे-कट्टर प्रतिनिधि थे उनमें किसी तरह का राजीनामा निहायत ही मुश्किल हो गया। अगल में वह पुरानी और बेकार कान्फेन्सो की तरह ही थी। पिताजी जो उस वक्त यूरोप से लौटे थे, उन्होंने इस सम्मेलन में बड़ी दिलचस्पी ली। अन्त में आखिरी तरकीब के तौर पर एक छोटी-सी कमिटी मुक़रर कर दी गई। पिताजी इस कमिटी के नभापति बनाये गये। इस कमिटी का काम था कि वह विधान का मसविदा तैयार करे और साम्प्रदायिक प्रश्न पर पूरी रिपोर्ट दे। इन कमिटी को लोग 'नेहरू-कमिटी' कहने लगे और कमिटी की रिपोर्ट 'नेहरू-रिपोर्ट' के नाम से पुकारी जाने लगी। सर तेजबहादुर सप्रू भी इस कमिटी के मेम्बर थे, और वह उसकी रिपोर्ट के एक हिस्से के लिए जिम्मेदार भी थे।

मैं इस कमिटी का मेम्बर नहीं था, लेकिन कांग्रेस के नत्री की हैमियन से मुझे इसके लिए बहुत काम करना पड़ा। मैं बड़े अनमजस में था, क्योंकि मैं समझता था कि जब असली सवाल सत्ता को जीतने का

हो तब तफसीलवार कागजी विधान तैयार करना बिल्कुल बेकार बात है। मेरी दूसरी मुश्किल यह थी कि इस खिचड़ी कमिटी ने हमारा ध्येय लाञ्छिमी तौर पर 'डोमीनियन स्टेट्स' तक की ही महद्द कर दिया था, और दरअसल तो वह ध्येय इससे भी कम था। मेरी नज़र में तो कमिटी की असली अहमियत इस बात में थी कि वह साम्प्रदायिक उल्लान में से निकलने का कोई रास्ता ढूँढ निकाले। मुझे यह उम्मीद नहीं थी कि किसी पैक्ट या समझौते द्वारा यह सवाल हमेंगा के लिए हल हो जायगा। यह सवाल हल तो तभी हो सकेगा जबकि लोगों का ध्यान इधर से हटकर सामाजिक और आर्थिक मसलों की तरफ लग जाय। लेकिन इस बात की सम्भावना थी कि अगर दोनों तरफ के लोगों की काफी तादाद थोड़े वकन के लिए भी कोई पैक्ट करले तो हालत कुछ मुधर जाती और लोगों का ध्यान दूसरे मसलों की तरफ लग जाता। इसलिए मैंने कमिटी के काम में रोड़े अटकाने के बजाय उसको जितनी मदद मैं दे सकता था उतनी मदद दी।

एक बार तो यह मालूम पडा कि अब कामयाबी मिली। सिर्फ दो-तीन बात तय करने को रह गई थी और इनमें असली महत्वपूर्ण सवाल पञ्जाव का था, जहाँ हिन्दू-मुस्लिम और सिक्खों का तिकोना तनाव था। कमिटी ने अपनी रिपोर्ट में पञ्जाव के सवाल पर बिल्कुल नये ढग में गौर किया और उसने इस मामले में जो सिफारिशें कीं उनकी पुष्टि जन-सरया के बँटवारे सम्बन्धी कुछ नये अकों से की। लेकिन यह सब बिल्कुल बेकार था। दोनों तरफ डर और शक का राज रहा और दोनों में जो थोडा-सा फर्क रह गया था उसे पूरा करने के लिए दो-एक कदम आगे तक नहीं बढ़ा गया।

अपनी कमिटी की रिपोर्ट पर विचार करने के लिये सर्व-भारत सम्मेलन लखनऊ में हुआ। इसमें हम लोग फिर एक दृष्टिघा में पट गये;

क्योंकि इधर तो हम यह चाहते थे कि हमारी वजह ने साम्प्रदायिक नवाल के हल होने में किसी क्रिस्म की अड़चन न पड़े, वयसे कि वह नवाल हल हो सक्ता हो और उधर हम इस बात के लिए तैयार न थे कि आजादी के सवाल पर झुक जायें। हमने अर्द्ध किया कि सम्मेलन इस नवाल के बारे में अपने हरेक अंग को पूरी आजादी दे दे, जिनसे इन नामले नें जिसका जो जी चाहे मो करें। कांग्रेस आजादी पर डटी रहे, और जो लोग अपने अपनी नीति के अनुरार काम लेना चाहते हैं वे 'डोनीनियन स्टेट्स' पर। लेकिन पिनाजी रिपोर्ट को पास कराने पर मुझे हुए थे। वह खरा भी बजने को तैयार न थे। शायद उन परिस्थितियों में वह झुक्ना चाहते तो भी नहीं झुक सकते थे। सम्मेलन में आजादी चाहनेवालों का एक बड़ा दल था। इस दल ने मुझसे कहा कि मैं दल की तरफ से सम्मेलन में एक बयान दूं, जिनमें यह कहूं कि आजादी के ध्येय को कम करने के लिए जो कुछ भी किया जायगा उस नव ने हमारा जोड़ नरोकार न रहेगा। लेकिन हमने यह बात भी और साम करदी कि इन सम्मेलन के दास्ते में रोड़े न अटकावेंगे; क्योंकि इन साम्प्रदायिक मनसूतों के राम्ने में अड़चनें नहीं डालना चाहते थे।

ऐसे बड़े नवाल पर इस तरह का खड अख्यार करना बहुत कारगर नहीं जाचिन हो सकना था। ज्यादा-से-ज्यादा यह खड नकारात्मक था। हमने उसी दिन हिल्डुम्मान का आजादी-संध (डिपेण्डेन्स डार इग्निटा नी) कायम करके अपने इस खड को विधेयात्मक स्वरूप में दे दिया।

प्रस्तावित विधान में जो नीतिक अधिकार कायम किये गये थे, उनमें अबय के ताल्लुकेशंग के बहने पर एक धारा यह भी रख दी गई कि उनके ताल्लुकों में उनके स्थानित अधिकारों की गारण्टी रहेगी कि

वे नहीं छीने जायेंगे। सर्व-दल-सम्मेलन की इस बात से मुझे एक और ज्यादा बड़ा धक्का लगा। इसमें कोई शक ही नहीं कि तमाम विधान व्यक्तिगत सम्पत्ति के सिद्धान्त की बुनियाद पर बनाया गया था, लेकिन बड़ी-बड़ी अर्द्ध-सामन्ती-सी रियासतों में उनकी मिलकियत के हकूक को विधान की अटल धारा बना देना मुझे बहुत ही बुरा मालूम हुआ। इंससे यह बात साफ हो गई कि कांग्रेस के नेता और उनसे भी ज्यादा गैर-कांग्रेसी अपने ही साथियों में सामाजिक दृष्टि से जो ज्यादा आगे बढ़े हुए समूह थे उनके मुकाबिले में बड़े-बड़े जमीनदारों का साथ पसन्द करते थे। यह साफ था कि हमारे नेताओं के और हमारे बीच में एक बहुत बड़ी खाई है। और ऐसी हालत में मुझे अपने लिए यह बात बहुत ही बेहूदा मालूम होती थी कि मैं प्रधान-मंत्री का काम करता रहूँ। मैंने इस बुनियाद पर अपना इस्तीफा दे देना चाहा कि मैं हिन्दुस्तान की आजादी के लिए जो सब कायम किया गया है उसके सचालको में से एक हूँ। लेकिन कार्य-समिति इस बात से सहमत न हुई। उसने मुझ से और सुभाष बाबू से, जिन्होंने मेरे साथ-साथ उसी विना पर इस्तीफा दे देना चाहा था, यह कहा कि हम लोग सब का काम मजबूत से कर सकते हैं, उस काम में और कांग्रेस की नीति में कोई विरोध नहीं है। सब बात तो यह है कि कांग्रेस ने तो पहले ही आजादी के ध्येय का ऐलान कर दिया है। इसपर मैं फिर राजी हो गया। यह बात आश्चर्य-जनक है कि उन दिनों मुझे अपना इस्तीफा वापस करने के लिए कितनी जल्दी राजी कर लिया जाता था। यह बात कई मर्तबा हुई और क्योंकि कोई भी पार्टी वास्तव में एक-दूसरे से अलग हो जाने के खयाल को पसन्द नहीं करती थी, इसलिए उससे बचने के लिए हमें जो बहाना मिलता उसीका हम आश्रय ले लेते।

गांधीजी ने इन तमाम पार्टियों की कान्फ्रेंसों और कमिटियों की

बिलकुल पैशाचिकता मालूम पडी और उस व्यवहार को देखकर हिन्दुस्तान-भर में, खासकर उत्तरी हिन्दुस्तान में, एक मूढ क्रोध फैल गया। हम लोग कितने असहाय और कितने तुच्छ हैं, कि हम अपने नेताओं की इज्जत की भी रक्षा नहीं कर सकते !

लालाजी को शारीरिक चोट भी कम भीषण नहीं लगी, क्योंकि उनकी छाती पर लाठियाँ मारी गई थी और वह बहुत दिनों से दिल की बीमारी से पीड़ित थे। अगर ये चोट किसी तन्दुरुस्त नौजवान के लगी होती तो इतनी घातक न साबित होती। लेकिन लालाजी न तो नौजवान थे, न तन्दुरुस्त ही। कुछ हफ्तों बाद लालाजी की जो मौत हुई उसपर इन शारीरिक चोटों का क्या असर पडा, निश्चित रूप से यह बताना तो मुमकिन नहीं है, हालाँकि उनके डाक्टरों की यह राय थी कि इन चोटों के कारण उनकी मृत्यु जल्दी हो गई। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस बात में कोई शक नहीं है कि शारीरिक चोटों से लालाजी को जो मानसिक आघात पहुँचा उसका उनके ऊपर बहुत ज्यादा असर पडा। वह बहुत ही नाराज और सन्तप्त हो गये—इसलिए नहीं कि उनका जाती अपमान हुआ था, बल्कि इसलिए कि उनपर किये गये हमले में राष्ट्रीय अपमान सम्मिलित था।

हिन्दुस्तान के मन में इसी राष्ट्रीय अपमान का खयाल काम कर रहा था और जब उसके कुछ दिनों बाद ही लालाजी की मृत्यु हुई तब लोगो ने लाजिमी तौर पर उसका तात्लुक उनपर किये गये हमले में जोडा और इस खयाल से लोगो के दिलो में जो गुस्सा और रोष आया वह खुद-ब-खुद एक प्रकार के अभिमान के रूप में बदल गया। इन बात को समझ लेना जरूरी है, क्योंकि इन बात को नमनगर ही हम पीछे होनेवाली बातों को, भगतसिंह की कहानी, उत्तरी भारत में भगतसिंह को एकाएक जो आभ्यर्जनक लोकप्रियता मिली,

उनको, मनसूझ चुकेने । उन कामों की तरह मैं जो मूल बात होते हैं, उनको जो बातें प्रेरित करती हैं, उनको समझ देने की कोशिश किये बिना किसी शक्त या किसी काम की निन्दा करना बहुत ही आसान और वाहिजात है । इन्से पहले भगतसिंह को लोग अच्छी तरह नहीं जानते थे, और उन्हें जो लोकप्रियता मिली वह कोई हिंसात्मक या आतंकवाद का काम करने की वजह से नहीं मिली । आतंकवादी तो हिन्दुस्तान में करीब-करीब तीन बरस ने रह-रहकर अपना काम कर रहे हैं, और बंगाल में आतंकवाद के शुरू के दिनों को छोड़कर और कभी किसी भी आतंकवादी को भगतसिंह को जो लोकप्रियता हासिल हुई उसका सीवाँ हिस्सा भी नहीं मिला । यह एक ऐसी जाहिर बात है जिससे कोई इन्कार नहीं कर सकता । इने तो मानना ही पड़ेगा । इसी तरह नाफ और जाहिर बात यह है कि यद्यपि आतंकवाद बीच-बीच में कभी-कभी खोर पकड़ जाता है फिर भी हिन्दुस्तान के नाजवानों के लिए अब उसमें कोई आकर्षण नहीं रहा । पन्द्रह बरस तक अहिंसा पर खोर दिये जाने ने हिन्दुस्तान का लारा बानावरण बदल गया है, जिसके फल-स्वरूप अब जन-भाषारण राजनैतिक लड़ाई के माधम के तौर पर आतंकवाद के खयाल के पहले ने कहीं ज्यादा उदासीन या विरोधी बन गये हैं । जिन दर्ज के लोगों में से आम तौर पर आतंकवादी निकलते हैं उस दर्ज के लोगों पर, यानी निचली-मनह के मध्यम श्रेणी के लोगों, पर और पटे-खिलों पर भी, हिंसा के माधम के खिलाफ आन्देन ने जो प्रचार किया है उसका नारी उत्तर पडा है । उनकी वे जिन्दाशान और उतावली शक्तियों जो शान्तिकारी काम करने की ही बानें मोचा करती हैं, अब यह पूरी तरह महसूस करने लगी हैं कि शान्ति आतंकवाद के खरिबे ने नती होसकती और आतंकवाद तो एक ऐसा बेकार और जर्जरित तरीका है जो अपनी शान्तिकारी लड़ाई के रास्ते में रोडे अटकना है ।

हिन्दुस्तान में और दूसरे मुल्को में भी अब तो आतकवाद मरा-सा हो रहा है। और वह सग्कारी दमन की वजह से नहीं, बल्कि आधारभूत कारणों और समारख्यायों घटनाओं की वजहों से। सग्कारी दमन तो मिर्ष देवाना या बोनरु में बन्द कर देना भर जानता है, वह जड से उग्राडकर नहीं फेंक सकता। मामूली तौर पर आतकवाद किसी देश में हानेवाली क्रान्तिवारी प्रेरणा के वचन का घोनक होता है। वह अवस्था गुजर जाती है और उनके साथ-साथ अहम घटना के रूप में आतकवाद भी गुजर जाता है, मुकामी धारणों या वैयक्तिक ज्यादातियों के कारण कभी-कभी कुछ आतकवादी कार्य भले ही होते रहे। विलायक हिन्दुस्तान की क्रान्ति का वचन वीत चुका और इसमें कोई शक नहीं कि उनके फलस्वरूप यहाँ कभी-कभी होजानेवाली आतकवादी घटनायें भी धीरे-धीरे बन्द होजायेंगी। लेकिन इसके मानी यह नहीं है कि हिन्दुस्तान में सब लोगो ने हिंसात्मक साधन में विश्वास करना छोड़ दिया है। यह ठीक है कि उनमें से ज्यादातर लोग अब वैयक्तिक हिंसा और आतकवाद में विश्वास नहीं करते, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं कि बहुत-से अब भी यह सोचते हैं कि एक समय ऐसा आसकता है जब सगठित हिंसात्मक साधनों से काम लेना आज्ञादी हासिल करने के लिए जरूरी होजाय—ठीक वैसे ही जैसे कि दूसरे मुल्को में जरूरी होगया था। आज तो यह सवाल महज एक तात्त्विक विवाद का सवाल है। समय ही उसे कसीटी पर कस सकता है। जो हो, आतकवादी साधनों से इसका कोई सरोकार नहीं।

इस तरह भगर्तसिंह ने अपने हिंसात्मक कार्य के लिए लोकप्रियता प्राप्त नहीं की, बल्कि इसलिए प्राप्त की कि कम-से-कम उस समय लोगो को ऐसा मालूम हुआ कि उसने लालाजी की और लालाजी के रूप में काम की इज्जत रक्खी है। भगर्तसिंह एक प्रतीक बन गये। उनके काम

को लोग भूल गये, केवल प्रतीक उनके मन में रह गया, जिसके फलस्वरूप पंजाब के हरेक गाँव व कस्बे में और उससे कुछ कम बाकी के उत्तरी भारत में उनका नाम घर-घर में गूँजने लगा। उनकी वास्तव वेशुमार गीत बने और उन्होंने जो लोकप्रियता पाई वह सचमुच अजीब थी।

नाइमन-कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन में होनेवाली मार-पीट के कुछ दिनों बाद लाला लाजपतराय दिल्ली में अखिल-भारतवर्षीय काँग्रेस-कमिटी की एक बैठक में शामिल हुए। उनके शरीर पर चोटों के निशान बने हुए थे और उनसे होनेवाली तकलीफों को वह भुगत रहे थे। वह मीटिंग लखनऊ के सर्व-दल-सम्मेलन के बाद हुई थी और किसी-न-किसी रूप में उसमें आजादी के सवाल पर बहस उठ खड़ी हुई थी। मुझे यह तो याद नहीं रहा कि ठीक-ठीक बहस किस बात पर उठ खड़ी हुई थी, लेकिन मुझे यह याद है कि मैं वहाँ ढेर तक बोला और मैंने यह कहा कि अब समय आगया है जब काँग्रेस को यह तय कर लेना चाहिए कि आया वह उस क्रान्तिकारी दृष्टिकोण को पसन्द करती है जिसमें हमारे राजनैतिक और नामाजिक भवन में कायापलट करने की जरूरत है, या सुधारवादियों के ध्येय और साधनों को। इस भाषण में ऐसी कोई महत्व की बात नहीं थी। मैं उस भाषण की बात को भूल भी गया होता, लेकिन उसकी इगलिये याद बनी रही कि लालाजी ने कमिटी में मेरे उस भाषण का जवाब दिया और उनमें कुछ हिस्सों की चुनौती भी की। उन्होंने एक चेतावनी इस आशय की दी कि हम लोगों को ब्रिटिश मजदूर-दल ने कोई डम्मीद न रखनी चाहिए। जहाँ तक मुझमें ताल्युक है, इस चेतावनी से मैंने ज़रूरत न थी, क्योंकि मैं ब्रिटिश-मजदूरों के जो अधिकारी नेता हैं उनका प्रामाण्य नहीं हूँ। अगर मैं उन्हें हिन्दुस्तान की आजादी की लड़ाई का समर्थन करने या गान्ध्यावाद-विरोधी कोई ऐसा कारगर काम करने देना जो समाजवाद की तरफ से जानेवाग होना तो मुझे आश्चर्य होना।

कांग्रेस-कमिटी की बैठक में मंने जो भाषण दिया था, लाहौर छोटकर लालाजी ने उसकी समालोचना शुरू कर दी। उन्होंने अपने हफ्तेवार अखबार 'पीपुल' में मेरी स्पीच से उठनेवाली बहुत-सी बातों के सम्बन्ध में एक लेखमाला लिखनी शुरू की। इस लेखमाला का सिर्फ एक ही लेख छपा था, दूसरा लेख दूसरे हफ्ते के अंक में छपने से पहले ही उनकी मृत्यु होगई। उनका वह पहला अधूरा लेख, जो शायद छापने के लिए लिखा गया उनका अन्तिम लेख था, मेरे लिए एक शोकपूर्ण स्मृति छोड गया है।

: २५ :

लाठी-प्रहारों का अनुभव

लाला लाजपतराय पर हमला और वाद में उनकी मृत्यु होजाने से साइमन-कमीशन आगे जहाँ-जहाँ गया वहाँ-वहाँ उसके खिलाफ प्रदर्शनों का जोर और भी बढ़ गया। वह लखनऊ में जानेवाला था, और वहाँ भी कांग्रेस-कमिटी ने उसके 'स्वागत' की भारी तैयारियाँ की थी। कई दिन पहले से ही बड़े-बड़े जुलूस, सभायें और प्रदर्शन किये गये, जो प्रचार के लिए और असली प्रदर्शन से पहले रिहर्सल के तौर पर थे। मैं भी लखनऊ गया और इनमें से कई कार्यों में मौजूद भी रहा। इन प्रारम्भिक प्रदर्शनों की, जो पूरी तरह से व्यवस्थित और शान्त थे, कामयाबी ने अधिकारियों को झुंझला दिया, और उन्होंने खास-खास जगहों में जुलूसों को रोकना और उनके निकाले जाने के खिलाफ हुक्म देना शुरू किया। इसी सिलसिले में मुझे नया अनुभव हुआ, और मेरे शरीर पर भी पुलिस के डण्डे और लाठी की मार पड़ी।

जुलूस, आमद-रफ्त में रुकावट पडने न देने का सबब बाहिर करके,

बन्द किये गये थे। हमने फैसला किया कि इस मामले में शिकायत का कोई मौक़ा न दिया जाय, और, जहाँतक मुझे याद है, सोलह-सोलह आदमियों की छोटी-छोटी टुकड़ियाँ बनाकर उन्हें अलग-अलग एकान्त रास्तों से सभा की जगह पर भेजने का इन्तज़ाम किया। क्रान्तिवादी वारीकी से देखा जाय तो बेशक यह हुक्म का तोड़ना ही था, क्योंकि झण्डा लेकर सोलह आदमियों का निकलना एक जुलूस ही था। सोलह आदमियों के एक झुण्ड के आगे-आगे मैं था, और एक बड़े फासले के बाद ऐसा ही एक और दल आया, जिसके नेता मेरे साथी गोविन्दबल्लभ पन्त थे। वह सबक सुनसान-सी थी। मेरा दल शायद दोस्रो गज दूरी गया होगा, कि हमने अपने पीछे घोड़ों के टापों की टपटपाहट सुनी। जब हमने पीछे मुँह किया तो देखा कि घुड़सवारों का एक दल, जिनमें शायद दो या तीन दर्जन व्यक्ति थे, हमारे ऊपर तेजी से चढा चला आ रहा है। वे फौरन ठीक हमारे पास आ पहुँचे, और उनके घोड़ों की जुड़ी हुई कतार में सोलह आदमियों के हमारे छोटें-से झुण्ड को तितर-बितर कर दिया। फिर घुड़सवारों ने हमारे स्वयंसेवकों को बड़े डण्डों में भारना शुरू किया, और स्वयंसेवक सहमा सबक की धाजू की तरफ हटे और कुछ तो छोटी दुकानों में भी घुस गये। सवारों ने उनका पीछा किया, और उन्हें पीट-पीटकर गिरा दिया। जब मैंने घोड़ों को ऊपर चढते हुए देखा, तब मेरी भी स्वाभाविक वृत्ति ने मुझे प्रेरित किया कि मैं बच जाऊँ। वह हिम्मत तोड़नेवाला वृष्य था। मगर फिर, मेरा सल्लाह है कि, किमी दूररी स्वाभाविक वृत्ति ने मुझे अपनी जगह पर ही रुका रक्खा और मैं पहले हमले को बरदाश्त कर गया, जिसे मेरे पीछे के स्वयंसेवकों ने रोक लिया था। अचानक मैंने देखा कि मैं सबक के बीच में अकेला हूँ, मुझमें कुछ ही गज की दूरी पर सब तरफ घुड़सवारों से, जो हमारे स्वयंसेवकों को पीट गिराते थे। अपने-

आप ही मैं, कम नुमायाँ होने की खातिर, सबक की वाजू की तरफ धीरे-धीरे चलने लगा। मगर मैं फिर रुक गया और मैंने अपने दिल में कुछ विचार किया, और यह फैसला किया कि हट जाना मेरे लिए अच्छा न होगा। यह सब सिर्फ कुछ ही पल में होगया, मगर मुझे उस समय के विचार-सघर्ष और निर्णय का अच्छी तरह स्मरण है। यह निर्णय मेरी राय में मेरे उस स्वाभिमान का परिणाम था जो मुझे कायर की तरह काम करते नहीं देख सकता था। फिर भी कायरता और हिम्मत के बीच की रेखा बहुत बारीक थी, और मैं कायरता की तरफ भी जा सकता था। मैंने ऐसा निर्णय किया ही था कि मैंने मुडकर देखा कि एक घुडसवार मेरे ऊपर घोडा छोडता चला आ रहा है और अपना नया लम्बा डण्डा घुमा रहा है। मैंने उससे कहा—‘लगाओ’, और अपना मिर खरा हटा लिया। यह भी सिर और मुँह को बचाने की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति ही थी। उसने मेरी पीठ पर घमाघम दो प्रहार किये। मुझे चक्कर आने लगा और मेरा सारा शरीर थरथराने लगा, मगर मुझे यह जानकर आश्चर्य और सतोष हुआ कि मैं फिर भी खडा ही रहा। फौरन ही पुलिस-दल पीछे हटा लिया गया, और उसे हमारे सामने सबक रोकने को कहा गया। हमारे स्वयसेवक फिर इकट्ठे होगये, जिनमें से कई के खून निकल रहा था और कई की खोपडियाँ फूटी हुई थी। हममें पन्त और उनका दल भी आ मिला, वह भी पीटा गया था। अब हम सब पुलिस के सामने बैठ गये। इस तरह लगभग एक घण्टे तक बैठे रहे और अँधेरा होगया। एक तरफ तो कई बडे-बडे अफसर इकट्ठे होगये, और दूसरी तरफ जैसे-जैसे खबर फैली वैसे-वैसे लोगो की बडी भीड इकट्ठी होने लगी। आखिरकार अधिकारी हमें अपने रास्ते से जाने देने पर राजी होगये, और उसी रास्ते से हम गये, और हमारे आगे-आगे हमराह की तरह से पुलिस के घड-

सवार भी चले, जिन्होंने हमपर हमला किया था और हमें मारा था।

इम छोटी-सी घटना का हाल मैंने कुछ तफसील से लिखा है, क्योंकि इनका मुझपर खास असर हुआ। मुझे जो शारीरिक कष्ट हुआ वह मेरी इम खुशी के खयाल के आगे याद ही नहीं रहा कि मैं भी लाली के प्रहारों को बरदास्त करने और उनके मामने टिके रहने के लालक मजबूत हूँ। और जिस बात से मुझे ताज्जुब हुआ वह यह कि इम सारी घटना में, और जबकि मैं पीटा जा रहा था तब भी, मेरा विमान ठीक-ठीक काम करता रहा, और मैं अपने अन्दर की भावनाओं का ज्ञानपूर्वक विश्लेषण करता रहा। इस रिहर्सल ने मुझे दूसरे दिन सवेरे बड़ी मदद दी, जबकि हमारा और भी सज्ज इम्तिहान होनेवाला था। क्योंकि दूसरे दिन सवेरे ही साइमन-कमोशन आनेवाला था, और उनी वक्त हम विरोधी प्रदर्शन करनेवाले थे।

उम समय मेरे पिताजी इलाहाबाद में थे, और मुझे अदवा था कि जब वह दूसरे दिन सवेरे अखबारों में मुझपर होनेवाले हमले का हाल पढ़ेंगे तो वह और परिवार के दूसरे लोग भी चिन्तित होजावेंगे। इसलिए मैंने रात को उन्हें टेलीफोन कर दिया कि सब खैरियत है और आप लोग किसी किस्म की फ़िक्र न करें। मगर उन्हें फ़िक्र तो हुई। और जब वह चैन में न रह सके तो, आधी रात के करीब उन्होंने लखनऊ आना तय किया। आखरी ट्रेन छूट चुकी थी, इसलिए वह मोटर से रवाना हुए। रात में मोटर में कुछ गड़बड़ होगई, और वह १४६ मील का मफर पूरा करके सवेरे करीब ९ बजे बिलकुल थके-माँदे लखनऊ पहुँचे।

यह घरीब-जरीब वह वक्त था जबकि हम खुलूस में स्टेशन जाने की तैयारी कर रहे थे। हमारे कुछ भी करने में जितना लक्षण-उमड न सफ़ा था, उनना वक्त की घटनाओं में उमड गया, और नूरज उगने

से भी पहले बड़ी तादाद में लोग स्टेशन पर पहुँच गये। शहर के मुस्त-लिफ हिस्सो से वेशुमार छोटे-छोटे जुलूस आये, और कांग्रेस-ऑफिस से बड़ा जुलूस चार चार की लाइन में रवाना हुआ, जिसमें कई हज़ार आदमी थे। हम बड़े जुलूस में थे। ज्योंही हम स्टेशन के पास पहुँचे, हमें पुलिस ने रोक दिया। वहाँ स्टेशन के सामने करीब आध मील लम्बा और इतना ही चौड़ा बड़ा भारी खुला मैदान था (यहाँ अब नया स्टेशन बन गया है) और उस मैदान की एक बाजू पर हमें कतार से खड़ा कर दिया गया। हमारा जुलूस वहीं खड़ा रहा, हमने आगे बढ़ने की बिल्कुल कोशिश नहीं की। उस जगह सब दूर पैदल और घुड़सवार पुलिस और फौज भी आकर भर गई थी। हमदर्दी रखनेवाले तमाशबीनों की भीड़ भी बढ़ गई थी, और कई जगह दो-दो तीन-तीन आदमी विशाल मैदान में जा खड़े हुए थे। अचानक दूर पर हमें एक दल आता हुआ दिखाई दिया। वह घुड़सवारों की दो या तीन लम्बी लाइनें थी, जो सारे मैदान को घेरे हुए थी और हमारी तरफ दौड़ रही थी, और मैदान में जो कई लोग जा खड़े हुए उन्हें भारतीय-कुचलती हुई आ रही थी। चौड़े को छोड़ते हुए सवारों का हमला एक बड़ा अच्छा दृश्य था, बशर्ते कि रास्ते में खड़े हुए बेचारे बेखबर तमाशबीनों के साथ, जो घोड़ों के पैरों-तले रूँदें गये थे, दर्दनाक वाक्या न होजाता। इन हमला करनेवाली लाइनों के पीछे वे लोग ज़मीन पर पड़े हुए थे, जिनमें कुछ तो उठ भी नहीं सकते थे और कुछ दर्द से कराह रहे थे। उस मैदान का सारा नज़ारा रणक्षेत्र का-सा होगया था। अगर उस नज़ारे को देखने या कुछ सीच-विचार करने का हमें ज्यादा वक़्त नहीं मिला; घुड़सवार फौरन हमारे ऊपर आगये और उनकी आगे की कतार हमारे जुलूस के आगे खड़े हुए लोगों से एक ही छलाँग में टकरा गई। हम वहीं डटे रहे, और चूँकि हम हटते हुए नहीं दिखाई दिये, उन्हें उसी दम

घोड़ों को रोक देना पड़ा। घोड़े पिछले पैरों पर खड़े रह गये, उनके अगले पैर हमारे सिरो पर लटकने हुए हिल रहे थे। और फिर हमपर पैदल और घुड़मवार दोनों की मार और लाठियाँ खटाखट पड़ने लगी। वह बहुत भयकर मार थी, और पिछले दिन जो मेरे दिमाग की विचार-शक्ति कायम रही थी वह जाती रही। मुझे सिर्फ इतना अँतान रहा कि मुझे अपनी जगह पर ही खड़ा रहना चाहिए, और गिरना या पीछे हटना नहीं चाहिए। मार से मुझे अँधेरी आ गई और कभी-कभी मन-ही-मन गुस्सा और उलटकर मारने का खयाल भी मुझको आया। मैंने सोचा कि अपने सामने के पुलिस-अफसर को गिराकर घोड़े पर खुद चढ़ जाऊँ। यह कितना आसान है। मगर लम्बे अर्मों की तालीम और अनुशासन ने काम दिया, और मैंने अपने मिर को मार से बचाने के निवा हाथ तक नहीं उठाया। इसके अलावा, मैं अच्छी तरह जानता था कि अगर हमारी तरफ से कुछ भी मुक्काविला हुआ तो एक भीषण दुर्घटना होजायगी, जिसमें हमारे आदमी बड़ी तादाद में गोलियों से मून दिये जायेंगे।

हमें वह समय भयकर तप से लम्बा मालूम पड़ा, मगर शायद वह सिर्फ कुछ ही मिनटों का खेल था। उसके बाद धीरे-धीरे एक-एक कदम हमारी लाइन, टूटे बगैर, पीछे हटने लगी। इसमें मैं कुछ-कुछ अलग और दोनों तरफ से ज्यादा खुला हुआ रह गया। मुझपर और मार पड़ी और फिर मैं अचानक पीछे से उठा लिया गया और वहाँ से दूर ले जाया गया, जिसमें मुझे बड़ी मुश्किलवाहट हुई। मेरे कुछ नजीवान साथियों ने, यह कयास करके कि मुझपर घातक हमला किया जा रहा है, मुझे इस तरह एकाएक बचा लेना तय कर लिया था।

हमारे जूनूम के लोग अपनी अमली लाइन में करीब एक सौ फीट पीछे फिर चलार में खड़े होगये। पुलिस भी पीछे हट गई और हमसे

पचास फीट के फासले पर एक लाइन में खड़ी होगई। इम तरह हम खड़े रहे, और साइमन-कमीशन, जो इस सारे झगड़े की जड़ था, हमसे बहुत दूर करीब आघ मील की दूरी पर स्टेशन से चुपचाप निकल गया। इतना करने पर भी वह काले झंडो या प्रदर्शन करनेवालो से बचकर न निकल सका। इसके बाद ही, हम पूरा जुलूस बनाकर कांग्रेस-दफतर आये, और वहाँसे अलग-अलग चले गये। मैं अपने पिताजी के पास गया, जो बड़ी चिन्ता में मेरा इन्तजार कर रहे थे।

अब अब सामायिक उत्तेजना चली गई थी तो मुझे सारे शरीर में दर्द और भारी थकान मालूम होने लगी। जिस्म का करीब-करीब हर हिस्सा दर्द करता था, और सब जगह बधी चोटो और मार के निशान होगये थे। मगर खैर थी कि मेरे किसी नाजूक जगह पर चोट नहीं आई थी। परन्तु हमारे कई साथी इतने क्षुशकिस्मत न थे। उन्हें बुरी तरह चोटें आई थी। गोविन्दवल्लभ पन्त पर, जो मेरे पास खड़े थे, ज्यादा मार पड़ी, क्योंकि वह छ फीट से भी ज्यादा ऊँचे-पूरे थे, और उस वक्त जो चोटें उनके आईं उनके सबब से बहुत असें तक उन्हें इतना दर्द और तकलीफ रही कि वह कमर भी सीधी नहीं कर सकते थे और न कुछ ज्यादा काम-काज ही कर सकते थे। उसके बाद मुझे अपनी जिस्मानी हालत और वरदास्त की ताकत का कुछ ज्यादा घमण्ड हो-गया। मगर मार पडने की याद से ज्यादा तो मुझे कई मारनेवाले पुलिस-वालो, खासकर अफसरों, के चेहरो की याद बनी हुई है। ज्यादातर असली ठोक-पीट तो यूरोपियन सारजेण्टो ने की, हिन्दुस्तानी मामूली सिपाही तो हलके-हलके ही काम चला रहे थे। उन चेहरो में हिकारत और खून की प्यास करीब-करीब पागलपन की हद तक भरी हुई थी, और उनमें हमदर्दी या इन्सानियत का नामोनिशान भी न था। ठीक उसी वक्त, शायद, हमारी तरफ के चेहरे भी देखने में उतने ही नफरत-

भरे होंगे, और हमारे ज्यादातर अहिंसान्मक होने से, हमारे विरोधियों के लिए हमारे दिल और दिमाग में कोई प्रेम भर नहीं गया होगा, और न हमारे चेहरों पर सद्भाव झलका होगा। लेकिन फिर भी एक-दूसरे के खिलाफ हमें कोई शिकायत नहीं थी, हमारा कोई जाती झगडा नहीं था, न कोई दुर्भाव था। उस वक़्त हम अजीब और ज़बरदस्त ताकतों के प्रतिनिधि थे, जो हमें अपने अधीन बनाये हुए थी और जो हमें इधर और उधर फेंकती जाती थी और जिन्होंने हमारे दिलों और दिमागों पर बड़ी खूबी से कब्ज़ा करके हमारी अभिलाषाओं और राग-द्वेषों को उभाड़ दिया था और हमें अपना अन्ध्रा हथियार बना लिया था। हम अन्धे की तरह जद्दोजहद करते थे, और यह नहीं जानते थे कि यह किम लिए करते हैं या कहाँ चले जा रहे हैं? कार्य की उत्तेजना ने हमें टिकायें रक्खा था, मगर जब वह चली गई तो फौरन यह सवाल पैदा हुआ कि आखिर यह सब किस लिए किया जा रहा है?—किस मकसद के लिए?

: २६ :

टूडे यूनियन काँग्रेस

उस साल देश की राजनीति में ज्यादातर साइमन-कमीशन के वाय-काट और सर्वदल-सम्मेलन का ही बोलबाला रहा। लेकिन मेरी अपनी दिलचस्पी ज्यादातर दूसरी तरफ रही और मैंने काम भी ज्यादातर उन्हीं दिशाओं में किया। काँग्रेस के कार्यवाहक प्रधान-मन्त्री की हैसियत से मैं उसके सगठन की देखभाल करने और उसे मजबूत बनाने में लगा रहा। खासतौर पर मेरी दिलचस्पी इस बात में थी कि मैं लोगों का ध्यान सामाजिक और आर्थिक परिवर्तनों की तरफ खींचूं। मुकम्मिल

आजादी के सिलसिले में मदरास में हम जिस हद तक पहुँच गये थे उस स्थिति को भी पुष्ट रखना था। खासतौर पर इसलिए कि सर्व-दल-सम्मेलन का तमाम झुकाव हम लोगों को पीछे खींचने की तरफ था। इस उद्देश्य को सामने रखकर मैंने देश में बहुत सफर किया और कई बड़ी-बड़ी आम सभाओं में व्याख्यान दिये। मेरा खयाल है कि १९२८ में मैं चार सूबों की राजनैतिक कान्फ्रेंसों का सभापति बना। ये सूबे थे दक्षिण में मलाबार और उत्तर में पंजाब, दिल्ली और सयुक्तप्रान्त। इसके अलावा बम्बई और बंगाल में मैं युवक-संघों और विद्यार्थियों की कान्फ्रेंसों का सभापति बना। समय-समय पर मैं सयुक्तप्रान्त के देहात में भी गया और कमी-कमी कारखानों के मजदूरों की सभाओं में भी मैंने व्याख्यान दिये। मेरे व्याख्यानों में सार तो हमेशा ज्यादातर एक ही रहता था, यद्यपि उसका रूप मुकामी हालतों के मुताबिक बदल जाता था, और जिन बातों पर मैं जोर देता था वे उस तरह की होती थी कि जिस किस्म के लोग सभाओं में आते थे। हर जगह मैंने राजनैतिक आजादी और सामाजिक स्वाधीनता पर जोर दिया और यह कहा कि राजनैतिक आजादी सामाजिक स्वाधीनता की सीढ़ी है। यानी, आर्थिक स्वाधीनता हासिल करने के लिए यह जरूरी है कि पहले राजनैतिक आजादी हो। खास तौर से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और पढ़े-लिखे लोगों में मैं समाजवाद की विचार-धारा फैलाना चाहता था। क्योंकि ये लोग ही राष्ट्रीय आन्दोलन की असली रीढ़ थे और यही ज्यादातर निहायत सक्रियता की बात सोचते थे। इनके व्याख्यानों में प्राचीन काल के गौरव पर बहुत जोर दिया जाता था, और इस बात पर भी कि विदेशी सरकार ने हमें क्या-क्या भौतिक और आध्यात्मिक हानियाँ पहुँचाई हैं। हमारे लोगों को घोर कष्ट सहने पड़ रहे हैं, हमारे ऊपर दूसरों का राज्य रहना बड़ी वेदज्जती की बात है, इसलिए हमारी कमी

उठते ही पताका के तिरफे पत्रों में मेरे पत्रों में भी पत्रों में
 कि हम लोग गांधीजी की सेवा में जाते हैं। ये बातें सुनकर
 चिन्तित हो। हम हिन्दुस्तानी हैं कि हमें अपने पत्रों में उठती थी।
 मेरे मन में भी गहरी लज्जा का भाव था। मैं भी मेरे
 गद्गद होनाता था—किसी में हिन्दुस्तानी की भाँति, मेरे भी
 पुगले लज्जा का जगता प्रगल्भ था। मैं भी मेरे
 गन्धर्व उठते थे, किन्तु भी गहरी लज्जा का भाव था। मैं भी मेरे
 ज्ञानी और स्मर होती जाती थी थी। इसी लज्जा का भाव
 हमें का लगी था यह ज्ञानी का तिरफे पत्रों में मेरे पत्रों
 उठते पत्रों में नया हमारे मन में पत्रों में पत्रों में थे। इन बातों
 में जोग उठते था, किन्तु लज्जा का भाव को प्रगल्भ नही
 मिलता था।

हिन्दुस्तान में मैं नमाजवाद के मैदान में मगने पड़े नहीं आया,
 बल्कि नव बात तो यह है कि मैं कुछ पिछड़ा हुआ था। जहाँ बहूत-
 से लोग निनारे की तरह चमकते आते बट गये, वहाँ मैं भी बहूत-
 तकलीफ के साथ कदम-कदम आगे बढ़ा। विचार-पत्र की दृष्टि में मज-
 दुरों की ट्रेड यूनियनों का आन्दोलन निश्चित रूप में नमाजवादी था
 और ज्यादार युवक-नथों की भी यही बात थी। जब मैं दिनम्बर १९२३
 में यूरोप से लौटा तब एक किम्म न अल्पष्ट और मोल्ड-मोल्ड नमाजवाद
 हिन्दुस्तान की आवाहवा का एक हिस्सा बन चुका था और व्यक्तिगत
 समाजवादी तो उससे भी पहले हिन्दुस्तान में बहूत-ने थे। ये लोग
 ज्यादातर स्वप्नदर्शी थे। लेकिन धीरे-धीरे उनपर मार्क्स के सूसूत्रों का

१. जीव-व्या और मानवदया की दृष्टि से समाज-व्यवस्था को
 सुधारने की इच्छा रखनेवाले तो प्रत्येक युग में होते हैं। मार्क्स के पहले
 भी थे। वे यह कहते थे कि धरती पर बसा करना अमीरों का कर्तव्य

असर बढ़ना जाता था और उनमें से कुछ तो अपनेको सौ फीसदी मार्क्सवादी समझते थे। यूरोप और अमेरिका की तरह हिन्दुस्तान में भी, सोवियट यूनियन में जो कुछ हो रहा था उसमें और खासकर पाँच-साठ योजना से, इस प्रवृत्ति को बहुत बल मिला।

एक समाजवादी कार्यकर्ता की हैसियत से मेरा महत्व सिर्फ इस बात में था कि मैं एक मगहर कांग्रेसी था और कांग्रेस में बड़े ओहदों पर था। मेरे अलावा और भी बहुत-से कांग्रेसी थे जो मेरी ही तरह मोचने लग गये थे। यह प्रवृत्ति सबसे ज्यादा युक्तप्रान्त की सूबा कांग्रेस-कमिटी में पाई जाती थी, जिसमें हमने १९२६ में ही एक नरम समाजवादी कार्यक्रम बनाने की कोशिश की थी। हमारे मूके में जमींदारी और ताल्लुकदारी प्रथा है, इसलिए सबसे पहले हमें जिस सवाल का सामना करना पड़ा वह था जमीन का सवाल। हम लोगों ने ऐलान किया कि मौजूदा जमींदारी-प्रथा रद्द होनी चाहिए और सरकार और काश्तकार के बीच में किसी दूसरे की कोई जरूरत नहीं है। हम लोगों को फूँक-फूँककर कदम रखना पड़ा, क्योंकि हमें एक ऐसी आबोहवा में काम करना था जो उस वक्त तक इस तरह के खयालात की आदी नहीं थी।

इसके बाद, १९२९ में, युक्तप्रान्त की सूबा कांग्रेस-कमिटी एक कदम और आगे बढ़ गई और उसने निश्चित रूप से समाजवाद के ढंग है। क्योंकि उन्हें ईश्वर ने धन-बौलत दी है। लेकिन मार्क्स ने बताया कि गरीबी की गरीबी में ही क्रान्ति के बीज हैं, इनको गरीबी पूँजीवाद और मुट्ठीभर लोगों के धन को अन्यायी सिद्ध करती है। इनको गरीबी ईश्वर प्रदत्त नहीं है, बल्कि एक निश्चित सामाजिक परिस्थिति का परिणाम है। इस परिस्थिति में क्रान्ति भी की जा सकती है, जबकि गरीब वर्ग बलवा करदे। पुराने समाज-सुधारक आदर्शवादी समाज-सुधारक कहे जाते हैं; मार्क्स और उनके अनुयायी वैज्ञानिक समाजवादी कहलाते हैं।

—अनुवादक

पर अ० भा० कॉमिटी से एक निफारिग की, जिसके फल-स्वरूप जब १९२९ की गर्मियों में अ० भा० कांग्रेस-कमिटी की बैठक हुई तब उसमें युक्तप्रान्त की तजवीज का दीवाचा मजूर कर लिया गया और इन तरह उस तजवीज में समाजवाद का जो उसूल मौजूद था वह भी मजूर कर लिया गया। युक्तप्रान्त की तजवीज में जो तकनीलवार कार्यक्रम दिया गया था उसपर विचार करने की बात अगली बैठको के लिए मुलवी करदी गई। ऐसा मालूम पड़ता है कि ज्यादातर लोग अ० भा० कांग्रेस-कमिटी और संयुक्तप्रान्तीय कांग्रेस-कमिटी के इन प्रस्तावों को बिलकुल भूल ही गये और वे यह समझ बैठे हैं कि पिछले एक-दो सालों से साम्यवाद की चर्चा कांग्रेस में एकाएक उठ खड़ी हुई है। फिर भी इतना तो सही ही है कि अ० भा० कॉमिटी ने उस प्रस्ताव पर अच्छी तरह विचार किये बिना ही उसे पास कर दिया था और ज्यादातर मेम्बरो ने शायद यह महसूस नहीं कर पाया कि वे क्या कर रहे हैं ?

'इण्डिपेण्डेन्स फॉर इण्डिया लीग' (हिन्दुस्तान की आजादी चाहनेवालों का संघ) की संयुक्तप्रान्त वाली शाखा में सुबे के ब्रास-ब्रास कार्यसियों के अलावा और कोई न था और यह शाखा निश्चित रूप से समाजवाद को माननेवाली थी, इसलिए वह साम्यवाद की तरफ और कांग्रेस-कमिटी ने, जिनमें सब तरह के लोग थे, कुछ जागे चली गई। बल्कि सब जान तो यह है कि 'स्वाधीनता-संघ' का एक ध्येय यह भी था कि सामाजिक स्वाधीनता होगी चाहिए। हम लोग हिन्दुस्तान-भर में संघ को मजबूत बनाकर यह चाहते थे कि आजादी और समाजवाद का प्रचार करने में उस संगठन से काम लिया जाय। किन्तु दुर्भाग्य से कुछ हद तक संयुक्तप्रान्त को छोड़कर और कहीं संघ का कार्य ठीक तीर से नहीं चला और इनने मुझे बहुत नायामी हुई। इसका सबब यह नहीं था कि

देम में हमारे मददगारों की कमी थी, वल्कि बात यह थी कि हमारे ज्यादातर कार्यकर्ता काँग्रेस में ही प्रमुख कार्य करनेवाले थे और चूँकि काँग्रेस ने कम-से-कम उमूलन् तो आजादी को अपना ध्येय बना लिया था इसलिए वे अपना काम काँग्रेस के संगठन के जरिये कर सकते थे। दूमरा नबव यह था कि जिन लोगों ने गुरु-गुरु में आजादी-सघ कायम किया उनमें से कुछ ने गभीरता-पूर्वक यह नहीं सोचा कि सस्था के रूप में हमें उन सघ को मजबूत बनाना है, वे तो यह समझते थे कि यह मन्था तो महज इसलिए है कि काँग्रेस-कार्य-समिति पर इसका दबाव पडना रहे और कार्य-समिति के चुनाव पर असर डालने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाय। इसलिए 'आजादी-सघ' सुरक्षा गया और ज्यों-ज्यों काँग्रेस ज्यादा लडाकू होती गई त्यों-त्यों उसने तमाम गति-मानतत्वों को अपनी ओर खींच लिया और सघ कमजोर होता गया। १९३० में जब सत्याग्रह की लडाईं आई तब यह सघ काँग्रेस में मिलकर गायब हो गया।

१९२८ के पिछले छ महीनों में और १९२९ में मेरी गिरफ्तारी की चर्चा अकसर होती रहती थी। मुझे पता नहीं कि इस सिलसिले में अखबारों में जो कुछ छपता था उसके पीछे, और जानकार दोस्तों से मुझे जो निजी चेतावनियाँ मिला करती थी उनके पीछे, असलियत क्या थी। लेकिन इन चेतावनियों ने मेरे दिल में एक किस्म की अनिश्चितता पैदा कर दी, और मैं यह महसूस करने लगा कि मैं किसी भी वक्त गिरफ्तार किया जा सकता हूँ। मुझे खास तौर पर कोई दूसरी चिन्ता न थी, क्योंकि मैं यह जानता था कि भविष्य में मेरे लिए कुछ भी हो, लेकिन मेरी जिन्दगी रोजमर्रा के कामों की निश्चित जिन्दगी नहीं हो सकती। इसलिए मैं सोचता था कि मैं अनिश्चितता का और एकाएक होनेवाले हेर-फेरो का तथा जेल जाने का जितनी जल्दी आदी हो जाऊँ

११

लोगोंने बहुत बहस नहीं की। लेकिन हम दोनों के मन में मानसिक सघर्ष का भाव निश्चित-रूप में काम कर रहा था और हम लोग यह जानते थे कि हम एफ-डूमरे के खिलाफ जा रहे हैं। मत-भेद तो हम लोगों में हमने भी पहले भयंकर हुआ करता था, ऐसा भारी मतभेद कि जिसके फल-स्वरूप हम अलग-अलग पक्षों में रहते थे, लेकिन मेरा खयाल है कि हमने पहले या इसके बाद भी और किसी भी मौके पर हम लोगों में इनकी तनातनी नहीं हुई जितनी की इस वक्त थी।

हम दोनों ही इस बात से कुछ हद तक दुखी थे। कलकत्ते में तो मामला इस हद तक बढ़ गया कि पिताजी ने यह बात साफ-साफ कर दी कि अगर काँग्रेस में उनकी बात नहीं चली, यानी अगर काँग्रेस ने, सर्व-दल-सम्मेलन की रिपोर्ट के पक्ष में जो तत्कालीन पेश की जायगी उमे, फसरन राय से मजूर नहीं किया, तो वह कांग्रेस का सभापति रहने में इन्कार कर देंगे। यह बात बिल्कुल बाजिब थी और बिधान की दृष्टि से उन्हें यह तरीका अरज्यार करने का पूरा हक था। फिर भी उनके बहुत-से उन मुग़ाळिफो के लिए वह बहुत-ही परेशानी की बात थी जो यह नहीं चाहते थे कि इस बात के लिए मामला इस हद तक बढ़ जाय। मेरा खयाल है कि कांग्रेस में और दूसरी सस्थानों में भी अक्सर यह प्रवृत्ति पाई जाती है कि लोग नुक्ताचीनी और बुराई तो करते हैं, लेकिन खुद जिम्मेदारी लेने से जी चुराते हैं। हमें हमेशा यह उम्मीद बनी रहती है कि हमारी नुक्ताचीनी की वजह से दूसरी पार्टी हमारे माफिक अपनी नीति बदल देगी और नाब को खेने की जिम्मेदारी हमारे सिर नहीं पड़ेगी। जहाँ जिम्मेदारी हम लोगों को सौंपी ही नहीं जाती और जहाँ कार्य-कारिणी को न तो हम हटा ही सकते हैं न उससे जबाब ही तलब कर सकते हैं, जैसा कि आजकल हिन्दुस्तान की सरकार के मामले में है, वहाँ खिलाफक सीधी मार को छोड़कर हमारे पास सिवा नुक्ता-

चाहती हूँ कि कोई मार्ग नहीं और वह नुकताचीनी जरूर खण्डनात्मक होगी, फिर भी अगर हम इन खण्डनात्मक आलोचना को आरगर बनाना चाहते हैं तो उनके पीछे हमारे मन में यह इरादा होना चाहिए, हमें इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए, कि जब-कभी हमें मौका मिलेगा तब सब इन्तजाम और सिन्नेदारी हम अपने हाथ में ले लेंगे—फिर चाहे वह महकमे मुल्की हो या फौजी, भीतरी हो या बाहरी। महब लौंगिक अख्यार मौगना, जैसा कि लिबरल लोग फ्रौज के मामले में करते हैं, इस बात का इकवाल करना है कि हम सरकार का काम नहीं करना सकते। इस इकवाल ने हमारी नुकताचीनी का बजल घट जाता है।

गांधीजी के आलोचकों में यह बात अक्सर पाई जाती है कि वे उनकी नुकताचीनी करते हैं, बुराई करते हैं, लेकिन जब उनसे उनके फन्सख्य यह कहा जाता है कि फिर लीजिए इस काम को आप ही बनाइए, तब उनके पैर छल्लड जाते हैं। काँग्रेस में ऐसे बहुत-से शख्स रहे हैं जो उनके बहुत-से कामों को नापसंद करते हैं और इसलिए बड़े जोरों के साथ उनकी नुकताचीनी करते हैं, लेकिन वे इन बात के लिए तैयार नहीं हैं कि उन्हें काँग्रेस में निकाल दें। यह खल मन्स में तो आनानी में आ जाता है, लेकिन यह किनी भी पज के साथ इनाफ नहीं करता।

बलकता-काँग्रेस में भी कुछ-कुछ उनी क्रिस को मुश्किल पैदा हुई। दोनों दलों में मनझाने की बात-चीत चली और वह आहिर किया गया कि मनझाने का एक रास्ता निकल आया है लेकिन अखीर में वह टि. गया। ये सब बातें बड़े गोलमाल में डालनेवाली थीं और इनमें जोना भी नहीं थी। काँग्रेस के बास प्रभाव में, जैसाकि वह अखीर में प.म हुआ, सर्वदल-मन्मेलन की रिपोर्ट को मखूर कर लिया गया, लेकिन उसमें रिटिग सरकार में भी यह कह दिया गया कि अगर उसने एक

साल के अन्दर इस विधान को मजूर नहीं किया तो कांग्रेस फिर अपने आजादी के ध्येय को ग्रहण कर लेगी। असल में इस प्रस्ताव ने सरकार को एक शाइस्ता चुनौती देकर उसे साल-भर की भियाव दी थी। इसमें कोई शक नहीं कि यह प्रस्ताव हमें आजादी के ध्येय से नीचे घसीट लाया था, क्योंकि सर्वदल-सम्मेलन की रिपोर्ट ने तो पूरे डोमिनियन स्टेट्स की भी माँग नहीं की थी। फिर भी यह प्रस्ताव इस अर्थ में बुद्धिमत्तापूर्ण था कि उसने एक ऐसे वक्त में कांग्रेस में फूट नहीं होने दी जब कि कोई भी फूट के लिए तैयार न था और उसने १९३० में जो लड़ाई शुरू हुई उसके लिए सब वाप्रेमियों को एकसाथ रक्खा। यह बात तो विलकुल साफ थी कि ब्रिटिश सरकार सालभर के अन्दर सब दलों द्वारा बनाये गये विधान को मजूर नहीं करेगी। सरकार से लड़ाई होना लाजिमी था, और उस वक्त, मुल्क की जैसी हालत थी उसमें सरकार से किसी किस्म की लड़ाई उस वक्त तक कारगर नहीं हो सकती थी, जबतक उसे गांधीजी की रहनुमाई न मिले।

मैंने काँग्रेस के खुले जलसे में इस प्रस्ताव का विरोध किया था। यद्यपि यह मुखालिफन मैंने कुछ-कुछ वैमन से की थी, ताहम इम बार भी मुझे प्रबानमत्री चुना गया। कुछ भी हो, मैं मंत्री पद पर बना रहा और कांग्रेस के क्षेत्र में ऐसा मालूम पडता था कि मैं वहीं काम कर रहा हूँ जो वह प्रसिद्ध 'विकार आफ त्रे' करता था। कांग्रेस की गद्दी पर

१. अपनी ही दिल्लीगी उड़ाकर आनन्दित होने की पडितजी की क्षमता का यह नमूना है। 'विकार आफ त्रे' सोलहवीं सदी का एक ऐतिहासिक पात्र है। त्रे के 'विकार' का अपना पद कायम रहे, इस तर्त पर चाहे जैसे विचार बनाने और रखने वाले इस मज्जेदार 'विकार' के सबब में अँग्रेजी भाषा में एक प्रशस्ति लिखी गई है। आठवे हेनरी, छठे एडवर्ड, मेरी और एलिजाबेथ इन चारों के राजत्व काल में यह 'विकार'

कोई भी समापन बैठे, मैं हुमेगा उस सगठन को सम्हालने के लिए उसका मंत्री बनाया जाता था ।

अरिया कोनले की खानों के क्षेत्र के बीचों-बीच है । कलकत्ता-कांग्रेस से कुछ दिन पहले यही हिन्दुस्तान-भर की ट्रेड यूनियन कांग्रेस हुई । उनके पहले दो दिन मैंने उत्तम हाज़िर रहकर उसकी कार्रवाई में भाग लिया और उसके बाद मुझे कलकत्ते चले जाना पड़ा । मेरे लिए ट्रेड यूनियन-कांग्रेस में शामिल होने का यह पहला ही मौका था और मैं वस्तुतः एक नया आदमी था, यद्यपि किसानों में मैंने जो काम किया था और हाल ही में मजदूरों में जो काम मैंने किये थे उनकी वजह से मैं जनता में काफी लोक-प्रिय हो गया था । वहाँ जाकर मैंने देखा कि नुबवारवादियों में और उनसे आगे बढ़े हुए तथा श्रान्तिकारी लोगों में पुरानी कगमकध जारी है । वहन की खास बातें ये थी कि किसी इन्टरनेशनल से नया साम्राज्य विरोधी सघ ने और अखिल-विश्व-श्रान्ति सघ से अपना ताल्लुक जोड़ा जाय या न जोड़ा जाय और जिनेवा में अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर आफिस की जो कान्फेन्स होने जा रही है उसमें अपने प्रतिनिधि भेजना मुनासिब होगा या नहीं ? इन सवालों से भी कहीं ज्यादा जरूरी यह बात थी कि कांग्रेस के दोनों हिस्सों के दृष्टिकोण से वहन भारी फर्क था । एक हिस्सा तो मजदूर-सघ के पुराने लोगों का था, जो गजनीति में मास्टरेट था और जो सचमुच इस बात को शक

रहा था । लेकिन तीन बार अपने अपने विचार बदले, दो बार यह सोमन कैथोलिक बना, दो बार प्रोटेस्टेण्ट हुआ । विकार को तो किसी भी दशा में अपना पद छोड़ना नहीं था, हल्का खाने के लिए वह आशक बनने को मना तैयार था । पढ़िनत्री को मन्त्रिपद की जरूरत न थी, परन्तु अख्यस, नीति और पण्डितों के बदलते हुए भी वह उन्हें नहीं छोड़ना था । —अनु०

की निगाह से देखता था कि उद्योग-वधो के मजदूरों और मिल-मालिकों के झगड़ों में राजनीति को मिलाया जाय। उनका विश्वास था कि मजदूरों को अपनी शिकायतें दूर कराने से आगे नहीं जाना चाहिए और उसके लिए भी उन्हें फूँक-फूँककर कदम रखना चाहिए। इन लोगों का उद्देश्य यह था कि धीरे-धीरे मजदूरों की हालत को सुधारा जाय। इस दल के नेता थे एन० एम० जोशी, जोकि जिनेवा में अक्सर हिन्दुस्तान के मजदूरों के प्रतिनिधि बनाकर भेजे जा चुके थे। दूसरा दल इनसे कहीं ज्यादा लडाकू था। राजनैतिक लडाईं में उसका विश्वास था और वह खुल्लमखुल्ला अपने क्रान्तिकारी दृष्टिकोण का ऐलान करता था। कुछ कम्युनिस्टों का या कम्युनिस्टों से मिलते-जुलते लोगों का इस दल पर असर था। हाँ, यह दल उनके नियंत्रण में नहीं था। बम्बई में कपड़ों के कारखानों के मजदूर इस दल के हाथ में थे। और उनकी रहनुमाईं में बम्बई के कपड़े के कारखानों में मजदूरों की एक बहुत बड़ी हड़ताल हुई थी, जो कुछ हद तक कामयाब भी हुई थी। बम्बई में 'गिरनी कामगार यूनियन' नाम की एक नई और खबरदस्त यूनियन कायम हुई थी जिसका बम्बई के मजदूरों पर प्राधान्य था। आगे बढ़े हुए दल के अमर में एक और ताकतवर सघ जी० आई० पी० रेलवे के मजदूरों का था।

जबसे ट्रेड यूनियन कांग्रेस कायम हुई है तभी से उसकी कार्यकारिणी और उसका दफ्तर एन० एम० जोशी और उनके नजदीकी साथियों के हाथ में रहा है और मजदूर-सघों के आन्दोलन को पैदा करने का श्रेय उन्हीं को है। यद्यपि उद्य दल का मजदूर जनता पर ज्यादा जोर है, पर ऊपर से दल की नीति पर असर डालने का उन्हें कोई मौका नहीं मिला। यह हालत सतोषजनक नहीं कही जा सकती और न हमसे मन्चे हान्गन का पता ही चल सकता है। इनके आपस में बड़ा अमन्तोष और झगडा

या बीर उर दल के लोग चाहते थे कि वे ट्रेड यूनियन-कांग्रेस की ताकत को बनने काबू में करलें। इनके साथ ही साथ मामलों को बहुत ज्यादा बढ़ाने की अभिलाषा भी थी, क्योंकि लोगों को फूट हो जाने का डर था। ट्रेड यूनियन-आन्दोलन हिन्दुस्तान में अपनी अपनी अवधि की तरफ बढ़ रहा था। वह कमजोर या बीर जो लोग उसे चला रहे थे उनमें से ज्यादातर बुद्ध मजदूर नहीं थे। ऐसी हालतों में हमेशा बाहरवालों में यह प्रवृत्ति होती है कि मजदूरों को इन्तैमाल करके अपना मतलब गाँठें। हिन्दुस्तान की ट्रेड यूनियन कांग्रेस में बीर मजदूर-नघों में यह प्रवृत्ति नाफ-नाफ दिखाई देती थी। ताहम, मालो काम करके एम० एम० लोगों ने यह नाबिन कर दिया था कि वह मजदूर-नघों के सच्चे बीर उन्नाही हितपी हैं और जो लोग राजनैतिक दृष्टि ने उन्हें नरम और फिसट्टी समझते थे वे भी यह मानते थे कि हिन्दुस्तान के मजदूरों के आन्दोलन में उन्होंने जो सेवार्थ की हैं वे ऊर्ध्व के लायक हैं। नरम या आगे बटे हुए दोनों दलों में ने बहुत ही कम आदमियों के लिए यह बात कही जा सकती थी।

हरिया में मेरी अपनी हमदर्दी आगे बटे हुए दल के साथ थी। लेकिन मैं नया-नया ही बर्तौ पहुँचा था इसलिए ट्रेड यूनियन कांग्रेस की उन घरेलू लड़ाई में मेरा दिमाग चकराता था, अतएव मैंने यही तय किया कि मैं इन झगड़ों में अलग रहूँ। मेरे हरिया से चले आने के बाद ट्रेड यूनियन कांग्रेस के बोर्ड-द्वारा का सातवाँ चुनाव हुआ और कच्छकते में मुझे यह मालूम हुआ कि आले माल के लिए मैं उनका सनापति चुना गया हूँ। मेरा नाम नरम दल वागों ने पेश किया था, गान्धिवन-वागों ने जिम इनरे उम्मीदवार का नाम उर दल ने पेश किया था उन्नाही उम्मीदवार का नाम ज्यादा मीठा मेरा नाम पेश करने में ही था। इन महानर ने रेशों के कर्मचारियों में वाग्मविय नाम किया था, इस-

लिए अगर मैं चुनाव के दिन झरिया में मौजूद होता तो मुझे विश्वास है कि मैं उन कार्यकर्ता उम्मीदवार के मुकाबले में अपना नाम वापस लेलेता। मुझे यह बात खासतौर पर बेजा मालूम होती थी कि एक ऐसे शरुस को जिसने कुछ काम नहीं किया और नया-नया ही आया एकाएक समापति की गद्दी पर पटक दिया जाय। यह बात खुद ही इस बात की सबूत थी कि हिन्दुस्तान में मजदूर-संघ का आन्दोलन अभी अपने वचपन में है और कमजोर है।

१९२८ के साल में मजदूरों के झगड़ों और हड़तालों की भरमार रही। १९२९ में भी यही हाल रहा। बम्बई के कपड़ों के कारखानों के मजदूर बहुत दुखी और लडाकू थे। उन्होंने इन हड़तालों की रहनुमाई की। बंगाल के सन के कारखानों में भी एक बहुत बड़ी हड़ताल हुई। जमशेदपुर के लोहे के कारखानों में, और मेरा ख्याल है कि रेलों के मजदूरों में भी, हड़ताले हुई। जमशेदपुर के टीन की चदरों के कारखानों में तो बहुत दिनों झगडा रहा। यह हड़ताल मजदूरों ने वहादुरी के साथ कई महीनों तक चलाई। यद्यपि इन मजदूरों के साथ लोगों की बहुत ज्यादा हमदर्दी थी, फिर भी जो जबरदस्त कम्पनी इन कारखानों की मालिक थी उसने मजदूरों को कुचल दिया। इस कम्पनी का ताल्लुक वर्मा की तेल-कम्पनी से था।

सब मिलाकर ये दोनों साल मजदूरों में बेचैनी के साल थे और मजदूरों की हालत दिन-पर-दिन खराब होती जा रही थी। हिन्दुस्तान में लडाई के बाद के साल यहा के घन्वों के लिए मौज के साल थे। इन दिनों उन्होंने अनाप-शनाप मुनाफा कमाया। सन या रई के कारखानों ने पाँच या छ साल तक अपने हिस्सेदारों को जो मुनाफा बाँटा वह सी फीसदी सालाना था—अक्सर वह डेढ सी फीसदी तक पहुँचा। ये अनाप-शनाप मुनाफे सबके-सब कारखानों के मालिकों और हिस्सेदारों की जेब

में गये। मजदूरों की हालत जैसी-की-वैसी बनी रही। उनकी मजदूरी में जो थोड़ी-बहुत तरक्की हुई, वह आम तौर पर चीखों की कीमतों बढ़ जाने से बराबर हो गई। इन दिनों में जब लोग घड़ा-घड़ कमा रहे थे तब भी ज्यादातर मजदूर बहुत ही घुरे घरों में रहते थे और उनकी बीगनों तक को कपड़ा भी पहनने को नहीं मिलता था। बम्बई के मजदूरों की हालत बहुत बुरी थी, लेकिन सन के कारखानों में काम करनेवाले उन मजदूरों की हालत तो बहुत बुरी थी, जिनके पास आप मोटर में कलक्त्ते के महलों से घटेमर के बन्दर पहुँच सकते थे। वहाँ बाल बिखरे और फटे-पुराने मैले-कुचले कपड़े पहने हुए बघनगी औरते महज रोटियों पर काम करती थीं, इसलिए कि दौलत का एक लम्बा-चौड़ा दरिया लगातार ग्लासगो और डडी की तरफ बहता रहे और उनमें से कुछ हिस्सा कुछ हिन्दुस्तानियों की जेबों में चला जाय।

तेजी के इन सानों में कारखाने मजे से चलते रहे, यद्यपि मजदूरों की हालत पहले जैसी बनी रही और उन्हें कुछ भी फायदा नहीं हुआ। लेकिन जब धूम का वक़्त चला गया और अनाप-जनाप मुनाफ़ा कमाना उतना आसान नहीं रह गया तब तारा ब्रोज़ मजदूरों के सिर पटक दिया गया। कारखाने के मालिक पुराने मुनाफ़े को भूल गये। उसे तो वे चा चुके थे और अब अगर उन्हें काफी मुनाफ़ा नहीं होता है तो यह रोड़गार किस तरह चले ? इनके फल-स्वरूप मजदूरों में वैचैनी फैली, मगरे खड़े हुए और बम्बई में ऐसी-आरी-भारी हड़ताल हुई कि देखने वाले दंग रह गये और जिनसे कारखानों के मालिक और सरकार दोनों ही डर गये। मजदूरों के आन्दोलन में वर्ग-चेतनता आने लगी थी और दिग्ग-भाग तथा मगठन दोनों ही दृष्टियों से वह लड़ाकू और छतरनाक होता जा रहा था। इधर राजनीतिक हालत भी तेजी के साथ बिगड़ गयीं थी और दक्षिण मजदूरों का आन्दोलन और राजनीतिक हलचल

एक-दूसरे से अलग थे, उनका आपस में कोई सम्बन्ध न था, फिर भी कुछ हद तक एक-दूसरे के साथ-साथ चलते थे, इसलिए सरकार भविष्य को आश्चर्यकारिणी नहीं समझती थी।

मार्च १९२९ में सरकार ने आगे बढ़े हुए दल में से उनके कई सबसे ज्यादा नामी-नामी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करके सगठित मजदूरों पर एकाएक हमला कर दिया। बम्बई की गिरनी कामगार यूनियन के नेता तथा बंगाल, युक्तप्रान्त और पंजाब के मजदूर-नेता गिरफ्तार कर लिये गये। इनमें से कुछ कम्युनिस्ट थे, कुछ कम्युनिस्टों से मिलते-जुलते और महज मजदूर सघों वाले थे। यह उस नामी मेरठ-केस की शुरुआत थी जो साढ़े चार वर्षों के करीब चला।

मेरठ के मुस्लिमों की मदद के लिए एक सफाई-कमिटी बनी। मेरे पिताजी इस कमिटी के समापति थे तथा डाक्टर अन्सारी, मैं तथा कुछ और लोग उसके मेम्बर थे। हम लोगों का काम मुश्किल था। मुकदमों के लिए रुपया इकट्ठा करना आसान न था। ऐसा मालूम होता था कि पैसेवाले लोगों को कम्युनिस्ट समाजवादी आन्दोलन करनेवालों से कोई हम्बर्दी नहीं थी, और वकील लोग पूरा महनताना लिए बिना काम करने को तैयार न थे, जो कि किसीका खून ही चूसकर दिया जा सकता था। हमारी कमिटी में कई नामी वकील थे, जैसे पिताजी तथा दूसरे लोग। ये हर वक्त हमें सलाह देने और रास्ता दिखाने को तैयार थे। उसमें हमारा कुछ भी खर्च नहीं पड़ता था। लेकिन उनके लिए यह मुमकिन न था कि वे महीनों लगातार मेरठ में ही बने रहें। उनके अलावा जिन वकीलों के पास हम गये थे, मालूम होता है, यह समझते थे कि यह मुकदमा हमारे लिए ज्यादा-से-ज्यादा रुपया कमाने का एक जरिया है।

मेरठ के मुकदमों के अलावा कुछ और डिफेंस कमिटियों से भी मेरा

नाल्लूक रहा है—जैसे एम० एन० राय के तथा दूसरे मुकदमों में। हर नाँके पर मुझे अपने पेशे के लोगों के लालचीपन को देखकर हैरत हुई है। इस निम्नलिखे मे मुझे सबसे पहला बड़ा धक्का उस वक़्त लगा जब १९१९ में पंजाब में फ़ौजी क़ानून की रू ने मुक़दमे चल रहे थे। उन दिनों वकीलों के एक बहुत बड़े लीडर ने इस बात पर ख़िद की कि उन्हें पूरी फीस दी जाय। यह रक़म बहुत बड़ी थी। उन्होंने इस बात का कोई ख़याल नहीं किया कि उनके मुवक्किल वे लोग हैं जो फ़ौजी क़ानून के गिनकर हुए हैं और उनमें उनका साथी एक वकील भी है। इनमें से बहुत-से लोगों को बर्द लेकर या अपनी जायदाद बेच-बेचकर इन वकील ग़हब की फीस देनी पड़ी। इसके बाद मुझे जो तज़ुबें हुए वे ती और भी दुःखदायी थे। हम लोगों को शरीव-ने-शरीव लोगों से तबिये के पैसों ले लेकर रुपये इकट्ठे करने पड़ते थे। और वे बड़े-बड़े चौको के रूप में वकीलों को दे देने पड़ते थे। यह बात हमें बहुत ही अलखती थी। और फिर यह नव काम बिल्कुल बेकार ग़लूष पड़ता था क्योंकि एक राज-नैतिक मानले में या नज़दूरों के नामले में हम सफ़ाई दें या न दें, नतीजा ग़ालिबन वही होता है। लेकिन मेरठ के मुक़दमे जैसे मुक़दमे में, बिला-शक, सफ़ाई देना कई दृष्टियों से लाज़िमी था।

मेरठ-पहयल्य-डिफ़ेन्स-कमिटी की मुल्जिमों के साथ बासानी से नहीं पटी। इन मुल्जिमों में तरह-तरह के लोग थे, जिनकी सफ़ाई भी अलग-अलग डिफ़ेन्स की थी, और कभी-कभी तो उनमें आपसी मेल-क़नई ग़ायब रहना था। कुछ नहींनों के बाद हमने बाक्रायदा कमिटी को लोड दिया और अपनी शारी हैसियत से मदद करते रहे। राजनैतिक हालात ज़िच तरह बदलने जा रहे थे उसकी तरफ़ हमारा ध्यान अधिकधिक खिचने लगा और १९३० में तो हम सबके-सब जेल में बन्द हो गये।

त्रिदोष का वातावरण

१९२९ की कांग्रेस लाहौर में होनेवाली थी। वह दस साल के बाद फिर पञ्जाब में आई थी, और लोग दस वर्ष पहले की बातें याद करने लगे—१९१९ की घटनायें, अलियावालावाग, फौजी कानून और उसके साथ होनेवाली बेइज्जतियाँ, अमृतसर का कांग्रेस-अधिवेशन, और उसके बाद असहयोग की शुरुआत। इन दस बरसों में बहुत घटनायें हुई थीं और हिन्दुस्तान की भूरत ही बदल गई थी, मगर फिर भी उस और इस समय में समानताओं की कमी न थी। राजनैतिक त्रिदोष बढ रहा था, संघर्ष का वातावरण तेजी से बनता जा रहा था। आनेवाले संघर्ष की लम्बी छाया पहले से ही देश पर पड रही थी।

असेम्बली और प्रान्तीय काँग्रेसों में बहुत समय से लोगों की दिल-चस्पी न रही थी, सिवा उन मुट्ठीभर लोगों के जो उनके चौके में चक्कर काटा करते थे। ये असेम्बली और काँग्रेसों अपनी लकीर पीट करती थीं, जिनमें सरकार को सत्तापरस्ती और म्बेच्छाचारी न्बरु को ढकने के लिए एक टूटा-फूटा सहारा मिल जाता था, और लोगों को हिन्दुस्तान की पार्लमेण्ट होने और उसके मेम्बरो को भत्ता मिलने की बात करने का एक वहाना। असेम्बली का आखिरी सफर काम, जिनकी तरफ लोगों का ध्यान गया, १९२८ में हुआ था, जबकि उनमें साइमन-कमीशन से सहयोग न करने का प्रस्ताव पाम किया था।

इसके बाद असेम्बली के प्रेमीडेण्ट और सरकार के बीच में एक मन्दरी भी हुआ था। बिट्टलसाई पटेल, जो असेम्बली के न्बन्धजिम्मे प्रेमीडेण्ट थे, अपनी स्वतन्त्र बृत्ति के कारण सरकार के दिल में काटों की तरह उठाने

थे और उनके पर काट देने की बहुत कोशिशें की गईं। ऐसी बातों की तरफ ध्यान तो जाता था, मगर आम तौर पर जनता का ध्यान बाहर की घटनाओं की ही तरफ लगा हुआ था। मेरे पिताजी को अब कौंसिलो के बारे में कोई भ्रम नहीं रह गया था और वह अक्सर यह राय जाहिर करते थे कि इस अवस्था में अब कौंसिलो से ज्यादा फायदा नहीं उठाया जा सकता। अगर कोई मुनासिब मौका आ जावे तो वह उनमें से खुद भी बाहर निकल आना चाहते थे। हालांकि उनका दिमाग वैधानिक था और कानूनी तरीकों और षाब्तों का आदी था, मगर हालात से मजबूरन उन्हें यही नतीजा निकालना पड़ा कि हिन्दुस्तान में तो वैधानिक कहे जानेवाले तरीके बेकार और फुञ्ज हैं। वह अपने कानूनी दिमाग को यह कहकर तमल्ली दे देते थे कि हिन्दुस्तान में विधान ही नहीं है, और न दरहकीकन यहा कानून की हुकूमत ही है, जबकि यहा किसी एक व्यक्ति या दल की मर्जी पर ही, जिस तरह जादूगर के पिटारे में में अचानक बबूतर निकल पड़ते हैं उसी तरह, आर्डिनेंस वगैरा निकल पड़ते हैं। नवीयत और आदन से वह क्रान्तिकारी बिलकुल न थे, और अगर मध्यम-वर्गीय प्रजातन्त्रवाद जैसी कोई चीज होती तो वह बिलासव विधान के बड़े भारी स्तम्भ होने। मगर, जैसी कि हालत थी, हिन्दुस्तान में मकनी पार्लमेण्ट का नाटक होने के कारण, यहाँ वैधानिक आन्दोलन करने की मर्चा में वह ज्यादा-ज्यादा चिन्ते को थे।

गांधीजी अब भी राजनीति से अलग ही रह रहे थे, मिवाय इसके कि बन्दरगाह-वाणिज्य में उन्होंने हिस्सा लिया था। मगर वह अब घटनाओं की जनगारी रगने थे, और वाणिज्य-नेता उनमें थपार मन्त्राह मन्वग विज्ञा करने थे। कुछ दिनों में उनका नाम नाम मन्त्री-प्रधान तो गया था, और इनके लिए उन्होंने अपने विद्वत्मान में लम्बे-चौड़े शोध किये थे। उन्होंने बारी-बारी से एम्प्लू प्रान्त भी विद्या, वह उनके एक विद्ये और

करीब-करीब हर महत्वपूर्ण कस्बे में गये, और दूर के और देहाती हिस्सो में भी गये। हर जगह उनके लिए लोगो की भारी-भारी भीड़ जमा होती थी और उनका कार्यक्रम पूरा करने के लिए पहले से बहुत तैयारी करनी पड़ती थी। इस तरह से उन्होंने बार-बार हिन्दुस्तान का दौरा किया है, और उत्तर से दक्षिण तक और पूर्वी पहाडो से पश्चिमी समुद्र तक इस विगाल देश के एक-एक कोने को उन्होंने देख लिया है। मैं नहीं समझता कि और किसी मनुष्य ने कभी हिन्दुस्तान में इतना सफर किया होगा।

✓ **प्राचीन** काल में बड़े-बड़े भ्रमण करनेवाले थे, जो हमेशा घूमते ही रहते थे और सैलानी तबीयत के यात्री थे, मगर उनके यात्रा के साधन बहुत धीमे थे। और इस तरह का जीवन-भर का भ्रमण भी एक साल के रेल और मोटर के सफर का मुकाबिला नहीं कर सकेगा। गांधीजी रेल और मोटर से जाते थे, मगर वह सिर्फ उन्हींसे बन्ने हुए नहीं थे, वह पैदल भी चलते थे। इस तरह उन्होंने हिन्दुस्तान और यहाँ के लोगो का अद्भुत ज्ञान प्राप्त किया, और इसी तरीके से करोडो लोगो ने उन्हें देखा और उनके व्यक्तिगत सम्पर्क में आये।

वह १९२९ में अपने खादी-सम्बन्धी दौरे में युक्तप्रान्त में आये, और उन्होंने निहायत गरम मौसम में इस प्रान्त में कई हफ्ते बिताये। मैं कभी-कभी उनके साथ कई दिनो तक लगातार रहता, और हालांकि उनके आने पर इसमें पहले भी बड़ी-बड़ी भीड़ देख चुका था, मगर फिर भी उनके लिए एकत्र इन भीडो को देखकर ताज्जुब किये बगैर न रहना। यह हाल गोरखपुर जैसे पूर्वी जिलो में खास तौर पर देखा जाता था, जहाँ कि आदमियो का मजमा देखकर टिड्डी-दल की याद आ जाती थी। जब हम देहात में मोटर ने गजरते थे, तो कुछ-कुछ मीलों के फासों पर ही दस हज़ार से लेकर पच्चीस हज़ार तक की भीड़ हमें भिन्न-भिन्न

थी, और सभाओं में तो अक्सर लाख-लाख से भी ज्यादा तादाद हो जाती थी। सिवाय किसी-किसी बड़े शहर के, सभाओं में ब्राह्मकार्टिंग का इन्तज़ाम न था, और जाहिरा तब आदमियों को भाषण सुनाई देना नामुमकिन था। शायद वे कुछ सुनने की उम्मीद भी नहीं करते थे, वे महात्माजी के दर्शन करके ही सतुष्ट हो जाते थे। गांधीजी अपने पर आवश्यक बोझ न पड़ते देते हुए, आम तौर पर, छोटा-सा भाषण देते थे। नहीं तो, इस तरह हर घण्टे और हर रोज़ काम चलाना बिल्कुल अमम्भव हो जाता।

मैं सारे मुक्तप्रान्त के दौरे में उनके साथ न रहा, क्योंकि मेरी उनको कोई खास उपयोग नहीं हो सकता था, और दौरे के दल में मेरे एक के और बढ़ जाने में कोई मतलब न था। जो मजदूरी से मुझे परहेज़ न था, मगर गांधीजी के साथ चलनेवालों का आम तौर पर जैसा हाल होता है, यानी धक्के खाना और अपने पैर कुचलवाना, ये मुझे ललचाने की वाफ़ी न थे। मेरे पान करने को दूसरा काम काफी था, और मिर्फ़ खादी के प्रचार में ही, जो मुझे बढती हुई राजनैतिक हालत में एक अपेक्षाकृत छोटा ही काम नज़र आता था, लग जाने की मेरी इच्छा न थी। किन्तु हृदय तक मैं ग्रँड-राजनैतिक कामों में लगे रहने से नाराज़ था, और मैं उनके विचारों का आधान कभी नहीं सम्मत्त सका। उन दिनों वह खादी-चार्य के लिए धन जुटाने का रहे थे, और वह अक्सर कहते थे कि मुझे 'दण्डि-नागवण' अर्थात् 'गरीबों के नागवण' या 'गरीबों से चलेवाले नागवण' के लिए धन चाहिए। उनका यही मतलब था कि हमसे बड़ा दौरी तो ही मदद लेंगे, उन्हें धरने-धरनों द्वारा काम दिखाने में। मगर हमसे ज़रूरत रूप में दण्डिता—गरीबों—का योग्य बढना दिनाई देना था, क्योंकि नागवण यामात्र दौरीयों का नागवण है, गरीबों के प्यारे हैं। मैं हमेशा ही कि मय ज़रूर धार्मिक भाषना करी हूँ। मैं हम

वात को पसन्द नहीं कर सकता था; क्योंकि मुझे तो दरिद्रता एक घृणित चीज मालूम होती थी, जिससे लडकर उसे उखाड़ फेंकना चाहिए, न कि उसे किसी तरह बढ़ावा देना चाहिए। इसके लिए लाजिमी तौर पर उस प्रणाली पर हमला करना चाहिए जो दरिद्रता को बरदास्त करती और पैदा करती है, और जो लोग ऐसा करने से शिक्षकते हैं उन्हें मजबूरन दरिद्रता को किसी-न-किसी तरह उचित ठहराना ही पड़ता था। वे यही विचार कर सकते थे कि दुनिया में सदा चीजों की कमी ही रहेगी, और ऐसी दुनिया की कल्पना नहीं कर सकते थे कि जिसमें सबको जीवन की आवश्यक चीजें भरपूर मिल सकें। शायद उनके विचारानुसार हमारे समाज में गरीब और अमीर तो हमेशा ही बने रहेंगे।

जब कमी मुझे इस बारे में गांधीजी से बहस करने का मौका मिला तभी वह इस बात पर जोर देते थे कि अमीर लोगों को अपनी बौद्ध-जनता की धरोहर की तरह समझनी चाहिए। यह दृष्टिकोण काफी पुराना है और हिन्दुस्तान में, मध्यकालीन यूरप में भी, अक्सर पाया जाता है। किन्तु मैं तो इस बात को बिलकुल नहीं समझ सका हूँ कि कोई भी शख्स ऐसा हो जाने की कैसे उम्मीद कर सकता है, या यह कैसे कल्पना कर लेता है, किइ सीसे समाज की समस्या हल हो जायगी?

असेम्बली, जैसा कि मैंने ऊपर कहा है, सुस्त और सोती रहनेवाली हो गई थी और उसकी बेलुत्फ कार्रवाइयो में गायद ही कोई दिलचस्पी लेता हो। जब भगतसिंह और बी० के० दत्त ने दर्शकों की गैलरी में उस सभा-भवन के फर्श पर दो बम फेंक दिये, तब एक दिन एक सटके की तरह एकाएक उसकी नींद खुली। किसीको सलत चोट नहीं आई, और शायद बम इसी इरादे से फेंके गये थे, जैसे कि मुल्किम ने घाद में बयान किया था, कि शोर और खलबली पैदा की जाय, न कि किसीको चोट पहुँचाई जाय।

उनसे सचमुच असेम्बली में और बाहर खलबली मच गई। आतक-कारियों के दूसरे काम इतने निरापद न थे। एक नौजवान अग्रज पुलिस अफसर को, जिसके बारे में कहा गया है कि उसने लाला लाजपतराय को पीटा था, लाहौर में गोली से मार दिया गया। बवाल और दूतरी जगहों पर ऐसा मालूम होने लगा कि आतककारियों की हलचले फिर से शुरू होगई। पड़्यन्त्र के बहुत-से मुकदमे चलाये लगे, और नजरबन्दों की—यानी बगैर मुकदमा चलाये और सच्चा सुनाये जेल में रखे जाने-वाले या दूसरी तरह से रोके हुए लोगों की—तादाद जल्दी बढ़ गई।

लाहौर-पड़्यन्त्र के मुकदमे में अदालत में पुलिस ने कई असाधारण काम किये, और इस कारण भी इस मुकदमे की तरफ लोगों का ध्यान बहुत गया। अदालत और जेल में मुत्सिमों के साथ जो बर्ताव किया जा रहा था, उसके विरोध-स्वरूप ज्यादातर कैदियों ने भूख-हड़ताल करदी। यह ठीक किन कारणों से शुरू हुई, यह तो मैं भूल गया हूँ, मगर अन्त में यह बड़ा सवाल बन गया कि कैदियों, खासकर राजनैतिक कैदियों, के साथ जामनीर पर कैसा बर्ताव होना चाहिए। यह हठनाल हप्तों तक बटनी गई, और इसने सारे देश में खलबली मच गई। मुत्सिमों की दारौरीर कमजोरी के सबब से उन्हें अदालत में न ले जाना न्य मचना था, और बार-बार कार्रवाई मुत्सि करनी पडी। दमनर भारत-नगर ने ऐसा कानून बनाने का मूत्रपान किया, जिसमें मुत्सिम या उनके परिवारवालों की गैर-मीदगी में भी अदालत अपनी कार्रवाई करेगी न सके। उन्हें जेल के बन्तों के प्रदन पर भी और नना पडा।

जब इतना-तक मरीदे तक नजर बटनी थी, उस दमन में उतापान में लाहौर पडैना। मुत्सि कुछ कैदियों के नेत्र में लिम्मे की दगाजम दे दी गई, और मरे दमन कापन उड्यना। अन्तर्गत में मर मरी पड्यी

मुलाकात थी। मैं जतीन्द्रनाथ दाम घग्गैरा से भी मिला। भगतसिंह का चेहरा आकर्षक था और उससे बुद्धिमत्ता टपकती थी। वह निहायत गम्भीर और शान्त था। उसमें गुम्मा नहीं दिखाई देता था। उसकी दृष्टि और बातचीत में बड़ी मृदुलता थी। मगर मेरा खयाल है कि कोई भी शरत जो एक महीने तक उपवास करेगा, अध्यात्मिक और मृदुल दिखाई देने लगेगा। जतीन्द्र दास तो और भी मृदुल, एक कन्या की तरह कोमल और मुलायम, मालूम पडा। जब मैं उससे मिला, उसे काफी दर्द हो रहा था। बाद में वह, उपवास से ही, भूखहडताल के इकसठवें रोज, मर गया।

भगतसिंह की खास हसरत अपने चाचा सरदार अजीतसिंह से, जो १९०७ में लाला लाजपतराय के साथ जिला-वतन कर दिये गये थे, मिलना था कम-से कम उनकी खबर पाना मालूम हुई। वह कई बरसों तक विदेशों में जिला-वतन रहे। कुछ-कुछ यह भी सुना गया था कि वह दक्षिण अमेरिका में बस गये हैं, मगर मुझे खयाल नहीं है कि उनके बारे में कोई भी निश्चित खबर हो। मुझे यह भी पता नहीं कि वह मर गये हैं या जीते हैं।

जतीन्द्र दास की मृत्यु से सारे देश में सनसनी पैदा होगई। इससे राजनैतिक कौदियों के वर्तव का सवाल आगे आगया, और इसपर सरकार ने एक कमिटी मुकर्रर करदी। इस कमिटी के विचारों के फल-स्वरूप नये कायदे जारी किये गये, जिनसे कौदियों के तीन दर्जे कर दिये गये। इन कायदों से कुछ सुधार होने की सूरत नजर आई, मगर असल में कुछ भी फर्क नहीं पडा, और हालत अत्यन्त असन्तोषजनक रही, और अब भी है।

धीरे-धीरे गरमी और बरसात की ऋतु वीतकर ज्योही शरद-ऋतु आई, प्रान्तीय काँग्रेस कमिटियाँ काँग्रेस के लाहौर-अधिवेशन के लिए

अध्यक्ष चुनने के काम में लग गई। इस चुनाव की एक लम्बी कार्रवाई होनी है, जो अगस्त से अक्टूबर तक चलती रहती है। १९२९ में गाँधीजी को अध्यक्ष बनाने के पक्ष में करीब-करीब एकमत था। उन्हें इनरी वार सभापति बनाने की इस इच्छा से, वास्तव में, कांग्रेस के नेताओं में उनका पद और ऊँचा नहीं होजाता था, क्योंकि वह तो कई वरनों से एक तरह के सभापतियों के दादा बने हुए थे। उस वक्त सबको यही लगा कि चूँकि लडाईं अनकरीब है और उसकी सारी बागडोर यों भी उन्हींके हाथों में रहनेवाली है, तो फिर कांग्रेस के 'विधियुक्त' नेता भी उस वक्त के लिए उन्हींको क्यों न बनाया जाय ? इसके सिवा, इतना बड़ा और कोई आदमी सामने न था जो उस समय सभापति बनाया जाता।

इसलिए प्रान्तीय कमिटियों ने सभापति-पद के लिए गाँधीजी की सिफारिश की। मगर उन्होंने मंजूर न किया। हालाँकि उन्होंने जोर के साथ इन्कार किया था, मगर उसमें दलील करने की गुंजाइश मालूम हुई और यह उम्मीद की गई कि वह उसपर दुबारा गौर कर लेगे। लखनऊ में इनका आखिरी फैसला करने के लिए अखिल-भारतीय कांग्रेस-कमिटी की मीटिंग की गई, और आखिरी घड़ी तक करीब-करीब हम सभीका यह खयाल था कि वह राजी होजायेंगे। मगर ऐसा न हुआ और आखिरी घड़ी में उन्होंने मेरा नाम पेश किया और उसपर जोर दिया। उनके आखिरी इन्कार ने अखिल-भारतीय कांग्रेस-कमिटी के लोग तो कुछ-कुछ भौंचक्के रह गये, और इस विषय में स्थिति में डाले जाने से कुछ-कुछ नागन्न भी हुए। किन्ती हमारे दल के उपलब्ध न होने की दशा में, बदलें लाचारी, उन्होंने आखिर मुझको चुन लिया।

मुझे पहले बनी इतनी झुलझट और ज्वलन्त महसूस न हुई, जितनी इस चुनाव पर। यह बात नहीं थी कि मुझे इस इच्छन बटो

जाने का—क्योंकि यह एक बड़ी भारी इज्जत की बात है—अहसास न हो, और अगर मैं मामूली तरीके से चुना जाता तो मुझे खुशी भी हुई होती। मगर मुझे यह इज्जत तो सीधे रास्ते या बगल के रास्ते से भी नहीं मिली, मैं तो गया किसी पोशीदा रास्ते से आखड़ा हुआ और अचानक लोगों को मुझे मजबूर कर लेना पड़ा। उन्होंने किसी तरह इसे बरदाश्त किया, और दवा की गोली की तरह मुझे निगल लिया। इससे मेरे स्वाभिमान को चोट पहुँची, और मुझे करीब-करीब यह महसूस हुआ कि मैं इस इज्जत को लौटा दूँ। मगर खुदाकिस्मती से मैंने अपने भावों को प्रकट करने से अपने-आपको रोक लिया, और भारी कलेजा रिलिये हुए वहाँसे चुपचाप चला आया।

इस फँसले पर जिसको सबसे ज्यादा खुशी हुई वह शायद मेरे पिताजी थे। वह मेरी राजनीति को पसन्द नहीं करते थे, मगर वह मुझे तो काफी ज्यादा चाहते थे, और मेरे लिए कुछ भी अच्छी बात होने से उन्हें खुशी होती थी। अक्सर वह मेरी नुक्ताचीनी करते थे और मुझसे कुछ खाई से बोला करते थे, मगर कोई भी आदमी, जो उनकी सदिच्छा बनाये रखने की परवा करता हो, उनके सामने मेरे खिलाफ कुछ कह नहीं सकता था।

मेरा चुनाव मेरे लिए एक बड़ी इज्जत और जिम्मेदारी की बात थी, और यह चुनाव खुसूसियत इसलिए रखता था कि अध्यक्ष-पद पर चाप के बाद फौरन ही बेटा आरहा था। यह अक्सर कहा गया कि मैं कांग्रेस का सबसे कम-उम्र सभापति था—उस वक्त मेरी उम्र ठीक चालीस की थी। मगर यह गलत है। मेरा खयाल है कि गोखले की भी करीब-करीब यही उम्र थी, और मीलाना अबुलकलाम आजाद की (हालाँकि वह मुझसे कुछ बड़े हैं) उम्र तो शायद चालीस में भी कम थी जबकि वह सभापति बने थे। मगर गोखले जबकि वह ३५-४० के

अन्दर ही थे, तब भी योग्यता के लिहाज से बड़े राजनीतिज्ञों में माने जाते थे, और अबुलकलाम आजाद की नूरत-शकल ऐसी बन गई थी जो उनकी विद्वत्ता के अनुकूल आदरणीय थी। अब चूँकि मुझमें राजनीतिज्ञता का गुण शायद ही कभी माना गया हो, और मुझपर कभी बड़ा विद्वान् होने का इल्जाम भी किसीने नहीं लगाया, इसलिए मैं बड़ी उम्र के होने के इल्जाम से बच गया हूँ—भले ही मेरे बाल पक गये हैं और मेरा चेहरा भी उसकी चुगली खा देता है।

लाहौर-काँग्रेस नजदीक आती जाती थी। इस बीच घटनाएँ एक-एक करके ऐसी घटती जाती थी, जिनसे मालूम होता था कि वे खुद अपनी ही किन्नी ताकत से आगे बढ़ती जा रही हैं। व्यक्ति कितने ही बड़े क्यों न थे, मगर उनका बहुत ही थोड़ा भाग था। व्यक्ति को यहीं मालूम होता था कि वह किन्नी बड़ी मशीन के अन्दर, जो बेरोक आगे बढ़ती हुई चली जा रही थी, निरंक एक पुँज की तरह ही है।

भाग्य को इस प्रगति को, शायद, रोकने की आशा से ब्रिटिश सरकार एक कदम आगे बढ़ी, और वाइसराय लार्ड अविन ने एक गोल-मेज़-कान्फ़ेन्स करने की वास्तव ऐलान किया। उस ऐलान के शब्द बड़ी चालाकी-भरे थे, जिनका मतलब 'बहुत कुछ' भी और 'कुछ नहीं' भी हो सकता था, और हम कईको तो यह साफ मालूम होना था कि 'कुछ नहीं' ही निकलेगा। और अगर उसमें ज्यादा मतलब भी होता, तो भी हम जो कुछ चाहते थे उसके करीब तक भी वह नहीं पहुँच सकता था। वाइसराय के इस ऐलान के निकलते ही फौरन, और बड़ी जल्दी से, दिल्ली में 'लॉडरो की कान्फ़ेन्स' बुलाई गई, और कई दलों के लोग उसमें बुलाये गये। उसमें गाँधीजी, मेरे पिताजी और विट्टलभाई पटेल भी (जो उन समय तक अनेम्बली के प्रेसिडेंट ही थे) मौजूद थे, और तेजबहादुर मजूमदार नरम इल ने नेता भी थे। नवकी महामति

से एक समुक्त प्रस्ताव या वक्तव्य तैयार किया गया, जिसमें वाइसराय का ऐलान कुछ शर्तों के साथ, जिनके बारे में लिख दिया गया कि ये जरूरी हैं और पूरी की जानी चाहिए, मजूर किया गया। अगर इन शर्तों को सरकार मजूर कर लेती तो सहयोग दिया जाता। ये शर्तें काफ़ी वजनदार थी, और उनसे कुछ तो फर्क होता ही।

नरम और प्रगतिशील सभी दलों के द्वारा ऐसा प्रस्ताव मजूर किया जाना एक बड़ी विजय ही थी। मगर कांग्रेस के लिए तो यह नीचे गिरना था। हाँ, सबके बीच में एक सर्वसम्मत बात के रूप में वह ऊँची चीज़ थी। मगर उसमें एक घातक पकड़ भी थी। उन शर्तों को देखने के कम-से-कम दो भिन्न-भिन्न दृष्टिकोण थे। कांग्रेस के लोग तो उन्हें सारभूत अनिवार्य मानते थे, जिनके पूरा हुए बिना कोई सहयोग नहीं होसकता था। उनकी निगाह से वे कम-से-कम शर्तें थीं। यह बात कांग्रेस-कार्य-समिति की एक वाद की बैठक में साफ करदी गई और उसमें यह भी कह दिया गया कि यह तजवीज़ सिर्फ अगली कांग्रेस तक के लिए ही है। मगर नरमदलों के लिए ये ज्यादा-से-ज्यादा मांगे थी, जिनका वधान किया जाना अच्छा था मगर जिनपर इतना जोर नहीं दिया जा सकता था कि सहयोग तक से इन्कार कर दिया जाय। उनकी दृष्टि से

१. शर्तें ये थीं :—

१—प्रस्तावित कान्फ़ेन्स में सारी बातचीत हिन्दुस्तान के लिए पूर्ण औपनिवेशिक पद के आधार पर होनी चाहिए।

२—कान्फ़ेन्स में कांग्रेस के लोगों का सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व होना चाहिए।

३—राजनैतिक कैंदियों की आम रिहाई हो।

४—अभीसे आगे हिन्दुस्तान का शासन, मौजूदा हालात में जहाँ तक मुमकिन है, उपनिवेश-शासन की लाइन पर चलना चाहिए।

वे गर्ने महत्वपूर्ण कहलाते हुए भी वास्तव में कोई शक्ति नहीं थी। और बाद में हुआ यह कि, जबकि इनमें से एक भी शक्ति पूरी नहीं की गई और हमने से ज्यादातर लोग वीसियों हज़ार दूसरे आदिमियों के साथ जेल में पड़े हुए थे, उन वक्त, हमारे नरमदली और सहयोगी मित्र, जिन्होंने उन वक्तव्य पर हमारे साथ दम्न उन किये थे, हमें जेल में डालने-वाले को सहयोग दे रहे थे।

हममें से ज्यादातर लोगों को अन्देशा नो था कि ऐसी बात होगी— मगर यह उम्मीद नहीं थी कि इस हद तक होगी। लेकिन हमें कुछ-कुछ यह भी उम्मीद थी कि इस नयुक्त कार्य में, जिनमें काथ्रिम के लोगों ने अपने-आपको इतना देखा है, यह भी नतीजा होगा कि लिबरल और दूसरे जो कुछ प्रिंटिंग सुन्दर को मनमाना और एन-मा सहयोग देने की आदत में बाध आयेगे। हम कई लोगों को निगाह में तो, जो इस मन-प्रोत्साहक प्रस्ताव को दिल में आपस-में लाने थे, उनका ज्यादा उद्यम-दम्न शक्ति नर था कि हममें हमारे शक्ति के लोगों को जमान में एन बनाने सक्त कर। एन बने सक्त की सुझाव में हम काथ्रिम में नर शक्ति करवाना नहीं कर सकते थे। नर को अन्देशा नर सक्त था कि हमारे दिल हूँ। हमें को सक्त नहीं नर सक्तों, और उन सक्त हमारे मित्रों और भी सक्त शक्ति, और नर नर सक्त का भी, अपने सक्त सक्तों में नर सक्तों। नर मित्र, एन ही सक्त का सक्त था। शक्ति नर, कि सक्त-नर सक्त नर ।

कोई सारमूत चीज न थी, जिसके वगैर हमें कभी तसल्ली ही न हो सके। इसलिए मैं द्रुविधा में पड़ गया और मैंने वक्तव्य पर दस्तखत नहीं किये (सुभाष बोस ने तो निश्चित रूप से दस्तखत करने से इन्कार कर दिया), मगर, जैसा कि मुझसे अक्सर होता है, बहुत कहने-सुनने पर मैं नरम पड़ गया और मैंने दस्तखत कर दिये। मगर फिर भी मैं बड़ी बेचैनी लेकर आया, और दूसरे ही दिन मैंने कांग्रेस के समापति-यद से अलग हो जाने का विचार किया और अपना यह इरादा गांधीजी को लिख भेजा। मैं नहीं समझता कि मैंने यह गम्भीरता से लिखा था, हालांकि मैं विस्मय से काफी होगया था। फिर गांधीजी का एक सान्त्वनाप्रद पत्र आने और तीन दिन तक सोचते रहने से अन्त को मैं शान्त होगया।

लाहौर कांग्रेस से कुछ ही समय पहले, कांग्रेस और सरकार के बीच में ममलौते का कोई आधार ढूँढने की एक आखिरी कोशिश की गई। बाइमराय लार्ड अविन के साथ एक मुलाकात का इन्तजाम किया गया। मुझे नहीं मालूम कि इस मुलाकात के इन्तजाम में पहला कदम किमने उठाया, मगर मेरा अन्दाज़ है कि विट्टुलभार्ड पटेल ने ही यह बात और पर किया होगा। इस मुलाकात में गांधीजी और मेरे पिताजी कांग्रेस का दृष्टिकोण प्रकट करने के लिए मौजूद थे, और मेरे पिता के विना माहुर, मर तेजबहादुर नद और प्रेसीडेंट पटेल भी थे। इस मुलाकात का कुछ नतीजा न निकला। एकसय गेने का कोई सम्मान्य आधार हाउ न आता, और पर हाउ सम्म नि हो गया।

लाहौर-काँग्रेस ने पहले के इन आखिरी हफ्तों में मुझे एक-दूसरे क्षेत्र में भी खरूरी काम करना था। ट्रेड यूनियन काँग्रेस नागपुर में होनेवाली थी, और इस माल उसका प्रेसीडेण्ट होने के कारण मुझे उसका मन्ना-पतित्व करना था। यह बहुत ही गैरजानूरी बात थी एक ही आदमी राष्ट्रीय काँग्रेस और ट्रेड यूनियन काँग्रेस दोनों का ही, कुछ हफ्तों के अन्तर पर, सनापनित्व करे। परन्तु मैंने यह उम्मीद की थी कि मैं दोनों काँग्रेसों को जोड़नेवाली कड़ी बन जाऊँगा, और दोनों को ज्यादा लक्षदीक लेआऊँगा, जिसने राष्ट्रीय काँग्रेस तो ज्यादा समाजवादी और ज्यादा श्रमिक-पक्षीय होजावे और संगठित मसहूर-पक्ष राष्ट्रीय संग्राम में साथ दे।

नगर शायद यह उम्मीद झूठी थी, क्योंकि राष्ट्रीयता समाजवादी और श्रमिक-पक्षीय दिशा में दूर तक तनी जा सकती है जब वह राष्ट्रीयता न रहे। फिर मुझे लगा कि हालाँकि काँग्रेस का दृष्टिकोण मध्यम-वर्गीय है, फिर भी देश में वही एक कारगर शान्तिकारी ताकत है। इन हालत में मसहूर-वर्ग को उसको मदद करनी चाहिए, उसके साथ सहयोग करना चाहिए, और उनको अपने अमर में लाना चाहिए, मगर साथ ही उनको अपनी हस्ती और अपनी विचार-बारा लक्ष्य जायन रखनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि जैसे-जैसे घटनाएँ घटती जायँगी और काँग्रेस सीधे संघर्ष में पडती जायगी, वैसे-वैसे वह अपने-आप आखिरी तौर पर ज्यादा उग्र आदर्श ज दृष्टिकोण पर आनी जायगी और सामाजिक और आर्थिक प्रश्नों को अपने हाथ में लेती जायगी। पिछले बरसों में काँग्रेस का काम किमानों और गाँवों की तरफ बढा है। अगर इसी तरह इसका कदम बढना रहा तो किसी दिन यह किमानों का एक बड़ा संगठन बन जायगी, चर्चा ऐना संगठन तो हो ही जायगा जिसमें किसान-वर्ग विधान हो। नरुवनप्रान्त की कई डिला-कमिटियों में इन वक्त भी

किसानों की तादाव में बहुत थी, हालांकि नैतृत्व मध्यमवर्ग के पढे-लिखे लोगों ने अपने हाथ में ले रखा था ।

इस तरह मे देहात और गहरो के निरन्तर संघर्ष का राष्ट्रीय कांग्रेस के और ट्रेड यूनियन कांग्रेस (टी० यू० सी०) के सम्बन्ध पर असर होने की सम्भावना थी । मगर वह सम्भावना दूर थी, क्योंकि मौजूदा राष्ट्रीय कांग्रेस मध्यमवर्गीय लोगों के हाथों में है और उसपर शहरवालों का कब्जा है, और जबतक राष्ट्रीय स्वाधीनता का सवाल हल नहीं हो जाता है तबतक उसकी राष्ट्रीयता ही मैदान में प्रबल रहेगी और वही देश की सबसे जबरदस्त भावना रहेगी । फिर भी मुझे यही दिव्यार्द दिया कि कांग्रेस को संगठित मजदूर-वर्ग के नजदीक लाना स्पष्ट नीति पर अच्छा है, और युक्तप्रान्त में तो हमने प्रान्तीय कांग्रेस कमिटी में ट्रे० यू० का० की प्रान्तीय शाखा में प्रतिनिधि चुनये थे । कांग्रेस के कई लोगों ने भी मजदूरों की हलचलों में बड़ा हिस्सा लिया था ।

मगर मजदूरों के कुछ आगे बढ़े हुए दल राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल होने । वे हमके नेताओं पर अविश्वास करने थे और हमके लक्ष्यों से असहमत और प्रतिपक्षी नमसते थे, और मजदूर दलों ने मजदूरों के मांगों के अतिरिक्त हमारे मांगों में शामिल होना नहीं चाहा, क्योंकि हमारे मांगों में राष्ट्रीय स्वतंत्रता पर ।

१९२५ ईस्वी में हिन्दुस्तान के मजदूर-वर्ग का सर्वप्रथम दल हिन्दुस्तानी मजदूरों के दल में हिन्दुस्तान के मजदूरों का दल, जिसका नाम हिन्दुस्तानी मजदूरों का दल, मजदूरों के दल में हिन्दुस्तान के मजदूरों का दल...

इसलिए कि यही राष्ट्रीय कांग्रेस की भी नीति थी। जबकि हम नीचे हमले की लड़ाई चला रहे हैं या चलानेवाले हैं उस वक्त सरकारी कर्मियों से सहयोग करना निरर्थक बात मालूम हुई।

नागपुर ट्रे० यू० काँग्रेस में व्हिटले-कनीगन के दहिष्कार का यह सवाल एक बड़ा नवाल बन गया, और इनपर और दूसरे भी कई बहस-तलब सवालों पर बायें पक्ष को कामयाबी मिली। इस कांग्रेस में मैंने बहुत ही कम नुमायाँ हिस्सा लिया। मैं मद्रास-क्षेत्र में बिल्कुल नया था। अभी मैं रास्ता ही ढूँढता रहा था, इसलिए मैं थोड़ा शिक्षकता रहा। आमतौर पर मैं अपनी राय ज्यादा आगे बढ़े हुए दलों की तरफ जाहिर करता था, मगर मैंने किसी भी जमात के साथ होजाने से अपनेको बचाया। मैंने मंचालन करनेवाले अहमद की वनिस्वत एक निष्पक्ष 'स्पीकर' की तरह से ज्यादा काम किया। इन तरह ट्रे० यू० काँग्रेस के टुकड़े होजाने और एक नये नरम संगठन के ज़ायम होजाने में मैं प्रायः एक खानोश तमाशबीन बना रहा। चाँती तौर पर मुझे यह महसूस हुआ कि दाहिने पक्ष के दलों का अलग हो जाना मुनासिब न था, मगर बायें पक्ष के कुछ नेताओं ने ही इन काम को जल्दी करवा दिया और उन्हें अलग हो जाने का पूरा-पूरा बहाना दे दिया। दाहिने और बायें पक्षों के झगड़ों में बीच के बड़े भारी दल को कुछ-कुछ वेवसी मालूम हुई। अगर इन दल का पय-प्रदर्शन ठीक तरह किया गया होता तो शायद इनमें उन दोनों दलों को समय में रक्खा होता और ट्रे० यू० काँग्रेस में फूट पड़ने से बचा ली होती, और अगर अलग-अलग टुकड़े भी होते तो उसके इनमें सराब नतीजे न होते जितने कि हुए।

उस समय जो कुछ हुआ उसमें मद्रास-संगठन के आन्दोलन को एक अवसरदस्त धक्का लगा, जिससे वह अनीतिक सम्बल नहीं सका है। सरकारने मद्रास-आन्दोलन के आगे बढ़े हुए दलों पर पहले ही ने हमला

शुरू कर दिया था, और उसका पहला फल हुआ मेरठ वाला मुकदमा। सरकार का हमला जारी रहा। मालिकों ने भी देखा कि अपने लाम की पूर्ति के लिए यही ठीक मौका है। १९२९-३० के जाड़े में ससार-व्यापी मन्दी शुरू हो ही गई थी। आर्थिक मन्दी के घबके से, सब तरह से हमला किये जाने से, और अपने ट्रेड-यूनियन संगठन की हालत उस समय बहुत ही कमजोर होने के कारण, हिन्दुस्तान के मजदूर-वर्ग के लिए बड़ी कठिनाई का जमाना आगया। वे लाचार होकर देख रहे थे कि उनकी हालत दिन-ब-दिन गिरती जा रही है। इसके बाद भी या दूसरे साल एक और टुकड़ा—कम्यूनिस्ट हिस्सा—ट्रेडयूनियन-कांग्रेस से अलहदा होगया। इस तरह उसूलन हिन्दुस्तान में मजदूर-सबों के तीन संगठन बन गये—एक नरम दल, एक मुख्य टी० यू० सी० दल, और एक कम्यूनिस्ट-दल। अमली शकल में ये सभी कमजोर और वेकार हो गये, और उनके आपसी झगड़ों से आम कारीगर ऊब उठे थे। १९३० के बाद से मैं इन सबसे अलग था, क्योंकि मैं तो ज्यादातर जेल में रहा, जब कभी बीच-बीच में मैं जेल से बाहर आता था तो मुझे मालूम होता था कि सब में एकता होने की कोशिश की जा रही है। मगर वे काम-याब न हुईं। नरम दल के यूनियनों के साथ रेलवे कारीगरों के रहने से उनकी ताकत बढ गई। दूसरे दलों के मुकाबले में उनको एक फायदा यह था कि सरकार उनको तसल्लीम करती थी, और जिनेदा की मजदूर-कान्फेरो के लिए उनकी सिफारिशों की मजूर बन गयी थी। जिनेदा जाने के लालच में भी कुछ मददर-नेता उनकी तरफ तिन गये और वे अपने साथ अपनी यूनियन को भी उतर नीच ले गये।

१. इसके बाद ट्रेड-यूनियनों में एकता पैदा करने की कोशिश ज्यादा कामयाब हुई है, और मुस्तलिक दल अब आपस में एक तरह के मर्दोंग से काम कर रहे हैं।

: २८ :

पूर्ण स्वाधीनता और उसके बाद

मेरी स्तुति में लाहौर-काग्रेस की तन्वीर आज भी नाफ खिची हुई है। यह झुदरती भी है, क्योंकि नने उनमें सबसे बड़ा हिस्सा लिखा था, और थोड़ी देर के लिए तो मैं रंग-मच के केन्द्र में ही था और उन भीड़-नन्मड के दिनों में मेरे दिल में जो-जो भावनाएँ पैदा हुईं उनके खयाल ने नुस्खे आनंद होना है। लाहौर के लोगों ने मेरा जैसा आनंद स्वागत किया, जो लोगों की मादाद और दिल की गहराई दोनों में बहुत बढ़ा-चढ़ा था, उसे मैं कभी नहीं भूल सकता। मैं अच्छी तरह जानता था कि यह अथाह उत्साह मेरे लिए व्यक्तिगत नहीं था, बल्कि एक प्रतीक के लिए, एक आदर्श के लिए था। अगर किसी आदमी के लिए यह भी कोई कम बात नहीं है कि वह, थोड़े समय के लिए ही सही, बहुत लोगों की आँखों में और दिलों में वैसा प्रतीक बन जाय। मेरे आनंद का पार न था और मैं मानो अपने व्यक्तित्व को भयांदा को पार कर रहा था। अगर मुझपर क्या अनर हुआ, इसकी कोई अहमियत नहीं है। क्योंकि वहाँ तो बड़े-बड़े नवाजात नामने थे। सारा वातावरण जोश ने भरा हुआ था और अवसर की गम्भीरता का खयाल सब ओर छाया हुआ था। हमें निर्झं नुक्ताचीनी या विरोध या राय के इफ़हार के ही ठहराव नहीं करने थे, मगर हमें ऐसी लड़ाई का आवाहन करना था जिससे सारा देश हिल जानेवाला था और जिनका असर लाखों की खिन्दगी पर पड़नेवाला था।

इस भविष्य में हमारे और हमारे देश के लिए क्या होनेवाला है, यह तो कोई भी नहीं कह सकता था, मगर निकट-भविष्य में क्या

होगा, यह तो साफ दिखाई देता था। हमारे लिए और हमारे प्रिय व्यक्तियों के लिए लडाई और तकलीफ सामने नजर आती थी। इस प्याल ने हमारे उत्साह में गभीरता ला दी थी, और हमें अपनी जिम्मेदारी से बहुत आगाह कर दिया था। हमने जो हरेक वोट दिया वह अपने आराम और सुख और पारिवारिक आनन्द और मित्रों के मिलने-जुलने को बिदाई का पैगाम था, और थी एकात्म के दिनों और रातों और शारीरिक और मानसिक कष्टों को दावन।

स्वाधीनता और स्वाधीनता की लडाई चलाने के लिए किये जाने वाले काम के भूताल्लिक खास ठहराव तो करीब-करीब एकमत से पास होगया, कई हज़ारों में से मुश्किल से बीस आदमियों ने उसके खिलाफ वोट दिया था, मगर असली वोटिंग एक छोटे मामले पर हुआ, जो एक तरमीम की शकल में आया था। वह तरमीम गिर गई और दोनों तरफ की रायों की तादाद चाहिए कर दी गई। खास ठहराव इत्तफाक से इकतीस दिसम्बर की आधीरात के घटे की चोट के साथ, जबकि पिछला साल गुञ्जरकर उसकी जगह नया साल आरहा था, मजूर हुआ। इस तरह ज्योही कलकत्ता-कांग्रेस की दी हुई एक साल की मोहलत खत्म हुई त्योही नया फैसला किया गया और लडाई की तैयारी शुरू की गई। काल का चक्र तो चल गया, मगर फिर भी हम यह नहीं जानते थे कि हमें कैसे और कब शुरुआत करनी चाहिए। अ० भा० कांग्रेस कमिटी को हमारी लडाई की योजना बनाने और उसको चलाने का अह्तयार दिया गया, मगर सब जानते थे कि असली फैसला तो गांधीजी के हाथ है।

लाहौर-कांग्रेस में नज़दीक के ही सीमाप्रान्त से बहुत लोग आये थे। इस प्रान्त से व्यक्तिगत प्रतिनिधि तो कांग्रेस की बैठक में हमेशा आया ही करते थे। पिछले कुछ बरसों से खान अब्दुलगफ्फारखाँ हमारे अधि-

बेघानो में आया और हिस्सा लिया करते थे। मगर लाहौर में पहली बार सीमाप्रान्त से सच्चे नौजवानों का एक बड़ा दल आकर अखिल-भारतीय राजनैतिक लहर के सम्पर्क में आया। उनके ताज्जा दिमागों पर बड़ा असर पड़ा, और वे यह खयाल और जोग लेकर गये कि वे आजादी की लड़ाई में सारे हिन्दुस्तान के साथ हैं। वे सीधे-सादे मगर बड़ा काम करनेवाले लोग थे। उन्हें हिन्दुस्तान के दूररे प्रान्तों के लोगों की तरह महत्त्व बातचीत करने और बाल की खाल खींचने की आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने अपने लोगों को संगठित करना और उनमें नये खयालात फैलाना शुरू किया। उन्हें कामयाबी भी मिली, और सीमाप्रान्त के स्त्री-पुरुष, जोकि हिन्दुस्तान की लड़ाई में सबसे पीछे शामिल हुए थे, १९३० से नुमार्या और बड़ा हिस्सा लेने लगे।

लाहौर-कांग्रेस के बाद ही, और उसकी हिदायत के मुताबिक, मेरे पिताजी ने अमेम्बली के काँग्रेसी मेम्बरो को अपनी-अपनी जगहों से इन्तीफा दे देने को कहा। करीब-करीब सभी एकसाथ बाहर आगये। कुछ इने-गिने लोगों ने ही बाहर आने से इन्कार किया, हालाँकि इसने उनके चुनाव के इकरारों की खिलाफत खींची होती थी।

फिर भी आगे के वारे में हमें कुछ साफ सूझना न था। हालाँकि कांग्रेस-अधिवेशन में बड़ा जोश दिखाई देता था, मगर रिपीकी मालूम न था कि देश लड़ाई के कार्यक्रम का कहींक साथ देगा। हम इतने आगे बढ़ गये थे कि अब पीछे नहीं जा सकने थे। मगर देश का रख क्या होगा, इसका करीब-करीब त्रिलकुल पता न था। अपनी लड़ाई को धरु करने के लिए और देश की नब्ब भी पहचानने की दृष्टि ने छब्रीन जनवरी को आजादी-दिवस मनाना तय हुआ। इस दिन देशभर में आजादी की प्रतिज्ञा छी जानेवाली थी। ✓

इस तरह अपने कार्यक्रम की बाबत शकामील मगर कुछ-न-कुछ

कारगर काम करने की इच्छा और उत्साह से हम घटनाओं के इतजार में रहे। जनवरी के शुरू में मैं इलाहाबाद में था, मेरे पिताजी ज्यादातर बाहर थे। यह एक बड़े भारी सालाना मेले, भाष मेले, का वकन था। शायद वह खास कुम का साल था, और लाखों स्त्री-पुरुष लगातार इलाहाबाद में, या यात्रियों की भाषा में प्रयागराज में, आ रहे थे। वे सब तरह के लोग थे। खासकर किसान थे, और मजदूर, दूकानदार, कारीगर, व्यापारी, औद्योगिक और ऊँचे पेशेवाले लोग भी थे। वास्तव में हिन्दुओं में से सभी तरह के लोग आये थे। जब मैं इस बड़ी भीड़ को और नदी पर जाते और आते हुए लोगों की अटूट धारा को देखता तो मैं सोचा करता कि ये लोग सत्याग्रह और शान्तिपूर्ण सीधे हमले की पुकार का कितना साथ देंगे ? इनमें से कितने लोग लाहौर के ठहरावों को जानते हैं या उनकी परवा करते हैं ? उनका वह विश्वास कितना आश्चर्यजनक और मजबूत था कि जिससे वे और उनके वृजुर्ग हजार्गो वरसों से हिन्दुस्तान के हर हिस्से से पवित्र गंगा में स्नान करने के लिए चले आते थे। क्या वे इस ब्रेहद ताकत को अपनी ही श्रिन्दगी सुधारने के लिए राजनैतिक और आर्थिक कार्य में नहीं लगा सकते ? या क्या उनके दिमागों में धर्म का ग्राह्याचार और दकियानूसीपन इतना भर चुका है कि उनमें दूसरे खयालात की गुजाइश ही नहीं रही ? मैं तो यह जानता ही था कि ये हमारे खयालात उसमें पहुँच चुके हैं, जिनसे सदियों की शान्त निश्चितता में खलबली पैदा हो गई है। इन अस्पष्ट विचारों और आकांक्षाओं की हलचल के जनता में फैलने से ही पिछले वारह वरसों में बड़े-बड़े उतार-चढाव आये थे, जिनसे हिन्दुस्तान की सूरत ही बदल गई है। इन विचारों के अन्तित्व के विषय में और उनकी बड़ी भारी ताकत के बारे में तो कोई शक ही नहीं था। मगर फिर भी शक पैदा होता, और सवालान्त उठते थे, जिनका तत्काल कोई जवाब न था। ये खया-

लात कितने फँल चुके हैं ? उनके पीछे कितनी ताकत है, सगठित काम करने की कितनी काबलियत है, लम्बे धैर्य की कितनी शक्ति है ?

हमारे घर को देखकर यात्रियों के झुण्ड आ जाते थे। वह एक तीर्थ-स्थान, भारद्वाज-आश्रम, के पास ही पडता था, जहाँ पुराने ज़माने में एक विद्यापीठ था। मेले के दिनों में सुबह से शाम तक वेशुमार लोग हमसे मिलने को आते रहते थे। मेरे खयाल से ज्यादातर लोग तो कौतूहल से, और जिन बड़े आदमियों का नाम उन्होंने सुन रक्खा है उन्हें, खासकर मेरे पिताजी को, देखने की इच्छा से आते थे। मगर आनेवालों में ऐसे भी बहुत-से लोग थे जिनका झुकाव राजनीति की तरफ था, और वे कांग्रेस के वारे में, उसमें क्या तय हुआ, और आगे क्या होने वाला है, ये सवालालत पूछते थे। वे अपनी आर्थिक कठिनाइयाँ मुनाते थे और पूछते थे कि उनकी वास्तव उन्हें क्या करना चाहिए ? हमारे राजनैतिक नारे उन्हें खूब याद थे, और सारे दिन मकान उन्हींसे गूँजता रहता था। उस दिन मैंने पहले तो, जैसे-जैसे बीस, पचास या सौ आदमियों का झुण्ड एक के बाद एक आता था, हरेक से थोड़े शब्द कहना शुरू किया। मगर जल्दी ही यह काम अनम्भव हो गया, और फिर वे जब आते थे तो मैं चुपचाप नमस्कार कर लेता था। मगर इनकी भी हृद थी। फिर तो मैंने छिप जाने की कोशिश की। मगर यह सब फिजूल था। नारे ज्यादा-ज्यादा तेज़ लगने लगे, मकान के बरामदे इन मिलनेवाले लोगों से भर गये और हरेक दरवाजे और खिडकी में से बहुत-से लोग हमें झानने लगे। कुछ काम करना या बातचीत करना या भोजन करना भी मुश्किल हो गया। इसने सिर्फ परेगानी ही नहीं होती थी बल्कि झुल्लाहट और घिट भी होती थी। मगर फिर भी वे लोग तो आते ही थे। वे अपनी प्रेम-भरी चमकती आँखों में देख रहे थे, जिनमें पीडियों की शरीरों और मुसीबतें झलक रही थीं, और हमारे ऊपर अपनी श्रद्धा

और प्रेम बरसा रहे थे, और उसके बदले में सिवा भ्रातृ-भाव और सहानुभूति के कुछ नहीं मांगते थे। इस प्रेम और श्रद्धा की प्रचुरता के प्रभाव में हृदय को अपनी अल्पता का अनुभव हुए बिना नहीं रह सकता था।

एक महिला, जो हमारी प्रिय मित्र थी, उस वक्त हमारे यहाँ ठहरी हुई थी। अक्सर उनसे बातचीत करना भी कठिन हो गया था, क्योंकि चार-चार पाच-पाँच मिनट में मुझे आये हुए झुड को कुछ-न-कुछ कहने के लिए बाहर जाना पड़ता था, और बीच-बीच में हमें बाहर के नारे और शोरगुल सुनाई देता था। मेरी परेशानी में उन्हें कुछ हँसी-मीठाई, और साथ ही, मेरा खयाल है यह समझकर कि मैं जनता में बहुत लोक-प्रिय हूँ, वह प्रभावित भी हुई। (सच बात तो यह थी कि लोग खासकर मेरे पिताजी को देखने के लिए आते थे, मगर चूँकि वह बाहर गये हुए थे, मुझे ही लोगों के सामने जाना पड़ता था।) उन्होंने अचानक मेरी तरफ मुड़कर मुझसे पूछा, कि मैं इस बीर-पूजा को कैसा पसन्द करता हूँ और क्या इनका मुझे फायदा नहीं होता? जवाब देने में पहले मैं योजनिका और उसमें उन्होंने नमस्सा कि गायद उन विलगुल जानी नबारु मे उन्हे मुझे परेशानी में डाल दिया। उन्होंने इसके लिए माफी चाही। इनके मवाल में मुझे परेशानी विलगुल नहीं हुई, मगर मुझे मजाक का जवाब डूँटना बड़ा मुश्किल मालूम हुआ। मेरा दिमाग बहुत बाने नीचने लगा और मैं अपनी भावनाओं और विचारों का विश्लेषण करने लगा। वे अनेक प्रकार के थे। यह मन्त्र था कि, पाय इन्मन्त्र मे ही। मैं जनता में बड़ा लोकप्रिय हो गया था। पहले-उन्हे लोगों में मेरी नदर टोनी थी। नीचतान र्थ-पुरुषो वा तो एर प्रकार मे में बीर—कृष्णा—उन रगा था और उसरी निगाह में मेने ज्ञानपाग मुष्ट र्थिन्ना की अन्ना दिग्दर्ष पडनी थी। मेरे धारे में माने नैमार हो गये थे बीर ऐरी-मेरी इन्मन्त्री

कहानियाँ घड ली गई थी जिन्हे सुनकर हँसी आती थी। मेरे विरोधी भी अक्सर मेरे लिए अच्छी राय चाहिर करते थे, और बुजुर्गना ढग से कहते थे कि मुझमें काबलियत या ईमानदारो की कमी नहीं है।

शायद किसी महात्मा या बड़े भारी हैवान पर ही इन सब वातो का असर नहीं हो सकेगा। मगर मैं तो अपने को दोनो में से एक भी नहीं मानता। बस, ये वाते मेरे दिमाग में बैठ गईं। उन्होने मुझ पर थोडा नशा चढा दिया और मुझको हिम्मत और ताकत दी। मेरा यह अन्दाज है, (क्योकि बाहर से अपने-आपको समझ लेना मुश्किल काम है,) कि मैं अपने काम-काज में थोडा एक-तन्त्री और कुछ हाकिमाना बन गया। मगर फिर भी, मेरा खयाल है कि, मेरा गरूर कुछ ज्यादा नहीं बढ़ा। मुझे खयाल हुआ कि मुझमें भी काफी वातो की लियाकत है और उनके सम्बन्ध में मैं ऐसा नाचीज नहीं हूँ। मगर मैं यह भी खूब जानता था कि यह कोई विलक्षण बात नहीं है, और मुझे अपनी कमजोरियो का भी बहुत खयाल था। आत्म-निरोक्षण की आदत ने ही गायद मुझे ठिकाने रखने में मदद दी और इसी से मैं अपने सम्बन्ध की कई घटनाओ पर अनासक्त दृष्टि से गौर कर सकता था। सावजनिक जीवन के तजुबों ने मुझे बता दिया कि लोकप्रियता तो अक्सर अवाञ्छनीय व्यक्तियो के पास रहती है, वह यकीनन भलाई या अकलमन्दी का ही आवश्यक चिन्ह नहीं होती। तो क्या मैं अपनी कमजोरियो के सबब से लोकप्रिय था, या अपने गुणों के सबब से? सचमुच मैं लोकप्रिय किस कारण से था?

इसका सबब मुझमें दिमागी काबलियत का होना नहीं था। क्योकि मुझ में दिमागी काबलियत कोई गैरमामूली नहीं थी और कम-से-कम इसीसे ही लोकप्रियता नहीं मिलती, और 'कुर्बानी' कहे जानेवाले कामो ने भी मेरी लोकप्रियता नहीं थी, क्योकि यह सभी जानते हैं कि हमारे ही नमय में हिंदुस्तान में सैकडो और हजारो आदमियो ने मुझसे बेहद

ज्यादा तकलीफें उठाई हैं और आखिरी कुर्बानी तक की है। मैं बडा वीर था सूरमा हूँ, यह गोहरत विलकुल झूठी है। मैं अपने-आपको वीरोचित विलकुल नहीं समझता और जीवन में वीरो का-सा ढंग या उसकी नकल और दिखावा करना मुझे विलकुल वाहियात बात मालूम होती है। प्रेमगीर्य की अद्भुतता का मुझ में नाम भी नहीं है। यह सही है कि मुझमें कुछ शारीरिक और दिमागी हिम्मत है, मगर उसकी बुनियाद तो है शायद अभिमान—अपना, अपने खानदान का और अपने राष्ट्र का अभिमान, और किमी के भी दबाव में कुछ न करने की वृत्ति।

मुझे अपने सवाल का सन्तोषजनक जवाब नहीं मिला। तब मैं दूसरे ही तरह उसकी खोज में लग गया। मुझे पता लगा कि मेरे पिताजी और मेरे घारे में एक बहुत प्रचलित कहावत यह है कि हम हर हफ्ते अपने कपड़े पेरिस की किमी लॉण्ड्री में धुलने को भेजते थे। हमने इसकी कई बार तरदीद की है, फिर भी यह बात प्रचलित ही है। इससे ज्यादा अजीब वाहियात बात की कल्पना भी मैं नहीं कर सकता। अगर कोई इतना मूर्ख हो कि वह ऐसे झूठे बयानों के आगे हम तरह की फिजूलखर्ची करे, तो मैं समझता हूँ कि वह अवरग दर्जे का उन्तू भी समझा जायगा।

इसी तरह से एक दूसरी दन्तव्या, जो कि तरदीद करने पर भी प्रचलित है, यह है कि मैं प्रिम ऑफ वेल्थ के माय न्यू में पढ़ता था। यह भी गहा है कि जब १९२१ में वह हिन्दुस्तान गये तब उन्होंने मुझे बुलाया था, पर तब यकन में जेल में था। स्वयं बात तो यह है कि मैं न तो स्कूल में हूँ उनके साथ पढ़ा हूँ, न मुझे उनके विषय में बात करने का ही मौका हुआ है।

मेरे कहने का मतलब यह नहीं कि मेरी घोषणा या लेख-रिपण्ड इन या ऐसी कहानियों के बदीला ही है। दन्तव्या ज्यादा बढ़ा-मुक्ति-

याद भी हो सकती है। मगर इनमें एक नहीं कि इसमें बडप्पम को बात बहुत शामिल है, जैसा कि इन कहानियों से जाहिर है। कुछ भी ही। भावना यह है कि पहिले में बड़े-बड़े लोगों ने मिलना-जुलता था, और बड़े ऐश-आराम की चिन्दगी गुजारना था, और फिर मैंने वह सब त्याग दिया। हिन्दुस्तानी दिमाग त्याग को बहुत अच्छा समझता है। मगर हम कारण से मेरी धोहरत हो, यह मुझे बिलकुल अच्छा नहीं लगता। मुझे निष्क्रिय गुणों की बनिस्वन मन्त्रिय गुण ज्यादा पसन्द है, और कवल त्याग और बलिदान को मैं अच्छा नहीं समझता। मैं उनकी दूसरी ही दृष्टि से क्कर करता हूँ—यानी माननिक और आब्यात्मिक तालीम के तौर पर, जैसे कि क्करती आदमी को अच्छी तन्दुरुस्ती रखने के लिए सादा और नियमित जीवन रखना जरूरी है। और जो लोग महान् कार्यों में पडना चाहते हैं उनमें मल्ल आघातो के होने पर भी सहन और धैर्य की क्षमता होना जरूरी है। मगर जीवन की त्यागमय दृष्टि, जीवन के निषेव, उनके भान्दो और अनुभूतियों से भयपूर्वक दूर रहने की तरफ मुझे रचि या आकर्षण नहीं है। मैंने किसी भी चीज को जिसका मैंने वास्तव में भूत्व नमझा, जानबूझकर त्याग नहीं किया है, मगर, हाँ, चीजों का मूल्य मव समय समान नहीं रहता है।

एक महिला-मित्र ने मुझसे जो सवाल पूछा था उसका जबाब फिर भी नहीं मिला। क्या मैं बीड़ को इस चीर-पूजा से गर्म अनुभव नहीं करता? मैं तो इसे मापमन्द करता था, और इससे दूर भाग खाना चाहता था। मगर फिर भी मैं इसका आदी हो गया था। और जब यह बिलकुल न होती थी तो इसका अभाव भी मालूम होता था। दोनों ही तरह में मुझे तसल्ली नहीं थी। मगर कुल मिलाकर, बीड़ ने मेरी एक कन्दरूनी जरूरत पूरी कर दी। मैं उनपर अमर डाल सकता हूँ, और उनमें काम करवा सकता हूँ, हम खयाल में मुझमें उनके दिल और

दिमाग पर अधिकार होने की एक भावना आ गई थी। हमसे किसी हद तक मेरी सत्ता की इच्छा पूरी होती थी। और वे लोग तो अपनी तरफ से मुझपर एक अजीब तरह का जुल्म करते थे, क्योंकि उनके विश्वास और प्रेम से मेरा अन्तस्तल हिल जाता था, और उसके जवाब में मेरे दिल में भी भावुकता का संचार हो जाता था। हालाँकि मैं व्यक्तिवादी हूँ, मगर कभी-कभी मेरे व्यक्तिवाद की दीवारें भी टूट-सी जाती थीं, और मुझे ऐसा लगता था कि इन दुखिया लोगों के साथ-साथ मुसीबतों में रहना, अलग रहकर बचे रहने की वनिस्वत, अच्छा है। मगर वे दीवारें हटनेवाली न थी, और मैं उन्हींके ऊपर से आश्चर्य-भरी आँखों से इस गम्य घटना की तरफ देखा करता था।

अभिमान की तह आदमी पर, चर्ची की तरह, धीरे-धीरे अनजाने चढती रहती है। यह जिस आदमी पर चढती है उसे पता नहीं पड़ता कि रोजाना कितनी चढती जाती है। मगर खुशकिस्मती से इस पागल दुनिया की सस्त चोटों से वह कम भी हो जाती है या बिल्कुल चतुर भी जाती है। हिन्दुस्तान में तो पिछले वर्षों में हमपर इन सस्त चोटों की कोई कमी नहीं रही है। जिन्दगी का स्कूल हमारे लिए बहुत सस्त रहा है, और कष्ट-सहन दरबसल बड़ा सस्त काम लेनेवाला मास्टर है।

एक दूसरी बात में भी मैं खुशकिस्मत रहा हूँ। मेरे परिवार के लोग, दोस्त और साथी ऐसे रहे हैं, जिन्होंने मुझे ठीक निगाह रखने में और अपना दिमाग विगडने न देने में मदद दी है। सार्वजनिक उत्सवों, म्युनिसिपैलिटियों, स्थानिक बोर्डों और दूसरी सार्वजनिक सभ्याओं की तरफ से अभिनन्दनों और जुलूसों वगैरा से मेरे दिमाग, मेरी विनोद-प्रियता और वास्तविकता की भावना पर बड़ा बोझ पडता था। इन मौकों पर बहुत लम्बी-चौड़ी और शानदार भाषा इस्तमाल होती थी, और हरेक आदमी इतना गभीर और भला बनता था कि इस सबको

देखकर मेरी यह जवरदस्त स्वाहिसा होती थी कि मैं हूँस पड़ू या अपनी जवान बाहर निकाल दूँ या सिरके बल उन्टा खडा होजाऊँ, सिर्फ इसलिए कि उस गभीर सम्मेलन में लोगो के चेहरो पर इसका कंसा धक्का लगता और क्या असर होता है यह मैं देखूँ और इसका मञ्जा लूँ। मगर खुशकिस्मती से अपनी शोहरत के सबब से, और इसलिए कि हिन्दुस्तान के सार्वजनिक जीवन में गभीरता ही आदरणीय समझी जाती है, मैं अपनी इस अनियमित इच्छा को रोक लेता था, और आमतौर पर ठीक औचित्य से ही बर्ताव करता था। मगर, हमेशा नहीं। किसी-किसी भारी मीटिंग में, या ज्यादातर अक्सर जुलूसों में, जिनसे मैं बहुत परेशान होजाना हूँ, मैंने कभी-कभी कोई प्रदर्शन कर दिया है। कभी-कभी हमारे सम्मान में निकाले जानेवाले जुलूसो को मैं अचानक छोड देता था और मोड में अनजाने शामिल होजाता था। मैं अपनी पत्नी को था और किसी को जुलूम की गाडी में ही बैठा छोड देता था।

अपनी भावनाओ को हमेशा दबाये रखने की इस कोशिश और लोगो के सामने किसी खास ढंग से बर्ताव करने के कारण दिमाग पर बडा बोरो पडता है, और नतीजा यह होता है कि सार्वजनिक मौको पर आदमी गभीर चेहरा बनाये रहता है। शायद इसी लिए एक हिन्दी मामिरू-पत्रिका के लेख में एक दफा लिखा गया था कि मैं हिन्दू-विधवा की तरह हूँ। हालाँ कि मैं पुराने ढंग की हिन्दू विधवा की बडी इज्जत करता हूँ, फिर भी मुझे इस वर्णन से धक्का लगा। लेखक का जाहिरा मतलब यह था कि उसके खयाल से मुझमें अपने-आपको नम्रता-पूर्वक समर्पित कर देने, त्याग, और बिना कभी हसी-मजाक किये हमेशा काम में लगे रहने के कुछ गुण थे, जिनकी वह तारीफ करता था। मेरा तो खयाल था कि, मुझमें अधिक क्रियाशीलता और तेजी है, और मजाक बरने और हँसने की योग्यता भी है। और नि सदेह मैं चाहता हूँ कि

ये गुण हिन्दू-विषयवादी में भी चाहिए। गांधीजी ने एक बार एक मिलनेवाले से कहा था, कि अगर मुझमें विनोद का माहा न होता तो शायद खुद-बुझी या ऐसा ही कुछ कर गुजरता। मैं इतनी हद तक तो जाना नहीं चाहता, मगर जिन्दा रहना मेरे लिए तो प्रायः असंभव हो जाता, अगर मेरी जिन्दगी में कुछ लोग हँसी-मजाक की कुछ मात्रा न डालते रहते।

मेरी लोकप्रियता पर और बड़े-बड़े मान-पत्रों पर, जो मुझे मिला करते थे, जिनमें (जैसा कि वास्तव में हिन्दुस्तान के सभी मानपत्रों में होता है) बड़ी चुनी हुई और लच्छेदार भाषा और लम्बी-चौड़ी तारीफ भरी रहती थी, मेरे परिवार के और मित्र-मण्डली के लोग बड़ा मजाक उड़ाया करते थे। राष्ट्रीय आन्दोलन के प्रमुख आदमियों के लिए जैसे ऊँचे और शानदार लफ्फ और अलकाव अक्सर इतना माल होते हैं, वैसे शब्दों को मेरी पत्नी और बहनों और दूसरे लोग पकड़ लेते थे और उनका मौके बेमौके मेरा किसी तरह लिहाज किये बिना प्रयोग करते रहते थे। वे मुझे 'भारत-भूषण' और 'त्याग-मूर्ति' आदि कहा करते थे, और इस विनोद-पूर्ण से मुझे भी तसल्ली मिलती थी, और उन गँभीर सार्वजनिक सभाओं की जहाँ मुझे बहूत शिष्टता का वर्तव कर दिखाना पड़ता था, थकावट धीरे-धीरे दूर हो जाती थी। इस मजाक में मेरी छोटी-सी लडकी भी शामिल हो जाती थी। सिर्फ मेरी माताजी ही इस बात पर जोर दिया करती थी कि मुझसे अदब का व्यवहार किया जाय। अपने प्यारे पुत्र के साथ ज्यादा मजाक या दिल्लगी होने का वह कभी पूरा समर्थन नहीं करती थी। इससे मेरे पिताजी का भी कुछ मनोरंजन हो जाता था। वह अपने विचारों और भावों को चुनचाप प्रदर्शित करने का एक खास तरीका रखते थे।

मगर इन नारे लगानेवाले मजमो, बेलुत्फ और थकानेवाले सार्व-जनिक उत्सवों और अनन्त बहसों और राजनीति के घूम-धक्कों का मुझ-

पर निर्रंग ऊपरी अमर होना था, हालाँकि यह अनर कमी-कमी तब और गहरा होता था। मगर मेरा असली मरप मेरे अन्दर चल रहा था। मेरे विचारों और इच्छाओं का निष्ठाया में मरप चल रहा था। मेरे मस्तिष्क की अन्तर्भावनायें बाहरी परिस्थितियाँ ने प्रगड रहीं थीं। मेरी शान्तरिक भूख बुझी न थी। मैं एक लड़ाई का नैदान बन गया था, जहाँ तरह-तरह की ताकतें एक-दूसरे को जीत लेने की कोशिश कर रही थी। मैं इतने छुटकाग चाहता था। मैंने मायब्रज्य और चित्त की समता बूझने की कोशिश की, और इन्हीं प्रयत्न में लड़ाई में कूद पड़ा। इसने मुझे शान्ति मिली। बाहरी मरप ने नीतरी सघर्ष की तेजी को कम कर दिया।

मैं जेल में बैठा हुआ यह सब क्यों लिख रहा हूँ ? मैं चाहे जेल में होऊँ या जेल के बाहर, लेकिन मेरी तलम्य फिर भी वही है और मैं अपने पिछले विचार और अनुभव इस बागा से लिख रहा हूँ कि इससे मुझे शान्ति और मानसिक सतोप मिल सके।

: २६ :

सविनय भंग शुरू

स्वाधीनता-दिवस, २६ जनवरी १९३०, आया और बिजली की चनक की तरह से उमने हूँ वता दिया कि देश में सरगर्मी और उत्साह है। उस दिन हर जगह बड़ी-बड़ी सनायें हुईं जिनमें बगैर भाषणों या विवेचनों के, शान्ति और गभीरता से, लोगो ने बापदादी की प्रतिज्ञा ली। सनायें और जुलूस बड़े प्रभावशाली थे। गांधीजी को इस दिवस से आवश्यक बल मिल गया, और जनता को नब्ब की ठीक पहचान

१. यह प्रतिज्ञा परिशिष्ट नं० १ में दी हुई है।

रखने के कारण उन्होंने समझ लिया कि लडाईं छेड़ने का यह ठीक वक्त है। इसके बाद तो घटनायें एक के बाद एक इस तरह घटित होने लगी, जैसाकि किसी नाटक में रस की पराकाष्ठा होते समय होता है।

जैसे-जैसे सविनय भंग नज़दीक आता गया और लोगों में जोश बढ़ता गया, वैसे-वैसे हमारे खयालात इस बात की तरफ गये कि किस तरह १९२१-२२ का आन्दोलन चला था और चोरीचोरा के बाद वह एकाएक मुत्तबी कर दिया गया था। तबसे अब देश में अनुशासन ज्यादा था और अब लोग ज्यादा साफ तौर पर समझ गये थे कि यह लडाईं किस किस की है। उसका तरीका तो किसी हद तक समझ ही लिया गया था। मगर हर आदमी ने यह भी पूरी तरह महसूस कर लिया कि गाँधीजी अहिंसा पर उत्कट रूप से जोर देते हैं, और यह बात गाँधीजी की दृष्टि से ज्यादा ज़रूरी थी। दस साल पहले कुछ लोगों के दिमागों में शायद इस बात शक रहा हो, मगर अब तो बैसा शक नहीं हो सकता था। फिर भी, हमें इसका पक्का विश्वास कैसे हो सकता था कि किसी स्थान पर अपने-आप या किसी साज़िश से हिंसा का कोई काण्ड न हो जायगा? और अगर ऐसी कोई घटना हुई, तो उसका हमारे सविनय भंग-आन्दोलन पर क्या असर होगा? क्या वह पहले की ही तरह अचानक बन्द कर दिया जायगा? यही सम्भावना सबसे ज्यादा बेचैन कर रही थी।

गाँधीजी ने भी शायद इस सवाल पर अपने खास ढंग से विचार किया, हालाँकि जिस समस्या की उन्हें चिन्ता मालूम होती थी, जहाँ तक मैं कभी-कभी बातचीत करके समझ सका, वह दूसरे ही ढंग से उनके सामने उपस्थित थी।

सुधार करने के लिए अहिंसात्मक ढंग की लडाईं करना ही उनकी निगाह में सच्चा तरीका था, और अगर ठीक तरह से उसपर अमल

निया नाय नो वही अच्छे भी है। तो क्या दर रखा जाना चाहिए कि इन तरीके को जमल में लाने और जागृत बनाने के लिए सामान्य पर कोई बहुत अनुकूल वातावरण चाहिए, और जगत् वादरी हलत के उनके माफिक न हों तो इनको काम में नहीं लाया जाएगा ? हमने भी यह नतीजा निकालता है कि अहिंसात्मक तरीका हर राज्य के लिए ठीक नहीं है, और इन तरह यह न तो मार्चमार्ग तरीका नहीं मानता है, न अच्छे। मगर यह नतीजा गांधीजी के लिए अत्यन्त या, क्योंकि उनका पक्का विश्वास था कि यह तरीका मार्चमार्ग भी है और जयन्त भी। इसलिए बाहरी हालत के नामाफिक होने पर भी, और जगत् और हिंसा के होते रहते भी, यह तरीका अवश्य काम में आ सकता है। बदलती हुई हालतों में उसके जमल का टग भी बदलना रहे सकता है, मगर उसका बन्द किया जाना तो खुद इन तरीके की विकलता को मान लेना होगा।

सम्भव है वह इन प्रकार से मोचते होंगे, मगर मैं उनके विचारों को निश्चय से नहीं कह सकता। उन्होंने हमें यह तो कुछ-कुछ बता ही दिया कि अब उनकी विचार-पद्धति में थोड़ा फर्क हो गया है, और जब सविनय भंग आवेगा तो किसी एकध हिंसात्मक क्राण्ड से उनका बन्द किया जाना जरूरी नहीं है। मगर यदि हिंसा किमी आन्दोलन का ही हिस्सा बन जायगी, तो वह शान्तिपूर्ण सविनय-भंग-आन्दोलन न रहेगा और उनकी हलचलों को बन्द करना या बदलना पड़ेगा। इस आश्वासन से हम बहुतेरों को बहुत हद तक सतोष हुआ। अब नवके सामने बड़ा सवाल यह था, कि यह किया कैसे जाय ? शुरुआत किस तरह हो ? किस प्रकार का सविनय-भंग हम चलावे, जो कारगर हो, परिस्थिति के अनुकूल हो और जनता में लोकप्रिय हो ? इतने ही मैं गांधीजी ने इसकी तरकीब बताई।

नमक अचानक एक रहस्यपूर्ण शब्द, एक बलपूर्ण शब्द, बन गया। नमक-कर पर हमला करना चाहिए। नमक-कानून को तोड़ना चाहिए। हम हैरत में पड़ गये। नमक का राष्ट्रीय सत्राम हमें कुछ अटपटा मालूम हुआ। दूसरी आश्चर्य में डालनेवाली बात हुई गांधीजी का अपनी ग्यारह वातो का प्रकाशित करना। कुछ राजनैतिक और सामाजिक सुधारों

१. सविनयभग के शुरू होने के पहले लार्ड अविन ने एक भाषण दिया था, उसके जवाब में गांधीजी ने 'यंग इंडिया' में एक लेख लिखकर बताया था कि यदि सरकार कुछ शर्तों का पालन करे तो देश के लिए सविनय भग करने का कारण न रह जाय। वे शर्तें ही ये ग्यारह मुद्दे हैं—

१—सम्पूर्ण मद्य-पान-निषेध।

२—रूपये की कीमत डेढ़ शिल्लिंग के बदले एक शिल्लिंग चार पैसे की जाय।

३—लगान पचास फी सदी कम किया जाय और उसे सोलहो आना धारा सभा के अकुश में रक्खा जाय।

४—नमक-कर रद्द किया जाय।

५. सैनिक खर्च कम किया जाय, फिलहाल आधा कर दिया जाय।

६. लगान कमी की पूर्ति बड़े अधिकारियों की तनदवाह पचास फी सदी कम करके की जाय।

७ विदेशी कपडे पर बहिष्कार-कर लगाया जाय।

८ समुद्र-तट पर देशी जहाजों के चलने का कायदा बनाया जाय।

९. हिंसा-काण्ड के अपराध के सिवा शेष सब राजनैतिक कर्दियों को छोड़ दिया जाय, तमाम राजनैतिक मुकद्दमें वापिस लिये जायें, १२४ अ धारा, और १८१८ का कानून रद्द किया जाय और जिन्हें देश निकाला दिया गया है उनका दरवाजा खोल दिया जाय।

१० खुफिया विभाग बन्द कर दिया जाय या लोक-नियंत्रण में रक्खा जाय।

११ आत्मरक्षा के लिए बन्दूक आदि रखने का परवाना दिया जाय और इस विषय को लोक-नियंत्रण में रक्खा जाय। —अनु०

शहर के रहनेवालों ने मंगला दि अथ शुक्रवादी का जगता का रू
 है। मगर किसानों ने तो इसमें गारर ही देता।

इसके बाद गांधीजी का वाचनमगम ने पत्र-पत्राण दृष्ट, और
 सावरमनी-आश्रम में दाण्डी की नमत-याता धुन ली। दिन-दर-दिन इस
 याता-दल के बढ़ने का हाल जैने-जैने जोग पड़ी है, देश में जोश ना
 पारा बढता जाता था। अहमदाबाद में अ० भा० कार्य-समिती की
 बैठक इस लड़ाई की वावत, जो प्राय हमारे गिरफ्तार आ चूरी थी,
 आखिरी व्यवस्था करने के लिए हुई। इस बैठक में हमारे नयाम ता
 नेता मौजूद नहीं था, क्योंकि वह तो अपने याता-दल के साथ समुद्र की
 ओर जा रहा था, और उमने वहाँ से लौटने में शक्य कर दिया।
 अ० भा० का० समिती ने योजना बनाई कि अग गिरफ्तारियाँ हो तो
 क्या-क्या क्रिया जाना चाहिए, और यदि वह समिती फिर बैठक न
 कर सके तो उसकी तरफ से कार्य-समिती के गिरफ्तार-शुदा लोगों की
 जगह खुद नये मेम्बर नियुक्त कर देने और अपने स्थान पर ऐसे ही
 अक्षयारात रखनेवाले अपने अनुयायी को नामजद करदेने के बड़े-बड़े
 अधिकार समापति को दिये गये। प्रांतीय और स्थानीय कांग्रेस कमि

टियो ने भी अपने-अपने सभापतियों को ऐसे ही अख्यारात दे दिये ।

इस तरह से वह जमाना शुरु हुआ जबकि 'डिक्टेटर' कहे जानेवाले लोग कायम हो गये और उन्होंने कांग्रेस की तरफ से सभ्राम का सचालन किया । इनपर भारत-मन्त्री और वाइसराय और गवर्नरो ने बड़ी नफरत जाहिर की और वे चीख-चीखकर कहने लगे कि कांग्रेस कितनी खराब और पतित हो गई है कि वह डिक्टेटरो को मानने लगी है, जबकि वे खुद तो मानो प्रजातन्त्रवाद के पक्के माननेवाले ही थे । कभी-कभी हिन्दुस्तान के नरम-दली अखबारो ने भी हमें प्रजातन्त्र के लाभो का उपदेश दिया । हम यह सब खामोशी से (क्योकि हम तो जेल में थे) और हैरत में होकर सुनते थे । वेशरमी और मन्कारी इससे ज्यादा क्या हो सकती थी ? इधर तो हिन्दुस्तान पर एकतन्त्री डिक्टेटर द्वारा बल-पूर्वक शासन हो रहा था, जिसमे आर्डिनेन्स कानून बन रहे थे और हर तरह की नागरिक स्वतन्त्रता दवाई जा रही थी, और उधर हमारे शासक प्रजातन्त्रवाद की चिकनी-चुपड़ी बातें कर रहे थे । और क्या मामूली हालत में भी, हिन्दुस्तान में प्रजातन्त्र की छाया भी कही थी ? अंग्रेजी हुकूमत अपनी ताकत और हिन्दुस्तान में स्थापित स्वार्थो की हिफाजत करे और उसकी सत्ता को हटानेवालो का दमन करे, यह तो बेशक उसके लिए कुदरती बात थी । मगर उसका यह कहना कि यह सब प्रजातन्त्री तरीका था, ऐसी बात है जो अगली पीढियों के गौर करने और तारीफ करने के लिए लिखकर रख ली जाय !

कांग्रेस ऐसी हालत में जानेवाली थी कि जब उसका मामूली ढग पर काम करना गैर-मुमकिन हो जाय, जब वह गैर-कानूनी करार देदी जाय, और गुप्त रूप के सिवा और किसी ढग से उसकी कामिटिया किमी परामर्श या किसी काम के लिए इन्हुा न हो सके । हमने पोशीदगी को बढावा नहीं दिया, क्योकि हम अपनी लडाई को बिलकुल खुली रखना

चाहते थे, जिम्मे कि हमारा नाम जैसा ग्रेंड ऑन एम इन्फा वर अन्वर
 डाक नके। एम पोसोदगो ने भी ज्यादा काम नहीं, नम नकता। बेंगल
 में, प्रान्तो ने जीर न्यानीय हल्को से नवान गद दरे-दरे श्री-पुरर तो
 गिरफ्तार होनेवाले ही थे। फिर गीन एगरे नान नकता ? एम मुरा
 में हमारे नामने एक ही नकता या गिन नकता नकता नकता नकता नकता में
 होता है, कि पुगने नैना-नायको के हदत ही नये नना-नायक बनाने भी ध्य-
 वस्या करला। लडाई के नैदान से बेंगल नकता नकता नकता नकता नकता हमारे
 निप नमुमकिन था। वास्तव में नको-नको तेमा नकता नकता भी था,
 नगर इमका उद्वेग्य और अनिवार्य ननीमा यह होना था कि गरी
 नकता एक-नाय गिरफ्तार हो गयी। हमें यह भी सुनीता नहीं था कि
 लडनेवाली नकता के पीछे अनरल नकता गुरादित बंदा रहता, या कहीं
 हमरो जगह और भी ज्यादा हिफाजत ने नुस्की नकता-नकता बंदा रहना।
 यह लडाई ही इस तरह की थी कि हमारे कर्मचारियों और नकता-नकता
 को अपने-आपको सबसे आगे और खुली जगहों में नवना पटना था, और
 वे तो नव गुरु में ही गिरफ्तार कर लिए गये। जीन हमने अपने
 'डिक्टेटरो' को भी क्या नकता देदी थी ? राष्ट्रीय सत्राम चलाने को दूट
 निचय के नकता-नकता में उन्हें यह सम्मान दिया जाना था। नगर अत्तल में
 तो उन्हें ज्यादातर खुद जेल में चले जाने की ही मना मिली थी। वे तभी
 काम करते थे जबकि किन्हीं बड़ी और अवाध सत्ता के कारण उनकी
 कमिटी, जिसके वह प्रतिनिधि थे, मीटिंग नहीं कर सकती थी, और
 जब या वहाँ उस कमिटी की बैठक हो सकती, तो डिक्टेटर को जो कुछ
 भी मत्ता थी वह अपने आप नहीं रहती थी। डिक्टेटर किसी बुनियादी
 सवाल या उनूल के बारे में कुछ फ़ैमला नहीं कर सकता था, वह तो
 आन्दोलन की छोटी-छोटी और उपरी बातों के विषय में ही कुछ कर
 सकता था। कांग्रेस की 'डिक्टेटरशिप' तो वास्तव में जेल पहुँचने की

सीढी थी। और रोज-व-रोज वही बात होती रही। पुराने लोग हटते जाते थे और उनकी जगह नये लोग आते जाते थे।

इस तरह अपनी आखिरी तैयारिया करके, अहमदाबाद में हमने अ० भा० कांग्रेस कमिटी के अपने साथियों से विदा माँगी, क्योंकि यह किसीको मालूम न था कि आगे हम कब और कैसे इकट्ठे हो सकेंगे, या इकट्ठे हो भी सकेंगे या नहीं। हम अपनी-अपनी जगहों पर जाकर अ० भा० का० कमिटी की हिदायतों के मुताबिक अपने-अपने मुकामी इन्तज़ाम को आखिरी तौर पर ठीक-ठीक करने और, जैसा कि सरोजिनी नायडू ने कहा, जेल-यात्रा के लिए विस्तर वाघने को जल्दी-जल्दी चल दिये।

लौटते वक्त पिताजी और मैं गाँधीजी से मिलने गये। वह अपने यात्री-दल के साथ जम्बूसर में थे। वहाँ हम उनके साथ कुछ घण्टे रहे और फिर वह अपने दल के साथ समुद्र-यात्रा के दूसरे पड़ाव के लिए पैदल चल पड़े। वह हाथ में डण्डा लिए हुए, अपने अनुयायियों के आगे-आगे, जा रहे थे। उनके कदम मजबूत थे और चेहरे पर शान्ति तथा निर्भयता छिटकी पड़नी थी। इस तरह उस समय मैंने उनके आखिरी दर्शन किये। वह एक दिल हिला देनेवाला दृश्य था।

जम्बूसर में मेरे पिताजी ने गाँधीजी से सलाह करके यह तय किया था कि वह इलाहाबाद का अपना पुराना मकान राष्ट्र को दान कर देंगे, और उसका नाम बदलकर स्वराज्य भवन रख देंगे। इलाहाबाद लौट कर उन्होंने इसकी घोषणा कर दी, और कांग्रेसवालों को उसका कब्जा भी दे दिया। उस बड़े मकान का हिस्सा अस्पताल बना दिया गया। उस वक़्त तो वह उसकी कानूनी कार्रवाई को पूरी न कर सके, पर डेढ़ साल बाद मैंने उनकी इच्छा के मुताबिक उस मकान का एक ट्रस्ट बना दिया।

अप्रैल जाया। गांधीजी समुद्र तट पर पहुँच गये और तब नमक-कानून को तोड़ने का विनियम भंग करने की टाँची दिखाने या उन्मत्त करने लगे। रुई नहींना ने तब अन्न-स्वयंसेवा का प्रचार भी तालीम दे रहे थे, और कमला जींग टाँचा (मेरी पत्नी का बच्चा) भी उनमें शामिल हो गई थी और उन्होंने इस काम में भी, मर्यादा के पत्र लिखा था। स्वयंसेवकों के पास वार्ड भी तैयार, तैयार कर, न था। उनको तालीम देने का मकसद यह था कि वे अपने काम में ज्यादा योग्य और कुशल हो जायें और दली-बली का विनियम भंग कर सकें। राष्ट्रीय सप्ताह, १९१९ के मत्याग्रह-दिवस ने लेकर जालियाँ-वाला वाग तक की घटनाओं की यादगार में, हर साठ मनाया जाना है, और छ अप्रैल इन्ही सप्ताह का पहला दिन था। उसी दिन गांधीजी ने दांडी में समुद्र के किनारे नमक-कानून को तोड़ा, और तीन-चार दिन बाद सारे कांग्रेस-संगठनों को इजाजत दे दी गई कि वे भी नमक-कानून तोड़ें और अपने-अपने क्षेत्र में सविनय भंग शुरू करें।

ऐसा मालूम हुआ कि कोई बटन दबा दिया गया, और अचानक सारे देश में गहरो में और गाँवों में, जिनसे देखो रोऊ नमक बनाने की ही धूम फैल गई। नमक बनाने के लिए कई अजीब-अजीब तरीकों निकाली गईं। इस बारे में हमारी जानकारी बहुत ही थोड़ी थी, इसलिए जहाँ इस बारे में कुछ भी लिखा मिला वह हमने पढ़ डाला, और इस वाक्य हिदायतें देने के लिए कई पत्रिकायें प्रकाशित की, और बर्तन और कढ़ाईयाँ इकट्ठी की और अन्त में एक मही-सी चीज बना ही डाली, जिसे हम बड़ी बहादुरी से उठाकर दिखाते और अक्सर बहुत ऊँची कीमत पर नीलाम भी करते थे। वह अच्छी चीज है या बुरी, इसका सचमुच कोई महत्व न था, क्योंकि खास चीज तो उस वेहूदे नमक-कानून को तोड़ना था। इसमें हम खरूर कामयाब हुए, चाहे हमारा

बनाया हुआ नमक कितना भी खगव क्यों न हो। जब हमने देखा कि लोगो मे उल्टाह उमड रहा है, और नमक बनाना जगली आग की तरह चारो तरफ फैल रहा है, तो हमे कुछ धर्म मालूम हुई, क्योंकि जब गांधीजीने इस तरीके को तजवीज पहलेपहल रक्खी थी तब हमने उसकी कामयाबी को दाबन शक किया था। हमे ताज्जुब होता था कि इम व्यक्ति में लोगो पर असर डालने और उनसे सगठित रूप में काम करवाने की कितनी अद्भुत मूझ है।

मैं चौदह अग्रेल को गिरफ्तार हो गया, जबकि मैं रायपुर (मध्यप्रान्त) को एक कान्फेन्स में शामिल होने के लिए रेलगाडी में सवार हो रहा था। उनी दिन जेल में मेरा मुकदमा भी होगया, और मुझे नमक-कानून के मातहत छ महीने की सजा दी गई। अपनी गिरफ्तारी की सभावना से मैंने (अ० भा० काँग्रेस कमिटी द्वारा दी गई नई सत्ता के अनुसार) पहले ही मेरी गैरहाजिरी मे काँग्रेस के सभापति की जगह के लिए गांधीजी को नामजद कर दिया था, मगर, अगर वह मजूर न करे तो, मेरी दूसरी नामजदगी पिताजी के लिए थी। जैसा कि मेरा खयाल था, गांधीजी राखी न हुए, और इसलिए पिताजी ही काँग्रेस के स्थानापन्न सभापति बने। उनकी तन्दुरुस्ती ठीक नहीं थी, फिर भी वह बडे जोर-ओर से लडाई में कूद पडे। उन शुरु के महीनो में उनके जवरदस्त सचालन और अनुशासन से आन्दोलन को बहुत लाभ हुआ। आन्दोलन को तो बहुत लाभ हुआ, मगर इससे उनकी रही-सही तन्दुरुस्ती और शक्ति बिलकुल चली गई।

उन दिनो बडी सनसनी पैदा करनेवाले समाचार आया करते थे— जुलूसो का निकलना, लाठी-प्रहारो का होना और गोलियाँ चलना, नामी-नामी आदमियो की गिरफ्तारियो पर अक्सर हडताले होना, पेशावर-दिवस, गढवाली-दिवस आदि का खासतौर पर मनाया जाना

बर्गर। उस वक़्त तो विदेशी कपड़े और तमाम अंग्रेजी माल का बहिष्कार पूरा-पूरा हो गया था। जब मैंने सुना कि मेरी बूढ़ी माताजी और बहनें भी गरमी की तेज़ धूप में विदेशी कपड़े की दुकानों के सामने खरना देने के लिए लड़ी रूहनी हैं, तो इमका मेरे दिल पर बड़ा गहरा असर हुआ। कमला ने भी यह काम किया। मगर हमने कुछ और ज़्यादा भी किया। मेरा ज़याल था कि कितने वरनों से मैं उमने बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, मगर हमने इस आन्दोलन के लिए इलाहाबाद शहर और जिले में इनकी शक्ति और निश्चय से काम किया कि मैं भी दग रह गया। हमने अपने गिरते हुए स्वास्थ्य को विलकुल परवा नहीं की। बहू मारे दिन धूप में घूना करती थी और उसने सगठन की बड़ी योग्यता का परिचय दिया। मैंने इसका कुछ-कुछ हाल जेल में सुना था। बाद में जब पिताजी भी वहाँ मेरे पास आगये तब उन्होंने मुझे बताया कि वह कमला के काम की, त्रासकर उसकी सगठन-शक्ति की, शिननी ज़्यादा उद्वर करते थे। पिताजी मेरी माताजी का या लड़कियों का तेज़ धूप में डखर-डखर जाना पसन्द नहीं करते थे, मगर सिवा सिर्फ़ कभी-कभी ज़माना नना करने के उन्होंने उन्हें रोका नहीं।

इन गुरू के दिनों में जो खबरें हमारे पाम आया करती थी, उनमें ने मयमे बड़ी खबर तेरस अप्रैल की पेशावर की घटना और बाद में सारे सीमाप्रान्त में होनेवाली घटनाएँ थी। हिन्दुस्तान में कहीं भी मशीन-गनों की गोशियों के सामने इन प्रकार अनुशासनपूर्ण और शान्तिपूर्ण हिम्मत बनाई जाती, तो उनमें सारा देश धरा उठता। मगर सीमा-प्रान्त के लिए तो यह घटना और भी ज़्यादा महत्व रखती थी, क्योंकि पञ्जब लौग हिम्मत के लिए तो मगहूर थे मगर शान्तिपूर्ण स्वभाव के लिए मगहूर नहीं थे। इन्हीं पठानों ने वह निराल कायम कर दी जो हिन्दुस्तान में अद्वितीय थी। सीमाप्रान्त में ही वह मगहूर घटना हुई

जिसमें गढवाली सिपाहियों ने निशस्त्र जनता पर गोली चलाने से इन्कार कर दिया। उन्होंने इसलिए इन्कार कर दिया कि सिपाहियों को निहत्थी भीड़ पर गोली चलाना नापसन्द होता है, और इसलिए भी कि लोगों से उन्हें हमदर्दी थी। मगर सिर्फ हमदर्दी ही आमतौर पर सिपाही को अपने अफसर की हुकुम-उदूली जैसी खतरनाक कार्रवाई के लिए प्रेरित नहीं कर सकती। क्योंकि इसका बुरा नतीजा उसे मान्नुम रहता है। गढवालियों ने यह बात शायद इसलिए की कि उन्हें (और दूसरी भी कुछ रेजीमेण्टो को, जिनकी हुकुम-उदूली की खबर फैल नहीं पाई) यह गलत खयाल होगया था कि अंग्रेजों की हुकूमत तो अब जाने ही वाली है। जब सिपाहियों में ऐसा खयाल पैदा होजाता है तभी वे अपनी सहानुभूति और इच्छा के अनुसार काम करने की हिम्मत दिखाते हैं। शायद कुछ दिनों या हफ्तों तक आम हलचल और सविनय-भग से लोगों में यह खयाल पैदा होगया था कि अंग्रेजी हुकूमत के आखिरी दिन आ गये हैं, और इसका असर कुछ फौज पर भी पडा, मगर जल्दी ही यह भी जाहिर होगया कि निकट-भविष्य में ऐसा होने की सूरत नहीं है, और फिर फौज में हुकुम-उदूली नहीं हुई। फिर तो इस बात का भी खयाल रक्खा गया कि सिपाहियों को ऐसी दुविधा में डाला ही न जाय।

उन दिनों बड़ी-बड़ी आश्चर्यजनक बातें हुईं, मगर सबसे ज्यादा ताज्जुब की बात थी स्त्रियों का राष्ट्रीय सभाम में हिस्सा लेना। स्त्रियाँ बड़ी तादाद में अपने घर के घेरो से बाहर निकल आईं, और हालांकि उन्हें सार्वजनिक कार्यों का अभ्यास न था फिर भी वे लडाईं में पूरी तरह कूद पडी। विदेशी कपडे और शराब की दुकानो पर धरना देने का काम तो उन्होंने बिलकुल अपना ही कर लिया। सभी शहरों में सिर्फ स्त्रियों के ही भारी-भारी जुलूस निकाले गये, और आमतौर पर

स्त्रियाँ पुरुषों की बनिस्वत ज्यादा मजबूत साबित हुईं। अक्सर प्रान्तों में या स्थानीय क्षेत्रों में वे काँग्रेस-‘डिक्टेटर’ भी बनती थीं।

अकेला नमक-कानून ही नहीं तोड़ा गया बल्कि दूसरी दिशाओं में भी सविनय-भंग होने लगा। वाइसराय-द्वारा कई आर्डिनेन्सों के, जिनमें कई कामों की मुमानियत की गई थी, निकाले जाने से भी इस काम में मदद मिली। जैसे-जैसे ये आर्डिनेन्स और मुमानियतें बटती गईं, वैसे-वैसे उन्हें तोड़ने के मौके भी बटते गये। और सविनय-भंग की यह शक्त होगई कि आर्डिनेन्स में जिन कामों की मुमानियत की जाती थी वही काम किया जाता था। प्रारम्भिक स्वरूपान्तरण निश्चित रूप से काँग्रेस और लोगों के हाथ में रहा था, और जब एक आर्डिनेन्स से गवर्नमेंट की निगाह में परिस्थिति न समझली तब वाइसराय ने और नये-नये आर्डिनेन्स निकाले। काँग्रेस-कार्य-समिति के कई मेम्बर गिरफ्तार कर लिये गये थे, मगर उनको जगह नये मेम्बर नियुक्त कर लिये गये, और इस तरह वह काम करती ही रही। हर नरकारो आर्डिनेन्स के मुकाबिले में कार्य-समिति अपना प्रस्ताव पास करती थी, और उस आर्डिनेन्स के लिए क्या करना चाहिए इसके लिए हिदायतें जारी करती थी। इन हिदायतों पर देश में आश्चर्यजनक समानता में अमल होना था। हाँ, अलवत्ता, अखबारों की प्रकाशन-अस्वीकृति हिदायत पर पूरा अमल नहीं हुआ।

जब प्रेस को ज्यादा नियन्त्रित करने और अखबारों से जमानत माँगने के बारे में आर्डिनेन्स निकला, तब कार्य-समिति ने राष्ट्रीय अखबारों में यह कहा कि वे जमानत देने से इन्कार करें और यदि आवश्यक हो तो प्रकाशन ही बन्द कर दें। अखबारवालों के लिए तो यह एक बड़ी घूंट थी, क्योंकि सभी समय तो लोगों में खबरों की बहुत ज्यादा माँग थी। फिर भी कुछ नरन-दल के अखबारों को छोड़कर ज्यादातर अखबारों ने अपना प्रकाशन बन्द कर दिया, और नतीजा यह

हुआ कि तरह-तरह की अपवाहें फैलने लगी। मगर वे ज्यादा वक्त तक न टिक सके। प्रलीमन बहुत भारी था, और अपना घघा नरम-दल के अखवार छीने लिये जा रहे हैं यह देखकर उन्हें बुरा भी मालूम हुआ। इसलिए उनमें से ज्यादातर फिर अपना प्रकाशन करने लगे।

गांधीजी पाँच मई को गिरफ्तार कर लिये गये थे। उनकी गिरफ्तारी के बाद समुद्र के पश्चिम किनारे पर नमक के कारखानों और गोदामों पर घावे किये गये। इन घावों में पुलिस की बेरहमी की बहुत दर्दनाक घटनाएँ हुईं। उन दिनों भारी-भारी हड़तालो, जुलूसों और लाठी-प्रहारों के कारण बम्बई सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हो रहा था। इन लाठी-प्रहारों के घायलों के इलाज के लिए कई आरखी अस्पताल कायम होगये थे। बम्बई में कई बातें ऐसी हुईं जो मार्को की थी, और बड़ा शहर होने के कारण बम्बई में प्रकाशन की सुविधा भी थी। छोटे कस्बों और देहाती हिस्सों में भी ऐसी ही बातें हुईं, मगर वे सब प्रकाश में न आ पाईं।

जून के अन्त में मेरे पिताजी बम्बई गये, और उनके साथ माताजी और कमला भी गईं। उनका बड़ा स्वागत किया गया। जब वह वहाँ ठहरे हुए थे, तभी कुछ बहुत जबरदस्त लाठी-प्रहार हुए। वास्तव में यह तो बम्बई में मामूली बात-सी होगई थी। करीब दो हफ्ते बाद ही वहाँ सारी रात एक असाधारण अग्नि-परीक्षा हुई, जबकि भालवीयजी और कार्य-समिति के मेम्बर एक बड़ी भारी भीड़ के साथ पुलिस के सामने, जिसने कि उनका रास्ता रोक रक्खा था, सारी रात टट्टे रहे।

बम्बई से लौटने पर तीस जून को पिताजी गिरफ्तार कर लिये गये, और उनके साथ संयुक्त-समूह भी पकड़े गये। वे कार्य-समिति के, जो चंद्रकानूमी करार के दी गई थी, स्थानापन्न अध्यक्ष और मंत्री की हैनियत से गिरफ्तार हुए। दोनों को छ-छः महीने की सजा मिली। मेरे पिताजी की गिरफ्तारी कायद एक बयान प्रकाशित करने पर हुई थी,

जिसमें उन्होंने सैनिकों या पुलिसमैनो को निहत्थी जनता पर गोलियों चलाने की आज्ञा मिलने की खबर में उनका क्या फर्क है यह बताया था। यह क्या सिर्फ कानूनी था, और उन्हें बताया गया था कि नौजवा ब्रिटिश इण्डियन कानून में इस वाक्य क्या लिखा है। अगर फिर भी वह भडकानेवाला और खतरनाक नमस्ते गया।

बम्बई जाने से पिताजी को बहुत मेहनत करनी पड़ी। बड़े सवेरे से बहुत रात तक उन्हें काम करना पड़ता था और हर जरूरी काम का फंसला उन्हें ही करना पड़ता था। वह बहुत दिनों में बीमार-मे तो थे ही, अब वह बिलकुल थककर लौटे, और अपने डाक्टरों की जरूरी सलाह से उन्होंने औरन प्रो तरह आराम लेने का फैसला कर लिया। उन्होंने ननूरी जाने की तैयारी की, और मामान बगैरा बँबवा लिया, अगर जिन दिन वह ननूरी जाना चाहते थे उनमें एक दिन पहले ही वह नैनी नेट्रल जेल की हमारी बँक में हमारे सामने आ पहुँचे।

: ३० :

नैनी-जेल में

मेँ करीब सात साल के बाद फिर जेल गया था, और जेल-जीवन की स्मृतियाँ कुछ-कुछ बुझकी हो गई थी। मैं नैनी सेण्ट्रल जेल में रखा गया था, जोकि प्रान्त का एक बड़ा जेलघराना है। वहाँ मुझे अकेले रहने का नया अनुभव मिला। मेरा बहाना बड़े अहाते मेँ, जिसमें कि बाईसवीं या तेईसवीं कक्षा में अलग था। वह एक छोटा-सा गोल घेरा था, जिसका व्यास लगभग एकजो फीट था और जिसके चारों तरफ करीब पन्द्रह फीट ऊँची गोल दीवार थी। उसके बीचोबीच एक मटमली और अदी-सी इमारत थी, जिसमें चार कोठरियाँ थीं। मुझे इनमें से दो कोठरियाँ,

जो एक-दूसरे से मिली हुई थी, दो गईं। एक नहाने-घोने बगीरा की जगह थी। दूसरी कोठरियाँ कुछ वक्त तक खाली रहीं।

वाहर के विक्षोभ और बीड़-ग्रूप के जीवन के बाद, यहाँ मुझे कुछ अकेलापन और उदासी मालूम हुई। मैं इतना थक गया था कि दो-तीन दिन तक तो मैं बहुत सोता रहा। गरमी का मौसम शुरू हो गया था, और मुझे रात को अपनी कोठरी के बाहर, अन्दर की इमारत और अहाते की दीवार के बीच की तग जगह में, धुले में सोने की इजाजत मिल गई थी। मेरा पलग भारी-भारी खजीरो मे कस दिया गया था, ताकि मैं कहीं उसे लेकर भाग न जाऊँ, या गायब इसलिए कि पलग कहीं अहाते की दीवार पर चढ़ने की सीढ़ी न बना लिया जाय। रातभर अजीब तरह की आवाजें आया करती थी। खान दीवार की निगमती रखनेवाले कमबिकट ओवरसियर अक्सर एक-दूसरे को तरह-तरह की आवाजें लगाया करते थे। कभी-कभी वे ऐसी लम्बी आवाजे लगाने थे जो अन्त में दूर पर चलती हुई तेज हवा के कहराने की-नी जाबाज मालूम होती थी। बैरकी के अन्दर से चौबीदार बराबर खोर-खोर में अपने कैदियों को गिनते थे और कहते थे कि सब ठीक है। रात में खोर वार कोई-न-कोई जेल-अफसर अपना राउण्ड लगाना हुआ हमारे अहाते में आ जाता था, और जो वार्डर ड्यूटी पर होता था उग्ये यहाँग हाल पूछता था। चूँकि मेरा अहाता दूसरे अहातों में कुछ दूरा था, वे आवाजें ज्यादातर साफ सुनाई न देती थी, और परन्तु मैं समझ न सका कि ये क्या हैं। पहलेपहल तो मुझे ऐसा लगा कि मैं गिनी खान के पान हूँ और किसान लोग अपने खेतों में जगन्नी जानवरों को नगाड़े के लिए बिल्का रहे हैं; और कभी-कभी ऐसा मालूम होता था कि खान रात को जगल और रात के जानवर सब मिन्फन अन्दर घुसनेवाला न रहे हैं।

मैं मोचता हूँ कि आया यह मेरा महज खयाल ही है, या यह सचाई है कि चौकोनी दीवार की बनिस्वन गोलाइदार दीवार में आदमी को अपने केंद्र होने का ज्यादा मान होता है ? सोने की मंजिलों के न होने में यह भाव हमारे मन में और भी दृष्ट जाता है कि हम यहाँ दबाये जा रहे हैं। दिन के बदन वह दीवार आम्मान को भी टुक लेती थी और उनके एक छोटे हिस्से को ही देवने देती थी। मैं—

उन तन्दे नीले बितान पर

जिने कहे वदी आकाश—

उड़ते हुए भेष-बडों पर

जिनमें रजत-कर्म-आभास; १

अपनी मजल सतृप्य दृष्टि डाला करना था। रात को वह दीवार मुझे और भी ज्यादा घेर लेती थी, और मुझे ऐसा लगता था कि मैं किसी कुएँ के तले में हूँ। कभी-कभी नारों से नरा हुआ आस्मान का जिनना हिस्सा मुझे दिखाई देता था वह मुझे असली नहीं मालूम होता था। वह नमूने के, बनावटी, तारामण्डल का हिस्सा लगता था।

मेरी बैरक और अटाना, आमतौर पर, नारे जेल में कुत्ताघर कहलाता था। यह एक पुराना नाम था और इनका मुझमें कोई ताल्लुक नहीं था। यह छोटी बैरक, सबने अलग, इसलिए बनाई गई थी कि इसमें छानतीर पर खतरनाक अपराधी, जिन्हें अलग रखने की जरूरत

१. ओम्कार वाइल्ड के निम्न अंग्रेजी पद्य का भावानुवाद।

“Upon that little tent of blue

Which prisoners call the sky,

And at every drifting cloud that went

With sails of silver by”

इस लेखक ने अपने जेल-जीवन में 'रेडिंग जेल-अशास्ति' नामक एक काव्य लिखा है। उसमें से ये पंक्तियाँ पंडितजी ने उद्धृत की हैं।—अनु०

हो, रखे जायें। बाद में वह राजनैतिक कैदियों, नखरबन्दो वगैरा को रखने के काम में लिया जाने लगा, जोकि यहाँ सारे जेल से अलग रखे जा सकते थे। अहाते के सामने कुछ दूरी पर एक ऐसी चीज थी जिसे पहलेपहल अपनी बरक से देखकर मुझे बड़ा धक्का-सा लगा। वह एक बड़ा भारी पिंजरा-सा था, जिसके अन्दर आदमी गोल-गोल चक्कर काट रहे थे। बाद में मुझे पता लगा कि यह पानी खींचने का पम्प था, जिसे आदमी चलाते थे और जिसमें एकसाथ सोलह आदमी लगते थे। देखते-देखते आदमी के लिए हर चीज मामूली होजाती है। इसीलिए मैं भी उसके देखने का आदी होगया। मगर हमेशा वह मुझे मनुष्य-शक्ति के उपयोग का विलकुल मूर्खतापूर्ण और जगली तरीका मालूम हुआ है, और जब कभी मैं उसके पास से गुजरता तो मुझे किसी पशु-प्रदर्शनी की याद आ जाती।

कुछ दिनों तक तो मुझे कसरत या दूसरे किसी मतलब से अपने अहाते के बाहर जाने की इजाजत न मिली। बाद में मुझे बड़े सवेरे, जबकि प्राय अँधेरा ही रहता था, आधा घटा बाहर निकलने और मुख्य दीवार के सहारे-सहारे अन्दर घूमने या दौड़ लगाने की इजाजत मिल गई। यह बड़ी सुबह का वक्त मेरे लिए इसलिए तजवीज किया गया था कि मैं दूसरे कैदियों के सम्पर्क में न आ सकूँ, या वे मुझे देख न ले। मुझे उस समय बड़ी तर्रो-ताजगी आ जाती थी। मुझे मिले हुए इस थोड़े-से वक्त में ज्यादा-से-ज्यादा खुला व्यायाम करने की गरज से मैं दौड़ लगाया करता था। दौड़ के अभ्यास को मैंने धीरे-धीरे बढ़ा लिया था, और मैं रोज दो मील से ज्यादा दौड़ लिया करता था।

मैं सवेरे बहुत जल्दी, करीब चार या साढ़े तीन बजे ही जबकि विलकुल अँधेरा रहता था, चठ जाया करता था। कुछ तो जल्दी सोने से भी जल्दी उठना होजाता था, क्योंकि मुझे जो रोशनी मिली थी

वह ज्यादा पढ़ने के लिए काफी नहीं थी। मुझे तारों से देखने रहना अच्छा लगना था, और कुछ प्रसिद्ध तारा-गांगों में स्थिति देखकर मुझे मनन का बन्दाज होजाना था। जहाँ मैं खैरना था वहाँ मैं मुझे ध्रुव-तारा दीवार के ऊपर झाँकना हुआ दिगर्त देना था, और उसमें अमाधारण शान्ति मिलती थी। डम्के चारों तरफ का आम्मान गोल चक्कर काटना था, नार वह वहीं जायन था। वह मुझे प्रमथनिष्ठा और दीर्घ उद्योग का प्रतीक मान्य होना था।

एक नहीं तक मेरे पास कोई मायों न था, मगर फिर भी मैं अकेला नहीं था, क्योंकि मेरे अहाने में बाइर आर बनविक्ट ओवरमियर व रसोई और सफाई करनेवाला एक कैदी थे। कभी-कभी किसी काम के लिए दूसरे कैदी, ज्यादातर कनविक्ट ओवरमियर—सी० ओ०—योग भी, जो लम्बी सजायें भुगत रहे थे या जाने थे। इनमें जन्म-कैदी, ज्यादा थे। आमतौर पर नमशा जाता था कि जन्म-कैदी बीस माल या कम में खरम होजाती है, मगर जेल में ऐसे बहुत कैदी थे जिन्हें बीस माल से भी ज्यादा होगये थे। नैनी में मेने एक बड़ी अजीब मिसाल देखी। कैदियों के लघो पर-कपड़ों में लगी हुई लकड़ी की एक पट्टी रहती है, जिनमें उनकी सजायों का हाल और रिहाई की तारीख लिखी रहती है। एक कैदी की पट्टी पर मेने पढा कि उनकी रिहाई १९१६ में होगी। १९३० में ही उसको कई माल हो चुके थे, और उस समय वह अवेड था। शायद उसे कई सजायें दी गई थीं और वह मत्र एक के बाद एक जोड दी गई थीं। शायद कुल मिलाकर उसे पचहत्तर साल की सजा थी।

वरसों बीन जाते हैं और कई जन्म-कैदी तो किसी बच्चे या स्त्री या जानवरों को भी नहीं देख पाते। उनका बाहरी दुनिया में सम्बन्ध बिल-कुल टूट जाता है, और कोई मानवी सम्पर्क नहीं रहता। वे मन-ही-मन

हमेशा कुछ घुटमुटाया नहीं है। जो उनका दिमाग भय, बदले और नज़र के गैरसुन दिमागों में भरा जाता है। ये दुनिया की भलाई, ब्यापना और जानना को भूल जाते हैं, और गिरफ्त बुराई में ही जीवन बिताते हैं। फिर थोड़े-थोड़े उनमें में तब और वैर-भाव भी चला जाता है, और उनका जीवन एक तरह का गैरसुन बन जाता है। अपने-आप चलने-बाढ़े गणों की तरफ से जाने दिन गाने हैं, "तोकिस सब बिलकुल एक-मे ही गुज़रते हैं। उन्हें एक भय के निघा और छोड़े भावना ही नहीं होती।" बर्तन-पारतन रेशियों को तुच्छ और नाप होनी है। मगर मस्तिष्क और हृदय की भावना तो भी, जो अत्याचार के इस भयकर सनावरण में मुग्धाकार नृत्य जाती है, कोई नीरता है? लोग मौत की सजा के प्रस्ताव दलीले देते हैं और वे मुझे बहुत जँनती है। मगर जब मैं जेल का लम्बा याननापूर्ण जीवन देखता हूँ, तो सोचता हूँ कि आदमी को गुला-मुलाकर मारने के बजाय तो मौत की सजा ही अच्छी है। एक दफ़ा एक जन्म-कैदी मेरे पास आकर मुझसे पूछने लगा—“हम जन्म-कैदियों का क्या होगा? क्या स्वराज हमें इस नरक में से निकाल देगा?”

और ये जन्म-कैदी क्यों होते हैं? इनमें से बहुतेरे तो मजदूरी मुकदमों में आते हैं, जिनमें कि उन लोगों को, कभी-कभी पचास-पचास या सौ-सौ आदमियों को, एकसाथ सजाएँ होती हैं। इनमें कुछ ही शायद कसूरवार होते हैं, ज्यादातर लोग सबमुच कसूरवार होते हैं इसमें मुझे सन्देह है। ऐसे मुकदमों में लोगों को फँसा देना बड़ा आसान है। किसी मुखविर की शहादत और थोड़ी शनाख्त होजानी चाहिए, बस इतना ही जरूरी है। आजकल टर्कितिया बढ रही हैं, और जेल की आवादी हर साल ज्यादा हो जाती है। जबकि लोग भूखो मर रहे हैं, तो वे क्या करें? जज और मजिस्ट्रेट लोग अपराधों की बढती पर टीका करते नहीं सकते। मगर उनकी निगाह उनके जाहिरा आर्थिक कारणों पर नहीं जाती।

इसके अलावा काश्तकार लोग आते हैं। किसी ज़मीन के टुकड़े की वावत गांव में झगडा होजाता है, लठियाँ चल जाती हैं, और कोई मर जाता है—नतीजा यह होता है कि जन्मभर या लंबी मियादों के लिए कई आदमी जेल भेज दिये जाते हैं। अक्सर किसी घर के सारे पुरुष कैद कर दिये जाते हैं और पीछे स्त्रियाँ रह जाती हैं, जो जैसे-तैसे करके पेट पालती हैं। इनमें एक भी व्यक्ति ज़रायमपेशा नहीं होता। साधारणतः ये लोग शारीरिक और मानसिक दोनों दृष्टियों से अच्छे युवक, औसत देहाती से कहीं ऊपर उठे हुए, होते हैं। यदि इन्हें थोड़ी तालीम मिले, और दूसरी बातों और कामों की तरफ इनकी रुचि थोड़ी बदल दी जाय, तो यही लोग देश के कीमती धन बन सकते हैं।

बेशक हिन्दुस्तान की जेलों में पक्के मुजरिम भी हैं, जो जान-बूझकर समाज के शत्रु बनकर उसके लिए बहुत खतरनाक होजाते हैं। मगर मुझे जेल में ऐसे लडके और आदमी बहुत मिले हैं जो अच्छे नमूने के थे, और जिनपर मैं बिला शिक्षक विश्वास कर सकना हूँ। मुझे यह नहीं मालूम कि असली ज़रायमपंगा और गैर-ज़रायमपेशा कैदी कितने-कितने अनुमान में हैं, और शायद इस तरह विभाजन करने का खयाल तक जेल-महकमे में किसीको नहीं आया होगा। न्यूयार्क के सिंगसिंग-जेल के वार्डन लुई ई० लोज ने हम विषय के कुछ दिक्कतों आँकड़े दिये हैं। वह अपनी जेल के कैदियों के बारे में कहता है कि मेरी राय में पचास फीसदी तो बिल्कुल ज़रायम-वृत्ति के नहीं हैं, पचीस फीसदी परिस्थितियों और मजदूरियों के कारण अपराधी बने हैं, और बाकी पचीस फीसदी में से शायद आधे, यानी साठे वाग्ह फीसदी, ही समाज में न रहने लायक हैं। यह तो सभी जानते हैं कि अम्ली अपराधवृत्ति बड़े शहरो और आधुनिक सभ्यता के केन्द्रों में ज्यादा होती है, और पिछड़े हुए इलाकों में कम होती है। अमेरिका की ज़रायमपंगा टोलियाँ तो मगहूर हैं, और सिंग-

सिंग जेल भी खामतीर पर मशहूर है, जहाँ कुछ भयकर-से-भयकर मुजरिम भेजे जाते हैं। मगर, उनके वार्डन की राय के मुताबिक, उनके सिर्फ़ साढ़े बारह फी सदी कैदी ही सचमुच बुरे हैं। मेरे खयाल से यह बड़ी अच्छी तरह कहा जा सकता है कि हिन्दुस्तान की जेलों में तो यह अनुपात इससे भी बहुत कम होगा। आर्थिक नीति थोड़ी और अच्छी हो जाय, लोगों को रोजगार कुछ ज्यादा मिलने लगे, और शिक्षा कुछ बढ़ जाय, तो हमारी जेले खाली की जा सकती हैं। मगर इसको कामयाब बनाने के लिए विलकुल मौलिक योजना की, जिससे हमारी सारी सामाजिक रचना बदल जाय, जरूरत है। इसके सिवा दूसरा असली उपाय वही है जो ब्रिटिश-सरकार कर रही है—हिन्दुस्तान में पुलिस की तादाद और जेलों का बढ़ाना। हिन्दुस्तान में कितनी तादाद में लोग जेल भेजे जाते हैं, यह देखकर सिर ठनकने लगता है। अखिलभारतीय कैदी-सहासक समिति के मंत्री की एक हाल की रिपोर्ट में कहा गया है कि १९३३ में सिर्फ़ बम्बई प्रान्त में ही १,२८,००० लोग जेल भेजे गये, और उसी साल बंगाल की संख्या १,२४,००० थी।^१ मुझे सब प्रान्तों के आँकड़े तो मालूम नहीं, किन्तु यदि दो प्रान्तों का जोड़ ढाई लाख है, तो बहुत सम्भव है कि सारे हिन्दुस्तान का जोड़ करीब दस लाख तो होगा। मगर इसे वास्तव में जेल में हमेशा रहनेवालों की तादाद नहीं कह सकते, क्योंकि बहुत लोगों को तो थोड़ी-थोड़ी सजायें मिलती हैं। स्थायी रहनेवालों की तादाद इससे बहुत कम होगी, मगर फिर भी वह एक बड़ी संख्या होगी। हिन्दुस्तान के कुछ बड़े प्रान्तों की जेले ससार की बड़ी-बड़ी जेलों में समझी जाती हैं। युक्तप्रान्त भी ऐसे प्रान्तों में माना जाता है, जिसे वह गौरव—यदि इसे गौरव कहा जाय—प्राप्त है। और, बहुत सम्भवत, यहाँ ससार का सबसे पिछड़ा हुमा और प्रतिगामी

१ स्टेड्समैन, ग्यारह दिसम्बर, सन् १९३४

जेल-प्रयत्न है या था। कैदी को एक व्यक्ति, एक मानव-प्राणी, समझने और उनके मस्तिष्क को सुधारने या उनकी चिन्ता रखने की कुछ भी कोशिश यहाँ नहीं की जाती। युक्तप्रान्त का जेल-प्रयत्न जिस बात में सबसे बड़ा-बड़ा है वह है अपने कैदियों को भागने न देना। यहाँ भागने की कोशिश बहुत ही कम होती है और दस हजार में से शायद ही एकाध कोई भागने में सफल होता होगा।

जेलखानों की एक निहायन दुःखजनक बात है, वहाँ पंद्रह साल या इससे ज्यादा उम्र के लड़कों का बड़ी तादाद में होना। इनमें से ज्यादातर तो तेज और होशियार देखनेवाले लड़के होते हैं, कि जो अगर मौका मिले तो बड़ी आसानी से अच्छे बन सकते हैं। कुछ अर्थों से इन्हें मामूली पटना-लिखना मिलाने की कुछ शुरुआत की गई है, मगर, जैसा कि हमेशा होता है, वह बिल्कुल ही नाकाफी और बेकार है। खेल-कूद या दिल-बहुलाव का बहुत-कम मौका आता होगा, किन्ती किस्म के भी अखबार की इजाजत नहीं है, और न किताबें पढ़ने का प्रोत्साहन दिया जाता है। बारह घण्टे या इससे भी ज्यादा देर तक सब कैदियों को उनकी बैरकों या कोठारियों में ताले में रक्खा जाता है, और लम्बी-लम्बी शामों का वक्त काटने के लिए उनके पास कोई काम नहीं रहता।

मुलाकातें तीन महीने में एक बफा हो सकती हैं, और यही खेतों का भी हाल है। यह मियाद अमानुषिक रूप से लम्बी है। इसपर भी, कई कैदी तो इसमें भी लाभ नहीं उठा सकते। अगर वे बे-पटे होते हैं, जैसे कि ज्यादातर होते ही हैं, तो वे किसी जेल-अफसर से ही चिट्ठी लिखवाते हैं, और ये लोग चूँकि अपना काम और बढाना नहीं चाहते इसलिए चिट्ठी लिखना अक्सर टालते रहते हैं, अगर चिट्ठी लिखी भी गई तो पता ठीक-ठीक नहीं दिया जाता, और वह ठिकाने पर नहीं पहुँचती। मुलाकात करना तो और भी मुश्किल है। करीब-करीब,

अनिवार्य रूप से, किसी-न-किसी-जेल कर्मचारी को कुछ नजराना-शुक्रियाना-देने से ही मुलाकात हो सकती है। बक्सर कैदी दूसरे-दूसरे जेलों में बदल दिये जाते हैं, और उनके घर के लोगो को उनका पता नहीं लगता। मुझे कई ऐसे कैदी मिले हैं, जिनका ताल्लुक अपने परिवार से बरसो से छूट चुका था, और उन्हें मालूम नहीं था कि उनका क्या हुआ। तीन या अधिक महीनो के बाद जब मुलाकात होती भी है तो अजीब तरह से। जगले के दोनो तरफ आमने-सामने बहुत-से कैदी और उनके मुलाकाती खड़े कर दिये जाते हैं, और वे सब एक-साथ बात-चीत करने की कोशिश करते हैं। एक-दूसरे से बहुत जोर से चिल्ला-चिल्ला कर बोलना पडता है, इससे मुलाकात में जो थोडा-बहुत मानवी-सम्पर्क हो सकता है वह भी नहीं रहता।

हजार में से किसी एकघ कैदी को (यूरोपियनो को छोडकर) अच्छा खाना मिलने या जल्दी-जल्दी मुलाकात करने या खत लिखने की खास सुविधा भी मिल जाती है। राजनैतिक आन्दोलनों में जबकि लारो राजनैतिक कैदी जेल जाते हैं, इन विधोप दजों के कैदियों की तादाद कुछ थोडी-सी बढ जाती है, मगर फिर भी वह बहुत थोडी ही रहती है। इन राजनैतिक स्त्री और पुरुष कैदियो में से ९५ फीसदी के माप मामूली ढग का ही वर्ताव किया जाता है और उन्हें ऐसी सुविधाये भी नही मिलती।

कई व्यक्ति, जिन्हें पान्तिदारी तलबली में रतल्य प्रारम्भ वा लम्बी मलाये दी जाती है, लम्बे असे तरु तनहार कोठरियो में जाने जाते हैं। मेरा खयाल है कि यू० पी० में तो ऐसे सब व्यक्ति आम तौर पर ऐसे तनहार कोठरियो में बन्द रहने जाने हैं। मैं तो; तनहार कोठरियो में बन्द रहने जाने के लिए मजा के तौर पर ही भी जानी है लम्बे उन लोगो को, जो आम तौर पर कर्तरी लम्बे के लयगुवा लोके हैं, मुझे के लम्बे में

ही रखा जाता है, चाहे उनका वर्ताव जेल में बहुत अच्छा ही क्यों न हो। इस तरह अदालत की सजा के अलावा, जेल महकमा उसमें वगैर किसी सबब के एक और भयकर सजा चढा देता है। यह बड़ी असाधारण बात है और कानून की किसी दफा के अनुसार नहीं है। थोड़े वक्त के लिए भी तनहाई में बन्द रखा जाना एक बड़ी दर्दनाक बात है, फिर जब यह बरसों तक रहे तब तो कितनी खतरनाक हो जाती है। इससे मस्तिष्क की शक्ति धीरे-धीरे लगातार घटती जाती है, जो अन्त में पागलपन की हद तक पहुँच जाती है, और कँदी का चेहरा विचार-शून्य या भयभीत पशु जैसा दिखने लगता है। यह मनुष्य की स्पिरिट को धीमे-धीमे खत्म करना या उसकी आत्मा को धीरे-धीरे हलाल करना है। अगर आदमी ज़िन्दा बचता भी है तो वह एक विलक्षण जीव और दुनिया के लिए बे-मौजू बन जाता है। और यह सवाल तो हमेशा उठता ही रहता है कि क्या वह व्यक्ति वास्तव में किसी कार्य या अपराध का गुनहगार भी था? हिन्दुस्तान में पुलिस के तरीके अर्से से सन्देश की दृष्टि से देखे जाते हैं, और राजनैतिक मामलों में तो वे बहुत ही ज्यादा सन्देशास्पद हैं।

यूरोपियन या यूरेशियन कैदियों को, चाहे उन्होंने कोई भी अपराध किया हो या उनकी कौसी भी हैसियत हो, अपने-आप ऊँचे दर्जे में रख दिया जाता है, और उन्हें ज्यादा अच्छा भोजन, हलका काम और जल्दी-जल्दी छत और मुलाकात की सुविधायें दी जाती हैं। हर हफ्ते पादरी के आने से वे बाहर की बातों के सम्पर्क में बने रहने हैं। पादरी उनके लिए सचित्र और हँसी-मजाक के विदेशी अखबार ले आता है, और जब खरूरत होती है तब उनके घरवालों से खतो-कितावत करता रहता है।

यूरोपियन कैदियों को ये सुविधायें क्यों मिली हैं इनकी किसीको

शिकायत नहीं है, क्योंकि उनकी तादाद थोड़ी ही है, मगर दूसरे—स्त्री और पुरुष—कैदियों के प्रति व्यवहार में मनुष्यता का विलकुल अभाव देखकर जरूर रज होता है। कैदी को एक व्यक्ति, एक मानव प्राणी, नहीं समझा जाता, और इसलिए उसके साथ वैसा वर्ताव भी नहीं किया जाता। जेल को तो सरकारी तन्त्र द्वारा बुरे-से-बुरे दमन का अमानुषिक पहलू समझना चाहिए। यह एक ऐसा यन्त्र है जो बेरहमी से, बिना सोचे, काम करता रहता है, और उसकी पकड़ में जो कोई आ जाता है उसे कुचल डालता है। जेल के कायदे इसी यन्त्र को दिखाने के लिए खास तौर पर बनाये गये हैं। जब भावना-शील स्त्री या पुरुष यहाँ आते हैं, तो यह हृदय-हीन शासन उनके मन को एक यातना और पीडा प्रतीत होता है। मैंने देखा है कि कमी-कमी लम्बी मियाद के कैदी जेल की उदासी से ऊबकर फूट-फूटकर बच्चे की तरह रोने लगते हैं, और सहानुभूति और प्रोत्साहन के थोड़े-से शब्दों से, जोकि इस वातावरण में बहुत दुर्लभ होते हैं, उनके चेहरे खुशी और अहसानमन्दी से चमक उठते हैं।

इतना होने पर भी, कैदियों में एक-दूसरे के प्रति उदारता और अच्छी मित्रता के कई हृदय-स्पर्शी उदाहरण भी दिखाई देते थे। एक बार एक अन्धा दुवारा कैदी तेरह साल के बाद रिहा हुआ। इस लम्बे अर्से के बाद वह बाहर जा रहा था, जहाँ न उसके पास कोई साधन थे, न दोस्त। उसके साथी कैदी उसकी इमदाद करना चाहते थे, लेकिन वे ज्यादा नहीं कर सकते थे। एक ने जेल-दफ्तर में जमा की हुई अपनी कमीज दी, दूसरे ने कोई और कपडा दिया। एक तीसरे को उसी दिन सवेरे चप्पल की जोड़ी मिली थी, जिसे उसने अभिमान से मुझे दिखाया था। जेल में यह चीज मिलना बड़ी भारी बात है। मगर जब उसने देखा कि उसका कई साल का साथी यह अघा नगे-पैर बाहर जा रहा है

तो उनसे झुग्गी से उसे अपने नये चप्पल दे दिये। उस समय मैंने सीधा कि जायद जेल के अन्दर बाहर ने ज्यादा उदारता है।

१९३० का वह साल आश्चर्यजनक परिस्थितियों और स्फूर्तिदायक घटनाओं से भरा हुआ था। गाँधीजी की सारे राष्ट्र में स्फूर्ति और उत्साह भर देने की अद्भुत शक्ति से मुझे सबसे ज्यादा आश्चर्य हुआ। उनकी शक्ति ने एक मोहनी-सी नालूम होती थी, और उनके बारे में जो बान गोवड़े ने कही थी वह हमें याद आई—उनने मिट्टी से सूरमा बना लेने की ताकत है। शक्ति-पूर्ण मविनय गंग महान् राष्ट्रीय उद्रेकों को पूर्ण करने के लिए, लड़ाई के शस्त्र और शास्त्र दोनों तरह से, काम में ला सकता है, वह बात सब मालूम हुई। और देश में, मित्रों और विरोधियों दोनों को, बिल्कुल भरोसा-सा होने लगा कि हम कान-दावी की तगफ जा रहे हैं। आन्दोलन में क्रियात्मक रूप से काम करने-वालों में एक अजीब उत्साह भर गया, और घोड़ा-थोड़ा जेल के भीतर भी आ पहुँचा। मामूली सँदी भी कहते थे कि "स्वराज आ रहा है!" और हम उम्मीद से कि हमने उन्हें भी कुछ फायदा हो जायगा, वे धातु-ना से हमका इन्तजार करते थे। बाजार की बात-चीत सुन-सुनकर पार्टि लोग भी उम्मीद करते थे कि स्वराज नजदीक ही है। हमने जेल के छोटे-छोटे अफसर कुछ और धवराहट में पड गये।

जेल में हमें दैनिक व्यवहार नहीं मिलता था, नगर एक हिन्दी मानाधिक व्यवहार में हमें कुछ खबरे मिल जाया करती थी, और ये खबरें ही हमारे हमारी व्यवनाओं को तेज कर दिया करती थी। रोजाना अठ्ठी-अठारह होना, निर्मा-निर्मा दिन गोली चमना, शौचापुर में पौजी चमन गार्ग होना, निममें राष्ट्रीय प्रगडा के जाने के लिए ही इन माल से सजा ही गई थी, ऐसी सचरे जानी थी। नाने दिन में हमें अपने अपने, गणसदर मित्रता, एक बटा अभिमान होने उठा। मुझे तो मेरी

माताजी, पत्नी और बहनो तथा दूसरी चचेरी बहनो और महिला-मित्रो के कार्यों के कारण विशेष सन्तोष हुआ। और हालाँकि मैं उनसे दूर था, और जेल में था, फिर भी मुझे ऐसा लगा कि हम सब एक ही महान् कार्य में साथ-साथ कार्य करने के नये नाते से एक-दूसरे के बहुत नज़दीक आगये हैं। परिवार तो उससे भी बड़े समुदाय में ऐसा मालूम होने लगा मानो लुप्त होगया है। मगर फिर भी उसमें पुरानी मधुरता और निकटता बनी रही। कमला ने तो मुझे आश्चर्य में ही डाल दिया, क्योंकि उसकी क्रिया-शीलता और उत्साह ने उसकी बीमारी को दवा दिया, और कम-से-कम कुछ समय के लिए तो वह बहुत ज्यादा काम-काज करते रहने पर भी चगी बनी रही।

जिस वक्त बाहर दूसरे लोग खतरे का मुकाबिला कर रहे हैं, और कष्ट उठा रहे हैं, उस वक्त मैं जेल में आराम से समय बिता रहा हूँ, यह खयाल मुझे दिक् करने लगा। मैं बाहर जाने की इच्छा करता था, किन्तु नहीं जा सकता था। इसलिए मैंने अपना जेल-जीवन बड़ा सख्त, कार्यमय, बना लिया। मैं अपने चर्खें पर रोजाना करीब तीन घटे सूत कातता था। इसके अलावा दो या तीन घटे में निवाड बुनता, जो मैंने जेल-अधिकारियों से खास तौर पर माँग ली थी। मैं इन कामों को पसन्द करता था। इनमें न ज्यादा जोर पड़ता था न थकावट होती थी, और मेरा समय काम में लग जाता था। इससे मेरे दिमाग का बुखार भी शान्त होजाता था। मैं बहुत पढता रहता था, या सफाई करने या कपडे धोने वगैरा में लगा रहता था। मैं मध्यककत अपनी खुशी से ही करता था, क्योंकि मुझे 'सादी' सजा मिली थी।

इस तरह, बाहर की घटनाओं और अपने जेल-कार्य-क्रम का विचार करते-करते, मैं नैनी-जेल में अपने दिन गुज़ारने लगा। हिन्दुस्तान के इस जेल की कार्य-प्रणाली देखकर मुझे यह प्रतीत हुआ कि वह हिन्दुस्तान में

अंग्रेजी सरकार की प्रणाली से भिन्न नहीं है। सरकार का शासन-तन्त्र बहुत सुव्यवस्थित है, जिसके फलस्वरूप देश पर सरकार का कब्जा मजबूत होता है मगर जिसमें देश की मानव-सामग्री की चिन्ता बहुत थोड़ी, या विलकुल नहीं, की जाती है। ऊपर से तो यही दिखना चाहिए कि जेल का प्रबन्ध सुचारु रूप से हो रहा है और यह किसी हद तक ठीक भी है। मगर जायद कोई भी यह खयाल नहीं करता कि जेल का खास लक्ष्य होना चाहिए, उसमें आनेवाले अभागे लोगों को सुधारना और उनकी सहायता करना। यहाँ तो वस यह खयाल है कि उनको कुचल टांगो, ताकि जबतक वे बाहर निकले, तबतक उनमें जरा-सी भी हिम्मत बाकी न रहे। और जेल का प्रबन्ध-सञ्चालन किस तरह होता है, कैदियों को कैसे काबू में रखा जाता है, और कैसे बण्ड दिया जाता है? यह बात ज्यादातर कैदियों की सहायता से ही होनी है। कैदियों में से ही कुछ लोग कनविक्ट-वाइंडर (सी० डबल्यू०) या कनविक्ट-ओवर-सियर (सी० ओ०) बना दिये जाते हैं, और वे खौफ से या इनामों या छूट के प्रलोभन से अधिकारियों के साथ सहयोग करने लगते हैं। तनख्वाहदार गैर-कनविक्ट-वाइंडर वैसे थोड़े-ही हैं। जेल के अन्दर की ज्यादातर हिफाजत और चौकीदारी कनविक्ट-वाइंडर और सी० ओ० ही करते हैं। जेल में मुखबिरी का भी खूब जोर रहता है। कैदियों को एक दूसरे की चुगली और मुखबिरी करने को उत्साहित किया जाता है, और कैदियों को एका करने या कोई भी सयुक्त कार्य करने की तो इजाजत ही नहीं रहती है। यह सब आसानी से समझ में आ सकता है, क्योंकि उनमें फूट रखने से ही वे काबू में रखे जा सकते हैं।

जेल से बाहर, हमारे देश के शासन में भी, यही एव प्रणाली व्यापक लेकिन कम जाहिर रूप में दिखाई देती है। मगर यहाँ सी० डबल्यू और सी० ओ० लोगों का नाम बदल गया है। उनके बड़े-बड़े जानदार नाम

है, और उनकी बर्दियाँ ज्यादा तडक-भडकदार हैं। और नियम-पालन कराने के लिए, जेल की ही तरह, उनके पीछे हथियारबन्द सशस्त्र दल रहता है।

आधुनिक राज्यों के लिए जेलखाना कितना जरूरी और लाजिमी है ? कम-से-कम कैदी तो यही सोचने लगता है। सरकार के प्रबन्ध आदि विषयक विविध कार्य तो जेल, पुलिस और फौज के मौलिक कार्यों के मुकाबिले में थोथे मालूम होने लगते हैं। जेल में आदमी मार्क्स के इस सिद्धान्त की कदर करने लगता है, कि राज्य तो वास्तव में उस दल की, कि जिसके हाथ में शासन है, इच्छा को कार्यान्वित करने वाला एक जबरदस्ती का साधन है।

एक महीने तक मैं अपनी बैरक में अकेला ही रहा। फिर एक साथी-नर्मदाप्रसादसिंह—आ गये, और उनके मिलने से बड़ी राहत मिली। इसके ढाई महीने बाद, जून १९३० की आखिरी तारीख को, हमारे अहाते में असाधारण खलबली मच गई। अचानक बड़े सवेरे मेरे पिताजी और डॉ० सैयद महमूद वहाँ लाये गये। वे दोनों आनन्द-भवन में, जबकि अपने विस्तरों में सोये हुए थे, गिरफ्तार किये गये थे।

: ३१ :

यरवडा में संधि-चर्चा

पिताजी की गिरफ्तारी के साथ ही, या उसके फौरन बाद ही, कार्य-समिति गैर-कानूनी करार दे दी गई। इससे एक नई न्यति पैदा हो गई—यदि कमिटी अपनी मीटिंग करे तो सत्र-के-सत्र मेम्बर एक-साथ गिरफ्तार हो सकते थे। इसलिए कार्यवाहक नभारनियों को जो अह्तिार दे दिया गया था उसके मुताबिक त्तानापत्र मेम्बर उत्तमें और

जोड़े गये और इस सिन्डिकेट में कई स्त्रियाँ भी मेम्बर बनीं। कमला भी उनमें थी।

पिताजी जब जेल आये तो उनकी तन्दुरुस्ती निहायन खराब थी और वह जिन हालात में वहाँ रखे गये थे उनमें उन्हें बड़ी तकलीफ थी। सरकार ने जान-बूझकर यह स्थिति पैदा नहीं की थी, क्योंकि वह अपनी तरफ से तो उनकी तकलीफ कम करने की भरसक कोशिश करने को तैयार थी, परन्तु नैनी-जेल में वह अधिक कुछ नहीं कर सकी। मेरी बैरक की ४ छोटी-छोटी कोठरियों में हम चार आदमियों को एक-साथ रज दिया गया। जेल के सुपरिन्टेन्डेन्ट ने सुझाया भी कि पिताजी को किनी दूमरी जगह रख दें, जहाँ उन्हें कुछ ज्यादा जगह मिल जाय, लेकिन हम लोगों ने एक साथ रहना ही बेहतर समझा, क्योंकि हमने हम कोई-न-कोई उनकी सम्हाल रख सकते थे।

वारिष गुरू ही हुई थी पर कोठरी के अन्दर को जमीन मुश्किल से सूती रहती थी, क्योंकि छतसे पानी जगह-जगह टपकता रहता था। रात के वक्त रोज यह सवाल उठता कि पिताजी का बिछौना हमारी कोठरी से सटे उस छोटे-से बरामदे में, जो १० फीट लम्बा और ५ फीट चौड़ा था, कहाँ लगाया जाय, जिससे पानी का बचाव हो सके ? कमी-कमी उन्हें बुलार आ जाता था। आखिर जेल-अधिकारियों ने हमारी कोठरी से लगा हुआ एक और अच्छा बड़ा बरामदा बनवाना तय किया। बरामदा बन तो गया और उससे ज्यादा आराम भी मिलता, मगर पिताजी को उनका कुछ फायदा न मिला, क्योंकि उसके तैयार होने के बाद शीघ्र ही उन्हें रिहा कर दिया गया। तब हममें से जो लोग वहाँ पीछे रहे गये थे और रहे उन्होंने उसने पूरा फायदा उठाया।

जुलाई के अखीर-अखीर में यह चर्चा बहुत सुनाई दी कि सर तेज-बहादुर सप्रू और जयकर साहब इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस

और सरकार के दम्यानि सुलह हो जाय । हमने यह खबर एक दैनिक अख-
वार में पढी जो पिताजी को खास तीर पर बतौर रिआयत के दिया जाता
था । उसमे हमने वह सारी खतो-किताबन पढी जो वाइसराय लार्ड
अर्चिन और सर सप्रू तथा जयकर साहव के बीच हुई थी । और बाद में
हमें यह भी मालूम हुआ कि हमारे ये 'शान्तिदूत' गांधीजी से भी मिले
थे । हमारी समझ में यह नही आता था कि आखिर इनको सुलह की
इतनी क्यो पढी है, या ये इससे क्या नतीजा निकालना चाहते हैं ? वाद
को हमें मालूम हुआ कि उन्हें इस बात का उत्साह मिला है पिताजी के
एक छोटे-से बयान से, जो उन्होंने बम्बई में अपनी गिरफ्तारी से कुछ
पहले दिया था । वक्तव्य का खर्ग मि० स्लोकॉम्ब का (लन्दन के
'डेली हेरल्ड' के सम्वाददाता, जो उन दिनों हिन्दुस्तान में थे) बनाया
हुआ था, जो पिताजी से बात चीत करके तैयार किया गया था और
जिसे उन्होंने पसन्द भी कर लिया था । इस वक्तव्य में यह बताया

१. यह वक्तव्य २५ जून १९३० को दिया गया था—“यदि किन्हीं
हालतो में ब्रिटिश-सरकार और भारत-सरकार, हालांकि इसका पहले से
अन्दाज नहीं किया जा सकता कि गोल-मेज-कान्फ्रेंस अपनी खुशी से क्या
सिफारिशें करेगी या ब्रिटिश पार्लमेण्ट का उन सिफारिशों के बारे में
क्या रुज रहेगा, खानगी तीर पर यह आश्वासन दें या किसी तीसरे
जिम्मेदार शरू के माफत यह इशारा मिले कि ऐसा आश्वासन मिल
जायगा कि हम भारत के लिए पूर्ण उत्तरदायी शासन की माँग का सम-
र्थन करेंगे, वशतें कि दोनों में आपसी घटा-बढी से काम लिया जाय
और सत्ता को हस्तान्तर करने की शर्तें वे हो जो हिन्दुस्तान की खास
जरूरतों और अवस्थाओं के लिए और ग्रेटब्रिटेन के साथ उसका पुराना
सम्बन्ध होने के कारण जरूरी हो और जिनका निर्णय गोलमेज-कान्फ्रेंस
करे, तो पण्डित मोतीलाल नेहरू यह जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेते हैं
कि वह खुद इस तरह का आश्वासन गांधीजी या पं० जवाहरलाल नेहरू

गया था कि अगर सरकार कुछ शर्तें मान ले तो सम्भव है कि कांग्रेस नन्द्याग्रह को वापस लेले।

यह एक गोल-मोल और ऊँची बात थी और उसमें भी यह साफ कह दिया गया था कि उन स्पष्ट शर्तों पर भी तबतक विचार नहीं किया जा सकेगा, जबतक पिताजी गांधीजी ने और मुझने मगधरा न करले। मुझने बरकरन इसलिये पडती थी कि मैं उस साल कांग्रेस का सदस्य था। मुझे याद है कि अपनी गिरफ्तारी के बाद पिताजी ने इसका जिक्र नैनी ने मुझसे किया था, और उन्हें इस बात पर दुःख ही रहा कि उन्होंने जल्दी में ऐसा गोल-मोल वक्तव्य दे डाला और सम्भव था कि उसका गलत अर्थ लगाया जाय। और दरअमल ऐसा हुआ भी, क्योंकि जिन लोगों की विचार-धारा हमने बिलकुल जुदा है उनके द्वारा तो बिलकुल स्पष्ट और यथार्थ वक्तव्यों का भी गलत अर्थ लगाये जाने की सम्भावना रहनी ही है।

२७ जुलाई को सर तेजबहादुर सप्रू और जयकर अचानक नैनी-जेल में हमने मिलने आ पहुँचे। वे गांधीजी का एक पत्र साथ लाये थे। उस दिन तथा दूसरे दिन हम लोगों में बड़ी देर तक बातचीत हुई। पिताजी को हारत थी। इन बातचीत से वह बहुत थक गये। हमारी बातचीत और बहुत धूम-गामकरी वही आजाती थी जहाँ से शुरू होती थी। हम लोगों के राजनैतिक दृष्टि-बिन्दु इनके जुदा-पुजा में कि हम

तक ले जावेंगे। यदि ऐसा आश्वासन मिला और स्वीकार कर लिया गया तो हमने मुलह का रास्ता चुल जायगा, जिनके मानी यह होगा कि इधर नविसय'नग-आन्दोलन बन्द किया जायगा और नाय ही उधर सरकार की मौजूदा दमन-नीति भी खत्म हो जायगी, 'राजनैतिक' तैदियों की आज रिटार्ड होगी और इसके बाद कांग्रेस उन शर्तों पर तो आपस में तय हो जायगी, गोल्मेड-कांग्रेस में शरीर होगी।"

मुश्किल से एक-दूसरे की भाषा और भावों को समझ पाते थे। हमें यह माफ़ दिखाई देता था कि मौजूदा हालत में कांग्रेस और सरकार के बीच सुलह होने का कोई मौका नहीं है। हमने अपने साथियों—कार्य-समिति के सदस्यों—और खासकर गांधीजी से सलाह किये बिना अपनी तरफ से कुछ भी कहने में इन्कार कर दिया, और हमने इस आशय की एक चिट्ठी गांधीजी को लिख भी दी।

ग्यारह दिन बाद, ८ अगस्त को, डाक्टर सभू वायसराय का जवाब लेकर फिर हमसे मिलने आये। वायसराय को इस बात पर कोई ऐतराज न था कि हम लोग यरवडा जावे (यरवडा पूना के पास है और यहीं की जेल में गांधीजी रक्खे गये थे), लेकिन वह तथा उनकी कांसिल हमें सरदार वल्लभभाई, मौलाना अबुलकलाम अज़ाद और कार्य-समिति के दूसरे मेम्बरो से मिलने की इजाज़त नहीं दे सकती थी, जोकि बाहर थे और सरकार के खिलाफ़ क्रियात्मक आन्दोलन कर रहे थे। डाक्टर सभू ने हमसे पूछा कि ऐसी हालत में आप लोग यरवडा जाने को तैयार हैं या नहीं? हमने कहा कि हमें तो कभी भी गांधीजी से मिलने जाने में कोई उज्र नहीं है, न हो सकता है, लेकिन जबतक हम अपने दूसरे साथियों से न मिल ले, तबतक किसी अंतिम निर्णय पर नहीं पहुँचा जा सकेगा। इत्तिफाक से उसी दिन या शायद एक दिन पहले के अखबार में यह खबर पढ़ी कि बम्बई में भयकर लाठी चार्ज हुआ और सरदार वल्लभभाई, मालवीयजी, तसद्दुक शेरवानी वगैरा कार्य-समिति के स्थायी या स्थाना-पन्न मेम्बर गिरफ्तार कर लिये गये हैं। हमने डाक्टर सभू से कहा कि इस घटना से मामला सुधरा नहीं है और हमने उनसे कह दिया कि वह सारी स्थिति वायसराय के सामने साफ़ कर दें। फिर भी डाक्टर सभू ने कहा कि गांधीजी से तो जल्दी मिलने में हर्ज ही क्या है? हमने उन्हें यह बात पहले ही कहदी थी कि यदि हमारा जाना यरवडा हुआ तो

हमारे साथी डा० नयदमहमूद भी, जो हमारे नाथ नैनी में ही थे, वह-
मियत कार्रम-मेन्ट्री हमारे नाथ चलेगे।

दो दिन बाद, १० अगस्त को, हम तानो—पिताजी, महमूद और
मैं—एक स्पेगल ट्रेन में नैनी से पूना भेजे गये। हमारी गाडी बडे-बडे
स्टेशनों पर नहीं ठहरो, हम उन्हें झपाटे में पार करते हुए चले गये,
कहीं-कहीं छोटे और किनारे के स्टेशनों पर ट्रेन ठहराई गई। फिर भी
हमारे जाने की खबरे हमसे आगे दौड़ गई और लोगों की बड़ी भीड़
स्टेशनों पर—जहाँ हम ठहरे वहाँ भी और जहाँ नहीं ठहरे वहाँ भी—
इकट्ठी हो गई। हम ११ की बड़ी रात को पूना के मजदूरोंक रिडकी
स्टेशन पर पहुँचे।

हमने उम्मीद तो यह की थी कि हम गांधीजी की ही चैरक में ठह-
राये जायेंगे, या कम-से-कम उनसे जल्दी ही मुलाकात हो जायगी। यर-
बडा के सुपरिटेन्डेन्ट ने तो यही तजवीज कर रखी थी, लेकिन ऐन वक्त
पर उन्हें अपना प्रबन्ध बदल देना पडा। जो पुलिस अफसर हमारे नाथ
नैनी में आया था उसके द्वारा यरबडा वाले को ऐसी ही कुछ हिदायत
मिली थी। सुपरिटेन्डेन्ट कर्नल मार्टिन ने तो हमें इस रहस्य का पता न
दिया, परन्तु पिताजी ने कुछ ऐसे मार्मिक प्रश्न किये जिनसे यह मालूम हो
गया कि हमें गांधीजी से (कम-से-कम पहली बार तो) सजू और जयकर
माहव के रोबल ही मिलने दिया जायगा। यह अन्देशा किना गया
था कि अगर हम पहले मिल लेंगे तो हमारा रुख कड़ा हो जायगा और
हम सब और भी मजबूत हो जायेंगे। लिहाजा वह सारी रात और हमारे
दिन भर तथा रातभर हम दूसरी चैरक में रक्ते गये। इस पर पिताजी
को बहुत बुरा मालूम हुआ। वहाँ लेजाकर गांधीजी से न मिलने देना,
जिनसे मिलने के लिए हम इतनी दूर नैनी में लाये गये, गोना हमें तर-
साना और तडपाना था। आखिर १३ को दोपहर के पहले हमें खबर की

गई कि सर सप्रू और जयकर साहव तशरीफ ले आये है और गाँधीजी भी जेल के दफ्तर में उनके साथ भीजूद है और आप सबको वही बुलाया है। पिताजी ने जाने से इन्कार कर दिया और जब जेलवालों की तरफ से बहुतेरी सफाइया दी गई और माफिया माँगी गई और यह तय पाया कि हम पहले अकेले गाँधीजी से ही मिलाये जायेंगे, तब वह वहाँ जाने को राजी हुए। आगे चलकर हम सबके सम्मिलित अनुरोध पर सरदार पटेल और जयरामदास दौलतराम, जो दोनो यरवडा ले आये गये थे, और सरोजनी नायडू भी, जो हमारे सामने ही स्त्री-वैरक में रखी गई थी, हमारे साथ बातचीत में शारीक किये गये। उसी रात पिताजी, मट्टमूद और मैं तीनों गाँधीजी के अहाते में ले जाये गये और यरवडा से चलने तक हम वही रहे। बल्लभभाई और जयरामदास भी वहाँ लाये गये और वे भी वही रखे गये, जिससे हमारे आपस में सलाह-मशवरा किया जा सके।

१३, १४ और १५ अगस्त तक सप्रू और जयकर साहव से हमारा मशवरा जेल के दफ्तर में होता रहा और हमने आपस में चिट्ठी-पत्री के द्वारा अपने-अपने विचार भी प्रदर्शित कर दिये, जिनमें हमारी तरफ से वे कम-से-कम शर्तें बता दी गईं जिनके पूरा होने पर सविनय-भंग वापस लिया जा सकता था और सरकार के साथ सहयोग किया जा सकता था। बाद को ये चिट्ठिया अखबारों में भी छाप दी गई थी।^१

इन बातचीतों का पिताजी के शरीर पर बुरा असर हुआ और १६ ता० को एकाएक उन्हें जोर का बुखार आ गया। इससे हमारा जाना रुक गया और हम १९ की रात को रवाना हो पाये—फिर उसी तरह स्पेशल ट्रेन से। बम्बई-सरकार ने सफर में हर तरह से पिताजी के

१. जिन चिट्ठियों में ये शर्तें दी गई थीं वे परिशिष्ट न० २ में दी गई हैं।

शास्त्र का कुशल रखा और परबड़ा-जेंट ने भी उनके आगम का पून-पूरा प्रदण्ड किया गया था। जिन राज हम जगजा पहुँचे उस दिन एक जगजा घटना हुई, जो मुझे अब तक याद है। सुपरिस्टैंड कर्नल नाटिन ने पिताजी ने पूछा, कि आप किस तरह जाना पसन्द करेंगे? पिताजी ने कहा कि मैं बहुत सादा और हल्का जाना चाहता हूँ, और उन्होंने मुझे भी साप से केन्द्र राज के जाले तक की सब जरूरी चीजें निगा दी। (मैंने भी रोड हम लोगों के घर से खाना खाना था) पिताजी ने भरल सब से जोग्य चीजें लिखाई वे थीं तो सब सादी और हल्की ही सब उन्हें देकर कर्नल नाटिन दग रह गये। बहुत मुमकिन था कि रिज और सेवास होकर मैं वे चीजें सादा और हल्की समझी जाती हों, जैसा कि खुद पिताजी भी समझते थे, लेकिन परबड़ा जेल में वे अजीब और बेनुकी दिखाई दी। महमूद और मैं बड़ी रगत के साथ उस समय कर्नल नाटिन के बेहरे के उतार-चढ़ाव देखते रहे जबकि पिताजी भोजन की उन कई तरह की और खर्चीली चीजों के नाम सुनाते जा रहे थे। क्योंकि कई दिनों ने उनके यहाँ भारत का सबसे बड़ा और बहुत नामी लेना रखा गया था और उनकी भोजन-सामग्री थी सिर्फ बकरी का दूध, खजूर और शायद कनी-कनी नारंगियाँ। मगर जो यह नाम लेना उनके सामने आया उसका टग कुछ और ही था।

पूना से मैनी लौटते समय भी हम बड़े-बड़े स्टेसन छलागते गये और ऐनी-बैरी नामकी जगह गाडी ठहरती रही। मगर भीड़ अक्की और ज्यादा थी, स्टेसन भरने हुए थे और कहीं-कहीं तो रेलवे लाइन पर भी नाँड जम गई थी—सासकर हरदा, इटारनी और मुहानपुर में। यहाँ तक कि दुर्घटनायें होते-होते बचीं।

पिताजी भी हालत तेजी से गिरने लगी। जिनने ही डाक्टर उन्हें देखने गये—खुद उनके डाक्टर भी और प्राचीन सरकार की तरफ ने

मेजे हुए डाक्टर भी । जाहिर था कि जेल उनके लिए सबसे खराब जगह थी और वहाँ किसी तरह भाकूल इलाज नहीं हो सकता था । मगर फिर भी जब किसी मित्र ने अखवार मे लिखा कि वीमारी के सबब से उन्हे रिहा कर देना चाहिए, तो पिताजी बहुत विगडे और उन्होने कहा कि लोग समझेगे कि मेरी तरफ से यह इशारा कराया गया है । यहाँतक कि उन्होने लाई अर्बिन को तार दिया कि मैं खास मेहरवानी कराके नहीं छूटना चाहता । लेकिन उनकी हालत दिन-ब-दिन खराब ही होती गई । वजन तेजी से गिरता जा रहा था, और उनका शरीर एक छाया या ढाचा मात्र रह गया था । आखिर ८ सितम्बर को, ठीक १० सप्ताह बाद, वह रिहा कर दिये गये ।

उनके चले जाने से हमारी वैरक से मानो जीवन और आनन्द चला गया । जब वह हमारे पास थे तो उनके लिए न जाने क्या-क्या करना पडता था, उनके आराम के लिए छोटी-छोटी बातों का भी ध्यान रखना पडता था । और हम सब—महमूद, नर्मदाप्रसाद और मैं—बड़ी खुशी-खुशी उनकी सेवा मे दिन बिताते थे । मैंने निवाड चुनना छोड दिया था, कातना भी बहुत कम कर दिया था, और न कितावें पढने का ही वक्त मिलता था । जब वह चले गये तो हमें फिर उन्हीं कामों को शुरू करना पडा, मगर दिल पर भार बना रहता था । और व आनन्द नहीं रहा था । उनके रिहा होने पर तो दैनिक अखवार मिलना बन्द हो गया था । ४-५ दिन बाद मेरे वहनोई रणजीत पडित गिरफ्तार हुए और हमारी वैरक मे ही रखे गये ।

१ महीने बाद, ११ अक्टूबर को, मेरी छ महीने की सजा पूरी हो जाने पर, मैं छोड दिया गया । मैं जानता था कि मैं थोडे ही दिन आजाद रह सकूंगा, क्योंकि लडाई बहुत जमती और तेज होती जा रही थी । 'शान्ति-दूतों'—समू जयकर साहबान—की कोशिशें बेकार हो चुकी थी ।

उसी दिन, जिस दिन मैं छूटा, दो और आठिनेन्स जारी किये गये थे। ऐसे वक्त पर छूटने से मुझे खुशी हुई और मैं इस बात के लिए उत्सुक था कि जितने दिन आजाद रहूँ कुछ अच्छा और जोरदार काम कर जाऊँ।

उन दिनों कमला इलाहाबाद थी और वह काँस के काम में जुट पडी थी। पिताजी मसूरी में इलाज करा रहे थे और माँ तथा बहने उनके साथ थीं। कमला को साथ लेकर मसूरी जाने से पहले कोई डेढ़ दिन तक मैं इलाहाबाद में ही भ्रमणूल रहा। उन दिनों हमारे सामने जो बड़ा सवाल था वह यह कि आजाद देश में करवन्दो-आन्दोलन शुरू किया जाय या नहीं? लगान-बमूली का बन्द नबदीक था रहा था और यो भी लगान बमूल होने में विकसत मानेवाली थी, क्योंकि नाब के नाब बुरी तरह गिर गये थे। मसाराध्यापी मन्दी का प्रभाव हिन्दुस्तान-भर में दिखाई दे रहा था।

लगानबन्दो-आन्दोलन के लिए इससे बढ़कर उपयुक्त अवसर नहीं दिखाई देता था—दोनों तरह से, सविनय नग-आन्दोलन के सिद्धितिले में भी और यो म्बन्ध रूप में भी। यह जाहिरा तौर पर असम्भव था कि जमींदार और काम्तरकार उस माल की पैदावार में पूरा-पूरा लगान चुका दें। उन्हें या तो पिछड़े माल की बचन, अगर कुछ हो तो उसका, या कर्ज का महानग लिखे बिना चारा न था। जमींदार के पास तो यो भी घुटन-मुछ मसारा रहता ही है, और उसे कर्ज नों आमानी से मिल मग्ना है, मगर एक बीसत बिमान का तो, जो अमूमन मूखानगा और काल होता है, कोई सहाय नहीं होता। जिन्नी भी प्रजातन्त्री देण में या उन जगह जहाँ शिमानों का अच्छा संगठन और प्रभाव है, उन परि-म्वितियों में, शिमानों में ज्यादा बमूल मग्ना असम्भव होता। लेकिन भारत में उनका प्रभाव नाममात्र का है—सिवा टरुते कि नहीं-कहीं अंग्रेज म्बन्धी दिमापन करती है और वाण मय देता है। हाँ, एक

वात और भी है। सरकार को यह डर जरूर लगा रहता है कि जब किसानों के लिए हालत असहनीय हो जायगी, तो वे उठ खड़े होंगे और दुरी तरह उमड़ पड़ेंगे। लेकिन, उन्हें तो युगों से यह तालीम मिलती चली आ रही है कि जो कुछ विपत्ता आवे उसे बिना चूँ तक किये करम पर हाथ रखकर बरदाश्त करते चले जाओ।

गुजरात तथा दूसरे प्रान्तों में उस समय करवन्दी-आन्दोलन चल रहे थे, लेकिन वे प्रायः सब राजनैतिक स्वरूप के थे और सविनय भग-आन्दोलन से जुड़े हुए थे। ये वे प्रान्त थे जहाँ रैयतवारी तरीका था और किसानों का ताल्लुक सीधा सरकार से था। उनके लगान न देने का असर तुरन्त सीधा सरकार पर पड़ता था। मगर युक्तप्रान्त की हालत उनसे भिन्न थी। क्योंकि हमारा इलाका जमींदारी और ताल्लुकदारी है और काश्तकार तथा सरकार के बीच एक तीसरी जमात भी है। अगर काश्तकार लगान देना बन्द कर दे तो उसका सीधा असर जमींदार पर होता है, इससे वह एक वर्ग का प्रश्न बन जाता है। इधर काँग्रेस कुल मिलाकर एक राष्ट्रीय सस्था है और उसमें कितने ही छोटे-मोटे तथा कुछ बड़े जमींदार भी शामिल थे। उसके नेता इस बात से दुरी तरह भय खाते थे कि कहीं कोई वर्ग-विग्रह का प्रश्न न बन जाय, या जमींदार लोग न बिगड़ बैठें। इस कारण सविनय भग शुरू होने से ठेठ छ महीने तक वे देहात में करवन्दी-आन्दोलन शुरू करने से बचते रहे, हालाँकि मेरी राय में उसके लिए बहुत ही अनुकूल अवसर था। मैं इस वर्गवाद के सवाल से तो इस तरह या और किसी तरह कतई नहीं घबराता था, लेकिन मैं इतना जरूर महसूस करता था कि काँग्रेस अपनी मौजूदा हालत में वर्ग-सघर्ष को नहीं अपना सकती। हाँ, वह दोनों से—काश्तकार और जमींदार दोनों से—कह सकती थी कि लगान मत दो। फिर भी औसत जमींदार बहुत करके मालगुजारी दे देते, लेकिन उस दशा में कूसूर उनका होता।

अन्तर्वर ने जब मैं लेल ने छुटा तो क्या राजनैतिक और न्याय-जन्यक दोनों दृष्टियों से ऐसी मात्तुम हुई मानो वे देशत में अरबन्दी-जान्दोलन छेद देने के लिए पुकार-पुकार के कह रही हो। किमानों की भाषिक कठिनाईयाँ तो बाहिर ही थी। राजनैतिक क्षेत्र में हमारा भविष्य भग-जान्दोलन यद्यपि अब अगह फल-फूल रहा था, तो भी कुछ-कुछ धीमा पड़ गया था। हालांकि लोग जोड़े-जोड़े अरके और वहीं-वहीं बड़े दल बनाकर भी लेल जाते थे, जो भी वातावरण में बह तेजो और गर्मी नहीं दिखाई देती थी। घर और नव्यम श्रेणों के लोग हड़नालों और डूल्डों में कुछ बल्ले गये थे। सरदर यह दिखाई देना था कि कुछ हिन्दुओं को जाने की, नया खून लाने की, जरूरत है। ज्ञान-समुदाय के जगता यह और वहाँ में आ सकता था ? और यह उल्लाना तो बनी अन्तर्वर नय पड़ा है। यह फिर जगता का एक जान्दोलन हो जायगा, जिससे जगता के गहरे हिस्से का सम्बन्ध होगा, और नूसे जो सबसे नाके की बात मानून होंगी भी वह तो यह कि इसके बदलाने समाज-व्यवस्था-मन्वन्धी प्रश्न उठ सके होंगे।

उन जोड़े समूह में जब मैं अन्तर्वर रहा, हमारे साथियों ने और मैंने इन दिनों पर खूब जोर दिया। अन्तर्वर ही हमने जगतीय काँग्रेस की कार्यकारिणी की मीटिंग बुलाई और बहुत बहन-भ्रातृत्व के बाद अरबन्दी-जान्दोलन की मजबूती देदी और हर जिन को उसे शुरू करने का अधिकार दे दिया। हमने अन्तर्वर के लिये हिस्से में उसे शुरू नहीं किया और कार्यकारिणी ने उसे समीक्षार और समन्वय दोनों पर अग्रणी किया, जिनसे उनके कार्य-कार्यकां जगत्त दान जाने की सम्भावना न रह जाय। है, यह तो हम जगत्त ही थे कि हमने मुख्य-महत्त्व, निश्चयों की ही मजबूती में लिया।

जब इन सब पर जगत्त अन्तर्वर को छोड़ी निम्न गई, तो हमारे

इलाहाबाद जिले ने पहला कदम उठाना चाहा। हमने एक मप्ताह बाद जिले के किसानों का एक सम्मेलन करके इन नये आन्दोलन को आगे ठेलने का निश्चय किया। मेरे मन को इस बात ने तमन्ली हुई कि जेल में छूटते ही पहले दिन मैंने ठीक-ठीक काम कर लिया। सम्मेलन के साथ ही मैंने इलाहाबाद में एक बड़ी आम मभा का भी आयोजन किया। इसमें मैंने एक लम्बी तकरार की। इसी तकरार पर वाद को मुझे फिर सजा दी गई थी।

इसके बाद १३ अक्टूबर को कमला और मैं तीन दिन के लिए पिताजी से मिलने मसूरी गये। वह कुछ-कुछ अच्छे हो रहे थे और मुझे यह देखकर तसल्ली हुई कि अब उन्होंने करवट बदली है और चगे हो रहे हैं। वे तीन दिन बड़ी शान्ति और बडे आनन्द में बीते। मुझे अबतक याद आते हैं। फिर से अपने परिवार के साथ आकर रहना कितना अच्छा लगता था। मेरी लड़की इदिरा और मेरी तीन नन्ही-नन्ही भानजियाँ भी बड़ी थी। मैं इन बच्चों के साथ खेलता, कभी-कभी हम एक गाही जुलूस बनाकर घर के आस-पास बड़ी शान से घूमते। सबसे छोटी लड़की जो शायद ३-४ साल की थी, हाथ में राष्ट्रीय झण्डा लिए 'झण्डा ऊँचा रहे हमारा' यह झण्डा गान-गाती हुई सबके आगे-आगे चलती। पिताजी के साथ मेरे ये तीन दिन बस आखिरी दिन थे, क्योंकि इसके बाद उनकी बीमारी असाध्य हो गई और उन्हें हमसे छीन कर ले ही गई।

पिताजी ने एकाएक इलाहाबाद आने का निश्चय कर लिया—शायद इस अन्देश से कि नीम ही मेरी गिरफ्तारी हो जायगी, या इसलिए कि वह मेरी परिस्थिति को और अच्छी तरह देख सके। १९ को इलाहाबाद में किसान-सम्मेलन होनेवाला था, इसलिए कमला और मैं १७ को मसूरी में चलनेवाले थे। पिताजी ने हमारे जाने के दूमरे दिन, १८ को, और लोगों के साथ रवाना होने की तजवीज की।

कमला और मेरे दोनों के लिए यह यात्रा जरा घटनापूर्ण रही। वेहाइन ने ज्योंही मैं खाना होने लगा, जाहना फौजदारी की १४४ एम के नुमाबिक मज़पर एक नोटिस तामील किया गया। लखनऊ में हम कुछ ही घण्टों के लिए ठहरे थे, कि नालूम हुआ कि वहाँ भी १४४ एम का एक नोटिस हमारी राह देख रहा है। लेकिन वह तामील न हो सका, क्योंकि भीड़ के कारण पुलिस अफसर मुझ तक पहुँच नहीं पाया। म्युनिनिपैलिटी की तरफ से मुझे एक नानपत्र दिया गया और कि हम मोटर ने इलाहाबाद चले गये। रास्ते में जगह-जगह ठहरकर किसानों की सभाओं में व्याख्यान भी देते जाते थे। इस तरह करते-करते १८ की रात को हम इलाहाबाद पहुँचे।

१९ को सुबह होते ही १४४ एम का एक और नोटिस मुझे मिला। सरकार मेरे पीछे पड़ी थी, और मैं कुछ घण्टों का ही मेहमान था। मैं डन्फुल था कि गिरफ्तारी के पहले किसान-सम्मेलन में हो जाऊँ। इस सम्मेलन को हम खानगी कहते थे और इनमें सिर्फ प्रतिनिधियों को ही बुलाया गया था। और ऐसा ही यह था भी। किसी बाहरी आदमी के आने की इजाजत इनमें न थी। इलाहाबाद जिले के बहुत प्रतिनिधि इनमें आये थे, और जहाँ तक मुझे याद है उनकी संख्या १६०० के लगभग थी। सम्मेलन ने बड़े उन्माह के साथ अपने जिलों में करदन्दी दूर करने का प्रस्ताव किया। हाँ, कुछ मुख्य कार्यकर्ताओं को जबरदस्ती रिचार्ज किया। उस वक्त मैं उन्हें कुछ शक था कि कामयाबी होगी या नहीं। क्योंकि किसानों को उगने-उठाने के साथ ही जमींदारों के पास बहूत से जी-सुखा उनसे पीठ पर थी। उन्हें यह भी अन्देश था कि किसान इन नव कठिनाइयों में जहाँ तक शक लवेंगे। लेकिन इन मित्र-निष्ठ लोगों के १६०० प्रतिनिधियों के दिनों में, जो वहाँ मौजूद थे, ऐसी कोई हिंसा या अन्धेह न था, सम-से-सम वहाँ तो दिनांक नहीं

देता था। सम्मेलन में, मैंने भी एक भाषण दिया था। लेकिन मैं नहीं कह सकता कि मैंने १४४ दफा का उल्लंघन किया था नहीं, जोकि मुझपर सार्वजनिक सभा में न बोलने के लिए लगाई गई थी।

वहाँ से मैं, पिताजी और घर के दूसरे लोगो को लिवाने के लिए, स्टेशन गया। गाड़ी लेट थी और उनके उतरते ही मैं उन्हें वही छोड़कर एक सभा के लिए रवाना हो गया। इसमें शहर और आसपास के देहात के लोग भी आनेवाले थे। ८ बजे के बाद रात को मैं और कमला उनके-भदि सभा से घर लौट रहे थे। मैं पिताजी से बात करने के लिए उत्सुक हो रहा था, और मैं जानता था कि वह भी मेरी राह देख रहे होंगे, क्योंकि उनके आने के बाद हमें शायद ही बातचीत करने का मौका मिला हो। पर रास्ते में हमारी मोटर रोक ली गई—वहाँ से हमारा घर दिखाई दे रहा था, और मैं गिरफ्तार करके जमना-पार नैनी की अपनी पुरानी बैरक में पहुँचा दिया गया। कमला अकेली आनन्द-भवन गई और उसने पिताजी तथा घर के दूसरे लोगो को इस नई घटना की खबर-सुनाई और उधर नौ क घण्टा बजते-बजते मैंने फिर उसी नैनी-जेल के फाटक में प्रवेश किया।

: ३२ :

युक्तप्रान्त में कर-बन्दी

आठ दिन की गंरहाखिरी के बाद मैं फिर नैनी आ गया और संयदमहमूद, नमंदाप्रसाद और रणजीत पण्डित के साथ उनी पुरानी बैरक में आ मिला। कुछ दिनों के बाद जेल में ही मेरा मुकदमा चला। मुझपर कई दफाएँ लगाई गई थीं, जिनका आधार था मेरा वह भागन जो मैंने अपने छूटने के बाद इलाहाबाद में दिया था। उनी के अन्त-

हल्का ट्रिना को लेकर जुदा-जुदा इलजाम लगाये गये थे। हृस्व-मामूल मैंने कोई नफाई पेश नहीं की, सिर्फ थोड़े मे अपना एक लिखित ध्यान अदालत में पेश किया। दफा १२४ की रू से राजद्रोह के अपराध में मुझे १८ मास की सख्त कैद और ५००) जुर्माना, १८८२ के नमक-कानून के मुताबिक ६ महीने की कैद और १००) जुर्माना तथा १९३० के आर्डिनेन्स ६ के मातहत (मैं भूल गया हूँ कि यह आर्डिनेन्स किस विषय का था) ६ मास कैद और १००) जुर्माना की सजाये दी गई। पिछली दोनों नज़ारों एक-साथ चलनेवाली थी, इसलिए कुल मिलाकर मुझे २ साल की कैद हुई और जुर्माना न देने की हालत में ५ महीने और। यह मेरी ५वीं बार जेल-यात्रा थी।

मेरी फिर से गिरफ्तारी और मजामाबी का सविनय-भंग-आन्दोलन की गति पर कुछ समय के लिए अच्छा ही अमर हुआ। उससे उसमें एक नया जीवन और अधिक बल आ गया। इसका अधिकाँग श्रेय पिताजी को है। जब कमला ने उनको मेरी गिरफ्तारी की खबर मिली तो उन्हें वेदना का एक धक्का लगा, मगर फौरन ही उन्होंने अपनी शक्तियों को बटोरा और मगने पट्टी ढुई मेज़ को ठोक कर कहा—अब मैंने निश्चय कर लिया है कि हम तरह बीमार बनकर पड़ा नहीं रहूँगा, अर अन्धा होकर एक जदामई की तरह काम करूँगा और बीमारी को मृत में अपने पाग हावी न होने दूँगा। यह निश्चय तो जर्बामदों का-ना ही था। मगर अन्धोम है कि उनका यह नारा सक्न्म-बल भी उस गहरी बीमारी को आ, उनके शरीर को कुतर-भुतरकर खा रही थी, न दवा पाया। फिर भी कुछ दिनों तक तो उनके स्वास्थ्य में साफ-साफ नज़दीनी दिगई देने लगी—दानी कि जिनको डेगकर लोगों को आश्चर्य होना था। कुछ महीने पहले में, अरमे चर परगना गये थे, उनके बलग्रम में धून जाने लगा था। उनको इन दिग्न्म के बाद ही यह मयायक बन्द

हो गया और कुछ दिन तक विलकुल नहीं दिखाई दिया। इससे उन्हें खुशी हुई थी, और जब वह मुझ से जेल में मिलने आये तो उन्होंने मुझसे इस बात का जिक्र कुछ फख्र के साथ किया। लेकिन बदकिस्मती से यह तसल्ली थोड़े ही दिन रही और आगे चलकर बीमारी फिर बढ़ गई और खून ज्यादा निकदार में आने लगा। इस अवधि में उन्होंने अपने पुराने ही बोध-सरोवा से काम किया और देशभर में सविनय-भग-आन्दोलन को एक जोर का वेग दिया। जगह-जगह के लोगो से वह बात-चीत करते और उन्हें ध्यारेवार हिदायते भेजते। उन्होंने एक दिन मुकर्रर किया (यह नवम्बर में मेरा जन्मदिन था) जो सारे हिन्दुस्तान में उत्सव के रूप में मनाया जाय और उस दिन मेरे भाषण के वे अक्ष सभाओ में पढे जायें जिनपर मुझे सजा दी गई थी। उस दिन कई जगह लाठी-चार्ज हुए, जुलूस और समाये वलपूर्वक तितर-बितर की गईं और यह अन्दाज किया गया था कि उस एक दिन सारे देशभर में कोई पाँच हज़ार गिरफ्तारियाँ हुईं। वह अपने ढग का एक अनोखा जन्मोत्सव था।

बीमार तो वह थे ही, तिसपर यह जिम्मेदारी और उसमें इतनी ज्यादा ताकत का सफं होना उनकी तन्दुस्ती के लिए बहुत मुश्किल हुआ और मैंने उनसे आग्रह किया कि वह विल्कुल आराम ही करे। मैंने सोचा कि हिन्दुस्तान में तो उनको ऐसा विश्राम मिलेगा नहीं क्योंकि यहाँ उनका विभाग लडाई के उतार-चढाव में लगा रहेगा और लोग उनके पास सलाह-मशवरा लेने के लिए आये बिना न रहेगें; इसलिए मैंने उन्हें सुझाया कि वह रगून, सिगापुर, और डक्-इडीज की तरफ छोटी-सी समुद्र-यात्रा कर आवे और उन्हें यह विचार पसन्द भी आया था। यह भी तजवीज की गई थी कि कोई डाक्टर-मिश्र यात्रा में साथ रहे। इन शरख से वह कलकत्ता गये भी, मगर वहाँ उनकी तबीयत और भी खराब होती गई और वह आगे न बढ़ सके। कलकत्ते में बाहर एक न्यान में

सात हफ्ते तक रहे। कमला को छोड़कर हमारे घर के सब लोग उनके साथ थे। कमला इलाहाबाद में बहुत असें तक कांग्रेस का काम करती रही।

मेरी गिरफ्तारी इतनी जल्दी शायद इसलिए हुई कि मैं करवन्दी-आन्दोलन के सिलसिले में काम कर रहा था, मगर सब पूछिए तो मेरी गिरफ्तारी से बढ़कर उस आन्दोलन को बढ़ानेवाली और कोई घटना नहीं हो सकती थी—खासकर उस दिन गिरफ्तारी से जबकि किसान-सम्मेलन खतम ही हुआ था और उसके प्रतिनिधि इलाहाबाद में ही मौजूद थे। इससे उनका उत्साह बहुत बढ़ गया और वे जिले के करीब-करीब हर गाँव में सम्मेलन का फैसला अपने साथ लेते गये। दो-एक दिन में ही बिन्ने-भर में खबर फैल गई कि करवन्दी-आन्दोलन शुरू हो गया है और हर जगह लोग खुशी-बुशी उसमें शरीक होने लगे।

उन दिनों हमारी सबसे बड़ी मुश्किल खबर पहुँचाने की थी—लोगों को यह बतलाने की कि हम क्या कर रहे हैं और उनसे क्या कराना चाहते हैं। मखवार हमारी खबरों को छापने के लिए तैयार नहीं थे, इन डर से कि सरकार उनको सजा देगी और दवा देगी, छापाखाने हमारे इन्तिहार और पत्रिकायें छापने को तैयार नहीं थे, पत्रों और तारों को काट-छाट दिया जाता था और जक्सर रोक भी लिया जाता था। खबरें पहुँचाने का क्राविल इन्मानान तरीका जो हमारे पास बाक़ी था वह यह था कि हम हरखारों के मार्फ़न अपनी खबरें भेजें। इनमें भी हमारे हरखारों को कभी-कभी गिरफ्तार कर लिया जाता था। यह तनीय सुर्चीया था, और इसमें बड़े मगऊन की भी जरूरत थी। लेकिन इसमें कुछ मफ़ना मिली। ग्रान्तीय बायालय प्रधान कार्यालय के निरन्तर सम्पर्क में रहने थे और अपने खास-खास जिम्मानेन्द्रों के सम्पर्क में भी। घरों में कोई खबर फैलाना मुश्किल नहीं था। कई घरों में

जी, मैं जल्दी तब में कई प्रमीदाओं ने धरना कर दे दिया और नगरीय ग्राम ने प्रति जिनकी महादुःखि थी ऐसे भी कई लोगों ने कर दे दिया। उनका दण्ड बहुत भारी था और उनके बहुत दुःखस्तान उठाने की सम्भावना थी। जहाँतक किसानों का सम्बन्ध है, वे तो मजबूत रहे। उन्होंने उपाय नहीं दिया और उन प्रकार हानाग शान्दोलन एक करवन्दी-आन्दोलन ही हो गया। महात्माजी के सारे मजबूतप्रान्त के कुछ इतरे जिलों में भी फैल गया। कई जिलों में उनकी दाखाना अल्प्यार नहीं किया गया न उनका ऐलान किया गया परन्तु चान्च में किसानों ने नर देना रोष किया और कई जगह तो भाव के गिर जाने के कारण ने दे ही नहीं सके। इतने कई महीनों तक न तो सरकार ने और न बड़े प्रमीदाओं ने उन सरफस किसानों को मयभीत करने के लिए कोई बड़ी कार्रवाई की। उन्हें अपनी कामयाबी पर भरोसा नहीं था, क्योंकि एक तरफ तो सविनय भंग-आन्दोलन के महिन राजनैतिक सग्राम था और दूसरी तरफ आर्थिक मन्दी का प्रदन था, जिसने कि किसान दुखी थे। इन दोनों कठिनाइयों का समावेश एक-दूसरे में हो गया और सरकार को बराबर यह डर रहा कि वहाँ किसानों में कोई तूफान न उठ सके हो। उबर लदन में गोलमेक-आन्दोलन हो रही थी। इसलिए इधर भारतवर्ष में सरकार अपनी तकलीफें नहीं बढ़ाना चाहती थी, और न "खोरदार" हुकूमत का प्रभावशाली प्रदर्शन ही करना चाहती थी।

जहाँतक इस प्रान्त का सम्बन्ध है, करवन्दी-आन्दोलन का एक खास नतीजा दिखाई दिया। इससे हमारे नग्राम का आकर्षण-केन्द्र शहरी प्रदेश ने हटकर देहाती प्रदेशों में चला गया, जिससे कि आन्दोलन में नवजीवन आ गया और जिसने उसकी बुनियाद को अधिक व्यापक और मजबूत बना दिया। यद्यपि हमारे शहरी लोग इसमें हैरान हो गये और थक गये और हमारे मध्यम श्रेणी के लोग किसी हदतक हतोत्साह हो

गये, परन्तु सयुक्तप्रान्त में आन्दोलन मजबूत था और पहले किसी भी समय किये गये आन्दोलन से मजबूत रहा। शहर से देहात की तरफ परिवर्तन और राजनैतिक से आर्थिक समस्याओं की तरफ परिवर्तन दूसरे प्रान्तों में इतनी हद तक नहीं हुआ और फलतः उनमें शहरों की प्रधानता बनी रही और वे मध्यमवर्ग के लोगों की थकावट से ज्यादा-से-ज्यादा नुकसान उठाते रहे। बम्बई शहर में भी, जो कि शुरू से अखीर तक आन्दोलन में खूब भाग लेता रहा, कुछ-कुछ निफत्साह फैलने लगा। बम्बई में और दूसरी जगह भी हुकूमत की अवहेलना और गिरफ्तारियाँ भी जारी रही, परन्तु यह सब किसी कदर वनावटी दिखाई देता था। उसका सजीव तत्त्व जाता रहा था। यह स्वामाविक भी था, क्योंकि जन-समूह को लम्बे समय तक किसी क्रान्ति की स्थिति में रखना असम्भव है। आम तौर पर तो ऐसी स्थिति कुछ दिनों तक ही टिका करती है, परन्तु सविनय भंग की यह अद्भुत शक्ति है कि जिससे यह कई महीनों तक जारी रहे और उसके पश्चात् भी मन्दगति से अमर्यादित समय तक चलता रह सकता है।

सरकारी दमन बढ़ा। स्थानिक काँग्रेस कमिटियाँ, यूथ-लीग आदि, जोकि अनीतक आश्चर्य के साथ चलती रही थी, गैर-कानूनी करार दे दी गईं और दबा दी गईं। जेलों में राजनैतिक कैदियों के साथ ज्यादा बुरा बर्ताव होने लगा। सरकार खास करके इससे चिढ़ गई, कि लोग जेल से छूट जाने के बाद तुरन्त ही फिर जेल में चले जाते थे। सजा के बावजूब भी सत्याग्रहियों को झुकाने में असफल होने के कारण शासकों का हौसला ढीला हो गया। जाहिरा तौर पर जेल-शासन-सम्बन्धी अपराधों के कारण सयुक्तप्रान्त में नवम्बर या दिसम्बर १९३० के शुरू में कुछ राजनैतिक कैदियों को बेंत की सजा दी गई थी। इसकी खबर हमको नैनी-जेल में पहुँची। उससे हम क्षुब्ध हो उठे—तबसे हम

हिल्टुन्मान में इमके तथा इमसे नी छराद दृग्गो बां घटनाको जे आदी हो गये हैं—बयोगि बें लगाना दुरेने-दुरे जीर जेन्-जीघन के आदी कौदियां के लिए नी मुझे एक ज्वान्छनीय धानना मागून हुई, और नीजवान कौमन्-हृदय ब्रजो के लिए, और मो नी नाममान के नियमनन के कुर में तो बेंन की मडा की बिलकुल जगली ही कहना चाहिए। हगारी वरक के हन चारो ने सरफा को इनको वागत लिखा, और जब दो हफ्ते तक उनका कोई जवाब न आया तो हमने इस बेंत लगाने के विरोध में और इन ज्वरता के गिकार होनेवालों के प्रति हमदर्दी में कोई निश्चिन्त कार्रवाई करना तय किया। हमने तीन दिन— ७२ घटे—का पूरा उपवास किया। उपवास के लिहाज ने यह कोई बड़ी बात न थी, मगर हमें उपवास का अन्याय नहीं था और न यही जानते थे कि हम उसमें किनेने टिक मक्केगे। इससे पहले २४ घटे ने ज्यादा का उपवास जेंने शायद ही कभी किया हो।

हमें उपवास के दिनों में जोड़े ज्यादा तकलीफ नहीं हुई, और मुझे यह जानकर खुशी हुई कि जयमें बंसी सल तकलीफ की कोई बात नहीं थी जैसा कि डर था। नगर एक बेवकूजी मंने की। उपवास भर मंने बननी बडी कसरत भी जारी रखी थी, जैसे दीडना और हाथ-पांव जो झटके देने की कसरत वगैरा। मैं नहीं समझता कि उसने मुझे कोई ज्यादा फायदा हुआ। खानकर उम हालत में जबकि मेरी तबीयत पहले से ही कुछ बलील थी। इन तीन दिनों में हन सब का वजन ७ से ८ पीण्ड तक घटा। इनने पहले महीने में कोई १५ से २६ पीण्ड तक वजन हम हरक का घट चुका था मो बलग।

हमारे उपवास के बलावा, बाहर भी, बेंत लगाने के खिलाफ खाना बान्दोन्न हो रहा था, और नै नमसना हूँ कि युक्नप्रान्तीय सरकार ने महकमा जेल् को ऐसी हिदायतें भेजी थीं कि मायन्दा बेंत न लगाने

जायें । मगर यें आज्ञायें ज्यादा दिन कायम नहीं रहने को थी और कोई १ साल के बाद युक्तप्रान्त की और दूसरे प्रान्तों की जेलों में बैठो की सजा फिर दी जाने लगी ।

बीच-बीच में यदि ऐसी उत्तेजक घटनाओं से खलल न पडा होता तो हमारा जेल-जीवन शान्तिपूर्ण रहता । मौसम अच्छा था और जाडा तो इलाहाबाद में बहुत ही मजेदार होता है । रणगीत पढित क्या आये, हमारी बैरक को अलम्ब्य लॉभ मिल गया, क्योंकि वह बागवानी बहुत कुछ जानते थे और शीघ्र ही वह हमारा बीराना अहाता फूटो और तरह-तरह के रगो से गुलजार होगया । उन्होने तो उस तग और थोडी जगह में छोटे पैमाने पर गोल्फ खेलने की सुविधा भी कर दी थी ।

नैनी-जेल में हमारे सिर पर से हवाई-जहाज उडकर जाया करते थे और यह हमारे लिए एक आनन्द और मनोरजन का विषय होगया था । पूर्व और पश्चिम को आने-जानेवाले बडे-बडे हवाई जहाजो के लिए इलाहाबाद एक खास स्टेशन है और आस्ट्रेलिया, जावा, और फ्रेच इन्डोचायना को जाने वाले बडे-बडे जहाज सीधे हमारे सिर पर से गुजरा करते थे । उनमे सबसे बडे और शाही थे डच जहाज, जो बटेविया आते-जाते थे । कभी-कभी इतिफाक से और हमारी खुशकिस्मती से जाडे में अलस्पुवह, जबकि कुछ-कुछ अघेरा रहता था और तारे चमकते दिखाई देते थे, कोई जहाज ऊपर से गुजरता था । उसमें खूब रोशनी की जगमगाहट रहती थी और उसके दोनो भिरो पर लाल रोशनी होती थी । प्रात काल के स्वच्छ नीलाकाश में जब वह जहाज ऊपर उडता तो उसका दृश्य बडा ही सुन्दर मालूम होता था ।

पढित मदनमोहन मालवीय भी, किसी दूसरी जेल से, नैनी भेज दिये गये थे । वह हमसे अलग दूसरी बैरक में रखे गये थे, लेकिन हम रोज उनसे मिलते थे और शायद बाहर की बनिस्वत वहाँ में उनका अधिक

परिचय कर गया। वह बड़े खुश-मिजाज साथी थे। जीवनी-शक्ति से भरे-पूरे और हर बात में एक युवक की तरह दिलचस्पी लेनेवाले। रणजीत की सहायता से उन्होंने जर्मन पढ़ना शुरू किया और उस सिलसिले में उन्होंने अपनी विलक्षण स्मरण-शक्ति का परिचय दिया। जब यह बेंत लगाने की खबर मिली तब वह नैनी में ही थे और यह खबर सुनकर बहुत बिगड़े थे और उन्होंने हमारे सूबे के कार्यवाहक गवर्नर जो इसके विषय में लिखा भी था। इसके बाद ही वह बीमार हो गये। जेल की नर्तों उन्हें बरदाश्त न हुई। उनकी बीमारी चिन्ताजनक होती गई और वह शहर के अस्पताल में भेज दिये गये और कुछ दिन बाद मियाद से पहले ही वहाँ से रिहा कर दिये गये। खुशी की बात है कि अस्पताल जाकर वह चगे हो गये।

१ जनवरी १९३१ को अग्रेजी साल के नये दिन, कमला की गिरफ्तारी की खबर हमें मिली। मुझे इससे खुशी हुई, क्योंकि वह बहुत दिनों से अपने दूसरे साथियों की तरह जेल जाने को बहुत उत्सुक थी। यो तो अगर वह मर्द होती तो वह और मेरी बहन दोनों तथा और भी दूसरी स्त्रियाँ बहुत पहले ही गिरफ्तार हो गई होती, मगर उस वक्त सरकार जहातक हो सकता था स्त्रियों को गिरफ्तार करना टालती थी और इससे वह इतने असें तक बच रही और अब जाकर उसके मन की मुराद बर आई। मैंने सोचा, सचमुच उसे कितनी खुशी हुई होगी। मगर माय ही मुझे एक खौफ भी हुआ, क्योंकि उसकी तन्दुरुस्ती हमेशा खराब रहती थी और मुझे अदेगा था कि जेल में कहीं उसे बहुत ज्यादा तरुश्रीक न हो।

गिरफ्तारी के वक्त एक पत्र-प्रतिनिधि वहाँ मौजूद था और उसने उसमें एक भद्रण माँगा। उन्हीं क्षण झट से उसने एक छोटा-सा सदेश दिया, जो उसके स्वभाव के अनुकूल ही था—“आज मुझे चेहरे खुशी है

और मुझे फटा है कि मैं अपने पति के पैद-चिन्हों पर चल सकी हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस ऊँचे उठाये क्षटे को नीचे न झुकने देंगे।” मुमकिन था कि अगर वह कुछ सोच पाती तो ऐसा सदेश न देती, क्योंकि वह अपनेको पुरुषों के जुल्मों से स्त्रियों के अधिकारों की रक्षा करने का बानी-भुबानी समझती थी। लेकिन उस समय हिन्दू स्त्रीत्व के संस्कार उसमें प्रबल हो उठे और उनके प्रवाह में मर्दानों के जुल्म न जाने कहाँ बह गये।

पिताजी कलकत्ता थे और उनकी हालत सन्तोषजनक न थी। लेकिन कमला की गिरफ्तारी और सजा के समाचार सुनकर वह बहुत उद्विग्न हो गये और उन्होंने इलाहाबाद लीटना तय किया। फौरन ही मेरी बहन कृष्णा को उन्होंने इलाहाबाद रवाना किया और खुद घर के और लोगों के साथ कुछ दिन बाद चले। १२ जनवरी को वह मुझसे मिलने नैनी आये। मैंने उन्हें कोई दो मास बाद देखा था, और उन्हें देखकर मेरे दिल को जो धक्का लगा उसे मैं मुश्किल से छिपा सका। उनके चेहरे को देखकर मेरे दिल में जो बहगत बैठ गई उससे वह अनजान मालूम हुए, क्योंकि उन्होंने मुझसे कहा कि कलकत्ते की वनिस्वत अब तो मैं बहुत अच्छा हूँ। उनके चेहरे पर वरम आ गया था और वह शायद यह समझते थे कि यह तो यो ही आ गया है।

उनके उस चेहरे का मुझे रह-रहकर खयाल हो जाता था। वह किसी तरह उनके चेहरे जैसा न रहा था। अब पहली मर्तबा मेरे दिल में यह डर पैदा हुआ कि उनके लिए खतरा सामने खड़ा है। मैंने हमेशा उनकी कल्पना बल और स्वास्थ्य के साथ साथ ही की थी और उनके सम्बन्ध में मीत का खयाल कभी मन में नहीं आता था। मीत के खयाल पर वह हमेशा हँस दिया करते थे—उसे हँसी में उड़ा दिया करते थे, और हमसे कहा करते थे कि मैं तो अभी बहुत दिन जीऊँगा। लेकिन इधर बाद में मैं देखता था कि जब कभी कोई उनका जवानी का मित्र मर

जाता, तब वह अपने को अकेला-सा, अटपटे माथियों और लोगों में छूट गया-सा और मृत्यु के आने का इशारा सा होता हुआ अनुभव करते थे। लेकिन आम तौर पर यह नाव आकर चला जाता था और उनकी ओत-प्रोत जीवनी-शक्ति अपना जोर जमा लेती थी। हम परिवार के लोग उनके इस बहु-सम्पन्न व्यक्तित्व के जोर उनके सर्वव्यापी उत्साह-प्रद न्नेह-पान के कितने अभ्यस्त हो गये थे कि उनके बिना दुनिया की कल्पना करना हमारे लिए कठिन था।

उनके चेहरे को देखकर मुझे बड़ा दुःख हुआ और मेरे मन में तरह-तरह की आसक्तियाँ छा गईं। ताहम मुझे यह खयाल नहीं हुआ था कि खतरा इतना नजदीक था पहुँचा है। ठीक उन्हीं दिनों पता नहीं क्यों, खुद मेरी भी तन्दुरुस्ती अच्छी नहीं रहती थी।

पहली गोलमेज-कान्फ्रेंस के वे आखिरी दिन थे और उसमें जो आलोचकिक भाषण हुए और आडवरयुक्त भाव प्रदर्शित किये गये वे हमारे मनोरञ्जन का विषय बन गये थे, और मुझे कहना होगा कि उस मनोरञ्जन में कुछ हिकारत का भाव भी था। वहाँ के भाषण और लबी-चौड़ी बातें और नादविवाद हमें अवास्तविक और ध्ययं मालूम होते थे; पर हाँ, एक वास्तविकता साफ दिखाई पड़ती थी—वह यह कि देश की कठिन परीक्षा के अवसर पर और जबकि हमारे भाइयों और बहनो ने अपने आचरण से सबको इतना आश्चर्य में डाल दिया, तबभी हमारे देश में ऐसे लोग थे जो हमारे मज्जम की अबहेलना करते थे और हमारे विपक्षियों की तरह अपना नैतिक बल लगाते थे। यह बात हमें पहले से भी ज्यादा साफ नजर आ गई कि राष्ट्रीयता की धोखे की टट्टी में विरोधी आर्थिक हित अपना काम कर रहे हैं और किस तरह स्थापित स्वार्थ उनी राष्ट्र-धर्म के नाम पर भविष्य के लिए अपनी रक्षा करने की चेष्टा कर रहे हैं। गोलमेज-कान्फ्रेंस इन स्थापित स्वार्थों के प्रतिनिधियों का

ही एक सम्मेलन था । उनमें से किननों ही ने हमारे सग्राम का विरोध किया था, कुछ खामोश होकर एक तरफ खड़े देखते थे—हाँ, समय-समय पर हम इस बात की याद भी दिलाया करते थे कि “जो खड़े होकर इन्तज़ार करते हैं वे एक तरह की सेवा ही करते हैं ।” लेकिन ज्योंही लन्दन से डोर हिन्दी इस इन्तज़ारी का एकाएक अन्त आ गया और वे अपने विशेष हितों की रक्षा के लिए और जो कुछ टुकड़े और मिल सकते हैं उनमें हिस्सा बाँटने के लिए एक के धाद एक दौड़ पड़े । लन्दन में यह जमीयत और भी जल्दी इसलिए की गई कि काँग्रेस तेज़ी के साथ बायें पक्ष की ओर जा रही थी और उसपर जनता का अधिकाधिक प्रभाव पड़ता जा रहा था । यह सोचा गया कि अगर भारत में आमूल राजनैतिक परिवर्तन का दौर आ गया तो इसके मानी होंगे जनता की भिन्न-भिन्न शक्तियों या अंगों का प्राधान्य हो जाना, या कम-से-कम महत्वपूर्ण बन बैठना । और ये लाजिमी तौर पर आमूल सामाजिक परिवर्तन पर जोर देंगे और इस तरह स्थापित स्वार्थों को धक्का पहुँचा जावेगे । हिन्दुस्तानी स्थापित स्वार्थवाले इस आनेवाली आफ़त को देखकर सहम गये और इसके कारण उन्होंने दूरगामी राजनैतिक परिवर्तनों का विरोध किया । उन्होंने चाहा कि ब्रिटिश लोग यहाँ वर्तमान सामाजिक ढाँचे को और स्थापित स्वार्थों को कायम रखने के लिए अन्तिम निर्णायक-शक्ति के तौर पर कायम रहे । औपनिवेशिक पद पर जो इतना जोर दिया गया उसके मूल में यही धारणा काम कर रही थी । एक दफा तो एक मशहूर हिन्दुस्तानी लिबरल नेता मुझपर इस बात के लिए विगड पड़े थे कि मैंने ग्रेट ब्रिटेन के साथ होनेवाले समझौते के अग्र-रूप ब्रिटिश फौज के हिन्दुस्तान से तुरन्त हटा दिये जाने और उसकी जगह हिन्दुस्तानी फौज के लोकतन्त्र के मातहत कर दिये जाने पर जोर दिया था । वह तो यहाँतक आगे बढ़ गये थे कि बोले—“अगर ब्रिटिश सरकार इस बात

पर ग्लान्द से भी पाप नो मैं अपनी पूरा रात से इसका विरोध
 बना।' किसी भी तरह की कमी गजाली के लिए यह माँग बहुत
 जल्दी थी। मैं भी उन्होने इसका जो विरोध किया वह इसलिए नहीं
 के, किन्वा हान में वह पूरी नहीं की क चन्नी थी, बल्कि इसलिए
 कि वह अत्यन्तनीय नम्नी गई। इसका आशिक कारण तो थायद यह
 इर है कि दाहरी शक्तिगं हमारे देश पर बाबा बोल देंगी, और वह
 नमनो पं कि ब्रिटिश जाँ उन मनय हनारी रखा के काम आवेगी !
 न- टैप न्नी हमने को सन्भावना हो या न हो, इसके अलावा भी
 किन्नी भी जायदार हिन्दुस्तानी के लिए यह खयाल ही कितना जलील
 करनेवाला है कि वह किनी बाहरी आदमी से अपनी रक्षा करने के लिए
 कहे। मगर अंग्रेजों की मचल बाहु को हिन्दुस्तान में कायम रखने की
 स्याहिन की तह में असली बात यह नहीं थी। अंग्रेजों की जल्दता तो
 समझी गई थी खुद हिन्दुस्तानियों ने, लोकनन्त्र से और जनता की आगे
 बटनी हुई लहर के प्रभाव ने, हिन्दुस्तानी ग्जापित स्वार्थों की रक्षा
 के लिए।

इसलिए गोलमेक के प्रमिद्ध प्रतिगामी और सान्प्रदायिक ही नहीं बल्कि
 वे प्रनिनिधि भी जो अपने को उन्नतिगाल और राष्ट्रवादी कहते थे, आपस
 में तथा ब्रिटिश सरकार के और अपने बीच अपने समान-हित की बहुत
 बातें पाने थे। राष्ट्र-धर्म सचमुच में बहुत व्यापक और भिन्न-भिन्न अर्थ
 रखनेवाला शब्द मालूम हुआ—एक तरफ उसमें जहाँ वे लोग शामिल थे
 जो आजादी की लड़ाई में लूझने हुए जेल गये थे, तो दूसरी तरफ उसमें
 उन लोगों का भी समावेश होता था जो हमें जेल भेजनेवालों से हाथ
 मिलाते थे, उनकी कनार में लड़े होते थे और उनके साथ बैठकर एक
 कार्य-नीति बनाने का आयोजन करते थे। एक दूसरे लोग भी हमारे देश
 में थे—बहादुर राष्ट्रवादी, जो धारा-प्रवाह व्याख्यान साडते थे, जो हर

तरह से स्वदेशी-आन्दोलन को बढ़ावा देते थे। वे हमसे कहते थे कि इसी-में स्वराज का सार छिपा हुआ है। इसलिए कुरवानी करके भी स्वदेशी को अपनाओ, और तकदीर से इस आन्दोलन की बढ़ोतरी उन्हें कुछ त्याग नहीं करना पड़े। उल्टा उनकी तिजारत और मुनाफा बढ़ गया। और जब एक तरफ-कितने ही लोग जेल गये और लाठी-प्रहार का मुकाबिला किया, तो दूसरी तरफ वे अपनी दुकानों में बैठ बैठकर रुपये गिन रहे थे। बाद को जब राष्ट्रवाद ने ज़रा उग्र रूप धारण किया और उसमें ज्यादा जोखिम दिखाई दी तो उन्होंने अपने भाषणों का स्वर नीचा कर दिया, गरम-दलवालों को बुरा कहने लगे और मुखालिफों के साथ राजीनामे और ठहराव कर लिये।

हमें सचमुच- इसका कुछ खयाल या परवा नहीं थी कि गोलमेन्ड-कान्फेन्स ने क्या किया। वह हमसे बहुत दूर, अवास्तविक और खोखली थी और लड़ाई यहाँ हमारे कस्बों और गाँवों में ही रहनी थी। हमें इस बात में कोई श्रम नहीं था कि हमारी लड़ाई जल्द ही खत्म हो जायगी, या खतरा सामने खड़ा है, मगर फिर भी १९३० की घटनाओं ने हमें अपने राष्ट्रीय बल और दमखम का इत्मीनान करा दिया और उस इत्मीनान के भरोसे हमने भावी का मुकाबिला किया।

दिसम्बर या जनवरी के शुरु की एक घटना से हमें दुःख पहुँचा। श्री श्रीनिवास शास्त्री ने एडिनबरो के (जहाँ मैं समझता हूँ कि उन्हें 'शहर की आजादी' की उपाधि भेंट की गई थी) अपने एक भाषण में उन लोगों के प्रति नफरत के भाव जाहिर किये जो सविनय भंग-आन्दोलन के सिल-सिले में जेल जा रहे थे। उस भाषण ने और खासकर जिस मौके पर वह दिया गया उसने हमारे दिलों को झलमी कर दिया। क्योंकि यद्यपि राजनीति में शास्त्रीजी से हमारा बहुत मतभेद था, तो भी हम उनकी इज्जत करते थे।

कर दिया है, लेकिन जबतक आप दोनों यहाँ न आ जायेंगे और आपसे बात-चीत न हो जायगी, तबतक वह प्रकाशित न किया जायगा।

बाहर यह जो कुछ ही रहा था उसका हमें जेल में कुछ पता न था। हम इतना ही जानते थे कि कुछ होनेवाला है और इससे हम कुछ चिन्तित हो गये थे। हमें जिस बात का सबसे अधिक खयाल था, वह तो था २६ जनवरी के स्वतन्त्रता-दिवस का प्रथम वापिकोत्सव, और हम सोचते थे कि देखें यह किस तरह मनाया जाता है। बाद को हमने सुना कि वह सारे देश में मनाया गया। समायें की गईं और उनमें स्वाधीनता के प्रस्ताव का समर्थन किया गया और सब जगह वह एकसा पास किया गया, जिसे 'स्मारक प्रस्ताव' कहा जाता था। इस उत्सव का सगठन एक तरह की करामात ही थी। क्योंकि न तो अखबार न छापे-खाने ही सहायता करते थे, न तार व डाक से ही काम लिया जा सकता था। लेकिन फिर भी एक ही प्रस्ताव अपनी-अपनी प्रान्तीय भाषा में, कई बड़ी-बड़ी समायें करके, करीब-करीब एक ही समय देशभर में, क्या देहात और क्या कस्बे सब जगह, पास किया गया। बहुतेरी समायें तो कानून की अवहेलना करके की गईं और पुलिस के द्वारा बलपूर्वक तितर-बितर की गईं थी।

२६ जनवरी को हम नैनी-जेल में गुज्रिस्ता साल का सिंहावलोकन कर रहे थे और आगामी वर्ष को आशा की दृष्टि से देख रहे थे। इतने ही दोपहर को एकाएक मुझे कहा गया कि पिताजी की हालत बहुत नाशुक हो गई है और मुझे फौरन घर जाना होगा। पूछने पर पता चला कि मैं रिहा किया जा रहा हूँ। रणजीत भी मेरे साथ थे।

उस शाम को हिन्दुस्तान की क़ितनी ही जेलों से बहुत-से दूसरे लोग भी छोड़े गये। ये लोग थे कार्य-समिति के मूल और

१. यह प्रस्ताव परिशिष्ट न० ३ में दिया गया है।

स्नानादि करके । स्नान करने के बाद मैं मिलकर हालात पर गौर करते थे, प्रैका देना चाहती थी । इसलिए, मैं उसी शाम को हर हालत में छूट जाता । पितार्जी की तबीयत की वजह से कुछ घण्टे पहले रिहाई होगई । २६ दिन का जेल-जीवन बिताकर कमला भी उसी दिन लखनऊ-जेल से छोड़ दी गई । वह भी कार्य-समिति की एक स्थानापन्न मेम्बर थी ।

: ३३ :

पिताजी का देहान्त

पिताजी को मैंने दो हफ्ते बाद देखा । १२ जनवरी को नैनी में जब वह मिलने आये थे तब उनका चेहरा देखकर मेरे दिल को एक धक्का लगा था । तबसे अब उनकी तबीयत और ज्यादा खराब हो गई थी और उनके चेहरे पर ज्यादा वरम आ गया था । बोलने में कुछ तकलीफ होती थी और दिमाग पर पूरा-पूरा काबू नहीं रहा था, लेकिन फिर भी उनकी सकल्प-शक्ति बंसी ही कायम रही थी और वह उनके शरीर और दिमाग को काम करने में ताकत देती रही ।

मुझे और रणजीत को देखकर वह खुश हुए । एक या दो रोज बाद रणजीत (वह कार्य-समिति के सदस्यों की श्रेणी में नहीं आते थे इसलिए) वापस नैनी भेज दिये गये । इनसे पिताजी को बहुत बुरा मानस हुआ और वह बार-बार उनको याद करते थे और शिकायत करते थे, कि जब इनके मारे लोग मुझसे दूर-दूर से मिलने आते हैं तब मेरा सामना ही मुझसे दूर रक्खा जाता है । उनके इस आग्रह से डॉक्टर लोग चिन्तन में और यह बाहिर था कि उससे पिताजी को कोई फायदा नहीं हो रहा था । ३ या ४ दिन बाद, मैं समझता हूँ डॉक्टरों के कहने से, मुम्बई-प्रान्त की सरकार ने रणजीत को छोड़ दिया ।

२६ जनवरी को, उसी दिन जिस दिन मैं छोड़ा गया, गांधीजी भी थरवड़ा-जेल से रिहा कर दिये गये। मैं उत्सुक था कि वह इलाहाबाद आवे, और जब मैंने उनके छूटने की खबर पिताजी को दी तो मैंने देखा कि वह उनसे मिलने के लिए आतुर थे। एक खबरदस्त जन-समूह के द्वारा, जैसा कि बम्बई में पहले कभी नहीं देखा गया, स्वागत हो जाने के बाद दूसरे ही दिन गांधीजी बम्बई से चल पड़े। वह इलाहाबाद रात को देर से पहुँचे। लेकिन पिताजी उनसे मिलने की इन्तजारी में जग रहे थे, और उनके आने से और उनके कुछ शब्द सुनने से पिताजी को बड़ी शान्ति मिली। उनके आने से मेरी माँ को भी बहुत शान्ति और तसल्ली रही।

अब कार्य-समिति के जो मूल और स्थानापन्न मेम्बर रिहा किये गये थे, वे इस बीच में असमजस में पड़े हुए मीटिंग के लिए सूचनाओं का इन्तजार कर रहे थे। कितने ही लोग पिताजी की बाबत चिन्तित थे और तुरन्त ही इलाहाबाद आ जाना चाहते थे। इसलिए यह तय हुआ कि उन सबको फौरन मीटिंग के लिए इलाहाबाद बुला लिया जाय। दो दिन के बाद ३० या ४० लोग आ गये और हमारे मकान के पास ही स्वराज्य-भवन में उनकी मीटिंगें होने लगी। कभी-कभी मैं इन मीटिंगों में चला जाता था। लेकिन मैं अपनी चिन्ताओं में इतना मुक्तिला रहता था कि उनमें कोई उपयोगी हिस्सा नहीं लेता था और इस समय मुझे कुछ याद नहीं है कि वहाँ क्या-क्या निर्णय हुए थे। मेरा खयाल है कि वे सविनय-भंग-आन्दोलन को जारी रखने के हक में हुए थे।

ये मित्र और साथी लोग, जिनमें से बहुतरे तो हाल ही जेल में छूटे थे और फिर शीघ्र ही जेल जाने की आशा लगाये बैठे थे, पिताजीसे मिन्नना चाहते थे और उनके अन्तिम दर्शन करके अन्तिम विदा लेना चाहते थे।

मुझसे-मनम म दो-तीन अडे और पिताजी अपने इन पुराने साथियों का स्वागत करने के लिए आराम-कुर्मी पर बैठने का आग्रह करते थे। उनका झिंझोला तो भयंकर भार चढ़ा भाव-शून्य दिखाई देता था, क्योंकि वरन आ जाने के कारण चेहरे पर भाव प्रकट नहीं हो पाते थे। लेकिन जैसे-जैसे एक के बाद एक साथी अति और अति थे तैसे-तैसे उन्हें पहचान पहचानकर उनकी आँखों में चमक आ जाती थी। उनका सिर कुछ झुका हुआ था और नमस्कार के लिए हाथ झुका जाते थे। हालाँकि वह उम्रवा नहीं बोल सकते थे, कभी-कभी कुछ शब्द बोलते थे, मगर फिर भी उनका पुराना हैमो-मखाक कायम था। वह एक बूढ़े शेर की तरह, जिसका शरीर बुरी तरह चर्मो हो गया हो और जिसकी-ताकत शरीर से करीब-करीब चली गई हो, बैठे थे, लेकिन उस हालत में भी उनकी ध्यान तो मिहो या राजाओं जैसी ही थी। जब-जब मैं उनकी तरफ देखता, तो मैं चौचता कि उनके दिमाग में क्या-क्या खयाल आते होंगे? क्या वह हम लोगों के काम-काज में दिलचस्पी लेने की हालत में नहीं रहे हैं? यह माफ मानून होना था कि वह अक्सर अपने-आपसे लड़ते थे। वीरों उनकी पण्ड से निकलना चाहती थी और वह उनपर डावू पाने की कोशिश करने थे। अखीर तक यह लड़ाई जारी रही। मगर वह हारे नहीं। जब-जब बड़ी ही स्पष्टता के साथ हमने बातें करते थे—यहाँ तक कि जब गले की सिट्टून ने उनके मुँह से शब्द निकलना मुश्किल हो गया था तो वह काज पर टिक-लिनकर अपना आगम आदि करते थे।

काम-मिनि की बैठकों में, जो कि हमारे ही पड़ोस में ही हो रही थी, उन्होंने, गद्गल चाहिए कि, कुछ भी दिलचस्पी नहीं ली। १५ रोज हमने उनमें उनका उन्माद उलर बढ़ा देना, मगर अब शायद उन्होंने महसूस किया कि अब वह हममें बहुत दूर निकल गये हैं। उन्होंने

गांधीजी से कहा—“महात्माजी ! मैं जल्दी ही चला जानेवाला हूँ, स्वराज्य देखने के लिए जिन्दा नहीं रहूँगा। लेकिन मैं जानता हूँ कि आपने स्वराज्य फतह कर लिया है और जल्दी ही वह आपके हाथ में आ जायगा।”

जो दूसरे शहरों और सूबों से लोग आये थे उनमें से बहुतेरे चले गये। गांधीजी रह गये। कुछ और घनिष्ठ मित्र, करीबी रिश्तेदार और तीन नामी डाक्टर भी, जो उनके पुराने मित्र थे और जिनको वह कहा करते थे कि मैंने अपना शरीर आपके हाथ में महफूज रखने के लिए सौंप दिया है। वे थे डाक्टर अन्सारी, विद्यानचन्द्र राय और जीवराज मेहता। ४ फरवरी को उनकी हालत कुछ अच्छी दिखाई पड़ी और इसलिए यह तय किया कि उससे फायदा उठाकर उन्हें लखनऊ ले जाया जाय, जहाँ कि डीप एक्स-रे द्वारा इलाज की सुविधायें हैं। उसी दिन उन्हें हम मोटर से ले गये। गांधीजी और कुछ लोग भी साथ गये। हम गये तो धीरे-धीरे, लेकिन फिर भी वह बहुत थक गये। दूसरे दिन थकावट दूर होती हुई मालूम हुई लेकिन फिर भी कुछ चिन्ता-जनक लक्षण दिखाई पड़ते थे। दूसरे दिन सुबह यानी छ फरवरी को मैं उनके विछीने के पास बैठा हुआ उन्हें देख रहा था। रात उनकी तकलीफ और बेचैनी में बीती थी। एकाएक मैंने देखा उनका चेहरा शान्त हो गया और लड़ने की शक्ति खत्म हो गई। मैंने समझा कि उन्हें नीद लग गई है और इससे मुझे खुशी भी हुई। मगर माँ की निगाह तेज थी। वह रो पड़ी। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा कि उन्हें नीद लग गई है, वह जाग जायेंगे। मगर वह नीद उनकी आखिरी नीद थी और उसके बाद फिर जगना नहीं हो सकता था।

उसी दिन हम उनके गव को मोटर से इलाहाबाद लाये। मैं उसके साथ बैठा। रणजीत हाँक रहे थे और पिताजी का पुराना नौकर हरि

मी लग ज। उमा पोछ दूरी मोट री तिममं मां और माधोजी ये गर उमो बाद दूरी मोट री। मे शिवन मीताता-मा र्हा। यह अनुभव करना मुश्किल था कि क्या घटना हुई है और ता के बाद एक हुई घटनाओं और बर्त-बड़ी नीती के काम में कुछ मोन री न ना। इतिला मिलते ही लगनक में बड़ी मोट गमा हो गई। यहाँ मेअव को लेकर उलाहावाद आवे। अब हमारे राट्टी में में लगेटा हुआ था और ऊपर एक बडा नत्र फहरा रता था। मोनो तक जयन्दन मोट उनके पति अपनी श्रदाजलि अर्पण करने जमा हुई थी। घर पर कुछ अतिम विधियां की गई और फिर गया-थाया को चले। जबरदन्त भीड साथे थी। जौडे के दिने ये। संघर्षों को फिरणे गगान्ट पर छिटक रही थी। और चिता की अँधी-अँधी लपटो ने उस घरीर को भस्म कर दिया जिसका हमारे लिए और उनके इष्ट मित्रों के लिए और हिन्दुस्तान के लाखों लोगों के लिए इतना मूल्य और महत्व था। गाँधीजी ने छोटासा हृदयस्पर्शी भाषण किया और फिर हम सब लोग चुपचाप घर चले आवे। अब हम उवास और सुनसान लौट रहे थे, तब आकाश में तारे तेजो से चमक रहे थे।

माँ को और मुझे हचारो सहानुभूति के सदेश मिले। लाई और लेडी अविन ने माँ को एक सौजन्यपूर्ण सदेश भेजा। इस बहुत भारी सद्भावना और सहानुभूति ने हमारे दुःख और शोक की तीव्रता को कम कर दिया था। लेकिन सबसे ज्यादा और आश्चर्य-जनक शान्ति और तसल्ली तो मिली गाँधीजी के वहाँ मौजूद रहने से, जिसने कि माँ को और हम सब लोगों को हमारे जीवन के उस विपत्तकाल का सामना करने का बल दिया।

-- मेरे लिए यह अनुभव करना मुश्किल था कि पिताजी अब नहीं हैं। तीन महीने बाद में, अपनी पत्नी और लड़की सहित, लका गया था।

हम लोग वहाँ नुबारा एलीया मे शान्ति और आराम से कुछ दिन गुजार रहे थे। वह जगह मुझे बहुत पसन्द आई और मुझे एकाएक खयाल हुआ कि पिताजी को यह जगह जरूर माफिक होगी। तो उन्हें यहाँ क्यों न बुला लूँ ? वह बहुत थक गये होंगे और यहाँ आराम से उनको जरूर फायदा होगा। मैं उन्हें इलाहाबाद तार देने लगा था।

लका मे इलाहाबाद लौटते समय डाक से मुझे एक अजीब चिट्ठी मिली। लिफाफे पर पिताजी के हस्ताक्षर से पता लिखा हुआ था और उसपर न जाने कितने निधान और डाकखानो की मोहरे लगी हुई थी। मैंने उसे खोला तो देखकर आश्चर्य हुआ कि वह सचमुच पिताजी का लिखा हुआ था, लेकिन तारीख उसपर पडी थी २८ फरवरी सन् १९२६ की। वह मुझे १९३१ की गर्मियों में दिया गया था। इस तरह वह कोई साठे पाँच साल तक डगर-उधर सफर करता रहा। १९२६ में मे जब कमला के साथ यूरोप रवाना हुआ तब पिताजी ने अहमदाबाद से वह खत लिखा था। इटालियन लॉयड स्टीमर के पते पर, जिससे कि मे यात्रा करनेवाला था, वह बम्बई भेजा गया था। यह साफ है कि वह उस वक्त मुझे नहीं मिला और बहुतेरे स्थानो में भ्रमण करता रहा और शायद कितने ही डाकघरों में हवा खाता रहा। अन्त को किसी मनचले आदमी ने उसे मुझे भेज दिया। कैसा अजीब सयोग है कि वह विदाई का पत्र था।

: ३४ :

दिल्ली का समझौता

जिस दिन और जिस वक्त मेरे पिताजी की मृत्यु हुई, उसी दिन और प्राय उसी समय बम्बई मे गोलमेज-कान्फ्रेंस के कुछ हिन्दुस्तानी

मेरे जहाँ से उतरे। श्री श्रीनिवास शास्त्री और सर तेजबहादुर सभू और शाब्द इसके कुछ लोग, जिनका ज़्यादा अब मुझे नहीं है, सीधे इलाहाबाद आये। गांधीजी तथा कार्यमिति के कुछ और सदस्य वहाँ पहले ही मौजूद थे। हमारे मकान पर खानगी मीटिंगें हुईं, जिनमें यह बताया गया कि गोलमेज-कॉन्फ़ेन्स में क्या-क्या हुआ ? मगर शुरू में ही एक छोटी-सी घटना हुई। श्री श्रीनिवास शास्त्री ने खुद-ब-खुद अपने एडिनबरोवाले भाषण के सम्बन्ध में खेद प्रकट किया। उन्होंने यह भी कहा कि अपने आमपास के वातावरण का मुझपर हमेशा असर हो जाता है और मैं अत्युक्ति और गन्द्याडम्बर में बह जाता हूँ।

इन प्रतिनिधियों ने हमें गोलमेज-कॉन्फ़ेन्स के सम्बन्ध में ऐसी कोई माफ़ की बात नहीं कही, जिसे हम पहले से नहीं जानते थे। हाँ उन्होंने यह अलवृत्ता बताया कि वहाँ परदे के पीछे कैसी-कैसी साक्षिणें हुईं, और फला 'लाडें' या फला 'सर' ने खानगी में क्या-क्या किया। हमारे हिन्दुस्तानी लिबरल दोस्त हमेशा मिट्टान्तो की और हिन्दुस्तान की परिस्थिति की वास्तविकताओं की बनिस्वत इस बात को ज्यादा महत्त्व देते हुए दिखाई देने हैं कि बड़े अफ़मरो ने खानगी बातचीत में या गप-शप में क्या-क्या कहा। लिबरल नेताओं के साथ हमारी जो कुछ बातचीत हुई, उसका कोई नतीजा न निकला। हमारी पिछली राय ही और मजबूत हो गई कि गोलमेज-कॉन्फ़ेन्स के निर्णयों की कुछ भी बकल नहीं है। किनीने मुझाया—मैं उनका नाम भूल गया हूँ—कि गांधीजी वाइसराय को मुलाकात के लिए म्त्रिणें और उनके साथ खुलकर बातचीत करले। वह डम पर खामन्द हो गये। हालाँकि मैं नहीं समझता कि उन्होंने फ़र-आफ़ि की कोई आशा की हो। मगर अपने उसूल को मामूले रखने हुए वह हमें म्त्रिणों के साथ, कुछ कदम आगे जाकर भी, मित्रों और धारणा करने को तैयार रहने हैं। उन्हें चूँकि अपने

पक्ष की सत्यता का पूरा विश्वास रहता है, इसलिए वह दूसरे पक्ष के लोगों को भी कायल करने की आशा रखते थे। मगर जो वह चाहते थे वह बौद्धिक विश्वास से शायद कुछ ज्यादा था। वह हमेशा मानसिक परिवर्तन की कोशिश करते हैं। राग-द्वेष के बन्धनों को तोड़कर दूसरे की सदृच्छा और उच्च भावनाओं तक पहुँचने की कोशिश करते हैं। वह जानते थे कि यदि यह परिवर्तन हो गया तो विश्वास का आना आसान हो जायगा, या अगर विश्वास न भी आ सका तो विरोध ढीला हो जायगा और सभर्ष की तीव्रता कम हो जायगी। अपने व्यक्तिगत व्यवहारों में अपने विरोधियों पर उन्होंने इस तरह की बहुतेरी विजय प्राप्त की हैं, और यह ध्यान देने योग्य बात है कि वह महज अपने व्यक्तित्व के जोर पर किसी विरोधी को कैसे अपनी तरफ कर लेते हैं। कितने ही जालोचक और निन्दक उनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर उनके प्रशंसक बन गये, और हालांकि वह नुक्ताचीनी करते रहते हैं, मगर उसमें कहीं उपहास या खिल्ली उठाने का नामोनिशान नहीं रहता।

चूँकि गांधीजी को अपने सामर्थ्य का पता है, वह हमेशा उन लोगों से मिलना पसन्द करते हैं जो उनसे मत-भेद रखते हैं। मगर किसी व्यक्तिगत या छोटे मामले में व्यक्तियों से व्यवहार करना एक बात है और ब्रिटिश-सरकार जैसी, जो विजयी साम्राज्यवाद की प्रतिनिधि है, अमूर्त वस्तु से व्यवहार करना विलकुल दूसरी बात है। इस बात को जानते हुए, गांधीजी कोई बड़ी आशा लेकर लार्ड अविन से मिलने नहीं गये थे। सविनय भंग-आन्दोलन अब भी चल रहा था। मगर वह ढीला पड़ गया था, क्योंकि उधर सरकार से 'सुलह' करने की बातों का बड़ा जोर था। वातचीत का इन्तजाम फौरन हो गया और गांधीजी दिल्ली रवाना हुए। हमसे कहते गये कि अगर वाइसराय से कामचलाऊ समझौते के बारे में कोई वातचीत सजीदा तौर पर हुई तो मैं कार्य-समिति के

मेरे साथ ही मैं भी। कुछ ही दिनों बाद हमें दिल्ली का बुलावा मिला, जहाँ हमें एक वहाँ रहे। रात मिलने और लम्बी-लम्बी बहस करते-करते एक बातें, गान्धीजी की बार-बार अविन से मिले। मगर कभी-कभी बातें में तन-तन गेह डाली नहीं जाते। शायद इसलिये कि गान्धीजी-जिनके ने विद्वान-अभिज्ञ ने महात्मगवरा किया करती थी, कभी-कभी हमने में दूर-दूर-सी बात या कुछ शब्दों के कारण ही गौरी लक्ष्मी। एक ऐसा लक्ष्मी या अविन-भग को 'मन्वेदान' (अभिज्ञ) कर देना। गौरीजी बराबर इस बात को स्पष्ट करते रहे कि अविन-भग गौरीजी की पर न तो बन्द ही किया जा सकता है न छोड़ा ही जा सकता है क्योंकि यही एक-मात्र हथियार हिन्दुस्तान के लोगों के हाथ में है। हाँ, वह स्पष्ट किया जा सकता है। लक्ष्मी अविन को इस बात पर आपत्ति थी। वह ऐसा शब्द चाहते थे जिसका अर्थ निकलता ही अविन-भग छोड़ दिया गया। लेकिन यह गौरीजी को नखूर नहीं होता था। अतः 'हिन्दुस्तान', रोक देना शब्द इस्तेमाल किया गया। विदेशी कपड़े और शराब को दूकानों पर बरतने देने की बातें भी लक्ष्मी-गौरी बहस हुईं। हमारा बहुरंग नम्य सम्झौते की अस्थानी तदवीजों पर गौर करने में लगा और मूलभूत बातों पर कम ध्यान दिया गया। शायद यह नोचता गया कि जब यह मानचलाक समझौता हो जायगा और रोड़-रोड़ की लड़ाई रोक दी जायगी, तब अधिक अनुकूल वातावरण में बाजार-भूत बातों पर गौर किया जा सकेगा। हम उस बातचीत को एक बारही कुछ तब लेवानेवाली मान रहे थे, जिसके बाद असली विषयों पर गौर और बातचीत की जायगी।

उन दिनों दिल्ली में हर तरह के लोग लिचलिचकर आते थे। बहुत से विदेशी, जापकर अमेरिकन, अखबार-नवीस थे और वे हमारी आनोधी पर कुछ नाराज-से थे। वे कहते कि आपकी अनिश्चित ती हमें

गांधी-अधिन-बातचीत के बारे में नई दिल्ली के सेक्रेट्रिएट से ज्यादा खबरें मिल जाती हैं। और यह बात सही थी। इसके बाद बड़े-बड़े अल्काव-घारी लोग थे जो गांधीजी के प्रति अपना सम्मान प्रदर्शित करने के लिए दौड़ आते थे। क्योंकि अब तो महात्माजी का सितारा बुलन्द जो हो गया था। उन लोगों को, जो अबतक गांधीजी से और कांग्रेस से दूर रहे और जब-तब उनकी बुराई करते रहे, अब उसका प्रायश्चित्त करने के लिए आते देखना मजेदार लगता था। कांग्रेस का बोलबाळा होता हुआ दिखाई देता था, और कौन जाने आगे क्या-क्या होकर रहे, इसलिए बेहतर यही है कि कांग्रेस-और उसके नेताओं के साथ मेल-जोल करके रहा जाय। एक साल के बाद ही उनमें दूसरे परिवर्तन की लहर आई दिखाई दी। वे कांग्रेस के प्रति तथा उसके तमाम कार्यों के प्रति जोरों के साथ अपनी घृणा प्रदर्शित करते और कहते थे कि हमसे इनसे कोई वास्ता नहीं है।

सम्प्रदायवादी लोग भी इन घटनाओं से जगें और उन्हें यह आशंका पैदा हुई कि कहीं ऐसा न हो कि आनेवाली व्यवस्था में उनके लिए कोई ऊँचा स्थान-न रह जाय, और इसलिए कई लोग गांधीजी के पास आये और उनको यकीन दिलाया कि कौमी मसले पर हम समझौता करने को बिलकुल-रजामन्द हैं। अगर आप शुरुआत भी करदे तो समझौते में कोई दिक्कत पैदा न आयगी।

ऊँची और नीची सभी श्रेणियों के लोगों का सतत प्रवाह डा०अन्सारी के बगले की-ओर हो रहा था, जहाँकि गांधीजी और हममें से बहुतेरे लोग ठहरे थे, और फुरसत-के वक्त हम उन्हें दिलचस्पी से देखते और फायदा भी चढाते थे। कुछ सालों से हम खास करके कस्बों में और देहात में रहने वाले गरीबों के और उन लोगों के जो जेलों में ठूस दिये गये थे, सपक में आते रहते थे, लेकिन धनी-मानी और खुशहाल लोग जो गांधीजी से मिलने आते थे, मानव-प्रकृति का दूसरा पहलू सामने रखते थे।-बहु पहलू जो घटनाओं

और सिद्धि के साथ जगता भेद निश्चय जानना है। क्योंकि उन्हीं वहाँ उन्हीं वहाँ और उन्हीं उन्हीं ही के उन्हीं तरफ़ रुक गये और उन्हीं उन्हीं उन्हीं में उन्हीं उन्हीं उन्हीं उन्हीं उन्हीं। उन्हीं उन्हीं ही हिन्दु-जगत के निश्चय सरकार के उन्हीं उन्हीं है। यह जानकर उन्हीं ही ही ही के उन्हीं के उन्हीं उन्हीं उन्हीं उन्हीं उन्हीं उन्हीं उन्हीं उन्हीं उन्हीं उन्हीं।

उन दिनों अक्सर मैं मुद्रा गांधीजी के साथ कई जिल्लों में घूमने जाया करता था। यही एक ऐसा वक़्त था कि मामूली तौर पर कोई उन्हीं उन्हीं बन करने का मौज़ा पा सकता था क्योंकि उनका शेष भाग उन्हीं उन्हीं था। एक-एक मिनट किसी काम या किसी व्यक्ति के लिए लिया था। यही कि मुद्रा के घूमने का वक़्त भी किसीको उन्हीं-की-के लिए, मामूली तौर पर किसी विदेश से आये हुए या किसी निर्र को, दे दिया जाता था जो उनके व्यक्तिगत मलाहल-अवरो के लिए आने थे। हमने उन्हीं-के-विषयों पर बात-चीत की। गुविन्दरा उन्हीं पर भी और मीरदा जगत पर भी, और सामरर नविष्य पर भी। मुद्रा ही कि उन्हीं मुझे किस तरह कांग्रेस के भविष्य के बारे में अपने उन्हीं विचार से उन्हीं में उन्हीं दिया। मैंने तो ख़याल कर उन्हीं या कि उन्हीं-के-मिल-जाने पर उन्हीं की उन्हीं अपने-आप मिनट जावगी। लेकिन उनका विचार था कि कांग्रेस बदल-रहेगी—सिद्धि एक शर्त होगी, कि वह उन्हीं लिए एक उन्हीं-के-पास उन्हीं, उन्हीं-के-भूत-विक्र उन्हीं-के-मैं-के-राज्य में उन्हीं-के-जगत् न उन्हीं-के-ग। और अगर राज्य में उन्हीं-के-जगत् उन्हीं-के-जगत् चाहें तो उन्हीं-के-कां-के-छोड़-देनी होंगी। मुझे उस समय यह तो याद नहीं है, कि उन्हीं-के-अपने-विषय में उन्हीं-के-जगत् उन्हीं-के-जगत् था; अगर उन्हीं-के-जगत् यह था कि कांग्रेस उन्हीं-के-अपनी-अनासक्ति और निःस्वार्थ भाव के कारण सरकार के

प्रवच तथा दूसरे विभागो पर ज़वर्देस्त नैतिक दबाव डाल सकेगी और उन्हें ठीक रास्ते पर कायम रख सकेगी।

यह एक अनोखी कल्पना है, जिसे समझ लेना मुश्किल है और जिसमें वेशुमार दिक्कते पेश आती हैं। मुझे यह दिखाई पड़ता है कि यदि ऐसी किसी सभा की कल्पना की भी जाय तो किसी स्थापित स्वार्थ के द्वारा उसका दुरुपयोग किया जायगा। मगर उसकी व्यावहारिकता को एक तरफ रख दें, तो इससे गांधीजी के विचारो का कुछ आधार समझने में जरूर मदद मिलती है। यह आधुनिक दल-व्यवस्था की कल्पना के बिल्कुल विपरीत है, क्योंकि आधुनिक व्यवस्था तो किसी पूर्व-निश्चित कल्पना के मुताबिक राजनैतिक और आर्थिक ढाँचे को बनाने के लिए राज्यसत्ता पर कब्जा करने के खयाल पर बनी हुई है। यह उस दल-व्यवस्था के भी विरुद्ध है, जोकि आजकल अकमर पाई जाती है और जिसका कार्य श्री आर० एच० टानी के शब्दों में "ज्यादा-से-ज्यादा गंधो को ज्यादा-से-ज्यादा गाजरें खिलाना" है।

गांधीजी के लोकतन्त्र का खयाल निश्चित-रूप से आध्यात्मिक है। मामूली अर्थ में उसका तादाद से या बहुमत से या प्रतिनिधित्व से कोई वास्ता नहीं। उसकी बुनियाद है सेवा और त्याग और यह नैतिक दबाव से ही काम लेती है। हाल ही प्रकाशित अपने एक वक्तव्य में (सितरह सितंबर १९३४) लोकतन्त्र की उन्होंने व्याख्या दी है। वह अपने को 'पैदायशी लोकतन्त्र-वादी' मानते हैं और कहते हैं कि अगर 'मनुष्यजाति के निहायत गरीब-से-गरीब के साथ अपने-आपको बिल्कुल मिला देने, उनसे बेहतर हालत में अपनेको न रखने की उत्कठा से और उनके समतल तक पहुँचाने के जागृत प्रयत्न से किसीको इस दावे का अधिकार मिल सकता है, तो मैं अपने लिए यह दावा करता हूँ।' आगे चलकर वह लोकतन्त्र की विवेचना इस प्रकार करते हैं—

एन गृह मान जन केनी चाहिए कि कांग्रेस के अपने लोकतंत्री-
 २५-११ प्रभाव की ध्वज, उसके वार्षिक अधिवेशन में खिच आने-
 वाले प्रतिनिधियों का दर्शकों की तादाद के कारण नहीं, बल्कि उसकी
 की हुई सेवा के कारण है जिसकी मात्रा रोज-ब-रोज बढ़ती जा रही
 है। पश्चिमी लोकतंत्र अगर अवगत विफल नहीं हुआ है तो कम-से-कम
 वह आजमाइश पर उदर है। ईश्वर करे कि हिन्दुस्तान में प्रत्यक्ष सफ-
 लता के प्रदर्शन के द्वारा लोकतंत्र के मन्त्रे विज्ञान का विकास हो।

नीति-न्यायता और दम्भ लोकतंत्र के अविचार्य फल होने चाहिए
 जैसे कि वे नि मन्देह हाल में हो रहे हैं, और न बड़ी सख्या लोकतंत्र की
 मन्त्री कनीटी है। यदि थोड़े-से व्यक्ति जिनके प्रतिनिधि बनने का दावा
 करने है उनको स्मिपिट, आद्या और होमले का प्रतिनिधित्व करते हैं,
 तो वह लोकतंत्र के सच्चे भाव ने अमगत नहीं है। मेरा यह मत है कि
 लोकतंत्र का विकास बल-प्रयोग करके नहीं किया जा सकता है। लोक-
 तंत्र की भावना बाहर से नहीं लादी जा सकती, वह तो अन्दर से ही
 प्रकटई जा सकती है।"

यह निष्कर्ष ही पश्चिमी लोकतंत्र नहीं है, जैसा कि वह खुद कहते
 हैं। बल्कि कान्टन की बात तो यह है कि वह कम्युनिस्टों के लोक-
 तंत्र की धारणा में मिल्ता-जुलता है, क्योंकि उनमें भी आध्यात्मिकता
 की चरम है। थोड़े-से कम्युनिस्ट जनता की असली आकांक्षाओं और
 आसनाओं के प्रतिनिधित्व का दावा कर सकते हैं, चाहे जनता को
 इच्छा पता न भी हो। जनता उनके लिए एक आध्यात्मिक वस्तु ही
 जगती और वे इसका प्रतिनिधित्व करने का दावा करते हैं। फिर भी
 तब गमानता थोड़ी ही है और हमको बहुत-बुर तक नहीं ले जायी है।
 जनता को देखने और उस नव पहुँचने के माधनो में बहुत ज्यादा मतभेद
 है— नूनन उने प्राप्त करने के माधन और बल के मन्त्रध में।

गांधीजी चाहे लोकतंत्री हो या न हो वह भारत की किसान-जनता के प्रतिनिधि अवश्य हैं। वह उन करोड़ों की जाग्रत और सुप्त इच्छा-शक्ति के सार-रूप हैं। यह शायद उनका प्रतिनिधित्व करने से कहीं ज्यादा है, क्योंकि वह करोड़ों के आदर्शों की सजीव मूर्ति हैं। हाँ, वह एक औसत किसान नहीं हैं। वह एक अत्यन्त कुशाग्र-बुद्धि, उच्च भावना और सुसूचित तथा व्यापक दृष्टि रखनेवाले पुरुष हैं—बहुत सहृदय, फिर भी आवश्यक रूप से एक तपस्वी, जिन्होंने अपने विकारों और भावनाओं का दमन करके उन्हें दिव्यत्व प्रदान किया है और आध्यात्मिक मार्गों में प्रेरित किया है। उनका एक जबरदस्त व्यक्तित्व है जो चुम्बक की तरह हरेक को अपनी ओर खींच लेता है और अपने प्रति भयकर बफादारी और ममता को दूसरों के हृदय में उमडाना है। यह सब एक किसान से कितना भिन्न और कितना परे है? और इतना होने पर भी वह एक महान् किसान हैं जो बातों को एक किसान दृष्टि-चिन्दु से देखते हैं और जीवन के कुछ पहलुओं के बारे में एक किसान की ही तरह अन्वेषण है। लेकिन भारत-किसान भारत हैं और वह अपने भारत को अच्छी तरह जानते हैं और उसके हलके-से-हलके कम्पनों का भी उनपर तुरत असर होता है। वह स्थिति को ठीक-ठीक और प्रायः सहज-स्फूर्ति से जान लेते हैं और ऐन मौके पर काम करने की अद्भुत सूझ रखते हैं।

ब्रिटिश सरकार ही के लिए नहीं, बल्कि खुद अपने लोगों और नजदीकी साधियों के लिए भी वह एक पहिली और एक समस्या बने हुए हैं। शायद दूसरे किसी भी देश में आज उनका कोई स्थान न होता। मगर हिन्दुस्तान, आज भी ऐसा मालूम होता है, पैगम्बरों जैसे धार्मिक पुरुषों को, जो पाप और भुक्ति और अहिंसा की बातें करते हैं, समझ लेता है—या कम-से-कम उनकी कदर करता है। भारत का धार्मिक साहित्य बड़े-बड़े तपस्वियों की कथाओं से भरा पड़ा है, जिन्होंने

रज्जुना कदाचित् उचित विधि नहीं है और उसने आगे चलकर तकलीफ और मानसिक नषर्प हुए बिना नहीं रह सकना। हमने मोटे तौर पर यह समझी कि श्री जि गाँधीजी बूँकि एक कर्मयोगी है और बदलनेवाली हालतों का उनपर बहुत जल्दी असर होता है, इसलिए उस रास्ते पर आगे बढ़ते जो कि हमें सही दिशाई देना था और हर हालत में वह रास्ता दिनपर वह चल रहे थे अवनत तो नहीं ही था और अगर आगे चलकर हमें झुड़े-झुड़े रास्ते चलना पड़े तो उनका पहले से खयाल बनाना बेवज्जी होगी।

इन सबमें यह चाहिए होता है कि न तो हमारे विचार चुल्लते हुए थे और न निश्चित। हमेशा हमारे दिमाग में यह भावना रही कि हमारा माँ चाहे अधिक तर्क-शुद्ध हो मगर गाँधीजी हिन्दुस्तान को हमसे कहीं ज्यादा अच्छी तरह जानते हैं और जो शर्तें इतनी जबरदस्त श्रद्धा-भक्ति का अधिकारी बन जाता है उनके अन्दर कोई ऐसी बात अवश्य होनी चाहिए जो जनता की आवश्यकताओं और उच्च आकांक्षाओं के नाफिक हो। हमने सोचा कि यदि हम उनको अपने विचारों का कायल कर सके तो हम जनता को भी अपने मत का बना सकेंगे, और हमें यह सम्भवनीय दिशाई पड़ता था कि हम उनको कायल कर सकेंगे। क्योंकि उनके किस्सा दृष्टिकोण के रहने हुए भी वह एक पैदायगी चागी है, एक शक्तिकारी है, जो पारी-पारी परिवर्तनों के लिए कामर कस रहे हैं और जिसे परिणाम की आवश्यकताएँ रोक नहीं सकतीं।

जिस तरह उन्होंने इन मुन्त और पन्नाहिम्मत लोगों को एक अनुशासन में बाँधकर काम में जोन दिया—बल प्रयोग करके या दुनयवी लालच देकर नहीं बल्कि महज मौठी निगाह, मूट्टल शब्द और इनसे भी बढ़कर खुद अपने उज्वल उदाहरण के द्वारा ! सत्याग्रह की मुख्यात के दिनों में, ऊँठ १९१९ में, मुझे आद है कि बम्बई के उनर सोमानी उन्हें

‘स्लेव ड्राइवर’ कहा करते थे- अब इस एक युग में तो हालत और भी बदल गई है। उमर उन परिवर्तनों के देखने के लिए मौजूद नहीं है। मगर हम जो ज्यादा खुशकिस्मत रहे, १९३१ के शुरू महीनों से पीछे के ज़मानों को देखते हैं तो दिल उमग और अभिमान से भर जाता है। १९३१ का साल सचमुच हमारे लिए एक अद्भुत साल था और ऐसा मालूम होता था कि गांधीजी ने अपनी जादू की लकड़ी से हमारे देश का नकशा ही बदल दिया है। कोई ऐसा मूर्ख तो नहीं था जो यह समझता हो कि हमने ब्रिटिश सरकार पर आखिरी बिजयी पा ली है। हमें जो अभिमान होता था उसका सरकार से कोई ताल्लुक नहीं है। हमें तो अपने लोगों, अपनी बहनो, अपने नौजवानों और बच्चों पर, इस आन्दोलन में जिस तरह उन्होंने योग दिया उसपर, फल था। वह एक आध्यात्मिक लाभ था जोकि किसी भी समय और किन्हीं भी लोगों के लिए कीमती था। मगर हमारे लिए तो जोकि गुलाम और दलित हैं, दुहेरा उपकारी था, और हमें इस बात की चिन्ता थी कि कोई ऐसी बात न हो जाय कि-जिससे यह लाभ हमसे छिन जाय।

- खास-मुझपर तो गांधीजी- ने असाधारण कृपा और ममता दिखाई है और मेरे पिताजी की मृत्यु ने तो उन्हें खास तौर पर मेरे तबदीक ला दिया है। मुझे जो कुछ कहना होता था उसको वह बहुत ही धीरज के साथ सुनते थे-और मेरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए उन्होंने हर तरह की कोशिश की है। इससे अवश्य ही मैं यह सोचने लगा था कि यदि मैं और कुछ दूसरे साथी उनपर लगातार अपना असर डालते रहें तो संभव है उन्हें समाजवाद की ओर प्रेरित कर सकेंगे, और उन्होंने खुद भी यह कहा था कि जैसे-जैसे मुझे रास्ता दिखाई देगा मैं एक-एक कदम बढ़ता जाऊँगा। उस वक्त मुझे यह लाजिमी-सा दिन्वाई देता था कि वह समाजवाद के मूल सिद्धान्त या स्थिति को स्वीकार कर लेंगे,

क्योंकि मुझे तो मौजूदा समाज-व्यवस्था में हिंसा, बेइन्साफी, खराबी और नाश ने बचने का इमरा कोई रान्ना दिखाई नहीं देता था। मुमकिन है कि माधवों ने उनका मतभेद ही, मगर आदर्श से नहीं। उस वक़्त मैंने यही उजाला किया था। मगर अब मैं महसूस करता हूँ कि गाँधीजी के आदर्शों में और समाजवाद के ध्येय में मूल भेद है।

अब हम फिर फरवरी १९३१ की दिल्ली में चले। गाँधी-अविन-वानचीन होनी रहनी थी। वह एकाएक रुक गई। कई दिनों तक बाय-नराय ने गाँधीजी को नहीं बुलाया और हमें ऐसा लगा कि बात-चीत टूट गई। कार्य-समिति के सदस्य दिल्ली से अपने-अपने सूबों में जाने की तैयारी कर रहे थे। जाने से पहले हम लोगों ने आपस में भावी कार्य की रूप-रेखाओं और सविनय भंग पर (जोकि अभी उसूलन जारी था) विचार-विनिमय किया। हमें यकीन था कि ज्योंही बातचीत के टूटने की बात पक्के तौर पर जाहिर हो जायगी त्योही हमारे सबके लिए मिलकर बातचीत करने का मौका नहीं रह जायगा।

हम गिरफ्तारियों की अपेक्षा रखते थे। हमसे कहा गया था और यह सम्भव भी दौखता था कि अबके नरकार काँग्रेस पर जोर का घावा बोलेंगी। वह अबतक के दमन से बहुत भयकर होगा। सो हम आपस में आञ्जिरी तौर पर मिल लिए और हमने आन्दोलन को भविष्य में चलाने के विषय में कई प्रस्ताव किये। एक प्रस्ताव खास तौर पर मार्क का था। अबतक रिवाज यह था कि कार्यवाहक सभापति अपने गिरफ्तार होने पर अपना वारिस मुकर्रर करदे और कार्य-समिति में जो स्थान खाली हो उनके लिए भी मेम्बरो को नामजद करदे। स्थानापन्न कार्य-समितियों की शायद ही कभी बैठके होती थी और उन्हें किसी भी विषय में नई बात करने की बहुत कम मत्ता थी। वे सिर्फ जेल जाने भर की थी। और इनमें एक जोखम हमेशा ही लगी रहती थी। वह यह कि लगभग

स्थानापन्न बनाने की कार्रवाई से सम्भव था कि कांग्रेस की स्थिति थोड़ी विपन्न हो जाय। इसमें स्पष्ट खतरे भी थे। इसलिए दिल्ली में कार्य-समिति ने यह तय किया कि अब आगे से कार्यवाहक सभापति और स्थानापन्न सदस्य नामावदन किये जाने चाहिए। जबतक मूल कमिटी के कुछ मेम्बर जेल के बाहर रहेंगे तबतक वही पूरी कमिटी की हैसियत में काम करेंगे। जब सब मेम्बर जेल चले जायेंगे तब कोई कमिटी नहीं रहेगी, और हमने बारा आइडम्बर के साथ कहा कि कार्य-समिति की सत्ता उस अवस्था में देश के प्रत्येक स्त्री-पुरुष के पास चली जायगी। और हम उनको आवाहन करते हैं कि वे बिना झुके लड़ाई को जारी रखें।

यह प्रस्ताव क्या था, सभाम को जारी रखने का वीरोचित मार्ग इसमें दिखाया गया था और इसमें समझौते के लिए कोई गली-कूचा नहीं रखा गया था। इसके द्वारा यह बात भी मञ्जूर की गई थी कि प्रधान कार्यालय के लिए दिन-पर-दिन यह मुश्किल होता जाता था कि वह देश के हर हिस्से से अपना सम्पर्क रखे और नियमित रूप से हिदायते भेजे। यह लाजिमी था। क्योंकि हमारे बहुतेरे कार्यकर्ता मराहूर स्त्री-पुरुष थे और वे खुल्लम-खुल्ला काम करते थे। वे कभी भी गिरफ्तार हो सकते थे। १९३० में छिपे तौर पर हिदायते भेजने, रिपोर्टें भेगवाने और देखभाल करने के लिए कुछ आदमी भेजे जाते थे। व्यवस्था चली तो अच्छी और उसने यह दिखा दिया कि हम गुप्त खबरे देने के काम में बड़ी सफलता के साथ कर सकते हैं। लेकिन कुछ हद तक यह हमारे बुलेटिनोलीन के साथ मेल नहीं खाती थी। और गांधीजी इसके खिलाफ थे। तो अब प्रधान कार्यालय से हिदायते मिलने के अभाव में मैं काम की जिम्मेदारी मकामी लोगो पर ही छोडनी पडी थी। क्योंकि ही तो वे ऊपर से हिदायते आने की राह देखते बैठते और कुछ काम ही करते हैं, जब-जब मुसकिन-होता हिदायते भी भेजी जाती थी।

मन नरह हमने यह तथा दूसरे प्रस्ताव पास किये । (इनमें से कोई न तो प्रकाशित किया गया और न उनपर अमल ही किया गया । क्योंकि वाद को हालात बदल गये थे ।) और जाने के लिए विस्तर दीज लिये । ठीक इसी वक्त लार्ड अविन की तरफ से बुलावा आया और वानचीत फिर शुरू हो गई । ४ मार्च की रात को हम आधी रात तक गांधीजी के वाइनराय-भवन से लौटने का इन्तज़ार कर रहे थे । वह रात का कोई २ वजे आये, और हमें जगाकर कहा कि राजीनामा हो गया है । हमने नमविदा देता । बहुतेरी क्रमों को तो मैं जानता था, क्योंकि अक्सर उनपर चर्चा होती रहती थी । लेकिन कलम न० २ जो कि ऊपर-ही-ऊपर थी और जो सुरक्षण आदि के बारे में थी, उसे देखकर मुझे उबरदमन धक्का लगा । मैं उसके लिए कतई तैयार न था, मगर मैं उन वक्त कुछ न बोला और हम सब तो गये ।

अब कुछ करने की गुंजाइश भी कहीं रह गई थी ? बात तो ही चुकी थी । हमारे नेता अपना वचन दे चुके थे और अगर हम राजी न भी हो तो कर क्या सकते थे ? क्या उनका विरोध करे ? क्या उनसे अन्हटा हो जाय ? अपने मतभेद की घोषणा करदें ? हो सकता है कि हमने किसी व्यक्ति को अपने लिए मन्तव्य हो जाय । परन्तु अन्तिम

१. दिल्ली-मसजिदों की कलम न० २ (५ मार्च, १९३१) यह है—“विधान-सम्बन्धी प्रश्न पर, सग्याट्-सरकार का अनुमति से, यह तय हुआ है कि हिन्दुस्तान के वैध-शासन की उली योजना पर आगे विचार विमर्श जायगा जिसपर गोलमेड-कान्फ्रेंस में पहले विचार हो चुका है । वहाँ जो योजना बनी थी, मध्य-शासन उसका एक अनिवार्य अंग है, इसी प्रकार भारतीय उत्तरदायित्व और भारत के हित की दृष्टि से रमा (नेता) वेंदीगिर मामले, अल्प-संख्यक जातियों की स्थिति, भारत की आर्थिक मान और जिम्मेदारियों की अदायगी जैसे विषयों के प्रतिक्षण या संरक्षण भी उसके आवश्यक भाग है ।”

फैसले पर उसका क्या असर पड़ सकता था ? कम-से-कम अभी कुछ समय के लिए तो सविनयभंग-आन्दोलन खगम हो चुका था। अब जबकि सरकार यह घोषित कर सकती थी कि गांधीजी समझौता कर चुके हैं, तो कार्य-समिति तक उसे आगे नहीं बढ़ा सकती थी।

मैं इस बात के लिए तो विलकुल राजामुद था, जैसे कि मेरे दूसरे साथी भी थे, कि सविनय भंग स्थगित कर दिया जाय और सरकार के साथ अस्थायी समझौता कर लिया जाय। हमें से किसी के लिए यह आसान बात न थी कि अपने साथियों को वापस जेल भेज दे या जो कई हजार लोग पहले से जेलों में पड़े हुए हैं उनको वहीं पठा रहने देने के साधन बनें। जेलखाना ऐसी जगह नहीं है जहाँ हम अपने दिन और रात गुबारा करे, हालांकि हम बहुतेरे अपनेको उसके लिए तैयार करते हैं और-उसके कुचल डालनेवाले दैनिक क्रम के बारे में बड़े हलके दिल से बातें करते हैं। इसके अलावा तीन हफ्ते से ज्यादा दिन गांधीजी और लार्ड अविन के बीच जो बातें चली उनसे लोगों के दिलों में ये आश्चर्य पैदा हुई कि समझौता होनेवाला है और अब अगर उसके आतिरी तौर पर टूट जाने की खबर मिली तो उनसे उनको निराशा होगी। यह सोचकर कार्य-समिति के हम सब मेम्बर अस्थायी समझौते के (न्योकि-इससे अधिक वह हो भी नहीं सकता था) हक में थे, बगल कि हमने द्वारा हमें अपनी कोई अत्यन्त महत्व की बात न छोड़नी पड़नी हो।

जहाँतक मुझसे ताल्लुक है, जिन दूसरी भदों पर काफी बहम-मुवाहिसा हुआ उनसे मुझे इतनी ज्यादा दिलनस्वी नहीं थी, मुझे उम्मे ज्यादा खयाल दो बातों का था। एक तो यह कि हमारा स्वतन्त्रता का ध्येय किसी भी कदर नीचा न किया जाय, और दूसरा यह कि समझौते का युक्तप्रान्त के किसानों की स्थिति पर क्या असर होगा ? हमारा लगानबन्दी-आन्दोलन अबतक बहुत कामयाब रहा था, और कुछ राज्यों

मे तो मुश्किल ने लगान बसूल होने पाया था। किसान खूब रग में थे। जीर नम्बर की कृषि-सम्बन्धी अवस्थायें और चीखों के भाव बहुत खराब थे, जिनमें उनके लिए लगान अदा करना और मुश्किल हो गया था। हमारा करवन्दी-आन्दोलन राजनैतिक और आर्थिक दोनों तरह का था। अगर सरकार के साथ कोई आरखी समझौता हो जाता है तो सविनय-भा वापस ले लिया जायगा और उसका राजनैतिक आधार निकल जायगा। लेकिन उसके आर्थिक पहलू के, भावों की इतनी गिरावट के और किसानों की मुकदरों किस्त के मुकाबिले में कुछ भी देने की अममर्यता के विषय में क्या होगा? गांधीजी ने लार्ड अर्बिन से यह मुद्दा विलकुल साफ कर लिया था। उन्होंने कहा था कि यद्यपि करवन्दी-आन्दोलन बन्द कर दिया जायगा, तो भी हम किसानों को यह सलाह नहीं दे सकते कि वे अपनी ताकत या हैसियत से ज्यादा दें। चूंकि यह प्रान्तीय मामला था, भारत-सरकार के साथ इसकी ज्यादा चर्चा नहीं हो सकी थी। हमें यह यकीन दिलाया गया था कि प्रान्तीय-सरकार इस विषय में बुद्धी के साथ हमसे बातचीत करेगी और अपने बस-भर निमानों की तकलीफ दूर करने की कोशिश करेगी। यह एक गोलमोल आम्बामन था। लेकिन उन हालात में इससे ज्यादा पक्की बात होना मुश्किल था। इस तरह यह मामला उम बदन के लिए तो खत्म ही कर दिया गया था।

जब हमारी स्वाधीनता का अर्थान् हमारे मरुद का महत्वपूर्ण घन बनने का और समझने की बलम नम्बर २ से मुझे यह मालूम था कि यह भी अन्दर में जा पडा है। क्या इसलिए हमारे लोगों ने एक नाट्य ना अर्थात् बहादुरी दिखाई? क्या हमारी बड़ी-बड़ी जोरदार बातों और शक्तों का अन्धा इसी तरह होना था? क्या कांग्रेस का आन्दोलन-आन्दोलन और २६ जनवरी की प्रतिज्ञा उभारने की गई थी?

इस तरह के विचारों में डूबा हुआ मैं मार्च की उस रात भग्न पड़ा रहा और अपने दिल में ऐसी शून्यता महसूस करने लगा कि मानो उममें से कोई कीमती चीज़ सदा के लिए निकल गई हो।

तरीका यह दुनिया का देखा सही—

गरजते बहुत वे बरसते नहीं।

: ३५ :

कराची-कांग्रेस

गांधीजी ने किसी से मेरी मानसिक व्यथा का हाल सुना और दूसरे दिन सुबह घूमने के वक्त अपने साथ चलने के लिए मुझे कहा। बड़ी देर तक हमने बात-चीत की, जिसमें उन्होंने मुझे यह विश्वास दिलाने की कोशिश की कि न तो कोई अत्यन्त महत्व की बात खो दी गई है और न कहीं सिद्धान्त ही छोड़ा गया है। उन्होंने कलम नम्बर २ का एक खास अर्थ लगाया, जिससे वह हमारी स्वतन्त्रता की भाग से मेल खा सके। उनका आधार था खासकर ये शब्द— 'भारत के हित में'। यह अर्थ मुझे खीचातानी का मालूम हुआ। मैं उमका कायल तो न हुआ, लेकिन उनकी बात-चीत से मुझे कुछ तसल्ली जरूर हुई। तो भी मैंने उनसे कहा कि समझौते के गुण-दोष को एक तरफ रख दें, एकाएक कोई नई बात खड़ी कर देने के आपके तरीके ने मैं डरता हूँ। आपने कृपया ऐसी अज्ञात वस्तु है जिसे चौदह साल के निकट-नम्पक के दाद भी मैं कतई नहीं समझ सका हूँ और इसने मेरे मन में भय पैदा कर दिया है। उन्होंने अपने अन्दर ऐसे अज्ञात तत्त्व का होना तो स्वीकार किया मगर कहा कि मैं खुद भी इसके लिए जवाबदेह नहीं हो सकता, न नहीं

१. अंग्रेजी पद्य का भावानुवाद

पक्ष-संघना नचना है कि वह मुझे कहीं, किमि ओर ले जायगा।

एक-दो दिन तक मैं उड़ी हुई-बा नें पड़ा रहा। समझ न सका कि क्या कहें ? उध्द मनशीने के विरोध का था उसे रोकने का तो कोई मन्त्र ही नहीं था। वह बम्ब गुजर चुका था और मैं जो कुछ कर सका था वह यह कि अमलन उसे मद्दूर करते हुए उमूलन अपने ही उमन अलग रखें। इमने नरे अमिमान को कुछ सान्त्वना मिल जाती- लेकिन हमारे पूर्ण स्वराज्य के उडे प्रश्न पर उनका क्या असर पड़ सकता था ? नर क्या यह अच्छा न होगा कि मैं उसे खूबमूरती के साथ मंजूर कर लूँ और उनका अधिक-से-अधिक अनुकूल अर्थ लगाऊँ, जैसाकि गाँधीजी ने किया ? ममझीते के बाद ही प्रौरन अखवारवालों से बात-चीत करते हुए गाँधीजी ने उसी अर्थ पर ओर दिया था और कहा कि हम स्वतंत्रता के प्रश्न पर पूरे-पूरे अटल हैं। वह लॉर्ड अविन के पाठ गये और इस बात को बिल्कुल स्पष्ट कर दिया जिसे कि उस समय या भागे कोई गलन-उहमी न होने पावे। उन्होंने उनसे कहा कि यदि कांग्रेस गोन्मंड-अन्मन्स में अपना प्रतिनिधि भेजे, तो उनका आधार एनभात्र स्वतंत्रता ही ही मन्ता है और उसे पेम करने के लिए ही वहाँ जाया जा सकता है। जबस ही लॉर्ड अविन इस दावे को मान तो नहीं सकने थे, लेकिन उन्होंने यह मजूर किया कि हाँ, कांग्रेस को उसे पेम करने का हक है।

इमलिए मैं ममनीति को मान लेना और नहेंदिल- से उनके लिए काम करना तय किया। यह बात नहीं की ऐसा करते हुए मुझे बहुत मानसिक और शारीरिक कष्ट न हुआ हो। मगर मुझे बीच का कोई रास्ता नहीं दिखाई देता था।

ममझीने के पहले तथा बाद में लॉर्ड अविन के साथ बातचीत के दरम्यान गाँधीजी ने सत्याग्रही कैंदियों के अलावा दूसरे राजनैतिक कैंदियों

की रिहाई की भी पैरवी की थी। सत्याग्रही कैदी तो समझाते के फल-स्वरूप अपने-आप रिहा हो जानेवाले ही थे। लेकिन दूसरे ऐसे हजारों कैदी थे जो मुकदमा चलाकर जेल भेजे गये थे और ऐसे नजरबन्द भी थे जो बिना मुकदमा चलाये, बिना इल्जाम लगाये या सजा दिये ही जेलों में घाघ दिये गये थे। इनमें से कितने ही नजरबन्द वर्षों से वहाँ पड़े हुए थे और उनके बारे में सारे देश में नाराजगी फैली हुई थी—खासकर बंगाल में जहाँ कि बिना मुकदमा चलाये कैद कर देने के तरीके से बहुत ज्यादा काम लिया गया। 'पेनग्विन आइलैंड' के (या शायद 'ट्रेफस' के मामले में) जनरल स्टाफ के मुखिया की तरह भारत-सरकार का भी मन्तव्य था कि सबूत का न होना ही बढ़िया सबूत का होना है। सबूत न होना तो गैर-साबित किया ही नहीं जा सकता। नजरबन्दों पर सरकार का यह आरोप था कि वे हिंसात्मक प्रकार के असली

१—२. 'पेनग्विन आइलैंड' आनातोल फ्रान्स नामक प्रसिद्ध फ्रेञ्च लेखक की कृति है जिसमें लोकशासन हीन, यत्रावीन राज्य का चित्र खींचा गया है। ट्रेफस नामक एक फरासीसी सैनिक अफसर था जिसपर पिछली सदी के अन्त में सरकारी खबरे बेचने का झूठा इल्जाम लगाया गया था और लंबी सजा दी गई थी। इसपर इल्जाम दोबारा झूठ साबित हुआ, दो बफा उसपर फिर मुकदमा चलाया गया और अन्त में बहुत सालों तक कैद भोगने के बाद बेचारा निरपराध साबित हुआ। पंडितजी का सकेत जिसकी तरफ है ऐसा पात्र तो 'पेनग्विन आइलैंड' में सम्भवित है, परन्तु 'सबूत का न होना ही बढ़िया सबूत है' यह तो ट्रेफस के केस की याद दिलाती है। ट्रेफस के हाथ की सही का एक भी कारण मिलता नहीं था, इस सफाई के विरोध में यह कहा जाता था कि 'सबूत का न होना ही बढ़िया सबूत है' क्योंकि सबूत हो तो सच-झूठ प्रमाणित करना पड़े! सबूत रक्खा ही नहीं, यह साबित करता है कि इसपर जुर्म साबित होता है।

ता अग्रगण्य कान्तिकारी है। गाँधीजी ने समझीते के अग्र-स्वरूप तो नहीं। परन्तु इसलिए कि बंगाल में राजनैतिक नवातनी कम-ही जाय और दानाकरण अपनी मामूली स्थिति में आ जाय, उनकी रिहाई की परवाह तो नहीं। मगर सरकार इसपर राजामन्द न हुई।

भगवान्‌ह की फाँसी की सजा रद्द कराने के लिए गाँधीजी ने जो वादावार पैरवी की उसको भी सरकार ने मञ्जूर नहीं किया। उसका भी सचरानि ने कोई सम्बन्ध न था। गाँधीजी ने इसपर भी अलहदा नीति पर जोर जमाकिए दिया था कि इस विषय पर भारत में बहुत तीव्र गोंड-भादना थी। मगर उनकी पैरवी बेकार गई।

उन्हीं दिनों की एक कुतूहलवर्षक घटना मुझे याद है, जिसने हिन्दुस्थान के आमराजादियों की मन स्थिति का आन्तरिक परिचय मुझे जगया। मेरे जेल से छूटने के पहले ही, या पिताजी के मरने के पहले ता बाद, यह घटना हुई है। हमारे स्थान पर एक अजनबी मुझसे मिलने आया। मुझसे कहा गया कि वह चन्द्रशेखर आजाद है। मैंने उसे पहले तो नहीं नहीं देखा था। हाँ, दस वर्ष पहले मैंने उसका नाम खरूर सुना था जबकि १९२१ में अनहयोग-प्रान्दोलन के जमाने में स्कूल में धरन्दोलन करने में जेल गया था। उस समय वह कोई पन्द्रह साल का था। तब तो मैंने उसे नियम भंग करने के आगम में जेल में उन्ने बँत

को भी कुछ शान्ति मिलेगी या नहीं ? क्या हमारे साथ अब भी विद्रोही का-सा बर्ताव किया जावेगा ? जगह-ब-जगह हमारा पीछा इसी तरह किया जायगा ? हमारे सिर के लिए इनाम घोषित ही होते रहेंगे और हमारे सामने फ़ाँसी का तख़्ता हमेशा लटकता रहा करेगा, या हमारे लिए शान्ति के साथ काम-धँधे में लग जाने की भी कोई संभावना होगी ? उसने कहा कि खुद मेरा तथा मेरे दूसरे साथियों का यह विश्वास हो चुका है कि आतंकवादी तरीके बिल्कुल बेकार हैं और उनसे कोई लाभ नहीं है। हाँ, वह यह मानने के लिए तैयार नहीं था कि शान्तिमय साधनों से ही हिन्दुस्तान को आज़ादी मिल जायगी। उसने कहा, आगे कभी सशस्त्र लड़ाई का मौका आ सकता है, मगर वह आतंकवाद न होगा। हिन्दुस्तान की आज़ादी के लिए तो उसने आतंकवाद को खारिज ही कर दिया था। पर उसने फिर पूछा, कि अगर मुझे शान्ति के साथ जमकर बैठने का मौका न दिया जाय, रोज-ब-रोज मेरा पीछा किया जाय, तो मैं क्या करूँगा ? उसने कहा—इधर हाल में जो आतंककारी घटनायें हुई हैं वे ज्यादातर आत्म-रक्षा के लिए की गई हैं।

मुझे आज़ाद से यह सुनकर खुशी हुई थी और बाद में उसका और सबूत भी मिल गया कि आतंकवाद पर से उन लोगों का विश्वास हट रहा है। एक दल के विचार के रूप में तो वह अवश्य ही प्रायः भर गया है, और जो कुछ व्यक्तिगत इष्की-दुक्की घटनायें हो जाती हैं वे या तो किसी बजह से या बदले में या वचाव में या किसी की लहर से हुई घटनायें हैं, न कि आम धारणा के फलस्वरूप। अवश्य ही इनके यह मानी नहीं है कि पुराने आतंकवादी और उनके नये साथी अहिंसा के हामी बन गये हैं या ब्रिटिश सरकार के भक्त बन गये हैं। हाँ, अब वे पहले की तरह आतंकवादियों की भाषा में नहीं सीचते। मुझे तो ऐसा

मान्यता होता है कि उनमें मे बहुतों की मनोवृत्ति निश्चिन्त रूप से फामिस्ट बन गई थी।

मेने चन्द्रगोखर आजाद को अपना राजनीतिक सिद्धान्त ममज्ञाने की कोमिका की और वह भी कोशिश की कि वह मेरे दृष्टिबिन्दु का ज़ायल हो जाय। लेकिन उसके असली नवाब का, कि 'अब मे क्या करूँ?', मेरे पास कोई जवाब न था। ऐसी कोई बात होती हुई नहीं दिखाई देती थी कि जिसमे उसको या उसके जैसों को कोई राहत या आन्ति मिले। मैं जो कुछ उसे ब्रह्म सकता था वह इतना ही कि वह भविष्य में आतक-बादी कार्यों को रोकने की कोशिश करे। क्योंकि उसमे हमारे बड़े कार्य को तथा खुद उनके दल को भी नुकसान पहुँचेगा।

दो-तीन हफ्ते बाद ही जब गांधी-अहिंस वातचीत चल रही थी, मेने देहली में मुना कि चन्द्रगोखर आजाद पर इलाहावाद में पुलिस ने गोली चलाई और वह मर गया। दिन के बक्त किसी एक पार्क में वह पहचाना गया और पुलिस के एक बड़े दल ने आकर उसे घेर लिया। एक पेड़ के पीछे से उसने अपने को बचाने की कोशिश की। दोनों तरफ से गोलियाँ चली। एक-दो पुलिसवालों को घायल कर आखिर गोली लगने से वह मर गया।

आरजी सुल्ह होने के बाद भीघ्र ही मैं दिल्ली से लखनऊ पहुँचा। हमने लारे दश में सविनय भंग बन्द करने के लिए आवश्यक तमाम

१. फामिस्ट पद्धति आज मुसोलिनी की पद्धति समझी जाती है। लेकिन यहाँ फामिस्ट मनोवृत्ति का अर्थ है—'रक्षित हित रखनेवाले वर्ग के लाभ के लिए बलपूर्वक बनाई गई डिक्टेटरशाही।' ऐसी डिक्टेटरशाही आज इटली में चल रही है और जर्मनी में भी है। पण्डितजी का कहना यह है कि हिंसावादी भी आज इस तरह की डिक्टेटरशाही बनाने की तरफ झुक रहे हैं।

कार्रवाई की, और काँग्रेस की तमाम शाखाओं ने हमारी हिदायतों का पालन बड़े ही नियम के साथ किया। हमारे साथियों में ऐसे कितने ही लोग थे जो समझौते से नाराज थे, और कितने ही तो आगबबूला भी थे। इधर उन्हें भविष्य भग से रोकने पर मजबूर करने के लिए हमारे पास कोई साधन न था। मगर जहाँतक मुझे मालूम है, विना एक भी अपवाद के उस सारे विशाल संगठन ने इस नई व्यवस्था को स्वीकार करके उसपर अमल भी किया, हालांकि कितने ही लोगों ने उसकी आलोचना भी की थी। मुझे खास तौर पर दिलचस्पी इस बात पर थी कि हमारे सूबे में इसका क्या असर होगा? क्योंकि वहाँ कुछ क्षेत्रों में करवन्दी-आन्दोलन तेजी से चल रहा था। हमारा पहला काम यह देखना था कि सत्याग्रही कैदी रिहा हो जायें। वे हज़ारों की तादाद में छूटते थे और कुछ समय बाद सिर्फ वही लोग जेल में रह गये जिनका मामला बहस-सलब था—उन हज़ारों नज़रबन्दों के और उन लोगों के अलावा जो हिसात्मक कार्यों के लिए सजा पाये हुए थे और जो रिहा नहीं किये गये थे।

ये जेल से छूटे हुए कैदी जो अपने गाँवों और कस्बों में गये तो स्वभावतः लोगो ने उनका स्वागत किया। कई लोगो ने सजावट भी की, बन्दनवारे लगवाई, जुलूस निकाले, सभाये की, भाषण हुए और स्वागत में मानपत्र भी दिये गये। यह सब कुछ होना बहुत स्वाभाविक था और इसीकी आशा भी की जा सकती थी। मगर वह जमाना जबकि चारों ओर पुलिस की लाठियाँ-ही-लाठियाँ दिखाई देती थी, सभा और जुलूस जवर्दस्ती बिखेर दिये जाते थे, एकाएक बदल गया था। इससे पुलिसवाले बरा बेचैनी अनुभव करने लगे और कदाचित् हमारे बड़तेरे जेल में आनेवालों में विजय का भाव भी आ गया था। यों अपनेको विजयी मानने का शायद ही कोई कारण था, लेकिन जेल से आने पर (मगर

जेल में म्पिरिट कुचल न दी गई हो तो) हमेशा एक आनन्द और अभिमान की भावना पदा होती है, और झुण्ड-के झुण्ड लोगों के एक-साथ जेल से छूटने पर तो यह आनन्द और अभिमान और अधिक बढ़ जाता है।

मैंने इस बात का जिक्र इस लिए किया है कि आगे जाकर सरकार ने हम विजय के भाव पर बड़ा ऐतराज किया था, और हम पर इसके लिये इन्जाम लगाया गया था ? हमेशा हुकूमत-परस्ती के वातावरण में रहने और पाले-पोसे जाने के कारण और शासन के सन्तुल्य में ऐसे फौजी स्वरूप की धारणा होने से, जिसको जनता का आचार या समर्थन प्राप्त नहीं होना, उनके नजदीक उम चीख के कमजोर होजाने से बढकर दुश्मदाई बात दूसरी नहीं हो सकती जिसे वे अपना रीव समझते हैं। जहानक मुझे पता है, हममें से किनी को इसका कोई खयाल न था और जब हमने बाद को यह सुना कि सरकारी अफसर ठेठ शिमला-शैल से लेकर नीचे मैदान तक लोगों की इस गुस्ताखी पर मिर में पैर तक आग-बबूला होने लगे और ऐसा अनुभव करने लगे मानों उनके अभिमान पर चोट पड़ी है, तो उस पर हम आश्चर्य में दग रह गये। जो अखबार उनके विवागों की प्रतिध्वनि करने हैं वे तो अब तक भी इससे-कर: नहीं हुए हैं। अब भी वे, हालांकि तीन-माह तीन साल होगये हैं, उन मासिक और बूटे दिनों का जिक्र भय से कापने हुए करते हैं जबकि उनके मननुमार नारंगी उम नरह विनय-रीव करते फिरते थे कि मानों उन्हीं ने नोट नयी नागो फनड सामिठ की हो। जखबारों में सरकार ने ओ उनके दोषों में जो शोध उगला वह हमारे लिए एन नई बात थी। उन्हीं ने पता लगा कि ये जिनने पबग गये थे, उन्हें अपने दिल की किलना का उफान गगना पता था, जिनने उनके मन में कैदी गॉड पड गई

सच पूछो तो कांग्रेस के साधारण लोगो में ब्रिटिश सरकार को 'हरा देने' का कोई भाव नहीं था और नेताओं में तो और भी नहीं। लेकिन हाँ, अपने भाइयों और बहनो के त्याग और साहस पर हम लोगो के अन्दर एक विजय की भावना जरूर थी। देश ने १९३० में जो कुछ किया उस पर हमें फल्य जरूर है। उसने हमें अपनी ही निगाहो में ऊँचा उठा दिया, हमे आत्म-विश्वास प्रदान किया, और इस बात के खयाल से हमारे छोटे-से-छोटे स्वयंसेवक की भी छाती तन जाती और सिर ऊँचा हो जाता है। हम यह भी अनुभव करते थे कि इस महान आयोजन ने, जिसने सारी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था, ब्रिटिश सरकार पर बहुत भारी दबाव डाला और हमको अपने मजिले-मकसूद के ज्यादा नजदीक पहुँचाया। इन सबका 'सरकार को हराने' से कोई ताल्लुक न था, और वास्तव में तो हममें से बहुतो को यही खयाल रहा कि दिल्ली-समझौते में तो सरकार ही ज्यादा फायदे में रही है। इसमें से जिन लोगो ने यह कहा कि अभी तो हम अपने डरेय से बहुत दूर हैं और एक बड़ा और एक मुश्किल सप्ताम सामने आने को हैं, वे सरकार के मित्रो के द्वारा लड़ाई को उकसाने और दिल्ली-समझौते की स्पिरिट को तोड़ने के दोषी बताये गये।

युक्तप्रान्त में अब हमें किसानो के मसले का सामना करना था। हमारी नीति अब यह भी थी कि जहाँ तक मुमकिन हो ब्रिटिश सरकार से सहयोग किया जाय और, इसलिए, हमने तुरत ही युक्तप्रातीय सरकार के साथ उसकी कार्रवाई शुरू करदी। बहुत दिनों के बाद सूत्रे के कुछ आला अफसरो से—कोई बारह साल तक हमने इवर सरकारी तौर पर कोई व्यवहार नहीं रक्खा था—में किसानो के मामले पर चर्चा करने के लिए मिला। इस विषय में हमारी लबी लिखा-पढी भी चली। प्रान्तीय कमेटी ने हमारे प्रान्त के एक प्रमुख व्यक्ति गोविन्दवल्लभ पन्त

जो एक मध्यम्य के तौर पर नियत किया कि जो लगातार प्रान्तीय सरकार के सपके में रहे। सरकार की तरफ से ये बातें मान ली गई कि हा, किसान वाकई सकट में हैं, अनाज के भाव बहुत बुरी तरह गिर गये हैं, और एक औसत किसान लगान देने में असमर्थ है। खाल भिर्फ यह था कि कितनी छूट दी जाय, लेकिन इस विषय में कुछ कार्रवाई करना प्रान्तीय सरकार के हाथ में था। मामूल के मुताबिक तो सरकार जमींदारों में ही ताल्लुक रखती है, सीधा काश्तकारों से नहीं, और लगान कम करना या उममें छूट देना जमींदारों का ही काम था। लेकिन जमींदारों ने तबतक ऐसा करने से इन्कार कर दिया, जबतक सरकार भी उनकी जतनी ही छूट न दे दे। और उन्हें तो किसी भी सूख में अपने काश्तकारों को छूट देने की ऐसी पड़ी नहीं थी। इसलिए फैसला तो आखिर सरकार को हा करना था।

प्रान्तीय कांग्रेस कमिटी ने किसानों से कह दिया था कि कर-बन्दी को लड़ाई रोक दी गई है और जितना हो सके उनका लगान दे दो। मगर उनके प्रतिनिधि की हैसियत से उमने काफी छूट चाही थी। बहुत दिनों तक सरकार ने कुछ भी कार्रवाई नहीं की। मालिबन गवर्नर सर मान्यम हेली के छुट्टी या स्पेशल ड्यूटी पर चले जाने में वह दिवक्त महसूस कर रही थी। इममें तुरत और व्यापक परिणाम लानेवाली कार्रवाई करने की जरूरत थी। ताहम कार्यवाहक गवर्नर और उनके साथी कार्रवाई करने में हिचकते थे, और सर मान्यम हेली के आने तक (गर्मियों तक) मामले को आगे धरेलने रहे। इम देरी और टीर पोड़ ने उम मुश्किल हालत को और भी खराब बना दिया, जिनमें काश्तकारों को बहुत नुकसान बर्दाश्त करना पडा।

हिन्द-मजदूरों के बाद ही मेरी तन्दुरुस्ती कुछ खराब होगी। देल में भी मेरी तरीका अजीब रही। उनसे बाद मितानी ने मृत्यु के बखत

लगा और फिर फौरन ही दिल्ली में सुलह की चर्चा का जोर पडा। यह सब मेरे स्वास्थ्य के लिए हानिकर साबित हुए। लेकिन कराची-काँग्रेस जाने तक मैं कुछ-कुछ ठीक हो चला था।

कराची हिन्दुस्तान के ठेठ उत्तर-पश्चिम कोने में है, जहाँ की यात्रा मुश्किल होती है। बीच में बड़ा रेतीला मैदान है, जिससे वह हिन्दुस्तान के शेष हिस्सों से बिल्कुल जुदा पड जाता है। लेकिन फिर भी वहाँ दूर-दूर के हिस्सों से बहुत लोग आये थे और वे उस समय देश का जैसा मिजाज था उसको सही तौर पर जाहिर करते थे। लोगों के दिलों में शान्ति के भाव थे और राष्ट्रीय आन्दोलन की जो ताकत देश में बढ रही थी उसके प्रति गहरा सतोष था। काँग्रेस-संगठन के प्रति, जिसने कि देश की भारी पुकार और माग का बड़ी योग्यता-पूर्वक जवाब दिया था और जिसने अनुशासन और त्याग के द्वारा अपने अस्तित्व की पूरी सार्थकता दिखालाई थी, उसके मन में अभिमान था। अपने लोगों के प्रति विश्वास का भाव था और उसके उत्साह में समय दिखालाई पडता था। इसके साथ ही आगे आनेवाले जबरदस्त प्रश्नों और खतरों के प्रति जिम्मेदारी का गहरा भाव भी था। हमारे शब्द और प्रस्ताव अब राष्ट्रीय पैमाने पर किये जानेवाले कार्यों के मगलाचरण थे और वे यों ही बिना मोचे विचारे न बोले जाते थे, न पास किये जाते थे। दिल्ली-समझौते को यद्यपि बड़ी बहुमति ने पास कर दिया था, तो भी वह लोकप्रिय नहीं था, और न पसंद ही किया गया था, और लोगों के अन्दर यह भय काम कर रहा था कि यह हमें तरह-तरह की भद्दी और विषम स्थितियों में लाकर पटक देगा। कुछ ऐसा-सा दिखाई पडता था कि देश के मामलों जो सवाल हैं उनको यह अस्पष्ट कर देगा। काँग्रेस के अधिवेशन के ठीक पहले ही एक और देश को नाराजगी का वाइन पँदा होगया था— भगतसिंह का फाँसी पर लटकाया जाना। उत्तर-भारत में इस भावना

को ज़रूर मेज थी और रागनी उन्नत में ही होने के कारण वहाँ पत्राग मे जड़, नावाद में लोग आये थे ।

पिछले मिस्री भी कांग्रेस को बनिम्दन कराने-प्राप्ति में तो गांधीजी को और भी बड़ी निजी विजय हुई थी । उनके मन्नापनि मरदार बन्धन भाई पटेल हिन्दुस्तान के यून ही लोकप्रिय और जोरदार भादमी थे और उन्हें गुजरात के मफत नेतृत्व की मुकीति प्राप्त थी । फिर भी उसमे बीरद्वारा तो गांधीजी का ही था । अब्दुल्गफफारना के नेतृत्व में सीमाप्रान्त में भी लालकुर्तीवालो या एक अच्छा दल वहाँ पहुँचा था । लालकुर्तीवाले बड़े लोकप्रिय थे । जहाँ वहाँ भी जाते लोग तालियो में उनका स्वागत करते । क्योंकि अप्रैल १९३० में गहरी उत्तेजना दिनाई जाने पर भी उन्होंने असाधारण धान्ति और साहस की छाप हिन्दुस्तान पर छोड़ी है । लालकुर्ती नाम से कुछ लोगो को यह गुमान हो जाना था कि वे कम्युनिस्ट या वाम-मकीय मजदूर-दल के थे । सच पूछो तो उनका नाम खुदाई खिदमतगार था और वह सगठन काँग्रेस के साथ मिलकर काम करना था (बाद को १९३१ में काँग्रेस का एक अभिन्न अंग बना लिया गया था) । वे लालकुर्ती वाले महज इसलिय कहलाते थे कि उनकी बर्दी जरा पुराने ढंग की लाल थी । उनके कार्य-क्रम में कोई आधिक नीति शामिल न थी, वह तो राष्ट्रीय था और उनमें सामाजिक सुधार भी शामिल था ।

कराची के मुख्य प्रस्ताव में बिल्डी-समक्षीता और गोलमेज-कान्फ्रेंस का विषय था । कार्य-समिति ने जिस अन्तिम रूप में उसे पास किया था, उसे मैंने अवश्य ही मजूर कर लिया था । मगर जब गांधीजी ने मुझे खुले अधिवेशन में उसे पेश करने के लिए कहा, तो मैं जरा हिचकिचाया । यह मेरी तर्बीयत के खिलाफ था । पहले मैंने इन्कार कर दिया, मगर बाद को मुझे यह अपनी कमबोरी और असन्तोषजनक स्थिति दिखाई

दी। या तो मुझे इसके हक में होना चाहिए या इसके खिलाफ, यह मुनासिब न था कि ऐसे मामले में टालमटोल करूँ और लोगों को अटकले बाँधने के लिए स्वतन्त्र छोड़ दूँ। अतः विलकुल आखिरी क्षण में खुले अधिवेशन में प्रस्ताव आने के कुछ ही मिनट पहले मैंने उसे पेश करने का निश्चय किया। अपने भाषण में मैंने अपने हृदय के भाव ज्यो-के-स्यो उस विशाल जन-समूह के सामने रख दिये और उनसे पैरवी की कि वे उस प्रस्ताव को तहेदिल से मजूर करले। मेरा वह भाषण जो एन वक्त पर अन्त स्फूर्ति से दिया गया और जो हृदय के अन्तस्तल से निकला था, जिसमें न कोई अलंकार था न सुन्दर शब्दावली, कदाचित् मेरे उन कई भाषणों से ज्यादा सफल रहा जिसके लिए ज्यादा ध्यान देकर तैयारी करने की जरूरत हुई थी।

मैं और प्रस्तावों पर भी बोला था। इनमें भगतसिंह, मौलिक अधिकार और आर्थिक नीति के प्रस्ताव उल्लेखनीय हैं। आखिरी प्रस्ताव में मेरो खास दिलचस्पी थी। क्योंकि एक तो उसका विषय ही ऐसा था और दूसरे उसके द्वारा काँग्रेस में एक नये दृष्टिकोण का प्रवेश होता था। अबतक काँग्रेस सिर्फ राष्ट्रीयता की ही दिशा में सोचती थी और आर्थिक प्रश्नों के मुकाबिले से बचती रहती थी। जहाँतक ग्राम-उद्योगों से और आमतौर पर स्वदेशी को बढ़ावा देने से ताल्लुक था, उसको छोड़कर कराची वाले इस प्रस्ताव के द्वारा मूल उद्योगों और नौकरियों के राष्ट्रीयकरण और ऐसे ही दूसरे उपायों के प्रचार के द्वारा शरीकों का बोझा कम करके अमीरों पर बढ़ाने के लिए एक बहुत छोटा कदम, समाजवाद की दिशा में, उठाया गया, लेकिन वह समाजवाद कतई न था। पूँजीवादी राज्य भी उसनी प्रायः हर बात को आसानी से मजूर कर सकता है।

इस बहुत ही नरम और निःसार प्रस्ताव ने भारत-भरदार के बड़े-

बटे नेता को भारी और गहरे विचार में डाल दिया। कदाचित् उन्होंने अपना नया जी अन्वृष्टि के मूलाधिक यह भी कल्पना की कि वोलन्टैविको का रूपया लुक-छिपकर कराची जा पहुँचा है और कांग्रेस के नेताओं को नीति भ्रष्ट कर रहा है। एक तरह के राजनीतिक अन्वृष्टि में रहते-हने, बाहरी दुनिया में फटे-हटे, गुप्त वातावरण में घिरे हुए उनके दिमाग का रहस्य और भेद की कहानियाँ और कल्पित कथाओं के सुनने का बड़ा शौक रहता है। और फिर ये क्रिस्में एक रहस्यपूर्ण टंग में थोड़ा-थोड़ा करके अपने प्रीति-प्राप्त अवसरों में दिये जाते हैं और साथ में यह झलकाया जाता है कि यदि परदा खोल दिया जाय तो और भी कई गुल खिल सकते हैं। उनके इस मान्य प्रचलित तरीके से मौलिक अधिकार वगैरह सम्झौती कराची के प्रस्तावों का बार-बार जिक्र किया गया है और मैं उनसे यही नतीजा निकाल सकता हूँ कि वे इस प्रस्ताव पर सरकारी नम्बलियों के निर्दोषक हैं। क्रिस्सा यहाँ तक कहा जाता है कि एक छिपे व्यक्ति ने, जिसका कम्यूनिस्टों से ताल्लुक है, प्रस्ताव का या उनके ज्यादातर हिस्से का ढांचा बनाया है और उसने कराची में वह मेरे मर्त्य मट दिया। उसपर मैंने गाँधीजी को चुनौती दे दी कि या तो इसे मजूर कीजिए या दिल्ली-समझौते पर मेरी मुसालिफत के लिए तैयार रहिए। और गाँधीजीने मुझे चुप करने के लिए यह विश्वास दे दी तथा बाखिरी दिन जबकि विषय-समिति और कॉमेन धकी हुई थी, उन्होंने इसे उनके सिर पर लाद दिया।

उस छिपे व्यक्ति का नाम, जहाँ तक मुझे पता है, यो साफ-नाफ़ लिखा नहीं गया है। लेकिन तरह-तरह के इशारों से मालूम हो जाता है कि उनकी मंशा किससे है। मुझे छिपे तरीकों और धुमाव-फिराव से बात कहने को आदत नहीं, इसलिए मैं सीधे ही कह दूँ कि उनकी मंशा शायद एम० एन० राम से है। गिमला और दिल्ली के ऊचे

आसनवालो के लिए यह जानना दिलचस्प और शिक्षाप्रद होगा कि एम० एन० राय या दूसरे 'कम्यूनिस्ट-प्रवृत्ति रखनेवाले, कराची के उस सीधे-सादे प्रस्ताव के बारे में क्या खयाल करते हैं। उन्हें यह जानकर ताज्जुब होगा कि उस तरह के आदमी तो उस प्रस्ताव को कुछ घृणा की दृष्टि से देखते हैं। क्योंकि उनके मतानुसार तो यह मध्यम वर्ग के सुधारवादियों की मनोवृत्ति का एक स्यामा उदाहरण है।

जहातक गांधीजी से ताल्लुक है, उनमें मेरी घनिष्ठता पिछले सतरा सालों से है और मुझे उन्हें बहुत नज़दीक से जानने का सौभाग्य प्राप्त है। यह खयाल कि मैं उन्हें चुनौती दूँ, या उनसे सौदा कर्हूँ, मेरी निगाह में भयानक है। हा, हम एक-दूसरे का खूब लिहाज़ रखते हैं और कभी कभी विशेष मसले पर अलग-अलग भी हो सकते हैं, लेकिन हमारे आपस के व्यवहारों में बाज़ारू तरीको से हरगिज़ काम नहीं लिया जा सकता।

काँग्रेस में इस तरह के प्रस्ताव को पास कराने का खयाल पुराना है। कुछ सालों से युक्तप्रान्तीय काँग्रेस कमिटी इस विषय में हलचल मचा रही थी और कोशिश कर रही थी कि अ० भा० का० कमिटी समाजवादी प्रस्ताव को स्वीकार कर ले। १९२९ में उसने अ० भा० का० कमिटी में कुछ हद तक उसके सिद्धान्त को स्वीकार करा लिया था। उसके बाद सत्याग्रह आ गया। दिल्ली में, फरवरी १९३१ में, जबकि मैं गांधीजी के साथ सुबह घूमने जाया करता था, मैंने उनसे इस मामले का छिन्न किया था और उन्होंने आर्थिक विषयों पर एक प्रस्ताव रखने के विचार का स्वागत किया था। उन्होंने मुझसे कहा था कि कराची में इस विषय को उठाना और इस विषय में एक प्रस्ताव बनाकर मुझे दिखाना। कराची में मैंने मसविदा बनाया और उन्होंने उसमें बहुतेरे परिवर्तन सुझाये और सूचनायें कीं। वह चाहते थे कि कार्य-समिति में पेश करने

के घर, जो दोसरे महीने, माया का महीना हो जावे। मुझे बड़े सम्झिरे बलाते पर, जो नामे का नामे मे कुछ शिवा ही देना ही मर्ते। आखिर तर्जिमा, जो मे दासो ए सम्झिरे पर मरणा हो मये और तब यह आय-समिति मे जो उनसे कार शिवा समिति मे देना दिया गता। पर विद्युत् नव है कि शिवा-समिति न शिवा, जो एव नया शिवा का और कुछ मस्तरों को उमे दग्यर मन्जुद गता या। फिर भी यह इतिहास में और काम में सामान्य से फरक ही मया और बाद में अ० ना० रा० कमिटी को मीन दिया गया कि वह निश्चित शिवा में उससे और विवाद और व्यापक ब्राजे।

हा, जब मे उन प्रस्ताव का पता बना रहा था नय शिवा ही लोगों ने, जो मेरे डेरे पर आया करते थे, इनके बारे में मे कभी-कभी कुछ मन्हाह ले लिया करता था। मगर एम० एन० राय ने इनका कर्तव्य कोई ताल्लुक नहीं था, और मे यह अच्छी तरह जानना था कि वह इसका शिलकूल पमन्द नहीं करेगे और इसकी शिल्ली तक उड़ावेगे।

अलबत्ता कराची जाने के कुछ दिन पहले इलाहाबाद में एम० एन० राय ने मेरी मुलाकात हुई थी। वह एक रोज शाम को अकस्मात हमारे घर आये। मुझे पता नहीं था कि वह हिन्दुस्तान में है। ताहम मने उन्हें फौरन पहचान लिया, क्योंकि उनसे मने १९२७ में मास्को में देखा था। कराची में वह मुझसे मिले थे, मगर शायद पाँच मिनट मे ज्यादा नहीं। पिछले कुछ सालों मे राजनैतिक दृष्टि ने मेरी निन्दा करने हुए मेरे खिलाफ उन्होंने बहुत-कुछ लिखा है, और अकसर मुझे चोट पहुँचाने मे कामयाब भी हुए हैं। गो उनके और मेरे बीच बहुत मतभेद है, ताहम मेरा आकर्षण उनकी ओर हुआ, और वाद को जब वह गिरफ्तार हुए, और मुवीवत में थे, तब मेरा जी हुआ कि जो-कुछ मुझसे ही लके (और वह बहुत थोड़ी थी) उनकी मदद करूँ। मे उनकी तरफ आकर्षित

हुआ उनकी विलक्षण वीद्विक क्षमता को देखकर । मैं उनकी तरफ इस-लिए भी खिंचा कि मुझे वह सब तरह अकेले मालूम हुए, जिनको हर आदमी ने छोड़ दिया था । ब्रिटिश सरकार उनके पीछे पडो हुई थी ही । हिन्दुस्तान के राष्ट्रीय दल के लोगो की उनकी ओर दिलचस्पी नहीं थी । और जो लोग हिन्दुस्तान में अपनेको कम्यूनिस्ट कहते हैं वे विदवासघाती समझकर उनकी निन्दा करते थे । मुझे मालूम हुआ कि सालो तक रुस में रहने और कोमिन्टर्न के साथ घनिष्ठ सहयोग करने के बाद वह उन-से जुदा पड गये थे या जुदा कर दिये गये थे । ऐसा क्यों हुआ इसका मुझे पता नहीं है, और सिवा कुछ आभास के न अबतक यही जानता हूँ कि उनके मीज्जदा विचार क्या हैं और पुराने कम्यूनिस्टो से किस बात में उनका मतभेद है । लेकिन उनके जैसे पुरुष को इस तरह प्राय हरेक के द्वारा अकेला छोड़े जाते देखकर मुझे पीडा हुई और अपनी आदत के खिलाफ मैं उनके लिए बनाई गई डिफेंस कमिटी में शामिल हुआ । १९३१ की गर्मियो से, अवसे कोई तीन बर्ष पहले से, वह जेल में है, बीमार है और प्राय तनहाई में रह रहे हैं ।

कराची में काँग्रेस-अधिवेशन का एक आखिर कार्य था कार्य-समिति का चुनाव । यो तो उसका चुनाव अ० भा० का० कमिटी द्वारा होता है मगर ऐसा रिवाज पड गया था कि उस साल का सभापति (गौधीजी और कभी-कभी दूसरे साथियो की सलाह से) नाम पेश करता और वे अ० भा० का० कमिटी में मजूर कर लिये जाते । लेकिन कराची में हुए कार्य-समिति के चुनाव का बुरा नतीजा निकला, जिसका पहले किसी को खयाल नहीं हुआ था । अ० भा० का० कमिटी के कुछ मुनलमान मेम्बरो ने इस चुनाव पर एतराज किया था । खास तीर पर एक (मुस्लिम) नाम पर । गायद उन्होने उनमें अपनी तौहीन भंजनी थी कि उनके दल का कोई भी आदमी नहीं था । एक ऐसी अ० भा०

कमिटी में जिनमें केवल पंद्रह ही मेम्बर हों, यह मरासर असमय था कि तामी हितों के प्रतिनिधि उसमें रहें। और असली लगडा था, जिसके बारे में हम कुछ भी इत्म नहीं था, बिलकुल जाती और पजाब का मुकामी। लेकिन उसका नतीजा यह हुआ कि जिन लोगों ने विरोध को आवाजें उठाई थी वे (पजाब में) काँग्रेस में हटकर मजलिसे अहरार^१ में शरीक हो गये। काँग्रेस के कुछ बहुत ही मुस्तैद और लोकप्रिय कार्यकर्ता उसमें शामिल हो गये और पजाब के कितने ही मुसलमानों को उसने अपनी ओर खींच लिया। निचले मध्यमवर्ग के लोग उसमें थे और मुस्लिम जनता से उसका बहुत संपर्क था। इस तरह वह एक अवर्द्धत संगठन बन गया। उच्च श्रेणी के मुस्लिम साम्प्रदायिक लोगों के, जो कि या तो हवा में या दीवानखाने में या कमिटियों के कमरों में इकट्ठा होते थे, लुज संगठन की बनिस्वत यह कहीं ज्यादा मजबूत था। अहरार लोग जैसे तो फिरकानरस्ती की तरफ चले गये, मगर मुस्लिम जनता के नाथ उन्होंने अपना सिलमिला बाँध रक्ता था। इसलिए वे एक जिनदा जमात बने रहे, जिसका एक धुल्लासा आर्थिक दृष्टिकोण है। देसी राज्यों के मुसलमान-आन्दोलन में, खासकर कश्मीर में, उन्होंने बड़ा काम किया है जिनमें कि आर्थिक कष्ट और फिरकानरस्ती दोनों अजीब तरह से और बढ़किस्मती से धुल-मिल गये हैं। कांग्रेस से अहरार-पार्टी के कुछ नेताओं का फट जाना पजाब में कांग्रेस के लिए बहुत ही मुजिब हुआ। मगर कराची में इसका हमें क्या पता था? बाद में जाकर धीरे-धीरे हमें इसका अहसास होने लगा। लेकिन यह न समझना चाहिए कि कार्य-समिति के चुनाव के कारण ही वे लोग कांग्रेस से अलग हो गये हो। वह तो एक तिनका था जिसने हवा के रख को बताया। उसके असली कारण तो और ही हैं, और वे गहरे हैं।

^१ अहरार के मानी हैं आत्म सम्मान रखनेवाले ।

हम सब कराची में ही थे कि कानपुर के हिंदू-मुसलिम दंगे की खबर हमें मिली। इसके बाद ही हमारा समाचार यह मिला कि गणेशशंकर विद्यार्थी को कुछ मजहबी दीवाने लोगों ने, जिनकी मदद के लिए वह वहाँ गये थे, कत्ल कर डाला। वे मयकर और पाश्चविक दंगे ही क्या कम दुरे थे ? लेकिन गणेशजी की मृत्यु ने हमें उनकी भयकरता की बीभत्सता जिस तरह हमारे हृदय पर अकित कर दी वैसे और कोई चीज नहीं कर सकती थी। उस काँग्रेस-कैम्प में हज्जारों आदमी उन्हें जानते थे और कुछ प्रात के हम सब लोगों के वह निहायत प्यारे साथी और दोस्त थे। जवाँमदं और निडर, दूरदर्शी और निहायत अबलमन्द सलाहकार, कभी हिम्मत न हारनेवाले, चुपचाप काम करनेवाले, नाम, शोहरत, पद और प्रकाशन में दूर भागने वाले। अपनी ज़बानी के उत्साह में झूमते हुए वह हिंदू-मुसलिम एकता के लिए, जो उन्हें इतनी प्यारी थी और जिसके लिए उन्होंने अबतक कार्य किया था, अपना सिर हथेली पर लेकर खुशी-खुशी आगे बढ़े थे कि बेवकूफ हाथों ने उन्हें जमीन पर मार गिराया और कानपुर को और सूबे को एक अत्यंत उज्ज्वल रत्न से महरूम कर दिया। जब यह खबर पहुँची तो कराची के ५० पी० कैम्प में शोक की घटा छा गई और ऐसा मालूम हुआ कि उसकी शान चली गई। लेकिन फिर भी उसके दिल में यह अभिमान था कि गणेशजी ने बिना पीछे कदम उठाये भीत का मुकाबिला किया और उन्हें ऐसी गौरव-पूर्ण भीत नमीव हुई।

लंका में विश्राम

मेरे डॉक्टरों ने मुझपर जोर दिया कि मुझे कुछ आराम लेना चाहिए, और भाव-हृदय बदलनी चाहिए। मैंने लंका द्वीप में एक नहीना चुनारना तर किया। हिन्दुस्तान बड़ा भारी देश होने पर भी, इसमें स्थान-परिवर्तन या भावसिद्धि विद्या की अम्ली समावना दिखाई न दी क्योंकि मैंने वहाँ भी जाना वहाँ राजनैतिक साथी मिलने ही, और वहाँ सम्झाए भी मेरे पीछे-पीछे बहा जा जातीं। लंका ही हिन्दुस्तान से सबसे नदवीक की जगह थी, इसलिए हन लंका ही गये—कमला, इन्द्रिय और मैं। १९२७ में यूरप से लौटने के बाद यही मेरी पहली ततिल थी, यही पहला मौका या जग मेरी पत्नी, कल्या और मैंने एल्-भाव धान्ति ने वहाँ विद्यान किया ही, और हनें कोई चिन्तायें न रही हों। ऐसा विद्यान फिर नहीं मिला है, और मैं सम्झता हूँ ध्यायद मिलेगा भी या नहीं।

फिर भी, दरज्जल, हमें लंका में निवा नुवाया एलीया के दो हप्तों के ज्यादा विश्राम मिला ही नहीं। वहाँ के सनी वनों के लौनों ने हमारे प्रति बहुत ही आतिथ्य और मित्र भाव प्रदर्शन किया। यह इतनी सद्भावना बहुत अच्छी तो लगनी थी, अगर परेयानी में भी डाल देती थीं। नुवाया एलीया में बहुत-से अमिक, चाय-बागान के मजदूर और दूसरे लोग रोड कई मीटर ब-कर आया कग्ने थे, और अपने साथ अपनी प्रेम-पूर्ण भेंट की बाँटें—जगल के फूल, सख्खिया, धर का मन्थन—भी लाया करते थे। हन तो उनमें प्राय वात भी नहीं कर मन्थ दे; एक-दूसरे की तरफ देव कर मने थे और मुम्भग देने थे। हमारा छोटा-सा घर उनकी भेंट

की इन कीमती चीजों से, जो वे अपनी दरिद्र अवस्था में भी हमें दे जाते थे, भर गया था। यह चीजें हम वहाँ के अस्पतालों और अनाथालयों को भेज दिया करते थे।

हमने उस द्वीप की मशहूर चीजों और ऐतिहासिक खड्करो, बौद्ध मठों और घने जंगलों को देखा। अनुरावापुर में मुझे बुद्ध की एक पुरानी बँठी हुई मूर्ति बहुत पसन्द आई। एक साल बाद जब मैं देहरादून जेल में था, तब लका के एक मित्र ने इस मूर्ति का चित्र मेरे पास भेज दिया था, जिसे मैं अपनी कोठरी में अपने छोटे-से टेबल पर रक्खे रहता था। यह चित्र मेरा बड़ा मूल्यवान साथी बन गया था, और बुद्ध की मूर्ति के गभीर शान्त भावों से मुझे बड़ी शान्ति और शक्ति मिलती थी, जिससे मुझे कई बार उदासी के मौकों पर बड़ी मदद मिली।

बुद्ध हमेशा मुझे बहुत आकर्षक प्रतीत हुए हैं। इसका कारण बताना तो मुश्किल है, मगर वह धार्मिक नहीं है, क्योंकि बौद्ध-धर्म के आसपास जो मताग्रह जम गये हैं उनमें मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। उनके व्यक्तित्व ने ही मुझे आकर्षित किया है। इसी-तरह ईसा के व्यक्तित्व के प्रति भी मुझे बड़ा आकर्षण है।

मैंने मठों में और सबको पर बहुत-से 'भिक्षुओं' को देखा, जिन्हें हर जगह, जहाँ कहीं वे जाते थे, सम्मान मिलता था। करीब-करीब सभी के चेहरों पर शान्ति और निष्चलता का, तथा दुनिया की फिक्रों से एक-विचित्र वैराग्य का, मुख्य भाव था। आम तौर पर उनके चेहरे से बुद्धिमत्ता नहीं झलकती थी, उनकी सूरत से दिमाग के अन्दर होनेवाला भयंकर सघर्ष नहीं मालूम पड़ता था। उन्हें जीवन महासागर की ओर शान्ति से बहती हुई नदी के समान दिखाई देता था। मैं उनकी तरफ कुछ रसक के साथ, आँधी और तूफान से बचानेवाला शान्त बन्दरगाह पाने की एक हलकी उत्कण्ठा के साथ, देखता था। मगर मैं तो जानता

ता जिसे मेने डिप्लम में और ही कुछ है, उनमें तो भागी और मुजब ही है। मुझे कोई ज्ञान बदरगाह मिलनेवाला नहीं है, क्योंकि मेरे ज्ञान का ज्ञान भी उतना ही नेत्र है जिनका बाहर का। और अगर मुझे कोई ऐसा बदरगाह मिल नी जाय, उहा इतिहास में जानी भी प्रबलता न हो तो भी क्या वहाँ में मन्वीय और मुजब में रह सकूँगा ?

✓ कुछ समय के लिए तो वह बदरगाह मुझको ही था। वहाँ आदमी पढा रह सकना था, स्वयं देख सकता था, और उपा-कटिबन्ध का इतिहास और जीवनवादी इतिहास अपने अन्दर कर सकता था। लंका-द्वार उस समय मेरी भी वृत्ति के अनुकूल था, और उसकी शोभा देखकर मेरा हृदय हँस से भर गया। विद्या-का हनाग महीना जल्दी ही उभर ही गया, और दिल्ली अफसोस के साथ हम वहाँ में बिदा हुए। उस मुझ और वहाँ के लोगों की कई बातों का याद मुझे अब भी आया करती है, जेठ के मेरे लम्बे और सूने दिनों में भी यह मीठी याद मेरे साथ रही। एक छोटी-सी घटना मुझे स्मरण है वह याद जाऊना के पास हुई थी। एक स्कूल के शिक्षकों और छात्रों ने हमारी मोटर रोक ली, और अनिवादन के कुछ शब्द कहे। दूट और उत्तुक चेहरे लिये लटके लड़े रहे, और उनमें से एक मेरे पास आया। उसने मुझसे हाथ लियाया। बिना कुछ पूछे या दलील किये उसने कहा -- 'मेरे कमी लड़-खड़ाऊँगा नहीं।' उस लड़के को उस समयकी हुई आखां की, उस आत्मपूर्ण चेहरे की, जिसमें निश्चय की दृढ़ता भरी हुई थी, छाप मेरे मन पर अब भी पड़ी हुई है। मुझे पता नहीं कि वह कौन था उसका कोई पता-ठिकाना मेरे पास नहीं है मगर किसी-न-किसी प्रकार मुझे यह विश्वास होता है कि वह अपने शब्दों का पक्का रहेगा, और जब जीवन की विषय समस्याओं का मुझको लगे करना होगा तब वह सहस्रहायोगा नहीं, पीछे नहीं रहेगा। ✓

लका से हम दक्षिण भारत, ठीक कुमारी अन्तरीप के पास, दक्षिणी सिरे पर गये। वहाँ आश्चर्यजनक शान्ति थी। इसके बाद हम त्रावणकोर, कोचीन, मलाबार, मैसूर, हैदराबाद में होकर गुजरे, जो ज्यादातर देगी रियासते हैं। इनमें से कुछ दूसरो से बहुत प्रगतिशील हैं, कुछ बहुत पिछडी हुई हैं। त्रावणकोर और कोचीन शिक्षा में ब्रिटिश-भारत से भी बहुत आगे बढे हुए हैं। मैसूर शायद उद्योग-धन्वो में आगे बढा हुआ है, और हैदराबाद करीब-करीब पूरी तरह पुराने सामन्त-तन्त्र का स्मारक है। हमें हर जगह, जनता से भी और अधिकारियो से भी, आदर और स्वागत मिला। मगर इस स्वागत में अधिकारियो की यह चिन्ता भी छिपी हुई थी कि हमारे वहाँ आने से कहीं लोगो के खयालत खतरनाक न हो जायें। मालूम होता है, उस वक्त मैसूर और त्रावणकोर ने राजनैतिक कार्य के लिए कुछ नागरिक स्वतन्त्रता और अवसर दिया था। हैदराबाद में इतनी आजादी न थी। और, हालाकि हमारे साथ आदर का वतवि किया जा रहा था, फिर भी मुझे वह वातावरण दम घोटने और साँस रोकनेवाला मालूम हुआ। बाद में मैसूर और त्रावणकोर की सरकारो ने उतनी नागरिक स्वतन्त्रता और राजनैतिक कार्यों की सुविधा भी छीन ली, जो उन्होंने पहले दे रखी थी।

मैसूर रियासत के बगलोर शहर में, एक बडे मजमे के अन्दर, मैंने लोहे के एक ऊँचे खम्भे पर राष्ट्रीय झण्डा फहराया था। मेरे जाने के थोडे दिनो बाद ही वह खम्भा तोडकर टुकडे-टुकडे कर दिया गया, और मैसूर-सरकार ने झण्डे का प्रदर्शन बुरा करार दे दिया। मैंने जिस झण्डे को फहराया था उसकी इतनी खराबी और बेइज्जती होने से मुझे बडा रज हुआ।

आज त्रावणकोर में कांग्रेस ही गैरकानूनी सस्था करार दे दी गई है और कांग्रेस का मेम्बर भी कोई नहीं बन सकता, हालाकि ब्रिटिश भारत

में सविनय भग एक जाने के बाद से वह कानूनी हो गई है। इस तरह मैमूर और भ्रावणकोर दोनों मामूली शान्तिपूर्ण राजनैतिक हलचल को भी कुचल रही हैं, और उन्होंने वे सुभीते भी छीन लिये हैं जो पहले दे रखे थे। वे रियासतें पीछे हट रही हैं। किन्तु हैदरावाद को पीछे जाने या मुविघायें छीनने की ज़रूरत ही न हुई, क्योंकि वह आगे कभी वढी ही न थी और न उसने इस किम्म की कोई सुविधायें दी थी। हैदरावाद में राजनैतिक नभायें कभी नहीं होती, और सामाजिक और धार्मिक नभायें भी मन्वेह की दृष्टि में देखी जाती हैं, और उनके लिए भी खास इजाजत लेनी पड़ती है। वहाँ कोई भी अच्छे अखबार नहीं निकलते, और बाहर से चुराई के कीटाणु न आने देने के लिए हिन्दुस्तान के दूसरे हिस्सों में छपनवाले बहुत-से अखबारों की रियासत में रोक कर दी गई है। बाहर के बमर से दूर रहने की यह नीति इतनी मजबूत है कि माडरेट अखबारों की भी वहाँ मुमानियत है।

काँचीन में हम 'मफ़ेद यहूदी' कहानेवाले लोगों का मुहल्ला देखने गये, और उनके पुराने मन्दिर में उनकी एक प्रकार की पूजा देखी। यह छोटा-सा सयाज बहुत प्राचीन और बहुत अजीब है। इसकी तादाद घटती जा रही है। हमने कहा गया कि काँचीन के जिम हिस्से में वे रहते हैं, वह जम्मनेम के समान था। निश्चय ही वह पुरानी बनावट का भी मारूम हुआ।

मग़ाबार के किलाने हमने कुछ ऐसे कम्बे देखे जिनमें ज्यादातर नीरसल मन के ईगार्ड बने हुए थे। पायद इमका बहुत कम लोगों को मसत हास कि ईगार्ड-यम हिन्दुस्तान में ईना के बाद पहली मदी में ही जा गया था, जबकि यून्व के भी उम नहीं रहस किना था, और दफ़िन हिन्दुस्तान में पूर मजबूतों ने जम गया था। हालाँकि इन ईगार्डों के बाद यमनेम नीरिया के एष्टियोक या और निनी कमबे

में है, मगर इनकी ईसाइयत ज्यादातर हिन्दुस्तानी चीज ही है और उसका बाहर से ज्यादा ताल्लुक नहीं है ।

दक्षिण में नेस्टेरियन मत के लोगो की भी एक वस्ती देखकर मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ । उनके पादरी ने मुझे बताया कि उनकी तादाद दम ख़ाह है । मेरा तो यह खयाल था कि ये लोग कभी के दूसरे मतों में मिल चुके होंगे, और मुझे यह पता न था कि कभी वे हिन्दुस्तान में भी मौजूद थे । मगर मुझसे कहा गया कि एक समय हिन्दुस्तान में उनके अनुयायी बहुत थे, और वे उत्तर में बनारस तक फैल हुए थे ।

हम हैदराबाद खासकर श्रीमती सरोजिनी नायडू और उनकी लड़कियो, पद्मजा और लीलामणि, से मिलने गये थे । जिन दिनों हम उनके यहाँ ठहरे हुए थे, एक बार मेरी पत्नी से मिलने के लिए कुछ पर्दानशीन स्त्रियाँ उन्हीं के मकान पर इकट्ठा हो गईं और गायद कमला ने उनके सामने भाषण दिया । उसका भाषण सम्भवत पुरुषों के बनाये हुए कानूनो और रिवाजों के खिलाफ स्त्रियो के युद्ध के (जो उसका एक खास प्यारा विषय था) बारे में था, और उसने स्त्रियो से कहा कि वे पुरुषों से बहुत न डरे । इसके दो या तीन हफ्ते बाद इसका एक बड़ा दिलचस्प नतीजा निकला । एक परेशान हुए पति ने हैदराबाद से कमला को खत लिखा कि, आपके यहाँ आने के बाद से मेरी पत्नी का वर्तव अजीब हो गया है । वह पहले की तरह मेरी बात नहीं सुनती, न मेरी बात मानती है, बल्कि मुझसे बहस करती है और कभी-कभी सख्त खल भी अख्त्यार कर लेती है ।

बम्बई से लका को रवाना होने के सात हफ्ते बाद हम फिर बम्बई आ गये, और मैं फौरन ही काँग्रेस की राजनीति के मँवर में कूद पडा । कार्य-समिति की बैठके कई ज़रूरी मामलो पर विचार करने के लिए होनेवाली थी—हिन्दुस्तान की स्थिति तेजी से बदलती और गभीर होती

उसकी निगाह में तो अभी सारी तस्वीर ही बनना बाकी थी, सो भी करीब-करीब कोरे कागज पर। यह तो सच था कि दिल्ली में समझौते के द्वारा सघ-स्वरूप को आधार मान लिया गया था, और सरक्षणो या प्रतिबन्धो का विचार भी मजूर कर लिया था। मगर हममें से बहुत-से तो बहुत पहले से ही हिन्दुस्तान के लिए सघ-स्वरूप का विधान ही सबसे ज्यादा उपयुक्त समझते थे। और इस विचार को हमारे मान लेने का यह मतलब नहीं था कि हमने खास उस तरह का सघ भी मान लिया जिसकी रचना पहली गोलमेज-कान्फ्रेंस ने की थी। राजनैतिक स्वाधीनता और सामाजिक-परिवर्तन के साथ भी सघ-स्वरूप पूरी तरह मेल खा सकता है। हाँ, सरक्षणो या प्रतिबन्धो के विचार का मेल बैठाना ज्यादा मुश्किल था और मामूली तौर पर उनके होने से स्वाधीनता में काफी कमी आ जाती थी। मगर 'भारत के हित की दृष्टि से' इन शब्दों से हम इस कठिनाई से कम-से-कम थोड़ी हद तक तो निकल सकते थे, फिर भी अच्छी तरह नहीं। कुछ भी हो, कराची-कांग्रेस ने यह साफ कर दिया था कि हमें वही विधान मजूर हो सकेगा जिसमें फौज, वैदेशिक मामलो और राजस्व तथा आर्थिक नीति पर पूरा अधिकार दिया गया हो, और हिन्दुस्तान को विदेशों की (अर्थात् अधिकांश ब्रिटिशों की) देनदारी मजूर करने से पहले अपने कर्जों के प्रश्न की जाँच करने का हक हो। इसके अलावा मौलिक अधिकारों सम्बन्धी प्रस्ताव ने भी बता दिया था कि हम किन्-किन राजनैतिक और आर्थिक तबदीलियों को करना चाहते हैं। ये सब बातें गोलमेज-कान्फ्रेंस के कई निश्चयों और हिन्दुस्तान की हुकूमत के मौजूदा ढाँचे के भी खिलाफ पड़ती थी।

कांग्रेस और ब्रिटिश-सरकार के दृष्टिकोणों में भारी फर्क था, और अब इस अवस्था में उनका दूर होना बहुत ही नामुमकिन मालूम होता

या। करीब-करीब सभी कांग्रेसवालों को गोलमेख-कान्फ्रेंस में कांग्रेस और सरकार के बीच किसी भी बात पर एक-राय होने की उम्मीद नहीं थी, और गाँधीजी को भी, हालाँकि वह हमेशा बड़े आगावादी रहे हैं, कोई ज्यादा आशा न हो सकी। फिर भी वह कभी नाउम्मीद नहीं होने थे, और आखिरी हद तक कोशिश करने का इरादा रखते थे। हम सब महनुस करते थे, कि चाहे सफरता मिले या न मिले, अगर दिल्ली-समझौते के कारण एक बार प्रयत्न तो करना ही चाहिए। अगर दो जरूरी बातें थीं, जिनके कारण हमारा गोलमेख-कान्फ्रेंस में हिस्सा लेना रुक सकता था। हम तभी जा सकते थे जबकि हमें गोलमेख-कान्फ्रेंस के सामने अपना सम्पूर्ण दृष्टिबिन्दु रखने की पूरी आजादी रहे, और इसके लिए हमें यह कहकर कि यह मामला तो पहले ही तय हो चुका है, या और किसी सबब से, रोकना न जाय। हिन्दुस्तान में भी ऐसी परिस्थिति हो सकती थी कि जिससे गोलमेख-कान्फ्रेंस में हमारा प्रतिनिधि न जा पाता। यहाँ ऐसी हालत पैदा हो सकती थी कि जिससे सरकार से सवर्ष खड़ा हो जाता, या जिसमें हमें कठोर दमन का मुकाबिला करना पड़ता। अगर हिन्दुस्तान में ऐसा हो, और हमारा घर ही जल रहा हो, तो हमारे किसी भी प्रतिनिधि के लिए यह विलकुल नामुनासिब होता कि इस भाग का खयाल न करके वह लन्दन में जाकर विधान आदि पर कौरे पण्डितों की तरह बहस करे।

हिन्दुस्तान में परिस्थिति तेजी से बदल रही थी। सारे देश में ऐसा हो रहा था, खासकर बंगाल, युक्तप्रान्त और सीमाप्रान्त में। बंगाल में तो दिल्ली के समझौते से कोई खास फर्क नहीं पड़ा, और तनाव जारी रहा, बल्कि और भी ज्यादा हो गया। सविनय भंग के कुछ कँदी छोड़ दिये गये। लेकिन हजारी राजनैतिक कँदी, जो नाम के लिए सविनय भंग के कँदी नहीं समझे जा सकते थे, जेल में ही रहे। नज़रबन्द

भी जेलो या नजरबन्द कैम्यो मे ही सडते रहे । राजद्रोहात्मक भावणो या दूसरी राजनैतिक प्रवृत्तियो के कारण नई गिरफ्तारियाँ अकसर हो जाती थी, और आम तौर पर यही महसूस हो रहा था कि सरकार की तरफ से हमला अब भी बन्द नहीं हुआ है, वह जारी है । काँग्रेस के लिए आतकवाद के कारण बंगाल की समस्या हमेशा बहुत ही कठिन रही है । काँग्रेस की सामान्य प्रवृत्तियो और सचिनय भग के मुकामिले में आतकवादी हलचले तो बहुत थोडी और बहुत छोटी ही रही है । मगर उनसे गोर ज्यादा भयता था, और उनकी तरफ ध्यान बहुत खिच जाता था । इन हलचलो से दूसरे प्रान्तो की तरह काँग्रेस का काम होना मुश्किल हो गया था । क्योंकि आतकवाद से ऐसा वातावरण पैदा हो जाता था कि जो धान्ति-पूर्ण लडाईं के लिए माफिक न था । लाहिमी तौर पर इसके कारण सरकार ने सख्त-से-सख्त दमन किया, जोकि आतकवादी और गैर-आतकवादी बहुत-कुछ दोनो पर तिष्णक समानता से पडा ।

पुलिस और मुकामी इन्तजामी अफसरो के लिए यह मुश्किल था कि वे खास कानूनो और आर्डिनेन्सो का (जो आतकवादियों के लिए बनाये गये थे) काग्रेसवालो, मजदूरो और किसानो के कार्यकर्ताओ और दूसरे लोगो पर, जिनकी प्रवृत्तियो को वे नापसन्द करते थे, उपयोग न करे । यह मुमकिन है कि कई नजरबन्दो का, जिन्हे अमीतक कई वर्षो से बगैर इलजाम लगाये, मुकदमा चलाये या सजा दिये बन्द रखवा गया था, अमली कुसूर आतकवादी प्रवृत्तियाँ नहीं थीं, बल्कि दूसरो ही कोई प्रबल राजनैतिक प्रवृत्ति हो । उन्हें इसका मौका तक नहीं दिया गया कि वे अपनी सफाई दे सके, या कम-से-कम अपना अपराध तक मालूम कर सकें । उनपर अदालतो में मुकदमे इसलिए नहीं चलाये जाते कि कदाचित्त पुलिस के पास उन्हें सचा दिलाने लायक काफी सबूत नहीं है, हालाँकि यह सची जानते है कि सरकार विरोधी जुर्मो के लिए ब्रिटिश भारत के

कानून आम्बनयान्तक रूप में व्यापक और भरे-पूरे हैं और उनके घने जाल में से बच सकना मुश्किल है। यह अकसर होता है कि कोई आदमी अदालतों में तो बरी कर दिया जाता है, मगर फिर फौरन ही गिरफ्तार कर लिया जाता है और नजरबन्द बना लिया जाता है।

वगाल के एक पेचीदा मवाल के मवब में कांग्रेस-कार्य समिति के लोग अपनेको बड़ा लाचार अनुभव करते थे। वे हमेशा इससे परेशान रहते थे और ज़िमीन-किसी शकल में वगाल का कोई न-कोई मामला ज़रूर उनके सामने आता ही रहता था। जितना उनमें बनता था उतना उस बारे में वे ज़रूर करते थे, मगर वे अच्छी तरह जानते थे कि इससे असली सवाल हल न होगा। इसलिए कुछ कमजोरी ही समझिए, वे जो-कुछ वहाँ होता था उसे वैसा ही चलने देते थे। और यह कहना भी मुश्किल है कि, उनकी जैसी परिस्थिति में, वे और कर भी क्या सकते थे। वगाल में कार्य-समिति के इस रवैये पर बड़ा रोष रहा था, और वहाँ यह खयाल पैदा हो गया कि कांग्रेस-कार्य-समिति और दूसरे सब प्रान्त बैंगाल की परवा नहीं करते। मालूम होता था कि मुसोबत के वक्त में सबने वगाल का साथ छोड़ दिया है। मगर यह खयाल बिल्कुल ग़लत था, क्योंकि सारे हिन्दुस्तान में वगाल के प्रति सहानुभूति थी, लेकिन उसे यह नहीं सूझता था कि इस सहानुभूति को असली मदद की शकल में कैसे जाहिर करे। इसके अलावा, हर प्रान्त के सामने अपने-अपने कष्टों का भी तो सवाल था।

युक्तप्रान्त में किसानों की स्थिति खराब होती जा रही थी। प्रान्तीय-सरकार इस सवाल पर टालमटोल करने की कोशिश कर रही थी। उसने लगान और मालगुजारी के छूट के फैसले को आगे धकेल दिया, और जबरदस्ती लगान वसूली शुरू कर दी। सामूहिक वेदखलियाँ और कृषियाँ होने लगीं। जब हम लका में थे तभी, जबरदस्ती लगान-

बमूली की कोमिज के पान्च, धी या तीन गुणगो पत्र विमानों के दमे हो गये थे। ये दमे थे तो मामूली-मे ही, मगर बदकिरमती में उनमें जमींदार या उनके मारिंदे मर गये थे। गांधीजी गुनाप्रान्त के गधनर घर मालकम हेरी ने विमानों की पग्निमि पर बातचीत करने नैनीताल गये थे (उन वक्त भी मैं मया में ही था), मगर उमता कोई अच्छा नतीजा नहीं निकला। जब सरकार ने छूट की घोषणा की, तो वह उम्मीद में बहुत कम थी। देहान में लगातार बिरल-नों मनने और बढ़ने लगी। ज्या-ज्या जमींदार और सरकार दोनों का मिलाकर दबाव बढ़ता गया, और हज्जारों किसान अपनी जमीन में बेदरल फिरे जाने लगे, और उनकी छोटी-छोटी मिलिकयत छीनी जाने लगी, त्यो-त्यो ऐसी स्थिति पैदा होती गई कि जिससे किसी भी दूररे देण में एक बड़ा किसान-विप्लव खड़ा हो सकता था। मेरा खयाल है कि यह कांग्रेस की कोमिज का ही नतीजा था कि जिससे किसानों ने कोई हिसात्मक कार्य नहीं किये। मगर दुब उनपर जो बल-प्रयोग हुआ उसका क्या पूछना।

किसानों के इस उमाड और मुमीबत में एक बात अच्छी थी। खेती की पैदावारों के भाव बहुत कम हो जाने से गरीब लोगों के पास, जिनमें किसान भी शामिल थे, अगर उनकी सम्पत्ति छिनी नहीं थी तो, पिछले कई सालों की बनिस्वत, ज्यादा खाद्य-सामग्री मौजूद थी।

बंगाल की ही तरह, सीमाप्रान्त में भी दिल्ली के समझौते से कोई शान्ति नहीं हुई। वहाँ विद्रोह का वातावरण निरन्तर बना रहा। वहाँ की हुकूमत विशेष कानूनों और आर्डिनेन्सों और छोटे-छोटे से कूसुरों पर भारी-भारी सजाओं के कारण एक फौजी प्रबन्ध जैसी हो रही थी। इस हालत का विरोध करने के लिए खान अब्दुलगफ्फारख़ा ने बड़ा आन्दोलन उठाया, जिससे सरकार की निगाह में वह बहुत खटकने लगे। वह छ फीट तीन इंच ऊँचे पूरे पठान, अपनी मर्दानगी के साथ, गाँव-गाँव पैदल

जाते थे, और जगह-जगह 'लाल-कुर्ती' दल के केन्द्र कायम करते थे। जहाँ कहीं वह या उनके खास-खास साथी जाते थे वहाँ-वहाँ वह लाल-कुर्ती-दल का एक सिलसिला बनाकर छोड़ जाते थे, और जल्दी ही सारे प्रान्त में 'खुदाई खिदमतगार' की गालियाँ फँस गईं। वे त्रिलकुल शान्तिपूर्ण थे, और उनके खिलाफ गोल मोल आरोप लगाये जाने पर भी, आज तक हिंसा का कोई एक भी निश्चित अभियोग नहीं ठहर सका है। मगर चाहे वे शान्तिपूर्ण रहे हों या नहीं, उनका पूर्व-इतिहास तो युद्ध और हिंसा का रहा था, और वे उपद्रवी सीमाप्रवेग के पास बसे हुए थे इसलिए इस अनुशासन-युक्त आन्दोलन के, जिनका हिन्दुस्तान के राष्ट्रीय-आन्दोलन से गहरा ताल्लुक था, तेजी से बढ़ने के कारण सरकार घबरा गई। मेरा खयाल है कि उसने इस आन्दोलन के शान्ति और अहिंसा के दावे पर कभी विश्वास नहीं किया। मगर, यदि उसने विश्वास भी कर लिया होता, तो भी उसके हृदय में इसके कारण दशहत् और अँसलाहट ही पैदा हुई होती। इनमें उमे इतनी असली जोर भीतरी शक्ति दिखाई दी कि वह इसे शान्ति में देखती नहीं रह सकती थी।

इस बड़े आंदोलन के मुखिया, विला उच्च, खान अब्दुलग़फ़फ़ारखा ही थे—जिन्हें 'फ़ख़्-अफ़ग़ान', 'फ़ख़्-पठान', 'गाधी-ए-सरहद' वगैरा नामों ने याद किया जाने लगा। उन्होंने सिर्फ अपने चुपचाप और एक-निष्ठ काम के बल पर, जिनमें न वह मुस्लिमों ने डरे न सरकारी दमन ने, मीनाप्रान्त में आश्चर्यजनक लोकप्रियता पा ली थी। जैसे कि गजनीनिज़ आम तौर पर हुआ करते हैं उस तरह के राजनीतिज्ञ न बनें, न हैं, वह मियामी चालाकियों और पैतरेवाइयों को नहीं जानते। वह जो एक डेबे और मीचे, मगर और मन दोनों में माँचे, आदमी हैं। वह गोर-गुन और बहुत बरबाम में नफरत बर्तते हैं। वह हिन्दुस्तान की आजादी के दाँवे में अन्दर अन्दर नीमाप्रान्तीय लोगों के

लिए भी आझादी चाहते हैं, मगर विधानो और कानूनी बातों के बारे में उनका दिमाग सुलझा हुआ नहीं है और न उनमें उन्हें कोई दिलचस्पी ही है। किसी भी चीज को पाने के लिए जोरदार काम की जरूरत है, और गांधीजी ने ऐसे शान्तिपूर्ण काम का एक बढ़िया तरीका, जो उन्हें जंच गया, बता ही दिया था। इसलिए ज्यादा बहस में न पड़ते हुए, और अपने सगठन के लिए कायदों के मसविदों के फेर में न पड़ते हुए, उन्होंने सीमा सगठन करना ही शुरू कर दिया और उसमें उन्हें खूब कामयाबी मिली। ✓

गांधीजी की तरफ उनका रुझान खास तौर पर हो गया। पहले तो, अपने-आपको पीछे ही रखने के लज्जिले स्वभाव के कारण वह उनसे दूर-दूर रहे। बाद में कई मामलों पर बहस करने के लिए उन्हें उनसे मिलना पड़ा, और उनका ताल्लुक बढ़ा। यह ताज्जुब की बात है कि इस पठान ने अहिंसा को उसूलन हममें से कई लोगों की बनिस्वत ज्यादा कैसे मान लिया? और चूकि उनका अहिंसा पर पक्का यकीन था, इसी कारण वह अपने लोगों को समझा सके कि उभाड़े जाने पर भी शान्ति रखने का बड़ा भारी महत्व है। यह कहना तो बिल्कुल गलत ही होगा कि सीमा-प्रान्त के लोगों ने कभी भी या छोटी भी हिंसा करने का विचार पूरी तरह से छोड़ दिया है, जैसा कि किसी भी प्रान्त के लोगों के बारे में आम तौर पर यह कहना बिल्कुल गलत होगा। आम जनता तो भावुकता की लहरों में बहा करती है, और जब इस तरह की लहर उठ खड़ी हो तब वह क्या करेगी यह पहले से नहीं कहा जा सकता। मगर अपने-आप पर काबू और ज़ब्त रखने की जो मिसाल सीमा-प्रान्त के लोगों ने १९३० में और बाद के बरसों में पेश की थी वह विलक्षण ही थी।

सरकारी अधिकारी और हमारे कई निहायत डरपोक देगवासियों 'सीमा-प्रान्तीय गांधी' को शक की निगाह से देखते हैं। वे उनकी बातों

का यकीन नहीं करते। उन्हें उनमें कोई छिपा हुआ पडगुन ही दिखाई देता है। मगर पिछले कुछ बरनों से वह और सीमा-भ्रान्त के दूसरे नाथी हिन्दुस्तान के दूसरे हिस्सों के काँग्रेसी कार्यकर्ताओं के बहुत नजदीक आ गये हैं, और उनके बीच में गहरा भाईचारा और परस्पर आदर और कद्रदानी का भाव पैदा हो गया है। खान अब्दुलगफ्फारखा को काँग्रेस के लोग कई बरस से जानते और चाहते हैं। मगर वह महज एक साथी ही नहीं है, उससे कुछ ज्यादा है। दिन-ब-दिन हिन्दुस्तान के बाकी हिस्सों में लोग उनको एक बहादुर और निडर लोगो के, जो हमारे सर्व-आमान्य युद्ध में हमारे साथी है, साहस और बलिदान का प्रतीक समझने लगे हैं।

खान अब्दुलगफ्फारखा से पहचान होने के बहुत पहले ही मैं उनको भाई डाक्टर खानसाहब को जानता हूँ। जब मैं केम्ब्रिज में पढ़ता था, तब वह लन्दन के सेण्ट टॉमस अस्पताल में शिक्षा पाते थे, और बाद में जब मैं इनर टेम्पल के कानूनी विद्यालय में पढ़ता था तब मेरी-उनकी गहरी दोस्ती हो गई थी। जब मैं लन्दन में रहता था, तो शायद ही कोई ऐसा दिन जाता हो जब हम आपस में न मिलते हो। मैं तो हिन्दुस्तान चला गया, मगर वह इंग्लैण्ड में ही रह गये और महायुद्ध के जमाने में डाक्टर की हैसियत से काम करते हुए कई बरसों तक वहीं रहे। इसके बाद मैंने उन्हें नैनी-जेल में देखा।

सीमा-भ्रान्त के लालकुर्तीवालो ने काँग्रेस के साथ महयोग तो किया, लेकिन उनका सगठन अपना अलग ही था। यह एक विचित्र स्थिति थी। दोनों को जोड़नेवाली कड़ी तो अब्दुलगफ्फारखा थे। १९३१ की शिमियों में इस सवाल पर कार्य-समिति ने सीमा-भ्रान्त के नेताओं के परामर्श से यह तय किया कि लालकुर्तीवालो को काँग्रेस का ही अंग बना लिया जाय। इस तरह वे काँग्रेस के एक जुद्ध बन गये।

गांधीजी की द्वाहिण थी कि वह कराची-कांग्रेस के बाद फौरन सीमा-प्रान्त में जायें, मगर सरकार ने ऐसा न होने दिया। बाद के महीनों में जब सरकारी अधिकारियों ने लालकुर्ती दल की कारवाइयों की शिकायत की, तो उन्होंने जोर दिया कि मुझे वहाँ इन बातों का खुद पता लगाने के लिए जाने की इजाजत दी जाय, मगर उन्हें नहीं जाने दिया गया। न वहाँ भेरा जाना ही पसन्द किया गया। दिल्ली के समझौते को देखते हुए, हमने यह ठीक नहीं समझा कि हम सरकार की स्पष्ट इच्छा के विरुद्ध सीमा-प्रान्त में चले जायें।

इन सवालो के अलावा, कार्य-समिति के सामने एक और मसला था, साम्प्रदायिक। यह कोई नई समस्या न थी, हालाँकि बार-बार यह नई और अजीब शकल में सामने आती थी। गोलमेज कान्फ्रेंस के सबब से इसे और भी महत्व मिल गया। क्योंकि यह तो जाहिर था कि ब्रिटिश-सरकार इसी को सबसे आगे रखेगी, और हमारी सब समस्याओं को इससे कम महत्व देगी। इस कान्फ्रेंस के मेम्बर, जो कि सभी सरकार के नामजद किये हुए थे, खासकर इस तरह पसन्द किये गये थे कि जिसमें साम्प्रदायिक और सामुदायिक स्वार्थों को महत्व दिया जा सके, और सामान्य स्वार्थों के बजाय इन भेद-भावों पर जोर दिया जा सके। सरकार ने खास तौर पर, और जोर के साथ, राष्ट्रीय मुसलमानों के किसी भी नेता को नामजद करने से ही इकार कर दिया। गांधीजी ने महसूस किया कि अगर ब्रिटिश सरकार के कहने से कान्फ्रेंस बिल्कुल शुरू में ही साम्प्रदायिक सवाल में उलझ गई, तो असली राजनैतिक और आर्थिक सवाल पर काफी विचार न हो सकेगा। इस परिस्थिति में उनके लन्दन जाने से कोई फायदा न होगा। इसलिए उन्होंने कार्य-समिति के सामने यह बात पेश की कि लन्दन नभी जाना चाहिए जबकि सब सम्बन्धित दलों के बीच में साम्प्रदायिक समस्या पर कोई

समझौता हो जाय। उनकी यह सहज-बुद्धि बिल्कुल ठीक थी, मगर कमिटी ने यह बात न मानी, और यह फंसला किया कि सिर्फ इसी आक्षेप पर, कि हम साम्प्रदायिक समस्या को तय नहीं कर पाये हैं, उन्हें जाने से इकार न करना चाहिए। कमिटी ने विविध सम्प्रदायों के प्रतिनिधियों की सलाह से इस समस्या का हल ढूँढने की कोशिश भी की। मगर इसमें ज्यादा कामयाबी न मिली।

१९३१ की गर्मियों में, छोटे-मोटे कई मसलों के अलावा, यही कुछ बड़े प्रश्न हमारे सामने थे। सारे देश की मुकामी कांग्रेस-कमिटियों से हमारे पास बराबर शिकायतें आ रही थी कि मुकामी अफसरों ने फला-फला बात में दिल्ली के समझौते को तोड़ दिया है। हमने उनमें से कुछ बड़ी-बड़ी शिकायतें सरकार के पास भी भेज दीं, और जबर सरकार ने भी कांग्रेसवालों के खिलाफ समझौता तोड़ने के आरोप लगाये। इस तरह से एक-दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगाये गये, और बाद में वे अखबारों में भी छाप दिये गये। यह कहने की जरूरत नहीं है कि इससे भी कांग्रेस और सरकार के ताल्लुक़ात सुवरे नहीं।

फिर भी, इन छोटे-छोटे मामलों के सम्बन्ध में सघर्ष खुद कोई बड़ा महत्व नहीं रखता था। इसका महत्व यही था कि इससे एक दूसरे ही अधिक मौलिक सघर्ष के बढ़ने का पता लगता था। यह मौलिक सघर्ष व्यक्तियों पर निर्भर नहीं करता था, बल्कि हमारे राष्ट्रीय सग्राम के स्वरूप के कारण और हमारे ग्रामी की आर्थिक व्यवस्था में अमान्य-मञ्जम्य होने के कारण उत्पन्न हुआ था। इन सघर्षों को बिना बुनियादी परिवर्तन किये हटाना या कम करना मुमकिन नहीं था। हमारा राष्ट्रीय आन्दोलन मूल में इगण्डिए शुरु हुआ था कि हमारे ऊपरी तह के मध्यम-वर्गों में अपनी उन्नति और विकास या साधन प्राप्त करने की इच्छा पैदा हुई, और इसकी जड़ में राजनैतिक और आर्थिक प्रेरणा थी। यह

आन्दोलन निचले मध्यम वर्गों में फ़ैल गया, और देश में एक ताकत बन गया, और फिर उसने देहात की जनता को भी उठाना शुरू किया, जिन्हे आम तौर पर यह भी मुश्किल हो रहा था कि अपना सबसे निचली कोटि का दरिद्रतापूर्ण जीवन भी किसी तरह कायम रख सके। पुराने जमाने की स्वावलम्बी ग्रामीण व्यवस्था कभी की मिट चुकी थी। सहायक घरेलू धन्धे भी, जो खेती के सहायक थे और जिनसे ज़मीन का बोझ कुछ कम हो जाता था, बर्बाद हो गये थे। कुछ तो सरकारी नीति के सबब से, मगर खासकर इस कारण कि वे मशीनों के व्यवसायो का मुकाबिला नहीं कर सके। ज़मीन का बोझ बढ़ने लगा, और हिन्दुस्तान के कारखानों की तरक्की इतनी धीमी हुई कि वह इसमें कुछ फ़र्क न कर सकी। और फिर ये गाँव, जो सब तरह से साधन-हीन और तरह-तरह के बोझों से लदे हुए थे, सहसा, ससार के बाजारों के मुकाबिले में डाल दिये गये, और इधर-से-उधर धक्के खाने लगे। बराबरी के नाते से विदेशों का मुकाबिला कर नहीं सकते थे। उनकी उत्पत्ति के औजार पुराने ढग के थे, और ज़मीन के बँटवारे का तरीका उनका ऐसा था जिससे खेत बराबर छोटे-छोटे टुकड़ों में बँटते जाते थे। कोई भी आमूल सुधार होना नामुमकिन था। इसलिए कृषि करनेवाले वर्ग—जमींदार और काश्तकार दोनों ही—सिवा उन दिनों के जबकि भाव बहुत ऊँचे हो जाते थे, नीचे ही गिरते गये। जमींदारों ने अपने बोझ को काश्तकारों पर उतारने की कोशिश की, और किसानों के, छोटे ज़मीन-मालको और काश्तकारों दोनों ही के, मुफ़लिस हो जाने के कारण वे राष्ट्रीय आन्दोलन की तरफ़ खिच आये। खेत-मजदूर भी, अर्थात् देहाती के ऐसे लोग जिनके पास ज़मीन नहीं थी और जिनकी तादाद बड़ी थी, इस तरफ़ आकर्षित हुए। इन देहाती वर्गों के लिए तो 'राष्ट्रीयता' या 'स्वराज' का मतलब यही था कि ज़मीन के बँटवारे की

प्रजाति में मोहित प्रजाति किया जाय, जिनमें कि इनका बोझ डूब या तब हो जाय जो भूमिहीन को भूमि मिल जाय। मगर राष्ट्रीय आन्दोलन में ऐसे दूर निगारों या मध्यम-श्रेणी नेताओं में किसी ने भी उनकी इन इच्छाओं को मात्र नीचे पर प्रदर्शित नहीं किया।

१९३० का सविनय भंग-आन्दोलन उद्योग-अन्यों और कृषि की वहाँ नसार-व्यापी मन्दी के बिलकुल अनुकूल बँड गया, और इसका फल पहले तो उसके नेताओं को भी न उगा। इस मन्दी का अमर देहाती जनता पर भी बहुत ज्यादा पडा था, उमगिए ये भी काँचम और सविनय भंग की तरफ़ ज़ुक पडे। उनका यह लक्ष्य नहीं था कि रन्दन में या दूमरी किसी जगह बैठकर कोई अच्छा-भा विधान तैयार किया जाय, मगर उनका लक्ष्य, खानकार ज़मींदारी प्रदेश में, यह था कि भूमि-प्रदा में बुनियादी तब्दीली की जाय। वास्तव में यह मालूम होने लगा कि ज़मींदारी तरीका अब इस ज़माने के लिए पुराना पड गया है, और उसमें कोई स्थिरता बाकी नहीं रही थी। मगर ब्रिटिश-सरकार, अपनी भीजूदा परिस्थिति में, इस भूमि-प्रणाली में कोई बुनियादी तब्दीली करने की हिम्मत नहीं दिखा सकती थी। जब उसने एक शाही कृषि-कमीशन मुकरिर किया था, तब भी उसके निर्देशों में ज़मीन की मिल्कियत और भूमि-प्रणाली के परिवर्तन पर विचार करने की मनाई कर दी गई थी।

इस तरह, उस समय, सघर्ष मानो हिन्दुस्तान की परिस्थिति में ही निहित था, और वह किसी प्रकार के मोहक शब्दों या समझौते से दूर नहीं किया जा सकता था। दूसरे आवश्यक राष्ट्रीय प्रश्नों के अलावा ज़मीन के सवाल का बुनियादी हल निकालने से ही यह सघर्ष बच सकता था। यह हल ब्रिटिश-सरकार के मार्फ़न निकले, इसकी कोई सम्भावना न थी। आरखी इलाजों से बीमारी चाहे थोड़ी देर के लिए कम हो सके, और सलत दमन के डर से चाहे लोग उसका इच्छाहार करना बन्द

कर दे, मगर दोनो बातो से सवाल का हल नही निकल सकता था ।

मगर, मेरा खयाल है कि, ज्यादातर सरकारो की तरह ब्रिटिश-सरकार का भी यह विचार है कि हिन्दुस्तान में ज्यादा गडबड 'आन्दोलनकारियो' के कारण है । मगर यह बिलकुल ही बाहियात विचार है । पिछले पन्द्रह वरसो से हिन्दुस्तान के पास एक ऐसा नेता तो रहा है, जिसने अपने करोडो देशवासियो की स्नेह-श्रद्धा और भक्ति सपादन की है, और जो उससे कई तरह अपनी इच्छा भी मनवा लेता है । उसने उसके वर्तमान इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा लिया है, मगर फिर भी उससे ज्यादा महत्वपूर्ण तो वे आम लोग लोग ही रहे हैं जो उसके आदर्शों का मानो आँख बन्द करके मानते रहे हैं । आम लोग ही मुख्य अभिनेता थे, और उनके पीछे, उन्हे आगे धकेलने वाली, बडी-बडी ऐतिहासिक प्रेरणायें थी, जिन्होंने लोगो को तैयार कर दिया और अपने नेता की वासुडी सुनने को मजबूर कर दिया । उस ऐतिहासिक परिस्थिति, और राजनैतिक और आर्थिक प्रेरणाओ के अभाव में, कोई भी नेता या आन्दोलनकारी उन्हे कोई भी काम करने की स्फूर्ति नही दे सकते थे । गाँधीजी में नेतृत्व का यही खास गुण था कि वह अपनी सहज-बुद्धि से आम लोगो की नब्ब पहचान सकते थे, और जान लेते थे कि किस प्रगति और कार्य के लिए कब परिस्थिति ठीक अनुकूल है ।

१९३० में हिन्दुस्तान का राष्ट्रीय आन्दोलन कुछ बक्त के लिए देश की बढती हुई सामाजिक शक्तियो के बिलकुल अनुकूल बैठ गया, जिससे उसे बडी ताकत मिल गई । उसमें वास्तविकता मालूम होने लगी, और ऐसा लगने लगा कि मानो वह सचमुच इतिहास के साथ कदम-ब-कदम आगे बढ रहा है । कांग्रेस उस राष्ट्रीय आन्दोलन की प्रतिनिधि थी, और उसकी प्रतिष्ठा-बुद्धि से मालूम होता था कि उसकी शक्ति और सत्ता बढ रही है । यह कुछ-कुछ अस्पष्ट, कुछ वे-अन्दाज, कुछ अनिदर्शनीय-

सा तो था, किन्तु फिर भी बहुत-कुछ मौजूद तो था ही। निसन्देह क्रिमान लोग कांग्रेस की तरफ झुके, और उन्होंने ही उसको असली शक्ति बनाई। निचले मध्यम-वर्ग ने उसे सबसे मजबूत सैनिक दिये। ऊपरी मध्यम-वर्ग ने भी, इन वातावरण से घबराकर, कांग्रेस से दौस्ती बनाये रखने में ही ज्यादा भलाई देखी। ज्यादातर सूती मिलों ने कांग्रेस के बनाये इकरारनामों पर दस्तखत कर दिये, और वे ऐसे काम करने से डरने लगी जिनमें कांग्रेस उनपर नाराज हो जाय। जब कुछ लोग लदन में बैठे पहली गोलमेस-कान्फ्रेंस में अच्छे-अच्छे कानूनी मुद्दों पर वातचीत कर रहे थे, उस वक्त मालूम हो रहा था कि आम लोगों के प्रतिनिधि की हैसियत से कांग्रेस के पास ही धीरे-धीरे और अनजान में असली ताकत जा रही है। दिल्ली के समझौते के बाद भी यह भ्रम बढ़ता ही रहा, किन्हीं अनिमान-भरे भाषणों के कारण नहीं, बल्कि १९३० और बाद की घटनाओं के कारण। इसमें शक नहीं कि शायद कांग्रेस के नेताओं को ही सबसे ज्यादा यह पता था कि सामने क्या-क्या कठिनाइयाँ और खनरे आनेवाले हैं, और इसलिए उनको मामूली न समझने की उन्होंने पूरी फिक्र रखी।

देश में दो सम्स्याओं के पास सत्ता होने की यह अस्पष्ट भावना कुद-रती तौर पर सरकार को बहुत ही चुभने वाली थी। असल में, इस धारणा के लिए कोई अमली बुनियाद तो थी नहीं, क्योंकि दुग्य सत्ता तो मोल्हो आना सरकारी अधिकारियों के हाथ में ही थी, फिर भी, लोगों के दिमागों में उसका अस्मित्व था, इसमें तो शक नहीं। नत्तावादी और अ-परिवर्तनीय शासन-तन्त्र के लिए तो यह स्थिति चलने देना सम्भव था, जो इसी विचित्र वातावरण में अधिकारी बेचैन हो गये, न कि ग्रामों के कुछ गेमे-ब्रैमे भावणों या जुड़्मों में, जिनकी कि उन्होंने बाद में दिग्गयन थी। दसलिए मध्यम होना अनिवाच्य ही दोसने लगा। कांग्रेस अपनी

खुशी से खुदकुशी नहीं कर सकती थी, और सरकार भी इस द्वेष-सत्ता के वातावरण को बरदाश्त नहीं कर सकती थी, और कांग्रेस को कुचल डालने को तुली हुई थी। यह सघर्ष दूसरी गोलमेज-कान्फेंस के सबब से रुका रहा। किसी-न-किसी कारण से, ब्रिटिश-सरकार गांधीजी को लंदन बुलाने को बहुत उत्सुक थी, और इसीसे जहाँतक होसके कोई भी ऐसा काम नहीं करती थी जिसमें उनका लन्दन जाना सक जाय।

इसके बावजूद सघर्ष की भावना बढती ही गई, और हमें दीखने लगा कि सरकार का रुख सख्त हो रहा है। दिल्ली के समझौते के बाद ही लार्ड अविन हिन्दुस्तान से चले गये और लार्ड विलिंगडन उनकी जगह वाइसराय बनकर आये। यह खबर फैलने लगी कि नया वाइसराय बडा सख्त और करारा आदमी है, और पिछले वाइसराय की तरह समझौते करने वाला नहीं है। हमारे कई राजनैतिक पुरुषों में, राजनीति के उसूलों की निगाह से न देखकर व्यक्तियों की निगाह से देखने की लिबरलो की तरह, आदत हो गई है। वे यह नहीं समझते कि ब्रिटिश-सरकार की सामान्य साम्राज्य-वादी नीति वाइसरायों की व्यक्तिगत रायों पर निर्भर नहीं रहती। इसलिए वाइसरायों के बदल जाने में कोई फर्क नहीं पडा, न पड सकता था। मगर, असल में यह हुआ कि परिस्थिति की गति-विधि के कारण सरकार की नीति भी धीरे-धीरे बदलती गई। सिविल-सर्विस के उच्च अधिकारियों को कांग्रेस के साथ समझौते या व्यवहार करने की बात पसन्द नहीं थी। शासन के सम्बन्ध में उनकी सारी तालीम और सत्तावादी धारणायें इसके खिलाफ थी। उनके दिमाग में यह खयाल था कि उन्होंने गांधीजी के साथ बिलकुल बराबरी का-सा बर्ताव करके कांग्रेस के प्रभाव और गांधीजी के रतवे को बडा दिया है, और अब यह वक्त है कि जब उनको थोडा-सा नीचा गिराया जाय। यह खयाल बडी बेवकूफी का था, मगर, हिन्दुस्तान की सिविल-सर्विस

ने लिखा। जो मीसिना तो मैं जानती थी नहीं गई है। मैं, कुछ भी नहीं हो, तब मैं अपनी ने मन गई और उसने अपना पत्रा और भी बदमती से जमाना, और पुनः तब मैं तब में मानों जगने मनो गया कि 'मेरी छोटी बगनी को मेने शपथ भी मन में मोटी है; अपने तुम्हें कोड़े लगवाये थे, तो मैं तुम्हें लिखने से बचना जाता।'।

मगर अभी मोटा करने का उम्र नहीं आया था। अभी तो यही जरूरी समझा गया कि अगर मुनफिा हो, तो चाँदने का प्रतिनिधि हमरी गोलमेज-सम्मेलन में उतर जान। चाँदमगल और हमरे अधिना-गियों ने लखी-शब्दी आननीत करने के लिए गाँधीजी दो द्वार दिमना गये। उन्होंने उस समय उपस्थित कई नजालों पर आननीत की, और बगाल के अगवा, जो सरकार की मधतें ज्यादा चिन्तित कर रहा मालूम पडना था, आनकर सीमा-प्रान्त के लालपुर्ती-दल-आन्दोलन और युक्तान्त के किसानों को न्यायित इन दो विषयों पर आननीत हुई।

दिमला में गाँधीजी ने मुझे भी बुल्दा लिया था, और मुझे भारत-सरकार के कुछ अधिकारियों ने मिलने के भी मोके दिये। मैं फिर

१ ये शब्द बाइबिल के पुराने अहदनामे (१ किंग्ज, १२-१०) से लिये गये हैं। ये शब्द पैगम्बर के नहीं हैं, बल्कि प्राचीन यहूदी बादशाह के सलाहकार के हैं। सुलेमान बादशाह का लड़का जब गद्दी पर बैठा तो अजा ने उतरे जाकर प्रार्थना की—'हम आपके बफादार हैं, आपके बालिब के खाने में जो जूआ हमारे बचे पर था उसे बराय मेहरबानी हलका कर दीजिए।' बादशाह के पिता के कुछ सलाहकारों ने सलाह दी कि यह बात मंजूर कर लेनी चाहिए। मगर उसके युवक सलाहकारों ने कहा ये लोग यों सीधे न होंगे। इनसे आप कहिए—मेरे बाप की कसर से मेरी छोटी बगली भी ज्यादा मोटी है। मेरे पिता के समय जूआ भारी था तो मैं उसे और भारी कर दूँगा। उन्होंने तुम्हें कोड़े लगवाये थे तो मैं तुम्हें बिच्छू से बटवाऊँगा।' —अनु०

युक्तप्रान्त के बारे में ही बातचीत करता था। बड़ी साफ-साफ बातें हुईं, और छोटे-छोटे आरोपो और प्रत्यारोपो की तह में जो असली सघर्ष की बातें छिपी हुई थीं उनपर भी बहस हुई। मुझे याद है कि मुझसे कहा गया, कि फरवरी १९३१ में ही सरकार की ऐसी स्थिति थी कि वह ज्यादा-से-ज्यादा तीन महीने के अन्दर सविनय-भंग के आन्दोलन को दबा सकती थी। उसने अपना सारा यत्न तैयार कर लिया था, और सिर्फ उसे चला भर देने की जरूरत थी, सिर्फ बटन दबा देने की आवश्यकता थी। मगर उसने यह सोचकर कि, अगर हो सके तो, बल-प्रयोग के बजाय आपसमें मिलकर समझौता कर लेना अच्छा होगा, आपसी बातचीत करके देखना तय किया था, और इसीका नतीजा था कि दिल्ली का समझौता हो गया। अगर समझौता न हुआ होता, तो बटन तो मीजूद था ही, और एक पल-भर में दबाया जा सकता था। और इसमें यह भी इशारा मालूम होता था कि अगर हमने ठीक वर्तान किया तो फिर जल्दी ही बटन दबा देना पड़ेगा। यह सारी बात बड़ी आजिजी से और साफ-साफ कही गई थी, और हम दोनों ही जानते थे कि हमारे वावजूद, और चाहे हम कुछ भी कहे या करे, सघर्ष होना तो लाजिमी था।

एक दूसरे ऊँचे अधिकारी ने कांग्रेस की तारीफ भी की। उस वक्त हम ज्यादा व्यापक गैर-राजनैतिक ढंग की समस्याओं पर विचार कर रहे थे। उसने मुझसे कहा कि, राजनीति के सवाल को छोड़ दें तो भी कांग्रेस ने हिन्दुस्तान की बड़ी भारी खिदमत की है। हिन्दुस्तानियों के खिलाफ आम तौर पर यह झुलझाम लगाया जाता है कि वे अच्छे सगठन-कर्त्ता नहीं हैं, मगर १९३० में कांग्रेस ने भारी कठनाइयों और विरोध के होते हुए भी एक आश्चर्यजनक सगठन कर दिखाया था।

जहाँतक गोलमेक-कान्फ्रेन्स में जाने का सवाल था, गाँधीजी की

पहल शिमला-जाने का कोई नतीजा न निकला। दूसरी यात्रा अगस्त के अखिरी हफ्ते में हुई। जाने या न जाने का अखिरी फैसला तो करना ही था, मगर फिर भी उन्हें हिन्दुस्तान छोड़ने का निश्चय करना मुश्किल हो गया। बगल में, चीमा-प्रान्त में और युक्तप्रान्त में उन्हें मुनीव्रत आती हुई दीख रही थी और जबतक उन्हें हिन्दुस्तान में शान्ति रहने का आश्वासन न मिल जाय, वह जाना नहीं चाहते थे। अन्त में एक तरह का समझौता सरकार के माथ हो गया, जो एक वक्तव्य और परस्पर के पत्र-व्यवहार के रूप में था। यह बिलकुल ही आखिरी घड़ी किया गया, ताकि वह उस जहाज से आ सकें जिनमें गोलमेज-कान्फ्रेंस के प्रतिनिधि जा रहे थे। अन्ततः में यह, एक तरह से बिलकुल ही आखिरी घड़ी में हुआ था, क्योंकि आखिरी ट्रेन छूट चुकी थी, शिमला ने कालका तक एक स्पेशल ट्रेन तैयार कराई गई, और कालका से छूटनेवाली गाड़ी पकड़ने के लिए दूसरी गाड़ियां रोक दी गईं।

मेरे उनके साथ गिमले से बम्बई तक गया। और वहाँ अगस्त के एक सुन्दर प्रभात में मेने उन्हें बिदाई दी, और वह अरबी समुद्र और मुद्गर पश्चिम की तरफ बढ़ चले। वम अगले दो साल तक के लिए मुझे यही उनका अन्तिम दर्शन था।

१. समझौते के बाद सन्धि-भंग के बारे में तीन बार गाँधीजी शिमला गये थे। दुबारा शिमला जाने के बाद गाँधीजी ने शिमला जाने का निश्चय किया। समझौते की शर्तें तोड़ी जा रहीं थीं, मगर शर्तें तोड़ी गईं या नहीं इसका फैसला करने वाली कोई निष्पक्ष अदालत तो थी नहीं। गाँधीजी यह चाहते थे कि यदि शर्तें तोड़ी गई हों तो उनका परिमार्जन किया जाय, या ऐसी कोई अदालत नियुक्त की जाय। समझौते की शर्तों के खिलाफ युक्तप्रान्त और वारडोली में कर बसूल किया जा रहा था। दोनों जगह अन्याय और अत्याचार की घटनायें हुई थीं। आखिर कार

: ३८ :

गोलमेज-कान्फ्रेंस

एक अंग्रेज अखबारनवीस ने हाल ही में एक किताब लिखी है और उसका दावा है कि उसने गांधीजी को हिन्दुस्तान में और लन्दन में गोलमेज कान्फ्रेंस में बहुत काफी देखा है। अपनी किताब में उसने लिखा है—

“मुलतान नाम के जहाज में जो लीडर बैठे हुए थे वे यह जानते थे कि गांधीजी के खिलाफ कार्य-समिति के भीतर एक साजिश की गई है और वे यह भी जानते थे कि वक्त आते ही काँग्रेस उन्हें निकाल फेंकेगी। लेकिन काँग्रेस गांधीजी को निकालकर गालिवन अपने आधे के करीब मेम्बरो को निकाल देगी। इन आधे मेम्बरो को सर तेजवहादुर सभू और जयकर साहब लिबरल-पार्टी में मिला लेना चाहते थे। वे इस बात को कभी नहीं छिपाते थे। उन्हींके लफजों में गांधीजी का दिमाग साफ नहीं है, लेकिन अगर कोई मट्ठे दिमागवाला नेता अपने साथ दस लाख मट्ठे दिमागवाले अनुयायी आपको दे तो उसको अपनी तरफ करना अच्छा ही है।”^१

तीसरी बार की शिमला-यात्रा में सरकारने धारडौली के अत्याचारी की जाँच के लिए एक कमिटी मुकर्रर की और आगे के लिए काँग्रेस को यह छूट दी कि जहाँ कहीं ऐसी घटनायें हो वहाँ वह उसका प्रतिकार करे।

—अनु०

१. ग्लोर्ने बोल्डन की The Tragedy of Gandhi नामक पुस्तक का यह उदाहरण मैंने उस किताब की एक आलोचना से लिया है, क्योंकि खुद किताब को पढ़ने का मौक़ा अभी तक नहीं मिल पाया है। मुझे

मैंने तो नहीं देखा कि वह दूरदर्शन में जो बातें कही गईं हैं वे सब मेरे सम्बन्ध में ही हैं। मैंने तो देखा कि वह दूरदर्शन के दूसरे-दूसरे सदस्यों के किये हुए जो भी बातें १९३१ में कही गईं हैं वे, जहाँ तक प्रकट करने के हैं, लेकिन मुझे यह बात बखूबी याद है कि मैंने देखा है कि हिन्दुस्तान के राजनीति से जोड़ी-जोड़ी जानकारी रखनेवाला कोई व्यक्ति, जो चाहें वह अन्तर्द्वारा ही हो या नहीं, इस तरह की बातें कह सकता है। मैं तो उसे देखकर ही नहीं जान सकता कि वहने किनी-कीनी इतने में ही इस तरह की बातें कहते हुए नहीं गुना। लेकिन इतने ऐसी बातें सब नहीं हैं जो उम्मीद में न आये, क्योंकि अभी मेरी जगहानर मेरे में रहे रहा है।

उम्मीद है कि मैं ऐसा करके किताब के लेखक या जिन शब्दों का नाम उसमें आया है उनके साथ कोई जगहानी नहीं कर रहा हूँ।

इसका निश्चय के बाद मैंने किताब भी पढ़ ली। मि० बोल्टन के बहुत-से बयान और उद्धरण जो नवीन निकाले हैं वे मेरे विचार से विस्तृत बयानियाँ हैं। इसके अलावा कई वाक्यांश भी उद्धृत किये गये हैं। खामखर कविता ने दिल्ली-प्रेस की बातचीत के दौरान में और उसके बाद क्या किया और क्या नहीं किया इस विषयक वाक्यांश। उन्होंने एक कबीर का यह भी मत ली है कि १९३१ में सरकार बल्लभभाई पटेल की कार्यवाही की इच्छा और उसके परिणाम से उत्तरी इन्डियाई गंधोशी की प्रतिक्रिया में मिली, जबकि अब जान यह है कि निश्चय पत्र-पत्रों में कांग्रेस में और निश्चय-देस में भी गंधोशी की हस्ता-कंप्रित के किनी भी मदर में कहीं जगहानर ही नहीं रही है। वह समाधान बनानेवाले रहे हैं और उनकी बात हमेशा लोगों ने मानी है। उन्होंने कुछ बार-बार मदर होने से इन्कार किया और यह पण्डित किंग कि उनके कुछ मतों और ऐतिहासिक सहायक करें। मैं तो कांग्रेस का मदर महत्त्व उन्होंने बर्दाश्त हुआ। वास्तव में वह कुछ लिये गये थे,

तो ये माजिश करनेवाले घाटम कीन है और इनका मकसद क्या है ? कभी-कभी यह कहा जाता था कि मैं और काँग्रेस के गभापति सरदार वल्लभभाई पटेल कार्य-समिति के मेम्बरो में सत्रने ज्यादा गरम स्वभाव के हैं, और मेरा खयाल है, डमलिए, साजिश के नेनाओ में हम लोगो की भी गिनती होगी ! लेकिन धायद गाँधीजी का वल्लभभाई मे ज्यादा मच्चा भक्त हिन्दुस्तान-भर मे दूसरा कोई न होगा । अपने काम में वह फितने ही कडे और मजबूत क्यों न हो, लेकिन गाँधीजी के आदशों, उनकी नीति और उनके व्यक्तित्व के प्रति उनकी बडी भक्ति है । मे जरूर इस बात का दावा नही कर सकना कि मैंने भी उसी तरह से इन आदशों को माना है, लेकिन मुझे बहुत नजदीक रहकर गाँधीजी के साथ काम करने का सीमाग्य मिला है । मेरे लिए उनके खिलाफ माजिश करने का

लेकिन उन्होंने अपना नाम वापस लेकर खबरवस्ती मुझे चुनवाया । वल्लभभाई का चुनाव भी मामूली तरीके से नहीं हुआ । हम लोग अभी-अभी जेल से निकले थे । अभीतक काँग्रेस-कमिटियाँ गैर-कानूनी जमाते थीं । वे मामूली तरीके पर काम नहीं कर सकती थीं । इसलिए कराची-काँग्रेस के लिए सभापति चुनने का काम कार्य-समिति ने अपने ऊपर ले लिया । वल्लभभाई समेत तमाम कमिटी ने गाँधीजी से अर्च की कि वह सदारत मंजूर कर ले और इस तरह जहाँ वह काँग्रेस के असली प्रधान हैं वहाँ पद के द्वारा भी प्रधान हो जायें, खासकर आगामी नाचुक साल के लिए । लेकिन वह राजी नहीं हुए और इस बात पर जोर देते रहे कि वल्लभभाई को सदारत मजूर कर लेनी चाहिए । मुझे याद है कि उस वक्त उनसे यह कहा गया था कि आप हमेशा मुसोलिनी रहना चाहते हैं और दूसरों को, थोडे वक्त के लिए, बाबसाह यानी बराय-नाम अधिकारी बना देते हैं ।

एक छोटे-से फुटनोट में मिस्टर बोल्डन की दूसरी भी बहुत-सी चाहियात बातों का जवाब देना मुमकिन नहीं है, लेकिन एक मामले की

राजनी है। मच जान तो यह है कि कार्य-प्रमिति के नयी
 करने के बारे में यही बात नहीं है। वह कमिटी वस्तुतः राधाजी की
 बनाई हुई थी। अपने कुछ आर्थियों के मलाह-भगवरं ने उन्होंने इस
 कमिटी को नामसद किया था। उनके चुनाव को तो सिर्फ रत्न पूरी की
 गई थी। कमिटी के आसातर मेम्बर तो उसके स्तम्भ-रूप थे—ऐसे जो
 उन्हें मालूम थे वह बूढ़े थे और ऊरोव-ऊरोव उनके हमेगा मेम्बर खयाल
 किये जाने थे। उनमें राजनैतिक मनमंद था, लेकिन वह स्वभाव व दृष्टि-
 कोण का मन्तव्य था। और साथों तक एकसाथ और कन्धे-ने-कन्धा
 मिलाकर काम करने-करते तथा एकसे खतरों का सामना करते हुए वे
 एक-दूसरे में झिंझल गये थे। उनमें आपस में दोस्ती, भाईचारा और

बाबत, जो कुछ-कुछ जाती-सा है, मैं खरर कुछ कहना पसन्द करूँगा।
 उनकी इस बात का इत्मीनान सा हो गया मालूम होता है कि मेरे
 पिताजी के राजनैतिक जीवन को पलट देनेवाली बात एक यूरोपियन
 क्लब में उनका मेम्बर न चुना जाना ही है, और एक इसी बात से न
 सिर्फ वह उग्र तरीकों के ही हामी हो गये बल्कि अंग्रेजों की सोसायटी
 में भी वह दूर रहने लगे। यह कहाणी जो अबपर बार-बार बहुराई गई
 है, फतई चलन है। अपनी वाक्यात की कोई खास अहमियत नहीं,
 लेकिन उन रस्य की दूर करने के लिए मैं उन्हें यहाँ दिये देता हूँ।
 वकालत के कुछ दिनों में पिताजी को सर जान एल बहुत चाहते थे। वह
 उन दिनों इलाहाबाद-हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस थे। सर जाम ने पिताजी
 से कहा कि आप इलाहाबाद की यूरोपियन क्लब में शामिल हो जायें।
 उन्होंने कहा, मैं खूब मेम्बरी के लिए आपके नाम का प्रस्ताव करूँगा।
 पिताजी ने उनकी इन मेहरबानी के लिए उनका शुक्रिया अदा किया,
 लेकिन माय में यह भी कहा कि इसमें बखेड़ा खरर होगा, क्योंकि बहुत-से
 ऊरोव मेरे हिन्दुस्तानी होने की वजह से ऐतराज करेंगे और भूमकित है
 कि मेरे जिन्हाफ वोट हैं। कोई भी मामूली अफसर इस तरह मेरा नाम

एक-दूसरे के लिए आदर पैदा हो गया था। वे 'सयुक्त-मण्डल' न होकर एक इकाई, एक शरीर, थे और उनमें मे किसी की वावत यह सोचा तक नहीं जा सकता कि वह दूसरो के खिलाफ साजिश करेगा। कमिटी में गांधीजी की चलती थी और सब लोग रहनुमाई के लिए उन्ही की तरफ देखते थे। कई सालो से यही होता आ रहा था और सन् १९३० में हमारी लड़ाई को जो बड़ी कामयाबी मिली थी उसके बाद सन् १९३१ में तो यह बात और भी ज्यादा बढ़ गई थी। कार्य-समिति के गरम खयाल के मेम्बरो को उन्हे निकालने की कोशिश करने में क्या मकसद हो सकता था? शायद यह सोचा जाता है कि उन्हे जल्दी

रद करा सकेगा, और ऐसी हालत में मे चुनाव के झगडे में पडना नहीं पसन्द करूँगा। इसपर सर जान ने यह भी कहा कि मे इलाहाबाद रक़बे की फीज के कमाण्डर ब्रिगैडियर जनरल से आपके नाम की तारीफ़ करा दूँगा। लेकिन अखीर में यह खयाल छोड दिया गया। मेरे पिताजी का नाम बलब में नहीं पेश किया गया, क्योंकि उन्होने यह बात साफ़ कर दी कि मे बेइच्छता का खतरा मोल लेने के लिए तैयार नहीं हूँ। इस घटना की बबीलत वह अंग्रेजो के खिलाफ होने के बजाय सर जान एज के एहसानमन्द बन गये और उसके बाद के सालो में ही बहुत-से अंग्रेजो से उनकी दोस्ती तथा मेल मुहब्बत पैदा हुई। और यह सब तो हुआ १८९० से लेकर १८९९ के दरम्यान, और पिताजी इसके कोई पच्चीस वर्ष बाद उग्र राजनैतिक और असहयोगी बने। उनकी यह तबदीली एकाएक नहीं हुई, लेकिन पञ्जाब के फीजी कानून ने इस विधि को पुरा कर-दिया। और ऐन मौक़े पर पडे गांधीजी के असर ने तो हालत बहुत ही बदल दी। इतने पर भी अंग्रेजो से मिलना-जुलना छोडने का उनसे सब ताल्लु-कात छोडने का उनका कोई इरादा नहीं था। लेकिन जहाँ ज्यादातर अंग्रेज अकसर हो वहाँ असहयोग और सविनय भंग से लाजिमी तौर पर मिलना-जुलना बन्द हो जाता है।

... मैंने - मैंने तुम्हें तो जाने-बुझे और इच्छित रूप में
 ... मैंने जाना है। मैंने उनसे बिना शर्तों या कसौटियों ?
 ... मैंने जाना है कि क्या होगा ? वह तो इस जीवित-आन्दोलन
 ... मैंने। मैंने मन्त्र-जाल तो जड़ है कि वह गुरु ही आन्दोलन थे।
 ... मैंने उन शर्तों में ताल्लुम है, मन्त्र-मुक्त उन्हीरर मुनहमिर था।
 ... मैंने कि-कि कौनों शर्तों उनको पैदा की हुई नहीं थी मन्त्र किनी मन्त्र
 ... मैंने पर मुनहमिर थी। उनको जहाँ-जहाँ ज्यादा गहरी थी। मैंने लड़ाई
 ... मैंने का वह जग-पट्ट जिन्सी निजानी समित्त नग थी, मन्त्र नीर पर
 ... मैंने उन्हें पर दब-मन्त्रिन था। उनमें अलग होने के मानी थे इस आन्दोलन
 ... मैंने जो बंद करना और नई नीव पर नये सिरे में इमारत खड़ी करना।
 ... मैंने यह काम किसी भी बन्ध कापी मुश्किल मादित्त होना, लेकिन १९३१
 ... मैंने में तो कोई उल्लास खयाल भी नहीं कर सकता था।

यह उयाल बढा ही नखेदार है कि कुछ लोगों की राय में हम कुछ
 लोग १९३१ में गांधीजी को कांग्रेस में निकालने की कोशिश कर रहे
 थे। जब उनको बर-सा इगारा करने में ही काम चल सकता था, तो
 फिर हमें उनके खिलाफ साक्षि करने की क्या जरूरत थी ? ज्योंही
 गांधीजी कभी ऐसी बात कहते कि मैं कांग्रेस से अलग होना चाहता हूँ
 तोही तमाम कार्य-समिति और तमाम मुक्त में तहलका नच जाता था।
 वह हमारी लड़ाई के एक ऐसे जग बन गये थे कि हम इस खयाल को
 भी बरदाश्त नहीं कर सकते थे कि वह हमसे अलग हो जायें। हम लोग
 तो उन्हें बन्द भेजने से हिचकिचाते थे, क्योंकि उनकी अरिष्टाखिरी में
 हिन्दुस्तान के आम का तमाम बोझ हमारे ऊपर आकर पड़ता था, और
 यह बात ऐसी न थी जिसको हम पसन्द करते। हम लोग उनके कर्मों
 पर तमाम बोझ डाल देने के बावजूद ही गये थे। कार्य-समिति के मेम्बरों
 को ही नहीं। उन्हें बाहर के बहुत-से लोगों को भी जो बन्ध गांधीजी

से बाँधे हुए थे, वे ऐसे थे कि उनसे अलग होकर थोड़े वक्त के लिए कुछ फायदा उठाने के बजाय वे उनके साथ रहकर नाकामयाब होना ज्यादा पसन्द करते थे ।

गाँधीजी का दिमाग साफ है या नहीं, इसका फैसला तो हम अपने लिबरल दोस्तों के लिए ही छोड़े देते हैं । हाँ, यह बात विलकुल सच है कि कभी-कभी उनकी राजनीति बहुत आध्यात्मिक होती है, जो मुश्किल से समझ में आती है । लेकिन उन्होंने यह दिखा दिया है कि वह कर्मवीर है, उनमें आश्चर्यजनक साहस है और वह एक ऐसे शख्स हैं जो अकसर अपनी जिम्मेदारी को पूरा करके दिखा सकते हैं । और अगर 'दिमाग के साफ न होने' से इतने अमली नतीजे निकलते हैं, तो शायद वह उस अमली राजनीति के मुकाबले में बुरा साबित न होगा, जिसकी शुरुआत और जिसका खान्सा पुस्तके पढ़ने और चुने हुए हलकों में ही हो जाता है । यह सच है कि उनके करोड़ों अनुयायियों का दिमाग साफ नहीं था । वे राजनीति और शासन-विधानों की बाबत कुछ नहीं जानते । वे तो सिर्फ अपनी इनसानी जरूरतों, खाना, घर, कपड़े और ज़मीन की बातें ही सोच सकते हैं ।

मुझे यह बात हमेगा ही अचम्भे की मालूम हुई है कि इनसानी कृदरत को देखने की विद्या को भली-भाँति सीखे हुए नामी विलायती अखबारनवीस किस तरह हिन्दुस्तान के मामलों में गलती खा जाते हैं । क्या यह उनके बचपन की उस अमिट धारणा की वजह से है कि पूर्व तो कतई दूसरी चीज़ है और उसको आप मामूली पैमानों से नहीं नाप सकते ? या, अंग्रेजों के लिए, यह साम्राज्य का वह पीलिया रोग है, जो उनकी आँखों को खराब कर देता है ? कोई चीज़ कैसी भी अनहोनी क्यों न हो, उसपर वे करीब-करीब फौरन ही इत्मीनान कर लेंगे, बिना किसी तरह का अचम्भा किये, क्योंकि वे ममझते हैं कि रहस्य-भरे पूर्व

ने तर दान मुमकिन हो सकती है। कमी-कमी वे ऐसी किताबें छापते हैं, जिनमें काफी योग्यतापूर्ण निरीक्षण होता है और तीव्र अवलोकन-शक्ति के नमूने भी, लेकिन बीच-बीच में विलक्षण गलतियाँ भी होती हैं।

मुझे याद है कि जब गाँधीजी १९३१ में यूरोप रवाना हुए तब, उसके बाद फौरन ही, मैंने पेरिस के एक मञ्चद्वारा सवावदाता का एक नज़मून पढा। उन दिनों वह लन्दन के एक अखबार का सवावदाता था और वह लेख हिन्दुस्तान के बारे में था। उस लेख में एक ऐसी घटना का जिक्र था जो उसके कहने के मुताबिक १९२१ में उस वक़्त हुई जब अखत्योग के दौरान में प्रिंस ऑफ वेल्स ने दौरा किया था। उस लेख में कहा गया था कि किसी जगह (गालिबन वह देहली थी), महात्मा गाँधी एकाएक जैसे नाटक में होता है, बिना इत्तिला किये हुए, युवराज के सामने जा पहुँचे और उन्होंने अपने घुटने टेककर युवराज के पैर पकड़ लिये तथा ढाँढ मार मारकर रोते हुए उनमें बिनती की कि इस अभाग्य देश को शान्ति दोजिए। हम किनीने, गाँधीजी ने भी, यह मञ्जेदार कहानी कमी नहीं सुनी। इसलिए मैंने उस अखबारनवीस को एक खत लिखा। उसने अफमोय जाहिर किया, लेकिन साथ में यह भी लिखा कि मैंने यह कहानी बड़ बिग्वस्त-मूय से सुनी। जिस बात पर मुझे आश्चर्य हुआ वह यह थी कि उनमें बिना किमी तरह की जाँच की कोशिश किये एक ऐसी कहानी पर इत्मीनान कर लिया जो जाहिर तौर पर बिलकुल गैर-मुमकिन थी और जिनका कोई भी शकस, जो गाँधीजी, काँग्रेस या हिन्दुस्तान के बारे में कुछ भी जानता था, इत्मीनान नहीं कर सकता था। बदकिस्मती से

१ यह अखबारनवीस है 'डेली हेरल्ड' के प्रतिनिधि स्लोकोम्ब। गाँधीजी जब बिलायत गये तब फ्रांस में वह उनसे मिले थे और उन्होंने गाँधी ने बूझल किया था कि यह बात बिलकुल मनगदन्त थी और उसके लिए माफी भी माँगी थी।

—अनु०

यह बात सही है कि हिन्दुस्तान में बहुत-से ऐसे अश्रेय हैं जो यहाँ बहुत दिनों तक रहने के बाद भी कांग्रेस या गाँधीजी या मुल्क की वास्तव कुछ नहीं जानते। कहानी कतई इत्मीनान के काबिल नहीं थी। वह बिल्कुल बेहूदा थी। ऐसी बेहूदा जैसी यह कहानी होती कि केण्टरवरी के बड़े पादरी साहब एकाएक मुसोलिनी के सामने जा पहुँचे और सिर के बल खड़े होकर, हवा में अपने पैर हिलाकर, उनको सलाम करने लगे। ^१

हालही में एक अखबार में जो रिपोर्ट छपी है उसमें एक दूसरी किस्म की कहानी दी हुई है। उसमें कहा गया है कि गांधीजी के पास अपार दौलत है, जो कई करोड़ होगी। वह उनके दोस्तों के पास छिपी रखी है। कांग्रेस उस रुपये को हड़पना चाहती है। कांग्रेस को डर है कि अगर गाँधीजी कांग्रेस से अलहदा हो जायेंगे तो वह दौलत उसके हाथ से निकल जायगी। यह कहानी सरासर बेहूदा है, क्योंकि गांधीजी कभी किसी फण्ड को न अपने पास रखते हैं और न छिपाकर रखते हैं। जो कुछ रुपया वह इकट्ठा करते हैं, उसे सार्वजनिक सस्याओं को दे देते हैं। ठीक-ठीक हिसाब रखने के मामले में उनमें वनियो की-सी सहज-बुद्धि है, और उन्होंने जितने चन्दे किये उनको खुलेआम आडिट कराया गया है।

कांग्रेस ने सन् १९२१ में एक करोड़ का जो मशहूर चन्दा किया था यह अफवाह गालबन उसीकी कहानी पर हसर रखती है। यह रकम वैसे तो बहुत बड़ी मालूम होती है, लेकिन अगर हिन्दुस्तान-भर पर फैलायी जाय तो ज्यादा नहीं मालूम होगी। इम रकम को इस्तमाल भी विधविद्यालय और स्कूल कायम करने, घरेलू बघों को तरक्की देने और खास तौर पर खहर की तरक्की के लिए, अच्छत उद्धार के कार्यों में तथा ऐसे ही दूसरी किस्मों के रचनात्मक कार्यों में किया गया था। उसमें से काफी तादाद खास खास स्कीमों के लिए अकित कर दी गई थी। फण्ड अबतक मौजूद है और जिन खास कार्यों के लिए वे अकित किये गये थे

उत्पन्न लगाने जा रहे हैं। बाकी जो रकबा इकट्ठा हुआ था, वह मुकामी जमाने के पान छोड़ दिया गया था और वह कांग्रेस के संगठन के काम में तत्पर राजनैतिक कामों में खर्च किया गया। असहयोग-आन्दोलन का काम इन्हीं फण्ड में चला था और कुछ माल बाद तक कांग्रेस का काम उत्तम चलता रहा। गांधीजी ने और मुल्क की गरीबी ने हमें यह सिखा दिया है कि बहुत थोड़े-से रुपये से भी अपना राजनैतिक आन्दोलन चलाया जा सकता है। हमारा ज्यादातर काम तो लोगों ने अपनी खुशी से बिना कुछ लिये ही किया है। और जिस किसी को कुछ देना भी पड़ा है, तो निश्चय उनका ही जितना पेट भरने को काफी हो। हमारे अच्छे-बुरे-अच्छे ऐसे कार्यकर्ताओं को, जो विश्व-विद्यालयों के ग्रेजुएट हैं और जिन्हें अपने परिवार का पालन करना पड़ता है, जो तनख्वाहें दी गईं वे उन भत्तों में भी कम हैं जो इंग्लैण्ड में बेकारों को दिया जाता है। पिछले पन्द्रह सालों के दौरान में कांग्रेस का आन्दोलन जितने कम रुपये से चला है, उतने कम रुपये से बड़े पैमाने पर और कोई राजनैतिक या मजदूरों का आन्दोलन, मुझे शक है कि, किन्हीं भी मुल्क में शायद ही चलाया गया हो। और कांग्रेस के तमाम फण्ड और उसका तमाम हिमायत खूलेआम हर माल बाडिट होते रहे, उनका कोई हिस्सा गुप्त नहीं है। हाँ, उन दिनों की वान बिलकुल दूसरी है जब सत्पापह की उदाई चर रही थी और कांग्रेस गैर-कानूनी जमात थी।

गांधीजी गोलमेड-आन्दोलन में शामिल होने के लिए कांग्रेस के एक-मात्र प्रतिनिधि हैं। हैसियत से सम्बन्धित गये थे। बड़ी लम्बी बहन के बाद तम लोगों ने यहाँ तक गिया था कि किन्हीं दूसरे प्रतिनिधि की जरूरत नहीं। पर तब कुछ हद तक तो सम्झिए की गई कि हम यह चाहते थे कि हम अपने राष्ट्रगत काम में अपने नव अच्छे आदमियों को हिन्दुस्तान में ही रखें। उन दिनों हाजिर था बहुत ही बिकारी के माय नम्हालने रहने

की सख्त जरूरत थी। हम लोग यह महसूस करते थे कि लन्दन में गोल-मेज-कान्फ्रेंस होने के बावजूद आकर्षण का केन्द्र तो हिन्दुस्तान में ही था और हिन्दुस्तान में जो कुछ होगा लन्दन में उसकी प्रतिध्वनि जरूर होगी। हम चाहते थे कि अगर मुल्क में कोई गड़बड़ हो तो हम उसे देखें और अपने सगठन को ठीक हालत में बनाये रखें। लेकिन सिर्फ एक प्रतिनिधि भेजने का हमारा असली कारण यही न था। अगर हम वसा करना जरूरी और मुनासिब समझते तो हम विलायत दूसरे को भी भेज सकते थे, लेकिन हम लोगो ने जान-बूझकर ऐसा नहीं किया।

हम गोलमेज-कान्फ्रेंस में इसलिए शामिल नहीं हो रहे थे कि हम विधान-सम्बन्धी छोटी-मोटी बातों पर ऐसी बातें और चहम करे जिनका कभी खात्मा ही न हो। उस अवस्था में हमें इन तफसीलों में कोई दिल-चस्पी नहीं थी। उन पर तो तभी गौर किया जा सकता था जब कि खास-खास बुनियादी मामलों में ब्रिटिश-सरकार के साथ हमारा कोई सम-झौता हो जाता। असली सवाल तो यह था कि लोकतन्त्रीय हिन्दुस्तान को कितनी ताकत सौंपी जाने को थी। यह बात तय ही जाने के बाद राजीनामे का मसविदा बनाने और उसकी तफसीलें तय करने का काम तो कोई भी बकौल कर सकता था। इन मूल बातों पर कॉंग्रेस की स्थिति बहुत साफ और सीधी थी और उसपर बहस करने का भी ऐसा ज्यादा मौका न था। हम लोगो को यह मालूम होता था कि हम लोगो के लिए यही गौरवपूर्ण रास्ता है कि हमारा निर्फ एक ही प्रतिनिधि जाय और वह प्रतिनिधि हमारा लीडर हो। वह वहाँ जाकर हमारी स्थिति को साफ कर दे। यह बतावे कि हमारी स्थिति कितनी युक्ति-सगत है और किस तरह उसको मजूर किये बिना गति नहीं है। अगर हो सके तो ब्रिटिश-सरकार को इस बात के लिए राजी करले कि वह कॉंग्रेस की बात मान ले। हम जानते थे कि यह बात तो बहुत मुश्किल

पं और उन बचन जैसी हालत थी उसको देखते हुए तो वह बिलकुल मृगोष्ण नहीं थी, लेकिन हमारे पान भी तो इसके सिवा कोई चारा न था। हम अपनी उस स्थिति को नहीं छोड़ सकते थे। न हम उन उल्लो और आदर्शों को ही छोड़ सकते थे जिनने हम बचे हुए थे और जिनमे हमें पूर्ण विश्वास था। अगर हमारी तकदीर सिक्न्दर ही और इन दुनियादी बातों में राजीनामे की कोई सूरत निकल आती तो बाकी बाने अपने-आप आसानी में तय हो जाती। बल्कि सच बात तो यह है कि हम लोगों में आपस में यह तय हो गया था कि अगर किसी तरह से ऐसा राजीनामा हो जाय तो गांधीजी हम कुछ को या कार्य-समिति के तमाम मेम्बरो को फौरन लन्दन बुला लेंगे, जिससे कि हम वहाँ जाकर समझौते की तफसील तय करने का काम कर सकें। हम लोगों को वहाँ जाने के लिए तैयार रहना था और जरूरत पडती तो हम लोग हवाई अड्डों में उड़कर भी जाते। इस तरह हम बुलाये जाने पर दस दिन के जल्द उनके पास पहुँच सकने थे।

लेकिन अगर दुनियादी बातों में शुरू-शुरू में कोई राजीनामा नहीं होता, तो आगे और तफसील में, समझौते की बातें करने का मवाल ही नहीं पैदा होता। न कांग्रेस के दूसरे प्रतिनिधियों को गोलमेक-कार्नेन्स में जाने की कोई जरूरत पडती। इसलिए हमने थिफे गांधीजी को ही वहाँ भेजना तय किया। कार्य-समिति की एक और सदस्य श्रीमती सरोजिनी नायडू भी गोलमेक-कार्नेन्स में शामिल हुईं, लेकिन वह वहाँ कांग्रेस की प्रतिनिधि होकर नहीं गई थीं। उनको तो वहाँ हिन्दुस्तानी त्रिधो के प्रतिनिधि-सम्बन्ध बुलाया गया था और कार्य-समिति ने उन्हें इजाजत दे दी कि वह उन हीमियन ने उन कार्नेन्स में शामिल हो सकनी हैं।

नेशन प्रिटिश सरकार ने इस तरह का कोई दबाव न था कि उस मामले में वह हमारी मर्जी के मुताबिक तय करे। उसकी नीति

तो यह थी कि असली सवालो का विचार करना तो मुल्तवी होता रहेगा, कान्फ्रेंस थोड़ी-बहुत छोटी-छोटी और बेमतलब की बातों पर बहस करके थक जाय। जब कभी बड़े-बड़े सवालो पर गौर भी हुआ तब सरकार ने चुप्पी साध ली। उसने हाँ या ना करने से साफ इन्कार कर दिया और सिर्फ यह वादा किया कि सरकार अपनी राय बाद को अच्छी तरह सोच-विचार कर देगी। असल में उसके पास तुरप का पत्ता तो था साम्प्रदायिक सवाल, और उसका उसने पूरा-पूरा इस्तमाल किया। कान्फ्रेंस में इसी सवाल का बोलवाला था।

कान्फ्रेंस के ज्यादातर हिन्दुस्तानी मेम्बर सरकार की इन चालों के जाल में फँस गये। ज्यादा तो राज्जी-खुशी से और कुछ थोड़े-से मजबूरी से। कान्फ्रेंस क्या थी, भानमती का कुनवा था। उसमें शायद ही कोई ऐसा हो जो अपने अलावा किसी दूसरे का प्रतिनिधि हो। कुछ आदमी काबिल थे और मुल्क में उनकी इज्जत भी थी, लेकिन बाकी बहुत-में लोगो की बावत यह बात भी नहीं कही जा सकती। कुल मिलाकर राजनैतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से वे हिन्दुस्तान में राजनैतिक उन्नति के सबसे ज्यादा विरोधी फिरको के प्रतिनिधि थे। ये लोग इतने फिसट्टी और प्रगति-विरोधी थे कि हिन्दुस्तान के लिबरल, जो हिन्दुस्तान में बहुत ही माडरेट और फूँक-फूँककर कदम रखनेवाले माने जाते हैं, इनकी जमात में बही तरक्की के बड़े भारी हामी बनकर चमके। ये लोग हिन्दुस्तान में ऐसे स्थापित स्वार्थ रखनेवालों के प्रतिनिधि थे जो ब्रिटिश साम्राज्यवाद से बँधे हुए थे और तरक्की और रखवाली के लिए उसीका भरोसा रखते थे। सबसे ज्यादा भगहूर प्रतिनिधि तो साम्प्रदायिक झगडों के सिलसिले में जो 'छोटी' और 'बड़ी' जातियाँ थीं उनमें थे। ये टोलियाँ उन उच्च वर्गवालों की थीं जो कुछ भी मानने को नैदार न थे और जो आपस में कभी मिल् ही नहीं सकने थे। राजनैतिक दृष्टि

तब मैंने जिसकी तरफकी के ऊतई मुखालिऊ थे और उनकी महब
 एक दिग्दर्शी थी कि जिसी तगह अपने फ़िरके के लिए कुछ फायदे की
 दाव हासिल करले, फिर चाहे ऐसा करने में हमें अपनी राजनैतिक
 उन्नति की भी छोड़ना पड़े। बल्कि सच बात तो यह है कि उन्होंने
 हल्कन-खुल्ला यह ऐलान कर दिया था कि जबतक उनकी साम्प्रदायिक
 भागों पूरी नहीं की जायेंगी, तबतक वे राजनैतिक आजादी लेने की राहों
 न होंगे। यह एक ग़र-भाख़ूली दृश्य था और उससे हमें बड़े दुःख के
 साथ यह दाव साम्प्रदायिक दिखाई देनी थी कि एक गुलाम ज़ौम किस
 हद तक गिर सकती है और वह साम्राज्यवादियों के खेल में किस तरह
 घुसकर का मोहरा बन सकती है। यह सही था कि हाइनिनो, लाडों, सपों
 और दूसरे बड़े-बड़े बलकाववाले लोगों की उस मोड़ की वास्तव यह नहीं
 कहा जा सकता कि वह हिन्दुस्तान के लोगों के प्रतिनिधि हैं। गोलमेज-
 कांफ़रेन्स के मन्त्रि क्रिस्टिय सरकार के नामकद थे और अपनी दृष्टि से
 सरकार ने जो चुनाव किया था वह बहुत अच्छा किया था। फिर भी
 महब यह दाव कि त्रिटिया-अधिकारी हम लोगों का ऐसा इस्तेमाल कर
 सकते हैं, यह दिखाती है कि हम लोगों में जिनकी कमज़ोरियाँ हैं और
 इन लोग कौनो अजीब आसानी के साथ बसली बातों से हटाकर एक-
 दूसरे की कमियों को बेकार करने के काम में लगाये जा सकते हैं। इनारे
 उच्चवर्गों के लोग अर्जनक हमारे साम्राज्यवादी धानको की विचार-धारा
 से अभिनून थे और वे उन्हें का खेले लेते थे। क्या यह इसलिए था
 कि वे उनकी चान्से को मनस नहीं पाने थे? या वे उसके अमली भागों
 को मनसने हुए, जानबूझकर उसे इसलिए भूलकर लेते थे कि उन्हें
 हिन्दुस्तान में आजादी और अखण्ड कायम होने में डर लगता था?

यह तो ठीक ही था कि साम्राज्यवादी, मांडलिकवादी, महाजन, व्यव-
 सायी, और पार्लियमैंट और साम्प्रदायिक लोगों के स्थापित स्वार्थों के इस

समाज में ब्रिटिश भारतीय प्रतिनिधि-मंडल का नेतृत्व मामूल के मुताबिक आगाखाँ के हाथ में रहे, क्योंकि वह कुछ हद तक इन सब स्वार्थों से स्वयं सम्पन्न थे। कोई एक पुस्त से ज्यादा ब्रिटिश साम्राज्यवाद से और ब्रिटिश शासक-श्रेणी से उनका बहुत नजदीकी सम्बन्ध रहा है। वह ज्यादातर इंग्लैण्ड में ही रहते हैं। इसलिए वह हमारे शासको के स्वार्थों और उनके दृष्टिकोण को पूरी तरह समझ सकते हैं और उनका प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। उस गोलमेज-कान्फ्रेंस में साम्राज्यवादी इंग्लैण्ड के वह बहुत काबिल प्रतिनिधि हो सकते थे। लेकिन आश्चर्य तो यह था कि वह हिन्दुस्तान के प्रतिनिधि समझे जाते थे।

कान्फ्रेंस में हमारे खिलाफ पलटा बुरी तरह से लदा हुआ था, और यद्यपि हमें उससे कभी कोई उम्मीद न थी फिर भी उसकी कारवाइयो को पढ़-पढ़कर हमें हैरत होती थी और दिन-दिन उससे हमारा जी ऊबता जाता था। हमने देखा कि राष्ट्रीय और आर्थिक समस्याओं की सतह को खरोचने की कैसे दयनीय और बाहियात ढग से मामूली कोशिश की जा रही है? कैसे-कैसे पेंक्ट और कैसी-कैसी साजिशें हो रही हैं? कैसी कैसी चाले चली जा रही हैं? हमारे ही कुछ देश-भाई ब्रिटिश अनुदार दल के सबसे ज्यादा उन्नति-विरोधी लोगों से मिल गये हैं। टुच्चे-टुच्चे मामलो पर वाते चलती थी और सोभी खत्म ही न होती थी। जो असली बातें हैं उनको जानबूझकर टाला जा रहा है। ये प्रतिनिधि बड़े बड़े स्थापित स्वार्थों के और सासकर ब्रिटिश-साम्राज्यवाद के हाथ की कठपुतली बने हुए हैं। वे कभी तो आपस में लड़ते-झगड़ते हैं और कभी एक-साथ बैठकर दावते खाते तथा एक-दूसरे की तारीफ करते हैं। गुरु से लेकर अखीर तक सब मामला नौकरियों का था। छोटे ओहदे, बड़े ओहदे, हिन्दुओं के लिए कितनी नौकरिया और मेम्बरिया हैं तथा सिक्कों और मुसलमानों के लिए कितनी? और एग्लो-इन्डियनों तथा यूरोपियनों

र लिए विनयी लेकिन ये सब ओहदे ऊँचे दरजे के अमीर लोगों के लिए
 २, जन-साधारण के लिए उनमें कुछ न था। समय-साधुता का दौर-दौरा था
 और ऐसा मालूम पड़ता था कि नये गानन-बिवाह में टुकड़े-रूपी जो धिंकार
 था उसकी फिराक में भिन्न-भिन्न गिरोह भूजे भेड़ियों की तरह घात लगाये
 फिरते थे। उनकी आजादी की कल्पना ने भी तो बड़े पैमाने पर नौकरियाँ
 नलाग करने का रूप धारण कर लिया था। इसे ये लोग "भारतीकरण"
 के नाम से पुकारते थे। फीज में, मुल्की नौकरियों में और दूसरी जगहों
 में हिन्दुस्तानियों को ज्यादा नौकरियाँ मिले यही इनकी पुकार थी।
 कोई यह नहीं सोचता था कि हिन्दुस्तान के लिए आजादी की, असली
 स्वतंत्रता की, भारत को लोकतंत्री नत्ता सँपि जाने की, हिन्दुस्तान के
 लोगों के सामने जो भारी और जरूरी आर्थिक मसले मौजूद हैं उनके हल
 करने की भी कोई जरूरत है? क्या इनके लिए हिन्दुस्तान में इतनी
 मर्दानगी से लड़ाई लड़ी गई थी? क्या हम सुन्दर आदर्शवाद और त्याग
 की दुर्लभ मलय-ममीर को छोड़कर इस गन्दी हवा को ग्रहण करेंगे?

उम मुनहले मवन में और इतने लोगों की भीड़ में गाबीजी बिल्कुल
 अकेले मालूम होते थे। उनको पोशाक से, या उनकी कोई पोशाक ही
 न होने की वजह से, बाकी सब लोगों में उन्हें आसानी से पहचाना जा
 सकता था। लेकिन उनके आस-पाम अच्छे सजे-धजे लोगों की जो भीड़
 बँठी हुई थी उसके विचार और दृष्टि-कोण में तथा गाबीजी के खयाल
 और उनके दृष्टि-बिन्दु में और भी ज्यादा फर्क था। उस कान्फ्रेंस में
 उनकी स्थिति निहायन ही मुश्किल थी। इतना दूर बैठे-बैठे हम इस
 बात पर अचरज करने थे कि वह इन्में कैसे बरदास्त कर रहे हैं? लेकिन
 ज़ाचर्य-जनक धीरे-धीरे के माय वह अपना काम करने रहे, और राजीनामे
 का कोई-न-कोई बुनियाद टूटने के लिए उन्होंने कई कोशिशें कीं। एक
 बिल्कल वान उन्होंने ऐसी की जिन्में फौरन यह दिखला दिया कि किस

तरह साम्प्रदायिक भाव ने दरअसल राजनैतिक प्रतिगामिता को अपनी ओट में छिपा रक्खा था। मुसलमान प्रतिनिधियों की तरफ से कान्फ्रेंस में जो साम्प्रदायिक माँगें पेश की गई थीं उनको गाँधीजी पसन्द नहीं करते थे। उनका खयाल था, और उनके साथी कुछ राष्ट्रीय विचार के मुसलमानों का भी यही खयाल था, कि इनमें से कुछ माँगें तो आजादी और लोकतंत्र के रास्ते में रोड़ा अटकाने वाली हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि मैं इन सब माँगों को "बिना किसी ऐतराज के मानने को तैयार हूँ, धनर्त कि मुसलमान प्रतिनिधि राजनैतिक माँग यानी आजादी के मामले में मेरा तथा कांग्रेस का साथ दें।"

उनका यह प्रस्ताव खुद अपनी तरफ से था, क्योंकि उनकी जैसी हालत थी, उसमें कांग्रेस को वह किसी बात से नहीं बाध सकते थे। लेकिन उन्होंने चाहा कि मैं कांग्रेस में इस बात के लिए जोर दूँगा कि ये माँगें मान ली जायें। और कोई भी शक जो कांग्रेस में उनके असर को जानता था, इस बात में कोई शक नहीं कर सकता था कि वह कांग्रेस से उन माँगों को मनवाने में कामयाबी हासिल कर सकते थे। लेकिन मुसलमानों ने गाँधीजी के इस प्रस्ताव को मसूर नहीं किया। सचमुच इस बात की कल्पना करना ज़रा मुश्किल है कि आजादा साहब हिन्दुस्तान की आजादी के हामी हो जायेंगे। लेकिन इससे इतनी बात साफ-साफ दिखाई दे गई कि असली झगड़ा साम्प्रदायिक नहीं था, बल्कि कान्फ्रेंस में साम्प्रदायिक प्रश्न की ही धूम थी। असल में तो राजनैतिक प्रतिगामिता ही सब तरह की तरक्की के रास्ते को रोक रही थी और वही साम्प्रदायिक प्रश्न की आड़ में छिपी हुई टट्टी की ओट से शिकार करती रही। कान्फ्रेंस के लिए अपने नामखद प्रतिनिधियों का चुनाव बड़ी चालाकी से करके ब्रिटिश-सरकार ने इन उन्नति-विरोधी लोगों को वहाँ जमा किया था और कान्फ्रेंस की

त्तरवाई की गति-विधि अपने हाथ में रखकर उसने साम्प्रदायिक सवाल को झट्टे और एक ऐसा सवाल बना दिया था जिसपर आपस में कभी न मिल सकनेवाले जो लोग वहाँ इकट्ठे हुए थे उनमें कभी कोई राजीनामा नहीं हो सकता था।

इस कोशिश में ब्रिटिश सरकार को कामयाबी मिली और इस कामयाबी ने उसने यह साबित कर दिया कि अभीतक उसमें न सिर्फ अपने साम्राज्य को कायम रखने की बाहरी ताकत ही है, बल्कि कुछ दिनों तक और साम्राज्यवादी परम्परा को चला ले जाने के लिए चालाकी और कूटनीति भी उसके पास है। हिन्दुस्तान के लोग नाकामयाब रहे, यद्यपि गोलमेज-कान्फ्रेंस न तो उनकी प्रतिनिधि ही थी, और न उसकी ताकत से हिन्दुस्तान के लोगों की ताकत का अन्दाजा ही लगाया जा सकता था। उनके नाकामयाब होने की खास वजह यह थी कि उनके पास उनके उद्देश्य के पीछे कोई विचार-धारा न थी, इसलिए उन्हें आसानी से अपनी असली जगह से हटाया तथा गुमराह किया जा सकता था। वे इसलिए असफल हुए कि वे अपने में इतनी ताकत नहीं महसूस करते थे कि वे उन स्थापित स्वार्थ रखनेवालों की घटा बता दें जो उनकी तरक्की के लिए भार-स्वरूप बने हुए थे। वे असफल रहे, क्योंकि उनमें मजहबवीपन की अति थी और उनके साम्प्रदायिक भाव आसानी से भड़काये जा सकते थे। थोड़ेसे में वे इसलिए असफल हुए कि अभीतक इतने आगे नहीं बढ़े हुए थे, न इतने मजबूत ही थे, कि कामयाब होते।

असल में इन गोलमेज-कान्फ्रेंस में तो सफलता या विफलता का भवाल ही न था। उनसे तो कोई उम्मीद ही नहीं की जा सकती थी। फिर भी उनमें पहले ने कुछ फर्क था। पहली गोलमेज-कान्फ्रेंस थी तो अपने चिन्म की सबसे पहली कान्फ्रेंस, लेकिन हिन्दुस्तान में बहुत ही

कम लोगो का खयाल उसकी तरफ गया, और बाहर भी यही बात रही, क्योंकि उन दिनों सब लोगो का ध्यान सविनय भंग की लड़ाई की तरफ था। ब्रिटिश सरकार द्वारा जो नामजद उम्मीदवार १९३० में कान्फ्रेंस में शामिल होने गये, अक्सर उनके साथ-साथ काले झण्डे निकाले गये और विरोधी नारे लगाये गये। लेकिन १९३१ में जब बातें बदल गई थी। क्यों ? इसलिए कि उसमें गांधीजी कांग्रेस के प्रतिनिधि की हैसियत से, जिसके पीछे करोड़ो लोग चलते हैं, उसमें शामिल हुए, इस बात से कान्फ्रेंस की शान जम गई और हिन्दुस्तान ने बिलचस्पी के साथ रोज-चरोज उसकी कार्रवाइयो पर ध्यान दिया। और वजह जो कुछ भी हो, यह जरूर है कि इस कान्फ्रेंस में जितनी असफलता हुई उससे हिन्दुस्तान की बदनामी हुई। अब हम लोगो की समझ में यह बात साफ-साफ आ गई कि ब्रिटिश-सरकार गांधीजी के उसमें शामिल होने को इतना महत्व क्यों देती थी ?

जहाँतक कान्फ्रेंस से ताल्लुक है वहाँतक वह, जिसमें वहाँ होनेवाली साक्षिणों, समय-साधुता और जाल-साजियाँ शामिल थी, हिन्दुस्तान की विफलता नहीं कहला सकती। वह तो बनाई ही ऐसी गई थी, जिससे असफल होती। उसकी विफलता का कसूर हिन्दुस्तान के लोगो के मत्ये नहीं मढा जा सकता। लेकिन उसे इस बात में जरूर सफलता मिली कि उसने हिन्दुस्तान के असली सवालो से दुनिया का ध्यान हटा दिया और खुद हिन्दुस्तान में उसकी वजह से लोगो की आंखें खुल गईं, उनका उत्साह मर गया तथा उन्होंने उससे अपनी बिल्लत-सी महसूस की। उसने प्रतिगामी लोगो को फिर अपना सिर उठाने का मौका दे दिया।

हिन्दुस्तान के लोगो के लिए तो सफलता या असफलता खुद हिन्दुस्तान में होनेवाली घटनाओ से हो सकती थी। हिन्दुस्तान में जो मजबूत राष्ट्रीय हलचल हो रही थी वह लन्दन में होनेवाली चालवाजियो

ने ठण्डी नहीं पढ़ सकती थी। राष्ट्रीयता मध्यमवर्ग के लोगो और किसानो की असली और तात्कालिक जरूरतो को दिखाती थी। उसीके जरिये वे अपने मसलो को हल करना चाहते थे, इसलिए उस हलचल को दो ही सूरते हो सकनी थी—एक तो यह कि वह कामयाब होती, अपना काम पूरा कर देती और किमी ऐसी दूसरी हलचल के लिए जगह खाली कर देती जो लोगो को प्रगति और आजादी की सड़क पर और भी आगे ले जाती, दूसरी यह कि कुछ वक्त के लिए उसे जबरदस्ती दबा दिया जाना। अमल में कान्फ्रेंस के बाद फौरन हिन्दुस्तान में लड़ाई छिडने को थी और होनहार यह था कि वह कुछ वक्त के लिए बंदस बनकर खत्म हो। दूसरी गोल्मेज़-बान्फ्रेंस का इस लड़ाई पर कोई ऐसा ज्यादा असर नहीं पड़ सका, लेकिन उसने कुछ हदतक हमारी लड़ाई के त्रिभाक आबोधना जरूर बना दी।

: ३६ :

युक्तप्रान्त के किसानों में अशान्ति

ण, और दिन-ब-दिन मुश्किल सवालो का फँसला करना था, जिनके ऊपर देशभर की व्यापक लड़ाई या शान्ति निर्भर थी।

मगर मेरा खास काम तो युक्तप्रान्त में ही था, जहाँ कि कांग्रेस का ध्यान किसानों की समस्या पर लगा हुआ था। युक्तप्रान्तीय कांग्रेस-कमिटी में डेढ़सी से ज्यादा मेम्बर थे, और उसकी बैठक हर दो या तीन महीने में हुआ करती थी। उसकी कार्यकारिणी कौंसिल की, जिनमे पन्द्रह मेम्बर थे, बैठके अकसर होती रहती थी, और उसी के हाथ मे किसानों का महकमा था।

१९३१ के पिछले हिस्से में इस कौंसिल ने किसान-सबधी एक खास कमिटी मुकर्रर कर दी। यह जानने लायक बात है कि इस कौंसिल और इस कमिटी में कई जमीदार बराबर शामिल रहे थे, और सब कारंवाई उनकी राय से की जानी थी। वास्तव में, उस साल के हमारे प्रान्तीय कमिटी के सभापति (और इसीलिए जो कार्यकारिणी कौंसिल और किसान-कमिटी के पदेन अध्यक्ष भी थे) तसद्दुकअहमदखा शेरवानी थे, जो एक मशहूर जमीदार खानदान के थे। प्रधानमंत्री श्रीप्रकाशजी और कौंसिल के दूसरे भी कई बड़े-बड़े मेम्बर जमीदार थे, या जमीदार घराने के थे। बाकी मेम्बर ऊँचा पेशा करनेवाले मध्यमवर्ग के लोग थे। हमारी प्रान्तीय कार्यकारिणी मे एक भी कास्तकार या गरीब किसान प्रतिनिधि न था। हमारी जिला-कमिटियो में किसान पाये जाते थे, मगर जिन कई चुनावो मे जाकर प्रान्त की कार्यकारिणी कौंसिल बनती थी उनमे वे शायद ही कभी कामयाब हो पाते थे। इस कौंसिल में मध्यमवर्ग के पढे-लिखे लोगो की ही तादाद बहुत ज्यादा थी, और जमीदारो का भी बहुत प्रभाव था। इस तरह यह कौंसिल किसी तरह भी 'गरम' नहीं कही जा सकती थी, और किसानों के सवाल पर तो निश्चय ही नहीं।

ग्राम ने मेरी हैसियत सिर्फ कार्यकारिणी कौंसिल और किसान-कमिटी के एक मेम्बर की थी, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। सलाह-मगबिरो या दूसरे काम-काज में मैं खास हिन्सा लेता था, मगर किनी नी नानी में सबसे प्रमुख भाग नहीं लेता था। वास्तव में, किनी के भी जाने में यह नहीं कहा जा सकता था कि वह प्रमुख भाग लेता है, क्योंकि सामूहिक और इकट्ठा कार्य करने की हमारी पुरानी आदत हो गई थी, और व्यक्ति पर नहीं, संगठन पर ही हमेशा जोर दिया जाता था। हमारा चुनावपति हमारा तात्कालिक मुखिया रहना था, और हमारा प्रतिनिधि होता था, मगर उसे भी विशेष अल्पभारत न थे।

मुकामी तौर पर मैं इलाहाबाद जिला कांग्रेस कमिटी का भी मेम्बर था। इन कमिटी ने, अपने सदर पुरुषोत्तमदान टण्डन के नेतृत्व में, किसान-समस्या की प्रगति में महत्वपूर्ण हिन्सा लिया था। १९३० में इन कमिटी ने ही ग्राम में सबसे पहले करवन्दी-आन्दोलन शुरू किया था। उसका कारण यह नहीं था कि इलाहाबाद जिले में किसानों की हालत, भाव की मन्दी से सबसे ज्यादा खराब हो गई थी, क्योंकि खजूर के सालखुजंदारी हिस्से और भी ज्यादा खराब थे। मगर इलाहाबाद जिले का संगठन अच्छा था और इसमें राजनैतिक चेतना ज्यादा थी, क्योंकि इलाहाबाद शहर राजनैतिक हलचलों का एक केन्द्र था और आननाम के देहांत में बड़े-बड़े कार्यकर्ता सम्मिलित जाया करते थे।

मार्च १९३१ के दिल्ली सम्मेलन के बाद चीन ही हमने देहांत ने राजनैतिक और नोटिस में जिनके थे और किसानों को इन्फ्लिा दे दी थी कि सविनय-अग्र और उच्च आन्दोलन बन्द कर दिया गया है। राजनैतिक दृष्टि से उनके काल खदा कर देने में उच्च कोर्ट खदाबद न थी, और हमने उन्हें मन्हा भी दी कि वे खदा कर दें। मगर माघ ही हमने यह भी बन्द दिया कि उन नारी मन्हा को देने हुए हमारी राय यह

है कि उन्हें काफी छूट मिलनी चाहिए, और हमने यह मुयाया कि हमको एक नाय मिलकर छूट हांमिल करने की कोशिश करनी चाहिए। मामूली हालत में भी लगान अफसर एक अमह्य वेश ही होता था, फिर भारी मन्दी के जमाने में तो पूरा लगान या पूगी के करीब तक देना तो बिलकुल ही असम्भव था। हमने किसानों के प्रतिनिधियों के साथ सलाह-मशविरा किया, और आरजी तजवीज की कि आमतौर पर छूट पचास फीसदी होनी चाहिए, और कहीं-कहीं तो इससे भी ज्यादा।

हमने किसानों के सवाल को सविनय-भग के प्रश्न से बिलकुल अलग करने की कोशिश की। कम-से-कम १९३१ में तो, हम उसपर आर्थिक दृष्टि में ही विचार करना चाहते थे, और उसे राजनैतिक-क्षेत्र से अलग रखना चाहते थे। मगर यह मुश्किल था, क्योंकि दोनों किसी-न-किसी तरह एक-दूसरे से गहरे जुड़ गये थे, और पहले दोनों का गहरा साथ ही गया था। और कांग्रेस-संगठन के रूप में, हम लोग तो निश्चितरूप से राजनैतिक थे ही। कुछ समय के लिए तो हमने कोशिश की कि हमारी सस्या एक किसान-यूनियन (जिसपर नियन्त्रण गैर-किसानों और जमींदारों तक का था।) की तरह ही काम करे, मगर हम अपना राजनैतिक स्वरूप नहीं छोड़ सके, और न हमने छोड़ने की खाहिश ही की, और सरकार भी जो-कुछ हम करते थे उसे राजनैतिक ही समझती थी। सविनय-भग फिर होने की संभावना भी हमारे सामने थी, और अगर ऐसा हुआ तो इसमें शक नहीं कि अर्थ-नीति और राजनीति दोनों साथ-साथ मिलकर चलेगी।

इन जाहिदा मुश्किलों के बावजूद, दिल्ली-समझौते के वक्त से हमेशा हमारी यह कोशिश रही कि किसानों के सवाल को राजनैतिक लड़ाई से अलग रक्खा जाय। इसका असली सबब यह था कि दिल्ली-समझौते ने इसे बन्द नहीं कर दिया था, और यह बात हम सरकार और आम लोगों

को बिलकुल नाफ बना देना चाहते थे। दिल्ली की बानचीतों में, मेरा ज्वाल है, गांधीजी ने लॉर्ड अर्बिन को यह नरोमा दिला दिया था कि अगर वह गोलमेज-कान्फ्रेंस में न भी गये, तो भी जबतक कान्फ्रेंस की बैठके होती रहेंगी, तबतक बहुत बिनय-भंग फिर शुरू नहीं करेंगे, वह कान्फ्रेंस से निफारिख करेगे कि कान्फ्रेंस को हर तरह का मौजा दिया जाना चाहिए, और उनके नतीजे का इन्तजार करना चाहिए। मगर, तब भी गांधीजी ने यह नाफ बता दिया था कि अगर किनी मुकामी आर्थिक लडाई के लिए हमें मजबूर किया जायगा, तो उनपर यह बात लागू न होगी। मुक्तप्रात के किमानों की ममत्या उन बहुत हम सबके सामने थी क्योंकि वहाँ नगठिन कार्य किया गया था। दर-अमल तो सारे हिन्दुस्तान भर के किसानों की बनी ही हलान थी। शिमला की बात-चीतों में भी गांधीजी ने इस बात को दुहराया था और उनके प्रकाशित पत्र-व्यवहार में भी इनका जिक्र किया गया था। योरप खाना होने के ठीक पहले ही

१. शिमला के २७ अगस्त १९३१ के समझौते में नीचे के छत भी शामिल थे :—

भारत-सरकार के होम सेक्रेटरी इमरसन साहब के नाम
गांधीजी का पत्र

शिमला,

प्रिय इमरसन साहब,

२७, अगस्त १९३१

आपके आज की तारीख के खन के लिए, जिसके नाय नया मसविदा नथी है, धन्यवाद। सर कावनजी ने भी आपकी बनाई सरमोमें भेजने की कृपा की है। मेरे साथियों ने व मने संशोधित मसविदे पर खूब और किया है, नीचे लिखे स्पष्टीकरण के साथ हम आपके संशोधित मसविदे को मंदूर करने को तैयार हैं—

पैरेग्राफ ४ में सरकार ने जो पोबीशन अल्यार की है उसे कांफ्रेंस की तरफ से मजूर करना मेरे लिए नामुमकिन है। क्योंकि हम यह

अहोने-साफ़ कर दिया था, कि गोलमेज-कान्फ़ेन्स और राजनैतिक
 मुवाजो के बिलकुल अलावा भी काँग्रेस के लिए यह जरूरी हो सकता
 है कि वह आर्थिक लड़ाइयो में लोगो के, और खासकर किसानो के,
 अधिकारो की रक्षा करे। ऐसी किसी लड़ाई में फँसने की उनकी इच्छा
 नहीं है, वह उसे टालना चाहते हैं, मगर यदि यह अनिवार्य ही हो
 जाय, तो उसे हाथ में लेना ही पडेगा। हम जनता को अकेला नहीं छोड

महसूस करते हैं कि जहाँ काँग्रेस की राय में समझौते के अमल में पैदा
 हुई शिकायत दूर नहीं की जाती वहाँ जाँच करना जरूरी हो जाता है।
 क्योंकि सविनय-भंग, आन्दोलन उसी वक्त के लिए मुलतवी किया गया
 है, जबतक दिल्ली का समझौता जारी है। लेकिन अगर भारत-सरकार
 और दूसरी प्रांतीय सरकारें जाँच कराने को तैयार नहीं हैं, तो मेरे साथी
 और मैं इस जुमले के रहने देने पर कोई ऐतराज न करेंगे। इसका
 नतीजा यह होगा कि काँग्रेस अब से उठाये गये दूसरे मामलों के बारे में
 जाँच के लिए जोर नहीं देगी, लेकिन अगर कोई शिकायत इतनी तीव्रता
 से महसूस की जा रही हो कि जाँच के अभाव में उसे दूर करने के लिए
 रक्षात्मक सीधी लड़ाई लडना जरूरी हो जाय, तो काँग्रेस, सविनय-भंग
 आन्दोलन के मुलतवी रहते हुए भी, उसे करने के लिए स्वतन्त्र होगी।

मैं सरकार को यह यकीन दिलाने की जरूरत नहीं समझता कि
 काँग्रेस की हमेशा यही कोशिश रहेगी कि सीधी लड़ाई से बचे और
 आपसी बातचीत और समझाने-बुझाने आदि उपायो से शिकायत दूर
 करायें। काँग्रेस की प्रोबेशन का चिक्र करना यहाँ इसलिए जरूरी हो
 गया है कि आगे कोई संभावित गलतफहमी या काँग्रेस पर समझौता-
 चक्रेषण का आरोप न हो सके। मौजूदा बातचीत के सफल होने की
 हालत में मेरा खयाल है कि यह बिनाश्वि, यह पत्र और आपका जवाब
 एक साथ प्रकाशित कर दिये जायेंगे।

आपका

मो० क० गाँधी

सकते थे। उनका मानना यह था कि दिल्ली के समझौते से, जो सामान्य और राजनैतिक सचिनय-भग से ताल्लुक रखता था, इसकी रोक नहीं की गई है।

मैं इनका जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि युनतप्रान्तीय काँग्रेस-कमिटी और उसके नेताओं पर यह आरोप बार-बार लगाया जाता रहा है कि उन्होंने करबन्दी-आन्दोलन फिर शुरू करके दिल्ली के समझौते को तोड़ दिया। आरोप करनेवालों की सुझौता यह था कि यह आरोप तब लगाया गया जब वे सब लोग जिनपर यह लगाया गया और जो इसका

गांधीजी के नाम श्री इमरसन का पत्र

शिमला

प्रिय गांधीजी,

२७ अगस्त, १९३१

आज की तारीख के पत्र के लिए धन्यवाद, जिसमें आपने अपने पत्र में लिखे स्पष्टीकरण के साथ कम्यूनिक के मतविदे को मजबूर कर लिया है। कॉंसिल-सहित गवर्नर-जनरल ने इस बात को नोट कर लिया है कि अब आगे से उठाये गये मामलों में जांच पर जोर देने का इरादा काँग्रेस का नहीं है। लेकिन जहाँ आप यह आश्वासन देते हैं कि काँग्रेस हमेशा सीधी लड़ाई से बचने और आपसी बातचीत, समझाने-बुझाने आदि तरीकों से ही अपनी शिकायत दूर करने की हमेशा कोशिश करेगी, वहाँ आप, आगे अगर काँग्रेस कोई कार्रवाई करने का निश्चय करे तो उसकी पोलीशन भी साफ कर देना चाहते हैं। मुझे यह कहना है कि कॉंसिल-सहित गवर्नर जनरल आपके साथ इस उम्मीद में शामिल है कि सीधी लड़ाई का कोई मौका नहीं आयगा। जहाँतक सरकार की आम पोलीशन की बात है, मैं वायसराय के १९ अगस्त के आपको लिखे हुए पत्र का निर्देश करता हूँ। मुझे कहना है कि उक्त कम्यूनिक, आपका आज की तारीख का पत्र और यह जवाब सरकार एक-साथ प्रकाशित कर देगी।

आपका

एच० डबल्यू० इमरसन

जबाब दे सकते थे, जेल में बन्द कर दिये गये थे और हर अखबार और प्रेस पर सल्ट सेन्सर बँठा हुआ था। इस हकीकत के अलावा कि युक्तप्रान्तीय कमिटी ने १९३१ में कभी करबन्दी-आन्दोलन शुरू ही नहीं किया, मैं इस बात को साफ कर देना चाहता हूँ कि आर्थिक उद्देश्य से, सविनय-भंग से अलग रहते हुए, ऐसी लड़ाई लड़ना भी दिल्ली के समझौते का भंग नहीं होता। वह उसके कारणों को देखते हुए उचित था या नहीं, यह तो दूसरी बात थी, लेकिन जिस तरह किसी कारखाने के मजदूरों को अपने किसी आर्थिक कष्ट के कारण हड़ताल शुरू करने का हक होता है, उन्ही तरह किसानों को भी आर्थिक कारण में हड़ताल करने का अधिकार था। दिल्ली से शिमला तक बराबर हमारी यही पोजीशन रही, और सरकार ने इसे समझ ही नहीं लिया था, बल्कि उसे वह ठीक भी मालूम हुई थी।

१९२९ और उसके बाद की कृषि-सम्बन्धी मन्दी से निरन्तर विगड़ती हुई परिस्थिति हृदय दर्जों को पहुँच गई थी। पिछले कई वर्षों से दुनियाभर में कृषि-सम्बन्धी भाव ऊँचे की तरफ चढते जा रहे थे, और हिन्दुस्तान की कृषि ने भी, जो दुनिया के बाजार में बँध चुकी थी, इस चढाव में हिस्सा लिया था। दुनियाभर के कारखानों और खेतों की तरक्की में कोई तारतम्य न रहने के कारण सभी जगह कृषि-सम्बन्धी चीजों के भाव चढ गये थे। हिन्दुस्तान में जैसे-जैसे भाव बढ़ते गये, सरकार की मालगुजारी और ज़मींदार का लगान भी बढ़ता गया, जिससे कि असली खेती करनेवाले को इससे कुछ भी फायदा न हुआ। कुल मिलाकर किसानों की हालत, कुछ खासतौर पर अच्छे हिस्से को छोड़कर, खराब ही हो गई। युक्तप्रान्त में लगान मालगुजारी की वनिस्वत बहुत तेजी से बढ़ा, इन दोनों की सापेक्ष वृद्धि, इस शताब्दी के पहले तीस वर्षों में, करीब-करीब (मैं अपनी याददाश्त से ही कहता

हो ५ ; दो । इस तरह हालांकि जमीन से नरकार की आनदनी गनी वह गई, लेकिन जमींदार की आनदनी तो उनमें भी बहुत ज्यादा दटी, और नरकार हुंश की तरह चंदी का मोहताज ही रहा । यदि वहीं नाव गिर भी जाते थे, या कहीं नुझानी नुमीवते, जेने वारिज न होना, दाड बागाना, लोले, टिड्डी बटैरा, आ पटनी, तब भी मालगुदारी और लगान की रकम वही रहती थी । अगर कुछ छूट भी हुई तो, बहुत हिचकिचाहट के बाद मोटी-सी, मिर्क उस फमलनर के लिए । अच्छी-से-लच्छी फमलो के बक नी लगान की दर बहुत उंची मालूम होती थी, तब हमारे बक में तो माहूकार से कई लिपे बिना उनकी अदायगी ही होगा मुश्किल था । फलतः किसानों का कर्बा बढता जा रहा था ।

जैनी ने ताल्लुक रखनेवाले सभी बर्ग, जमींदार, मालिक, किसान और नरकार, सभी मोहरों के, जो कि नौजूदा हालातों में गाँवों की आदिम-कालीन अवस्था का एक आवश्यक कार्य कर रहे थे, फंदे में फँस गये । इस काम से साहूकारों ने खूब निजी फायदा उठाया, और उनका जाल जमीन पर और जमीन से सम्बन्ध रखनेवाले सभी लोगों पर फैल गया । उनपर बन्धन कोई नहीं थे । कानून उनकी मदद पर था, और अपने इकरारनामे के एक-एक लफ्ज को पकड़कर वे अपने लक्ष्मियों को जरा भी नहीं बढाने थे । धीरे-धीरे छोटे जमींदार और मालिक-किसान दोनों के पास से जमीन उनके हाथों में आने लगी, और साहूकार ही बड़े पैमाने पर जमीन के मालिक, बड़े जमींदार, जमींदार-बर्गीय बन गये । मालिक-किसान, जो कभी तक अपनी ही जमीन पर खेती करता था, अब बनिया-जमींदारों या साहूकारों का क़रीब-क़रीब शत्रु-किसान बन गया, जो केवल नरकार था उनकी हानि तो और भी खराब ही गई । वही तो साहूकार का नी दास बन गया था, या वेदमल निचे हुए नूनि-हीन मजदूरों की बटती हुई उम्रत में शामिल हो

गया। ऋण-दाता—लेन-देन करनेवाले व्यक्तियों—का जो अब इस तरह ज़मीन-मालिक भी बन गये, ज़मीन से या काश्तकारों से कोई सजीव सम्पर्क नहीं था। वे आमतौर पर शहर के रहनेवाले थे, जहाँ वे अपना लेन-देन करते थे, और उन्होंने लगान-बसूली का काम अपने कारिन्दों के सुपुर्द कर दिया, जो उस काम को मशीनों की-सी सग-दिली और बेरहमी से करते थे।

किसानों की बढ़ती हुई कर्जदारी ही खुद इस बात का सबूत थी कि भूस्वामित्व-प्रणाली गलत और अस्थिर है। ज्यादातर लोगों के पास किसी किस्म की वचत न थी, न जिस्मानी न माली। बरदास्त करने की बिलकुल ताकत न थी और वे हमेशा भूखे-नगरे ही रहते थे। प्रति-कूल-रूप की किसी भी असाधारण घटना के सामने वे टिक नहीं सकते थे। कोई आम बीमारी आजाती, तो लाखों मर जाते थे। १९२९ और १९३० में सरकार-द्वारा नियुक्त प्रान्तीय बैंकिंग जाँच कमिटी ने अन्दाज़ा लगाया था कि (बर्मा-सहित) हिन्दुस्तान का कृषि-सम्बन्धी कर्जा ८६० करोड़ रुपया था। इस आकड़े में ज़मींदारों, मालिक-किसानों और काश्तकारों का कर्जा शामिल था, मगर मुख्यतः यह असली काश्तकारों का ही कर्जा था। सरकारी आर्थिकनीति बिलकुल साहूकारों के ही हक में रही है, और इससे भी भारी कर्जों में और बढ़ती हुई है। इस तरह रुपये का अनुपात, हिन्दुस्तान का ज़बरदस्त विरोध होते हुए भी सोलह पेन्स के बजाय १८ पेन्स कर देने से किसानों का कर्ज १२३ फी सदी या लगभग १०७ करोड़ बढ़ गया।

१ हिन्दुस्तान की कृषि-सम्बन्धी कर्जदारी ८६० करोड़ है; यह भी सम्भवतः बहुत कम अन्दाज़ा है और कम-से-कम, पिछले चार या पाँच वर्षों में, यह काफी ज्यादा बढ़ गया होगा। पंजाब प्रान्तीय बैंकिंग-जाँच-कमिटी ने, १९२९ में, पंजाब का आँकड़ा १३५ करोड़ बताया था।

... के बाद के अचानक बदल के बाद भाव धीरे-धीरे लेकिन
मानव मिलने ही बने गये और देश की हालत और खराब हो गई।
... के पहले उन वर्षों के बाद १९२९ और बाद के वर्षों का उकट बा गया तो
...

१९३१ में युक्तप्रान्त में हमारा कहना यह था कि लगान चौकी के
भावों के मुनाविद रहना चाहिए। जानी, पहले जिस समय १९३१ के
वसंत के बाद से उन वर्ष के लगान के वसंत ही अब भी लगान हो
गाना चाहिए। ये भाव अपना तोष नाक पहले, करीब १९०१ में थे।
यह एक छोटी कर्माटी थी, और इसके परखना भी आसान नहीं था
क्योंकि कानूनकार भी कई तरह के थे—बैठे, मौखिकी और मौखिकी,
मिस्त्री बर्गस, और सबसे नीचे दर्जे के कानूनकारों पर ही मन्दी का
बदले ज्यादा अंतर पडा था। दूसरी कर्माटी जिसे धरी हो मन्दी थी,
और यही सबसे मुनाविद भी थी जिसे कर्माटी का उर्बा और निर्वाह-भोग्य
नदरग निहालकर विनयी रकम देने की नाइन कानूनकार की रहनी
है। अगर हम विछली कर्माटी के जीवन पर जीवन-निर्वाह के खर्च
विनये भी हम क्यों न माने जायें, हिन्दुस्तान में बहुत ज्यादा लेने ऐसे
मिस्त्री जो वे-मुगस है, और जैसा कि हमने १९३१ में युक्तप्रान्त में
मिस्त्री के मायिन रिया था, यह कानूनकार तो कानून लगान अदा कर

नीतिन पत्राब ...-मिन् जिसे की मिलेक्ट कर्मिटी की रिपोर्ट में (जो
१९३३ में वेग का गई थी) लिखा है कि "हृषिको के वर्षों का बोला
कानूनकार है, बहुत ही कम अकट लगानों को करीब २०० करोड़
कादा होगा।" यह बात प्रायः प्रायः-मिन् की रिपोर्ट के
आसरे के लगान ५० करोड़ कादा है। अगर हमारे प्रायों के लिए जो
इसी लिखाव में यही बातें गार तो गार मान्य की भोगुदा (१९३४
की) प्रति-वर्षादी १२०० करोड़ में कादा होगी।

ही नहीं सकते थे, जबतक कि वे अगर उनके पास बेचने को कुछ जायदाद हो तो अपनी जायदाद न बेचे या ऊँची दरो पर कर्ज न ले ।

हमारी युक्तप्रान्तीय काँग्रेस कमिटी की पहली और आरजी तजवीज यह थी कि सब मौरूसी काश्तकारो के लिए ५० फीसदी आम छूट हो जानी चाहिए, और जिन काश्तकारो की हालत और भी खराब है उनके लिए इमसे भी ज्यादा छूट दी जाय । जब मई १९३१ में गांधीजी युक्तप्रान्त में आये थे और गवर्नर सर मालकम हेली से मिले, तो उनमें मतभेद पाया गया, और उनकी राय एक न हो सकी । इसके बाद ही उन्होंने युक्तप्रान्त के जमींदारो और काश्तकारो के नाम अपीलें निकाली थी । पिछली अपील में उन्होंने काश्तकारो से कहा कि, उनसे जितना वन सके वे अदा कर दें । उन्होंने एक आकडा भी बताया, जोकि हमारे पहले बताये आकडो से कुछ ऊँचा था । हमारी प्रान्तीय कमिटी ने गांधीजी का ही आकडा मजूर कर लिया, मगर इससे मामला सुलझा नहीं, क्योंकि सरकार उसपर राखी नहीं हुई ।

प्रान्तीय-सरकार एक कठिन परिस्थिति में थी । मालगुजारी ही उसकी आमदनी का बड़ा जरिया था, और अगर वह इसे बिलकुल उठा देती है या बहुत कम कर देती है तो उसका दिवाला ही निकल जाय । मगर, साथ ही उसे किसानो के उभड़ पडने का भी काफी अन्देशा था, और जहातक हो सके वह उन्हें काफी लगान की छूट देकर तसल्ली भी देना चाहती थी । लेकिन दोनो तरफ फायदे में रहना आसान न था । सरकार और किसानो के बीच में जमींदारवर्ग खड़ा था, जोकि आर्थिक दृष्टि से बेकार और गैर-जरूरी वर्ग था, और यदि इस वर्ग को नुकसान पहुँचाना गवारा किया जाय तो सरकार और किसान दोनो को रक्षण और सहायता मिल सकती थी । मगर ब्रिटिश-सरकार अपनी मौजूदा परिस्थिति में राजनैतिक कारणो से उस वर्ग को नाराज नहीं कर सकती

थी, क्योंकि जो वग उसका पत्ता पकड़े हुए थे, उनमें एक वह भी है।

आखिर प्रान्तीय-सरकार ने जमींदार और काश्तकार दोनों के लिए ही छूट को घोषणा की। ये छूट कुछ बड़े पेचीदा तरीके पर दी गई थी, और पहले तो यही समझना मुश्किल था कि कितनी छूट दी गई है। मगर यह तो साफ जाहिर था कि यह बहुत ही नाकाफी थी। इसके अलावा छूट चालू किस्त के लिए ही घोषित की गई, और किसनों के पिछले वकाया कर्बों के बारे में कोई भी बात नहीं कही गई। यह तो जाहिर था, कि अगर काश्तकार मौजूदा आठे वर्ष का लगान देने में असमर्थ है, तो वह पिछला वकाया या कर्जा चुकाने में तो और भी ज्यादा असमर्थ होगा। हमेशा जमींदारों ही का कायदा यह रहा था कि जितनी भी बसूली होती थी, वे पिछले वकायों में जमा किया करते थे। काश्तकार की दृष्टि से यह तरीका खतरनाक था। क्योंकि किस्त का कुछ-न-कुछ हिस्सा बाकी रह जाने की विना पर उसके खिलाफ, चाहे जब, मुकदमा दायर किया जा सकता था, और उसकी जमीन जब चाहे छीनी जा सकती थी।

प्रान्तीय कांग्रेस-कार्यकारिणी बहुत ही कठिन स्थिति में पड़ गई। हमें विश्वास था कि काश्तकारों के साथ बहुत बेजा बर्ताव हो रहा है, मगर हम कुछ न कर सकते थे। हम किसानों से यह कहने की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते थे कि वे अदायगी न करे। हम बराबर यही कहते रहे कि उनसे जितना वन सके उतना वे अदा कर दें, और आम तौर पर उनकी मुसीबतों में उनके साथ हमदर्दी दिखाते और उन्हें हिम्मत बँधाने की कोशिश करते रहे। हम उनको इस बात से सहमत थे, कि छूट कम करने पर भी किन्न की रकम उनकी ताकत के बाहर है।

अब बल-प्रयोग की मशीन, कानूनी और गैरकानूनी दोनों तरह से, चलने लगी। हठारों की तावाद् में बेदलली के मुकदमों दायर होने लगे, गाय, बैल और जानी मिकियत कुर्क होने लगी, जमींदारों के कारिन्दे

मारपीट करने लगे, बहुत से किसानों ने किस्त का कुछ हिस्सा जमा करा दिया। उनकी राय में, उनकी इतना ही देने की ताकत थी। बहुत मुमकिन है कि कुछ लोग थोड़ा और दे सकते हों, लेकिन यह बिलकुल जाहिर था कि ज्यादातर किसानों के लिए तो यह भी भारी बोझ था। मगर इस आर्थिक अदायगी के कारण वे बच नहीं सके। कानून का एजिन तो आगे बढ़ता ही गया, और रास्ते में जो कुछ आया उसे कुचलता ही गया। हालांकि किस्तों का थोड़ा हिस्सा चुका दिया गया था, फिर भी इजराय डिग्री जारी हो गई और पशुओं और व्यक्तिगत सम्पत्ति की कुर्की और नीलाम जारी रहा। अगर काश्तकार कुछ भी न देते तो भी उनकी हालत इससे ज्यादा खराब न हो सकती थी। बल्कि, उतना रुपया बचा लेने से, उनकी हालत कुछ अच्छी ही रहती।

वे बड़ी तादाद में हमारे पास जोरदार शिकायत करते हुए आते थे, और कहते थे कि हमने आपकी सलाह मान ली और जितना हमसे बन सकता था उतना हमने अदा कर दिया, फिर भी यह नतीजा हुआ है। अकेले इलाहाबाद जिले में ही कई हजार काश्तकार बेदखल कर दिये गये थे, और कई हजारों के खिलाफ कोई-न-कोई मुकदमा दायर कर दिया गया था। जिला कांग्रेस कमिटी का दफ्तर दिनभर परेशान काश्तकारों से घिरा रहता था। मेरा घर भी इसी तरह घिरा रहता था, और अक्सर मुझे लगता था कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ और कहीं छिप जाऊँ, जहाँ यह भयकर दुर्दशा दिखाई न दे। कई काश्तकारों पर, जो हमारे यहाँ आते थे, चोट के निशानात थे, जो जमींदारों के कागिन्दों की मार के थे। हमने उनका अस्पताल में इलाज करवाया। वे क्या कर सकते थे? और हम क्या कर सकते थे? और हमने युक्त-प्रान्तीय सरकार के पास बड़े-बड़े पत्र भेजे। हमारी कमिटी ने नैनीताल या लखनऊ में प्रान्तीय-सरकार से सम्पर्क रखने के लिए श्री गोविन्दवल्लभ पन्त को अपनी तरफ से

मेरे दो बच्चायां थे। वह मर्यादा का निम्नतर स्थित रहे, हमारे प्रान्तीय
-गण-समूह अहमदजा गोंदवानी भी लिखने रहे, ओर मैं भी लिखना था।

ज़ून-जुलाई की दारिद्र्य नजदीक आन में एक और कठिनाई नामने
आई। यह रान जोतने और बाने का मौसम था। क्या बेदखल किमान
बेकाम दैठे रह और अपने सामने अपनी जमीन खाली पड़ी देखते रहे ?
किमान के लिए यह बड़ा मुश्किल था। यह तो जमकी आदत के खिलाफ
था। कई लोगों की बेदखली सिर्फ कानूनी लिखावट से हो गई थी, उन्हें
दरअमल हटा नहीं दिया था। सिर्फ अदालत का फैसला ही गया था,
इसके अलावा और कुछ नहीं हुआ था। इस हालत में क्या वे जमीन
जोत डाले और इस तरह मदाखलत बेजा का जुर्म कर ले, जिसमें शायद
छोटे-मोटे दण्ड की भी सजाबना हो जाय ? यह देखना भी किसान के
के लिए मुश्किल था कि उसकी पुरानी जमीन को कोई दूमरा जोत ले।
वे सब हमसे सलाह मांगने को आते थे। हम उन्हें क्या सलाह दे सकते थे ?

गर्मियों में जब मैं गाधीजी के साथ सिमला गया तो, मैंने यह कठि-
नाई भागत-सरकार के एक ऊंचे अधिकारी के सामने रखी, और उनसे
पूछा कि अगर वह हमारी स्थिति में होते तो क्या सलाह देते ? उनका
जवाब आखिं खोल देनेवाला था। उन्होंने कहा कि 'अगर कोई किसान,
जिसकी जमीन छिन गई है, यह सवाल मुझसे पूछे तो मैं जवाब देने से
इन्कार कर दूंगा।' हालांकि जमीन पर से किसान का कब्जा कानूनन
हटाया गया था, फिर भी वह उसको सीधा यह कहने को भी तैयार नहीं
थे कि वह अपनी जमीन न जोते। सिमला के पहाड़ पर बैठकर मिसलों
पर इस तरह हुक्म देना, मानो वह गणित की किसी अमूर्त समस्या पर
विचार कर रहे हो, उनके लिए तो आसान था। उन्हें या नैनीताल के
प्रान्तीय आकाशों को आदमियों से भावका नहीं पडता था, और न वे
आदमियों की मुसीबतों को ही अपनी आँखों से देखते थे।

शिमला में हममें यह भी कहा गया कि हम किसानों को सिर्फ एक ही गलाह दे कि उन्हें पूरी किस्त दे देनी चाहिए, या वे जितनी दे सके उतनी दे देना चाहिए। हमें करीब-करीब जमींदारों के कारिन्दों के जैसे ही काम करना चाहिए। दरअसल, कुछ ऐसी ही बात हमने उनमें तभी कह दी जबकि हमने उनमें कहा था कि जितना धन सके उतना अदा कर दो। लेकिन, बेगम, हमने साथ ही यह कहा था कि उन्हें अपने पशु नहीं बेचने चाहिए, या नया कर्जा नहीं करना चाहिए। और इसका नतीजा भी जो कुछ हुआ भी हम देख चुके थे।

यह गरमी हम सबके लिए बड़ी विकट थी, और हम मुश्किल से उभे नह रहे थे। हिन्दुस्तान के किसानों में मुसीबत सहने की अद्भुत शक्ति है, और उनपर हमेशा जल्दत में ज्यादा मुसीबतें आनी भी रहीं हैं—अकाल, बाढ़, बीमारी और निरन्तर कुचलनेवाली गरीबी—और जब वे अधिक सह नहीं सकते, तो चुपचाप, और मानो बिना शिकायत किये, हजारों की तादा में, मर जाते हैं। उनका मुसीबतों से बचने का मार्ग ही यह रहा है। उनपर समय-समय पर आनेवाली पिछली मुसीबतों से बढकर १९३१ में कोई नई बात नहीं हुई थी। मगर, किसी कारण, १९३१ की घटनायें उन्हें ऐसी न लगी कि जो कुरदरत की तरफ से आ गई हो और जिन्हें चुपचाप बरदाश्त करना ही चाहिए। उन्होंने विचार किया कि ये तो मनुष्य की लाई हुई है, और इसलिए उनका उन्होंने विरोध किया। जो नई राजनैतिक शिक्षा उन्हें मिली थी, वह अपना असर दिवा रही थी। हमारे लिए भी १९३१ की ये घटनायें खासतीर पर कष्टकर थी, क्योंकि किसी हद तक हम अपने आपको उनके लिए जिम्मेदार समझते थे। क्या हम मामलों में किसानों ने बहुत-कुछ हमारी सलाह नहीं मानी थी? लेकिन, फिर भी, मेरा तो पूरा विश्वास है कि अगर उन्हें हमारी निरन्तर सहायता न मिली होती तो किसानों की

हालत और नी ददनर हो गई होनी । हम उनको मगठिन करके रखने थे, और उनकी अपनी एक ताकत हो गई थी, जिमकी उपेक्षा नहीं हो सकती थी और इसी कारण उन्हें इतनी छूट भी मिल गई जितनी शायद और तरह उन्हें न मिलती । और इन अभागों पर जो नारपीट और सत्ती की गई, वह खराब ज़रूर थी मगर उनके लिए कोई नई बात न थी । हाँ, इस बार कुछ तो उसको मात्रा में अन्नर था (क्योंकि इन बार पहले से अधिक मात्रा में की गई थी), और कुछ उनका प्रकाशन भी बटकर हुआ था । आमतौर पर, गाँवों में जमींदारों के कारिन्दों का काश्तकारों में दुर्व्यवहार करना या उन्हें बहुत श्रास देना भी साधारण बात नमशी जाती है, और पिटनेवाले की मीत ही न हो जाय तो, वहाँ को छोडकर बाहर किसी को उसकी खबर तक नहीं होती । मगर हमारे संगठन और किसानों की जागृति के कारण अब ऐसा नहीं हो सकता था, क्योंकि इससे किसानों में खूब एका हो गया था और वे हर बात की रिपोर्ट काँग्रेस के दफ्तर में करते थे ।

जैसे-जैसे गरमी का मौसम बीतता गया, जवरदस्ती बमूल करने की कोशिश कुछ ढीली हो गई और बल-प्रयोग की कार्रवाइयाँ कम पडने लगी । अब हमें बहुसख्यक वेदखल किसानों की फिक्र थी । उनके लिए क्या करना चाहिए ? हम सरकार पर खोर डाल रहे थे कि वह उन्हें उनके खेत बापन दिलवाने में मदद करे, जोकि ज्यादातर खाली ही पड़े

कौंसिल के कुछ जमींदार मेम्बर थे । उसमे किसानो की तरफ से कोई प्रतिनिधि न था । अन्तिम क्षण, जबकि कमिटी ने काम भी शुरू कर दिया, सरकार ने हमारी तरफ से गोविन्दवल्लभ पन्त से उसमे शामिल होने को कहा । उन्होने इस आखिरी वकन मे उसमे शामिल होने मे कुछ फायदा न देखा, क्योंकि महत्वपूर्ण मामलो के निर्णय तो किये ही जा चुके थे ।

युक्तप्रान्तीय कांग्रेस कमिटी ने भी किसानो सम्बन्धी पिछली और तात्कालिक कई हकीकत इकट्ठा करने और सामयिक परिस्थिति पर अपनी रिपोर्ट देने के लिए एक छोटी-सी कमिटी विठाई थी । इस कमिटी ने एक बड़ी रिपोर्ट पेश की, जिसमे युक्तप्रान्त के किसानो और खेती की परिस्थिति का बड़ा योग्यतापूर्ण निरीक्षण किया गया था । और भावो की भारी कमी के कारण आई हुई दुर्दशा का विश्लेषण किया गया था । उनकी सिफारिशें बड़ी व्यापक थी । उस रिपोर्ट पर, जो पुस्तक-रूप मे प्रकाशित की, गई थी, गोविन्दवल्लभ पन्त, रफीअहमद किदवई और वेकटेशनारायण तिवारी के दस्तखत थे ।

इस रिपोर्ट के निकलने के बहुत पहले ही गांधीजी गोलमेज-कान्फ्रेंस के लिए लन्दन जा चुके थे । वह बड़ी हिचकिचाहट के बाद गये थे, और इस हिचकिचाहट का एक कारण युक्तप्रान्त के किसानो की परिस्थिति भी थी । वास्तव में उन्होने प्राय यह तय कर लिया था कि अगर वह गोलमेज-कान्फ्रेंस के लिए लन्दन न गये, तो यू० पी० आयेंगे और इस पेचीदा सवाल को हल करने मे जुट पड़ेंगे । सरकार के साथ शिमला मे जो आखिरी बातचीत हुई थी, उसमें और बातो के साथ युक्तप्रान्त की बात भी शामिल थी । उनके इंग्लैण्ड रवाना हो जाने के बाद भी हम उन्हें परिस्थितियो मे होनेवाले नये-नये परिवर्तनो को पूरी-पूरी नूचना देते रहते थे । पहले एक या दो महीने तक तो मैं उन्हें हर सप्ताह

एक दिन नाचूरी, दोनों डाक से पत्र लिखा करता था। उनके पत्रों में व अन्तिम समय में मैं इनके नियमितरूप से नहीं लिखता था, क्योंकि हमें आशा थी कि वह जल्दी ही लौट आयेंगे। उन्होंने हमें कहा था कि वह ज्यादा-से-ज्यादा तीन महीने में, यानी नवम्बर में किनी वकन, लौट आयेंगे, और हमें उम्मीद थी कि कि नवम्बर हिन्दुस्तान में कोई संकट खड़ा न होगा। सबसे बड़ी बात तो यह थी कि उनकी गैर-हाजिरी में हम सरकार के साथ संबंधों या संबंधों को लेना नहीं चाहते थे। नगर, जब उनके आने में देर लग गई थी मिन्गानो की मन्थ्या देखी में बढती चली, तब हमने उन्हें एक पत्रा तार भजा, जिसमें ताची-से-ताची घटनाओं लिखीं और उन्हें सूचित किया कि किन तरह हम कुछ-न-कुछ करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। उन्होंने तार से जवाब दिया, कि इस मामले में मैं लाचार हूँ और इस समय कुछ नहीं कर सकता, जोर यह भी कह दिया कि जैसा हम लोगों को ठीक मालूम हो वैसा ही करने जायं।

प्रान्तीय आर्थकारिणी, अखिल भारतीय कार्य-मिति को भी हर बात को उचितता देती रही। मैं खुद उनमें अपनी जानकारी से बातें बताने को मनाबू था ही, मगर चूंकि मामला गंभीर होता जाता था, कमिटी ने हमारे प्रान्तीय सदर तसद्दुद्ध भेदानी और इलाहाबाद सिद्धा कमिटी के प्रेसिडेंट पुरुषोत्तमदास टण्डन से भी बातचीत की।

सरकार की किमान-सम्बन्धी कमिटी ने अपनी रिपोर्ट निकाली, और कुछ मिन्गानो भी की, जो पेशवा जोग गोलमोल थी और उनमें बहुत सारे मुद्दों की उम्मीदों के ऊपर छोड़ दी गई थीं। कुछ मिलाकर उनमें किमि पट्टे की तजवीह भी गई थी, वह पिछले मौसम की छूट से ज्यादा थी, मगर हमें मालूम हुआ कि यह छूट भी काफी नहीं है। किन आधारों पर हमें मिन्गानो की गई थीं उनसे, और मिन्गानो के स्वसन पर

भी, हमने ऐतराज किया। इसके सिवा, रिपोर्ट में सिर्फ भागों का ही विचार किया गया था, मगर पिछले बकाया, कर्ज, और बहुसंख्यक वेदखल किसानों के सवाल पर कुछ नहीं कहा गया था। अब, हम क्या करते ? जिस तरह हमने पिछले चैत-वैसाख में किसानों से कहा था कि वे जितना बने उतना अदा कर दें, क्या अब भी हम किसानों को वही सलाह दें, और फिर वही नतीजे देखें ? हमने देख लिया था कि वह सलाह सबसे ज्यादा मूर्खता-पूर्ण थी, और फिर से नहीं दी जा सकती थी। या तो किसानों को चाहिए कि अगर वे दे सके तो पूरी रकम अदा करें जो अब छूट काटकर उनसे भागी जा रही है, या वे कुछ भी न दें और देखें कि क्या होता है। रकम का कुछ हिस्सा दे देने से वे न इधर के रहते न उधर के। काश्तकारों का, जितना वे निकाल सकते हैं, मारा रुपया वगैरा भी चला जाता है, और उनकी जमीन भी छिन जाती है।

हमारी प्रान्तीय कार्य-कारिणी ने परिस्थिति पर बहुत समय तक और गभीरता के साथ विचार किया और निश्चय किया कि सरकार की तजवीजें हालाँकि पिछली गरमी की छूट से ज्यादा हैं, लेकिन इतनी माफिक नहीं हैं कि उन्हें इस रूप में स्वीकार कर लिया जाय। उनमें परिवर्तन करके उन्हें किसानों के लिए हितकर बनाये जाने की फिर भी सम्भावना थी, और इसलिए हमने सरकार पर जोर डाला। मगर हमें मालूम हो रहा था कि अब कोई आशा नहीं है, और जिस तर्षप को हम टालना चाहते थे, वह कुछ तैची से आ रहा है। प्रान्तीय-सरकार और भारत-सरकार का कॉन्सेंस-संगठन की तरफ हल्ल लगातार बढ़ता और सख्त होता जा रहा था। हमारे बड़े-बड़े पत्रों का हमें जग जरा ना जवाब मिल जाया करता था, जिससे कह दिया जाता था कि हम नुकानों अफसरों से लिखापट्टी करें। यह स्पष्ट था कि सरकार की मीनि हमें किनी प्रकार से भी प्रोत्साहित करने की नहीं थी। सरकार की एग

मुनीदन और मुन्किन्स यह भी थी कि अगर रिमानो को छूट देदी जानी तो आग्रह की प्रतिष्ठा बूझ जाने की सम्भावना थी। पुगनी आस्त के कारण यह निरंक प्रतिष्ठा की भाषा में ही नोच भरती थी, और यह ज्ञान उसे अमह्य हो रहा था कि शायद जनता छूट दिलाने का जम जाने को देने लगे, और वह इसमें जटानक होमके बनना चाहती थी।

इस बीच हमारे पास दिल्ली और दूसरी जगहों से वे रिपोर्टें आ रही थी कि भारत-सरकार नारे कांग्रेस-आन्दोलन पर जल्दी ही एक खबरवत्त हमला शुरू करनेवाली है। उस नगहूर महुदी महावत के अनुमार अब सरकार की छोटी-नी अगुली ज्यादा जोर से काम करने-वाली है, और बिच्छू के डक हमने तोषा करानेवाले है। काँग्रेस के खिलाफ क्या-क्या करने की तबवीश है, इसकी बहुत-सी तफसील भी, हमें मिल गई। मेरी समझ में शायद नवम्बर में किमी वक्त, डाक्टर अन्नारी ने मेरे पास और कांग्रेस के मदर वल्लभभाई पटेल के पास भी अलग से एक खबर भेजी, जिससे हमें पहले मिले हुए समाचारों की पुष्टि होती थी, और जिसमें खासकर सीमाप्रान्त और युक्तप्रान्त के लिए प्रस्तावित आर्डिनेन्सो का ब्यौर भी था। मेरा खयाल है कि बगाल को एक नये आर्डिनेन्स की सीमात मिल चुकी थी, या शायद मिलने ही वाली थी। कई हफ्ते बाद जब नये आर्डिनेन्स निकले, मानो वे किमी नई परिस्थिति का एकदम सामना करने के लिए निकले हो, तब डॉक्टर अंसारी की खबरें और उनकी तफसील भी बहुत हद तक सच्ची निकली। आमतौर पर यही माना गया कि सरकार ने गोलमेस-कान्फ्रेंस के आगा से अधिक बड़ जाने के कारण अपना हमला रोक रक्ता था। ऐसे समय में जबकि गोलमेस-कान्फ्रेंस के मेम्बर आपस में मीठी-मीठी वेमसलव की कानाफूसी कर रहे थे, सरकार हिन्दुस्तान में आम दमन को टालना चाहती थी।

इसलिए तनातनी बढ़ती गई, और हम सभी को महसूस हो रहा था कि घटनायें हम जैसे छोटे-छोटे लोगों की उपेक्षा करती हुई अपने-आप आगे बढ़ रही हैं, और होनहार को कोई रोक न सकेगा। हम तो इतना हीं कर सकते थे कि हम उनका मुकाबिला करने के लिए, और जीवन के उस नाटक में, जो शायद दुःखान्त होनेवाला था, व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से अपना हिस्सा ठीक तरह से बटाने के लिए अपने-आपको तैयार करले। मगर हमें उम्मीद थी कि परस्पर विरोधिनी शक्तियों के संघर्ष का यह नाटक शुरू होने से पहले गांधीजी लौट आयेंगे, और वह लड़ाई या सुलह की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा लेंगे। उनकी गैरहाजिरी में इस बोझ को उठाने के लिए हममें से कोई भी तैयार नहीं था।

- युक्तप्रान्त में सरकार ने एक और काम किया जिससे देहाती हलकों में हलचल मच गई। काश्तकारों को छूट की पर्चियाँ वांट दी गईं, जिनमें छूट की रकम बताई गई थी और यह धमकी शामिल थी कि अगर इसमें दिस्साई हुई रकम एक महीने में जमा न की जायगी (किसी किसी पर्ची में इससे भी कम वक्त दिया गया था), तो छूट रद्द करदी जायगी, और पूरी रकम कानूनी तरीके से, जिसका मतलब होता है बेवखली, कुर्की, वगैरह से, वसूल करली जायगी। मामूली बरसों में तो काश्तकार अपनी लगान दो या तीन महीनों में किस्तों से अदा कर देते हैं। अबकी यह मामूली मियाद भी नहीं दी गई। सारे देहात के सामने एकदम नया सकट खड़ा होगया, और पर्चियाँ हाथ में लेकर काश्तकार इधर-उधर उसका विरोध और शिकायत करते हुए, सलाह पूछने के लिए, ढीढ़ने लगे। सरकार या उसके मुकामी अफसरों की तरफ से यह एक भ्रूँखता-भरी धमकी थी। बाद की हमसे कहा गया था कि इसकी सबमुब्त अमल में लाने का कोई इरादा नहीं था। मगर इससे धान्तिपूर्ण

मन्त्रों का प्रयोग करने के लिए, जो अनिर्वाह संघर्ष एक के बाद दूसरे गगन पर उड़ने लगे थे।

हम तो किसानों को और कर्मियों को नहीं ही निर्णय करना चाक-
रक था। हम राष्ट्रीयता के लक्ष्य तक अपना क्रमचय नहीं रोक सकते
थे। हम अब क्या करना चाहिए? क्या हमें हथियार लेनी चाहिए? हम यह
जानने थे कि कई किसान इन छोटी-सी निगदों में अपनी रकम खर्च
कर रहे थे जो अब उन्हें उचित लाभ देती थीं कि इन उन किसानों से
वह पैसे कि वे अपनी रकम उधार करते? और फिर जा बक्रिया उनको
फिरकेंगे, उनके धान में क्या होगा? अगर उनके माँगी हुई रकम का
बड़ा हिस्सा भी वे खर्च कर लें या हाथ की पूरी रकम भी चुका दें, जो
बक्रिया में खर्च कर ली जायगी, तो भी क्या वे बेहतर किये जाने के
नियमों में बच जायेंगे?

उत्तरदाता कांग्रेस कमिटी ने अपनी मझबूत किसान-सेना के साथ
रुझाई का दण्डन किया। उसने फैसला किया कि उनके लिए किसानों
को बक्रियाएँ करने की मनाह देना सम्भव नहीं है। नगर यह कह
दिया गया कि जर्मन कार्यकारिणी और अखिल-भारतीय कार्य-समिति
की प्रास्ताविक मजूरी के बिना वह कोई व्यापक कार्य नहीं कर सकती।
उत्तरदाता किसान कार्य-समिति के मामले पेश किया गया, और प्रान्त और
दिल्ली की सरकार से जमा मानका समझाने के लिए तत्समस्तुक धरवाणी
पर मुम्बई-मद्रास टिकन शर्मा ही मौजूद रहे। हमारे मानने जो सवाल
का वह मित्र हल प्रस्ताव दिखने में ही मदद करना था और वह मुझे
अपनी सामर्थ्य का, मगर हम जानते थे कि उस समय जैसी राजनीतिक
समस्याएँ हैं, उन्हीं को हमें उनका परिणाम व्यक्त हो सकता था। क्या
उत्तरदाता किसान कांग्रेस कमिटी को यह इजाजत दे दी जाय कि वह
दिल्ली, उदयपुर कि जगो समझाने की शक्तिमान न हो के और ज्यादा

अच्छी शर्तें न मिल जायें तबतक के लिए, लगान या मालगुजारी जमा न करने की सलाह किसानों को दे दे। यह एक छोटा मामला था और हम उसकी मर्यादा में ही रहना भी चाहते थे, लेकिन क्या हम ऐसा कर सकते थे ? कार्य-समिति गांधीजी के लौटने से पहले सरकार से लड़ पड़ने की स्थिति से बचने के लिए अपनी शक्ति-भर कोशिश करना चाहती थी, और खासकर वह एक ऐसी आर्थिक समस्या पर तो लड़ाई को टालना चाहती ही थी जिसके वर्ग-समस्या बन जाने की संभावना थी। हाँ, कमिटी हालाँकि राजनैतिक दृष्टि से आगे बढ़ी हुई थी, लेकिन सामाजिक दृष्टि से तो आगे बढ़ी हुई नहीं थी, और उसे किसान और जमींदारों का आपसी झगडा खडा होना पसन्द न था।

चूँकि मेरा झुकाव समाजवाद की तरफ था, मुझे आर्थिक और सामाजिक मामलों में सलाह देने के लिए अधिक भरोसे का आदमी न समझा गया। मुझे खुद यह अनुभव हो रहा था कि कार्य-समिति को यह मालूम हो जाना चाहिए कि युक्तप्रान्त की परिस्थिति ही ऐसी है कि हमारे ज्यादा नरम पक्ष के मेम्बर भी, सघर्ष करने की पूरी अनिच्छा रखते हुए भी, घटनाओं से मजबूर होकर सघर्ष करना चाहते हैं, इसलिए मैंने हमारी कमिटी की मीटिंग में हमारे प्रान्त से तसद्दुक शेरवानी और दूसरे लोगों के आने को बहुत अच्छा समझा, क्योंकि शेरवानी, जो हमारे प्रान्त के सभापति थे, किसी भी प्रकार उग्र नहीं थे। स्वभाव से, राजनैतिक और सामाजिक दोनों रूप में वह कांग्रेस में नरम पक्ष के समझे जाते थे, और साल के शुरू में उनके विचार युक्त-प्रान्तीय कांग्रेस कमिटी की किसानो-सम्बन्धी नीति के विरुद्ध हो गये थे। मगर जब वह खुद कमिटी के सदर बन गये और उन्हें खुद बोझ उठाना पडा, तो उन्होंने समझ लिया कि हमारे लिए दूसरा चारा ही नहीं है। प्रान्तीय कांग्रेस कमिटी ने बाद में जो-जो भी कदम उठाया वह

एक-दूसरे-से उपयोग के साथ, और अन्तर प्रवास की हैसियत में उनकी मार्जन, उदाय।

इसलिए कार्य-प्रवृत्ति के सामने नसबंदी शेरवानी की बहन से मन्त्र। — बड़ा असर पड़ा—ने जिनका असर डाल सन्ता था, उससे बड़ी जादा। बहन द्विचक्रिचाहट के बाद, लेकिन यह गृहसूत्र करके नि बह उससे इन्कार नहीं कर सकते हैं, उन्होंने युक्तप्रान्तीय कमिटी को अधिकार दे दिया कि वह अपने किसी भी इलाक़े में लगान और माल-गुदारी की अदायगी को न्यगित करने की इजाजत दे सकती है। नगर, ग्राम ही, उन्होंने युक्तप्रान्त के लोगों पर जोर दिया कि हो सके तो वे इस कदम को न ठगें, और ज़ान्तीय सरकार से समझौते की बातचीत चलाने रहें।

कुछ समय तक यह बातचीत चलाई गई, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं हुआ। मेरा खयाल है कि इलाहाबाद बिन्ने की छूट में थोड़ा-सा उजाड़ा कर दिया गया। साधारण परिस्थिति में शायद यह संभव होना कि आपस में समझौता हो जाता या खूना सन्धे तक जाता। सरकार और किसानों का सम्बन्ध कम होता जा रहा था। नगर परिस्थिति बहुत ही अनाश्वर्य थी, और सरकार और कांग्रेस दोनों ही तरफ़ से यह भावना थी कि जल्दी ही सन्धे होना लाज़िमी है, और हमारी निपटारे की बातचीत की तह में कोई अनश्वर्य नहीं थी। दोनों तरफ़ से जो-जो कदम उठाया जाता था, उसमें ऐसा ही दिखता था कि यह अपने लिए अच्छी स्थिति पैदा कर लेने की इच्छा से उठाया जा रहा है। इनके लिए सरकार की परिहारों तो गुप्तहथ में हो सकती थी, और दर-अमल मोड़ों जगता हो भी गई थी। लेकिन हमारी छवि तो बिल्कुल लोगों के नैतिक धर्म पर ही टिकी हुई थी, और इसकी तैयारी गुप्त कार्रवाइयों से नहीं हो सकती थी। हमने ने कुछ लोगों ने तो और ने भी नहीं

अपराधियों में से था, सार्वजनिक भाषणों में यह बार-बार कहा था कि आजादी की लड़ाई हरगिज़ ख़तम नहीं हुई है, और हमें निकट-भविष्य में कई परीक्षाओं और कठिनाइयों से गुज़रना पड़ेगा। हमने लोगों से कहा कि वे इसके लिए हमेशा तैयार रहे, और इसी कारण हमें लड़ाई जगानेवाला कहकर हमारी आलोचना की गई थी। वास्तव में मध्यम-वर्ग के कांग्रेसी-कार्यकर्त्ताओं में वस्तुस्थिति का मुकाबिला करने की साफ अनिच्छा मालूम होती थी, और उन्हें आशा थी कि किसी-न-किसी तरह सघर्ष टल जायगा। गांधीजी का लन्दन में रहना भी अखबार पढ़नेवाले लोगों को चक्कर में डाले हुए था। मगर पढ़े-लिखे लोगों की इस निष्क्रियता के होते हुए भी घटनाएँ आगे ही बढ़ती गईं, खासकर बंगाल, सीमाप्रान्त और युक्तप्रान्त में—और नवम्बर में कई लोगों को यह दीखने लगा कि सकट निकट आ ही रहा है।

युक्तप्रान्तीय कांग्रेस कमेटी ने, इस डर से कि अचानक न जाने कौसी घटनाएँ हो जायँ, लड़ाई शुरू होने की अवस्था के लिए कुछ आन्तरिक व्यवस्था कर डाली। इलाहाबाद-कमेटी ने एक बड़ी किसान-कान्फ़ेन्स बुलाई, जिसमें एक आरज़ी ठहराव किया गया कि अगर ज्यादा अच्छी शर्तें न मिल सकेंगी, तो उन्हें किसानों को लगान और मालगुजारी रोक लेने की सलाह देनी पड़ेगी। इस प्रस्ताव से प्रान्तीय-सरकार बहुत नाराज़ हुई, और इसीको 'लड़ाई का पर्याप्त कारण' समझकर उसने हमारे साथ आगे कोई भी बातचीत करने से इन्कार कर दिया। इस रुत का प्रान्तीय कांग्रेस पर भी असर पड़ा, और उसने इसको आनेवाले तूफ़ान का संकेत समझा और जल्दी-जल्दी अपनी तैयारियाँ करना शुरू किया। इलाहाबाद में एक और किसान-कान्फ़ेन्स हुई, जिसमें पहले से भी ज्यादा तेज़ और निश्चित प्रस्ताव पाम किया गया। इसमें किमानों से कहा गया कि वे आगे और निपटारे की बातचीत होने और ज्यादा

लम्बी "नॉ" मेकने नर के लिए अदायगी रोक ले । उस समय भी, और
 "नर" नर हमारे लड़ाई का नन्द यह नहीं था कि 'लगान न दिया जाय,'
 मा यह न कि 'सुनामिब लगान दिया जाय । और हम लगातार
 टास्कान गने की दग्गवान् देने ही रहे हालांकि दूसरा पक्ष एंठ में
 दर हट गया था । इल्हावाद का प्रन्धान इनोंदारो और काश्तकारों
 शनो पर लागू होना ना मगर हन लानने थे कि अमल में वह कागन-
 जरो की कुछ छोटे जनोंदारो नर हूँ लागू होगा ।

नवम्बर १९०१ के ठन् और दिमन्दर के बारम्भ में युक्तप्रात में
 यह परिस्थिति थी । इन बीच बगाल और सीमा-प्रान्त में भी घटनायें हद
 तक पहुँच चुकी थी, और बंगाल में एक नया और नयंकरखन से
 व्यापक आडिनेन्स जारी कर दिया गया था । ये सब लड़ाई के लक्षण
 थे समझीते के नहीं, और प्रश्न उठना था कि गांधीजी कब लौटेंगे ?
 नरकार ने जिस बड़े प्रहृर की तैयारी बहुत ज़रू से कर रखी थी,
 उसके शुरु किये जाने से पहले क्या गांधीजी हिन्दुस्थान आ पहुँचेंगे ?
 या वह यहाँ पहुँचकर यह देखेंगे कि उनके कई साथी जेल जा चुके हैं
 और लड़ाई चालू हो गई है ? हमें मालूम हुआ कि वह इंग्लैण्ड से चल
 चुके हैं और साल के अन्तिम हफ्ते में बन्दई आ पहुँचेंगे । हममें से हरेक
 मुख्य कार्यान्वय का या प्रान्तों का हर नमूत्र कार्यकर्ता, उनके लौटने तक
 लड़ाई को टालना चाहता था । और लड़ाई की दृष्टि से जो हमारे लिए
 यह उचित था कि हम उनमें मिच ले, और उनकी सलाह और हिदायतें
 पा ले । पर यह एक ऐसी दौड़ थी, जिसमें हम भजबूर थे । इसको
 रोक रखना या शुरु करना तो ब्रिटिश सरकार के हाथ में था ।

सुलह का खात्मा

युवतप्रान्त मे मेरे व्यस्त रहते हुए भी बहुत दिनों से मेरी यह इच्छी थी कि मैं दूसरे दोनों तूफानी केन्द्रों, सीमाप्रान्त और वगाल, में भी हो आऊँ। मैं उस जगह जाकर वहा की परिस्थिति का अध्ययन करना, और अपने पुराने साथियो से, जिनमें से अनेक को मैंने करीब दो साल से नहीं देखा था, मिलना चाहता था। मगर, सबसे ज्यादा, मैं यह चाहता था कि मैं उन प्रान्तों के लोगो की स्पिरिट और हिम्मत के, और राष्ट्रीय सभाम में उनकी कुर्बानियो के प्रति, अपनी तरफ से सम्मान प्रकट करूँ। सीमाप्रान्त में तो कुछ समय के लिए मैं जा ही नहीं सकता था, क्योंकि भारत-सरकार यह पसन्द नहीं करती थी कि कोई प्रमुख काँग्रेसी वहाँ जाय, और उसके इस रुख को देखते हुए हम वहाँ जाने और अडचन पैदा करने की कोई इच्छा नहीं रखते थे।

वगाल में स्थिति विगडती जा रही थी, और हालाँकि उस प्रान्त की तरफ मुझे बहुत आकर्षण था, फिर भी जाने के पहले मुझे बड़ी हिष्कि-चाहट हुई। मैं अनुभव करता था कि मैं वहाँ असहाय-सा रहूँगा, और कुछ भी फायदा न पहुँचा सकूँगा। उस प्रान्त में काँग्रेसी लोगो के दो दलों के शोचनीय और लम्बे झगडों के सबब से बाहरी काँग्रेसवाले बहुत असें से डर गये थे, और दूर-दूर रह रहे थे, क्योंकि उन्हें भय था कि वे भी किसी-न-किसी दल में शामिल समझ लिये जायेंगे। यह बड़ी कमबोोर और चिमगादड़ी नीति थी, और इससे वगाल की समस्या के सरल होने या हल होने में मदद नहीं मिली। गाधीजी के लडन जाने के कुछ वक्त बाद ही दो घटनायें अचानक ऐसी हुईं जिनसे सारे हिन्दुस्तान

का ध्यान बंगाल की स्थिति पर केन्द्रित हो गया। वे दोनों घटनायें दिल्ली और चटगाँव में हुई थीं।

दिल्ली नज़रबन्दों के लिए खास तौरपर बनाया हुआ एक डिप्टी कमिश्नर बना था। सरकारी तौर पर यह घोषित किया गया कि कैद के अन्दर एक दगा हो गया और नज़रबन्दों ने जेल के अधिकारियों पर हमला कर दिया, इसलिए उनपर मजबूरन जेलवालों को गोली चलानी पड़ी थी। इस गोलीकाण्ड में एक नज़रबन्द मारा गया और कई घायल हुए। आनीस सरकार द्वारा की गई जांच में जो उसके बाद ही फौरन हुई थी, जेलवालों को इस गोलीकाण्ड और इसके नतीजों से बिल्कुल ठरी कर दिया। मगर इन घटना में कई विचित्र बातें हुईं, और कई तथ्य ऐसे प्रकट हो गये, जो सरकारी दयान से मेल नहीं खाते थे, और तगह-जगह से इसकी ज्यादा जांच करने की जोरदार और खबरदस्त माँग की गई। हिन्दुस्तान के आम सरकारी रिवाज के खिलाफ बंगाल-सरकार ने एक ऐसी जांच-कमिटी नियत की, जिसमें सब ऊँचे-ऊँचे जुडीमियल अफसर ही थे। वह शुद्ध सरकारी कमिटी थी, लेकिन उसने शहादत ली और मामले पर पूरा विचार किया, और उसकी रिपोर्ट नज़रबन्दी जेल के मुलाजिमों के खिलाफ हुई। यह तसलीम किया गया कि डूमूर ज्यादातर जेल के अधिकारियों का ही था, और गोलीकाण्ड बिल्कुल अनुचित था। इस तरह सरकार की जो पहले विनियमाँ (कम्प्युनिक) निकली थी वे बिल्कुल सही साबित हुईं।

दिल्ली की घटना जोई बहुत असाधारण घटना नहीं थी। बद-कित्ती ने ऐसी घटनायें हिन्दुस्तान में कम नहीं होतीं और जेल के अन्दर दंगों के होने की और जेल में हथियार-बन्द बांडरो और दूसरे लोगों द्वारा निहत्थे और बेबस क्रैदियों के बहादुरी से दबाये जाने की खबरें अन्तर पटने को मिला करती हैं। दिल्ली में असाधारण बात

यही हुई कि उससे ऐसी घटनाओं के बारे में सरकारी कम्यूनिको के विलकुल एकतर्फीपन और झूठेपन की पोल खुल गई, और वह भी सरकारी रिपोर्ट से ही। पहले ही सरकार के कम्यूनिको का कोई भरोसा नहीं किया जाता था, भगर अब तो उनका पूरा-पूरा भण्डाफोड ही हो गया।

हिजली-काण्ड के बाद तो जेल की घटनाये, जिनमें जेलवालों द्वारा कही गली चलाई जाती थी और कही दूसरे प्रकार का कोई बल-प्रयोग किया जाता था, सारे हिन्दुस्तान-भर में बड़ी तादाद में होने लगी। अचरज की बात यह है कि इन जेल के दगों में चोट सिर्फ कैदियों को ही लगती मालूम होती थी। करीब-करीब हर मामले में एक सरकारी वक्तव्य निकलता था, जिसमें कैदियों पर कई बेजा हरकतों का इलजाम लगाया जाता था, और जेल के अधिकारियों को बचाया जाता था। बहुत ही कम उदाहरण ऐसे होंगे जिनमें जेलवालों को महकमे की तरफ से कोई सजा दी गई होगी। पूरी जाँच करने की तमाम भाँगों के लिए विलकुल इन्कार कर दिया गया, सिर्फ महकमे की एक तरफ की जाँच ही काफी समझी गई। साफ़ ज़ाहिर था कि सरकार ने हिजली से अच्छी तरह सबक सीख लिया था कि उचित और निष्पक्ष जाँच कराने में खतरा रहता है और दोष देनेवाला ही खुद अपने इलजाम का सबसे अच्छा जज होता है। तो फिर इसमें भी क्या ताज्जुब है कि लोगो ने भी हिजली से सबक सीख लिया हो, कि सरकारी कम्यूनिको में बड़ी बात कही जाती है जो सरकार हमसे कहना चाहती है, न कि वह जो दरजसल हुई होती है ?

चटगाँव की घटना तो इससे भी बहुत ज्यादा गम्भीर थी। एक आतकवादी ने किसी एक मुसलमान पुलिस-इन्स्पेक्टर को गोली से मार डाला। इसके बाद ही एक हिंदू-मुस्लिम दगा हो गया, या उने ऐसा नाम

दिना पत्नी । मगर यह तो जाहिर था कि मजल्ला इसमें कुछ बहुत ज्यादा था और वह मामूली बातों में कुछ भिन्न था । यह साफ था कि आतंकवादियों के काम का मान्प्रदायिकता में कोई मजबूत न था; वह हमला तो हिन्दू या मुसलमान का खतना न करने हुए एक पृथिव्य अफ़सर पर हुआ था । फिर भी यह तो सही ही है कि बाद में हिन्दू-मुसलमानों में कुछ झगडा भी बोगना । यह झगडा क्यों शुरू हुआ, उसके होने का कारण ज्ञान-मया था यह साफ नहीं बताया गया, हालाँकि ज़िम्मेदार सार्वजनिक व्यक्तियों के इस मामले में बहुत बर्गान डलझाम लगाये हैं । इस दंगे की एक और विशेषता यह थी कि इसमें दूसरी जानियों के निश्चिन्त नमुदाबों ने, एंग्लो-इण्डियनों ने, खानकर रेल्वे के मुलाजिमों ने और दूसरे सरकारी मुनासिबों ने भी, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने बड़े पैमाने पर बदला लेने के कार्य किये—हिस्सा लिया । जे० एम० मेनगुण और बगाल के दूसरे मनहूर नेताओं ने चटगाव की घटनाओं के सम्बन्ध में कई निश्चिन्त आरोप लगाये, और उन्होंने जाँच करने या मानहानि का मुक़दमा खताने तक की चूर्नाती दी, मगर फिर भी सरकार ने कोई कार्रवाई न करना ही नुनामिद नम्ना ।

चटगाव की इन कुछ अनाचारण घटनाओं ने दो खतरनाक संभावनाओं की तरफ विशेष ध्यान गया । आतंकवाद की कई दृष्टियों ने निदा की गई थी और लावुनिक आत्तिकारी पद्धति भी उसका बुरा बताती थी । मगर उनका एक फल ऐसा भी हो सकता था जिसने मुझे खानकर नय ग्यता था । वह संभावना थी हिन्दुमान में इक्के-दुक्के और मान्प्रदायिक हिमा-काण्डों का फैलाना । हालाँकि मैं हिमा-काण्डों को ना-पसन्द करता हूँ लेकिन मैं उनमें डर जानेवाला 'डरमोक हिन्दू' नहीं हूँ । मगर मैं यह डर महसूस करता हूँ कि हिन्दुमान में फूट फैलनेवाली ताड़नें जमीतक भी बहुत बड़ी-बड़ी हैं, और अगर ऐसे इक्के-दुक्के

हिंसा-काण्ड होने लगेगे तो उनसे उन ताकतो को मदद मिल जायगी, और एक सयुक्त और अनुशासन-वद्ध राष्ट्र बनाने का काम आज से भी ज्यादा मुश्किल हो जायगा। जब लोग मजहब के नाम पर या बहिश्त (स्वर्ग) जाने के लिए कत्ल करते हैं, तो ऐसे लोगो को आतंककारी हिंसा का अभ्यास करा देना बड़ी खतरनाक बात होगी। राजनैतिक खून करना बुरा है। लेकिन राजनैतिक आतंकवादी को समझाकर अपनी राय का बना लिया जा सकता है, क्योंकि शायद उसका लक्ष्य सांसारिक है, और व्यक्तिगत नहीं बल्कि राष्ट्रीय है। मगर मजहबी (धर्म के नाम पर) खून करना तो और भी बुरा है, क्योंकि उसका सम्बन्ध इस लोक से नहीं, परलोक में सद्गति पाने से है, और ऐसे मामलो में दलील से समझाने की भी कोई कोशिश नहीं कर सकता। कभी-कभी तो दोनों के बीच में फर्क बहुत ही बारीक रहता है और करीब-करीब मिट-सा जाता है, और राजनैतिक हत्या, एक आध्यात्मिक प्रक्रिया से, आधी-धार्मिक बन जाती है।

घटनाओं में एक आतंकवादी द्वारा एक पुलिस-अफसर की हत्या किये जाने और उसके नतीजो से हरेक को बहुत साफ-साफ यह अनुभव होने लगा कि आतंककारी हलचल से बड़ी खतरनाक बातें पैदा हो सकती हैं और हिन्दुस्तान की एकता और आजादी के काम को बेहद नुकसान पहुँच सकता है। इसके बाद जो बदला लेने की घटनायें हुईं उनसे भी हमें मालूम हुआ कि हिन्दुस्तान में फेसिस्ट तरीके पैदा हो चुके हैं। तब से ऐसी बदला लेने की घटनायें, खासकर वगाल में, बहुत हुई हैं और यह फेसिस्ट मनोवृत्ति यूरोपियन और एंग्लो-इंडियन जातियो में तो निःसंदेह फैल चुकी है। हिन्दुस्तान में ब्रिटिश साम्राज्यवाद के कई पिछलग्गुओ में भी यह मनोवृत्ति घर कर चुकी है।

यह एक विचित्र बात है, लेकिन खुद आतंककारियो का या उनमें से

कई लोगों का भी यही फेसिस्ट दृष्टिकोण है, लेकिन उसकी दिशा दूसरी है। उनका राष्ट्रीय फासिस्ट-वाद यूरोपियनो, एंग्लो-इण्डियनो और कुछ उंची श्रेणीवाले हिन्दुस्तानियों के साम्राज्यवादी फेसिस्टवाद का जवाब है।

नवम्बर १९३१ में मैं कुछ दिनों के लिए कलकत्ता गया। वहाँ मेरा सम्बन्ध बहुत भरा-पूरा रहा, और प्रकृति पर व्यक्तियों और समुदायों में मिलने के अलावा मैंने कई सार्वजनिक सभाओं में भाषण भी दिये। इन सब सभाओं में मैंने आतंकवाद के प्रश्न पर भी चर्चा की और यह बताने की कोशिश की कि हिन्दुस्तान की आजादी के लिए वह कितना गलत बेकार और हानिकारक है। मैंने आतंकवादियों को बुरा नहीं कहा, न मैंने हमारे कुछ ऐसे देशवासियों की तरह उन्हें 'कायर' ही कहा, जिन्होंने सायद ही कभी पराक्रम या खतरे का कोई काम करने का साहस किया हो। मुझे हमेशा यह बड़ी बेवकूफी की बात मालूम हुई है कि ऐसे स्त्री या पुत्र्य बौ, जो कि लगातार अपनी जान को हथेली पर लिये रहता है, 'सायर' कहा जाय। और इसका अमर उस आदमी पर यह होता है कि यह अपने डरतीक समालोचकों से, जो दूर खड़े रहकर ही चिल्लाते हैं त्रेकिन पर कुछ भी नहीं सकते, कुछ ज्यादा तिरस्कार करने लगता है।

जाने से रताना होने के लिए स्पेशल पर जाने से थोड़ी देर पहले पट्टा नाम को मेरे पास दो युवक आये। वे बहुत ही कम उम्र के, शरीर तीव्र-जीव माल के, नौजवान थे। उनके चेहरे फीके थे और उन-पर पञ्जाब शब्द ही थी। उनकी आँखें चमकदार थी। मुझे मालूम नहीं था कि वे पौन हैं, त्रेकिन में अट्टाल ने ममन गया कि उनका नाम नारायण है। वे मेरे आतंकवादी शिष्या के विरुद्ध प्रचार करने के कारण मारवाये गये हैं। उन्होंने कहा कि हमने नवयुवकों पर बहुत बुरा

अनर पड रहा है, और डम तरह मेरा हस्तक्षेप करना वे पसन्द नहीं करते हैं। हमने थोड़ी-सी बहस भी की, लेकिन वह बड़ी जल्दी-जल्दी में हुई, क्योंकि मेरे रवाना होने का समय पास था रहा था। मेरा खयाल है कि उस समय हमारी आवाज और हमारा मिजान तेज हो गया था, और मैंने उनसे कुछ कड़ी बातें भी कह दी थी, और जब मैं उन्हें वहीं छोड़कर चलने लगा, तो उन्होंने मुझे अन्तिम चेतावनी दी कि "अगर बागो भी थापका यही रख रहा तो हम आपके साथ भी वहीं बर्ताव करेंगे जैसा कि हमने दूसरो के साथ किया है।"

मैं कलकत्ते से चल तो दिया, मगर रात को गाड़ी में अपने बर्थ पर लेटे हुए, मेरे दिमाग में उन्हीं दोनों लड़कों के उत्तेजित चेहरे बहुत देर तक चक्कर काटते रहे। उनमें जीवन और जोग भरा हुआ था; अगर वे ठीक रास्ते पर लग जाते तो किनने अच्छे बन सकते थे। मुझे दुःख हुआ कि मैंने उनके साथ जल्दी-जल्दी में और कुछ रुखा व्यवहार किया था। काश मुझे लम्बी बात-चीत करने का मौका मिलता। थापद में उन्हें हमरी दिमागो में हिन्दुस्तान की सेवा और आजादी के रास्ते में, जिसमें कि साहस और आत्मत्याग के मौकों की भी कमी न थी, अपने होनहार जीवन को लगाने की बात समझा सकता। उस घटना के बाद भी मैं अनसर उन लोगों का विचार दिया करता हूँ। मुझे उनके नाम मालूम न हो सके, और न उनका मुझे बाद में भी कुछ पता लगा। मैं कई बार सोचता हूँ कि न जाने वे मर चुके हैं, या अण्डमान के टापुओं को किन्हीं कोठरियों में बन्द हैं !

दिसम्बर का महीना था। इलाहाबाद में हमरी किमान-कान्फेन्स हुई, और फिर मैं हिन्दुस्तानी-सेवा-दल के अपने पुगने नाथी ऑक्टर एन० एम० हार्डिंकर को दिये अपने पिछले वादे को पूरा करने के लिए जल्दी में कर्नाटक गया। सेवा-दल राष्ट्रीय आन्दोलन का एक स्वयमेवक

का। वह हमेशा कार्यक्रम का सहायक रहा, यद्यपि उसका सगठन निरन्तर चलता रहा। लेकिन १९३१ का गणितों में कार्य-समिति ने उसे निरन्तर गणित में शामिल करने और उसे कांग्रेस का ही स्वयंसेवक-निष्ठा बना लेने का निश्चय कर लिया। ऐसा ही भी गया, और वह विभाग हार्डीकर को और मुझे जग गया। दल का हेडक्वार्टर बनारस प्रदेश के दृवली शहर में ही रहा, और हार्डीकर ने मुझे दल-गणितों की समारोहों के लिए वहाँ बुलाया था। फिर वह मुझे कुछ दिनों के लिए कर्नाटक में दौरा करने को ले गये। वहाँ सब जगह लोगों में उत्साह का भाव उत्पन्न हो रहा था। वहाँ से लौटते हुए मैं शोलापुर भी गया जिनका नाम फौजी कालून (मार्शल लॉ) के दिनों में महादूर हो चुका था।

कर्नाटक के उम दौरे ने मेरे लिए विदाई के समारोह का रूप धारण कर लिया। मेरे भाषण विदाई के गीत जैसे थे, लेकिन उनमें संगीत की अनिश्चितता नहीं थी। युवाप्रान्त ने जो खबर मिली वह निश्चित और स्पष्ट थी। सरकार ने वार कर दिया था, और सत्तवार किया था। युवाप्रान्त ने कर्नाटक जाने हुए मैं कमला के साथ बम्बई गया था। वह निश्चय ही हो गई थी। मैंने बम्बई में उसके इलाज की व्यवस्था कराई। बम्बई में ही और लगभग हमारे इलाहाबाद ने वहाँ पहुँचने के बाद ही, हमें यह पता लगा कि भारत-सरकार ने युवाप्रान्त के लिए एक नया 'प्रोविन्स' निरस्त दिया है। सरकार ने निश्चय कर लिया था कि वह राष्ट्रीय के जाने की बात न देना, हालाँकि गांधीजी जहाँ तक यह शर्त है, जो कर्नाटक की बम्बई जा जानेवाले थे। कहने को तो यह निश्चय ही निरस्त किया जाने के बाद ही लिए निकाला गया था, लेकिन यह युवाप्रान्त के लिए ठीक और दूरगामी था कि उनमें हर प्रकार की शर्तों का मार्गदर्शन प्रदान सम्भव हो गई। उनमें बम्बई या

नावान्त्रिगो के अपराधो के लिए माता-पिताओ या सरखको को सजा देने का विधान भी किया गया । यह इजील की प्राचीन प्रथा की ठीक उलटी आवृत्ति था ।'

लगभग इन्ही दिनों हमने गांधीजी की उस बातचीत की खबर पढ़ी, जो रोम में 'ग्योरनेल दि इटैलिया' के प्रतिनिधि से हुई बताई गई थी । इसे पढ़कर हम अचम्भे में पड़ गये, क्योंकि इस तरह रोम में राह चलते 'इंटरव्यू' दे देना उनकी आदत के खिलाफ था । ज्यादा गौर से जाँच करने पर कई शब्द और वाक्य ऐसे मिले जो उनके प्रयोग में नहीं आते थे, और उसका खण्डन आने से पहले ही हमें साफ तौर में मालूम हो गया था कि जिस तरह की 'इंटरव्यू' प्रकाशित हुई है वह उनकी दी हुई नहीं हो सकती । हमारा खयाल हुआ कि उन्होंने जो कुछ भी कहा होगा, उसको बहुत ज्यादा तोड़-मरोड़ कर बनाया गया है । बाद में तो गाँधीजी का जोरदार खण्डन भी निकला, और यह बक्तव्य भी निकला कि उन्होंने रोम में कोई इंटरव्यू ही नहीं दी । हमें तो स्पष्ट मालूम था ही कि किसीने उनके साथ यह चालाकी की है । मगर हमें आश्चर्य इस बात से हुआ कि ब्रिटिश अखबारों और सार्वजनिक लोगों ने उनकी बात पर विश्वास नहीं किया और तिरस्कार के साथ उन्हें झूठा बतलाया । इससे हमें चोट पहुँची और गुस्सा भी आया ।

१ यहाँ थोड़ा भ्रम है । बाइबिल (इजील) में एक जगह पैगम्बर मूसा ईश्वर के दस आदेश (Ten Commandments) गिनाते हैं, जिसमें एक जगह पर वह कहते हैं—“होशियार ! तुम घुरे देवों को मत पूजना, क्योंकि ईश्वर तो ईर्ष्यालुदेव है, दूसरे देवताओं की पूजा सहन नहीं कर सकता । माता-पिताओ के पापों के फल तीसरी-चौथी पीढ़ी तक उनकी सन्तानों को भोगने पड़ते हैं (इयूटे पृ० ९)”—इसकी उलटी आवृत्ति अर्थात् सन्तानों के कुकर्म के फल माता पिता भोगें । —अनु०

मैं इलाहाबाद वापस जाने और कर्नाटक का दौरा बन्द कर देने को उत्सुक था। मुझे लगा कि मुझे तो अतने नदों में अपने मायियों के नाव रहना चाहिए, और अब अपने घर-आँगन में अपनी घटनायें हो रही हों, नदों उनसे बहुत दूर रहना मेरे लिए एक अच्छे ज्योटी ही थी। फिर भी मैंने निश्चय किया कि मैं कर्नाटक के जर्जर को पूरा ही कर दूँ। मेरे बम्बई जाने पर कुछ मित्रों ने मुझे मलाह दी कि मैं गांधीजी की वापसी का उद्देश्य है। वे एक ही मलाह बाद जानेवाले थे। अगर यह सम्भव था। इलाहाबाद से पुरुषोत्तमदास टण्डन और हमारे लोगों को गिरफ्तारों का खतरा था। इनके बलावा हमारी प्रांतीय कांग्रेस भी इटावा में उनी हफ्तों में होनेवाली थी। इसलिए मैंने तय किया कि मैं पहले इलाहाबाद जाऊँ और फिर एक हफ्ते बाद, अगर खुला रहा तो, गाँधीजी से मिलने और कार्य-समिति का बैठक में सम्मिलित होने को बम्बई जाऊँ। कमला को मैंने रोगशय्या पर बम्बई में ही छोड़ा।

मुझे इलाहाबाद पहुँचने में पहले ही, छिऊकी स्टेशन पर नये आर्डिनेन्स के अनुसार एक हुकम मिला। इलाहाबाद स्टेशन पर उनी हुकम की दूसरी नकल मुझे देने की कोशिश की गई। और, मेरे मकान पर भी एक तीसरे व्यक्ति ने ऐसा ही तीसरा प्रयत्न किया। चाहिए था कि सरदार कोई भी आख़्त सजना नहीं चाहती थी। उस हुकम के मुताबिक मैं इलाहाबाद की म्युनिसिपल हद के अन्दर नजरबन्द कर दिया गया और मुझे कहा गया कि मुझे किसी नार्बन्डनिक मन्ना या नमारोह में शामिल नहीं होना चाहिए, किसी मन्ना में मान्य न करना चाहिए। किसी अख़्तार, पत्रिका या पत्रों में कोई लेख नहीं लिखना चाहिए। और भी कई पाबन्दियाँ लगा दी गई थीं। मुझे मालूम हुआ कि मेरे मायियों के नाम भी, जिनमें समदुल्ला शेरवानी भी थे, इसी प्रकार के

हुकम जारी किये गये थे। दूसरे दिन मवेरें ही मंने जिला-मजिस्ट्रेट को (जिम्ने हुकम जारी किये थे) लिख दिया कि मुझे क्या करना चाहिए या क्या न करना चाहिए इसकी बानत में आपसे हुकम लेना नहीं चाहता; मैं अपना मामूली काम हम्बमामूल करूँगा, और अपने काम के मिलसिले में डम हफ्ते में मैं गांधीजी से मिलने और कार्य-समिति की, जिसका मैं मेन्टरी हूँ, बैठक में शरीक होने बम्बई जल्दी जाने वाला हूँ।

एक नई समस्या भी हमारे मामले खड़ी हो गई। हमारी युक्त-प्रान्तीय-कान्फ्रेंस उन्ही हफ्ते इटावे में होनेवाली थी। बम्बई से मैं इस कान्फ्रेंस को स्थगित करवाने की तजवीज पेश करने के इरादे से आया था, क्योंकि एक तो वह गांधीजी के आने के दिनों में ही होनेवाली थी, और दूसरे सरकार से अभी सघर्ष भी टालना था। लेकिन मेरे इलाहा-वाद आने से पहले ही यू० पी० सरकार की तरफ से हमारे प्रधान शेर-वानी साहब के पास एक ताकदी खत आया था, जिसमें पूछा गया था कि क्या आपकी कान्फ्रेंस में किसानों की समस्या पर भी विचार किया जायगा? क्योंकि अगर ऐसा होनेवाला हो, तो सरकार कान्फ्रेंस को ही बन्द कर देगी। यह तो साफ ब्वाहिर था कि कान्फ्रेंस का खास उद्देश ही किसानों की समस्या पर विचार करना था, जिससे कि सारे प्रान्त में खलवली मच रही थी। कान्फ्रेंस करना और उसमें इस मवाल पर गौर न करना तो मूर्खता की हद थी और अपने-आपकी हँसी कराना ही था। कुछ भी हो, हमारे प्रधान को या और किसी को भी यह ब्वाहियार न था कि वह कान्फ्रेंस को किसी बात के लिए पहले से ही वाँच दे। सरकार की बमकी के बिना भी हम कुछ लोगों का यह इरादा तो था ही कि कान्फ्रेंस स्थगित की जाय, मगर इस बमकी से तो बात ही और होगई। हमसे से कई लोग ऐसे मामलों में तो कुछ-कुछ आग्रही ही थे, और सरकार-द्वारा हमें ऐसा हुकम दिया जाना किसीको अच्छा न लगा।

फिर भी, बड़ी बहम के बाद, हमने तय कर लिया कि इस वक्त अपने स्वामिमान को पी जाना चाहिए और कान्फेन्स को स्वगित कर देना चाहिए। हमने यह फैसला इसलिए किया कि हम गांधीजी के भाने तक रुवाई को, जो शुरू तो ही चुकी थी, किनी भी हान्त में ज्यादा बढ़ाना नहीं चाहते थे। हम उन्हें ऐसी परिस्थिति के अन्दर नहीं डाल देना चाहते थे, जिनमें वह बागडोर अपने हाथ में न ले सके। हमारे प्रान्तीय कान्फेन्स को स्वगित कर देने पर भी इटावा में पुलिस और फौज का खूब प्रदर्शन किया गया, कुछ भूले-भटके प्रतिनिधि, जो वहाँ पहुँच गये थे, वे गिरफ्तार कर लिये गये, और वहाँ लगी स्वदेशी-प्रदर्शनी पर फौज ने क्रान्ता कर लिया।

शेरवानी ने और मैंने २६ दिसम्बर की सुबह को इलाहाबाद से बन्दई रवाना होना तय किया। शेरवानी को कार्य-समिति की मीटिंग में यू० पी० की स्थिति पर विचार करने के लिए खानतौर पर बुलावा दिया गया था। हम दोनों को ही आर्डिनेन्स के मुताबिक यह हुकम मिल चुके थे कि हम इलाहाबाद शहर न छोड़ें। कहा गया था कि आर्डिनेन्स यू० पी० के इलाहाबाद और दूसरे जिलों में लगानबन्दी की हलचलों के खिलाफ जारी किया गया है। यह मनसूना तो भरल था ही कि सरकार को हमारा इन देहाती हिस्सों में जाना बन्द करना ही चाहिए। मगर यह भी साफ था कि इन बन्दई शहर में जाकर किमानो का आन्दोलन नहीं चला सकते थे; और अगर वास्तव में आर्डिनेन्स किमानो की परिस्थिति का मुकाबिला करने के लिए ही जारी किया गया था, तो उसे हमारे प्रान्त ने दूर चले जाने का तो स्वागत ही करना चाहिए। आर्डिनेन्स के जारी हो जाने के समय ने हमारी बाम नीति उससे बचते रहने की ही रही, और हम संघर्ष को टालने ही रहे हालाँकि बाब बाब लोगों ने हुकम-उठानी करदी थी। जहाँतक यू० पी० काँग्रेस का सम्बन्ध था, यह

वात साफ थी कि वह, कम-से-कम फिलहाल, सरकार से लडाई करने से बचना या उसे टालना चाहती थी। शेरवानी और मैं बम्बई जा रहे थे, जहाँकि गांधीजी और कार्य-समिति इन मामलो पर गौर करते, और यह किसीको मालूम नहीं था, और मुझे तो बिलकुल ही निश्चय नहीं था, कि उनके आखिरी फैसले क्या होते।

इन सब विचारो से मुझे खयाल होता था कि हमें बम्बई जाने दिया जायगा, और, कम-से-कम उस समय के लिए ही सही, हमारी शहर की नखरबन्दी के कानूनी आज्ञा-भंग को सरकार सह लेगी। लेकिन, मेरा दिल कुछ और ही कह रहा था।

ज्योही हम रेल में बैठे, हमने सबेरे के अलखवारो में नये सीमाप्रान्ती आर्डिनेन्स और अब्दुलगफफारखाँ तथा डाक्टर खानसाहब वगैरा की गिरफ्तारी का हाल पढा। बहुत जल्दी ही हमारी गाडी, बम्बई-मेल, रास्ते के एक छोटे-से स्टेशन इरादतगज पर, जहाँ आमतौर पर वह नहीं ठहरा करती थी, अचानक ठहर गई, और हमें गिरफ्तार करने को पुलिस अफसर आगये। रेलवे लाइन के पास ही एक 'ब्लैक मरिया' (जेल की मोटर) गाडी खडी थी, और कैदियो की इस लारी में मैं और शेरवानी दाखिल हुए। वह तेजी से चली और हम नैनी-जेल मे जा पहुँचे। वह 'वॉक्सिंग दिवस' का प्रात काल था और वह पुलिस-सुपरिण्टेण्डेण्ट, जो हमें गिरफ्तार करने आया था, अग्रेज था, वह दु खी और उदास दिखाई दिया। मुझे दु ख है कि हमने उसका किसमस त्प्रीहार बिगाड दिया था।

और इस तरह हम जेल में आ पहुँचे—

‘एक घड़ी भर अब तू सारा आल्हाद भुलाते
और, वेदना में ही अब तो कुछ काल बितादे।

१. शोबसपियर के अग्रेजी पद्य का भावानुवाद।

गिरफ्तारियाँ, आर्डिनेन्स और जन्तियाँ

हमारी गिरफ्तारी के दो दिन बाद ही गांधीजी बम्बई में उतरे, और तबों उन्हें यहाँ की नई और ताज़ी घटनाओं का हाल मालूम हुआ। उन्होंने लन्दन में ही बंगाल-आर्डिनेन्स की खबर सुन ली थी, और वह उनमें बहुत दुःखी हुए थे। अब उन्हें मालूम हुआ कि उनके लिए यू०पी० और सीमा-प्रान्तीय आर्डिनेन्सों के रूप में बड़े दिन की भेद तैयार थी, और सीमा-प्रान्त और यू० पी० में उनके कुछ सबसे घनिष्ठ साथी गिरफ्तार हो चुके थे। अब तो पाँसा पड़ चुका दीखता था, और शान्ति की सारी आशा मिट चुकी थी, फिर भी उन्होंने रास्ता ढूँढने की कोशिश की, और इसके लिए वाइसराय लार्ड विलिंगडन से मुलाकात चाही। उन्हें नई दिल्ली से बताया गया कि मुलाकात कुछ खास शर्तों पर ही हो सकेगी। वे शर्तें यह थीं कि वह बंगाल, गुजरात और सीमाप्रान्त की ताज़ी घटनाओं, और नये आर्डिनेन्सों और उनके मुताबिक हुई गिरफ्तारियों के बारे में बातचीत न करे। (यह बात मैं अपनी याद से लिख रहा हूँ, क्योंकि मेरे सामने वाइसराय के जवाब की नकल नहीं है) यह समझना मुश्किल है कि सरकार की निगाह में इन विषयों के अलावा जोकि देश में खलवली मचा रहे थे, और जिनपर बात करने का निषेध कर दिया गया था गांधीजी या काँग्रेस का कोई भी नेता और किस विषय पर बातचीत कर सकता था। अब यह बिलकुल साफ प्रकट हो गया कि भारत-सरकार ने काँग्रेस को कुचल डालने का निश्चय कर लिया है और वह उससे कोई नाता नहीं रखना चाहती थी। कार्य-समिति के पास नविनय आशा-मंग फिर चालू कर देने के सिवा और कोई रास्ता न

रहा। कार्य-समितिवालों को किसी भी समय अपने गिरफ्तार हो जाने की आशका हो गई थी, और वहाँ से विदा होने के पहले वे देश को आगे के लिए मार्ग-प्रदर्शन कर देना चाहते थे। इसी दृष्टि से आरज़ी तौर पर सविनय-भंग का प्रस्ताव पास किया गया, और गाँधीजी ने वाइसराय से मुलाकात करने की दुबारा कोशिश की। उन्होंने वाइसराय को बिना शर्त के मुलाकात देने के लिए तार दिया। सरकार का जवाब गाँधीजी और कांग्रेस के समापति^१ की गिरफ्तारी के रूप में मिला, और साथ ही वह डोरी भी हिला दी गई जिससे कि सारे देश में भयकर दमन का नाटक शुरू हो गया। यह तो स्पष्ट ही था, कि चाहे दूसरा कोई लड़ाई चाहता हो, या न चाहता हो, लेकिन सरकार तो लड़ाई के लिए वेचन थी और पहले ही खरूरत से ज्यादा तैयार बैठी थी।

नि सन्देह हम तो जेल में ही थे, और ये सारी खबरे हमारे पास गोलमोल और तितर-बितर होकर आईं। हमारा मुकदमा नये साल के लिए स्थगित कर दिया गया, इसलिए हमें हवालाती कैदी होने के कारण सजायापता कैदियों की अपेक्षा ज्यादा मुलाकाते करने का मौका मिला। हमने सुना कि वाइसराय को मुलाकात मजूर करनी चाहिए थी था नहीं इसपर अखबारों में बहुत वाद-विवाद चल रहा है, मानो इससे कोई बड़ा फर्क पढ़नेवाला था। यह मुलाकात का प्रश्न ही और सब बातों से बढ़ कर चर्चा का विषय हो रहा था। यह कहा गया कि अगर लार्ड अविन होते तो वह मुलाकात खरूर मजूर कर लेते, और अगर उनमें और गाँधीजी में मुलाकात हुई होती तो निश्चय ही सब कुछ ठीक हो जाता। मुझे अचरज हुआ कि परिस्थिति के बारे में हिन्दुस्तान के अखबार कितनी ज्यादा सरसरी निगाह से काम लेते हैं, और असलियत की ओर कैसे आँख उठाकर नहीं देखते हैं।

१ सरदार वल्लभभाई पटेल।

२००० में राष्ट्रीयता और विदेश के साम्राज्यवाद का, जिनमें सूक्ष्म विचार के अभाव में मालूम होगा कि कभी मेल नहीं हो सकता, अवश्यम्भावी संघर्ष किन्हीं व्यक्तियों की व्यक्तिगत इच्छाओं पर ही निर्भर है? क्या इतिहास को दो विरोधी शक्तियों का संघर्ष मीठी मुनकान और आपसी मिष्टान दिखाने-मात्र से हट सकता है? गांधीजी को एक खास दिशा में ही जाना पड़ा, इसलिए कि हिन्दुस्तान की राष्ट्रीयता अपने ही सिद्धान्तों का दानग बच्चे अपनी बाल्य-हत्या नहीं कर सकती थी, और न महत्त्वपूर्ण अन्तों में विदेशी फरमानों के सामने खुशी से झुक सकती थी। नया हिन्दुस्तान के ब्रिटिश वाइसराय को दूसरी ही विद्येप दिशा में जाना पड़ा, क्योंकि उन्हें इन राष्ट्रीयता का सामना करना था, और ब्रिटिश स्वार्थों की रक्षा करनी थी, और उस समय वाइसराय कोई भी हो इस दान में जग भी फर्क नहीं पड़ सकता था। लॉर्ड अर्बिन भी ठीक वही काम करने को लॉर्ड विलिंगडन ने किया, क्योंकि दोनों ही ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीति के अक्षर थे, और वे निश्चित दिशा में कुछ बहुत ही मामूली-सा फर्क कर सकते थे। वास्तव में, बाद में तो लॉर्ड अर्बिन ब्रिटिश-सामन-सत्त्व के सदस्य होगये और हिन्दुस्तान में जो-जो सरकारी कारवायों की गई उन सबमें उन्होंने पूरा-पूरा साथ दिया। हिन्दुस्तान में प्रचलित ब्रिटिश नीति के लिए किसी खास वाइसराय की तारीफ या बुराई करना मुझे तो बिल्कुल ही अनुचित दान मान्य होता है, और हमारे ऐसा करने की आवश्यकता का कारण निम्न यही हो सकता है कि या तो हम अपनी मवालों को नहीं समझते, या उन्हें जान-बूझकर डालना चाहते हैं।

४ जनवरी १९३० एक महत्त्वपूर्ण दिन था। उसने बातचीत और संघर्ष का जन्म कर दिया। उस दिन सबसे ही गांधीजी और कांग्रेस के अध्यक्ष बाल्कृष्ण कृष्ण गिरफ्तार कर लिये गये और बिना मुकदमा चलाये,

शाही कैदी बना लिये गए। चार नये आर्डिनेन्स जारी कर दिये गये जिसके द्वारा मजिस्ट्रेटों और पुलिस अफसरों को व्यापक-से व्यापक, अधिकार मिल गये। नागरिक स्वतन्त्रता की हस्ती मिट गई, और जन और धन दोनों पर ही अधिकारी चाहे जब कब्जा कर सकते थे। सारे देश पर मानो कब्जा कर लेने की हालत की घोषणा कर दी गई और इसको किस-किस पर और कितना कितना लागू किया जाय, यह मुकामी अफसरों की मर्जी पर छोड़ दिया गया।^१

४ जनवरी को ही नैनी-जेल में यू० पी० इमर्जेन्सी पावर्स आर्डिनेन्स के मुताबिक हमारा मुकदमा हुआ। शेरवानी को छ महीने की सख्त कैद और १५० रुपये जुमानी की सजा हुई; मुझे दो साल की सख्त कैद और ५० रुपये जुमानी (या बदले में छ महीने की कैद और) की सजा दी गई। दोनों के अपराध त्रिकुल एक-से थे। हम दोनों को इलाहाबाद शहर में नज़रबन्दी के एक-से हुकम दिये गये थे। हम दोनों ने ही बम्बई जाने की कोशिश करके उनका एक ही तरह से भग किया था। हम दोनों को एक ही धारा में गिरफ्तार किया गया, और दोनों का एक साथ ही मुकदमा चला। फिर भी हमारी सजाओं में बड़ा अंतर था। लेकिन एक फर्क जरूर हुआ था। मैंने जिला-मजिस्ट्रेट को लिखकर सूचना दी थी कि मैं हुकम की खिलाफ-बर्जी करके बम्बई जाना चाहता हूँ, शेरवानी ने ऐसा कोई बाकायदा नोटिस नहीं दिया था, लेकिन वह भी जाना चाहते हैं यह बात भी समान-रूप से सब जानते थे और अख-बारों में भी छपी थी। सजा सुनाने के बाद ही शेरवानी ने मजिस्ट्रेट से

१ भारत-मन्त्री सर सैम्युअल होर ने २४ मार्च १९३२ को कामन-सभा में कहा था कि, "मंजूर करता हूँ कि जिन आर्डिनेन्सों का हमने समर्थन कर दिया है वे बड़े व्यापक और सख्त हैं; वे हिन्दुस्तान के जीवन की लगभग हरेक प्रवृत्ति पर असर डालते हैं।"

थी, प्रत्येक बड़े प्रान्त के सैकड़ों नाम इनमें शामिल थे। सारे हिन्दुस्तान भर का जोड़ कई हज़ार तक पहुँच गया होगा। इन गैर-कानूनी घोषित सस्थाओं की यह सख्या ही मानो कांग्रेस और राष्ट्रीय आन्दोलन का महत्त्व और प्रभाव दिखाती थी।

बम्बई में कमला मेरी पत्नी सध्या पर बीमार पडी थी, और आन्दोलन में हिस्सा न ले सकने के कारण छटपटा रही थी। मेरी माँ और दोनों बहने जोशखरोश के साथ आन्दोलन में कूद पडी। मेरी दोनों बहनो को जल्दी ही एक एक साल की सज़ा मिल गई और वे जेल पहुँच गईं। नये आनेवालों के जरिये या हमें मिलनेवाले स्थानीय साप्ताहिक पत्र द्वारा हमें कुछ अनोखी खबरे मिल जाया करती थी। जो कुछ हो रहा था उसकी हम ज्यादातर कल्पना कर लिया करते थे, क्योंकि सब दूर सेन्सर की बडी सख्ती थी, और समाचार-पत्रो और समाचार-एजेन्सियो को भारी-भारी जुर्मानो का डर हमेशा बना रहता था। कुछ प्रान्तो में तो गिरफ्तारशुदा या सज़ायाव व्यक्ति का नाम लिख देना भी जुर्म था।

इस तरह हम नैनी-जेल में बाहर के झगडो से अलग पडे हुए, फिर भी उनमें सैकडो तरह से उलझे हुए, रह रहे थे। हमने अपने को कातने, पढने या दूसरे कामो में मशगूल कर रक्खा था, और कभी-कभी हम दूसरे मामलो पर भी बातचीत करते थे, लेकिन हम हमेशा यही सोचते रहते थे कि जेल की चहार-दीवारी के बाहर क्या हो रहा है। उसमें हम अलग भी थे और फिर भी उसमें शामिल थे। कभी-कभी तो किमी बात की उम्मीद करते-करते बहुत थक आते थे और कभी-कभी किमी काम के बिगड जाने पर गुस्सा आता था, और किमी कमजोरी या भटपन पर तबियत झुंझला उठती थी। लेकिन कभी-कभी हम अजीब ढंग में तटम्य-से हो जाते थे और सारे दृश्य को शान्ति और अनामकिन से देख मचने थे, और यह अनुभव करते थे कि जब बिनाल शक्तियाँ अपना काम

ब्रिटिश शासकों की छेड़छाड़

१९३२ के उन प्रारम्भिक महीनों में, और बातों के अलावा, खास बात यह हुई कि ब्रिटिश हाकिमों ने मारे खुशी के खूब हा-हा-हू-हू की। छोटे और बड़े सभी हाकिम चिल्ला-चिल्लाकर यह कहने लगे कि देखो, हम कितने भले और शान्ति-प्रिय हैं और कांग्रेसवाले कितने बुरे और झगडालू हैं। हम लोग लोकतन्त्र के हामी हैं जबकि कांग्रेस को डिक्टेटर-शिप भारती है। वह देखो कांग्रेस का समापति डिक्टेटर के नाम से पूकारा जाता है। एक घर्म-कार्य के लिए अपने इस जोश में ये हाकिम आर्डिनेन्सों, तमाम आज्ञादी के दमन, अखबारों और छापेखानों की मुंहबन्दी, बिना मुकदमा चलाये लोगों की जेल-बन्दी, जायदाद और रुपये को खूबी और रोज-ब-रोज होनेवाली बहुत-सी दूसरी अद्भुत चीजों-जैसी न-कुछ बातों को भूल गये थे। इसके अलावा वे, हिन्दुस्तान में ब्रिटिश राज का जो मूल स्वरूप है, उसको भी भूल गये। सरकार के वे मिनिस्टर, जो हमारे ही देश भाई थे, इस विषय पर बड़े धारा-प्रवाह व्याख्यान देने लगे, कि जेलों में बन्द कांग्रेसी किस तरह अपना मतलब गाँठ रहे हैं जबकि हम कुछ हज़ार रुपये महीनों की नगण्य भ्रष्टाचारी पर पब्लिक की भलाई में दिन-रात जुटे रहते हैं। छोटे-छोटे मजिस्ट्रेट हम लोगों को भारी-भारी सजायें तो देते ही थे, लेकिन सजा देते वक्त हमें उपदेश भी देते थे, और उन उपदेशों के साथ-साथ कभी-कभी वे कांग्रेस और कांग्रेस में काम करनेवाले लोगों को गालियाँ भी देते थे। भारत-मन्त्री के ऊँचे ओहदे की गम्भीर प्रतिष्ठावाले पद से सर सैम्युअल होर तक ने यह ऐलान किया कि, "हाँ, कुत्ते भीक रहे हैं, भगर हमारा हाथी चला जा रहा है।"

उम दमन वह यह भूल गये थे कि कुत्ते जेलों में बन्द थे, वहाँ से वे खानाना से भौंक नहीं सकते थे, और जो कुत्ते बाहर रह गये थे उनके नुह बिलकुल बन्द कर दिये गये थे ।

भयमे ज्यादा जबरज की बात तो यह थी कि कानपुर के हिन्दू-मुस्लिम दंगे का दोष कांग्रेस के भाये मढा जा रहा था । यह दंगा सच-मुच बहुत ही बीभत्स था, लेकिन उसकी बीभत्सता बार-बार जतलाई गई और बराबर ही यह बताया गया कि इसकी बीभत्सता के लिए कांग्रेस जिम्मेदार थी, जबकि असली बात जो हुई वह यह थी कि उस दंगे में कांग्रेस ने बही किया जो कि करना ठीक था । यहाँ तक कि कांग्रेस का एक सर्वश्रेष्ठ सेवक^१ उसमें होम होगया, जिसके बलिदान पर कानपुर के हर कौम और दल ने आँसू बहाकर शोक प्रकट किया । दंगों की खबर पाते ही कांग्रेस ने अपने कराची के अधिवेशन में फौरन ही एक जांच-कमिटी बिठा दी और इस कमिटी ने एक बहुत मुकम्मिल जांच की । कई महीने मेहनत करने के बाद कमिटी ने एक बड़ी रिपोर्ट छपाई । सरकार ने फौरन ही इस रिपोर्ट को ज्वल कर लिया । उसकी छपी हुई कापियाँ उठा ली गईं, और मेरी समझ में वे नष्ट कर डाली गईं । जांच के नतीजों को इस तरह दबा देने के बाद भी हमारे सरकारी आलोचक और वे अच्छवार जिनके मालिक अयेज हैं हर बार यह बात दुहराते नहीं सकते कि दंगा कांग्रेस की वजह से हुआ । इसमें कोई शक नहीं कि इस मामले में ही नहीं, दूसरे और मामलों में भी, अन्त में जीत सचाई की होंगी; लेकिन कभी-कभी झूठ बहुत दीर्घजीवी हो जाती है । एक कवि के शब्दों में —

“यह असत्य निश्चय ही जग में नष्ट एक दिन होगा,
पर तब तक वह बुरी तरह ने क्षत-विक्षत करदेगा ।

१ श्री गणेशाङ्कर विद्यार्थी ।

मन्य महान्, उमीकी जग में विजय अत में होगी,
पर उस क्षण तक उमे देगने वंठा कौन रहेगा ?”।

मेरा खयाल है कि हिस्ट्रीरिया जैसी युद्ध-मनोवृत्ति का यह प्रदर्शन विलकुल स्वाभाविक था और ऐसी हालत में कोई भी इस बात की उम्मीद नहीं कर सकता था कि सच्चाई में या मयम से काम लिया जायगा, केविन फिर भी ऐसा मालूम पड़ता था कि उसमें आघातीत झूठ और झूट में काम लिया गया। उसकी गहराई और झूठ को देखकर अचम्भा होता था। इससे हमें इस बात का पता चल जाता है कि हिन्दु-स्तान के शासक-दल की प्रवृत्ति कौसी थी और पिछले दिनों में वे अपने को किनना दबाये रखने थे। सम्भवत उनको यह गुस्सा हमारे किसी काम पर या हमारी किसी बात की वजह से नहीं आया, बल्कि इस विचार में आया कि अपने साम्राज्य से हाथ धो बैठने का उन्हें जो डर पहले था वह सच होता दीखता है। जिन शासकों को अपनी ताकत का भरोसा होता है वे इस तरह हिम्मत नहीं हारते। शासकों की इस मनो-वृत्ति में और उधर दूसरी तरफ की तस्वीर में ज़मीन आस्मान का फर्क था। क्योंकि कांग्रेस की तरफ विलकुल खामोशी छाई हुई थी। मगर यह खामोशी सयम की—स्वेच्छा-पूर्वक और गौरवपूर्ण सयम की—सूचक नहीं थी, बल्कि इसलिए थी कि कांग्रेसवाले जेलों में बन्द थे और बाकी के लोग डरे हुए थे तथा अखबारवालों को भी सर्व-व्यापी सेंसर का डर था। इसमें कोई शक नहीं कि अगर कांग्रेसवालों का मुँह इस तरह मज-बूरी से बन्द न होता तो वे भी मनमानी बकवास करते, बढा-चढाकर बातें कहते और गालियाँ देने में शासकों को मात करते। मगर, हाँ, कांग्रेसवालों के लिए भी एक रास्ता तो था। वह था गैर-कानूनी अख-बारों का, जो कई शहरों में समय-समय पर निकाले जाते थे।

१. अंग्रेजी पद्य का भावानुवाद।

हिन्दुस्तान में अयोग्यता के जो अन्तर्गत निरूपण हैं और जिनमें
 भी जो अयोग्यता के जो अन्तर्गत निरूपण हैं और जिनमें
 और उन्होंने ऐसे अन्तर्गत निरूपण में जो अयोग्यता के जो अन्तर्गत
 बहुत दिनों में उन दिनों में अन्तर्गत निरूपण में। या आमनीर पर उन्हें
 अपना बात कुछ समझ-बूझ करके कहना है, यद्यपि बहुत-से
 हिन्दुस्तानी उनके अवधारण के ग्राहक हैं। किन्तु जब जानूँ कि वस्तु या
 गन्तव्य यह सब समझ कर गया और हमें अन्तर्गत और हिन्दुस्तानी दोनों
 ही के मन को अन्तर्गत मिला गया। अब हिन्दुस्तान में अयोग्यता के अन्तर्गत
 बहुत कम-से कम हैं वे एक-एक करते बन्द हो गये हैं, लेकिन जो
 बाकी बचे हैं, उनमें कई ऊँचे दरजे के हैं—उच्चरों के लिहाज से भी
 और आचार-प्रचार की मुद्रणा के लिहाज से भी। विद्वत्-समन्वयों
 पर उनके जो अन्तर्गत होते हैं, यद्यपि वे हमेशा अनुदार लोगों के
 दृष्टिकोण में लिखे जाते हैं, फिर भी, उनमें लिखनेवालों की योग्यता
 झलकती है, तथा इस बात का पता चलता है कि उन्हें अपने विषय का
 ज्ञान है और उसपर पूरा अधिकार है। इसमें कोई शक नहीं कि
 अन्तर्गतों की दृष्टि से मनबत वे सबसे अच्छे हैं, लेकिन हिन्दुस्तान के
 राजनीतिक मामलों में वे अपने पद से गिर जाते हैं। उनके एकपक्षी
 विचारों को देखकर ताज्जुब होता है, और जब कभी कोई आन-दान का
 मौका आता है तब तो उनकी वह हिमायत प्रायः बकवास और गैबालूपन
 का रूप धारण कर लेती है। वे सच्चाई के साथ भारत-सरकार की
 राम को प्रकट करते हैं और इस सरकार के हक में वे लगातार जो
 प्रचार करते हैं, उसमें अपनी बात किसी पर खबरदस्ती न धोपने का गुण
 नहीं होता।

इन कुछ गिने-बुने अयोग्यता के अन्तर्गतों के मुकाबिले में हिन्दुस्तानी
 अन्तर्गत नीचे दरजे के हैं। उनके पास आर्थिक साधन बहुत कम होते

हैं और उनके मालिक उनकी तरक्की करने की बहुत कम कोशिश करते हैं। वे अपनी रोजमर्रा की जिन्दगी मुश्किल से चला पाते हैं और विचारे दुखी सम्पादकीय-विभाग को बड़ी मुमीवत का सामना करना पड़ता है। उनका आकार-प्रकार भद्दा है, उनमें छपनेवाले विज्ञापन अक्सर बहुत आपत्तिजनक होते हैं और क्या राजनीति और क्या सामान्य जीवन दोनों में वे बहुत बड़ी-बड़ी भावुकता का परिचय देते हैं। मैं समझता हूँ कि कुछ तो इसकी वजह यह है कि हम लोगों की जाति ही भावुकतामय है, और कुछ यह कि जिम भापा में (यानी अंग्रेजी में) वे निकलते हैं वह विदेशी भाषा है और उसमें सरलता से और नाथ ही खोर के साथ लिखना आसान नहीं है। लेकिन असली कारण तो यह है कि हम सब लोग कई किस्म के ऊँचे-नीचे विचारों से ग्रस्त हैं जो बहुत दिनों के दमन और गुलामी की वजह से पैदा हुए हैं, इसलिए इन भावों को बाहर निकालने की हमारी प्रत्येक विधि भावुकता में भरी हुई होती है।

अंग्रेजी में निकलनेवाले हिन्दुस्तानी मालिकों के अखबारों में जहाँ तक बहिरंग की सुन्दरता और समाचार-सम्पादन से सबब है, मदराम या 'हिन्दू' सम्भवतः सबसे अच्छा है। उसे पढ़कर मुझे हमेशा किमी अविवाहित बूढ़ा की याद आ जाती है, जो हमेशा मर्यादा और औचित्य को पसन्द करती हो और अगर उसके सामने बेअदबी का एक हल्का भी बह दिया जाय तो उसे बहुत बुरा मालूम होता हो। यह अखबार छासनी पर मध्यम श्रेणीवालों का अखबार है, जिनकी जिन्दगी चैन में गुजरती है। जिन्दगी के नकली या ऊपरी पहलुओं से जीवन के नदरों और उसकी अन्त-मुक्ती से, उसका कोई नाता नहीं। नरम-दिल के और भी अखबारों का स्टैंडर्ड यही अविवाहित बूढ़ाओं का-ना है। इस स्टैंडर्ड पर तो पहुँच जाते, लेकिन उनमें वह सूची नहीं आ पाती जो 'हिन्दू' में है। इसलिए वे हर लिहाज में बहुत नीरस हो जाते हैं।

यह साफ था कि सरकार ने वार करने की तैयारी बहुत पहले से कर रखी थी और वह यह चाहती थी कि शुरू ही में उसकी चोट जहाँ तक हो सके पूरी कसकर बैठे और उसे खानेवाला चक्कर खाकर गिर पड़े। १९३० में वह हमेशा इस कोशिश में रहती थी कि दिन-पर-दिन जो हालत बिगड़ती जा रही है उसे नये-नये आर्डिनेन्सों से सम्हाले। उन दिनों वार का सूत्रपात हमेशा कांग्रेस की तरफ से होता था; लेकिन १९३२ की पद्धति विलकुल दूसरी थी। १९३२ में सरकार ने सब तरफ में हमला करके लड़ाई शुरू की। अखिल-भारतीय और प्रान्तीय आर्डिनेन्सों के द्वारा हाकिमों को जितने अधिकार सोचे जा सकते थे सभी दे दिये गये। मन्थारों और कानूनी करार दे दी गई। इमारतों पर, जायदाद पर, सवारियों, मोटरों वगैरा पर और बैंकों में जमा रकमों पर कब्जा कर लिया गया। आम जलसों और जुलूसों की मनाही कर दी गई और अखबारों और छापेखानों पर पूरी तरह नियन्त्रण कर लिया गया। दूसरी तरफ, १९३० के विलकुल विरुद्ध, गांधीजी निश्चितरूप से यह चाहते थे कि उस वक्त सत्याग्रह न किया जाय। कार्य-समिति के ज्यादातर मेम्बरों की भी यही राय थी। उनमें से कुछ, जिनमें से मैं भी एक था, यह समझते थे कि हम कितना ही नापसन्द करे लेकिन लड़ाई हुए बिना न रहेगी और हमें उसके लिए तैयार रहना चाहिए। इसके अलावा मयूक्तप्रान्त में और सरहदों सूबे में जो तनातनी बढ़ रही थी उसमें लोगों का ध्यान भावी लड़ाई की तरफ लग रहा था। लेकिन कुल मिलाकर मध्यम श्रेणी के और पढ़े-लिखे लोग लड़ाई की बात नहीं सोच रहे थे, हाँकि वे लड़ाई की सम्भावना की पूर्ण अपेक्षा नहीं कर सकते थे। तिसी तरह ही, उन्हें यह उम्मीद थी कि गांधीजी के आने पर यह लड़ाई टल जायगी और जाहिर है कि इस मामले में उनकी लड़ाई से बचने की इच्छा ने ही उनके हृदयों में यह, आशा पैदा कर दी थी।

इस तरह १९३२ के शुरू में निश्चितरूप से पहला हमला सरकार की तरफ से होता था और कांग्रेस हमेशा अपना बचाव करने में लगी रहती थी। आर्डिनेन्सों को और सत्याग्रह-संग्राम को पैदा करनेवाली जो घटनायें अचानक हो गईं उनकी वजह से कई जगह के स्थानिक नेता तो भाँचक्रे रह गये। लेकिन ये सब बातें होते हुए भी कांग्रेस की पुकार का लोगो ने जो जवाब दिया वह ऐसा-वैसा नहीं था। सत्याग्रहियों की कमी नहीं रही। बल्कि सच बात ये यह है और मेरे ख्याल से इस बात में कोई शक नहीं हो सकता कि १९३२ में ब्रिटिश-सरकार को जो मुकाबिला किया गया वह १९३० में किये जानेवाले मुकाबिले से बहुत कड़ा और भारी था। यद्यपि १९३० में खासतौर पर बड़े-बड़े शहरों में धूम-धाम और शोरगुल ज्यादा थे परन्तु साथ ही यद्यपि १९३२ में लोगो ने सहन-शक्ति पहले से ज्यादा दिखाई और वे पूरी तरह शान्त रहे, किन्तु इन बातों के होते हुए भी स्फूर्ति की प्रारम्भिक लहर का जोर १९३० से बहुत कम था। ऐसा मालूम होता था मानो हम अनिच्छा से लड़ाई में शामिल हुए थे। १९३० में हमारी लड़ाई में हम एक तरह का गौरव अनुभव करते थे जो दो साल बाद अब कुछ-कुछ मुरझा गया था। सरकार ने उसके पास जितनी शक्ति थी सब लगाकर कांग्रेस का मुकाबिला किया। उन दिनों हिन्दुस्तान एक तरह से फौजी कानून के अधीन रहा और कांग्रेस असल में कमी भी पहला हमला न कर सकी, और न उसे काम करने की आजादी ही मिली। वह पहले ही प्रहार में वैहोग हो गई। उसके उन घनी-मानी हमदर्दों में से, जो पिछले दिनों में उनके खास मददगार रहे थे, बहुत से इस बार घबरा गये। उनमें उन माल पर आ बनी। यह बात साफ दीखती थी कि जो लोग सत्याग्रह-संग्राम में शामिल होंगे या और किसी तरह से उसकी मदद करेंगे, न सिर्फ उनकी आजादी ही छीन ली जा सकनी थी बल्कि नादर उनकी मारी

गान्धारी ने इतना बर ली जासकती थी। इस बात का हम लोगों पर घुनघान्त में तो कोई खास असर नहीं पड़ा। क्योंकि यहाँ तो काँच गरीबों ही की थी। लेकिन बन्दई जैसे बड़े गहरो ने इस बात का बड़ा भारी असर पड़ा। व्यापारियों के लिए तो इसका अर्थ था पूरा सदाभाव। देवेवर लोगों (जैसे बकालो-डाक्टरों) को भी उससे भारी नुकसान पहुँचता था। इसकी वजहों से—कमी-कमी तो वह घमकी पूरी करके भी दिखाई गई—गृह के अगोर श्रेणी के लोगों को लकवा-ना नार गल 'पीछे नुझे नाहूम हुआ कि एक दरपोक मालदार व्यापारी को पुलिस ने यह घमकी दी थी कि तुम्हें लम्बो ऊँद की सजा देने के साथ मुन पर पाँच लाख का जुर्माना किया जायगा। इस व्यापारी का राजनीति से कोई सम्बन्ध नहीं था, निवा इसके कि कमी-कमी राजनीतिक कामों के लिए चन्दा दे दिया करता था। ऐसी घमकियाँ एक आन बात हो गई थीं, और ये कौरी बातों की घमकियाँ ही न थीं; क्योंकि उन दिनों पुलिस सर्वशक्तिमती थी और लोगों को हर रोज इन घमकियों के पूरे होने के उदाहरण मिलते रहते थे।

मेरा विचार है कि किनी काँचों को इन बात का अधिकार नहीं है कि सरकार ने जो स रोजा अलिखार किया उसपर ऐतपक्ष करे—यद्यपि एक सालहो जाने अहिंसात्मक आन्दोलन का दमन करने के लिए सरकार ने जिस खोर-खबरदन्ती से काम लिया वह किसी भी शाइस्ता पैमाने से बहुत आपत्तिजनक थी। अगर इन लोग सीधी लड़ाई के अन्तिकारी साधनों से काम लेंगे हैं तो उन्हें हर तरह के विरोध के लिए तैयार रहना चाहिए, फिर चाहे हमारे साधन कितने भी अहिंसात्मक क्यों न हों? हम लोग अपने बैठक-खाने में बैठे-बैठे अन्ति का खेल नहीं खेल सकते, यद्यपि कुछ लोग इन दोनों का फायदा साप-नाय ही समझा चाहते हैं। अगर कोई अन्ति की ओर रुदन बढाना चाहते हैं, तो उन्हें

उनके पास जो कुछ है उस सबको खो बैठने के लिए तैयार रहना चाहिए। इसीलिए घन-दौलत और पैसेवाले अमीर लोगो में से तो बिरले ही क्रांतिकारी मिलेगे। हाँ, उन व्यक्तियों की बात दूसरी है जो व्यवहार-वचुर लोगो की दृष्टि में मूर्ख और अपनी जाति के घातक कहलाते हैं।

लेकिन आम लोगो के पास न तो मोटरे थी, न बैंको में उनका कोई हिस्सा था, न खर्च करने लायक जायदाद, और उन्ही लोगो पर-लडाई का असली बोझ था। इसलिए अवश्य ही उनके लिए सरकार ने दूसरे तरीके अख्तियार किये। सरकार ने चारो तरफ जिस बेरहमी से काम लिया उसका एक मज्जेदार नतीजा यह हुआ कि उन लोगो का दल उठ खड़ा हुआ जिनकी हाल ही में छपी एक किताब के अनुसार 'सरकार-पक्षी' (Governmentarians) के नाम से पुकारा जा सकता है। इन लोगो को यह तो पता नहीं था कि भविष्य में क्या होनेवाला है, इसलिए ये लोग कांग्रेस के आगे-बीछे चक्कर काटने लगे थे। लेकिन सरकार इस बात को बरदाश्त करने को तैयार न थी। वह निष्क्रिय राजभक्ति को काफी नहीं समझती थी। गदर के समय में मशहूर हुए फ्रेडरिक कूपर के शब्दों में शासक लोग, 'पूरी, क्रियाशील और प्रत्यक्ष जफादारी ने कम किसी बात को सह नहीं सकते। सरकार इतना नीचे उतरने को तैयार नहीं हो सकती थी कि वह अपनी रियाया के सद्भाव-भास पर कायम रहे।' अपने पुराने साथियो, ब्रिटिश-लिबरल (उदार) दल के उन नेताओं के विषय में, जो राष्ट्रीय सरकार में जा मिले थे, एक सभ्य पहले मिस्टर लॉयड जार्ज ने कहा था कि 'वे उन गिरगिटो के समूह हैं जो अपने देग-माल की अवस्था देखकर अपना रंग बदल लेते हैं।' हिन्दुस्तान की नई देशफालावस्था में न्यारे रगो के लिए गुंजाइश नहीं थी, इसलिए हमारे कुछ देग-भाई सरकार की पसन्द के अत्यन्त

चदलीले -ग में रगहर बाहर तिकड़े और दावते ग्यो नया गीत गाने हुए उन्होंने शासकों के प्रति अपना प्रेम और दावत दियाया । जो आहि-नेन्स जारी किये गये थे उनमें, तरह-तरह गी जो पावन्दिया, मनाहिया और रोके लगी हुई थी उनमें, और दिन-रात घरा में बाहर न निकलने के हुक्म जारी किये गये थे उनमें उन्हें उरन की कोई उरगन न थी, क्योंकि सरकार की ओर ने यह बात कह दी गई थी कि यह सब तो राजद्रोहियो और अ-राजभवनो ही के लिए हैं, राजभवनो के लिए उनमें उरने का कोई कारण नहीं है । इसीलिए जिस उर ने हमारे बहुत से देश-भाइयो को जकड रक्खा था वह उनके पास तक नहीं फटका और वे अपने चारो तरफ होनेवाले हलचल और कसमकस सघर्ष को समदृष्टि से देखते थे । पतिव्रता ग्वालिन (The Faithfull Shepherdess) नाम की कविता में शायद वे भी गलो ने सहमत होते, जब उसने यह कहा कि —

“भय क्यों हो, सर्वथा भुक्त हूँ मैं तो भय से,
बलात्कार क्यों, राजी हूँ जब स्वयं हृदय से ?”

न जाने कैसे सरकार को यह खयाल हो गया कि कांग्रेस जेलो को औरतो से भरकर अपनी लडाई में उनका लाभ उठाना चाहती है । क्योंकि कांग्रेसवाले समझते होंगे कि औरतो के साथ अच्छा बर्ताव किया जायगा या उनको थोड़ी सजा दी जायगी । यह धारणा बिल्कुल निराधार थी । ऐसा कौन है जो यह चाहता हो कि हमारे घर की औरतें जेलो में धकेली जायें ? मामूली तौर पर लडकियों और स्त्रियो ने हमारी लडाई में क्रियात्मक भाग अपने पिताओ और भाइयो या पतियो की इच्छा के विरुद्ध ही लिया, किसी भी हालत में उन्हें अपने घर के पुरुषो का पूरा सहयोग नहीं मिला । फिर भी सरकार ने यह तय किया कि लम्बी-

१. फलेचर कवि के एक 'प्रहसन' से ।

लम्बी सजाये देकर और जेलों में बुरा बर्ताव करके स्त्रियों को जेल जाने से रोका जाय। मेरी वहनो की गिरफ्तारी के बाद शीघ्र ही कुछ युवती लडकियाँ, जिनमें से अधिकांश पन्द्रह या सोलह वर्ष की थी, इलाहाबाद में इस बात पर गौर करने के लिए इकट्ठी हुई कि अब क्या करना चाहिए। उन्हें कोई अनुभव तो था नहीं। हाँ, उनमें जोश भरा हुआ था और वे यह सलाह लेना चाहती थी कि हम क्या करे। लेकिन जब वे एक प्राइवेट घर में बैठी हुई बातें कर रही थी, गिरफ्तार करली गईं और हरेक को दो-दो साल की सख्त कैद की सजा दी गई। यह तो उन बहुत-सी छोटी-छोटी घटनाओं में से एक थी जो उन दिनों आधे-दिन हिन्दुस्तान-भर में हो रही थी। जिन लडकियों व स्त्रियों को सजा मिली उनमें से ज्यादातर को ब्रह्म कठिनाई उठानी पड़ी। उन्हें मर्दों तक से भी ज्यादा तकलीफें भुगतनी पड़ी। यो मैंने ऐसी कई दुःखदाईं मिसालें सुनी, लेकिन मीरा वहन (मिस मेडलीन स्लेड) ने बम्बई की एक जेल में अपने तथा अपने साथी कैदी दूसरी सत्याग्रही स्त्रियों के साथ होनेवाले जिस व्यवहार का वर्णन किया वह उन सब को मात करने वाला था।

सयुक्तप्रान्त में हमारी लड़ाई का केन्द्र देहाती रकबो में ही रहा। किसानों के प्रतिनिधि की हैसियत से काँग्रेस ने जो लगातार जोर डाला उसकी वजह से सरकार ने काफी छूट देने का वादा किया लेकिन हम उसे भी काफी नहीं समझते थे। हमारी गिरफ्तारी के बाद फौरन ही और भी छूट का ऐलान किया गया। बिचित्र बात तो यह थी कि इस छूट का ऐलान पहले से नहीं किया गया, क्योंकि अगर यह पहले हो जाता तो हालत में काफी अन्तर पड़ जाता। हम लोगों के लिए यह मुश्किल हो जाता कि हम उसे यो ही ठुकरावे। लेकिन उस वक्त तो सरकार को यह चिन्ता थी कि इस छूट की नामवरी काँग्रेस को न मिलने पावे। इसलिए एक तरफ तो वह काँग्रेस को कुचलना चाहती थी और

दूमरी तरफ किसानो को जितनी छूट वह दे सकती थी उतनी देती थी कि जिससे वे चुपचाप अपने घर बैठे रहे। यह बात तो साफनौर पर दिखाई देती थी कि जहाँ-जहाँ कांग्रेस का जोर ज्यादा था वही-वही ज्यादा छूट मिली थी।

यद्यपि ये छूटे ऐसी-वैसी न थी, फिर भी उनसे किसानो की समस्या हल न हुई। हाँ, उनसे स्थिति बहुत-कुछ समल ज़रूर गई। इन छूटो ने किसानो को लड़ाई की तेजी कम करदी और हमारी व्यापक लड़ाई की दृष्टि से इन छूटो ने उम समय हमें कमजोर कर दिया। उस लड़ाई से युक्तप्रात में बीसियों हजार किसानो को दुख झेलने पडे। उनमें से कई तो उसकी वजह से बिलकुल बर्बाद हो गये। लेकिन उस लड़ाई के खोर से लाखो किसानो को मौजूदा प्रणाली में ज्यादा से-ज्यादा जितनी छूट संभव हो सकती थी करीब-करीब उतनी मिल गई और उस लड़ाई ने तरह-तरह की तंगियो से भी उनकी जान बचा दी। सत्याग्रह-संग्राम या उनके पुछल्लो की वजह से बहूतों को जो तकलीफ उठानी पडी वह अलग ही। किसानो को कमी-कमी जो ये थोड़े से फायदे होगये वे ऐसे कुछ हैं नहीं, लेकिन इम बात में कोई शक नहीं है कि वे जैसे कुछ थे प्राय उम लगातार कौशिल के फल थे जो युक्तप्रान्तीय कांग्रेस कमिटी ने किसानो की तरफ से की थी। और किसानो को उस लड़ाई से कुछ दिनों के लिए फायदा ही हुआ, लेकिन उनमें जो सबसे अधिक बहादुर थे, वे उम लड़ाई में काम आ गये।

दिसम्बर १९३१ में जब युक्तप्रांत का विधेय आर्डिनेंस जारी हुआ तब उसके साथ-साथ एक विवरणारत्मक बदनव्य निकाला गया था। इम बयान में और दूसरे आर्डिनेंसों के साथ-साथ जो बयान निकाले गये, उनमें बहुत सी असत्य और अर्ध-मत्य बातें भरती हुई थी, जो प्रचार के मतलब के लिए कही गई थी। यह सब शुरू-शुरू की हू-हा का हिस्सा

था और हमें उसका जवाब देने या उनकी स्पष्ट गलतियों के खंडन करने का कोई मौका नहीं मिला। शेरवानी के मृत्यु खासतौर पर एक झूठा दोष मढ़ने की कोशिश की गई थी। यह झूठ साफ-साफ चमकता था और शेरवानी ने गिरफ्तारी से कुछ ही पहले उसका खंडन कर दिया था। ये तरह-तरह के बयान और सरकार की सफाइयाँ बड़ी अजीब होती थीं। उनसे मालूम होता था कि सरकार कितनी बरती थी और कितनी हड़बड़ा गई थी। उस दिन जब मैं वह आज्ञापत्र पढ़ रहा था जो स्पेन के वीरवन चार्ल्स तृतीय ने अपने राज्य से जेसुइट्स को निकालते हुए जारी किया था, उसे पढ़ते-पढ़ते मुझे उन हुकमनामों और आर्डिनेंसों की तथा उन्हें निकालने के लिए दिये गये कारणों की याद आये बिना न रही जो ब्रिटिश सरकार ने हिन्दुस्तान में प्रकाशित किये। चार्ल्स का वह हुकमनामा फरवरी १७६७ को निकला था। बादशाह ने यह कहकर अपने हुकम को ठीक ठहराया था कि इसको निकालने के लिए हमारे पास 'अपनी प्रथा में अपना शासन, शांति और न्याय की रक्षा करने के लिए मेरा जो कर्तव्य है उससे सम्बन्ध रखनेवाले बहुत ही गम्भीर कारण हैं और इन कारणों को छोड़कर दूसरे बहुत जरूरी उचित और आवश्यक कारण भी हैं, जिन्हें मैं अपने दिल में सुरक्षित रख रहा हूँ।'

तो आर्डिनेन्स निकालने के जो असली कारण थे वे तो वाइसराय के दिल में था उनके सलाहकारों के साम्राज्यवादी दिलों में ही बन्द रहे, यद्यपि वे साफ-साफ दीख पड़ते थे। सरकार की तरफ से आर्डिनेन्सों को निकालने के लिए जो कारण बताये गये, उनसे हमें सरकारी प्रचार की उस विद्या को समझने का मौका मिला जिसे ब्रिटिश सरकार हिन्दुस्तान में पूर्णता पर पहुँचा रही थी। कुछ महीने बाद हमें यह भी मालूम हुआ कि कुछ अर्द्ध-सरकारी परचे व पम्फलेट हज़ारों की तादाद में सब भाँवों में बाँटे जा रहे हैं, और जिनमें गलत बातों की तादाद काफी

आञ्चयंजनक ऋ और जिनमें छामतौर पर यह बात भी कही गई थी कि किसानों को नाज की जिस मन्दी से नुकसान पहुँचा है, वह काँसेत ने ही कराई है। काँसेत की ताकत की इसमें ज्यादा तारीफ़ और क्या हो सकती है कि वह ससारव्यापी सकट पैदा कर सकती लेकिन यहाँ झूठ लगातार काफी होशियारी के साथ इस आशा से फैलाई गई कि उससे काँसेत की धाक को घटका लगेगा।

इन सब बातों के होने हुए भी युक्तप्रान्त के कुछ खास-खास जिलों के किसानों ने सत्याग्रह की लड़ाई में जो हिस्सा लिया था, वह प्रशंसनीय है। सत्याग्रह की यह लड़ाई लाञ्छिनीतौर पर उचित लगान और छूट की लड़ाई में मिल गई थी। इस लड़ाई में किसानों ने १९३० की लड़ाई से कहीं ज्यादा तादाद में और ज्यादा अनुशासन के साथ हिस्सा लिया। गुरु-शुरू में इस लड़ाई में कुछ विनोद भी हुआ। हम लोगों को एक मन्नेदार कहानी यह सुनाई गई कि पुलिस की एक पार्टी रायबरेली जिले के बाकुलिया गाँव में गई। वे लोग लगान बढ़ाने पर माल कुडक करने के लिए गये थे। इस गाँव के लोग दूसरे लोगों को देखते हुए कुछ खुशहाल और जीवट के आदमी थे। उन्होंने माल और पुलिस के अफसरों का खूब स्वागत-सत्कार किया और अपने-अपने घरों के किबाड़ खोलकर उनसे कहा कि चले जाइए और जो चाहे उठा लाइए। इन लोगों ने मवेशी चराना कुडक किये। इसके बाद गाँववालों ने पुलिस और मातृ-विभाग के हाकिमों को पान-नुषारी नजर की। वे बेचारे निहायत क्षमिन्दा होकर नीचे को निगाह डालकर वहाँ में चले गये। लेकिन यह तो एक बिरली और गैर-मामूली घटना थी। लेकिन बाद को फौरन ही यह चुहलवाची या उदारता या मनुष्योक्ति दया कही भी न दिखाई दी। चुहलवाची की बजह से बेचारा बाकुलिया गाँव डम सजा से नहीं बच सका जो उसे ऐना जीवट दिवाने के लिए मिली।

इन कई खास-खास जिलो मे कई महीनो तक किसानो ने लगान रोक रक्खा था। उसकी अदायगी गायद गरमी के धुरु में शुरू होने लगी। इसमें कोई शक नही कि बहुत से लोग गिरफ्तार किये गये लेकिन ये गिरफ्तारियाँ तो सरकार को अपनी कार्य-नीति के खिलाफ करनी पड़ी। साधारणतौर पर गिरफ्तारियाँ तो खास-खास कार्यकर्त्ताओ तथा गाँवो के नेताओ की ही की जाती थी। दूसरो को तो केवल मार-पीटकर छोड दिया जाता था। मारपीट की यह पद्धति जेल में ले जाने और गोली मारने से अच्छी पाई गई। क्योंकि लोगो को जब जी चाहे तभी मार पीटा जा सकता है और दूर देहात में होनेवाली मार-पीट की तरफ वहाँ से दूर के लोगो का ध्यान प्राय नही जाता है। इसके अलावा उससे कैदियो की तादाद भी नही बढती, जोकि वैसे ही बढती जाती थी। हाँ, वेदखलियाँ, कुडकियाँ और जानवर तथा जायदाद की नीलामियाँ बहुत हुईं। किसान तकलीफ से तडपते हुए यह देखते थे कि उनके पास जो कुछ थोडा-सा बचा-खुचा था वह भी उनसे छीनकर मिट्टी के भोल बेचा जा रहा है।

देगभर में जिन बहुत-सी इमारतो पर सरकार ने अपना कब्जा कर लिया था उनमे स्वराज-भवन भी था। स्वराज-भवन में काँग्रेस का जो अस्पताल काम कर रहा था उसका भी कीमती सामान और माल सरकार के कब्जे में ले लिया गया। कुछ दिनों तक तो अस्पताल बिल-कुल ही बन्द हो गया, लेकिन उसके बाद पडोस में एक पार्क की खुली जगह में ही दवाखाना खोल दिया गया। इसके बाद वह अस्पताल—या कहना चाहिए दवाखाना—स्वराज-भवन से लगे हुए एक छोटे-से मकान मे रक्खा गया और वही वह कोई टाई वरन तक चलता रहा।

हमारे रहने के घर 'आनन्द-भवन' की बावत भी कुछ बात चली

थी कि सरकार उसपर भी अपना कब्जा कर लेना चाहती है, क्योंकि मैंने इनकम-टैक्स की एक बड़ी बकाया रकम को अदा करने से इन्कार कर दिया था। यह टैक्स १९३० में पिताजी की आमदनी पर लगाया गया था और उन्होंने सत्याग्रह की लड़ाई की वजह से उस साल उसे जमा नहीं किया। दिल्ली पैक्ट के बाद १९३१ में उस टैक्स के बारे में इनकम-टैक्स के हाकिमों से मेरी बहस हुई लेकिन अन्त में मैं उसे देने को राजी हो गया और उसकी एक किस्त दे भी दी। ठीक इसी समय आर्डिनेंस जारी हुए और मैंने तय कर लिया कि अब मैं टैक्स नहीं दूंगा। मुझे अपने लिए यह बात बहुत ही बुरी, बुरी ही क्यों अनोखीपूर्ण थी, मालूम हुई कि मैं किसानों से तो यह कहूँ कि तुम लगान और माल-गुब्तारी देने से रुक जाओ और खुद अपना इनकम-टैक्स जमा करदूँ। इसलिए मैं यह आशा करता था कि सरकार हमारे मकान को कुडक कर लेगी। मुझे अपने मकान की कुडकी की बात बहुत ही बुरी लगती थी। क्योंकि उसका अर्थ यह होता कि मेरी माँ उनसे निकाल दी जाती और हमारी किताबें, कागजात तथा जानवर और बहुत-सी ऐसी वस्तुएँ जिनका, निजी उपयोग तथा ममत्व के कारण हमारी दृष्टि में महत्व था, पराये लोगों के हाथों में चली जाती और उनमें से कई तो कदाचित्त खो भी जातीं। हमारा राष्ट्रीय झण्डा उतार दिया जाना और उसकी जगह यूनियन जैक फहरा दिया जाता। इसके साथ ही, मकान को खो बैठने का विचार मुझे बहुत अच्छा भी मालूम होता था। क्योंकि मैं अनुभव करता था कि मेरा मकान कुडक हो जाने पर मैं उन किसानों के ज्यादा नबदीक आशाऊँगा, जो अपनी चीखें लो बैठे हैं और इससे उनके दिल भी बटेंगे। हमारे आन्दोलन की दृष्टि से तो सचमुच यह बात बहुत ही अच्छी होनी। लेकिन सरकार ने दूसरी ही बात तय की। उसने मकान पर हाथ नहीं डाला, शायद इसलिए कि उसे मेरी माँ का

खयाल था, या शायद इसलिए कि उसने ठीक-ठीक यह बात जानली कि मेरे मकान को कुहक करने से सत्याग्रह-आन्दोलन की तेजी बढ़ जायगी। कई महीनों बाद मेरे कुछ रेलवे के शोयरो (हिस्सो) का उसे पता लगा और इनकम-टैक्स वसूल करने के लिए उन्हें ज़ब्त कर लिया गया। सरकार ने मेरी और मेरी बहन की मोटर तो पहले ही कुहक करके बेच डाली थी।

इन शुरू के महीनों की एक बात से तो मुझे बहुत ज्यादा वेदना हुई। यह बात थी कई म्यूनिसिपैलिटियो और सार्वजनिक सस्थाओं-द्वारा हमारे राष्ट्रीय झंडे का उतार डालना, खासकर कलकत्ता कॉर्पोरेशन-द्वारा, जिसके मेम्बरो में काँग्रेसियो का बहुमत बताया जाता था। झंडे सरकार और पुलिस के दबाव से लाचार होकर उतारे गये थे, क्योंकि यह धमकी दी गई थी कि अगर वे न उतारे गये तो सरकार सख्ती से पेश आयगी। यह सख्ती सभवत म्यूनिसिपैलिटी को तोड़ने या उसके मेम्बरो को सजा देने के रूप में होती। जो सस्थायें स्थापित स्वार्थ रखती हैं वे अक्सर डरपोक होती हैं और शायद उनके लिए यह अनिवार्य था कि वे झंडे उतार डालती। फिर भी इस बात से बड़ा दुःख हुआ। हमारे लिए, वह झंडा जिन बातों को हम बहुत प्यार करते हैं उनका, प्रतीक हो गया था और उसकी छाया में हमने उसके गौरव की रक्षा करने की अनेक प्रतिज्ञायें ली थी। खुद अपने ही हाथों उसे उतार फेंकना या अपने हुकम से उसे उतरवाना सिर्फ अपनी प्रतिज्ञाओं का तोड़ना ही नहीं बल्कि एक दूषित कर्म-सा मान्य होता था। यह अपनी आत्मा को दबाकर अपने भीतर की सच्चाई की अवहेलना करना था— ज्यादा शारीरिक-बल के सामने झूठ को फुसूल करना था। और जो लोग इस तरह दब गये उन्होंने कीम की बहादुरी को बट्टा लगाया और उसकी दृज्यत को हल्का किया।

वह जान नहीं है कि हम उनसे यह उम्मीद करते थे कि वे वीरों की तरह काम करते और आग में कूद पड़ते। किसीको इसलिए दोष देना कि वह अगली पक्ति में नहीं है या जेल नहीं जाता या दूसरी तरह की तकलीफें या नुकसान नहीं सह सकता, गलत और व्यर्थ है। हरेक को बहुत ने कर्तव्य पूरे करने पड़ते हैं और कई प्रकार की जिम्मेदारियाँ उठानी पड़नी हैं। और दूसरो को इस बात का कोई हक नहीं है कि वे उनके जब बनकर बैठें। लेकिन पीछे घरों में बैठे रहना या काम न करना एक बात है और मन्चवाई से या जिसे हम सन्चवाई समझते हैं उसे न मानना बिल्कुल दूसरी बात है—और बहुत ही बुरी बात है। जब म्यूनिनिपैन्टी के मेम्बरों में कोई ऐसी बात करने के लिए कही गई जो राष्ट्रीय हितों के खिलाफ थी तब उनके लिए यह रास्ता खुला हुआ था कि वे अपनी मेम्बरी में इस्तीफा दे दें। मगर, इन लोगों ने तो मेम्बर बने रहना ही पसन्द किया। टॉमस मूर ने कहा है—

पुणामन पाकर मधु-मक्खी तज देनी गुञ्जन मुन्दर,
त्यो कौमिल-कुर्मी पाते ही चुप हो जाते हैं मेम्बर ।*

शापद उम काम के लिए किसीको आलोचना करना अन्याय है जो उन्होंने एन एमे आकस्मिक मन्ड में किया त्रिमने वे बुरी तरह दब गये थे। जैसा कि विद्वान समारोधापी युद्ध के बाद दिना चुका है, कनी-कनी वने-वने बगदुरी के भी छत्रे छूट जाने हैं। उमने भी पहले १९१२ में टार्टेनिन' जहाज मन्गनी जो नारी दुर्घटना हुई थी तबमें ऐम-ऐमे नामी आदमियों ने, जिनको धावन रनी भी यह ज्ञान नहीं

१ टॉमस मूर के अंग्रेजी पद्य का भाषानुवाद ।

२. बिनामन या एड स्ट्रीमर अपनी अमेरिका की पत्नी ही यात्रा में एड बर्गामों घटान में टक्कर टूट गया था—(१४ अगस्त १९१०)
और २००० यात्रियों में में क्षेत्र ७०६ बच पाये थे। —अनु०

किया जा सकता था कि वे कायर हैं, जहाज के कर्मचारियों को रिहवत देकर अपनी जान बचाई और दूसरे लोगों को डूबता छोड़ दिया। अभी हाल में मॉरो कंसिल जो आग लगी उससे बहुत ही शर्मनाक हालात भालूम हुए। कोई नहीं कह सकता कि ऐसा ही सकट आने पर जबकि सहज-स्फूर्ति बुद्धि और समय को दबा लेती है, तब वे खुद क्या करें? इसलिए हमें किसीको दोष नहीं देना चाहिए। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम इस बात पर गौर न करें कि हमने जो कुछ किया वह ठीक नहीं था और भविष्य में इस बात का खयाल रखें कि कौम की नैया का पतवार ऐसे लोगों के हाथ में न दिया जाय, जो ऐसे वक्त पर, जब सबसे ज्यादा धीरज की जरूरत होती है, कापने लगें और बेकार हो जायें। अगली इस असफलता को उचित ठहराने की कोशिश करना और उसे ठीक काम बताना तो और भी बुरा है। सचमुच यह तो इस असफलता से भी ज्यादा बड़ा अपराध है।

लडनेवाली ताकतो की हुरेक कश्मकश ज्यादातर दिलेरी और धीरज पर निर्भर होती है। खूनी-खूनी लडाईं भी इन्हीं दो गुणों पर अवलम्बित रहती है। मार्शल फोक ने कहा था—“अत में जाकर लडाईं वही जीतता है जो कभी प्रवडाता नहीं और हमेगा धीरज धरे रहता है।” अहिंसात्मक लडाईं में तो कर्तव्य पर डटे रहने और धीरज रखने की और भी ज्यादा जरूरत है। और जो कोई अपने आचरण से राष्ट्र के इस सत्व को नुकसान पहुंचाता है तथा उसका धीरज छुटाता है वह अपने उद्देश्य को मयकेंर हानि पहुंचाता है।

महीने बीतते गये, और हमें हर रोज कुछ अच्छी खबरें मिलनी गईं और कुछ बुरी। हम लोग अपनी-अपनी जेन्तों की अपनी नीरस और एतनी खिन्तगी के खाती हो गये। ६ अप्रैल मे १३ अप्रैल तक राष्ट्रीय सप्ताह आया। हम लोग यह जानने थे कि हम सप्ताह में बहुत ही नर-

नई घटनाएँ घटित होगी। सचमुच उस हफ्ते में बहुत नई बातें हुई थीं। लेकिन मेरे लिए एक घटना के नामने वाक़ी सब बातें फ़ीजी पड गईं। इलाहाबाद में मेरी माँ उस जुलूम में थी जितने पुलिस ने पहले तो रोका और फिर लाठियों से मारा। जिन वक्ता जलस रोक दिया गया था उस वक्ता किमीने उनके लिए एक कुर्सी लादी। वह जुलूस के आगे उस कुर्सी पर सड़क पर बैठी हुई थी। कुछ लोग, जिनमें मेरे सेक्रेटरी वग़ैरा शामिल थे और जो छासतौर पर उनकी देख-भाल कर रहे थे, गिरफ़्तार करके उनमें बलग कर दिये गये और इसके बाद पुलिस ने हमला किया। मेरी माँ को धक्का देकर कुर्सी से नीचे गिरा दिया गया और उनके सर पर लगातार बत मारे गये जिससे उनके सर में घाव हो गया और खून आने लगा और वह बेहोश हो कर सड़क पर गिर गई। सड़क से उन वक्ता तक जुलूसवाले तथा हमारे लोग भगा दिये गये थे। कुछ देर के बाद किनी पुलिस अफ़मर ने उन्हें उठाया और वह उन्हें अपना माटर में बिठाकर आनन्द-भवन पहुँचा गया।

उस रात को इलाहाबाद में एक शलत अफ़वाह उड़ गई कि मेरी माँ का देहान्त हो गया है। यह सुनते ही क्रीचन लोगो की भीड़ ने इकट्ठे होकर पुलिस पर हमला कर दिया। वे घान्ति और अहिंसा की बात बूल गय। पुलिस ने लोगो पर गोली चलाई जिससे कुछ लोग मर गये।

इस घटना के कुछ दिन बाद जब इन सब बातों की खबर मेरे पास पहुँची—क्योंकि हमें उन दिनों एक माप्नाहिक अख़बार मिला करता था—तो अपनी कमख़ोर बूटी माँ को सड़क की धूल में उन से लयज्य पटने का खयाल मुझे रह रहकर आने लगा। मैं यह सोचने लगा कि अगर मैं वहाँ हौना तो क्या करता? मेरी अहिंसा कहाँ तक मेरा साथ देनी? मुझे डर है कि वह ज्यादा हृद तक मेरा साथ नहीं देनी। क्योंकि वह हमन मुझ उस पाठ को बिल्कुल भुला देना जिसे सीखने की कोशिश



मैंने बाहर बरस से भी ज्यादा समय से की थी और उसका मुझ पर या मेरी कीम पर क्या परिणाम होता इसकी रत्तीभर भी परवा न करता।

धीरे-धीरे वह चेंगी हो गई और जब वह दूसरे महीने बरेली जेल में मुझसे मिलने आई तब उनके भिर पर पट्टी बँधी थी। लेकिन उन्हें इस बात की बड़ी भारी खुशी और महान् गर्व था कि वह अपने स्वयं-सेवक लडको और लडकियों के साथ बेंतो और लाठियों की मार खाने के विशेष लाभ से वंचित न रही। लेकिन उनका चगापन उतना असली नहीं था जितना दिखावटी और ऐसा मालूम होता है कि इतनी बड़ी उमर में इन्हें जो भारी झकझोरे झेलने पड़े उनसे उनका शरीर अस्त-व्यस्त हो गया और उन गहरी तकलीफों को उमाड़ दिया जिन्होंने एक साल बाद भीषण रूप धारण कर लिया।

: ४३ :

बरेली और देहरादून जेलों में

छ हफ्ते नैनी-जेल में रहने के बाद मेरा तवाबला बरेली जिला जेल में कर दिया गया। मेरी तन्दुष्टी फिर गड़बड़ रहने लगी। मुझे रोज़ बूझार हो आता था, जो मुझे बहुत नागवार मालूम होता था। बार महीने बरेली जेल में बिताने के बाद, जब गर्मी बहुत सस्त हुई तब फिर मेरा तवाबला कर दिया गया। लेकिन इस मर्तबा मुझे बरेली की अपेक्षा एक ठडी जगह, हिमालय की छाया में, देहरादून जेल में भेजा गया। मैं वहाँ लगातार कोई साढे चौदह महीने, लगभग अपनी दो साल की सजा के अखीर तक रहा। इस बीच मे मेरा परिवर्तन किसी दूसरी जगह नहीं हुआ। इसमें कोई शक नहीं कि जो लोग मुझसे मिलने आते थे उनसे और खतो तथा उन गिने-बुने अखबारों के चरिये से, जो

मुझे पढ़ने को दिये जाते थे, मेरे पास नव्वरे पहुँच जाती थी, फिर भी बाहर जो कुछ ही रहा था उससे ज्यादातर मैं अग्ररचित ही रहा और ज्ञान-साम घटनाओं के बारे में मेरी धारणाएँ बहुत धुँवली थी।

इसके बाद जब मैं छूटा तब अपने दाती मामलो में और उस राज-नैतिक परिस्थिति को ठीक करने में, जो मुझे छूटने पर मिली, लगा रहा। कोई पाँच महीने से कुछ ज्यादा की आजादी के बाद मैं फिर जेल में बन्द कर दिया गया और अबतक यही हूँ। इस तरह पिछले तीन सालों में मैं ज्यादातर जेल में ही—और इन्हींलिए घटनाओं में बिल्कुल दूर, अलग—रहा हूँ। इस बीच मैं जो-कुछ हुआ उस सबका तफ्तील-वार परिचय प्राप्त करने का मुझे बहुत ही कम, नहीं के बराबर, मौका मिला है। जिस दूसरी गोलमेज-कॉन्फ्रेंस में गाँधीजी शरीक हुए थे उसमें परदे के पीछे क्या-क्या हुआ इसकी वास्तव मेरी जानकारी अबतक बहुत ही धुँवली है। इस मामले पर गाँधीजी से बातचीत करने का अबतक मुझे कोई मौका ही नहीं मिला और न इसी बात का मौका मिला कि अबतक जो-कुछ हुआ है उसके बारे में उनके या दूसरे साधियों के साथ बैठकर विचार करूँ।

१९३२ और १९३३ के सालों के बारे में मेरी जानकारी इतनी काफी नहीं है कि मैं अपने राष्ट्रीय-संग्राम के विकास का इतिहास लिख सकूँ। मेडिन चूर्कि में रामच को, उसकी पण्डमि को और अभिनेताओं को अच्छे तरह जानना था, इसलिए जो बहुत-नी छोटी-छोटी बातें भी हुईं उनको मैं अपने सहज ज्ञान से अच्छी तरह समझ सका। इस तरह मैं उन संग्राम की साधारण प्रगति के विषय में ठीक राय ज्ञापन कर सकता हूँ। पहले चार महीने के करीब तो मन्थारह की उठाई काफी जोर और हलके से साथ चली लेकिन उसके बाद धीरे-धीरे बह गिरती गई। बीच-बीच में घट फिर मड़न उठती थी। नीजी मार की लड़ाई शान्ति की

पराकाष्ठा पर तो थोड़ी देर के लिए ही ठहर सकती है। वह एक जगह स्थिर नहीं रह सकती, वह या तो तेज होगी या नीचे गिरेगी। पहले आवेश के बाद सत्याग्रह-संग्राम धीरे-धीरे ढीला पड़ता गया लेकिन उस हालत में भी वह बहुत काल तक चलता रहा। यद्यपि कांग्रेस गैर-कानूनी करार दे दी गई थी फिर भी अखिल भारतीय कांग्रेस का संगठन काफी सफलता के साथ अपना काम करता रहा। अपने-अपने प्रान्त के कार्यकर्ताओं के साथ उसका नाता बना रहा। वह अपनी सूचनायें भेजता रहा, सूचो से रिपोर्टें हासिल करता रहा और कभी-कभी उसने सूचो को आर्थिक मदद भी दी।

सूचो के संगठन भी कम-ज्यादा कामयाबी के साथ अपना काम चलाते रहे। जिन सालों में मैं जेल में बन्द था उनमें दूम्ने सूचो में क्या हुआ इस बात का मुझे ज्यादा पता नहीं लेकिन अपने छूटने के बाद मुझे युक्तप्रान्त के काम की बाबत बहुत-सी बातें मालूम हो गईं। युक्त-प्रान्तीय कांग्रेस-कमिटी का दफ्तर १९३२ में पूरे सालभर और १९३३ के बीच तक नियमित रूप से अपना काम करता रहा। यानी वह उम बचन तक अपना काम चलाता रहा जब गांधीजी की सलाह मानकर कांग्रेस के तत्कालीन कार्यवाहक सभापति ने पहली बार सत्याग्रह को न्यगित किया। इस डेढ़ साल में जिलों को अब्बर हिदायतें भेजी जाती रहीं। छपी हुई या साइबलोस्टाइल से लिखी हुई पत्रिकायें नियम में जारी होती रहीं। समय-समय पर जिलों के काम की निगरानी होती नहीं और राष्ट्र-सेवा-संघ के कार्यकर्ताओं की भत्ता मिलना रहा। इस काम का अधिकार ज़रूरतन गुप्त रूप से किया गया था। लेकिन प्रान्तीय कांग्रेस-कमिटी के जो मेम्बर्स दफ्तर आदि को सम्भालते हुए थे, वह गुप्तज्ञान मेम्बर्स की हँसियत में उम बचन तक काम करने नहीं जब्तार उन्हें निर-पत्तार करते हटा न दिया गया। उनमें बर दूम्ने ने उनकी सहायता की।

१९३० और १९३२ के अपने अनुभव से हमने जाना कि हिन्दुस्तान भर में छिपे-छिपे खबरे लेने-देने के लिए सगठन का जाल-सा बिछाने का काम आसानी से किया जा सकता है। कुछ विरोध होते हुए भी, बिना किसी खास कोशिश के बहुत अच्छा परिणाम निकला। लेकिन हममें से बहुतों को इस बात का भी खयाल था कि छिपे-छिपे काम करने की बात सत्याग्रह की भावना से मेल नहीं खाती और सार्वजनिक जाग्रति पर उसका निराशाजनक असर पड़ता है। बड़े और खुले जनता-आन्दोलन के एक छोटे-से अंश के तौर पर यह काम लाभ का था, लेकिन उसमें हर वक्त यह खतरा बना रहता था कि कहीं छोटे-से और प्रायः व्यर्थ के गुप्त काम ही जनता-आन्दोलन की जगह न ले ले। यह खतरा उस समय खासतौर पर बढ़ जाता था जब आन्दोलन गिर रहा हो। जुलाई १९३३ में गांधीजी ने सब तरह के छिपे कार्य को बुरा बताया।

किसानों की लगानबन्दी की लड़ाई युक्तप्रान्त के अलावा, कुछ समय तक गुजरात और कर्नाटक में भी चलती रही। गुजरात और कर्नाटक, दोनों प्रान्तों में ऐसे बहुत-से किसान थे जिन्होंने अपनी धरती के मालिक होते हुए भी सरकार को मालगुजारी देने से इन्कार कर दिया और इसकी वजह से काफी नुकसान उठाया। वेदखलियो और जायदाद की ज़िम्तियों से किसानों को जो तकलीफ पहुँची उसे कम करने और पीड़ितों की मदद करने के लिए कांग्रेस की तरफ से कुछ कोशिश की गई लेकिन वह अवश्य ही नाकामी रही। युक्तप्रान्त में तो यहाँ की काँग्रेस-कमिटी ने इस तरह नकटग्रस्त किसानों की मदद करने के लिए कोई कोशिश नहीं की। यहाँ की समस्या वहाँ से कहीं ज्यादा बड़ी थी। आसामी किसानों की तादाद किसान-जमींदारों ने कहीं ज्यादा है, यहाँ का रब्बा भी बहुत बड़ा था, और सूत्रों की कमिटी के आर्थिक साधन भी इन्हें सूत्रों के मुकाबिले में बहुत ही संकुचित थे। लड़ाई की वजह

से जिन बीसियों हज़ार किसानों को नुकसान पहुँचा उनकी मदद करना हमारे लिए बिलकुल असंभव था और इसके अलावा हमारे लिए यह तय करना भी बहुत मुश्किल था कि हम इन्हीं लोगों की मदद क्यों करे और इन लोगों में तथा उन लाखों लोगों में भेद-भाव कैसे करे जिन्हें हमेशा भूखों मरने का डर बना रहता है। सिर्फ़ कुछ हज़ार लोगों को मदद करने से मुसीबत और आपसी रजिहा ख़ड़ी हो जाती। इसलिए हम लोगों ने यही तय किया कि हम किसी को रुपये-पैसे की मदद न दें। हमने आन्दोलन के शुरु में ही यह बात सब को बता दी थी और किसान लोग हमारी बात के महत्त्व को अच्छी तरह समझते थे। किसी प्रकार की शिकायत या आपत्ति किये बिना उन्होंने जितनी तकलीफ़ें सही उन्हें देखकर आश्चर्य होता था। जहाँतक हमसे हो सका वहाँतक हमने कुछ व्यक्तियों की अलवत्तों मदद करने की कोशिश की—खासतौर पर उन कार्यकर्ताओं की पत्नियों और बच्चों की जो जेल गये थे। इन दुखी देश की दरिद्रता का यह हाल है कि एक रुपये महीने की मदद भी इन लोगों के लिए ईश्वरीय देन थी।

इस लड़ाई के दौरान में युक्तप्रान्तीय कांग्रेस कमिटी, यद्यपि वह ग़र कानूनी करार देदी गई थी फिर भी, अपने वैयक्तिक कार्यकर्ताओं को जो थोड़ी बहुत वृत्ति देती थी बराबर देती रही और जब वे जेल चले गये,—जेल तो अपनी-अपनी दारी आने पर सभी गये थे—तब उनके परिवारों की मदद करती रही। हमारे बजट में इस मद का खर्च बहुत बढ़ा था। इसके बाद पत्रों और पत्रिकाओं को छापने और उनकी कई हज़ार कामियाँ निकालने का खर्च था। यह खर्च भी बहुत बढ़ा था। नफर खर्च भी खर्च की एक खास मद थी। इसके अलावा जो खिले ज्यादा गरीब थे उन्हें भी कुछ मदद दी जाती थी। एक नवबरदस्त और सब तरह से मोरचाबन्द सरकार के खिलाफ़ जनता की घमासान लड़ाई के

इस जाल में इन मूढ़ खूबों के और इनके उन्नों के होने हुए दुष्प्रान्त की कांग्रेस समिति का जनवरी १९३० में मन्त्र १९३३ के अन्त के अन्त में नक का यानी बीम महीने का दुष् खूब निम्न (६३०००) था, यानी इरीद-करीद ३१५०) म्या महीना । इस खूब में वह खूब शामिल नहीं है जो इलाहाबाद, आग, गानपुर, लखनऊ जैनी ज्यादा माधननम्न और ज्यादा मूढ़नूत डिग्री की कमटियों ने अलग किया । प्रात की हैमियत में १९३० और १९३३ मर मुस्तान्त लडाई के मैदान में लागे ही रहा और मेरे विचार ने हनने जो कुछ कर दिवाया उसे देखने हुए यह शान विगेपरूप से व्याप्त देने योग्य है कि उनमें बहुत कम खूब किया । इन छोटी-नी रकम की तुलना उन रकम में करना बड़ा दिल-चम्प होगा जो सूवे की सरकार ने सन्ध्याग्रह को कुचलने के लिए खान-तौर पर खूब को । यद्यपि मुझे ठीक-ठीक तो नहीं मालूम है फिर भी मेरा खयाल है कि कांग्रेस के कुछ दूसरे बड़े-बड़े खूबों ने हमारे सूवे से कहीं ज्यादा खूब किया । लेकिन विहार तो, कांग्रेस की दृष्टि में, अपने पड़ोसी मुक्तप्रान्त ने भी ज्यादा गरीब सूत्रा था, फिर भी लडाई में उनमें जो हिस्सा लिया वह बहुत ही शानदार था ।

अन्तु, बीरे-बीरे सन्ध्याग्रह आन्दोलन कमजोर पड़ता गया फिर भी वह चलना रहा और वह भी बिना विशेषताओं के नहीं । ज्यो-ज्यो दिन बीतते गये त्यो-त्यो वह सर्वसाधारण का आन्दोलन नहीं रहा । सरकारी दमन की सट्टी के अलावा इस आन्दोलन पर सबसे पहला अवरदन्त प्रहार उस वक्त हुआ जब नितम्बर १९३२ में गाँधीजी ने पहले-पहले हरिजनो की सम्म्या पर अन्तन किया । इस अन्तन ने जनता में जागति चरकर पैदा की लेकिन उनमें उसे दूसरी तरफ मोड़ दिया । जब मई १९३३ में सन्ध्याग्रह की लडाई खगिन की गई तब तो व्यावहारिक रूप में आखिरी-तौर पर उसका अन्त हो गया । यों उसके बाद वह जारी तो

रही लेकिन प्रायः विचार में ही, आचार में नहीं। इसमें कोई शक नहीं कि अगर वह स्थगित न की जाती तो भी वह धीरे-धीरे समाप्त हो जाती। हिन्दुस्तान दमन की उग्रता और कठोरता के कारण सुन्न होगया था। कस-से-कम उस वक्त तो तमाम राष्ट्र का धैर्य चला गया था और नये उत्साह का संचार नहीं हो रहा था। व्यक्तिगतरूप में तो अब भी ऐसे बहुत से लोग थे जो सत्याग्रह करते रह सकते थे। लेकिन उन लोगों को कुछ-कुछ बनावटी वातावरण में काम करना पड़ता था।

हम लोगों को जेल में रहते हुए यह बात सचिकर नहीं लगती थी कि हमारा महान् आन्दोलन इस तरह धीरे-धीरे गिरता जाय। फिर भी हममें से शायद ही कोई यह समझता हो कि हमें क्षण कामयाबी हो जायगी। यह जरूर है कि इस बात का कुछ-न-कुछ अवसर हमेशा ही था कि अगर आमलोग इस तरह उठ खड़े हो कि उन्हें कोई दबा ही न सके तो चमत्कारिक विजय हो जाती। लेकिन हम ऐसे दैवयोग पर भरोसा नहीं कर सकते थे। इसलिए हम लोग तो एक ऐसी लम्बी लड़ाई के लिए ही तैयार थे जो कभी तेज होती, कभी धीमी पड़ती और बीच-बीच में कई भुलावों में पड़ जाती। इस लड़ाई से जनता अनुशासन सिखाने में तथा एक विचारधारा का लगातार प्रचार करने में ज्यादा सफल हुई। १९३२ के उन शुरु के दिनों में तो मैं कभी-कभी इस विचार से डर जाता था कि कहीं हमें फौरन ही दिखावटी सफलता न मिल जाय क्योंकि अगर ऐसा होता तो उसमें अनिवार्यतः कोई राजीनामा होता जिससे राज की वागडोर सरकार-पक्षी और समयमाघु (मौका-परस्त) लोगों के हाथ में पहुँच जाती। १९३१ के अनुभव ने हमारी आँखें खोल दी थी। कामयाबी तो काम की तभी हो सकती है जब वह ऐसे वक्त पर आवे जबकि लोग प्रायः काफी समर्थ हो और उसके बारे में उनके विचार स्वच्छ हो जिससे वे उस विजय का लाभ उठा सकें।

यदि ऐसा न होगा तो सर्वसाधारण तो लड़ेंगे और कुर्बानी करेगे और जब कामयाबी का वक्त आवेगा तब ऐन मौके पर दूसरे लोग बड़ी खूबी से आकर जीत के लाभ हड़प लेंगे। इस बात का भारी खतरा था क्योंकि बुद काग्रेस के इस बारे में निश्चित विचार नहीं थे कि हम लोगों को किस तरह की सरकार या समाज स्थापित करना चाहिए। न इस बारे में लोगों को साफ-साफ कुछ सूझता ही था। सचमुच कुछ काग्रेसी तो तभी यह सोचते ही न थे कि सरकार की मौजूदा प्रणाली में कोई ज्यादा हेर-फेर किया जाय। वे तो केवल यह चाहते थे कि मौजूदा सरकार में ब्रिटिश या विदेशी अंग को निकालकर उसकी जगह 'स्वदेशी' छाप दे दी जाय।

बुद प्रकार के 'सरकार-पूजक' लोगों से तो हमें कुछ डर नहीं था क्योंकि उनके धर्म की सबसे पहली वान यह थी कि राज की ताकत जिस किमीके हाथ में हो उसी के सामने सिर झुकाया जाय। लेकिन यहाँ तो फिरलो (मध्य मार्गियों) और प्रतिसहयोगियों तक ने ब्रिटिश सरकार की विचार-धारा को लगभग सोलहों-आने मजूर कर लिया था। समय-समय पर वे जो थोड़ा-बहुत छिद्रान्वेषण कर देते थे वह इसीलिए बिलकुल बेकार और दो कौड़ी की होती थी। यह बात सबको अच्छी तरह मालूम थी कि ये लोग तो हर हालत में कानून के पोषक थे और उनकी बजह से वे कभी सत्याग्रह का स्वागत नहीं कर सकते थे। लेकिन वे तो डमरु कहीं ज्यादा आगे बढ़ गये और बहुत-कुछ सरकार की ओर जा मटे हुए। हिन्दुस्तान में सब प्रकार की नागरिक स्वतन्त्रता का जो दमन ही रहा था उसे प्रायः चुप-चाप खड़े हुए और यो कहिए कुछ-कुछ टटे हुए दर्गों की तरह दूर से देख रहे थे। असल में दमन का यह मजाल महज सरकार-आग सत्याग्रह का मुक़ाबिला किये जाने और उसके टूटने जाने का ही मजाल नहीं था। वह तो तमाम राजनैतिक जीवन

और सार्वजनिक हलचलों को बन्द करने का सवाल था। लेकिन उसके खिलाफ शायद ही किसी ने कोई आवाज उठाई हो। जो लोग मामूली-तौर पर इन आजादियों के हामी थे वे सबके सब लडाई में जुटे हुए थे और उन लोगो ने राज की जबरदस्ती के सामने सिर झुकाने से इन्कार करके उसकी सजा भोगी। लेकिन बाकी के लोग तो बुरी तरह दब गये। उन्होंने सरकार की नुकताचीनी में चूँ तक नहीं की। जब कभी उन्होंने बहुत ही नरम टीका-टिप्पणी की भी तो ऐसे लहजे से मानो अपने कुसूर की भाफी माँग रहे हो और उसके साथ-साथ वे कांग्रेस की और उन लोगो की, जो सत्याग्रह की लडाई लड रहे थे, बड़ी निन्दा भी करते थे।

पश्चिमी देशो में नागरिको की आजादी के पक्ष में मजबूत लोकमत बन गया है। इसलिए वहाँ ज्योही उनमें कमी की जाती है त्योही लोग विगडकर उसका विरोध करते हैं। (शायद अब यह वहाँ भी इतिहास की पुरानी बात हो गई है।) उन देशो में ऐसे लोगो की तादाद बहुत काफी है जो खुद तो कडी और सीधी लडाई में हिस्सा लेने को तैयार नहीं होते लेकिन इस बात का बहुत काफी ध्यान रखते हैं कि बोलने और लिखने की स्वतंत्रता में, सभा और सगठन स्थापित करने की स्वतंत्रता में, तथा व्यक्तिगत और छापेखानो की स्वतन्त्रता में किसी तरह की कमी न होने पावे। इनके लिए वे निरंतर आन्दोलन करते रहते हैं और इस तरह सरकार द्वारा उनके भग किये जाने की कोशिशो को रोकने में सहायक होते हैं। हिन्दुस्तान के मध्यममार्गियो (लिबरलो) का दावा है कि वे लोग कुछ हद तक ब्रिटिश लिबरलो को परम्परा पर चल रहे हैं (हालाँकि इन दोनो में नाम के अलावा और कोई बात एक-सी नहीं है।) फिर भी उनमें यह उम्मीद की जा सकती थी कि इन आजादियों के इस तरह दबाये जाने पर वे कम-से-कम कुछ बौद्धिक

विरोध इन्हें करने क्योंकि दमन का अमर उनपर भी पड़ता था। लेकिन उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की। उन्होंने वास्टेयर की तरह यह नहीं कहा कि "आप जो कुछ कहते हैं उसने मैं क्रमदं नहमन नहीं हूँ, लेकिन आपको अपनी बात कहने का हक है और आपके इस हक को मैं अपनी जान पर खोलकर दबाऊँगा।

शायद उनको इन बात के लिए दोष देना मुनासिब नहीं है क्योंकि उन लोगों ने लोन्गथ या आजादी के रक्षक होने का दावा कभी नहीं किया और उन्हें एक ऐसी हालत का सामना करना पड़ा जिनसे एक शब्द इधर-उधर हाँजने पर वे नुमाँवत में फँस सकते थे। हिन्दुस्तान में होनेवाले दमन का आजादी के उन पुराने आगिकों जानी ब्रिटिश लिबरलों और ब्रिटिश मजदूर-दल के नये सान्यवादियों पर जो असर पड़ा उसे देखना ज्यादा मुनासिब मालूम होता है। हिन्दुस्तान में जो कुछ हो रहा था वह काफी तकलीफ़देह था। लेकिन वे उस सबको काफ़ी मन्त्रे के साथ देखते रहे और कभी-कभी तो "मैजिस्टर गार्जियन" नामके अखबार के संवाददाता के शब्दों में हिन्दुस्तान में "दमन के वैज्ञानिक प्रयोग" की कामवादी पर उनकी खुशी जाहिर हो जाती थी। हाल ही में ग्रेटब्रिटेन की राष्ट्रीय सरकार ने एक राजद्रोह बिल पान करने की कोशिश की है। खासतौर पर लिबरलों और मजदूर दलवालों ने इस बिल के खिलाफ़ और बातों के साथ इस अखबार पर बहुत बर्बाद मचाया है कि वह बोलने की आजादी को कम करता है और नजिस्ट्रेटों को यह अधिकार देता है कि वे तलाशों के बारबट निकालें। जब-जब मैं इन टीका-टिप्पणियों को पटना नौ में उनके साथ हमदर्दी करता था लेकिन साथ ही मेरी आँखों के नामने हिन्दुस्तान की तस्वीर नाच उठनी और मुझे यह बिलाई देना कि यहाँ नौ वास्तव में जो ज्ञानून जारी हैं वे ऊर्गद्व-ऊर्गीय उन ज्ञानून ने भी तुने ज्वाबा वुरे हैं जिसे 'ब्रिटिश-राजद्रोह-

विल' बनाने की कोशिश कर रहा है। मुझे इस बात पर बड़ा आश्चर्य होता था कि जिन ब्रिटिश लोगों के गले में इंग्लैण्ड में मच्छर भी अटक जाता है वे हिन्दुस्तान में बिना ची-चपड किये ऊँट को किस तरह निगल जाते हैं। सचमुच मुझे ब्रिटिश लोगों की इस अद्भुत खूबी पर हमेशा आश्चर्य हुआ है जिसमें वे अपने नैतिक पैमानों को अपने भीतिक स्वार्थों के अनुकूल बना लेते हैं और जिन कामों से उनके साम्राज्य बढ़ाने के इरादों को मदद मिलती है उन सबमें उन्हें धर्म-ही-धर्म दिखाई देता है। आजादी और लोकतंत्र के ऊपर मुसोलिनी और हिटलर जो कुछ हमला कर रहे हैं उस पर उन्हें बड़ा क्रोध आता है और वे निहायत ईमानदारी के साथ उनकी निन्दा करते हैं लेकिन उतनी ही ईमानदारी के साथ वे हिन्दुस्तान में आजादी का छीना जाना जरूरी समझते हैं और इस बात के लिए ऊँचे-से-ऊँचे नैतिक कारण पेश करते हैं कि इस आजादी के छीनने के काम में उनका अपना कोई स्वार्थ बिल्कुल नहीं है।

जब हिन्दुस्तान में चारों तरफ आग लग रही थी और मदों तथा औरतों की अग्नि-परीक्षा हो रही थी तब यहाँ से बहुत दूर लन्दन में छोटें-चुनें हज़ारात हिन्दुस्तान के लिए एक शासन-विधान बनाने को इकट्ठे हुए। १९३३ में तीसरी गोलमेज़-कान्फ़ेस हुई और उसके साथ-साथ कई कमिटियाँ बनीं। यहाँ की असेम्बली के बहुत से मेम्बरो ने इन कमिटियों की मेम्बरी के लिए डोरे डाले जिससे वे निजी आनन्द के साथ सार्वजनिक कर्तव्य का भी पालन कर सके। सार्वजनिक खर्चों से हिन्दुस्तान से लन्दन को काफी भीड़ गई। बाद को १९३३ में वह ज्वाइण्ट-कमिटी (सयुक्त समिति) बैठी जिसमें हिन्दुस्तानियों ने असेसरो की तरह काम किया और इस बार भी जो लोग गवाह बनकर गये उनको दयालु सरकार ने सफर खर्च अपने खजाने से दिया। बहुत से लोग फिर, हिन्दुस्तान को सेवा करने के सच्चे भावों से प्रेरित होकर सार्वजनिक

उच्च पर अमुद्र पाग गये और रहा जाना कि कि उनमें मे कुछ ने तो ज्यादा सफर उच्च भिन्ने के लिए प्रयत्न भी की ।

हिन्दुस्तान के जनता-आन्दोलन का आत्मतन्त्रता देगनर छरे हुए स्थापित स्वार्थों के इन प्रतिनिधियों को, मान्याज्यनार की छत्रछाया में, लन्दन में इकट्ठा देखकर कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए । ऐतिहासिक हमारे अन्दर जो राष्ट्रीयता है उनको यह देगनर जरूर देगना हुई कि जब मातृभूमि इन तरह की जीवन और मरण के नपथ में लगी हुई हो तब कोई हिन्दुस्तानी इन तरह की हरकत देने । लेकिन एक दृष्टि से हममें ने बहुतों को यह जान पडा कि यह अच्छा ही हुआ, क्योंकि उसने हिन्दुस्तान में प्रगति-विरोधी लोगों को हमेशा के लिए प्रगतिशील लोगों से अलग कर दिया । (उस समय हम यही सोचते थे लेकिन जब मालूम पडता है कि हमारा यह खयाल गलत था ।) इस छँटनी से जनता को राजनैतिक शिक्षा देने में मदद मिलती और सब लोगों के लिए यह वात और भी स्पष्ट हो जाती कि सिर्फ आजादी के द्वारा ही हम सामाजिक समस्याओं को हल कर सकते हैं और जनता के सिर का बोझ हटा सकते हैं ।

लेकिन इस बात को देखकर अचरज होता था कि इन लोगों ने अपनी रोजमर्रा की चिन्तना में ही नहीं, बल्कि नैतिक और बौद्धिक दृष्टि से भी अपने को हिन्दुस्तान की जनता से कितना अलग कर दिया है । ऐसी कोई कभी न थी जो इनको जनता से जोडती । ये न तो जनता को ही समझते थे न उनकी उस भीतर की प्रेरणा को ही जो उन्हें कुर्बानी करने और तकलीफें झेलने के लिए स्फूर्ति दे रही थी । इन नामी राजकाजियों की राय में असलियत सिर्फ एक बात में थी । वह थी ब्रिटिश साम्राज्य की वह ताकत जिससे लडकर उसे हराना शैर-भूमकिल है और इसलिए, जिसके सामने हमें लुझी से या बेचसी से अपना सिर झुका देना चाहिए ।

इन लोगों को यह बात सूझती ही न थी कि भारत की जनता के सद्भाव को अपने साथ लिए बिना हिन्दुस्तान के प्रश्न को हल करना या उसके लिए कोई वास्तविक जीवित विधान बनाना बिल्कुल अनहोना था। मि० जे० ए० स्पेडर ने हाल ही में "हमारे समय का संक्षिप्त इतिहास" (Short History of Our Times) नामक जो किताब लिखी है उसमें १९१० की उस आइरिश ज्वाइण्ट कॉन्फेरेन्स की असफलता की चर्चा की गई है जिसने वैधानिक संकट को मिटाने की कोशिश की थी। उनका कहना है कि जो राजनैतिक नेता संकटकाल के बीच में विधान तलाश करने की कोशिश करते हैं, उनकी दशा उन लोगों की सी होती है, जो, जब भूकान में आग लगी हुई है तब, उसका बीमा कराने की कोशिश करते हैं। १९३२ और १९३३ में हिन्दुस्तान में जो आग लगी हुई थी वह उस आग से कहीं ज्यादा थी जो आयरलैंड में १९१० में लगी हुई थी और यद्यपि उस आग की ज्वालाये भले ही बुझ जायें फिर भी उसके घबकते हुए अंगारे बहुत दिन तक रहेगें और वे हिन्दुस्तान में स्वाधीनता के संकल्प की तरह गरम और कभी न बुझनेवाले होंगे।

हिन्दुस्तान के शासकवर्ग में हिंसा-भाव की जो बढ़ती हो रही थी उसे देख कर आश्चर्य होता था। इस हिंसा की परम्परा पुरानी थी, क्योंकि ब्रिटिश लोगों ने हिन्दुस्तान पर राज ज्यादातर पुलिस-राज की तरह किया है। दीवानो हाकिमो का भी सबसे अवर्दस्त दृष्टिकोण फौजी ही रहा है। उनकी हुकूमत में यह बात प्रायः हमेशा रही है जो विजित देश पर कब्जा करके पड़ी हुई शत्रु की फौज की हुकूमत में रहती है। अपनी मौजूदा व्यवस्था को गम्भीर चुनौती मिलते ही उनकी यह मनोवृत्ति और भी ज्यादा बन गई। बंगाल में और दूसरी जगह आतंकवादियों ने जो काण्ड किये उनसे इस हिंसा को और भी खुराक मिली और शासको को अपने हिंसात्मक कार्यों के लिए थोड़ा-बहुत बहाना मिल

गया। सरकार की नीति ने और तरह-तरह के आर्डिनेन्सो ने सरकारी जफनरो और पुलिस को इतने बर्नीम अधिकार दे दिये कि हिन्दुस्तान बसल में एक 'पुलिसराज' ही हो गया, जिसमें पुलिस के लिए न कोई रोक भी न पूछ।

थोड़ी या बहुत मात्रा में हिन्दुस्तान के सभी प्रांतों को इस भीषण दमन की जाग में होकर निकलना पडा, लेकिन सरहद्दी सूबे और बंगाल को मजबूत ज्यादा तकलीफें झेलनी पडी। सरहद्दी सूबा तो हमेशा से मुन्दन फौजी सूबा रहा है। उसका इन्तजाम अर्ध-फौजी कायदों के मूलाविक होना है। मूठ-कार्य की दृष्टि से यो उसका बहुत महत्त्व पहले ही ने था। अब लालकृती आन्दोलन से तो सरकार एकदम भबडा गई। इस सूबे में 'शातिस्थापन करने के लिए' और 'तूफानी गावों को' दुस्त करने के लिए फौजों की टुकडियाँ छोडी गई थीं। हिन्दुस्तान-अर में यह काम पदति हो गई थी कि सरकार गाँव-के-गाँवो पर जुर्माना ठाँक देती थी और कमी-कमी (खासतौर पर बंगाल में) नगरो पर भी। मज्जा के तौर पर पुलिस अक्षर गाँवों में डाल दी जाती थी और जब पुलिस को अनाप-गनाप अधिकार मिले हुए थे और उन्हें रोकनेवाला कोई न था तब पुलिस की ओर से ज्यादातिवाँ होना लाजिमी था। हम लोगों को कानून और व्यवस्था के नाम पर अनियमितता और व्यवस्था के आदर्श उदाहरण खूब देखने को मिले।

बंगाल के कुछ हिस्सों में तो बहुत ही असाधारण बातें दिखाई देती थीं। सरकार तमाम आबादी के—हो बात तो यह है कि हिन्दुओं की आबादी के—माथ दुश्मनों का-सा बर्ताव करती और बारह से लेकर पन्ध्रवाँ दरम नए के हर घरम को फिर चाहे वह मर्द हो या औरत, उन्ना हों या उन्की 'गनाज' श काटें लेकर चलना पटना था। लोगों के मूठ-के-मूठ से देग निराशा दिना जाता था या नजरबन्द

कर दिया जाता था। उनकी पोशाक पर बन्धन था और उनके स्कूलों का नियमन सरकार करती थी या जब चाहती स्कूलों को बन्द कर देती थी। साइकिलों पर चढ़ने की मनाही थी और कहीं आते-जाते वक्त पुलिस को अपने आने-जाने की इत्तिला देनी पड़ती थी। इसके अलावा दिन-छिपे बाद घर से न निकलने के लिए और रात के लिए तथा दूसरी बातों के लिए कायदे और कानूनों की भरमार थी। फौजे पेट्रोल करती थी। ताजीरी पुलिस तैनात करदी जाती थी और गांव-भर पर जुमाने होते थे। बड़े-बड़े भूमिसखण्ड ऐसे मालूम पड़ते थे मानो उनपर हमेशा के लिए घेरा डाल लिया गया हो। इन कसबों में रहनेवाले स्त्री पुरुषों की ऐसी कड़ी निगरानी होती थी कि उनकी हालत उन लोगों से बेहतर न थी जो छुट्टी के टिकिट लिये बिना आ-जा नहीं सकते। इस बात का निर्णय देना मेरा काम नहीं है कि आया ब्रिटिश सरकार के दृष्टिकोण से यह सब अद्भुत कायदे कानून जरूरी थे या नहीं। अगर वे जरूरी नहीं थे तो सरकार पर यह भारी इल्जाम आता है कि उसने सारे प्रदेश की स्वतन्त्रता को अपमानित करने, उस पर जुल्म करने और उसे भारी नुकसान पहुँचाने का महान् अपराध किया। अगर वे जरूरी थे तो निस्संदेह हिन्दुस्तान में ब्रिटिश शासन के बावत यह अंतिम फँसला है जिससे उसकी नींव का पता लग जाता है।

सरकार की इस हिंसावृत्ति ने जेलों में भी हमारे लोगों का पीछा किया। कैदियों का अलग-अलग श्रेणियों में बँटवारा एक फार्स था और अक्सर उन लोगों को अत्यंत तकलीफ होती थी जो ऊँचे दर्जों में रखे जाते थे। ये ऊँचे दर्जें बहुत ही कम लोगों को मिले और बहुत से मानी तथा मुद्दल स्वभाव के पुरुषों और स्त्रियों को ऐसी हालत में रहना पड़ा जो लगातार एक यन्त्रणा थी। ऐसा मालूम पड़ता है कि सरकार की यह निश्चित नीति थी कि वह राजनैतिक कैदियों को मामूली कैदियों

मे भी ज्यादा दूरी तन्ह रक्वे । जेलो के इन्स्पेक्टर जनरल ने तो यही तक किया कि बन्द जेलो को नाम एक गुप्त गर्ती-चिट्ठी जारी की जिसमें यह कहा गया कि सत्याग्रही कैदियों के साथ 'कठोरता का बर्ताव' होना चाहिए ।'

बैंतो की सजा जेल की श्रम नञा होगई । २३ अप्रैल १९३३ को नारद के उप-सचिव ने जानन-सना में कहा कि "नर सेन्चुगल हौर को यह बान मानून है कि हिन्दुस्तान में १९३० के सत्याग्रह ने सम्बन्धित जूमों के मिलमिले में कोई पाचनी व्यक्तियों के बँन लगे है ।" हममें यह बान साफ़ नहीं है कि उसमें वे लोग भी शामिल है या नहीं जिनकी जेलों में जेल के क़ायदे तोड़ने के लिए बैंतो की सजा दी गई । १९३२ में जेलों में बँत लगने की खबरे जब हनारे पाम बक्सर आने लगी, तब मुझे याद आई-कि हम लोगों ने दिसम्बर १९३० में बैंतो की सजा की एक या दो फुटकर मिसालों के विरोध में तीन दिन तक उपवास किया था । उस वक़्त इन सजा की पाशविकता ने मुझे नारी चोट पहुँची थी और इस वक़्त भी मुझे बार-बार चोट पहुँचती थी और मेरे दिल में बड़ी टीते उठती थी लेकिन मुझे यह नहीं सूझा कि इस बार फिर उसके विरोध में अनशन करना चाहिए, क्योंकि मैंने इस बार इस मामले में अपने को पहले से कहीं ज्यादा बेवस पाया । कुछ समय के बाद मन पाशविकता

१. इस गइती-चिट्ठी पर ३० जून १९३३ तारीख पड़ी थी और उसमें यह लिखा हुआ था—“जेल के सुपरिन्टेन्डेन्टों और उसके मातहत कर्मचारियों के लिए इन्स्पेक्टर जनरल इन बात पर और बेते हैं कि सत्याग्रही कैदियों के साथ उनके महक सत्याग्रही होने की वजह से रिआयती बर्ताव करने की कोई वजह नहीं है । इस वजह के कैदियों को अपनी-अपनी जगहों में रखना चाहिए और उनके साथ खूब सख्ती से बेरा जाना चाहिए ।”

के प्रति जड-सा हो जाता है । किसी बुरी बात को आप ज्यादा देर तक जारी रखिए और दुनिया उसकी अभ्यस्त हो जायगी ।

हमारे आदमियों को जेल में कड़ी से कड़ी मशकत (मेहनत) दी गई—जैसे—चक्की, कोल्हू वगैरा । और उनसे माफी माँगाकर तथा सरकार के सामने यह प्रण कराकर, कि हम आगे ऐसा नहीं करेंगे, उन्हें छुड़वाने के लिए, जहाँ तक हो सका वहाँ तक उनकी जिन्दगी भाररूप करने की कोशिश की गई । कैदियों से इस तरह माफी माँगवाना जेल के हाकिमों के लिए बड़े गौरव की बात मानी जाती थी । जेल में ज्यादातर सजायें उन लडकों और नौजवानों को भोगनी पडी जो घास, दबाव और वेद्वज्जती बरदाश्त करने को तैयार न थे । ये लडके निहायत अच्छे और जीवटवाले थे । स्वाभिमान, जिन्दादिली तथा साहसीवृत्ति से भरे हुए इंग्लैंड के पब्लिक स्कूलों में इस तरह के लडकों की बेहद तारीफें होती, उन्हें हर तरह की शाबाशी दी जाती । लेकिन यहाँ हिन्दुस्तान में उनकी युवकोचित आदर्शवादिता और उनके स्वाभिमान ने उनके हथकड़िया पढवाई, उन्हें काल-कोठरियों में बन्द करवाया और उनके वेंत लगावाये ।

जेलों में हमारी महिलाओं की जिन्दगी तो खासतौर पर दुःखमय थी । ऐसी दुःखमय कि उसका खयाल करने में भी तकलीफ होती है । ये स्त्रियाँ ज्यादातर मध्यम-श्रेणी की थी जो छत्रछाया के जीवन में रहने की आदी थी और उन तरह-तरह के दमनो और रिवाजों से सताई हुई, जो पुरुषों ने अपने आधिपत्यवाले समाज में अपने फायदे के लिए बनाये हैं । इन स्त्रियों के लिए आजादी की पुकार हमेशा दुहरे मानी रखती थी और इस बात में कोई शक नहीं कि जिस जोश और जिस ताकत के साथ वे आजादी की लड़ाई में कूदी उनका ज्योत उस धुधली और लगभग अज्ञात, लेकिन फिर भी उत्कट, अकांक्षा में था जो उनके मन में घर की गुलामी से अपने को मुक्त करने के लिए बसी हुई थी । इनमें

से बहुत कम की होजक वाली नवको मामूली शक्तियों के उर्जे में रारा गया और उनको बहुत ही पतित मानियों के साथ और क्षमण उन्ही की-नी भयानक हालत में रक्सा गया। एा बार में एण ऐसी बैरक में रक्खा गया जो औरतों की बैरक में गटी हुई थी। रोंनों के बीच में एण दीवार ही थी। औरता के अहाने में, दूयगो कैदियों के नाय-नाय कुछ राजनैतिक कैदिये भी थी और उनमें एण महिला बहू थी जिनके घर में मैं एक बार ठहरा था और जिनने मेरा आतिथ्य-नतागर किया था। यद्यपि एण ऊँची दीवार हमें एक दूसरे में अलग कर रही थी तो भी वह उन बातों और गालियों को सुनने से नहीं रोक पाती थी, जो हमारी साथियों को कैदी-नम्बरदारियों से सुननी पडती थी। इन्हें सुनकर मुझे बडा रज होता था।

यह बात खास तौर पर ध्यान देने लायक है कि १९३२ और १९३३ के राजनैतिक कैदियों के साथ जो बर्ताव किया गया वह उससे नहीं ज्यादा बुरा था, जो दो बरस पहले सन् १९३० में किया गया था। यह बात केवल जेल हाकिमों की धुन की वजह से नहीं हो सकती थी। इसलिए इसके सम्बन्ध में एकमात्र उचित परिणाम यही निकलना है कि यह सब सरकार की निश्चित नीति की वजह से हुआ। राजनैतिक कैदियों के प्रश्न को छोडकर भी युक्तप्रान्तीय सरकार के जेल के महकमे की यह तारीफ थी कि वह कैदियों के साथ मनुष्यों का-सा बर्ताव करने की हर बात के सख्त खिलाफ होने के लिए प्रसिद्ध था। इस बात की ऐसी हमें एक मिसाल मिली जिसके बारे में कोई शक हो ही नहीं सकता। एक मर्तवा एक बहुत नामी जेल-निरीक्षक हम लोगों के पास जेल में जाये। यह महाशय बागी था हम लोगों की तरह राजद्रोह फैलानेवाले न थे बल्कि वह 'सर' थे। उनको सरकार ने खूश होकर खिताब बरसा था। उन्होंने हमसे कहा कि "कुछ महीने पहले मैंने एक दूसरी जेल का

निरीक्षण किया था, और अपने निरीक्षण के नोट में यह लिख दिया था कि जेलर हुकूमत रखते हुए भी इन्सानियत से काम लेता है। उस जेलर ने मुझे से प्रार्थना की कि मेरी इन्सानियत की बाबत कुछ न लिखिए क्योंकि सरकार क्री मण्डली में 'इन्सानियत' अच्छी निगाह से नहीं देखी जाती। लेकिन मैं अपनी बात पर अड्डा रहा, क्योंकि मैं कभी यह खयाल ही नहीं कर सकता था कि इस बात के पीछे जेलर को कुछ नुकसान पहुँच सकता है। नतीजा क्या हुआ ? फौरन ही एक बहुत दूर कहीं कोने में पड़ी हुई एक जेल में उस जेलर का तबादला कर दिया गया, जो उसके लिए एक किस्म की सजा ही थी।”

कुछ जेलर खासतौर पर खूबार थे और न्याय-नीति की परवा न करते थे। उनको खिताब दिये गये तथा उनकी तरक्की की गई। जेलों में बेईमानी और रिश्वत-खोरी तो इतनी चलती है कि शायद ही कोई उससे पाक साफ रहता हो। लेकिन मेरा अपना और मेरे बहुत से दोस्तों का तबुर्बा है कि जेल के कर्मचारियों में वही लोग सबसे ज्यादा बेईमान और रिश्वतखोर होते हैं जो आमतौर पर अनुशासन के बहुत जबरदस्त और सख्त हामी बनते हैं।

जेलों में और जेल से बाहर में खुशकिस्मत रहा हूँ, और लगभग जितने लोगों से मेरा वास्ता पडा उन सबने मेरे साथ इज्जत व शराफत का बर्ताव किया, उस हालत में भी जब कि शायद मैं उसका पात्र न था। लेकिन जेल की एक घटना से मुझे और मेरे स्वजनो को बहुत दुःख हुआ। मेरी माँ, कमला और मेरी लडकी इदिरा इलाहाबाद जिला जेल में मेरे बहनोई रणजीत पण्डित से मिलने के लिए गई और वहाँ बिना कूसूर ही जेलर ने उनका अपमान किया और उन्हें जेल से बाहर धकेल दिया। जब मैंने यह बात सुनी तो मुझे बडा रज हुआ और जब मुझे यह मालूम हुआ कि प्रातीय-सरकार का रत्न भी इस मामले में अच्छा

भी नहीं जानता। लेकिन मेरे दिल पर उसके स्वेच्छा-प्रेरित सौजन्य का और उम कृपा-भाव का, जिसने उसे इसकी प्रेरणा की, बहुत असर पडा और अपने मन में मैं उसके प्रति बहुत ही कृतज्ञ हुआ।

आधी-रात के उस लम्बे सफर में मैं अंग्रेजों और हिन्दुस्तानियों के, शासकों और शासितों के, सरकारी और गैर-सरकारी लोगों के, तथा मत्ताधारियों और उन लोगों के कि जिन्हें उनके हुक्म मानने पडते हैं, आपसी सम्बन्धों के बारे में तरह-तरह की बातें सोचता रहा। इन दोनों वर्गों के बीच में कौसी गहरी खाई है, और ये दोनों एक-दूसरे पर कितना शक कर रहे हैं तथा एक-दूसरे को कितना नापसन्द करते हैं। लेकिन इस अविश्वास और अशुचि से भी ज्यादा बड़ी बात एक-दूसरे की वास्तव अज्ञानता है। इसी ना-जानकारी की वजह से दोनों एक-दूसरे से डरते हैं और एक-दूसरे की मीजुदगी में हर वक्त चौकन्ने रहते हैं। हरेक को दूसरा शरट कुछ अनमना, खिचा हुआ और मित्र-भाव से हीन मालूम होता है और दोनों में एक भी यह नहीं अनुभव करता कि इस आवरण के अन्दर शिष्टता और सौजन्य भी है। अंग्रेज हिन्दुस्तान पर राज करते हैं और लोगों को सहायता तथा सहारा देने के साधनों की उन्हें कमी नहीं है। इसलिए उनके पास समय-साधु और नौकरियों की तलाश में गिडगिडाते फिरनेवाले लोगों की भीड पहुँचा करती है। हिन्दुस्तान के बारे में अपनी राय वे इन्हीं भद्दे नमूनों को लेकर बनाते हैं। हिन्दुस्तानियों ने अंग्रेजों को सिर्फ हाकिमों की ही हैसियत से काम करते देखा है और इस हैसियत से काम करते हुए उनमें सोलहो आने मशीन की-सी हृदयहीनता होती है और वे सब मनोविकार होते हैं जो स्थापित स्वार्थ रखनेवालों में अपनी रक्षा करने की कोशिश करते समय होते हैं। एक व्यक्ति की हैसियत से और अपनी मीज के मुताबिक काम करनेवाले व्यक्ति के वर्ताव में और उस वर्ताव में, जिसे एक शरट हाकिम की या

सेना की एक इकाई की हैसियत से करता है, कितना फर्क होता है ? फौजी जवान तो अकडकर अटेन्शन होते वक्त अपनी मनुष्यता को दर धर देता है और एक मशीन की तरह काम करते हुए उन लोगो पर निशाना ताककर उन्हें मार गिराता है, जिन्होंने उसका कभी कोई नुकसान नहीं किया। मैंने सोचा कि यही हाल उस पुलिस अफसर का है, जो एक शस्त्र की हैसियत से बेरहमी का कोई काम करते हुए क्षिप्तकेगल लेकिन दूसरे ही दिन निरपराध लोगो पर लाठी-चाज कर देगा। उस वक्त वह अपने को एक ब्यक्ति के रूप में नहीं देखता और न वह उस भीड को ही ब्यक्तियो की घकल में देखता है जिन्हें वह डडो से मारता है या जिन पर वह गोली चलाता है।

ज्योही कोई ब्यक्ति दूसरे पक्ष को भीड या समूह के रूप में देखने लगता है, त्योही दोनो को जोडनेवाली मनुष्यता की कडी गायब हो जाती है। हम लोग यह भूल जाते है कि भीड मे वही घटस, मर्द और औरत और बच्चे होते है, जिनमें प्रेम और नफरत के भाव होते है तथा जो कष्ट अनुभव करते है। एक औसत अग्रेज अगर साफ-साफ बात कहे तो यह मजूर करेगा कि हिन्दुस्तानियो में कुछ आदमी काफी भले ही है, लेकिन वे लोग तो अपवाद-स्वरूप है, और कुल मिलाकर तो हिन्दुस्तानी एक घृणास्पद लोगो की भीड-भर है। औसत हिन्दुस्तानी भी यह मजूर करेगा कि कुछ अग्रेज जिन्हे वह जानता है तारीफ के काबिल है, लेकिन इन थोडे-से लोगो को छोडकर बाकी के अग्रेज बडे ही घमडी, पाशाविक और सोलहो माने बुरे आदमी है। यह बात कैसी अजीब है कि हर शस्त्र दूसरी कौम की वावत अपनी राय किस तरह बनाता है ? उन लोगो के आधार पर नहीं जिनके वह ससर्ग में आता है, बल्कि उन दूसरे लोगो के आधार पर जिनके बारे में या तो वह कुछ नहीं जानता या 'कुछ नहीं' के बराबर ही जानता है।

जानिबन-नन से नौ मे बडा मोनास्यशागी रहा हूँ और लगभग हमेशा नौ मेने प्रति मद्य रोग नोजन्य दिगाने रहे हं, फिर चाहे वे अनेक हो या मेने अपने देन-भाई । मेरे जेन्नों जीर पुलिन क उन गियाहियों ने भी, जिन्हेनि मुने गिरस्तार भिया या जां मुन फेदी के रूप मे एक जगह से दूसरी जगह ले गये, मेरे माप मेहरवानी का बर्ताव किया और इस इन्सानियत हो पुट की वजह ने मेरे जेल-जीवन के मर्पण की कटुता और तीव्रता बहुत मुट कम हो गई थी । यह कोई अचरज की बात नहीं है कि मेरे अपने देन-भाइयो ने मेरे मात्र अच्छा बर्ताव किया, क्योंकि उनमे तो एक हट नाम मेरा नाम हो गया था और मेँ उनमे लोकप्रिय था । पर जेजो के लिए भी मेँ एक व्यक्ति था, भीट मेँ से एक व्यक्तिमोत्र ही नहीं । मेरा ज्यात्र हूँ कि इस बात ने कि मेने अपनी तालीम इंग्लैण्ड मे पाई और छागतीर पर इस बात ने कि मेँ इंग्लैण्ड के एक पब्लिक स्कूल मे रहा, मुझे उनके नजदीक ला दिया और इन कारणों से वे मुझे कम-जब अपने ही नमूने का गभ्य आदमी समझे बिना नहीं रह सकते थे, फिर चाहे उन्हें मेरे सार्वजनिक काम कैसे ही उलटे क्यो न मालूम पडें । जब मेँ अपने इस बर्ताव की तुलना उस जिन्दगी से करता हूँ जो मेरे ज्यादातर मायियों को भोगनी पडती थी, तब मुझे अपने साथ होनेवाले इस विशेष अच्छे बर्ताव पर कुछ धर्म और जिल्लत-सी मालूम होती है ।

ये जितने मुभीते मुझे मिले हुए थे उन सबके होते हुए भी जेल तो आखिर जेल ही थी और कभी-कभी तो उसका दु खद वातावरण प्राय असह्य ही उरना था । उसका वातावरण, खुद हिंसा, कमीनेपन, रिववत-खोरी और झूठ से भरा हुआ था । वहाँ कोई गालियाँ देता था तो कोई गिटगिटाना था । नाजूक मिजाजवाले हर शरस को वहाँ लगातार मानसिक मन्ताप मेँ रहना पडता था, कभी-कभी खरा-खरासी वानो से ही लोग उग्रह जाते । चिट्ठी मेँ कोई खराब खबर आजाती या अखबार मेँ ही कोई

बुरी छबर निकलनी तो हम जोग कुछ दे के लिए गुन्ने या फिर मे वडे परमान हो जाने थे। दार तो लगे लगे तमना काम में लगकर अपने दुःखा को भूल जाने थे। वही तो नज्ज-नज्ज की दिग्दर्शक बातों और कामों की बजह से गरीब और मन में गमनालीला बनी जाती थीं। जेल में ऐसा कोई सम्ना नहीं था। हम तो ऐसा महान् दण्ड से मानते हम बोनस में बन्द कर दिये गये हो और दवापर से निम्न गमने हो और इसलिए जो कुछ होना उसकी दावन लाहिर्नामी पर हमारी राय एकाग्री और कुछ हद तक ताटी-नरोटी हुई होनी थी। जेल में बीमारी खालती से दुःखदायी होती है।

फिर भी मैंने अपने को जेल जीवन की दिनचर्या का अन्वय बना लिया, और धारोरिक बनरन तथा कड़ा मानसिक काम करके मैंने अपने को ठीक-ठीक रखा। काम और कमरन को बाहर कुछ भी कीमत हो, जेल में तो वे लक्ष्मी थे। क्योंकि उनके बिना वहाँ कोई अपने मानसिक और धारोरिक स्वास्थ्य को कायम नहीं रख सकता। मैंने अपना एक कार्यक्रम बना लिया था, जिसका मैं कड़ाई के साथ पालन करता था। भित्ताल के लिए, अपने को बिलकुल ठीक रखने के लिए, मैं रोड हजानत बनाता था (हजामत के लिए मुझे सैफटी रेजर मिला हुआ था)। मैंने इस छोटी-सी बात का खिन्न इसलिए किया है कि आमतौर पर लोगो ने इन आदतों को छोड़ दिया और वे कई बावों में टोले पड गये थे। दिनभर कड़ा काम करने के बाद शाम को मैं खूब थक जाता और मजे से नींद का स्वागत करता।

इस तरह दिनों के बाद दिन, हफ्तों के बाद हफ्ते और नहींनों के बाद महीने निकल गये। कनी-कमी ऐसा बालूम पडता था कि महीना बुरी तरह चिपक गया है और वह खत्म ही नहीं होना चाहता। और कनी-कमी तो मैं हर चीज और हर गहना से ऊब जाता, सबपर गुस्सा

करता, सबसे खीझ उठता, फिर वे चाहे जेल के मेरे साथी हो और चाहे जेल के कर्मचारी। ऐसे वक्त पर मैं बाहर के लोगो पर भी इसलिए खीझ उठता था कि उन्होंने यह काम क्यों किया या यह काम क्यों नहीं किया ? ब्रिटिश-साम्राज्य से तो हमेशा ही खीझा रहता था। लेकिन ऐसे वक्त पर औरो के साथ-साथ और सबसे ज्यादा, मैं अपने ऊपर भी खीझ उठता था। इन दिनों मैं बहुत चिडचिडा भी हो जाता, और जेल की जिन्दगी में होनेवाली खरा-खरा-सी बातों पर बिगड उठता था। सुशकिस्मती यह थी कि मेरा मिजाज ज्यादा बिनो तक ऐसा नहीं रहता था।

जेल में मुलाकात का दिन बड़े उल्लास का दिन होता था। हम लोग मुलाकात के दिनों को कैसा चाहते थे। उनके लिए कैसा इन्तजार करते थे तथा उनके लिए कैसे दिन गिना करते थे। लेकिन मुलाकात की खुशी के बाद उसकी अवश्यम्भावी प्रति-क्रिया भी होती और फिर चून्यता और अकेलेपन का राज हमारे दिल में छा जाता। अगर, जैसा कि कभी-कभी होता था, मुलाकात कामयाब नहीं हुई, इसलिए कि मुझे कोई ऐसी खबर मिली जिससे मैं बिगड गया या और कोई अन्य ऐसी ही बात हुई, तो मैं वाद को बहुत ही दुखी हो जाता था। हाँ, मुलाकात के वक्त जेल के कर्मचारी तो मौजूद रहते ही थे। लेकिन बरेली में तो दो या तीन भतंवा उनके साथ-साथ सी० आई० डी० का आदमी भी हाथ में कागज और पेन्सिल लिये मौजूद रहा, जो हमारी बातचीत के करीब-करीब हरेक हफ्ते को बड़े उत्साह से लिख रहा था। इस बात से मुझे बहुत ही चिड होती थी और ऐसी मुलाकाते बिल्कुल बेकार गईं।

पहले इलाहाबाद-जेल में मुलाकात करते हुए और उसके बाद सरकार की तरफ से मेरी माँ और पत्नी के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ था उसकी वजह से मैंने मुलाकाते करना बन्द कर दिया था। करीब-करीब

सात महीने तक मैंने किसीसे मुलाकात नहीं की। मेरे लिए यह वक्त बहुत ही मनहूस रहा और जब इस वक्त के वाव मैंने यह तय किया कि मुझे मुलाकात करना शुरू कर देना चाहिए और उसके फलस्वरूप जब मेरे लोग मुझसे मिलने आये तब मैं आनन्द से झूमने लगा था। मेरी बहन के छोटे-छोटे बच्चे भी मुझसे मिलने को आये थे। उनमें से एक छोटे से बच्चे को मेरे कन्धों पर चढ़ाने को आदत थी। यहाँ भी जब उसने मेरे कन्धे पर चढ़ना चाहा तो मेरे भावों का बाँध टूट गया। मानवों ससर्ग के लिए एक लम्बी चाहू के बाद गृह-जीवन के इस स्पर्श से मैं अपने को सम्हाल न सका।

जब मैंने मुलाकात करना बन्द कर दिया था तब घर से या दूसरी जेलो से आनेवाले खत (क्योंकि मेरी दोनों बहने जेल में थी) जो हमें हर पन्द्रहवें दिन मिलते थे और भी कीमती हो गये, और मैं उनकी बाट बडी उत्सुकता से देखा करता था। निश्चित तारीख को कोई खत न आता तो मुझे बड़ी चिन्ता सवार हो जाती। लेकिन साथ ही जब खत आते तब मुझे उन्हें खोलते हुए डर-सा लगता था। मैं उनके साथ उसी तरह खिलवाड़ करता जिस तरह कोई इत्मीनान के साथ आनन्द की चीख से करता है। साथ ही मेरे मन में कुछ-कुछ यह डर भी रहता था कि कहीं खत में कोई ऐसी खबर या बात न हो कि मुझे दुःख हो। जेल में खतों का आना या जेल में खत लिखना दोनों ही वहाँ के शान्तिमय और स्थिर जीवन में बाधा डालते थे। वह मन में भावों को जगाकर बेचैनी पैदा करता था और उसके बाद एक या दो दिन तक मन अस्तव्यस्त हो कर भटकने लग जाता और उसे रोज़भर्रा के काम में जुटाना मुश्किल हो जाता था।

नैनी और बरेली जेल में तो मेरे बहुत-से साथी थे। देहरादून में गुरु-गुरु में हम सिर्फ तीन ही थे। मैं, गोविन्दवल्लभ पन्त और काशीपुर

के कुँवर आनन्दसिंह । लेकिन पन्तजी तो कोई दो महीने बाद छोड़ दिये गये, क्योंकि उनकी छ महीने की सजा खत्म हो गई थी । इसके बाद हमारे दो और साथी हमसे आ मिले थे । लेकिन जनवरी १९३३ लगी ही थी कि मेरे मव साथी चले गये और मैं अकेला ही रह गया । अगस्त के अखीर में जेल से छूटने तक, करीब-करीब आठ महीने तक, देहराडून जेल में मैं विलकुल अकेला रहता था । हर रोज़ कुछ मिनट तक किसी जेल कर्मचारी के अलावा कोई ऐसा न था जिससे मैं वान-बीत भी कर लिया करता । कानून के अनुसार तो यह एकान्त सजा न थी, लेकिन उससे मिलती-जुलती ही थी । इसलिए ये बड़ी मनहूसी के दिन रहे । मीमांश से इन दिनों मैंने मुलाकात करना शुरू कर दिया था । उनसे मेरा कुछ कुछ हलका हो गया था । मेरा खयाल है कि मेरे साथ यह खास रिवायत की गई थी जो मुझे बाहर से भेजे हुए ताजे फूल लेने की और कुछ फोटो रखने की इजाजत थी । इन बातों से मुझे काफी तसल्ली मिलती थी । मामूलीतौर पर कैदियों को फूल या फोटो रखने की इजाजत नहीं है । कई मौकों पर मुझे वे फूल नहीं दिये गये जो बाहर से मेरे लिए लाये गये थे । अपनी कोठरियों को खुशनुमा बनाने की हमारी कोशिशें रोकੀ जाती थी । मुझे याद है कि मेरे एक साथी ने, जो मेरे पड़ोस की कोठरी में रहता था, अपने शीशे, कबूतरी चीजों को जिस तरह सजाकर रक्खा था उसपर जेल के सुपरिण्डेण्ट ने ऐतराज किया था । उनसे कहा गया कि वह अपनी कोठरी को आकर्षक और 'विलासता-पूर्ण' नहीं बना सकते । और वे विलासता की चीजें क्या थी ?—दाँतो का एक ब्रश, दाँतो का एक पेस्ट, फाउण्टेनपेन की स्पाही, सिर में लगाने के तेल की शीशी, एक ब्रश और कधी, शायद एक या दो छोटी-छोटी चीजें और !

जेल में हम लोग ज़िन्दगी की छोटी-छोटी चीजों की कीमत को

सनझने लगे थे। वहाँ तो हनारा मामान इतना कम होता था और उसे हन न तो झगानी से बढा ही सकते थे न उसकी जगह दूसरी चीजें ही मगा सकते थे, इसलिए हम उने बडी होशियारी से रखते थे, और ऐसी इक्की-दुक्की छोटी-छोटी चीजों को बटोर कर रखते थे जिन्हें जेल से बाहर की दुनिया में हम रहीं की टोकरी में फेका करते थे। इस प्रकार जब हमारे पान मिलकियत रखने को कोई चीज नहीं होती तब भी तो जायदाद और मिलकियत का ख्याल हमारा पीछा नहीं छोडता।

कनी-कनी जिन्दगी की कोमल वस्तुओं के लिए शरीर अकुला उठना, गारीरिक नुब-भोग, आनन्दप्रद अडोम-पडोस, मित्रों के साथ दिलचस्प बातचीत और वच्चों के साथ खेलने की इच्छा जोर पकड जाती थी। किमी अखबार में किनी तस्वीर या फोटो को देखकर पुराना जमाना सदेह सामने आ खडा होता—उन दिनों की वाते जब जबानी में किसी बात की फिकर न थी। एमे वक्त पर घर की याद की बीमारी बुरी तरह जकड लेती और वह दिन बडी बेचैनी के साथ कटता।

मैं हर रोज थोडा-बहुत काता करता था, क्योंकि मुझे हाथ का कुछ काम करने से तत्तली मिलने के साथ-साथ बहुत ज्यादा दिमागी काम से कुछ छुट्टी भी मिल जाती थी। लेकिन मेरा खास काम लिखना और पटना ही था। मैं जिन-जिन किताबों को पढना चाहता था वे सब तो मुझे मिल नहीं पाती थी, क्योंकि उनपर रोक थी और वे सेसर होती थीं। किताबों को सेसर करनेवाले लोग हमेशा अपने काम के योग्य नहीं होते थे। न्यंगलर की Decline of the West (पश्चिम का पतन) नामक किताब इसलिए रोक ली गई थी कि उसका नाम खतरनाक और राजद्रोहात्मक मानूँ हुआ था। लेकिन मुझे इस मन्वन्ध की किनी प्रकार की भिकियत नहीं करनी चाहिए। क्योंकि कुछ मिलाकर मुझे तो सभी किस्म की किताबें मिल जाती थीं। ऐसा मालूम पडना है कि इस मामले में भी

मेरे साथ खास रियायत होती थी, क्योंकि मेरे बहुत से साथियों को, जो 'ए' क्लास में रखे गये थे, प्रचलित विषयो पर किताबें मगाने में बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। मुझसे कहा गया है कि बनारस की जेल में तो सरकार का श्वेत-पत्र (White paper) भी नहीं दिया गया, जिसमें खुद सरकार की विधान-सम्बन्धी योजनायें थीं, क्योंकि उसमें राजनैतिक बातें थीं। ब्रिटिश अधिकारी धार्मिक पुस्तकों और उपन्यासों की तहेदिल से सिफारिश करते थे। यह बात आश्चर्यजनक है कि धर्म का विषय ब्रिटिश सरकार को कितना प्यारा लगता है और वह हर तरह मजहब को कितनी निष्पक्षता के साथ आगे बढ़ाती है।

हिन्दुस्तान में जब कि मामूली-से-मामूली नागरिक-स्वतंत्रता भी छीन ली गई हो तब कैदियों के हकों की बात करना विलकुल अनुचित मालूम होता है। फिर भी यह मामला ऐसा है जिमपर गौर किया जाना चाहिए। अगर कोई अदालत किसी आदमी को कैद की सजा दे देती है तो क्या उसके मानी यह है कि उसके शरीर ही नहीं उसका मन भी जेल में ठूस दिया जाय ? चाहे कैदियों के शरीर भले ही आजाद न रहे पर क्या वजह है कि उनका दिमाग आजाद न रहे ? हिन्दुस्तान की जेलों का इन्तजाम जिन लोगों के हाथ में है वे तो अवश्य ही इस बात को सुनकर घबरा जावेंगे, क्योंकि नये विचारों को जानने और लगाने का विचार करने की उनकी शक्ति साधारणतया सीमित हो जाती है। यों तो सेसर का काम हर वक्त बुरा होना है और नाच ही पक्षपात-पूर्ण तथा बेहूदा भी, लेकिन हिन्दुस्तान में तो वह बहुत-से आधुनिक ग्राहिन्य और आगे बढ़ी हुई पत्र-पत्रिकाओं से हमें बचित रखता है। जून को हुई किताबों की सूची बहुत बड़ी है और वह दिन-पर-दिन बढ़ती ही जा रही है। इस सबके अलावा कैदों को तो एक और नेमरगिप वा नी सामना करना पड़ता है। और इस तरह उनके धान वे बहुत-सी गिनाने

नया अखबार भी नहीं पहुँच पाते जिन्हें वह कानून के मुताबिक बाहर उरीदकर पट मक्ता है।

कुछ दिनों पहले यह प्रश्न न्यूयॉर्क राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क नगर की मनहूर मिगसिंग-जेल के सिलसिले में उठा था। वहाँ कुछ कम्यूनिस्ट अखबार रोक दिये गये थे। अमेरिका के शासकवर्ग में कम्यूनिस्टों के खिलाफ बहुत खोर के भाव हैं, लेकिन यह सब होते हुए भी वहाँ की जेल के अधिकारी इस बात के लिए राखी हो गये कि जेल निवासी जिस फिनाव व अखबार को चाहे मँगाकर पट सकने हैं, चाहे ये अखबार व पत्रिकाएँ कम्यूनिस्ट मत की ही क्यों न हों? वहाँ की जेल के वार्डन ने मिर्फ व्यंगचित्रों को रोक़ा, जिन्हें वह भड़कानेवाला समझता था।

हिन्दुस्तान की जेलों में मानसिक स्वतन्त्रता पर शोर करने का यह सवाल कुछ हद तक बेहूदा मालूम होता है जबकि, जैसा कि हो रहा है, ज्यादातर कैदियों को कोई भी अखबार या लिखने की सामग्री नहीं दी जाती। यहाँ तो सवाल तैमरगिप या देखभाल का नहीं है बल्कि बिल-कुल इनकारी का है। ज़ायदों के मुताबिक तो मिर्फ 'ए' क्लास के और बगाल में पहले डिबीखन के कैदियों को ही लिखने की सामग्री दी जाती है। इनमें से भी मक्को रोज़ाना अखबार नहीं दिया जाता। जो रोज़ाना अखबार दिया जाता है वह भी सरकार की पसन्द का है। 'बी' और 'सी' क्लास के कैदियों के लिए लिखने के सामान की कोई ज़रूरत नहीं मन्जो जाती, चाहे वे राजनैतिक हों या शूर-राजनैतिक। 'बी' क्लास वालों को कभी-कभी बहुत छान रिज्वायत दिख़ाकर लिखने का सामान दे दिया जाता है और यह रिज्वायत अन्तर चापस ले ली जाती है। मामद टून्ने कैदियों की तुलना में 'ए' क्लास के कैदियों की तादाद हज़ार पीठे एक बैठेगी। इसलिए हिन्दुस्तान में कैदियों की तकलीफ़ों पर शोर करने हुए उनका ख़याल न किचा जाय तब भी कोई हज़ं नहीं। लेकिन

यह बात याद रखनी चाहिए कि इन खास रिवायतवाले 'ए' क्लास के कैदियों को भी किताबों और अखबारों के मामले में उतने हक नहीं मिले हुए हैं जितने कि ज्यादातर सम्य देशों में मामूली कैदियों को प्राप्त हैं।

बाकी लोगों को एक हप्ता में ९९९ को एक वक्त में दो या तीन किताबें ही दी जाती हैं, लेकिन हालत ऐसी है कि वे इस रिवायत से भी पूरा-पूरा फायदा नहीं उठा पाते। कुछ लिखना या जो-कुछ किताब पढ़ी जाय उसका नोट लेना तो ऐसा खतरनाक मन-बदहलाव समझा जाता है जो उन्हें हरगिज न करना चाहिए। मानसिक उन्नति का इस तरह जान-बूझकर रोका जाना एक अजीब और मजबूत बात है। किसी कैदी को मुधारने और योग्य नागरिक बनाने के खयाल से तो उसके दिमाग पर ध्यान देकर उसे दूसरी तरफ लगाना उचित है। पढ़ा-लिखाकर उसे कोई धन्धा सिखा देना चाहिए। लेकिन शायद हिन्दुस्तान में जेल के हाकिमों को यह बात सूझी ही नहीं। और युक्तप्रान्त में तो उसका खासतौर पर अभाव ही दिखाई देता है। हाल में जेलों में लडकों और नौजवानों को थोड़ा लिखना-पढ़ना सिखाने की कुछ कोशिशें की गई हैं। लेकिन वे बिलकुल व्यर्थ हैं और जिन लोगों के सुपुर्व यह काम किया गया है वे उसे पूरा करने के बिलकुल अयोग्य हैं। कभी-कभी यह कहा जाता है कि कैदी लोग लिखना-पढ़ना पसन्द नहीं करते। लेकिन मेरा अपना अनुभव इसके बिलकुल खिलाफ है और कई लोग जो मेरे पास लिखने-पढ़ने की गरज से आते थे उनमें मैंने पढ़ने-लिखने का पूरा-पूरा चाव देखा। जो कैदी हमारे पास आ पाते थे उन्हें हम पटाते थे। वे लोग बड़ी मेहनत से पढ़ते थे, और जब कभी मैं रात में जग पढता तो यह देखकर आश्चर्य करता कि उनमें से एक या दो अपनी बैरक की धुंधली लालटेन के पास बैठे हुए अगले दिन के अपने पाठ को याद कर रहे हैं।

मैं अपनी किताबों में ही जूटा रहा। कभी एक प्रकार की किताबें पढता तो कभी दूसरे किस्म की। लेकिन ज्ञानपीठ पर मैं ठोस विषय की किताबें पढना था। उपन्यास पढने ने दिनाग में एक टोलान-सा मालूम होने लगना है। इसलिए मैंने ज्यादातर उपन्यास नहीं पढे। जब-कभी पढने-पढने मेरा जो ऊब उठना तब मैं लिखने बैठ जाता। अपनी मजा के दो नाचों में तो मैं उस 'ऐतिहासिक पत्रमाला' में लगा रहा, जो मैंने अपनी पुत्री (इदिरा) के नाम लिखी। उन्होंने मुझे अपने दिनाग जो ठीक-ठीक रखने में बहुत मदद दी। कुछ हद तक तो मैं उन पुराने इमानों में रहने लगा, जिसकी वादन में लिख रहा था और इसलिए इन दिनों करीब-करीब यह मूल-सा गया कि मैं जेल के भीतर रह रहा हूँ।

यात्रा-सम्बन्धी पुस्तकों का मैं हमेशा स्वागत करता था, ज्ञानपीठ पर पुराने यात्रियों के यात्रा-वर्णन का—जैसे ट्यूएनत्सांग, नाकोंगोला और डबल वनूता वगैर। जानकल के यात्रियों की यात्राओं का वर्णन भी अच्छा मालूम होता था—जैसे स्वेन हेडन ने मध्य-एशिया के जंगलों में जो सफ़र किया उसका और रौरिक को तिब्बत में जो खोज वाते मिली उनका वर्णन। विद्यो की पुस्तकें भी—ज्ञानपीठ पहाड़ों, हिम-प्रपातों और भरम्वलो की तस्वीरें भी अच्छी लगती थीं, क्योंकि जेल में विशाल मैदानों और नमूद और पहाड़ों को देखने की चाह बढ जाती है। मेरे पास माउन्ट ब्लॉक, आल्प्स पर्वत, और हिमालय की कुछ सुन्दर चित्रोंवाली पुस्तकें थीं और अन्तर में उन्हें देखा करता था। जब मेरी काँठरी या वरक की गरमी एकनी पन्द्रह दिनों या उसने भी ज्यादा होनी थी, तब मैं हिम-प्रपातों को एकटक होकर देखना। एटलन को देखकर तो बड़ा जोश पैदा होता था। उसे देखकर सब तरह की पुरानी

१. जो अब 'विश्व-इतिहास की झलक' (Glances of the World History) के नाम से 'सस्ता साहित्य मंडल' से प्रकाशित हो चुकी है।—अनु०

वातो की याद आ जाती थी—उन जगहो की याद जहाँ हम हो आये हैं और उन जगहो की भी जहाँ हम जाना चाहते थे। और कभी-कभी मन में यह उत्कण्ठा पैदा होती कि पिछले दिनों में जिन जगहो को हम देख आये हैं उन्हें फिर देखें। एटलस मे बड़े-बड़े शहरो को बतानेवाले जितने निगान है वे मानो हमको बुला रहे हो और हमे वहाँ जाने की इच्छा होती थी। एटलस में पहाड़ो को देखकर और समुद्र के नीले चिन्हो को देखकर भी उन्हें पार करने की इच्छा होती। दुनिया के मौन्दर्य को देखने की, बदलती हुई मनुष्य-जाति के सघर्षों और सशामो को देखने की, और खुद भी इन सब कामो को करने की उमर्गें हमको तग करती और हमारा पल्ला पकड लेती और हम बड़े दुख के साथ छटपट एटलस को उठाकर रख देते और अच्छी तरह जानी-पहचानी हुई उन दीवारो को देखने लग जाते, जो हमें धेरे हुए थी, और जो नीरस ढर्रां हमें रोजमर्रां पूरा करना पडता था उसमें जुत जाते।

: ४५ :

जेल में जीव-जन्तु

कोई साढे चौदह महीने तक मैं देहरादून-जेल की अपनी छोटी-सी कोठरी में रहा और मुझे ऐसा लगनें लगा जैसे मैं उसीका एक हिस्सा हूँ। उसके कणकण से मैं परिचित हो गया। उसकी सफेद दीवारो पर लगे हरेक निशान और खुरदरी फर्श, हरेक खरोच और दबोच को और उसके शहतीरो पर लगे घुन के छेदो को मैं जान गया था। बाहर के छोटे-से आगन मे उगे घास के छोटे-छोटे गुच्छे और पत्थर के टेढे-मेढे टुकडे मुझे पुराने दोस्त-से लगते थे। मैं अपनी कोठरी में अकेला था सो बात नहीं। क्योंकि वहाँ कितने ही तर्तयो और बर्रां के उपनिवेश थे

और किन्ती ही छिपकलियों ने गहनीरो के पीछे अपना घर बना दिया था, जो आम को अपने शिकार की आश में बाहर निकला करती। यदि विचार और भावना नीतिव चींटों पर अपने चिन्ह छोड़ मरती हैं तो इन कोठरी की हवा का एक-एक कण उनमें उल्टर मरा हुआ था और उस सँकड़ो जगह में जो-जो भी चींटे थीं उन सब पर वे जकड़ि हुए बिना न रहें होंगे।

कोठरी का मुझे दूसरी जेलों में इतने अच्छी मिन्ती थी, मगर देहरादून में मुझे एक विशेष नाम मिला था, जो मेरे लिए वेदकीर्णन था। कसती जेल एक बहुत छोटी जगह थी और हम जेल की दीवारों के बाहर एक पुरानी हवालात में रक्ते गये थे। लेकिन यी वह अहाते में ही। यह जगह इतनी छोटी थी कि उसमें आम-पास घूमने की कोई जगह न थी और इसलिए हमको मुवह-आम फाटक के मानने कोई नौ गज तक घूमने की छुट्टी थी। हम रहते तो थे जेल के अहाते में ही, लेकिन उन दीवारों के बाहर आ जाने से पर्वतनालाओ, खेतों और कुछ दूर की आम सबक के दृश्य दिखाई पड जाते थे। यह विगोप लाम लाम मुझे अकेले ही को नहीं मिला था, बल्कि देहरादून के हरेक 'ए' क्लास के कैदी को मिलता था। इनी तरह जेल की दीवार के बाहर लेकिन अहाते के अन्दर, एक और छोटी इमारत थी जिने यूरोपियन हवालात कहते थे। इनके चारों ओर कोई दीवार न थी, जिसने कोठरी के अन्दर का आदमी पर्वत-श्रेणियों और बाहर के जीवन के सुन्दर दृश्य देख सकता था। इनमें जो यूरोपियन कैदी या हमारे लोग रक्ते जाते थे उन्हें भी जेल के फाटक के पास मुवह-आम घूमने की इजाजत थी।

वही कैदी, जो लम्बे अर्से तक इन ऊँची दीवारों के अन्दर कैद रहे हो, इन बाहर चर करके और खुले दृश्यों के देखने के अनाधारण मानसिक मूल्य को पहचान सकते हैं। मैं इस तरह बाहर घूमने का बड़ा शौक

रखता था और बारिश में भी मने इस सिलसिले को नहीं छोड़ा था, जबकि जोर से पानी की झड़ी लगती थी और मुझे टखने-टखने तक पानी में चलना पड़ता था। यो तो किसी भी जगह बाहर सर करने का मने सदा ही स्वागत किया होता, लेकिन यहाँ तो अपने पड़ोसी गगनचुम्बी हिमालय का मनोहर दृश्य और भी खुशी को बढ़ाने वाला था, जिससे कि जेल की उदासी बहुत-कुछ दूर हो जाती थी। यह मेरी बहुत बड़ी खुशकिस्मती थी कि जब लम्बे असें तक मने कोई मुलाकात नहीं की थी और जब कितने ही महीने तक अकेला रहा तब मैं इन प्यारे सुहावने पहाड़ों को एक-टक निहार सकता था। हाँ, अपनी कोठरी से तो मैं इस गिरिराज के दर्शन नहीं कर सकता था, मगर मेरे मन में सदैव ही उसका ध्यान आता था और वह हमेशा समीप मालूम होता था और जान पड़ता था कि मानो अन्दर-ही-अन्दर हम दोनों के बीच एक घनिष्ठता बढ़ रही थी।

पक्षि-पुंज ये उड़-उड़ ऊँचे निकल गये हैं कितनी दूर।

जलद-खड भी इसी तरह वह नभ-पथ से होगया बिलीन,
एकाकी मैं, सम्मुख मेरे पर्वतशृंग खड़ा है शान्त—

मैं उसको, वह मुझे, देखते दोनों ही हम थके कभी न।^१

मे समझता हूँ कि उसके कवि ली तार्ई पो की तरह मैं यह नहीं कह सकता कि मैं इस नगाधिराज से कभी नहीं थकता। मगर हाँ, ऐसा तो कभी-कभी ही अनुभव होता था, और साधारणतया तो मैं उसकी निकटता से सदा बहुत सुख का अनुभव करता था। उसकी दृढता और स्थिरता मानो लाखों वर्षों के ज्ञान और अनुभव के साथ मुझे गिरी निगाह से देखती है और मेरे मन के तरह-तरह के उतार-चढ़ाव की दिल्लगी उड़ाती है और मेरे अशान्त मन को सान्त्वना देती है।

देहरादून में वसन्त-ऋतु बड़ी सुहावनी होती है और नीचे के मैदानों

१. अंग्रेजी पद्य का भावानुवाद।

की वनिन्दल ज्यादा समय तक रहती है। जाड़े ने प्रायः सब पेड़ों का पतझड़ कर दिया है और वे विलकुल नग-झड़ग हो गये हैं। जेल के फाटक के सामने जो चार विशाल पीपल के पेड़ हैं, उन्होंने भी, आश्चर्य तो देखिए, अपने करीब-करीब सब पत्ते नीचे गिरा दिये हैं और खंड-खंड और उदाम बनकर वे वहाँ उड़े हैं। फिर वसन्त-ऋतु आती है और उसकी जीवनदायिनी वायु उन्हें अनुप्राणित करती है और उनके ठेठ अन्दर के एक-एक परमाणु को जीवन का नदेश भेजती है। तब सहसा, क्या पीपल और ब्या दूमेरे पेड़ों में, एक हलचल होती है और उनके आसपास कुछ रहस्य-म्रा दिखाई पड़ता है, जैसे कोई परदे के अन्दर छिपे-छिपे कोई प्रक्रिया हो रही है और मैं तमाम पेड़ों पर हरे-हरे अकुरो और कोपलों को उझक-उझक कर क्षाकते हुए देखकर चकित रह जाता। वह बड़ा ही उल्लासमय और आनन्ददायी दृश्य था। फिर बड़ी तेजी के साथ लाखों पत्ते उमड़ आते, सूर्य की किरणों में चमकते और हवा के साथ अठखेलियाँ करते। एक अखुए से लेकर पत्ते तक में यह रूपान्तर कितना जल्दी हो जाता है और कितना आश्चर्यजनक !

मैंने इसमें पहले कभी नहीं देखा था कि आम के कोमल पत्ते पहले सुर्खी लिये गेहूँवा रंग के होते हैं, ठीक वैसे कि जैसे काश्मीर के पहाड़ों पर रागद् ऋतु में हल्के रंग की छाया छा जाती है, लेकिन जल्दी ही वे अपना रंग बदलकर हरे हो जाते हैं।

बाँस का वहाँ हमेंगा ही स्वागत होना था, क्योंकि उनमें ग्रीष्म-ऋतु की गर्मी का अन्न आ जाता था। लेकिन अच्छी चीज की भी धाँसिर हद होनी है। बाद में वह भी बदलने लगती है। और देहरादून को तो मानो उन्द्र महागज की प्रिय लीला-भूमि ही नमस्सिए ! बरसात शुरू होने ही पाच हफ्तों तक ऐसी मंडी लगती है कि कोई प्रचाँस-माट्ट उन पानी बग्गें जौना है और उन छोटी-नी तग जगह में सिडकियो

मे आती हुई वौछारो से अपने को बचाते हुए सिकुड़-मुकुड़ कर कुप्पा वने बैठे रहना अच्छा नहीं लगता ।

हाँ, गरदश्रु में फिर आनन्द उमड़ने लगता है और इसी तरह शिशिर में भी, उन दिनों को छोड़कर जबकि मेह बरसता ही । एक तरफ विजली कड़क रही है, दूसरी तरफ वर्षा हो रही है और तीसरी तरफ चुभती हुई ठण्डी हवा बह रही है । ऐसी हालत में हर आदमी को उत्कठा होती है कि रहने को एक अच्छी जगह हो, जिसमें सर्दी से बचाव होसके और जरा आराम मिले । कभी-कभी बरफ का तूफान आता और बड़े-बड़े जोले गिरते और वे टीन की छतों पर से गिरते हुए बड़े जोर की आवाज करते, मानो दनादन तोपें छूट रही हो ।

एक दिन मुझे खासतौर पर याद है । वह २४ दिसम्बर १९३२ का दिन था । बड़ी जोर की विजली कड़क रही थी और बिन-भर पानी बर-मता रहा । जाड़ा इतना सख्त कि कुछ मख्त पुछो । शारीरिक कष्ट की दृष्टि से अपने सारे जेल-जीवन में मुझे बहुत कम ऐसे बुरे दिन देखने पड़े हैं । लेकिन शाम को बादल एकाएक बिखर गये और जब मैंने देखा कि पर्वतश्रेणियों पर और पहाड़ियों पर बरफ-ही-बरफ जमी हुई है तो मेरी सारी तकलीफ न जाने कहाँ चली गई ? दूसरा दिन क्रिसमस-डे था, बहुत निर्मल और मनोरम । और बरफ के आवरण में पर्वत-श्रेणियाँ बहुत ही सुन्दर दिखाई देती थी ।

जब साधारण रोजमर्रा के कामों से हम रोक दिये गये तो हमारा ध्यान प्राकृतिक लीला के दर्शन की ओर ज्यादा गया । जो-जो जीवधारी या कीड़े-मकोड़े हमारे सामने आते उनको हम ध्यान से देखने लगे । ज्यो-ज्यो मैं ज्यादा ध्यान से देखने लगा त्यो-त्यो मैंने देखा कि मेरी कोठरी में और बाहर के छोटे-से आँगन में हर तरह के जीव-जन्तु रहते हैं । मैंने मन में कहा कि एक ओर मुझे देखो जिसे अकेलेपन की शिका-

यत है, और हमारी जो उन लोग जो देवी जो सान्नी और मुनमान मान्ना होता है लेकिन जिनमें जीवन उनडा पडना है। ये तनाम जिस्म के नानेवाने नरकनेवाने और उडनेवाने जीववारी मेरे काम में पुरा जो इच्छा दिने बिना अपना जीवन बिनाने थे, तो मुझे क्या पडी थी कि मैं उनके जीवन में बाधा पहुँचाना ? लेकिन हाँ, अटमनो, नच्छरो और कुछ-कुछ नकिस्सो ने मेरी लडाई बराबर रहती थी। तर्तियों और बरों को तो मैं नह लेना था। मेरी कोठरी में वे हृष्टारो की तादाद में थे। हाँ, एक बार उत्तनी-मेरी क्षय होगई थी, जब कि एक नर्तये ने, गायद अनजान में, मुझे मार खाया था। मैंने कुपिन होकर उन नवको निकाल देना बाहा कोमिग भी की, लेकिन अपने चन्दरोडा प्ररो को भी वचाने के लिए उन्होंने खूब इटकर सामना किया। छतो में गायद इनके अडे थे। अखिर को मैंने अपना इरादा छोड दिया और तय किया कि अगर वे मुझे न छेडें तो मैं भी उन्हे आराम से रहने दूंगा। कोई एक साल तक उनके बाद मैं उन दरों और तर्तियों के बीच रहा। अगर उन्हीं फिर कभी मुझ पर हमला नहीं किया और हम दोनो एक-दूसरे का मदर करते रहे।

हाँ, चन्नादडो को मैं पनद नहीं करता था; लेकिन उन्हें मैं मन नसोसकर बदलना करता था। वे नग्घ्या के अँवरे में चुपचाप उड़ जातीं और आसमान की अँधेरी नीलिना में उड़नी दिखाई पडतीं। वे बड़े मन-हम बौव थे और मुझे उनके बड़ी नफ़रत और कुछ भय-सा लगता था। वे मेरे चेहरे के एक इंच दूरी से उड़ जातीं और हमेशा मुझे डर मालूम होता कि नहीं मुझे अपट्टा न मार दें। ऊपर आकाश में डर बड़ी-बड़ी चन्नादडें उडा करती थीं।

मैं चींटियों, दीनकों और दूसरे कीडो को घण्टा देखना रहता था। छिनकलियो की भी, जब वे धान को अपने छिनार चुपके से पकड़ लेतीं

और अपनी द्रुम को एक अजीब हँसी आने लायक ढँग से हिलाती हुई एक-दूसरे को लपेटती। मामूलीतौर पर वे तर्तयों को नहीं पकड़ती थी, लेकिन दो बार मैंने देखा कि उन्होंने निहायत होशियारी और सावधानी से मुँह की तरफ से उसको चुपके से झपटकर पकड़ा। मैं नहीं कह सकता कि उन्होंने जान-बूझकर उनके डक को वचाया था था वह एक दैवयोग था।

इसके बाद, अगर कहीं आसपास में पेड़ हो तो, झुण्ड-की-झुण्ड गिल-हरियाँ होती थी। वे बहुत ढीठ और निश्चक होकर हमारे बहुत पास आ जाती। लखनऊ जेल में मैं बहुत देर तक एक-सा बैठे-बैठे पढा करता था। एक गिलहरी मेरे पैर पर चढ़कर मेरे घुटने पर बैठ जाती और चारों तरफ देखा करती। फिर वह मेरी आँखों की ओर देखती, तब समझती कि मैं पेड़ था जो कुछ उसने समझा हो वह नहीं हूँ। एक क्षण के लिए तो वह सहम जाती, पर फिर दुबककर खिसक जाती। कभी-कभी गिलहरियों के बच्चे पेड़ से नीचे गिर पड़ते। उनकी माँ उनके पीछे-पीछे आती, लपेटकर उनका एक गोला बनाती और उनको लेजाकर सुरक्षित जगह में रख देती। कभी-कभी बच्चे खो जाते। मेरे एक साथी ने ऐसे तीन खोये हुए बच्चे सम्हालकर रखे थे। वे इतने नन्हें-नन्हें थे कि यह एक सवाल हो गया था कि उन्हें दाना कैसे दें? लेकिन यह सवाल बड़ी तरकीब से हल किया गया। फ़ाउन्टेनपेन के फ़िलर में ज़रा-सी रई लगा दी। यह उनके लिए बढ़िया 'फीडिंग बोतल' हो गई।

अल्मोडा की पहाड़ी जेल को छोड़कर और सब जेलों में जहाँ-जहाँ मैं गया कबूतर खूब मिले—वे हज़ारों की तादाद में, और शाम को उड़कर आकाश में छा जाते थे। कभी-कभी जेल के कर्मचारों उनका गिनाकर करके उनसे अपना पेट भी भरते थे। और हाँ, मैनायें भी थी। वे तो सब जगह मिलती हैं। देहरादून में उनके एक जोड़े ने मेरी कोठरी के

इवाइके के ऊपर ही अपना घोंसला बनाया था। मैं उन्हें दाना दिया गया। वे बहुत पालतू हो गई थी और जब गनी उनके मुँह या गाम के दाने में देर हो जाती तो वे मेरे नज़दीक आकर बैठ जाती और जोर से ची-उँ-उँ के आवाज़ें मँगाती। उनके वे आवाज़ें और उनकी वह अजीब मुँहा देखने और सुनने ही बनती थी।

गनी में हजारों नोते थे। उनमें से बहुतोंसे तो मेरी बैरक की दीवार की दरारों में चूँते थे। उनकी गणनागणना और अगण-अगण आकर्षक वस्तु होती थी। वह देखनेवाले को मोहित कर लेती थी। कभी-कभी दो तोतों में एक तोती के लिए बड़े जोर की लड़ाई होती। तोती शालि के साथ उनके झगड़े के नतीजे का इन्तज़ार करती और विजेता पर अपनी प्रणय-वृष्टि करने के लिए प्रयत्न करती थी।

देहरादून में तरुण-तरुण के पक्षी थे और उनके कलरव करने और जोर-जोर से चिचियाते, चहचहाने और टँ-टँ करने से एक अजीब नमा बघ जाना था। और सबसे बढ़कर कोयल की दर्दभरी कूक का तो पूछना ही क्या? बारिश में और उसके ठीक पहले पपीहा आना। मचमुच उसका लगातार 'पियू-पियू' रटना देखकर दग रह जाना पड़ता था। चाहे दिन ही चाहे रात, चाहे धूप ही चाहे मेह, उसकी रट नहीं टूटती थी। इनमें से बहुतोंसे पक्षियों को हम देख नहीं पाते थे, सिर्फ़ उनकी आवाज़ सुनाई पड़ती थी, क्योंकि हमारे छोटे-से आँगन में कोई पेड़ नहीं था लेकिन गिद्ध और चीलें बड़ी धक्के के साथ आसमान में ऊँची उड़ती और उन्हें मैं देख सकता था। वे कभी एकदम झपट्टा मारकर नीचे उतर आते और फिर हवा के झोंके के साथ ऊपर चढ़ जाते। कभी-कभी जगली बगल ही हमारे गिर पर बैठकरा कर लेते थे।

बरेली-जेल में बदरों की आवाज़ें खाली थी। उनकी कूद-फ़ाद, मुँह बनाना वगैरह हरकतें देखने लायक होती थी। एक घटना का अमर

मेरे दिल पर रह गया है। एक बन्दर का बच्चा किसी तरह हमारी बैरक के घेरे के अन्दर आ गया। वह दीवार की ऊँचाई तक उछल नहीं सकता था। वार्डर, कुछ नवरदारो और दूसरे कैदियो ने मिलकर उसे पकडा और उसके गले में एक छोटी-सी रस्ती बाध दी। दीवार पर से उसके (में समझता हूँ) माँ-बाप ने यह देखा और वे गुस्से से लाल हो गये। अचानक उनमे से एक बड़ा बंदर नीचे कूदा और सीधा भीड़ में उस जगह गिरा जहाँ कि वह बच्चा था। निस्संदेह यह बड़ी बहादुरी का काम था, क्योंकि वार्डर वगैरा सबके पास डंडे और लाठियाँ थी। वे उन्हे चारो तरफ घुमा भी रहे थे और वे काफी तादाद में थे। लेकिन नबडक साहस की विजय हुई और मनुष्यो की वह भीड़ मारे डर के भाग निकली। उनके डंडे और लाठियाँ वहीं पडी रह गई और बच्चा उनसे छुटा लिया गया।

अक्सर ऐसे जीव-जन्तु भी दर्शन देते थे जिनसे हम दूर रहना चाहते थे। विच्छू हमारी कोठरियो में बहुर आया-जाया करते थे। खासकर तब, जब विजली चोरो से कडका करती। ताज्जुब है कि मुझे किसी ने भी नहीं काटा, क्योंकि वे अक्सर बेढव जगह मिल जाया करते थे। मेरे विछोने पर या कोई किताब उठाई उसपर भी। मैंने एक खासतौर पर काले और जहरीले-से विच्छू को कुछ दिन तक एक बोतल में रख छोडा था और भक्कियाँ वगैरा उसको खिलाया करता था। फिर मैंने उसे एक रस्ती से बाँधकर दीवार पर लटका दिया। लेकिन वह किसी तरह भाग निकला। मुझे यह स्वाहिण नहीं थी कि वह फिर कहीं घूमता-फिरता मुझसे मिलने आ जाय। इसलिए मैंने अपनी कोठरी को खूब साफ किया और चारो ओर उसे ढूँढा। मगर कुछ पता न चला।

तीन-चार साँप भी मेरी कोठरी में या उसके पास निकले थे। एक की खबर जेल के बाहर चली गई और अखबारो में मोटी-मोटी

लाडनो ने छापी गई। नगर उच पूछिए तो मैंने उस घटना को पसन्द किया था। जेल-जीवन योही काफी लखा और नीरस होता है और जब भी किसी तरह उसकी नीरसता को कोई चीज भंग करती है तो वह अच्छी ही लगती है। यह ज्ञान नहीं कि मैं माँपो को अच्छा समझना हूँ या उनका स्वागत करता हूँ। मगर हाँ, औरो को तरह मुझे उनसे डर नहीं लगता। बेशक उनके काटने का तो मुझे डर रहता है जोर यदि किसी स्त्री को देखूँ तो उनसे अपने को बचाऊँगी, लेकिन उन्हें देखकर मुझे बलुचि नहीं होती और न उनसे डरकर भागता ही हूँ। हाँ, कानज्वूरे में मुझे बहुत नफ़रत और डर लगता है। डर तो इतना नहीं नार अपने-आप उन देखकर नफ़रत होती है। कलकत्ते की बर्लीपुर-जेल में कोई आबी राग को मैं महसा जग पडा। ऐसा जान पडा कि कोई चीज मेरे पाँव पर रेंग रही है। मैंने अपनी टाँच दवाई तो क्या देवा कि एक कानज्वूरा बिन्दर पर है। एकाएक और मुड़ी तेरी से दिना भागा-पीछा मोंचे मैंने बिस्तर में ऐसे जोर की छलांग मारी कि कोठरी को दीवार में टकराने हुए बचा। उन समय मैंने अच्छी तरह जाना कि कम के अस्मिद जीव-मात्सी पेवचोव के 'रिफ्लेक्सेम'—स्वयन्मूर्त सिगमो क्या होती है।

देहातून में एक नया जन्तु देवा; या यो कहूँ कि ऐसा जन्तु देवा जो मेरे लिए अविचिन था। मैं जेल के फाटक पर खडा हुआ जेलर ने बात-बात कर कहा था कि इनने में बाहर में एक जादनी आया जो एक अजीब जन्तु सिधे हुए था। जेलर ने उसे बुझवाया। मैंने देवा कि वह एक नया जीव-मात्सी के बीच था जो मेरे जानकर है जो दो फीट लम्बा था। उगरे पजे से जोर छिछेदाव नमरी। वह महा और कुडील था और बहुत लम्बा था। एर जमीन तरह में उसने गाँठ की तरह एक मोटा कुन्डल बना लिया था जो गलेवाला जो एर बाँध में पिरोकर

वही मुझी से उठाना हुआ लाया था। वह उसे 'बो' कहता था। जब जेलर ने उनसे पूछा कि इसका क्या करोगे ? तो उसने जोर से हँसकर कहा, भुज्जी—सालन—वनायेगे ! वह जंगली आदमी था। बाद को एफ० उबन्यू० चंपियन की 'दी जंगल इन सनलाइट एण्ड शैडो' (घूप और छाया में जंगल) पढ़ने ने मुझे पता लगा कि वह पेंगोलिन था।

कैदियों की, खाने-पीने लम्बी सजावाले कैदियों की, भावनाओं को जेल में कोई भोजन नहीं मिलता। कभी-कभी वे जानवरों को पाल-पोसकर अपनी भावनाओं को तृप्त किया करते हैं। मामूली कैदी कोई जानवर नहीं रख सकता। नम्बरदारों को उनसे ज्यादा आजादी रहती है और जेल के कर्मचारी उनके लिए ऐतराज नहीं करते। आमतौर पर वे गिलहरियाँ पालते हैं और सुनकर ताज्जुब होगा कि नेवले भी। कुत्ते जेल में नहीं आने दिये जाते, मगर बिल्ली को, जान पड़ता है, उल्लसित किया जाता है। एक छोटी पुसिया ने मुझसे दोस्ती करली थी। वह एक जेल-अफसर की थी, जय उसका तवादला हुआ तो वह उसे अपने माय ले गया। मुझे उसका अभाव खलता रहा हालाँकि जेल में कुत्तों की इजाजत नहीं है, लेकिन देहरादून में इतिफाक से कुत्तों के साथ मेरा नाता हो गया था। एक जेल-अफसर कुतिया लाये थे। बाद को उनका तवादला हो गया और वह उसे वहीं छोड़ गये। वैचारी बेघर होकर इधर-उधर घूमती रही और पुलो और मोरियो में रहती हुई चारोंरों के दिये टुकड़े खाकर अपने दिन काटती थी। वह प्रायः भूखो भरती थी। मैं जेल के बाहर हवालात में रहता था। वह मेरे पास रोटी के लिए आया करती। मैं उसे रोज खाना खिलाने लगा। उसने एक मोरी में बच्चे दिये। कुछ तो और लोग ले गये मगर तीन बच्चे रहे और मैं उन्हें खाना देता रहा। इसमें से एक पिल्ली बीमार हो गई। बुरी तरह छटपटाती थी। उसे देख मुझे बड़ी तकलीफ होती थी। मैंने बड़ी चिन्ता

जैसे साथ उसकी श्रुतिया की और रात को कभी-कभी तो १०-१२ बार मुझे उठकर उसको सम्हालना पड़ता था। वह बच गई और मुझे इस बात पर खुशी हुई कि मेरी तीमारदारी काम आ गई।

वाहर की अपेक्षा जेल में जानवरों से मेरा ज्यादा सावका पडा। मुझे कुत्ते का बड़ा शौक रहा है और घर पर कुछ कुत्ते पाले भी थे, मगर हमारे कामों में लगे रहने की वजह से उनकी अच्छी तरह सम्हालना न कर सका। जेल में मैं उनके साथ के लिए उनका कृतज्ञ था। हिन्दु-स्तानी आमतौर पर घर में जानवर नहीं पालते। यह ध्यान देने लायक बात है कि जीवदया के सिद्धान्त के अनुयायी होते हुए भी वे अक्सर उनकी अवहेलना करते हैं। यहाँ तक कि गाय के साथ भी, जो हिन्दुओं को बहुत प्रिय और पूज्य है और जो अक्सर दगों का कारण बनती है, दया का बर्ताव नहीं होता। मानो पूजाभाव और दयाभाव, दोनों का साथ नहीं हो सकता। ✓

✓ भिन्न-भिन्न देशवालों ने भिन्न-भिन्न पशु-पक्षियों को अपनी महत्वा-कांक्षा या अपने चारित्र्य का प्रतीक बनाया है। उकाव समुक्तराज्य अमेरिका और जर्मनी का, सिंह और 'बुलडॉग' इंग्लैण्ड का, लड़ते हुए भुगें फ्रांस का और भालू पुराने रूस का प्रतीक हैं। सवाल यह है कि ये सरक्षक पशु-पक्षी राष्ट्रीय चारित्र्य को किस तरफ ले जायेंगे? इनमें से ज्यादातर तो हमलाऊ और लंडाका जानवर हैं और शिकारी पशु हैं। ऐसी दशा में यह कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि जो लोग इन नमूनों को सामने रखकर अपना जीवन निर्माण करते हैं वे, जान-बूझकर अपना स्वभाव वैसा ही बनाते हैं, आक्रामक रुख अख्तियार करते हैं, दूसरों पर गुर्रति हैं, गरजते हैं और झपट पड़ते हैं। और यह भी आश्चर्य की बात नहीं है कि हिन्दू नरम और अहिंसक हैं, क्योंकि उनका आदर्श पशु है गाय। ✓

: ४६ :

संघर्ष ✓

बाहर संघर्ष चलता रहा, और वीर स्त्रियाँ और पुरुष, यह जानते हुए भी कि वर्तमान में या निकट-भविष्य में सफलता पाना उनको भाग्य में नहीं है, एक ताकतवर और सुसज्जित सरकार का शान्ति के साथ मुकाबिला करते रहे। निरन्तर तथा अधिक-अधिक तीव्र होता हुआ दमन हिन्दुस्तान में अंग्रेजी शासन के आधार का प्रदर्शन कर रहा था। अब इसमें कोई धोखा-धड़ी नहीं थी, और कम-से-कम यही हमारे लिए कुछ सन्तोष की बात थी। सगाने कामयाब हुई, लेकिन एक बड़े योद्धा ने एक बार कहा था कि—“तुम सगीनो से सब कुछ कर सकते हो, लेकिन जन्ही के ऊपर (आधार पर) बैठ नहीं सकते।” हमने सोचा कि इसके बजाय कि हम अपनी आत्माओं को बेचे और आत्मिक व्यभिचार करें, यही अच्छा है कि हम इसी तरह शासित होना पसन्द करें। जल में हमारा शरीर डूब रहा था, लेकिन हम समझते थे कि वहाँ रहकर भी हम अपने कार्य से सेवा ही कर रहे हैं और बाहर रहनेवाले कई लोगों से ज्यादा अच्छी सेवा कर रहे हैं। तो क्या हमें, अपनी कमजोरी के कारण, भारत के भविष्य का वलिदान कर देना चाहिए—इसलिए कि हमारी जान बची रहे? यह तो सच था कि इन्सान की ताकत और सहन-शक्ति की भी हद होती है, और कई व्यक्ति शरीर से बेकार हो गये, या मर गये, या काम से अलग हो गये, गहारी तक कर गये, मगर इन बाधाओं के होते हुए भी कार्य आगे बढ़ता ही गया। लेकिन अगर आदर्श स्पष्ट दीखता रहता और हिम्मत ज्यो-की-त्यो बनी रहती तो हार नहीं हो सकती थी। असली असफलता तो है अपने सिद्धान्तों को छोड़ देना, अपने हक

ने इन्कार कर देना, और वेदवृत्तों के साथ वे-इन्कार के भागे सुक
जाए। अपने-जाय लगाये हुए दल्ले कुम्हने के लगाये हुए दल्लो से
जगदा देर में अच्छे होने हैं।

कमी-कमी अपनी जनकोरियों पर और बटक जानेवाली दुनिया पर
हनाग नन उठान हो जाय काना था, नगर फिर भी हमें जितनी नफ-
लना मिली थी उमीपर हमें कुछ लामिनाय था। क्योंकि हमारे लोगों ने
बहुत ही बीरतापूर्ण काम किया था, और उन बहादुर सेना में हम भी
शामिल हैं, उन खयाल में ही को आनन्द नाखून होता था।

अधिनय मग के उन बगनों में कांग्रेस के खुले अधिवेशन करने की
दो बार कोशिश की गई, एक दिल्ली में और दूसरी कच्छते में। यह
साहिर था, कि सरकारानुनी सत्ता मानूनी डेंग और शान्ति से अधिवेशन
नहीं कर सकनी थी, और खुला अधिवेशन करने की कोशिश का अर्थ था
पुलिस के मदद में आना। बन्तुन दोनों सम्मेलनों को पुलिस ने लाठियों
के बल, जबरदस्ती, गिरफ्तार कर दिया, और बहुत लोग गिरफ्तार
कर लिये गये। उन सम्मेलनों की विरोधना यह थी कि इन कानून विरुद्ध
सम्मेलनों में प्रतिनिधि बनकर शामिल होने के लिए हिन्दुस्तान के तमाम
हिस्सों में हजारों की गिनती में लोग जाये थे। मुझे यह जानकर
बड़े दुःखी हुई कि इन दोनों अधिवेशनों में युक्तप्रान्त के लोगों ने एक
अनुमति माग लिया था। मेरी नां में ही मार्च १९३३ के कलकत्ता-
अधिवेशन में जाने का आग्रह किया। लेकिन वह सम्मेलना जाते हुए,
जाने में मालवीयजी और दूसरे लोगों के साथ गिरफ्तार कर ली गई
और जामिनगी में जेल में कुछ दिनों तक बन्द रखनी गई। उन्होंने जो
आत्मनिष्ठ उपाय और गैर-शान्ति दिखाने उमे देखकर मैं दग रह
गया, परन्तु वह सम्मेलन और बीमार था। वह जेल की पगवा नहीं
करा, था, पर दो दर्जन भी बनाया कही अग्नि-भरीजा में मे गुजर

चुकी थी। उनका लडका, उनकी दोनों लडकियाँ, और दूसरे भी कई लोग जिन्हे वह बहुत चाहती थी, जेल में लम्बे-लम्बे अर्से तक रह चुके थे, और वह सूना घर, जिसमें वह रह रही थी, उनके लिए एक डरावनी जगह हो गई थी।

जैसे-जैसे हमारी लडाईं घीमी पडने लगी, और उसकी चालू रफ्तार हल्की हो गई, वैसे-वैसे उसमें जोश और उत्साह की कमी आनी गई—हाँ, बीच-बीच में लम्बे अर्से के बाद कुछ उत्तेजना हो जाया करती थी। मेरे खयालगत दूसरे मुल्को की तरफ ज्यादा जाने लगे, और जेल में जितना भी हो सका, मैं विश्व-व्यापी मन्दी से ग्रस्त दुनिया की हालत का निरीक्षण और अध्ययन करने लगा। मुझे इस विषय की जितनी भी कित्ताने मिली उन्हें मैं पढता गया, और मैं जितना-जितना पढता जाता था उतना-उतना ही उसकी तरफ आकर्षित होता जाता था। मुझे दिखाई दिया कि, हिन्दुस्तान तो अपनी खास समस्यायो और सघर्षों को रखते हुए भी इस खबरदस्त विश्व-नाटक का, राजनैतिक और आर्थिकशक्तियो की उस लडाईं का, जो कि आज सब राष्ट्रों के अन्दर और सब राष्ट्रों के आपस में हो रही है, सिर्फ एक हिस्सा ही है। इस लडाईं में मेरी अपनी सहानुभूति कम्यूनिज्म (साम्यवाद) की तरफ ही ज्यादा-ज्यादा होती गई।

समाजवाद और कम्यूनिज्म की तरफ मेरा बहुत समय से आकर्षण था, और रुस मुझे बहुत पसन्द आता था। रुस की बहुत-सी बातें मुझे नापसन्द भी हैं—जैसे सब तरह की बिरोधी राय का निरकुशता से दमन कर देना, सबको सैनिक बना डालना, और अपनी कई व्यवस्थाओ को अमल में लाने के लिए (मेरे मतानुसार) अनावश्यक बल-प्रयोग करना वगैर। मगर पूँजीवादी दुनिया में भी तो बल-प्रयोग और दमन कम नहीं है, और मुझे ज्यादा-ज्यादा यह अनुभव होने लगा कि हमारे सग्रहशील समाज का और हमारी सम्पत्ति का तो आघार और बुनियाद ही बल-प्रयोग है।

✓ बल-प्रयोग के बिना वह ज्यादा दिन टिक नहीं सकता। जबतक भूखों मरने का दरमज इगह अधिकांग जनता को, घोड़े लोगों की इच्छा के आधीन होने के लिए, हमेशा मरुचूर कर रहा है, जिसके फलस्वरूप उन घोड़े लोगों का ही धन-मान बढ़ता जाता है, तबतक राजनैतिक स्वतन्त्रता होने का भी बान्धव में कुछ अर्थ नहीं है। ✓

दोनों व्यवस्थाओं में बल-प्रयोग जीवूद है। पूंजीवादी व्यवस्था का बल-प्रयोग तो उनका अनिवार्य अंग ही नालून होता है। लेकिन रूस के बल-प्रयोग का, यद्यपि वह बुरा ही है, लक्ष्य यह है कि शान्ति और महयोग पर एबलम्विन जनता को अनली स्वतन्त्रता देनेवाली नई व्यवस्था कायम हो जाय। सोवियट रूस ने किननी भी भयकर भूले की हों नो भी वह नारी-नारी कठिनाइयो पर विजय पा चुका है और इस नई व्यवस्था की तरफ लम्बे-लम्बे डग रखता हुआ बहुत आगे बढ़ गया है। अब मजार के दूसरे मुक्त मन्दी में जकड़े हुए हैं, कई दशाओं में पीछे को तरफ जा रहे हैं, तब सोवियट देश में, हमारी आँखों के सामने, एक मई ही दुनिया बनाई जा रही है। महान् लेनिन के पदचिन्हों पर चलकर हम अविप्य पर निगाह रखता है, और केवल इमी बात का विचार करता है कि आगे क्या होना है। लेकिन मजार के दूसरे देश तो नूतनाल के गहार से मुग्न हुए पड़े हैं, और बीते हुए युग के निरर्थक न्युनि चिन्तों को अधुण्य खने में ही अपनी ताकत लगा रहे हैं। अपने अध्ययन में मुझपर उन विवरणों का बडा असर पडा, जिनमें सोवियट शासन के पिछड़े हुए मध्य-एगियाई प्रदेशों को बडी नारी तरफकी का हाट दिया गया था। इन्हीं कुल मिलाकर मेरी राय तो मज तरह रूस के पक्ष में ही रही, और मुझे सोवियट-मन्त्रों की मीजुदगी और मिसाल, अखेरी ओग टु न्युनं दुनिया में, एक प्रकाशनय और उत्साह-दायी चीज मान्न हूँ। ✓

हालाकि कम्यूनिस्ट राज्य स्थापित करने के व्यावहारिक प्रयोग के रूप में सोवियट रूस की सफलता या असफलता का बहुत बड़ा महत्व है, फिर भी उससे कम्यूनिज्म के सिद्धान्त के ठीक होने या न होने पर कोई असर नहीं पड़ता। राष्ट्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय कारणों से बोलशेविक लोग बड़ी-बड़ी गलतियाँ कर सकते हैं, या असफल भी हो सकते हैं, लेकिन फिर भी कम्यूनिज्म का सिद्धान्त सही हो सकता है। उस सिद्धान्त के आधार पर रूस में जो कुछ हुआ है, उसकी अन्वेषण की तरह नकल करना भी मूर्खता ही होगी, क्योंकि उसका प्रयोग तो प्रत्येक देश में उसकी खास परिस्थितियों और उसके ऐतिहासिक विकास की अवस्था पर निर्भर है। इसके अलावा, हिन्दुस्तान या दूसरा कोई देश बोलशेविकों की सफलताओं से और अनिवार्य गलतियों से भी सबक ले सकता है। मायद बोलशेविकों ने ज़रूरत से ज्यादा तीव्र गति से जाने की कोशिश की, क्योंकि उनके चारों तरफ दुश्मन-ही-दुश्मन थे, और उन्हें बाहरी आक्रमण का भी डर था। मायद इससे धीमी चाल से चला जाता तो गावों में हुई बहुत-सी तकलीफें नहीं आती। लेकिन प्रश्न यह उठता था, कि क्या परिवर्तन की गति कम कर देने से वास्तव में मौलिक परिणाम निकल भी सकते थे या नहीं। किसी नाजुक वक्त पर, जबकि आधार-भूत बुनियादी ढाँचा ही बदलना हो, किसी आवश्यक समस्या को सुधार-वाद से हल करना असम्भव होता है, और वाद में रफ्तार चाहे कितनी ही धीमी रहे लेकिन पहला कदम तो ऐसा उठना चाहिए जिससे कि तत्कालीन व्यवस्था से, जो अपना उद्देश्य पूरा कर चुकी हो और अब भविष्य की प्रगति के लिए बाधक बन रही हो, कोई नाता न रहे जाय।

हिन्दुस्तान में भूमि और कल-कारखाने दोनों से सम्बन्ध रखनेवाले प्रश्नों का और देश की हर बड़ी समस्या का हल सिर्फ किसी अन्तिकारी

योजना से ही हो सकता है। जैसा कि 'धुद्ध के सस्मरणों' में श्री० लॉयड जार्ज कहते हैं—“किसी खाई को दो छलागो में कूदने में बढकर कोई गलती नहीं हो सकती।”

रूस के अलावा भी, मार्क्सवाद के सिद्धान्त और तत्त्वज्ञान ने मेरे दिमाग को कई विषयों में प्रकाश दिया। मुझे इतिहास में बिल्कुल नया ही अर्थ दिखाई पढने लगा। मार्क्सवाद की अर्थ-शैली ने उसपर बड़ी रोशनी डाली, और वह मेरे लिए एक के बाद दूसरा दृश्य दिखानेवाला एक नाटक ही हो गया, जिसके घटना-चक्र की दुनियाद में कुछ-न-कुछ व्यवस्था और उद्देश्य मालूम हुआ, फिर चाहे वह कितना ही अज्ञात क्यों न हो। यद्यपि भूतकाल में और वर्तमान समय में समय और शक्ति की भयंकर बराबरी और तकलीफें रही हैं और हैं, लेकिन भविष्य तो आशापूर्ण ही है, चाहे उसके बीच में कितने ही खतरे आते रहे। मार्क्सवाद में मौलिकरूप से किसी रूढ़-मत का न होना और उसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण ही मुझे पसन्द आया। लेकिन यह सही है कि रूस में और दूसरे देशों में प्रचलित कम्युनिज्म में बहून-से रूढ़-मत हैं, और अन्तर 'काफिरों' यानी मिथ्या-मत-वादियों पर सगठित रूप से धावा बोला जाना है। मुझे यह निदनीय मालूम हुआ, हालाँकि सोवियट प्रदेशों में भारी-भारी परिवर्तन बड़ी तेजी से हो रहे हैं और विरोधी लोगों के कारण ये बड़ी मुश्किलों और असफलताओं के हो जाने की आशंका है। तब ऐसी बात का होना आसानी से सम्भव हो सकता है।

निरन्तर-व्यापी महान् संकट और मन्दों से भी मुझे मार्क्सवादी निश्चरण नहीं मालूम हुआ। जबकि हमारी सब व्यवस्थाएँ और सिद्धान्त निरन्तर अपनी अटकल लगा रहे हैं, तब अकेले मार्क्सवाद ने ही बहुत-कुछ सुनोत्तमताएँ हमें उसका कारण बताया और उसका असली हल सामने रखा।

जैसे-जैसे मुझमें यह विश्वास जमता गया, वैसे-वैसे मुझमें नया उत्साह भरता गया, और सबिनय भग की असफलता से पैदा हुई मेरी उदासी बहुत कम हो गई। क्या दुनिया तेजी से इस वाञ्छनीय लक्ष्य या स्थिति की तरफ नहीं जा रही है? हाँ, महायुद्ध और घोर आपत्ति के बड़े-बड़े खतरे मौजूद हैं, लेकिन हर हालत में हम आगे ही बढ़ रहे हैं। हम एक ही जगह में पड़े हुए सब नहीं रहे हैं। मुझे मालूम हुआ कि हमारे इस बड़े सफर के रास्ते में हमारी राष्ट्रीय लड़ाई तो एक पड़ाव मात्र है, और यह अच्छा है कि दमन और कष्ट-सहन से हमारे लोग आगामी लड़ाइयों के लिए तैयार हो रहे हैं और उन विचारों पर गौर करने के लिए मजबूर हो रहे हैं जिससे दुनिया में खलवली मची हुई है। कमजोर लोगों के निकल जाने से हम और भी ज्यादा मजबूत, ज्यादा अनुशासन-युक्त और ज्यादा ठोस बन जायेंगे। जमाना हमारे पक्ष में है।

इस तरह मैंने, रूस, जर्मनी, इंग्लैंड, अमेरिका, जापान, चीन, फ्रांस, इटली, और मध्य-यूरोप में क्या-क्या हो रहा है, इसका अध्ययन किया, और प्रचलित घटनाओं की गुत्तियों को समझने की कोशिश की। इस मुसीबत को पार करने के लिए हरेक देश अलग-अलग और सब मिलकर एकसाथ क्या कोशिशें कर रहे हैं, इसको भी मैंने दिलचस्पी से पढ़ा। राजनैतिक और आर्थिक बुराइयों को दूर करने और निश्चिन्ता-करण की समस्या हल करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय कांग्रेसों को बार-बार असफलता होती देखकर मुझे अपने यहाँ की साम्प्रदायिक समस्या को—जोकि छोटी-सी लेकिन काफी कष्टप्रद है—वरबस याद आ गई। अधिक-से-अधिक सद्भावना के होते हुए भी हम अभीतक इस समस्या को हल नहीं कर सके हैं, और यह व्यापक विश्वास होते हुए भी कि अगर यूरोप और अमेरिका के राजनीतिज्ञ अपनी समस्याओं को सुलझाने में

बिफल होंगे ना एक ससार-व्यापी आपत्ति आ जायगी, वे उन्हें हिलमिल कर नहीं चुल्झा पायें हैं। दोनों उदाहरणों में समस्या को सुलझाने का तरीका गलत रहा है, और सम्बन्धित लोग सही रास्ते जाने से डरते रहे हैं। ✓

नमार की भुसीवती और सघर्षों का विचार करते हुए, मैं किसी हद तक अपनी व्यक्तिगत और राष्ट्रीय भुसीवती को भी भूल गया। कभी-कभी मुझे इस बात पर बड़ा उल्लास होता था कि ससार के इतिहास के इस शान्तिकारी युग में मैं भी जीविन हूँ। शायद दुनिया के इस कोने में, जहाँ मैं हूँ, मुझे भी उन आनेवाली क्रान्तियों के छाने में कुछ थोड़ा-सा हिस्सा लेना पड़ेगा। कभी-कभी मुझे सारी दुनिया में सघर्ष और हिंसा का वातावरण बड़ा उदास बना देता था। इससे भी खराब यह दृश्य था कि पटे-लिखे स्त्री-पुरुष भी मानवी पतन और गुलामी को देखते-देखते उसके इतने आदी हो गये हैं कि उनके दिमाग, अथवा कण्ठ-सहन, गरीबी और अमानुषिकता का विरोध भी नहीं करते। दम घोटनेवाले इस नैतिक वानावरण में शोरगुल मचानेवाला ओछापन और सगठित पावण्ड फल-फूल रहा है, और भले लोग चुप्पी साधे बैठे हैं। हिटलर की विजय और उसके अनुयायियों के 'आतक-वाद' ने मुझे बड़ा आघात पहुँचाया, हालांकि मैंने अपने दिल को तसल्ली दे ली कि यह सब क्षणिक ही हो सकता है। यह देखकर मन में ऐसी भावना आ जाती थी, कि इन्तान की कोशिशें बेकार हैं। जबकि मनीन अन्धबुद्ध चल रही हो, तब उसमें पहिये का एक छोट्टा-भा दौन बेचारा क्या कर सकता है ?

फिर भी, जीवन-सम्बन्धी कम्प्यूनिस्ट तत्त्वज्ञान से मुझे शान्ति और आशा मिली। तो इसका हिन्दुस्तान में कौन प्रयोग हो सकता है ? हम तो अनीतरा राजनैतिक स्वतन्त्रता की समस्या को भी हल नहीं कर पाये हैं, और हमारे दिमागों में राष्ट्रवाद ही बैठा हुआ है। क्या हम इसके

प्राथ-ही-साथ आर्थिक स्वतन्त्रता की तरफ भी कूद पड़े, या इन दोनों को बारी-बारी से हाथ में ले, फिर चाहे इनके बीच में अन्तर कितने ही घड़े समय का क्यों न हो ? ससार की घटनायें और हिन्दुस्तान के भी वाकयात सामाजिक समस्या को सामने ला रहे हैं, और मुझे लगा कि अब राजनैतिक आजादी उससे अलग नहीं रक्खी जा सकती ।

हिन्दुस्तान में ब्रिटिश सरकार की नीति का यह नतीजा हुआ है कि राजनैतिक आजादी के विरुद्ध में सामाजिक-प्रतिगामी-बर्ग खड़े हो गये हैं । यह अनिवार्य ही था, और हिन्दुस्तान में भिन्न-भिन्न वर्गों और समुदायों के ज्यादा साफतौर पर अलग-अलग दिखाई दे जाने को मैंने पसन्द किया । लेकिन मैं सोचता था कि क्या इसको दूसरे लोग भी अच्छा समझते हैं ? स्पष्ट है कि बहुत लोग नहीं । यह सही है कि कई बड़े शहरों में मुट्ठीभर कट्टर कम्युनिस्ट लोग हैं, और वे राष्ट्रीय आन्दोलन के विरोधी हैं और उसकी कड़ी आलोचना करते हैं । खासकर बम्बई में, और कुछ हदतक कलकत्ते में, संगठित मजदूर भी समाजवादी थे मगर ढीले-ढाले ढग के । उनमें भी फूट पडी हुई थी, और वे मन्वी से दुख पा रहे थे । कम्युनिज्म के और समाजवाद के घुघले-से विचार पढ़े-लिखे लोगों में, और समझदार सरकारी अफसरों तक में, फैल चुके हैं । कॉर्ग्रेस के नौजवान स्त्री और पुरुष, जो पहले लोकतन्त्र पर ब्राइस और मॉरले, कीथ और मैजिनी के विचार पढा करते थे, अब अगर उन्हें किताबें मिल जाती हैं तो कम्युनिज्म और रुस पर लिखा साहित्य पढते हैं । वेरें-षड्यन्त्र-केस ने लोगों का ध्यान इन नये विचारों की तरफ फेरने में बड़ी मदद दी, और ससारव्यापी सकट-काल ने इस तरफ ध्यान देने की मजबूरी पैदा करदी । हर जगह प्रचलित सस्याओं के प्रति शका, जिज्ञासा और चुनौती की नई भावना दिखाई देती है । मानसिक वायु की साधारण दिशा तो साफ जाहिर हो रही है, लेकिन फिर भी वह हलका-सा

झोका ही है जिनको अपने-आप पर भरोसा कोई विश्वास नहीं है। कुछ लोग फेमिस्ट विचारों के आग्रहों में डूबते हैं। लेकिन कोई भी नाफ़ और निश्चिन्त आदर्श नहीं है। जर्मनरु भी गाड़ीपना ही यहाँ की प्रमुख विचारधारा है।

मुझे यह तो नाफ़ मालूम हुआ, कि अबतक जिनका जर्मन राज-नैतिक आकाशो न मिल जायगी तबतक राष्ट्रपिता ही मन्त्रने बड़ी प्रेरणा-भावना रहेगी। इसी कारण कांग्रेस हिन्दुस्तान में मन्त्रने ज्यादा अकिन्ताली मन्त्रा होने के साथ ही मन्त्रने भागे बड़ी हुई मन्त्रा भी नहीं है, और अब भी (कुछ खास मजदूर क्षेत्रों को छोड़कर) है। पिछले नेरु वर्गों में, गांधीजी के नेतृत्व में इनने जनता में आश्चर्यजनक जागृति पैदा कर दी है और इसके अत्यन्त नव्यम-वर्गी आदर्श के होने हुए भी इनने एक क्रान्तिकारी काम किया है। अबतक भी इसकी उपयोगिता नष्ट नहीं हुई है, और हो भी नहीं सकती, जबतक कि राष्ट्रवादी प्रेरणा की जगह समाजवादी प्रेरणा न आ जाय। भविष्य की प्रगति—आदर्श-सम्बन्धी भी और कार्य-सम्बन्धी भी—अब भी कांग्रेस के द्वारा ही होगी, हालांकि इनके मार्गों से भी काम लिया जा सकेगा।

इन तरह मुझे कांग्रेस को छोड़ देना, राष्ट्र की आवश्यक प्रेरक-शक्ति नें अलग हो जाना, अपने पास के मन्त्रने खबरदस्त हथियार को कुन्द कर देना, और एक निरर्थक नाहम में अपनी शक्ति बरबाद करना मालूम हुआ। लेकिन फिर भी, क्या कांग्रेस, अपनी मौजूदा स्थिति को रखते हुए, जर्मनी भी वाम्ताव में मौलिक सामाजिक हल को अपना सकेगी? अगर उनके सामने ऐसा सुवाल रखा दिया जाय, तो उसका नतीजा यही होगा कि उनके दो या ज्यादा दुकड़े ही जायेंगे, या कम-से-कम बहूत लोग समने अलग हो जायेंगे। ऐसा हो जाना भी अवाञ्छनीय या बुरा न होगा, अगर नमन्त्रायें ज्यादा नाफ़ हो जायें, और कांग्रेस में एक

दृढ-मगठिन दल, चाहे वह बहुमत में हो या अल्पमत में हो, एक मौलिक नमाजवादी कार्यक्रम को लेकर सजा हो जाय ।

लेकिन इस समय तो कांग्रेस का अर्थ है गांधीजी । वह क्या करना चाहेंगे ? विचारघाना की दृष्टि में कभी-कभी वह आश्चर्यजनक रूप से पिछड़े हुए रहे हैं, लेकिन फिर भी काम और व्यवहार के ख्याल से वह हिन्दुस्तान में इस बदन के सबसे बड़े क्रान्तिकारी रहे हैं । वह एक अनीखे व्यक्ति हैं, और उन्हें मामूली पैमानों से नापना या उनपर तर्कशास्त्र के मामूली नियम लगाना भी मुमकिन नहीं है । लेकिन चूंकि वह हृदय में क्रान्तिकारी हैं और हिन्दुस्तान के राजनैतिक स्वतन्त्रता की प्रतिज्ञा किये हुए हैं, इसलिए जबतक वह स्वतन्त्रता मिल नहीं जाती, तबतक तो वह इसमें अटल रहकर ही अपना काम करेंगे और इसी तरह कार्य करते हुए वह जनता की प्रचण्ड कार्य-शक्ति को जगा देंगे, और, मुझे आधी-सी उम्मीद थी कि वह खुद भी सामाजिक ध्येय की तरफ एक-एक कदम आगे बढ़ते चलेगे ।

हिन्दुस्तान के और बाहर के कट्टर कम्युनिस्ट पिछले कई वरसों से गांधीजी और कांग्रेस पर भयंकर हमले करते रहे हैं, और उन्होंने कांग्रेस-नेताओं पर सब तरह की दुर्भावनाओं के आरोप लगाये हैं । कांग्रेस की विचार-धारा पर उनकी बहुत-सी सैद्धान्तिक समालोचना योग्यतापूर्ण और स्पष्ट थी और वाद की घटनाओं से वह किसी अंश तक सही भी साबित हुईं । हिन्दुस्तान की साधारण राजनैतिक हालत के बारे में कम्युनिस्टों के शुरु के कुछ विश्लेषण बहुत-कुछ सही निकले । मगर जब वह साधारण सिद्धांतों को छोड़कर तफसीलों में आते हैं, और खासकर जब वह देश में कांग्रेस के महत्त्व पर विचार करते हैं, तो वे बुरी तरह भटक जाते हैं । हिन्दुस्तान में कम्युनिस्टों की सत्ता और असर कम होने का एक कारण यह भी है कि कम्युनिज्म का वैज्ञानिक ज्ञान फूलाने

और लोगों के विभागों में उसका विद्वान्त जमाने की कोशिश करने के बदले उन्होंने दूसरों को गालियाँ देने में ही ज्यादातर अपनी शक्ति लगाई है। इमना उन्ही पर उलटा असर पडा है, और उन्हें नुकसान पहुँचा है। इनमें मे अधिकाग लोग मजदूरों के हलकों में काम करने के बादी हैं, जहाँ कि मजदूरों को अपनी तरफ निला लेने के लिए सिर्फ थोड़े-से नारे ही काफी होते हैं। लेकिन बुद्धिमान लोगों के लिए तो सिर्फ नारे ही काफी नहीं हो सकते और उन्होंने इस बात को अनुभव नहीं किया है कि आज हिन्दुस्तान में मध्यम वर्ग का पढा-लिखा दल ही सबसे ज्यादा शान्तिकारी बल है। कट्टर कम्युनिस्टों के इच्छा न करने पर भी कई पढे-लिखे लोग कम्युनिज्म की तरफ खिच आये हैं, लेकिन फिर भी उनके बीच में एक खाई है।

कम्युनिस्टों की राय के मुताबिक, कांग्रेस के नेताओं का लक्ष्य रहा है, सरकार पर जनता का दबाव डालना और हिन्दुस्तान के पूँजीवादियों और उमीदवारों के हित के लिए कुछ औद्योगिक और व्यापारिक सुविधाएँ पा लेना। उनका मत है कि कांग्रेस का काम है—“फिसानों, निचले मध्यम-वर्ग और कारखानों के मजदूर-वर्ग के आर्थिक और राज-नीतिक असन्तोष को दम्बई, अहमदाबाद और कलकत्ते के मिल-मालिकों और लखपतियों की गाड़ी के सामने खड़ा कर देना।” यह खयाल किया जाता है कि हिन्दुस्तानी पूँजीपति दृष्टी की ओट में छिपे हुए कांग्रेस-कार्य-समिति को हुकम देते हैं कि पहले तो वह सार्वजनिक आन्दोलन चलावे और जब यह बहुत व्यापक और भयकर हो जाय तब उसे स्थगित करदे, या किसी छोटी-मोटी बात पर बन्द करदे। और, कांग्रेस के नेता सच-मुच अंग्रेजों का चला जाना पसन्द नहीं करते, क्योंकि भूखी जनता का प्राण्य करने के लिए आवश्यक नियन्त्रण करने को उनकी जरूरत है, और मध्यम-वर्ग अपने में यह काम करने की शक्ति नहीं मानता।

यह आश्चर्य की बात है कि कम्युनिस्ट इस अजीब विश्लेषण पर भरोसा रखते हैं। लेकिन चूँकि प्रकट रूप से उनका विश्वास इसी पर है इसीलिए, आश्चर्य नहीं कि, वे हिन्दुस्तान में इतनी बुरी तरह से असफल हुए हैं। उनकी बुनियादी गलती यह मालूम होती है कि वे हिन्दुस्तान के राष्ट्रीय आन्दोलन को यूरोपियन मजदूरों के पैमाने से नापते हैं, और चूँकि उन्हें यह देखने का अभ्यास है कि बार-बार मजदूर-नेता मजदूर-आन्दोलन के साथ विश्वासघात करते रहे हैं, इसलिए वे उसी मिसाल को हिन्दुस्तान पर लगाते हैं। यह तो स्पष्ट है कि हिन्दुस्तान का राष्ट्रीय आन्दोलन कोई मजदूरों या श्रमिकों का आन्दोलन नहीं है। जैसा कि उसके नाम से ही प्रकट होता है, वह एक मध्यमवर्गी जनता का आन्दोलन है और अभी तक उसका मकसद समाज-व्यवस्था को बदलना नहीं बल्कि राजनैतिक स्वतन्त्रता प्राप्त करना ही रहा है। इसपर कहा जा सकता है कि यह ध्येय काफी दूरगामी नहीं है, और राष्ट्रीयता भी आज कल के जमाने की वस्तु कहला सकती है। लेकिन आन्दोलन के मौलिक आधार को मानते हुए यह नहीं कहा जा सकता कि नेता लोग भूमि-प्रणाली या पूँजीवादी प्रणाली को उलट देने की कोशिश ही नहीं करते। इसलिए वे जनता के साथ विश्वास-घात करते हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसा करने का कभी दावा ही नहीं किया। हाँ, कांग्रेस में कुछ लोग ऐसे जरूर हैं, और उनकी गिनती बढ़ती जा रही है, जो भूमि-प्रणाली और पूँजीवादी व्यवस्था को बदल देना चाहते हैं, लेकिन वह कांग्रेस के नाम पर नहीं बोल सकते।

यह सच है कि हिन्दुस्तान के पूँजीवादी वर्गों ने (बड़े-बड़े जमींदारों या टाल्लुकदारों ने नहीं) ब्रिटिश और दूसरे विदेशी माल के वहिष्कार और स्वदेशी के बढ़ावे के कारण राष्ट्रीय आन्दोलन से बड़ा फायदा उठाया है। लेकिन, यह तो अनिवार्य ही था, क्योंकि हर राष्ट्रीय

बान्द्रोवन देश के उद्योग-धन्वो को बढ़ावा देता है, और दूसरो का बहिष्कार कराना है। लेकिन, अमल में, बम्बई के मिल-मालिको ने तो मविनय भग के चालू रहने के वक्त ही और जबकि हन ब्रिटिश माल के बहिष्कार का प्रचार करते रहे थे तनी एक नावाञ्चिब तरीके से लका-शावर से एक नमझौना करने का भी दुग्दहस कर डाला था। काँग्रेस की निगाह में यह राष्ट्र के साथ भारी विश्वासघात था, और यही नाम उनको दिया भी गया था। बड़ी धारानभा में बम्बई के मिल-मालिको के प्रतिनिधियो ने, जबकि हममें ने ज्यादातर लोग जेल में थे, लगातार काँग्रेस और गरम दल के लोगो की निन्दा की थी।

पिछले कुछ बरनो में कई पूंजीपति-दलो ने हिन्दुस्तान में जो-जो काम न्ये हैं वे काँग्रेस की और राष्ट्रीय दृष्टि से भी कलक-रूप है। थोटावा के नमझौते से शायद कुछ लोगो को फायदा हो गया होगा, लेकिन हिन्दुस्तान के सारे उद्योग-धन्वो की दृष्टि से वह बुरा था, और उनमे वे ब्रिटिश पूंजी और कारखानो की ज्यादा अधीनता में आगये। वह नमझौना जनता के लिए हानिकर था, और तब किया गया था जबकि हमारी लड़ाई चालू थी और कई हजार लोग जेलो में थे। हर उपनिवेश ने इंग्लैण्ड से अपनी कडी-मे-कडी शर्तें मनवा लीं, लेकिन हिन्दुस्तान को तो मानो उनमे अपनेको करीब-करीब लुटा देने का मौनाग्य ही मिल गया। पिछले कुछ बरनो में कुछ बड़े धनियो ने हिन्दुस्तान को मुकानान में डालकर भी नोने और चादी का व्यापार किया है।

और बड़े-बड़े जमीदार तान्द्रुकेदार तो गोलमेज-कान्फेरन्स में काँग्रेस के बिल्कुल खिलाफ ही तबड़े हो गये वे और ठीक मविनय भग के चौथोंबीच उन्हें तुर पर और आगे बढ़कर अपने-आपको सरकार की ओर का जोपित कर दिया था। इन्ही लोगो की मदद से सरकार ने

भिन्न-भिन्न प्रान्तों में उन दमनकारी कानूनों को पाय किया, जिनका समावेश आर्डिनेन्सों में हो जाता था। और युक्तप्रान्त की कौंसिल में ज्यादातर जमींदार मेम्बरो ने सविनय भंग के कैंदियों की रिहाई के विरोध में राय दी थी।

यह धारणा भी बिल्कुल गलत है कि, गांधीजी ने १९२१ और १९३० में तीव्र चीखनेवाले आन्दोलन जनता के आप्रह से विभंग होकर ही किये थे। वेशक, आम जनता में हलचल थी। लेकिन दोनों आन्दोलनों में कदम गांधीजी ने ही आगे बढ़ाया था। १९२१ में वह करीब-करीब अकेले ही सागी काँग्रेस की डोर हिलाते थे और उसे असहयोग के पथ पर चढ़ा ले गये थे। १९३० में भी अगर उन्होंने किसी तरह भी विरोध किया होता, तो कोई भी आक्रमणकारी और प्रभाव-शाली सीधी लड़ाई का आन्दोलन कभी नहीं उठ सकता था।

यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि मूर्खतापूर्ण और बिना जानकारी के व्यक्तिगत नृत्ताचीनी की जाती है, क्योंकि उससे ध्यान असली सचालों से दूसरी तरफ हट जाता है। गांधीजी की सच्चाई ईमानदारी पर हमला करने से तो अपने-आपका और अपने काम का ही नुकसान होता है, क्योंकि हिन्दुस्तान के करोड़ों आदमियों के लिए तो वह सत्य के ही मूर्त-रूप है, और उन्हें जो कोई पहचानते हैं, वे जानते हैं कि वह हमेशा सत्य के माय पर चलने के लिए कितने व्याकुल रहते हैं।

हिन्दुस्तान में कम्यूनिस्टों का ताल्लुक बड़े शहरों के कारखानों के मजदूरों के साथ ही रहा है। देहाती हलकों की जानकारी या सम्पर्क उनके पास नहीं है। हालांकि कारखानों के मजदूरों का भी एक महत्व है, और भविष्य में और भी उनका ज्यादा महत्व होगा, लेकिन उनका किसानों के सामने दूसरा ही दर्जा रहेगा, क्योंकि हिन्दुस्तान में आज तो किसानों की समस्या ही मुख्य है। इधर काँग्रेसी-कार्यकर्ता इन देहाती

हमने में सर्वत्र एक चुके हैं, और मज पर अपने आप कांप्रेस
 विचारों का एक बड़ा संग्रह बन जायगा। अपना निष्कलम्ब प्राप्त
 करने के बाद विज्ञान हमें भी शक्तिकारी नहीं रह जाने और यह
 मानव है कि नदिय में किनी समय गहर बनाम देहात और कारखानी
 नदर बनान विमान की सामान्य सम्य हिन्दुस्तान में भी खड़ी
 हो जाय।

नूतने ज्ञान के दृष्ट-से ज्ञानों और कार्यकलाओं के गहरे समर्क
 में जाने का सामान्य विचार है और इनसे ज्यादा अच्छे स्त्री-पुरुषों को
 में जानना भी नहीं कर सकता था। लेकिन फिर भी आवश्यक समस्याओं
 में मेरा उनसे मनभेद रहा है, और कई बार मैं यह देखकर उकता गया
 हूँ कि जो ज्ञान नूतने साम-नी दिखाई देती है उसकी वे छद्र भी नहीं कर
 सकते या उसे समझ भी नहीं सकते। इसका कारण समल को कमी नहीं
 है बल्कि इसका मूल्य यह है कि हम विचारों की अलग-अलग
 पाठियों पर चल रहे हैं। मैंने नहून किया कि इन चीनाओं को
 बचाने पार कर जाना किना मुश्किल है। इनमें जीवन-सम्बन्धी
 तत्त्वज्ञान ही निर-भिर है और वह हमें बीरे-बीरे और अनजान में
 प्रभावित करता रहता है। परन्पर एक-दूसरे दल को दोष देना बेकार
 है। मन-वाद के लिए जीवन और उनको समस्याओं पर एक खास
 ननो-नानिक दृष्टिकोण होने की जरूरत है। वह केवल युक्तिवाद से
 कुछ भिन्न है। इसी तरह, दूसरे दृष्टिकोण भी परन्परा, धिमाप और
 मूल और वर्तमान परिस्थितियों के अज्ञान प्रभाव पर निर्भर है। जीवन
 की कठिनाइयों और उनके कडवे अनुभव ही हमें नये रास्तों से चलने
 को मजबूर करने हैं, और ज्ञान में, जोकि हमसे बहुत ज्यादा कठिन
 काम है, हमारा दृष्टिकोण बदल देने हैं। मन्भव है इस प्रक्रिया में हम नौ
 बीडे सहायक हो सके और मायद गगहर लेक का फौजिन के शब्दों में—

“मनुष्य अपने भवितव्य पर उमी मार्ग से पहुँच जाता है जिम पर वह उमसे बचने के लिए चलता है।”

: ४७ :

मजहब क्या है ?

हमारे शान्त और एक-दरें के जेल-जीवन में गिनम्बर १९३० के बीच में मानो अचानक एक वज्र-भा गिरा । एक गजबली मच गई । खबर मिली कि मि० रेम्जे मैफडोनल्ड के साम्प्रदायिक 'निर्णय' में बग की दलित जातियों को अलग चुनाव के अधिकार दिये जाने के विरोध में गांधीजी ने 'आमरण अनशन' करना तय किया है । लोग तो अचानक आघात देने की उनमें कितनी अद्भुत क्षमता है ! मरना नहीं तो के विचार मेरे दिमाग में उत्पन्न होने लगे, अब तरह ही भावी सम्भार-नाओं के चित्र मेरे सामने जाने लगे, और उन्होंने मेरे गिरा गिरा को बिलकुल उद्विग्न कर दिया । दो दिन तक मुझे दिव्य प्रवेग-प्रे-अधेरा दिखाई दिया, और कोई रास्ता नहीं मिला । जब मैं मार्गिकों के काम के कुछ नतीजों का ग्याल करना तो मेरा दिमाग बंद लग गया । उनके प्रति मेरी व्यक्तिगत भावना काफी प्रभावशील थी और मैंने लगा लगता था कि अब शायद मैं उन्हें नहीं देना सकिंगा । उन लोगों के मुझे बहुत ही पीडा होती थी । निरुपेक्षा स्वभाव का मैंने उन लोगों को देखा है, मैंने उन्हें इग्लैंड जाते समय देखा था । वे लोग भी मेरे

बचन के लिए ही नहीं, बड़े नवान्न पीछे नहीं पड़ जायेंगे ? और, अगर वह अपनी अभी की दान पर कामयाब भी हो जायेंगे, और दलित जानियों के लिए मम्मिलित चुनाव प्राप्त भी कर लेंगे, तो क्या इनमें एक प्रतिष्ठिता न होगी, और यह भावना न फँस जायगी कि कुछ-न-कुछ तो प्राप्त कर ही लिया गया है, और कुछ दिन तक थक कुछ भी न करना चाहिए ? और क्या उनके इन काम का यह अर्थ नहीं हुआ कि वह साम्प्रदायिक 'निर्णय' को मानते और सरकार की तैयार की हुई आम तजवीज को किसी अंश तक मजूर करते हैं ? क्या यह अनहयोग और सविनय-भंग ने मेल खाता है ? इनके बलिदान और माहम पूर्ण प्रयत्न के बाद क्या हमारा आन्दोलन इस नगण्य प्रश्न पर आकर अटक जायगा ?

वह राजनैतिक समस्या को धार्मिक और भावुकतापूर्ण दृष्टि से देखते हैं और समय-समय पर ईश्वर को बीच में लाते हैं, यह देखकर मुझे उन पर गुस्सा भी आया। उनके वक्तव्य से तो ऐसी ध्वनि निकलती थी कि शायद ईश्वर ने उन्हें अनशन की तारीख तक सुझा दी थी। ऐसी मिसाल पेश करना किना भयकर होगा !

और अगर वापू मर गये ! तो हिन्दुस्तान की क्या हालत हो जायगी ? और उसकी राजनीतिक प्रगति का क्या होगा ? मुझे भविष्य मूना और भयकर देखने लगा, और जब मैं उसपर विचार करता था तो मेरे दिल में एक निराशा छा जाती थी।

इस तरह मैं लगातार विचारों ही विचारों में डूबता रहा। मेरे दिमाग में गडबडी मच गई, और गुस्सा, निराशा और जिस व्यक्ति ने इनकी बड़ी उबल-मुयल पैदा कर दी उसके प्रति प्रेम से वह सराबोर हो गया। मुझे नहीं सूझता था कि मैं क्या कहूँ, और सबसे ज्यादा अपने-आपके प्रति मैं विडविडा और बद-भिज्ञान हो गया।

और फिर मुझमें एक अजीब परिवर्तन हुआ । मुझपर भावनाओं का ऐसा दौर शुरू हुआ था कि एक सकट-काल ही आ उपस्थित हुआ था, पर अन्त में जाकर मुझे कुछ शान्ति मालूम हुई, और भविष्य भी इतना अन्धकार-पूर्ण दिखाई नहीं दिया । बापू में ऐन मौके पर ठीक काम कर टालने की अजीब सूझ है, और मुमकिन है कि उनके इस काम के भी—जों मेरे दृष्टि-विन्दु से विलकुल अयोग्य ठहरता था—कोई बड़े नतीजे हों, और वह केवल उसी काम के छोटे-से सीमित क्षेत्र में नहीं बल्कि हमारी राष्ट्रीय लड़ाई के व्यापक स्वरूपों में भी । और अगर बापू मर भी गये, तो भी हमारी स्वतंत्रता की लड़ाई चलती रहेगी । इसलिए, कुछ भी नतीजा हो, इन्सान को हर हालत के लिए कटिबद्ध और मुस्तैब रहना चाहिए । गाँधीजी की मृत्यु तक को बिना हिचकिचाहट के सह लेने का सकल्प करके मैंने शान्ति और धीरज धारण किया, और दुनिया और दुनिया की हर घटना का सामना करने को तैयार हो गया ।

इसके बाद सारे देश में एक भयकर उथल-पुथल मचने और हिन्दू-समाज में उत्साह की एक जादूभरी लहर आजाने की खबरे आई, और मालूम होने लगा कि अस्पृश्यता का अब अन्त ही होनेवाला है । मैं सोचने लगा कि थरबदा-जेल में बैठा हुआ यह छोटा-सा आदमी कितना बड़ा जादूगर है ! और लोगों के दिलों में खलबली मचा देनेवाले सूत्र का हिलाना वह कितनी अच्छी तरह जानता है !

उनका एक तार मुझे मिला । मेरे जेल आने के बाद यह उनका पहला ही सदेश था, और इतने लम्बे अर्से के बाद उनका सदेश पाना मुझे बहुत अच्छा लगा । इस तार में उन्होंने लिखा—

“इन वेदना के बिनो में मुझे हमेशा तुम्हारा ध्यान रहा है । तुम्हारी राय जानने को मैं बहुत ज्यादा उत्सुक हूँ । तुम्हें मालूम है, मैं तुम्हारी राय की कितनी क्रूर करता हूँ ! इन्हु और सरूप के

बच्चे मिले। इन्हु छुश और कुछ तगडी बीखनी थी। तबीयत बहुत ठीक है। तार से जबाब दो। स्नेह।”

यह एक असाधारण बात थी, लेकिन उनके स्वभाव के अनुसार ही थी, कि उन्होंने अपने अनशन को पीडा और अपने मान-काज के बीच भी मेरी लडकी और मेरी बहन के बच्चों के आले का चित्र किया, और यह भी लिखा कि इन्दिरा नगडी हो गई है। उन समय मेरी बहन भी पूना की जेल में थी, और ये सब बच्चे पूना के स्कूल में पढते थे। वह जीवन में छोटी दीवनेवाली बानों को कभी नहीं भूलते, जिनका वास्तव में बडा महत्व भी होता है।

ठीक उसी वकन मुझे यह खबर भी मिली कि चुनाव के प्रश्न पर कोई नमस्तीना भी हो गया है। जेल के सुपरिण्डेण्ट ने कृपा करके मुझे गांधीजी को जबाब देने की इजाजत दे दी, और मैंने उन्हें यह तार भेजा —

“आपके तार और यह संक्षिप्त समाचार मिलने से कि कोई समझौता हो गया है, मुझे बडी राहत और खुशी हुई। पहले तो आपके अनशन के निश्चय ने मानसिक बलेश और बडी दुखिया पैदा हुई, पर आखिर में आशावाद की विजय हुई और मुझे मानसिक शान्ति मिली। दलित वर्गों के लिए बढे-बढा बलिदान भी कम ही है। स्वतन्त्रता की कनीटी सबसे छोटे को स्वतन्त्रता से करनी चाहिए, मगर जनरा मालूम होना है कि कहीं हमारे एक-मात्र लक्ष्य को दूसरी नमम्याये ठक न लें। मैं धार्मिक दृष्टिपोष से निर्णय करने में अनमर्ष हूँ। यह भी जनरा है कि दूसरे लोग आपके तराफों का दुरसयोग करेंगे। लेकिन एक जाहूगर को मैं कैसे भलाह दे सकता हूँ? मप्रम !”

पूना में जना हुए विद्रो-विद्रो लोगों ने एक समझौते पर दस्तखत किये, और गिटिन प्रमानमन्त्री ने उन्हें चटपट मजूर कर लिया और



कुमारी इन्दिरा प्रियदर्शिनी

उसके अनुसार अपना पिछला 'निर्णय' बदल दिया। अनशन भी तोड़ दिया गया। मैं ऐसे समझौते और इकरारनामों को बहुत नापसन्द करता हूँ, लेकिन पूना के समझौते में क्या-क्या तय हुआ इसका खयाल न करते हुए भी मैंने उसका स्वागत किया।

उत्तेजना खत्म हो चुकी थी, और हम जेल के अपने मामूली कार्यक्रम में लग गये। हरिजन-आन्दोलन और जेल में से गांधीजी की प्रवृत्तियों की खबरे हमें मिलती रहती थी। लेकिन उनसे मुझे ख़ुशी नहीं होती थी। इसमें शक नहीं कि अछूतपन को मिटाने और दुखी दलित जातियों को उठाने के आन्दोलन को उससे बड़े ग़ज़ब का बढ़ावा मिला, लेकिन वह समझौते के कारण नहीं, बल्कि देशभर में जो एक जेहादी जोश फैल गया था उसके कारण। यह तो अच्छी बात थी। लेकिन इसीके साथ-साथ यह भी स्पष्ट था कि इससे सविनय भंग को नुकसान पहुँचा। देश का ध्यान दूसरे सवालियों पर चला गया, और कांग्रेस के कई कार्यकर्ता हरिजन-कार्य में लग गये। साथ ही उनमें से ज्यादातर लोग कम खतरे के कामों में लगने का बहाना चाहते ही थे, जिनमें जेल जाने, या इससे भी ज्यादा, लाठी खाने और सम्पत्ति ज़ब्त कराने का डर न हो। यह स्वाभाविक ही था, और हमारे हज़ारों कार्यकर्ताओं में से हरेक से यह उम्मीद करना ठीक भी न था कि वह घोर कष्ट महसूस करें और अपने परिवार के भग और नाश के लिए हमेशा तैयार रहे। लेकिन फिर भी हमारे बड़े आन्दोलन का इस तरह धीरे-धीरे पतन होता देखकर दिल में दर्द होता था। फिर भी, सविनय भंग तो चलता ही रहा, और मौके-मौके पर मार्च-अप्रैल १९३३ की कलकत्ता-कांग्रेस जैसे बड़े-बड़े प्रदर्शन हो ही जाते थे। गांधीजी यरवदा-जेल में थे, मगर उन्हें लोगों ने मिलने और हरिजन-आन्दोलन के लिए हिदायतें भेजने की कुछ सुविधायें मिल गई थीं। कुछ भी हो, इनमें उनके जेल में रहने के

कारण लोगों के मन में हुई टीम की तोषणता कम हो गई थी। इन सब बातों से मुझे बड़ी निराशा हुई।

वर्षे नहींने बाद, नई १९३३ में, गांधीजी ने अपना इक्कीस दिन का उपवास शुरू किया। पहले तो इसकी खबर ने भी मुझे फिर बड़ा धक्का लगा, लेकिन होनहार ऐसा ही था, यह समझकर मैंने उसे मफूर कर लिया और अपने दिल को नमस्त्रा लिया। वास्तव में मुझे उन लोगों पर ही झूझलाहट आई थी, उनके उपवास का सफल कर लेने और घोषित कर देने के बाद उसे छोड़ देने का जोर उन पर डाल रहे थे। उपवास मेरी तो ममता के बाहर था और निश्चय कर लेने के पहले अगर मुझने पूछा जाता तो मैं उनके विरोध में जोर की राय देता, लेकिन मैं गांधीजी की प्रतिज्ञा का बड़ा महत्व समझता था, और किनी भी व्यक्ति के लिए मुझे यह चलन मालूम होता था कि वह किसी भी व्यक्तिगत मामले में, जिसे वह स्वयं ज्यादा महत्वपूर्ण समझन थे, उनकी प्रतिज्ञा को नुबवाने की कौशिल्य करे। इस तरह हालाँकि मैं खिन्न था, फिर भी उनकी सत्ता रहा।

अपना उपवास शुरू करने से कुछ दिन पहले उन्होंने मुझे अपने खास टा का एक पत्र भेजा, जिनमे मेरा दिल बहुत हिल गया। चूँकि उन्होंने जवान मांगा था, इसलिए मैंने नीचे लिखा तार भेजा —

“आपका पत्र मिला। जिन मामलों को मैं नहीं समझता उनके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ? मैं तो एक विचित्र देश में भूला हुआ हूँ, जहाँ आप ही एकमात्र परिचित मीनार की तरह हैं, अपना कहीं पता ही नहीं पाता हूँ; अंधेरे में अपना रास्ता टटोलता हूँ; लेकिन ठोकर खाकर गिर जाता हूँ। नतीजा जो कुछ हो, मेरा स्नेह और मेरे विचार हमेशा आपके पास होंगे।”

एर जोर उनके कार्य को मैं किन्तुल नापसन्द करना था, और

दूसरी ओर उन्हें आघात न पहुँचाने की भी मेरी इच्छा थी। इस द्वन्द्व का मुझे सामना करना पडा था। मगर फिर भी मैंने महसूस किया कि मैंने उन्हें प्रसन्नता का सन्देश नहीं भेजा, और अब जब कि वह अपनी भयकर अग्नि-परीक्षा में से, जिसमें उनकी मृत्यु भी हो सकती थी, निकलने का निश्चय कर ही चुके हैं, मुझे चाहिए कि मुझसे जितना वन सके उतना मैं उन्हें प्रसन्न बनाऊँ। छोटी-छोटी बातों का भी मन पर बडा असर होता है, और उन्हें जीवन बनाये रखने के लिए अपना सारा मनोबल लगा देना पडेगा। मुझे ऐमा भी लगा कि अब जो कुछ भी होकर रहे, चाहे दुर्भाग्य से उनकी मृत्यु भी हो जाय, तो उसे भी बडे दिल से सह लेना चाहिए। इसलिए मैंने उन्हें दूसरा तार भेजा —

“अब तो जब आपने अपना महान् कार्य शुरू कर ही दिया है, तो मैं फिर अपना स्नेह और अभिनन्दन आपको भेजता हूँ, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अब मुझे यह ज्यादा स्पष्ट दिखाई देता है कि जो कुछ होता है वह अच्छा ही होता है, और परिणाम कुछ भी हो आपकी विजय ही है।”

उनका उपवास पूरा हो गया और वह जीवित रहे। उपवास के पहले ही दिन वह जेल से रिहा कर दिये गये, और उनके कहने से छ हफ्तों के लिए सविनय भग स्थगित कर दिया गया।

मैंने देखा कि उपवास के बीच में देश में भावना का फिर एक उभाड आया। मैं ज्यादा-ज्यादा मोचने लगा कि क्या राजनीति में यह उचित मार्ग है ? मुझे तो लगने लगा, कि यह केवल पुनरुद्धार-वाद है और इसके सामने स्पष्ट विचार करने का तरीका बिलकुल नहीं ठहर सकता। सारा हिन्दुस्तान, या उसका अधिकांश अर्द्धा में महात्माजी की तरफ निगाह गढाये हुए था, और उनमें उम्मीद करता था कि वह

चमत्कार-पर-चमत्कार करने वाले जयें, अस्पृश्यता का नाश कर दें, और स्वराज्य हासिल करने, इत्यादि, की बाप कुछ भी न करें। गांधीजी भी इन्हीं को विचार करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करते थे, उनका आग्रह पवित्रता और दण्डित्व पर था। मुझे लगा कि हान्साकि मैं गांधीजी पर बड़ी भावनापूर्वक आभक्ति रखता हूँ फिर भी मानसिक दृष्टि ने मैं उनसे दूर होता चला जा रहा हूँ। अक्सर वह अपनी राजनैतिक हलचलों में अपनी सहज आत्मप्रेरणा से, जो गलती नहीं करनी थी, काम लेते थे। श्रेयस्कर और लाभप्रद काम करने का उनमें स्वभावसिद्ध गुण है, लेकिन क्या राष्ट्र को तैयार करने का रास्ता श्रद्धा का ही है? कुछ बम्ब के लिए तो यह लाभदायक हो सकता है, नगर अन्त में क्या होगा?

और मैं यह नहीं समझ सका कि वह वर्तमान सामाजिक व्यवस्था को, जिनकी नींव हिंसा और नश्वर्य पर है, कैसे नान लेते हैं, जैसा कि वह मसूर करते हुए देखते हैं? मेरे अन्दर जोर से नश्वर्य चलने लगा, और मैं दो प्रतिस्पर्धी निष्ठाओं (व्यक्ति-निष्ठा और सत्त्व-निष्ठा) की चक्की में पिचने लगा। मैंने जान लिया कि जब मैं जेल की चहार-दीवारी से बाहर निकलूँगा, तब भविष्य में मेरे सामने नुमीवन ही खड़ी मिलेगी। मुझे प्रतीत होने लगा कि मैं अकेला और निराश्रय हूँ, और हिन्दुस्तान, जिसे मैंने प्यार किया और जिसके लिए मैंने इतना परिश्रम किया, मुझे एक पराया और कि कर्तव्य विमूढ कर देनेवाला देश मालूम होने लगा। क्या यह मेरा दोष था कि मैं अपने देशवासियों की भावना और विचार-प्रणाली में अपना मेल न बैठ सका? मुझे मालूम हुआ कि अपने गहरे-मे-गहरे साधियों और मेरे बीच में एक अप्रत्यक्ष दीवार खड़ी हो गई है, और उनको पार करने में अपने आपको असमर्थ पाकर मैं दुखी हो गया और मन मसोम कर बैठ गया। उन सब पर मानो

पुरानी दुनिया ने, पुरानी विचारधाराओं, पुरानी आशाओं और पुरानी इच्छाओं की दुनिया ने अपना परदा डाल रखा था। नई दुनिया का निर्माण होना तो अभी बहुत दूर था।

दो लोको के बीच भटकता,
आश्रय की कुछ आशा नहीं,
मरी पडी है एक दूसरे मे,
उठने की शक्ति नहीं।^१

हिन्दुस्तान, सब बातों से ज्यादा, धार्मिक देश समझा जाता है, और हिन्दू और मुसलमान और सिख और दूसरे लोग अपने-अपने मतों का अभिमान रखते हैं, और एक-दूसरे के सिर फोड़कर उनकी सच्चाई का सुबूत देते हैं। हिन्दुस्तान में और दूसरे देशों में मजहब के, और कम-से-कम मौजूदा रूप में संगठित मजहब के, दृश्य ने मुझे भयभीत कर दिया है, मैंने उसकी कई बार निन्दा की है, और उसको जड़-मूल से मिटा देने तक की इच्छा की है। मुझे तो लगभग हमेशा यही मालूम हुआ कि अन्व-विश्वास और प्रगतिविरोध, जड़ (प्रमाण रहित) सिद्धान्त और कट्टरपन, अन्वथद्धा और घोषणनीति और (न्याय अथवा अन्याय से) स्थापित स्वार्थों के संरक्षण का ही नाम 'मजहब' है। मगर यह भी मुझे अच्छी तरह मालूम है कि धर्म में और भी कुछ है, उममें कुछ ऐसी चीज भी है जो मनुष्यों की गहरी आन्तरिक आकांक्षा को भी पूरा करती है। नहीं तो उसका इतनी जबरदस्त शक्ति बनना जैसा कि बना हुआ है कैसे सम्भव था, और उससे अनगिनती पीड़ित आत्माओं को सुख और शान्ति कैसे मिल सकते थे ? क्या वह शान्ति केवल अन्व विश्वास को शरण देने और शकाओं पर परदा डालने वाली ही थी ? क्या वह वैसी ही शान्ति थी जैसी लुले समुद्र को तूफानों से बचकर

१ अंग्रेजी पद्य का भावानुवाद।

किसी बन्दरगाह में मिलती है, या उससे कुछ ज्यादा थी ? कुछ बातों में तो मचमूच वह इससे कुछ ज्यादा ही थी ।

लेकिन इसका भूतकाल कैसा भी रहा हो, आजकल का सगठित धर्म तो ज्यादातर एक खाली ढोल ही रह गया है, जिसके अन्दर कोई तथ्य और तत्व नहीं है । श्री जी० के० 'चेस्टरटन' ने इसकी (स्वयम् अपने खास तरह के धर्म की नहीं, मगर दूसरों के धर्म की ।) भूगर्भ में पाये जानेवाले ऐसे 'फॉसिल' की उपमा दी है, जो किसी ऐसे जानवर या सजीव वस्तु का सिर्फ ढांचामात्र है कि जिसके अन्दर से उसका अपना जीवित तत्व तो पूरी तरह से निकल चुका है, लेकिन जिसका ऊपरी पञ्जर रह गया है और जिसके अन्दर कोई बिलकुल दूसरी ही चीज भर दी गई है । और, अगर किसी मजहब में कोई महत्वपूर्ण चीज रह भी गई है तो, उस पर और दूसरी हानिकर चीजों का लेप चढ़ गया है ।

मालूम होता है कि यही बात हमारे पूर्वी धर्मों में, और पश्चिमी धर्मों में भी, हुई है । चर्च आफ इंग्लैण्ड ऐसे धर्मों का एक स्पष्ट उदाहरण है, जो किमी भी अर्थ में मजहब नहीं है । किमी हद तक, यही बात मारे नगठित प्रोटेस्टेण्ट मजहबों के बारे में नहीं है, लेकिन इसमें सबसे आगे बढ़ा हुआ चर्च आफ इंग्लैण्ड ही है, क्योंकि वह बहुत अर्थों से एक मरकारों राजनैतिक महकमा बन चुका है ।^१

१ यह कैथलिक सम्प्रदाय का था । —अनु०

२ हिन्दुस्तान में चर्च आफ इंग्लैण्ड तो प्रायः सरकार से अलग मालूम ही नहीं होता है । जित्त तरह ऊँचे सरकारी मुलाजिम साम्राज्यवादी मता के प्रतीक हैं उन्ही तरह (हिन्दुस्तान के खजाने से) सरकार की तरफ से तन-नाह पानेवाले पादरी और चैपलन भी हैं । हिन्दुस्तान की राजनीति में चर्च कुछ मिलाकर एक छद्मवादी और प्रतिपामी शक्ति रही है और आमनांग पर मुनार या प्रगति के विरुद्ध रही है । सामान्य

उसके बहुत-से अनुयायियों का चारित्र्य बेशक ऊँचे-से-ऊँचा है मगर यह भाकों की बात है कि किस तरह इस चर्च ने ब्रिटिश साम्राज्यवाद के उद्देश्य को पूरा किया है, और पूँजीवाद और साम्राज्यवाद दोनों को किस तरह नैतिक और ईसाई जामा पहना दिया है। इस चर्म ने एशिया और अफ्रीका में अँग्रेजों की लुटेरी नीति का समर्थन करने की कोशिश की है, और अँग्रेजों में एक असाधारण और ईर्ष्या करने योग्य भावना भर दी है कि हम हमेशा ठीक ही और सही काम करते हैं। इस बढप्पन-भरी सत्कार्य-भावना को इस चर्च ने पैदा किया है या वह खुद उससे पैदा हुई है, यह मैं नहीं जानता। यूरोपियन महाद्वीप के और अमेरिका के दूसरे देश, जो इंग्लैण्ड के बराबर भाग्यशाली नहीं हुए हैं, अक्सर

ईसाई मिशनरी हिन्दुस्तान के पुराने इतिहास और सस्कृति से आमतौर पर बिल्कुल नावाकफ होते हैं और वे यह जानने को ज़रा भी तकलीफ नहीं उठाते कि वह कैसी थी या कैसी है। वे गैरईसाइयों के पापों और कमजोरियों को दिखाते रहने में ज्यादा दिलचस्पी लेते हैं। बेशक, कई लोग इनमें बहुत ऊँचे अपवाद-रूप हुए हैं। चार्ली एण्डरसन से बढकर हिन्दुस्तान का दूसरा सच्चा मित्र नहीं हुआ, जिनमें प्रेम और सेवा की भावना और उमडती हुई मैत्री खूब ख़ालब भरी हुई है। पूना के फ्राइस्ट सेवा-सभ में भी कुछ अच्छे अँग्रेज हैं जिनके मजहब ने उन्हें दूसरों को समझना और उनकी सेवा करना, न कि अपना बढप्पन दिखाना, सिखलाया है और जो अपनी सारी बड़ी-बड़ी योग्यताओं के साथ हिन्दुस्तान की जनता की सेवा में लग गये हैं। दूसरे भी कई अँग्रेज पादरी हुए हैं, जिनको हिन्दुस्तान याद करता है।

१२ दिसम्बर १९३४ को लार्ड-सभा में बोलते हुए केण्टरवरी के बर्माध्यक्ष ने १९१९ के माण्टेगु चेम्सफोर्ड-सुधारों की प्रस्तावना का जिक्र करते हुए कहा था कि 'कभी-कभी मुझे ख़याल आता है कि यह बड़ी घोषणा कुछ जल्दबाजी से कर दी गई है, और मेरा अनुमान है कि महायुद्ध के बाद एक उतावलेपन का और उदारता पूर्ण प्रदर्शन कर

प्रोटेस्टेंट-मत ने नई परिस्थिति के अनुकूल बन जाने की कोशिश की, और लोक-परलोक दोनों का ही ज्यादा-से-ज्यादा फायदा उठाना चाहा। जहाँ तक इस दुनिया का सबब था वहाँतक तो वह खूब ही सफल रहा, लेकिन मजहब की दृष्टि से वह सगठित मजहब के रूप में 'न घर का रहा न घाट का।' और धीरे-धीरे मजहब की जगह भावुकता और व्यवसाय आ गया। रोमन कैथलिक मत इस दुष्परिणाम से बच गया। क्योंकि वह पुरानी जड़ को ही पकड़े रहा, और जबतक वह जड़ कायम रहेगी तबतक वह भी फूलता-फूलता रहेगा। पश्चिम में आज वही एक अपने सीमित अर्थ में 'जीवित धर्म' रह गया है। एक रोमन कैथलिक मित्र ने जेल में मेरे पास कैथलिक-मत पर कई पुस्तकें और धार्मिक पत्र भेज दिये थे, और मैंने उन्हें बड़ी दिलचस्पी से पढा था। उन्हें पढने पर मुझे मालूम हुआ कि लोगो पर उसका कितना बड़ा प्रभाव है। इस्लाम और प्रचलित हिन्दू-धर्म की तरह ही उससे भी सन्देह और मानसिक द्वन्द्व से राहत मिल जाती है और भविष्य के जीवन के बारे में एक आश्वासन मिल जाता है, जिससे इस जीवन की कसर पूरी हो जाती है।

अपना अप्रत्यक्ष असर डालता है, इसकी हाल ही में एक मिसाल मेरे देखने में आई है। ७ नवम्बर १९३४ को कानपुर में युक्तप्रान्तीय हिन्दु-स्तानी ईसाई कान्फ़ेन्स में स्वागताध्यक्ष श्री ई० डी० डेविड ने कहा था कि "ईसाई की हंसियत से, हमारा यह धार्मिक कर्तव्य है कि हम सन्ग्राट के राजभक्त रहें, जो कि हमारे धर्म के 'संरक्षक' हैं।" लाजिमी तौर पर इसका अर्थ हुआ हिन्दुस्तान में ब्रिटिश साम्राज्यवाद का समर्थन। श्री डेविड ने आई० सी० एस०, पुलिस और सारे प्रस्तावित विधान के बारे में, जिससे उनके विचार से हिन्दुस्तान के ईसाई मिशन खतरे में पड सकते हैं, इंग्लैण्ड के 'कट्टर' अनुदार लोगों की राय के साथ भी अपनी सहानुभूति प्रकट की थी।

मगर, मेरी समझ में तो इस तरह की गुरभितना चाहना मेरे लिए तो असंभव है। मैं तो खुले समुद्र को ही ज्यादा चाहना हूँ, जिसमें चाहे जिसनी आँधियाँ और तूफान हों, न मुझे परशोक भी या मृत्यु के दाव क्या होता है इसके बारे में कोई दिलचस्पी है। इस जीवन की समस्याएँ ही मेरे दिमाग को व्यस्त करने के लिए काफी मालूम होती हैं। मुझे तो चीनियों की परम्परा से खली आई जीवन-दृष्टि, जो कि मूल में नैतिक है लेकिन फिर भी अधार्मिकता या नास्मिकता का रंग लिये हुए है, पसन्द आती है, हालाँकि जिस तरह वह व्यवहार में लाई जा रही है, वह मुझे पसन्द नहीं है। मुझे तो 'ताओ' यानी जिस मार्ग पर चलना चाहिए उसमें या जीवन की पद्धति में रुचि है, मैं चाहता हूँ कि जीवन को समझा जाय, उसका त्याग नहीं बल्कि उसको अंगीकार किया जाय, उसके अनुसार चला जाय, और उसको उन्नत बनाया जाय। मगर आध्यात्मिक दृष्टिकोण इस लोक से नाता नहीं रखता। मुझे बहु स्पष्ट विचार का दुश्मन मालूम होता है, क्योंकि उसकी नींव सिर्फ कुछ स्थिर और न बदलने वाले मतों और सिद्धान्तों को बिना चूँ-चपड़ किये स्वीकार कर लेना ही नहीं है, बल्कि वह मानसिक प्रवृत्ति, भावना और मादुकता पर भी आधारित है। मैं जिन्हें आध्यात्मिकता और आत्मा-सम्बन्धी बातों समझता हूँ, उनसे वह बहुत दूर है, और वह, जान-बूझकर या अनजान में इस डर से कि शायद असंस्थित पूर्व निश्चित विचारों से मेल न खाय, असंस्थित से भी आँखें बन्द कर लेता है। वह संकुचित है, और दूसरी तरह की रायों या विचारों को सहन नहीं करता। वह आत्म-हित और अहंकार पूर्ण है, और अक्सर स्वार्थी और तयाम साधु लोगों को अपने से अनुचित फायदा उठाने देता है।

इसका अर्थ यह नहीं है कि मजहब को माननेवाले अक्सर जैने-से-जैने नैतिक और आध्यात्मिक कोटि के लोग नहीं हुए हैं, या अभी भी नहीं

है। लेकिन इसका यह अर्थ जरूर है कि अगर नैतिकता और आध्यात्मिकता को दूसरे लोक के पैमाने से न नापकर इसी लोक के पैमाने से नापना हो तो मजहबी दृष्टिकोण अवश्य ही राष्ट्रों की नैतिक और आध्यात्मिक प्रगति में सहायता नहीं देता, बल्कि बाधा तक डालता है। आमतौर पर, धर्म ईश्वर या परमतत्त्व की अ-सामाजिक या व्यक्तिगत खोज का विषय बन जाता है, और मजहबी आदमी समाज की भलाई की अपेक्षा अपने-आपकी मुक्ति की ज्यादा फिक्र करने लगता है। रहस्यवादी अपने अहंकार में छुटकारा पाने की कोशिश करता है, और इस कोशिश में अक्सर अहंकार की ही बीमारी उसके पीछे लग जाती है। नैतिक पैमानों का जाल्लुक समाज की जरूरतों से नहीं रहता, लेकिन उनका आधार पाप के अत्यन्त गूढ आध्यात्मिक सिद्धान्तों पर हो जाता है। और, सगठित धर्म तो हमेशा स्थापित स्वार्थ ही बन जाता है, और इस तरह छात्रिमी तौर पर वह परिवर्तन और प्रगति के लिए एक विरोधी प्रतिगामी शक्ति बनाता है।

यह सुप्रसिद्ध है कि धुरु के दिनों में ईसाई मजहब ने गुलाम लोगों को अपना सामाजिक दर्जा सुधारने में मदद नहीं दी थी। ये गुलाम ही यूरप के मध्यकालीन युग में, आर्थिक परिस्थितियों के कारण भू-स्वामियों के क्रीतदास बन गये। मजहब का रुख दो सौ वर्ष पहले तक (१७२७ तक) क्या रहा था, यह अमेरिका के दक्षिणी उपनिवेशों के दास-स्वामियों को लिखे हुए विशप आफ लन्दन के एक पत्र से मालूम पढ़ सकता है । २

विशप ने लिखा था कि, "ईसाई-धर्म और बाइबिल को मान लेने से

१ यह पत्र रेनहोल्ड नेबुहर की लिखी हुई पुस्तक 'भॉरल मैन एण्ड इन्मॉरल सोसाइटी' (पृष्ठ ७८) में उद्धृत हुआ है। यह किताब बड़ी ही रोचक और विचार-प्रेरक है।

नागरिक मन्त्रिण या नागरिक मन्त्रिणों में उच्चतर रूप में उच्चतर
 भी नददीनी नहीं आती, वस्तुतः उन मन्त्रिणों में व्यक्ति उन्नी 'अवस्था'
 में रहते हैं जिन्हें अवस्था में वह पहले से । ईनाई-धर्म जो मुक्ति देता है,
 वह मुक्ति 'पाप' और 'दुःख' में दुःखन म जी मनुष्यों के 'वाम',
 'विचार' और तीव्र 'वामना' के धर्मन म है । मगर, उनमें बाहरी ज्ञान
 वगैरह—ईनाईधर्म जो दीक्षा दिने जाने जो ईनाई वताने में परते
 जैसी गुलाम या बाजाद थी उनमें वह मियो भी तरह का परिवर्तन
 नहीं करना ।'

अब कोई भी मगठित म्दह्य करने मारु द्य में अपने मयान्यन
 जाहिर न करेगा, लेकिन निम्नियन और मीजूदा मनाज-व्यवस्था को
 मरुप उसका सब मुख्यन यही होता ।

यह सभी जानते हैं कि मन्त्र तो अर्थ-बोध कराने के बहुत ही अपूर्ण
 साधन हैं, और उनके कई तरह से अर्थ लगाये जाते हैं । किसी भी
 भाषा में 'धर्म' शब्द का (या दूसरी भाषाओं के इसी अर्थ वाले शब्दों
 का) जिनके निम्न-निम्न अर्थ निम्न-निम्न लोग लगाते हैं, उनका शायद ही
 किसी दूसरे शब्द का अर्थ लगाया जाना हो । (या 'मजहब') शब्द को
 पढ़ने या सुनने में शायद किन्हीं भी दो मनुष्यों के मन में एक ही-ने 'धर्म'
 के विचार या कल्पनाएँ पैदा नहीं होंगी । इन विचारों या कल्पनाओं में,
 कर्नकाण्डों और रत्न-परिवारों के, धर्म-ग्रन्थों के, मनुष्यों के एक मनुदाय-
 विशेष के, कुछ निश्चित सिद्धान्तों के और नीति-नियमों, श्रद्धा, भक्ति,
 नय, वृथा, दया, बलिदान, तपस्या, उपवास, नोज, प्रार्थना, पुराने
 इतिहास, शादी, श्रमों, परलोक, दगों और सिर-फुटीवल, इत्यादि अनेक
 बातों के विचार और भाव शामिल हैं । इन अनन्त प्रकार की कल्प-
 नाओं और अर्थों के कारण विश्वास में जबरदस्त गड़बड़ी तो पैदा हो ही
 जावगी, लेकिन हमेशा एक तीव्र नावुकता भी उमड़ पड़ेगी, जिनमें

अलिप्त और अनासक्त रूप से विचार करना नामुमकिन हो जायगा। 'धर्म' शब्द का ठीक और जब निश्चित अर्थ (अगर कभी था, तो) अब विलकुल नहीं रहा है, और अक्सर विलकुल ही भिन्न-भिन्न अर्थों में उसका प्रयोग होता है तब तो वह सिर्फ गडबडी ही उत्पन्न करता है और उससे वाद-विवाद और तर्क का कभी अन्त ही नहीं हो सकता। बहुत ज्यादा अच्छा यह हो कि इस शब्द का प्रयोग ही विलकुल बन्द कर दिया जाय, और उसके स्थान पर ज्योंदा सीमित अर्थ वाले शब्द इस्तेमाल किये जायँ, जैसे ईश्वर-विज्ञान, दर्शन-विज्ञान, नीति-नियम, नीति-शास्त्र, आत्म-वाद, आध्यात्मिक-शास्त्र, कर्तव्य, लोकाचार वगैरा। यों तो ये शब्द भी काफी अस्पष्ट हैं, लेकिन ये 'धर्म' की अपेक्षा बहुत परिमित अर्थ रखते हैं। इसमें बड़ा लाभ यह होगा कि अभी तक इन शब्दों के साथ उत्तनी भावुकता और भावना नहीं लग पाई है जितनी कि 'धर्म' के साथ लग चुकी है।

तो, मजहब (इस शब्द की स्पष्ट हानियों के होते हुए भी इसी का प्रयोग कर रहा हूँ) चीज क्या है? शायद वह है व्यक्ति की आन्तरिक उन्नति और एक खास दिशा में, जो अच्छी समझी जाती है, उसकी चेतना का विकास। वह दिशा कौन-सी होनी चाहिए यह भी एक विवाद-ग्रस्त विषय ही होगा। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ, मजहब इसी आन्तरिक परिवर्तन पर और देता है, और बाहरी परिवर्तन को इस भीतरी विकास का ही एक अंग या रूप मात्र मानता है। इसमें शक नहीं हो सकता कि इस आन्तरिक उन्नति का बाहरी हालत पर बड़ा जबरदस्त असर पड़ता है। मगर, इसके साथ ही यह भी स्पष्ट है कि बाहरी हालत का आन्तरिक प्रगति पर भी भारी असर पड़ता है। दोनों का एक-दूसरे पर प्रभाव पड़ता है और प्रतिक्रिया भी होती रहती है। यह सब जानते हैं कि पश्चिम के आधुनिक औद्योगिक देशों में आन्तरिक

विकास से बाहरी विकास बहुत ज्यादा हुआ है, लेकिन इसमें यह नतीजा नहीं निकलता, जैसा कि पूर्वीय देशों के कई लोग शायद समझते हैं, कि चूंकि हम कल कारखानों के उद्योग में पीछे हैं और हमारा बाहरी विकास धीमा रहा है, इसलिए हमारा आन्तरिक विकास उनसे ज्यादा हो गया है। यह एक भ्रम है, जिससे हम अपने को तसल्ली दे लेते हैं, और अपने छोटे-मन की भावना को दाबने की कोशिश करते हैं। यह हो सकता है कि कुछ व्यक्ति अपनी परिस्थितियों और हालतों से ऊपर उठ सकें, और ऊंचे आन्तरिक विकास पर पहुँच सकें। लेकिन बहुत लोगों और राष्ट्रों के लिए तो, आन्तरिक विकास हो सकने से पहले, कितनी अक्ष तक बाहरी विकास का होना आवश्यक है जो आदमी आर्थिक परिस्थितियों का शिकार है, और जो जीवन-सर्घर्ष के बधनों और बाधाओं से घिरा हुआ है, वह शायद ही किसी ऊँची कोटि की आत्मा-चेतनता प्राप्त कर सके। जो वर्ग पद-दलित और शोषित होता है, वह आन्तरिक रूप से कभी प्रगति नहीं कर सकता। जो राष्ट्र राजनैतिक और आर्थिक रूप से पराधीन है और बन्धनों में पड़ा परिस्थितियों से मजबूर और शोषित हो रहा है, वह कभी आन्तरिक उन्नति में सफल नहीं हो सकता। इस तरह आन्तरिक उन्नति के लिए भी बाहरी आजादी और अनुकूल परिस्थिति की जरूरत होती है। इस बाहरी आजादी को पाने, और परिस्थिति ऐसा बनाने के लिए कि जिसमें आन्तरिक प्रगति की सब रुकावटें हट जायें, यह आवश्यक है कि माघन ऐसे मिले जिनसे असली उद्देश्य ही न नष्ट हो जाय। मैं समझता हूँ कि जब गांधीजी कहते हैं कि उद्देश्य से साधन ज्यादा महत्त्वपूर्ण है, तो चाका नाव कुछ ऐसा ही प्रतीत होता है। मगर साधन ऐसे ऊपर होने चाहिए जो कि उस उद्देश्य तक पहुँचा दें, नहीं तो उनसे सारी शक्ति ही नष्ट होगी, और उनमें शायद भीतरी और बाहरी दोनों तरह का पतन ही ज्यादा होगा।

गांधीजी ने कही लिखा है कि—“कोई भी आदमी धर्म के बिना जीवित नहीं रह सकता। कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनी अक्ल की शोखी में कहते हैं कि हमें धर्म से कोई सवध नहीं है। मगर यह ऐसी बात हुई कि कोई आदमी साँस तो लेता हो लेकिन कहता हो कि मेरे नाक नहीं है।” फिर वह कहते हैं—“सत्य के प्रति मेरी तपस्या ने मुझे राजनीति के मैदान में ला खीचा है। और मैं बिना किसी हिचकिचाहट के, लेकिन पूरी नम्रता के साथ, कह सकता हूँ, कि वे लोग जो यह कहते हैं कि ‘धर्म’ का राजनीति से कोई नाता नहीं है, यह समझते ही नहीं कि ‘धर्म’ का क्या अर्थ है।” यदि वह यो कहते कि प्रायः वे ही लोग जो जीवन और राजनीति में से ‘धर्म’ को निकाल डालना चाहते हैं, ‘धर्म’ शब्द का उन (गांधीजी) के आशय से बहुत भिन्न कोई दूसरा ही आशय समझते हैं—तो शायद यह अधिक उपयुक्त होता। यह स्पष्ट है कि गांधीजी ‘धर्म’ शब्द को उसके भाष्यकारों से भिन्न अर्थ में—शायद और किसी अर्थ की अपेक्षा नैतिक अर्थ में अधिक—ग्रहण कर रहे हैं। एक ही शब्द को भिन्न-भिन्न अर्थों में इस तरह प्रयोग करने से एक-दूसरे को समझना और भी मुश्किल हो जाता है।

धर्म की एक और बहुत ही आधुनिक परिभाषा, जिससे कि मजहबी लोग सहमत न होंगे, प्रोफेसर जॉन डेवी ने की है। उनकी राय में मजहब “वह चीज है जो जीवन या अस्तित्व के एक-एक करके और बदलते रहनेवाले प्रसंगों या घटनाओं को समझने की शुद्ध दृष्टि देता है”, या फिर “जो प्रवृत्ति व्यक्तिगत हानि होने की आशंका होने पर भी और बाधाओं के विरोध में भी किसी आदर्श लक्ष्य को पाने के लिए जारी रखी जाती है, और जिसके पीछे यह विश्वास हो कि वह सार्वजनिक और उपयोगिता वाली है वही स्वरूप में धार्मिक है।” अगर धर्म यही चीज है, तब तो निश्चय ही उस पर किसीको भी कुछ ऐतराज नहीं हो सकता।

रोम्यां रोलां ने भी मञ्जुहव का ऐसा मनलव निकाला है जिसने शायद सगठित मञ्जुहव के कट्टर लोग भयभीत हो जायेंगे। अपने 'रामकृष्ण परमहम' जीवनचरित्र में वह लिखते हैं —

“ बहुत-से व्यक्ति ऐसे हैं जो नमी तरह के मञ्जुहवी विद्यासी से डर है, या उनका ज़याल है कि वे डर है, लेकिन वास्तव में वे एक अति-बौद्धिक चेतना की हालत में डूबे रहते हैं, जिने वे समाजवाद, साम्यवाद, मानवहितवाद, राष्ट्रवाद या बुद्धिवाद भी कहते हैं। विचार की वस्तु से नहीं, किन्तु विचार की उच्चता या गुण से उसका मेल निश्चित हो सकता है, और हम यह तय कर सकते हैं कि वह मञ्जुहव से उत्पन्न हुआ है या नहीं। अगर वह विचार हर तरह की कठिनाई सह कर एकनिष्ठ लगन और हर तरह के बलिदान की तैयारी के साथ, सत्य की खोज की तरफ निर्भयतापूर्वक जाता है, तो मैं उसे मञ्जुहवी ही कहूँगा। क्योंकि मञ्जुहव के अन्दर यह विश्वास शामिल ही है कि मानवीय पुरुषार्थ का ध्येय मौजूदा समाज के जीवन से ऊँचा, और सारे मानव-समाज के जीवन से भी ऊँचा है। नास्तिकता भी, जब वह सर्वांशत सच्ची बलवती प्रकृतियों में निकलती है। और जब वह निर्दलता का नहीं बल्कि शक्ति की एक मूर्तरूप होती है, तो वह भी धार्मिक आत्मा की महान् सेना के प्रमाण में शामिल हो जाती है।”

मैं नहीं कह सकता कि मैं रोम्यां रोलां की इन शर्तों को पूरा करता ही हूँ, लेकिन इन शर्तों पर तो इस महान् सेना का एक तुच्छ सैनिक बनने को मैं तैयार हूँ।

ब्रिटिश सरकार की 'दो-रुखी' नीति

यरवदा-जेल से, वाद में बाहर से, गांधीजी के नेतृत्व में हरिजन-आन्दोलन चल रहा था। मन्दिर-प्रवेश का प्रतिबन्ध दूर करने के लिए बड़ा भारी आन्दोलन खड़ा हो गया था, और इसी उद्देश्य का एक विल असेम्बली (बड़ी घारासभा) में भी पेश किया गया था। और फिर एक अनोखा दृश्य दिखाई दिया कि कांग्रेस के एक बड़े नेता दिल्ली में असेम्बली के मेम्बरो के घर-घर जाकर मन्दिर-प्रवेश विल के पक्ष में मत दिलाने का प्रयत्न कर रहे थे। खुद गांधीजी ने भी उनके द्वारा असेम्बली के मेम्बरो के नाम एक अपील भेजी थी। फिर भी सविनय-भंग तो चल ही रहा था और लोग जेल जा रहे थे, कांग्रेस ने असेम्बली का बहिष्कार कर रखा था और हमारे मेम्बर उसमें से निकल कर चले आये थे। जो मेम्बर वहाँ बच गये थे, उन्होंने और उन लोगों ने जो खाली हुई जगहों में आगये थे, उन्होंने इस सकट-काल में कांग्रेस का विरोध करके और सरकार का साथ देकर नाम कमा लिया था। आर्डिनेन्सो की असाधारण घाराओं को कुछ काल के लिए स्थायी दमनकारी कानून के रूप में पास कर देने में इन लोगों के बहुमत ने सरकार को मदद दी थी। उन्होंने ओटावा का समझौता पचा लिया था, और दिल्ली, शिमला और लन्दन में बड़े प्रभुओं के साथ दावतें उड़ाई थी। वे हिन्दुस्तान में अंग्रेजों की हुकूमत की प्रशंसा करने में शामिल हो गये थे, और हिन्दुस्तान में 'दो-रुखी' नामक नीति की विजय की उन्होंने प्रार्थना की थी।

उस समय की परिस्थिति में गांधीजी के अपील निकालने पर में

आश्चर्य में पड गया। और इसने भी ज्यादा मैं राजगोपालाचार्य की भारी कौशिंगों ने चक्किन हुआ, जो कि कुछ ही हफ्ते पहले काँग्रेस के स्थानापन्न प्रेसीडेण्ट थे। निश्चय ही इन कामों ने सत्रिय-भग को घन्का पहुँचा, लेकिन मुझे तो नैतिक दृष्टि में ज्यादा चोट पहुँची। मेरी तिगाह में गाधीजी या किनी भी काँग्रेस के नेता का ऐसी कार्रवाई करना अनैतिक था, और जो वहन-ने लोग जेल में थे या लडाई चला रहे थे, उनके साथ करीब-करीब विश्वासघात ही था। लेकिन मैं जानता था कि उनका दृष्टिकोण दूसरा है।

उस समय और बाद में मन्दिर-प्रवेश-विल की तरफ सरकार का रुख बाँधे खोल देनेवाला था। उसने उसके मर्मको के रास्ते में हर तरह की कठिनाइयाँ डालीं। वह उनको न्यमित करती चली गई, और उसके विरोधियों को प्रोत्साहन देती गई, और अखीर में उस पर अपना विरोध जाहिर करके उसका खात्मा कर दिया। हिन्दुस्तान में सामाजिक सुधार के सभी प्रयत्नों की तरफ किसी-न-किसी मद्दत तक उसका यही रुख रहा है, और मजहब में हस्तक्षेप न करने के वहाने उसने सामाजिक उन्नति को रोका है। मगर यह कहने की जरूरत नहीं कि इससे वह हमारी सामाजिक बुराइयों की नुस्तानी करने या इसके लिए दूसरों को प्रोत्साहित करने से बाध नहीं आई। एक इत्फाक से ही शारदा बाल-विवाह-निरोधक बिल कानून बन गया था, लेकिन इस अभाग्य कानून के बाद के इतिहास से ही सबसे ज्यादा यह मालूम हो गया कि इस तरह के कानूनों की पाबन्दी कराने में सरकार कितनी अनिच्छा रखती है। जो सरकार रातो-रात आर्डिनेन्स पैदा कर सकती थी, जिनमें अजीब-अजीब अपराध ईजाद किये गये और जिनमें एक के कुसुरो के लिए दूसरों को सजायें दी जा सकती थी और जिनके भग करने के कारण वह हजारों लोगों को जेल भेज सकती थी, वही सरकार 'शारदा-

एक्ट' सरीखे अपने नियमित कानून की पाबन्दी कराने के खयाल से स्पष्टतः दुबकने लगी। इस कानून का नतीजा पहले तो यह हुआ कि वह जिस बुराई की रोक के लिए बनाया गया था वही बुराई बेहद बढ़ गई। क्योंकि लोगो ने छ महीने की मिली हुई मोहलत से, जो कि कानून में बहुत ही बेवकूफी से रख दी गई थी, फायदा उठाने की एक-दम जल्दी की। और फिर तो यह भालूम होगया कि कानून तो बहुत कुछ एक मझाक ही है, और आसानी से उसका भंग हो सकता है और सरकार उसमें कोई भी कार्रवाई न करेगी। सरकार की तरफ से उसके प्रचार की ज़रा भी कोशिश नहीं की गई, और देहात के ज्यादातर लोगो को यह भी पता न लगा कि यह कानून क्या है। उन्होंने हिन्दू और मुसलमान प्रचारको से, जो खुद भी हकीकत शायद ही जानते हो, उसका तोड़ा-मरोड़ा हुआ हाल सुना।

स्पष्ट है कि हिन्दुस्तान में सामाजिक बुराइयो के प्रति सहिष्णुता को जो यह असाधारण प्रवृत्ति ब्रिटिश सरकार ने दिखाई है, वह उन बुराइयो के लिए किसी पक्षपात के कारण नहीं है। यह तो सही है कि वह बुराइयो को दूर-करने की ज्यादा चिन्ता नहीं करती, क्योंकि ये बुराइयाँ उनके हिन्दुस्तान पर हुकूमत करने और उसका सब तरह शोषण करने के कार्य में रुकावट नहीं डालती। लेकिन सुधारो की योजना करने से भिन्न-भिन्न समुदाय के नाराज हो जाने का भी डर रहता है, और राजनैतिक क्षेत्र में काफी रोप और क्रोध का सामना होते रहने के कारण ब्रिटिश सरकार की यह इच्छा नहीं है कि वह अपनी मुसीबतो को और बढ़ा ले। मगर इन पिछले दिनों से समाज-सुधारको की दृष्टि से स्थिति और भी खराब होती जा रही है, क्योंकि अग्रेज लोग इन बुराइयो के ज्यादा-ज्यादा मीन आश्रयदाता होते जा रहे हैं। यह उनके हिन्दुस्तान के सबसे प्रतिगामी लोगो के गहरे सम्बन्ध में आने के कारण

राजमणि भी है ।

अब ब्रिटिश नगान बंधी गयी, चीन जाते आगस्त का १९११ को प्रिय करने और उनकी पाठ्यपुस्तकें पढ़ने का भी काम है, नई गयी, तो कांग्रेस या दूसरी संगठनांगी सस्थाओं ने उसके पक्ष में प्रचार बना नहीं किया ? अंग्रेजों और दूसरे विदेशी ममात्रोपार्ता ने जा-गार यह मयाच किया है । जहानरु कांग्रेस का मन्त्र है, वह तो पिछले पक्ष में काम कर १९३० से, ब्रिटिश हूअमन में गण्डीय मयाच के लिए जीवन-भरण का भीषण लड़ाई कर रही है । दूसरी मयाचों में अमनी ताकत या जनता तक पहुँच नहीं है । आदर्श, चरित्रय और जनता पर असर रखनेवाले स्त्री-युवक तो कांग्रेस में मिल जाये थे, जो ब्रिटिश जेलखानों में जीवन बिता रहे थे ।

दूसरी मयाचें कुछ चुने हुए लोगों द्वारा, जो जनता के मध्य में डरते थे, प्रस्ताव पास कर देने से आगे प्राय बढ़ी नहीं । वे शरीफाना तरीके से, या अखिल-भारतीय महिला-संघ की तरह जानते तरीके में ही, काम करती थी, और उनमें आक्रमक प्रचार की वृत्ति नहीं थी । इसके अलावा, वे भी आहिंसेवादी और उनके बाद के कानूनों द्वारा मय

तरह की सार्वजनिक प्रवृत्तियों के भयकर दमन के कारण निष्प्राण होकर कुछ भी नहीं कर सकती थी। फौजी कानून क्रान्तिकारी प्रवृत्ति को कुचल सकता है, लेकिन उसके साथ ही वह सभ्यता को और निहायत सभ्य प्रवृत्तियों को भी निर्जीव-सा कर देता है।

मगर काँग्रेस और दूसरे गैर-सरकारी संगठन क्यों ज्यादा सामाजिक सुधार नहीं कर सकते, इसका मूलकारण और भी गहरा है। हमारे अन्दर राष्ट्रीयता की बीमारी हो गई है, और उसी पर हमारा सारा ध्यान लग जाता है, और जबतक हमें राजनैतिक आज़ादी न मिलेगी तबतक वह उसी में लगता भी रहेगा। जैसाकि वनडिं शाँ ने कहा है— "पराजित राष्ट्र नासूर के रोगी की तरह होता है, वह और किसी बात का खयाल नहीं कर सकता। वास्तव में किसी भी राष्ट्र में राष्ट्रीय आन्दोलन से बढ़कर कोई अभिशाप नहीं होता, जोकि स्वाभाविक प्रवृत्ति के दमन का एक दुःखदायी लक्षण मात्र होता है। पराजित राष्ट्र दुनिया की दौड़ में पीछे रह जाते हैं, क्योंकि वे इसके सिवा और कुछ नहीं कर सकते कि अपनी राष्ट्रीय स्वतन्त्रता को प्राप्त करके अपने राष्ट्रीय आन्दोलनों से छुटकारा पाने की कोशिश करें।"

पिछला अनुभव हमें बताता है कि चुने हुए मिनिस्ट्रो के हाथ में जाहिरातौर पर कुछ महकमो के बदल दिये जाने पर भी वर्तमान परिस्थिति में प्रायः हम कुछ भी सामाजिक प्रगति नहीं कर सकते। सरकार की जबरदस्त अकर्मण्यता रूढ़ि-प्रेमियों के लिए हमेशा मददगार होती है, और पिछली पीढ़ियों से ब्रिटिश सरकार ने लोगों की नये काम शुरू करने की शक्ति को कुचल दिया है, और वह सर्वाधिकारी की तरह, या जैसा कि वह अपने-आप कहती है, माँ-बाप की तरह से हुकूमत करती है। गैर-सरकारी व्यक्तियों द्वारा किसी भी बड़े व्यवस्थित काम का किया जाना वह पसन्द नहीं करती, और उसमें छिपे इरादों का शक करती है।

हरिजन-आन्दोलन के मगठनकर्त्ता, यद्यपि उन्होंने हर तरह सावधानी से काम लिया है समय-मनय पर मरकारी कर्मचारियों के मर्ष में आ ही गये हैं। मुझे तो यकीन है कि अगर कांग्रेस नाबुन ज्यादा इस्तेमाल करने वा जो राष्ट्र-व्यापी आन्दोलन उठाये, तो वह भी कई जगहों पर मरकार के मर्ष में आ जायगा।

मेरी मनस में अगर मरकार नामाजिक मुधार के प्रश्न को हाथ में लेले, तो जनता के मन को उसके माफिक बना लेना मुश्किल नहीं है। अगर विदेशी हाकिमों पर हमेशा ही शक किया जाता है, और दूसरों को अपनी राय का बनाने में वे ज्यादा मफल नहीं हो सकते। अगर विदेशी तत्त्व दूर कर दिया जाय, और आर्थिक परिवर्तन पहले कर दिये जायें, तो एक उत्साही और क्रियाशील शासन आसानी से बड़े-बड़े नामाजिक मुधार जारी कर सकता है।

लेकिन जेल में हमारे दिमागों में सामाजिक मुधार और शारदा-कानून और हरिजन-आन्दोलन के विचार नहीं भरे हुए थे, सिवा इसी हद तक कि मैं हरिजन-आन्दोलन के सविनय मग के रास्ते में आ जाने के कारण उनसे कुछ चिढ़ गया था। मई १९३३ के शुरु में सविनय मग छ हफ्तों के लिए मुत्तबी कर दिया गया था। और आगे क्या होता है यह देखने की उत्सुकता में हम थे। इसके मुत्तबी होने में तो आन्दोलन पर आखिरी प्रहार ही हो गया, क्योंकि राष्ट्रीय लडाई के माय आँखमिचौनी का खेल नहीं खेला जा सकता, न वह जब मन आवे तब चानू और जब मन आवे तब बन्द ही जा सकती है। स्थगित होने में पहले भी आन्दोलन के नेतृत्व में बहुत ही कमबोरी और प्रभाव-हीनता आ गई थी। कई छोटी-छोटी कान्फेन्स हो रही थीं, और तरह-तरह की अक्रवाहें फैल रही थीं, जिनसे सक्रिय कार्य होने में रुकावट पड़ती थी। कांग्रेस के कई स्थानापन्न प्रेमी-देष्ट बड़े नम्मानित लोग थे,

लेकिन उनको सक्रिय लड़ाई के सेनापति बनाना उनके साथ ज्यादाती करना था। उनके लिए बार-बार इस बात का इशारा किया जाता था कि वे थक गये हैं और इस भुविक्ल स्थिति से निकलना चाहते हैं। इस अस्थिरता और अनिश्चय के खिलाफ ऊँचे हलको में कुछ असन्तोष था, लेकिन उसको सगठित रूप से जाहिर नहीं किया जा सकता था, क्योंकि सभी कांग्रेसी सस्थायें गैर-कानूनी थीं।

इसके बाद गाँधीजी का इक्कीस दिन का उपवास करना, उनका जेल से छूटना, और छ हफ्ते तक सविनय भग का रोक लेना, ये सब हुए। उपवास खत्म हो गया, और बहुत धीरे-धीरे वह फिर अच्छे हुए। जून के मध्य में सविनय भग के स्यगित होने की अवधि छ हफ्ते के लिए और बढ़ा दी गई। इस बीच सरकार ने अपना दमन कुछ भी कम न किया। अण्डमान के टापुओं में राजनैतिक कैदी (बगाल में जिन्हें क्रान्तिकारी हिंसा के लिए सजा दी गई थी वे वहाँ भेजे गये थे) जेल-बर्ताव के प्रश्न पर भूख-हड़ताल कर रहे थे, और उनमें से एक या दो तो भूखे रह-रहकर मर भी गये थे। कई मृत्युशय्या पर थे। हिन्दुस्तान में जिन लोगों ने अण्डमान में जो कुछ हो रहा था उसके विरुद्ध सभाओं में भाषण दिये थे, वे भी खुद गिरफ्तार कर लिये गये और उन्हें सजायें दे दी गईं। हम (कैदी) केवल कठिनाइयाँ ही नहीं सहें, लेकिन हम शिकायत भी न करे, चाहे हम भूख-हड़ताल को छोड़कर विरोध बतलाने का दूसरा उपाय न मिलने पर, भूख की भयकर अग्नि-परीक्षा में मर भी जायें।

कुछ महीने बाद, सितम्बर १९३३ में (जबकि मैं जेल से बाहर था), एक अपील निकली थी, जिसमें अण्डमान के कैदियों के साथ ज्यादा मनुष्योचित बर्ताव करने और उनको हिन्दुस्तान की जेलों में बदल दिये जाने की प्रार्थना की गई थी, और जिसमें रवीन्द्रनाथ ठाकुर, मी० एफ० एण्डरूज और दूसरे कई-कई महादूर लोगों के भी दस्तखत थे, जिनमें अधि-

की, कंग्रेजों ने कुछ भी सम्झने न रखनेवाले लोग थे। इन वक्ताओं पर गान्धेयों के होम मेम्बर ने बड़ी नागाइती कहर की, और कैंदियों के माद सहायकों ने इन्होंने के लिए उम्पर उम्पर करनेवालों की बड़ी बड़ी मंगालोचना की। बाद में इहाँ तक मुझे याद आता है, बंगाल में ऐसी हल्लों का हिर करना भी एक जून कगर दे दिया गया।

नविनय भग की ह हम्मे की मीकूनी की दूसरी मोहलन पूरी होने से पहले, देहरादून-केले में, हम्मे कवर निने कि गाँधीजी ने पूना में एक अनियमित कान्फेरेन्स बुलाई है। वहाँ दो-तीन ती व्यक्ति इकट्ठा हुए, और गाँधीजी को मन्हा के मानूहिक सविनय भग विलकुल त्यागित कर दिया गया, किन्तु व्यक्तिगत नविनय भग की इजाजत खूली रखी गई और सब तरह की गुप्त प्रवृत्तियाँ बन्द कर दी गई। ये निश्चय कोई बहुत स्फूर्तिवाक्य नहीं थे, लेकिन इनके स्वस्थ को देखते हुए मुझे उनपर खाम ऐतगस नहीं हुआ। मानूहिक सविनय भग को बन्द करना तो नाँदूदा हान्त को स्वीकार कर लेना और स्थिर कर देना ही था, क्योंकि वास्तव में उन दिनों मानूहिक नविनय भग था ही नहीं। और, गुप्त काम भी इस काम का एक बहाना-मात्र था कि हम अपना काम जारी रख रहे हैं, और अक्सर उससे अपने आन्दोलन के रूप को देखते हुए साहस-हीनता भी पैदा होती थी। जिनी हृद तक तो, हिंसायतों भेजने और मन्क बनाये रखने के लिए वह जरूरी भी था, लेकिन खुद सविनय भग तो गुप्त कैसे रखा जा सकता था।

मुझे जिन बात से अचरज और दुःख हुआ, वह यह थी, कि पूना में नाँदूदा परिस्थिति और हमारे लक्ष्य के बारे में कोई असली चर्चा नहीं हुई। अंग्रेजों के करीब दो साल की नीयण लडाई और दमन के बाद एक जगह उन्डूठे हुए थे, और इस बीच मारी दुनिया में और हिन्दुस्तान में बहुत-सी घटनाएँ हुई थीं, जिनमें 'व्हाइट पेपर' का

प्रकाशिक होना भी शामिल था, जिसमें ब्रिटिश सरकार की वैधानिक सुधार-सम्बन्धी योजना थी। इस अर्थ में हमें तो मजबूरन चुप रहना पडा था, और दूसरी तरफ असली सवालो को छिपाने के लिए लगातार झूठा प्रचार होता रहा था। न सिर्फ सरकार के हिमायतियो ने ही, बल्कि लिबरलो (मध्यभागियो) और दूसरे लोगो ने भी, कई बार यह कहा था कि कांग्रेस ने अपना स्वाधीनता का लक्ष्य छोड दिया है। मेरी समझ में हमें कम-से-कम इतना तो करना ही चाहिए था कि हम अपने राजनैतिक ध्येय पर जोर देते, हम उसे फिर स्पष्ट कर देते, और अगर हो सकता तो उसके साथ सामाजिक और आर्थिक लक्ष्य भी जोड देते। इसके बदले बहुत शायद सिर्फ इसी बात पर होती रही कि सामूहिक सविनय भंग अच्छा है या व्यक्तिगत, गुप्तता रखना ठीक है या नहीं। सरकार से 'सुलह' करने की भी कुछ विचित्र चर्चा हुई थी। जहातक मुझे याद है, गांधीजी ने वाइसराय से मुलाकात मागने के लिए एक तार भेजा, जिसका जबाब वाइसराय की तरफ से 'नहीं' में आया, और फिर गांधीजी ने एक दूसरा तार भेजा जिसमें कि 'सम्मान-युक्त सुलह' की कोई बात कही गई थी। लेकिन जिस मायाविनी सुलह को लोग चाहते थे वह थी कहीं, जबकि सरकार राष्ट्र को कुचलने में विजयिनी हो रही थी और अण्डमान में लोग भूखो रह-रहकर अपनी जाने दे रहे थे? लेकिन मैं जानता था, कि नतीजा कुछ भी हो, गांधी का यह तरीका रहा है कि वह हमेशा अपनी ओर से समझौते का पूरा मौका देते हैं।

दमन पूरे जोरो पर चल रहा था, और सार्वजनिक प्रवृत्तियो को दबानेवाले सारे विशेष कानून लागू थे। फरवरी १९३३ में मेरे पिताजी की सालाना यादगार में की जानेवाली एक सभा को पुलिस ने मना कर दिया, हालांकि वह गैर-कांग्रेसी मीटिंग थी और उसका सभापतित्व करने वाले थे सर तेजबहादुर सप्रू जैसे अच्छे मॉडरेट। और मानो भविष्य में

निम्नलिखिते इन्हारा ही जौरी हवे 'आउट पन' में दो ज गरी थी।

एक एक कर्मकांड देखा, जिनको पटर नौबतता रहा जान पड़ता था। उनके इतुमार हिन्दुस्तान का इतिहास हिन्दुस्तानी रिपब्लिक बना दो जायगी, और 'उस में देश-भक्तों के प्रतिनिधियों का ही ज्यादा बोम्बारा रहेगा। लेकिन खुद गिणतता में काम भी बहुरों हल्केसे बदलन न किया जायगा जो पूरी तरह में एकतरफा नना वही जारी रहेगा। साम्राज्य की अपनी कठिनाई, उन्हें की उम्मीरे, हमेशा बल्लन अह्द के नाथ बाँधे रहेगी, और एक रिजर्व बैक के माध्यम मुद्रा की दोन आर्थिक नीति भी बैक ऑफ इंग्लैंड के नियन्त्रण में रहेगी। सब स्यापित स्वार्थों की रखा के लिए बूट्ट बीबारे बढा हो जायगी, और और भी नये स्यापित स्वार्थों का मूष्टि हो जायगी। इन स्यापित स्वार्थों के काम के लिए हमारी मारी की सारी राष्ट्रीय आय पूर्ण तरह से रहन रखी जायगी। हमें स्व-शासन की अगली किन्ना के योग्य बनाने के लिए साम्राज्य के ऊँचे पदी पर, जिनको हम इनना चाहते हैं, हमारा कोई नियन्त्रण न रहेगा, उन्हें हन छू भी न मन्थे। प्रांतीय स्वाधीनता तो मिलेगी, लेकिन गवर्नर हफ्तो व्यवस्था में रखनेवाला एक दयालु और सर्व-अभिमान डिप्टेटर रहेगा। और सबसे ऊपर रहेगा सबसे बड़ा डिप्टेटर वाइसरॉय, जिसे जो मन में आवे भी करले और जिस बात को चाहें उसे रोक्ने की पूरी-मुरी सत्ता होगी। मच है, उपनिवेशों की हकूमत के लिए अंग्रेज शासक-वर्ग ने इनका प्रतिभा का परिचय कभी नहीं दिया था। अब तो हिटलर और मुसोलिनी जैसे लोग इनकी भी खूब तारीफ कर सक्ते हैं, और हिन्दुस्तान के वाइसरॉय को भी इनरत की निगाह से देख सकते हैं।

ऐसा बिचान उपजा कर नी, कि जिसमें हिन्दुस्तान के हाथ-पाँव अच्छी तरह से बाँध दिने गये थे, उसमें 'खाल डिम्बेदारियाँ' और

'सुरक्षण' के रूप में कुछ और ज़रूरी भी जोड़ दी गई थी, जिससे कि यह अभागा राष्ट्र एक ऐसा कंदी हो गया कि जो ज़रा भी हिल डुल न सके। जैसा की श्री० नेविल चेम्बरलेन ने कहा था, "उन्होंने सारी ताकत लगाकर योजना में ऐसे सब 'सुरक्षण' रख दिये थे जिनकी कल्पना मनुष्य के दिमाग में आ सकती थी।"

इसके बाद, हमें यह भी बतलाया गया कि इन उपहारों के लिए हमें भारी खर्चा देना पड़ेगा—शुरू में एकदम कुछ करोड़ और फिर सलाना रकम। हमें स्वराज का वरदान काफी रकम दिये बिना कैसे मिल सकता था ? हम तो इस घोखे में ही पड़े हुए थे कि हिन्दुस्तान एक दरिद्र देश है और अब भी उसपर बहुत भारी बोझा रक्खा हुआ है, और उसे कम करने के लिए ही हम आजादी की नलाश में थे। आजादी के लिए जनता इसी प्रेरणा से तैयार हुई थी। लेकिन अब तो मालूम हुआ कि वह बोझा और भी भारी होने को है।

हिन्दुस्तानी समस्या का यह अष्टाक्षर हाल हमें सच्ची अंग्रेजों जैसी ही बजादारी के साथ दिया गया, और हमसे कहा गया कि हमारे शासक कितने उदार-हृदय हैं। किसी भी साम्राज्यवादी हुकूमत ने इससे पहले अपनी प्रजा के लिए अपनी खुशी से ऐसे अधिकार और अवसर नहीं दिये हैं। और इंग्लैण्ड में इसके देनेवालों में और इसपर आपत्ति उठाने वालों में, जो इस भारी उदारता से डर रहे थे, बड़ा भारी वादविवाद हुआ। तीन साल तक हिन्दुस्तान और इंग्लैण्ड के बीच बारबार बहुत लोगों के आने और जाने का, तीन गोलमेज-कान्फ़ेन्सों का, और अनगिनती कमिटियों और मन्त्रियों का यह नतीजा हुआ।

मगर, इंग्लैण्ड की यानाये तो अब भी खत्म नहीं हुई थी। ब्रिटिश पार्लमेण्ट की ज्वाइण्ट सिलेक्ट कमिटी 'व्हाइट पेपर' पर फँसला देने के लिए बैठी हुई थी, और हिन्दुस्तानी उसमें अमेनर या ग्राह दनकर

रहे। लन्दन में और भी कोई तरह की कमिटियाँ दौड़ रही थीं, और इन कमिटियों की बैठकें, जिनका अर्थ था जमाने और मायाजप के हृदय (लन्दन) में उदरने का मुक्त खर्चा निगना, पाने के लिए भीतर ही भीतर बड़ी बड़ी छीना-झरटी हुई थीं। उठे-उठे पगाली लोगों ने, जिनके हाँसने 'ब्लाइट पेपर' की निगाहों में नज़बीजों ने भी ठण्डे नहीं पड़े थे, अपनी मारते बम्बू-कला चीजें दुभा देने की शक्ति से 'ब्लाइट पेपर' की लजबीजों को बदलवाने को कागिज करने के लिए, मनुद्र-याथा या अज्ञान-याथा के मजदूरों का और लन्दन गहर में ठहरने के और भी ज्यादा जोखिमों को महते के लिए कमर कम की। वे जानते थे और कहते थे कि प्रयत्न में कुछ दम तो दिखाई नहीं देना, लेकिन हम हिम्मत हारनेवाले नहीं, और चाहे हमारी कोई न मुँह तो भी हम अपनी बात तो बराबर कहते ही रहेंगे। उनमें से एक व्यक्ति, जो कि प्रति-सहयोगियों का एक नेता था, सबके चले जाने पर भी ठंड अन्त तक टिका ही रहा, और शायद यह बमर टालने के लिए कि वह क्या-क्या राज-नैतिक परिवर्तन चाहना है, वह लन्दन के सत्ताबीजों से मुलाकात-पर-मुलाकात लेना रहा, और उनके नाय दावत-पर-दावत उठाता रहा। और आखिरकार जब वह अपने देग में लौटा तब प्रतीक्षा करनेवाले लोगों ने उनसे कहा कि मराठी की मुप्रमिद दृष्टि को कायम रखते हुए मैंने अपना कान-बधा छोड़ा ही नहीं और बिलकुल अन्त तक भी अपनी बात कह लेने के लिए मैं लन्दन में बटा रहा।

मुझे याद है कि मेरे पिताजी अक्सर धिक्कान करते थे कि उनके प्रति-सहयोगी मित्रों में मझाक का महा नहीं है। अपनी कुछ विनोद-भरी बातों पर जो प्रति-सहयोगियों को बिलकुल पसन्द नहीं आती थीं, उनका उनसे (प्रति-सहयोगियों से) अक्षर झगडा ही जाता था, और फिर उन्हें उनकी समझाना पड़ता था और तमल्ली देनी पड़ती थी। यह बडा यका

देने वाला काम था। मैंने सोचा कि मराठों में लड़ने की कितनी बढ़िया स्पिरिट रही है, जो सिर्फ़ भूतकाल में ही नहीं बल्कि वर्तमान में भी हमारी राष्ट्रीय लड़ाइयों में प्रकट हो रही है, और महान् निर्माक तिलक की भी मुझे याद आती थी, जो टुकड़े-टुकड़े भले ही हो जायें लेकिन झुकना न जानते थे।

लिवरल 'व्हाइट-पेपर' को विलकुल नापसन्द करते थे। हिन्दुस्तान में दिन-पर-दिन जो दमन हो रहा था उसे भी वे पसन्द नहीं करते थे, और कभी-कभी, हालाँकि बहुत कम बार, उन्होंने इसका विरोध भी किया था, लेकिन साथ-साथ वे यह भी स्पष्ट कर देते थे कि वे कांग्रेस और उसके सारे कार्य की भी निन्दा करते हैं। सरकार को मौके-बेमौके वे यह भी सुझाते रहते थे कि वह अमुक कांग्रेसी नेता को जेल से रिहा करदे। वे तो जिन-जिन व्यक्तियों को जानते थे उन्हींके विषय में सोच सकते थे। लिवरलो और प्रति-सहयोगी लोगों की दलील यह होती थी कि चूँकि अब सार्वजनिक शान्ति के लिए कोई खतरा नहीं है इसलिए अब अमुक-अमुक व्यक्ति को छोड़ देना चाहिए। और अगर फिर भी वह व्यक्ति अनुचित काम करे तो सरकार उसको गिरफ्तार कर ही सकती है, और फिर सरकार का उसे गिरफ्तार करना अधिक उचित माना जायगा। इरलैण्ड में भी कुछ भले लोग इसी दलील पर कार्य-समिति के कुछ मेम्बरो या खास व्यक्तियों की रिहाई की पैरवी करते थे। जब हम जेलों में पड़े हुए थे। तब हमारे मामलों में जिन्होंने दिलचस्पी ली, उनके प्रति हम अहसानमन्द हुए बिना नहीं रह सकते। लेकिन कभी-कभी हमें यह भी महसूस होता था कि अगर इन भले आदमियों से हम बचे ही रहे तो अच्छा ही। उनकी सद्भावना में हमें शक न था, लेकिन यह जाहिर था कि उन्होंने ब्रिटिश सरकार की विचार-धारा को ही ग्रहण कर रक्खा था और उनके और हमारे बीच बहुत चौड़ी खाई थी।

हिन्दुस्तान में जो कुछ हो रहा था वह लिबरलो को ज्यादा पसन्द न था। उससे उन्हें दुःख होता था, लेकिन फिर भी वे क्या कर सकते थे ? सरकार के खिलाफ कोई भी कारगर कदम उठाने की तो वे कल्पना तक नहीं कर सकते थे। सिर्फ अपने समुदाय को अलग बनाये रखने के लिए उन्हें जनता से और कुछ काम करने वाले लोगों से दूर-दूर ही हटना पडा, उन्हें नरम बनते-बनते इतना पीछे हटना पडा कि उनकी और सरकार की विचार-धारा में फर्क जानना मुश्किल हो गया। तादाद में कम और जनता पर असर न होने के कारण, उनकी वजह से आम लड़ाई में कोई फर्क न पड सका। मगर उनमें कुछ प्रतिष्ठित और प्रसिद्ध लोग भी थे, जिनकी व्यक्तिगत रूप से इज्जत होती थी। लेकिन इन्हीं नेताओं ने, और लिबरल और प्रसि-सहयोगी दलों ने भी सामूहिक रूप से सरकारी नीति को नैतिक समर्थन देकर एक कठिन सकट के समय में ब्रिटिश सरकार को अमूल्य सेवा की। प्रभावकारी आलोचनाएँ न होने और समय-समय पर लिबरलो के द्वारा उन्हें दी गई मान्यता और समर्थन से सरकार के दमन और अनीति को प्रोत्साहन मिला। इस तरह ऐसे समय में जबकि सरकार को अपने भीषण और अभूतपूर्व दमन को मुनासिब बताना मुश्किल मालूम हो रहा था, उसको लिबरलो और प्रति-सहयोगियों ने नैतिक बल दे दिया।

लिबरल नेतागण कहते थे कि 'व्हाइट-पेपर' खराब है—बहुत ही खराब है, लेकिन अब उसके लिए करे क्या ? अप्रैल १९३३ में कलकत्ता में लिबरल कोंग्रेस का जो जलसा हुआ उसमें श्री० श्रीनिवास शास्त्री ने, जो कि लिबरल कैम्ब्रिज प्रमुख नेता हैं, मसझाया कि वैधानिक-परिवर्तन कितने भी अन्याय-जनक क्यों न हो, हमें उनको काम में लाना ही चाहिए। उन्होंने कहा कि 'यह ऐसा बकन नहीं है जबकि हम एक ओर सडे रहे और अरुन मानने मर कुछ योही हो जाने दें।' जाहिर है कि, उनके खयाल

मे सिर्फ यही 'कार्य' आ सकता था कि जो कुछ भी मिले उसे ले लिया जाय और उसीको काम में लाया जाय। अगर यह न हो तो, दूसरा कार्य या चुपचाप बैठे रहना। आगे उन्होंने कहा—“अगर हममें समझ-दारी, अनुभव, नरमी, दूसरे को माइल करने और चुपचाप असर डालने की कुव्वत और असली कार्यक्षमता है, अगर हममें ये गुण हैं, तो उन्हें पूरी तरह से दिखलाने का यही अवसर है।” इस वक्तव्यपूर्ण अपील पर कलकत्ता के 'स्टेट्समैन' की राय थी कि ये बड़े "प्रभावपूर्ण शब्द" थे।

श्री० शास्त्री हमेशा ज्ञानदार भाषण देते हैं, और वक्ताओं की तरह सुन्दर शब्दों के और उनके सुरीले उपयोग का उन्हें शौक है। मगर वह अपने उत्साह में वह भी जाते हैं, और शब्दों का जो इन्द्रजाल वह खड़ा करते हैं उससे उनका मतलब दूसरों के लिए और शायद खुद उनके लिए भी धुंधला हो जाता है। उन्होंने अप्रैल १९३३ में, कलकत्ता में, सधिनय भग के चालू रहते हुए, जो यह अपील की थी उसकी जरा जाँच करनी चाहिए। मौलिक सिद्धान्त और लक्ष्य की बात जाने भी दे, तो भी उसमें दो बातें ध्यान देने के काविल दिखाई देती हैं। पहली बात तो यह कि कुछ भी क्यों न हो, ब्रिटिश सरकार के द्वारा हमारी कितनी भी तौहीन, दमन, अपमान, रक्त-शोषण क्यों न होता हो, हमें उसको सह लेना ही चाहिए। ऐसी कोई मर्यादा नहीं बनाई जासकती जिसके बाहर हम हर्गिज न जावे। एक जरा-सा कीड़ा भले ही एक द्वार मुकाबिला करने पर उतारू हो जाय, लेकिन श्री० शास्त्री की सलाह पर चले तो हिन्दुस्तानी ऐसा कभी नहीं कर सकते। उनकी राय के मताधिक इसके सिवा कोई रास्ता ही नहीं है। इसका मतलब यह है कि जहाँ तक उनका ताल्लुक है, ब्रिटिश सरकार के फंसले के सामने झुक जाना और उसे मजूर कर लेना उनका धर्म (अगर मैं इस अभागे शब्द का प्रयोग कर सकूँ) हो गया है। और यही हमारी प्रारब्ध

है—किन्तु है, जिसे हम चाहें या चाहें हमें मान लेना ही चाहिए।

यह गौर करने की बात है कि वह किनी निश्चित और जानी हुई परिस्थिति पर अपनी राय नहीं दे न्हे थे। 'वैधानिक परिवर्तन' तो खनी वन ही रहे थे, हालाँकि नवको यह स्पष्ट मालूम था कि वे बहुत बुरे होंगे। अगर उन्होंने यह कहा होता कि, "हालाँकि 'व्हाइट-पेपर की तजवीज़ें' खराब हैं लेकिन नारी परिस्थिति को देखते हुए अगर इन्हींको कानून का रूप दे दिया जाय तो मैं उनको काम में खाने के हक में हूँ," तो उनकी सलाह चाहे अच्छी होनी या बुरी, पर नौबूदा घटनाओं से नबद्ध तो होती। लेकिन श्री० शास्त्री तो बहुत आगे बट गये और उन्होंने कहा कि खानेवाले वैधानिक परिवर्तन चाहे कितने भी असन्तोषजनक हों, फिर भी मेरी सलाह तो यही रहेगी। राष्ट्र की दृष्टि में जो नबसे ज्यादा महत्त्व की बात थी, उनके चारे में वह ब्रिटिश सरकार को बिलकुल बोर चेक देने की तैयार थे। मेरे लिए यह नमझना बरा मुश्किल है कि कोई भी व्यक्ति या पार्टी या दल जबतक कि वह किनी भी उमूल या नैतिकता या राजनैतिक आदर्श से बिलकुल खाली न हों और धामनों के फरमानों की हमेशा ताबेदारी करना ही उसका ध्येय और नीति न हो, तब तक वह अज्ञात भविष्य के लिए कोई वचन कने दे सकना है ?

दूसरी जिस बान की तरफ़ मेरा ध्यान जाता है, वह है शुद्ध युक्ति-कीमत की। नये नुबारा के कानून बनने की लम्बी मसिल में 'व्हाइट-पेपर' का मित्र एक मोटी ही थी। सरकार की निगाह में वह एक जरूरी मोड़ी थी, लेकिन खनी तो कई मोड़िया बाकी थी, और मसिले-मसलूद नरु जाने-जाते नमब था उनमें, जाने, अच्छे या बुरी, कई तबदीलियाँ हो जाती। इन तबदीलियों का आधार स्पष्ट ही यह था कि ब्रिटिश सरकार और पार्लियमेंट पर भिन्न-भिन्न स्थायं अपना कितना-कितना

दवाव डाल सकते थे । इस रस्साकशी में यह समझा जा सकता था कि हिन्दुस्तान के लिबरलो को अपनी तरफ मिलाने की इच्छा से सरकार पर कुछ असर पड़ता और उससे वह योजनाओं को ज़रा और उदार बनाती या कम-से-कम उसमें कोई कमी तो न करती । लेकिन नये सुधारों की मजूरी या नामजूरी, या उन्हें काम में लाने या न लाने का सवाल उठने से बहुत पहले ही श्री० शास्त्री की जोरदार घोषणा ने सरकार को यह साफ़ बता दिया कि उसे हिन्दुस्तान के लिबरलो की परवा नहीं करनी चाहिए । अब उन्हें अपनी तरफ़ मिलाने का सवाल ही नहीं रहा । चाहे उन्हें थक्का देकर भी बाहर निकाल दिया जाय, तो भी वे सरकार का साथ न छोड़ेंगे । इस मामले में, भरसक लिबरल दृष्टिकोण से ही विचार करने पर भी, मुझे तो यही मालूम होता है कि श्री० शास्त्री का क्लकत्तेवाला भाषण अत्यन्त भद्दे युक्ति-कौशल का परिचायक और लिबरल-पक्ष के हितों के लिए हानिकर था ।

मैंने श्री० शास्त्री के पुराने भाषण पर इस कारण इतना ज्यादा लिखने की घृष्णता नहीं की है कि वह भाषण या लिबरल फ़ेडरेशन का जलसा असल में कोई महत्व रखते थे, लेकिन इसलिए कि मैं समझना चाहता हूँ कि लिबरल नेताओं की मनोवृत्ति और विचार कैसे हैं । वे मयोग्य और आदरणीय लोग हैं, फिर भी (उनके लिए अितना भी सद्भाव हो सकता है उसके होते हुए भी) मैं यह नहीं नमझ पाया हूँ कि वे ऐसे काम क्यों करते हैं । श्री० शास्त्री के एक और भाषण का भी, जिसे मैंने जेल में पढ़ा था, मुझपर बहुत बुरा असर पड़ा । यह भाषण उन्होंने जून १९३३ में पूना में भारत-सेवक-समिति के जलसे पर दिया था । कहा जाता है कि उन्होंने बतलाया कि अगर हिन्दुस्तान में जचानक अंग्रेज़ी प्रभाव हट जाय, तो यह खतरा हो सकता है कि राजनैतिक हलचलो की एक पार्टी दूसरी पार्टी के प्रति तीव्र घृणा रखे, उने ननांव

और उस पर झुलम करे। लेकिन इनके विन्यास श्रिटिंग गजनेतिक जीवन में हमेशा महिष्णुता की जामिनर न्ही है इनलिए हिन्दुस्तान का भविष्य ब्रिटेन के नाय-नाय रहते हुए गिनना बन नकेगा, उननी ही ज्यादा हिन्दुस्तान में महिष्णुता जारी रहने की सम्भावना रहेगी। जेन में रहने के कारण श्री० शान्त्री के भाषण का जो नलिपि हाल कठकता के 'स्टेडमर्मन' द्वारा मिला है मुझे ना उनको मानना पडना है। 'स्टेडमर्मन' ने उनपर बागे खिजा है, कि 'यह मुन्दर मिद्वान्त है, और हम देखते हैं कि टाक्टर मुंजे के भाषणों में भी यही भाव रहा है। कहा जाता है कि श्री० शान्त्री ने बताया कि रुस, इटली और जर्मनी में भी स्वनन्त्रता का दमन हो रहा है, और वहाँ बड़ी अमानुषिकता और जगलीपन में काम लिंग जाता है।

जब मैंने यह हाल पढ़ा तो मुझे ध्यान आया कि ब्रिटेन और हिन्दुस्तान के सम्बन्ध में ब्रिटेन के 'कट्टर' अनुदार व्यक्ति से श्री० शास्त्री का दृष्टिकोण कितना मिलता-जुलता है। दोनों में तत्कालीन के बारे में वेगल फर्क है, लेकिन मूलतः विचार-धारा एक ही है। श्री० विन्स्टन चर्चिल भी, अपने विश्वासों के साथ किन्ही किस्म की ज्यादाती न करते हुए ठीक ऐसी ही भाषा में अपने विचार प्रकट कर सकते थे। फिर भी, श्री० शास्त्री लिबरल-पार्टी में उग्र विचार के समझे जाते हैं, और उसके सबसे ज्यादा-योग्य नेता हैं।

श्री० शान्त्री के इतिहास के अध्ययन या समाचार के प्रश्नों पर उनकी राय में मैं सहमत नहीं हूँ, डासकर ब्रिटेन और हिन्दुस्तान-विषयक उनकी सम्मति को मानने में मैं बिल्कुल असमर्थ हूँ। शायद कोई विदेशी भी, अगर वह अंग्रेज नहीं है, तो अपने सहमत न होगा। और शायद उग्र विचारों के कई अंग्रेज भी उनकी राय को न मानेंगे। अंग्रेजी सामकों के रगान चक्षुओं ने दुनिया और अपने देश को देखना, उन्हें एक

वरदान है। फिर भी यह ध्यान देने योग्य बात है कि पिछले अठारह महीनों से जो गैर-मामूली घटनाये हिन्दुस्तान में रोजाना हो रही थी और जो उनके भाषण के वक्त भी हो रही थी उनका उन्होंने इसमें जिक्र तक नहीं किया। उन्होंने रूस, इटली, जर्मनी का नाम तो लिया, लेकिन उनके देश में ही जो भयकर दमन और स्वतंत्रता का दलन हो रहा था उसको वह एकदम नजरदाज कर गये। मुमकिन है उन्हें वे सारे खीफनाक वाक्यात न मालूम हो जो सीमा-प्रान्त में हुए थे और बंगाल में हुए थे—जिनको राजेन्द्र बाबू ने हाल में काँग्रेस के अपने अध्यक्ष-पद से दिये गये भाषण में 'बग-भूमि पर बलात्कार' कहा है—क्योंकि सेन्सर के घने परदे ने सब घटनाओं को छिपा रक्खा था। लेकिन क्या उन्हें भारत-भूमि का दुःख और ज़बरदस्त मुखालिफ के मुकाबिले में हिन्दुस्तान के लोग जो जीवन और स्वतन्त्रता की लड़ाई लड़ रहे थे, वह भी याद न रही? क्या उन्हें पुलिस-राज का, जो बड़े-बड़े हिस्सों में छाया हुआ था, फौजी कानून जैसी परिस्थिति का, आर्डिनेन्सों, भूख-हड़तालों और जेल के दूसरे कष्टों का हाल मालूम न था? क्या वह यह महसूस नहीं करते थे कि जिस सहिष्णुता और स्वतन्त्रता के लिए वह ब्रिटेन की तारीफ करते थे, उसीको ब्रिटेन ने हिन्दुस्तान में कुचल डाला है?

वह काँग्रेस से सहमन थे या नहीं, इसकी चिन्ता नहीं। उन्हें काँग्रेस की नीति की समालोचना और निन्दा करने का पूरा अख्तियार था। लेकिन एक हिन्दुस्तानी के नाते, एक स्वाधीनता-प्रेमी के नाते, एक भावुक व्यक्ति के नाते, उनके देशवासी स्त्री और पुरुष जो अद्भुत साहस और वलिदान दिखा रहे थे, उसके प्रति उनके क्या विचार थे? जब हमारे शासक हिन्दुस्तान के कलेजे पर छुरी चला रहे थे, तब क्या उन्हें वेदना और कष्ट नहीं मालूम होता था? हज़ारों आदमी एक मगरूर साम्राज्य की पाशाविक शक्ति के सामने झुकने से इन्कार कर रहे थे, और अपनी

आपना जो मुकाम के बढने अपने शरीरों का कुचला जाना, अपने घर-बार का बरबाद हो जाना, और प्यारों का बूट टटाना ज्यादा पसन्द नर रहे थे। क्या वह इसका बहत्त्व कुछ नहीं मन्मते थे ? हम दोनों में और बाहर हिम्मत रक्ते हुए थे, हम हैंमने थे और बुझ थे, लेकिन हमारी प्रसन्नता तो आंनुओं में निकलती थी और हमारा हैंमना कनी-कनी रीने के बराबर था।

एक बहादुर और उदार अंग्रेज श्री० बेरियर एलविन हमें बताते हैं कि उनके दिल पर इसका क्या असर हुआ। १९३० के बारे में वह कहते हैं कि “वह एक अद्भुत दृश्य था जब मारा राष्ट्र गुलानी के दिनाग्री बन्धनों को हूर कर रहा था, और अपनी सच्ची धान से निडर निष्चय प्रकट करता हुआ उठ रहा था।” और फिर “सत्पाग्रह की लडाईं में ज्यादातर काँत्रेमी स्वय-सेवकों ने आश्चर्यजनक अनुधासन बताया था, ऐसा अनुधासन कि जिसकी एक प्रान्तीय गर्वनर ने भी उदारता के साथ तारीफ़ की है.....”

श्री० श्रीनिवास शास्त्री एक योग्य और सहृदय जादमी हैं। उनकी देश में बड़ी इज्जत है, और यह नानुमकिल मालूम होता है कि ऐसी लडाईं में उनके भी ऐसे ही विचार न हों और उन्हें भी अपने देशवासियों से महानुभूति न हो। उनसे यह उम्मीद हो सकती थी कि वह सरकार द्वारा सब तरह की नागरिक स्वतन्त्रता और सार्वजनिक प्रवृत्तियों के दमन की निन्दा में अपनी आवाज उठाते। उनसे यह भी उम्मीद हो सकती थी कि वह और उनके साथी सबसे ज्यादा बचाये हुए प्रांती—बंगाल और सीमा-प्रान्त—में बुद जाने, इसलिए नहीं कि किसी भी तरह काँग्रेस या मविनय-भग में मदद दें, बल्कि अविकारियों और पुलिस की ज्यादा-नियों को जाहिर करने और इस तरह उन्हें रोकने के लिए। दूसरे देशों में आवादी और नागरिक स्वतन्त्रता के प्रेमी अक्सर ऐसा करते हैं।

लेकिन ऐसा करने के बजाय, सरकार जब हिन्दुस्तान के स्त्री-पुरुषों को पैरो तले रीद रही थी, और जब उसने रोज़मर्रा की आज़ादी को भी कुचल दिया था, तब उसको रोकने के बजाय, और क्या घटनाये हो रही हैं, कम-से-कम यहीं तलाश करने के बजाय, उन्होंने ठीक ऐसे वक्त में अंग्रेज़ों को सहिष्णुता और आज़ादी के प्रमाण-पत्र दे देना पसन्द किया जबकि हिन्दुस्तान के अंग्रेज़ी शासन में ये दोनों गुण विलकुल ही नहीं रह गये थे। उन्होंने सरकार को अपना नैतिक सहारा दे दिया, और दमन के कार्य में उनका हाँसला बढ़ाया और प्रोत्साहन दिया।

मुझे पूरा यकीन है कि उनका यह तात्पर्य नहीं रहा होगा, या उन्हें यह खयाल नहीं रहा होगा कि इसका क्या परिणाम हो सकता है। मगर उनके भाषण का यही असर हुआ होगा, इसमें तो शक नहीं हो सकता। तो, इस तरह उन्हें विचार और कार्य क्यों करना चाहिए था ?

मुझे इस सवाल का ठीक जवाब सिवा इसके और नहीं मिला है कि लिबरल नेताओं ने अपने-आपको अपने देशवासियों और समस्त आधुनिक विचारों से विलकुल दूर कर लिया है। जिन पुराने ढँग की किताबों को वे पढ़ते हैं, उन्होंने उनकी निगाह से हिन्दुस्तान की जनता को ओझल कर दिया है और उनमें एक तरह से अपनी ही खूबियों पर मरने की आदत पैदा हो गई है। हम लोग जेलों में गये और हमारे शरीर को ठरियो में बन्द रहे, लेकिन हमारे दिमाग आज़ाद फिरते थे और हमारा हाँसला दवा नहीं था। लेकिन उन्होंने तो अपने ढँग का दिमागी कैद-खाना खुद ही बना लिया था, जहाँ वे अन्दर-ही-अन्दर चक्कर काटा करते थे और उससे निकल नहीं सकते थे। वे 'मौजूदा हालत के ही ईश्वर की पूजा करते थे, और जब हालत बदल गये, जैसा कि इस परिवर्तनशील दुनिया में होता ही रहता है, तो उनके पास न पतवार रहा न कम्पास, दिमाग और जिस्म दोनों ही बेकार हो गये, न उनके पाम

आदर्श रहे न नैतिक नाप । इन्सान को या तो अगे जाना पड़ेगा या पीछे हटना पड़ेगा । हम इन गतिशील नसार मे एक ही जगह खडे नहीं रह सकते । परिवर्तन और प्रगति मे डरने के कारण, लिबरल अपने आस-मान के तूफानों को देखकर भयभीत हो गये । हाथ-पैरो मे कमजोर होने के कारण आगे न बढ सके, और इसलिए वे स्तूरो में डबर-उबर उछलते रहे, और जो भी तिनका उन्हें मिल जाता था उसीका सहारा लेने की वे कोशिश करते रहे । वे हिन्दुस्तान की राजनीति के हैमलेट बन गये, 'तरह-तरह के विचारों की चिन्ता मे पीले और बीमार-से पडे गये', हमेशा मदेह, हिचकिचाहट और अनिश्चय में पडे रहे ।

ओ ईर्ष्यारत दुष्ट । मेल का नमय कहीं अब,

लगा मदा मे रहा ठीक ही करने में नब ।

'मर्बेट आफ डण्डिया' नामक एक लिबरल अखबार ने, सविनय भग-आन्दोलन के बाद के दिनों में काँरेमी लोगों पर यह आरोप लगाया था कि वे पहले तो जेल जाना चाहते हैं, और जब वहाँ पहुँच जाते हैं तब फिर बाहर जाना चाहते हैं । उसने कुछ चिट्ठे हुए कहा था कि एकमात्र यही काँप्रेस की नीति है । स्पष्ट ही इसके बदले में लिबरलों का रास्ता होता ब्रिटिश मन्त्रियों की सेवा में इंग्लैण्ड डेप्यूटेयन भोजना, या इंग्लैण्ड में आसक-दलों के परिवर्तन का इन्तज़ार करना और उनके लिए दुआयें माँगना ।

१. शेक्सपियर के 'हैमलेट' नाटक की मूल अंग्रेज़ी की इन पंक्तियों का यह अनुबाद है—

"The time is out of joint O cursed spite !
That ever I was born to set it right"

निरन्तर संकष्टन, कार्य में असमर्थ हैमलेट को मध्यम-आगियों से मुलना को गई है ! स्वयं हैमलेट कहता है कि—मुझ जैसे कुकर्मा को मुयारने में इमे कैसे सफलना मिली ?

—अनु०

किसी हद तक यह सच था कि उन दिनों कांग्रेस की नीति खासकर यही थी कि आर्डिनेन्स और दूसरे दमनकारी कानूनों को तोड़ा जाय, और इसकी सजा जेल थी। यह भी सच था कि कांग्रेस और राष्ट्र, लम्बी लड़ाई के बाद थक गये थे, और सरकार पर कोई कारगर दबाव नहीं डाल सकते थे। लेकिन हमारे सामने एक व्यावहारिक और नैतिक दृष्टि थी।

नगा बल-प्रयोग, जैसा कि हिन्दुस्तान में किया जा रहा था, शासकों के लिए बड़ा खर्चीला मामला होता है। उनके लिए भी यह एक दुःख-दाई और भवरा देनेवाली अग्नि-परीक्षा होती है, और वे अच्छी तरह जानते हैं कि अन्त में इससे उनकी नींव कमजोर पड़ जाती है। इससे जनता के सामने और सारी दुनिया के सामने उनकी हुकूमत का असली रूप हमेशा प्रकट होता रहता है। इसके बनिस्वत वह यह बहुत ज्यादा पसन्द करते हैं कि अपने फौलादी पजे को छिपाने के लिए हाथ पर मखमली दस्ताना पहने रहे। जो लोग सरकार की इच्छाओं के सामने झुकना नहीं चाहते, फिर चाहे उसका परिणाम कुछ भी हो, उनसे मुकाबिला करने से बढ़कर रोपोत्पादक और अन्त में हानिकार वात किसी भी शासन के लिए दूसरी नहीं है। इसलिए दमनकारी कानूनों का कभी-कभी भग होता रहना भी एक महत्त्व रखता था। उससे जनता की ताकत बढ़ती थी, और सरकार के नैतिक बल की बुनियाद बढ़ती थी।

नैतिक दृष्टि तो इससे भी ज्यादा महत्त्वपूर्ण थी। एक प्रसिद्ध स्थान पर 'थोरो' ने लिखा है कि, "ऐसे समय में जब कि स्त्री और पुरुष अन्याय-पूर्वक जेल में डाले जाते हों, न्यायी स्त्री-पुरुषों का स्थान भी जेल में ही है।" यह सलाह शायद लिबरल और दूसरे लोगों को न जँचे, लेकिन हममें से कई लोग ऐसा महसूस करते हैं कि मौजूदा हालत में, जब कि सविनय भंग के अलावा भी हमारे कई साथी हमेशा जेल में रक्खे जाते

है, और जबकि सरकार का दमन-ग्रन्थ निरन्तर हमारा दमन और हमारी बेइज्जती कर रहा है और हमारे लोगों के शोषण में मदद दे रहा है, तब किमीके लिए नैतिक जीवन बिताना सम्भव नहीं है। अपने ही देश में हम सदिय की भाँति जाते-जाते हैं। हम पर नियरानी रक्ती जाती है और हमारा पीछा किया जाता है। हमारे धब्बों को नोट किया जाता है कि वे कहीं राजद्रोह के व्यापक कानून को तोड़ते तो नहीं हैं, हमारी सनो-जिनावत खोली और पटी जाती है, और हमेशा यह सम्भावना बनी रहती है कि सरकार हम पर किमी तरह की मुमानिवत लगा देगी या हमें गिरफ्तार कर लेगी। ऐसी हालत में हमारे सामने दो ही रास्ते हैं—या तो सरकारी ताकत के आगे हमारे सर बिलकुल झुक जायें, हमारा आत्मिक पतन ही जाय, हमारे अन्दर जो सचाई है उसकी उपेक्षा बरदा जाय, और जिन प्रयोजनों को हम बुरा समझते हैं उनके लिए हमारा नैतिक दुरयोग ही, या फिर उनका मुकाबिला किया जाय, और हमारा जो कुछ मतोंका हो वह बरदाश्त किया जाय। कोई भी शकस यो ही जेठ जाना या मुनीयन बुलाना नहीं चाहता। मगर, अक्सर, दूसरे रास्तेको निस्यन जेल जाना ही ज्यादा अच्छा होना है। जँसा कि बर्नार्डों ने लिखा है, “जौदन में अरुओ दुःख की बात सिर्फं यही है कि गिन उदुःखों की तुम निदनीय मनमने हो उन्हीके लिए म्वायीं लोगो काग मुन्नाग उपयोग ही। उमके मिया और जो कुछ है वह तो सिर्फं बर्नार्डों का मुन्दु है, और एमनाथ यही तो मुनीयन, गुलामी और दुःखिता का मरग है।”

लम्बी सज़ा का अन्त

मेरी रिहाई का वक्त नज़दीक आ रहा था। मुझे 'नेकचलनी' की साधारणतः जितनी छूट मिला करती है, मिली थी, और इससे मेरी दो साल की मियाद में से साबे तीन महीने कम हो गये थे। मेरी मानसिक शान्ति या सच कहो तो जेल-जीवन से जो मानसिक जडता पैदा होती है उसमें रिहाई का खयाल खलल डाल रहा था। बाहर जाकर मुझे क्या करना चाहिए ? यह एक मुश्किल सवाल था, और इसके जवाब की हिचकिचाहट ने बाहर जाने की मेरी खुशी कम कर दी। लेकिन वह भी एक क्षणिक भाव था, और मेरी लम्बे अर्से से दबी हुई क्रियाशीलता फिर उमड़ने लगी और मैं बाहर निकलने को उत्सुक हो गया।

जुलाई १९३३ के अन्त में एक बहुत ही दर्दनाक और बेचैनी पैदा करनेवाली खबर मिली—जे० एम० सेनगुप्त की अचानक मृत्यु होगई। हम दोनों कई साल के कार्य-समिति में सिर्फ गहरे साथी ही नहीं थे, उनसे मेरा सम्बन्ध मेरे केम्ब्रिज में पढ़ने के शुरू के दिनों से ही था। दोनो सबसे पहले केम्ब्रिज में ही मिले थे—मैं तो नया दाखिल हुआ था, और उन्होंने उती समय अपनी डिग्री पाई थी।

सेनगुप्त का देहान्त नज़रबन्दी की हालत में हुआ। १९३२ के शुरू में जब वह यूरोप से लौटे थे, तो बम्बई में जहाज पर ही वह शाही कैदी बना लिये गये थे। तभी से वह कैदी या नज़रबन्द रहे, और उनकी तन्दुरुस्ती खराब हो गई। सरकार ने उन्हें कई तरह की महूलियते दीं, लेकिन वह बीमारी की रफ्तार को न रोक सकी। बल्कत्ता में उनकी अन्त्येष्टि के समय जनता ने खूब प्रदर्शन किया और उनके प्रति सम्मान

प्रकट किया, ऐसा दिखाई देना था कि बगाल की लम्बे बर्मे से खी और कष्ट पाती हुई बान्ना को कम-से-कम दोड़ी देर के लिए प्रकट होने को बाध मिल गया है ।

इस तरह नेनगुप्त तो चल बसे । दूसरे गाँही क़ैदी मुभाप बोन को, जिनकी तन्दुस्ती भी वरसो नसरवन्दी और क़ैद से बर्बाद हो गई थी, आखिरकार सरकार ने इलाज के लिए यूरोप जाने को इजाजत दे दी । थिड्डलमाई पटेल भी यूरोप में रोग-अप्या पर थे । लेकिन और भी कितने ही लोग जेल-जीवन और बाहर की लगातार हलचलो की शारीरिक थकावट को बरदाश्त न कर सकने के कारण तन्दुस्ती खो बँठे थे, या मर चुके थे । और कितने लोगों के, हालाँकि ऊपर से उनमें बड़ी तन्दीली खिलाई न देती थी, दिमागों में उस असामान्य जीवन के कारण जो उन्हें जेल में विताना पडा था गहरी मानसिक अव्यवस्था और विपमताएँ पैदा हो गई थी ।

नेनगुप्त की मृत्यु ने बहुत साफ़तीर पर मुझे दिखा दिया कि सारे देशभर में कितना भयकर और मौन कष्ट-सहन हो रहा है, और मैं निराश और उदास-ना हो गया । यह सब किसलिए हो रहा है ? आखिर किसलिए ?

अपनी तन्दुस्ती के बारे में मैं खुशकिस्मत था, और कांग्रेस की प्रवृत्तियों की मेहनत और अनियमित जीवन के होते हुए भी मैं कुल मिलाकर अच्छा ही रहा । मेरे खयाल से, इनका कुछ कारण तो यह था कि मुझे पैतृक सम्पत्ति के रूप में ही अच्छा शरीर मिला था, और कुछ कारण यह भी था कि मैंने अपने शरीर को संभाल रक्ती थी । बीमारी और कमचोरी और ज्यादा मुटापा भी मुझे बहुत बड़ा मालूम पडा, और पर्याप्त कसरत, ताजा हवा और साधारण भोजन की मदद से मैं उनसे बच सका । मेरा अपना तजुर्बा यह है कि हिन्दुस्तान के मध्यम

वर्गों की बहुत-सी बीमारियाँ तो भारी भोजन से होती हैं। वे तरह-तरह के पक्वान्न और सो भी ज्यादा मिकदार में खाते हैं। (यह बात उन्हीं पर लागू होती है जिनकी ऐसी फजूलखर्च आदतें रखने की हैसियत होती है।) लाड-प्यार करनेवाली मातायें बच्चों को मिठाइयाँ और दूसरी बढ़िया कहीं जानेवाली चीजें ज्यादा खिला-खिलाकर छिन्दगीभर के लिए उनकी बदहजमी की पक्की नींव डाल देती हैं। बच्चों पर कपड़े भी बहुत से लाद दिये जाते हैं। हिन्दुस्तान में अंग्रेज लोग भी बहुत ज्यादा खाते हैं, हालाँकि उनके खाने में इतने पक्वान्न नहीं होते। शायद उन्होंने पिछली पीढ़ी से, जो गरम-गरम और तेज भोजन अधिक मात्रा में किया करने थे उनमें, अब कुछ सुधार कर लिया है। ✓ ५

मेरी शोकिया चीजें खाने की या भोजन-सम्बन्धी प्रयोग करने की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया है, और सिर्फ ज्यादा मिकदार और पक्वान्नो से बचता रहा हूँ। करीब-करीब सभी कश्मीरी ब्राह्मणों की तरह-हमारा परिवार भी माँसाहारी परिवार था, और बचपन से मैं हमेशा मांस खाता रहा था, हालाँकि मुझे उसका बहुत शौक कभी नहीं रहा। पर १९२० में असहयोग के वक्त से मैंने मांस छोड़ दिया, और मैं शाकाहारी बन गया। इसके छ साल बाद -यूरोप जाने पर मैं फिर मांस खाने लगा। मगर फिर हिन्दुस्तान आने पर मैं शाकाहारी बन गया, और तब से मैं बहुत-कुछ शाकाहारी ही रहा हूँ। मांस-भोजन मुझे अच्छी तरह माफिक पड़ता है, लेकिन मुझे उससे अबचि हो गई है, और तबीयत उसके खाने से कुछ कचवाती है।

मेरी बीमारियों के दौरान में, खासकर १९३२ में जेल में जबकि कई महीनों तक रोबाना मुझे हरारत होबाया करती थी, मैं बड़ा तग आगया था, क्योंकि उससे मेरी अच्छी तन्दुरुस्ती के गर्व को ठेस पहुँचती थी। और मुझमें जीवन और शक्ति है इस अपनी सदा की धारणा के

विरुद्ध, मैं पहली ही बार सोचने लगी कि मेरी तन्दुरुस्ती धीरे-धीरे गिरती जा रही है और मैं घुलना जा रहा हूँ, और इनमें मैं मयमौन हो गया। मेरा खयाल है कि मैं मौन में छासनीर पर डरता नहीं हूँ। लेकिन शरीर और मन्तिष्क का धीरे-धीरे दुल्ने जाना तो दूनरी ही बात थी। मगर मेरा डर जस्त से ज्यादा था और मैं अपनी अम्बस्यता से छूटने और अपने शरीर को काबू में लाने में नफल हुआ। जाड़े में बड़ी देर तक घूप में बैठे रहने से मैं फिर अपने को तन्दुरुस्ती महसूस करने लगा। जबकि जेल के मेरे माथी अपने कोटी और दुनालो में लिपटे हुए कांपा करते थे, मैं खुले वदन घूप में बैठकर उसकी गरमी का आनन्द लिया करता था। ऐसा जाड़े के दिनों में सिर्फ उत्तर हिन्दुस्तान में ही हो सकता था, क्योंकि दूनरी जगहों पर तो घूप झक्कर बहुत तेज होती है।

मेरी कसरतों में मुझे खासकर शीर्षानिन—दोनों हाथों की अँगुलियों को फँसाकर हथेलियों से सिर के पिछले हिस्सों को सहारा देकर कुहनियों को धरती पर टिकाने, वदन को सिर के बल उल्टा खड़ा रखना—बहुत पसन्द आता था। मेरी समझ में शारीरिक दृष्टि से यह कसरत बड़ी अच्छी है, और भुस पर हुए उनके मानसिक प्रभाव के कारण भी मैं इसे पसन्द करता था। इस कुछ-कुछ विनोदपूर्ण आसन से मेरी तबीयत खुश हो जाती, और मैं जीवन की विचित्रताओं के प्रति ज्यादा सहनशील हो गया।

उदामी के आक्रमणों को, जो कि जेल-जीवन में लाकिनीतौर पर होते ही हैं, दूर करने में मेरी आमतौर पर अच्छी तन्दुरुस्ती ने और तन्दुरुस्ती होने की शारीरिक भावना ने मेरी बड़ी सहायता की। इनसे मुझे जेल की या बाहर की बदलती हुई हालतों के मुताबिक अपने-आपको बना लेने में भी मदद मिली। मेरे दिल को कई बार धक्के लगे

है, जिनसे उस वक्त तो मैं बहुत ही बेहाल हो जाता था, लेकिन मुझे ताज्जुब हुआ कि मैं अपनी उम्मीद से भी जल्दी उनसे अच्छा हो जाता था । मेरी राय में, मेरी मूलभूत शान्तता और स्वस्थता का एक सुवृत यह है कि मुझे कभी तेज सिर-दर्द नहीं हुआ और न मुझे कभी नींद न आने की शिकायत हुई । मैं सभ्यता की इन आम बीमारियों से और आँख की कमजोरी से भी बच गया हूँ, हालाँकि मैं पढ़ने और लिखने में और कभी-कभी तो जेल की खराब रोशनी में भी आँखों से बहुत ज्यादा काम लेता रहा । पिछले साल एक आँखों के डाक्टर ने मेरी अच्छी दृष्टि-शक्ति पर बड़ा आश्चर्य प्रकट किया था । आठ साल पहले उसने भविष्यवाणी की थी कि मुझे एक या दो साल में ही चश्मा लगाना पड़ेगा । उसका कहना बहुत गलत निकला, और मैं अब भी वगैर चश्मे के अच्छी तरह काम चला रहा हूँ । हालाँकि इन बातों से मैं शान्त और स्वस्थ होने की नामवरी पा सकता हूँ, लेकिन मैं यह भी कह देना चाहता हूँ कि मैं उन लोगों से बहुत खौफ खाता हूँ जो जब देखो तब हमेशा ही एक-से शान्त और गम्भीर बने रहते हैं और परिवर्तन नहीं होने देते ।

जबकि मैं जेल से अपनी रिहाई का इन्तज़ार कर रहा था, उस समय बाहर व्यक्तिगत सविनय-भंग का नया स्वरूप शुरू हो रहा था । गाँधीजी ने इसमें सबसे पहले मिसाल पेन करने का फैसला किया, और अधिकारियों को पूरी तरह नोटिस देने के बाद वह १ अगस्त को गुजरात के किसानों में सविनय भंग का प्रचार करने के लिए रवाना हुए । वह फौरन गिरफ्तार कर लिये गए, उन्हें एक साल की सजा देदी गई और वह यरवदा की अपनी कोठरी में फिर भेज दिये गये । मुझे खुशी हुई कि वह वापस वहाँ चले गये । लेकिन जल्दी ही एक नई पैचीदगी पैदा हो गई । गाँधीजी ने जेल से हरिजन-कार्य करने की वही सहूलियतें

मैं नैनी से रिहा कर दिया गया, क्योंकि मेरी माँ की हालत गम्भीर समझी गई। मामूलीतौर पर मैं अपनी मियाद खतम होने पर ज्यादा से-ज्यादा १२ सितम्बर को रिहा हो जाता। इस तरह मुझे प्रान्ती सरकार ने तेरह दिन की छूट और दे दी।

: ५० :

गांधीजी से मुलाकात

जेल से रिहा होते ही मैं अपनी माँ की रोगक्षया के पास लखनपहुँचा और कुछ दिन उनके पास रहा। मैं काफी लम्बे अर्से के बाद जेल से बाहर निकला था और मुझे लगा कि मैं आस-पास के हालात बिलकुल अपरिचित और अलग-सा होगया हूँ। मैंने यह अनुभव कि और उससे मेरे दिल को कुछ धक्का भी लगा जैसा कि आमतौर होता है, कि जब मैं जेल में पड़ा-पड़ा सड़ रहा था, तो दुनिया अचली जा रही थी और बदलती जा रही थी। बच्चे और लड़कियाँ अलड़के बड़े होते जा रहे थे, शादियाँ, पैदाइशें और मौतें हो रही थी प्रेम और घृणा, काम और खेल, दुःख और सुख सब हो रहे थे। जीवन दिलचस्पी पैदा करनेवाली नई-नई बातें हो गई थी, बातचीत के विषय नये हो गये थे, मैं जो कुछ देखता और सुनता था, सब पर मुझे कुछ-कुछ आश्चर्य होता था। मुझे लगा कि मुझे एक खाड़ी में छोड़कर जिनद का जहाज आगे बढ़ गया था। यह भावना सब तरह सुखदायिनी नहीं थी। जल्दी ही इस स्थिति के माफिक मैं अपने को बना सकता था लेकिन ऐसा करने की मुझे प्रेरणा नहीं होती थी। मेरे दिल ने कहा 'जेल के बाहर सँर करने का तुम्हें यह थोड़ा-सा मौका मिला है और जल्दी ही फिर तुम्हें जेल में जाना पड़ेगा', इसलिए जिस जगह से जल्दी ही

देना है, उसके अनुसार अपने को बनाने की संशय क्यों नोल की जाय ?

राजनैतिक दृष्टि से हिन्दुस्तान कुछ घास था। सामंजसिक प्रवृत्तियों पर ज्यादातर सरकार ने नियन्त्रण और दमन कर रखा था और गिरफ्तारियाँ कभी-कभी हो जाया करती थीं। नगर हिन्दुस्तान की उस वक्त की खामोशी वहाँ महसूस रहती थी। वह वैसे अधुन खामोशी थी जैसी कि मजदूर दमन के अनुभव के बाद यक जाने से आ जाती है; जो खामोशी अक्सर प्रभाव के साथ बोलती है, लेकिन उसे दमन करने-वाली सरकार नहीं सुन सकती। सारा हिन्दुस्तान एक आदर्श पुलिस-राज्य बन गया था और घास के सब कानों ने पुलिस-नजदगी ब्याप्त हो गई थी। जाहिरातौर पर हर तरह की कार्रवाई, जो सरकार की इच्छा के माफिक न हो, दबा दी जाती थी और देशभर में खुशियाँ और छिपे कारिन्दों की बड़ी भारी प्रोज फेरी हुई थी। लोगों ने आमतौर पर पम्पहिन्दुस्तान का गड्डे की ओर चारों ओर आसक्त छा गया था। कोई भी राजनैतिक प्रवृत्ति, आसकर देहाती हलकों में हो तो प्रौरन कुचल दी जाती थी और निष्-स्त्रि प्रांतीय सरकारों न्युनिसिपैलिटियों और लोकल बोर्डों में से टूट-टूटकर काँग्रेसवालों को निकालने की कोशिश कर रही थी। हर राज्य जो उचिततम कानून बन करके देल गया था, सरकार को राय में न्युनिसिपैलिटि न्कलों में पढ़ाने या न्युनिसिपैलिटी में और भी कोई काम करने के अयोग्य था। न्युनिसिपैलिटियों कादि पर बडा भारी दबाव टाग गया और ये समझिया दी गई कि अगर काँग्रेस वाले निष्कल न जायें तो सरकारी नदद बन्द कर दी जायगी। इस बन्द-प्रयोग की नदर से बदनाम मिसाल कम्पत्ता-कारिन्दन में हुई। आठिरगार, मेग खयाल है, सरकार ने एक कानून ही बना दिया कि कारिन्दन ऐसे व्यक्तिओं को मुनसिपैलि नही रख सकता जो राजनैतिक अन्तर्गत में सडा या चुके हों।

जर्मनी में नाज़ियों की ज्यादतियों की ख़बरो का हिन्दुस्तान के ब्रिटिश अफ़सरो और उनके अख़बारो पर एक विचित्र प्रभाव पडा । उन्हे उन ज्यादतियों से हिन्दुस्तान में उन्होने जो कुछ किया था, उस सबको उचित बताने का कारण मिल गया और उन्होने मानो अपनी इस भलाई के अभिमान के साथ हमें बताया, कि अगर यहाँ नाज़ियों की हुकूमत होती तो हमारा हाल कितना ज्यादा ख़राब हुआ होता । नाज़ियों ने तो बिलकुल नये पैमाने कायम कर दिये हैं, उन्होने नई व्यवस्था ही लिख डाली है और उनका मुकाबिला करना निश्चय ही आसान नहीं था । सम्भव है कि हमारा हाल ज्यादा ख़राब हुआ होता, लेकिन इसका निर्णय करना मेरे लिए मुश्किल है, क्योंकि पिछले पाँच वर्षों में हिन्दुस्तान में क्या-क्या हुआ, इसके सारे वाक्यात मेरे पास नहीं हैं । हिन्दुस्तान की ब्रिटिश सरकार ऐसे पुण्य में विश्वास रखती है कि वार्यो हाथ से जो काम किया जाय उसका पता दाहिने हाथ को भी न लगना चाहिए, और इसलिए उसने निष्पक्ष जाँच कराने की हर तजवीज़ को नामख़ूर कर दिया, हालाँकि ऐसी जाँचो का पलडा हमेशा सरकारी पक्ष की तरफ झुका रहता है । मेरे खयाल से, यही सच है कि औसत अंग्रेज़ बे-रहमी से नफरत करता है और मैं ऐसे अंग्रेज़ो की कल्पना नहीं कर सकता, जो नाज़ियों की तरह से "ब्रूतलतात" (पशुता या बेरहमी) रूपका को खुलेतौर पर कहने और उसे प्रेम से दोहराने में शान मानते ह्यो । जब वे ऐसा काम कर भी डालते हैं, तो उससे कुछ-कुछ शर्मिन्दा भी होते हैं । लेकिन चाहे हम जर्मन ह्यो या अंग्रेज़ ह्यो या हिन्दुस्तानी ह्यो, मेरा खयाल है कि सम्मतापूर्ण व्यवहार का हमारा खोल इतना पतला है कि जब हमें रोप चढ आता है तो वह खुरचकर निकल जाता है और उसके भीतर से हमारा वह स्वरूप प्रकट होता है जिसे देखना अच्छा नहीं लगता । महायुद्ध ने मनुष्यजाति को भयंकर रूप से पाशविक

बना दिया है, और उसके बाद ही हमने यह दृश्य देखा कि मन्थि हो जाने के बाद भी जर्मनी का भयकर घेरा टाला जाकर उभे भूरी मांग गया। एक अत्रेख लेखक ने लिखा है कि "यह एक नये अधिक निरर्थक, पादाधिक और घृणित जुलम था, जैसा कि दायद ही किनी राष्ट्र ने कभी किया हो।" १८५७ और १८५८ के बाकवात हिन्दुस्तान भूला नहीं है। जब हमारे स्वायं सतरे में पड जाते हैं, तब हम अपने मारे समाज-व्यवहार और सारी शराफत को भूल जाते हैं और झूठ ही 'प्रचार' का रूप धारण कर लेता है, पद्मता ही 'वैज्ञानिक दमन' और 'कानून और व्यवस्था' की साधन बन जाती है।

यह किन्ही व्यक्तियों या किसी खास जाति का दोष नहीं है। वैसे ही परिस्थितियों में थोडा-बहुत हर कोई वैसे ही वर्तन करता है। हिन्दुस्तान में, और विदेशी हुकूमत के मातहत हर मुल्क में, हुकूमत करनेवाली शक्ति के खिलाफ हमेशा एक सुप्त चुनौती खडी रहती है और समय-समय पर वह ज्यादा प्रकट और तेज भी होती रहती है। इस चुनौती से शासकवर्ग में हमेशा फौजी गुण और दोष पैदा हो जाया करते हैं। पिछले कुछ सालों में हिन्दुस्तान में हमें इन फौजी गुण-दोषों का दृश्य बहुत ही ज्यादा अंश में देखने को मिला, क्योंकि हमारी चुनौती खतरदार और कारगर हो गई थी। लेकिन हिन्दुस्तान में हमें तो हमेशा ही फौजी मनोवृत्ति (या उसके अभाव) को सहन करना पडता है। साम्राज्य की स्थापना का यह एक नतीजा है और इससे दोनों पक्षों का पतन होता है। हिन्दुस्तान का पतन तो साफ दीखता ही है, लेकिन दूसरे पक्ष का ज्यादा सुभ्रम है, सकट-काल में वह प्रकट हो जाता है। और एक तीसरा पक्ष भी है, जिसे बदकिस्मती से दोनों तरह का पतन भोगना पडता है।

जेल में मुझे ऊँचे-ऊँचे अफसरों के भाषण, असेम्बली और कॉन्सिलो

मे उनके जवाब और सरकारी बयानात पढने की काफी फुरसत मिली । पिछले तीन सालो मे, मैंने देखा कि उनमे एक स्पष्ट तब्दीली हो रही है, और यह तबदीली अधिक-अधिक प्रकट होती गई है । उनमें डराने और धमकाने का रुख ज्यादा-ज्यादा बढता गया है और वह रुख ऐसा हो गया था मानो कोई साज्जेंट-मेजर अपने मातहतो से बोल रहा हो । इसकी एक ध्यान देने योग्य मिसाल थी, नवम्बर या दिसम्बर १९३३ में, शायद बगाल के मिदनापुर डिबीजन के कमिश्नर का भाषण । इन सारे भाषणो में “पराजितो का सत्यानाश हो । हम विजयी है, हम जो चाहें वह करेगे” की भावना लगातार रहती थी । गैर-सरकारी यूरो-पियन तो, खासकर बगाल में, सरकारी लोगो से भी आगे बढ जाते हैं और उनके भाषणो और कार्यों दोनो में उन्होने बहुत निश्चित फेसिस्ट मनोवृत्ति दिखलाई है ।

इसके भी अलावा, पाषाणिकता की एक और नगी मिसाल थी, हाल में ही सिन्ध में कुछ अपराधी पाये गये ब्यक्तियो को खुली फाँसी देना । क्योंकि सिन्ध में जुर्म बढ रहे थे, इसलिए अधिकारियो ने तय किया कि इन मुजरिमो को सबके सामने फाँसी दी जाय, ताकि दूसरो पर भी इसका आतक छा जाय । इस भयकर दृश्य को आकर देखने के लिए पब्लिक को हर तरह की सहूलियत दी गई और कहा जाता है कि कई हजार लोग गये भी थे ।

तो जेल से रिहा होने के बाद, मैंने हिन्दुस्तान की राजनैतिक और आर्थिक परिस्थितियो का अध्ययन किया और मुझे उन्हें देखकर ज़रा भी उत्साह मालूम न हुआ । मेरे कई साथी जेल में थे, नई गिरफ्तारियाँ जारी थी, सारे आर्डिनेन्स अमल में आ रहे थे, सेन्सर-शिप से अखबारो का गला घुटा हुआ था और हमारे पत्रव्यवहार की व्यवस्था अस्त-व्यस्त हो गई थी । मेरे एक साथी रफी अहमद किदवई को अपने पत्रो पर

वाहियात हस्तक्षेप होने के कारण बड़ा गुस्सा आया। उनके खत रोक लिये जाते थे या देर से आते थे या गुम ही हो जाते थे और इससे उनके काम-काज में बड़ी रुकावट हो जाती थी। वह अपने पत्रों के बारे में ज्यादा एहतियात से काम लेने की अनील सेन्सर से करना चाहते थे, लेकिन वह लिखते किसको ? सेन्सर करनेवाला कोई सार्वजनिक अधिकारी नहीं था। शायद वह कोई सी० आई० डी० अफसर था, जो अपना काम गुप्तारूप से करता था, जिसका कि अस्तित्व और कार्य प्रकट रूप से भ्रूण भी नहीं किया गया था। रफीअहमद ने इस मुश्किल को इस तरह हल किया कि उन्होंने सेन्सर के नाम एक खत लिखा, लेकिन उस पर खुद अपना पता लिखकर डाल दिया। निश्चय ही खत अपने ठीक मुकाम पर पहुँच गया और बाद में रफीअहमद के पत्र-व्यवहार के बारे में कुछ सुधार हो गया।

मैं फिर वापस जेल जाना नहीं चाहता था। उससे मेरा पेट काफी भर गया था, लेकिन मुझे नहीं सूझता था कि मैं उससे कैसे बच सकता था, जबतक कि मैं सब तरह की राजनैतिक प्रवृत्ति ही न छोड़ दूँ। मेरा यह इरादा न था, इसलिए मुझे लगा कि मुझे सरकार के सचर्य में आना ही पड़ेगा। किसी बन्धन भी मुझको ऐसा हुकम मिल सकता था कि मैं कोई छाम काम न करूँ, और मेरी सारी प्रकृति किसी छाम काम के लिए मजबूर किये जाने के खिलाफ बग़ावत किया करती हूँ। हिन्दुस्तान के लोगों को डराने और दवाने की कोशिश की जा रही थी। मैं लाचार था और बड़े क्षेत्र में कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन कम-से-कम मैं व्यक्तिगत रूप से डराये और दवाये जाने में इन्कार तो कर ही सकता था।

जेल वापस जाने में पढ़ने में कुछ मामले निवृत्त डालना चाहता था। मर्दाने पढ़ने में मुझे अपनी माँ की बीमारी की तरफ ध्यान देना

था। उनकी हालत बहुत धीरे-धीरे सुवरती गई, लेकिन वह इतनी धीरे-धीरे सुधरी कि एक साल तक वह चारपाई पर ही रही। मैं गांधीजी से भी मिलने को उत्सुक था, जोकि पूना में पडे अपने हाल के ही उपवास से स्वास्थ्य-सुधार कर रहे थे। दो साल से ज्यादा हुए मैं उनसे नहीं मिला था। मैं जितने अधिक मिल सके, उतने अधिक अपने प्रान्तीय साथियो से भी मिलना चाहता था, ताकि उनसे न सिर्फ हिन्दुस्तान की मौजूदा राजनैतिक स्थिति पर ही बल्कि ससार की परिस्थिति पर और उन सब विचारो पर भी बातचीत करूँ, जो मेरे दिमाग में भरे हुए थे। उस वक्त मेरा खयाल था कि दुनिया बड़ी तेजी से एक महान् राजनैतिक और आर्थिक विपत्ति की तरफ जा रही है और अपने राष्ट्रीय कार्यक्रमो को बनाते वक्त हमें इसका ध्यान रखना चाहिए।

अपने घर के मामलो की तरफ भी मुझे ध्यान देना था। अभीतक मैंने उनकी तरफ कतई ध्यान नहीं दिया था और पिताजी की मृत्यु के बाद मैंने उनके कागजात की देख-भाल भी नहीं की थी। हमने अपना खर्चा बहुत कम कर दिया था, फिर भी वह हमारी शक्ति से बहुत अधिक था। लेकिन हम जब तक उस भकान में रहते, तब तक उसे और कम करना मुश्किल था। हम मोटर नहीं रख रहे थे, क्योंकि उसका खर्च हम उठा नहीं सकते थे, और एक सबब यह भी था कि सरकार उसे कभी भी जप्त कर सकती थी। इन आर्थिक कठिनाइयो के बीच में, मेरे पास आर्थिक सहायता माँगने वाले बहुत पत्र आते थे, जिनसे मेरा ध्यान उबर भी खिच जाता था। (सेन्सर ये पत्र मेरे पास ढकेल देता था।) एक बड़ा आम और गलत खयाल, जासकर दक्षिण भारत में, यह फैला हुआ था कि मैं कोई बड़ा दौलतमन्द आदमी हूँ।

मेरी रिहाई के बाद फौरन ही मेरी छोटी बहन कृष्णा की सगाई हो चुकी थी और मैं चिन्तित था कि जल्दी ही शादी हो जाय—इनसे

पहले कि मुझे जेल जाना पड़े। दृष्टा नद नी एक माल नक जेल बन्द-
कर कुछ ही महीने पहले छोटी थी।

जैने ही मैं की बीमारी से नैने छुड़ी पाई, नै गांधीजी से मिलने
पना जना गय। उनने मिलकर जीव यह क्षेत्रकर मुझे खुशी हुई कि
हालांकि वह बनदोर से मेकिन, वह अच्छी प्रगति कर रहे थे। हमारे
बीच लम्बी-लम्बी बानचीने हुई। यह मात्र खातिर था कि जीवन, राज-
नीति और अर्थशास्त्र के हमारे दृष्टिकोनों में जाती फर्क था, लेकिन नै
उनका हृत्त हूँ कि उनसे जहाँ तक बना उन्होंने उदारना-पूर्वक मेरे
दृष्टिकोनों के अधिक-से-अधिक नददीक जाने की कोशिश की। हमारे
फर-अवहार नै, जो बाद नै प्रभावित भी हो गया था, मेरे दिनाग में
नुरे हुए कुछ अधिक व्यापक प्रश्नों पर विचार किया गया था, जो
हालांकि उनका सिद्ध कुछ गोलमोल भाषा में हुआ था, लेकिन दृष्टिकोण
का सामान्य नेद तो मात्र दीखता था। मुझे खुशी हुई कि गांधीजी नै
यह घोषित कर दिया कि न्यायिन न्यायों को अस्थापित कर देना चाहिए,
हालांकि उन्होंने इन बात पर जोर दिया कि यह काम बल-प्रयोग से
नहीं, बल्कि हृदय-परिवर्तन से होना चाहिए। चूंकि मेरे खयाल से, उनके
हृदय-परिवर्तन के तरीके भी नयता और विचार-पूर्ण बल-प्रयोग से
अधिक निम्न नहीं हूँ, इसलिए मुझे मतनेद ज्यादा न लगा। उस वक़्त,
पहले की ही तरह, मेरी उनके विषय में यह धारणा थी कि यद्यपि वह
गोलमोल सिद्धान्तों पर विचार नहीं किया करते, तो भी घटनाओं के
तार्किक परिणामों को देखकर, धीरे-धीरे करके, वह आन्तु सामाजिक
परिवर्तन की अनिवार्यता को जान लेंगे। वह एक अजीब चीज हैं—श्री०
बेरियर एल्बिन के शब्दों में वह 'मध्यकालीन कैथलिक साधुओं के ढंग
के बादनी' हैं—लेकिन साथ ही, वह एक व्यावहारिक नेता भी हैं और
उनकी नब्द का सम्बन्ध हमेशा हिन्दुस्तान के जिज्ञानों के साथ है।

सकट-काल में वह किस दिशा में मुड़ जायेंगे, यह कहना मुश्किल था, लेकिन दिशा कोई भी हो, उसका परिणाम जबरदस्त होगा। सम्भव है कि हमारे विचार से वह गलत रास्ते जावे, लेकिन हमेशा वह रास्ता सीधा ही होगा। उनके साथ काम करना तो अच्छा ही था, लेकिन अगर ज़रूरत हो, तो अलग-अलग रास्तों से भी जाना पड़े।

उस वक्त मेरा खयाल था कि अभी तो यह सवाल नहीं उठता। हम अपनी राष्ट्रीय लड़ाई के मध्य में थे, और अभीतक सविनय भंग ही सिद्धान्ततः कांग्रेस का कार्यक्रम था, हालाँकि व्यक्तियों तक ही उसकी सीमा बाँध दी गई थी। हमारी लड़ाई जारी रहे और साथ ही समाजवादी विचार लोगों में और खासकर राजनैतिक दृष्टि से अधिक जाग्रत कांग्रेसी कार्यकर्त्तियों में फैलाने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि जब नीति की घोषणा का दूसरा मौका आवे तो हम काफी आगे कदम बढ़ाने को तैयार मिले। इस बीच कांग्रेस तो गैर-कानूनी सगठन थी और ब्रिटिश सरकार उसे कुचलने की कोशिश कर रही थी। हमें उस हमले का सामना करना था।

गांधीजी के सामने जो ख़ास समस्या थी वह थी व्यक्तिगत। उन्हें खुद क्या करना चाहिए? वह बड़ी उलझन में थे। अगर वह फिर जेल गये, तो हरिजन-कार्य की सहूलियतों का वही सवाल फिर उठेगा, और बहुत मुश्किल था कि सरकार न झुके और वह फिर उपवास करे। तो क्या वही सारा क्रम फिर दोहराया जायगा? ऐसी चूहे विल्ली वाली नीति के सामने उन्होंने झुकने से इन्कार कर दिया, और कहा कि 'अगर मुझे उन सहूलियतों के लिए उपवास करना पडा, तो रिहा कर दिये जाने पर भी मैं उपवास जारी रखूँगा।' इसका अर्थ था आमरण उपवास।

दूसरा रास्ता उनके सामने यह था कि वह अपनी सज़ा को मियाद

तरु (जिसमें से अनी साठे दस महीने थाकौ थे) अपनी गिरफ्तारी न करवायें और निर्फ हारिजन-कार्य में ही अपने-आपको लगा दें, लेकिन साथ ही, उनका काँग्रेस-कार्यकर्ताओं से मित्रते रहना, और जब जरूरत हो तब उन्हें सलाह भी देना जरूरी ही था ।

उन्होंने मुझे एक तीसरा रास्ता भी मुजाया कि वह कुछ अमें के लिए काँग्रेस से बिलकुल अलग हो जायें और उमे (उनके ही शब्दों में) 'नई पीढी' के हाथों में छोड़ दें ।

पहले रास्ते की, जिसका अन्त उपवास-द्वारा-प्राणान्त कर देना मालूम होता था, हममें से कोई भी निफारिय नहीं कर सकता था । तीसरा रास्ता भी, जब कि काँग्रेस एक गैरकानूनी सस्या थी, ठीक मालूम नहीं हुआ । इस रास्ते का नतीजा यह होता कि सविनय भंग और सब तरह की 'सीधी लडाई' फौरन वापस ले ली जाती और फिर कानूनी और वैध प्रवृत्ति पर लौटना पडता, या काँग्रेस गैर-कानूनी होकर और स्वयं, अब तो गांधीजी तक से, अकेली छोड़ी जाकर सरकार द्वारा और भी ज्यादा कुचली जाती । इसके अलावा, एक गैर-कानूनी सस्या के, जो भीटिंग करके किसी नीति पर विचार नहीं कर सकती थी, किसी दल के कब्जे में आने का सवाल ही नहीं पैदा होता था । इस तरह और रास्तों को छोड़ते हुए हम उनके मुझाये दूसरे उपाय पर आ गये । हममें से ज्यादातर लोग उसे नापसन्द करते थे और हम जानते थे कि उससे बचे-खुचे सविनय भंग को एक भारी आघात पहुँचेगा । अगर नेता ही लडाई में से हट जायगा, तो यह समझ नहीं था कि बहुत उत्साही काँग्रेसी-कार्यकर्ता आग में कूद पडें; लेकिन उलझन में से निकलने का और कोई रास्ता ही न था, और इसीके अनुसार गांधीजी ने अपनी घोषणा कर दी ।

गांधीजी और मैं, दोनों इस बात पर सहमत थे, हालांकि हमारे

कारण अलग-अलग थे, कि सविनय भंग को वापस लेने का अभी वक्त नहीं आया है और चाहे आन्दोलन धीरे चले, लेकिन उसे जारी रखना ही चाहिए। और, कुछ भी हो, मैं लोगो का ध्यान समाजवादी सिद्धान्तों और ससार की परिस्थिति की ओर भी खींचना चाहता था।

लौटते हुए मैंने कुछ दिन बम्बई में बिताये। मेरी खुशकिस्मती से उदयशंकर उन दिनों वही थे। मैंने उनका नृत्य देखा। मैंने इस मनोरजन से, जिसका पहले से कोई खयाल नहीं था, बड़ा आनन्द उठाया। नाटक, सिनेमा, टॉकी, रेडियो, ब्रॉडकार्टिग—यह सब पिछले कई वर्षों से मैं देख ही न सका था, क्योंकि स्वतंत्र रहने के वक्त भी मैं दूसरी प्रवृत्तियों में बहुत ज्यादा लगा रहता था। अभीतक मैं सिर्फ एक बार ही टॉकी देख पाया हूँ, और बड़े-बड़े अभिनेताओं के मैं सिर्फ नाम ही सुनता हूँ। मुझे नाटक देखने का अभाव खासतौर पर अखरता है और विदेशों में नये-नये खेलों के तैयार होने का वर्णन मैं बड़े रसक से पढता रहता हूँ। उत्तर हिन्दुस्तान में, जेल से बाहर होने की हालत में भी, अच्छे खेल देखने का कोई मौका न था, क्योंकि मैं मुश्किल से उनतक पहुँच पाता था। मेरा खयाल है कि बंगाली, गुजराती और मराठी नाटक साहित्य ने कुछ प्रगति की है, लेकिन हिन्दुस्तानी रंग-मंच ने, जो कि निहायत भद्दा और कला-हीन है, या था, क्योंकि मुझे हाल की प्रगति का हाल नहीं मालूम, कुछ भी प्रगति नहीं की। मैंने यह भी सुना है कि हिन्दुस्तानी फिल्म, मूक और सवाक्, दोनों में कला का प्रायः अभाव ही रहता है। उनमें आमतौर पर सुरीले गानों या गबल्लों की ही प्रधानता रहती है और उनका कथाभाग हिन्दुस्तान के पुराने इतिहास या पुराणों में से लिया हुआ होता है।

मेरे खयाल से, इनमें वह सब चीज मिल जाती है जिसकी गहर के लोग कद्र करते हैं। इन भद्दे और दुःखदायी प्रदर्शनों में और साधारण

जनता के अब भी बचे-खुचे सगीत, नृत्य और देहाती नाटको तक की कला में अन्तर साफ़ दिखाई देता है। बंगाल में, गुजरात में और दक्षिण में कभी-कभी यह देखकर बड़ा आश्चर्य और आनन्द होना है, कि मूलतः, लेकिन अनजान में, देहात के लोग कितने कलामय हैं। लेकिन मध्यम-वर्गीयों का हाल ऐसा नहीं है। उनकी तो मानो जड़ों का ही पता नहीं है, और उनके पास सौंदर्य या कला की कोई परम्परा नहीं रही है, जिसे वे पकड़े रहें। वे जर्मनी और आस्ट्रिया में बहुतायत में बने हुए सल्ले और वीभत्स चित्रों को रखने में ही अपनी शान सम्मस्तते हैं, और ज्यादा किया तो कभी-कभी रवि वर्मा के चित्र रख लेते हैं। मगीत में उनका प्यारा बाजा हारमोनियम है। (मुझे आभा है कि स्वराज सरकार के प्रारम्भिक कामों में एक यह भी होगा कि वह इन भयानक बाद्य पर प्रतिबन्ध लगा दे।) लेकिन दर्दनाक भद्रेपन और कला के सब सिद्धान्तों के भंग की पराकाष्ठा तो शायद लखनऊ और दूसरी जगह के बड़े-बड़े ताल्लुकदारों के घरों में दिखाई देती है। उनके पास खर्च करने को पैसा होता है और दिखावा करने की स्वाहिष, और ऐसा ही वे करते भी हैं, और जो लोग उनके यहाँ जाते हैं, उन्हें उनकी इन अनिलापा की पूर्ति का दुःखी गवाह बनना पड़ता है।

हाल में ही प्रतिभाशाली ठाकुर-परिवार के नेतृत्व में कुछ कला-जागृति हुई है और उसका प्रभाव सारे हिन्दुस्तान पर दिखाई देता है; लेकिन जबकि देश के लोगों जगह-जगह पर रूकावटों और बन्धन डाले जाते हैं और उन्हें दबाया जाता है और वे अतक के वातावरण में रहते हैं, तब कोई भी कला किन्हीं बड़े पैमाने पर कैसे फलफूल सकती है ?

बम्बई में मैं कई दोस्ती और नादियों ने मिला, जिनमें से कुछ तो हाल में ही जेल में निकले थे। नमाजवादी लोगों की तादाद वहाँ ज्यादा थी और कांग्रेस के प्रथम श्रेणी के लोगों में जो हाल में घटनायें हुई थीं उन

पर बड़ा रोष था। गांधीजी राजनीति में जो आध्यात्मिक दृष्टिकोण लगाया करते थे, उसकी सख्त आलोचना होती थी। अधिकांश आलोचना से मैं सहमत था, लेकिन मेरी साफ राय थी कि हमारी उस वक्त की परिस्थिति में और कोई चाग न था और हमें अपना काम जारी ही रखना था। सविनय भग को वापिस लेने की कोशिश भी की जाती, तो उसमें भी हमें कोई राहत न मिलती, क्योंकि सरकार का आक्रमण तो जारी रहता और कुछ भी कारगर काम किया जाता तो उसका नतीजा जेलखाना ही होता। हमारा राष्ट्रीय आन्दोलन ऐसी हालत में पहुँच गया था कि सरकार को उसे दबा ही देना पड़ता वरना ब्रिटिश सरकार को हमारी इच्छा माननी पड़ती। इसके मानी यह थे कि वह ऐसी हालत में आगया था कि जब उसका हमेशा ही गैर-कानूनी करार दिया जाना मुमकिन था और आन्दोलन के रूप में, चाहे सविनय भग भी बन्द कर दिया जाय तो भी, वह पीछे नहीं हट सकता था। असल में, सविनय भग के जारी रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन असली महत्व था नैतिक विरोध का। लड़ाई के बीच नये विचारों का फँसना उस वक्त की बनिस्वत आसान था, जबकि लड़ाई बन्द कर दी गई हो और लोगों का हौसला पस्त पड़ने लगा हो। लड़ाई के अलावा दूसरा रास्ता सिर्फ यही था कि ब्रिटिश ताकत के साथ समझौते की मनोवृत्ति रखी जाय और कौंसिलो में जाकर वैध कार्य किया जाय।

वह एक कठिन स्थिति थी, लेकिन कोई भी रास्ता ढूँढना आसान न था। अपने साथियों के मानसिक सघर्षों को मैं समझ सकता था, क्योंकि खुद मुझे भी उनका सामना करना पड़ा था। लेकिन, जैसा कि हिन्दुस्तान में दूसरी जगह भी पाया गया है, वहाँ मुझे ऐसे लोग दिखाई दिये, जो ऊँचे समाजवादी सिद्धान्त के वहाने कुछ भी न करना चाहते थे। इस बात से मुझे कुछ चिढ़ होती थी कि जो लोग खुद कुछ न करें,

वे उन दूसरे लोगों को, जिन्होंने लड़ाई के मैदान की धूल और धूप में सारा भार उठाया, प्रतिगामी बताकर उनकी बालोचना करे। ये आराम कुरसीवाले समाजवादी लोग गाँधीजी पर खासतौर पर जोर का बार करते हुए उन्हें प्रतिगामियों के मिस्ताब बताते हैं और ऐनी-ऐसी दलीलें देते हैं, जिनमें तर्क की दृष्टि से कोई कमर नहीं रहती है, लेकिन भीषी-सी बात तो यह है कि यह "प्रतिगामी" व्यक्ति हिन्दुस्तान को जानता और समझता है और किताब हिन्दुस्तान का ऊरीब-करीब नूतनमान् स्वरूप बन गया है और इसने इस तरह हिन्दुस्तान को हिला दिया है जैसी क्रान्तिकारी कहे जानेवाले किनी भी व्यक्ति ने नहीं किया है। उनके सबसे ताबे हरिजन-सम्बन्धी कार्यों ने भी, हलके-हलके लेकिन अबाध रूप से, हिन्दू कट्टरता को कम कर दिया है और उसकी बुनियाद हिला दी है। सारे कट्टर-पत्थी लोग उनके खिलाफ उठ खड़े हुए हैं और उन्हें सबसे खतरनाक दुश्मन समझते हैं, हालाँकि वह उनके साथ सोलहो आना शिष्टता और मौज्ज्य ही का व्यवहार करते हैं। अपने खास ढंग से खबरदस्त ताकतों को जागृत करके छोड़ देने का उनमें स्वभावसिद्ध गुण है, जो कि पानी की लहरों की तरह चारों ओर फैल जाती है और लालो आदमियों पर अपना अमर डालती है। चाहे वह प्रतिगामी हो या क्रान्तिकारी, उन्होंने हिन्दुस्तान का स्वरूप बदल दिया है। उस जनता में, जो हमेशा हाथ जोड़ती और डरती रहती थी, स्वामिमान और चरित्र-बल भर दिया है। उन्होंने आन लोगों में शक्ति और चेतनता पैदा की है और हिन्दुस्तान की समस्या को यज्ञार की समस्या बना दिया है। इस बात को दूर रखते हुए कि अहिंसात्मक अन्वययोग या सविनय भंग के आध्यात्मिक परिणाम क्या-क्या हैं, यह सही है कि वह हिन्दुस्तान और सनार के लिए उनकी एक अद्वितीय और शक्तिशाली देन है और उनमें कोई शक नहीं हो सकता कि वह हिन्दुस्तान की परिस्थिति के लिए खासतौर पर उपयुक्त निद्व हुआ है।

मेरे खयाल मे यह ठीक है कि हम सच्ची आलोचना को प्रोत्साहित करे और अपनी समस्याओं पर जितना भी सार्वजनिक वाद-विवाद हो सके हो। दुर्भाग्य से गांधीजी की सर्वोपरि स्थिति के कारण भी किसी हदतक इस प्रकार के वाद-विवाद में सकावट पड गई है। उनके ऊपर अवलम्बित रहने और निर्णय का काम उन्ही पर छोड देने की प्रवृत्ति हमेशा रही है। स्पष्टत यह गलत बात है और राष्ट्र तो उद्देश्यों और साधनों को बुद्धिपूर्वक ग्रहण करके ही बढ सकता है और जब उन्हींके आधार पर, न कि अन्ध-आज्ञा-पालन पर, सहयोग और अनुशासन स्थापित होगा, तभी देश की प्रगति होगी। कोई व्यक्ति कितना भी बडा क्यों न हो, आलोचना से परे नहीं होना चाहिए, लेकिन जब आलोचना निष्क्रियता का आश्रयरूप बन जाती है, तो उसमे कुछ-न-कुछ बिगाड समझना चाहिए। अगर समाजवादी लोग इस तरह का काम करे, तो वे जनता की निन्दा के पात्र बन जायेंगे, क्योंकि जनता तो काम से आदमी की परख करती है। लेनिन ने कहा है कि "जो आदमी भविष्य के आसान कामों के स्वप्नों के ऊपर वर्तमान के कठिन कामों की करना छोड देता है, वह समय-साधु बन जाता है। सिद्धान्त-रूप से इसका तात्पर्य है असली जीवन मे इस समय होनेवाली घटनाओं पर अपना आधार रखने मे विफल होना, और स्वप्नों के नाम पर उनसे अलग पड जाना।"

हिन्दुस्तान के समाजवादी और कम्युनिस्ट लोग अपने खयालात ज्यादातर उस साहित्य पर से बनाते हैं, जो औद्योगिक मजदूर-वर्ग की वावत है। कुछ खास हलकों मे, जैसे बम्बई में या कलकत्ते के पास, कारखानों के मजदूर बड़ी तादाद में हैं, लेकिन हिन्दुस्तान का बाकी हिस्सा तो किसानों का ही है और कारखानों के मजदूरों के दृष्टिकोण से हिन्दुस्तान की समस्या का कारगर हल नहीं मिल सकता। यहाँ तो

राष्ट्रीयता और तानीप मुख्यव्यवस्था ही मध्यम बड़े मजाल है और यूरप के समाजवाद का इनसे नायब ही कुछ सम्बन्ध है। हम में महायुद्ध ने पहले की हालत हिन्दुस्तान में बहुत कुछ मिलायी-जुलाई थी, अगर वही तो बहुत ही अनावरण और और-मामूली घटनाएँ हो गईं और वही ही घटनाएँ फिर दूसरी जगह हो यह उम्मीद करना बेवकूफी होगी। लेकिन इनका मैं बरकर जानना हूँ कि कम्युनिज्म के तत्त्वज्ञान में किसी भी देश की मौजूदा परिस्थिति को समझने और उनका दिग्दर्शन करने में सहायता मिलनी है और आगे प्रगति का रास्ता मालूम होना है, लेकिन उस तत्त्वज्ञान के साथ वह अवरदस्ती और बेइम्नाफी होगी कि उसे वस्तुस्थिति और परिस्थिति का मुनासिब खयाल न रखने हुए अंध नुईकर हर जगह लागू कर दिया जाय।

कुछ भी हो, जीवन एक बड़ी जटिल समस्या है और जीवन के मघपों और विरोधों से कभी-कभी आदमी निराशा हो जाता है। इनमें कोई ताज्जुब की बात नहीं कि लोगों में मतभेद पैदा हो जाय या वे साथी, जो समस्याओं को एक ही दृष्टिकोण से देखते हैं, अलग-अलग नतीजों पर पहुँचें, लेकिन वह आदमी, जो अपनी समझौरी को बड़े-बड़े वाक्यों और लोचो-लोचो उन्नों के पर्दे में छिपाता है, अरु मदेह का पात्र बन सकता है। जो अल्प नरकार को इकरारनामे और वादे लिखकर या और किसी नवेहासद व्यवहार से जेल जाने से अपने-आपको बचाता है और फिर दूसरों की आलोचना करने का दुःसाहम करता है, वह अपने कार्य को नुकसान पहुँचाने की समावना पैदा करता है।

बम्बई बड़ा शहर है और उनमें सब जगह लोग रहते हैं। वहाँ मनी तरह के लोग मौजूद थे। लेकिन एक प्रमुख नागरिक ने तो अपने राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक दृष्टिकोण में बड़ी भाँति की निष्पत्तियाँ दिखाईं। अचरुत नेदा की हैसियत से वह समाजवादी थे;

राजनीति में वह आमतौर पर अपने को डिमोक्रेट (लोकतन्त्रवादी) कहते थे, हिन्दू-सभा भी उन्हें बहुत चाहती थी। उन्होंने वादा किया कि मैं पुराने धार्मिक और सामाजिक रीति-रिवाजों की रक्षा करूँगा और उनमें कौंसिल को दखल देने न दूँगा, मगर चुनाव के वक्त मैं वह सनातनियों की तरफ से उम्मीदवार हुए, जो कि प्राचीन रहस्यों के महान् पुजारी होते हैं। इस बदली हुई और भिन्न प्रवृत्ति से भी जब वह न थके, तो उन्होंने अपनी शेष शक्ति कांग्रेस की आलोचना करने और गांधीजी को प्रतिगामी बताने में लगाई। कुछ और लोगों के सहयोग से उन्होंने कांग्रेस डिमोक्रेटिक—लोकतन्त्रात्मक—पार्टी खड़ी की, जिसका लोकतन्त्रवाद से कोई भी ताल्लुक न था और जो कांग्रेस से इतना ही सन्तुष्ट रखती थी कि उस महान् सस्या पर हमला करे। और भी नये-नये क्षेत्रों में कब्जा करने की दृष्टि से, वह मजदूरों के प्रतिनिधि बनकर जेनेवा मजदूर-कान्फ्रेंस में भी शरीक हुए। कोई तो यह भी खयाल करते हैं कि गायद वह इंग्लैंड के डग पर हिन्दुस्तान की 'राष्ट्रीय' सरकार के प्रधान-मंत्री बनने की योग्यता प्राप्त कर रहे हैं।

इतने भिन्न-भिन्न दृष्टिकोणों और प्रवृत्तियों का लाभ बहुत ही थोड़े लोगों को मिलता होगा, लेकिन फिर भी कांग्रेस के समालोचकों में ऐसे कई लोग थे, जिन्होंने भिन्न-भिन्न क्षेत्रों का अनुभव किया था, और जो कई जगहों में अपनी टाँग अड़ाते थे। इनमें से कुछ लोग अपने-आपको समाजवादी कहते थे और उनके कारण समाजवाद उलटा बदनाम होता था।

लिवरल दृष्टिकोण

गांधीजी से मिलने जब न पूना गया था, तो एक दिन शान् की मैं उनके साथ 'मवेन्स बाज़ इन्डिया मोनाइटी' के नवन में चला गया। करीब एक घण्टे तक सोसाइटी के कुछ सदस्य उनके राजनैतिक मानलों पर नवालात करते रहे और वह उनका ज्वाद देते रहे। न तो उस वक्त वहाँ श्री श्रीनिवास शान्त्री ये और न पण्डित हृदयनाथ कुंजरु ही, जो कि शायद बाज़ी के सदस्यों में सबसे ज्यादा ज्ञाविन् हैं, लेकिन कुछ सीनियर मेम्बर मौजूद थे। इनमें से कुछ लोग, जो उस वक्त वहाँ उपस्थित थे, बड़े अचरज से सब कुछ सुनते रहे, क्योंकि सबाल विलम्ब ही छोटी-छोटी घटनाओं के बारे में पूछे जा रहे थे। वे ज्यादातर गांधीजी की बाइसराय से मुलाकात की पुरानी दरल्वास्त और बाइसराय के इन्कार के बारे में थे। क्या ऐसे समय में जब कि खुद उनका ही देश आजादी की अच्छी करारी लड़ाई लड़ रहा था और सैकड़ों संस्यारों संर-कानूनी करार दी जा रही थी, उनके समस्यारों से नरी हुई दुनिया में यही एक विषय उनकी चर्चा के लिए रह गया था किमान नादुक वक्त से गूहर रहे थे और औद्योगिक नन्दी चल रही थी। जिन्ने कि व्यापक वेनारी फैल रही थी। बाल, नील-प्रास्त और हिन्दुस्तान के इनरे हिस्सों में मयंकर घटनाओं घट रही थीं, विचार, नापय, लेहन और सन्नाओ की स्वतन्त्रता दवाई जा रही थी और दूसरी भी कई राष्ट्रीय और अन्तराष्ट्रीय सनस्यारों मौजूद थीं। लेकिन नवालात सिर्फ महत्त्वपूर्ण घटनाओं के बारे में या इस बारे में पूछे गये कि

अगर गाँधीजी बाइसराय से फिर मिलना चाहे तो बाइसराय और भारत-सरकार पर क्या असर पड़ेगा ?

मुझे बड़े जोरो से कुछ ऐसा महसूस होने लगा मानो मैं किसी धार्मिक मठ में आ घुसा हूँ, जिसके रहने वालों का असें से बाहरी दुनिया के साथ किसी तरह का कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं रहा है। फिर भी हमारे दोस्त क्रियाशील राजनीतिज्ञ थे, जिनके साथ सार्वजनिक सेवा और कुर्बानी का लम्बी कारगुजारी थी। उन्हींसे और कुछ और लोगों से मिलकर लिबरल-पार्टी की मूल ताकत बनी हुई थी। बाकी की पार्टी तो वे सिर-पैर की थी जिसमें ऐसे-ऐसे अस्पष्ट और शिथिल विचारों वाले आदमी थे, जो कभी-कभी राजनीति से सम्बन्ध जोड़ने का मजा लेना चाहते थे। इनमें से कुछ लोग तो-खासकर बम्बई और मद्रास में—ऐसे थे, जिनमें और सरकारी अधिकारियों में फर्क ही नहीं 'नज़र' आता था।

जिस तरह के प्रश्न एक देश पूछा करता है, उसी हद तक उसकी राजनैतिक प्रगति मालूम होती है। अक्सर उस देश की नाकामयाबी का कारण भी यही होता है कि उसने अपने-आपसे ठीक तरह का सवाल नहीं पूछा। जिस हद तक हम कौंसिलों की सीटों के बंटवारे पर अपना वक्त और ताकत व अपना मिज़ाज बिगाड़ा करते हैं, या जिस हद तक हम साम्प्रदायिक निर्णय पर पार्टियाँ बनाया करते हैं और उसपर फूबूल का वाद विवाद इतना करते हैं कि उससे ज़रूरी सवालालत ही छूट जाते हैं, उसी हद तक हमारी पिछड़ी हुई राजनैतिक हालत मालूम हो जाती है। इसी तरह उस दिन गाँधीजी से 'सर्वेण्ट्स आफ इण्डिया सोसाइटी' के भवन में जो-जो सवालालत पूछे गये थे, उनसे ही उस सोसाइटी और लिबरल-पार्टी की अजीब मनोदशा प्रतिबिम्बित होती थी। ऐसा मालूम होता था कि उनके न तो कोई राजनैतिक या आर्थिक उसूल हैं, न कोई

व्यापक दृष्टि है। उनकी राजनीति तो रईमों के दीवानखानों या दरबारों कीन्नी चीब दिखाई देती थी। भागों, उनकी यही जानने की इच्छा रहा करती कि हमारे उच्च अधिकारी क्या करेंगे, या क्या नहीं करेंगे।

‘लिवरल-पार्टी’ नाम ने भी धोला हो सकता है। हमारे मुल्को में वीर न्वाल्कर इंग्लैण्ड में, इस शब्द ने एक खान आर्थिक नीति का—मुक्त अनियंत्रित, व्यापार आदि—और अर्थव्यवस्था आजादी तथा नागरिक स्वतन्त्रताओं के एक हास आदर्शवाद का नतलव मनसा आता था। इंग्लैण्ड की लिवरल-परम्परा की बुनियाद आर्थिक थी। व्यापार में आजादी की और राजा के एकाधिकारों और मनमाने टैक्सों ने छुटकारा मिलने की इच्छा से ही राजनैतिक स्वतंत्रता की स्वादिष्ट पैदा हुई। मगर हमारे हिन्दुस्तान के लिवरलों का ऐसा कोई आधार नहीं है। मुक्त व्यापार में उनका विश्वास नहीं, क्योंकि वे क्रारीब-क्रारीब सभी सरअपवादी हैं और वैसे कि हाल की घटनाओं ने बतला दिया है, वे नागरिक स्वतंत्रताओं का भी कोई महत्व नहीं समझते। अर्ध-माण्डलिक और एकतन्त्री देशी रियासतों के साथ, उनका गहरा सम्बन्ध रहना और उनका सामान्यतः ने मनर्धन करना नाबित करना है कि वे यूरोपियन ढंग के लिवरलों ने बहूत भिन्न हैं। सचमुच हिन्दु-मान के लिवरल किनी मानी में भी लिवरल नहीं हैं, पा वे सिर्फ क्लपटोंय लिवरल हैं। वे ठीक-ठीक क्या हैं, यह कहना मुश्किल है। उनके विचारों का कोई एक निश्चिन्त दृष्ट आधार नहीं है, और हालाँकि उनकी तादाद प्यारी हो है, लेकिन जापन में भी उनके विचार जुदा-जुदा हैं। वे नगानगन रूप में ही दृष्टता दिखाते हैं। हर जगह उन्हें प्रलती-ही प्रलती दिखाई देती है। उसे टालने की वे योग्य करते रहते हैं और अगल यह करने हैं कि इमीतरह वे मचाई को हासिल कर लेंगे। उनकी निगाह में मचाई भिन्न दो पराकाष्ठों के बीच ही हुआ करती है। हर

ऐसी चीज की निन्दा करके, जिसे वे पराकाष्ठा मानते हैं, वे समझते हैं कि वे गुणवान मध्यम-मार्गी और नेक आदमी हैं। इस तरीके से वे विचारो के कष्ट-प्रद और कठिन तौर-तरीके से तथा रचनात्मक विचारो को पेश करने की आफत से बच जाते हैं। उनमें से कुछ लोग अस्पष्ट रूप से महसूस करते हैं कि पूँजीवाद यूरोप में पूरी तरह कामयाब नहीं हुआ है और सकट में पड़ा हुआ है, और दूसरी तरफ, समाजवाद तो जाहिरा तौर पर ही खराब है, क्योंकि उससे स्थापित स्वार्थों पर हमला होता है। शायद भविष्य में कोई रहस्यवादी उपाय, कोई बीच का मुकाम मिल ही जायगा, इस बीच, स्थापित स्वार्थों की रक्षा होनी ही चाहिए। अगर इस बात वातचीत की जाय कि पृथ्वी चपटी है या गोल, तो शायद वह इन दोनों ही पराकाष्ठाओं के विचारो की निन्दा करेगा और थोड़ी देर को यही सुझायेगा कि वह शायद चौकोर या अण्डाकार होगी।

वहुत छोटे-छोटे और बेवज्जनी मामलो पर भी वे बहुत भडक जाते हैं और इतना होहल्ला और शोर-गुल मचा देते हैं कि कुछ पूछिए नहीं। जान में या अज्ञान में वे मौलिक सवालो को हाथ नहीं लगाते, क्योंकि ऐसे सवालो के लिए तो मौलिक उपायो की ओर विचार और कार्यक्रम के साहस की जरूरत होती है। इसलिए लिबरलो की सफलता या असफलता का कोई नतीजा नहीं होता। उनका किसी सिद्धान्त से सम्बन्ध नहीं होता। इस पार्टी की बड़ी विशेषता और खास लक्षण, अगर उसे लक्षण कहा जा सके, यह है कि हर अच्छी और बुरी बात में नरम रहना यही इनके जीवन का दृष्टिकोण है और इनका पुराना नाम—मांडरेट—ही शायद सबसे ठीक था।

“मांडरेट होने में ही हम फूले नहीं समाते हैं,

नरम गरम हमको कहते, औ’ गरम नरम बतलाते हैं।”

१. एलेक्जेंडर पोप के अंग्रेजी पद्य का भावानुवाद।

लेकिन माउटेड-वृत्ति किन्ती भी प्रयत्नशील क्यों न हो, वह कोई तेज-पूर्ण और ओजस्वी गुण नहीं है। यह वृत्ति नेजोहीनता पैदा करती है और इसलिए हिन्दुस्तान के लिबरल ब्रह्मिन्मती ने एक 'तिजोहीन-दल' बन गये हैं—वे चेहरे से मद-तेज और मजीदा, लैजो और वानचीन में उत्साहहीन होने हैं और विनोद-प्रियता में खाली रहने हैं। निश्चय ही इनमें कुछ अपवाद भी हैं और एक मन्नें वहे अपवाद हैं नर तेजदहादुर सप्रू, जिनका व्यक्तिगत जीवन निश्चय ही नीरस और विनाद-रहित नहीं है, बल्कि जो अपने विरुद्ध चिन्ते गये मजाक में भी रस लेते हैं। लेकिन कुल मिलाकर लिबरल-दल मध्यम-वर्गशाही की पराकाष्ठा का साकार रूप है, और उसमें ऐसा ठोसपन है, जिसका दूसरा नाम नुस्ती या मदी है। इलाहाबाद के 'लीडर' ने जो, कि प्रमुख लिबरल अखबार है, पिछले साल अपने एक अग्रलेख में लिबरल मनोवृत्ति को बहुत स्पष्टता से प्रकट कर दिया था। उसने बताया था कि बड़े और असाधारण लोगों ने दुनिया को हमेशा ही मुसीबतों में डाला है। इसलिए, उनकी राय थी कि मामूली औसत दरजे के लोग ही ज्यादा अच्छे होते हैं। बड़े ही नाबुक और साफ ढग से इस अखबार ने औसतपने के नाय अपने शब्दों का गठ-बन्धन कर लिया।

नरम रहना, रुडि-प्रियता और खतरों तथा अचानक परिवर्तनों से बचने की इच्छा बुढ़ापे के अनिवार्य साथी हैं। ये बातें नौजवानों को बिलकुल नहीं चोहती। लेकिन हमारा तो देश भी पुरातन और बूढ़ा है; कनी-कनी इसके बच्चे भी कमजोर और शक्रे हुए पैदा होते मालूम होते हैं और उनमें तेजो-हीनता और बुढ़ापे के चिन्ह होते हैं। लेकिन जो तब-दीली हो रही है, उसकी ताकतों से ऐसा बूढ़ा देग भी अब हिल उठा है और नरम दृष्टिकोण रखनेवाले भी इसे देखकर धबरा-ने गये हैं। पुरानी दुनिया गुच्छर रही है, और लिबरल लोग किन्ती भी योग्यता से बुद्धिमत्ता

पूर्ण गम करने की मीठी सलाह दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तूफान या बाढ़ या भूकम्प को समझाकर कहीं रोका जा सकता है? उनकी पुरानी धारणायें टिकती नहीं हैं, और नई-नई तरह के विचार और काम की उनमें हिम्मत नहीं। यूरोपियन परम्परा के बारे में डाक्टर ए० एन० व्हाइटहेड कहते हैं—“यह सारी परम्परा इस दूषित धारणा में पटी है कि हर पीढ़ी बहुत-कुछ उन्हीं परिस्थितियों में जीवन बितायेगी, जिन्होंने उसके पुरखों के जीवन का निर्माण किया था, और वही परिस्थितियाँ आगे भी उतने ही बल से उनकी सन्तान के जीवन को बनायेंगी। हम मनुष्य-जाति के इतिहास-युग के पहले चरण में रह रहे हैं, जिसके लिए कि यह धारणा बिल्कुल गलत है।” डा० व्हाइटहेड ने भी अपने इस विश्लेषण में थोड़ी नरमी दिखलाने की गलती की है, क्योंकि शायद वह धारणा हमेशा ही गलत रही है। अगर यूरप की परम्परा वही पुरानी लकीर पीटती रही है, तो फिर हमारी परम्परा का तो हिमाव लगाइए, उसकी क्या हालत होगी? लेकिन इतिहास को घबने वाले, जब परिवर्तन का युग आ जाता है तब, इन परम्पराओं की तरफ ज़रा भी ध्यान नहीं देते। हम लाचारी से देखते रह जाते हैं और अपनी योजनाओं की असफलताओं का दोष दूसरों के मरथे मढ़ देते हैं। और जैसा कि श्री जेराल्ड हर्ड बतलाते हैं, “सबसे ज्यादा बरवादी करनेवाला वहम यही खयाल है, कि मनुष्य दिल में यह मान बैठे कि उसकी योजना उसकी विचार-पद्धति की गलती से नहीं बल्कि किसी दूसरे के जानबूझकर बाधा डालने से असफल हुई है।”

इस भयकर वहम के शिकार हम सभी हैं। मैं कभी-कभी सोचता हूँ कि गांधीजी भी इससे बरी नहीं हैं। मगर हम कम-से-कम कुछ-न-कुछ काम तो करते ही हैं, जीवन के सम्पर्क में तो आने की कोशिश करते हैं और तजुर्वे और गलतियों के ज़रिये भी हम इस वहम की

ताकत को कम कर देते हैं, और लुढ़कते हुए भी किन्नी तरह आगे बढ़ते तो जाते हैं, लेकिन लिबरल सबसे ज्यादा दुःख उठाते हैं। क्योंकि इस डर से कि कहीं हमसे कोई ग़लत काम न हो जाय, वे काम ही नहीं करते, और गिर या फिसल जाने के डर में वे आगे कदम ही नहीं बढ़ाते। जनता के साथ वे अच्छा हार्दिक सम्पर्क पैदा करने से दूर ही रहते हैं, और अपने ही विचारों की तग कोठरियों में मोहित और समाविस्त-से बैठे रहते हैं। डेढ़ साल पहले श्री श्रीनिवास शास्त्री ने अपने सगी-साथी लिबरलों को आगाह किया था कि उन्हें चुपचाप खड़े देखते न रहना चाहिए और घटनाओं को योही गुजरने न देना चाहिए। उस आगाही में वह जितनी नचाई नमस्ते थे, उसमें कहीं ज्यादा सचाई थी। सरकार क्या कर रही है इन बात का ही हमें विचार करते रहने का कारण, वह उन विधान-मन्त्री परिवर्तनों की तरफ इशारा कर रहे थे, जिन्हें भिन्न-भिन्न सरकारी कमिटियाँ बना रही थी, लेकिन लिबरलों की बदकिस्मती यह थी कि जब उनके ही देशवर्गी आगे बढ़ रहे थे, तब वे चुपचाप खड़े-खड़े तमाशा देव रहे थे और घटनाओं को योही गुजरने दे रहे थे। वे अपने ही लोगों ने करते थे और हमारे धामकों ने अलहदा होने के बजाय उन्हें उन जाम लोगों ने दूर रहना ही ज्यादा अच्छा समझा। फिर इनमें आश्चर्य ही क्या था कि वे अपने ही मुन्क में अजनबी से बन गये। दुनिया आगे बढ़ गई और उन्हें वहीं-का-वहीं छोड़ गई। जब लिबरलों के देशवर्गी विन्दी और आजादी के लिए भयकर लड़ाइयाँ लड़ रहे थे, तब इनमें कोई शर् नहीं रहा था कि लिबरल मोर्चेबन्दी के किन्तु तग गटे हैं। मोर्चेबन्दी की दूरी तरल से वे हमें नेत्र मलाह दे रहे थे और बड़ी-बड़ी नैतिर बातें करने थे, और उन विपत्तियों रोगन की नर-नरगल पाने के उपाय पदाने जाने थे। गोलमेड-आन्दोलनों और कमि-

महत्वपूर्ण नैतिक लाभ की चीज थी। अगर यह सहयोग न दिया जाता, तो बड़ा फर्क पड़ जाता। यह ध्यान देने की बात है कि एक कांग्रेस में ब्रिटिश मजदूर-पार्टी तक अलग रही, लेकिन हमारे लिवरल साहवान तो उसमें भी अलग नहीं रहे और कुछ अग्रज सज्जनों ने उनसे न जाने की अपील की तो भी वे वहाँ चले ही गये।

यो तो हमारे जुदे-जुदे मकसदों के लिहाज से हम सब नरम या गरम हैं। फर्क सिर्फ मात्रा का है। जिस बात के बारे में हमें अधिक चिन्ता हो उसके विषय में हमारी भावना भी तीव्र हो जाती है, और हम उसके सम्बन्ध में 'गरम' हो जाते हैं, नहीं तो हम दयादर्शक सहन-शीलता धारण कर लेते हैं, एक प्रकार की दर्शनिक सौम्यता अस्तित्कार कर लेते हैं, जोकि, असल में कुछ हद तक हमारी उदासीनता को ढक लेती है। मैंने नरम-से-नरम माडरेटों को बहुत उग्र और गरम होते हुए देखा है, जब उनके सामने देश से कुछ स्थापित स्वार्थों को उडा देने की बात रखी गई। हमारे लिवरल मित्र कुछ हद तक घनी-मानी और समृद्ध लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। स्वराज्य के लिए उन्हें बहुत दिनों तक इन्त-जार करना पुसा सकता है और इससे उसके लिए उन्हें व्यग्र या उत्ते-जित हो उठने की जरूरत नहीं। लेकिन जहाँ कोई आमूल मामाजिक परिवर्तन का प्रश्न आया कि उनमें खलबली मची। तब वे न तो उसके विषय में माडरेट ही रह जाते हैं और न उनकी वह सुन्दर समझवारी ही कायम रहती है। इस तरह उनकी नरमी ब्रिटिश सरकार के प्रति उनके रख तक ही मर्यादित है और वे यह आशा लगाये बैठे हैं, कि यदि वे काफी आदर-भाव दिखाते रहे और समझौते से काम लेते रहे, तो मुमकिन है कि उनके इस सलूक के पुरस्कार में उनकी बात चुन ली जाय। इसलिए वे ब्रिटिश दृष्टिकोण से देखे बिना रह ही नहीं सकते। 'ब्ल्यू बुक' (सरकारी रिपोर्ट) उनके गभीर अभ्ययन की वस्तु होती

है। इनकिन मे की 'पालेमेण्टरी प्रिन्टस' ऑन ऐमी ती जिनावें उनकी जीवन-गिनी होती है। नई सरकारी रिपोटें उनके तैम और नतीबिनकें का विषय बनती है। इंग्लैण्ड मे लॉटनेवाले मित्ररल नेना ह्वाइट-हॉल की विभूतियों के कारनामों के बारे मे रहस्यमय बयान्ब्य देते हैं, क्योंकि, ह्वाइट-हॉल लिबरलों, प्रतिसहयोगियों और ऐंमे ही इनरे दलों की दृष्टि में वैकुण्ठ है। पुराने जमाने में यह कहा जाता था कि जब कोई मद्र अमेरिकन मर जाता, तो उनकी आत्मा पेरिम जाती थी। इनो तरह यह कहा जा सकता है कि अच्छे लिबरलों की प्रेतात्मा ह्वाइट-हॉल की अहारदिवारी का कमी-कमी चक्कर लगाती रहती है।

यहाँ लिखा तो मेने लिबरलों के बारे में है, लेकिन यही बात बहु-सेरे काँग्रेसियों पर भी लागू होती है और प्रतिसहयोगियों पर तो और भी ज्यादा लागू होती है, क्योंकि नरमी में तो उन्होंने लिबरलों को भी मात कर दिया है। औसत दर्जे के लिबरल और औसत दर्जे के काँग्रेसी में बड़ा फ़र्क है। मगर इस सम्बन्ध में बिभाजक रेखा न तो साफ ही है न निश्चित ही। जहाँतक विचार-धारा से सम्बन्ध है, आगे बढ़े हुए लिबरल और नरम काँग्रेसी में कोई ज्यादा फ़र्क मालूम नहीं होता। मगर भला हो गाधीजी का, जो हरेक काँग्रेसी ने अपने देश और देश के लोगों के साथ थोड़ा-बहुत संपर्क रक्खा है और वह काम भी करता रहता है और इसीकी बदीलत वह एक बुधली और अधूरी विचारधारा के परिणामो से बच गया है। मगर लिबरलो की बात ऐनी नहीं है। उन्होंने पुराने और नये दोनों ही विचार के लोगो से अपना नाता तोड़ लिया है। एक जमात की हँसियत ने वे उन लोगो के प्रतिनिधि है, जो मिटते जा रहे है।

मैं खवाल करता हूँ कि हममें ने बहुतो की वह पुरानी अधभ्रदा तो नष्ट ही चुकी है; लेकिन नई अतर्दृष्टि प्राप्त नहीं हुई है। न तो हमें

स्त्रुट में ड्रायटन' द्वारा प्रोटीन' के दर्शन मुलभ हैं और न हमारे कान
द्वारा ड्रायटन' की पुनानाना-विभूयित धृमी की मधुर ध्वनि ही सुन पाते
। हममें से बहुत कम लोग उनसे भाग्यवाली हैं जो—

“विश्व में ब्रह्माण्ड को अवलोकते,

वद-मुमन में स्वर्ग-शोभा देखते,

अजली में बंधते निर्मात को,

एक पल से नापते चिरमीम को ।”

दुर्भाग्य में, हममें से बहुतेरे प्रकृति के रहस्यपूर्ण जीवन की अनुभूति
में दूर हैं। वह रहस्य-ध्वनि हमारे कानों के पाम तो गूँजती है, लेकिन
हम सुन नहीं पाते। उसके स्पर्श के मधुर कपन का सुग्य नहीं उठाते।
दो दिन अब चले गये, लेकिन चाहे अब हम पहले की तरह प्रकृति की
दिव्यता का दर्शन न कर सके, तो भी मानवजाति के गौरव और करुणता
में, उनके बड़े-बड़े स्वप्नों और आन्तरिक तूफानों में, उसकी पीडाओं और
बिफलताओं में, उनके मघपों और विपत्तियों में, और इन सबसे बढ़कर
एक महान् उज्ज्वल भविष्य की आशा में तथा उन महत्त्वाकांक्षाओं की
प्राप्ति में हमने उमे पाने का प्रयत्न किया है। और जो कष्ट और
क्लेश हम लोग में हमें उठाने पडे हैं, उसका बदला हमें इसी प्रयत्न में
मिल गया है। इस लोड ने समय-समय पर हमें जीवन की तुच्छता से

१. प्रोटियस—प्राचीन काल का एक जलदेवता, जो चाहे जब
अपना मनचाहा रूप धारण कर सकता था। बदलती रहनेवाली किसी
चीज या व्यक्ति लिए भी, अक्सर इस शब्द का प्रयोग होता है।

२. ट्रायटन—पोसिडन का पुत्र और एक ऐसा जलदेवता, जो
अर्द्ध-मनुष्य और अर्द्ध मत्स्य था। इसका खास काम शल-ध्वनि द्वारा
सागर-तरंगों को कम-ज्यादा करते हुए उनपर नियंत्रण रखना था।

३. अग्रेजी पद्य का भावानुवाद

ऊँचा उठाया है। लेकिन बहुतो ने इस शोभ का प्रयत्न ही नहीं किया है और पुराने तरीको से अपने को विलकुल अलहदा रखकर वर्तमान में अपना मार्ग खो दिया है। न तो उनकी भावनायें ही ऊँची हैं, न कुछ वे करते ही हैं। वे फ्रांस की महान् राज्यक्रांति या रूसी राज्यक्रांति-जैसे मानवी उचलपुचल का भर्म नहीं समझते। चिरकाल से दबी हुई मानवी अभिलाषाओं के जटिल तेज और निठुर विस्फोटो या उमाडो से वे भयभीत हो जाते हैं। उनके लिए वेस्तील (फ्राम) का किला अभी सर नहीं हुआ है।

बड़े रोप के साथ अक्मर यह कहा जाता है कि 'देश-भक्ति का ठेका कुछ काँग्रेसवालो ने ही नहीं ले रक्खा है।' यही शब्द बार-बार दोहराये जाते हैं, जिनमें कोई नवीनता नहीं दिखाई देती। यह देखकर कुछ दुःख होना है। मैं समझता हूँ, अपने लिए इस भावना के एक अंश का भी कभी किसी काँग्रेसी ने दावा नहीं किया होगा। अवश्य ही, मैं नहीं समझता कि काँग्रेस ने ही इसका ठेका ले रक्खा है और मैं बड़ी खुशी के साथ जिस किमीको चाहूँ उसे इसकी भेंट करने को तैयार हूँ। यह तो अवसर ने फायदा उठानेवालो और सुखी और निर्दिष्ट जीवन-चाहनेवालो के लिए अक्सर एक ढाल का काम देता है और हर तरह की रूढ़ियों, स्वार्थों और बर्गों के अनुकूल उसके कई रूप हैं। अगर आज 'जूडम' जीवन होता तो वह भी, इसमें कोई अक नहीं, इसीके नाम पर काम करता। लेकिन अब तो देश-भक्ति ही काफी नहीं है, अब तो हमें कोई उमने ज्यादा ऊँची, व्यापक और श्रेष्ठ चीज चाहिए।

और नरमो न्दन ऐसी कोई चीज नहीं है, जो काफी समझी जाय। हाँ, मयम एक अच्छी चीज है और वह हमारी नस्कृति का एक पैमाना

१. ईसा के मुख्य बारह शिष्यों में एक था जिसने दशा करके ईसा को यरूशियम के शाय पकडा दिया था। अनु०

है, मगर कोई चीज भी तो हो, जिसका हम समय और निग्रह करे। मनुष्य सदा से पञ्चतत्त्वो पर शासन करता आरहा है, बिजली पर मवारी गाँठता आरहा है, लपकती हुई आग और वेगयुक्त और गिरते-पडते हुए पानी को अपने काम मे लाता रहा है और यह सब वह अब भी करता है, लेकिन उसके लिए इन सबसे ज्यादा मुश्किल हुआ है उसको खाये डालनेवाले विकारो का निग्रह करना या उन्हे समय में रखना। जबतक वह इन्हे अपने काबू मे नहीं कर लेता, तबतक वह अपनी मनुष्यता की विरासत को पूरी तरह नहीं पासकता। पर क्या हम उन पैरो को रोक रखें, जो हिलते ही नहीं है या उन हाथो को, जिन्हे लकवा मार गया है ?

इम प्रसंग पर मैं राय केम्पवेल की चार पंक्तियाँ देने का लोम सवरण नहीं कर सकता, जो उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के किसी उपन्यासकार के सम्बन्ध में लिखी थी

“लोक आपके दृढ समय का गाता है यश-गान,
मैं भी उसमें देता उसका साथ आज, मतिमान ।
खूब जानते आप खीचना और मोडना बाग,
पर कमबलत कहीं वह घोडा, है इसका कुछ ध्यान ?”

हमारे लिबरल मित्र हमसे कहते हैं कि वे सकडे स्वर्ण मध्यम मार्ग पर चलते हैं और एक तरफ काँग्रेस और दूसरी तरफ सरकार दोनो की पराकाष्ठायें बचाकर अपना रास्ता निकालते हैं। वे दोनो की कमियाँ बताने वाले मुक्षिफ बनते हैं और इस बात के लिए अपने मुँह मियाँ बनते हैं कि वे इन दोनो की बुराइयों से बरी हैं। मेरी समझ में वे तराजू धारण करके आँखो पर पट्टी बाँधकर वे निष्पक्ष बनने की कोशिश करते हैं। कहीं यह मेरी खल ही तो नहीं है जो, आज मेरे कानो मे

१. केम्पवेल के अप्रेञ्ची पद्य का भावानुवाद ।

सदियों पुरानी वह मशहूर पुकार आ रही है—“आइन्स” और फेरिसियो”ओ अबे पय-प्रदर्शको । तुम हाथी को तो निगल जाते हो और डुम से परहेज करते हो । ”

: ५२ :

औपनिवेशिक स्वराज्य और आजादी

पिछले सत्रह वर्षों से जिन लोगों ने कांग्रेस की नीति का निर्माण किया है उनमें से ज्यादातर मध्यम-श्रेणी के लोग हैं । चाहे वे लिबरल हों चाहे नॉन्सेसी, चाहे नव सत्ती श्रेणी से और एक-ती परिस्थितियों में उन सबका विकास हुआ है । उनका सामाजिक जीवन, उनका रहन-सहन, उनके नेल-मुलाज्जाती और इष्ट-मित्र सत्र एक-से रहे हैं और शुरू में जिन दो क्रिन्मों के मध्यमवर्गी आदर्शों का वे प्रतिपादन करते थे, उनमें ऐसा कोई कहने लायक अन्तर न था । स्वभावगत और मानसिक नेदों ने उनको जुदा करना शुरू किया और वे मुल्ललिफ्त दिशाओं में देखने लगे । एक दल तो सरकार और धनी लोगों—ऊपरी मध्यमवर्ग के लोगों—की तरफ और दूसरा निम्न मध्यमवर्गियों की तरफ । विचार-धारा अब भी दोनों की एक-ती थी और व्यय में भी कोई फ़र्क नहीं था ।

४. स्त्राइन्स—यहूदी स्तृनिस्तर और उनके आचार-विचार के व्याख्याना ।

२ फेरिसियो—प्राचीन यहूदियों के एक दलवालों का नाम, जो प्रचन्नि रन्म-रिवाजों पर बृहता में जमे रहने के लिए मशहूर थे । इन्हीं लिए कड़वादी, धर्मन्वजी और पाखन्डी लोगों के लिए भी इस शब्द का प्रयोग होना है ।

३. काइन्नि का प्रतिद्ध वाक्य ।

लेकिन इस दूसरे दल के पीछे अब वाज्जारा, साधारण पेशेवर और बेकार पढे-लिखे लोगो का समुदाय आने लगा । इससे उसका स्वर बदल गया । उसमे वह अदब और शायस्तगी न रही, बल्कि उसका लहजा करारा और हमलावर होगया । कारगर ढंग से काम करने की ताकत तो थी नहीं, सो कडी जवान में उसे कुछ राहत मिल गई । इस नई परिस्थिति को देखकर डर के मारे माडरेट लोग कांग्रेस से खिसक गये और अकेले रहने में ही उन्होने अपने को सुरक्षित समझा । फिर भी ऊपरी मध्यम-वर्गियों का उसमें जोर था, हालाँकि, तादाद में निम्न मध्यमवर्गियों की प्रधानता थी । वे अपने राष्ट्रीय सग्राम में महत्त्व कामयाबी की इवाहिदा से ही नहीं आये थे, बल्कि इसलिए कि उस सग्राम में ही उन्हें सच्चा सतोप मिल जाता था । वे उसके द्वारा अपने खोये हुए स्वाभिमान और आत्म-सम्मान को फिर से प्राप्त करना और अपने तहस-नहस हुए गौरव को फिर से पूर्व पद पर प्रतिष्ठित करना चाहते थे । यो तो एक राष्ट्र-वादी के मन में सदा से ही ऐसी प्रेरणा उठती आई है और हालाँकि सभी के मन में उठती है, तो भी यही से नरम और गरम दोनों की स्वभावगत भिन्नता सामने आ गई । धीरे-धीरे कांग्रेस में निम्न मध्यमवर्गियों की प्रधानता होती गई और आगे चलकर किसानो ने भी उसे प्रभावित किया ।

ज्यो-ज्यो कांग्रेस ग्रामीण-जनता की अधिकाधिक प्रतिनिधि बनती गई त्यो-त्यो उसके और लिबरलो के बीच की खाई और-और चौडी होती गई यहाँ तक कि लिबरलो के लिए कांग्रेस के दृष्टिकोण को सम-क्षेता या उसकी कदर करना नामुमकिन हो गया । उच्चवर्ग के दीवान-खाने के लिए छोटी कुटिया या कच्चे झोपडे को समझना आसान नहीं है । फिर भी, इन मतभेदो के रहते हुए भी, दोनों की विचार-धारा राष्ट्रीय और मध्यमवर्गीय थी, जो कुछ फर्क था वह मात्रा का था, प्रकार

का नहीं। कांग्रेस में अखीर तक कितने ही ऐसे लोग रहे जो नरम-दल में बड़े मन्त्र से छपते और रहते।

कई पीढ़ियों से ब्रिटिश लोग हिन्दुस्तान को अपने छास मीठ व आराम का घर समझते आये हैं। वे ठहरे भद्र कुल के और उस घर के मालिक—उसके आवश्यक हिस्सों पर अपना कब्जा किये हुए—इधर हिन्दुस्तानियों के हवाले नौकरो को कोठरियाँ, सामान-घर और रनोई घर बनैरा किये गये। एक मुब्यवस्थित घर की तरह वहाँ नौकरो के कई दल्ले बधे हुए हैं—खानसामा, जमादार, रसोइया, कहार, बगैरा-बगैरा—और जनमें छोटे-बड़े का पूरा-पूरा खयाल रक्खा जाता है। लेकिन मकान के ऊपर और नीचे के हिस्सों में एक ऐसी जबरदस्त सामा-जिक और राजनैतिक आड लगा दी है जिसे पार करके कोई इधर-से-उधर जा ही नहीं सकता। ब्रिटिश सरकार का इस व्यवस्था को हमारे मिर पर छादे रहना तो किमी तरह आश्चर्यजनक नहीं है। मगर यह खरूर आश्चर्य की बात है कि हम या हममें से बहुतो ने खुद उसके सामने इस तरह से सिर झुका दिया है, गौया वह हमारे जीवन या भाग्य की कोई स्वाभाविक और अवज्यम्भावो व्यवस्था हो। हमने मकान के एक अच्छे नौकर का-सा अपना दिमाग बना लिया। कमी-कमी हमारी बडी इज्जत कर दी जाती है—दीवानखाने में चाय का एक प्याला हमें दे दिया जाता है। हमारी महत्त्वकासाओं की उच्चता होती है सम्मान-निन बनने तक, व्यक्तिगत रूप में ऊँचे दल्ले में चढा दिये जाने तक। अनमुच हथियारो और मूटनीति के द्वारा प्राप्ति की गई विजय से ब्रिटिशो की हिन्दुस्तान पर यह भानसिक विजय कहीं बढकर है। पुराने समझदारो ने कहा ही है कि 'गुप्तान गुलाम कौ-नी ही बात सोचने लगता है।'

अन जनाना मदद गया और अब न इरदंग में और न हिन्दुस्तान में मेट्र-नौवर वाली उन छादने सम्मता राजी-खुशी से मानी जाती है।

मगर फिर भी हममें ऐसे लोग हैं जो उन्हीं नौकरों की कोठरियों में पड़े रहने की स्वादिष्ट रखते हैं और अपनी सुनहरी जपरासी, पट्टी, बंदियों और बिल्लो पर नाज़ करते हैं। दूसरे कुछ लोग लिबरलों की तरह, उस सारे भवन को तो ज्यो-का-त्यो कायम रहने देना चाहते हैं; उसकी कारीगरी और उसकी सारी रचना की स्तुति करते हैं, लेकिन इस बात के लिए उत्सुक हैं कि धीरे-धीरे उसके मालिकों की जगह खुद उन्हें मिल जाय। वे उसे 'भारतीयकरण' कहते हैं। उनके लिए शासकों का रग बदल जाना या अधिक-से-अधिक नये शासक-मण्डल का बन जाना काफी है। वे एक नई राज्य-व्यवस्था की भाषा में कभी नहीं सोचते।

उनके लिए स्वराज के मानी हैं—और सब बातें ज्यो-की-त्यो चलती रहे, सिर्फ उसका काला रंग और गहरा कर दिया जाय। वे तो महज ऐसे ही भविष्य की कल्पना कर सकते हैं, जिसमें वे या उनके जैसे लोग सूत्र-संचालक रहे और अग्रज हाकिमों की जगह ले ले—जिसमें कि उसी तरह की नौकरियाँ, महकमे, धारा-सभायें, व्यापार, उद्योग और सिविल सर्विस अपना काम करती रहे। राजा-महाराजा अपनी जगह सुरक्षित रहे, कभी-कभी जर्क-वर्क पोशाक और जवाहरात से सजधज कर रियाया पर रीब गाँठते हुए दर्शन दिया करे, ज़मींदार एक तरफ विशेष रूप से अपना रक्षण चाहे और दूसरी तरफ काश्तकारों को परेशान करते रहे, साहूकार की तिजोरी भरी रहे, जो ज़मींदार और काश्तकार दोनों को तग करता रहे, वकील अपना मेहनताना पाते रहे और ईश्वर स्वर्गपुरी में बिराजता रहे।

हाँ, तो उनका दृष्टिकोण आवश्यक रूप से इसी बात पर आधार रखता है कि वर्तमान व्यवस्था चलती रहे। जो कुछ तब्दीलियाँ वे चाहते हैं वे व्यक्तिगत परिवर्तन कहे जा सकते हैं; और वे इन परिवर्तनों को ब्रिटिशों की सद्भावना से बूँद-बूँद करके कराना चाहते हैं। उनकी सारी

राजनीति और अर्थनीति की बुनियाद ब्रिटिश साम्राज्य की स्थिरता और दृढ़ता पर है। वे देखते हैं कि इन साम्राज्य की नींव हिल नहीं सकती, कम-से-कम बहुत समय तक, तो फिर वे उनके नाज़िर अपने को बनाते हैं और न केवल उनकी राजनैतिक और आर्थिक विचारधारा को ही ग्रहण करते हैं, बल्कि बहुत हद तक उनके उन नैतिक आदर्शों को भी अपनाते हैं, जो कि ब्रिटिश प्रभुत्व को कायम रखने के लिए बनाये गये हैं।

लेकिन कांग्रेस का सब मूल से ही भिन्न है, क्योंकि वह एक नई राज्य-व्यवस्था का निर्माण करना चाहती है, न कि महज एक दूसरा शासन-मण्डल बनाना। उन नई व्यवस्था का बड़ा स्वल्प होगा इसके स्पष्ट धारणा एक औसत कांग्रेसी के दिमाग में आज नहीं है और इनके बारे में राय भी अलग-अलग हो सकती है। मगर कांग्रेस में शायद माइरेट विचार के सब लोग इन बात को मानते हैं, कुछ इने-गिने लोगों को छोड़कर, कि मौजूदा अवस्था और तरीके कायम नहीं रह सकते और न रहने चाहिएँ और बुनियादी सबदीलियाँ लाज़िमी हैं। यही फर्क है डोमोनियन स्टेट्स—औपनिवेशिक स्वराज्य—और पूर्ण स्वाधीनता में। पहला उसी पुराने ढांचे को दृष्टि में रखता है, जो हमें ब्रिटिश अर्थ-व्यवस्था के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष बहुतेरे बन्बनो से बाँधे हुए है, और दूसरा हमें अपनी परिस्थितियों के अनुकूल एक नया ढाँचा खड़ा करने की स्वतंत्रता देता है, या उसे देना चाहिए।

यह इंग्लैण्ड या अग्रेज लोगों से अलग दृष्टि रखने का या हर तरह से उनसे सम्बन्ध हटा लेने का सवाल नहीं है। परन्तु जो कुछ हो चुका है उसीकी तरह मगर इंग्लैण्ड और हिन्दुस्तान में बैमानत्य बना रहा तो उनका झुंझती नतीजा यही होगा। कविधर रवीन्द्रनाथ ठाकुर कहते हैं कि “सत्ता का अनादीपन ताले की कुंजी को तो खराब कर देता है और फिर उसकी जगह गैती से काम लेता है।” हाँ, हमारे दिलो

की गुंजी तो कभी की टूट-फूट चुकी है और गेतियो का जो भरपूर उपयोग हमपर किया गया है उनमें हमें अंग्रेजों का तरफदार नहीं बनाया । लेकिन यदि हम भारतवर्ष और मानव-जाति के व्यापक हितों की सेवा करने का दावा करते हैं, तो हम अपने को क्षणिक विकारों और भावनाओं में नहीं बहने दे सकते, और चाहे हम उस तरफ झुक भी जायें तो गांधीजी ने जो १५ साल तक हमको कड़ी तालीम दी है वह हमें उससे रोक लेगी । यह मैं एक ब्रिटिश जेलखाने में बैठकर लिख रहा हूँ, महीनों से मेरा दिमाग चिन्ताकुल है और इधर मुझपर जेल में जो कुछ बीती है, उससे कहीं ज्यादा कष्ट मैंने इस तनहाई में सहे हैं । कई घटनाओं के अवसरों पर विरोध और नाराजगी से मेरा दिल अस्तर भर गया है, लेकिन फिर भी यहाँ बैठा हुआ जब मैं अपने दिल और दिमाग की गहराई को टटोलता हूँ तो उसमें कहीं भी इंग्लैण्ड या अंग्रेजों के प्रति रोष या द्वेष नहीं दिखाई पड़ता । हाँ, मैं ब्रिटिश साम्राज्यवाद को नापसन्द करता हूँ और हिन्दुस्तान पर उसके छाप दिये जाने से मैं नाराज हूँ । मुझे पूँजीवादी प्रणाली नापसन्द है । ब्रिटेन के शासकवर्ग हिन्दुस्तान का जिस तरह शोषण कर रहे हैं उसे मैं ज़रा भी पसन्द नहीं करता और 'उसपर' मुझे रोष है । मगर मैं कुल मिलाकर इंग्लैण्ड या अंग्रेजों को इसके लिए ज़िम्मेदार नहीं ठहराता, और अगर मैं ऐसा कहूँ भी तो उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सारी जाति पर नाराज होना या उसकी निन्दा करना ज़रा बेवकूफी की ही बात है । वे भी उसी तरह परिस्थितियों के शिकार बन गये हैं जैसे कि हम ।

मैं खुद तो अपनी मनोरचना के लिए इंग्लैण्ड का बहुत ऋणी हूँ । इतना कि उसके प्रति ज़रा भी परायेपन का भाव नहीं रख सकता और मैं जो चाहूँ कहूँ, लेकिन मैं अपने मन के उन सस्कारों से और दूसरे

देशों के और आन्तौर पर जीवन के बारे में विचार करने की पद्धतियों और आदर्शों से, जो नैन इन्सैन्ड के स्कूल और कालेजों में प्राप्त किये हैं, मुक्त नहीं हो सकता। राजनैतिक योजना को छोड़ दें, तो मेरा सारा पूर्वानुराग इन्सैन्ड और अग्रेज लोगों की ओर दीडता है, और अगर मैं हिन्दुत्वान में अग्रेजी शासन का 'जुट्टर विरोधी' बन गया हूँ तो मेरी अपनी स्थिति ऐसी होती हुए जो ऐसा हुआ है।

हम जिस पर ऐतराज करते हैं और जिसके साथ हम कभी राजी-खुशी से समझौता नहीं कर सकते वह अग्रेजों का शासन है, आधिपत्य है, न कि अग्रेज लोग। हम शीक ने अग्रेजों से और दूसरे विदेशियों से धनिष्ठ सम्पर्क वाँचे। हम हिन्दुत्वान में ताकी हवा चाहते हैं, ताका और चेतनामय विचार और स्वास्थ्यकर सहयोग चाहते हैं, क्योंकि हम समाने से बहुत पीछे पड़ गये हैं। लेकिन अगर अग्रेज धेर बनकर यहाँ आते हैं तो वे हमसे दोस्ती या सहयोग की कोई उम्मीद नहीं रख सकते। साम्राज्यवाद के धेर का तो यहाँ प्राण-मप ने मुक्काबिला किया जायगा और आज हमारे देश का उत्ती महान् शूर पद्य से पाला पडा है। जगल के लन गुरु धेर को पाल लेना और बर्मानूत कर लेना समब हो सकता है, लेकिन पूर्ववाद और साम्राज्यवाद को, जब कि ये दोनों मिलकर एक लमने देश पर दूट पडे हैं, पालनू बना लेना किमी भी तरह मुमकिन नहीं है।

किमी का यह कहना कि वह या समका देश किमी ने समझौता नहीं करेगा, एक तरह से बेचकूती की बात है, क्योंकि जीवन हमेशा हमने समझौता बनाया है, और जब दूसरे देश या वहाँ के लोगों पर यह बात लागू की जाती तो तब तो यह बिन्दुल ही बेचकूती की बात है। लेकिन जब यह किमी बनाने या किमी का लन हायतों के लिये कहा जाता है तो हमसे कुछ शर्तें होती हैं और किसी देश में समझौता करना मनुष्य

की शक्ति के बाहर हो जाता है। भारतीय स्वाधीनता और ब्रिटिश साम्राज्यवाद ये दोनों परस्पर बेमेल हैं और न तो फौजी कानून और न दुनियाभर की ऊपरी चिकनी-चुपड़ी बातें ही उन्हें एकसाथ मिला सकती हैं। सिर्फ ब्रिटिश-साम्राज्यवाद का हिन्दुस्तान से हट जाना ही एक ऐसी चीज है जिससे सच्चे भारत-ब्रिटिश-सहयोग के अनुकूल अवस्थायें पैदा हो सकेंगी।

हमसे कहा जाता है कि आज की दुनिया में स्वाधीनता एक सकुचित ध्येय है, क्योंकि दुनिया अब दिन-दिन परस्परश्रित होती जा रही है। इसलिए मुकम्मिल आजादी की माँग करके हम घड़ी का काटा पीछे घुमा रहे हैं। लिबरल और शान्तिवादी, यहाँ तक कि ब्रिटेन के समाजवादी कहलानेवाले भी, इस दलील को पेश करके हमें अपने सकुचित उद्देश पर लताडते हैं और साथ ही यह कहते हैं कि पूर्ण राष्ट्रीय जीवन का मार्ग तो 'ब्रिटिश राष्ट्र-संघ' में से होकर गुजरता है। यह अजीब-सी बात है कि इंग्लैण्ड में तमाम रास्ते, लिबरलवाद, शांतिवाद, समाजवाद वगैरा, साम्राज्य को कायम रखने की ओर ही ले जाते हैं। ट्राटस्की कहता है—“शासक-राष्ट्र की प्रचलित व्यवस्था को कायम रखने की अभिलाषा अक्सर 'राष्ट्रवाद' से श्रेष्ठ होने का जामा पहन लेती है, ठीक उसी तरह, जैसे विजेता राष्ट्र की अपनी लूट के माल को न छोड़ने की अभिलाषा आसानी से शांतिवाद का रूप धारण कर लेती है। इस तरह मैकडानल्ड गाँधी के आगे ऐसा महत्सूच करता है मानो वह कोई अन्तर्राष्ट्रीयता का हामी है।’

में नहीं जानता हूँ कि हिन्दुस्तान जब राजनैतिक दृष्टि से आजाद हो जायगा तो किस तरह का होगा और वह क्या करेगा? लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि उसके लोग जो आज राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के हामी हैं, वे व्यापक-से-व्यापक अन्तर्राष्ट्रीयता के भी हिमायती हैं। एक

समाजवादी के लिए राष्ट्रीयता का कोई अर्थ ही नहीं है, लेकिन बहुतेरे काँग्रेसी, जो समाजवादी नहीं हैं लेकिन भागे बड़े हुए हैं, वे पक्की अन्तर्राष्ट्रीयता के उपासक हैं। स्वाधीनता हम इसलिए नहीं चाहते कि हमें मकाने बटकर अलग-अलग रहने की त्वाहिश है। इनके विरुद्ध हम तो विलकुल राखी हैं कि और देशों के साथ-साथ अपनी स्वाधीनता का भी कुछ हिस्सा छोड़ दें कि जिससे सच्ची अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था बन सके। कोई भी साम्राज्य-प्राणाली चाहे उनका नाम कितना ही बड़ा रख दिया जाय ऐसी व्यवस्था की वृष्मन ही है और ऐसी प्रणाली के द्वारा विश्वव्यापी महयोगिता या शक्ति कभी न्यापिन नहीं हो सकनी।

इस हाल में जो घटनायें हुई हैं उन्होंने सारी दुनिया को बताना दिया है कि कैसे विभिन्न साम्राज्यवादी प्रणालियाँ स्वाधीनता और आर्थिक साम्राज्यवाद के द्वारा अपने-आपको सबसे बुरा कर रही हैं। अन्तर्राष्ट्रीयता की बटती के बजाय हम उसका उलटा ही देख रहे हैं। इसके कारणों को खोजना मुश्किल नहीं है। वे नीबूदा अर्थव्यवस्था की बढती हुई अनबोरी को जाहिर करने हैं। इस नीति का एक नतीजा यह हुआ है कि एक ओर जहाँ वह स्वाधीनता के क्षेत्र के अन्दर ज्यादा सहयोग पैदा करती है वहाँ दूसरी ओर वह दुनिया के दूसरे हिस्सों से वह अपने को अलग कर लेती है। हिन्दुस्तान को ही लीजिए। हमने ओटावा-सम्मन्धी तथा दूसरे निर्णयों से यह देख लिया है कि दूसरे देशों से हमारा सम्पर्क और दिग्गम दिन-दिन कम होता चला जा रहा है। हम पहले से भी ज्यादा रिट्रिग उद्योग-धन्धों के आश्रित हो रहे हैं और, इससे कई बानों में जो तात्कालिक नुकसान हुए हैं उनको अलग रखें तो भी, इस नीति से पैदा होनेवाले नुनरं स्पष्ट हैं। इस प्रकार 'टोमिनियन स्टेट्स' हमें व्यापक अन्तर्राष्ट्रीय सम्पर्क की ओर ले जाने के बजाय दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में बँटाना देना है।

लेकिन हमारे हिन्दुस्तानी लिबरल बोस्त दुनिया को और खास करके खुद अपने मुल्क को असली नीले रंग के ब्रिटिश चश्मे से देखने की एक बिलक्षण सहज शक्ति रखते हैं। इस बात को समझने की कोशिश किये वगैर ही कि काँग्रेस क्या कहती है और वह ऐसा क्यों कहती है, वे उसी पुरानी ब्रिटिश दलील को दोहराते रहते हैं कि औपनिवेशिक स्वराज की अपेक्षा पूर्ण स्वाधीनता का आदर्श कहीं सकीर्ण और नैतिक उत्थान की दृष्टि से कम हितकारी है। उनके नजदीक तो अन्तर्राष्ट्रीयता के मानी हवाईट-हॉल होते हैं, क्योंकि उनको दूसरे देशों का तो कुछ पता ही नहीं है। इसका कुछ कारण तो भाषा-सम्बन्धी दिक्कत है, मगर उससे भी ज्यादा कठिनाई यह है कि उन्हें उनकी अपेक्षा करने में ही सन्तोष है। और हिन्दुस्तान में तो वे किसी भी किस्म की उग्र राजनीति या 'सीबे हमले' के खिलाफ हैं। मगर यह देखकर कुतूहल होता है कि उनके कुछ नेताओं को, अगर दूसरे देशों में ये तरीके अख्तियार किये जायें, तो कोई ऐतराज नहीं होता। वे दूर रहकर ही उनकी कदर और इज्जत कर सकते हैं और पश्चिमी देशों के कुछ मौजूदा डिक्टेटर्स को तो उनका मानसिक पूजा-सत्कार भी प्राप्त है।

नामों से धोखा हो सकता है। मगर हमारे सामने हिन्दुस्तान में तो असली सवाल यह है कि हम एक नई राज्य-रचना करना चाहते हैं, या सिर्फ एक नया शासक-मंडल बनाना चाहते हैं? लिबरलो का जवाब स्पष्ट है। वे पिछली बात से ज्यादा कुछ नहीं चाहते और वह भी उनके लिए तो एक दूरवर्ती और क्रम-क्रम से प्राप्त होनेवाला आदर्श है। 'औपनिवेशिक स्वराज्य' (डोमिनियन स्टेट्स्) का जिक्र अबतक कई बार किया गया है। मगर उनका असली उद्देश्य फिलहाल तो 'केन्द्रीय उत्तर-दायित्व' इन गूठ शब्दों द्वारा प्रकट किया गया है। सत्ता, स्वाधीनता, आजादी, स्वतन्त्रता आदि उनके जोरदार मन्त्र उनके लिए नहीं हैं।

उन्हें तो ये स्तरनाक मालूम होने हैं। एउ वकील जी भाग्य और नगीचे उन्हें ज्यादा जँचते हैं—चाहे नये ही बहू-न-नमाज को वे सन्मार्तिन न करते हो। इतिहास में ऐसी अनगिनती भिन्नाले मिलनी हैं कि जहाँ व्यक्तियों और सनूहों ने अपने निदानों जीर अपनी आजादी के लिए खतरों का मुक़ाबिला किया है और अपनी जान जोखिम में लगी है। मगर यह सन्देशास्पद दिनाई देना है कि 'केन्द्रीय उत्तरदायित्व' या ऐंसे किनी दूसरे जानूनी शब्दों के लिए कोई जान-बूझकर एक बार नाना छोड देना या अपनी नींद हराम करेगा।

यह तो है उनका लक्ष्य और इनको भी पाना है 'मीचे हमले या और किनी उग्र उपाय ने नहीं, मगर जैसा कि श्री श्रीनिवान शास्त्री ने कहा है—'समझदारों, अनुभव, नरमी, नमसाने-बुझाने की शक्ति, चुपचाप प्रभाव और असली कार्यदक्षता' का परिचय देकर। यह आशा की जाती है कि हमारे इन मद्ध्यवहार और सत्कार्य के द्वारा हम अन्त में जाकर अपने शासकों को इस बात के लिए राजी कर सकेंगे कि वे अपने अधिकार छोड दें। दूसरे शब्दों में वे हमारा विरोध इनीलिए करते हैं कि या तो वे हमारे आक्रमणात्मक रव ने चिते हुए हैं या उन्हें हमारी समता पर शक है, या इन दोनों बातों के कारण। साम्राज्यवाद और हमारी मौजूदा न्यति का यह कैसा नीला-भाला विश्लेषण है। मगर प्रोफ़ेसर आर० एच० टॉनी नामक एक विद्वान् अंग्रेज-लेखक ने क्रम-क्रम से और शासक वर्ग के सहयोग से सत्ता पाने के विचार के सम्बन्ध में बहुत उचित और हृदयार्पक भाषा में अपने प्रभाव प्रकाशित किये हैं। उन्होंने तो ब्रिटिश लेबरपार्टी को ध्यान में रखकर लिखा है, लेकिन उनके शब्द हिन्दुस्तान पर और भी ज्यादा लागू होते हैं, क्योंकि इंग्लैण्ड में क्रम-ने-क्रम लोकनशासनक सत्कार्यें तो हैं जहाँ बहुमत की इच्छा, सिद्धान्त-रूप में तो, अपना प्रभाव डाल सक्ती है। प्रोफ़ेसर टॉनी लिखते हैं—

“प्याज का एक-एक छिलका उतारकर खाया जा सकता है, लेकिन आप एक खिन्दा भेर के एक-एक पजे की खाल नहीं उतार सकते। जीते की चीरफाड़ करने का काम तो भेर का है और खाल को पहले उतारने-वाला वह होता है • ”

अगर कोई ऐसा देश है कि जहाँ के विशेषाधिकार पाये हुए वर्ग निरे बुद्ध हो तो कम-से-कम इंग्लैण्ड वह नहीं है। यह खयाल गलत है कि लेबरपार्टी यदि चतुराई और सौजन्य से अपना पक्ष उपस्थित करे तो इममे वे इस धोखे में आजायेंगे कि वह उनका भी पक्ष है। यह उतना ही निरर्थक है जितना कि किसी चलते पुर्जे कानून-दा को झासा देकर उस मिलकियत को हथिया लेना, जिसका कि हकनामा उसके नाम है। श्रीमन्तशाही में ऐसे हरदिल अजीब, चालाक, प्रभावशाली, आत्म-विश्वासी और बहुत दब जाने पर न्याय-नीति की पर्वा न करने वाले लोग हैं, जो अच्छी तरह जानते हैं कि रोटी किधर से चुपड़ी जा रही है और जो चुपडने के घी में कमी कमी होने देना नहीं चाहते। अगर उनकी स्थिति को गहरा धक्का लगने की आशका होती है तो वे राज-नैतिक और आर्थिक शतरज के हरेक मोहरे से काम लेने पर उतारु हो जाते हैं। हाउस आफ लॉर्ड्स, सम्राट्, अख्तवार, फौज, आर्थिक प्रणाली—इनमें से प्रत्येक साधन का उचित-अनुचित उपयोग किये बिना वे न रहेंगे। आवश्यकता पडने पर वे अन्तर्राष्ट्रीय उलझने भी पैदा कर सकते हैं और जैसा कि १९३१ में पीण्ड की विनिमय दर गिराने के लिए की गई चेष्टायो में साबित होता है, वे अन्य देश की शरण लेनेवाले राजनैतिक भगोडो की तरह अपनी जेब की रक्षा करने के लिए अपने देश का भी गला कटवा सकते हैं।

ब्रिटिश लेबरपार्टी का जोरदार संगठन है। उसके पीछे कई ट्रेड यूनियने, जिनके लाखो चन्दा देने वाले मेम्बर हैं, सहयोग-सम्मितियो का

एक बहुत समुन्नत नगठन तथा पेशेवर वर्गों के बहुत-से मेम्बर और हृदय लोग हैं। ब्रिटेन में बालिग मताधिकार पर आधार रखनेवाली कई लोक-सत्री पार्लियेण्टरी नस्यार्ये हैं और वहाँ बरसो से नागरिक स्वतंत्रता की परम्परा चली आ रही है। लेकिन इन सब बातों के होते हुए भी मि० टॉनी की यह राय है—और हाक की घटनाओं ने उनको सही साबित कर दिया है—कि खेवरपार्टी खाली मुस्कराकर और ममशा-बुझाकर जमली हुकूमत पाने की उम्मीद नहीं कर सकती। हालाँकि इन दोनों साधनों का प्रयोग करना लाभप्रद और वाञ्छनीय जरूर है। टॉनी माहूद तो यहाँ तक कहते हैं कि अगर कॉमन-सभा में मखदूर-दल का बहुमत होजाय तो भी विशेष लाभ-प्रद वर्गों के मुकामिले में वह कोई भी आमूल परिवर्तन नहीं कर सकेंगी, क्योंकि उनके हाथ में आब किनारी ही राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, औद्योगिक तथा राजस्व-सम्बन्धी जबरदस्त ताकतें अपनी हिफाजत के लिए हैं। यह बताने की जरूरत नहीं है कि हिन्दुस्थान में परिस्थितियाँ बिल्कुल दूसरी तरह की हैं। न तो यहाँ लोकन्यायिक नस्यार्ये ही हैं और न ऐसी परम्पराएँ ही। अपने बजाय, यहाँ आडिनेल्लो और तानाशाही हुकूमत का और बोलने, लिखने, सना करने और अज्ञानों की आजादी को कुचलने का खामा निबाह पड़ा हुआ है, और न लिबरलो का यहाँ कोई खाना मखदूर नगठन है। ऐसी हालत में उन्हें अपनी मधुर मुस्कान का ही महारा रह जाना है।

लिबरल लोग अवेध का 'शिरकातनी' कारवाइयो के सट्टे खिलाफ हैं, लेकिन जिन देशों का शिवाल श्योरनन्यात्मक है वहाँ 'वेध' शब्द का अर्थ अर्थ होता है। हमने जानून बनाने का अधिकार आजाना है, का अर्थान्यायो के अर्थ रहता है, कायकारिणी को अन्दिश में रहना है, हमने राजनीतिक और आर्थिक उद्योग में परिवर्तन करने के लिए

लोकतन्त्रात्मक साधनों की गुंजाइश रहती है, लेकिन हिन्दुस्तान में ऐसा कोई विधान नहीं है, और यहाँ विधान के अर्थ भी इस तरह के नहीं हैं। उसका यहाँ इस्तमाल करना एक ऐसे भाव को ला विठाना है जिसके लिए आज के हिन्दुस्तान में कोई जगह नहीं है। और आश्चर्य के साथ कहना पड़ता है कि यहाँ 'वैध' शब्द का प्रयोग अक्सर कार्यकारिणी के बहुत-कुछ मानमाने कार्यों के समर्थन में किया जाता है, या दूसरी तरह उसका 'कानूनी' के भाव में व्यवहार किया जाता है। इससे तो यह कही बेहतर है कि हम कानूनी और गैरकानूनी शब्दों का हो व्यवहार करे, हालाँकि वे काफी गोलमोल हैं और समय-समय पर उनका अर्थ बदलता रहता है।

नये-नये आर्डिनेन्स या नये-नये कानून नये-नये जुर्मों को पैदा करते हैं। उनके अनुसार किसी सभा में जाना जुर्म हो सकता है, इसी तरह साइकिल पर सवार होना, खास किस्म के कपड़े पहनना, शाम के बाद घर के बाहर निकलना, पुलिस को रोज अपनी रिपोर्ट न देना, ये सब तथा दूसरी कई बातें आज हिन्दुस्तान के किसी हिस्से में जुर्म समझी जाती हैं। एक काम वैध के एक हिस्से में जुर्म समझा जा सकता है और दूसरे में नहीं। जब एक गैर-जिम्मेदार कार्यकारिणी के द्वारा ऐसे कानून थोड़े-से-थोड़े नोटिस पर बना दिये जा सकते हैं, तब 'कानूनी' शब्द के मानी कार्यकारिणी की इच्छा के सिवा और क्या हो सकते हैं? मामूली तौर पर तो इस इच्छा का पालन ही किया जाता है, चाहे राजी से हो चाहे

१. श्री० सी. वाई. चिन्तामणि ने, जो कि एक नामी लिबरल नेता और 'लीडर' के प्रधान संपादक हैं, युक्तप्रान्त की कौन्सिल में पार्लमेंटरी ज्वान्ट सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट पर टीका करते हुए खुद इस बात पर जोर दिया था कि हिन्दुस्तान में किसी भी किस्म के वैध शासन का अभाव है—“भविष्य में अधिक प्रतिगामी और उससे भी ज्यादा अवैध सरकार को मजूर करने की बनिस्वत तो बेहतर है कि हम मौजूदा अवैध सरकार को ही लिये बैठे रहे।”

वेमन से। क्योंकि उसके भग करने का परिणाम दुःखदायी होता है। पर किसी घटस का यह कहना कि मैं नया ही उनका पालन करता रहूँगा, मानो तानाशाही या ग़रबिज्मेदार हुकूमन के सामने मव तरह से मिर झुका देना है, अपनी आत्मा को देच देना है और अपनी प्रकृतियों के लिए आजादी को असम्भव बना देना है।

हरेक लोकतन्त्रात्मक देश में महज इम बात पर विवाद खडा हो रहा है कि मौजूदा वैधानिक तन्त्र के द्वारा नामूर्लीतौर पर आमूल आर्थिक परिवर्तन किये जा सकते हैं या नहीं? बहुतेने लोगो की राय है कि ऐसा नहीं हो सकता, इसके लिए कोई-न-कोई असाधारण और घनतिकारी उपाय काम में लाने होंगे। लेकिन जहाँतक हमारे हिन्दुस्तान का ताल्लुक है, इम प्रश्न पर बहन करना कोई अर्थ नहीं रखता। ऐसा वैधानिक साधन ही नहीं है जिनके बल पर हम अपनी इच्छा का परिवर्तन करा सके। यदि श्वेत-पत्र या वैसा ही कोई चीज कानून बन गई तो बहुते-नी दिशाओ में वैधानिक प्रगति बिलकुल रुक जायगी। ऐसी दशा में सिवा क्रान्ति या ग़ैरकानूनी कार्रवाई के और कोई चारा ही नहीं रह जाता। तब हमें करना क्या चाहिए? क्या परिवर्तन की सब आशाओ को तिलाञ्जलि देकर भाग्य के भरोसे बैठे रहे?

हिन्दुस्तान में तो आज परिस्थिति और भी बिपन्न हो गई है। कार्यकारिणी हर क्रिस्म के सार्वजनिक कामो पर रोक या बदिश लगा सकती है और लगाती ही है। उसकी राय में जो भी काम उसके लिए खतरनाक है, वह मना कर दिया जाता है। इस तरह हरेक कारगर सार्वजनिक काम बन्द कर दिया जा सकता है, जैसा कि पिछले तीन साल तक बन्द कर दिया गया था। इसको मानने के मानी हैं तमान सार्वजनिक कामो को छोड देना। और इस स्थिति को सह उना किसी तरह मुमकिन नहीं है।

यह कोई नहीं कह सकता कि वह हमेशा और बिला नागा कानून के मुताबिक ही काम करेगा । लोकतन्त्रीय-राज्य में भी ऐसे मौके पैदा हो सकते हैं जब किसीको उसकी अतरात्मा उसके खिलाफ चलने के लिए मजबूर करदे फिर उस देश में तो जहाँ स्वेच्छाचारी या निरकुण्ठ शासन हो, ऐसे मौके और भी बार-बार आ सकते हैं । वास्तव में ऐसे राज्य में कानून के लिए कोई नैतिक आचार नहीं रह जाता है ।

लिबरल लोग कहते हैं—“सीधा हमला तानाशाही से मेल खाता है, न कि लोकतन्त्र से, और जो लोकतन्त्र की विजय चाहते हैं उन्हें सीधे हमले से दूर ही रहना चाहिए ।” यह तो एक प्रकार का गलत सोचना और गलत लिखना हुआ । वाज बक्त सीधा हमला—जैसे मजदूरों की हड़ताल—भी कानूनी हो सकता है । मगर यहाँ उनकी मन्वा गायद राजनैतिक काम से है । जर्मनी में, जहाँ कि हिटलर का बोलवाला है, आज क्या किया जा सकता है ? या तो चुपचाप सिर झुका दो, या गैरकानूनी और क्रान्तिकारी काम करो । वहाँ लोकतन्त्र से काम कैसे चल सकता है ?

हिन्दुस्तानी लिबरल अक्सर लोकतन्त्र का नाम तो लिया करते हैं, लेकिन उनमें से अधिकांश उसके पास फटकने तक की इच्छा नहीं रखते । सर पी० एस० शिवस्वामी ऐयर ने, जो एक बहुत बड़े लिबरल नेता हैं, मई, १९३४ में कहा था—“विधान निर्मात्री सभा के आयोजन की पैरवी करते हुए कांग्रेस जन-समूह की समझदारी पर ज़रूरत से ज्यादा भरोसा रखती है और उन लोगों की सचाई और योग्यता के साथ बहुत कम न्याय करती है, जिन्होंने कि भिन्न-भिन्न गोलमेज-कान्फ़ेन्सों में भाग लिया है । मुझे तो इस बात में बड़ा शक है कि विधान निर्मात्री सभा का मतीजा इससे अच्छा हुआ होता ।” इस तरह सर शिवस्वामी ऐयर की लोकतन्त्र-सवधी धारणा ‘जन-समूह’ से कुछ

बलग है, और ब्रिटिश सरकार के नामजद 'सच्चे और योग्य' लोगों के जनघट में ज्यादा अच्छी तरह समा जाती है। आगे चलकर वह ध्वेत-पत्र को अपना आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि, यद्यपि वह उत्तरे "पूरी तरह सतुष्ट नहीं है," "तो भी देश को उमका नोलहो आना विरोध करना ममसदारी का काम न होगा।" तो जब ऐसा कोई सबब नहीं दिखाई देता कि क्यों न ब्रिटिश सरकार और मर पी० एम० शिवस्वामी ऐयर में पूरा-भूरा सहयोग हो।

कार्गिल के द्वारा नविनय भग के वापस लिये जाने का स्वागत लिबरलो की ओर से होगा क्रुदरती ही था। और इसमें भी कोई ताज्जुब की बात नहीं है जो वे इन बात में अपनी समसदारी मानें कि उन्होंने इस "मूर्खतापूर्ण और गलत आन्दोलन में अपने को अलग रक्ता। वे हमने कहने हैं— "हमने पहले ही ऐसा कहा था न?" लेकिन यह एक बर्जीब दनोल है। क्योंकि जब हम कनर कसकर खडे हुए एक करारी लडाई लडी और हम गिर पडे इनपर से हमें यह नसीहत दी जाती है कि खटा होना ही गलत था। पेट के बल रेंगना ही सबसे अच्छी और निरापद बात है। क्योंकि, उन पडे रहने की हालत से गिरना या गिरा दिया जाना बिलकुल नामुमकिन है।

: ५३ :

हिन्दुस्तान—पुराना और नया

यह ग्यामागि और दामिनी बात थी कि हिन्दुस्तान में राष्ट्रवाद सिद्धी टुल्लन का विरोधी है। अगर फिर भी यह बिनने कुतूहल की बात है कि इनके अन्तर्गत पटे-सिद्धी को १९ वीं सदी के अन्त तक, जग में या अन्तर्गत में, ग्यामागि के ब्रिटिश आदर्श में दिग्दाम करने के।

वही उनकी दलीलो का आधार होता था और उसके कुछ बाहरी लक्षणों पर ही वे नुक्ताचीनी करके सतुष्ट हो जाते थे। स्कूलों और कॉलेजों में इतिहास, अर्थशास्त्र या जो भी दूसरे विषय पढाये जाते थे वे ब्रिटिश साम्राज्य के दृष्टिकोण से लिखे होते थे और उनमें हमारी पिछली और मौजूदा बहुरेती बुराइयों और अंग्रेजों के सद्गुणों और उज्वल भविष्य पर जोर दिया रहता था। हमने उनके इस तोड़े-मरोड़े वर्णन को ही कुछ हद तक मान लिया और अगर कहीं हमने उसका सहज स्फूर्ति से प्रतिकार किया तो भी उसके असर से हम न बच सके। पहले-पहल तो हमारी बुद्धि उसमें से निकल ही नहीं सकती थी, क्योंकि हमारे पास न तो दूसरे वाक्यात थे और न दलीले। इसलिए हमने धार्मिक राष्ट्रवाद और इस विचार की क्षरण ली, कि कम-से-कम धर्म और तत्त्वज्ञान के क्षेत्र में कोई जाति हमसे बढकर नहीं है। हमने अपनी इस बदवह्ती और गिरावट में भी इस बात से तसल्ली की कि यद्यपि हमारे पास पश्चिम की बाहरी चमक-बमक नहीं है तो भी हमारे पास अन्दर की चीज है जो कि उससे कहीं ज्यादा कीमती और रहने लायक निधि है। विवेकानन्द और दूसरों ने तथा पश्चिमी विद्वानों ने हमारे पुराने दर्शनशास्त्रों में जो दिलचस्पी ली उसने हमें कुछ स्वाभिमान प्रदान किया और अपने भूत-काल के प्रतिअभिमान का जो भाव मुरझा गया था उसे फिर से लहलहा दिया।

धीरे-धीरे हमारी पुरानी और मौजूदा अवस्था के सम्बन्ध में अंग्रेजों के बयानों पर हमें शक होने लगा और हम बारीकी से उनकी छान-बीन करने लगे। मगर तब भी हम उसी ब्रिटिश विचारावली के घेरे में ही सोचते और काम करते थे। अगर कोई चीज खराब होती तो वह अब्रिटिश कहलाती थी। यदि किसी अंग्रेज ने हिन्दुस्तान में खराब बर्ताव किया तो वह उसका कूसूर समझा जाता था, उस प्रणाली का नहीं।

लेकिन इस छान-बीन के द्वारा हिन्दुस्तान में ब्रिटिश-शासन-सम्बन्धी जो सामग्री हाथ लगी और जो चरह हुआ उनमें, लेखकों का दृष्टिकोण माइकेल रहते हुए भी, एक आन्तिकारी हेतु को निद्र किया और हमारे राष्ट्रवाद को राजनैतिक और आर्थिक पाये पर खड़ा कर दिया। इस तरह दादानाई नौरोजी की 'पावर्टी एण्ड अन-ब्रिटिश रूल इन इण्डिया' और रमेशचन्द्र दत्त, विलियम डिंगो आदि की किताबों ने हमारे राष्ट्रीय विचारों के विकास में एक आन्तिकारी काम किया। भारत के प्राचीन इतिहास के सम्बन्ध में आगे चलकर जो और खोज हुई उसने तो बहुत प्राचीन काल की उच्च सभ्यता के टूटनेवाले युगों का वर्णन हमारे सामने ला दिया और हम बड़े स्तब्ध के साथ उन्हें पढ़ते हैं। हमें यह भी पता लगा कि अंग्रेजों के लिखे इतिहासों ने हिन्दुस्तान में अंग्रेजों के कारनामों के बारे में हमारे मन में जो धारणा बन गई थी उसने उलटते ही उनके कारनामों के हैं।

इन इतिहास, व्यंग्यान्त्र और भारत में उनकी शासन-व्यवस्था-सम्बन्धी उनके वर्णनों की उत्तरोत्तर चुनौती देने लगे। अगर फिर भी हम जान लेंगे उन्हें जो विचारधारा के क्षेत्र में करते थे। उन्नीसवीं सदी के आखिर तक हिन्दुस्तानी राष्ट्रवाद की कुछ मित्राकर बनीं हालत रही। आज लिखर दत्त का, इमरु और छोटे-छोटे दलों का और कुछ नरम बर्तनियों का भी, जो नायकता में कमी-कमी आगे बढ़ जाते हैं लेकिन विचार की दृष्टि में अभी भी उन्नीसवीं सदी में रह रहे हैं, यही हाल है। यही सत्य है कि एक निद्रक हिन्दुस्तान की आजादी के भाव ग्रहण करने में समर्थ है, क्योंकि ये दोनों चीजें मूलतः अनमोल हैं। वह आजादी है कि सम्बन्धित में उन्हें पढ़ें पर पहुँचना चला जाऊँगा और

वन जायगा और ब्रिटिश फौज जरूरत के वक्त उसकी रक्षा करने के लिए, विना ज्यादा दखल दिये, किसी कोने में पडी रहेगी। साम्राज्यान्तर्गत औपनिवेशिक स्वराज्य—डोमीनियन स्टेट्स—से उसका यही मतलब है। यह एक विलकुल वाहि्यात बात है जो कभी पार नहीं पड सकती, क्योंकि अँग्रेजो-द्वारा रक्षित होने की कीमत है हिन्दुस्तान की गुलामी। यदि यह मान भी ले कि एक महान देश के आत्म-सम्मान को यह गिरानेवाला न हो तो भी हम दही और मही दोनों एक साथ नहीं खा सकते। सर फ्रेडरिक व्हाइट, जिन्हे भारतीय राष्ट्रवाद का पक्षपाती नहीं कह सकते, अपनी एक नई किताब 'दी फ्यूचर ऑफ ईस्ट एण्ड वेस्ट' में लिखते हैं—“वह (हिन्दुस्तानी) अब भी यह मानता है कि जब कभी सर्व-नाश का दिन आयेगा तो इंग्लैण्ड उसके और सर्वनाश के बीच में आकर खडा होजायगा, और जबतक वह इस धोखे में है तबतक वह खुद अपने स्वराज की भी वुनियाद नहीं डाल सकता।” बाहिर है कि उनकी मन्शा उन लिबरल या दूसरे प्रतिगामी और साम्प्रदायिक ढग के हिन्दुस्तानियों से है जिनसे उनका सावका हिन्दुस्तान की असेम्बली के अध्यक्ष की हैसियत से पडा होगा। काँग्रेस का ऐसा विश्वास नहीं है। तब और आगे वडी हुई दूसरी जमातो का तो जरूर ही नहीं हो सकता। मगर हाँ, वे सर फ्रेडरिक की इस बात से सहमत हैं कि, जबतक यह भ्रम हिन्दुस्तान में मौजूद है—और अगर उसकी तकदीर में कोई तबाही लिखी ही हो और वह उसका मुकाबिला करने के लिए अकेला न छोड दिया जाय—तबतक हिन्दुस्तान को आजादी नहीं मिल सकती। जिस दिन हिन्दुस्तान से ब्रिटिश फौज का दौर-दौरा मुकम्मिल तौर पर हट जायगा उसी दिन हिन्दुस्तान की आजादी का श्रीगणेश होगा।

यह कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि १९वीं सदी के पढे-लिखे हिन्दु-स्तानी ब्रिटिश विचार-धारा के प्रभाव में आजायें, लेकिन बडे ताज्जुब

के दान तो यह है कि ब्रिटेन की नदी के परिवर्तनों और दिल दहला देने वाली घटनाओं के होने पर भी कुछ लोग अनौपचारिक उसी भ्रम में पड़े हुए हैं। १९वीं सदी में ब्रिटिश साम्राज्य दुनिया के उन कुलीन वर्गों में से था जिनके पास काफी धन-दौलत, हुकूम और सम्मान थे। इस समीचीन दिग्दर्शकों और जालीबंदों ने उनमें कुछ श्रीमन्तव्यहीन के मद्दुष्ट भी पैदा किये और कुछ दुष्ट भी। हम हिन्दुस्तानी इस बात में खुद मान सकते हैं कि हमने निश्चय लगाने की शक्ति भी बरसाई है उन्हें इस उच्च स्थिति पर पहुँचाने और ऐसी नालायक दिग्दर्शकों की भाषण सामग्री सुनाने में उन्हें काफ़ी मदद की। वे अपने को—जैसा कि ब्रिटेन ही जानिये और राष्ट्रों ने किया है—ईश्वर के आदेश और अपने साम्राज्य की पृथ्वी पर का स्वर्ग समझते हैं। यदि अब उनके इस खान दारों और स्वयं की मानते रहें और उनकी उच्चता को चुनौती न दी जाय तो वे बड़े मेहरबान रहेंगे और अपनी शक्ति करेंगे, बसने कि उससे उनका कुछ मुझमान न हो। लेकिन उनका विरोध करना मानो ईश्वरी व्यवस्था का विरोध करना है और इसका वह ऐसा पाप है जिसको हर तरह से दबाना ही उचित है।

एम्बे आठे मीगनीड ने ब्रिटिश नौविज्ञान के इस पहलू पर मटे-
दार प्रकाश डाला है—

“परम्परा ने शक्ति के मात्र-मात्र धन पर भी अधिकार रखने की
जो जगह पनी हुई थी उनके मन में (अपेक्षित जगह में) रहन-सहन का
जो एक नया नए दिग्दर्शकों के उद्देश्यता का और जिनपर अपने-आपको
उकी शक्ति-शक्ति नन्द्य शक्ति सम्पत्ति के भावों का एक अजीब-सा

“घटनाओं (के गृह्य) को समझने के इस ढंग पर जोर देना इस-
 लिए दिग्दर्शी की बात है कि उन घटनाओं के द्वारा, सामकर इस
 नाजुम नियम में, श्रिटिग मनोवृत्ति की प्रतिक्रियाये स्पष्ट हो जाती है ।
 कोई भी व्यक्ति उन नतीजों पर पहुँचे बिना नहीं रह सकता कि अग्रेज
 जानि उन जटिलान्तो का कारण वाहरी घटनाओं में ही ढूँढने का प्रयत्न
 करनी है । उनके मतानुसार धुरुवान मदा किमी दूसरे के कुसूर से होती
 है और अगर यह (कुसूरवार) व्यक्ति अपना सुधार करने के लिए राजी
 हो जाय तो उन्हे फिर अपने नष्ट बँवम को प्राप्त करले
 (अग्रेज जानि की) मदा यह प्रवृत्ति रही है कि खुद तो न बदले, लेकिन
 दूसरे बदल जायें ।”

मारे जगत के प्रति अग्रेजों का यदि यह आम रवैया है तो हिन्दुस्तान
 में तो यह और भी ज्यादा प्रकट है । अग्रेज लोग हिन्दुस्तान के ममलो
 को जिन तरह हल करना चाहते हैं, वह है तो कुछ आकर्षक मगर है
 नडकानेवाला । शान्ति के साथ आडवासन देते हुए उनका यह कहना कि
 हमने जो कुछ किया है वह सही किया है और हमने अपनी जिम्मेदारी
 को बहुत योग्यता के साथ निवाहा है, अपनी जाति की भवितव्यता पर
 और अपने नमूने के साम्राज्यवाद पर श्रद्धा, और यदि कोई उस सच्ची
 श्रद्धा की बुनियाद पर मवाल उठाये तो ऐसे नास्तिकों और पापियों पर
 क्रोध और घृणा—इन भावों की तह में एक किस्म का धार्मिक जोश-सा
 दिमाई देता था । मध्यकालीन रोमन कैथलिक धर्म-विचारकों की तरह
 वे हमारी इच्छा या अनिच्छा की परवा न करते हुए उदार के लिए तुले
 हुए थे । भलाई के इस व्यापार में रास्ते चलते उनको भी कुछ लाभ
 हों गया और इस तरह वे ईमानदारी ही सबसे अच्छी व्यवहार-नीति है
 हम पुरानी कहावत को चरितार्थ कर दिखाने लगे । हिन्दुस्तान की
 उन्नति का अर्थ, देश को शाही योजनाओं के अनुकूल बनाना और कुछ

चुने हुए हिन्दुस्तानियों को ब्रिटिश नावों में टांगना हो गया। बिना ही ज्यादा हम ब्रिटिश नावों और धर्मों को मानने जायेंगे उतना ही ज्यादा हम स्वराज या स्वशासन के अधिक योग्य समझ लिये जायेंगे। ज्योंही हम इन बातों की गैरती देखें जों वह दिखना दें कि हम अंग्रेजों की इच्छा के अनुसार ही अपने को मिली हुई आजादी का उपयोग करेंगे सोही आजादी हमारे पास आजादी।

लेकिन मुझे मय है कि हिन्दुस्तान में ब्रिटिश शासन के इन कर्त्तव्य विद्वेष पर हिन्दुस्तानी लोग अग्रे एक नम न होंगे। और शायद यह स्वाभाविक भी है। जब बड़े-बड़े ब्रिटिश अफसर, यहाँ तक कि भारत-जनों भी, हिन्दुस्तान के भूत और वर्तमान का कल्पित चित्र खींचते हैं और ऐसी बातें कहते हैं जिनकी वास्तव में कोई बुनियाद ही नहीं होती, तो एक बड़ा बक्का लगता है। यह किन्तु अलाबार्प आश्चर्य की बात है कि कुछ विद्यार्थियों और दूसरे लोगों को छोड़कर अंग्रेज लोग हिन्दुस्तान के बारे में बेवकूफ हैं। जबकि हकीकतों ही उनको बोखा दे जाती है तब हिन्दुस्तान की आत्मा तो उनकी पहुँच के किनारे परे होगी? उन्होंने हिन्दुस्तान के शरीर को पकड़ कर अपने कब्जे में कर तो लिया है पर वह कब्जा बलात्कार का है। वे न तो उसकी आत्मा को ही समझते हैं और न मनजनों की योगियता ही करते हैं। उन्होंने कभी उसकी आँख से ज्ञान नहीं मिलाई। वह मिलाने भी कैसे? क्योंकि उनकी तो आँखें मिये हुई थीं जों। उनकी धर्म व इच्छा से झुकी हुई थीं। उदियों के अपने मन्तव्य के बाद भी जब वे एक-दूसरे के सामने आते हैं, तो अब भी अजनबी-के-दम हुए हैं और दोनों के मन में एक-दूसरे के प्रति अशक्ति के भाव भरे हुए हैं।

अपने इस पौर अज्ञान और अविद्या के होते हुए भी हिन्दुस्तान

मीचूदा मुसीबतो से काफी दबा हुआ है और उसकी पलके थकान से कुछ भारी मालूम होती हैं, भिर भी "अन्दर से निरखती हुई सौन्दर्य-कान्ति उसके शरीर पर चमकती है। उसके अणु-परमाणु में अद्भुत विचारो, स्वच्छन्द कल्पनाओ और उत्कृष्ट मनोभावो की झलक दिखाई देती है। उसके जीर्ण-शीर्ण शरीर में अब भी आत्मा की भव्यता झलकती है। अपनी इस लम्बी यात्रा में वह कई युगों में से होकर गुजरा है, और रास्ते में उसने बहुत ज्ञान और अनुभव संचित किया है, दूसरे देश-वासियो से देन-लेन किया है, उन्हें अपने बड़े कुटुम्ब में मिला लिया है, उत्थान और पतन, समृद्धि और ह्रास के दिन देखे हैं, बड़ी-बड़ी झिल्लते उठाई हैं, महान् दुःख झेले हैं और कई अद्भुत दृश्य देखे हैं, लेकिन अपनी इस सारी लम्बी यात्रा में उसने अपनी अति प्राचीन सस्कृति को नहीं छोड़ा है। उससे उसने बल और जीवन-शक्ति प्राप्त की है और दूसरे देश के लोगो को उसका स्वाद भी चखाया है। घड़ी के लटकन की तरह वह कभी ऊपर गया और कभी नीचे आया है। अपने साहसिक विचारो से स्वर्ग और ईश्वर तक पहुँचने की उसने हिम्मत की है, उसके रहस्य खोलकर प्रकट किये हैं और उसे नरक-कुण्ड में गिरने का भी कटु अनुभव हुआ है। दुःखदाई अन्वविश्वासो और पतनकारी रस्म-रिवाजो के बावजूद, जो कि उसमें घुस आये हैं और जिन्होंने उसे नीचे गिरा दिया है, उसने उस स्फूर्ति और जीवन को अपने हृदय से कभी नहीं भुलाया, जो उसकी कुछ ज्ञानी सन्तानो ने इतिहास के उषा-काल में उसके लिए उपनिषदो में संचित करदी थी। उसके ऋषियो की कुशाग्रबुद्धि सदा खोज में लीन रहती थी, नवीनता को पाने की कोशिश करती थी और सत्य की शोध में व्याकुल रहती थी। वह जड़ सूत्रो को पकड़कर नहीं बैठी रही और न लुप्तप्राय विधि-विधानो, ध्येय-वचनो और निरर्थक कर्म-काण्डो में डूबी रही। न तो उन्होंने इस लोक में खद अपने लिए

कण्टो से छुटकारा चाहा, न उन लोक में न्यगं की डञ्जा की। वन्कि
 उन्होने ज्ञान और प्रकाश माँगा। ‘मुझे अमन् ने मन् की ओर ले जा,
मुझे बन्वकार से प्रकाश की ओर ले जा, मुझे मृत्यु ने अमरता की ओर
ले जा।’ अपनी नवसे प्रसिद्ध प्रार्थना—गायत्री-मन्त्र—में जिमका लाखों
लोग आज भी नित्य जप करते हैं, ज्ञान और प्रकाश के लिए ही प्रार्थना
की गई है।

हालाँकि राजनैतिक दृष्टि ने अमर उनके टुकड़े-टुकड़े होते रहे हैं,
 लेकिन उसकी वाध्यात्मिकता ने मदा ही उनकी सर्व-सामान्य विरासन
 की रखा की है और उसकी विविधताओं में हुयेगा एक विन्क्षण एकता
 रही है। तमाम पुराने मुल्को की तरह इनमें नी अच्छाई और बुराई
 का एक बजीब मिश्रण था। मगर अच्छाई तो छिपी हुई थी और उसे
 खोजना पडता था, लेकिन पतन की बबदू जाहिर थी और सूरज की
 कडी और निठुर घूप ने उनकी उस बुराई को दुनिया के सामने लाकर
 रख दिया।

इटली और भारतवर्ष में कुछ समता है। दोनो प्राचीन देश हैं और
 दोनो की संस्कृति भी पुरानी है, हालाँकि हिन्दुस्तान के मुक़ाबिले में
 १. ‘असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्माऽमृतं गमय।’

—बृहदारण्यक उपनिषद् १-३-२७।

२ “हिन्दुस्तान में सबसे बडी परस्पर-विरोधी बात यह है कि इस
 विविधता के अन्दर एक भारी एकता समाई हुई है। यों सरसरी तौर पर
 वह नहीं दिखाई देती, क्योंकि किसी राजनैतिक एकता के द्वारा सारे देश
 को एक सूत्र में बाँधने के रूप में इतिहास में उसने अपने को प्रकट नहीं
 किया, लेकिन वास्तव में यह एक ऐसी असलियत है और इतनी शक्ति-
 शाली है कि हिन्दुस्तान की मुस्लिम दुनिया को भी यह कबूल करना
 पडता है कि उसके प्रभाव में आने से उसपर भी गहरा असर हुए बिना नहीं
 रहा है”—‘दि पयूचर आफ इस्ट एण्ड वेस्ट’ में सर फ्रेडरिक व्हाइट।

इटली बरा नया है और हिन्दुस्तान उससे बहुत विशाल। राजनैतिक दृष्टि से दोनों के टुकड़े-टुकड़े हो गये हैं। लेकिन इटैलियनो की यह भावना कि हम 'इटैलियन' हैं, हिन्दुस्तानियों की तरह कभी नहीं मिटी और उसकी तमाम विविधता और विरोधों में एकता ही मुख्य रही। इटली में वह एकता अधिकांश रोमन एकता थी, क्योंकि उस विशाल नगर का उस देश में बहुत प्रभुत्व रहा और वह एकता का स्रोत और प्रतीक रहा है। हिन्दुस्तान में ऐसा कोई एक केन्द्र या प्रधान नगर नहीं रहा। हालाँकि काशी को पूर्व की मोक्षपुरी कह सकते हैं—हिन्दुस्तान के ही लिए नहीं बल्कि पूर्वी एशिया के लिए भी, लेकिन रोम की तरह काशी ने कभी साम्राज्य या लौकिक सत्ता के फेर में पड़ने की कोशिश नहीं की। सारे हिन्दुस्तान में भारतीय सस्कृति इतनी फैली हुई थी कि किसी भी एक भाग को सस्कृति का केन्द्र नहीं कह सकते। कन्याकुमारी से लेकर हिमालय में अमरनाथ और बदरीनाथ तक और द्वारिका से जगन्नाथपुरी तक एक ही विचारों का प्रचार था और यदि किसी एक जगह में विचारों का विरोध होता तो उसकी प्रतिध्वनि देश के दूर-दूर हिस्सों तक पहुँच जाती थी।

इटली ने जिस प्रकार पश्चिमी यूरोप को धर्म और सस्कृति की भेंट दी उसी प्रकार हिन्दुस्तान ने पूर्वी एशिया को सस्कृति और धर्म प्रदान किया, हालाँकि चीन भी उतना ही पुराना और आदरणीय है जितना कि भारतवर्ष। और तब, जबकि इटली राजनैतिक दृष्टि से निर्बल होकर चित्त पट गया था, उसीकी सस्कृति का यूरोप में बोलवाला था।

मेटर्निक^१ ने कहा था कि इटली तो एक 'भौगोलिक शब्द' है, और

१. मेटर्निक १८०७ से १८४८ तक आस्ट्रिया का प्रधान मंत्री था। यह प्रगति विरोध और अराष्ट्रीयता की प्रत्यक्ष मूर्ति था और अपनी चाणक्य नीति से जर्मनी और इटली को आस्ट्रिया के पंजे में इसने बहुत

किनने ही भावी मेडिकों ने इसी शब्द का व्यवहार हिन्दुस्तान के लिए भी किया है। यह भी एक अनोख-सी बात है कि दोनों देशों की भौगोलिक स्थिति में भी समता है। मैक्सि इंग्लैंड और आस्ट्रिया की तुलना तो इससे भी ज्यादा दिलचस्प है। क्योंकि बीसवीं सदी के इंग्लैंड को तुलना उसीसही सदी के नगर हूँ और प्रतापी उस आस्ट्रिया के साथ की गई है जो या तो प्रतापी, नगर जिन जहाँ ने उसे ताकत दी थी वे सिद्ध हूँ रही थी और उन इवरदस्त वृक्ष में ह्यान के कीटाणु प्रसार उसे लाँकला बना रहे थे।

यह एक अजीब बात है कि देश को मानव-रूप में मानने की प्रवृत्ति को कोई रोक ही नहीं सकता। हमारी भावना ही ऐसी पड़ गई है और पहले के स्कार भी ऐसे ही हैं। नाम 'भारत-भारत' हो जाती है—एक मुन्दर रंग, बहन ही बूढ़ होने हुए भी देखने में युवती, बिलकी आँखों में दुःख और दुःखता भरी हुई, विदेशी और बाहरी लोगों के द्वारा अपमानित जीन प्रगति और अपने पुन-सुधियों को अपनी रक्षा के लिए आतंज्वर में पुकारती हुई। इस तरह का कोई विश्व हज़ारों लोगों की भावनाओं को उन्माद देता और उनमें कुछ करने और कृपान हीमाने के लिए प्रेरित करता है। मैक्सि हिन्दुस्तान तो मुख्यतः उन भिन्नो और मजदूरों का देश है जिनका चेतन सुदृग्म नहीं है, क्योंकि गरीबी सुदूरत नहीं होती। इस वह मुन्दर रंग जिसका हमने सामाजिक विश्व बड़ा किया है जो उदर को सुधी हुई बनवाने, संज्ञा और कारखानों में काम करनेवाले भिन्नो और मजदूरों का प्रतिनिधित्व करती है? या वह उस देश के लोगों के स्कार का प्रतिनिधित्व करती है, जिन्होंने युगों ने जिनों पर रक्त का। मैक्सिज्म के पतन के बाद कोई २० साल तक मेडिकल का इस संकल्प में रज्ज का। १८४८ में जब जगह-जगह बन्दे

जनता को कुचला और घूमा है, उनपर कठोर-से-कठोर रिवाज लाद दिये हैं और उनमें से बहुतांश को अछूत तक करार दे दिया है ? हम अपनी काल्पनिक नृष्टि से मृत्यु को ढकने की कोशिश करते हैं और असलियत में अपने को बचाकर मरने की दुनिया में विचरने का प्रयत्न करते हैं।

मगर इन अलग-अलग जात-पाँत और उनके आपसी संघर्षों के होते हुए भी उन सबमें एक ऐसा सूत्र रहता है जो हिन्दुस्तान को एकसाथ बांधे हुए है, और उसके आग्रह, दृढता और सहिष्णुता को देखकर दाँतो अगुली दवानी पड़ती है। इस ताकत का क्या कारण है ? वह केवल निष्क्रिय शक्ति, जडता और परम्परा का प्रभाव ही नहीं है, हालाँकि योंही इनकी भी महत्ता कुछ कम नहीं है। वह तो एक सक्रिय और पोषक तत्त्व है, क्योंकि उसने औरदार बाहरी प्रवाहों का सफलतापूर्वक प्रतिकार किया है और जो-जो भीतरी ताकतें उसके मुकाबिले के लिए उठ खड़ी हुईं उन्हें आत्म-सात् कर लिया। और फिर भी, इस सारी ताकत के रहते हुए भी, वह राजनैतिक सत्ता को कायम न रख सका या राजनैतिक एकता को सिद्ध करने की कोशिश न कर सका। ऐसा जान पड़ता है कि ये दोनों बातें इतनी परिश्रम करने योग्य नहीं जान पड़ीं। उनके महत्त्व की मूर्खतापूर्ण अवहेलना की गई और इसने हमें बड़ी हानि उठानी पड़ी है। सारे इतिहास में भारत के प्राचीन आदर्शों में कहीं भी राजनैतिक या सैनिक विजय का गुणगान नहीं किया गया। वह धन-संपत्ति को और धन कमानेवाले वर्गों को घृणा की दृष्टि से देखता था, सम्मान और धन-संपत्ति दोनों एकसाथ नहीं रहते थे, और सम्मान तो, कम-से-कम सिद्धान्त में, उसको मिलता था जो जाति की सेवा करता था और वह भी आर्थिक पुरस्कार की आशा न रखते हुए।

यों तो पुरानी सस्कृति ने बहुतेरे भीषण तूफानों और बवण्डरों में भी अपने को जीवित रक्खा है, लेकिन यद्यपि उसने अपना बाहरी रूप

कायम रख छोड़ा है फिर भी वह अपना भीतरी असली सत्त्व लो चुकी है। आज वह चुपचाप और जी-जान लगाकर एक नई और सर्वशक्तिमान् प्रतिद्वन्द्विनी-पश्चिम की बनिया नस्कृति से लड़ रही है। वह नवा-गन्तुक वाणिज्य उनपर हावी हो जायगा, क्योंकि पश्चिम के पास विज्ञान है और विज्ञान लाखों भूखों को भोजन देता है। मगर पश्चिम इस एक-दूसरे का गला काटनेवाली मन्यता की बुरादियों का इलाज भी अपने साथ लाया है—साम्यवाद का, सहयोग का, सबके हित के लिए जाति या नमाज की सेवा करने का मिद्धान्त। यह भारत के पुराने ब्राह्मणो-चिन सेवा के आदर्श से बहुत भिन्न नहीं है, लेकिन इसका अर्थ है तमाम जानियों, वर्गों और समूहों को ब्राह्मण बना देना (अवश्य ही धार्मिक अर्थ में नहीं) और जाति-भेद को मिटा देना। हो सकता है कि जब भाग्य इस लिबास को पहनेगा, और वह जरूर पहनेगा, क्योंकि पुराना लिबास तो चियड़े-चियड़े होगया है, तो उसे उममें इस तरह काटछाट करती पड़ेगी जिसने वह मौजूदा अवस्थायें और पुराने विचार दोनों का मेल साज मके। जिन विचारों को वह ग्रहण करे वे अवश्य ऐसे होजाने चाहिए जो उनकी भूमि के ममरम हो जावे।

: ५४ :

ब्रिटिश शासन का कच्चा चिट्ठा

हिन्दुस्तान में ब्रिटिश शासन का इतिहास कैसा रहा ? मुझे यह समझ नहीं आता कि ग्रेट् भी हिन्दुस्तानी या अंग्रेज इस लम्बे इतिहास पर निराश और निश्चिन्त मन से विचार कर सकता हो। और का शासन की गैंगों मनोरंजनादि तथा अन्य मूधम घटनाओं को

कि ब्रिटिश शासन ने “भारतवर्ष को वह चीज दी है जो सदियों में भी उसे हासिल नहीं हुई—अर्थात् ऐसी सरकार, जिसकी सत्ता इस उप-महाद्वीप के कोने-कोने में मानी जाती है,”^१ इसने कानून का राज्य और एक न्यायो-चित तथा निपुणतापूर्ण शासन-व्यवस्था स्थापित की है; इसने हिन्दुस्तान को पार्लेमेण्टरी शासन की कल्पना तथा व्यक्तितगत स्वतन्त्रता प्रदान की है, और “ब्रिटिश भारत को एक सगठित एकछत्र राज्य में परिवर्तित करके भारतवासियों में परस्पर राजनैतिक एकता की भावना को जन्म दिया है”^२ और इस प्रकार राष्ट्रीयता के अकुर का पोषण किया है। अंग्रेजों का यही दावा है और इसमें बहुत-कुछ सचाई भी है, हालाँकि न्याय-युक्त शासन और व्यक्तिगत स्वातन्त्र्य बहुत वर्षों से नष्ट नहीं आ रहे हैं।

इस युग का भारतीय सिंहावलोकन अन्य कई बातों को महत्त्व देता है और उस आर्थिक तथा आध्यात्मिक क्षति का दिग्दर्शन कराता है जो विदेशी शासन के कारण हमको पहुँची है। दोनों के दृष्टि-कोण में इतना अन्तर है कि कभी-कभी जिस बात की अंग्रेज लोग तारीफ करते हैं उसी बात की हिन्दुस्तानी लोग निन्दा करते हैं। जैसा कि डॉक्टर आनन्द-कुमार स्वामी ने लिखा है—“भारत में अंग्रेजी राज्य की एक सबसे ज्यादा विलक्षण बात यह रही है कि हिन्दुस्तानियों को पहुँचाई जाने-वाली बड़ी-से-बड़ी हानि भी बाहर से भलाई ही मालूम होती है।”

सच तो यह है कि पिछले सौ या कुछ ज्यादा वर्षों में हिन्दुस्तान में जो परिवर्तन हुए हैं, वे ससार व्यापी हैं, और वे पूर्व और पश्चिम के अधिकांश देशों में समान रूप से हुए हैं। पश्चिमी यूरोप में, और इसके बाद बाकी के देशों में भी, उद्योगवाद के विकास के परिणामस्वरूप मब

१-२ ये उद्धरण भारतीय शासन-सुधार सम्बन्धी ज्वाइन्ट पार्लेमेण्टरी कमिटी (१९३४) की रिपोर्ट से लिये गये हैं।

जगह राष्ट्रीयता और सुबुद्ध एकछत्र राज्य-सत्ता का उदय हुआ। अंग्रेज लोग इस बात का अर्थ ले सकते हैं कि उन्होंने पहली बार भारतवर्ष का द्वार पश्चिम के लिए खोला और उसे पश्चिमी उद्योगवाद तथा विज्ञान का एक हिस्सा प्रदान किया। परन्तु इतना कर चुकने पर वे इन देश के अधिकतर औद्योगिक विकास का गला घोटते रहे, जबतक कि परिस्थिति ने इससे बाध आने के लिए उन्हें मजबूर नहीं कर दिया। हिन्दुस्तान तो पहले ही दो नस्कृतियों का सम्मिलन-क्षेत्र था, एक तो पश्चिमी एशिया से आई हुई इस्लाम की संस्कृति और दूसरी स्वयं उसकी पूर्वी नस्कृति जो सुदूर-पूर्व तक फैल गई थी। और अब सुदूर-पश्चिम से एक तीसरी और अधिक जोरदार लहर आई, और भारतवर्ष भिन्न-भिन्न पुराने तथा नये विचारों का आकर्षण-केन्द्र तथा युद्धक्षेत्र बन गया। इसमें एक नहीं कि यह तीसरी लहर विजयी हो जाती और हिन्दुस्तान के बहुत-से पुराने मसालों को हल कर देती, लेकिन अंग्रेजों ने, जो खुद इस लहर को आने में सहायक हुए थे, इसकी प्रगति को रोकने का प्रयत्न किया। उन्होंने हमारी औद्योगिक तरक्की को रोक दिया, और इन तरह हमारी गलतनीक उन्नति में बाधा डाल दी, और जितनी पुरानी मादलिफ्फाही या सूचरी पुचनी खड़िया उन्हें यहाँ मिली उन सबका उन्होंने पोषण किया। उन्होंने हमारे परिवर्तन-शील, और कुछ हद तक प्रगतिशील, कानूनों और रिवाजों तक को भी जिम स्थिति में पाया उन्नी स्थिति में बना दिया और हमारे लिए उनकी ज़बोरो से दूरबाग पाना मुश्किल कर दिया। हिन्दुस्तान में मध्यमवर्ग का उदय कोई उन लोगों की अज्ञानता या महायता में नहीं हुआ। परन्तु रेल और उद्योगवाद के दमरे उन्नतियों का प्रचार करने के बाद वे परिवर्तन की गति तो बढ़ गयी परन्तु; वे तो उसे केवल रोकने और भीमी बनाने में ही समर्थ हुए और हमारे उन्हें व्यर्थ रूप में खाने हुआ।

“भारतीय-शासन की शाही इमारत इसी पुस्ता नीव पर खड़ी की गई है और वडे भरोसे के साथ यह दावा किया जा सकता है कि १८५८ से जबकि ईस्ट-इंडिया कम्पनी के सारे प्रदेश पर मग्राट की हुकूमत मानी गई, आजतक हिन्दुस्तान की शिक्षा-सबन्धी और भौतिक उन्नति उससे कहीं ज्यादा हुई है जितनी अपने लम्बे और उतार-चढाव के इतिहास के किसी भी काल में हासिल करना उसके लिए सम्भव था।”^१ लेकिन यह बात ऐसी नहीं मालूम होती जैसी कि बताई गई है और यह बार-बार कहा गया है कि अंग्रेजी राज्य का उदय होने से साक्षरता में तो दरअसल कमी आ गई है, लेकिन यह कथन विलकुल सच भी हो तो उसका मतलब है आधुनिक औद्योगिक युग की प्राचीन युगों से तुलना करना। विज्ञान और उद्योगवाद के कारण दुनिया के करीब-करीब सभी देशों में, पिछली सदी में, बड़ी भारी शिक्षा की और आर्थिक तरक्की हुई है, और ऐसे किसी भी देश के बारे में यह धकीनन कहा जा सकता है कि इस तरह की उन्नति “उससे कहीं ज्यादा हुई है जितनी अपने लम्बे और उतार-चढाव के इतिहास के किसी भी काल में हासिल करना उसके लिए सम्भव था।” इतिहास हालाँकि शायद उस देश का इतिहास भारत के से पुराना न हो। अगर हम यह कहे कि इस तरह की औद्योगिक उन्नति हमको इस औद्योगिक युग में ब्रिटिश शासन के न होने पर भी हासिल हो सकती थी, तो क्या यह फिजूल का ही झगडा या ज़िद है? और सचमुच में अगर हम बहुत-से दूसरे देशों की हालत से अपनी हालत का मुकाबिला करे तो क्या हम यह कहने का साहम न करे कि इस प्रकार की उन्नति और भी ज्यादा होती? क्योंकि हमे अंग्रेजों के उस प्रयत्न से भी तो भिडना पडा है जो उन्होंने इस उन्नति का गला घोटने के लिए किया। रेल, तार, टेलीफोन, वेतार के तार आदि अंग्रेजी राज्य की

१ ज्वाइन्ड पार्लमेन्टरी केमिटी १९३४ की रिपोर्ट।

अच्छाई और भलाई की कसौटी नहीं माने जा सकने । ये वाञ्छनीय और आवश्यक थे, और चूँकि अंग्रेज लोग मजोगबग इनको सबसे पहले लेकर आये, इसलिए हमें उनका मुफ्तुदार होना चाहिए । लेकिन उद्योगवाद के ये चौबदार भी हमारे पान आसनीर पर ब्रिटिश राज्य को मजबूत करने के लिए लाये गये । ये तो नमं और नाडियाँ थीं जिनमें होकर राष्ट्र के खून को बहना चाहिए था, जिनसे व्यापार की तरक्की होती, पैदावार एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाई जाती, और करोड़ों मनुष्यों को नई खिन्दी और बन हासिल होना । यह सही है कि साखिरकार इस तरह का कोई-न-कोई नतीजा निकलना ही, लेकिन उन्हें खमाने और काम में लाने का मकसद ही दूसरा था—साम्राज्य के पजे को मजबूत करना और अंग्रेजी माल से बाजार पर कब्जा जमाना—जिसके पूरा करने में ये लोग कामयाब भी हो गये । मैं औद्योगिकरण और माल को दितावर नेजने के नये-नये तराकों के बिलकुल पक्ष में हूँ, लेकिन कमी-कमी, हिन्दुस्तान के मैदान में मकर करते हुए, मुझे यह जीवनदायी रेल भी लोहे के बन्धनों के समान मालूम पड़ी है, जो भारतवर्ष को अकड़े हुए और बन्दी बनाये हुए है ।

हिन्दुस्तान में अंग्रेजों ने अपने शासन का लम्बा जिस कल्पना पर रक्ता है, वह वैसी ही है, वैसी कि एक पुलिस-राज्य की होती है । शासन का काम तो सिर्फ सरकार की रक्षा करना था और बाकी सब काम दूसरों पर थे । उनके सार्वजनिक राजस्व का सम्बन्ध प्रौजी खर्च, मुद्रिद, शासन-अवस्था और कर्जों के व्याज से था । नागरिकों की आर्थिक अहुरती पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता था और वे ब्रिटिश हितों पर झुबान कर दी जानी थीं । जनता की सांस्कृतिक और दूसरी आवश्यकतायें कुछ मोड़ी-मोड़ी को छोड़कर, सब ताक पर रख दी जाती थीं । सार्वजनिक राजस्व की परिवर्तनशील वारपायें, जिनके फलस्वरूप अन्य

देशों में निःशुल्क और देशव्यापी शिक्षा, जनता के स्वास्थ्य की उन्नति, निर्धन और बुद्धिहीन व्यक्तियों का पालन, श्रमजीवियों की बीमारी, वृष्टापे तथा बेकारी के लिए बीमा आदि बातें जारी हुईं, लगभग सरकार की कल्पना से बाहर की बातें थीं। वह इन खर्चीले कामों में नहीं पड़ सकनी थीं, क्योंकि उसकी कर-प्रणाली अत्यन्त प्रगतिविरोधी थी, जिसके द्वारा कम आमदनीवालों से ज्यादा आमदनीवालों को बनिस्वत ज्यादा वसूल किया जाता था, और रक्षा और शासन के कामों पर उसका इतना अधिक खर्च था कि यह करोड़-करोड़ सारी आमदनी को चट कर जाता था।

अंग्रेजी शासन को सबसे मुख्य बात यह थी कि सिर्फ ऐसी ही बातों पर ध्यान दिया जाय जिनसे कि मुल्क पर उनका राजनैतिक और आर्थिक कब्जा मजबूत हो। बाकी सब बातें गौण थीं। अगर उन्होंने एक शक्तिशाली केन्द्रीय शासन-संस्था और एक होशियार पुलिस-फोर्स की रचना कर डाली तो इस सफलता के लिए वे श्रेय ले सकते हैं, लेकिन भारत-वामी इसके लिए अपने-आपको भाग्यशाली शायद ही कह सके। एकता चीज अच्छी है, लेकिन पराधीनता की एकता कोई गर्व करने की वस्तु नहीं है। एक स्वेच्छाचारी शासन का बल ही जनता के ऊपर एक बड़ा भारी बोझ बन सकता है, और पुलिस की शक्ति, अनेक दिशाओं में निस्सन्देह उपयोगी होते हुए भी, जिन लोगों की वह रक्षक मानी जाती है उन्हींके खिलाफ खड़ी की जा सकती है, और बहुत बार की भी गई है। बर्ट्रैंड रसल ने आधुनिक सभ्यता की तुलना ग्रीस की प्राचीन सभ्यता से करते हुए हाल ही में लिखा है—“हमारी सभ्यता के मुकाबिले में ग्रीस की सभ्यता की खाली यही विचारणीय श्रेष्ठता थी कि उसकी पुलिस अयोग्य थी, जिसके कारण ज्यादातर भले आदमी अपने-आपको उसके खगुल से बचा सकते थे।”

भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य ने हमें अनन-चैन मिला है। हिन्दुस्तान को मुगल-शास्य के पतन के पीछे होनेवाली तकलीफों और कम्बलियों के बाद अनन-चैन की जन्म-भूमी थी इसमें शक नहीं। अनन-चैन एक बड़ी कीमती चीज है जो किसी भी तरह की तन्मत्ता के लिए खरबरी है, और जब वह हमको मिलती तो हमने उनका स्वागत किया। लेकिन उसकी कीमत की भी एक हद होनी चाहिए। अगर वह किसी भी कीमत पर खरीदी जायगी तो उसने हमें जो शान्ति मिलेगी वह स्मथान-शान्ति होगी। और उसके जरिये हमें जो हिफाजत मिलेगी वह होगी पिजरे या जेलखाने की-सी हिफाजत। या वह शान्ति ऐसे लोगों की विवश निराशा हो सकती है जो अपनी बह्वृद्धी करने के आविल न रहे हों। विदेशी विजेता की जबरन क्रायम की हुई शान्ति में वे विमानप्रद और शान्तिदायक गुण मुश्किल से पाये जाते हैं जो सच्ची शान्ति में होते हैं। युद्ध बड़ी भयकर चीज है और इसमें बचना चाहिए, लेकिन मनोवैज्ञानिक विलियम जेम्स के कथनानुसार यह निस्सन्देह कुछ गुणों को प्रोत्साहन देता है, जैसे एकनिष्ठा, मगठन, शक्ति, दृढता, वीरता, आत्मविश्वास, शिक्षा, शोषकबुद्धि, मितव्ययिता, धारीरिक आरोग्य और पीरूप। इसी कारण जेम्स ने युद्ध का एक ऐसा नैतिक रूपान्तर तलाश करने की कोशिश की जो युद्ध की भयकरता के बिना ही किसी जाति में इन गुणों को उत्तेजन दे। अगर उन्हें असहयोग और सविनय-अंग का ज्ञान होता तो शायद उनको मनोवाञ्छित वस्तु, अर्थात् युद्ध का नैतिक और शान्तिमय रूपान्तर मिल गया होता।

इतिहास की 'अगर-भगर' और सम्भावनाओं पर विचार करना फ्रबूल है। मेरा विश्वास है कि हिन्दुस्तान का विज्ञानगील और उद्योग-वान् येरप के सम्पर्क में आना अच्छा ही हुआ। विज्ञान पश्चिम की एक बड़ी भारी देन है और हिन्दुस्तान में इसकी कमी थी, इसके बिना उसकी

मृत्यु अवश्यम्भावी भी थी। लेकिन जिस तरह हमारा उत्तम मन्वन्व न्यापित हुआ वह दुर्भाग्यपूर्ण था। मगर फिर भी, बायद सिर्फ ज़ोर-ज़ोर की लगातार टक्करें ही हमें गहरी नींद से जगा सकती। इस दृष्टि से प्रोटेस्टेंट, व्यक्तिवादी, एंग्लो-मेक्मन अग्रज लोग हम काम के लिए उपयुक्त थे, क्योंकि अन्य पश्चिमी जातियों की वनिम्बत उनमें और हमारे में बहुत ज्यादा फर्क था और वे हमें अधिक ज़ोर की ठोंकर लगा सकते थे।

उन्होंने हमें राजनैतिक एकता दी, जो एक वाञ्छनीय वस्तु थी, पर हमारे अन्दर यह एकता होती या न होती तो भी भारतीय राष्ट्रीयता तो बढ़ती ही और हम प्रकार की एकता का तकाजा भी करती। आजकल बरब बहुत-सी मुस्लिम रियासतों में बँटा हुआ है जो स्वतन्त्र, परतन्त्र, रक्षित इत्यादि हैं। लेकिन उन सबमें एक बरबी राष्ट्रीयता की भावना दौड़ रही है। इसमें कोई शक नहीं कि अगर पञ्चमी साम्राज्यवादी शक्तियाँ उसके मार्ग में बाधक न हों तो भरबी राष्ट्रीयता बहुत हद तक हम एकता को प्राप्त कर ले। लेकिन जैसा कि हिन्दुस्तान में किया जा रहा है, इन शक्तियों का इरादा यही रहता है कि झगडालू प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन दिया जाय और अल्प-मत की नमस्यायें पैदा कर दी जायें जिससे राष्ट्रीयता का जोग ठडा पड जाय और कुछ अश तक रुक जाय, तथा साम्राज्यवादी शक्ति को बने रहने और निष्पक्ष पंच होने का दावा करने का बहाना मिल जाय।

हिन्दुस्तान की राजनैतिक एकता गीण रूप से साम्राज्य की बढ़ोतरी के घुणाखर-न्याय से प्राप्त हुई है। बाद में जब यह एकता राष्ट्रीयता के साथ मिल गई और विदेशी राज्य को चुनौती देने लगी तो हमारे सामने फूट डालने और फिरकेवन्दी के जान-बूझकर बढ़ाये जाने के दृश्य आने लगे और यह दोनों बातें हमारी भावी उन्नति के मार्ग में बड़े खबरदस्त रोड़े हैं।

अंग्रेजों को यहाँ आये हुए सिपायों-मन्त्रियों को गया और उन्हें धमिनवासी रूप भी पाने दो नी यों ही गये ' नो-आगारी जागरो की भांति वे मनचाही करने में म्यात्र थे, जो हिन्दुता को अपनी मर्जी के मुताबिक टालने या उनके पाम पाकी मन्दर मोंग था। इन यों में ससार इतना बढ़ गया है कि पत्ताना नहीं जा मता—इंग्लैंड, यूरोप, अमेरिका, जापान आदि सब बढ़ गये हैं। अंग्रेजों की मदी के अटलाण्टिक महासागर के किनारे पर स्थिति छोटे-मोटे अमेरिका उप-निवेश आज मिलकर सबसे धनयान, गयमे पत्तिवासी जोर पत्ता-विमान में सबसे अधिक उन्नत राष्ट्र बन गये हैं, जापान में गोंटे ने ही समय में आश्चर्यजनक परिवर्तन हो गया है; रूस का पिगाल प्रदेश, जहाँ अभी कल तक ही चार के शासन का फौलादी पत्ता सब प्रकार की उन्नतियों का गला दबा रहा था, आज नवजीवन से परिष्कृत हो रहा है और हमारे सामने एक नई दुनिया खड़ी कर रहा है। हिन्दुस्तान में भी बड़े भारी परिवर्तन हुए हैं और यह देश उससे बहुत भिन्न है जो अठारहवीं शताब्दी में था—रेले, नहरे, कारखाने, स्कूल और कॉलेज, बड़े-बड़े सरकारी दफ्तर, आदि बन गये हैं।

और फिर, बावजूद इन परिवर्तनों के, आज हिन्दुस्तान की क्या हालत है ? वह एक गुलाम देश है, जिसकी महान् शक्ति पिछड़े में बन्द कर दी गई है जो खुलकर साँस लेने की भी हिम्मत नहीं कर सकता, जो दूर देश में रहनेवाले विदेशियों द्वारा शासित है, जिसके निवासी नितान्त निर्बल, थोड़ी उन्नत में मरनेवाले और रोगों तथा महाभारियों से अपने-आपको बचाने में असमर्थ हैं, जहाँ शिक्षा चारों ओर फैली हुई है, जहाँ के बहुत-से बड़े-बड़े प्रदेश हर तरह की सफ़ाई या चिकित्सा के साधनों से रहित हैं और जहाँ मध्यमवर्ग और जनता दो में बड़े भारी पैमाने पर बेकारी है। हमसे कहा जाता है कि 'स्वाधीनता', 'जनसत्ता-

वाद', 'समाजवाद', 'साम्यवाद, आदि अब्यावहारिक आदर्शवादियो मिद्वान्तवादियो और घोखेबाजो की पुकार है, असली कसौटी तो सारी जनता की भलाई को समझना चाहिए। यह वास्तव में एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कसौटी है, लेकिन इस कसौटी पर भी आज हिन्दुस्तान बहुत ही हलका उतरता है। हम अन्य देशों में होनेवाली बेकारी कम करने तथा कपटों को दूर करने की बड़ी-बड़ी योजनाओं की बातें पढते हैं, लेकिन हमारे यहाँ के करोड़ों बेकारों और चारों ओर फैले हुए स्थायी घोर कपटों को कौन पूछता है ? हम दूसरे देशों की मूह-योजनाओं के विषय में भी सुनते हैं, हमारे यहाँ के करोड़ों मनुष्यों के, जो कच्ची झोपड़ियों में रहते हैं या जिनके पास रहने तक को जगह नहीं, मकान कहाँ है ? क्या हमें दूसरे देशों की हालत से ईर्ष्या न होगी जहाँ शिक्षा, सफाई, चिकित्सा-श्रवण, सांस्कृतिक सुविधायें, और पैदावार बड़ी शीघ्रता से तरक्की कर रही है, जब कि हम लोग जहाँ थे वही खड़े हुए हैं या बड़ी दिक्कत के साथ चीटी की तरह रेंग रहे हैं ? रूस ने बारह साल के थोड़े-से समय में ही आश्चर्यजनक प्रयत्नों से अपने विगाल देश की अधिकांश कृषि करीब-करीब अन्त कर दिया है, और शिक्षा की ऐसी सुन्दर और नई-से-नई प्रणाली का विकास किया है जो जनता के जीवन से सम्पर्क रखती है। पिछटे हुए टर्की ने अतातुर्क मुस्तफा कमाल के नेतृत्व में देश-व्यापी शिक्षा-प्रसार के मार्ग में बहुत लम्बा कदम बढ़ाया है। फेसिस्ट इटली ने अपने जीवन के आरम्भ में ही जोरो से अधिकांश पर आक्रमण किया। शिक्षा-सचिव जेन्टाइल ने आवाज उठाई कि "निरक्षरता पर सामने से हमला होना चाहिए। यह प्लेग का फोडा, जो हमारे राजनैतिक शरीर को सड़ा रहा है, गरम लोहे से दाग दिया जाना चाहिए।" घर में बैठकर बातें करने में ये शब्द भले ही कठोर और भड़े मालूम हों, लेकिन इनके द्वारा इस विचार की तह में रहनेवाली वृद्धता

और शक्ति प्रकट होती है। हम लोग अधिक विनम्र हैं और बहुत विकने-चुपड़े वाक्यों का प्रयोग करते हैं। हम लोग खूब फूँक-फूँककर कदम रखते हैं और अपनी तमाम शक्तियों को कमीशनो और कमिटियों में वरबाद कर देते हैं।

हिन्दुस्तानियों पर यह दोषारोप किया जाता है कि वे वार्ते तो बहुत ज्यादा करते हैं पर काम जरा भी नहीं। यह आरोप ठीक भी है। लेकिन क्या हम अग्रेजों की ऐसी कमिटियों और कमीशनो की अथक क्षमता पर आश्चर्य प्रकट न करे जिनमें से हरेक, बड़े परिश्रम के बाद एक शिष्टतापूर्ण रिपोर्ट—“एक महान् सरकारी खरीता”—तैयार करता है, जो वाक्यायदा तारीफ किये जाने के बाद दाखिल-दफ्तर करदी जाती है। और इस तरह से हमको आगे बढ़ने का, तरक्की का, भास तो होता है लेकिन हम रहते वहीं-के-वही हैं। सम्मान भी रह जाता है और हमारे स्थापित स्वार्थ भी अच्छे और सुरक्षित बने रहते हैं। दूसरे देश यह सोचते हैं कि किस तरह आगे बढ़ें, हम रकाबटो, अटकावो और संरक्षणों का विचार करते हैं कि कहीं जरूरत से ज्यादा तेज न चलने लगे।

“शाही शान-शौकत रिवाया की गरीबी का पैमाना बन गई”— मुगल साम्राज्य के बारे में यह बात हमको (ज्वाइन्ट पार्लेमेण्टरी कमिटी १९३४ के द्वारा) बतलाई जाती है। यह बात ठीक है, लेकिन क्या हम उसी नाप को आज काम में नहीं ला सकते? आज यह वाइसरय की शान-शौकत और तडक-भडकवाली नई दिल्ली और प्रान्तीय गवर्नर और उनकी नुमायशी टीम-टाम आखिर क्या है? और इन सबके पीछे है हैरत में डालनेवाली हृद वरजे की गरीबी। यह भिन्नता दिल को चोट पहुँचाती है और यह कल्पना करना कठिन है कि क्रोमल हृदय के लोग इसको किस तरह बरदास्त कर सकते हैं। तमाम शाही बैगववाली इस ऊँची दुकान में आज हिन्दुस्तान का एक बड़ा दैन्यपूर्ण और शोकमय

परिस्थिति का फीका पकवान है। जोड़-तोड़ मिलाकर और दिखावटी बातों से आही गान-शौकत बढ़ा दी गई है, लेकिन इसके पीछे निम्न मध्यमवर्ग के कम्बहत लोग हैं, जो जमाने की हालतों से पिसते ही चले जा रहे हैं। इनके पीछे मजदूर लोग हैं, जो पीस डालनेवाली गरीबी में कम्बहती की खिन्दगी बसर कर रहे हैं और इनके बाद किसान लोग हैं जो हिन्दुस्तान के प्रतीक हैं जिनकी किस्मत में "अनन्त अधकार में रहना" ही लिखा है।

“आह ! पीठ पर ले कितनी सदियों का भारी भार,
झुका खड़ा अपने हल पर धरती को रहा निहार ॥
युग-युग का सूनापन उसके ही मुँह पर लो देख,
सिर पर उसके और बोझ वन बैठा है ससार ॥१

X X X

झाक रही ठठरी से युग-युग की पीड़ा दुर्दान्त,
झुकना है या महाकाल का यह इतिहास दुखान्त
रोती है सृष्टा में दुखड़ा—यही भविष्यद्वाक !
ठगी-ठुटी, पीडित-अपमानित मानवता आक्रान्त !”

हिन्दुस्तान की सारी तकलीफों का दोष अंग्रेजों के सिर मढ़ना ठीक नहीं होगा। इसकी जिम्मेदारी तो हमको अपने ही कंधों पर लेनी पड़ेगी और उससे हम बच भी नहीं सकते, अपनी कमजोरी के अनि-
वार्य परिणामों के लिए दूसरों को दोष देना अच्छा नहीं मालूम होता।
1 एक हाकिमाना शासन-प्रणाली, खासकर एक विदेशी शासन-प्रणाली
जल्द ग़ुलाम मनोवृत्ति को प्रोत्साहन देगी और रियाया के दृष्टिकोण
और दृष्टि-क्षेत्र को सीमित रखने का प्रयत्न करेगी। उसे तो नवयुवकों

१ अमेरिका के कवि ई० मारखम की “The man with the Hoe”
(फावड़ेवाला आदमी) नामक कविता के अंश का भाषानुवाद।

की सबसे उत्तम प्रवृत्तियों—उद्योग, जोड़िम उठाने की भावना, मौलिकता, तेजस्विता—को पीस डालना और जी चुराना, लकीर के फकीर बने रहना और अफसरो की कदमबोसी और चापलूमी करने की इच्छा आदि को प्रोत्साहन देना की अभीष्ट है। इस प्रकार की प्रणाली से सच्ची सेवा-वृत्ति, सार्वजनिक सेवा या आदर्श की लगन, उत्पन्न नहीं होती, यह तो ऐसे लोगों को छूट लेती है जिनमें सेवा के भाव बहुत कम हो और जिनका एकमात्र उद्देश्य मौज से ज़िन्दगी बसर करना हो। हम देखते हैं कि हिन्दुस्तान में अग्रेज लोग कैसे व्यक्तियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं ! इनमें से कुछ तो कुशाग्रबुद्धि और अच्छा काम करने लायक होते हैं। ये लोग दूसरी जगह मौका न मिलने के कारण सरकारी या अर्द्ध सरकारी नौकरियों में पढ़कर धीरे-धीरे नरम हो जाते हैं और उस बड़ी मशीन के पुर्जेमात्र बन जाते हैं, उनके दिमाग काम के सुस्त ढर्रे में कैद हो जाते हैं। वे नौकरशाही के गुण—“नलकीं करने का खूब अच्छा ज्ञान और दफ्तर चलाने का कौशल”—प्राप्त कर लेते हैं। सार्वजनिक सेवा में ज्यादा-से-ज्यादा उनकी मौखिक शक्ति होती है। उदलता हुआ जोश वहाँ न तो होता है और न ही सकता है। विदेशी सरकार के राज्य में यह सम्भव ही नहीं है।

लेकिन इनके अलावा, छोटे-मोटे अफसरो में भी अधिकतर किसी तारीफ के काबिल नहीं होते। क्योंकि उन्होंने तो सिर्फ अपने बड़े अफसरो की कदमबोसी करना और अपने मातहतों को डाँटना ही सीखा है। इसमें उनका कूसूर नहीं है। यह शिक्षा तो उन्हें शासन-प्रणाली से मिलती है। अगर चापलूसी और रिश्तेदारों के साथ रिवायत फूलती-फलती है, जैसा कि अक्सर होता है, तो इसमें ताज्जुब ही क्या है ? नौकरी में उनका कोई आदर्श नहीं रहता, उनके पीछे तो बेकारी और उसके परिणामस्वरूप भूखो मरने के डर का भूत लगा रहता है, और

उनकी खास नीयत यह रहती है कि अपनी नौकरी से चिपके रहे और अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के लिए और दूसरी नौकरियाँ प्राप्त करे। जहाँ भेदिया, और सबसे ज्यादा घृणित जीव मुखबिर, हमेशा पीछे-पीछे लगे फिरते रहते हैं, वहाँ लोगों में अधिक वाञ्छनीय गुणों की वृद्धि होना कठिन है।

हाल की घटनाओं ने तो भावुक और सार्वजनिक सेवा के भावोंवाले व्यक्तियों के लिए सरकारी नौकरी में घुसना और भी मुश्किल कर दिया है। सरकार तो उनको चाहती नहीं और वे उससे उस समय तक घनिष्ठ सम्बन्ध रखना नहीं चाहते जबतक कि वे आर्थिक परिस्थिति से मजबूर न हो जायें।

लेकिन, जैसा कि सारी दुनिया जानती है, साम्राज्य का भार गोरों पर है, कालों पर नहीं। साम्राज्य की परम्परा जारी रखने के लिए तरह-तरह की शाही नौकरियाँ और उनके विशेष अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए सरक्षणों की हमारे यहाँ भरमार है, और कहा जाता है कि ये सब हैं हिन्दुस्तान के ही हित के लिए। यह ताज्जुब की बात है कि हिन्दुस्तान का हित किस तरह से इन ऊँची नौकरियों के स्पष्ट हितों और उन्नति के साथ बँधा हुआ है। हमसे कहा जाता है कि अगर भारतीय सिविल सर्विस का कोई अधिकार या कोई ऊँचा ओहदा छीन लिया गया तो उसका नतीजा बदइन्तजामी और रिश्तखोरी आदि होगा। अगर भारतीय मेडिकल सर्विस की रिजर्व की हुई नौकरियाँ कम कर दी गईं तो यह बात "हिन्दुस्तान की तन्दुरुस्ती के लिए खतरनाक" हो जाती है। और हाँ, अगर फौजों में अग्रेजों की सख्या को हाथ लगाया गया तो दुनियाभर के भयकर खतरे हमारे सामने आ जाते हैं।

मेरा खयाल है कि इस बात में कुछ सचाई है कि अगर ऊँचे अफसर यकायक चले गये और अपने महकमों को मातहतों के भराने छोड़

गये तो इतनाम में कमी जरूर आवेगी। लेकिन यह तो उम्मीद होगी कि सारी प्रणाली ही उस तरह की बनाने गई है, और मातहत लोग किसी हालत में भी कोई बहुत लाया नहीं है, न उनके कर्तव्यों पर तनी जिम्मेदारी का बोझ डाला गया है। मुझे विश्वास होता है कि हिन्दुस्तान में अच्छी सामग्री बटुनायत में पटी हुई है और वह थोड़े ही समय में मिल भी सकती है, बस कि टांग-ठीक उपाय काम में लाये जायें। लेकिन इसका अर्थ है हमारे शासन और समाज-नियंत्रण दृष्टिकोण में आमूल परिवर्तन, जिसका अर्थ होता है एक नई राज्य-व्यवस्था।

अभी तो हमसे यही कहा जाता है कि शासन-विधान में चाहे जो परिवर्तन हमारे सामने आवें, हमारी देखरेख करनेवाला और हमें आश्रय देनेवाला बड़ी-बड़ी नीकरियों का मजबूत ढाँचा ज्यों-का-त्यों बना रहेगा। सरकारी मन्दिर के गूढतम रहस्यों को जानने और दूसरों को उनका अधिकारी बनानेवाले ये पण्डे लोग उसकी रक्षा करेंगे और अनधिकारी लोगों को उस पवित्र प्राण में न घुसने देंगे। क्रम-क्रम से जैसे-जैसे हम अपने को उसके योग्य बनाते जायेंगे, वैसे-वैसे वे एक के बाद दूसरे परदे को हमारे सामने से उठाते जायेंगे, और इस तरह अन्त में किसी सुदूर भविष्य में अन्तर्कपाट खुलेंगे और हमारी आश्चर्यभरी तथा श्रद्धा-युक्त आँखों के सामने वह पवित्रतम देवमूर्ति खड़ी दिखाई देगी।

इन शाही नीकरियों में सबसे ऊँचा स्थान भारतीय सिविल सर्विस का है और हिन्दुस्तान की सरकार के ठीक-ठीक चलते रहने की धावाशी या कानत ज्यादातर इसीको मिलनी चाहिए। हमको अक्सर इस सर्विस के अनेक गुण बतलाये जाते हैं। साम्राज्य की योजना में इसका महत्त्व एक सिद्धान्त-सा बन गया है। हिन्दुस्तान में इसकी सर्वमान्य अधिकार-पूर्ण स्थिति और उससे उत्पन्न स्वेच्छाचरिता और पर्याप्त परिमाण में मिलनेवाली तारीफ और वाहवाही, यह सब किसी भी व्यक्ति या समू-

दाय के दिमाग को स्थिर रखने के लिए बहुत अच्छी चीजें नहीं हो सकती। इस सर्विस के लिए प्रगसा के भाव रखते हुए भी मुझे सकोच के साथ स्वीकार करना पड़ता है कि व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों ही तरह यह पुरानी लेकिन कुछ-कुछ नवीन बीमारी—उन्माद—की विलक्षण रूप से शिकार हो सकती है।

इण्डियन सिविल सर्विस की अच्छाइयों ने इन्कार करना फजूल है, क्योंकि हमें इनको भूलने ही नहीं दिया जाता। लेकिन इस सर्विस के बारे में इतनी निरर्थक बातें कही गईं और कही जाती हैं कि मुझे कभी-कभी लगता है कि उसकी थोड़ी-सी कलई खोल देना भी हितकर होगा। अमेरिकन अर्थशास्त्री देवलेन ने विशेष अधिकार-प्राप्त वर्गों को 'सुरक्षित वर्ग' कहा है। मेरे खयाल से, इण्डियन सिविल सर्विस और दूसरी शाही नौकरियों को भी 'सुरक्षित नौकरियाँ' कहना उतना ही युक्ति-युक्त होगा। यह एक बड़ी खर्चीली ऐयाशी है।

मेजर डी० ग्रैहम पोल ने, जो पहले ब्रिटिश पार्लियामेंट के लेबर मेम्बर रह चुके हैं और हिन्दुस्तान के मामलों में बहुत दिलचस्पी लेते हैं, कुछ दिन हुए, 'माडर्न रिव्यू' में एक लेख लिखा था, जिसमें उन्होंने बताया था कि "अभीतक इस बात पर किसीने आपत्ति नहीं की कि इण्डियन सिविल सर्विस एक बहुत योग्य और होशियार कारगर चीज है।" चूंकि इसी प्रकार की बातें इंग्लैण्ड में अक्सर कही जाती हैं और उन पर विश्वास किया जाता है, इसलिए इसकी परीक्षा करना लाभकर होगा। ऐसे पक्के और निश्चयात्मक बयान देना, जो सहज ही में काटे जा सकें, हमेशा खतरनाक होता है और मेजर ग्रैहम पोल को यह कल्पना बिल्कुल गलत है कि इस बात पर कभी किसी ने ऐतराज नहीं किया। इसको तो बार-बार चुनौती दी गई है और ठीक नहीं माना गया है, और काफी बर्सा हुआ जब श्री गोपालकृष्ण गोत्रले तक ने इण्डियन

निश्चित सर्विस के बारे में बहुत-सी बातें जाने लगी थीं। भीमन दर्जे का हिन्दुस्तानी—यह कार्यक्रम है या न हा—मेजर रैटम पॉल में इस विषय पर निश्चय हा कदापि सहमत नहीं हो जाता। फिर भी यह सम्भव है कि दोनों कुछ अथ तक ठीक हों और भिन्न-भिन्न गुणों की दृष्टि में राकर मोचन हा। आखिर योग्यता और होशियारी का परमाना क्या है? अगर यह योग्यता और होशियारी हिन्दुस्तान में ब्रिटिश राज्य को भजवत बनाये रखने और देश का चूगने में उसे सहायता देने की दृष्टि से नापी जाय, तो इण्डियन सिविल सर्विस जरूर बहुत अच्छा काम करने का दावा कर सकती है। लेकिन अगर भारतीय जनता को भलाई की कमीटी पर रखकर देखा जाय, तो कहना होगा कि ये लोग दुरी तरह से नाकामयाब हुए हैं, और इनकी नाकामयाबी तब और भी ज्यादा जाहिर हो जाती है जबकि हम उस बड़े भारी अन्तर को देखते हैं जो आमदनी और रहन-सहन के ढंग के लिहाज से इनको उस जनता से अलग कर देता है जिसकी सेवा करना इनका फर्ज है और दरअसल जिसके पास से इनकी दतनी लम्बी-चौड़ी तनख्वाह आदि निकलती है। ✓

यह बिलकुल ठीक है कि आमतौर पर इस सर्विस ने अपना एक खास स्टैंडर्ड बना लिया है, हालाँकि वह स्टैंडर्ड लाजिमी तौर पर बहुत नीचे दर्जे का रहा है। कभी-कभी इसमें से असाधारण व्यक्ति भी निकले हैं। ऐसी किसी सर्विस से ज्यादा उम्मीद भी नहीं की जा सकती। इसके अन्दर लाजिमी तौर पर अन्दर से अपनी अच्छाइयों और दुराइयों को लिये हुए इंग्लैण्ड के पब्लिक स्कूलों की भावना भरी हुई थी (हालाँकि इण्डियन सिविल सर्विस के बहुत-से अफसर इन पब्लिक स्कूलों में पढे हुए नहीं हैं)। हालाँकि यह एक अच्छा स्टैंडर्ड बनाये रहीं, फिर भी इसने अपनी छोकना कभी पसन्द नहीं किया, और व्यक्तिगत रूप से इसके मेम्बरो के खास गुण रोजमर्रा के नीरस काम-काजों में, और कुछ

इस डर में कि कहीं दूसरो से भिन्न न नज़र आने लों, विलीन हो गये । इसमें बहुत से उत्साही लोग भी थे, और बहुत-से ऐसे भी थे जिनमें सेवा के भाव थे, लेकिन वह सेवा सबसे पहले साम्राज्य की थी और हिन्दुस्तान तो गिरते-पड़ते कहीं दूसरे नम्बर में आता था । जिस तरह की तालीम उन्हें मिली थी और जैसी उनकी परिस्थिति थी उसके अनुसार तो वे सिर्फ़ ऐसा ही कर सकते थे । चूँकि उनकी तादाद कम थी और वे एक विदेशी और अक्सर वे-मेल वातावरण से घिरे रहते थे, इसलिए वे अपने ही में रमे रहते और अपना एक खास स्टैण्डर्ड बनाये रखते थे । जाति और पद की प्रतिष्ठा का यही तकाज़ा था । और चूँकि उनको मनमानी करने के खूब अधिकार थे, इसलिए वे आलोचना से नाराज़ होते थे और उसे बड़ा भारी पाप समझते थे । वे दिन-पर-दिन असहिष्णु तथा स्कूल मास्टर की मनोवृत्तिवाले होते जाते थे, और गैर-ज़िम्मेदार राज्य-शामको के बहुत-से दुर्गुण अपने अन्दर भरते जाते थे । वे अपने ही में मत्तुष्ट रहते और किसी दूसरे की कुछ आवश्यकता नहीं समझते थे । उनके दिमाग़ सकीर्ण और घड़े-घड़ाये थे, जो परिवर्तनशील सप्ताह में भी अपरिवर्तित रहते तथा प्रगतिशील वातावरण के बिलकुल अनुपयुक्त थे । जब उनसे अधिक योग्य और स्थिति को अच्छी तरह समझनेवाले हिन्दु-स्तान की समस्या को हल करने की कोशिश करते, तो वे लोग नाराज़ होते, उन्हें खरी-खोटी सुनाते, उनको दबाते और उनके मार्ग में सब तरह के रोड़े अटकाते । जब यूरोपीय महायुद्ध के बाद होनेवाले परिवर्तनों ने गतिशील परिस्थिति उत्पन्न करदी, तो य लोग एकदम चौंका गये और अपने आपको उसके अनुकूल न बना सके । उनकी परिमित और सकीर्ण शिक्षा ने उन्हें ऐसी सकटापन्न और नवीन परिस्थितियों के योग्य नहीं बनाया था । लम्बे अर्से तक गैर-ज़िम्मेदारी के साथ काम करते-करते वे दिगड़ चुके थे । समुदाय-रूप से तो उनको करीब-करीब बिलकुल निर-

कुश प्रभुता मिली हुई थी, जिस पर सिर्फ सिद्धान्त-रूप से ब्रिटिश पार्ल-
मेण्ट का नियन्त्रण था। लार्ड एक्टन ने लिखा है—“प्रभुता हमें विगाड
देती है, और पूर्ण प्रभुता तो पूर्णरूप से विगाड देती है।”

मामूलीतौर से, ये लोग अपने परिमति दायरे में विव्वासपात्र
अफसर होते थे, जो अपना रोज़मर्रा का काम काफी होशियारी के साथ
करते, लेकिन उसमें प्रवीणता नहीं होती थी। उनकी तो तालीम ही
ऐसी होती थी कि कोई विलकुल अचानक हो जानेवाली घटना उन्हें
धबरा देती थी। हालाँकि उनका आत्म विश्वास, उनकी कायदे के साथ
काम करने की आदतें और उनकी मान्तरिक एकता उनको तात्कालिक
कठिनाइयों पर विजय पाने में सहायता देते थे। मैसेपोटेमिया में की
हुई मशहूर गडबड ने भारतीय ब्रिटिश सरकार की अयोग्यता और
जडता का भडा-फोड कर दिया था, लेकिन ऐसी बहुत-सी गडबडें चाहिए
ही नहीं होने पाती हैं। सविनय-भंग के प्रति इन्होंने जो वृत्ति दिखलाई
वह क्रुद्धगी थी। गोली चलाने और लाठी मारने से थोड़ी देर के लिए
दुश्मनों से छुटकारा भले ही मिल जाय, लेकिन इससे कोई मसला हल
नहीं होता। और उच्चता की जिस भावना की रक्षा करने के लिए यह
काम किया जाता है उसीकी जड पर इससे कुठाराघात होता है। अगर
उन्होंने एक बढ़नेवाले और तेज़-तर्रार राष्ट्रीय आन्दोलन का मुकाबिला
करने के लिए हिंसा का सहारा लिया तो इसमें कोई ताज्जुब की बात
नहीं थी, यह तो अनिवार्य ही था, क्योंकि साम्राज्यों का आधार हिंसा
ही है और विरोध का मुकाबिला करने के लिए उन्हें दूसरा तरीका ही
नहीं सिखाया गया था। लेकिन अतिशय और अनावश्यक रूप से हिंसा
का प्रयोग किया जाना ही इस बात का सबूत था कि स्थिति पर उनका
त्रिभुज काबू नहीं रहा था, और उनमें वह आत्म-संयम और निग्रह
नहीं रह गया था जो साधारण अवस्थाओं में उनमें रहता था। अक्सर

उनके हाथ-पैर फूल जाते थे और उनके सार्वजनिक वक्तव्यों में भी फजूल बकवास-सी नज़र आती थी। और दिनों रहनेवाला गहरा विश्राम जाता रहा था। खतरा बड़ी बेरहमी से हम सबकी पोल खोल देता है और हमारी अन्दरूनी कमजोरियों का भडाफोड कर देता है। सविनय-भग एक ऐसा ही खतरा और ऐसी ही परीक्षा थी, और लडने-वाले दोनों दलो—काँग्रेस या सरकार—में से कोई भी इस परीक्षा में पूरा नहीं उतरा। मि० लाइड जार्ज कहते हैं कि खतरे के समय में ऊँचे दर्जे की दिमागी ताकत रखने वाले पुरुष और स्त्रियों की संख्या बहुत कम मिलती है, और “बाकी लोगो की खतरे में कोई गिनती नहीं। छोटी-छोटी पहाडियाँ, जो सूखे मौसम में उमरी हुई-सी दिखाई पडती है, जोर की बाढ में फौरन डूब जाती है, जबकि सिर्फ उससे ऊँची चोटियाँ ही पानी की सतह के ऊपर नज़र आती है।”

जो कुछ भी हुआ, उसके लिए इण्डियन सिविल सर्विस के लोग दिल और दिमाग से तैयार न थे। उनमें से बहुतो की आरम्भिक शिक्षा पुराने शाही जमाने की थी, जिसकी वजह से उनमें कुछ सस्कृति और आकर्षण बना हुआ था। यह तो पुरानी दुनिया का रख था, जो विक्टोरियन युग के उपयुक्त था, लेकिन आधुनिक अवस्थाओं में जिसके लिए कोई स्थान न था। वे लोग अपने सकुचित और गूलर के समान ‘ऐंग्लो-इंडिया’ ससार में निवास करते थे, जो न इंग्लैण्ड था और न हिन्दुस्तान। तात्कालिक समाज में जो शक्तियाँ काम कर रही थी उनकी कदर वे कर ही नहीं सकते थे। भारतीय जनता के अभिभावक और ट्रस्टी होने की अपनी मज्जेदार धारणा के बावजूद वे इसके बारे में कुछ नहीं जानते थे, और नये उग्रमतवादी मध्यमवर्ग के बारे में तो इससे भी कम जानते थे। वे हिन्दुस्तानियों की योग्यता का अन्दाजा उन चापलूसों और नौकरी के उम्मीदवारों से करते थे जो उनको घेरे रहते थे, और बाकी

लोगों को वे आन्दोलनकारों और बोखेबाज कहकर उठा देते थे। के बाद होनेवाले समार-आपी और खासकर आर्थिक क्षेत्र के परिष्कार उन्हें बहुत थोड़ा ज्ञान था और वे ऐसी गहरी लीक में फँस कि परिवर्तनशील परिस्थितियों के अनुकूल अपने को बना नहीं सब वे इस बात को महसूस नहीं करते थे कि जिस श्रेणी के वे प्रति वह मौजूदा हालातों में पुरानी पड़ चुकी थी, और वे समुदाय-स्व धीरे-धीरे उस जाति के निकट पहुँच रहे थे जिसका वर्णन टी० एस० ने अपने 'दि हॉलो मैन' (पोले आदमी) में किया है।

लेकिन इतने पर भी यह वर्ग जब तक ब्रिटिश साम्राज्य तबतक काममें रहेगा और यह अभीतक काफी शक्तिशाली है भी उसमें योग्य और कुशल नेता हैं। भारत में अंग्रेजी-राज्य। हुए दाँत के समान हैं जो अभीतक मजबूती से जमा हुआ है करता है, लेकिन आसानी से निकाला नहीं जा सकता। यह दर्द जारी रहेगा और बढ़ता भी रहेगा, जबतक कि दाँत निकाला या धुद गिर न पड़े।

पब्लिक स्कूलवालों के दिन इंग्लैंड में भी पूरे हो गये उनकी बंसी प्रतिष्ठा नहीं है जैसी पहले थी, हालाँकि सार्वजनिक में वे अब भी प्रमुख हैं। हिन्दुस्तान में तो यह और भी ज्यादा है और उग्र राष्ट्रीयता के साथ न तो उसका मेल बैठ सकता न उनके साथ महारोग ही हो सकता है, सामाजिक परिवर्तन गंभीर रणनीति से साथ देना तो बहुत दूर की बात है।

हिन्दुस्तान में अनेक बटिया आदमी भी हैं जो हिन्दुस्तानी भी, लेकिन जबतक मौजूदा शासन-प्रणाली उनकी प्रतीक्षा ऐसी उद्देश्यों को पूरा करने में सक्षम है जिसमें हिन्दुस्तानियों का कुछ फायदा नहीं है। सर्विस के कुछ

अफसर इस पब्लिक स्कूल की भावना के इतने गुलाम हैं कि वे अपने को सम्राट् से भी ज्यादा चाही समझते हैं। भुझे याद है कि मेरी मुलाकात सिविल सर्विस के एक ऐसे नौजवान अफसर से हुई थी जो अपने लिए बड़ी ऊँची राय रखता था लेकिन जिससे दुर्भाग्यवश मैं सहमत नहीं हो सकता था। उसने मेरे सामने अपनी सर्विस के बहुत-से गुण गाये और अन्त में ब्रिटिश साम्राज्य के पक्ष में यह लाजवाब दलील पेश की कि क्या यह रोमन साम्राज्य और चंगेज़खाँ तथा तैमूर के साम्राज्यों से बेहतर नहीं है ?

इण्डियन सिविल सर्विसवालों की मुख्य भावना यह है कि वे अपना फर्ज बड़ी होशियारी के साथ अदा करते हैं, और इसलिए वे अपने दावों पर ख़ोर दे सकते हैं, और उनके दावे भी बहुत-से और तरह-तरह के हैं। अगर हिन्दुस्तान गरीब है तो यह कूसूर उसके सामाजिक रीति-रिवाजों का, महाजनो और रुपया उधार देनेवालों का, और सबसे ज्यादा उसकी बड़ी भारी आवादी का है। लेकिन सबसे बड़ी 'वनिया' ब्रिटिश सरकार को आसानी से भुला दिया जाता है। और इस आवादी के बारे में वे क्या करना चाहते हैं यह मैं नहीं जानता, क्योंकि अकालो, महामारियों और आमतौर पर बड़ी तादाद में मीतों से बहुत-कुछ मदद मिलने पर भी यहाँ की आवादी अभीतक बहुत ज्यादा है। सतति-निग्रह की सलाह दी जाती है, और मैं तो यद्यपि बिलकुल इसके पक्ष में हूँ कि सतति-निग्रह के ज्ञान और तरीकों का प्रचार किया जाय। लेकिन खुद इन तरीकों का प्रयोग ही जनता के रहन-सहन का एक काफी ऊँचा ढग, कुछ हद तक मामूली शिक्षा और सारे देश में असरय चिकित्सालयों की आवश्यकता रखता है। मौजूदा हालत में सतति-निग्रह के तरीके साधारण जनता की पहुँच से बिलकुल बाहर हैं। मध्यमवर्ग के लोग इनसे फायदे उठा सकते हैं और मैं समझता हूँ कि वे लोग अधिकाधिक परिमाण में ऐसा कर भी रहे हैं।

लेकिन जरूरत से ज्यादा जन-वृद्धि-सम्बन्धी यह दलील और भी गौर किये जाने के काबिल है। आज सारी दुनिया में सवाल यह नहीं है कि खाने की या दूसरी जरूरी चीजों की कमी है, बल्कि दरअसल कमी है खानेवालों की, या दूसरे शब्दों में, कमी है उन लोगों के लिए खाना बनाने की शक्ति की कि जो भूखें मर रहे हैं। अकेले हिन्दुस्तान को भी खाने की कोई कमी नहीं है, हालाँकि आवादी बढ़ गई है, खाने का सामान भी बढ़ गया है, और आवादी के मुकाबिले में ज्यादा भिकदार में बढ़ सकता है। फिर हिन्दुस्तान की आवादी की बढ़ोतरी का जिस कदर छिड़ोरा पीटा जाता है उसकी गति (सिवाय पिछले दस वर्षों के) ज्यादातर पश्चिमी देशों से बहुत कम है। यह सच है कि भविष्य में यह फर्क बढ़ता जायगा, क्योंकि पश्चिमी देशों में आवादी की बढ़ोतरी को कम करने या रोक तक देने के लिए तरह-तरह की शक्तियाँ काम कर रही हैं। लेकिन हिन्दुस्तान में भी सीमित करनेवाले कारण शायद जल्दी ही आवादी की बढ़ोतरी को रोक देंगे।

जब कभी भारत स्वतन्त्र होगा और कभी इस स्थिति में होगा कि वह अपने को जिस तरह बनाना चाहे बना सके तो इस काम के लिए उसे जरूर अपने सबसे अच्छे पुत्रों और पुत्रियों की आवश्यकता होगी। उनके देश के मनुष्य हमेशा बड़ी मुश्किल से मिलते हैं और हिन्दुस्तान में तो मिलना और भी मुश्किल है, क्योंकि हमें ब्रिटिश राज्य में जयति करने का मौका ही नहीं मिला। हमें सार्वजनिक कार्यों के अनेक विभागों में विदेशी विशेषज्ञों की सहायता की आवश्यकता होगी, खासकर ऐसे कामों के लिए, जिनमें खासतौर पर औद्योगिक और वैज्ञानिक ज्ञान की जरूरत हो। जो लोग इंडियन मिजिल सर्विस या दूसरी शाही नौकरियों में रह चुके हैं उनमें बहुत-से हिन्दुस्तानी और विदेशी होंगे जिनकी जरूरत नई व्यवस्था के लिए होगी और उनका स्वागत किया जायगा। लेकिन

एक बात का तो मुझे पूरा यकीन है कि जबतक हमारे राज्य-शासन और मार्बजनिफ नौकरियों में मिविल सर्विस की भावना समाई रहेगी, तबतक हिन्दुस्तान में किसी नई व्यवस्था की रचना नहीं की जा सकती। यह शासन-मनोवृत्ति साम्राज्यवाद की पोपक है और स्वतन्त्रता और यह दोनों साथ-साथ नहीं निभ सकती। या तो यह स्वतन्त्रता को पीस डालने में सफल होगी, या स्वयं उखाट फेंकी जायगी। सिर्फ एक तरह की राज्य-प्रणाली में इसकी दाल गल सकती है, और वह है फंसिस्ट प्रणाली। इसलिए मुझे यह बहुत जरूरी मालूम देता है कि, हम नई व्यवस्था का कोई अनली काम शुरू करें, उसके पहले मिविल सर्विस और इस तरह की दूसरी शाही सर्विसों का अन्त हो जाना चाहिए। इन सर्विसों के अलग-अलग व्यक्ति, अगर वे नई नौकरी के लिए राजी हो और योग्य हों, खुशी के साथ आवें, लेकिन सिर्फ नई शर्तों पर। यह तो कल्पना ही नहीं की जा सकती कि उनको वही फजूल की मोटी-मोटी तनखाहे और भत्ते मिलेंगे जो आज उन्हें दिये जा रहे हैं। नवीन हिन्दुस्तान को ऐसे सच्चे और योग्य कार्यकर्त्तियों की सेवायें चाहिएँ जिन्हें उसके हित में हार्दिक विश्वास हो जिनके लिए वे कार्य कर रहे हों, जो सफलता प्राप्त करने पर नुले हों, और जो बड़ी-बड़ी तनखाहों के लोभ से नहीं, बल्कि सेवा-जनित आनन्द और गौरव के लिए काम करते हों। सपना मिलने की नीयत को घटाकर कम-से-कम देना होगा। विदेशी सहायकों की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, लेकिन मेरे खयाल से ऐसे राज-काज चलानेवालों की जरूरत सबसे कम होगी जिनको औद्योगिक ज्ञान न हो। ऐसे आदमियों का तो हिन्दुस्तान में कुछ अभाव न होगा।

मैं पहले लिख चुका हूँ कि भारत के नरम दलवालों और उनके समान अन्य दलवालों ने किस प्रकार भारत के शासन के विषय में अंग्रेजी विचार-प्रणाली को स्वीकार कर लिया है। सर्विसों के सम्बन्ध

में तो यह बात और भी साफ़ जादिर हो जाती है, क्योंकि उनकी पुस्तक 'भारतीयकरण' के लिए है, सर्विना के रूप और भावना और राज्य-व्यवस्था की रचना में आमूल परिवर्तन के लिए नहीं। यह एक ऐसा मौलिक नत्व है जिसपर कोई समझौता हो ही नहीं सकता, क्योंकि भाग्य की स्वतन्त्रता न केवल ब्रिटिश फ़ौज और सर्विना के वापस हटा लिए जाने पर ही अवलम्बित है बल्कि उसके लिए उनके दिमागों में घुसी हुई शासक-भनोवृत्ति के निकाले जाने और उनकी मोटी-मोटी तन-हवाहो और रियायतों को नमता पर लाने की भी आवश्यकता है। शासन-विधान-रचना के इस काल में सरक्षणों की बहुत बातचीत हो रही है। अगर ये सरक्षण हिन्दुस्तान के हित में रखे जायें, तो उनमें दूसरी-बाती के अलावा यह विधान होना चाहिए कि सिविल सर्विस वगैरा का उनके वर्तमान रूप में तथा उनको मिली हुई शक्तियों और विशेष अधिकारों के साथ अन्त हो जाय, और नये विधान से उनका कुछ भी सरोकार न रहे।

हमारी रक्षा के नाम पर स्थापित फ़ौजी सर्विसों का हाल तो और भी रहस्यमय और भयकर है। हम न तो उनकी आलोचना कर सकते हैं, न उनके बारे में कुछ कह ही सकते हैं, क्योंकि ऐसे मामलों में हम समझते ही क्या हैं? हमारा काम तो बिना कोई ची-चपड़ किये सिर्फ़ मोटी-मोटी तनहवाह चुकाते रहने का है। कुछ दिन हुए, सितम्बर १९३४ में, हिन्दुस्तान के जंगी लॉट (कमाण्डर-इन-चीफ़) सर फ़िलिप चेटवुड ने शिमला में कौंसिल-ऑफ़-स्टेट में बोलते हुए चुभती हुई फ़ौजी भाषा में हिन्दुस्तान के राजनीतिज्ञों से कहा था कि वे लोग अपने काम से काम रखें, हमारे काम में दखल न दें। किसी प्रस्ताव पर एक सर्वोच्च निकाय बनानेवाले की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा था—“क्या यह और उनके मित्त यह खयाल करते हैं कि बहुत-सी लड़ाइयाँ जीती

हुई और युद्ध-प्रवीण अंग्रेज-जाति, जिसने अपना साम्राज्य तलवार के जोर से जीता है और तलवार के ही जोर से जिसकी अबतक रक्षा की है, उस अनुभव से प्राप्त किये हुए अपने युद्ध-सम्बन्धी ज्ञान को कुरसियाँ तोड़नेवाले आलोचकों से सीखेगी ?” उन्होंने और भी बहुत-सी मजेदार बातें कही थीं, और कहीं हम यह खयाल न करने लगे कि उन्होंने तैयार में आकर ऐसा कह डाला था, इसलिए हमें बतलाया गया था कि उन्होंने अपना भाषण बड़े विचारपूर्वक लिखा था और उसी हस्तलिपि को पढ़कर सुनाया था ।

किसी साधारण आदमी का फौजी मामलो पर एक जगी लाट से भिड़ पडना दरअसल गुस्ताखी है, लेकिन शायद एक कुरसी टोड़नेवाला आलोचक भी कुछ कहने का अधिकारी हो सकता है । यह बात समझ में आसकती है कि जिन्होंने साम्राज्य को तलवार के जोर से कब्जे में कर रखा है और जिनके सिर के ऊपर यह चमचमाता हथियार हमेशा लटका रहता है, उनके हित शायद एक-दूसरे भिन्न हों । यह सम्भव है कि हिन्दुस्तानी फौज हिन्दुस्तान के हितों या साम्राज्य के हितों के लिए काम में लाई जाय और इन दोनों हितों में भिन्नता ही नहीं बल्कि परस्पर-विरोध भी हो । एक राजनीतिज्ञ और कुरसी तोड़नेवाले आलोचक को यह भी आश्चर्य हो सकता है कि यूरोपीय महायुद्ध के अनुभवों के बाद भी प्रमुख सेनानायकों का यह दावा कि उनके कामों में दखल न दिया जाय कहाँ तक जायज है । उस समय उनको बहुत अगो तक न्वतन्त्र क्षेत्र मिला था और, जहातक मालूम हुआ है, उन्होंने सारी अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, आस्ट्रियन, इन, रूसी सेनाओं में करीब-करीब तमाम बातों में एक बड़ी भयंकर गड़बड़ पैदा करदी थी । मगहूर अंग्रेज फौजी इतिहासज्ञ और युद्ध-विद्या-विगारद कैप्टन लिडैंक हार्ट ने अपनी 'हिस्ट्री आफ दी बल्ले वार' में लिखा है कि महायुद्ध में एक बार जब

अश्रेष्ठ सिपाही दुश्मनो से लड़ रहे थे, उनी समय अश्रेष्ठ फौजों अफसर आपस में लड़ रहे थे। ऐसे राष्ट्रीय सङ्घ के वक्त में भी लोग विचारों और कार्यों में एकता न लासके। वह फिर लिगते हैं, महायुद्ध ने, अपने आराध्यदेवों के प्रति हमारे श्रद्धा और आदर के इन भावों को नष्ट कर दिया है कि महान् पुरुष उस मिट्टी के बने हुए नहीं होते जिनके साधारण मनुष्य होते हैं। नेताओं की अब भी आवश्यकता है, और शायद ज्यादा आवश्यकता है, लेकिन हममें इस भाव का पैदा हो जाना कि वे भी साधारण मनुष्यों की तरह हैं, हमको उनसे बहुत ज्यादा आशा रखने या उनपर बहुत ज्यादा विश्वास करने के खतरों से बचा लेगा।”

महान् राजनीतिज्ञ मि० लॉयड जार्ज ने अपनी ‘वार-भेमाँयर्स’ (महायुद्ध की स्मृतियाँ) नामक पुस्तक में महायुद्ध के जल और स्थल सेनानायकों की गलतियों का—ऐसी गलतियों का, जिनके कारण लाखों आदमियों की जाने गईं—बड़ा भयकर चित्र खींचा है। इंग्लैण्ड और उसके सहायकों ने महायुद्ध में विजय तो प्राप्त की, लेकिन यह ‘विजय पर एक रक्त-रजित प्रहार था।’ ऊँचे अफसरों-द्वारा फौजों और परिस्थितियों के मूर्खतापूर्ण और अविवेकयुक्त उपयोग ने इंग्लैण्ड को लगभग सर्वनाश के किनारे लापटका था और उसकी और उसके सहायकों की रक्षा अधिकतर उनके शत्रुओं की ऐसी भूलों के कारण हुई जिनके होने का सहज ही विश्वास नहीं हो सकता। इंग्लैण्ड का महायुद्ध के समय का महान् प्रधानमंत्री इस प्रकार लिखता है और वह बतलाता है कि किस प्रकार उन्हें लाई जेलीकों के दिमाग में कुछ बातें बिठाने के लिए, सासकर पथ-रक्षक-प्रणाली के प्रस्ताव के बारे में, उनके साथ सल्लाही से पेश आना पडा था। फ्रांसीसी मार्शल जाँफर के बारे में तो उनका यह विचार मालूम होता है कि उसका सबसे बड़ा गुण उसकी दृढ़ता-सूचक मुखमुद्रा थी जो हृदय में शक्ति की भावना को पैदा करती

थी। “यही चीज है जो अस्त लीग सकट के समय में खोजते हैं। वे यह समझने की भूल करते हैं कि चतुरता किसी चेहरे में निवास करती है।”

लेकिन मि० लॉयड जार्ज का मुख्य आरोप तो खास ब्रिटिश सेना के नायक पर ही, कमाण्डर-इन-चीफ फील्ड-मार्शल हेग पर, है। उन्होंने यह सिद्ध किया है कि किस प्रकार लार्ड हेग ने अपने स्वामत्त्ववाह के घमण्ड और राजनीतिज्ञो इत्यादि की बातें सुनने से इन्कार करके खास ब्रिटिश मन्त्रि-मण्डल से ही महत्त्वपूर्ण बातों को छिपाया, जिसके कारण फ्रांस में अग्रेजी फौज को बड़ी भारी हानि उठानी पड़ी और इतने पर भी, जबकि असफलता सामने नजर आरही थी, वे आखिर तक अपनी जिद पर अड़े रहे, और अपने मूर्खतापूर्ण युद्ध को पँसुअन्डेल तथा कैम्ब्राई की भयकर दलदलो में कई महीने तक चलाते रहे, यहाँतक कि सत्रह हज़ार तो अफसर ही वहाँ काम आ गये और चार लाख वीर अग्रेज सिपाही हताहत हो गये। सतोप की बात इतनी ही है कि आज भी ‘अज्ञात सिपाही’ का उसकी मृत्यु के बाद सम्मान किया जाता है, जब कि अपने जीवन-काल में उसका जीवन बहुत सस्ता था और उसकी कोई पूछ नहीं थी।

अन्य लोगों की तरह राजनीतिज्ञ भी अक्सर गलतियाँ करते हैं, लेकिन जन-सत्तावादी राजनीतिज्ञो को जनता के रुख और घटनाओं पर ध्यान देकर उनसे प्रभावित होना पडता है और वे आमतौर पर अपनी गलतियों को स्वीकार करके उन्हें दुरुस्त करने की कोशिश करते हैं। पर सिपाही का निर्माण एक भिन्न वातावरण में होता है, जहाँ हुकूमत का साम्राज्य होता है और आलोचना के लिए कोई स्थान नहीं होता। इसलिए वह दूसरो की सलाह से घुरा मानता है और अगर वह गलती करता है तो पूरी तरह से करता है और उस गलती को किये ही जाता है। उसके लिए दिल और दिमाग की बनिस्वत कठोर मुख-मुद्रा अधिक

महत्वपूर्ण है। हिन्दुस्तान में हमें एक मिश्रित श्रेणी उन्मत्त करने का मौका मिला है, क्योंकि खुद मुल्की धामन ही हुनूमत और स्वाश्रय के अर्थसैनिक वातावरण में पला और निवास करना है और उस कारण बहुत जगहों तक सिपाहियाना रीवदाव आदि विनोपतायें उसमें मौजूद हैं।

हमने कहा जाता है कि सेना का 'भारतीयकरण' आगे बढ़ाया जा रहा है और अगले तीस या अधिक वर्षों में एक हिन्दुस्तानी जनरल भी शायद हिन्दुस्तान में पैदा हो जाय। यह मुमकिन है कि तीस वर्षों से कुछ ही ज्यादा बरसों में भारतीयकरण बहुत-कुछ उन्नति कर ले। यह मुनकर आश्चर्य होसकता है कि छतरे के समय में इंग्लैण्ड ने किस तरह एक-दो साल के असें में ही लाखों की फौज खड़ी करदी। अगर उनके पास ऐसे ही सलाहकार होते, जैसे कि हमको मिले हुए हैं, तो शायद वह बड़ी चौकसी और होशियारी से फूँक-फूँककर आगे कदम बढ़ाता और यह बिलकुल सम्भव था कि उस दशा में इस शिक्षित सेना के तैयार होने के बहुत पहले ही युद्ध खतम हो जाता। हमको रूस की सोवियट सेनाओं का भी विचार आता है, जो बिना किसी प्रकार के पूर्व साधनों के ही अकस्मात् तैयार होगईं और शत्रु की प्रचण्ड सेनाओं से लोहा लेती हुई उन्हें हराने लगी। आज इन सेनाओं की सप्सार की सबसे अधिक कुशल युद्धशक्तियों में गणना की जाती है। इनके पास तो सलाह देने के लिए 'सभ्राम में लड़े हुए और युद्ध-प्रवीण' सेनापति नहीं थे।

हमारे यहाँ देहरादून में एक फौजी शिक्षणालय है, जहाँ शिक्षार्थियों को फौजी अफसर बनने की तालीम दीजाती है। कहा जाता है कि वे बड़ी चतुरता से परेड करते हैं और बेशक वे-बड़े अच्छे अफसर बनकर निकलेयें। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता है कि इन तालीम से क्या फायदा है, जबतक कि उसके साथ युद्ध की कुछ व्यावहारिक शिक्षा न दी जाय? पैदल और घुडसवार सेनायें आज-कल उतने ही काम की हैं

जितनी रोमन फीजें होती, और हवाई युद्ध, गैस के बम, टैंक और प्रचंड तोपों के युग में बन्दूक, तीर-कमान से ज्यादा कारगर नहीं है। इसमें शक नहीं कि उनके शिक्षक और सलाहकार इस बात को महसूस करते हैं।

हिन्दुस्तान में अंग्रेजी राज्य का इतिहास कैसा रहा है ? हम उसकी खामियों के बारे में शिकायत करनेवाले होते कौन हैं, जबकि ये खामियां हमारी ही कमजोरियों के फलस्वरूप हैं ? अगर हम परिवर्तन की धारा से सम्बन्ध छोड़ दें और दलदल में फँस जायें, एकांगी और स्वय-सतोषी बन जायें और शुचुर्मुगों की तरह अपने चारों ओर की घटनाओं से आँख मूद ले, तो इसमें हमारा ही नुकसान है। अंग्रेज लोग हमारे यहाँ ससार सागर की एक नये जोश की लहर के साथ आये और ऐसी महान् ऐतिहासिक शक्तियों को लाये जिनका खुद उनको भी अनुभव न था। क्या हम उस तूफान की शिकायत करें जो हमें उखाड़कर इधर-उधर फेंक देता है, या उस ठंडी हवा की जो हमें कँप-कँपा देती है ? हमें तो भूतकाल और उसके झगड़े-टटों को तिलाजिली ही दे देनी चाहिए और भविष्य का मुकाबिला करना चाहिए। हमें एक महान् भेद के लिए अंग्रेजों का कृतज्ञ होना चाहिए, जिसे कि वे लेकर आये। यह भेद है विज्ञान और उसके सुन्दर फल। साथ ही, ब्रिटिश सरकार के उन प्रयत्नों को भी भूल जाना या शान्ति के साथ बरदाश्त करना मुश्किल है जो उन्होंने देश के झगडालू, प्रतिक्रियावादी, विरोधक, जातिगत तथा मीके से लाभ उठानेवाले लोगों को प्रोत्साहन देने के लिए किये। शायद यह भी हमारे लिए एक जरूरी परीक्षा और चुनौती है, और इसके पहले कि हिन्दुस्तान नया जन्म धारण करे, उसे बार-बार उस आग में तपना पड़ेगा जो शुद्ध और दृढ़ बनाती है और जो दुर्बल, पतित और आचार-भ्रष्टों को जलाकर खाक कर देती है।

अन्तर्जातीय विवाह और लिपि का प्रश्न

सितम्बर १९३३ के बीच में करीब एक हफ्ता बम्बई और पूना में रहने के बाद मैं लखनऊ लौट आया। मेरी माँ अभी तक अस्पताल में थी, और उनकी हालत धीरे-धीरे सुधर रही थी। कमला भी लखनऊ में, खुद तन्दुरुस्त न होते हुए भी, माताजी की सेवा करने में तत्पर थी। हर सप्ताह के आखिरी दिनों में मेरी वहिने भी इलाहाबाद से आती रहती थी। लखनऊ में मैं दो-तीन हफ्ते रहा। वहाँ इलाहाबाद के मुकाबिले में ज्यादा फुरसत मिली थी। मेरा खास काम दिन में दो बार अस्पताल जाना था। मैंने अपना यह फुरसत का समय अखबार के लिए लेख लिखने में लगाया और ये सब लेख देश के लगभग सभी अखबारों में छपे। 'हिन्दुस्तान किषर ?' शीर्षक लेखमाला पर जनता का काफ़ी ध्यान गया। इस लेखमाला में मैंने दुनिया की हलचलो पर, हिन्दुस्तान की परिस्थिति के साथ उनके सम्बन्ध को ध्यान में रखकर, विचार किया था। मुझे बाद में मालूम हुआ कि इन लेखों का फारसी तर्जुमा तेहरान और काबूल में भी छपा गया था। आजकल के पश्चिमी विचारों और हलचलो में जानकारी रखनेवालों के लिए इन लेखों में कोई ऐसी नई या अद्भुत बात नहीं थी। मगर हिन्दुस्तान में लोग अपने घरेलू मामलों में ही ज़नन ध्यस्त रहने हैं कि दूसरी जगह क्या होरहा है इनपर वे ज्यादा ध्यान नहीं दे सकते। मेरे लेखों का जो स्वागत हुआ उससे और दूसरे आमारां से मालूम पडा कि लोगों का दृष्टिकोण विस्तृत होरहा है।

माताजी अस्पताल में पड़ो-पड़ो रुकती-भी जा रही थी, इसलिए इनने डॉ. दत्तात्रय वापन ले जाने का निश्चय कर लिया। वापन

लाने के दूसरे कारणों में से एक कारण मेरी वहन कृष्णा की सगाई हो जाना भी था, जो इन्हीं दिनों में घोषित की गई थी। हम चाहते थे कि मेरे फिर से जेल में ठूस दिये जाने से पहले जल्दी-से-जल्दी विवाह हो जाय। मुझे कुछ खयाल न था कि मैं कितने समय तक बाहर रहने दिया जाऊँगा। क्योंकि सभिनय-भग कांग्रेस का बाकायदा कार्यक्रम था और खुद कांग्रेस और दूसरी बौंसियो सस्याये गर कानूनी थी।

हमने अक्तूबर के तीसरे सप्ताह में इलाहाबाद में विवाह करने का निश्चय किया। यह विवाह 'सिविल मैरिज एक्ट' के मुताबिक होनेवाला था। मैं इस बात से खुश था, हालाँकि सच पूछो तो इसके सिवाय हमारे पास और कोई उपाय भी न था। क्योंकि वह विवाह दो भिन्न जातियों, ब्राह्मण और अ-ब्राह्मण, में होनेवाला था, और ब्रिटिश भारत के मौजूदा कानून के मातहत ऐसा विवाह कौसी भी धार्मिक विधि से क्यों न किया जाय, जायज नहीं होसकता। खुशकिस्मती से उन्हीं दिनों में पास हुआ 'सिविल मैरिज एक्ट' हमारी मदद को मिल गया। इस तरह के दो कानून थे, जिनमें से दूसरा कानून, जिस से मेरी वहन की शादी हुई, हिन्दुओं और हिन्दू-धर्म से सम्बद्ध दूसरे धर्मवालों के लिए था—जैसे सिक्ख, जैन, बौद्ध। लेकिन वर-वधू में से कोई एक भी जन्मत या वाद में धर्म परिवर्तन करके इन धर्मों में से किसी एक को भी माननेवाला न हो, तो यह दूसरा कानून उसपर लागू नहीं होता। ऐसी हालत में पहले कानून का ही आश्रय लेना पडता है। इस पहले कानून के अनुसार दोनों को सभी मुख्य धर्मों का परित्याग करना पडता है, या उन्हें कम-से-कम यह तो कहना ही पडता है कि हममें से कोई किसी भी धर्म को नहीं मानता है। इस प्रकार का अनावश्यक परित्याग बडा बाहियात है। बहुत-से ऐसे लोगो को भी, जिनका कि मजहब की तरफ कोई रुझान नहीं है, इस बात पर ऐतराज है और इस तरह वे इस कानून से फायदा नहीं उठा

सकते। मुस्लिम मजहबों के कट्टर लोग ऐसे सब परिवर्तनों का विरोध करते हैं जिनसे अन्तर्जातीय विवाहों के होने में आसानी हो। इससे जो लोग इम कानून के मातहत विवाह करना चाहे, उन्हें या तो धर्म-परित्याग का ऐलान करना पड़ता है, या जिन धर्मवालों को उसके मुताबिक अन्तर्जातीय विवाह करने की छूट है उनमें से किमी धर्म को झूठ-मूठ के लिए अपनाना पड़ता है। मैं स्वयं अन्तर्जातीय विवाहों को प्रोत्साहन देना पसन्द करूँगा, लेकिन उन्हें प्रोत्साहन दिया जाय या नहीं, एक ऐसी अनुमति देनेवाले अन्तर्जातीय-विवाह-कानून का बनना तो निह्यायत जरूरी है जो आमतौर पर सब धर्मवालों पर लागू हो और जिससे विवाह करने के लिए उन्हें मजहब छोड़ने या बदलने की जरूरत न पड़े।

मेरी बहन की शादी में कोई धूमधाम नहीं हुई, सारा काम बड़ी सादगी से हुआ। हिन्दुस्तानी विवाहों में जो धूमधाम हुआ करती है, मामूली तौरपर, वह मुझे पसन्द भी नहीं है। फिर माताजी की बीमारी के कारण और उससे भी अधिक इस बात से कि सविनय-भग अभी भी जारी था और हमारे बहुत-से साथी जेलों में पड़े सह रहे थे, दिखावे के रूप में कोई भी बात करना था भी बिलकुल अनुचित। इसलिए सिर्फ थोड़े रिस्तेदारों और स्थानीय मित्रों को ही निमन्त्रित किया गया। पिता जी के बहुत-से पुराने मित्रों को इससे सदमा भी पहुँचा, क्योंकि उन्हें यह लगा, हालाँकि वह था गलत, कि मैंने जान-बूझकर उनकी उपेक्षा की है।

विवाह के लिए जो छोटा-सा निमन्त्रण-पत्र हमने भेजा था वह लेटिन अक्षरों व हिन्दुस्तानी भाषा में छापा था। यह एक बिलकुल नई बात थी। अवतक इस तरह के निमन्त्रण-पत्र आमतौर पर नागरी या फारसी लिपि में ही लिखे जाते थे। फौज या ईमाई मिशनवालों के सिवाय कहीं भी हिन्दुस्तानी भाषा लेटिन अक्षरों में नहीं लिखी जाती थी। मैंने रोमन

लिपि का इस्तेमाल केवल यह देखने के लिए किया था कि इसका मुहल्ल-लिफ किस्म के लोगो पर क्या असर होता है। इसे कुछ ने पसन्द किया, कुछ ने नहीं। ज्यादा सख्या नापसन्द करने वालो की ही थी। बहुत कम लोगो के पास यह निमन्त्रण भेजा गया था, और, अगर ज्यादा लोगो के पास भेजा जाता तो इसका असर और भी ज्यादा खिलाफ होता। गांधीजीने भी इसे पसन्द नहीं किया।

मैंने रोमन लिपि इसलिए इस्तेमाल नहीं की थी कि मैं उसके पक्ष में होगया था, हालाँकि उसने मुझे बहुत दिनों से अपनी ओर आकर्षित कर रक्खा था। टर्की और मध्य-एशिया में रोमन लिपि की सफलता ने मुझे प्रभावित किया था। रोमन के पक्ष में जो दलीले हैं उसमें काफी वज्रन है, फिर भी मैं भारतवर्ष के लिए रोमन लिपि के पक्ष में नहीं हो गया था। अगर मैं उसके पक्ष में हो भी जाता तो भी मैं अच्छी तरह जानता था कि वर्तमान भारत में उसके अपनाये जाने की रतीभर भी सम्भावना न थी। राष्ट्रीय, मजहबी, हिन्दू-मुस्लिम, नये-पुराने सब दलो की ओर से इसका बहुत सख्त विरोध होता, और यह मैं मानता हूँ कि यह विरोध महज भावुकतावश ही नहीं होता। किसी भी भाषा के लिए, जिसका पुराना जमाना उज्ज्वल रहा हो, लिपि का बदलना बहुत बड़ी क्रांति है, क्योंकि लिपि का उस साहित्य से बहुत गहरा सम्बन्ध रहता है। लिपि बदल दीजिए तो सामने कुछ और ही शब्द-चित्र नजर आयेंगे, छबि बदल जायगी, भाव बदल जायेंगे। पुराने और नये साहित्य के बीच एक अटूट दीवार उठ खड़ी होगी। पुराना साहित्य एकदम किसी विदेशी भाषा में लिखा हुआ-सा जान पड़ेगा, ऐसी भाषा में जो मर चुकी हो। लिपि बदलने का जोखिम उसी भाषा में लेना चाहिए, कि जिसका कोई उल्लेखनीय साहित्य न हो। हिन्दुस्तान में तो मैं ऐसे रद्दो-बदल का खयाल भी नहीं कर सकता हूँ। क्योंकि हमारा साहित्य केवल सम्पन्न

और अमूल्य ही नहीं, बल्कि हमारे इतिहास और विचार-परम्परा से सम्बद्ध है और हमारी सर्वसाधारण जनता के जीवन के साथ उसका बड़ा गहरा नाता रहा है। हमारे देश पर इस तरह का परिवर्तन लाद देना एक क्रूर विच्छेद के समान होगा और सार्वजनिक शिक्षा के रास्ते में बाधक होगा।

लेकिन आज तो हिन्दुस्तान में रोमन लिपि का प्रश्न सार्वजनिक चर्चा का विषय ही नहीं है। मेरी समझ में लिपि-सुधार की दृष्टि से जो अगला कदम होना चाहिए, वह है संस्कृत भाषा से उत्पन्न चारो सहोदरा—हिन्दी, बंगला, मराठी, गुजराती—भाषाओं के लिए एकसी लिपि बनाना। इन चारो भाषाओं की लिपियों का उद्गम एक ही है और उनमें एक-दूसरे से भिन्नता भी विशेष नहीं है और इसलिए इन सबके लिए एक ही लिपि ढूँढ़ निकालने में कोई खास दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इससे ये चारो भाषायें एक-दूसरे के नजदीक आजायेंगी।

हमारे अंग्रेजी शासकों ने हमारे देश के धारे में जो दन्तकथाये ममारभर में फैला रखी है, उनमें से एक यह भी है कि हिन्दुस्तान में फर्टनी भाषायें बोली जाती हैं। मुझे उनकी ठीक तादाद याद नहीं है। प्रमाण के लिए मर्दुमशुमारी को लिया जाता है। यह एक विचित्र बात है कि इन फर्टनी भाषाओं के देश में मारा जीवन बिताने पर भी बहुत कम अंग्रेज एक भाषा से भी भाषूली जानकारी हासिल कर पाते हैं। इन सब भाषाओं को 'वर्नाक्युलर' के नाम से पुकारते हैं, जिसका अर्थ है 'ग्रामों की भाषा' (लैटिन vernis का अर्थ घर में पैदा हुआ गुलाम है)। अंग्रेजों ने अपना समझने-बूझे इस नामकरण को स्वीकार कर लिया है। यह एक आश्चर्य की बात है कि सारे हिन्दुओं इस देश में अंग्रेजों के साथ ही भाषा मीने बिना बिना तरह अपना काम चला लेते हैं। अपने धार्मिक व अत्याओं की मदद से उन्होंने एक कर्ण-

कटु काम-चलाऊ नई हिन्दुस्तानी खिचड़ी भापा ईजाद करली है, जिसको वे असली भापा समझ बैठे हैं। जैसे वे भारतीय जीवन के हालात अपने नौकरो व जीहूजुरो से मालूम करते हैं उसी तरह वे हिन्दुस्तानी भापा के बारे में अपने विचार अपने उन घरू नौकरो से बनाते हैं जो 'साहब लोगो' से अपनी इस 'कामचलाऊ खिचड़ी भापा, में ही बोलते हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि वे और कोई भापा समझेंगे भी नहीं। वे इस बात से बिल्कुल अपरिचित मालूम पड़ते हैं कि हिन्दुस्तानी और दूसरी भारतीय भापाओ का साहित्य बहुत ऊँचा और बहुत विस्तृत है।

अगर मर्दुमशुमारी की रिपोर्टें हमें यह बताती हैं कि हिन्दुस्तान में दो सौ या तीन सौ भापायें हैं, तो जर्मनी की मर्दुमशुमारी भी यह बताती है कि वहाँ पर भी लगभग ५०-६० भापायें हैं। मुझे खयाल नहीं कि कभी किसी ने इसके कारण ही जर्मनी में असमानता या आपसी फूट साबित करने की कोशिश की हो। सच तो यह है कि मर्दुमशुमारी में सब प्रकार की छोटी-मोटी भापाओ का भी जिक्र किया जाता है, चाहे इन भापाओ के बोलने वाले कुछ हज़ार ही व्यक्ति न हों, और अक्सर थोड़ा-थोड़ा भेद होने पर भी वैज्ञानिक भेद बताने के लिए बोलियों को अलग-अलग भापा मान लिया जाता है। हिन्दुस्तान के क्षेत्रफल को देखते हुए इतनी थोड़ी भापाओ का होना ताज्जुब की बात मालूम होती है। यूरोप के इतने भाग को लेकर म्काविला करे तो भापा की दृष्टि से हिन्दुस्तान में इतने भेद नहीं मिलेंगे। लेकिन हिन्दुस्तान में आम जनता में शिक्षा का प्रसार न होने के कारण यहाँ भापाओ का समान-स्टैण्डर्ड नहीं बन पाया और कई बोलियाँ बन गईं। बरमा को छोड़कर हिन्दुस्तान की मुख्य भापाये ये हैं—हिन्दुस्तानी (हिन्दी और उर्दू जिसकी दो किस्में हैं) बंगला, गुजराती, मराठी, तामिल, तेलुगु, मलायालम और कन्नड़। इनमें अगर आसामी, उडिया, सिन्धी, पन्नी,

और पंजाबी को भी शामिल कर दिया जाय, तो सिवा कुछ पहाड़ी और जंगली हिस्सों को छोड़कर नारे देश की भाषायें इनमें आ जाती हैं। इनमें से भारतीय आर्य भाषायें जो उत्तर, मध्य और पश्चिम भारत में प्रचलित हैं आपस में बहुत मिलती-जुलती हैं और दक्षिणी द्राविडी भाषायें भिन्न होते हुए भी संस्कृत से काफी प्रभावित हुई हैं और उनमें संस्कृत शब्दों की प्रचुरता है।

इन मुख्य आठ भाषाओं में पुराना बहुमूल्य साहित्य है और ये भाषाएँ देश के काफी बड़े हिस्से में बोली जाती हैं। इनका क्षेत्र निश्चित और स्पष्ट है। इस तरह बोलनेवालों की संख्या की दृष्टि से देखें तो ये भाषाएँ संसार की प्रमुख भाषाओं में आ जाती हैं। बंगला बोलनेवालों की संख्या साढ़े पाँच करोड़ है। अर्हांतक हिन्दुस्तानी से सम्बन्ध है, मेरे पास यहाँ आँकड़े नहीं हैं, लेकिन मेरे खयाल में वह अपने सभी रूपों सहित १४ करोड़ भारतवासियों में बोली जाती है। इसके अलावा हिन्दुस्तान-भर के अन्य भाषा बोलनेवाले लोग भी हिन्दुस्तानी समझ लेते हैं।^१ साफ़तौर पर ऐसी भाषा की उन्नति की आशा बहुत अधिक है, वह संस्कृत की मजबूत नींव पर जमी हुई है और फारसी का भी उस पर काफी असर है। इस तरह वह दो सम्पन्न स्रोतों से अपना शब्द-

१. हिन्दुस्तानी के समर्थक नीचे दिये आँकड़े पेश करते हैं। मैं नहीं कह सकता कि ये संख्याएँ १९३१ की सर्वेक्षणकारी के मूलाधिक हैं या १९२१ के। मेरे खयाल में तो १९२१ की गणना के मूलाधिक हैं। इसलिए १९३१ की संख्या तो बरकर इससे कहीं ज्यादा होगी।

१ हिन्दुस्तानी (जिसमें पश्चिमी हिन्दी,

पंजाबी, और राजस्थानी शामिल हैं)	१३९३	लाख
२ बंगला	४९३	"
३ तेलुगु	२३६	"
४ मराठी	१८८	"

कोप ले सकती है और पिछले कुछ वर्षों से वह अंग्रेजी से भी शब्द ले रही है। दक्षिण का द्राविडी प्रदेश ही एक ऐसा हिस्सा है जहाँ हिन्दु-स्तानी एक विदेशी भाषा के समान नजर आती है। लेकिन वहाँ के निवासी इसे सीखने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। दो बरस पहले १९३२ में, मैंने एक सस्या के आँकड़े देखे थे। यह सस्या दक्षिण में हिन्दी-प्रचार करने के लिए कुछ मित्रों ने खोली थी। उसके काम शुरु करने के बाद से अबतक, पिछले १४ बरसों में, अकेली उस सस्या की कोशिश से मद्रास प्रान्त में लगभग ५५,००० लोगो ने हिन्दी सीखली है। एक ऐसी सस्या के लिए, जिसे सरकारी मदद कुछ भी नहीं मिलती, यह सफलता अनोखी है। वहाँ हिन्दी सीखनेवालों में से अधिकतर खुद भी इस कार्य के प्रचारक बन जाते हैं।

मुझे इसमें कुछ भी शक नहीं है कि हिन्दुस्तानी ही भारतवर्ष की राष्ट्रभाषा बनेगी। दरअसल रोज़मर्रा के काम-काज के लिए वह एक बड़ी हद तक आज भी राष्ट्रभाषा-सी बनी हुई है। लिपि नागरी हो या फारसी, इस निरर्थक वाद-विवाद ने इसकी तरक्की को रोक दिया है और दोनों दलों की इस कोशिश ने भी इसकी प्रगति में रुकावट खड़ी करदी है कि भाषा को संस्कृत-प्रधान बनाया जाय या फारसी-प्रधान। लिपि का प्रश्न उठते ही इतने झगड़े पैदा हो जाते हैं कि इस कठिनाई

५ तामिल	१८८	लाख
६ कन्नड़	१०३	"
७ उडिया	१०१	"
८ गुजराती	९६	"
	२७९,८	"

पक्षों, आसामी, बर्मी आदि कुछ भाषायों जो भाषा-बिज्ञान तथा क्षेत्र के लिहाज से बिल्कुल अलग हैं, इस सूची में शामिल नहीं की गई हैं।

को हल करने का इसके विवाय और कोई उपाय ही मालूम नहीं होता कि दोनों लिपियों को अधिकृत रूप से मान लिया जाय और लोगों को इनमें से किसी को भी काम में लाने की छूट देदी जाय। संस्कृत व फारसी के शब्दों को ज्यादा काम में लाने की जो वेजा प्रवृत्ति चल पड़ी है उसे रोकने के लिए पूरी कोशिश करनी चाहिए और सामान्य व्यवहार में बोली जानेवाली सरल भाषा के ढंग पर एक साहित्यिक भाषा बना लेनी चाहिए। जनता में जैसे-जैसे शिक्षा बढ़ती जायगी, वैसे-वैसे अपने आप ऐसा होता ही जायगा। इस समय मध्यम श्रेणी के छोटे-छोटे दल साहित्यिक रुचि और शैली के निर्णायक बने हुए हैं और ये लोग अपने-अपने ढंग से बहुत ही सकुचित हृदय के अनुदार और अपरिवर्तनवादी हैं। ये अपनी भाषाओं के पुराने निर्जीव रूप से चिपटे रहना चाहते हैं और अपने देश की साधारण जनता और संसार के साहित्य से इनका बहुत ही कम सम्पर्क है।

हिन्दुस्तानी की वृद्धि और प्रसार को भारत की दूसरी बड़ी भाषाओं—बंगला, गुजराती, मराठी, उडिया और दक्षिण की द्राविडी—के सतत व्यवहार और समृद्धि में न तो बाधक बनना चाहिए और न वह बनेगा। इनमें से कुछ भाषायें तो अब भी हिन्दुस्तानी की बनिस्वत बहुत अधिक जागरूक और बौद्धिक दृष्टि से सर्वक हैं और इसलिए अपने-अपने क्षेत्र में शिक्षा के माध्यम और अन्य व्यवहारों के लिए अधिकृत रूप से अवश्य स्वीकार कर लेनी चाहिए। सिर्फ इन्हींके जरिये साधारण जनता में शिक्षा और संस्कृति तेजी के साथ फैल सकती है।

कुछ लोगों का खयाल है कि बहुत करके अंग्रेजी ही भारत की राष्ट्र-भाषा हो जायगी, लेकिन जैसे-जैसे दलों के गिने-चुने पढ़े-लिखों को छोड़कर साधारण जनता इसे अपनायेगी, यह धारणा मुझे एक असम्भव कल्पना के समान दिखाई देती है। साधारण जनता की शिक्षा और

संस्कृति के प्रश्न के साथ इसका कोई सरोकार नहीं है। यह हो सकता है, जैसा कि आजकल कुछ हद तक है भी, कि औद्योगिक, वैज्ञानिक और तिजारती कामों में, विशेषकर अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहारों में, अंग्रेजी ज्यादा काम में आने लगी। हममें-से बहुतों के लिए विदेशी भाषाओं का सीखना व जानना बहुत जरूरी है, ताकि ससार के विचारों व प्रगतियों से हमारी जानकारी होती रहे, और इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं तो पसन्द करूँगा कि हमारी यूनिवर्सिटियों में अंग्रेजी के अलावा फ्रेंच, जर्मन, रूसी, स्पेनिश और इटैलियन भाषाएँ सीखने के लिए विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया जाय। इसका यह मतलब नहीं है कि अंग्रेजी की अवहेलना की जाय, लेकिन अगर हमें ससार की हलचलों को निष्पक्ष दृष्टि से देखना है तो हमें अपने को अंग्रेजी सीखने तक ही समिति नहीं रखना चाहिए। केवल अंग्रेजी शिक्षा ने हमारी मानसिक दृष्टि को अभी से एकांगी और संकुचित कर दिया है। इसका कारण हमारे विचारों का एक ही दृष्टि और विचारधारा की ओर झुका रहना है। हमारे कट्टर-से-कट्टर राष्ट्रवादी भी शायद ही इस बात का अन्दाजा लगा सकते हैं कि अपने देश के सम्बन्ध में उनके दृष्टि-विन्दु पर अंग्रेजी विचार-धारा का कितना गहरा असर है।

लेकिन हम विदेशी भाषाओं को सीखने के लिए कितना ही प्रोत्साहन क्यों न दें, बाहरी दुनिया से हमारा सम्बन्ध अंग्रेजी भाषा द्वारा ही रहेगा। इसमें कुछ हर्ज भी नहीं है। हम कई पीढ़ियों से अंग्रेजी सीखने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें हमें काफी कामयाबी मिली है। इस सब किये-करायों को मिटा देना सरासर बेवकूफी होगी। इतने अर्थों की मेहनत से हमें लाभ उठाना चाहिए। निस्सन्देह अंग्रेजी आज ससार की सबसे ज्यादा व्यापक और महत्वपूर्ण भाषा है, और दूसरी भाषाओं पर वह अपना सिक्का जमाती जा रही है। यह सम्भव है कि अब राष्ट्रीय

व्यवहारों में और रेडियो आदि के लिए वह माध्यम-भाषा का रूप धारण करले, वरतों कि 'अमेरिकन' उसकी जगह न लेले। इसलिए हमें अंग्रेजी भाषा के ज्ञान का प्रसार अवश्य जारी रखना चाहिए। अंग्रेजी को जितनी अच्छी तरह सीख सके उतना ही अच्छा है, लेकिन मुझको इसकी जरूरत नहीं मालूम होती कि अंग्रेजी की वारीकियों को सीखने में हम लोग अपना वक्त लगायें, जैसा कि आजकल हममें से बहुत-से करते हैं। कुछ व्यक्ति तो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन बहुसंख्यक लोगों के सामने इस बात को आदर्श रूप में रखना उन पर अनावश्यक बोझ डालना और दूसरी दिशाओं में प्रगति करने से रोकना होगा।

इधर कुछ दिनों से 'बेसिक' अंग्रेजी (Basic English) ने मुझे अपनी ओर काफी आकर्षित किया है और ऐसा मालूम होता है कि ज्यादा-से-ज्यादा सरल बनाई हुई इस अंग्रेजी का भविष्य बहुत उज्ज्वल है। स्टैंडर्ड अंग्रेजी तो विशेषज्ञों तथा कुछ खास विद्यालयों के लिए छोड़ देने चाहिए और हिन्दुस्तान की सर्वसाधारण जनता में इस बेसिक अंग्रेजी का ही व्यापक प्रचार करना चाहिए।

मैं खुद इस बात को पसन्द करूँगा कि हिन्दुस्तानी अंग्रेजी व दूसरी विदेशी भाषाओं से बहुत-से शब्द अपने में लेले। इस बात की जरूरत है, क्योंकि आजकल जो नई चीजें निकलती हैं हमारी भाषा में उनके अर्थ-प्रवर्तक शब्द नहीं, इसलिए यही बेहतर है कि संस्कृत प्रारंभी या अरबी से नये और मुश्किल शब्द यद्यपि के बजाय हम उन्हें सुप्रचलित

१ 'बेसिक अंग्रेजी' का 'मूल अंग्रेजी' अर्थ होने के अलावा एक और भी अर्थ है, वह है पाँच प्रकार की भाषाओं का—बेसिक BASIC [British (अंग्रेजी), American, (अमेरिकन), Scientific (वैज्ञानिक), International (अन्तर्राष्ट्रीय) और (Commercial) व्यापारिक] का—सन्मिश्रण।

शब्दों को काम में लावे। भाषा की पवित्रता के हामी विदेशी शब्दों के इस्तमाल का विरोध करते हैं, लेकिन मेरा खयाल है कि वे गलती करते हैं। वास्तव में किसी भाषा को समृद्ध बनाने का तरीका यही है कि वह इतनी लचीली रखी जाय, कि दूसरी भाषाओं के भाव और शब्द उसमें शामिल होकर उसीके हो जायें।

अपनी बहन की शादी के बाद ही मुझे अपने पुराने दोस्त और साथी श्री शिवप्रसाद गुप्त से मिलने के लिए बनारस जाने का इत्तफाक हुआ। गुप्तजी एक बरस से भी ज्यादा अर्से से बीमार थे। जब वह लखनऊ-जेल में थे, अचानक उन पर लकवे का वार हुआ और अब वह धीरे-धीरे अच्छे हो रहे हैं। बनारस की इस यात्रा के मौके पर मुझे हिन्दी साहित्य की एक छोटी-सी सस्था की ओर से मानपत्र दिया गया और वहा उसके सदस्यो से दिलचस्प बातचीत करने का मुझे मौका मिला। मैंने उनसे कहा कि जिस विषय का मेरा ज्ञान बहुत अधूरा है, उस पर उसके विशेषज्ञो से बोलते हुए मुझे हिचक होती है, लेकिन फिर भी मैंने उन्हें थोड़ी-सी सूचनायें दी। आजकल हिन्दी में जो क्लिष्ट और अलकारिक भाषा इस्तमाल की जाती है, उसकी मैंने कड़ी आलोचना की। उसमें कठिन, बनावटी और पुरानी शैली के संस्कृत शब्दों की भरमार रहती है। मैंने यह कहने का भी नाहस किया कि यह थोड़े-से लोगो के काम में आनेवाली दरबारी शैली अब छोड़ देनी चाहिए और हिन्दी लेखको को अब यह कोशिश करनी चाहिए कि वे हिन्दुस्तान की आम जनता के लिए लिखें और ऐसी भाषा में लिखें जिसे लोग नमस सके। आम जनता के ससर्ग से भाषा में नया जीवन और असली नव्वा-पन आजायगा। इससे स्वयं लेखको को जनता की भाव-व्यंजना गन्ति मिलेगी और अधिक लाभप्रद लिख सकेंगे। साथ ही मैंने यह भी कहा कि हिन्दी लेखक पश्चिमी विचारों व साहित्य का अध्ययन करे तो अपने

उन्हे बड़ा लाभ होगा। यह और भी अच्छा होगा कि यूरप की भाषाओं के पुराने अमर साहित्य और नवीन विचारों के ग्रंथों का हिन्दी में अनुवाद कर डाला जाय। मैंने यह भी कहा कि सम्भव है कि आज का गुजराती, बँगला और मराठी साहित्य इन बातों में आजकल के हिन्दी-साहित्य से अधिक उन्नत हो, और यह तो भानी हुई बात है कि पिछले वर्षों में हिन्दी की अपेक्षा बँगला में कहीं अधिक उत्पादक साहित्य लिखा गया है।

इन विषयों पर हम लोग भिन्नतापूर्ण बातचीत करते रहे और उसके बाद मैं चला आया। मुझे इस बात का खरा भी खयाल न था कि मैंने जो कुछ कहा वह अखबारों में दे दिया जायगा, लेकिन वहाँ उपस्थित लोगों में से किसी ने हमारी उस बातचीत को हिन्दी अखबारों में प्रकाशित करना दिया।

फिर क्या था, हिन्दी अखबारों में मेरे और हिन्दी-सम्बन्धी मेरी आलोचना के खिलाफ बड़ा भारी तारबला मच गया। लोगों को मेरी यह धृष्टता छासतीर पर अखरी कि मैंने हिन्दी को वर्तमान बँगला, गुजराती और मराठी से हीन क्यों कहा। मुझे अनजान—इस विषय में मैं मनमून या भी अनजान—कहा गया। मुझे कुचलने व दवाने के लिए बहुत-से रठोर शब्द काम में लाये गये। मुझे इस वाद-विवाद में पढ़ने की फुरमा ही न थी, लेकिन मुझे बताया गया है कि यह झगडा कई महीनों चलना रहा—तबतक, जबतक कि मैं फिर जेल में नहीं चला गया।

एक घटना मेरे लिए आँखें मोलनेवाली थी। उसने बतलाया कि हिन्दी में साहित्यिक और मनोरंजन विज्ञान ज्योत तुलकमिजाज है। मुझे यह पता कि मैं अपने सुप्रसिद्ध मित्र की गद्दनापनापूर्ण आलोचना में मुझे तो नंगर नहीं दे। मगर ही यह मालूम होना था कि इस सबकी

तह में अपनेको छोटा समझने की भावना ही काम कर रही थी। आत्म-आलोचना की हिन्दी में पूरी कमी है और आलोचना का स्टैंडर्ड बहुत ही नीचा है। लेखक और उसके टीकाकारों के लिए एक-दूसरे के व्यक्तित्व पर गाली-गलौज शुरू कर देना हिन्दी में कोई असाधारण बात नहीं है। यहाँ का सारा दृष्टिकोण बहुत सन्तुष्ट और दरवारी-सा है और ऐसा मालूम होता है, मानो हिन्दी का लेखक और पत्रकार एक-दूसरे के लिए और एक बहुत ही छोटे-से दायरे के लिए लिखते हों। उन्हें आम जनता और उसके हितों से मानो कोई सरोकार ही नहीं है। हिन्दी का क्षेत्र इतना विंगल और आकर्षक है कि उसमें इन त्रुटियों का होना मुझे अत्यन्त खेदजनक और हिन्दी लेखकों का प्रयत्न शक्ति का अपव्यय-सा जान पड़ा।

हिन्दी-साहित्य का भूतकाल बड़ा गौरवमय रहा है लेकिन वह सदा के लिए उनीके बल पर तो खिन्दा नहीं रह सकता। मुझे पुरा यकीन है कि उसका भविष्य भी काफी उज्ज्वल है, और मैं यह भी जानता हूँ कि किसी दिन देश में हिन्दी के अखबार एक खबरदस्त ताकत बन जायेंगे, लेकिन जबतक हिन्दी के लेखक और पत्रकार पुरानी हदियों व बन्धनों से अपने-आपको बाहर नहीं निकालेंगे और आम जनता को साहस के साथ सम्बोधित करना न सीखेंगे तबतक उनकी अधिक उन्नति न होसकेगी।

: ५६ :

साम्प्रदायिकता और प्रतिक्रिया

मेरी बहन की गादी के करीब, यूरोप से श्रीयुक्त विट्टलभाई पटेल के इन्तकाल की खबर आई। वह बहुत दिनों से बीमार थे और सेहत खराब

होने की वजह से ही वह हिन्दुस्तान में जेल से छोड़े गये थे। उनकी मृत्यु एक दुःखद घटना थी। हमारे बुजुर्ग नेताओं का इस तरह हमारे बीच से, लडाई के बीच में ही, एक के बाद एक का उठकर चले जाना हमारे लिए असाधारण निराशाजनक बात थी। विट्टलभाई को बहुत-सी श्रद्धाञ्जलियाँ दी गईं जिनमें से ज्यादातर में उनके कुशल पार्ल-मेण्टेरियन होने और उस सफलता पर, जो असेम्बली के प्रेसीडेण्ट की हैसियत से उन्होंने पाई थी, जोर दिया गया था। यह बात थी तो विलकुल उचित, मगर इस बात के बार-बार दोहराये जाने से मुझे कुछ चिढ़-सी भालूम होने लगी। क्या हिन्दुस्तान में कुशल पार्लमेण्टेरियन लोगों की कमी थी, या ऐसे लोगों की कमी थी जो स्पीकर (असेम्बली के अध्यक्ष) का आसन योग्यता के साथ सुशोभित कर सके? केवल यही तो एक काम है जिसके लायक वकालत की शिक्षा ने हमें बनाया है। लेकिन इसके अलावा विट्टलभाई में और भी कहीं अधिक गुण थे। वह हिन्दुस्तान की आजादी के एक महान् और निडर योद्धा थे।

जब नवम्बर में मैं बनारस गया तो उस मीके पर मुझे हिन्दू विश्व-विद्यालय के विचारियों के सामने व्याख्यान देने के लिए निमन्त्रित किया गया। मैंने वही खुशी से इस निमन्त्रण को मजूर कर लिया और एक घंटे मजमे में मैंने भाषण दिया, जिसके सभापति यूनिवर्सिटी के वाइस-चान्सेलर पण्डित मदनमोहन मालवीय थे। अपने व्याख्यान में मैंने साम्प्रदायिकता के बारे में बहुत-कुछ कहा और जोरदार शब्दों में उसकी निन्दा की, खासकर हिन्दू-महासभा के काम की तो मैंने कड़ी निन्दा की। ऐसा हमला करने का मेरा पहले ही से इरादा रहा हो सो बात नहीं, बल्कि सच बात तो यह थी कि मनी फिरकों के सम्प्रदायवादी लोगों की बढ़ती हुई नुषार-विरोधी हरकतों के लिए मुहत से मेरे दिमाग में गुस्ता मरा हुआ था और जब मैं अपने विषय पर जरा जोश से बोलने लगा

तो इस गुस्से का कुछ भाग उफलकर बाहर निकल पडा। मैंने जानबूझकर मन्मप्रदायवादी हिन्दुओं के दकियानूसीपन पर जोर दिया, क्योंकि हिन्दुओं की जमात के सामने मुसलमानों पर टीका-टिप्पणी करने का कोई अर्थ नहीं था। उन वक्त यह बात तो मेरे ध्यान ही में नहीं आई कि जिम सना के महापति मालवीयजी बहुत दिनों हिन्दू-महासभा के स्तम्भ रहे हो उनमें हिन्दू-महासभा पर टीका-टिप्पणी करना बहुत मुश्किल न था। पर उस समय मैंने इस बात का विचार ही नहीं किया, क्योंकि मालवीयजी का कुछ दिनों से हिन्दू-महासभा से बहुत सम्बन्ध नहीं था और करीब-करीब ऐसा मालूम होता था कि महासभा के नये कट्टर नेताओं ने मालवीयजी जैसे व्यक्ति के लिए उसमें कोई स्थान ही नहीं रहने दिया था। जबतक महासभा की बागडोर उनके हाथ में रही तबतक साम्प्रदायिकता के रहते हुए भी वह राजनैतिक दृष्टि से उन्नति के मार्ग में रोडा अटकानेवाली नहीं थी। लेकिन कुछ दिनों से यह नई प्रवृत्ति बहुत उग्र हो गई थी और मुझे यकीन था कि मालवीयजी का उससे कोई सम्बन्ध नहीं होगा, बल्कि उन्होंने उसको नापसन्द भी किया होगा। फिर भी मेरे लिए यह बात जरा अनुचित तो थी कि मैंने ऐसे विचार प्रकट करके, जिससे उनकी स्थिति खराब हो, उनके निमन्त्रण का अनुचित लाभ उठाया। इस बात का मुझे पीछे जाकर अनुभव हुआ और मुझे इसके लिए अफसोस भी हुआ।

एक और मूर्खतपूर्ण भूल के लिए भी मुझे खेद है जिसमें कि मैं फँस गया था। किसीने हमको डाक से एक ऐसे प्रस्ताव की नकल भेजी जो अजमेर में हिन्दू युवकों की एक सभा में पास हुआ बतलाया गया था। वह प्रस्ताव बहुत आपत्तिजनक था, जिसका मैंने अपने बनारस के भाषण में जिक्र किया था। असल में ऐसा प्रस्ताव किसी सस्था द्वारा पास ही नहीं हुआ था और हमें चकमा ही दिया गया था।

मेरे बनारस के भाषण की रिपोर्टें मन्त्रण में प्रकाशित हुईं। इनपर बड़ा होहल्ला मचा। हालाँकि मैं ऐसी चिन्त-पुष्टार मुझे का आशी था, लेकिन हिन्दू-महासभा के नेताओं के जबरदस्त हमलों से मैं चिन्तित हो गया। ये हमले ज्यादातर व्यक्तिगत थे और असली विषय ने तो प्रायः सम्बन्ध ही नहीं रखते थे। वे हृद से बाहर चले गये और मुझे इस बात से खुशी हुई कि उनकी बजह में मुझे भी उस विषय पर अपनी बात कह लेने का मौका मिल गया। इस बात पर तो मैं कर्द नहीं मोने, यहाँ तक कि जेल में भी, भरा हुआ बैठता था, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता था कि उस विषय को किस तरह छेड़ूँ। वह एक बरं का छत्ता था और हालाँकि मुझे बरं के छत्तो में हाथ डालने की आदत है लेकिन मुझे ऐसे विवादों में पड़ना पसन्द नहीं था जो वाद में तू-तू में-में पर आ जावे। लेकिन अब मेरे सामने दूसरा कोई रास्ता ही न रह गया और फिर मैंने हिन्दू-मुस्लिम साम्प्रदायिकता पर एक तर्कपूर्ण लेख लिखा, जिसमें मैंने यह बताया कि दोनों ओर की साम्प्रदायिकता सच्ची साम्प्रदायिकता नहीं थी, बल्कि साम्प्रदायिक आवरण में ढकी हुई ठेठ सामाजिक और राजनैतिक सकीर्णता थी। इतिहास से मेरे पास कई अखबारों के कटिंग थे, जो मैंने जेल में इकट्ठे किये थे। इनमें साम्प्रदायिक नेताओं के हर तरह के भाषण और वक्तव्य थे। सचमुच मेरे पास इतना मसाला इकट्ठा हो गया था कि मेरे लिए यह मुश्किल हो गया कि मैं किस तरह एकसाथ उसे एक लेख में भर दूँ।

मेरे इस लेख को हिन्दुस्तान के अखबारों में खूब प्रकाशन मिला। यद्यपि उसमें हिन्दू और मुसलमान सम्प्रदायवादियों के सम्बन्ध में बहुत-कुछ बातें थी, फिर भी आश्चर्य है कि उसका हिन्दू-मुसलमान दोनों की ओर से कोई उत्तर न मिला। हिन्दू-महासभा के जितने नेताओं ने मुझे बड़ी जोरदार और तरह-तरह की भाषा में आड़े हाथों लिया था, वे भी

विलकुल चुप्पी साधे रहे। मुसलमानों की तरफ से सर मुहम्मद इकबाल ने गोलमेज़-परिपद सम्बन्धी मेरी कुछ बातों में सुधार करने की कोशिश की, लेकिन मेरी दलीलों के सम्बन्ध में तो उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। उनको दिये गये अपने जवाब ही में मैंने यह मत प्रकट किया था कि विधान-विधानी सभा (कन्स्टीट्यूएण्ट असेम्बली) द्वारा ही राजनैतिक और साम्प्रदायिक दोनों विषयों का निर्णय होना चाहिए। इसके बाद मैंने सम्प्रदायवाद पर एक या दो लेख और भी लिखे।

इन लेखों का जैसा स्वागत हुआ और समझदार व्यक्तियों पर प्रकट रूप से जो-कुछ उनका प्रभाव पड़ा उससे मेरा उत्साह बहुत-कुछ बढ़ गया। असल में मैंने इस बात का तो अनुमान ही नहीं किया था कि साम्प्रदायिक भावना की तह में जो जोष छिपा रहता है मैं उसे हटा सकूँगा। मेरा उद्देश तो यह बताना था कि किस तरह साम्प्रदायिक नेता हिन्दुस्तान और इंग्लैण्ड के घोर प्रति-क्रियावादी फिरको से मिले रहते हैं और वे असल में राजनैतिक और उससे भी अधिक सामाजिक प्रगति के विरोधी होते हैं। उनकी सभी माँगों का जन-साधारण से कोई भी सम्बन्ध नहीं है। उनका उद्देश यही रहता है कि सार्वजनिक क्षेत्र में आगे आये हुए कुछ छोटे-छोटे दलों का भला होजाय।

मेरा इरादा था कि इस तर्कभरे हमले को जारी रखूँ, लेकिन जेल ने फिर मुझे खींच लिया। हिन्दू-मुस्लिम एकता के लिए आये दिन जो अपील होती रहती है, उसके निस्सन्देह फायदेमन्द होते हुए भी वह मुझे तबतक विलकुल फञ्चूल मालूम होती है, जबतक कि मतभेद के कारणों को समझने के लिए कुछ कोशिश न की जाय। मगर कुछ लोगों का यह खयाल मालूम होता है कि इस मन्व को बार-बार रटने से अन्त में एकता जादू की तरह आटपकेगी।

१. २१ अप्रैल १९३८ को आपका देहावसान होगया है।

सन् १८५७ के गदर से अबतक साम्प्रदायिक प्रश्न पर अंग्रेजों की जो नीति गृहीत है उसपर सिलसिलेवार नजर डालना दिलचस्प बात होगी। दरअसल और जरूरीतौर पर ब्रिटिश नीति यही रही है कि हिन्दू-मुसलमान मिलकर न चले, और आपस में एक-दूसरे से लड़ते रहें। सन् १८५७ के बाद अंग्रेजों का वार हिन्दुओं की बनिस्बत मुसलमानों पर गहरा रहा। मुसलमानों का कुछ ही समय पहले हिन्दुस्तान पर राज्य था। इस बात की याददास्त उनमें ताजी थी। इस वजह से अंग्रेज उनको ज्यादा उग्र, लडाकू और छतरनाक समझते थे। फिर मुसलमान नई तालीम से भी दूर-दूर रहे और सरकारी नौकरियों में भी उनकी तादाद कम थी। इन सब कारणों से अंग्रेज लोग उन्हें सन्देह की दृष्टि से देखते थे। हिन्दुओं ने अंग्रेजी भाषा और सरकारी नौकरियों को बहुत अधिक तत्परता से अपना लिया और अंग्रेजों को ये ज्यादा सुसाध्य मालूम हुए।

इसके बाद नई राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न हुई। इसका उदय उच्चवर्ग के अंग्रेजी पढे-लिखे शिक्षितों में हुआ। इस भावना का हिन्दुओं तक महद्गूर रहना स्वाभाविक ही था, क्योंकि मुसलमान लोग शिक्षा के लिहाज से बहुत पिछड़े हुए थे।

यह राष्ट्रीयता बड़ी बिनम्र और दीन भाषा में प्रकट की जाती थी, पर फिर भी सरकार को यह सहन नहीं हुई और उसने यह निश्चय लिया कि मुसलमानों की पीठ ठोकी जाय और उनको इस नई राष्ट्रीयता की लहर में दूर रखा जाय। मुसलमानों के लिए तो अंग्रेजी शिक्षा का न होना ही एक काफी रूकावट थी। लेकिन इस रूकावट का धीरे-धीरे दूर होना आजमी था। अंग्रेजों ने बड़ी दूरदबी में आगे के लिए इन्तजाम कर लिया और इन काम में उन्हें सर नैयद अहमदशा की जोरदार सहायता की बड़ी मदद मिली।

मर सैयद इस बात से दुःखी थे कि उनकी जाति पिछड़ी हुई है, चासकर शिक्षा के क्षेत्र में, और इस बात से उनके दिल में दर्द होता था कि उनकी जाति पर न तो अंग्रेजों की कृपा-दृष्टि थी और न उनकी नज़रों में मुसलमानों का कुछ प्रभाव ही था। उस ज़माने के बहुत-से दूसरे लोगो की तरह वह भी अंग्रेजों के बहुत बड़े प्रशंसक थे और मालूम होता है कि उनपर यूरोप-यात्रा का और भी ज़बरदस्त असर पडा था।

उन्नीसवीं सदी के आखिरी ज़माने में यूरोप, या यो कहो कि, पश्चिमी यूरोप की सभ्यता का सितारा बहुत बुलन्दी पर था। यूरोप उस समय ममार का एकछत्र अधिपति था और उसमें वे सब गुणमली भाति प्रकट हो रहे थे जिनके कारण उसे महत्ता प्राप्त हुई थी। उन्चवर्ग के लोग अपनी पतृक सम्पत्ति को सुरक्षित समझते थे और उसे बढ़ा रहे थे, क्योंकि उनको यह डर नहीं था कि कोई उनसे मुकाबिला करके कामयाब होसकेगा। वह प्रगतिवाद के उद्गम का युग था, जिसे अपने उज्ज्वल भविष्य में दृढ विश्वास था। इसलिए कोई ताज्जुब नहीं कि जो हिन्दुस्तानी उधर गये वे वहा का शानदार नज़ारा देखकर मोहित होगये। शुरु-शुरु में हिन्दू लोग ही ज्यादा गये, और वे यूरोप और इंग्लैण्ड के प्रशंसक बनकर वापस लौटे। धीरे-धीरे वे इस तडक-भडक और चमक-दमक के आदी होगये और जो ताज्जुब पहले-पहल उनको होता था वह दिल मे निकल गया। लेकिन सर सैयदअहमद को पहली ही बार वहा की तडक-भडक से जो विस्मय और आकर्षण हुआ, वह साफ जाहिर है। वह सन् १८६९ मे इंग्लैण्ड गये थे। उस समय उन्होने घर को जो पत्र लिखे उनमें उन्होने वहाँ के सम्बन्ध में अपने खयालात जाहिर किये थे। इनमें से एक पत्र में उन्होने लिखा था—“इस सबका नतीजा यह निकलता है कि हालाँकि अंग्रेज लोग जिस तरह हिन्दुस्तान में शिष्टता का व्यवहार नहीं करते और हिन्दुस्तानियों को जानबरो के समान हेय, नीच और धृणित समतेक्ष

हैं इसके लिए उनको वरुणा नहीं जासकता, फिर भी मेरा खयाल है कि वे इस तरह का वर्तव इसीलिए करते हैं कि वे हम लोगों को समझ नहीं पाते हैं। और मुझे डरते-डरते यह बात माननी पडती है कि उन्होंने जो राय हमारे बारे में कायम की है वह ज्यादा गलत नहीं है। मैं अंग्रेजों की झूठी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, यदि मैं सचमुच यह कहूँ कि हिन्दुस्तान के लोग चाहे वे ऊँच हों या नीच, बड़े व्यापारी हों या छोटे दूकानदार, पढे-लिखे हों या अपढ, अंग्रेजों की तालीम, तमीज और ईमानदारी के मुकाबिले में ऐसे हैं जैसे किसी काविल और खूबसूरत आदमी के मुकाबिले में एक गन्दा जानवर। अंग्रेज लोग अगर हम हिन्दुस्तानियों को निरा जगली समझें तो उनके पास इसकी बजह है। मैं जो-कुछ देख रहा हूँ और रोज़मर्रा देख रहा हूँ वह एक हिन्दुस्तानी के कयास के बिलकूल बाहर की बात है " परलोक और इस लोक दोनों लोको की सारी सुन्दर वस्तुयें, जो इन्सान में होनी चाहियें, खुदा ने यूरोप को, खासकर इंग्लैण्ड को, वरदा दी है।"

कोई भी आदमी अंग्रेजों की और यूरोप की इससे ज्यादा तारीफ नहीं कर सकता। और यह स्पष्ट है कि सर सैयद बहुत अधिक प्रभावित हुए थे। यह भी मुमकिन है कि उन्होंने ऐसी ख़ोरदार भाषा और अतिशयोक्तिपूर्ण तुलना का प्रयोग अपने देशवासियों को गाढी नीद से जगाने और उनको आगे कदम बढाने के लिए उकसाने की नियत से किया हो। उनका यह विश्वास था कि यह कदम पश्चिमी शिक्षा की तरफ बढना चाहिए। गिना उस तालीम के उनकी जाति ज्यादा पिछडती और कमब़ोर होनी जायगी। अंग्रेजी तालीम का मतलब था सरकारी नौकरियाँ, टिक़ाबत दबदबा और इज्जत। इसलिए उन्होंने अपनी सारी ताकत इस

१ यह उद्धरण हेन्स कोहन की "हिस्ट्री आफ़ नेशनलिज्म इन दि ईस्ट" (पूर्वी राष्ट्रीयता का इतिहास) से लिया गया है।

नाम के लिए लक्ष्मी और मरा नहीं कोशिश करते रहे कि उनकी भाषा के लोग भी उनके जैसे समाज के हो पाये। मुसलमानों की सुस्ती और निर्यात का दर बढ़ना बड़ा मुश्किल काम था, इसलिए वह यह करने चाहते थे कि उनके सामने में नहीं बाहर से कोई बाधा या रुकावटें आये। सामंजस्य के हिन्दुओं-द्वारा चलाई हुई राष्ट्रीयता को उन्होंने उन प्रश्नों के माध्यम से समझा और समझाए उन्होंने उसका विरोध किया। विश्व में ५० वर्ष आगे बढ़े हुए होने के कारण हिन्दू लोग सरकार की सामंजस्य नीति में बर मन्ते थे, लेकिन सर सैयद ने तो अपने शिक्षा मन्त्रालय प्रयत्न में सरकार की पूरी महायत्ना पर आँखें गड़ा रखी थी थीं। वे जोड़े ऐसा जल्दबाजी का काम नहीं करना चाहते थे जिससे उन्हें उन मार्ग में जोरम उठाना पड़े। इसलिए उन्होंने नवजात राष्ट्रीय महायत्ना (काँग्रेस) को धता बताई। ब्रिटिश-सरकार तो उनके इस स्वयं पर उनकी पीठ ठोकने के लिए तैयार बैठी ही थी।

मुसलमानों को पश्चिमी शिक्षा दिये जाने पर विशेष जोर देने का सर सैयद का निर्णय ब्रेजक बहुत ठीक था। उसके बिना मुसलमान लोगों के लिए नये प्रकार की राष्ट्रीयता के निर्माण में कारगर हिस्सा लेसकना असम्भव था और उनको लाजिमी तौर पर हिन्दुओं के स्वर-में-स्वर मिश्रण ही रहना पड़ता, क्योंकि हिन्दुओं में शिक्षा भी ज्यादा थी और उनकी आर्थिक दशा भी ज्यादा अच्छी थी। ऐतिहासिक घटना-चक्र और विचार-आदर्श की दृष्टि से मुसलमान मध्यमवर्गीय राष्ट्रीय आन्दोलन के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि उनमें हिन्दुओं की तरह कोई मध्यम-वर्ग नहीं बन सका था। इसलिए सर सैयद की कार्यवाहियाँ ऊपर से भले ही नरम दीपती हो, लेकिन वे दरअसल सीधी क्रांति की ओर ले जानेवाली थी। मुसलमान अभीतक प्रजातन्त्र विरोधी जागीरदाराना विचारों से जकड़े हुए थे, जबकि प्रगतिशील मध्यमश्रेणी के हिन्दू-

बंगाली प्रजातन्त्रीय सुधार-वादीयों के-ने विचार करने लग गये थे। दोनों ठेठ नरम नीति को पालनेवाले और ब्रिटिश राज्य पर नरोमा गमनेवाले थे। नर संयुक्त की नरम नीति उस जागीरदार-वर्ग की नरम-नीति थी, जिसमें मुद्दोभर धनवान मुमलमान शामिल थे। उधर हिन्दुओं की नरम नीति थी उस होमियार पेशेवर या व्यापारी की नरम नीति जो उद्योग-धरो और व्यापार में धन लगाने का साधन दूँदता ही। इन हिन्दू राजनीतियों की नजर हमेशा इंग्लैंड के उदार दल के सुविद्यत रत्न ग्लेडस्टन, वाइट इत्यादि पर रहती थी। मुझे शक है कि मुमलमानों ने कभी ऐसा किया ही। शायद वे लोग अनुदार दल और इंग्लैंड के जागीरदार-वर्ग के प्रशंसक थे। टर्की और आरमीनियनों के कत्ल की दार-दार खूब निन्दा करने के कारण ग्लेडस्टन तो उनके लिए सबमुच घृणा का पात्र बन गया था। लेकिन चूँकि डिसरैली का टर्की की तरफ कुछ ज्यादा झुकाव था, इसलिए वे लोग—अर्थात्, वास्तव में वे मुद्दोभर लोग जो ऐसे मामलों में दिलचस्पी रखते थे—कुछ हद तक उसे चाहते थे।

नर संयुक्त-हमद के कुछ व्याख्यानों को अगर आज पढा जाय तो बड़े अभीव-से मालूम होंगे। सन् १८८७ के दिसम्बर में उन्होंने लखनऊ में उस अवसर पर एक भाषण दिया था जब काँग्रेस का सालाना जलसा वहाँ होरहा था। उसमें उन्होंने काँग्रेस की बहुत नरम माँगों की भी निन्दा और आलोचना की थी। उन्होंने कहा था—“अगर सरकार अफगानिस्तान से लडे या बर्मा को जीते तो उसकी नीति की आलोचना करना हमारा काम नहीं है। सरकार ने कानून बनाने के लिए काँग्रेस बना रखी है। उस काँग्रेस के लिए वह सभी प्रान्तों से उन अधिकारियों को चुनती है जो राज-काज और जनता की हालत से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं, और कुछ रईसों को भी चुनती है जो समाज में अपने ऊँचे स्तरे की वजह से असेम्बली में बैठने के काबिल हैं। कुछ लोग

पूछ सकते हैं कि उनका चुनाव इसलिए क्यों किया जाय कि वे रूतवे-वाले हैं, काबलीयत का खयाल क्यों न रक्खा जाय ? ' 'भै आपसे पूछता हूँ, क्या आपके मालदार घराने के लोग यह पसन्द करेगे कि छोटी जाति और ओछे खानदान के लोग, चाहे वे वी० ए० या एम० ए० ही क्यों न हो और जरूरी योग्यता रखते हो, उन पर हुकूमत करे और उनकी जानोमाल से सम्बन्ध रखनेवाले कानून बनाने की ताकत रखें ?' कभी नहीं । "वाइसराय ऐसा कभी नहीं कर सकता कि सिवाय ऊँचे खानदान के आदमी के किसी और को अपना साथी कबूल करे, या उसके साथ भाईचारे का बर्ताव रखे या उसे ऐसी दावती में निमन्त्रण दे जिनमें उसे इग्लैण्ड के अमीर-उमरा (ड्यूक और अर्ल) के साथ दस्तर-खान पर बैठना पडता हो ।" क्या हम कह सकते हैं कि कानून बनाने के लिए जो तरीके सरकार ने अस्तित्थार किये हैं, वे लोगो की मर्जी का खयाल रखे विना ही किये गये हैं ? क्या हम कह सकते हैं कि कानून बनाने में हमारा कुछ भी हाथ नहीं है ? बेशक हम ऐसा नहीं कह सकते ।"

ये थे शब्द उस व्यक्ति के जो भारत में 'लोकसत्तात्मक इस्लाम' का नेता और प्रतिनिधि था । इसमें शक है कि अवध के ताल्लुकेदार या या आगरा, बिहार या बँगाल प्रान्त के बड़े-बड़े जमीदार भी आज इस तरह बोलने का साहस कर सकेंगे । लेकिन सर सैयद में ही यह निराशा-पन ही सी बात नहीं है । कांग्रेस के भी बहुत-से व्याप्त्यान अगर आज पडे जायें तो ऐसे ही अजीब मालूम होंगे । लेकिन यह तो साफ मालूम होता है कि हिन्दू-मुस्लिम सवाल का राजनैतिक व आर्थिक रूप उस वक्त यह था कि प्रगतिशील और आर्थिक दृष्टि से साधनसम्पन्न मध्यम-श्रेणी के (हिन्दू) लोगो का पुराने ढँग का कुछ जागीरदार वर्ग (मुसल-
१. हेन्स कोहन की 'हिस्ट्री ऑफ नेशनेलिज्म इन दी ईस्ट' से उद्धृत ।

मान) विरोध करता था और उसकी प्रगति को रोकता था। हिन्दू जमींदारों का सम्बन्ध अक्सर मध्यमवर्ग के साथ था। इसलिए वे मध्यमवर्ग की माँगों के विषय में या तो तटस्थ रहते थे या उनसे सहानुभूति रखते थे और इन माँगों के बनाने में भी अक्सर उनका हाथ रहता था। अंग्रेज लोग हमेशा की तरह जमींदारों का साथ देते थे। दोनों ओर की साधारण जनता और दोनों निम्नश्रेणी के मध्यम-वर्ग की ओर तो किसी-का कुछ ध्यान ही न था।

सर सैयद के प्रभावशाली और जोरदार व्यक्तित्व का मुसलमानों पर बहुत असर पड़ा और अलीगढ़-कॉलेज उनकी उम्मीदों और रुबाहियों का एक प्रत्यक्ष नमूना साबित हुआ। सत्रमणकाल में अक्सर ऐसा होता है कि तरक्की की तरफ ले जानेवाला जोश बहुत जल्द अपना मकसद पूरा कर लेने के बाद एक रुकावट बन जाता है। हिन्दुस्तान का नरम दल इसकी एक जाहिरा मिसाल है। ये लोग अक्सर हमको इस बात की याद दिलाते रहते हैं कि काँग्रेस की पुरानी परम्परा के असली वारिस ये ही हैं और हम लोग, जो बाद में उसमें शामिल हुए हैं, सिर्फ दालभात में मूमलचन्द हैं। ठीक है। लेकिन वे लोग इस बात को तो भूल ही जाते हैं कि दुनिया बदलती रहती है और काँग्रेस की वह पुरानी परम्परा समय के गर्भ में विलीन होकर अब सिर्फ एक यादगार भर रह गई है। इसी तरह सर सैयद की आवाज भी उस जमाने के लिए मौजूद और जरूरी थी, लेकिन वह एक उन्नतिशील जाति का अन्तिम आवर्ष नहीं होसकती थी। यह सम्भव है कि अगर वह एक पीढी और रहे होते तो उन्होंने खुद ही अपने सदेश को एक दूरदरी ही मूरत दे दी होती। या दूसरे नेता उनके पुराने सदेश नई तरह से जनता को समझाते और उसे बदली हुई हालत के माफिक बना देते। लेकिन सर सैयद को जो नफलता मिन्नी और उनके नाम के साथ जो धरदा जुटी रह गई उसने दूसरों के

लिए पुरानी लकीर को छोड़ देना मुश्किल कर दिया । दुर्भाग्य से हिन्दुस्तान के मुसलमानों में ऐसी ऊँची काबलीयत के लोगों का बहुत बुरी तरह से अभाव था जो कोई नया रास्ता दिखला सकते । अलीगढ़-कॉलेज ने बड़ा अच्छा काम किया और उसने एक बड़ी तादाद में अच्छे काविल आदमी तैयार करके समझदार मुसलमानों का सारा रुख ही बदल दिया । लेकिन जिस सचि में वह ढाला गया था उससे वह न निकल सका—उसके ऊपर जमींदाराना खयालात का असर बना ही रहा और साधारण विद्यार्थी का उद्देश सिर्फ सरकारी नौकरी ही रहा । हिम्मत के साथ जीवन-संग्राम में उतरने या किसी ऊँचे लक्ष्य को पाने का प्रयत्न करने की इच्छा उसमें नहीं थी । वह तो अगर उसे कहीं डिप्टी कलक्टरी मिल गई, तो इसीमें अपने को धन्य समझता था । उसका गर्व सिर्फ बात की याद दिलाने से ठंडा होजाता था कि वह इस्लाम की महान् लोक-सत्ता का एक अंग है । इस भाईचारे के प्रमाणस्वरूप वह अपने सिर पर बड़ी ज्ञान के साथ एक लाल टोपी पहनता था, जिसे टर्किश फैज कहते हैं और जिसको खुद तुर्कों ने ही बाद में विलकुल उतार फेंका । जहाँ उसे अपने अमित लोकसत्तात्मक अधिकार का विश्वास हुआ—जिसके कारण वह अपने मुसलमान भाइयों के साथ भोजन और प्रार्थना कर सकता था—कि फिर वह इस बात के सोचने की क्षमता में नहीं पड़ता था कि हिन्दुस्तान में राजनैतिक लोकसत्ता की कोई हस्ती है या नहीं ।

यह तग दृष्टि और सरकारी नौकरियों के पीछे दौड़ना सिर्फ अलीगढ़ या दूसरी जगह के मुसलमान विद्यार्थियों तक ही सीमित न था । हिन्दू विद्यार्थियों में भी—जो स्वभाव से ही छतरो से घबराते थे—यह उसी परिमाण में पाया जाया था । लेकिन परिस्थिति ने इनमें से बहुतों को इस गड्ढे से निकाल दिया । उनकी सख्या तो थी बहुत ज्यादा और मिलनेवाली नौकरियाँ थी बहुत कम । नतीजा यह हुआ कि इन बर्गहीन

विचारक लोगो की एक ऐसी जमान बन गई, जो राष्ट्रीय क्रान्तिकारी आन्दोलनो की जान हुआ करती है ।

सर सैयदअमदखान के राजनैतिक सन्देश के गलाघोटू असर से हिन्दुस्तान के मुसलमान अच्छी तरह निकलने भी न पाये थे कि बीसवीं सदी की आरम्भिक घटनाओ ने ऐसे साधन उपस्थित कर दिये जो ब्रिटिश सरकार को मुसलमानो और राष्ट्रीय आन्दोलन के (जो उस समय तक काफी बोर पकड़ चुका था) बीच खाई चौड़ी करने में सहायक होगये । सर वेलेन्टाइन शिरोल ने १९१० में 'इन्डियन अनरेस्ट' (भारत में अशांति) नामक पुस्तक में लिखा था— "यह बड़े विश्वास के साथ कहा जासकता है कि आज से पहले भारत के मुसलमानो ने सामूहिकरूप से कभी अपने हितो और आकांक्षाओ को ब्रिटिश राज के सगठन और स्थायित्व के साथ इतनी धनिष्ठता से नहीं मिलाया । राजनीति की दुनिया में भविष्यवाणी करना खतरनाक होता है । सर वेलेन्टाइन की पुस्तक प्रकाशित होने के बाद, पाँच वर्ष के भीतर ही, समझदार मुसलमान उन बेडियो को, जो उनको आगे बढ़ने से रोक रही थी, तोड़कर काँग्रेस का साथ देने की जी-जान से कोशिश करने लगे । दस साल के अन्दर ही ऐसा मालूम होने लगा कि मुसलमान तो काँग्रेस से भी आगे बढ गये और सचमुच उसका नेतृत्व भी करने लगे । पर ये दस बरस बड़े महत्वपूर्ण थे । इन्हीं दस बरसों में यूरोपीय महायुद्ध शुरू भी हुआ और खतम भी होगया और अपनी विरासत में एक नष्ट-भ्रष्ट ससार छोड गया ।

लेकिन फिर भी सर वेलेन्टाइन शिरोल जिन नतीजो पर पहुँचे बाहिरा तौरपर तो उनके कारण भाषारणतया ठीक ही थे । आगाखान मुसलमानो के नेता के रूप में प्रकट हुए और यह घटना ही इस बात का काफी सबूत था कि मुसलमान लोग अभी तक अपनी जागीरदाराना परम्परा से चिपके हुए थे; क्योंकि आगाखान कोई मध्यमवर्ग के नेता नहीं

थे। वह एक अत्यन्त घनवान् राजा और एक फिरके के धार्मिक गुरु थे। ब्रिटिश राजसत्ता से घनिष्ठ सम्बन्ध रखने के कारण, अंग्रेजों के लिए वह अपने आदमी बन गये थे। बड़े शाहस्ता और एक घनी जागीरदार और खिलाडी की भाँति ज्यादातर यूरोप में ही पड़े रहनेवाले। इस कारण व्यक्तिगत रूप से वह मजहबी या फिरकेवाराना मामलों में नकीर्ण विचारों से बहुत दूर थे। उनका मुसलमानों का नेतृत्व करने का अर्थ यह था कि मुस्लिम जमींदार और बढ़ते हुए मध्यमवर्ग के लोग सरकार के हिमायती बन जायें, साम्प्रदायिक समस्या तो एक गौण बात थी, और वह भी मुख्य उद्देश को सिद्ध करने के अभिप्राय से ही इतने जोरों के साथ जाहिर की जाती थी। सर वेलेन्टाइन शिरोल ने लिखा है कि आगाखाने ने उस वक्त के वाइसराय लार्ड मिंटो को यह सुझाया था कि “बग-भग से पैदा होनेवाली राजनैतिक स्थिति के बारे में मुसलमानों की क्या राय है ताकि जल्दबाजी में हिन्दुओं को कहीं ऐसी राजनैतिक सुविधायें न दे दी जायें जो हिन्दू बहुमत को प्रोत्साहन दें—जो बहुमत ब्रिटिश राज की दृढ़ता और मुस्लिम अल्पमत के हितों के लिए, जिसकी राजभक्ति में किसी को सदेह नहीं होसकता था, समान रूप से खतरनाक था।”

लेकिन ब्रिटिश सरकार की इन जाहिरा हिमायती ताकतों के सिवा और दूसरी तरह की शक्तियाँ भी काम कर रही थी। नया मुस्लिम मध्यमवर्ग मौजूदा परिस्थिति से दिन-दिन लाजिमीतौर पर असंतुष्ट होता जाता था और राष्ट्रीय आन्दोलन की तरफ खिंचता जा रहा था। आगाखाने को भी खुद ही इस ओर ध्यान देना पड़ा और उन्हें अंग्रेजों को एक खास ढँग की चेतावनी भी देनी पड़ी। जनवरी १९१४ (यूरोपीय महायुद्ध से बहुत पहले) के ‘एडिनबरा रिव्यू’ के अंक में उन्होंने एक लेख लिखा, जिसमें सरकार को यह सलाह दी कि हिन्दू-मुसलमानों को

लड़ाने की नीति का परित्याग कर शिया जाय, और दोनों सम्प्रदायों के वरम खयाल के लोगों को एक टाटे के नीचे छात्रा दिया जाय, जिसे कि तरुण भारत की हिन्दू और मुसलमान दोनों जानियों को शुद्ध राष्ट्रीय प्रवृत्तियों से टक्कर लेनेवाली एक पक्की पैदा होजाय। इसलिए यह साफ है कि आगाखाने हिन्दुस्तान की राजनैतिक तन्मदीनी को रोकने में जितनी ज्यादा दिलचस्पी रखते थे, मुसलमानों के साम्प्रदायिक हिता में उतनी नहीं।

लेकिन राष्ट्रीयता की ओर मध्यमवर्ग के मुसलमानों की अनिवार्य प्रगति को न तो आगाखाने और न ब्रिटिश सरकार ही रोक सकते थे। ससारव्यापी महायुद्ध ने इस क्रिया को और भी तेज कर दिया और जैसे-जैसे नये-नये नेता पैदा होने लगे वैसे-ही-वैसे आगाखाने का प्रभाव भी कम होता हुआ मालूम होने लगा। यहाँतक कि अलीगढ़-कॉलेज का भी रूप बदल गया। नये नेताओं में सबसे अधिक जोरावर अली-बन्धु निकले, ये दोनों ही उस कॉलेज से निकले हुए थे। डॉक्टर मुहम्मदअहमद असारी, मौलाना अबुलकलाम आजाद आदि मध्यम-वर्ग के दूसरे कई नेता अब मुसलमानों के राजनैतिक मामलों में महत्त्वपूर्ण भाग लेने लगे। इसी तरह लेकिन कुछ कम परिमाण में श्री मुहम्मदअली जिन्ना भी भाग लेते थे। गांधीजी ने इनमें से अधिकांश नेताओं (मि० जिन्ना को छोड़कर) और आमतौर से मुसलमानों को भी अपने असहयोग-आन्दोलन में घसीट लिया, और १९१९-२३ के दिनों में इन लोगों ने हमारी लड़ाई में प्रमुख भाग लिया।

इसके बाद प्रतिक्रिया शुरू हुई और हिन्दू और मुसलमान दोनों कौमों के साम्प्रदायिक और पिछड़े हुए लोग, जो सार्वजनिक क्षेत्र से बरबस पीछे हट चुके थे, अब फिर आगे आने लगे। यह क्रिया धीमी तो थी, पर थी लगातार। हिन्दू-महासभा ने पहली ही बार कुछ स्वाति

प्राप्त की, खासकर साम्प्रदायिक तनाव के कारण । मगर राजनैतिक दृष्टि से वह कांग्रेस पर कुछ अधिक असर न डाल सकी । मुसलमानों की साम्प्रदायिक सस्थायें मुस्लिम जनता में अपनी खोई हुई पुरानी प्रतिष्ठा को कुछ अंश तक फिर प्राप्त करने में अधिक सफल रही । फिर भी मुस्लिम नेताओं का एक जबरदस्त दल सदा कांग्रेस के साथ रहा । उच्च ब्रिटिश सरकार ने मुस्लिम साम्प्रदायिक नेताओं को, जो राजनैतिक दृष्टि से पूरे प्रतिक्रियावादी थे, प्रोत्साहन देने में कोई कसर नहीं रखी । इन प्रतिक्रियावादियों की सफलता को देखकर हिन्दू-महासभा के मुँह में भी पानी आगया और उसने भी ब्रिटिश सरकार की कृपा प्राप्त करने की आशा से प्रतिक्रिया में इनके साथ होड़ लगाना शुरू कर दिया । महासभा के उन्नतिशील विचारोंवाले बहुत से लोग या तो निकाल दिये गये या खुद ही निकल गये और मध्यमश्रेणी के उच्चवर्ग—विशेषकर महाजन और साहूकार—की ओर महासभा अधिकाधिक झुकने लगी ।

दोनों ओर के साम्प्रदायिक राजनीतिज्ञ, जो निरन्तर कौंसिलों की सीटों के बारे में बहस किया करते थे, केवल उसी कृपा का विचार करते रहते थे जो सरकारी क्षेत्रों में प्रभाव होने से हासिल होती है । यह तो मध्यमवर्ग के पढ़े-लिखे लोगों के लिए नौकरियों की लड़ाई थी । यह स्पष्ट है कि नौकरियाँ इतनी तो हो ही नहीं सकती थी जो सबको मिल जाती, इसलिए हिन्दू और मुसलमान सम्प्रदायवादी इन्हींके बारे में लड़ते-झगड़ते थे । हिन्दू लोग अपने बचाव की फिक्र में थे, क्योंकि ज्यादातर नौकरियाँ जन्हीने घेर रखी थी और मुसलमान लोग सदा "और-और" की रट लगाये रहते थे । इस नौकरियों की लड़ाई के पीछे एक और भी ज्यादा महत्वपूर्ण कथमकथ चल रही थी, जो साम्प्रदायिक तो नहीं थी लेकिन जिसका असर साम्प्रदायिक समस्या पर पड़ जरूर रहा था । पंजाब, सिन्ध और बंगाल में हिन्दू लोग सब तरह से

ज्वादा मालदार, साहूकार और शहरी थे। इन प्रान्तों के मुसलमान शरीव, कर्जदार, और देहाती थे। इसलिए इन दोनों की टक्कर अक्सर आर्थिक होती थी, पर उसको हमेशा साम्प्रदायिक रंग दे दिया जाता था। पिछले महीनों में प्रान्तीय धारा-समाजों में पेश किये गये देहाती कर्ज के भार को घटानेवाले कई बिलों पर, खासकर पंजाब में, जो वहाँसे हुई है उनसे यह बात बिल्कुल साफ हो जाती है। हिन्दू-महासभा के प्रतिनिधियों ने इन युक्तियों का दृढ़ता के साथ विरोध किया है और सदा साहूकार-वर्ग का साथ दिया है।

मुसलमानों की साम्प्रदायिकता पर हिन्दू-महासभा जब कभी आक्षेप करती है तो वह सदा अपनी निर्दोष राष्ट्रीयता का राग अलापती है। यह तो हरेक को जाहिर है कि मुस्लिम सत्थाओं ने अपना एक बिल्कुल अजीब साम्प्रदायिक रूप प्रकट किया है। महासभा की साम्प्रदायिकता इतनी स्पष्ट नहीं है, क्योंकि वह राष्ट्रीयता का नकली चोगा पहने हुए फिरती है। परीक्षा का मौका तो तभी आता है जब राष्ट्रीय और सर्व-साधारण के हित का कोई ऐसा निर्णय होता हो, जिससे उच्च श्रेणी के हिन्दुओं का हित-विरोध होता हो और वह उसका विरोध न करती हो। लेकिन जब कभी ऐसे मौके आये हैं, हिन्दू-महासभा इस परीक्षा में बार-बार नाकामयाब रही है। अल्पमत के आर्थिक हितों के विचार से और बहुमत की उद्घोषित इच्छाओं के खिलाफ हिन्दुओं ने सिन्ध के पृथक्करण का हमें विरोध ही किया है।

लेकिन हिन्दू और मुसलमान दोनों ही दलों के सम्प्रदायवादिनों द्वारा राष्ट्र-विरोधी प्रवृत्तियों का सबसे अजीब प्रदर्शन तो गोलमेक कॉन्फ्रेंस में हुआ। ब्रिटिश-सरकार उनके लिए केवल ऐसे ही मुसलमानों को नामजद करने पर तुरी हुई थी जो हर तरह सम्प्रदायवादी थे। और आगाओं के नेतृत्व में तो ये लोग इतने नीचे उतर गये थे कि इंग्लैंड के

सार्वजनिक जीवन के सबसे अधिक प्रतिक्रियावादी और भारत ही नहीं बल्कि सभी उन्नतिशील सम्प्रदायों की दृष्टि से सबसे खतरनाक व्यक्तियों तक के साथ मिलने को उत्साह हो गये थे। आगाख़ाँ और उनके गिरोह का लार्ड लॉयड और उनकी पार्टी के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध एक बड़ी असाधारण-सी बात थी। इतना ही नहीं, इन लोगों ने गोलमेख परिषद में गये हुए यूरोपियन असोसियेशन के प्रतिनिधियों तक से समझौता कर लिया था। यह बड़े दुःख और निराशा की बात थी, क्योंकि यूरोपियन असोसियेशन भारत की स्वतन्त्रता का सबसे कट्टर और जोरदार विरोधी रहा है, और अब भी है।

हिन्दू-महासभा के प्रतिनिधियों ने इसका जवाब इस तरह से दिया कि उन्होंने, खासकर पंजाब के लिए, स्वतन्त्रता के मार्ग में ऐमे-ऐसे प्रतिबन्धों की माँग की जो अंग्रेजों के हक में 'संरक्षण' थे। उन्होंने ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग करने के प्रयत्नों में मुसलमानों को भी भाग देने की कोशिश की। इससे उनको मिला तो कुछ भी नहीं, उल्टे अपने पक्ष को ही उन्होंने नुकसान पहुँचाया और स्वतन्त्रता के पक्ष के साथ विश्वासघात किया। मुसलमानों के बोलने के ढंग में कम-से-कम कुछ शान तो थी, लेकिन हिन्दू सम्प्रदायवादियों के पास तो यह भी न था।

मुझे तो स्पष्ट बात यह मालूम पड़ती है कि दोनों तरफ के साम्प्रदायिक नेता एक छोटे-से उच्चवर्गीय प्रतिक्रियावादी गिरोह के प्रतिनिधि होने के सिवा और कुछ नहीं हैं। ये लोग जनता के धार्मिक जोंग का अपने स्वार्थ-साधन के लिए दुरुपयोग करते हैं और उससे बेजा फायदा उठाते हैं। दोनों ओर आर्थिक प्रश्नों को टालने और दबाने की भरमसात कोशिश की जाती है। वह वस्तु जल्दी ही जानेवाला है, जबकि इन प्रश्नों को दबाया जासकना असम्भव हो जायगा, और तब दोनों दलों

के साम्प्रदायिक नेता निस्सदेह आगाख़ा की वीस वरस पहले की चेतावनी को दोहरायेंगे कि नरम विचार वालों को युग-परिवर्तनकारी प्रवृत्तियों के विरुद्ध मिलकर जिहाद बोल देना चाहिए। कुछ हद तक तो अब यह बात जाहिर हो ही चुकी है कि हिन्दू और मुसलमान सम्प्रदायवादी जनता के सामने एक दूसरे को चाहे जितना बुरा-भला कहे, मगर असेम्बली और अन्य ऐसी ही जगहों में सरकार को राष्ट्र-विरोधी कानून पास करने में सहायता देने के लिए दोनों ही मिल जाते हैं। ओटावा एक ऐसा ही सूत्र था जिसने तीनों को एकसाथ लामिलाया था।

साथ-ही-साथ, यह मजेदार बात भी ध्यान में रखने की है कि आगाख़ा का अनुदार पार्टी के सबसे अधिक कट्टर पक्ष के साथ अभी तक घनिष्ठ सम्बन्ध चला जाता है। १९३४ के अक्टूबर में आप ब्रिटिश नेवी-लीग के सहभोज में, जिसके सभापति लार्ड लॉयड थे, एक सम्मानित मेहमान की हैसियत से सम्मिलित हुए थे। वहाँ आपने लार्ड लॉयड के उन प्रस्तावों का हृदय से समर्थन किया था जो उन्होंने ब्रिस्टल की फ़ेडरलिविग कॉन्फ़ेस में ब्रिटिश जहाजी बेड़े की शक्ति को और अधिक मजबूत बनाने की दृष्टि से किये थे। इस तरह हिन्दुस्तान के एक नेता ब्रिटिश सत्ता की रक्षा और इंग्लैण्ड की हिफ़ायत के लिए इतने चिन्तित थे कि वह इंग्लैण्ड की फ़ीजी ताकत बढ़ाने के काम में मि० वाल्डविन या उनकी 'नेशनल' सरकार से भी आगे बढ़ जाने को तैयार थे। और निम्नदेह यह मन्त्र किया जा रहा था शान्ति-रक्षा के नाम पर !

दूसरे ही महीने, यानी नवम्बर १९३४ में, यह ख़बर लगी कि लन्दन में ग़ानधीवीर पर, एक फिल्म दिखलाई गई है, जिसका उद्देश्य था 'मुसलमानों को अंग्रेज़ी ब्रादरगाहृत के माध्यम से सदा के लिए मिथता के सूत्र में बाँध देना'। हमको यह भी पता लगा कि इस अवसर पर आगाख़ा जी लार्ड लॉयड सम्मानित मेहमान होकर पधारे थे। ऐसा

मालूम पड़ता है कि शाही मामलों में आगाख़ाँ और लाडें लाँयड दोनों इस तरह एक जान दो कालिब हैं, जैसे हमारे राष्ट्रीय राजनैतिक क्षेत्र में सर तेजबहादुर सप्रू और मि० एम० आर० जयकर । यह बात भी गौर करने के काबिल है कि इन महीनों में, जबकि ये दोनों एक-दूसरे में इतनी अधिकता से घुल-मिल रहे थे, ठीक उसी वक्त लाडें लाँयड नेशनल सरकार और उसके पक्ष के अनुदार नेताओं के विरुद्ध इसलिए एक अत्यन्त कटु और कठोर आक्रमण का नेतृत्व कर रहे थे कि उन्होंने हिन्दुस्तान को बहुत अधिक अधिकार देने की कथित कमज़ोरी दिखलाई थी ।^१

इधर पिछले दिनों कुछ मुसलमान साम्प्रदायिक नेताओं के व्याख्यानो और वक्तव्यों में एक मजबूत तवदीली हुई है । इसका कुछ वास्तविक महत्त्व नहीं है, लेकिन मुझे शक है कि और लोगों की शायद यह राय न हो । फिर भी, यह बात साम्प्रदायिक मनोवृत्ति के रूप को प्रकट करती है और इसे प्रधानता भी खूब दी गई है । हिन्दुस्तान में 'मुस्लिम राष्ट्र', 'मुस्लिम सस्कृति' और हिन्दू और मुस्लिम सस्कृतियों की घोर असम्बद्धता पर खूब जोर दिया जा रहा है । इसका परिणाम लाजिमीतौर से यही निकलता है (हालाँकि वह इतने खुलेतौर पर नहीं रक्खा गया है) कि न्याय करने और दोनों सस्कृतियों में बीच-बचाव करने के लिए हिन्दुस्तान में अग्रजों का अनन्तकाल तक बना रहना बहुत जरूरी है ।

कुछेक हिन्दू साम्प्रदायिक नेता भी इसी विचार-धारा में बह रहे हैं । फर्क सिर्फ इतना ही है कि उन्हें यह आशा है कि चूँकि उनका बहुमत है इसलिए अन्त में उन्हींकी 'सस्कृति' का बोलवाला होगा ।

१. अभी हाल ही में कुछ अग्रज लाडें और भारतीय मुसलमानों ने एक कौंसिल बनाई है, जिसका उद्देश इन दोनों घोर प्रतिक्रियावादी बलों के सम्बन्ध को बढ़ाना और पुष्टा करना है ।

हिन्दू और मुस्लिम 'संस्कृतियाँ' और 'मुस्लिम राष्ट्र'—ये शब्द पुराने इतिहास तथा वर्तमान और भविष्य की कल्पना के कैसे मनोमोहक दृश्य उपस्थित कर देते हैं। हिन्दुस्तान में मुस्लिम राष्ट्र—राष्ट्र के भीतर एक राष्ट्र, वह भी ठोस नहीं बरिन् डार्वाडोल, बिखरा हुआ और अनिश्चित। राजनैतिक दृष्टि ने यह विचार बिलकुल बाह्यगत है, आर्थिक दृष्टि से खेचबिल्लयाना है, यह तो ध्यान में लाने लायक भी नहीं है। लेकिन फिर भी इसके पीछे जो मनोवृत्ति छिपी है, इसके जरिये थोड़ा-बहुत उसे समझने में सहायता मिलती है।

मध्यवर्ती युग में, और उसके बाद भी, ऐसी कई जुदी-जुदी और आपस में न मिल सकने वाली जातियाँ एकसाथ मिलकर रहती थीं। टर्की के सुलतानों के आरम्भ-काल में भी क्रुस्तुन्तुनियाँ में ऐसी हरेक 'जाति'—लेटिन ईसाई, कट्टर ईसाई, यहूदी वगैरा—अलग-अलग रहती थीं और उनमें से कुछ तो स्वाधिकार भी रखती थी। यह उस देशोतर भावना की शुरुआत थी जो, अबसे कुछ ही काल पहले, बहुत-से पूर्वी देशों का होवा बन गई थी। इसलिए 'मुस्लिम राष्ट्र' की बात चलाने का अर्थ यह है कि राष्ट्र कोई चीज नहीं है, केवल एक धार्मिक सूत्र है। इसका अर्थ यह है कि किसी भी राष्ट्र (आधुनिक परिभाषा में) को बढने न दिया जाय। हमारा यह अर्थ है कि वर्तमान सभ्यता को घटा बतार्ई जाय और हम सब मध्यकाल के रस्म-रिवाज अस्तित्थार करले। इसका मतलब है या तो तानाशाही सरकार, या विदेशी सरकार, अन्त में मस्तिष्क की एक भाबुक स्थिति और असलियतो से, खासकर आर्थिक अमलियतो से, भुँह छिपाने की एक ज्ञात या अज्ञात इच्छा के सिवा इसका और कुछ अर्थ नहीं है। भाव-वृत्तियाँ कभी-कभी तर्कों का भी तस्ता उलट

१ अपनी या किसी भी देश की भौगोलिक सीमा के बाहर रहने वाली पर उनकी जाति या धर्म के कारण राजनैतिक अधिकार होना।—अनु०

देती है और हम उनको सिर्फ़ इम विना पर दरगुज़र नहीं कर सकते कि वे हमें इतनी तर्क रहित मालूम होती है। मगर यह मुस्लिम राष्ट्रवाली भावना कुछेक कल्पनाशील व्यक्तियों की केवल कल्पनामात्र है, और अगर अखबारों में इसका इतना शोर न मचता तो शायद यह सुनने में भी न आती। भले ही बहुत-से लोग इसमें विश्वास रखते हो, लेकिन फिर भी वास्तविकता का स्पर्श होते ही वह गायब होजायगी।

हिन्दू और मुस्लिम 'संस्कृति' की भावना भी इसी किस्म की है। अब तो राष्ट्रीय भावनाओं का भी ज़माना तेज़ी के साथ जा रहा है और सारा सारा एक सांस्कृतिक इकाई बन रहा है। विभिन्न राष्ट्र बहुत दिनों तक अपनी-अपनी विशेषताओं, भाषा, रस्म-रिवाज, विचार-धारा आदि को चाहे न छोड़ें, और शायद बहुत काल तक छोड़ेंगे भी नहीं, मगर मशीनों का युग और विज्ञान—जिसके उपकरण हवाई जहाज़, अखबार, टेलीफोन, रेडियो, सिनेमा वगैरा हैं—इन विशेषताओं को अधिकाधिक एकरूप बना देंगे। इस अवश्यम्भावी प्रवृत्ति का विरोध कोई नहीं कर सकता, और वर्तमान सभ्यता को नष्ट-भ्रष्ट कर देनेवाला ससार-व्यापी विप्लव ही इसको रोक सकता है। हिन्दुओं और मुसलमानों के जीवन-सम्बन्धी परम्परागत विचारों में ख़रर काफी भारी मत-भेद है। पर अगर हम दोनों की तुलना वर्तमान युग के जीवन के वैज्ञानिक और औद्योगिक पहलू से करे, तो यह मत-भेद करीब-करीब लुप्त हो जाता है, क्योंकि इस दृष्टि-कोण और जीवन के उपर्युक्त विचारों में भी आकाश-पताल का अन्तर है। हिन्दुस्तान में इस समय अम्ली जगड़ा हिन्दू-संस्कृति और मुस्लिम-संस्कृति का नहीं, बल्कि इन्हीं जीवन के विचारार्थ तथा आधुनिक सभ्यता की विजयी वैज्ञानिक नस्ति के बीच है। जो 'मुस्लिम-संस्कृति' की, जैसी कुछ भी वह हो, रद्द करना चाहते हैं, उन्हें हिन्दू-संस्कृति से घबराने की ज़रूरत नहीं, लेकिन उन्हें पश्चिमी

दैत्य का मुकाबिला करना चाहिए। व्यक्तिगत रूप से मुझे इसमें कुछ भी सन्देह नहीं मालूम होता है कि हिन्दुओं या मुसलमानों के, आधुनिक वैज्ञानिक और औद्योगिक सभ्यता का विरोध करने के, सब प्रयत्न पूरी तरह से निष्फल साबित होंगे और इस निष्फलता को देखकर मुझे कुछ भी अफसोस न होगा। जिस समय रेल बंगरा ने हमारे यहाँ प्रवेश किया उसी समय हमने अज्ञात रूप से और खुद-ब-खुद इस बात को स्वीकार कर लिया था। सर सैयदअहमद ने भी अलीगट-कॉलेज की स्थापना करके भारत के मुसलमानों के लिए ज़ोरों से इसी मार्ग को चुन लिया था। लेकिन जिस तरह डूबने हुए मनुष्य के लिए सिवाय ऐसी चीज को पकड़ने के और कोई चारा नहीं रह जाता जिससे उसकी जान बच जाय, उसी तरह असल में हममें से किसी के लिए उसके सिवाय और कोई मार्ग न था।

यह 'मुस्लिम सस्कृति' आखिर चीज क्या है? क्या यह अरबी, फारसी, तुर्की बंगरा लोगों के महान् कार्यों की कोई जातीय स्मृति है? या भाषा है? या कला और संगीत है? या रस्मोरिवाज है? मुझे याद नहीं पड़ता कि किसी ने आधुनिक मुस्लिम कला या संगीत का खिफ किया हो। हिन्दुस्तान में मुस्लिम विचार-धारा पर अरबी और फारसी दो भाषाओं का, और खासकर फारसी का, प्रभाव पड़ा है। लेकिन फारसी के प्रभाव में धर्म का कोई निशान नहीं है। फारसी भाषा, और बहुत-सी फारसी रीति-रस्म और परम्परायें हजारों वर्षों के समय में हिन्दुस्तान में आईं और सारे उत्तरी हिन्दुस्तान पर इनका जोरदार असर पड़ा। फारस तो पूर्व का फास था, जिसने अपनी भाषा और सस्कृति अपने पास-पड़ोस सब देशों में फैला दी। यह हम सब भारतीयों की एक समान और अनमोल विरासत है।

मुसलमान जातियों और देशों के पुराने कारनामों का गर्व मुसलमानों

को एक साथ बाँधनेवाले सूत्रों में शायद सबसे अधिक मजबूत सूत्र है। क्या किसीको इन जातियों के गौरवपूर्ण इतिहास के कारण मुसलमानों से हमदर्द है? जबतक वे इसे याद करे और दिल से उसका पोषण करना चाहें, तबतक इसे कोई भी उनमें छीन नहीं सकता। सच तो यह है कि यह पुराना इतिहास बहुत करके हम सभी के लिए समान रूप से गौरव की चीज है, क्योंकि शायद हम लोग एशिया-निवासी होने के कारण यह अनुभव करें कि यूरोप के आक्रमण के विरुद्ध हमको एकता के सूत्र में बाँध देनेवाली यही चीज है। मैं जानता हूँ कि जब कभी मैंने स्पेन में या क्रूसेड^१ के वक्त में अरब लोगों के साथ हुए झगड़ों का हाल पढ़ा है तो मेरी हमदर्दी हमेशा अरबों के साथ रही है। मैं निष्पक्ष और वेलौस होने की कोशिश करता हूँ पर मैं चाहे जितनी कोशिश करूँ, फिर भी, जब कभी एशिया के निवासियों का प्रश्न आता है, तो मेरा एशियाईपन मेरी विचार-धारा पर प्रभाव डाले बिना नहीं रहता।

मैंने यह समझने की हरचन्द कोशिश की है कि आखिर यह 'मुस्लिम सस्कृति' है क्या चीज। लेकिन मुझे स्वीकार करना पड़ता है कि मैं इसमें सफल नहीं हुआ। मैं देखता हूँ कि उत्तरी हिन्दुस्तान में ऐसे मध्यम-वर्गीय मुसलमानों और हिन्दुओं की एक नगण्य-सी सख्या है जिन पर फारसी भाषा और परम्पराओं की छाप पड़ी हुई है। और अगर सर्वसाधारण जनता के रहन-सहन को देखा जाय तो 'मुस्लिम सस्कृति' के सबसे अधिक स्पष्ट चिन्ह नज़र आते हैं। एक खास तरह का पायजामा न ज्यादा लम्बा न ज्यादा छोटा, डाढ़ी का बढाया जाना और मूँछों के बनाने का एक खास तरीका, और एक खास तरह का टोटीदार लोटा।

१. मुसलमानों से अपने धर्मस्थान वापस लेने के लिए ईसाई शक्तियों ने ग्यारहवीं सदी से तेरहवीं सदी तक उनपर जो फौजी हमले किये थे, उन्हें क्रूसेड—धर्म-युद्ध—कहा जाता है।

इस तरह से हिन्दुओं के भी इमी ढग के रस्मो-रिवाज हैं। धोती पहनना, चोटी रखना, और एक भिन्न प्रकार का लोटा रखना। सब तो यह है कि ये भिन्नतायें भी ज्यादातर बहरी हैं और अब कम होती जा रही हैं। मुसलमान किसान और मजदूर और हिन्दू किसान और मजदूरों में कोई भेद नहीं मालूम पड़ता। मुसलमानों के शिक्षित-वर्ग में डाढ़ी के लिए बहुत कम प्रेम रह गया है, हालाँकि अलीगढ़ में लाल रंग की सुरदार तुर्की टोपी अब भी पसन्द की जाती है (यह तुर्की ही कहलाती है, हालाँकि तुर्कों ने इससे अब कुछ भी सम्बन्ध नहीं रक्खा है।); मुसलमान स्त्रियाँ साड़ी को अपनाने लगी हैं और धीरे-धीरे परदे से भी बाहर निकल रही हैं। मेरी अपनी रुचि तो इनमें से कुछ तीर-तरीको को पसन्द नहीं करती और डाढ़ी, मूँछ या चोटी से मुझे कुछ भी प्रेम नहीं है, लेकिन मैं अपनी रुचि-सम्बन्धी धारणाओं को दूसरों के गले नहीं मडना चाहता। हाँ, डाढ़ियों के विषय में मैं यह मानता हूँ कि जब अमानुल्ला ने इनको एक सिरे से उठाना शुरू किया था तो मुझे बड़ी खुशी हुई थी।

मुझे यह कहना पड़ता है कि उन हिन्दुओं और मुसलमानों को देखकर मुझे बड़ी दया आती है जो हमेशा पुराने जमाने का रोना रोमा करते हैं और उन चीजों को पकड़ने की कोशिश करते रहते हैं जो उनके हाथ से खिसकती जा रही हैं। मैं प्राचीन काल की न तो निन्दा ही करना चाहता हूँ और न उसे बिलकुल छोड़ ही देना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे अतीत में बहुत-सी ऐसी बातें हैं जो सुन्दरता में अनूपम हैं। ये सदा रहेंगी, इसमें मुझे सन्देह ही नहीं है। पर ये लोग इन सुन्दर वस्तुओं को तो नहीं पकड़ते, बल्कि ऐसी चीजों को पकड़ने दौड़ते हैं जो अक्सर निकम्बी और हानिकार होती हैं।

पिछली कुछ वर्षों में मुसलमानों ने बार-बार बक्के पहुँचे हैं और

उनके अनेक चिरपोषित विचार नष्ट-भ्रष्ट होगये हैं। इस्लाम के बानी उन टर्की ने खिलाफत को ही खतम नहीं कर दिया जिसके लिए हिन्दु-ननानी लोग १९२० में बड़ी बहादुरी से लड़े थे, बल्कि वह तो मजहब से भी दूर-दूर कदम हटाता चला जा रहा है। टर्की के नये विधान में एक धारा यह है कि टर्की मुस्लिम राज्य है, परन्तु कोई खाम-खयाली पैदा न हो जाय इसलिए कमालपाशा ने १९२७ में कहा था—
 “विधान में यह धारा कि टर्की एक मुस्लिम राज्य है केवल समझौते के तौर पर रक्खी गई है और पहला मौका मिलते ही निकाल दी जानेवाली है।” मुझे विश्वास है कि आगे चलकर उन्होंने इस जेतावनी के अनुसार काम भी किया। मिस्र भी, बहुत अधिक सावधानी से ही सही, इसी मार्ग पर अग्रसर हो रहा है और अपनी राजनीति को मजहब से विल-कुल अलग रखे हुए है। इसी तरह अरब के देश भी कर रहे हैं, सिवा खाम अरब के, जो बहुत पिछड़ा हुआ है। फारसवाले सांस्कृतिक स्फूर्ति के लिए अब पूर्व-मुस्लिम काल की याद कर रहे हैं। हर जगह मजहब पीछे हटता जा रहा है और राष्ट्रीयता उग्र रूप में प्रकट हो रही है। और इस राष्ट्रीयता के पीछे और भी कई 'वाद' हैं जो सामाजिक और आर्थिक दृष्टियों को लिए हुए हैं। इस 'मुस्लिम-राष्ट्र' और 'मुस्लिम-संस्कृति' का क्या होगा? भविष्य में क्या वे सिर्फ अंग्रेजों के उदार शासन की छत्रछाया में मस्त पड़े हुए उत्तर भाग में ही मिलेंगे?

उन्नति अगर इसी बात में है कि हरेक व्यक्ति राजनीति के मूल आधार पर दृष्टि रखे तो यह कहना पड़ेगा कि हमारे सम्प्रदायवादियों का और हमारी सरकार का भी उद्देश, इरादतन और हमेशा, इससे उलटा यानी सकृचित दृष्टि से देखने का रहा है।

दुर्गम घाटी

द्वारा गिरफ्तार होने और सब्जा पाने की सम्भावना हमेशा मेरे सामने बनी रहती थी। उस समय देश में आइनेन्स वर्ग का दौरा था, और खुद कांग्रेस भी तब गैर-कानूनी जमात थी, इसलिए यह सम्भावना और भी ज्यादा थी। ब्रिटिश-सरकार ने जैसा रक्त अद्विष्टार कर रक्खा था और मेरा स्वभाव जैसा था उसको देखते हुए मुझपर प्रहार होना अनिवार्य मालूम होता था। हमेशा सिर पर सवार रहने वाली इस सम्भावना का मेरी गति-विधि पर भी असर पड़े बिना न रहा। मैं जमकर कोई काम नहीं कर सकता था और मुझे यह जल्दी रहती थी कि जितना-कुछ होसके कर डालूँ।

फिर भी, मेरी इच्छा गिरफ्तारी मोल लेने की नहीं थी और जहाँ-तक होसकता था मैं ऐसी कार्रवाइयों से बचता था जो मेरी गिरफ्तारियों का कारण बनें। अपने प्रान्त में और प्रान्त के बाहर भी, दौरा करने के लिए मेरे पास कितनी ही जगहों से नियन्त्रण आरहे थे। मैंने सबसे इन्कार कर दिया, क्योंकि मैं जानता था कि कोई भी व्यात्यागो का दौरा तुफानी हलचल के सिवा और कुछ नहीं होसकता था, और वह सरकार द्वारा कभी भी यकायक बन्द कर दी जासकती थी। उस समय मेरे लिए कोई बीच का मार्ग हो ही नहीं सकता था। जब कभी मैं किसी दूसरे काम से किसी जगह जाता—जैसे गांधीजी या वर्किंग-कमिटी के सदस्यों से सलाह-मशविरा करने के लिए—तो मैं सार्वजनिक सभाओं में भागण देता और खूब खुलकर बोलता। जबलपुर में एक बहुत बड़ी सभा हुई और बड़ा शानदार जुलूस निकाला गया, दिल्ली

की सभा में तो इस कदर भीड़ थी जितनी मैंने पहले कभी वहाँ देखी ही नहीं। वास्तव में इन सभाओं की सफलता से ही यह स्पष्ट होचला था कि सरकार ऐसी सभाओं का बारबार होना कभी सहन नहीं करेगी। दिल्ली में, सभा के बाद ही, बड़े जोरो की अफवाह फैली कि मेरी गिरफ्तारी होनेवाली है, लेकिन मैं बच गया और इलाहाबाद लौट आया। रास्ते में मैं अलीगढ़ ठहरा, जहाँ मैंने मुस्लिम यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों के सामने एक भाषण दिया।

ऐसे समय, मे जब कि सरकार तमाम सक्रिय राजनैतिक कामों को दवाने का प्रयत्न कर रही थी, मुझे यह विचार विलकुल पसन्द नहीं था कि राजनीति से इतर कार्यों में भाग लिया जाय।

काँग्रेसवालों में मुझे एक खोरदार प्रवृत्ति यह नजर आई कि उग्र राजनैतिक कार्यों से बचकर ऐसे मामूली कामों में पड़ जाना जो लाभकारी तो थे पर जिनका हमारे आन्दोलन से कोई सम्बन्ध नहीं था। यह प्रवृत्ति स्वाभाविक थी, पर मुझे ऐसा लगा कि उस समय इसको प्रोत्साहन नहीं दिया जाना चाहिए था।

अक्टूबर १९३३ के मध्य में हमने इलाहाबाद में, परिस्थिति पर विचार करने और आगे का कार्यक्रम निश्चित करने के लिए, युक्तप्रान्त के काँग्रेसी कार्यकर्त्ताओं की बैठके की। प्रान्तीय काँग्रेस कमिटी एक गैर-कानूनी सस्था थी, और चूँकि हमारा उद्देश कानून की अवज्ञा करने का नहीं बल्कि आपस में मिलने का था, इसलिए हमने इस कमिटी को वाकायदा नहीं बुलाया। हमने उसके उन सब सदस्यों को, जो उस समय जेल से बाहर थे, और दूसरे चुने हुए कार्यकर्त्ताओं को खानगीतौर पर विचार-विनिमय की इच्छा से बुलाया था। हमारी मीटिंगे खानगी तो होती थी, पर उनकी कार्रवाई को गुप्त रखने का प्रयत्न नहीं किया जाता था। इसलिए आखिरी दम तक हमें इस बात का पता नहीं लगता था

कि सरकार हस्तक्षेप करेगी या नहीं। इन मीटिंगों में हम लोग ससारा की स्थिति—घोर मन्दी, नाज़ीवाद, साम्यवाद वगैरों पर बहुत ध्यान देते थे। हम चाहते थे कि हमारे साथी, बाहर जो कुछ हो रहा है, उनकी दृष्टि से भारत के स्वतन्त्रता-आन्दोलन को देखें। इस कांग्रेस ने अन्त में एक समाजवादी प्रस्ताव पास किया, जिसमें भारतवासियों के लक्ष्य का बयान और सविनय भंग के बन्द किये जाने का विरोध किया गया था। उस बात को तो सब लोग अच्छी तरह जानते थे कि अब देश-व्यापी सविनय भंग की कोई सम्भावना नहीं है और व्यक्तिगत सविनय भंग भी या तो शीघ्र ही खतम हो जानेवाला है या एक बहुत ही संकुचित रूप में जारी रह सकता है। लेकिन उसके बन्द किये जाने से हमारी स्थिति में कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि सरकार का हमला और आइनेन्स का शासन तो बरकरार था। इसलिए वाक़ायदा सविनय भंग जारी रखने का जो निश्चय हमने किया, वह कहने ही मात्र के लिए था। असल में तो हमारे कार्यकर्त्तों को यह आदेश था कि जान-बूझकर ऐसा काम न करें कि व्यर्थ ही गिरफ्तार हो। उनको हिदायत थी कि अपना काम हस्तमामूल करते रहें और अगर काम के दौरान में गिरफ्तारी होजाय तो उसे खुशी के साथ मजूर करले। उनसे जासकर यह कहा गया था कि देहात से अपना सम्बन्ध फिर स्थापित करे और यह जानने की कोशिश करे कि लगान में छूट और सरकार की दमन-नीति इन दोनों के परिणामस्वरूप किसानों की क्या अवस्था है। उस वक़्त लगान-बन्दी के आन्दोलन का तो कोई प्रश्न ही न था। पूना-कांग्रेस के बाद ही वह तो नियमानुसार स्थगित किया जा चुका था और यह साफ़ जाहिर था कि भोजूदा परिस्थिति में उसे पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता था।

यह कार्यक्रम बिल्कुल नरम और निर्दोष था और इसमें वस्तुतः

कोई गैरकानूनी बात नहीं थी, लेकिन फिर भी हम जानते थे कि इससे गिरफ्तारियाँ तो होंगी ही। जैसे ही हमारे कार्यकर्ता गावों में पहुँचते, वे गिरफ्तार कर लिये जाते और उन पर करवन्दी आन्दोलन का प्रचार करने का, जोकि आर्डिनेन्स के मातहत एक जुर्म बना दिया गया था, विलकुल झूठा जुर्म लगाया जाता और सजा देदी जानी। अपने बहुत-ने साथियों की गिरफ्तारियों के बाद मेरा हरादा भी था कि मैं इन देहाती क्षेत्रों में जाऊँ। लेकिन कई और जरूरी कामों में लग जाने के कारण मुझे अपना जाना स्थगित करना पड़ा, और बाद में तो इसके लिए मौका ही न रहा।

इन महीनों में वर्किंग-कमिटी के सदस्य सारे देश की परिस्थिति-विचार करने के लिए दो बार इकट्ठे हुए। कमिटी का खुद तो कोई अस्तित्व ही न था—इसलिए नहीं कि वह गैरकानूनी थी, लेकिन इसलिए कि पूना के बाद, गांधीजी के आदेश से, सारी कांग्रेस कमिटियाँ और कांग्रेस दफ्तर स्थायीतौर पर बन्द कर दिये गए थे। मेरी स्थिति एक अजीब तरह की होरही थी, क्योंकि जेल से छूटकर बाने पर मैंने इस आत्म-घातक आर्डिनेन्स को स्वीकार करने से इन्कार किया और अपने-आपको कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी कहने का आग्रह किया। लेकिन मेरा अस्तित्व भी शून्य में था। उस समय न तो कोई ठीक दफ्तर था, न कोई कर्मचारी, न कोई स्थानापन्न सभापति, और गांधीजी यद्यपि सलाह-मशविरे के लिए मौजूद थे, पर वह भी इस बार हरिजन-कार्य के लिए अपने एक बड़े भारी अखिल-भारतीय दौरे में लगे थे। हमने उनको दौरे के बीच में जबलपुर और दिल्ली में पकड़ पाया और वर्किंग कमिटी के मेम्बरो के साथ सलाह-मशविरे किये। इन मशविरो ने यह काम किया कि भिन्न-भिन्न मेम्बरो के मतभेद को साफतौर से सामने लाकर रख दिया। बस, यही गाडी अटक गई और कोई ऐसा रास्ता

नहीं नज़र आता था जो सबको पसन्द हो। दोनों पक्षों, सत्याग्रह जारी रखनेवालों, और बन्द करनेवालों के बीच गाँधीजी ही ऐसे व्यक्ति थे जिनका निर्णय सर्वमान्य होसकता था। और चूँकि वह बन्द करने के पक्ष में नहीं थे इसलिए जो रफ्तार चल रही थी वही चलती रही।

काँग्रेस की ओर से लेजिस्लेटिव असेम्बली का चुनाव लड़ने के प्रश्न पर भी काँग्रेस के लोग कभी-कभी विचार कर लेते थे, हालाँकि इस समय तक वॉकिंग कमिटी के सदस्यों की इस तरफ कोई दिलचस्पी नहीं थी। यह प्रश्न अभी उठता ही नहीं था, इसके लिए अभी समय भी नहीं आया था। 'सुझार' कम-से-कम दो-तीन साल तक असली सूरत में आनेवाले ही नहीं थे और उस समय असेम्बली के नये चुनाव का कोई जिक्र ही न था। अपनी जाती राय में तो मुझे चुनाव लड़ने में सिद्धान्त-रूप से कोई आपत्ति नहीं थी और मुझे यह भी विश्वास था कि समय आने पर काँग्रेस को इस मार्ग पर चलना ही पड़ेगा। लेकिन उस समय उस प्रश्न को उठाना हमारे ध्यान को दूसरी ओर फेर देना था। मुझे आना था कि आन्दोलन के जारी रहने से बहुत-से प्रश्न, जो हमारे सामने आ रहे थे, हल हो जायेंगे और समझौते के प्रवृत्तिवाले लोग परिस्थिति पर हावी न हो सकेंगे।

इस दर्मियान में लगातार लेख और वक्तव्य अखबारों में भेजता रहा। कुछ हदतक मुझ अपने लोगों को नरम करना पड़ता था, क्योंकि वे प्रशासन को नीयन में डिग्रे जाते थे, और उस समय सेन्सर और दूसरे भाति-भाति के तानूनों या घातक जाल दूर तक फैला था। मैं कुछ मनग्य उठाने के लिए अगर तैयार भी हो जाता, तो भी मुद्रक, प्रकाशक और सम्पादक तों गेमा करने के लिए तैयार नहीं थे। वैसे तो सब अन्तर्गत में, गानिद गाने थे और बहुत-नी बातों में मेरे हक में गिनातन भी कर जाते थे, लेकिन हमेशा नहीं। कभी-कभी लगातार रोक

दिये जाते थे, और एक बार तो एक लम्बा लेख, जिसको मैंने बड़ी मेहनत से तैयार किया था, प्रकाशित ही न होने पाया। जनवरी सन् १९३४ में, जब मैं कलकत्ते में था, एक प्रमुख दैनिक के सम्पादक मुझसे मिलने आये। उन्होंने मुझे बतलाया कि मेरा एक वक्तव्य कलकत्ते के तमाम समाचारपत्रों के सम्पादक-शिरोमणि के पास मशविरे के लिए भेज दिया गया था, और चूँकि इस सम्पादक शिरोमणि ने उसे नामज़र कर दिया, इसलिए वह प्रकाशित न हो सका। यह 'सम्पादक-शिरोमणि' और कोई नहीं थे सिवा कलकत्ते के सरकारी प्रेस-सेन्सर महोदय के।

अखबारों को दी गई कुछ मुलाकातों और वक्तव्यों में मैंने कई दलों और व्यक्तियों की बड़ी कड़ी आलोचना करने की घृष्टता की थी। इससे लोग बहुत नाराज़ हुए। इस नाराज़ी का एक कारण था कांग्रेस की उलटकर जवाब न देने की वृत्ति—जिसके प्रसार में गाँधीजी का भी हाथ। खुद गाँधीजी ने इसका उदाहरण पेश किया था और प्रमुख कांग्रेसियों ने भी कुछ कम-बढ़ मात्रा में उनके मार्ग का अनुसरण किया, हालाँकि हमेशा नहीं होता था। हम लोग अधिकतर अस्पष्ट और सद्भावनायुक्त वाक्यों का प्रयोग करते थे, जिससे हमारे आलोचकों को गलत तर्क और समय-साधक चालों को काम में लाने का मौका मिल जाता था। असली प्रश्नों को दोनों दल उठा देते थे, और ईमानदारी के साथ जब-तब जोश-खरोश के साथ ऐसा वादविवाद शायद ही कभी होता जिसमें तनातनी और जोश-खरोश की नौबत आये, जैसाकि उन देशों को छोड़कर, जहाँकि फोसिज्म का बोलवाला है, पश्चिम के दूसरे सब देशों में होता रहता है।

एक महिला मित्र ने, जिनकी राय की मैं कद्र करता था, मुझे लिखा कि मेरे कुछेक वक्तव्यों की तेज़ी पर उनको थोड़ा-सा आश्चर्य हुआ—इसलिए कि मैं करीब-करीब 'खिसियानी विल्ली' बन गया था।

क्या यह मेरी आशाओं पर 'पानी फिर जाने' का परिणाम था ? मुझे भी ताज्जुब हुआ । कुछ हद तक यह सही भी था, क्योंकि राष्ट्रीयता की दृष्टि ने हम सब टूटी हुई आशाओं को लिये बैठे हैं । व्यक्तिगत रूप से भी, कुछ हद तक, शायद यह बात ठीक रही हो । लेकिन फिर भी मुझे ऐसी किसी भावना का खयाल नहीं होता था, क्योंकि खुद मुझे किसी तरह की भी पराजय या अमफलता महसूस नहीं हो रही थी । जब से गांधीजी मेरे राजनैतिक मानस क्षितिज पर आये, मैंने कम-से-कम एक बात उनसे सीखी । वह यह कि परिणामों के डर से अपने हृदयगत भावों को कभी न दबाया जाय । इस आदत ने—राजनैतिक क्षेत्र में पालन किये जाने पर (दूसरे क्षेत्रों में इसका पालन करना ज्यादा मुश्किल और खतरनाक होजाना सम्भव है)—मुझे अक्सर कठिनाई में डाल दिया है, लेकिन साथ ही मुझे बहुत-कुछ सतोष भी प्रदान किया है । मैं समझता हूँ, केवल इसी कारण हमसे बहुत-से लोग हृदय की कटुता और और पराजय के भावों से बरी रहे हैं । यह खयाल भी, कि लोगों की एक बहुत बड़ी तावाद् किसी व्यक्ति के प्रति प्रेम-भाव रखती है, उस व्यक्ति के हृदय को बहुत सात्वना पहुँचाता है, और पस्तहिम्मती और पराजय की भावना के विष को दूर करनेवाली एक अमोघ औपधि का काम करता है । अकेला रह जाने या दूसरों से भुला दिये जाने का खयाल मैं समझता हूँ, सब खयालों से ज्यादा असह्य है ।

लेकिन इनमें पर भी, इस विचित्र और दुःखमय ससार में मनुष्य पराजय की भावना से कैसे बच सकता है ? कितनी ही बार हरेक बात विगडती हुई मालूम होती है और, यद्यपि हम आगे बढ़ते जाते हैं फिर भी, जब हम अपने चारों ओर रहनेवाले लोगों को देखते हैं तो तरह-तरह की शकअएँ आघेरती हैं । मुक्तालिफ घटनाओं और परिवर्तनों, यहाँ तक कि व्यक्तियों और दलों पर भी मुझे बार-बार गुस्सा और

मीज ही आती है। और पिछले कुछ दिनों से तो मैं ऐसे लोगों पर बहुत ज्यादा मित्राने लगा हूँ जो जीवन की समस्याओं पर सजीदगी में विचार नहीं करते, जिसके कारण वे महत्त्वपूर्ण प्रश्नों को भूल जाते हैं और उनका चिन्तन करना भी बेजा समझते हैं, क्योंकि इन प्रश्नों का असर उनके पैसों या उनकी चिरपोषित धारणाओं पर पड़ता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस रोप, इस पराजय, और इस क्षितियाहट के बावजूद मैंने अपनी और दूसरों की बेवकूफियों पर हँसने की अपनी सहज प्रवृत्ति को नहीं खोया है।

परमात्मा की कृपालुता में लोगों की जो श्रद्धा है उसपर मुझे कभी-कभी आश्चर्य होता है। किस प्रकार यह श्रद्धा चोट-पर-चोट खाकर भी जीवित है और किस तरह घोर विपत्ति और कृपालुता का उलटा सबूत भी इस श्रद्धा की दृढ़ता की परीक्षाएँ मान ली जाती हैं। जेरार्ड हॉपकिन्स की ये सुन्दर पक्तियाँ अनेक हृदयों में गूँजती हैं —

“सचमुच तू न्यायी है स्वामी, यदि मैं कल्ले विवाद,
किन्तु नाथ, मेरी भी है यह न्याय युक्त फरियाद।
और फूलते फलते हैं क्यों पापी करकर पाप ?
मुझे निराशा देते हैं क्यों सभी प्रयत्न-कलाप ?
हे प्रिय बन्धु ! साथ तू मेरे करता यदि रिपु का व्यवहार—
तो इससे क्या अधिक पराजय और बाधा का करता वार ?
अरे, उठाईगीर वहाँ वे मद्य और विषयो के दास,
भोग रहे वे पड़े मीज में है जीवन के विभव-विलास !
और, यहाँ मैं तेरी खातिर जीवन काट रहा हूँ नाथ !
हाँ, जो तेरे पथ पर स्वामी घोर निराशाओं के साथ ।”

उन्नति में, शुभकार्यों में, आदर्शों में, मानवी सज्जता में और मानव
१. अंग्रेजी पद्य का भावानुवाद ।

भविष्य की उज्ज्वलता में विश्वास। क्या ये सब परमात्मा की थप्पा के साथ मिलते-जुलते नहीं हैं? यदि हम इनको बुद्धि और तर्क से सावित करना चाहें तो तुरन्त हम कठिनाई में पड़ जायेंगे। पर हमारे अन्तस्तल में कोई ऐसी वस्तु है, जो इस आशा, इस विश्वास से चिपटी हुई है, अन्यथा इनके बिना जीवन एक जलाशय-हीन महस्यल के समान होजाय।

मेरे समाजवादी प्रचार के प्रभाव ने वर्किंग कमिटी के कुछ सहयोगियों तक को धरारा दिया। वे लोग बिना शिक्षायत किये मेरे साथ काम करते रहते, जैसा कि पिछले कई वर्षों में इस प्रकार का प्रचार करते रहने पर भी अभीतक वे करते रहे थे, लेकिन अब तो ऐसा खयाल किया जाने लगा कि कुछ हद तक मैं स्थापित स्वार्थों को भड़का रहा हूँ, और मेरी गति-विधि अहानिकर नहीं कही जासकती थी। मैं जानता था कि मेरे कुछ सहयोगी समाजवादी नहीं हैं, लेकिन मैं यह हमेशा खयाल करता रहा कि कांग्रेस की कार्यकारिणी का सदस्य होने की हैसियत से मुझे, बिना कांग्रेस को उसमें घसीटे, समाजवादी प्रचार करने की पूर्ण स्वतंत्रता है। जब मैंने यह महसूस किया कि वर्किंग कमिटी के कुछ सदस्य मेरी इस स्वतंत्रता को स्वीकार नहीं करते, तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैं उनको एक विकट परिस्थिति में डाल रहा था और इसपर उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की। लेकिन मैं करता भी तो क्या? जिस चीज को मैं अपने कार्य का सबसे महत्त्वपूर्ण अंग समझता था उसे छोड़ देने के लिए मैं कभी तैयार नहीं था। अगर दोनों में क्षगडा होता तो मैं वर्किंग कमिटी से इन्तीफा देदेना इससे कहीं बेहतर समझता। लेकिन जब मैं कमिटी में रजानूँ तो, और उसका कोई अस्तित्व ही न था, तो मैं उनमें इस्तीफा क्या देता?

यह कठिनाई कुछ दिन बाद एक बार फिर मेरे सामने आई। मेरा गपार है, यह दिग्भ्रर के अन्त की बात है, जब गांधीजी ने मदरास से

मुझे एक पत्र भेजा था। उन्होंने मेरे पास 'मदराम मेल' का एक कॉर्टिंग भेजा, जिसमें उनकी दी हुई एक इटरव्यू का वर्णन था। इटरव्यू करने-वाले ने उनसे मेरे विषय में प्रश्न किये थे और उन्होंने जो उत्तर दिया था उसमें उन्होंने मेरे कार्य-कलापो पर कुछ खेद-सा प्रकट किया था और मेरे सुधर जाने की दृढ़ आशा प्रकट की थी, और यह भी कहा था कि मैं कांग्रेस को इन नवीन मार्गों में नहीं घसीटूंगा। अपने बारे में इस तरह का जिक्र मुझे कुछ अच्छा न लगा, लेकिन इससे ज्यादा जिस बात ने मुझे विचलित कर दिया वह थी—इसी इटरव्यू में आगे दी हुई—जमींदारी प्रथा के लिए गांधीजी की वकालत। उनका यह विचार मालूम होता था कि देहाती और राष्ट्रीय व्यवस्था का यह एक बहुत जरूरी अंग है। इसने मुझे बड़ी हैरत में डाल दिया, क्योंकि बड़ी-बड़ी जमींदारियों या ताल्लुकदारियों की तरफदारी करनेवाले आज बहुत कम मिलेंगे। सारे ससार में ये प्रथायें नष्ट हो चुकी हैं और हिन्दुस्तान में भी बहुत-से लोग इस बात को महसूस करने लगे हैं कि इनका अन्त दूर नहीं है। खुद ताल्लुकदार और जमींदार लोग भी इस प्रथा के अन्त का स्वागत करेंगे, बशर्ते कि इसके लिए उनको काफी मुआवजा मिल जाय। यह प्रथा तो दरअसल खुद ही अपने पापो के बोझ से डूबी जा रही है।

१. अखिल-बंगाल जमींदार कान्फरेन्स की स्वागत-कारिणी के सभापति श्री पी० एन० टैगोर ने, २३ दिसम्बर १९३४ को, अपने भाषण में कहा था—“जाती तौरपर मुझे उस दिन कोई अफसोस न होगा जिस दिन जमींदारों को पर्याप्त मुआवजा देकर उनकी जमीनों का राष्ट्रीयकरण हो जायगा, जैसा कि आयर्लैण्ड में किया गया है।” यह बात याद रखने की है कि दायमी-बन्दोबस्त (Permanent Settlement) के मातहत होने के कारण बंगाल के जमींदार अस्थायी बन्दोबस्तवाली जमीनों के जमींदारों से ज्यादा आसूदा हैं। राष्ट्रीयकरण के बारे में श्री टैगोर के विचार अस्पष्ट मालूम होते हैं।

लेकिन फिर भी गांधीजी उसके पक्ष में ये और दृष्टीयोग इत्यादि की बातें करने थे। मैंने फिर मोचा कि उनका दृष्टीयोग मेरे दृष्टिकोण में कितना भिन्न है, और मैं ताल्लुब करने लगा कि नविव्य में मैं नहीं उनके साथ सहयोग कर सकूंगा। क्या मैं बकिंग कमिटी का सदस्य बना रहूँ? उन समय डम उलझन से निकलने का कोई रास्ता ही नहीं था, और कुछ हफ्तों बाद तो, मेरे जेल चले जाने के कारण, यह प्रश्न अप्रामाणिक ही होगया।

धरेलू छाहों में मेरा बहून-सा समय खर्च हो जाता था। मेरी माँ का स्वास्थ्य सुधर तो रहा था, मगर बहुत धीरे-धीरे। वह अनीतक रोगगय्या पर पड़ी थी, पर उनके जीवन का कोई खतरा नहीं मालूम होता था। मैंने अब अपना ध्यान अपने आर्थिक मामलों की ओर फेरा, जिनकी इधर बहुत दिनों से परवा नहीं की गई थी और जो बड़ी गड़बड़ में पड़ गये थे। हम लोग अपने बूते ने ज्यादा खर्च कर रहे थे और खर्च कम करने की ज़ाहिर तौरपर कोई तरकीब ही नज़र नहीं आती थी। मुझे घर का खर्च चलाने की तो कोई खास फिक्र न थी। मैं तो क़रीब-क़रीब उस वक्त के इन्तज़ार में था जब मेरे पान कुछ भी न बचता। वर्तमान सप्ताह में वन और सम्पत्ति बड़ी उपयोगी चीज़ें हैं, लेकिन जिस मनुष्य को लकी यात्रा पर जाना हो उनके लिए तो ये अक्सर भार-रूप बन जाती हैं। घनवान आदिमियों के लिए ऐसे कामों में हाथ डालना बहुत कठिन होजाता है जिनमें कुछ खतरा हो; उनको सदा अपने घन-दीन्यत के चले जाने का भय रहता है। लेकिन घन-सम्पत्ति किम कान की, अगर सरकार अपनी मर्जी के मुताबिक उनपर अधिकार कर सकती हो या उसे ज़ब्त कर सकती हो? इसलिए जो थोड़ा-बहुत मेरे पास था उससे भी मैं छुटकारा पाना चाहता था। हमारी आवश्यकताएँ बहुत थोड़ी थीं और मुझे अरुत के मुताबिक

कमा लेने की अपनी शक्ति में विश्वास था। मुझे सबसे बड़ी चिन्ता यह थी कि मेरी माताजी को उनके जीवन के इन अंतिम दिनों में तकलीफ न उठानी पड़े या उनके रहन-सहन के ढंग में कोई खास कमी न आने पावे। मुझे यह भी फिक्र थी कि मेरी लड़की की शिक्षा में कोई बाधा न पड़े, जिसके लिए मैं उसका यूँ रूप में रहना आवश्यक समझता था। इन सबके अलावा मुझे या मेरी पत्नी को रुपये की कोई खास जरूरत नहीं थी। कम-से-कम हमारा खयाल ऐसा ही था, क्योंकि हमें कभी रुपये की सच्ची कमी का तबूँवा नहीं हुआ था। मुझे यकीन है कि अगर कभी ऐसा समय आया जबकि हमें रुपये की कमी महसूस करनी पड़ी तो मुझे निश्चय है कि हमें दुःख ही होगा। एक खर्चीली आदत जिसका छोड़ना मेरे लिए मुश्किल होगा, वह है किताबें खरीदना।

उस वक्त की विगड़ी हुई आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए हमने यह निश्चय किया कि मेरी पत्नी के जवाहरात, हमारी सोने-चाँदी की चीजें और छोटा-मोटा गाड़ियो सामान बेच दिया जाय। कमला को अपने जेवर बेचने का खयाल पसन्द नहीं आया, हालाँकि करीब १२ साल से उसने उन्हें नहीं पहना था और वे बैंक में पड़े हुए थे। लेकिन वह किसी दिन उनको अपनी लड़की को देने का विचार करती थी।

१९३४ का जनवरी महीना था। इलाहाबाद ज़िले के गाँवों में हमारे कार्यकर्ता कोई गैर-कानूनी कार्रवाइयाँ नहीं कर रहे थे, फिर भी उनकी लगातार गिरफ्तारियाँ होरही थी। इन गिरफ्तारियों का तकाजा था कि हम लोग उनका अनुकरण करें और उन गाँवों में जायें। युक्त-प्रान्तीय काँग्रेस कमिटी के हमारे महान् प्रभावशाली मंत्री रफीक़ुल-मुहम्मद किदवाई भी गिरफ्तार हो चुके थे। २६ जनवरी का स्वतंत्रतादिवस नज़दीक आरहा था। उसे दरगुज़र नहीं किया जासकता था। १९३० से यह दिवस हर साल, देश के कोने-कोने में, आडिनेन्तो और पाबन्दियों

के बावजूद, नियमित रूप के मनाया जा रहा था। लेकिन अब इसका अगुआ कौन बनता? किस तरह से इसे आगे बढ़ाया जाता? मेरे सिवा अल इंडिया कांग्रेस कमिटी के किसी पदाधिकारी का निदान-रूप से कोई भी अस्तित्व न था। मैंने कुछ मित्रों से सलाह की तो करीब-करीब सब इस बात पर सहमत हुए कि कुछ करना चाहिए, लेकिन यह 'कुछ' क्या होना चाहिए, इसपर कोई राय कायम न हो सकी। मुझे आमतौर पर लोगों में ऐसे कामों से दूर रहने की प्रवृत्ति नजर आई कि जिनके फल-स्वरूप बहुत-से लोग पकड़े जा सकते थे। आखिरकार मैंने स्वतन्त्रता-दिवस को उचित प्रकार से मनाने की एक छोटी-सी अपील निकाली, पर उसे मनाने का ढंग हर जगह के स्थानीय लोगों के निश्चय पर छोड़ दिया। इलाहाबाद में हमने सारे जिले में काफी विस्तार के साथ मनाने की योजना तैयार की।

हमारा खयाल था कि इस स्वतन्त्रता-दिवस के संयोजक उसी दिन गिरफ्तार हो जायेंगे। लेकिन मैं दुबारा जेल जाने से पहले बंगाल का एक दौरा करना चाहता था। इसका कुछ-कुछ उद्देश्य तो पुराने साथियों से मिलना था, पर असल में यह बंगालियों के प्रति, उनकी गत वर्षों की असाधारण मुसीबतों के लिए श्रद्धाञ्जलि थी। मैं मलीभाँति जानता था कि मैं उनकी कुछ भी सहायता नहीं कर सकता था। सहानुभूति और भाईचारा किसी मर्द की दवा नहीं थे, मगर फिर भी इनका स्वागत ही किया गया था—और खासकर बंगाल तो उस समय एक जुदापन-सा महसूस कर रहा था। और इस बात से दुखी हो रहा था कि सरकार के वक्त बाकी हिन्दुस्तान ने उसे छोड़ दिया। यह भावना न्यायोचित तो नहीं थी, पर फिर भी यह थी।

मुझे कमला के साथ कलकत्ता इसलिए भी जाना था कि अपने डाक्टरों से उसकी बीमारी के बारे में सलाह लूँ। उसका स्वास्थ्य बहुत

गिर गया था, पर हम दोनों ने कुछ हदतक इसे दरगुजर करने की और ऐसे इलाज को टालने की कोशिश की, जिसके कारण हमको कलकत्ते में या किसी और जगह बहुत दिनों तक ठहरना पड़े। जेल से मेरे बाहर रहने के थोड़े समय में हम दोनों यथासंभव एक साथ ही रहना चाहते थे। मैंने सोचा था कि जब मैं जेल चला जाऊँगा तो इसको डाक्टरों और इलाज के लिए चाहे जितना समय मिल जायगा। अब चूँकि गिरफ्तारी नज़दीक नज़र आरही थी, इसलिए मैंने इरादा किया कि यह सलाह-मशविरा कलकत्ते में कम-से-कम मेरी मौजूदगी में हो जाय, बाकी बातें तो बाद में भी तय की जासकती थी।

इसलिए हम दोनों ने—कमला ने और मैंने—१५ जनवरी को कलकत्ते जाने का निश्चय कर लिया। स्वतंत्रता-दिवस की सभाओं से हम पहले ही लौट आना चाहते थे।

: ५८ :

भूकम्प

१५ जनवरी १९३४ का तीसरा पहर था। इलाहाबाद में अपने मकान के बरामदे में खड़ा किसानों के एक गिरोह को मैं कुछ बातें बतला रहा था। माघ मेला आरम्भ होगया था और सारे दिन हमारे यहाँ मिलने-जुलने बालों का ताँता लगा रहता था। यकायक मेरे पैर लड़खड़ाने लगे और सम्हलना मुश्किल होगया। मैंने पास के एक खम्भे का सहारा ले लिया। दरवाज़ों के किवाड़ भडभडाने लगे और बराबर के स्वराज-भवन से, जिसके खपरे छत से नीचे खिसक रहे थे, एक गड़-गड़ाहट की आवाज़ आने लगी। मुझे भूकम्पों का कुछ अनुभव नहीं था। इसलिए पहले तो मैं यह न समझ सका कि क्या होरहा है, लेकिन मैंने

जल्दी ही जान लिया। इस अनौखे अनुभव से मुझे कुछ विनोद और दिलचस्पी हुई। मैंने किसानों से बातचीत जारी रखी और उन्हें भूचालों के बारे में बतलाने लगा। मेरी बूढ़ी मीसी ने कुछ दूर से चिल्लाकर मुझे मकान के बाहर दौड़ आने के लिए कहा। यह विचार मुझे विलकुल बेहूदा मालूम हुआ। मैंने भूकम्प को कोई गम्भीर बात नहीं समझा, और कुछ भी हो, मैं ऊपर की मञ्जिल में अपनी माता को खाट पर पडी हुई, और वही अपनी पत्नी को, जो शायद सामान बाँध रही थी, छोड़ जाने और अपनी रक्षा का इन्तजाम करने के लिए कमी तैयार न था। ऐसा अनुभव हुआ कि भूचाल के धक्के काफ़ी देर तक जारी रहें और बाद में बन्द होगये। उन्होंने चन्द मिनटों की बातचीत के लिए मसाला पैदा कर दिया और लोग उन्हें जल्दी ही करीब करीब भूल-ते गये। उस वक्त हम नहीं जानते थे, और न इसका अन्दाज़ ही कर सकते थे, कि ये दो तीन मिनट विहार और अन्य स्थानों के लाखों आदिमियों के लिए कितने घातक साबित हुए होंगे।

उसी शाम को कमला और मैं कलकत्ते के लिए रवाना हो गये और हम, विलकुल बेखबर, अपनी गाडी में बैठे हुए उसी रात को भूकम्प-प्रदेश के दक्षिण हिस्से में होकर गुजरे। अगले दिन भी कलकत्ते में भूकम्प के किये हुए घोर अनर्थ के बारे में कोई खबर नहीं थी। दूसरे दिन इधर-उधर से समाचार आने शुरू हुए। तीसरे दिन हमको इस वज्रपात का कुछ-कुछ आभास मिलने लगा।

हम अपने कलकत्ते के प्रोग्राम में लग गये। कई डाक्टरों से चारखार मिलना पडा और अन्त में यह निश्चित हुआ कि एक-दो महीने बाद कमला फिर कलकत्ते आकर इलाज कराये। इसके अलावा बहुत-से मित्र और सहयोगी भी थे जिनसे हम बहुत असें से नहीं मिले थे। चारों तरफ दमन के कारण लोगों के दिलों में जो डर बैठ गया था उसका, जब

नक में वहाँ रहा, मुझे काफी अनुभव हुआ। लोग किसी तरह का भी काम करने से डरते थे, कि कहीं उनपर आफत न आजाय, वे बहुत आफने झेल चुके थे। वहाँ के अखबार भी अन्य प्रान्तों के अखबारों से अधिक फूँक-फूँक कर पँर रखते थे। भविष्य के कार्य के विषय में भी वमी ही शका और उलझने थी, जैसी हिन्दुस्तान के अन्य भागों में। वास्तव में यह शका ही थी, भय उतना नहीं, जो सब प्रकार के प्रभावोत्पादक राजनैतिक कार्यों में बाधा डाल रही थी। फेसिस्ट प्रवृत्तियाँ बहुत जोरों में उदय होरही थी, और सोशलिस्ट और कम्यूनिस्ट प्रवृत्तियाँ कुछ-कुछ ऐसे अस्पष्ट रूप में और आपस में इतनी घुली-मिली-सी सामने आ रही थी कि इन गिरोहों में भेद-निर्णय करना कठिन था। आतकवादी आन्दोलन के बारे में, जिसकी तरफ सरकारी हलकों का बहुत ज्यादा ध्यान खिंचा हुआ था और जिसके सम्बन्ध में उसकी ओर से खूब विज्ञापन किया जा रहा था, ज्यादा पता लगाने की न तो मुझे फुरमत थी और न कोई मीका ही। जहाँतक मुझे मालूम हुआ, इसमें कोई राजनैतिक महत्ता नहीं रह गई थी और न आतकवादी दल के पुराने सदस्यों की इसमें कुछ श्रद्धा थी। उनकी विचार-धारा ही बदल गई थी। सरकारी कार्रवाई के विरुद्ध उत्पन्न रोष ने कुछ इक्के-दुक्के व्यक्तियों का सयम छुड़ा दिया था और उससे बदला लेने के लिए उकसा दिया था। दरअसल दोनों तरफ बदला लेने का यह भाव बहुत प्रबल मालूम होता था। व्यक्तिगत आतकवादियों की तरफ से तो यह काफी स्पष्ट था। सरकार की तरफ से भी यही रख ज्यादातर प्रकट होरहा था कि कभी-कभी, बदला ले-लेकर, लड़ाई जारी रखी जाय, वजाय इसके कि शान्ति के साथ समाज के लिए एक अनिष्टकर घटना का मुकाबिला करके उसे रोका जाय। आतकवादी कार्यों से सावका पड़ने पर कोई भी सरकार उनका मुकाबिला किये बिना और उनको दवाने

की कौशिल्य किये बिना नहीं रह सकती। लेकिन धार्मिक और सम्मीरना के साथ नियन्त्रण करना सरकार के लिए अधिक गौरव की बात है, वनिम्बत ऐसे अत्याचारों के जो अनराधियों और निगराधों पर अत्याचरुधी ने किये जायें—जानकर निगराधों पर, क्योंकि उनकी नग्या जरूर ही बहुत ज्यादा होती है। शायद ऐसे उनसे वे नमद में सम्मीर और घोर रहना आसान नहीं है। जानरुवादी घटनामें बहुत कम होनी जा रही थी, लेकिन उनकी सम्भावना सदा बनी रहनी थी, और यह बात उन लोगों के धैर्य को टार्याडोल करने के लिए काफी थी जिनपर व्यवस्था का भार था। यह बिलकुल स्पष्ट है कि ये घटनामें खुद कोई बीमारी नहीं है, बल्कि बीमारी का एक लक्षण है। जो रोग है उनका इलाज न करके लक्षणों का उपचार करना बिलकुल बेकार है।

मेरा विश्वास है कि बहुत-से नवयुवक और नवयुवतियाँ, जिनका आतंकवादियों से सम्बन्ध माना जाता है, दरअमल गुप्त कार्य की मोहकता से आकर्षित होजाते हैं। साहमी नवयुवकों का गुप्तगमनना और खतरे की तरफ हमेशा झुकाव होजाता है, उनकी इच्छा जानकार बनने की रहती है, वे पता लगाना चाहते हैं कि यह सब हल्ला-गुल्ला किस लिए है और इन मामलों की तह में कौन-कौन लोग हैं। दुनिया में कुछ अद्भुत और साहसपूर्ण कार्य कर दिखाने की महत्त्वाकांक्षा का यह तकावा है। इन लोगों की कुछ करने-धरने की इच्छा नहीं होती—आतंकवादी कार्य करने की तो किसी हालत में भी नहीं,—लेकिन इनका उन लोगों से, जिनपर पुलिस की सन्देह-दृष्टि है, सिर्फ मिलना-जुलना ही इनको भी पुलिस का सन्देहपात्र बना देने के लिए काफी होता है। अगर इनकी किस्मत में कुछ ज्यादा बुराई न लिखी हो तो भी इस बात की तो सम्भावना रहती ही है कि ये लोग बहुत जल्दी नजरबन्दों की जमात में या नजरबन्दों की किमी जेल में धर दिये जायें।

यह कहा जाता है कि न्याय और व्यवस्था भारत में ब्रिटिश-राज्य की गौरव-पूर्ण सफलताओं में गिने जाते हैं। मैं खुद भी सहज-स्वभाव से उनका समर्थक हूँ। मुझे जीवन में अनुशासन पसंद है और अराजकता, अशान्ति और अयोग्यता नापसंद। लेकिन कड़वे अनुभव ने ऐसे न्याय और व्यवस्था की उपयोगिता के विषय में मेरे हृदय में क्षका पैदा कर दी है जिनको राज्य और सरकारें जनता पर जबरन लाद देती हैं। कभी-कभी उनके लिए आवश्यकता से अधिक मूल्य चुकाना पड़ता है, और न्याय तो केवल प्रबल राजनैतिक दल की इच्छा होती है और व्यवस्था एक सर्वव्यापी आतंक का प्रतिबिम्ब। कभी-कभी तो, जो चीज न्याय और व्यवस्था कही जाती है, दरअसल, उसे न्याय और व्यवस्था का अभाव कहना ज्यादा ठीक मालूम होता है। कोई सफलता, जो चारों ओर छाये हुए आतंक पर निर्भर रहती है, कभी वाञ्छनीय नहीं हो सकती, और ऐसी 'व्यवस्था' जिसका आधार राज्य का बल-प्रयोग हो और जो इसके बिना जीवित ही न रह सके, अधिकतर फौजी शासन के समान है, कानूनी शासन नहीं। कल्हण कवि के हजार वर्ष पुराने 'राजतरंगिणी' नामक कश्मीर के ऐतिहासिक महाकाव्य में न्याय और व्यवस्था के लिए जो शब्द बारबार प्रयुक्त हुए हैं और जिनकी स्थापना शासक और राज्य का कर्तव्य था, वे हैं 'धर्म' और 'अभय'। न्याय सिर्फ कानून से कुछ बेहतर चीज थी और व्यवस्था लोगों की निर्भयता थी। आतंकित जनता पर 'व्यवस्था' लादने की वनिस्वत उसे निर्भयता सिखलाने की यह भावना अधिक वाञ्छनीय है।

हम साढ़े तीन दिन कलकत्ता ठहरे और इस अर्से में मैंने तीन सार्व-जनिक समाओं में भाषण दिये। जैसा कि मैंने पहले कलकत्ते में किया था, मैंने (इस बार भी) आतंकवादी कार्यों की निन्दा की और उनकी हानियाँ बतलाई, और इसके बाद मैं उन तरीकों पर भी बोला जो

सरकार ने बगान में इन्डियार लिये थे। मैं काफी जॉन के भाग बोला, क्योंकि इस प्रान्त की घटनाओं के विपरीत मैं बहुत ज़ीर हो गया था। जिस दान ने मुझे गजने अधिपत चोट पड़ेवाले गट्टा का यह तरीका जिसके लिये मांगी जनता का जन्मावृत्त दमनक मानव-सम्मान पर बलात्कार किया गया था। इस मानवता के भ्रष्ट के जागे गजनेनिर प्रश्न ने, अत्यन्त आवश्यक होने हुए भी गौण स्थान प्राप्त कर लिया था। बाद में, कलकत्ते में मुत्तार जो मुफदमा गला उनमें मेरे यही तीनों भाषण मेरे विरुद्ध तीन आरोप बनाये गये और मेरी यह विठ्ठी मजा इन्हीका परिणाम है।

कलकत्ता में हम कर्नाट रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने नोट करने के लिए शान्ति-निकेतन पहुँचे। कवि से मिलना हमेशा आनन्ददायक था। इनने नजदीक आकर हम उनसे बिना मिले कैसे जामकने थे? मैं तो पहले दो बार शान्ति-निकेतन होआया था, लेकिन कमला का यह पहली बार आना था, और वह इस स्थान को देखने के लिए जसगौर पर आई थी, क्योंकि हम अपनी लड़की को वहाँ भेजना चाहते थे। इन्दिरा कुछ ही दिनों बाद मेट्रिकयुलेशन की परीक्षा देनेवाली थी और उसकी आगे की शिक्षा का प्रश्न हमें परेशान कर रहा था। मैं इसके बिल्कुल खिलाफ था कि वह सरकारी या अर्ध-सरकारी यूनिवर्सिटियों में दाखिल हो, क्योंकि मैं उन्हें नापसन्द करता था। इनके चारों ओर का वातावरण सरकारी, गलाघोटू और हुकूमतपरस्ती का होता है। बेशक, इनमें से पहले भी ऊँचे दर्जे के पुरुष और स्त्रियाँ निकली हैं और आगे भी निकलते रहेंगे। पर ये थोड़े-से अपवाद यूनिवर्सिटियों को नौजवानों की उदात्त प्रवृत्तियों को दवाने और मृतप्राय बनाने के आरोप से नहीं बचा सकते। शान्ति-निकेतन ही एक ऐसी जगह थी जहाँ इस घातक वातावरण से बचा जासकता था। इसलिए हमने वही उसे भेजने का निश्चय

रिया, हालांकि कुछ बातों में वह दूसरी यूनिवर्सिटियों की तरह बिलकुल दण्डू डेंट और सब तरह के साधनों में पूर्ण नहीं थी ।

लौटते हुए, हम राजेन्द्र बाबू के साथ भूकम्प-पीड़ितों की सहायता के प्रश्न पर विचार करने के लिए पटना ठहरे । वह अभी जेल से छूटकर आये ही थे और लाखमीतीर पर उन्होंने पीड़ितों की सहायता के गैर-नरकारी काम में सबसे आगे कदम रक्खा । हमारा वहाँ पहुँचना बिलकुल अकस्मात् ही हुआ, क्योंकि हमारा कोई भी तार उन्हें नहीं मिला था । कमला के भाई के जिस मकान में हम ठहरना चाहते थे वह खडहर हो गया था, पहले वह डेंटों की एक बड़ी भारी दुमभिला इमारत थी । इसलिए और वहुन से लोगों की तरह हम भी खुले में ही ठहरे ।

दूसरे दिन मैं भुजफरपुर गया । भूकम्प हुए पूरे सातदिन होचुके थे, पर अभीतक सिवाय कुछ खास रास्तों के, कहीं भी मलबा उठाने के लिए कुछ भी नहीं किया गया था । इन रास्तों को साफ करते वक्त बहुत-सी लाशें निकली थी । इनमें कुछ तो विचित्र भाव-प्रदर्शक अवस्थाओं में थी, जैसे किसी गिरती हुई दीवार या छत से बचने की कोशिश कर रही हो । इमारतों के खडहरो का दृश्य बड़ा मार्मिक और रोमाचकारी था । जो लोग बच गये थे, वे अपने दिल दहलानेवाले अनुभवों के कारण बिलकुल घबराये हुए और भयभीत हो रहे थे ।

इलाहाबाद लौटते ही घन और सामान इकट्ठा करने के काम का फौरन प्रवन्ध किया गया और सब लोग, जो कांप्रेस में थे वे भी, और जो नहीं थे वे भी मुस्तैदी के साथ इममें जुट गये । मेरे कुछ सहयोगियों की यह राय हुई कि भूकम्प के कारण स्वतन्त्रता-दिवस के जलसे रोक दिये जायें । लेकिन दूसरे साथियों को, और मुझे भी, कोई कारण नहीं नजर आता था कि भूकम्प से भी हमारे प्रोग्राम में क्यों खलल पड़े ? बहुत-से लोगों का खयाल था कि शायद पुलिस दस्तन्दाजी और गिरफ्तारियाँ कर बैठे और

उसकी तरफ से कुछ मामूली दस्तन्दाजी हुई भी। मगर भीटिंग कर चुकने के बाद जब हम लोग वच गये तो हमें बहुत ताज्जुब हुआ। हमारे यहाँ के कुछ गाँवों में और कुछ दूसरे शहरों में गिरफ्तारियाँ हुईं।

विहार से लौटने के कुछ ही दिन बाद मैंने भूकम्प के सम्बन्ध में एक वक्तव्य निकाला, जिसके अन्त में धन के लिए अपील की गई थी। इस वक्तव्य में मैंने विहार-सरकार की उस अकर्मण्यता की आलोचना की, जो भूकम्प के बाद शुरू के कुछ दिनों तक उसने वताई थी। मेरा इरादा भूकम्प-पीडित इलाकों के अफसरो की आलोचना करने का नहीं था, क्योंकि उनको तो एक ऐसी महाविकट परिस्थिति का सामना करना पड़ा था जिससे बड़े-से-बड़े दिलेरो के भी दिल दहल जाते। और मुझे इसका अफसोस हुआ कि मेरे कुछ शब्दों से ऐसा आशय निकाला जासकता था। लेकिन मैंने यह तो ज़रूर बड़े जोरो से महसूस किया कि धूल में विहार-सरकार के प्रमुख अधिकारियों ने कुछ ज्यादा कारगुजारी नहीं दिखलाई, खासकर मलवा हटाने में, जिससे बहुत-सी जानें बच जाती। छाली मुंगेर शहर में ही हज़ारों की जानें गईं, और तीन हफ्ते बाद भी मैंने देखा कि मलवे का पहाड़-का-पहाड़ ज्यों-का-त्यों पड़ा था, हालाँकि कुछ ही मील दूर जमालपुर में हज़ारों रेलवे-कर्मचारी बसे हुए थे, जिनको भूकम्प के पीछे कुछ ही घण्टों में इस काम में लगाया जासकता था। भूकम्प के चारह दिन बाद तक भी ज़िन्दा आदमी खोदकर निकाले गये थे। सरकार ने सम्पत्ति की रक्षा का तो फौरन इन्तज़ाम कर दिया था, लेकिन जो लोग दबे पड़े थे उनकी जान बचाने में उसने सरगमीं नहीं दिखाई। इन इलाकों में म्यूनिसिपैलिटियाँ तो रही ही नहीं थी।

मैं ममझता हूँ कि मेरी आलोचना न्यायोचित थी और बाद में मुझे पता लगा कि भूकम्प-पीडित इलाकों के ज्यादातर लोग मुझसे सहमत

थे। लेकिन न्यायोचित हो या न हो, वह सच्चे हृदय से की गई थी, और सरकार पर दोषारोपण करने की नीयत से नहीं बल्कि उसको तेजी से काम करने के लिए प्रेरित करने की नीयत से की गई थी। इस बारे में किसीने भी सरकार पर यह दोष नहीं लगाया कि उसने जान-बूझकर कोई गलत कार्रवाई की या कोई कार्रवाई करने में आनाकानी की। यह तो एक अजीब और निराश कर देनेवाली परिस्थिति थी और इसमें होनेवाली भूले क्षम्य थी। जहाँतक भूके भालूम है (क्योंकि मैं जेल में हूँ), बिहार सरकार ने बाद में भूकम्प से हुई क्षति को पूरा करने के लिए बड़ी तेजी और मुस्ती से काम किया।

लेकिन मेरी आलोचना से लोग नाराज हुए, और तुरन्त कुछ ही दिनों बाद बिहार के कुछ लोगो ने मेरी आलोचना के तुर्की-ब-तुर्की जवाब के तौर पर सरकार की प्रशंसा करते हुए एक वक्तव्य प्रकाशित किया। भूकम्प और उससे सम्बन्ध रखनेवाले सरकारी कर्तव्य करीब-करीब दूसरे दर्जे की बात बना दी गई। यह बात ज्यादा महत्वपूर्ण थी कि सरकार की आलोचना की गई है, इसलिए राजमन्त्र रिआया को उसके पक्ष का समर्थन करना ही चाहिए। हिन्दुस्तान में फले हुए उस रवैये का यह एक मजेदार नमूना था जो सरकार की आलोचना को—पश्चिमी देशों में जो एक बहुत मामूली चीज समझी जाती है—पसन्द नहीं करता। यह फीजी मनोवृत्ति है जो आलोचना को महन नहीं कर सकती। सम्राट की तरह भारत की ब्रिटिश सरकार और उनके ऊँचे हाकिम-हुकूमत, कोई गलती नहीं कर सकते। ऐसी किन्ही बात का इशारा भी करना घोर राजद्रोह है।

इसमें विचित्रता यह है कि शासन में असफलता और अयोग्यता का आरोप बहुत ज्यादा बुरा खयाल किया जाता है, वनिस्वत कठोर नासन या निर्दयता का दोष लगाने के। निर्दयता का दोष लगानेवाला, बहुत

मुमकिन है, जेल में डाल दिया जाय, मगर सरकार इसकी आदी होगई है और असल में इसकी परवा भी नही करती। आखिर, एक तरह से, प्रभुता-प्राप्त जाति के लिए यह करीब-करीब एक बाहवाही की बात समझी जासकती है। लेकिन नालायक और कमजोर कहा जाना उनके आत्म-सम्मान की जड़ पर कुठाराघात करता है, इससे हिन्दुस्तान के अश्रेष्ठ हाकिमों की अपने-आपको उद्धारक समझने की धारणा पर प्रहार होता है। ये लोग उस अश्रेष्ठ पादरी की तरह है जो ईसाई-धर्म के विरुद्ध आचरण के आरोप को तो चुपचाप बरदास्त करने के लिए तैयार होजाता है लेकिन अगर उसे कोई बेवकूफ या नालायक कहे तो वह गुस्मा होकर मारने को दौडता है।

अश्रेष्ठ लोगों में एक आम विश्वास फैला हुआ है, जो अक्सर इस तरह बयान किया जाता है मानो कोई अकाट्य सिद्धान्त हो, कि अगर हिन्दुस्तान के शासन में कोई ऐसी तबदीली ही जाय जिससे ब्रिटिश-प्रभाव कम होजाय या निकल जाय, तो यहाँ का शासन और भी ज्यादा खराब और निकम्मा होजायगा। इस विश्वास को रखते हुए भी, लेकिन अपने जोश में उदारता का भाव रखनेवाले, उग्रमतवादी और उन्नति-शील विचारों वाले अश्रेष्ठ यह कहते हैं कि सु-राज स्व-राज का स्थानापन्न नहीं होसकता, और अगर हिन्दुस्तानी लोग गद्दों में गिरना ही चाहते हैं तो उनको गिरने दिया जाय। मैं नहीं जानता कि ब्रिटिश-प्रभाव के निकल जाने पर हिन्दुस्तान की क्या हालत होगी। यह बात इस पर बहुत कुछ निर्भर है कि अश्रेष्ठ लोग किस तरह से निकलकर जायें और उस समय भारत में किसका अधिकार हो, इसके अलावा, राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय कई विचारणीय बातें और भी हैं।

हाँ, अश्रेष्ठों की सहायता से स्थापित ऐसी अवस्था की भी मैं अच्छी तरह कल्पना कर सकता हूँ जो वर्तमान में सम्भव होनेवाली किसी हालत

से कहीं बदतर और ज्यादा निकम्मी होगी, क्योंकि उसमें मौजूदा प्रणाली के दोष तो सब होंगे और गुण एक भी नहीं। इससे भी ज्यादा आसानी से मैं उस दूसरी अवस्था की कल्पना कर सकता हूँ जो, भारतवासियों के दृष्टिकोण से, किसी भी ऐसी अवस्था से अधिक योग्य और लाभकारी होगी जिसकी हमें आज मिलने की संभावना होसकती है। यह मुमकिन है कि राज्य की बल-प्रयोग करने का यत्र इतनी कारआमद न हो और शासन-विधान इतना भडकदार न हो, लेकिन पैदावार, संपत्त और जनता के शारीरिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आदर्श को ऊँचा उठानेवाले कार्य अधिक योग्यता से होंगे। मेरा विश्वास है कि स्वराज्य किसी भी देश के लिए लाभकारी है। लेकिन मैं स्वराज तक को वास्तविक सु-राज देकर लेने के लिए तैयार नहीं हूँ। स्वराज अपने-आपको न्यायोचित तभी कह सकता है जब उसका ध्येय वास्तव में जनता के लिए सु-राज हो। चूँकि मेरा विश्वास है कि भारत में ब्रिटिश सरकार, भूतकाल में उसका दावा चाहे जो कुछ रहा हो, आज जनता के लिए सु-राज या उन्नत आदर्श प्रदान करने के बिलकुल अयोग्य है, इसलिए मैं महसूस करता हूँ कि भारत में उसकी उपयोगिता जो कुछ थी वह नष्ट होचुकी है। भारत की स्वतंत्रता का सच्चा औचित्य इसीमें है कि उसे सु-राज मिले, उसकी जनता की स्थिति ऊँची हो, उसकी औद्योगिक और सांस्कृतिक प्रगति हो और भय और दमन का वह वातावरण दूर होजाय जो विदेशी साम्राज्यवादी शासन का अनिवार्य परिणाम है। ब्रिटिश सरकार और इंडियन सिविल सर्विस भारत में मनमानी करने की ताकत भले ही रखने हो, पर वे भारत के तात्कालिक प्रश्नों को हल करने के बिलकुल अयोग्य और निकम्मे हैं, भविष्य के प्रश्नों के लिए तो और भी ज्यादा। क्योंकि इनके मूल सिद्धान्त और धारणाएँ बिलकुल गलत हैं और वास्तविकता से उनका सम्बन्ध टूट चुका है। कोई सरकार या शासक-वर्ग जो पूर्णतया

योग्य नहीं है या जो पतनशील समाज-व्यवस्था का प्रतिनिधि है, ज्यादा दिनों तक मनमानी नहीं कर सकता ।

इलाहाबाद की भूकम्प-सहायता-कमिटी ने मुझे भूकम्प-पीडित इलाको में जाने के लिए और वहाँ भूकम्प-पीडितों की सहायता के लिए जो ढग इस्तिहार किया गया था, उसकी रिपोर्ट देने के लिए नियुक्त किया । मैं फौरन अकेला ही चल पड़ा और दस दिन तक उन फटे हुए और नष्ट-भ्रष्ट इलाको में घूमा ।

इस दौरे में बड़ी मेहनत करनी पड़ी और इन दिनों मुझे सोने को बहुत कम मिला । सुबह के पाँच बजे से लगभग आधीरात तक हम लोग चलते ही रहते थे—कमी बरारोवाली टूटी-फूटी सबको पर मोटर में जा रहे हैं, तो कभी छोटी-छोटी डोंगियों के द्वारा ऐसे स्थानों में उतर रहे हैं जहाँ पुल गिर पड़े थे या जहाँ ज़मीन की सतह में फर्क आने से सबके पानी में डूब गई थी । शहरों में ढेर-के-ढेर खडहरों और टूटी हुई, या मानो किसी दैत्य के द्वारा मरोड़ी हुई, या दोनों ओर के मकानों की कुर्सी से ऊपर उठी हुई, सबको का दृश्य बड़ा हृदय-स्पर्शी था । इन सबको की बड़ी-बड़ी दरारों में से पानी और बालू-रेत ने फूट-फूटकर मनुष्यों और जानवरों को वहाँ दिया था । इन शहरों से भी ज्यादा उत्तर बिहार के मैदानों पर—जिनको बिहार का वाग कहा जाता था—चञ्चल और विनाश की छाप लगी हुई थी । मीलों तक फैली हुई बालू-रेत, पानी के बड़े-बड़े तालाव और विशालकाय दरारे और असंख्य छोटे-छोटे ज्वालामुखी के-से मुँह थे जिनमें से यह बालू-रेत और पानी निकले थे । इस इलाके के ऊपर हवाई-जहाज में बैठकर उड़नेवाले कुछ अग्रज अफसरों ने कहा था, कि यह कुछ-कुछ लडाई के ज़माने के और उसके कुछ बाद के उत्तरी फ्रान्स के युद्ध-क्षेत्र से मिलता-जुलता था ।

यह एक बड़ा भयानक अनुभव हुआ होगा । भूकम्प ख़ोरदार, इधर-

उधर दोनो ओर की गति से, शुरू हुआ, जिससे खडे हुए मनुष्य गिर पडे । इसके बाद ऊपर-नीचे की गतियाँ हुई और एक ऐसी गडगडाहट करती और गुँजती हुई भयकर आवाज हुई जैसे तोपें चल रही हो या आकाश में सैकड़ो हवाई जहाज उड़ रहे हो । अनगिनती स्थानो पर बड़ी-बड़ी दरारो और गड्ढो में से पानी फूट निकला और उसकी धारे दस-बारह फूट तक ऊँची उछली । यह सब शायद तीन या चार मिनट रहकर मिट गया होगा, मगर ये तीन मिनट ही महाभयकर थे । जिन लोगो ने इन घटनाओ को होते हुए देखा, आश्चर्य नहीं यदि उन्हें यह कल्पना हुई हो कि दुनिया का अन्त आगया । शहरों मे मकानो के गिरने का शोर था, पानी बड़ी जोर से बहकर आरहा था और सारे वायुमण्डल मे धूल भर गई थी, जिससे कुछ ही गज आगे की चीजें भी नज़र नहीं आती थी । देहातो मे इतनी धूल नहीं थी और दूर तक दिखालाई देता था, लेकिन वहाँ कोई शान्ति से देखने वाले ही नहीं थे । जो लोग जिन्दा बचे वे भयकर श्रास के कारण ज़मीन पर लेट गये या इधर-उधर लुढ़कने लगे ।

मेरे खयाल से, मुजफ्फरपुर में एक बारह बरस का लडका भूकम्प के दस दिन बाद खोदकर जीवित निकाला गया । वह बड़ा चकित था । टूट-टूटकर गिरनेवाले ईंट-चूने ने जब उसे नीचे गिराकर दबा लिया तो उसने कल्पना की कि प्रलय होगया है और अकेला वही जिन्दा बचा है ।

मुजफ्फरपुर ही मे ऐन भूकम्प के मौके पर, जबकि मकानात गिर रहे थे और चारो तरफ सैकड़ो आदमी मर रहे थे, एक बच्ची पैदा हुई । उसके अनुभव-हीन माता-पिता को यह न सूझा कि क्या करना चाहिए और पागल-से हो गये । मगर मैंने सुना कि माता और बच्चा दोनो की जाने बच गई और वे मजे मे थे । भूकम्प की यादगार मे बच्ची का नाम 'कम्पो देवी' रक्खा गया ।

हमारे शीरे का आखिरी शहर मुंगेर था। हम लोग बहुत घूम चुके और करीब करीब नेपाल की सीमा तक पहुँच गये थे और हमने अनेक हृदय-विदाक दृश्य देखे थे। हम लोग एक बड़े भारी पैमाने पर लडहर और विध्वंस देखने के आदी होगये थे। लेकिन फिर भी जब हमने मुंगेर को और इस घन-सम्पन्न नगर की अत्यन्त विनाश-पूर्ण हालत को देखा तो हमकी भयकरता ने हमारा दम फूलने लगा और हमें कँपकँपी बाने लगी। मैं उन महाभयकर दृश्य को कभी नहीं भूल सकता।

भूकम्प के तमाम इलाकों में, क्या शहरी और क्या देहातो में, वहाँ के निवासियों में स्वावलम्बन का बड़ा शोचनीय अभाव नज़र आया। दायद गहरा के मध्यम-वर्ग में इसका सबसे अधिक अभाव था—वे लोग हम इन्तज़ार में थे कि कोई सरकार या गैर सरकारी भूकम्प-सहायक समिति आकर काम करे और उन्हें सहायता दे। जो दूसरे लोग सेवा करने को आगे आये, उन्हें समझा कि काम करने का अर्थ है लोगों पर हमम चलाना। यह निम्नहायता की भावना कुछ तो निस्सन्देह भूकम्प के आग के पैदा हुई मानसिक दुर्बलता के कारण थी और वह धीरे-धीरे ही कम हुई होगी।

मिर्ज़ा के हमारे हिस्सों और हमारे प्रान्तों से बड़ी मर्या से आनेवाले मददगार या जौन और उनकी तर्पणशक्ति इसकी तुलना में एक बिल-कुल शून्य ही पाँच नजर आती थी। इन नवयुवका और नवयुवतियों को, हमारे ही गाँव में ही भाग्य की भाग्यना को देखकर चकित होना पड़ा था। और तभी जोर निम्न-निम्न सहायक मन्थायें काम कर रही थीं, फिर भी नाम जागम में बहुत कुछ मन्थायें थी।

मम्याओं के तमाम अगुआ टोकरियाँ और फावड़े लेलेकर निकले और
 १ इन्टोने दिनभर खुदाई की और हमने एक लडकी की लाग बाहर निकाली।
 मैं तो उस दिन मुगेर में चला आया, लेकिन खुदाई का काम जारी रहा
 और बहुत-से स्थानीय व्यक्तियों ने उसे बड़ी सफलता पूर्वक किया।

जितनी गैर-सरकारी सहायक मस्यायें थी उन सबमें सेन्द्रल रिलीफ
 कमिटी, जिसके अध्यक्ष बाबू राजेन्द्रप्रसाद थे, सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण
 थी। यह सर्वथा काँग्रेसी सस्था नहीं थी। शीघ्र ही यह बढ़कर मिस्र-
 भिन्न दलों और दानदाताओं के प्रतिनिधि-स्वरूप एक अखिल-भारतीय
 सस्था बन गई। इसमें सबसे बड़ा लाभ यह था कि देहातो की काँग्रेस
 ४ कमिटियों की म्हायता इसमें मिल सकती थी। गुजरात और युक्तप्रान्त के
 कुछ जिलों को छोटकर कहीके काँग्रेसी कार्यकर्त्ता किसानों के इतने
 अधिक सम्पर्क में नहीं थे जितने यहाँ के। दरअसल ये कार्यकर्त्ता खुद
 ही किसान-वर्ग के थे। बिहार भारत का सबसे मुख्य कृषक-प्रदेश है और
 उनके मध्यम-वर्ग तक का किसानों से घनिष्ठ सम्बन्ध है। कभी-कभी,
 जब मैं काँग्रेस के मंत्री की हैसियत से बिहार-प्रान्तीय काँग्रेस कमिटी के
 दफ्तर का निरीक्षण करने जाता था तो मुझे नजर आनेवाले निकम्मेपन
 और दफ्तर के काम में ढीलम-ढाल की में बड़े कड़े शब्दों में आलोचना
 किया करता था। वहाँ खड़े रहने के वजाय बैठ जानें की और बैठने की
 अपेक्षा लेट जाने की प्रवृत्ति थी। दफ्तर भी मेरे अवतक देखे हुए तमाम
 दफ्तरों में सबसे अधिक साधनहीन था, क्योंकि वे लोग दफ्तर के लिए
 मामूली तौरपर जरूरी लवाजमों के बिना ही काम चलाने की कोशिश
 करते थे। लेकिन दफ्तर की आलोचना के बावजूद, मैं खूब अच्छी तरह
 जानता था कि काँग्रेस के लिहाज से यह प्रान्त देश के सबसे ज्यादा
 उत्साही और लगन के साथ काम करनेवाले प्रान्तों में से था। यहाँ की
 काँग्रेस में ऊपरी तटक-भटक नहीं थी, पर सारा कृषक-वर्ग सामूहिक

रूप से उसके पीछे था। आल-इंडिया कांग्रेस कमिटी में भी बिहार के प्रतिनिधियों ने शायद ही कभी किसी मामले में उग्र रुख अख्तियार किया हो। वे तो अपने-आपको वहाँ देखकर कुछ ताज्जुब-सा करते थे। लेकिन सविनय-भंग के दोनो आन्दोलनों में बिहार ने बड़ा शानदार नमूना पेश किया। यहाँतक कि वाद के व्यक्तिगत सविनय-भंग के आन्दोलन में भी उसने अच्छा काम कर दिखलाया।

रिलीफ-कमिटी ने किसानों तक पहुँचने के लिए इस मुन्दर सगठन से काम ठगवाया। देहात में कोई भी साधन, यहाँतक कि सरकार भी, इतने उपयोगी नहीं होसकते थे। और रिलीफ-कमिटी और बिहार कांग्रेस कमिटी दोनों के प्रधान थे राजेन्द्र बाबू, जो निर्विवाद रूप से सारे बिहार के नेता थे। देखने में एक किसान के समान, बिहार देश के सच्चे मृपुत्र राजेन्द्र बाबू का व्यक्तित्व, जबतक कि कोई उनकी तेज और निष्कपट आँखों और गम्भीर मुख-मुद्रा पर गौर न करे, शूल-शुरू में देखने पर कुछ प्रभावशाली नहीं मालूम पडता। वह मुद्रा और वे आँखें भुन्वाई नहीं जासकती, क्योंकि उनमें होकर सचाई आपकी ओर झाँकती है और उनपर आप सदेह कर ही नहीं सकते। किसान-स्वभाव होने के कारण उनका दृष्टिकोण शायद जरा सीमित है और नई रोगनी की दृष्टि से देखने पर कुछ नीचे-सादे दीखते हैं। पर उनकी ज्वलन्त योग्यता, उनकी मृदु निष्कपटता, उनकी गक्ति, और भारत की स्वतन्त्रता के लिए उनकी लगन, ये ऐसे गुण हैं जिन्होंने उनको अपने ही प्रान्त का नहीं वरिन् सारे भारत का प्रेम-पान बना दिया है। जैसी सर्वमान्य नेतृत्व की श्रियति राजेन्द्र बाबू को बिहार में प्राप्त है वैसी भारत के किसी भी प्रान्त में किसी भी व्यक्ति को प्राप्त नहीं। उनके सिवा, गांधीजी के वास्तु किन मदेश को इननी पूर्णता ने अपनातेवाले, कोई हो भी, तो बिरले ही होंगे।

यह वडे सद्भाग्य की बात थी कि राजेन्द्रबाबू जैसे व्यक्ति बिहार में सहायता के कार्य का नेतृत्व करने के लिए मौजूद थे, और उनमें लोगों की जो श्रद्धा थी उसीका यह परिणाम था कि सारे भारत से विपुल धन-राशि खिंची चली आई। स्वास्थ्य खराब होने पर भी वह सहायता के कार्य में पिल पड़े। वह अपनी शक्ति से अधिक काम करने लगे, क्योंकि वह सारी कार्रवाइयों का केन्द्र बन गये थे और सलाह के लिए सब उन्हींके पास आते थे।

जिस समय मैं भूकम्प के इलाको में दौरा कर रहा था, या शायद वहाँ जाने से पहले, मुझे गाँधीजी का यह वक्तव्य पढ़कर बड़ी चोट लगी कि यह भूकम्प अस्पृश्यता के पाप का दण्ड था। यह वक्तव्य बड़ी हैरत में डालनेवाला था। मैंने रवीन्द्रनाथ ठाकुर के उत्तर का स्वागत किया और मैं उससे पूर्णतया सहमत भी था। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का इससे अधिक विरोध करनेवाली किसी और चीज की कल्पना करना कठिन है। कदाचित् विज्ञान भी आज प्रकृति पर चित्तवृत्तियों और मनोवैज्ञानिक घटनाओं के प्रभाव के विषय में इस तरह सर्वथा निश्चयात्मक रूप से कोई बात नहीं कह सकेगा। मानसिक चोट के परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति को अजीर्ण या इससे भी अधिक और कोई खराबी का हो मकना मले ही सम्भव हो, लेकिन यह कहना कि किसी मानवी रिवाज या कर्तव्य-हीनता की प्रतिक्रिया पृथ्वी-तल की गति पर पड़े, एक हैरत में डाल देनेवाली बात है। पाप और ईश्वरीय कोप का विचार और ब्रह्माण्ड की घटनाओं में मनुष्य की सापेक्ष स्थिति, ये ऐसी बातें हैं जो हमको कई-सौ वर्ष पीछे लेजाती हैं, जबकि यूरोप में धार्मिक अत्याचारों का बोलबाल था, जिसने वैज्ञानिक क्रुफ के कारण जोर्डानो दूनो को जलवा डाला तथा कितनी ही डाकिनियों को सूली पर चढ़ा दिया। अठारहवीं सदी में भी, अमेरिका में वोस्टन के प्रमुख पादरियों ने मासाचुसेट्स के

भूकम्पों का कारण विजली गिरने से रोकने के लिए लगाये गये खम्भों को अपवित्रता घतलाया था ।

और अगर भूकम्प ईश्वरी पापों का दण्ड भी हो, तो भी हम यह कैसे मालूम करे कि हमको कौन-से पाप का दण्ड मिल रहा है ? क्योंकि दुर्भाग्यवश हमें तो बहुत-से पापों का फल भोगना है । हरेक व्यक्ति अपनी-अपनी पसन्द का कारण बता सकता है । शायद हम लोगों को एक विदेशी राजसत्ता कबूल करने का या एक अनुचित सामाजिक प्रणाली को सहन करने का दंड मिला हो । आर्थिक दृष्टि से दरभंगा महाराज, जो बड़ी लम्बी-चीड़ी जागीरों के मालिक है, भूकम्प के कारण सबसे अधिक नुकसान उठानेवालों में से थे । इसलिए हम ऐसा भी कह सकते हैं कि यह जमींदारी प्रथा के विरुद्ध फैसला है । ऐसा कहना ज्यादा ठीक होगा, वनिस्वत यह कहने की कि बिहार के करीब-करीब निरपराध निवासी, दक्षिण भारत के लोगों के अस्पृश्यता के पाप के बदले में पीड़ित किये गये । भूकम्प खुद अस्पृश्यता के देश में ही क्यों नहीं आया ? या ब्रिटिश सरकार भी तो इस विपत्ति को सविनय-भंग के लिए ईश्वरी दण्ड कह सकती है, क्योंकि, यदि वास्तव में देखा जाय तो, उत्तरी बिहार ने, जिसको भूकम्प के कारण सबसे अधिक नुकसान पहुँचा, आन्ध्र प्रदेश में बड़ा प्रमुख भाग लिया था ।

इस तरह हम अनन्त कल्पनाएँ कर सकते हैं । और फिर यह प्रश्न भी तो उठता है, कि हम लोग परमात्मा की आज्ञाओं के प्रभाव को अपने मानवीय प्रयत्नों से कम करने की कोशिश करके उसके कार्यों में क्यों हस्तक्षेप करे ? और हमें इस पर भी ताज्जुब होता है कि ईश्वर ने हमारे साथ ऐसी निर्दयतापूर्ण दिल्दगी क्यों की—कि, पहले तो हमको श्रुतियों से पूर्ण बनाया, हमारे चारों ओर जाल और गड्ढे बिछा दिये, हमारे लिए एक कठोर और दुःखपूर्ण संसार की रचना करदी,

नीना भी बनाया और भेड भी, और फिर हमको सच्चा भी देता है।

"जब तारों ने अपनी झिलमिल किरणें डाली जगती पर,
और गगन-मंडल में उतरी वृद्धे तिमशिम धरती पर,
देख-देख कृति अपनी कैसे म्मिनि ओंठो पर ला सकता !
मेप-जस रचनेवाला क्या भीषण सिंह बना सकता ?" १

पटना ठहरने की आखिरी रात को मैं बड़ी रात तक बहुत से मित्रों और सहयोगियों में बातें करता रहा, जो जुदा-जुदा प्रान्तों से सहायता-कार्य में अपनी सेवायें देने के लिए आये थे। युक्तप्रान्त के काफी ज्यादा प्रतिनिधि आये थे और हमारे कई छँटेछटाये कार्यकर्त्ता वहाँ थे। हम इस प्रश्न पर विचार कर रहे थे, जो हमें बड़ा हैरान कर रहा था, कि हम लोग किस हद तक अपने-आपको भूकम्प-पीडितों की सहायता के काम में लगावे ? इसका अर्थ यह था कि उस हद तक हम अपने को राजनैतिक कार्य से अलग हटाले। सहायता का काम बड़ा कठिन था और ऐसा हम कर नहीं सकते थे कि जब-जब हमें फुरसत मिले तब तो उसे करे और फुरसत न हो तो न करे। इसमें लग जाने से क्रियात्मक राजनैतिक क्षेत्र से बहुत दिनों तक गैरहाजिर रहने की समावना थी और राजनैतिक दृष्टि से हमारे प्रान्त पर इसका प्रभाव बुरा पड़े बिना नहीं रह सकता था। यद्यपि कांग्रेस में बहुत-से लोग थे, फिर भी करने-बढ़नेवालों की संख्या तो परिमित ही थी और उनको छुट्टी नहीं दी जासकती थी। इधर भूकम्प के तकाजों की भी अवहेलना नहीं की जासकनी थी। अपनी ओर से तो मेरा खाली सहायता के ही काम में लग जाने का इरादा न था। मैंने महसूस किया कि इस कार्य के लिए लोगों की कमी न होगी, अलवत्ता अधिक खतरे के कामों को करनेवाले लोग बहुत थोड़े थे।

१. अंग्रेजी पद्य का भावानुवाद।

इसलिए हम बहुत रात तक बातचीत करते रहे। हमने पिछले स्वतंत्रता-दिवस पर भी विचार किया कि किन प्रकार हमारे कुछ सहयोगी तो उस मौके पर गिरफ्तार कर लिये गए थे पर हम लोग बच गये थे। मैंने मन्नाक में उन लोगों से कहा कि मुझे तो पूरी सुरक्षा के साथ उग्र राजनैतिक कार्य करने के रहस्य का पता लग गया है।

मैं ११ फरवरी को, दौरे के कारण विलकुल थका-मादा, इलाहाबाद में अपने घर पहुँचा। कड़ी मेहनत के दस दिनों ने मेरी शारीरिक अवस्था बड़ी भयानक बना दी थी और मेरे कुटुम्ब के लोग मेरी शकल देखकर चकित होगये। मैंने इलाहाबाद रिलीफ-कमिटी के लिए अपने दौरे की रिपोर्ट लिखने की कोशिश की लेकिन नींद ने मुझे आ-धेरा। अगले २४ घंटों में से मैंने कम-से-कम १२ घंटे नींद में बिताये।

दूसरे दिन, शाम के वक्त, कमला और मैं चाय पीकर बैठे थे और पुष्पोत्तमदास टहन हमारे पास आये ही थे। हम लोग बरामदे में सहे हुए थे। इतने में एक मोटर आई और पुलिस का एक अफसर उसमें से उतरा। मैं फौरन समझ गया कि मेरा वक्त आगया है। मैंने उसके पास जाकर कहा—“बहुत दिनों से आपका इन्तजार था।” वह जरा माफ़ी-सी भाँगने लगा और कहने लगा कि कुसूर उसका नहीं है। बारन्ट कलकत्ता से आया था।

मैं पाँच महीने और तेरह दिन बाहर रहा। और अब मैं फिर एकान्त और तनहाई में भेज दिया गया। लेकिन दुःख का बसली भार मुझ पर न था। वह तो हमेशा की तरह औरतों पर ही था—मेरी बीमार माता पर, मेरी पत्नी पर और मेरी बहन पर।

अलीपुर-जेल

“फैंक यकायक कहाँ दिया है इतनी दूर मुझे लाकर !
कबतक यो टकराना होगा इन अदृष्ट की लहरो पर ?
किधर खींच ले जावेंगे अब शोको के यह उलझे तार,
दिखता नहीं प्रदीप, न जाने कहाँ लगेगी किशती पार ।”

उसी रात को मैं कलकत्ता लेजाया गया । हावडा स्टेशन मे लाल-बाजार पुलिस-थाने तक मुझे एक बड़ी काली मोटर-लारी में बिठाकर लेगये । कलकत्ता-पुलिस के इस मशहूर हेड-क्वार्टर के बारे मे मैंने बहुत-कुछ पढ रक्खा था । अत मे उस जगह को बडे चाव से देखने लगा । वहाँ अग्नेज सर्जेंट और इन्स्पेक्टर इतनी बडी तादाद में मौजूद थे, जितने उत्तर-भारत के किसी बडे पुलिस-थाने में नहीं है । वहाँ के सिपाही अक्सर सभी विहार और सयुक्तप्रान्त के पूर्वी जिलो के थे । अदालत से जेल या एक जेल से दूसरी जेल जाने के लिए मुझे कई बार जेल की लारी में जाना पडता था और हर बफा इनमे से कई सिपाही लारी के भीतर मेरे साथ जाते थे । वे ज़रूर ही कुछ दु खी मालूम होते थे । उनको यह काम पसन्द न था और स्पष्टत वे मेरे साथ बडी हमदर्दी सी रखते थे । मैंने देखा कि कई बार उनकी आँखो मे आँसू छलक पडते थे ।

मुझे धुरु मे प्रेसिडेन्सी जेल मे रक्खा गया और वहीसे मुझे अपने मुकदमे के लिए चीफ प्रेसिडेन्सी मजिस्ट्रेट की अदालत में लेजाया जाता था । यह अदालत मेरे लिए एक नया तजुर्बा था । अदालत का कमरा

१. रॉबर्ट ब्राउनिंग की कविता का भावानुवाद ।

धीरे इमारत साधारण अदालत के-से नहीं बल्कि एक धिरे हुए किले के जैसे थे। सिवा कुछ अखवारवालो और बहीके वकीलों के बाहर का कोई आदमी उसके आस-पास भी नहीं फटकने दिया जाता था। पुलिस वहाँ काफी तादाद में जमा थी। यह सब बन्दोबस्त कोई मेरे लिए नया नहीं किया गया था, यह तो वहाँका हमेशा का दस्तूर है। अदालत के कमरे में जाने के लिए मुझे दूसरे कमरे में होते हुए एक लम्बे रास्ते से जाना पड़ता था, जिसके ऊपर और दोनों तरफ जालियाँ पड़ी हुई थी, मानो किसी पिंजड़े में से निकल रहे हो। मुल्खिम का कटघरा हाकिम की कुर्सी से कुछ दूर था। कमरा पुलिसवालो और काले कोट और चोगेवाले वकीलो से भरा हुआ था।

मुझे अदालती मुकदमों से काफी काम पड चुका है। मेरे पहले के कई मुकदमे जेल के भीतर होचुके हैं, परन्तु उन सब मौकों पर मेरे साथ दोस्त, रिश्तेदार और जान-पहचानवाले रहते थे इस कारण वहाँ का वातावरण मेरे लिए कुछ सरल जान पड़ता था। पुलिस अधिकतर गौणरूप में होती थी और वहाँ पिंजड़े वर्ग़रा नज़र न आते थे। यहाँ तो बात ही दूसरी थी, चारों तरफ अजनबी और बिना जान-पहचान की टाकले नज़र आती थी, जिनमें और मुझमें कुछ भी साम्य नहीं देखता था। वे लोग मुझे बहुत पसन्द भी नहीं आये। चोगाधारी वकीलों की जमान मुझे तो देखने में सुन्दर नहीं मालूम होती, और खासकर पुलिस भी अदालत से वकीलों का नज़ारा तो ज़रूर ही अप्रिय मालूम होता है। आज़िउर उम कान्ही जमात में एक जान-पहचान का वकील निकल तो आया, जैफ़िन बठ भी उम झुण्ड में मिलकर कही गायब होगया।

मुहम्मद गुरू होने के पहले जब मैं बाहर झरोखे में बैठा रहता था, तब भी मुझे अंगरेजान और सुनमान मालूम पड़ता था। मेरी नब्ज़ दस्तूर तब हीटो हींगो और मेरा दिल इनना शान्त नहीं था जैसा

पहले के मुकदमों के समय में रहता था । मुझे तब खयाल आया कि जब इतने मुकदमों और सजाओं का तजुर्वा होते हुए भी मुझ पर परिस्थिति की अजीब प्रक्रिया का असर हुए बिना न रहा तो ऐसी हालत में नातजुर्ब-कार नौजवानों पर परिस्थिति का कितना बड़ा भार पड़ता होगा ?

कटनरे में मेरा चित्त बहुत-कुछ शान्त मालूम हुआ । हमेशा की तरह कोई सफाई पेश नहीं की गई, और मैंने अपना एक छोटा-सा बयान पढ़कर सुना दिया । दूसरे दिन अर्थात् १६ फरवरी को मुझे दो बरस की सजा होगई, और यो मेरी सातवीं सजा शुरू हुई ।

मेरी साढ़े पाँच महीने की रिहाई के समय का वाहरी जीवन मुझे सतोपप्रद मालूम हुआ । इस असें मे मैं काम में काफी लगा रहा और कई उपयोगी काम पूरे कर सका । मेरी माता की बीमारी ने पलटा खालिया था और अब वह खतरे से बच निकली थी । मेरी छोटी बहन कृष्णा की शादी हो चुकी थी, मेरी लड़की की भागे की शिक्षा का सिल-मिला ठीक बैठ गया था । मैंने भी अपनी घर-गृहस्थी की और आर्थिक कई मुश्किलों को हल कर लिया और कई घरेलू मामले, जिनको मैं असें से भुला रहा था, सुलझा लिये थे । और सार्वजनिक मामलों में तो, मैं जानता था कि, उस समय किसीके लिए भी कुछ विशेष कर लेना सहज न था । हाँ, मैंने कांग्रेस की ताकत को मजबूत कर उसका रुख सामाजिक और आर्थिक विचारों के मार्ग की ओर मोड़ने में जरूर कुछ मदद की । गाँधीजी के साथ मेरी पूना का पत्र-व्यवहार और बाद में अखबारों में निकले मेरे लेखों ने हालत को कुछ बदल दिया था । साम्प्रदायिक मसले पर भी मेरे लेखों ने कुछ असर ही किया । इसके अलावा, मैं दो बरस से ज्यादा असें के बाद गाँधीजी और दूसरे मित्रों और साथियों से भी मिल लिया और कुछ समय तक काम करने के लिए दिल्ली व दिमागी शक्ति जुटा ली थी ।

पर मेरे मन को दुखी करनेवाली एक घटा तो अब भी बाकी थी और वह थी कमला की बीमारी। मुझे उस वक्त तक उसकी बीमारी की गहराई का अन्दाजा न था, क्योंकि उसकी आदत थी कि जबतक वह चारपाई पकड़ न लेती तबतक काम में अपनी बीमारी को धकेलती ही रहती। लेकिन मुझे बड़ी फिर थी। इसपर भी मुझे उम्मीद थी कि अब मेरे जेल में चले जाने पर तो वह मन लगाकर अपना इलाज करायेगी। मेरे बाहर रहने पर यह कुछ कठिन था, क्योंकि वह मुझे ज्यादा समय के लिए अकेला छोड़ने को सहमा तैयार नहीं होती थी।

लेकिन एक और बात का भी मुझे दुःख रह गया था। वह यह था कि इलाहबाद जिले के गावों में मैं एक वार भी दौरा न कर सका था। मेरे कई नवयुवक साथी हमारी नीति पर कार्य करते हुए गिरफ्तार हो गये थे। इस कारण उनके वाद गावों की खबर न लेना मुझे एक तरह से उनके प्रति बेवफा-सा होना मालूम होता था।

काली मोटर-लारी ने मुझे फिर जेल में पहुँचा दिया। रास्ते में कई फौजी सिपाही मधीनगन और फौजी-गाडी (आरमंड-कार) के साथ मार्च करते हुए मिले। जेल की लारी के छोटे सुराखों में से मैंने उनकी ओर देखा। मेरे दिल में खयाल आया कि फौजी-गाडी (आरमंड-कार) और टैंक कितने भड़े होते हैं। उन्हें देखकर मुझे इतिहास से पूर्वकाल के दानवों, अजगरों इत्यादि का स्मरण होआया।

मेरा तवाबला प्रेसीडेन्सी जेल से अलीपुर सेन्ट्रल जेल में होगया और वहाँ मुझे एक दस फुट लम्बी और नौ फुट चौड़ी छाटी-सी कोठरी

१ सब प्रकार के युद्ध-साधनों से सज्जित खबरदस्त फौलादी मोटर बुझान की तरफ से सहरीली हवावाले धम गोलों से रक्षा करने के लिए जो मुँह पर एक तरह का बुरका डाल दिया जाना है उसे 'भैसमास्का' कहते हैं—

दीगई । इस कोठरी के सामने एक बरामदा और छोटा-सा सहन था । सहन की चहारदीवारी नीची, करीब सात फुट की, थी और उसपर मे शककर देखने पर मेरे सामने एक अजीब दृश्य दिखाई दिया । सब तरह की बेढगी इमारते, इकमबिली, गोल, चौकोर और अजीब छतो-वाली खडी थी । कई तो एक के ऊपर दूसरी नजर आती थी । ऐसा मालूम होता था कि ये सब इमारते बेतरतीव, जमीन का एक-एक कोना-कोना भरने के लिए बनाई गई थी । यह बनावट मुझे तो किसी घरवे की भूल-भुलैयाँ या किसी भविष्यवादी की हवाई रचना-सी मालूम होती थी । मुझे बताया गया कि ये इमारते बडे सिलसिले से बनी हुई है, बीच में एक मीनार है (जो ईसाई कैदियों का गिर्जा है) और उसके चारो तरफ घरों की लाइने है । चूँकि यह जेल शहर में था, इम बजह से जमीन बहुत परिमित थी और उसका छोटे-से-छोटा टुकडा भी काम मे लाये बिना छोडा नहीं जासकता था ।

मैं अभी शुरुआत के इस भीडे नजारे को देखकर नजर हटा ही रहा था, कि मुझे एक दूसरा डरावना दृश्य दीख पडा । मेरी कोठरी और सहन के ठीक सामने दो चिमनियाँ खडी दिखाई दी, जिनमें से हमेशा गहरा काला धुआँ निकल रहा था, जिसकी हवा कभी-कभी मेरी तरफ आकर मेरा दम घोटने लगती थी । ये जेल के वावर्चीखानो की चिम-नियाँ थी । मैंने बाद में जेल के सुपरिण्टेण्डेण्ट से कहा कि इस मुसीबत से मुझे बचाने के वास्ते चिमनियो पर 'गैसमास्क' लगा दे ।

यह शुरुआत ही अच्छी न थी और न इसके आइन्दा अच्छा होने की ही उम्मीद थी—वही अलीपुर-जेल की अपरिवर्तनीय लाल इंटो की इमारतो का दृश्य और वही वावर्चीखानो की चिमनियो का धुआँ रात-दिन सँस और मुहँ में जाना, सामने था । मेरे सहन में पेड या हरियाली कुछ न थे । वह यो तो पत्थरो का पक्का और साफ बना हुआ था, पर

रोज-रोज धुआँ जम जाने की वजह से बड़ा भद्दा और बदनुमा मालूम होता था। वहींमे पडीसवाले सहनो के एक-दो दरस्तो के ऊपर के सिरे कुछ-कुछ नजर आते थे। मेरे जेल में पहुँचने पर वे दरस्त विला पत्ते और फूलों के ठूँठ-से सजे थे, पर धीरे-धीरे उनमें एक अजीब तवदीली होना शुरु हुई और सब शाखाओ में हरी-हरी कोपले निकलने लगी। कोपलो में से पत्ते निकले और बड़ी जल्दी बढकर उन्होंने नगी शाखाओ को घुगनुमा हरियाली से ढक दिया। यह तवदीली बड़ी सुखद मालूम हुई और अलीपुर-जेल भी बड़ी खुशनुमा होगई।

इनमें मे एक दरस्त में चील का घोंसला था। इसमे मुझे दिल-चस्पी पैदा हुई और मे बड़े चाव से उसे देखा करता था। छोटे-छोटे बच्चे बढ-बढकर उडने की अपनी पैनुक क्ला सीख गये। कमी-कमी तो ऐसी हँसत मे डालनेवाली होशियारी से उढकर झपटते कि सीधे किसी कैदी के हाथ या मुहँ में से रोटी का टुकड़ा झपट लेते।

फरीब-फरीब शाम से सुबह तक हमें अपनी कोठरी में बन्द रहना पडता था और जाड़े की लम्बी रातें काटे न कटती थी। घण्टी पडते-पडते एककर में अपनी कोठरी में इधर-से-उधर टहलना शुरू कर देता, चार-पाँच कदम आगे बढकर फिर लौटना पडता। उस वक्त मुझे चिडिया घर के रीछ के अपने पिंजरे मे इधर-मे-उधर चक्कर काटने का दृश्य याद आजाता था। कमी-कमी जय में बहुत ऊब उठता तो अपना भिय गीर्षामिन करने लगता था।

रात का पहला पहर तो काफ़ी शान्त होता था, केवल शहर की मन्तलिक आवाजें—ड्राम, ग्रामोफोन या दूर से किसी के गाने की स्वर—धीरे-धीरे पहुँचनी थी। इस दूर मे आते हुए धीमे गान की आवाज घुगनुमा मन्मूम होती थी। पर रात मे चैन नही था, क्योंकि जेल के पहरेदार इधर-उधर टहलने रहते थे और हर घण्टे कोई-न-कोई

मुआयना होता रहता था। लालटेन हाथ में लिये कोई अफसर यह देखने आता कि कोई कैदी भाग तो नहीं गया है। हर रोज़ तीन बजे रात से बड़ा शोर-गुल मचता और बर्तन घिसने व भाँजने की आवाज़ आती। उस वक्त रमोई में काम शुरू होजाता था।

प्रेसिडेन्सी-जेल के माफिक अलीपुर-जेल में भी एक बड़ी तादाद वार्डरो व पहरेदारो, अफसरों और क्लर्कों की थी। इन दोनों जेलों की आवादी मिलाकर नैनी-जेल की आवादी (२२००-२३००) के बराबर थी, परन्तु कर्मचारियों की तादाद इन हरेक जेल में नैनी-जेल से दुगनी से भी ज्यादा थी। इनमें कई अग्रेज वार्डर और पेन्शनरियाफता फीजी अफसर भी थे। इससे यह एक बात तो साफ़ ज़ाहिर होती थी कि अंग्रेज़ी-शासन युक्त-प्रान्त के बजाय कलकत्ता में ज्यादा कठोर और खर्चीला है। किसी बड़े अफसर के पहुँचने पर जो नारा सब कैदियों को लगाना पड़ता था वह साम्राज्य की ताकत का एक चिन्ह और याद-दिहानी था। यह नारा था "सरकार सलाम", जो लम्बी आवाज़ में और बदन की कुछ खास हरकत के साथ लगाना पड़ता था। मेरे सहन की चहारदीवारी पर से कैदियों के इस नारे की आवाज़ दिन में कई मर्तबा, और खासकर सुपरिण्टेण्डेण्ट के मुआयने पर हमेशा, आती थी। मेरे सहन की ७ फुट ऊँची दीवार पर से मैं उस 'शाही छत्र' के ऊपरी भाग को देख सकता था जिसके साये में सुपरिण्टेण्डेण्ट गस्त लगाता था।

मैं हररत में आकर सोचने लगता कि क्या यह अजीब नारा 'सरकार सलाम' और उसके साथ की जानेवाली बदन की वह हरकत किमी पुराने ज़माने की यादगार है या किसी मनचले अग्रेज अफसर की ईजाद है? मुझे पता तो नहीं, पर मेरा कयास है कि यह अग्रेजों की ईजाद है। इसमें एक खास किस्म के एग्लो-इंडियनपन की बू आती है। खुश-किस्मती से इस नारे का रिवाज़ सिवा बंगाल और आसाम के युक्तप्रान्त

या हिन्दुस्तान के दूसरे सूत्रों में नहीं है। नरकार की शान को कायम रखने के लिए जिस तरीके से इस सलामी पर जोर दिया जाता है, वह मुझे हकीकत में अलील करनेवाला मालूम होता है।

अलीपुर-जेल में एक नई बात देखकर तो मुझे खुशी हुई। यहाँ के साधारण कैदियों का खाना युक्तप्रान्त के जेलों के खाने से कहीं अच्छा था। जेल के खाने के मामले में तो युक्तप्रान्त दूसरे कई सूत्रों से पिछड़ा हुआ है।

सुहावनी शरद्-ऋतु जल्द बीत गई, विमल वसन्त भी भागता हुआ सा निकल गया, और गर्मी आ गई। दिन-दिन गर्मी बढ़ती गई। मुझे कलकत्ते की आबहवा कभी पसन्द न थी, और चन्द दिनों के वहाँ रहने ने ही मुझे निस्तेज और उत्साह-हीन बना दिया। जेल में तो हालत ऊँदरती तौर पर और भी बुरी होती है। समय बीतता गया और मेरी हालत में कोई उन्नति न हुई। शायद फसरत के लिए जगह को कमी होने और ऐसी आबहवा में कई घंटों कोठरी बन्द रहने से मेरी सेहत कुछ गिर गई और मेरा वजन तेजी से घटने लगा। मुझे तालों, चटखनियों, सीखचों और दीवारों से नफरत-सी होने लग गई।

अलीपुर में एक महीना रहने के बाद मुझे अपने सहन के बाहर कुछ फसरत करने की सहूलियत दी गई। यह तबदीली मुझे पसन्द आई और मैं सुबह-शाम जेल की बड़ी दीवार के सहारे घूमने लगा। धीरे-धीरे मैं अलीपुर-जेल और कलकत्ता की आबहवा का आदी होगया और रसोई-घर भी, मग उसके घुंए और शोर-मुल के, वर्दाक्षत करने लायक बुराई होगई। इस असें मैं मेरे लिए नये-नये मसले खड़े हुए और नई-नई परेशानियाँ तग करने लगी। बाहर की खबरे भी अच्छी नहीं थी।

पूरव और पच्छिम में लोकतन्त्र

अलीपुर-जेल में जब मुझे यह मालूम हुआ कि सच्चा होने के बाद मुझे कोई रोज़ाना अखबार नहीं मिलेगा, तब मुझे बड़ा अचम्भा हुआ। जबतक मेरा मुकदमा चलता रहा तबतक तो मुझे कलकत्ते का रोज़ाना अखबार 'स्टेट्समैन' मिलना रहा, लेकिन मुकदमा खत्म होने के बाद दूसरे ही दिन से वह बन्द कर दिया गया। युक्तप्रान्त में तो १९३२ से 'ए' क्लास था पहले डिबीएन के कैदियों को सरकार की मर्जी का एक रोज़ाना अखबार हमेशा मिलता था। ज्यादातर बाकी के दूसरे सूबों में भी यही बात है। और मैं बिल्कुल इसी खयाल में था कि यही कानून बंगाल के लिए भी लागू होगा। लेकिन वहाँ मुझे रोज़ाना 'स्टेट्समैन' के बजाय साप्ताहिक 'स्टेट्समैन' दिया गया। साफ़ चाहिए कि यह अखबार तो उन अप्रोचों के लिए निकलता है जो हिन्दुस्तान में हाकिमी या रोज़गार करने के बाद वापस इंग्लैण्ड पहुँच जाते हैं। इसलिए इस अखबार में हिन्दुस्तान की उन खबरों का सार रहता है, जिनमें उनकी दिलचस्पी होती है। इस साप्ताहिक में विलायतों की खबरें तो बिल्कुल नहीं होती थी। उनका न होना मुझे बहुत ही अखरता था, क्योंकि मैं उनको सिलसिलेवार पढ़ते रहना चाहता था। खुशकिस्मती से मुझे साप्ताहिक 'मैन्चेस्टर गार्जियन' अखबार भी मिलने लगा था, जिससे मुझे यूरोप के और अन्तर्राष्ट्रीय मामलों की जानकारी होजाती थी।

फरवरी में जब मैं गिरफ्तार हुआ और जब मुझ पर मुकदमा चला तभी यूरोप में बड़ी उथल-पुथल और झगड़े हुए। फ्रान्स में भारी खलबली मची, जिसमें फेसिस्टों ने दगे किये और उसकी वजह से राष्ट्रीय

सरकार कायम हुई। इससे भी बुरी बात यह थी कि आस्ट्रिया का चान्सलर डॉल्फस मन्त्रियों पर गोलियाँ चलवा रहा था, और सामाजिक लोकतन्त्र के विनाश-भवन को ढा रहा था। आस्ट्रिया में होने वाली खून-खराबी की खबर सुनकर मुझे वडा दुःख हुआ। यह दुनिया कौसी बुरी और खूनी जगह है और इन्सान भी अपने स्थापित स्वार्थों की हिफाजत करने के लिए कैसा बर्बर बन जाता है ? ऐसा मालूम पडता था कि तमाम यूरोप और अमेरिका में फेसिज्म का जोर बढता जाता है। जब जर्मनी में हिटलर का आविष्यतप्य हुआ तब मुझे यह मालूम होता था कि उसकी हुकूमत ज्यादा दिनों तक नहीं चल सकेगी, क्योंकि उसने जर्मनी की आर्थिक कठिनाइयों का कोई हल पेश नहीं किया था। इसी तरह जब दूसरी जगह भी फेसिज्म फैला तब भी, मैंने अपने मन को यह सोचकर तसल्ली दी कि यह प्रतिक्रिया की आखिरी मञ्चिल है, इसके बाद सब वन्धन टूट जायेंगे। लेकिन मैं अब यह सोचने लगा, कि मेरा यह खयाल कहीं मेरी स्वाहिष् से ही तो नहीं पैदा हुआ ? क्या सचमुच यह बात इतनी साफ दिखाई देती है कि फेसिज्म की यह लहर इतनी आसानी से या इतनी जल्दी पीछे लौट जायगी ? यदि ऐसी हालत पैदा होगई, जो फेसिस्ट डिक्टेटो के लिए असह्य हो, तो क्या वे 'हुकूमत की वागडोर को छोड देने के बदले' अपने देशों को सत्यानाशी लडाई में न जुटा देंगे ? ऐसी लडाई का नतीजा क्या होगा ?

इस बीच में फेसिज्म कई किस्मों और तरह-तरह की शकलों में फैलता गया। स्पेन, वह 'ईमानदार लोगों का नया प्रजातन्त्र' जिसे किसीने सरकारी का खास 'मैग्नेस्टर गार्जियन' कहा था, बहुत पीछे जाकर प्रतिक्रिया के गडबे में जापडा था। स्पेन के लिबरल नेताओं के मनोहर शब्द और 'मली-मली' बातें देश की अघोगति को न रोक सकी। हर जगह मौजूदा हालतों का मुकाबिला करने में लिबरल-नीति

विलकुल बेकार साबित हुई है। यह दल शब्दों और वाक्यों से चिपटा रहता है और समझता है कि बातें काम की जगह ले सकती हैं। इसी-लिए जब कभी नाचुक वक्त आता है तब वह उसी तरह आसानी से गायब हो जाता है जैसे सिनेमा के अन्त में तसवीर।

आस्ट्रिया के दुखान्त नाटक के बारे में 'मैन्चेस्टर गार्जियन' के अग्रलेखों को मैं बड़ी दिलचस्पी के साथ पढ़ता था और उनकी कद्र भी करता था। "और इस खूनी लड़ाई के बाद किस रूप में आस्ट्रिया हमारे सामने आया? एक ऐसा आस्ट्रिया जिसपर यूरोप का सबसे ज्यादा प्रतिक्रियावादी दल राइफलो और मशीनगनों से हुकूमत कर रहा है।" "अगर इंग्लैण्ड आज़ादी का हामी है तो उसके प्रधान मन्त्री का मुँह इतना बन्द क्यों है? डिक्टेटरशाहियों की उन्होंने जो तारीफें की हैं वे हमने सुनी हैं, हमने उन्हें यह कहते हुए सुना है कि डिक्टेटरी 'कौम की आत्मा को जिन्दा रखती है' और 'एक नया जलवा और नई नाकत पैदा करती है।' लेकिन इंग्लैण्ड के प्रधान मन्त्री को उन जुल्मों की बात भी तो कुछ कहना चाहिए, जो, चाहे वे किसी भी देश में हों, यद्यपि जाहिरा तौर पर का नाश करते हैं, किन्तु उससे कहीं अधिक बार आत्मा को बुरी मौत मारते हैं।"

लेकिन अगर 'मैन्चेस्टर गार्जियन' आज़ादी का ऐसा हामी है, तो क्या बजह है कि जब हिन्दुस्तान में आज़ादी को कुचला जाता है तब उसका मुँह बन्द होजाता है? हम लोगों को भी तो न सिर्फ शारीरिक तन्त्रियों के उठानी पड़ी है बल्कि उससे भी बदतर आत्मा के कष्ट भी भोगने पड़े हैं।

"आस्ट्रिया का लोकतन्त्र नष्ट कर दिया गया है, यद्यपि उसके लिए यह बात हमेशा गौरव की रहेगी कि वह मरते-मरते तक लड़ा और इम तरह उसने एक ऐसी कहानी पैदा करदी, जो आगे आनेवाले बरसों में किसी दिन यूरोपीय आज़ादी की आत्मा को फिर जगा देगी।"

“उस यूरोप ने जो कि आजाद नहीं है, साम लेना बन्द कर दिया है, अब उसमें स्वस्थ भावनाओं का आवागमन नहीं होता, धीरे-धीरे उसका दम घुटने लगा है और उसकी जो मानसिक बेहोशी नजदीक आ-रही है उसे सिर्फ उग्र शकस्रोतों या भीतरी दीरों और दाहिने-बायें हर तरफ घडाघड वार करने से ही बचाया जा सकता है । राइन नदी से लेकर यूरोप पर्वत तक यूरोप एक बड़ा जेलखाना बना हुआ है।”

ये वाक्य कैसे हृदय-ग्राही थे ! मेरे दिल में इनकी प्रतिध्वनि होती थी, लेकिन साथ ही मैं सोचता, कि हिन्दुस्तान की वास्तव क्या है ? यह कैसे हो सकता है कि 'मैन्चेस्टर गार्जियन' या इंग्लैण्ड में जो बहुत-से आजादी के दीवाने हैं वे हमारी हालत की वास्तव इतने उदासीन रहते हैं ? दूसरी जगह जिन बातों की वे इतने खोरो से निन्दा करते हैं, जब वही बातें हिन्दुस्तान में होती हैं, तो उनकी तरफ वे क्यों नहीं देखते ? बीस बरस पहले, महायुद्ध शुरू होने से कुछ ही पहले, अंग्रेजों के एक बड़े लिबरल नेता ने, जो उन्नीस वीं सदी के परम्परा में पले थे, स्वभाव से फूँक-फूँककर कदम रखते थे और अपनी भाषा पर सयम रखते थे, यह कहा था कि “इससे पहले कि कानून पर ताकत की दुखदायी जीत को मैं चुपचाप देखूँ, मैं यह देखना पसन्द करूँगा कि हमारा यह मुल्क इतिहास के पन्ने से मिटा दिया जाय ।” कितना बहादुराना खयाल है, और कैसे धारा-प्रवाह डेंग से कहा गया है ! इंग्लैण्ड के बहादुर नौजवान लाखों की तादाद में इस खयाल को पूरा करने के लिए लड़ाई के मैदान में गये । लेकिन अगर कोई हिन्दुस्तानी मि० एस्किवथ के समान बयान देने की हिम्मत करे, तो उसका क्या हाल होगा ?

राष्ट्रीय मनोवृत्ति बहुत ही जटिल होती है । हममें से ज्यादातर लोग यह समझते हैं कि हम बड़े इन्साफ पसन्द और निष्पक्ष हैं । हमेशा श्रुती हमरा धरस या दूसरा मुल्क ही करता है । हमारे दिमाग में

रही-न-यही यह उत्पीनान छिपा रहता है कि हम वैसे नहीं है जैसे दूसरे लोग हैं, हममें और दूसरों में जतर फरक है—यह दूसरी बात है कि प्रगफत की वजह से हम बारबार उस बात को न कहें । अगर खुज-किम्ती ने हम किमी ऐसी गाही कौम के होते ओ दूसरे मुल्को के भाग्य की विधाता ही, नव तो हमारे लिए यह उत्पीनान न करना भी मुश्किल होजाना कि हमारी नवोत्तम दुनिया मे सभी बातें सर्वोत्तम है, और जो लोग क्रान्ति के लिए आन्दोलन करते हैं वे केवल खुदगर्ज और क्रम में पडे हुए ब्रेवकूप ही नहीं हैं बल्कि हमारे लिए अनेक लाभ प्राप्त करके भी कुतन्मता करनेवाले हैं ।

अंग्रेज टापू में रहनेवाली और सकुचित दृष्टि रखनेवाली जाति है और उतनी मूढत तक की कामयावी और खुजहाली ने उसे इतना घमडी बना दिया है कि अंग्रेज करीब-करीब दूसरी सब कौमो को घृणा की नजर में देखते हैं । जैसा कि किसीने कहा है, 'उनकी राय में इरलैण्ड के ममुद्र से आगे हवशी-ही-हवशी रहते हैं ।' लेकिन यह तो एक विलकुल साधारण बात है । शायद ब्रिटिश कौम के ऊँचे दर्जे के लोग दुनिया को ऊँच-नीच के हिसाब से इस तरह बाँटेंगे—(१) सबसे पहले ब्रिटेन, उनके बाद बहुत दूर तक कुछ नहीं, फिर (२) ब्रिटिश उपनिवेश—इनमें भी सिर्फ सफेद चमडीवाले और अमेरिका (सिर्फ एग्लो-सेक्शन अमेरिका—जागो, इटैलियन बगंरा नहीं), (३) पश्चिमी यूरोप, (४) बाकी यूरोप (५) दक्षिणी अमेरिका (लैटिन कौम), और फिर बहुत दूर तक कोई नहीं । इसके बाद और सबसे नीचे के नम्बर पर एशिया और अफ्रीका की काली-पीली भूगी कौमो के बादमी, जो कम-बढकर सब एक ही बोरे में भर दिये जासकने योग्य समझे जाते हैं ।

इन दर्जों में आखिरी दर्जे के हम लोग उस ऊँचाई से कितनी दूर हैं, जिसपर हमारे घासक रहते हैं ? ऐसी हालत में क्या यह कोई अचरज

की बात है कि जब वे उत्तरी ऊँचाई से हमारी तरफ देखते हैं तब उनकी नजर धुँधली होजाती है, और जब हम लोकतन्त्र और आजादी की बातें करते हैं तब वे हमसे चिढ़ते हैं ? ये शब्द हमारे इस्तेमाल के लिए थोड़े ही घड़े गये थे । क्या यह बात एक बड़े लिबरल राजनीतिज्ञ जॉन मार्ले ने नहीं कही थी, कि वह बहुत दूर के धुँधले भविष्य में भी इस बात की कल्पना तक नहीं कर सकते कि हिन्दुस्तान में लोकतन्त्रीय सस्यायें कायम होंगी ? हिन्दुस्तान के लिए लोकतन्त्र ऐसों ही है, जैसा कनाडा के लिए फरो का बहुत गरम कोट (यानी उसकी आबोहवा के खिलाफ) । और इसके बाद उस मजदूर दल ने जो समाजवाद का झण्डा लिये फिरता था, सब पददलित लोगो का हिमायती बनता था, अपनी जीत की पहली खुशी में हमें सन् १९२४ के वेगाल-आर्डिनेन्स को फिर से जारी करने का इनाम दिया, और उनके दूसरे शासन-काल में हमारा हाल और भी बुरा रहा । मुझे इस बात का पूरा भरोसा है कि उनमें से कोई हमारा बुरा नहीं चेतता और जब वे लोग हमें अपने, व्याख्याता के, सर्वोत्तम ढँग से 'बहुत ही प्यारे विश्ववन्धु !' कहकर पुकारते हैं तब वे अपनी कर्त्तव्यपरायणता पर अपने को कृतकृत्य समझते हैं । लेकिन उनकी राय में हम उतने ऊँचे नहीं हैं, जितने कि वे खुद हैं, अतः उनके विचार में हमारे पैमानों से ही हमारी जाँच होनी चाहिए । माया और मामूलीक भेद-भावों के कारण अंग्रेज और फ्रांसीसी के लिए यह काफी मूँगल है कि वे एक ही तरह में सोचें । ऐसी हालत में एक एशियाई में और एक अंग्रेज में तो और भी ज्यादा फर्क होगा ।

हाउ ही में, हाउम ऑफ लाउंस में, हिन्दुस्तान को दिये जानेवाले नामान-मुगारों के प्रश्न पर बहते होरज़ी थी और अनेक सम्माननीय लॉर्डों ने उन प्रश्न में शहन-मे विचारपूर्ण व्याख्यान दिये । इनमें एक थे लॉर्ड रिडन, जो हिन्दुस्तान में एक मूवे में शवर्नर रह चुके थे और कुछ समय

के लिए जिन्होंने वाइसराय की हैसियत से भी काम किया था। अक्सर कहा जाता है कि वह एक उदार और हिन्दुस्तान से सहानुभूति रखने-वाले गवर्नर थे। उनके व्याख्यान की रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने कहा कि "भारत-सरकार सारे हिन्दुस्तान की कहीं अधिक प्रतिनिधि है बनिस्वत कांग्रेसी नेताओं के। वह हिन्दुस्तान के हाकिमों की, फौज की, पुलिस की, राजाओं की, लड़नेवाले रेजीमेण्टों की और हिन्दू तथा मुसलमान दोनों की तरफ से बोल सकती है, जबकि कांग्रेस के नेता हिन्दुस्तान की बड़ी कौमो में से किसी एक कौम की तरफ से भी नहीं बोल सकते।" इतना कहने के बाद उन्होंने आगे चलकर अपना आशय और भी स्पष्ट किया—“जब मैं हिन्दुस्तानियों की बात कहता हूँ, तब मैं उन लोगों का खयाल करता हूँ, जिनके सहयोग का मुझे भरोसा करना पडा था और जिनके सहयोग पर भावी गवर्नरों और वाइसरायों को भरोसा करना पड़ेगा।”

उनके इस भाषण से दो दिलचस्प बातें निकलती हैं—एक तो यह कि उनके विचार में जो हिन्दुस्तान किसी गिनती में है वह तो वही है जो ब्रिटिश सरकार की मदद करता है, और दूसरे, ब्रिटिश सरकार हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा प्रतिनिधि-स्वरूप और इसलिए सबसे ज्यादा लोकतन्त्रीय सस्था है। इस दलील का इतनी सजीवगी से दिया जाना यह चाहिए करता है कि अंग्रेजी के शब्द स्वेच नहर से पार होते ही अपना अर्थ बदल देते हैं। इस तरह की दलील का दूसरा और साफ मतलब यह होगा कि स्वेच्छाचारी सरकार ही सबसे ज्यादा प्रातिनिधिक और लोकतन्त्रीय स्वरूप की होती है, क्योंकि बादशाह सबका प्रतिनिधित्व करता है। इस तरह हम फिर लौट-फिरकर बादशाह के ईश्वरीय अधिकार पर पहुँच जा सकते हैं। स्वेच्छाचार-शिरोमणि फ्रेञ्च-सम्राट् लुई

१. हाउस ऑफ लॉर्ड्स, १७ दिसम्बर १९३४।

बादहवे ने भी तो कहा था न कि 'राज्य—राज्य तो मैं ही हूँ मैं ?'

सच बात तो यह है कि हाल में विशुद्ध स्वेच्छाचार को भी एक नामी समर्थक मिल गया है। इण्डियन सिविल सर्विस के आभूषण सर माल्कम हेली ने, ५ नवम्बर १९३४ को बनारस में युक्तप्रान्त के गवर्नर की हैसियत से बोलते हुए, कहा था कि देशी रियासतों में स्वेच्छाचारिता ही रहनी चाहिए। इस सलाह की ऐसी कोई जरूरत न थी, क्योंकि कोई भी हिन्दुस्तानी रियासत अपनी खुशी से स्वेच्छाचारिता को नहीं छोड़ेगी। इसी कौशिक में एक और दिलचस्प तरकीब यह हुई है कि, यूरोप में लोकतंत्र के नाकामयाब होने के आधार पर इस स्वेच्छाचारिता को कायम रखने की बात कही जाती है। मैसूर के दीवान सर मिर्जा इस्माइल ने इस बात पर अपना आश्चर्य प्रकट किया, कि "एक तरफ जबकि हर जगह पार्लेमेण्टरी लोकतंत्र नाकामयाब हो रहा है, दूसरी तरफ इनकलाबी सुधारों की वकालत की जाती है।" "मुझे विश्वास है कि हमारे राज्य की अन्तरात्मा यह महसूस करती है कि हमारा मौजूदा विधान करीब-करीब असली राजनैतिक कामों के लिए काफी लोकनवीय है।" मेरे खयाल में मैसूर की 'अन्तरात्मा' वहाँ के शासक और दीवान की दार्शनिक भावना है। मैसूर में इन दिनों जो लोकतंत्र जारी है, वह स्वेच्छाचार से किसी कदर भिन्न नहीं है।

अगर लोकतंत्र हिन्दुस्तान के लिए मौजूद नहीं है, तो ऐसा मालूम पड़ता है कि वह मिल के लिए भी उतना ही बेमौजू है। इन दिनों जेल में मुझे रोजाना 'स्टेट्समैन', दिया जाता है। उसमें मेने मिश्र की राजधानी कैरो से भेजा हुआ खरीता अमी हाल ही पढ़ा है।^१ उस खरीते में कहा गया है कि वहाँ के प्रधान-मंत्री नसीमपाशा के "इस ऐलान ने

१. मैसूर . २१ जून १९३६। पृष्ठ ६४३ का भी नोट देखिए।

२. १९ दिसम्बर १९३४।

कि उन्हें 'यह उम्मीद है कि तमाम राजनैतिक पार्टियाँ, खासतौर पर वपद-पार्टी, एक होजायेंगी, और एक होकर या तो राष्ट्रीय परिषद् बरके या विधान-विधायक असेम्बली का चुनाव करके उनके जरिये नया विधान तैयार करायेंगी', जिम्मेदार लोगों में कुछ कम भय पैदा नहीं किया है, नयाफि आखिर इसके मानी यही होते हैं कि लोकतंत्रीय सरकार फिर से कायम होजाय, जो, इतिहास जाहिर करता है, मिस्र के लिए हमेशा सतरनाक साबित हुई है, क्योंकि उसकी प्रवृत्तियाँ पिछले जमाने में हमेशा हुल्लडपन से दब जाने की रही हैं। मिस्र की आन्तरिक राजनीति और उसकी प्रजा की जानकारी रखनेवाले किसी भी शख्स को क्षणभर के लिए भी इस बात में कोई शक नहीं होसकता कि चुनाव का नतीजा यह होगा कि फिर वपद-पार्टी का बहुमत होजाय। इसीलिए हम कार्रवाई को रोकने का बहुत जल्द प्रयत्न न किया गया तो हमपर बहुत जल्दी ऐसा शासन आजायगा जो घोर उग्र लोकतंत्रीय, विदेशियो का विरोध और क्रान्तिकारी होगा।"

यह भी कहा गया है कि चुनाव में "वपद-पार्टी का मुकाबिला करने के लिए" शासको को प्रभाव डालना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती यह है कि "प्रधान-मंत्री को कानून की पाबन्दी का बहुत खयाल रहता है।" इसलिए हमसे कहा गया है कि अब सिर्फ एक ही रास्ता रह जाता है और वह यह कि ब्रिटिश सरकार बीच में पड़े और "यह बात सबको जाहिर करदे कि वह इस किस्म के शासन का फिर से कायम होना बर्दाश्त नहीं करेगी।"

ब्रिटिश सरकार क्या करेगी या क्या नहीं करेगी और मिस्र में क्या होगा, मुझे कुछ पता नहीं।^१ लेकिन शायद आजादी के दीवाने एक

१. नवम्बर १९३४ में मिस्र पर अंग्रेजों के अधिकार के खिलाफ मुल्क-भर में दंगे हुए थे।

अंग्रेज द्वारा पेश की गई दलील से हमें मित्र और हिन्दुस्तान की हालत की जटिलता को समझने में थोड़ी मदद जरूर मिलती है। जैसा कि 'स्टेट्समैन' ने एक अग्रलेख में कहा है—“मूल बुराई तो यह है कि ज़िन्दगी के जिस तरीके से और दिमाग के जिस रुख से लोकतंत्र का विकास होता है उससे साधारण मिस्री बोटर की ज़िन्दगी के तरीके और उसके दिमाग के रुख का मेल नहीं मिलता।” इस मेल के न मिलने की मिसाल भी आगे दी गई है “यूरोप में अक्सर लोकतंत्र इसलिए नाकामयाब हुआ है, क्योंकि वहाँ बहुत-से दल कायम हो गये हैं। लेकिन मित्र की मुश्किल तो यह है कि वहाँ सिर्फ एक बपद-पार्टी ही है।”

हिन्दुस्तान में हमसे कहा जाता है कि हमारा साम्प्रदायिक भेदभाव हमारी लोकतंत्र की तरक्की का रास्ता रोकता है और इसीलिए अकाट्य तर्क के साथ इन भेदभावों को हमेशा स्थायी बनाया जाता है। हमसे यह भी कहा जाता है कि हम लोगो में काफ़ी एका नहीं है। मित्र मे किसी किस्म का साम्प्रदायिक भेदभाव नहीं है और ऐसा मालूम पड़ता है कि वहाँ पूर्ण राजनैतिक एका मौजूद है। लेकिन वहाँ यही एकता उसके लोकतंत्र और उसके स्वाधीनता के रास्ते का रोड़ा बन जाती है। सच-मुच लोकतंत्र का रास्ता सीधा और ता है। पूर्वी देशों के लिए लोकतंत्र का सिर्फ एक ही अर्थ है, और वह यह कि साम्राज्यवादी शासक-मत्ता जो हुकम दे उमे बजा लाया जाय और उसके किसी भी स्वार्थ में शाय न उला जाय। इन जर्तों के मान लेने पर लोकतंत्रीय स्वाधीनता वहाँ भी बे-गैर-टोकर फूट-फल नरूती है।

नैराशय

“अब तो यही लालसा है माँ, जाऊँ आकुल लेंट वहाँ,
ठंडी-ठंडी मधुर मनोरम हरियाली हो बिछी जहाँ,
माँ घरणी ! चरणों पर तेरे निपट निराश-अधीन,
थके हुए इस बालक के वे स्वप्न सभी होगये विलीन” ।’

अप्रैल आगया । अलीपुर में, मेरी कोठरी में, मेरे पास बाहर की घटनाओं की वास्तव्य अफवाहें पहुँची—ऐसी अफवाहें जो दुःख और बेचैनी पैदा करनेवाली थी । एक दिन जेल में सुपरिण्टेण्डेण्ट ने मुझे इत्तिला वी कि गाँधीजी ने सत्याग्रह की लडाई वापस लेली है । मुझे इससे ज्यादा कुछ मालूम नहीं होसका । मुझे यह खबर अच्छी नहीं लगी और जिस चीज को मैं इतने वरसों से इतना चाहता था उसको इस तरह वापस ले लिये जाने पर मुझे रज हुआ । फिर भी मैंने अपने को समझाया कि उसका अन्त होना तो लाजिमी था । अपने मन में मैं यह जानता था कि कम-से-कम कुछ वक्त के लिए सत्याग्रह की लडाई कभी-न-कभी बन्द करनी ही पड़ेगी । मुमकिन है कि कुछ शरत्स नतीजों की परवा न करके अनिश्चित काल तक लड़ते रहें लेकिन राष्ट्रीय सत्यायें ऐसा नहीं करती । मुझे इस बात में कोई शक न था कि गाँधीजी ने देश की स्थिति और अधिकाँस काँग्रेसवादियों के मनोभावों को ठीक तरह समझ लिया था और यद्यपि जो कुछ हुआ वह अच्छा नहीं मालूम होता था फिर भी मैंने अपने-आपको नवीन परिस्थिति के अनुकूल बनाने की कोशिश की ।

१. अग्नेही पद्य का भावानुवाद

अस्पष्ट रूप में यह चर्चा भी मुझे सुनाई दी कि कांसिलो में जाने की गरज से पुरानी स्वरज-पार्टी को फिर से जिन्दा करने की नई कोशिश की जा रही है। यह बात भी मुझे अनिवार्य मालूम होती थी और मेरी तो बहुत दिनों में यह राय थी कि कांग्रेस अगले चुनावों से अलग नहीं रह सकती। जब मैं पाँच महीने जेल से बाहर था, तब मैंने कांसिलो की तरफ बढ़नेवाली इस प्रवृत्ति को रोकने की कोशिश की थी, क्योंकि मैं समझता था कि अभी वह वक्त से पहले थी, और उसकी वजह से न सिर्फ सीधी लड़ाई से ही लोगों का ध्यान हटता था बल्कि सामाजिक श्रान्ति के उन नये खयालों के विकास से भी बाधा पड़ती थी जो कांग्रेसवालों के दिलों में घर करते जा रहे थे। मैं समझता था कि यह सकट जितने दिन ज्यादा बना रहेगा, उतने ही ज्यादा ये खयाल हमारे यहाँ सर्वसाधारण और पढ़े-लिखे लोगों में फैलेंगे और हमारी राजनीतिक और माली हालत की तह में जो असलियत है वह जाहिर होजायगी। जैसा कि लैनिन ने कही कहा है—“कोई भी और हरेक राजनैतिक सकट उपयोगी है, क्योंकि वह छिपी हुई चीजों को रोशनी में लेआता है, राजनीति की तह में जो वास्तविक शक्तियाँ काम कर रही हैं उन्हें दिखा देता है, वह झूठ का, भ्रम पैदा करनेवाले मन्दबाल का और गपोंओं का भण्डाफोड कर देता है, वह असली बातों को पूरी तरह दिखा देता है, और तथ्य क्या है इन बातों को समझने के लिए लोगों को मजबूर कर देता है।” मुझे उम्मीद थी कि इस क्रिया का परिणाम यह होगा कि हमने कांग्रेसवालों का दिमाग साफ होजायगा और तंत्रिम एक निश्चिन्त ध्येयबान्ति लोगों की मजबूत जमात हो जायगी। नागर उनमें कुछ कमजोर हिस्से उभरे जायेंगे। लेकिन इसमें कोई शक न होगा और जब सभी उभरी मोर्चा त्रुटि वा मोर्चा उत्पन्न करने और वैधानिक व गान्धी तरीकों के नाम में पुकारे जानेवाले माधवों से

काम लेने का वक्त आयागा, तब काँग्रेस के आगे बढ़े हुए, वास्तव में क्रियाशील पक्ष के, लोग इन तरीकों का भी, हमारे अन्तिम लक्ष्य की व्यापक दृष्टि से, इस्तैमाल करेंगे ।

आहिर तौर पर मालूम होता था कि वह वक्त आगया है । लेकिन मुझे यह देखकर बड़ी परेशानी हुई कि जो लोग दरअसल सत्याग्रह की लड़ाई और काँग्रेस के कारगर कामों के आभार-स्तम्भ रहे हैं वे पीछे को हट रहे हैं और दूसरे लोग जिन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया अपनी हुकूमत जमाने लगे हैं ।

इसके कुछ दिन बाद मेरे पास हफ्तेवार 'स्टेडमैन' आया और उसमें मैंने वह वक्तव्य पढ़ा जो गांधीजी ने सत्याग्रह को वापस लेते हुए दिया था । उसे पढ़कर मुझे बड़ी हैरत हुई और मेरा दिल बैठ गया । मैंने उसे बार-बार पढ़ा, और सत्याग्रह और दूसरी ज्यादातर बातें मेरे दिमाग से गायब होगईं और उनकी जगह शक और नघर्प में मेरा दिमाग भर गया । गांधीजी ने लिखा था—“इस वक्तव्य की प्रेरणा सत्याग्रह-आश्रम के साथियों से हुई, एक आपसी बातचीत का परिणाम है ।” इसका मुख्य कारण वह आपसे ज़ोलनेवाली खबर थी जो मुझे अपने एक बहुत पुराने और बहुमूल्य साथी के सम्बन्ध में मिली थी । वह जेल का काम पूरा करने को राजी न थे और उसके द्वाय विनाये पटना पसन्द करते थे । यह सब कुछ सत्याग्रह के नियमों के नर्वंदा विरुद्ध था । इस बात से इस मिन की, जिसे कि मैं बहुत क्षिप्त प्यार करता था, दुर्बलताओं की अपेक्षा मुझे अपनी दुर्बलताओं का क्षिप्त बोध हुआ । उन मिन ने कहा था कि 'मेरा ज्वाल है कि आप मेरी दुर्बलता को जानते हैं, लेकिन मैं क्या पा । मेरा मैं अज्ञानन अक्षम्य अपराध है । मैंने पौरन यह भाँप लिया कि कानून के समय के लिए तो मैं अकेला ही सत्य गत्याग्रही हूँगा ।

अगर गांधीजी के मित्र नें यह दुर्बलता या दोष था—अगर वह अक्षुब्ध दुर्बलता थी—तो भी यह एक मामूली-सी बात थी। मैं यह स्वीकार करता हूँ कि मैं अक्सर इन जुर्म का अपराधी रहा हूँ और मुझे उत्पन्न रस्तों में भी अफ़सोस नहीं है। लेकिन अगर वह मामला बहुत भारी भी होना तो भी क्या वह महान् राष्ट्रीय संग्राम, जिसमें बीमियों हज़ार प्रत्यक्ष रूप में और लाखों आदमी अप्रत्यक्ष रूप में लगे हुए हैं, महज़ इसलिए कि किसी एक शस्त्र ने कोई प्रलती कर डाली अमानक रोक दिया जाना चाहिए? यह बात मुझे बहुत भयकर और हृत्तरह अनीतमय मालूम हुई। मैं इस बात की घुष्टता हो नहीं कर सकता कि मैं यह बताऊँ कि मत्प्राप्त क्या है और क्या नहीं है लेकिन अपने साधारण तरीके पर मैंने भी कुछ आचार-सम्बन्धी आदर्शों के पालन करने का प्रयत्न किया है। गांधीजी के इस वक्तव्य से मेरे उन सब आदर्शों को घटका लगा और वे सब गडबड होगये। मैं यह जानता हूँ कि गांधीजी आमतौर पर महज़-ज्ञान के मुनाबिक काम करते हैं। गांधीजी उसे अपनी अन्तरात्मा की प्रेरणा या प्रार्थना का प्रतिफल कहते हैं, लेकिन मैं उसे महज़-ज्ञान कहना ही पसन्द करता हूँ, और अक्सर ज्यादातर उनका यह महज़-ज्ञान सही निकलना है। उन्होंने बराबर यह दिखा दिया है कि जनता की मनोवृत्ति को समझने और उपयुक्त समय पर काम करने से उनमें कैसी विलक्षण मूस है। काम कर डालने के बाद उस काम को ठीक ठहराने के लिए वह पीछे में जो कारण पेश करते हैं वे आमतौर पर काम कर बैठने के बाद के माचे हुए खयालात होने हैं और उनमें घायद ही नवीं रिनीका पूरी तमली हीनी ही। नकटकाल में नैना या कर्मवंग पुरन बगैव-करीव हमेशा किसी अजात-प्रेरणा में काम करने में और त्रि उमके त्रि कर्ण हूँदने लगने हैं। मैंने यह भी महसूस किया कि सन्नाप्रद से मुन्तवी करने गांधीजी ने ठीक ही किया।

लेकिन उसे मुक्तवी करने के जो कारण उन्होंने बताये हैं वे वृद्धि के लिए अपमानजनक और एक राष्ट्रीय आन्दोलन के नेता के लिए बहुत ही आश्चर्यजनक मालूम होते थे। इस बात का तो उन्हें पूरा हक था कि वह अपने आश्रम में रहनेवालों के साथ जैसा चाहते बर्ताव करते, क्योंकि उन लोगो ने सब तरह की प्रतिज्ञायें ले रखी थी और एक तरह का निश्चित अनुशासन स्वीकार कर रखा था। लेकिन कांग्रेस ने ऐसी कोई बात नहीं की थी। मैंने ऐसी कोई बात नहीं की थी। फिर हमें उन सब कारणों के लिए, जो हमें आध्यात्मिक और रहस्यमय मानूम होते थे, और जिनमें हमें कोई दिलचस्पी नहीं थी, कभी इधर कभी उधर क्यों फंका जाता था ? क्या कभी ऐसे आघारो पर किसी राजनैतिक आन्दोलन के चलाये जाने की कल्पना की जासकती है ? मैं यह मानता हूँ कि सत्याग्रह के नैतिक पहलू को अपनी समझ के मुताबिक मैंने एक हद तक स्वीकार कर लिया था। उसका वह बुनियादी पहलू मुझे पसन्द था और उससे ऐसा मालूम होता था कि वह राजनीति को अधिक उच्च और श्रेष्ठ पद पर पहुँचा देगा। मैं यह भी मानने के लिए तैयार था कि महान् उद्देश अच्छा होने से उसे हासिल करने लिए काम में लाये जानेवाले सब प्रकार के उपाय अच्छे नहीं हैं। लेकिन यह नई तरकीब या नई व्याख्या उससे कहीं ज्यादा दूर जाती थी और उससे कुछ नई बातें उठ खड़े होने की सम्भावना थी, जिन्होंने मुझे विचलित कर दिया।

उस सारे वक्तव्य ने तो मुझे बहुत ज्यादा विचलित और परेशान किया। उसके अन्त में गांधीजी ने कांग्रेसवालों को जो सलाह दी वह यह थी—“उन्हें आत्मत्याग और स्वेच्छापूर्वक ग्रहण की गई दरिद्रता की कला और सुन्दरता को समझना होगा, उन्हें राष्ट्र-निर्माण के काम में लग जाना चाहिए, उन्हें स्वयं हाथ से कात-बुनकर खहर का प्रचार करना चाहिए, उन्हें जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में एक दूसरे के साथ निर्दोष

सम्पन्न शक्ति बन्दे प्रोगा न तन्नाम मास्त्रनातिन ऐव न क पीन नीना चादिण, मर जगन उतात्ता ज्ञान तन्नाम न त प्रनेन म्ना मे निराग्य तना चादिण और तनेमना न म.१ मनातं म्नाति बन्ने और धपने आरण का मति म्नाक मारन नादी के न्नाक का प्रसार तन्ना चादिण । ये मनामे ई जिते ज्ञान गरीयो की नन्ना विर्गैर हीसतना है । जो लोग गरीयो में न नर मरीये, उन्ने किरी छोटे राष्ट्रीय धन्ये में पड जाना चादिण, जिनमें भेरा मित्र मर ।”

यह या यह राजनैतिक कार्यरत, जिसे पूरा करने के लिए हमने कहा गया था । ऐसा मानूँ पटना या हिण्ड वरु वडा अन्तर मुझे उनसे अलग कर रहा हूँ । अत्यन्त तीव्र वेदना के मय में मेरे मत भग्न किया कि भक्ति के वे सूत्र, जिन्होंने इनके मर्षों में उनमें जाँघ रारा था, टूट गये हैं । बहुत दिनों से मेरे भीतर एक मानसिक उग्र होगटा था । गाधीजी ने जो बातें की उनमें से बहुत-सी बातें न तो मेरी समझ में ही आई, न वे मुझे पसन्द ही पडी । सत्याग्रह को लड़ाई जारी रहते हुए, उसी बीच में जबकि उनके साथी लडाई की भेदधार में थे, उनके उपवास और दूसरी बातों में अपनी ताकत लगाना, उनकी निजी और स्वय-निर्मित उलझने जिन्होंने उन्हें इस असाधारण स्थिति में डाल दिया कि जेल से बाहर रहते हुए भी उन्हें अपने लिए यह प्रतिज्ञा करनी पडी कि वह राजनैतिक आन्दोलन में भाग नहीं लेगे, उनकी नई-नई निष्ठाओं और नई प्रतिज्ञाओं, जिन्होंने उनकी पुरानी निष्ठाओं और प्रतिज्ञाओं और कामों को, जो उन्होंने बहुत-से अपने साथियों के साथ लिये थे, और जो अन्तक पूरे न हो सके थे, पीछे ढकेल दिया । इन सबने मुझे बहुत ही परेशान किया । मैं चन्द दिन जो जेल से बाहर रहा, उस समय मैंने इन और दूसरे मतभेदों को बहुत ही महसूस किया । गाधीजी ने कहा था कि हमारे मतभेदों का कारण स्वभावों की भिन्नता है । लेकिन शायद बात

इससे और भी आगे बढ़ी हुई थी। मैंने यह अनुभव किया कि बहुत-से मामलों में मेरे साफ और निश्चित विचार हैं और वे उनके विचारों से नहीं मिलते। और फिर भी अबतक मैं इस बात की कोशिश करता रहा कि जहाँतक हो सके, राष्ट्रीय आज़ादी के जिस ध्येय के लिए कांग्रेस कोशिश कर रही थी और जिसके प्रति मेरी अत्यन्त भक्ति थी उसके सामने, मैं अपने खयालों को दबाये रखूँ। अपने नेता और अपने साथियों के प्रति वफादार और विश्वासपात्र बनने की मैंने हमेशा कोशिश की क्योंकि मेरे आध्यात्मिक दृष्टिबिन्दु से ध्येय के प्रति निष्ठा और अपने साथियों के प्रति वफादारी का स्थान बहुत ऊँचा है। जब-जब मैंने यह महसूस किया कि मुझे अपने आध्यात्मिक विश्वास के लगर से दूर खींचा जा रहा है, तब-तब मुझे अपने मन में बड़े-बड़े अन्तर्द्वन्द्व लड़ने पड़े हैं, लेकिन उस वक्त मैंने किसी-न-किसी तरह समझौता कर लिया। शायद ऐसा करके मैंने गलती की, क्योंकि यह तो किसीके लिए ठीक नहीं होसकता कि वह अपने आध्यात्मिक लगर को छोड़ दे। लेकिन आदर्शों की इस टक्कर में मैं अपने साथियों के प्रति वफादारी के आदर्श से चिपटा रहा और यह आशा करता रहा कि घटनाओं की रेल-पेल और हमारी लड़ाई का विकास उन सब मुश्किलों को दूर कर देगा जो मुझे दुःख दे रही हैं और मेरे साथियों को मेरे दृष्टिकोण के नज़दीक ले आयेगा।

और अब तो एकाएक मुझे अलीपुर की उस जेल में बड़ा अकेलापन मालूम होने लगा। जीवन बहुत ही दूँभर, जैसे भयावना सूनापन ही। जीवन में मैंने जो कितने ही कठोर सत्य अनुभव किये हैं, उनमें सबसे अधिक कठोर और दुःख दायी सत्य इस समय मेरे सामने था, और वह यह था कि महत्वपूर्ण विषयों पर किसी का भरोसा करना उचित नहीं है। हरेक आदमी को अपनी जीवन-यात्रा में अपने ऊपर ही भरोसा

रखना चाहिए, दूसरो पर भरोसा करना अबदस्त निराशा और आफनो को न्यौता देना है ।

मेरे इस दके हुए क्रोध का कुछ हिस्सा धर्म और धार्मिक दृष्टिकोण पर टूट पड़ा । मैंने सोचा यह दृष्टिकोण विचारो की स्पष्टता और उद्देश्य की स्थिरता का कितना भारो दुस्मन है ? क्या उसका आचार भावुकता और मनोविकार नहीं है ? यह दृष्टिकोण दावा तो करता है आध्यात्मिकता का, लेकिन असली आध्यात्मिकता और आत्मा का चीजो से वह कितनी दूर है ? हमेशा दूसरी दुनिया की बातें सोचते-सोचते मानवस्वभाव, सामाजिक रूप और सामाजिक न्याय का उसे कुछ पता ही नहीं रहता । अपनी पूर्वकल्पित धारणाओ के कारण धर्म जान-बूझकर इस डर से वास्तविकता से अपनी आँखें मूँद लेता है कि शायद उनसे भेल न खाय । वह अपनी बुनियाद सचाई पर बनाता है, फिर भी उसे सत्य को—सम्पूर्ण सत्य को पा लेने का इतना विश्वास होजाता है कि वह इस बात के जानने का कष्ट नहीं करता कि उसे जो कुछ मिला है वह असल में सत्य है या नहीं ? वह तो दूसरो को उसके विषय में कह देना भर ही अपना काम समझता है । सत्य को ढूँढने का सकल्प और विश्वास की भावना दोनो जुड़ी-जुड़ी चीजें हैं । धर्म बातें तो शांति की करता है लेकिन उन प्रणालियो और व्यवस्थाओ का समर्थन करता है जो बिना हिंसा के जिन्दा नहीं रह सकती । वह तलवार से की जानेवाली हिंसा की तो बुराई करता है लेकिन उस हिंसा का क्या जो अक्सर शांति का लबादा ओढे चुन-चाप धाती है और लोगो को भूखी तडपाती और जान से मार डालती है या जो इससे भी ज्यादा बुरा काम यह करती है कि बिना किसी प्रकार के जाहिरा शारीरिक कष्ट पहुँचाये मन पर बलात्कार करती है, आत्मा को कुचलती है और हृदय के टुकड़े-टुकड़े कर डालती है ?

और इसके बाद मैं फिर उसी शब्द की वाक्य सोचने लगा जिसने कि मेरे मन में यह खलवली पैदा की। आखिर गांधीजी कैसे आश्चर्यजनक आदमी हैं। उनकी मोहकता कितनी ताज्जुब में डालनेवाली और एकदम अवाश है और लोगो पर उनका कैसा अद्भुत अविकार है। उनकी वाते और उनके लेख उनकी वास्तविकता का बहुन-कम परिचय करा पाते हैं। इनमें उनके विषय में लोग जितनी कल्पना कर सकते हैं, उनका व्यक्तित्व उससे कहीं ऊँचा है। और भारत के लिए उनकी सेवाये कितनी महान् हैं। उन्होंने भारत की जनता में साहस और मर्दानगी फूँक दी है, अनुशासन और कष्ट-सहन, ध्येय पर खुशो-खुशी कुर्बान हो जाने की और पूर्ण नम्रता के साथ स्वाभिमान की भावना पैदा करदी है। उन्होंने कहा है कि चरित्र की वास्तविक नींव साहस ही है। बिना साहस के न तो सदाचार ही संभव सकता है, न धर्म और न प्रेम ही। "जब तक कोई भय का शिकार रहता है तबतक वह न तो सत्य का पालन कर सकता है, न प्रेम ही कर सकता है।" हिमा को वह बहुत ही बुरा सपझते हैं, फिर भी उन्होंने हमको यह बताया है कि "कायरता तो एक ऐसी चीज है जो हिंसा से भी बुरी है।" और "अनुशासन इस बात की प्रतिज्ञा और गैरटी है कि आदमी जिस काम को हाथ में ले रहा है उसे करना चाहता है। बलिदान, अन्याय और आत्म-समर्पण के बिना न तो मुक्ति ही होसकती है, न कोई आशा ही पूरी होसवती है।" और बिना अनुशासन के बलिदान का कोई लाभ नहीं। शायद ये कोरे शब्द या मुन्दर वाक्य और सली उपदेश ही हों। लेकिन इन शब्दों के पीछे ताकत थी, और हिन्दुस्तान यह जानना है कि यह छोटा-सा व्यक्ति जो कहता है, ईमानदारी ने पूरा करना चाहना है।

आश्चर्यजनक रूप में वह हिन्दुस्तान के प्रतिनिधि बन गये और इन प्राचीन और पीडित भूमि की अन्तरात्मा को प्रकट करने लगे। एक

प्रकार से वह ग़ुद भारत के प्रतिनिधित्व के अंग उभरे जो घुटियाँ थीं, वे भारत की घुटियाँ थीं। उनका अमानत नामक ही व्यक्तिगत अमानत समझा जाता हो, वह तो सारे राष्ट्र का अमानत था और गान्धिराय और दूसरे लोग जो ऐसी घुटियाँ हूँगे जो वे यह नहीं जानते थे कि वे कौसी सततनामक फमक नो रहे हैं। दिनकर १९३१ में जब गांधीजी गोलमेज कान्फेस में लौट रहे थे, तब पोप ने गांधीजी से मिलने से इनकार कर दिया था यह जानकर मुझे गिनना दुःख हुआ था मुझे याद है। मुझे यह अपमान हिन्दुत्व का अपमान प्रतीत हुआ और इसमें तो कोई शक ही नहीं कि इनकार तो जान-बूझकर दिया गया था। यह बात दूसरी है कि ऐसा करने समय धावद अपमान करने की कल्पना न रही हो। कैथोलिक मतानुयायी अपने फिरफे ने बाहर सन्त और महात्मा का होना स्वीकार नहीं करते और क्योंकि प्रोटेस्टेंट-मत के कुछ लोगो ने गांधीजी को सच्चा ईसाई और बड़ा धर्मात्मा बताया इसलिए रोम के लिए यह अंग भी जरूरी हो गया कि वह इस कुफ से अपने को अलग रखे।

अप्रैल १९३४ में, अलीपुर-जेल में करीब-करीब इसी समय में बर्नार्ड शा के नये नाटक पढ़े और 'अॉन दि रॉक्स' (शिला पर) नाम के नाटक की वह भूमिका, जिसमें ईसामसीह और पाइलेट की बहस भी है, मुझे बहुत आरुपक लगी। आज जबकि एक साम्राज्य दूसरे धार्मिक व्यक्ति का मुकाबिला कर रहा है मुझे यह भूमिका इस समय के लिए बहुत मौजू माज़ूम हुई। हमने ईसामसीह ने पाइलेट से कहा है— "मे तुमसे कहता हूँ कि डर छोड़ दो। रोम की महत्ता के बारे में मुझसे व्यर्थ की बातें मत करो। जिसे तुम रोम की महत्ता कहते हो वह डर के सिवा और कुछ नहीं है। भूत का डर, भविष्य का डर, शरीरों का डर, अमीरों का डर, सच्च-मठावीशों का डर, उन यहूदियों और यूनानियों

का डर जो विद्वान् हैं, उन गॉल निवामियो, गॉयो और हूणो का डर जो जगलो हैं, उम कार्योंज का, जिसके डर मे अपने को बचाने के लिए तुमने उमे वरवाद फर दिया, ओर अब पहले से भी ज्यादा बुरा डर गाही मीजुर की उम मूर्ति का, जो तुम्हीने बनाई है और मुझ-सरीखे कीठीहीन दर-दर के भिखारी का, ठुरुराये जानेवाले का, उपहास किये जानेवाले का डर और ईश्वर के राज्य को छोड कर वाकी सब चीजो का डर । खून-खराबी और धन-दीलत के सिवा और किसी वस्तु में श्रद्धा नहीं । तुम जो रोम के हिमायती हो, जगत-शाहिर कायर हो और मैं जो मसार में ईश्वरीय सत्ता का हामी हूँ, प्राणपन कीबाजो लगा चुका हूँ, अपना सब कुछ तक गवाँ चुका हूँ और इस प्रकार अमर साम्राज्य विजय कर चुका हूँ ।"

लेकिन गाधीजी की महानता का, भारत के प्रति उनकी महान् सेवाओ का या मेरे प्रति की गई उनकी महान् उदारताओ का, जिनके लिए मैं उनका श्रेणी हूँ, कोई प्रश्न ही नहीं है । इस सब बातों के होते हुए भी वह बहुत-सी बातों में, बुरी तरह गलती कर सकते हैं । आखिर उनका लक्ष्य क्या है ? इतने वर्षों तक उनके नजदीक-से नजदीक रहने पर भी मुझे खुद अपने दिमाग में यह बात साफ-साफ नहीं दिखाई देती कि उनका ध्येय आखिर क्या है । मुझे तो इस बात मे भी शक है कि इस मामले में खुद उनका दिमाग कहाँतक साफ है । वह कहते है कि मेरे लिए तो एक ही कदम काफी है, और वह भविष्य की तरफ देखने की, अपने सामने कोई सुनिश्चित ध्येय रखने की कोशिश नहीं करते । वह यह कहते-कहते कमी नहीं थरते कि हम अपने साधनों की चिन्ता रखें तो साध्य अपने आप ठीक होजायगा । अपने निजी जीवन में पवित्र बने रहो तो बाकी सब बातें अपने आप ठीक हो जायेंगी । यह दृष्टि न तो राजनैतिक है, न वैज्ञानिक, और शायद यह तो नैतिक भी नहीं है ।

यह तो सकृचित आचार दृष्टि है, जो इस प्रश्न का, कि सदाचार क्या वस्तु है, पहले से ही निर्णय कर लेती है। क्या वह केवल एक व्यक्तिगत वस्तु है या सामाजिक विषय? गांधीजी चरित्र पर ही सब जोर लगा देते हैं, और मानसिक-शिक्षा और विकास को बिल्कुल महत्व नहीं देते। यह ठीक है कि चरित्र के बिना वृद्धि खतरनाक मानित होसकती है, लेकिन वृद्धि के बिना चरित्र में क्या रह जाता है? सचमुच, आखिर चरित्र का विकास कैसे होना है? गांधीजी की तुलना मध्यकालीन ईसाई सन्तो से की गई है और वह जो कुछ कहते हैं उसका अर्थार्थ हमके अनुकूल भी है। लेकिन वह आजकल मनोवैज्ञानिक अनुभव और तरीके में कतई मेल नहीं खाता।

लेकिन यह कुछ भी हो, ध्येय की अस्पष्टता तो मुझे अत्यन्त खेदजनक प्रतीत होती है। किसी भी कार्य की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि उसका ध्येय सुनिश्चित और सुस्पष्ट हो। जीवन केवल तकसाल्त्र नहीं है और यद्यपि उसकी सफलता के लिए समय-समय हमें अपने आदर्श बदलने पड़ते हो, फिर भी हमें कोई-न-कोई स्पष्ट आदर्श तो अपने सामने रखना ही होगा।

मेरा खयाल है कि ध्येय के सम्बन्ध में गांधीजी के विचार उतने धुंभले नहीं हैं जितने वह कभी-कभी मालूम होते हैं। वह किसी एक खास दिना में जाने के लिए बहुत अधिक उत्सुक हैं। लेकिन उम तरफ जाना आजकल के जगलो और आजकल की परिस्थितियों के बिलकुल खिलाफ है और अवनक वह इन दोनों का एक दूसरे से मेल नहीं मिला पाये हैं, न कोई बांध की वे सब पगडण्डियाँ ही खोज पाते हैं जो उन्हें अपने निश्चिन म्यान पर पहुँचा दें। यही उनके ध्येय की अस्पष्टता और उमने स्पष्टीकरण के अभाव का कारण है। लेकिन कोई पचीस बरस से, उस उमर में, जबने उन्होंने दक्षिण अफरीका में अपने जीवन-सिद्धान्त

निश्चित करने शुरू किये तबसे उनका साधारण दृष्टिकोण कैसा रहा है, यह साफ़ चाहिए है। मुझे पता नहीं कि उनके वे शुरू के लेख, अब भी उनके विचारों के द्योतक हैं या नहीं। वे उनके विचारों को पूरी तरह व्यक्त करते हैं, मुझे तो इस बात में शक है, लेकिन फिर भी उनसे हमें उनके विचारों की तरह में जो भावनायें काम करती रहीं हैं उनके समझने में मदद मिलती है।

१९०९ में उन्होंने लिखा था—“हिन्दुस्तान का उद्धार इसी में है कि उसने पिछले पचास साल में जो कुछ भी सीखा है उसे भूल जाय। रेलवे, तार, अस्पताल, वकील, डाक्टर और इस तरह की मभी चीजें मिट जानी चाहिए, और ऊँची कही जानेवाली जातियों को स्वेच्छापूर्वक धर्म-भाव से और निश्चित रूप से किसानों का सादा जीवन बिताना सीखना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार का जीवन ही सच्चा सुख देनेवाला है। और “जब-जब मैं रेल या मोटर में बैठता हूँ, मुझे ऐसा महसूस होता है कि जिस बात को मैं ठीक समझता हूँ उसीके साथ मैं हिंसा कर रहा हूँ।” “इतनी अधिक कृत्रिम और तेजी से चलनेवाली चीजों से दुनिया का सुधार करने की कोशिश बिल्कुल नामुमकिन है।”

ये सब मुझे बिल्कुल गलत और नुकसान पहुँचानेवाली बातें मालूम होती हैं जिनका पूरा हो सकना असम्भव है। कष्ट-सहन और तपस्वी-जीवन के प्रति गांधीजी का जो प्रेम और आदर है वही उक्त सब बातों का कारण है। उनके मत से उन्नति और सम्यक्ता इस बात में नहीं है कि हम अपनी आवश्यकताओं को बढ़ाते चले जायें और अपने रहन-सहन का ढँग ज्यादा खर्चीला करले, बल्कि इस दान में है कि ‘हम अपनी जरूरतों को स्वेच्छा से और प्रयत्नपूर्वक कम करले, क्योंकि ऐसा करने से सच्चा सुख और मन्तोष मिलता है और सेवा करने की शक्ति बटनी है।’ अगर हम एक बार इन उत्पत्तियों को मानले तो गांधीजी के वाक्यों

के विचारों और उनके कार्य-बलाओं को ममजना भागाना होगा है । लेकिन हममें से ज्यादातर लोग इनको नहीं मानते और जब हम यह देखते हैं कि उनके काम हमारी पसन्द के मुनाधिक नहीं हैं, तब हम उनकी शिकायत करने लगते हैं ।

व्यक्तिगत रूप में मुझे गरीबों की और तकलीफ देने की तारीफ करना पसन्द नहीं है । मैं यह नहीं ममसता कि वे शिर्षो प्रचार वाँछनीय हैं, बल्कि मेरी राय में तो उन्हें मिटा देना चाहिए । न मैं ममजिक आदर्शों की दृष्टि से तपस्वी-जीवन को पसन्द करता हूँ, चाहे कुछ व्यक्तियों के लिए वह ठीक ही हो । मैं मादगी, समानता और आत्म-सयम चाहता हूँ और उसकी कद्र भी करना हूँ, लेकिन शरीर का दमन करने के पक्ष में नहीं हूँ । मेरा विश्वास है कि जँमे खिलाडी या पहलवान के लिए अपने शरीर की साधना जरूरी है वैसे ही इस बात की भी जरूरत है कि हम अपने मन और अपनी आदतों को सावे और उन्हें अपने नियन्त्रण में रखें । यह आशा करना तो बेहूदगी होगी कि जो व्यक्ति अत्यधिक विलासमय जीवन में फँसा हुआ है, वह सकट के दिन आने पर ज्यादा तकलीफ बर्दाश्त कर सकेगा या असाधारण आत्म-सयम दिखा सकेगा या बीरोचित व्यवहार कर सकेगा । नैतिक दृष्टि में उच्च रहने के लिए भी साधना की कम-से-कम उतनी ही जरूरत है जितनी कि शरीर को अच्छी हालत में रखने के लिए । लेकिन सचमुच इसके मानी न तो तप ही है और न आत्मपीडन ही है ।

'किसानों की-सी सादा जिन्दगी' का आदर्श मुझे जरा भी अच्छा नहीं लगता । मैं तो करीब-करीब उससे घबडाता-सा हूँ और खुद उनकी-सी जिन्दगी बर्दाश्त करने के बखले में तो किसानों को भी उस जिन्दगी में से खीचकर बाहर निकाल लाना चाहता हूँ—उहें बहरी बनाकर नहीं बल्कि देहातो में बहरो की सांस्कृतिक सुविधाये पहुँचा कर । किसानों की-सी यह

सादा जिन्दगी मुझे सुख तो कहीं नहीं देती, वह तो मुझे करीब-करीब उतनी ही बुरी मालूम होती है जितना कि जेलखाना। आखिर "फावडेवाले आदमियो" में ऐसी क्या बात है कि उसे अपना आदर्श बनाया जाय ? अनस्य युगो से इस पद-दलित और क्षोपित प्राणी में और उन पशुओं में जिनके साथ वह रहता है, कोई अन्तर नहीं रह गया है।

"किमने यो कर दिया उसे है मृत-सा हर्ष-निराशा से ?

व्याकुल नहीं शोक से होता, और प्रकुल्लित आशा से।

स्तब्ध, मूक, जडरूप खड़ा वह, करे शिकायत क्या किससे ?

मानव है या वृषभ सहोदर उपमा इसकी दें जिससे।"

मानव-बुद्धि से काम न लेकर पुराने जगलीपन की स्थिति में, जहाँ बौद्धिक विकास के लिए कोई स्थान नहीं था, पहुँचने की बात मेरी समझ में बिलकुल नहीं आती। स्वयं उस वस्तु को, जो मानवप्राणी के लिए उसकी विजय और गौरव की बात है, बुरा बताया जाता है और अनुत्साहित किया जाता है और वह भौतिक स्थिति, जो दिमाग के लिए भाररूप है और उसकी तरक्की को रोकती है, वाञ्छनीय समझी जाती है। वर्तमान सभ्यता बुराइयों से भरी हुई है, लेकिन उसमें अच्छाइयाँ भी भरी पड़ी हैं, और उसमें वह ताकत भी है जिससे वह अपनी बुराइयों को दूर कर सके। उसको जड-मूल से बरवाद करना, उसकी इम ताकत को भी बरवाद करना होगा और फिर उसी नीरस प्रकाशहीन और दुःखमय स्थिति की ओर पहुँचना होगा। यदि ऐसा करना वाञ्छनीय हो, तो भी वह एक अनहोनी बात है। हम परिवर्तन की नदी को रोक नहीं सकते, न अपने को उसके बहाव से निकाल सकते हैं, और मनोविज्ञान की दृष्टि से हममें से जिन लोगों ने वर्तमान सभ्यता का स्वाद चख लिया है वे उसे भूलकर पुरानी जगलीपन की स्थिति में जाना पसन्द नहीं कर सकते।

१. अत्रेक्षी पद्य का भावानुवाद।

इस बात में तर्क करना मुद्दिल है, क्योंकि ये दोनों दृष्टिकोण विलम्बुल जुड़े हैं। गांधीजी हमेशा अग्निगन भुक्ति और पाप की भाषा में सोचते हैं, जब कि हममें से अधिकांश लोगों के मन में समाज की भलाई सबसे ऊपर है। मेरे लिए पाप की कल्पना को समझ सकना मुद्दिल मालूम पड़ता है और शायद इसीलिए मैं गांधीजी के साधारण दृष्टिकोण को नहीं समझ पाता हूँ। वह समाज या सामाजिक ढाँचे को बदलना नहीं चाहते, वह तो व्यक्तियों में से पाप की भावना को नष्ट कर देना चाहते हैं। उन्होंने लिखा है कि "स्वदेशी का माननेवाला कभी दुनिया को सुधारने के निरर्थक प्रयत्न में हाथ नहीं डालेगा, क्योंकि उसका विश्वास है कि दुनिया उन्हीं नियमों से चलती आई है और चलती रहेगी, जो ईश्वर ने बना दिये हैं।" फिर भी दुनिया को सुधारने के प्रयत्नों में वह काफी आगे बढ़ जाते हैं। पर वह जो सुधार करना चाहते हैं वह है व्यक्तिगत सुधार, जिसके मानी हैं इन्द्रियों पर और उनका उपभोग करने की पापमयी इच्छा पर, विजय प्राप्त करना। फेसिज्म पर लिखने वाले एक योग्य रोमन कैथोलिक लेखक ने आज़ादी की जो परिभाषा की है, शायद गांधीजी उससे सहमत होंगे। वह परिभाषा यह है—
"आज़ादी पाप के बन्धन से छुटकारा पाने के सिवाय और कुछ नहीं है।"
 दो सौ वर्ष पहले लन्दन के बिशप ने जो शब्द लिखे थे उनसे यह कितना मिलता-जुलता है। वे शब्द ये थे—
 "ईसाई धर्म जो आज़ादी देता है वह है पाप और शैतान के बन्धनों से और मनुष्य की बुरी कामनाओं, वासनाओं और असाधारण इच्छाओं के जाल से मुक्ति।"
 १

अगर एक बार इस दृष्टिकोण को समझ लिया जाय तो स्त्री-पुरुष के सहवास के बारे में गांधीजी का जो रुख है और जो कि आजकल के

१ यह उद्धरण जिस पत्र में लिया गया है वह ६४९ पृष्ठ पर दिया जा चुका है।

औसत आदमी को गैरमामूली-मा मान्नुम होना है वह भी कुछ-कुछ समझ में आसकता है। उनकी राय में “जब सन्तान की इच्छा न हो तब स्त्री-पुरुष को आपस में सहजनाम करना पाप है।” और ‘सन्तति-निग्रह के कृत्रिम साधनों को काम में लाने का परिणाम नपुमकता और स्नायविक ह्रास होता है।” “अपने कामों के परिणामों से बचने की कोशिश करना गलत और पापमय है। यह बुरा है कि पहले तो जरूरत से ज्यादा पेट भंग्ले और फिर कोई टॉनिक या दूसरी दवा लेकर उसके नतीजों में बचने की कोशिश करे। और यह तो और भी बुरा है कि कोई शक्स पहले तो अपने प्राणविक मनोविकारों को तृप्त करे और फिर उसके परिणामों से बचे।”

व्यक्तिगत रूप से मैं गाधीजी के इस रुझ को बिलकुल अस्वाभाविक और भयावह पाता हूँ और अगर गाधीजी की बात सही है तो मैं तो उन पापियों में से हूँ जो नपुमकता और स्नायविक ह्रास के किनारे पहुँच चुके हैं। रोमन कैथोलिकों ने भी बड़े जोरो से सन्तति-निग्रह का विरोध किया है। लेकिन वे अपनी दलीलों को उस आखिरी दर्जे तक नहीं लेगये जिस दर्जे तक गाधीजी ले गये हैं। उसे वे इन्सानी फितरत समझते हैं, उसके साथ उन्होंने कुछ समझौता कर लिया है और समयानुसार छूट देदी है। लेकिन गाधीजी तो अपनी दलील की आखिरी हद तक

१ ईसाइयों के विवाह के बारे में ११ वे पायस पोप ने ३१ दिसम्बर १९३१ को जो धर्माज्ञा दी है उसमें कहा है—“अगर विवाहित लोग अपने हकों का गम्भीर और प्राकृतिक कारणों से उपयोग करे तो यह नहीं माना जाना चाहिए कि वे प्रकृति की व्यवस्था के खिलाफ काम कर रहे हैं, फिर चाहे समय की परिस्थिति या किसी छराबी के कारण उनके बच्चे पैदा हों या न हों।” समय को परिस्थिति से मतलब चाहिए तौर पर ‘सुरक्षित समय कहे जायेवाले’ उस वस्तु से है, जब गर्भाधान सम्भव नहीं समझा जाता।

पहुँच गये हैं और वह तो सन्तान पैदा करने के सिवा और किसी भी समय स्त्री-पुरुष के प्रसंग को जरूरी या न्याय्य नहीं समझते। वह इस बात को मानने से इन्कार करते हैं कि स्त्री-पुरुषों में परस्पर एक-दूसरे की तरफ कूदरती खिंचाव होता है। उनका कहना है—“लेकिन मुझसे कहा जाता है कि यह आदर्श तो असम्भव कल्पना है और स्त्री-पुरुषों में जो एक-दूसरे के लिए स्वाभाविक आकर्षण होता है उसे मैं ध्यान में नहीं रखता। मैं यह मानने से इन्कार करता हूँ कि जिस आकर्षण का संकेत किया गया वह किसी भी हालत में प्राकृतिक माना जा सकता है, और अगर वह ऐसा ही है तो सर्वनाश को बहुत निकट समझना चाहिए। पुरुष और स्त्री में जो स्वाभाविक सम्बन्ध है वह वही आकर्षण है जो भाई और बहन में, माँ और बेटे में, बाप और बेटों में होता है। यही वह स्वाभाविक आकर्षण है, जो दुनिया को कायम रखे हुए है।” और आगे चलकर इससे भी ज्यादा जोर से कहते हैं—“नहीं, मुझे अपनी पूरी ताकत के साथ कहना चाहिए कि पति-पत्नी का ऐंद्रिय आकर्षण भी अप्राकृतिक है।”

ऑडीपस कॉम्प्लेक्स और फ्रूड के विचारों और मनोवैज्ञानिक विश्लेषण के इस युग में किसी विश्वास को इतने जोरदार शब्दों में

१. ऑडीपस यैबीज के राजा लेइस का लड़का था। इसके जन्म के समय यह भविष्यवाणी हुई थी कि लेइस अपने लड़कों के हाथों मारा जायगा। इस पर लेइस ने उसे एक घरवाहे को दे दिया, और उसने कॉरिन्थ के बाबशाह पॉलिबस को दे दिया। उसने उसे अपना इत्तक पुत्र बना लिया। जब ऑडीपस बड़ा हुआ और जब उसे इस भविष्यवाणी का पता लगा कि वह अपने बाप की मार डालेगा अपनी माँ से शादी कर लेगा, तो घर छोड़कर चल दिया। रास्ते में उसे उसका बाप सेइम और माँ जोकेन्टा मिली। वह उन्हें पहचानता न था, अतः बात-ही-बात में उत्तेजना बढ़ जाने पर उसने लेइस को मार डाला और

प्रगट करना आश्चर्यजनक और असामयिक मालूम होता है। यह तो धृष्टा का नवाल है, तर्क का नहीं। इसे आप माने या न मानें। इसके बारे में कोई बीच का रास्ता नहीं है। अपनी तरफ से तो मैं कह सकता हूँ कि इस मामले में गांधीजी बिलकुल गलती पर हैं। कुछ लोगो के लिए उनकी सलाह ठीक हो सकती है, लेकिन एक व्यापक नीति के रूप में तो इनका नतीजा यही होगा कि लोग ध्वजभंग मृगो वगैरा तरह-तरह के शारीरिक और स्नायविक बीमारियों के शिकार हो जायेंगे। विषयभोग में मयम जट्टर होना चाहिए, लेकिन मुझे इस बात में शक है कि गांधीजी के उम्पूले से यह समय किमी बड़ी हद तक होमकेगा। वह मयम बहुत अधिक कडा है, और ज्यादातर लोग यही समझते हैं कि वह उनकी ताकत के बाहर है, और इसलिए आमतौर पर अपने मामूली तरीके पर चलते रहते हैं और अगर नहीं चलते तो पति-पत्नी में खटपट होजाती है। स्पष्टतः गांधीजी यह समझते हैं कि सन्तति-निग्रह के साधनो से निश्चित रूप से लोक अत्यधिक मात्रा में काम-नृत्नि में लग जायेंगे और अगर स्त्री और पुरुष का यह इन्द्रिय-सम्बन्ध मान लिया जाय, तो हर मर्द हर औरत के पीछे दौड़ेगा और इसी तरह हर स्त्री हर पुरुष के पीछे। उनके दोनो निष्कर्षों में से एक भी सही नहीं है, और यद्यपि यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है फिर भी मेरी समझ में यह नहीं आता कि गांधीजी उसपर इतना ज्यादा जोर क्यों देते हैं। उनके लिए तो इसके दो ही पहलू हैं—इस पार या उस पार, बीच का कोई रास्ता नहीं है। दोनो ओर वह ऐसी पराकाष्ठा

जोकेस्टा से शादी करली। उससे उसके तीन बच्चे हुए। अतः मन शास्त्री फ्रूड के मतानुसार 'ऑडीपस कॉम्प्लेक्स' का अर्थ है, वह चित्तवृत्ति जिसके अनुसार लडके की अपनी माँ के प्रति और लडकी का अपने पिता के प्रति कामुक आकर्षण ही। —अनु०

को पहुँच जाते हैं जो मजे बहुत गैर-मामूली और अप्राकृतिक मानूम होती है। इन दिनों हमारे ऊपर राम-याम्मन मन्मन्त्री माहिय्य की जो प्रलयकारी ग्राह आगही है शायद उनकी प्रनित्रिया के फलस्वरूप गांधीजी ऐसी वाते कहते हैं। मैं मानता हूँ कि मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ और मेरे जीवन में वैपयिक भावना का अमर रहा है। लेकिन तू तो मैं कभी उसके काबू में हुआ और न उनकी बजह ने कभी मेरे कोई दूसरे काम रके। वह केवल गीण रूप में ही रही है।

गांधीजी की वृत्ति तो दरअसल उन तपस्वी साधु जैसी है जिसने दुनिया और उसके तौर-तरीकों से विनारा कर लिया है, जो जीवन को मिथ्या मानता है और उसकी उपेक्षा करता है। किसी योगी के लिए यह है भी स्वाभाविक, लेकिन जो ससारी स्त्री-पुरुष जीवन को मिथ्या नहीं मानते और उनका सर्वोत्तम उपयोग करने की कोशिश करते हैं उनके लिए यह बहुत दूर की बात है। इसलिए, इस एक वुराई ने बचने के लिए उन्हें दूसरी और उसमें भी बड़ी-बड़ी वुराइयो को बरदास्त करना पडता है।

म विपय से बाहर वह पडा हूँ। लेकिन अलीपुर-जेल के उन दु ख-दायी दिनों में सभी तरह के विचार मेरे मन में छाये रहते थे। वे किसी तर्क-सम्मत क्रम या व्यवस्थित रूप में नहीं होने थे, बल्कि बिखरे हुए और बे-सिलसिलेवार होते थे और अक्सर मुझे व्यग्र और परेशान कर डालते थे। और इन सबमें बढकन एकान्त और सूनपन का वह भाव था जो जेल की दम घोटनेवाली आबोहवा से और मेरी छोटी-सी एकान्त कोठरी की बजह से और भी बढ जाता था। अगर मैं जेल से बाहर होता तो मुझे जो चीट पहुँची वह क्षणिक होती और मैं ज्यादा जल्दी नई स्थितियों के अनुकूल बन जाता, और अपना गुन्वार निकाल-कर अपने मन-भाकिक काम करके अपने दिल को हलका कर लेता। पर

जेल के अन्दर ऐसा नहीं होसकता था, इसलिए मेरे कुछ दिन बड़ी चुरी तरह बीते । खुशकिस्मती से मैं बड़ा खुशामिजाज हूँ और मायूसी के हमलो से बड़ी जल्दी सम्हल जाता हूँ । इसलिए मैं अपने दुःख को भूलने लगा । इसके बाद जेल में कमला से मेरी मुलाकात हुई । उससे मुझे और भी खुशी हुई और मेरी अकेलेपन की भावना दूर हो गई । मैंने महसूस किया कि कुछ भी क्यों न हो हम एक-दूसरे के जीवन-साथी तो हैं ही ।

: ६२ :

विकट समस्यायें

जो लोग गांधीजी को व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते और जिन्होंने सिर्फ उनके लेखों को ही पढा है वे अक्सर यह सोच बैठते हैं कि गांधीजी कोई विरक्त साधू-से हैं—खुशक जाहिद की तरह मनहूस और मुंह लटकाने हुए । लेकिन गांधीजी के लेख गांधीजी के साथ अन्याय करते हैं । वह जो कुछ लिखते हैं उससे वह खुद कहीं ज्यादा बड़े हैं । इसलिए उन्होंने जो कुछ लिखा है उसको उद्धृत करके उसकी आलोचना करने बैठ जाने से उनके साथ पूरी तरह इन्साफ नहीं किया जासकता । घमोपासको के रास्ते से उनका रास्ता बिलकुल जुदा है । उनकी मुस्करा-हट आल्हादकारक होती है, उनकी हँसी सबको हँसा देती है, और वह विनोद की एक लहर बहा देते हैं । उनमें भोले बच्चों की-सी कुछ ऐसी बात है जो मोह लेनेवाली है । जब वह किसी कमरे में पैर रखते हैं तो अपने साथ एक ऐसी ताजी हवा का झोका लेते आते हैं जो वहाँ के वातावरण को आमोदित कर देता है ।

वह उत्सवों के एक असाधारण नमूने हैं । मेरा खयाल है कि तमाम

मवाहर और खाम घास कुछ-न-कुछ हद तक ऐसे ही होते हैं। वरसा डम पेचीवा सवाल ने मुझे परेशान किया है कि यह क्या बात है कि गांधीजी पीड़ितों के लिए इतना प्रेम और उनकी भलाई का इतना खयाल रखते हुए भी एक ऐसी प्रणाली का समर्थन करते हैं जो ऋषिमी तौर पर पीड़ितों को पैदा करती है और फिर उन्हें कुचलती है। और यह क्या बात है कि एक तरफ तो वह अहिंसा के ऐसे अनन्य उपासक हैं, और दूसरी तरफ एक ऐसे राजनैतिक और सामाजिक ढाँचे के पक्ष में हैं जो मोलहो आने हिंसा और बलात्कार पर ही टिका हुआ है? चायद यह कहना सही नहीं होगा कि वह ऐसी प्रणाली के पक्ष में हैं। वह तो कम-बहु एक दार्शनिक अराजक हैं, लेकिन क्योंकि अराजको का आवर्ग एक तो अभी बहुत दूर है और हम आसानी से उसका कपास भी नहीं कर सकते, इसलिए वह मौजूदा व्यवस्था को मजूर करते हैं। मेरा खयाल है कि प्रणाली को बदलने में हिंसा के इस्तेमाल की वास्तव उन्हें जो ऐत-राज है वह महज माघन के लिहाज से ही नहीं है, क्योंकि मौजूदा व्यवस्था को बदलने के लिए निम्न जरूरतों से काम लेना चाहिए इस सवाल में बिलकुल अलग हम एक ऐसे आदर्श ध्येय को अपनी आँखों के सामने रख सकते हैं, जिसको ज्यादा दूर के भविष्य में नहीं, नजदीक, भविष्य में ही, पूरा कर लेना हमारे लिए मुमकिन है।

अन्य-रूपों यह आने की समाजवादों भी कहते हैं, लेकिन वह समाज-वाद धर या प्रयोग एक ऐसे अनोखे अर्थ में करते हैं जो खुद उनका अपना लगावा हुआ है और जितना उस आर्थिक ढाँचे में कोई संशोधन नहीं है जो आमनाम पर समाजवाद के नाम से पुकारा जाता है। उनकी संज्ञा में पीछे पीछे चलते हुए कुछ प्रतिद्वन्द्व-प्रतिद्वन्द्व कार्रवायों भी उन्होंने अपने-अपने समाजवाद धर या धर्मवाद करने लगें हैं, लेकिन उस समाज-वाद में उदात्त मान्यता के अर्थों का ही किन्हीं ही गोचरों में प्रतिद्व-

मन में होना है। उन गोलमटोल राजनैतिक शब्दावली का प्रयोग करने में यह जो गड़नी करते हैं उनमें ब्रटे-ब्रडे नामी धरम उनके साथ हैं, क्योंकि वह ता सिर्फ ब्रिटिश नेगनल सरकार के प्रधान मंत्री की मिनाल के पीछे ही चल रहे हैं। मैं यह जानता हूँ कि गाँधीजी समाजवाद ने नाबानिफ नहीं है क्योंकि उन्होंने अर्थशास्त्र, समाजवाद और मान्यवाद पर भी बहुत-सी किताबें पढ़ी हैं और इन विषयों पर हमरो के साथ वाद-विवाद भी किया है, लेकिन मेरे मन में यह विश्वास धर चरना जाता है कि अत्यन्त महत्व के मामलों में अकेला दिमाग बचात खुद हमें ज्यादा दूर तक नहीं लेजाता। विलियम जेम्स ने कहा है कि—

“अगर आपका दिल नहीं चाहता तो इतमीनान रखिए कि आपका दिमाग आपको कभी भी विश्वास नहीं करने देगा।” हमारे मनोविकार हमारी आम निगाह पर दासन करते हैं और मन उनके काबू में रहता है। हमारी बातचीत फिर चाहे वह धार्मिक हो या राजनैतिक या आर्थिक, असल में तो महजज्ञान या मनोभावों पर ही निर्भर रहनी है। शीपेनहर ने कहा है कि—“मनुष्य जिस बात का सकल्प करे, उसे वह पूरा कर सकता है, लेकिन वह जिस बात का सकल्प करना चाहे उसका सकल्प नहीं कर सकता।”

दक्षिण अफ्रीका में अपने गुरु के दिनों में गाँधीजी में बहुत जबर-दस्त तबदीली हुई। इससे वह एक दम हिल गये और जीवन के बारे में

१. जनवरी, सन् ३५ में एडिनबरा में अनुदार और यूनियनिस्टों के एसोसियेशन के सच को एक सन्देश देते हुए मि० रेमजे मेकडोनेल्ड ने कहा था कि—“समय की कठिनाइयाँ हरेक मुल्क के लोगों के लिए यह लाजिमी बना रही हैं कि वे एक होकर अपनी तमाम ताकत से काम करें। यही सच्चा समाजवाद है, और यही सच्ची राष्ट्रीयता भी है और सच बात तो यह है कि सच्चा व्यक्तिवाद भी यही है।”

उनकी ग़रीब विचार-दृष्टि बदल गई। तबसे उन्होंने अपने तमाम खयालों के लिए एक बुनियाद बना ली और अब वह किसी सवाल पर उस बुनियाद से हटकर स्वतन्त्र रूप में विचार नहीं कर सकते। जो लोग उनको कई बातें सुझाते हैं उनको बातों को वह बड़े भारी धीरज और ध्यान में सुनते हैं, लेकिन उनमें बाने करनेवाले पर यह असर पड़ता है कि वह ओ सराफ़न व दिलचस्पी दिखा रहे हैं। उस सबके बावजूद उन बातों के लिए उनके मन का दरवाजा बन्द है। कुछ खयालालन में उनका लगर ऐसा बन्द गया है कि और सब बातें उन्हें महत्त्व की नहीं मालूम होती। उनकी राय में दूसरी और अ-प्रधान बातों पर जोर देने से ज्यादा बड़ी योजना से ध्यान हट जायगा और उसका रूप विकृत होजायगा। अगर हम उस लगर को पकड़े रहे तो नतीजा यह होगा कि दूसरे सभी काम ज़रूरीतौर पर अपने-आप वाजिब तरीक़े से ठीक होजायेंगे। अगर हमारे साधन ठीक हैं तो साध्य भी लाजिमीतौर पर ठीक होजायगा।

मेरे खयाल से उनके विचारों का आधार यही है। वह समाजवाद को और उसमें भी ज्यादा खासतौर पर मार्क्सवाद को सदेह की दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि वह हिंसा से सम्बन्धित है। 'वर्ग-युद्ध' शब्द में ही उन्हें लड़ाई और हिंसा की बू आती है, और इसलिए वह उसे नापसन्द करते हैं। इसके अलावा वह यह भी नहीं चाहते कि आम लोगों के रहन-सहन को एक बहुत मामूली पैमाने से ज्यादा ऊँचा बढ़ाया जाय, क्योंकि अगर लोग ज्यादा आराम में और फुपन में रहेंगे तो उसमें भोग-विलास जोर पाव को बढ़ि होगी। यही क्या कम बुरा है कि मुट्ठीभर लमीर लोग भोग-विलास में लगे रहते हैं, अगर ऐसे लोगों को तादाद और भी बड़ा दीगई तब नो बहून हो बुरा होजायगा। १९२६ में उन्होंने जो एक छत लिखा था उससे हम ऐसे कुछ नतीजे निकाल सकते हैं। इस्लैण्ड

में उन दिनों कोयले की खानों में मजदूरों ने बहुत बड़ी हड़ताल करदी थी, और खानों के मालिकों ने खाने बन्द करदी थी। इस कशमकश के दौरान में उनके पास जो खन आया था, उसके जवाब में उन्होंने यह खन लिखा था। जिन साहब ने उन्हें खत भेजा था, उन्होंने उसमें यह दलील पेश की थी कि इम लडाई में मजदूर हार जायेंगे, क्योंकि उनकी तादाद बहुत ज्यादा है। इसलिए उन्हें चाहिए कि वह कृत्रिम साधनों से मदद लेकर ज्यादा सन्तान पैदा करना बन्द करदें और इस तरह अपनी तदाद घटाए। इस खत का जवाब देते हुए गाँधीजी ने लिखा था—

“आखिरी बात यह है कि अगर खानों के मालिक गलत रास्ते पर होनेपर भी जीत जायेंगे, तो उनकी यह जीत महज इसलिए नहीं होगी कि मजदूर ज्यादा सन्तान पैदा करते हैं, बल्कि इसलिए होगी, कि मजदूरों ने जिन्दगी में हर तरफ सयम से काम लेना नहीं सीखा। अगर खानों के मजदूरों के बच्चे न हों तो उन्हें अपनी हालत बेहतर बनाने की कोई प्रेरणा ही नहीं रहेगी, और फिर वे यह बात भी कैसे साबित कर दिखायेंगे कि उनकी मजदूरी बढ़ाई जाने की जरूरत है? उनको शगब पीने, जुआ खेलने और सिगरेट पीने की कोई जरूरत है? क्या इसके जवाब में यह कहना ठीक होगा कि खानों के मालिक भी तो यह सब काम करते हैं, और फिर भी वे चैन की बनी बजाते हैं? अगर मजदूर इम बात का दावा नहीं कर सकते कि वे कुछ बात में पूँजीपतियों से बेहतर हैं तो फिर उन्हें दुनिया की हमदर्दी हासिल करने का क्या हक है? क्या इसलिए कि वे पूँजीपतियों की तादाद बढ़ावे और पूँजीवाद को मजबूत करे? हमसे कहा जाता है कि हम लोकतन्त्र के सामने अपने सिर झुकावें, क्योंकि वाश यह क्रिया जाता है कि जब लोकतन्त्र की पूरी हकूमत होगी तब दुनिया की हालत बेहतर होजायगी। पूँजीवाद और पूँजीपतियों के सिर हम जिन बुराइयों को थोपते हैं, वे ही

खुब हमें और भी ज्यादा बड़े पैमाने पर पैदा नहीं करनी चाहिए।”

जब मैंने इसे पढा, तब खानो में काम करनेवाले अग्रज मजदूरों और उनकी औरतो व बच्चों के मूख से उतरे हुए और पिचके हुए चेहरे मेरी आँखों के सामने आगये, जो मैंने १९२६ की गर्मियों में देखे थे। वे गरीब मजदूर उस समय उन्हें कुचलनेवाली पंचांगिक प्रणाली के फिलाफ लड रहे थे। इस लडाई में वे विलकुल असहाय थे और उनकी हालत पर रहम आता था। गांधीजी ने जो बातें लिखी हैं, वे पूरी तरह सही नहीं हैं, क्योंकि खानो के मजदूर मजदूरी बढ़वाने के लिए नहीं लड रहे थे, वे तो इस बात के लिए लड रहे थे कि जो मजदूरी उन्हें मिलती है उसमें कमी न की जाय, और जो खानें बन्द करदी गई थी वे खोल दीजायें। लेकिन इस वक्त हमें इन बातों से कोई ताल्लुक नहीं। न हमारा ताल्लुक इसी बात से है कि मजदूर लोग कृत्रिम साधनों की मदद लेकर सन्तान पैदा करना रोके या न रोके, यद्यपि मालिकों और मजदूरों के लडाई-अगडों को निबटाने के लिए यह एक निराला-सा सुसाव था। मैंने तो गांधीजी के जवाब में से इतनी बात यहाँ इसलिए दी है कि जिससे हम लोगों को यह बात समझने में मदद मिले कि मजदूरों के रहन-सहन के ढंग को ऊँचा बनाने की आम भाँग के मामले में और मजदूरों के दूसरे मामलों में गांधीजी का दृष्टिकोण क्या है। उनका यह दृष्टिकोण समाजवादी दृष्टिकोण से—और समाजवादी दृष्टिकोण ही से क्यों, सच बात तो यह है कि पूँजीवादी दृष्टिकोण से भी—काफ़ी दूर है। गांधीजी को इस बात में ज्यादा दिलचस्पी नहीं है कि अगर स्वार्थी समुदाय रास्ते के रोडे न बने तो यह बात करके दिखाई जासकती है कि विज्ञान और धन्धी की कला के जरिये हम आज तमाम लोगों को

१ गांधीजी ने, ‘अनौति की राह पर’ नाम की जो किताब लिखी है उसमें यह अत दिया गया है।

अबसे कहीं ज्यादा बड़े पैमाने पर खाने-पहनने और रहने को देसकते हैं और उनके रहन-महन के ढंग को बहुत ज्यादा ऊँचा कर सकते हैं। असल बात यह है कि एक निश्चित हद से आगे वह इन बातों के लिए बहुत उत्सुक नहीं है। इसीलिए समाजवाद से होनेवाले लाभ की आशा उनके लिए आकर्षक नहीं है और पूँजीवाद भी महज कुछ हद तक ही बरदाश्त किया जासकता है—और यह भी इसलिए कि वह बुराई को सीमित रखता है। वह पूँजीवाद और समाजवाद दोनों ही को नापसन्द करते हैं, लेकिन पूँजीवाद को फिलहाल की बुराई समझकर उसे बरदाश्त कर लेते हैं। इसके अलावा वह पूँजीवाद को इसलिए भी बरदाश्त करते हैं, क्योंकि वह तो पहले ही से मौजूद है और उससे आँखें नहीं मूंदी जासकती।

गायद उनके मत्थे ये विचार मडने मे में गलती पर होऊँ, लेकिन मेरा यह खयाल जरूर है कि वह इसी तरह सोचते मालूम पडते हैं, और उनके कथनों में हमें जो विरोधाभास और अस्तव्यस्तता परेशान करती है उसका असली कारण यह है कि उनके तर्क के आधार बिल्कुल भिन्न हैं। वह यह नहीं चाहते कि लोग हमेशा बढते जानेवाले आराम व फुसंत को अपने जीवन का लक्ष्य बनावे। वह तो यह चाहते हैं कि लोग नैतिक जीवन की बाते सोचे, अपनी बुरी लते छोड दें, शारीरिक भोगों को दिन-पर-दिन कम करते जायें और इस तरह अपनी भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति करे, और जो लोग आम लोगों की खिदमत करना चाहते हैं उनका काम यह नहीं है कि वे उन लोगों की माली हालत को ऊँचा उठाये, बल्कि उन्हें चाहिए कि खुद उनकी तह पर नीचे चले जायें और उनके साथ बराबरी की हैसियत से मिले। ऐसा करते हुए वे लाजिमी-तौर पर कुछ हद तक उनकी हालत बेहतर करने में मदद दे सकेंगे। उनकी राय के मुताबिक यही सच्चा लोकतंत्र है। १७ सितम्बर १९३४

को उन्होंने जो वकनव्य दिया था, उसमें उन्होंने लिखा है कि, "बहुत से लोग मेरा विरोध करने में निराश हैं। मेरे लिए यह बात ज़लिल करने जैसी है क्योंकि मैं तो जन्म में ही लोकतंत्री हूँ। गरीब-से-गरीब इन्सान के साथ बिल्कुल उनीका-सा हो जाना जिस हालत में वह रहता है उससे बेहतर हालत में रहने की स्वाहिब छोड़ देना, और अपनी पूरी ताकत के साथ उसकी तह तक पहुँचने की कोशिश हमेशा स्वेच्छापूर्वक करते रहना। अगर ये ऐसी बातें हैं कि जिनकी बुनियाद पर किसीको यह दावा करने का हक मिल सकता है, तो मैं यह दावा करता हूँ।"

इस हद तक तो गांधीजी की बात को सभी लोग मानेंगे कि अपने को आम लोगो से बिल्कुल अलग कर लेना और अपनी विलासिता और लोगो के रहन-सहन के ढंग से कड़ी ज्यादा ऊँचे ढंगों की नुमाइश उन लाखों लोगो के सामने करना जिनके पास ज़रूरी से-ज़रूरी चीजों की भी कमी है, बहुत ही बेजा और शर्मनाक है। लेकिन इसके अलावा गांधीजी की बाकी दलीलो और उनके दृष्टिकोण से आजकल का कोई भी लोकतंत्री, पूँत्रीवादी या समाजवादी सहमत नहीं होसकता। अगर जिन लोगो का दृष्टिकोण पुराना धार्मिक दृष्टिकोण है, वे इन बातों से कुछ हदतक सहमत होसकते हैं, क्योंकि इन लोगों की भावुकता भी अनीन से बँधी हुई है। और ये लोग हमेशा हर बात को अतीत की दृष्टि से ही देखा करते हैं। वे 'है' या 'होगा' की वाकत इनना नहीं सोचते, जितना कि 'था' की वाकत। भूतकालिक और भविष्यकालिक मनोवृत्तियो में ज़मीन और आसमान का फर्क है। पुराने ज़माने में तो इस बात का सोचा जाना भी मुश्किल था कि आम लोगो की भाली हालत को ऊँचा किया जाय। उन दिनों गरीब हमारे समाज के अभिन्न अंग बने हुए थे। उम वक्त तो मूडूडोमर अमोर लोग थे। वे सामाजिक ढाँचो के मुख्य अंग थे। वे उत्पादन प्रणाली के ज़रूरी हिस्से थे, इसी-

निए नदाचारो मुधारक और परदु खरानर सभी लोगो ने उनकी सत्ता स्वीकार करली थी, लेकिन माय ही उनको यह बात मुझाने की कोशिश करते रहने थे कि वे अपने गरीब भाइयो के प्रति अपने कर्तव्य को न भूले। वे लोग गरीबो के ट्रस्टी होकर रहे, दानी बने, यह उनका उप-देग होता था। इस प्रकार यह दान-पुण्य का एक मुख्य अंग होगया। राजा-महाराजाओ, बडे-बडे जमींदारो और पूंजीपतियो के लिए गाधीजी ट्रस्टी बनने के इम आदर्श पर हमेशा जोर देते रहते हैं। वे इस विषय में उन अनेक धार्मिक पुषपो की परम्परा पर चल रहे हैं, जो समय-समय पर यही कह गये हैं। पोप ने ऐलान किया है कि "अमीरो को यही खयाल करना चाहिए कि वे सर्वशक्तिमान के ऐसे सेवक और उसकी सम्पत्ति के ऐसे सरक्षक और वांटनेवाले हैं, जिनके हाथ में गरीबो का भाग्य ईमाममीह ने खुद सौं रक्खा है।" जनसाधारण के हिन्दू-धर्म और इस्लाम में भी यही खयाल मौजूद है। वे हमेशा पैसेवालो से यह कहते रहते हैं कि दान-पुण्य करो, और पैसेवाले भी मन्दिर या मस्जिद या धर्मशालायें बनवाकर या अपनी धन-दौलत में से गरीबो को कुछ ताँबे-चाँदी के गोल-गोल टुकडे देकर उनका हुकम बजा लाते हैं और यह सोचने लगते हैं कि हम लोग बडे धर्मात्मा हैं।

तेरहवे पोप लियो ने मई १८९१ में जो मशहूर धर्माज्ञा निकाली थी, उसमें पुरानी दुनिया का इस मजहबवी रुख को दरसानेवाला एक ज्वलन्त वाक्य है। पोप ने कहा था —

"इमीलिए इन्सान के भाग्य में यही वदा है कि वह धीरज के साथ दुद्यो को सहन करता जाय। इन्सान चाहे जितनी कोशिश करे, उसकी जिन्दगी को जो बीमारियाँ और तकलीफें रात-दिन परेशान किये रहती हैं, उन्हे हटाने में कोई भी ताकत या तबदीर कारगर नहीं होसकती। अगर कोई शख्स ऐसे है जो कहते हैं कि यह बात नहीं है, और जो बुरो

तरह दुखी लोगो को दुःख और वेदना से छुटकारा या उनको शान्ति, आराम और हमेशा भोग की उम्मीद दिलाते हैं, तो वे लोगो को सरासर धोखा देते हैं। और उनके ये झूठे वादे उन बुराइयो को दुगुना कर देनेवाले हैं। इससे ज्यादा फायदे की बात और कुछ नहीं है कि हम दुनिया को वैसी ही शकल में देखें, जैसी कि वह है, और साथ ही दुनिया जिन तकलीफो में फँसी हुई है उनके इलाज के लिए जगह तलाश करें।”

इसके आगे हमें यह बताया गया है कि यह “दूसरी जगह” कहीं है —

“जो जीवन आनेवाला है और जो जीवन शाश्वत है उसको ध्यान में लाये बिना इस दुनिया को न तो हम अच्छी तरह समझ ही सकते हैं न उसकी कीमत ही आँक सकते हैं। प्रकृति से हम जिस बड़ी सचाई का सबक सीखते हैं वह ईसाई-धर्म का भी सर्वमान्य सिद्धान्त है—यह कि वास्तव में हमारे जीवन का आरम्भ इस लोक को पार करने के बाद ही होगा। ईश्वर ने हमें दुनिया में अनित्य और क्षणभंगुर चीजों के लिए नहीं पैदा किया है, बल्कि उन चीजों के लिए पैदा किया है जो दिव्य और नित्य हैं। यह दुनिया तो ईश्वर ने हमें देश निकाले की जगह की उत्तोग दी है, न कि हमारे अपने देश की तरह। रुपया और वे दूसरी चीजें निम्न लोभ अच्छी और चाहने लायक बहते हैं उनकी बहुतायत भी होनगयी है और अभाव भी होमकता है—अर्थात्क शाश्वत सुख से सम्बन्ध है, उनका होना न होना बराबर है।”

यह नउहरी रूप उन प्राचीन काल में बोधा हुआ है जब मौजूदा मुर्म, जनों में बचने वा एकमात्र रास्ता परलोक की धारण लेना था। यद्यपि मरने जोगो वा आर्थिक अवस्था में कल्याणातीत उन्नति होचुकी है, फिर भी उन गूजने हुए खमाने की फाँसी टनारे गले में पही हुई है

और अब भी कुछ ऐसी आध्यात्मिक बातों पर जोर दिया जाता है जो गोल-मोल हैं और ऊटपटांग-सी हैं और जिनकी नाप-जोख नहीं हो सकती। कैथलिक लोगो की निगाह बारहवीं और तेरहवीं सदी की तरफ दौड़ती है। दूसरे लोग जिसे अचकार-युग कहते हैं उसीको ये ईसाई-धर्म का 'स्वर्ण-युग' कहते हैं। जब साघुओ की भरमार थी, जब ईसाई राजा धर्मयुद्धों के लिए कूच करते थे और गौथिक ढँगों पर गिरजाघरो का निर्माण होता था, उनकी राय में वह जमाना सन्धे ईसाई लोकतन्त्र का जमाना था। उन दिनों मध्यकालीन सभों के शासन में उसकी इतनी उन्नति हुई जितनी न पहले हुई थी न फिर बाद में। मुसलमानों की हसरत की निगाह उस प्रारम्भकाल के खलीफाशाही की ओर दौड़ती है। उनकी दृष्टि में इस्लामी लोकतन्त्र यही था, क्योंकि उन खलीफाओ ने दूर-दूर देशों में अपनी विजय-भ्रमताका फहराई थी। इसी तरह हिन्दू भी वैदिक और पौराणिक काल की बातें सोचते हैं। और रामराज्य के सपने देखते हैं। फिर भी तमाम तवारिखें हमसे यह कहती हैं कि उन दिनों की अधिकांश जनता बड़ी मुसीबत में रहती थी। उनके लिए तो अन्न-वस्त्र तक का घोर अभाव था। हो सकता है कि उन दिनों चोटी के कुछ मुट्ठीभर लोग आध्यात्मिक आनन्द का उपभोग करते हों, क्योंकि उनके पास उसके लिए फुसंत भी थी और साधन भी थे, लेकिन दूसरों के लिए तो यह सोचना भी मुश्किल है कि वे महज पेट पालने में दिन-रात जुटे रहने के अलावा और कुछ करते होंगे। जो शाहस भूखो भर रहा है, वह सांस्कृतिक और आध्यात्मिक उन्नति कैसे कर सकता है ? वह तो इमी फिक्र में लगा रहता है कि खाने का इन्तजाम कैसे हो ?

उद्योग धन्धों का जमाना अपने साथ ऐसी बहुत-सी बुराइयाँ लाया है, जो धनीभूत होकर हमारी नज़रों के सामने धूमती रहती हैं। लेकिन

हम भूल जाते हैं कि समस्त मसार और खासकर उन हिस्सों में, जहाँ उद्योग-व्यवस्था बहुत-बहुत बढ़ी है, उसने भीतिक प्रगति की ऐसी बुनियाद डाल दी है, जो बहुजनसमाज के लिए सांस्कृतिक और आध्यात्मिक प्रगति को अत्यन्त सुगम कर देती है। यह बात हिन्दुस्तान में या दूसरे औपनिवेशिक देशों में साफ जाहिर नहीं दिखाई देती है, क्योंकि हम लोगों ने उद्योग-वाद से फायदा नहीं उठा पाया है। हम लोगों का तो नकल उद्योग-वाद ने शोषण किया है, और बहुत-सी बातों में हमारी हालत माली निगाह से भी पहले से भी बवत्तर होगई है—सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से तो वह और भी ज्यादा बुरी होगई है। इस मामले में कुमूर उद्योग-वाद का नहीं, बल्कि विदेशी आधिपत्य का है। हिन्दुस्तान में जो चीज पश्चिमीकरण के नाम से पुकारी जाती है उसने कम-से-कम इस वक्त के लिए तो, असल में, माण्डलिकशाही को और भी मजबूत कर दिया है। उसने हमारे एक भी मसले को हल करने के बदले उसे और भी पेचीदा कर दिया है।

लेकिन यह तो हमारी बदकिस्मती की बात हुई। मगर इस भावना से हमें आज की दुनिया को नहीं देखना चाहिए। क्योंकि मौजूदा हालात में तमाम समाज के लिए या उत्पादन-व्यवस्था के लिए धनवान लोग अब न दौ चरूरी ही रहे हैं, न वाञ्छनीय ही। अब वे फबूल होगये हैं और हर वक्त हमारे रास्ते में रोड़े की तरह अटकते हैं। और धर्माचार्यों के उच्च पुरातन उपदेश के कोई मानी नहीं रहे, कि धनवान लोग दान-धुष्य करे और शरीर जिस हालात में है उसीमें सतुष्ट रहे और उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद करें, भित्तव्ययी बने, और मले आदमियों की तरह रहें। अब तो मानव-समाज के साधन प्रचुरता से बढ़ गये हैं, और वह सांसारिक समस्याओं का सामना कर उनका उपाय कर सकता है। ज्यादातर अमीर लोग निश्चित रूप से दूसरों के अम

के वर पर जीवन व्यतीत करते हैं, और समाज में ऐसे पराश्रयी नमुदाय का हाना न केवल इन उत्पादक शक्तियों के मार्ग में बाधा है वरन् उनका अपव्यय करनेवाला भी है। यह समाज और जो प्रणाली इस जमात को पैदा करती है वे वाम्तव में उद्यम और पैदावार को रोकते हैं और समाज के दोनो भागों के बेकारों को प्रोत्साहन देती है, यानी उन लोगों को भी जो दूसरों की मेहनत पर चैन करते हैं और उनको भी जिनको कोई काम ही नहीं मिलता और जो इसीलिए भूखो मरते हैं। खुद गांधीजी ने कुछ बखन पहले लिखा था—“बेकार और भूखो मरनेवाले लोगों के लिए तो मजदूरी और वेतन-रूपी भोजन का आश्रय ही ईश्वर होसकता है। ईश्वर ने अपने वन्दो को इसलिए पैदा किया था कि वे कमाकर खावे और उसने कह दिया था कि जो बिना कमाये खाते हैं वे चोर हैं।”

वर्तमान युग की पेचीदा समस्याओं को प्राचीन पद्धतियों और सूत्रों का प्रयोग कर समझने का प्रयत्न करना और उनके बारे में गये-गुजरे जमाने की भाषा का प्रयोग करना उलझन पैदा करने और असफलता को निमन्त्रित करने का मार्ग है, क्योंकि, उस जमाने में ये समस्याये पैदा ही नहीं हुई थी। कुछ लोगों की यह धारणा है कि निजी मिल्कियत पर मालिकाना हक की कल्पना ससार के आदि काल से चली आने वाली कल्पनाओं में की एक कल्पना है, किन्तु वास्तव में यह सदा बदलती रही है। एक जमाना था जबकि गुलाम मिल्कियत समझे जाते थे। इसी तरह स्त्रियाँ और बालको, पति का नवबन्धु की पहली रात पर अधिकार, और सडको, मन्दिरों, नावों, पुलों, सार्वजनिक उपयोग की वस्तुओं एवम् वायु और भूमि—इन सब पर मालिकाना अधिकार का प्रयोग किया जासकता था। पशु अब भी मिल्कियत समझे जाते हैं, हालाँकि अनेक देशों में उन पर के मालिकों के अधिकार को बहुत मर्यादित

कर दिया है। युद्ध के समय में तो निजी सम्पत्ति के अधिकारों पर लगातार कुठाराघात होता रहता है। निजी सम्पत्ति दिन-पर-दिन स्थूल रूप छोड़कर नये-नये रूप धारण कर रही है—जैसे घोघर, बैंक में जमा की हुई और कर्ज के रूप में दी गई पूंजी। ज्यो-ज्यो सम्पत्ति-सम्बन्धी धारणा बदलती जाती है राज्य अधिकाधिक दस्नन्दाजी करता जाता है और जनता की माँगों के फलस्वरूप सम्पत्तित्रालो के अन्वावृन्ध अधिकारों को सीमित कर देता है। सभी प्रकार के भारो-भारी टैक्स, जो एक प्रकार की ज़रणी है, सार्वजनिक हित के लिए व्यक्तिगत सम्पत्ति के अधिकारो का अपहरण-मात्र है। सार्वजनिक हित सार्वजनिक नीति को बुनियाद है और किसी व्यक्ति को यह हक नहीं है कि वह अपने साम्पत्तिक अधिकारो की रक्षा के लिए भी इस सार्वजनिक हित के विरुद्ध काम करे। अगर देखा जाय तो पिछले जमाने में भी ज्यादातर लोगो के कोई साम्पत्तिक अधिकार नहीं थे, वे खुद भी दूसरो की मिल्कियत बने हुए थे। आज भी बहुत कम लोगो को ये हक हासिल है। स्थापित स्वार्थो की बात बहुत सुनाई देती है, लेकिन आजकल तो एक नया स्थापित स्वार्थ और माना जाने लगा है, और वह स्वार्थ यह है कि हर औरत और मर्द को यह हक है कि वह जिन्दा रहे, मेहनत करे और अपनी मेहनत के फलों का उपयोग करे। सिर्फ इन बदलती रहनेवाली धारणाओ के कारण मिल्कियत और सम्पत्ति लोप नहीं होजाती, बल्कि उनका क्षेत्र और अधिक व्यापक होगया है, और मिल्कियत और सम्पत्ति के कुछ थोड़े ही लोगो के पास केन्द्रित हो जाने से इन लोगो को दूसरो पर जो अधिकार प्राप्त होगया था वह फिर सारे नमाव के हाथो में बापम ले लिया जाता है।

गांधीजी लोगो का आन्तरिक, नैतिक और आध्यात्मिक सुधार चाहने हैं और इस प्रकार सारी वास्तव परिस्थिति को ही बदल देना चाहते हैं।

वह चाहते हैं कि लोग बुरी आदतें छोड़ दे, इन्द्रियों के भोगों को तिलाञ्जलि दें और पवित्र बन जायें। वह इस बात पर जोर देते हैं कि लोग ब्रह्मचर्य से रहे, नशा न करे, न सिगरेट बगैरा पीवे। इस मामले में लोगों में मतभेद होसकता है कि इन भोगों में से कौन-सा ज्यादा बुरा है और कौन-सा कम। लेकिन क्या इस बात में किसी को शक होसकता है कि ये व्यक्तिगत त्रुटियाँ व्यक्तिगत दृष्टि से भी और सामाजिक दृष्टि से तो और भी कम हानिकारक हैं—बनिस्वत लालच, खुदगर्बी, परिग्रह, जाती फायदे के लिए व्यक्तियों के भयानक लड़ाई-झगड़े, जमातों और फिरकों के क्रूर सघर्ष, एक जमात द्वारा दूसरी जमात के अमानुषिक शोषण और दमन व राष्ट्रों की आपस की भयानक लड़ाईयों के? यह सच है कि गांधीजी इस तमाम हिंसा और पतनकारी सघर्ष से नफरत करते हैं। लेकिन क्या ये सब बातें आजकल के स्वार्थी पूँजीपति समाज में स्वभाविक रूप में मौजूद नहीं हैं, जिसका कानून यह है कि बलवान लोगों को कमजोरों का खून चूसना चाहिए, और पुराने जमाने की तरह जिसका मूलमन्त्र यह है कि “जिनके वाजुओं में ताकत है वे जो चाहे सो लें और जो रख सकते हैं वे जो चाहे अपने पास रखें?” इस युग की मुनाफे की भावना का लाजिमी परिणाम सघर्ष होता है। यह सारी प्रणाली मनुष्य की लूट-खसोट की सहज वृत्तियों का पोषण करती है और उसको फलने-फूलने की पूरी सुविधा देती है। हमें सन्देह नहीं कि इससे मनुष्य की उच्च भावनाओं को भी बाह मिलती है, लेकिन इनकी अपेक्षा उसकी हीन वृत्तियों को कहीं अधिक पोषण मिलता है। इस प्रणाली में कामयाबी के मानी हैं दूसरों को नीचे गिरा देना और गिरे हुए पर चढ़ बैठना। अगर समाज इन उद्देश्यों और महत्वाकांक्षाओं को प्रोत्साहित करता है और इन्हींकी तरफ समाज के सर्वोत्तम व्यक्ति आकृष्ट होते हैं, तो क्या गांधीजी यह समझते हैं कि ऐसे वातावरण में

वह अपने मानव-समाज को नशाचारी बनाने के आदर्श को पूरा कर सकेगे ? वह जनता को मेवा-भावमय बनाना चाहते हैं। सम्भव है, कुछ व्यक्तियों को बनाने में उन्हें कामयाबी भी मिल जाय, लेकिन जन्म-समाज स्वार्थी शोषक-समाज के मूरमाओ को लोगों के सामने आदर्श के रूप में अपने सामने रखेगा और जन्म-समाज के व्यक्तियों को साम की भावना समझी प्रेरक शक्ति बनी रहेगी तब तक बहुजन-समाज तो इसी मार्ग पर चलता रहेगा।

लेकिन यह मसला तो अब महज सदाचार या नीति के वादविवाद का नहीं है। यह तो आजकल का एक बहुत जरूरी मसला है, क्योंकि दुनिया ऐसे दलदल में फँस गई है जिससे निकलने की कोई उम्मीद नहीं, उसे उससे निकालने के लिए कोई-न-कोई रास्ता ढूँढना ही होगा। 'मिकावर' की तरह हम इस बात का इन्तज़ार नहीं कर सकते कि कुछ-न-कुछ अपने आप होजायगा। न तो पूंजीवाद, समाजवाद, कम्युनिज्म आदि के दूरे पहलुओं की निरी आलोचना करने से और न यह निराधार आशा लगाये बैठे रहने से, कि कोई ऐसा वीच का रास्ता निकल आयेगा जो अमीतक की सब पुरानी और नई प्रणालियों में की चुनी हुई अच्छी से अच्छी बातों को एक जगह मिला देगा, कुछ काम नहीं चलेगा। बीमारी का निदान करना होगा, उसका इलाज मालूम करना होगा, और उसे काम में लाना पड़ेगा। यह विलकुल निश्चित है कि हम जहाँ हैं वहाँ-के-वहीं छड़े नहीं रह सकते—न तो राष्ट्रीय दृष्टि से, न अन्त-

१. मिकावर विल्किन्स, श्री चार्ल्स डिकिन्स के 'डेविड कॉपरफील्ड' नामक नाटक का एक मशहूर पात्र है, जिसकी उदासीनता और प्रसन्नता क्षण-क्षण में एक-दूसरी का स्थान लेती रहती थी, जो बड़ा अहुरदर्शी और इसलिए हमेशा भुसीबतों का शिकार रहता था, और जो सर्वत्र इस बात की प्रतीक्षा में रहता था कि अपने-आप कुछ-न-कुछ होने ही वाला है।

-राष्ट्रीय से ही । हमारे लिए दो ही रास्ते होसकते हैं, या तो पीछे हटें या आगे बढ़ें । लेकिन शायद इस बात में विकल्प ही नहीं है, क्योंकि पीछे हटने की तो कल्पना ही नहीं की जासकती ।

फिर भी गाँधीजी की बहुत-सी कार्रवाइयो से कोई भी यह सोच सकता है कि उनका ध्येय तो स्वाश्रयी व्यवस्था को फिर से लेजाना है । न केवल राष्ट्र बल्कि गाँव तक को स्वाश्रयी बना देना है । प्राचीनकाल के प्रारम्भिक समाजों में गाँव कम या अधिक स्वावलम्बी थे । वे अपने खाने को नाज, पहनने को कपड़े और अपनी जरूरतों के दूसरे सामान गाँव में पैदा कर लेते थे । निश्चय ही इसके मानी ये हैं कि लोग बहुत ही गरीबी के ढँग से रहते होंगे । मैं यह नहीं समझता कि गाँधीजी हमेशा के लिए यही लक्ष्य बनाये रखना चाहते हैं, क्योंकि यह तो असम्भव लक्ष्य है । ऐसी हालत में जिन मुल्कों की आबादियाँ बहुत बड़ी हुई हैं, वे तो जिन्दा ही नहीं रह सकते । इसलिए वे इस बात को बरदास्त नहीं करेगे कि इस कष्टमय और भूखो मरने की स्थिति की ओर लौटा जाय । मेरा खयाल है कि हिन्दुस्तान जैसे कृषि-प्रधान देश में, जहाँ कि रहन-सहन का स्टैण्डर्ड बहुत नीचा है, ग्रामीण उद्योगों को तरक्की देकर वहाँ की जनता के पैमाने को कुछ ऊँचा कर सकते हैं । लेकिन हम लोग बाकी दुनिया से उसी तरह बँधे हुए हैं जैसे हमारे मुल्क बँधे हुए है, और मुझे यह बात बिल्कुल अनहोनी मालूम देती है कि हम उनसे अलग होकर रह सके । इसलिए हमें सब बातों को तमाम दुनिया की निगाह से देखना होगा और इस दृष्टि से देखने पर सकुचित स्वाश्रयी व्यवस्था की कल्पना ही नहीं होसकती । जातीतौर पर मैं तो उसे सब दृष्टियों में अवाञ्छनीय समझता हूँ ।

लाञ्छिमीतौर पर हमारे पास सिर्फ एक ही हल मुमकिन रह जाता है और वह है एक समाजवादी व्यवस्था की स्थापना । यह व्यवस्था पहले

राष्ट्रीय सीमाओं के अन्दर कायम होगी, फिर कालान्तर में तमाम दुनिया में। हम व्यवस्था में उत्पादन और सम्पत्ति का बटवारा सार्वजनिक हित की दृष्टि से और जनता के हाथों से होगा। यह कैसे हो, यह एक दूसरा सवाल है। लेकिन इतनी बात साफ है कि महज इस खपाल से कि जिन थोड़े से लोगों को मौजूदा व्यवस्था से फायदा पहुँचता है वे उसे बदलने में ऐतराज करते हैं, हमें अपने राष्ट्र या मनुष्य-जाति की भलाई के काम को नहीं रोकना चाहिए। अगर राजनैतिक या सामाजिक सस्याये ऐसी तबदीली के रास्ते में अड़चन डालती है, तो उन सस्याओं को मिटाना होगा। उस वाञ्छनीय और व्यावहारिक आदर्श को तिलाञ्जलि देकर इन सस्याओं से समझौता करना बहुत बुरा विश्वासघात होगा। दुनिया की हालते इस तबदीली के लिए कुछ हद तक मजबूर और इसकी रफ्तार को तेज कर सकती है। लेकिन पूरे तौर पर तो वह तबतक मुश्किल से ही होसकती है जबतक जिन लोगों का उससे फायदा है उनमें से बहुत बड़ी तादाद उसे अपनी खुशी से न चाहे और न मजूर करे। इसीलिए इस बात की जरूरत है कि उनको समझा-बुझाकर हम तबदीली के पक्ष में कर लिया जाय। मुट्ठीभर लोगों का पड़मन्त्र करके हिंसात्मक काम करने से काम नहीं चलेगा। कुदरतन् कोशिश तो इस बात की की जानी चाहिए कि जिन लोगों को मौजूदा व्यवस्था में फायदा पहुँचता है वे भी हमारे साथ होजायें, लेकिन यह बात मुमकिन नहीं मालूम होती कि उनमें का अधिकांश कमी हमारी तरफ होसकेगा।

गद्दी-आन्दोलन में, जो गांधीजी को विशेष रूप से प्रिय है, उत्पत्ति के नाम में व्यक्तिवाद और भी गहरा होता है और इस तरह वह हमें औपनिवेशिक जमाने से पीछे फेंक देता है। आजकल के किमी भी बड़े शक्ति के लोकोत्पन्न करने में लिहाज में तो आप उसपर बहुत भरोसा कर ही

नहीं सकते। इसके अलावा उससे एक ऐसी मनोवृत्ति पैदा होती है जो हमें सही दिशा की तरफ बढ़ने देने में अड़चन साबित हो सकती है। फिर भी, मैं मानता हूँ कि, कुछ समय के लिए उसने बहुत फायदा पहुँचाया और भविष्य में भी कुछ समय के लिए और लाभदायक हो सकती है, उस वक्त तक के लिए जबतक कि सरकार व्यापक रूप से देशभर के लिए कृषि और उद्योग-धन्वों से सम्बन्ध रखनेवाले प्रश्नों को ठीक तरह से हल करने के काम को खुद अपने हाथ में नहीं ले लेती। हिन्दुस्तान में इतनी ज्यादा बेकारी है जिसका कहीं कोई हिसाब ही नहीं है, और देहाती क्षेत्रों में तो आंशिक बेकारी इससे भी कहीं ज्यादा है। सरकार की तरफ से इस बेकारी का मुकाबिला करने के लिए कोई कोशिश ही नहीं की गई है, न उसने बेकारों को किसी किस्म की मदद देने की कोशिश की है। आर्थिक दृष्टि से खादी ने उन लोगों को कुछ थोड़ी-सी मदद जरूर दी है, जो विलकुल या कुछ हद तक बेकार थे, और क्योंकि उनको जो कुछ मदद मिली वह उनकी अपनी कोशिश से मिली, इसलिए उसने उनके आत्मविश्वास का भाव बढ़ाया है और उनमें स्वाभिमान का भाव जागृत कर दिया है। सच बात यह है कि खादी का सत्रने ज्यादा अच्छा परिणाम मानसिक हुआ है। खादी ने शहरवालों और गाँववालों के बीच की खाई को पाटने की कोशिश में कुछ कामयाबी हासिल की है। उसने मध्यमवर्ग के पटे-लिखे लोगों और किनारों को एक-दूसरे के नज़दीक पहुँचाया है। कपड़ों के पहननेवालों और देखनेवालों दोनों के ही मन पर बहुत असर पड़ता है। इसलिए जब मध्यमवर्ग के लोगों ने सफ़ेद सादी की सादी पोशाक पहनना शुरू किया तो उमना नतीजा यह हुआ कि सादगी बढ़ी, पोशाक की दिखावट और उनका गैवारूपन कम होगया, और आम लोगों के साथ एवता का भाव बढ़ा। इसके बाद जो लोग मध्यमवर्ग में भी नीचे धँसे के थे, उन्होंने कपड़ों

के मामले में अमीर लोगो की नकल करना छोड़ दिया और खुद सारी पोशाक पहनने में किसी किस्म की बेइम्कती समझना भी छोड़ दिया। सच बात तो यह है कि जो लोग अब भी रेगम और मलमल दिखाते फिरते थे, खादी पहननेवाले उनसे अपने को ज्यादा प्रतिष्ठित और कुछ ऊँचा समझने लगे। गरीब-से-गरीब आदमी भी खादी पहनकर आत्म-सम्मान और प्रतिष्ठा अनुभव करने लगा। जहाँ बहुत-से खादी-घाती लोग जमा होजाते थे वहाँ यह पहचानना मुश्किल होजाता था कि इनमें कौन अमीर है और कौन गरीब और इन लोगो में सायोपन का भाव पैदा होजाता था। इसमें कोई शक नहीं कि खादी ने कॉर्पोस को जन्ता के पास पहुँचने में मदद दी। वह फौमी आजादो को बर्दी होगई।

इसके अलावा, हिन्दुस्तान के पुतलीघरो के मालिको में अपनी मिलो के कपडो की कीमतें बढ़ाते जाने की जो प्रवृत्ति हमेशा पाई जाती थी उसको भी खादी ने रोका। पुराने जमाने में तो हिन्दुस्तान की इन मिलो के मालिको को सिर्फ एक ही डर कीमते बढ़ाने से रोकता था, और वह था, विलायती खासतौर पर लकाघायर, के कपडो की कीमती का मुकाबिला। जब कमी यह मुकाबिला बन्द होगया, जैसाकि विश्वव्यापी महायुद्ध के जमाने में हुआ था, तभी हिन्दुस्तान में कपडो की कीमत बेहद चढ़ गई और हिन्दुस्तान की मिलो ने मुनाफे में भारी रकमें कमाईं। इनके बाद स्वदेशी की हलचल और विलायती कपडो के वहिष्कार के पक्ष में जो आन्दोलन हुआ उसने भी इन मिलो को बहुत बड़ी मदद पहुँचाई, लेकिन जबने खादी मुकाबिले पर आ डटी तबसे बिलकुल दूसरी बात होगई और मिलो के कपडों की कीमते उतनी न बढ़ सकी जितनी वे खादी के न होने पर घटनी। चल्कि सच बात तो यह है कि इन मिलो ने (साथ ही जापान ने भी) लोगों की खादी की भावना से नाजायज फायदा उठाया—उन्होंने ऐसा मोटा कपडा तैयार किया, जिसका हाथ

के कते और हाथ के बने कपडे से भेद करना मुश्किल होगया। युद्ध की-सी कोई दूसरी ऐसी गैर-मामूली हालत पैदा हो जाने पर, जिसमें विला-यती कपडे का हिन्दुस्तान में आना बन्द हो जाय, हिन्दुस्तानी मिलों के मालिकों के लिए कपडों की खरीदार पब्लिक से अब उतना फायदा उठा सकना मुमकिन नहीं है जितना कि १९१४ से बाद तक उठाया गया। खादी का आन्दोलन उन्हें ऐसा करने से रोकेगा और खादी के सगठन में इतनी ताकत है कि वह थोड़े ही दिनों में अपना काम बड़ा सकता है।

लेकिन हिन्दुस्तान में खादी के धन्वे के इन सब फायदों के होते हुए भी ऐसा मालूम होता है कि वह सक्रमण-काल की ही वस्तु होसकती है। मुमकिन है कि इस काल के गुजर जाने के बाद भी वह एक सहा-यक धन्वे की तरह चलती रहे, जिससे कि आर्थिक उच्च व्यवस्था—समाजवादी व्यवस्था कायम होने में मदद मिले। लेकिन अब आगे तो हमारी मुख्य शक्ति कृषि-सम्बन्धी वर्तमान व्यवस्था में आमूल परिवर्तन करके औद्योगिक धन्वों के प्रसार में लगेंगी। कृषि अथवा भूमि-सम्बन्धी समस्याओं के साथ खिलवाड़ करने से और उन अगणित सरकारी कमी-गनों से, जो लाखों रुपये खर्च करने के बाद सिर्फ ऊपरी ढाँचों में चुट-पुट परिवर्तन करने की तुच्छ तजवीजे करते हैं, ज़रा भी लाभ नहीं होगा। हमारे यहाँ जो भूमि-प्रणाली जारी है, वह हमारी आँखों के सामने दहती जा रही है और वह पैदावार के लिए, बटवारे के लिए, और माकूल व बड़े पैमाने पर किये जानेवाले कृषि-प्रयोगों के लिए एक अहत्तन साबित हो रही है। इस प्रथा में आमूल परिवर्तन करके छोटे-छोटे खेतों की जगह सगठित, सामूहिक और सहयोगी कृषि-प्रणाली जारी करके ही थोड़े परिश्रम से ज्यादा पैदावार करके हम मौजूदा हालत का मुकाबिला कर सकते हैं। यह ठीक है कि, जैसा गांधीजी को डर है, बड़े पैमाने पर काम कराने से खेती का काम करनेवालों की तादाद कम

होजायगी, लेकिन खेती का काम ऐसा नहीं है कि उसमें हिन्दुस्तान के तमाम लोग लग जायेंगे या लग ही सकेंगे। वाकी के दूसरे लोगों को सम्भव है कि कुछ हद तक तो छोटे पैमाने पर किये जानेवाले धन्धों पर जुटना पड़े, लेकिन ज्यादातर लोगों को तो खासतौर पर बड़े पैमाने पर किये जानेवाले समाज-कृत काम-धन्धों और समाजहित के कामों में लगना होगा।

यह सच है कि कुछ हलकों में खादी से कुछ राहत मिली है, लेकिन उसकी इस कामयाबी में ही एक खतरा भी छिपा हुआ है। वह यहाँ की जीर्ण-शीर्ण भूमि-प्रथा को पोषण दे रही है और उस हद तक उसकी जगह एक उन्नत प्रथा के आने में देर लगा रही है। यह जरूर है कि खादी का यह असर इतना काफी ज्यादा नहीं है कि उससे कोई खास फर्क पड़े, लेकिन वह प्रवृत्ति जरूर मौजूद है। किसान या छोटे किसान-जमींदार को उसके खेतों की पैदावार का जो हिस्सा मिलता है वह अब इतना काफी भी नहीं रहा कि जिसमें वह उसके जरिये अपनी बहुत नीचे गिरी हुई हालत में से भी अपना गुञ्जारा करले, जिसपर कि वह पहुँच गया है। अपनी तुच्छ आय बढ़ाने के लिए उसे बाहरी साधनों का सहारा लेना पड़ता है, या जैसा कि वह आमतौर पर करता है, उसे अपना लगान या अपनी मालगुजारी अदा करने के लिए और भी ज्यादा कर्ज में फँसना पड़ता है। इस तरह किसान को खादी वर्गों से जो आयद आमदनी होती है उससे भरकार या जमींदार को अपना हिस्सा समूल करने में मदद मिलती है, जो उसके अभाव में नहीं मिलती। और अगर यह जायद आमदनी बहुत काफी होती, तो यह भी भूमिकिन हो सकता था कि कुछ दिनों बाद लगान इतना बढ़ जाय कि वह इसे भी टूटप जाना। मौजूदा प्रथा में काफ़ीतर जितनी ज्यादा मेहनत करेगा और जितनी ज्यादा किफायतकारी करने की कोशिश करेगा, बाहर

में जमींदार को उनना ही ज्यादा फायदा पहुँचेगा । जहाँ तक मुझे याद है, हेनरी जार्ज ने 'नवकी थीर गरीबी' (Progress and Poverty) नाम की किताब में इस भागले को, खासतौर पर आयर्लैण्ड की मिसालें दे देकर, अच्छी तरह नमनाया है ।

गावों के धन्वों या पुनरुद्धार करने की गाधीजी जो कोशिश कर रहे हैं वह उनके खादीवाले कार्यक्रम का विस्तार ही है । उससे तात्कालिक लाभ होगा—कुछ अण में तो स्यायी, और शेष अधिकांश थोड़े दिनों के लिए । वह गाववालों की उनकी मीजूदा मुसीबत में मदद करेगा और कुछ ऐसे साम्प्रतिक और कला-कौशल-सम्बन्धी गुणों को, जिनके नष्ट होजाने की आशंका थी, पुनर्जीवित कर देगा । लेकिन जिस हद तक यह कौशिक मशीनों के और उद्योगवाद के खिलाफ एक वगावत है, वहातक उसे कामयाबी नहीं मिलेगी । हाल ही में 'हरिजन' में गाव के धन्वों के बारे में गाँधीजी ने लिखा है—“मशीनों से उस वक्त काम लेना अच्छा है जब जिस काम को हम पूरा करना चाहते हैं उसे पूरा करने के लिए काम करनेवाले बहुत कम हों । लेकिन जैसा कि हिन्दुस्तान में है, अगर काम के लिए जितने आदमियों की जरूरत है उससे ज्यादा आदमी मीजूद हों तो, मशीनों से काम लेना बुरा है ।.. हम लोगों के सामने यह सवाल नहीं है कि हम अपने गाव के रहनेवाले करोड़ों लोगों को काम से छुट्टी या फुरसत किस तरह दिलावे । हमारे सामने जो मसला है, वह तो यह है, कि हम उनके उन बेकारी की घड़ियों का किस तरह इस्तमाल करें जिनकी तादाद साल में काम के छ महीनों के बराबर है ।” लेकिन यह ऐतराज तो थोड़ी-बहुत मात्रा में उन सब मुन्कों के लिए लागू होता है जो बेकारी की मुमीबत में पड़े हुए हैं । लेकिन सचमुच खराबी यह नहीं है कि लोगों के करने के लिए काम नहीं है, वह तो यह है कि मीजूदा पूँजीपति-प्रणाली में अब अधिक लोगों को काम

में लगाना लाभकर नहीं होता। काम की ताँ इनकी बहुतायत है कि वह पुकार-पुकारकर कह रहा है कि आओ, आओ और मुझे पूरा करो— जैसे सबको का बनाना, सिंचाई का इन्तज़ाम करना, सफाई और दवावाह की सहूलियतों को फैलाना, धन्वो का, विजली का, सामाजिक और सांस्कृतिक सेवाओं का और तालीम का प्रसार करना और लोगों के पास जिन वीसियों बन्दरी चीजों की कमी है उनके जुटाने का इन्तज़ाम करना। हमारे करोड़ों भाई अगले पचास साल तक इन कामों में बड़ी मेहनत करके भी उन्हें खत्म न कर पायेंगे और लोगों को काम मिलते रहेंगे। लेकिन यह सब तभी होसकता है जबकि प्रेरक-शक्ति समाज की तरफकी करना हो, न कि मुनाफे की वृत्ति, और जबकि समाज इन बातों का संगठन आम लोगों की भलाई के लिए करे। रूस की सोवियट यूनियन में और चाहे जितनी खामियाँ हो, लेकिन वहाँ एक भी आदमी बेकार नहीं है। हमारे भाई इसलिए बेकार नहीं हैं, कि उनके लिए कोई काम नहीं है, बल्कि इसलिए बेकार हैं, कि उनके लिए काम के और सांस्कृतिक तरफकी के वास्ते किसी किस्म की सहूलियतें नहीं हैं। अगर बच्चों से मजदूरों कराना कानूनन रोक दिया जाय, एक माकूल उम्र तक हरेक के लिए पढना लाजिमी कर दिया जाय, तो मजदूरों और बेकारों की तादाद में से इन लड़के और लड़कियों की कमी होजायगी और मजदूरों के बाजार में से करोड़ों भावी मजदूरों का बोझ हलका होजायगा।

गांधीजी ने चलों और तकली में और उनके चलाने की ताकत को बढ़ाने की कोशिश में कुछ कामयाबी हासिल की है, लेकिन यह कोशिश तो भीबार और मशीन में तरफकी करने की कोशिश है, और अगर तरफकी जारी रही (और तरफकी की बात तो यह है कि यह बात भी प्रथम से बाहर नहीं है, कि घरेलू धन्धे भी विजली से चलाये जाने लें), तो मुनाफे की मानना फिर आधुनिकी और उससे वे रक्षण, जो

१५ बहुत पैदावार और बेकारी के नाम से पुकारे जाते हैं, पैदा होजायेंगे ।
 १६ जबतक हम गाँव के धन्वो को किसी आजकल की औद्योगिक यन्त्रकला के साथ नहीं मिलायेंगे तबतक तो हम आज जिन भौतिक और सांस्कृतिक चीजों की लाजिमी तौर पर हमें जरूरत है उन्हें भी पैदा नहीं कर सकेंगे । फिर ये धन्वे मशीन का मुकाबिला नहीं कर सकते । क्या हमारे लिए ऐसा करना ठीक होगा, या हम उसे कर भी सकेंगे, कि हम अपने मुल्क में बड़े पैमाने पर काम करनेवाली मशीनों को अपना काम करने से रोकदे ? गाँधीजी ने बराबर यह कहा है कि वह मशीन के रूप में मशीन के खिलाफ नहीं है । ऐसा मालूम होता है कि वह यह समझते हैं कि आज हिन्दुस्तान में उनके लिए कोई जगह नहीं है । लेकिन क्या हम बुनियादी धन्वो को—जैसे लोहे और इसपात को या इनसे हलके उन धन्वो को भी जो पहले से मौजूद है—सभेटकर बन्द कर सकते हैं ?

साफ़ ज़ाहिर है कि हम ऐसा नहीं कर सकते । अगर हमारे यहाँ रेल, पुल, आवागमन की सहाय्यतें बग़ैरा रहें, तो या तो हमें खुद ये चीजें बनानी पड़ेंगी या दूसरों पर निर्भर रहना होगा । अगर हमें अपने मुल्क को हिफाजत के ज़रिये अपने पास रखने हैं, तब तो हमें न सिर्फ़ बुनियादी धन्वे ही जारी रखने पड़ेंगे बल्कि बहुत ज्यादा बढी हुई औद्योगिक प्रणाली भी कायम रखनी पड़ेगी । इन दिनों तो कोई भी मुल्क उस वक़्त तक असल में आज़ाद नहीं है और न वह दूसरे मुल्क के हमले का मुकाबिला ही कर सकता है, जबतक कि औद्योगिक दृष्टि से वह उन्नत न हो चुका हो । एक बुनियादी धन्वे को इस बात की ज़रूरत रहती है कि उसकी मदद के लिए दूसरा बुनियादी धन्वा जारी किया जाय, जो उसके काम को पूरा करदे, अन्त में हमें खुद मशीने बनाने का धन्वा भी जारी करना पड़ेगा । जब ये तमाम बुनियादी धन्वे चलेगें, तब यह लाजिमी होजायगा कि छोटे धन्वे भी फ़ैले । इस प्रक्रिया

को कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि उससे न सिर्फ हमारी भौतिक और सांस्कृतिक तरक्की ही बची हुई है बल्कि हमारी आजादी भी उसीपर निर्भर है और बड़े धन्धे जितने ज्यादा फैलेगे, छोटे पैमाने पर किये जानेवाले गाँवों के धन्धे उनका मुकाबिला उतना ही कम कर सकेंगे। समाजवादी प्रणाली में उनके बचने की थोड़ी-बहुत गुंजाइश भी हो सकती है, लेकिन पूँजीवादी प्रणाली में तो उन्हें कोई मौका नहीं मिल सकता, और समाजवाद में भी वे धरेंलू धन्धों के रूप में उसी हालत में रह सकते हैं, जब वे खासतौर पर ऐसा माल तैयार करें, जो बहुत बड़े पैमाने पर तैयार नहीं किया जाता।

काँग्रेस के कुछ नेता उद्योगीकरण से डरते हैं। उनका खयाल है कि उद्योग-प्रधान मुल्कों की आजकल की मुश्किलें बहुत बड़े पैमाने पर माल पैदा करने की वजह से ही पैदा हुई हैं। लेकिन यह तो स्थिति का बहुत ही गलत अध्ययन है। अगर आम लोगों के पास किसी चीज की कमी है, तो उस चीज को उनके लिए काफी तादाद में तैयार करना क्या कोई बुरी बात है? क्या उनके लिए यही बेहतर है कि बहुत बड़े पैमाने पर माल तैयार करने के बजाय उस चीज के बिना ही वे अपना काम चलायें? साफ जाहिर है कि कूसूर इस तरह माल तैयार करने का नहीं है, बल्कि तैयार हुए माल का बँटवारा करनेवाली प्रणाली की बेहदगी और अयोग्यता का है।

गाँवों के धन्धों की तरक्की करनेवालों को जिस दमरी मुश्किल का

१ ३ जनवरी १९३५ को अहमदाबाद में बोलते हुए सरदार वल्लभभाई पटेल ने कहा था—“सच्चा समाजवाद गाँवों के धन्धों को तरक्की देने में है। हम यह नहीं चाहते कि बहुत बड़े पैमाने पर माल तैयार करने की वजह से पश्चिमी मुल्कों में जो खराबियाँ पैदा होगई हैं उन्हें हम अपने यहाँ भी मुलायें।”

नामना करना है, यह वह है कि हमारी गैरी दुनिया के बाजार पर निर्भर है। उनकी बजट में गजबूर हीकर किमानों को ऐसी फमल बोनी पडती है कि उनके काम धन्डे मित्रे और दागों के लिए उन्हें दुनिया के प्रचलित भावों पर निर्भर रहना पडता है। लेकिन जबकि ये भाव बदलते रहते हैं तब भी बेचारे किमान को अपना लगान या मालगुजारी नगदनारायण के रूप में देनी पडती है। किमी-न-किमी तरह उमे यह रूपया लाना पडता है, या हर हालत में यह रूपया भरने की कोशिश करता है, और उमीलिए यह वही फमल बोना है जिसकी वह समझता है कि मुझे ज्यादा-से-ज्यादा कीमत मिलेगी। यह तो इतना भी नहीं कर सकता कि कम-से-कम अपने और अपने बाल-बच्चों की खिलाने के लिए जितने अनाज भी उमे जरूरत है उतना तो खुद अपने खेत में पैदा करले।

उन सालों में ग्राहपदार्यों में से ज्यादातर अनाजों और दूसरी चीजों की कीमत एकदम गिर गई। नतीजा यह हुआ कि लाखों किसान, ग्रामतीर पर युक्तप्रान्त और बिहार के, ईख की खेती करने लगे। सरकार ने विलायती धक्कर पर जो चुंगी लगादी है उसकी बदौलत दरमाती मंडकों की तरह धक्कर के कारखाने खुल गये और गन्ने की माँग बहुत बढ़ गई। लेकिन इस माँग को पूरा करने के लिए लोगों ने जितना गन्ना पैदा किया वह फौरन ही माँग से बहुत ज्यादा बढ़ गया। नतीजा यह हुआ कि कारखानों के मालिकों ने बेरहमी के साथ किमानों में अनुचित फायदा उठाया और गन्ने की कीमत गिर गई।

इन चन्द वजूहात और इनके अलावा और भी बहुत-सी बातों से मुझे ऐसा मालूम होता है कि हम अपनी कृषि और औद्योगिक समस्याओं को किमी तग स्वाश्रयी प्रणाली के तरीके पर न तो हल कर सकते हैं और न करना ठीक ही होगा। निस्सन्देह, हमारी बिन्दगी के हर पहलू पर इनका असर है। हम लोग अस्पष्ट और भावुकतामय वाक्यों के

पीछे छिपकर अपनी जान नहीं बचा सकते। हमें तो इन तथ्यों का सामना करना होगा और अपने को उनके भाफिक बनाना पड़ेगा, जिससे हम लोग इतिहास के लिए दयनीय वस्तु न रहकर उल्लेखनीय विषय बन जायें।

फिर मुझे उसी महान् समस्या—गांधीजी—का खयाल आता है।^१ समझ में नहीं आता कि इतनी तीव्र बुद्धि और पददलित और पीड़ितों की हालत सुधारने के लिए इतनी तीव्र भावना रखते हुए भी वह उस प्रणाली का क्यों समर्थन करते हैं, जो इस तमाम पीड़ा और बर्बादी को पैदा कर रही है और स्पष्टतः जो अपने-आप गिर रही है। यह सच है कि वह लोगों को मुसीबत से बचाने का रास्ता ढूँढ रहे हैं। लेकिन क्या पुराने जमाने का वह रास्ता अब बन्द नहीं हो गया है? वह पुरानी व्यवस्था की स्मारक उन सब चीखों को आशीर्वाद देते जाते हैं जो तरक्की के रास्ते में रोड़े बनकर अटकी हुई हैं—जैसे माण्डलिक रियासते, बड़ी-बड़ी जमींदारियाँ व ताल्लुकेदारियाँ और मौजूदा पूँजीवादी प्रणाली।

१ सन् १९३१ में, लन्दन की दूसरी गोलमेज कान्फ्रेंस में, अपने एक व्याख्यान में गांधीजी ने कहा था—“सबसे ऊपर तो असल में काँग्रेस उन करोड़ों मूक अहंगम और अधभूखे प्राणियों की प्रतिनिधि है जो हिन्दुस्तान के सात लाख गाँवों में एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक सब जगह फैले हुए हैं—फिर चाहे ये लोग विटिया भारत में रहते ही या देशी रियासतों में, जिन्हें ‘भारतीय-भारत’ के नाम से पुकारा जाता है। इसलिए काँग्रेस की राय में प्रत्येक हित, जो रक्षा के योग्य है, इन करोड़ों मूक प्राणियों के हित का साधक होना चाहिए। आप समय-समय पर जिनिव्र हितों में प्रत्यक्ष विरोध देते हैं, पर अगर सचमुच कोई वास्तविक विरोध हो, तो मैं काँग्रेस की तरफ से यह कहने में जरा भी नहीं हिचकिचाता कि काँग्रेस इन करोड़ों मूक प्राणियों के हितों के लिए दूसरे प्रयत्न हित या बलिदान कर देगी।”

क्या ट्रस्टीशिप के उसूल में विद्वानों को विश्वास करना माकूल बात है ? क्या इस बात की उम्मीद करना ठीक है कि एक आदमी को अवाध अधिकार और धन-सम्पत्ति दे देने पर वह उसका उपयोग सोलहो आने पब्लिक की भलाई के लिए करेगा ? क्या हममें से अच्छे लोग भी इतने सम्पूर्ण हैं कि उनके ऊपर इस हद तक भरोसा किया जासके ? इस दोष को तो प्लेटो की कल्पना के दार्शनिक वादशाह भी योग्यतापूर्वक नहीं उठा सकते । क्या दूसरों के लिए यह अच्छा है कि वे अपने ऊपर इन उदार देवी पुरुषों का प्रभुत्व स्वीकार करले ? फिर ऐसे देवी पुरुष या दार्शनिक वादशाह हैं कहाँ ? यहाँ तो सिर्फ मामूली इन्सान भर हैं, जो हमेशा यह सोचा करते हैं कि हमारी अपनी भलाई ही, हमारे अपने विचारों का प्रसार ही, सार्वजनिक हित के समान है । वशानुगत कुलीनता और प्रतिष्ठा की भावना और धन-दौलत की शेखी स्थायी होजाती है और उसका परिणाम कई तरह घातक ही सा होता है ।

मैं इस बात को दुहरा देना चाहता हूँ कि इस वक्त में यह नहीं मोच रहा कि यह परिवर्तन किस तरह किया जाय, हमारे रास्ते में जो रोड़े हैं उन्हें किस तरह हटाया जाय ? समझा-बुझाकर हृदय-परिवर्तन के प्रेम-भाव से या जबरदस्ती से, अहिंसा से या हिंसा से ? इस पहलू पर तो वाद को विचार करूँगा । लेकिन यह बात तो मान ही लेनी और साफ करदी जानी चाहिए कि परिवर्तन आवश्यक है । क्योंकि यदि नेता और विचारक खुद ही इस बात को साफतौर पर अनुभव न करे और न कहे, तो वे यह उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि वे किसीको अपने खयाल का बना लेंगे या लोगों में वाञ्छित विचार-धारा फैला सकेंगे ? हममें कोई शक नहीं कि सबसे ज्यादा शिक्षा तो हमें घटनाओं से मिलती है, लेकिन घटनाओं का महत्व समझने और उनसे अच्छा नतीजा निकालने के लिए यह जरूरी है कि हम उनको अच्छी तरह समझें और उनकी ठीक-ठीक व्याख्या करें ।

मेरे जो दोस्त और साथी प्रायः मेरे भाषणों में चिढ़े हैं, उन्होंने बक्सर मुझसे यह बात पूछी है, कि क्या आपको कोई अच्छा और परोपकारी राजा, जमींदार और शुभ-चिन्तक, भलामानुष पूंजीपति कभी नहीं मिला ? निस्सन्देह मुझे ऐसे आदमी मिले हैं। मैं खुद उन श्रेणी के लोगों में से हूँ, जो इन जमींदारों और पूंजीपतियों में भ्रष्ट-जुलते रहते हैं। मैं तो खुद ही एक ठेठ बुर्जुआ हूँ, जिसका लालन-पालन भी बुर्जुआ-मा ही हुआ है और इस प्रारम्भिक शिक्षा ने मेरे दिलोदिमाग में जो भले-बुरे संस्कार भर दिये वे सब मुझमें मौजूद हैं। कम्यूनिस्ट मुझे अर्द्ध-बुर्जुआ कहते हैं और उनका यह कहना सौलहो आने सही है। शायद अब वे मुझे अनुत्पन्न बुर्जुआ कहेंगे। लेकिन मैं क्या हूँ और क्या नहीं, यह सवाल ही नहीं है। जातीय, अन्तर्राष्ट्रीय, आर्थिक और समाजिक भसलों को कुछ इने-गिने व्यक्तियों की निगाह से देखना बेहदगी है। वे ही दोस्त जो मुझसे ऐसे सवालगत करते हैं, यह कहते कभी नहीं सकते कि हमारी लडाई पाप से है, पापी से नहीं। मैं तो इस हदतक भी नहीं जाता। मैं तो यह कहता हूँ कि व्यक्तियों से मेरा कोई झगडा नहीं, मेरा झगडा तो प्रणालियों से है। यह ठीक है कि प्रणाली बहुत हदतक व्यक्तियों और समूहों में ही मूर्त्तिमान होती है, और इन व्यक्तियों और समूहों को हमें या तो अपने खयाल का कर लेना पड़ेगा या उनसे लडना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई प्रणाली किसी काम की न रही हो और भारस्वरूप हीगई हो तो उसे मिट जाना पड़ेगा, और जो समूह या वर्ग उसमें धिपके हुए हैं उन्हें भी बदलना पड़ेगा। परिवर्तन की इस क्रिया में थयासम्भव कम-से-कम तकलीफ होनी चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से कुछ कष्ट और कुछ गडबडी का होना तो लाजिमी भी है। किसी दूसरी कम बुराई के डर की वजह से ही बहुत बडी बुराई को बरदास्त नहीं किया जासकता, खासकर उस वक्त, जबकि कुछ थोडी-भी बुराई से भी बच जाना हमारी ताकत से

वाहर है। हर तरह के मानव-संगठन—राजनैतिक, आर्थिक या सामाजिक—की अपनी-अपनी कोई विचार-सरणि होती है। जब इन संगठनों में कोई हेरफेर हो तो उस विचार-सरणि को उसके अनुकूल बनने और उसका पूरा फायदा उठा लेने के लिए उसके अनुसार हेरफेर कर देना चाहिए। आमतौर पर घटनाएँ इतनी तेजी से बढ़ती हैं कि विचारवादों से पिछड़ जाता है और यह अन्तर ही इन सब मुसीबतों की जड़ है। लोकतन्त्र और पूँजीवाद दोनों ही उन्नीसवीं सदी में पैदा हुए, लेकिन वे एक-दूसरे के अनुकूल नहीं थे। उन दोनों में बुनियादी भेद था। क्योंकि लोकतन्त्र तो ज्यादा लोगों की ताकत पर जोर देता था, जबकि पूँजीवाद से असली ताकत थोड़े-से लोगों के हाथ में रहती थी। यह बेमेल जोड़ा किमी तरह कुछ असें तक तो इसलिए साथ-साथ चलता रहा, क्योंकि राजनैतिक पार्लियामेण्टरी लोकतन्त्र खुद एक अत्यन्त सफुचित लोकतन्त्र था, और आर्थिक एकाधिपत्य और शक्ति के केन्द्रीयकरण की वृद्धि रोकने में उसने कोई खास हस्तक्षेप नहीं किया।

फिर भी ज्यो-ज्यो लोकतन्त्र की भावना बढ़ती गई, इन दोनों का सम्बन्ध-विच्छेद अनिवार्य होगया और अब उसका वक्त आगया है। आज पार्लियामेण्टरी पद्धति बदनाम होगई है और उसकी प्रतिक्रिया के फलस्वरूप सब किस्म के नये-नये नारे सुनाई पड़ रहे हैं। उसीकी वजह से हिन्दुस्तान में ब्रिटिश-सरकार और भी ज्यादा प्रतिगामी होगई है, और इनने राजनैतिक स्वतन्त्रता की ऊपरी बाते तक रोक लेने का उसे बहाना मिल गया है। अजीब बात तो यह है कि हिन्दुस्तानी राजा-महाराजा भी इसी आचार पर अपनी अबाध निरकुशता को उचित ठहराते हैं और उसी मध्यकालिक स्थिति को जारी रखने के इरादे का जोरो में ऐलान करते हैं जो कि दुनिया में अब और कहीं नहीं पाई जाती।

१. २२ जनवरी १९३५ को दिल्ली में, नरेन्द्रमण्डल के चान्सलर

पालमेंष्टरी आनन्द म जो नृति या गायी है यह यह नहीं है कि यह बहुत आगे बढ़ गया है, बरिक्त यह है कि उसे जितना आगे बढ़ना चाहिए था उम हृदनक आगे नहीं बढ़ा है। वह काफी लोचनमयी नहीं है, क्योंकि उसमें आर्थिक स्वतन्त्रता की कोई व्यवस्था नहीं है और उसके तर्कों ऐसे भीम और उन्नत-भरे हैं कि वे तेज रफ्तार में जानेवाले जमाने के अनुकूल नहीं पड़ने।

इस समय सारे समार में जो श्वेच्छाचारिता मौजूद है चायद हिन्दुस्तानी गियामते उसके उग्र-से-उग्र रूप की प्रतीक है। निम्नन्देह वे ब्रिटिश सत्ता के आधीन हैं, लेकिन ब्रिटिश सरकार महज ब्रिटिश स्वामी महाराजा पटियाला ने, मण्डल में बोलते हुए उन हिन्दुस्तानी राजनीतिज्ञों की राय का खिफ किया था, जो इस आशा से सद्य-शासन के समर्थक हैं कि परिस्थितियाँ देशी नरेशों को अपने यहाँ लोकतन्त्रात्मक शासन-पद्धति जारी करने के लिए विवश करेंगी। उन्होंने कहा—“जबकि हिन्दुस्तान के राजा लोग हमेशा उन कामों को करने के लिए राजी रहे हैं जो अपनी प्रजा के लिए सर्वोत्तम हैं, और आगे भी वे समय की रफ्तार के मुताबिक अपने-की और अपने विधानों को बनाने के लिए तैयार रहेंगे, तब हमें यह भी साफ-साफ कह देना चाहिए कि अगर ब्रिटिश-भारत यह उम्मीद करता है कि वह हमें इस बात के लिए मजबूर कर देगा कि हम अपने तन्त्रुस्त राजनैतिक जिस्म पर एक बदनाम राजनैतिक उसूल की जहरीले रस से रगी हुई कमीज पहन लेंगे तो वह स्वामी की दुनिया में रह रहा है।” (इसी सिलसिले में पृष्ठ ८६० पर मैसूर-दीवान के भाषण का अंश भी देखिए) उसी दिन नरेन्द्र-मण्डल में बोलते हुए वीकानेर के महाराज ने कहा था—“हिन्दुस्तानी राज्यों के शासक हम लोग केवल भाग्य के ही बल पर शासन नहीं कर रहे हैं। और मैं यह कहने को धृष्टता करता हूँ कि हम जो सैकड़ों साल की वश परम्परा के आधार पर यह दावा कर सकते हैं कि हमने राज करने का सहज-ज्ञान और, मुझे विश्वास है कि, कुछ अर्थों में राज-व्यवस्था भी विरासत में पाई है,

की हिफाजत के लिए या उनकी तरक्की के लिए ही दस्तन्दाजी करती है। सचमुच यह आश्चर्य की बात है कि पुराने जमाने के ये निर्जीव माण्डलिक गढ़ किस प्रकार इस वीसवीं सदी के ठीक मध्य में इतनी थोड़ी तबदीली के साथ टिके हुए हैं। वहाँ का वातावरण दम घोटनेवाला और स्थिर है। वहाँ की गति बहुत बीभी है और परिवर्तन और सघर्ष का आदी और कुछ हद तक इनसे थका हुआ नवागतुक वहाँ पहुँचने पर बेहोशी-सी अनुभव करता है और एक प्रकार का घीमा-सा जादू उसपर गालिब हो जाता है। यह सब एक ऐसे चित्र-सा अस्वाभाविक मालूम होजाता है, जहाँ समय स्तब्ध खड़ा रहता है और अपरिवर्तनीय दृश्य आँखों के सामने दिखाई देते हैं। सर्वथा अज्ञात-भाव से वह भूतकाल और अपने बचपन के स्वप्नों की ओर वह जाता है, और कटिबद्ध शस्त्र-सज्जित सूरमा और सुन्दर तथा वीर कुमारियों के और वुर्जदार किले और बहादुर सैनिकों के सम्मान और गौरव तथा अनुपम साहस और मृत्यु के प्रति तिरस्कार के अद्भुत-अद्भुत दृश्य उसकी आँखों के सामने घूमने लगते हैं। खासकर तब, जब वह सयोग से अद्भुत शौर्य और भावुक पराक्रम की भूमि राजपूताना में पहुँच जाता है।

लेकिन ये स्वप्न जल्दी ही विलीन होजाते हैं और विपाद की भावना

उन्हें इस बात का पूरा-पूरा खयाल रखना चाहिए कि हम इस बात की हिफाजत भरले कि हम जल्दबाजी से अधिचारपूर्ण निर्णय करने के लिए आगे न ढकेल दिये जायें। और क्या मैं अत्यन्त नम्रता के साथ यह कह दूँ, कि राजा लोग अपने को किसीके हाथों बरबाद होजाने देने के लिए तैयार नहीं हैं, और अगर दुर्भाग्य से कोई ऐसा समय आ ही जाय, जबकि सम्राट देशी राज्यों की रक्षा के लिए अपने सन्धिगत उत्तर-दायित्व को पूरा करने में असमर्थ हो जायें, तो नरेश और देशी-राज्य अपने अधिकारों की रक्षा के लिए आखिरी दम तक लड़ते-लड़ते मर जायेंगे।”

आ-धेरती है। वहाँ का यातावरण दम घाँटनेवाला है और उनमें साँस लेना मुश्किल होजाता है। म्यिर और मन्द-प्रवाह के नीचे जड़ता वी गन्दगी भरी पडी है। वहाँ पर आदमी ऐसा महमूम करने लगता है, मानो वह चारो ओर काँटों की वाड में घिरा हुआ है और उग्रता शरीर और मन जकट दिया गया है। उसे वहाँ के राजगहल की चमक-दमक और शान-शौकत के मर्वथा विपरीत जनता की अवस्था अत्यन्त पिछडी हुई और मुसीबत की दिखाई देनी है। राज्य का कितना सारा धन उस महल में राजा की अपनी व्यक्तिगत जरूरतों और ऐय्याशी में पानी की तरह बहाया जाता है, और किनी सेवा के रूप में जनता के पास उसका कितना कम हिस्सा पहुँचता है। हमारे राजाओ को ब्रहाना और उन्हें कायम रखना भयानक रूप से खर्चीला काम है। उनपर किये गये इस अन्वाबुन्व खर्च के बदले में वे हमें वापस क्या देते हैं ?

इन रियासतों पर रहस्य का एक परदा पडा रहता है। अखबारों को वहाँ पनपने नहीं दिया जाता और ज्यादा-से-ज्यादा कोई साहित्यिक या अर्द्धसरकारी साप्ताहिक ही चल सकता है। बाहुर के अखबारों को अक्सर राज्य में आने से रोक दिया जाता है। नावणकोर, कोचीन आदि दक्षिण की कुछ रियासतों को छोडकर—जहा साक्षरता ब्रिटिश-भारत से भी कहीं ज्यादा है—दूसरी जगह साक्षरता बहुत ही कम है। रियासतों से जो खास खबरे आती हैं वे या तो बाइसराय के दारे की वावत होती हैं, जिसमें घूम-बढाके, रस्म-रिवाज की पूरति और एक-दूसरे की तारीफ में दिये गये ब्याख्यानो का चिक्र होता है, या राजा के विवाह अथवा वर्ष-गाठ की, जिसमें वेहद खपया खर्च किया जाता है, या किसानों के विद्रोह सम्बन्धी। ब्रिटिश-भारत तक में खास कानून राजाओ को आलोचना से बचाते हैं। रियासतों के भीतर तो नरम-से-नरम टीका-टिप्पणी भी मख्ती में दवा दीजाती है। सार्वजनिक समाओ को तो वहाँ कोई

जानता तक नहीं, और अक्सर सामाजिक बातों के लिए की जानेवाली समार्यें तक रोक दी जाती हैं।' बाहर के प्रमुख सार्वजनिक नेताओं को अक्सर रियासत में घुसने से रोक दिया जाता है। १९२५ के करीब स्व० देशबन्धु दास बहून बीमार थे, इसलिए अपना स्वास्थ्य मुधारने के लिए उन्होंने कश्मीर जाने का निश्चय किया। वह वहाँ किमी राजनैतिक काम के लिए नहीं जा रहे थे। वह कश्मीर की सरहद तक पहुँच चुके थे, लेकिन वही रोक दिये गये। श्री जिन्ना तक को हैदराबाद रियासत में जाने में रोक दिया गया, और श्रीमती सरोजनी नायडू को भी, जिनका घर ही हैदराबाद में है, जाने की इजाजत नहीं दी गई।

जब कि रियासतों में यह हाल हो रहा है, तो कांग्रेस के लिए यह स्वाभाविक था कि वह रियासतों में रहनेवाले लोगों के आरम्भिक अधिकारों के लिए खड़ी होजाती और उनपर होनेवाले व्यापक दमन का विरोध करती। लेकिन गाँधीजी ने कांग्रेस में रियासतों के सम्बन्ध

१. हैदराबाद दक्खिन का ३ अक्टूबर १९३४ का प्रेस-समाचार कहता है—“स्थानीय विवेक-संघिनी थियेटर में कल गाँधीजी का जन्म-दिवस मनाने के लिए जिस सार्वजनिक-सभा का ऐलान किया गया था वह रोक देनी पड़ी है। इस सभा का संगठन हैदराबाद के हरिजन-सेवक संघ ने किया था। संघ के मंत्री ने अखबारों को जो पत्र भेजा है, उनमें कहा है कि मीटिंग के वक्त से २४ घंटे पहले सरकारी अधिकारियों ने यह हुक्म दिया कि मीटिंग करने की इजाजत तभी मिल सकती है जबकि दो हजार की नकद जमानत जमा की जाय और इस बात का बचन दिया जाय कि उसमें कोई राजनैतिक ध्याएपान नहीं दिया जायगा और सरकारी अफसरों के किसी सरकारी काम की आलोचना नहीं की जायगी। क्योंकि सभा के सयोजक के पास इन सब बातों के लिए अधिकारियों से चर्चा करने के लिए बहुत ही नाकाफी वक्त रह गया था, इसलिए सभा बन्द कर देनी पड़ी।”

में एक नई नीति को जन्म दिया। वह नीति थी "रियासतों के भीतरी इन्तजाम में दखल न देने की।" रियासतों में असाधारण और दुःखदायी घटनाओं के होते रहने और काँग्रेस पर आग्रह ही हमले किये जाते रहनेपर भी वह अभी तक अपनी उम्रों चुप्यी साथे रहने की नीति पर ठटे हुए हैं। जाहिर है कि डर इस बात का है कि काँग्रेस अगर राजाओं की आलोचना करेगी तो वे लोग नाराज हो जायेंगे। उनका 'हृदय-परिवर्तन' ज्यादा मुश्किल होजायगा। जुलाई १९३४ में गांधीजी ने श्री एन० सी० केलकर के नाम, जो देशीराज्य-प्रजा-परिषद् के सभापति थे, एक पत्र लिखा था। उसमें उन्होंने इम विषयों को दुहराया था कि दखल न देने की नीति न सिर्फ बुद्धिमत्तापूर्ण है बल्कि ठोस भी है। और रियासतों की कानूनी और वैधानिक स्थिति के सम्बन्ध में जो राय उन्होंने जाहिर की वह तो बड़ी अजीब थी। उन्होंने लिखा था— "ब्रिटिश कानून के अनुसार रियासतें स्वतन्त्र हस्ती रहती हैं। हिन्दु-स्तान के उस हिस्से को, जो ब्रिटिश भारत के नाम से पुकारा जाता है, रियासतों की पॉलिशी को शकल देने का उतना भी अधिकार नहीं है जितना उसे, मसलम, अफगानिस्तान या सीलोन की नीति की शकल देने का है।" अगर मुलायम और नरम देशीराज्य-प्रजा-परिषद् ने और लिबरलों ने भी उनकी इस राय और इस सलाह पर ऐतराज किया तो आश्चर्य ही क्या है ?

लेकिन रियासतों के राजाओं ने इन विचारों का काफी स्वागत किया और उन्होंने उनसे फायदा भी उठाया। एक महीने के भीतर ही भावणकोर रियासत ने अपने राज्य में काँग्रेस को गैरकानूनी करार दे दिया और उनकी सारी सभाओं को और उसके मेम्बर बनाने के काम को रोक दिया। ऐसा करते हुए रियासत ने कहा, कि "जिम्मेदार नेताओं ने खुद यह सलाह दी है।" जाहिर है कि यह इबारा गांधीजी

के बयान की तरफ था। यह बात नोट करने लायक है कि यह रोक ब्रिटिश-भारत में सत्याग्रह की लड़ाई वापस लिये जाने के बाद हुई (यद्यपि रियासतों में यह लड़ाई कभी नहीं हुई थी)। जिस वक्त रियासत में यह सब हुआ, ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस को फिर से कानूनी जमात करार दे दिया था। इस बात पर ध्यान देना भी दिलचस्प होगा कि उस वक्त आचणकोर-सरकार के पास राजनैतिक सलाहकार सर मी० पी० रामाम्बामी ऐय्यर थे (और अब भी हैं), जो एक वक्त कांग्रेस के और होमरूल लीग के जनरल सेक्रेटरी थे, उसके बाद लिबरल बने और उसके भी बाद भारत-सरकार और मदरास सरकार के ऊँचे-ऊँचे ओहदों पर रहे।

गांधीजी की सलाह मानकर कांग्रेस जिस नीति से काम ले रही थी उसके मुताबिक, मामूली वक्त में भी, आचणकोर राज्य ने बिला वजह कांग्रेस के ऊपर जो यह हमला किया उसकी वास्तव कांग्रेसवालों की तरफ में पविलक में एक शब्द तक नहीं कहा गया, 'जबकि दूसरी ओर लिबरलो तक ने इसके खिलाफ खोरो से आवाज उठाई। सचमुच रियासतों के मामले में गांधीजी का रवैया लिबरलो के रवैये से भी कहीं ज्यादा नरम और सयत है। प्रमुख मार्वाजनिक् पुरुषों में शायद मालवीयजी ही—वहुतसे राजाओं के साथ अपने निकट-सम्पर्क के कारण—उतने ही सयत और इस बात में सावधान हैं कि उन्हें किसी तरह चिढ़ाया न जाय।

१. ६ जनवरी १९३५ को वडोवा में सरदार बल्लभभाई पटेल ने एक भाषण देते हुए इस दखल न देने की नीति पर खोर दिया था। कहा जाता है कि उन्होंने यह कहा, कि "देशी राज्यों के कार्यकर्त्ताओं को उन सीमाओं में रहते हुए काम करना चाहिए, जो रियासतें बाँध लें और शासन की आलोचना करने के बजाय इस बात की कौशिका करनी चाहिए कि शासक और शासितों में मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध बना रहे।"

भारतीय नरेशों के बारे में गांधीजी ने हमेशा जना फुल-हॉलर तक नहीं रखा है। फरवरी १९१६ तक प्रसिद्ध आगरा का—बनारस हिन्दू-विद्ययालय के उद्घाटन के समय—एक सभा में, जिनके सभापति एक महागजा थे और जिनमें जोर भी बदन में राजा मौजूद थे, उन्होंने एक भाषण दिया था। गांधीजी उस समय अधिप-अधीनता में आये ही थे और अगिला भारतीय राजनीति का योजित उर्ध्व पन्ना पर नहीं था। वही सचार्द जोर एक पैगम्बर के मे जोर के साथ उन्होंने राजाओं से अपनेको मुधारन और अपनी पांनों धान-जोरत और बिला-सिता छोट देने के लिए कहा। उन्होंने कहा, “नरेशों! जाओ, और अपने आभूषणों को बेच दो।” उन्होंने अपने आभूषण गेचे ही मा न बेचे ही, लेकिन वे वहाँ में चले गए। बहुत ही टरकर, एक-एक करके या छोटी-छोटी टोलियों में, वे सभा-भवन में चले गये। यहाँतक कि समापति महोदय भी चले गये। सभा-भवन में अकेले व्याख्याता महोदय रह गये। मीटिंग में श्रीमती बेसेट भी मोगूद थी। उन्हें भी गांधीजी की बातें बुरी लगी और हसलिए, वह भी मीटिंग से उठकर चली गई।

श्री एन० सी० केलकर को गांधीजी ने जो पत्र लिखा था उसमें आगे उन्होंने यह भी कहा, कि “मैं तो यह पसन्द करूँगा कि रियासतें अपनी प्रजा को स्वतन्त्रता दे दें और वे अपनेको वास्तव में उन लोगों का ट्रस्टी समझें, जिनपर कि वे हुकूमत करती हैं।” अगर ट्रस्टीशिप के इस खयाल में ऐसी कोई अच्छी बात है, तो हम ब्रिटिश सरकार के इस दावे में क्यों ऐतराज करते हैं कि वे भारत के लिए ट्रस्टी हैं? मैं इसमें कोई फर्क नहीं देखता, सिवाय इसके कि अंग्रेज हिन्दुस्तान के लिए विदेशी हैं। लेकिन जहाँतक चमड़े के रंग से, जातीय उत्पत्ति और सस्कृति से, सम्बन्ध है वहाँतक तो हिन्दुस्तान के रहनेवाले तरह-तरह के लोगों में आपस में भी करीब-करीब उतने ही भेद हैं, जितने कि उनमें और अंग्रेजों में।

पिछले थोड़े-से मालों में हिन्दुस्तानी रियासतों में ब्रिटिश अफसर बड़ी तेजी से घुम रहे हैं। अक्सर वे वेवस राजाओं की मर्जी के खिलाफ उनके मत्थे मट दिये गये हैं। वैसे तो सदा से भारत सरकार का देशी गज्यों पर काफी नियन्त्रण रहा है, लेकिन अब तो इसके अलावा कुछ ग्राम बड़ी-बड़ी रियासतों को भीतर में भी जकट दिया गया है। इसलिए जब कभी ये रियासतें कुछ कहती हैं, तो अमरु में उनके द्वारा भारत-सरकार ही बोलती है। हाँ, ऐसा करते समय वह माण्डलिक परिस्थिति का पूरा-पूरा फायदा उत्तर उठाती है।

भे यह ममझ सकता हूँ कि हमारे लिए हमेशा यह सुमकिन नहीं है कि हम दूसरी जगह जो काम कर सकते हैं वह सब रियासतों में भी कर सकें। सच बात तो यह है कि ब्रिटिश भारत के अलग-अलग सूबों में भी किसानों-सम्बन्धी, उद्योग-धन्धों-सम्बन्धी, सम्प्रदायों-सम्बन्धी और शासन-सम्बन्धी काफी फर्क है, और हम हमेशा सब सूबों में एक नीति से काम नहीं ले सकते। लेकिन हालाँकि हम कहीं क्या काम करे यह तो वहाँ के हालात के ऊपर निर्भर रहेगा, फिर भी अलग-अलग जगहों में हमारी आम पालिसी अलग-अलग नहीं होनी चाहिए, और जो बात एक जगह बुरी है वह दूसरी जगह भी बुरी होनी चाहिए, नहीं तो हमारे ऊपर यह उलझाम लगाया जायगा और लगाया गया है कि हमारी कोई एक नीति या कोई एक उमूल नहीं है और हमारा मकसद सिर्फ यही है कि किसी तरह से ताकत हमारे हाथ में आजाय।

धार्मिक और अन्य अल्पसंख्यक जातियों के लिए पृथक् चुनाव की जो व्यवस्था की गई है उसके खिलाफ काफी नुकताचीनी हुई है, और वह ठीक ही हुई है। यह बताया गया है कि यह चुनाव लोकतन्त्र के विलक्षण खिलाफ पडता है। इसमें कोई गक नहीं कि अगर हम चुननेवालों को अलग-अलग बन्द कमरों में बाँट दें तो लोकतन्त्र कायम करना

या जिसे जिम्मेदार गणराज के नाम से पुकारा जाता है उमका वापस किया जाना सम्भविन नहीं है। जैसा पर मदनमोहन मालवीय और हिन्दू-महामभा के अन्य नेता, जो पुराने गणराज के मजबूत बंधे और मजबूत आलोचक हैं, रियामनों में जान-बूझ कर मर रहा है। उमके बारे में अजीब तौर से चुप है और जाहिर तौर पर हम जान के लिए तैयार है कि रियामती की स्वेच्छाचरिना और बाकी के हिन्दुस्थान में लौरतन्त्र के नाम से पुकारी जानेवाली चीज आपन में मिश्रकर मध-राज्य कायम हो जाय। इससे ज्यादा बेमीजू और बेहूदा एगना की कपना करना भी मुश्किल है, लेकिन हिन्दू-महामभा के जो लोग लौरतन्त्र और राष्ट्रीयता के हिमायती बनते हैं वे ही हम एकना को बिना उकार लिये हुए ही निगल जाते हैं। हम लोग तर्क और बुद्धि की बात करते हैं, लेकिन हमारी बुनियादी प्रेरणायें अभीतक भावुकतामय ही बनी हुई हैं।

इस तरह मैं लौटकर फिर कांग्रेस और रियासतों की विकट समस्या पर आता हूँ। मेरा दिमाग थॉमस पेन के उस वाक्य की ओर आकर्षित होता है, जो उसने कोई डेढसी बरस पहले बर्क के सम्बन्ध में कहा था—
“वह (बर्क) तो पक्षी पर तरस खाते हैं, लेकिन मरनेवाली चिड़िया को मूल जाते हैं।” यह ठीक है कि गांधीजी मरनेवाली चिड़िया को नहीं मूलते। लेकिन वह उसके परो पर इतना ज्यादा जोर क्यों देते हैं ?

कम-बढ ये ही बातें ताल्लुकदारी और जमींदारी-प्रथा पर भी लागू होती हैं। इस बात को समझाने के लिए अब किसी तर्क की जरूरत नहीं मालूम पडती है कि यह अर्ध-जागीरदारी प्रथा अब समय के बिल्कुल प्रतिकूल है और उत्पादन-शैली और तरक्की के रास्ते में बड़ी भारी अडचन है। वह तो बढनेवाले पूँजीवाद के भी खिलाफ जाती है और करीब-करीब दुनिया-भर में बड़ी-बड़ी जमींदारियाँ धीरे-धीरे गायब हो गई हैं और उनकी जगह जमींदार किसानों ने लेली है। मेरी तो हमेशा

यही वल्पना नही है कि हिन्दुस्तान में जो एक सवाल सम्भवत उठ सकता है वह मुआवजे का है। लेकिन पिछले साल तो मुझे यह देखकर बहुत ही अचरज हुआ कि गांधीजी ताल्लुकदारी प्रथा को भी उस प्रथा की हैमियत में पनन्द करते हैं और चाहते हैं कि वह जारी रहे। कानपुर में जुलाई १९३४ में उन्होंने कहा था—“किसानों और जमींदारों, दोनों में हृदय-परिवर्तन द्वारा बेहतर ताल्लुकात पैदा किये जा सकते हैं। अगर यह होजाय तो दोनों आपस में मेल के साथ सुख और शान्ति से रह सकते हैं। मैं तो कभी भी ताल्लुकदारी या जमींदारी प्रथा को दूर करने के पक्ष में नहीं रहा, और जो लोग यह समझते हैं कि वह रह होनी चाहिए वे खुद अपनी बात को नहीं ममझते।” गांधीजी का यह आखिरी आरोप नों कुछ हद तक कटुतापूर्ण है।

वतलते हैं कि उन्होंने आगे यह कहा—“विना उचित कारणों के जायदादवाली श्रेणियों से उनकी निजी जायदाद छीने जाने के काम में मैं कभी साथ नहीं दे सकता। मेरा ध्येय तो यह है कि आपके दिलों पर धर करके मैं आपको अपनी राय का बनावूँ, जिससे आप अपनी निजी जायदाद को किसानों के लिए ट्रस्ट के रूप में रखें और उसका इन्तैमाल खासतौर पर उनकी भलाई के लिए करें।” लेकिन भान लीजिए कि आपको आपकी जायदाद में वचित करने के लिए अन्याय-पूर्वक कोशिश की जाती है तो आप मुझे अपनी तरफ लडता हुआ पायेंगे। पश्चिम का समाजवाद और वहाँ का कम्यूनिज्म जिन खास विचारों पर टिका हुआ है, वे हमारे विचारों से मूलतः से भिन्न हैं। जिन धारणाओं पर समाजवाद वर्गों के टिके हुए हैं, उनमें से एक तो यह है कि उनका विश्वास है कि मानव-स्वभाव मूलतः स्वार्थी है। इस-लिए हमारे समाजवाद और हमारे कम्यूनिज्म की बुनियाद तो अहिंसा पर और मजदूर और मालिकों, किसानों और जमींदारों के आपसी मेल पर

होनी चाहिए।" ये बातें उन्होंने जमींदारों के एक डेपूटेशन से कही थी।

मं नहीं मानता कि पूरब और पश्चिम के बुनियादी खयालत में ऐसे कोई फर्क हैं। शायद कुछ है। लेकिन हाल ही के गिछले दिनों में तो एक आहिरा फर्क यह रहा है कि हिन्दुस्तान के मालिकों और जमींदारों ने अपने मजदूरों और किसानों के हितों की जितनी ज्यादा उपेक्षा की है उतनी उनके विलासत के विरादरीनालो ने नहीं की। हिन्दुस्तान के जमींदारों की तरफ से किसानों की भलाई के लिए किसी तरह के सामाजिक सेवा के काम में दिलचस्पी लेने का कार्य करने की कोई कोशिश नहीं की गई। पश्चिमी समालोचक मि० एच० एन० ब्रेल्सफोर्ड ने कहा है कि "हिन्दुस्तान के सूदखीर और जमींदार ऐसे परोपजीवी, नृक्षस और रक्तछोपक प्राणी हैं, कि आज के मानव-समाज में उनका सानी नहीं मिलता।" शायद इसमें हिन्दुस्तान के जमींदारों का कोई कुसूर नहीं है। परिस्थितियाँ उनके इतनी खिलाफ थी कि वे उनका मुकाबिला न कर सके। वे लगातार नीचे को गिरते ही गये और अब एक ऐसी कठिन स्थिति में फँस गये हैं, जिसमें से अपने को मुश्किल से निकाल सकते हैं। बहुत-से जमींदारों से तो उनकी जमींदारियाँ बोहरों ने लेली हैं, और छोटे-छोटे जमींदार जिस जमीन के कमी मालिक वे उसीमें अब वास्तकार की हालात में पहुँच गये। शहरों में रहनेवाले इन बोहरों ने पहले तो जमीन-जायदाद गिरवी करके रुपया दिया, और फिर उसी रुपये के बदले उसे हड़पकर अब वे खुद जमींदार बन बैठे हैं और गांधीजी की गय में अब वे उन अभागों के दुस्ती हैं जिनको उन्होंने खुद उनकी जमीन में सन्निवत किया है। गांधीजी ऐसे लोगों से यह उम्मीद भी रखते हैं कि वे अपनी आमदनी खाम तौर पर किसानों की भलाई के कामों में लगायेंगे।

१ एच० एन० ब्रेल्सफोर्ड की 'Property or Peace' नामक पुस्तक में।

अगर ताल्लुकेदारी की प्रथा अच्छी है, तो वह हिन्दुस्तान-भर में क्यों नहीं जारी की जाती ? हिन्दुस्तान के कुछ बड़े हिस्सों में रैयतवागी प्रथा चलती है। क्या गांधीजी गुजरात में बड़ी-बड़ी जमीदारियाँ और ताल्लुकेदारियाँ कायम होजाना पसन्द करेंगे ? तो फिर क्या बात है कि जमीन सम्बन्धी एक प्रणाली तो यू० पी०, बिहार या बंगाल के लिए अच्छी है और दूसरी गुजरात और पंजाब के लिए ? जहाँतक मेरा खयाल है, हिन्दुस्तान के उत्तर व दक्षिण, पूरव और पश्चिम के रहनेवाले लोगों में ऐसा कोई खास फर्क तो नहीं है, और उनके बुनियादी खयालात भी एकसे हैं। इसके मानी तो यह हुए कि जो-कुछ है वह जारी रहना चाहिए। इस बात की आर्थिक जाँच नहीं की जानी चाहिए कि लोगों के लिए कौन-सी बात सबसे ज्यादा वाञ्छनीय या फायदे-मन्द है, और न मौजूदा हालत को बदलने की ही कोई कोशिश होनी चाहिए। वस, सिर्फ़ एक ही बात की ज़रूरत है, और वह यह कि लोगों का हृदय-मरिचकन कर दिया जाय। सिन्दगी और उमके मसलों की तरफ़ यह तो विशुद्ध धार्मिक रुख़ है। राजनीति, अर्थ-शास्त्र या ममाज शास्त्र ने उसका कोई सरोकार नहीं। फिर भी गांधीजी इससे आगे बढ़ जाते हैं और राजनैतिक और राष्ट्रीय-क्षेत्र में अपने धार्मिक रुख़ को ले आते हैं।

ये हैं कुछ विकट समस्याये जो आज हिन्दुस्तान के सामने हैं। हमने अपने को कुछ गुलियों में उलझा लिया है और जबतक हम उन गुलियों को सुलझा न लेंगे, तबतक आगे बढ़ना दुश्वार है। यह छुटकारा भावुकता से नहीं होगा। बहुत दिन हुए, स्पिनोसा ने एक सवाल पूछा था— “ज्ञान और बुद्धि द्वारा स्वतन्त्रता प्राप्त करने, और भावुकता की गुलामी से रहने, इन दो में से आप कौनसी चीज़ को पसन्द करेंगे ?” उन्होंने पहली बात पसन्द की थी।

हृदय-परिवर्तन या बल-प्रयोग

मोलह वरम पहले गाबीजी ने हिन्दुस्तान पर अपने अहिंसा के सिद्धान्त की छाप लगाई थी। तबने अबतक हिन्दुस्तान के इतिहास में इसी उसूल का बोलबाला रहा है। बहुत-से लोगो ने बिना किसी मोच-विचार के उमे दुहराया है, लेकिन दुहराया है खुशी के साथ। कुछ लोगो ने अपने मे काफी सघर्ष किया और फिर दवे मन से उमे अपना लिया, और कुछ लोगो ने खुल्लमखुल्ला इस उसूल का मजाक भी उड़ाया है। हमारे राजनैतिक और सामाजिक जीवन में उसने बहुत बड़ा हिस्सा लिया है और हिन्दुस्तान से बाहर विशाल दुनिया में भी लोगो का काफी ध्यान उसने अपनी तरफ खींचा है। निस्सन्देह उसूल बहुत पुराना है—उतना ही पुराना है जिनकी कि मनुष्य की विचार-शक्ति है। लेकिन सायद गाबीजी ही पहले व्यक्ति है जिन्होंने राजनैतिक और सामाजिक आन्दोलन में सामूहिकरूप में उसका प्रयोग किया है। इसके पहले अहिंसा वैयक्तिक और इस तरह मूलत धर्म से सम्बन्धित चीज थी। वह आत्म-नियम और पूर्ण अनामक्ति प्राप्त करने और इस प्रकार अपने-आपको सासारिक प्रारथो से ऊंचा उठाकर एक तरह की वैयक्तिक स्वतन्त्रता और मुक्ति लाभ करने का साधन थी। उसके जरिये बड़े-बड़े सामाजिक मसलों को हल करने और सामाजिक परिस्थितियों में परिवर्तन करने का कोई खयाल न था, अगर कुछ था भी तो सर्वथा परोक्ष-रूप में। उस बदन लोगो की करीब-करीब यही भावना थी कि मीमूदा सामाजिक ताना-बाना तो, अपनी सब असमानताओं और अन्यायों सहित, ऐसा ही रहेगा। गाबीजी ने कोशिश की कि यह व्यक्तिगत आदर्श-समाज

का भी आदर्श होजाय। वह राजनैतिक और सामाजिक दोनों ही परिस्थितियों को बदलने पर तुले हुए थे और इसी गरज से उन्होंने जान-बूझकर इस विस्तृत और सर्वथा भिन्न क्षेत्र में अहिंसा के शस्त्र का प्रयोग किया। उन्होंने लिखा है—“जो लोग मानव-स्थिति और अवस्थाओं में आमूल परिवर्तन करना चाहते हैं वे समाज में खलवली पैदा किये बिना ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा करने के दो ही तरीके हैं, एक हिंसात्मक और दूसरा अहिंसात्मक। हिंसात्मक दबाव आदमी के जिस्म पर पड़ता है। जो इस दबाव से काम लेना है वह खुद नीचे गिर जाता है और जिसपर यह दबाव डाला जाता है उसे हतोत्साह कर देता है। लेकिन स्वयं कष्ट सहकर—जैसे उपवास आदि करके—जो अहिंसात्मक दबाव डाला जाता है, वह बिलकुल दूसरे तरीके से अपना असर पैदा करता है। जिन लोगों के खिलाफ उसका प्रयोग किया जाता है, उनके शरीर को न छूकर वह उनकी आत्मा पर असर डालता है और उसे मजबूत बनाता है।”

यह कुछ हद तक भारतीय दृष्टिकोण से मेल खाता था और इसी-लिए वेग ने, कम-से-कम सरसरी तौर पर तो खरूर ही, उसे उत्साहपूर्वक स्वीकार कर लिया। बहुत ही कम लोग उससे निकलनेवाले व्यापक परिणामों को समझ पाये थे। लेकिन जिन थोड़े-से आदमियों ने उने स्पष्ट-रूप में समझा भी, वे श्रद्धापूर्वक काम में जुट पड़े। लेकिन जब काम की रफ्तार धीमी पड़ गई, तब कुछ लोगों के मन में अनगिननी प्रश्न उठ खड़े हुए, जिनका उत्तर दिया जासकना बहुत कठिन था। इन प्रश्नों का हमारी प्रचलित राजनैतिक गति-विधि पर कोई अमर नहीं पड़ता था। इनका सम्बन्ध तो अहिंसात्मक प्रतिरोध के मूळ निदान

१. ४ दिसम्बर १९३२ को अपने अनशन के अवसर पर गांधीजी ने जो बयान दिया था उससे।

से था। राजनैतिक अर्थों में तो अभी तक अहिंसात्मक आन्दोलन को कामयाबी मिली नहीं, क्योंकि हिन्दुस्तान अभी तक साम्राज्यवाद के अनीतिपाश में जकड़ा हुआ है, और सामाजिक अर्थ में तो उसने क्रान्ति की कल्पना तक नहीं की। लेकिन फिर भी जो आदमी ज़रा भी गहराई से देख सकता है, वह देख सकता है कि हिन्दुस्तान के करोड़ों लोगों ने उसमें एक ज़बरदस्त तब्दीली करदी। इस अहिंसात्मक आन्दोलन ने करोड़ों हिन्दुस्तानियों को खरिश्तबल, धार्मिक और आत्म-विश्वास का पाठ पढाया है, और ये ऐसे अमूल्य गुण हैं जिनके बिना राजनैतिक या सामाजिक किसी भी क्रिस्म की तरक्की करना या उसे कायम रखना कठिन है। यह कहना मुश्किल है कि ये निश्चित लाभ अहिंसा की वदीलत हुए हैं या महज सघर्ष की वदीलत। बहुत-से मौकों पर कई राष्ट्रों ने ऐसे फायदे हिंसात्मक लड़ाई के खरिसे भी हासिल किये हैं, फिर भी, मेरा खयाल है, कि यह बात तो इल्मीनान के साथ कही जासकती है कि उस मामले में अहिंसा का तरीका हमारे लिए बेबाकीमत साबित हुआ है। गांधीजी ने ममाज में जिस खलबली का खिक्र किया था वह खलबली पैदा करने में उसने निश्चितरूप से मदद की, हालाँकि निस्सन्देह यह खलबली बुनियादी बजुहात और हालतों की वदीलत हुई। उसने आम लोगों में वह तेजी की प्रक्रिया पैदा करदी है जो इनकिलाबी हेर-फेर में पड़ले पैदा होती है।

स्पष्टरूप में यह बात उनके हक में है, लेकिन वह हमें ज्यादा दूर नहीं भेजाती। अमली मबाल तो ज्यो-का-स्थो बना हुआ है। बवकिस्मती यह है कि उन मसले को हठ करने में गांधीजी हमें ज्यादा मदद नहीं देने। उस विषय पर उन्होंने बहुत बार लिखा है और ध्याकमान भी दिये हैं। लेकिन जर्नलक मुझे मागूम है, उन्होंने मार्क्सजिक रूप में उसमें निश्चनेवाले अर्थों पर दार्शनिक या वैज्ञानिक दृष्टि में कमी विचार नहीं

किया। वह इस बात पर जोर देते हैं कि साधन साध्य से ज्यादा महत्त्व-पूर्ण है।^१ जोर-शोरदस्ती की वनिस्वत समझा-बुझाकर हृदय-परिवर्तन करना अच्छा है, और वह अहिंसा को सत्य और दूसरी तमाम अच्छाइयों से भिन्न नहीं समझते। सच तो यह है कि इन शब्दों का वह अक्सर इस तरह प्रयोग करते हैं मानो वे एक-दूसरे के समानार्थक हैं। साथ ही, जो इस बात से सहमत न हो उनको उच्चात्माओं की कोटि का न मानने की भी एक प्रवृत्ति प्रचलित है वल्कि कुछ ऐसा समझा जाता है मानो वे किसी अनैतिक आचरण के गुनहगार हैं। और गांधीजी के कुछ अनुयायी तो, इसके कारण, लाजिमी तौर पर अपने-आपको बड़ा पहुँचा हुआ और धर्मात्मा समझने लगे हैं।

लेकिन हममें से जो इतने खुशकिस्मत नहीं कि इस चीज में इतनी श्रद्धा रखते हों, उन्हें बहुत-से सन्देहों में परेगान होना पड़ता है। तात्कालिक आवश्यकताओं से उनका कोई सम्बन्ध नहीं है, लेकिन वे चाहते हैं कि कोई ऐसा सुसंगत कार्य-सिद्धान्त हो जो वैयक्तिक दृष्टि से नैतिक हो और साथ ही सामाजिक दृष्टि से कारगर भी हो। मैं मानता हूँ कि मुझमें भी यह सन्देह मौजूद है और मुझे इस मसले का कोई सन्तोष-जनक हल नहीं दिखाई देता। मैं हिंसा को कतई नापमन्द करता हूँ, लेकिन फिर भी मैं खुद हिंसा से भरा हुआ हूँ और जान में या अनजान में अक्सर दूसरों को दवाने की कोशिश करता रहता हूँ। और मानसिक दबाव से अधिक दबाव भला और क्या होसकता है, जिनके कारण गाँधीजी के अनन्य भक्तों और साथियों के दिमाग कूट्टिन हो जाते हैं और वे स्वतंत्र रूप से सोचने के योग्य नहीं रहते ?

१. The Power of Non-violence (अहिंसा की शक्ति) नामक किताब में रिचार्ड वी० ग्रेग ने इस विषय पर वैज्ञानिक दृष्टि से विचार किया है। उनकी यह किताब जहुत ही दिलचस्प और विचारोत्तेजक है।

लेकिन असली सवाल तो यह था, कि क्या राष्ट्रीय और सामाजिक समुदाय अहिंसा के इस वैयक्तिक सिद्धान्त को काफी तौर पर अपना सकते हैं ? क्योंकि उसका अर्थ यह है कि मानव-समाज सामूहिक रूप से प्रेम और सौजन्य में बहुत ऊँचा चढ़ा हुआ है। यह सच है कि दर-असल वाञ्छनीय और अन्तिम लक्ष्य तो यही है कि मानव-समाज इतना ऊँचा उठ जाय और उसमें से घृणा, कुत्सा और स्वार्थपरता निकल जाय अन्त में जाकर ऐसा हो भी सकेगा या नहीं, यह एक विवादास्पद विषय होसकता है, लेकिन उसके बिना जीवन उस निरे बुद्ध की कही हुई कहानी का-सा नीरस होजायगा, जिसमें कम्पन और तड़प है लेकिन जिसका मतलब कुछ नहीं है। इस मकसद पर पहुँचने के लिए क्या यह आवश्यक है कि हम इन गुणों को अपनाते के लिए लोगों में प्रचार करे और उन अहंत्वों की कुछ भी परवाह न करें, जो इस मकसद पर पहुँचना नामुमकिन कर रही है और जो इस ध्येय के खिलाफ पढनेवाली हरेक प्रवृत्ति को ढढावा देरही है ? अथवा, क्या हम पहले इन अहंत्वों को दूर करके प्रेम, सौन्दर्य और सौजन्य की वृद्धि के लिए अधिक उपयुक्त और अनुकूल वातावरण न पैदा करले ? अथवा, क्या हम इन दोनों उपायों को साथ-साथ काम में लायें ?

और फिर क्या हिंसा और अहिंसा अथवा समझा-बुझाकर किये गये हृदय-परिवर्तन और बलात्कार के बीच का अन्तर इतना स्पष्ट और सरल है ? अबसर शारीरिक हिंसा की अपेक्षा नैतिक बल कहीं अधिक दवाने या मजबूर करनेवाला भयकर अस्त्र सिद्ध हुआ है। और क्या अहिंसा और नत्म एरू-डूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं ? सत्य क्या है ? यह सवाल बहुत ही पुराना है, जिसके हज़ारों जवाब दिये जाचुके हैं, मगर यह मवाज़ आजतक जैसा था वैसा ही बना हुआ है। लेकिन कुछ भी हो, यह यान तय है कि उसको अहिंसा से सर्वथा मिलाया नहीं जासकता।

हिंसा स्वतः बुरी है, लेकिन आप उसको महज उसके हिंसा होने की वजह से ही पापमय नहीं कह सकते। उसके कई आकार और प्रकार हैं, और अक्सर यह होसकता है कि उससे भी ज्यादा बुरी बात के मुकाबिले में हमें हिंसा पसन्द करनी पड़े। गांधीजी ने यह खुद कहा है कि कायरता, डर और गुलामी से हिंसा बेहतर है और इसी तरह इस फेहरिस्त में और भी बहुत-सी बुराइयाँ जोड़ी जासकती हैं, जो हिंसा से भी ज्यादा बुरी हैं। यह सच है कि आमतौर पर हिंसा के साथ घृणा रहती है, लेकिन सिद्धान्तिक रूप से हमेशा ऐसा ही हो, यह जरूरी नहीं है। यह बात होसकती है कि हिंसा का आधार सद्भावना पर हो (जैसे कि सर्जन द्वाग की गई हिंसा) और कोई भी चीज, जिसका आधार यह हो, कभी भी सिद्धान्ततः पापमय नहीं हो सकती। आखिर नीति और सदाचार की अन्तिम कसौटी तो सद्भाव और बैर-भाव ही है। इस तरह यद्यपि हिंसा सदाचार की दृष्टि से अक्सर ठीक नहीं ठहराई जासकती और उस दृष्टि से उसे खतरनाक भी समझा जासकता है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि वह हमेशा ऐसी ही हो।

हमारा सारा जीवन ही सघर्षमय और हिंसायुक्त है और यह बात सही मालूम होती है कि हिंसा से हिंसा ही पैदा होती है और इस तरह हिंसा को रोकने का उपाय हिंसा नहीं है। लेकिन फिर भी हिंसा का कभी प्रयोग न करने की कसम खालेने का अर्थ होता है सर्वथा नकारात्मक रुख इच्छित कर लेना, जिसका स्वयं जीवन से कतई कोई सम्पर्क नहीं होता। हिंसा तो आजकल के राष्ट्रों और सामाजिक प्रणालियों का जीवन-तत्त्व है। राष्ट्र के पास अगर यह अस्त्र न हो तो न तो कर वसूल किये जासकते हैं, न जमींदारों को उनका लगान ही मिल सकता है, और न निजी सम्पत्ति ही कायम रह सकती है। अपने शस्त्र-बल से कानून दूसरों को दूसरों की निजी सम्पत्ति के उपयोग से रोकता है। इस प्रकार आक्र-

मणात्मक और रक्षणात्मक हिंसा के बल पर वर्तमान राज्य कायम है।

यह सच है कि गांधीजी की अहिंसा बिल्कुल ही नाकारात्मक और अप्रतिरोधक नहीं है। वह तो अहिंसात्मक प्रतिरोध है, जो एक बिल्कुल ही दूररी चीज, एक विधेयात्मक और सजीव कार्य-प्रणाली है। यह उन लोगों के लिए नहीं है, जो परिस्थितियों के सामने चुपचाप सिर झुका देते हैं। उसका तो उद्देश ही समाज में खलबली पैदा कर देना और इस तरह मौजूदा हालत को बदल देना है। हृदय-परिवर्तन के भाव के पीछे उद्देश कुछ भी रहा हो, व्यवहार में तो वह लोगों को विवश करने या बवाने का भी एक अवरदस्त साधन रहा है। यह बात दूसरी है कि वह दवाव सबसे ज्यादा शिष्ट और सबसे कम आपत्तिजनक ढंग से काम में लाया गया। सचमुच यह बात ध्यान देने योग्य है कि अपने शुरू के लेखों में गांधीजी ने खुद "मजबूर करना" शब्द का इस्तमाल किया है। पंजाब के फौजी कानून के जमाने के अत्याचारी के सम्बन्ध में दिये गये वाइसराय लार्ड चैम्सफोर्ड के व्याख्यान की आलोचना करते हुए सन् १९२० में उन्होंने लिखा था —

"कौंसिल के उद्घाटन के समय वाइसराय ने जो व्याख्यान दिया उससे मुझे उनका ऐसा रूख मालूम हुआ कि जिसकी वजह से प्रत्येक आत्म-सम्मान रखनेवाले के लिए उनके या उनकी सरकार के साथ सम्बन्ध बनाये रखना असम्भव होजाता है।

"पंजाब के बारे में उन्होंने जो-कुछ कहा है उसका स्पष्ट अर्थ यह है कि वह किसी तरह भी लोगों की शिकायत दूर करने को तैयार नहीं है। वह चाहते हैं कि हम लोग निकट-भविष्य की समस्याओं पर ही अपना सारा ध्यान केन्द्रित करदें, लेकिन निकट-भविष्य तो यही है कि पंजाब के मामले में हम सरकार को पश्चात्ताप करने के लिए मजबूर करदें, जिसका कोई फलान नहीं दिखाई पड़ी देता। इसके विरुद्ध, वाइसराय ने अपने आलो-

चणो की टीकाओं का जबाब देने के अपने प्रलोभन को रोका है, जिसका अर्थ यह है कि हिन्दुस्तान की इज्जत से ताल्लुक रखनेवाले बहुत-से ज़रूरी मामलों पर उनकी राय अभी तक नहीं बदली है, वह इतने ही से सतुष्ट है कि इन विषयों को भावी इतिहास के निर्णय पर छोड़ दिया जाय। मेरे विचार में इस तरह की बातें हिन्दुस्तानियों को और भी अधिक उत्तेजित करने का कारण बनेंगी। जिन लोगों पर अत्याचार किये गये हैं और जो अभी तक उन अफसरो के जूतों के नीचे दबे हुए हैं, जो अपने-आपको किसी विश्वास और जिम्मेदारी के ओहदे पर रहने के सर्वथा अयोग्य सिद्ध कर चुके हैं, यदि इतिहास-निर्णय अनुकूल भी हुआ तो वह उनके किस काम आयेगा? पंजाब के प्रति न्याय न करने की सरकार की हठ के मौजूद रहते हुए सहयोग का उपदेश करना, यदि अधिक तीव्र भाषा का प्रयोग न किया जाय तो, कम-से-कम निरा पाखण्ड तो है ही।”

यह बात जग-जाहिर है कि सरकार बुरी तरह हिंसा पर आश्रित है—न केवल शस्त्र-बल की हिंसा पर वरन् अत्यन्त सूक्ष्म रूप से लगाये जासूसी, मुखविरों, लोगों को भडकानेवाले एजेण्टों, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से शिक्षा और समाचारपत्रों आदि द्वारा झूठा प्रचार, धार्मिक और अर्थभाव तथा भुक्तमरी बगैरा के दूसरे प्रकार के भयों की कहीं अधिक भयकर हिंसा पर। उनके पीछे अपनी अगणित शाखा-प्रशाखाओं और पड़यंत्र और धोखेबाजी के ताने-बाने और भेदियों-उपभेदियों, अपराधियों के गुप्त अड्डों के साथ सम्बन्ध, रिश्त और मानव-स्वभाव को पतित करनेवाले दूसरे उपाय व गुप्त हत्याओं के अपने सब साधनों सहित खुफिया-पुलिस का बहुत बड़ा जाल काम करता है। शान्तिकाल तक मे सरकारों के बीच सब प्रकार का झूठा और दगाफरेब जायज है, वसतें कि वह खुल न जाय, और युद्ध के समय तो वह और भी ज्यादा जायज होजाता है। खुद ब्रिटिश राजदूत सर हेनरी बॉटन ने तीन-सौ बरस

पहले राजदूत की यह परिभाषा की थी कि "राजदूत वे ईमानदार प्राणी हैं जो अपने मुल्क की भलाई के लिए झूठ बोलने को दूसरे मुल्को में भेजे जाते हैं।" आजकल तो राजदूतों के साथ उनका फौजी, जहाजी और व्यापारिक कबीला भी जाता है, जिसका खास काम होता है, उस मुल्क का भेद लेना जिस मुल्क में वे भेजे जाते हैं। उनके पीछे खुफिया-पुलिस का बहुत बड़ा जाल, जो पड़्यत्रो और घोखेबाखी के ताने-बानो से भरा-भूरा रहता है, काम करता है। भेदियों और उपभेदियों से उनका ताल्लुक, उनकी रिश्त-खोरी और मानव-प्रकृति का पतन तथा उसकी गुप्त हथियों सब बातें उस जाल में शामिल होती हैं। शान्ति-काल के लिए तो ये सब चीजें खराब हैं ही, युद्धकाल में इनको और भी अधिक महत्त्व मिल जाने से इनका नाशकारी प्रभाव दूरेक दिशा में फैल जाता है। गत विश्व-श्रापी महायुद्ध के समय जो प्रचार किया गया था उसके कुछ उदाहरण पढकर अब हँसती हैं कि किस प्रकार गन्तु-देशों के विरुद्ध आश्चर्यजनक झूठी बातें फैलाई गई थी, और इन बातों के फैलाने और खुफिया-पुलिस का जाल विछाने में अन्वामुन्व रुपया बहाया गया था। लेकिन वर्तमान शान्ति स्त्रय दो युद्धों के बीच का विरामकाल मान है, अर्थात् लडाई के लिए तैयारी करने की एक अवधि मात्र है और कुछ हदतक आर्थिक तथा दूसरे क्षेत्रों में सघर्ष जारी रखना ही है। मिजयी और पराजितों में, मस्ताओं और उनके मातहत उपनिवेशों में, रक्षितवर्ग और घोषितवर्ग की यह रम्माकशी हर वकन जारी रहती है। इन्तिअ जिसे आज शान्ति-काल के नाम से पुकारा जाता है, उसमें भी कुछ हदतक लडाई का वातावरण अपने हिंसा और झूठ के सब अन्तों-महित जारी रहता है और दोनों इन स्थिति का मुफाविला करने के लिए नैवार रहने को अन्मन्त्रिये जाते हैं। लार्ड बोल्सली ने 'मान्त्रमं पाण्डुत्वा क्रौर फोन्त्र-सर्विम' नामकी एक पुस्तक में लिखा

है—“हम इस सिद्धान्त पर बार-बार जोर देते रहेगे, कि ईमानदारी ही सबसे अच्छी पालिसी है और आखिर में जाकर हमेशा सच्चाई की ही जीत होती है, लेकिन ये साधारण वाक्य बच्चों की नोटबुको के लिए ही ठीक है, और अगर लोग युद्ध के दिनों में इनपर अमल करने लगे तो यही बेहतर है कि वे हमेशा के लिए अपनी तलवारें मियानों में वन्द करले।”

वर्तमान स्थिति में, जब कि एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के और एक वर्ग दूसरे वर्ग के खिलाफ है, हिंसा और असत्य का यह पाया करीव-करीव लाजिमी मालूम होता है। अपनी शक्ति और विशेषाधिकारों को बनाये रखने के लिए उत्सुक और अपने पीड़ितों को उन्नति का अवसर न देनेवाले अधिकार-प्राप्त राष्ट्रों और समूहों को तो लाजिमीतौर पर हिंसा, दबाव और झूठ का आश्रय लेना ही पड़ता है। संभव है कि ज्यो-ज्यो लोकमत जागृत होता जायगा और इन सघर्षों तथा दमन की वास्तविकता स्पष्ट होती जायगी, त्यो-त्यो इस हिंसा की तीव्रता भी कम होती जायगी। लेकिन असल बात तो यह है कि हाल के तमाम तजुर्वे इसके खिलाफ इशारा कर रहे हैं और जैसे-जैसे मौजूदा सस्याओं के उलटने का आन्दोलन तीव्र होता जाता है, इन लोगों की हिंसा भी बढ़ती जाती है। कभी हिंसा की प्रत्यक्ष उग्रता में कुछ कमी भी आ गई है तो उसने उससे और कहीं अधिक सूक्ष्म और अधिक भयकर रूप इस्तेमाल कर लिया है। हिंसा की इस प्रवृत्ति को न तो धार्मिक सहिष्णुता और न नैतिक भावना की वृद्धि ही ज़रा भी रोक नहीं है। मानवता के परिमाण की दृष्टि से कुछ व्यक्ति उन्नति करके ऊँचे चढ़ गये हैं और अगर सबसे ऊँचे नमूनों को छोड़ दिया जाय, तो गालियन दुनिया में आजकल इस फिल्म के ऊँचे दर्जे के जितने ज्यादा व्यक्ति हैं, उतने इतिहास के और किसी जमाने में नहीं थे। कुछ मिलाकर तो

समाज ने तरक्की ही की है, और वह कुछ हद तक पुरातन और सहज क्रूर वृत्तियों पर अक्रुश रखने के लिए भी प्रयत्नशील है। लेकिन कुल मिलाकर समूहो या समुदायो ने कोई खास तरक्की नहीं की है। व्यक्ति अधिक समय बनने के प्रयत्न में अपने पूर्वकालिक मनोविकार और बुराईयाँ समाज को देता जा रहा है, और क्योंकि हिंसा हमेशा पहली नहीं किन्तु दूसरी श्रेणी के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है, इसलिए इन समुदायो के नेता लोग शायद ही पहले दरजे के पुरुष या स्त्री होते हो।

लेकिन अगर हम यह भी मानले कि राज्य से धीरे-धीरे हिंसा के सबसे बुरे रूप मिट जायेंगे, तब भी इस बात की उपेक्षा कर सकना असम्भव है कि सरकार और सामाजिक जीवन दोनों ही के लिए किसी प्रकार के दबाव की आवश्यकता है। सामाजिक जीवन के लिए किसी-न-किसी तरह की सरकार का होना जरूरी है, और इस कारण जिन लोगों को कुछ अधिकार मिल जाता है उनके लिए यह लाजिमी है कि वे व्यक्तियों और समूहो की उन सब प्रवृत्तियों पर, जो स्वभावतः स्वार्थ परायण हैं और जिनसे समाज को नुकसान पहुँचने का अन्वेषा है, अक्रुश रखें और उन्हें रोके। आमतौर पर ये अधिकारी लोग ज़रूरत से ज्यादा आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि ताकत जिसके हाथ में पहुँचती है उसीको भ्रष्ट करके गिरा देती है। इस तरह उन शासकों को स्वतन्त्रता से कितना ही प्रेम और दमन से कितनी ही घृणा क्यों न हो, फिर भी उन्हें उस क्षण तक अपने दहाँके झगडालू व्यक्तियों का दमन करना ही पड़ेगा, जबतक कि राज्य में प्रत्येक व्यक्ति पूर्णता प्राप्त न करले और सर्वथा नि स्वार्थ और परोपकार-परायण न बन जाय। ऐसे राज्य के शासकों को भी उन बाहरी समूहो का मुकाबिला करना पड़ेगा, जो छूट-मार के लिए उनके राज्य पर हमला करे। अर्थात् उन्हें ताकत का

मुकाबिला ताकत से करके अपनी रक्षा करनी पड़ेगी। इस बात की जरूरत तो सभी दूर होगी जबकि पृथ्वी-भर के लिए केवल एक ही विश्वव्यापी राज्य रह जाय।

इस तरह अगर अन्तरिक एकता और बाहरी आक्रमणों से अपनी रक्षा इन दोनों के लिए शक्ति और दमन आवश्यक है, तो यह भेद किस तरह किया जाय कि वे सर्वथा अहिंसात्मक हैं या हिंसात्मक? रिन्होल्ड नीयूर का कहना है कि जब आप एक बार नैतिकता के मुकाबिले में इतनी भयावह छूट देते हैं और सामाजिक अविच्छिन्नता को कायम रखने के लिए बल-प्रयोग एक आवश्यक अस्त्र मान लेते हैं, तब अहिंसात्मक और हिंसात्मक बल-प्रयोग में अथवा सरकार और क्रान्तिकारियों द्वारा किये जानेवाले बल-प्रयोग में आप कोई विशुद्ध भेद नहीं कर सकते।

मैं ठीक-ठीक नहीं जानता, लेकिन मेरी धारणा है कि गांधीजी यह बात मान लेंगे कि इस अपूर्ण ससार में किसी भी राष्ट्रीय सरकार को अपने ऊपर अकारण ही बाहर से होनेवाले आक्रमणों से अपनी रक्षा करने के लिए शक्ति का प्रयोग करना पड़ेगा। अवश्य ही राज्य को चाहिए कि अपने पड़ोसी और अन्य दूसरे राज्यों के साथ सर्वथा शान्तिमय और मित्रतापूर्ण नीति ग्रहण करे, लेकिन फिर भी आक्रमण की समावना से इन्कार करना बेहदगी होगी। राज्य को कुछ ऐसे कानून भी बनाने पड़ेंगे, जो इस अर्थ में दबाव डालनेवाले होंगे कि इनके द्वारा विभिन्न समुदायों या समूहों के कुछ अधिकार और विशेष रिवायतें छिन जाती हैं और उनकी कार्य-स्वतन्त्रता सीमित होजाती है। कुछ हद तक तो सभी कानून दबाव डालनेवाले होते हैं। कराची-काँग्रेस का प्रोग्राम यह बताता है कि—‘जन-समूह का शोषण बन्द करने के लिए राज-नैतिक स्वतन्त्रता में, करोड़ों, भूखों मरनेवालों की वान्छित आर्थिक

१ 'Moral Man and Immoral Society' पुस्तक में से।

स्वतन्त्रता का भी अचक्षु गन्तव्य होना चाहिए। आवश्यक मनोभाव को कार्य में परिणत करने के लिए जिन लोगों के अत्यधिक विशेषाधिकार हैं उन्हें अपने बहुतेक अधिकार उन लोगों के लिए छोड़ देने पड़ेंगे जिनके पास बहुत थोड़े अधिकार हैं। आगे उममें यह भी बनाया गया है कि मजदूरों को निर्वाह के लिए आवश्यक मजदूरी और जीवन की दूसरी सुविधाओं भी जरूर मिलनी चाहिए, मिलिच्छतो पर दास टैन्स लगाये जाने चाहिए, और "डास उद्योग-विभागों, एनिज-साधनों, रेलवे, जल्-मार्गों, जहाजरानी और सार्वजनिक आवागमन के दूसरे साधनों पर राज्य अपना अधिकार और नियंत्रण रखेगा।" साथ ही यह भी कि "नशीले पेय और पदार्थ सर्वथा बन्द किये जायेंगे।" शायद बहुत-से लोग इन सब बातों का विरोध करेंगे। यह होसकता है कि वे बहुमत के निर्णय के सामने सिर झुकाए, लेकिन यह होगा इसी भय के कारण कि आजा-भग का नतीजा बुरा होगा। सचमुच लोकतंत्र का अर्थ ही बहुसंख्यक लोगों का अल्पसंख्यक लोगों पर दबाव है।

अगर मिलिच्छत सम्बन्धी अधिकारों को कम करने या बहुत हदतक उन्हें रद्द करने लिए कोई कानून बहुमत से पास होजाय, तो क्या इस-लिए उसका विरोध किया जायगा कि यह तो दबाव है? स्पष्ट है कि यह नहीं है, क्योंकि सभी लोकतन्त्रात्मक कानूनों को बनाने में यही तरीका काम में लाया जाता है। इसलिए दबाव की बिना पर ऐतराज नहीं किया जासकता। यह कहा जासकता है कि बहुमत शरत या अनैतिक मार्ग पर चल रहा है। ऐसी हालत में सवाल यह पैदा होता है कि कसरत राय से जो कानून पास हुआ, क्या वह किसी नैतिक सिद्धान्त की अवहेलना करता है? लेकिन इस सवाल का फंसला कौन करेगा? अगर अलग-अलग व्यक्तियों और समूहों को यह छूट देदी जाय कि वे अपने-अपने निजी स्वार्थ के अनुसार कर्तव्यशास्त्र की व्याख्या करले, तो लोक-

तन्त्रात्मक प्रणाली का तो खात्मा ही होजाता है। व्यक्तिगत रूप से मैं तो यह महसूस करता हूँ कि (वहुत ही सकुचित अर्थों में छोड़कर) व्यक्तिगत सम्पत्ति की प्रथा कुछ व्यक्तियों को सारे समाज पर भयकर अधिकार दे देती है, और इसलिए वह समाज के लिए अत्यन्त हानिकारक है। मैं व्यक्तिगत सम्पत्ति को शराबखोरी से भी ज्यादा अनैतिक समझता हूँ, क्योंकि शराब समाज को उतना नुकसान नहीं पहुँचाती जितना कि व्यक्ति को।

फिर भी जो लोग अहिंसा के सिद्धान्त में विश्वास रखने का दावा करते हैं उनमें-से कुछ लोगो ने मुझसे कहा है कि व्यक्तिगत सम्पत्ति का उसके मालिक की स्वीकृति के बिना राष्ट्रीयकरण करना दबाव होगा और इसीलिए अहिंसा के विरुद्ध अवश्य ही मेरे सामने इस दृष्टिकोण पर उन बड़े बड़े जमींदारो ने, जो जबरदस्ती लगान वसूल करने में सरकार की मदद लेने में नहीं हिचकिचाते, और कई फौजदारियों के मालिक उन पूँजी-पतियों ने, जो अपने हलको में स्वतन्त्र मजदूर-सघ भी कायम नहीं होने देना चाहते, जोर दिया है। यह बात काफी नहीं मानी जाती कि जिन लोगो का उस बात से ताल्लुक है उनका अधिकांश परिवर्तन चाहता है, बल्कि परिवर्तन से जिन लोगो को नुकसान है उन्हें ही हृदय-परिवर्तन करने के लिए कहा जाता है। थोड़े-से स्वार्थी दल स्पष्टतः आवश्यक परिवर्तन को रोक सकते हैं।

अगर इतिहास से कोई एक बात सिद्ध होती है, तो वह यह है कि आर्थिक हित ही समूहों और वर्गों के दृष्टिकोण के निर्माता होते हैं। इन हितों के सामने न तो तर्क और न नैतिक विचारों की ही चलनी है। हो सकता है कि कुछ व्यक्ति राखी हो जायें और अपने विरोधाधिकार छोड़ दें, यद्यपि ऐसा बहुत बिरले ही लोग करते हैं, लेकिन नमूह और वर्ग ऐसा कभी नहीं करते। इसीलिए धार्मिक और विरोधाधिकार-प्राप्त

वर्ग को अपनी मत्ता और अनुचित विनोदाधिकारों को छोड़ देने के लिए रजामन्द करने को जितनी कोशिशें जितनी की गई वे हमें नाराज-याव ही हुईं और इस बात को मानने के लिए कोई बजह दिखाई नहीं देती कि वे भविष्य में कामयाब हों जायेंगी। रीन्डोल्ट नोयूर ने अपनी किताब^१ में उन मन्दाचारवादियों को आड़े हाथों लिया है, जो यह बल्बना कर बैठे हैं कि “व्यक्तियों की स्वार्थपरायणता, विवेक और धार्मिक स्फूर्ति-प्राप्त सम्भावना की वृद्धि से, दिन-ब-दिन कम हो रही है और यह भी कि समस्त मानव-समाजों और समूहों में सामाजिक ऐश्वर्य स्थापित कराने के लिए सिर्फ इतना ही जरूरी है कि यह क्रिया जारी रहे।” ये सदाचारवादी “मनुष्य के सामूहिक व्यवहार में उन मूल बातों को, जो प्रकृति का अंग हैं और जो कभी भी सर्वथा विवेक या अन्तरात्मा के अक्रोश में नहीं लाई जा सकती, पहचानकर मानव-समाज में न्याय-प्राप्ति के लिए जो सघर्ष चल रहा है उसमें राजनैतिक आवश्यकताओं को अवहेलना कर देते हैं। ये लोग इस सच बात को नहीं मानते कि जब सामूहिक शक्ति, चाहे वह साम्राज्यवाद की शकल में हो या वर्ग-प्रभुता के रूप में, कमजोरों का शोषण करती है तब वह उस वक्त तक अपनी अगह से नहीं हटाई जा सकती जबतक कि उसके खिलाफ ताकत खड़ी न कर दी जाय।” और फिर, “क्योंकि किसी भी सामाजिक स्थिति में विवेक सदा ही कुछ हद तक स्वार्थ का दास होता है, केवल नैतिक या चौदिक समझाव-बुझाव से समाज में न्याय स्थापित नहीं हो सकता। सघर्ष अनिवार्य है और इस सघर्ष में शक्ति का मुकाबिला शक्ति से ही किया जाना चाहिए।”

इसलिए यह सोचना, कि किसी वर्ग का किसी राष्ट्र के हृदय-परिवर्तन मात्र से काम चल जायगा या न्याय के नाम पर अपील करने और

१ Moral Man and Immoral Society पुस्तक में से।

विवेकयुक्त दलीले देने से सघर्ष मिट जायगा, अपने-आपको धोखा देना है। यह कल्पना करना कि किसी ऐसे कारगर दबाव के बिना ही, जो मजबूर करने की हद तक पहुँचता हो, कोई साम्राज्यवादी शासक-सत्ता देश पर से अपनी हुकूमत उठा लेगी या कोई वर्ग अपने उच्च-पद और विशेषाधिकारों को छोड़ देगा सर्वथा भ्रम है।

यह स्पष्ट है कि गांधीजी इस दबाव से काम लेना चाहते हैं, हालाँकि वह उसे बल-प्रयोग के नाम से नहीं पुकारते। उनके कथनानुसार, उनका तरीका तो स्वयं कष्ट-सहन का तरीका है। इसका समझ सकना कुछ कठिन है, क्योंकि इसमें कुछ आध्यात्मिक भावना छिपी है और हम उसे न तो नाप ही सकते हैं और न किसी भौतिक तरीके से उसकी जाँच ही कर सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि विरोधी पर भी इस तरीके का काफी असर पड़ता है। यह तरीका विरोधियों की नैतिक दलीलों का परदाफोश कर देता है, उन्हें घबरा देता है, उनकी सर्वोच्च भावना को जागृत कर देता है और समझौते का दरवाजा खोल देता है। इस बात में तो कोई शक नहीं हो सकता कि प्रेम की पुकार और स्वयं कष्ट-सहन के अस्त्र का विपक्षी और साथ ही दर्शकों पर बहुत ही खबरदस्त मनो-वैज्ञानिक असर पड़ता है। बहुत-से शिकारी यह जानते हैं कि हम जंगली जानवरों के पास जिस दृष्टि से जाते हैं वैसे ही उन पर असर हो जाता है। वह जानवर दूर से ही भाँप लेता है, कि आप उस पर हमला करना चाहते हैं और उसीके मुताबिक वह अपना रवैया इस्तिथार करता है। इतना ही नहीं, आदमी अगर खुद किसी जानवर से डरे, फिर चाहे वह उसे महसूस भी न हो, तब भी उसका वह डर किसी तरह जानवर के पास पहुँच जाता है और उसे भयभीत कर देता है और इसी भय की वजह से वह हमला कर बैठता है। अगर शेरों को पालनेवाला चरा भी डर जाय तो उसपर हमला किये जाने का खतरा फौरन पैदा हो जाता

है। एक विलकुल निर्भय भावमी किमी अज्ञात दुर्घटना के सिवा शायद ही किसी हिंसक पशु के छतरे का शिकार होता हो। इसलिए यह बात स्वाभाविक मालूम होती है कि मानव-प्राणी इन मानसिक प्रभावों से प्रभावित हो। फिर भी यद्यपि व्यक्ति प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन इस बात में शक है कि वर्ग या समूह पर इस तरह का प्रभाव पड़ सकता है। वर्ग के रूप में वह वर्ग किमी अन्य दल के व्यक्तिगत और निकट-सम्पर्क में नहीं आता। इतना ही नहीं, उसके सम्बन्ध में वह जो रिपोर्टें सुनता है वह भी एकागी और तोड़ी-भरोड़ी हुई होती हैं। और हर हालत में जब कोई समूह उसके अधिकार को चुनौती देता है तब उसके रोप की स्वाभाविक प्रतिक्रिया इतनी बलवान होती है कि अन्य सब छोटे-छोटे भाव उसमें विलीन हो जाते हैं। वह वर्ग तो बहुत दिनों से इस खयाल का आदी हो गया है कि उसे जो विशिष्ट पद और अधिकार मिले हुए हैं, वे समाज-हित के लिए जरूरी हैं। इसलिए उसके खिलाफ जो राय बाहिर की जाती है वह उसे कुफ-जैसी मालूम होती है। कानून और व्यवस्था तथा वर्तमान अवस्था को कायम रखना खास गुण हो जाते हैं और उनमें विघ्न डालने की कोशिश सब से महान् पाप।

इसलिए जहाँ तक विरोधी-पक्ष से ताल्लुक है, हृदय-परिवर्तन का यह तरीका हमें कुछ बहुत दूर तक नहीं ले जाता। निस्सन्देह कभी-कभी तो अपने विरोधी की तर्कों और उसकी साधुता ही प्रतिपक्षी को और भी अधिक क्रोधित बना देती है। क्योंकि वह समझता है कि उसने इससे उसे गलत स्थिति में डाल दिया है और जब किसी व्यक्ति को यह शका होने लगती है कि शायद वह गलती पर न हो, तब उसका सात्विक रोप और भी बढ़ जाता है। फिर भी अहिंसा की इस विधि से विपक्ष के कुछ व्यक्तियों पर जरूर प्रभाव पड़ता है और इस प्रकार विरोध की दुबता में कमी आ जाती है। इससे भी अधिक बात यह है कि वह

तटस्थ लोगों की सहानुभूत प्राप्त कर लेता है और ससार के लोकमत को प्रभावित करने का बड़ा ज़वरदस्त ज़रिया है। लेकिन इस दशा में यह सम्भव हो सकता है कि शासक-वर्ग खबर को बाहर जाने से रोक दे या उसे तोड़-मरोड़ कर जाने दे। क्योंकि प्रकाशन की एजेंसियों पर उसका नियन्त्रण रहता है और इस तरह वह असली वाक्यात का पता लगाना रोक सकता है। ताहम अहिंसात्मक अस्त्र का सबसे ज्यादा ख़ोरदार और व्यापक असर तो जिस देश में यह अस्त्र काम में लाया जाता है उसके न्यूनाधिक उदासीन लोगों पर होता है। निस्संदेह उनका हृदय-परिवर्तन हो जाता है और वे अक्सर उनके ख़ोरदार समर्थक बन जाते हैं। लेकिन ऐसे लोगों का हृदय-परिवर्तन कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि ये लोग आमतौर पर उस उद्देश्य को तो मानते ही थे। जो लोग क्रान्ति से घबराते हैं उनपर कोई असर दिखाई नहीं देता। भारत में असहयोग और सत्याग्रह जिस तेजी से फैला, उससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि किस तरह एक अहिंसात्मक हलचल बहुसंख्यक लोगों पर ख़वरदस्त अमर डालती है, और बहुत-से अस्थिर-मति लोगों को किस तरह अपनी ओर खींच लेती है। लेकिन उससे वे लोग कोई ज्यादा हद तक नहीं बढ़े। मगर जो लोग शुरू से ही उसके विरोधी थे, उनकी किमी उल्लेखनीय सस्या को वह अपने पक्ष का न बना सकी। सच बात तो यह है कि आन्दोलन की सफलता ने उनके भय को और भी बढ़ा दिया और इस प्रकार वह और भी ज्यादा विरोधी बन गये।

अगर एक बार यह मान लिया जाता है कि राज्य के लिए अपनी आजादी की रक्षा करने के खातिर हिंसा का प्रयोग जायज़ है, तब यह समझना मुश्किल है कि उस आजादी को हासिल करने के लिए उन्हीं हिंसात्मक और बल प्रयोग के तरीकों की इत्थार करना उनना ही जायज़ क्यों नहीं है? कोई अहिंसात्मक तरीका जयान्धनीय और

अनुपयुक्त हो सकता है, लेकिन वह सर्वथा नाजायज और वर्जित नहीं हो सकता। सिर्फ इसी कारण से कि सरकार सबमे प्रबल है और उसके हाथ में सशस्त्र सेना है, उसे हिंसा के प्रयोग करने का ज्यादा हक नहीं मिल जाता। उस हालत में जबकि अहिंसात्मक भ्रान्ति सफल हो जाय और उसका राज्य पर काबू हो जाय, मया उसको हिंसा को इस्तेमाल करने का वह हक फौरन ही हासिल हो जायगा, जो उसके पास पहले नहीं था ? अगर इस नये राज्य की हुकूमत के खिलाफ बगावत हो, तो वह उसका मुकाबिला कैसे करे ? स्वभावतः वह यह नहीं चाहेगा कि हिंसात्मक तरीके से काम ले और स्थिति का मुकाबिला करने के लिए हर शान्तिमय तरीके से कोशिश करेगा। लेकिन वह हिंसा से काम लेने के अपने अधिकार को नहीं छोड़ सकता। यह निश्चय है कि जनता में ऐसे बहुत-से असन्तुष्ट लोग होंगे, जो इस परिवर्तन के खिलाफ होंगे और वे इस बात की कोशिश करेंगे कि पहली हालत फिर से लौट आये। अगर वे यह सोचेंगे कि सरकार उनकी हिंसा का मुकाबिला अपने दमनकारी शस्त्रों से नहीं करेगी, तब तो वे शायद और भी ज्यादा हिंसा को काम में लायेंगे। इसलिए ऐसा भालूम होता है कि हिंसा और अहिंसा हृदय-परिवर्तन और बल-प्रयोग के बीच कोई निश्चित और पूर्ण विभाजक-रेखा खींच सकना एकदम नामुमकिन है। राजनैतिक परिवर्तन के सम्बन्ध में तो यह कठिनाई सचमुच ठीक है, लेकिन तब खास विशेषाधिकार-प्राप्त और शोषितवर्गों के सम्बन्ध में यह कठिनाई और भी अधिक बढ़ जाती है।

किसी आदर्श के लिए कष्ट-सहन की सवा ही प्रशंसा हुई है, और बिना झुके और बदले में हाथ चलाये बिना किसी उद्देश के लिए तकलीफ सहने में एक ऐसी उच्चता और ऐसी भयता है जिसे मानना ही पड़ता है। फिर भी इसके और कष्ट-सहन के लिए कष्ट उठाने के

चीन में भेद करनेवाली बहुत पतली लकीर है, और इस प्रकार का कष्ट-सहन अक्सर दूणित और कुछ हद तक पतनकारी हो जाता है। अगर हिंसा अक्सर क्रूरतापूर्ण होती है तो कम-से-कम अपने नकारात्मक पहलुओं में अहिंसा सम्भवतः दूसरी तरफ अति पर पहुँच सकती है। इस बात की सम्भावना हमेशा रहती है कि अहिंसा को अपनी कायरता और अकर्मण्यता को छिपाने और स्थितिपालकता को कायम रखने का साधन बना लिया जाय।

हिन्दुस्तान में पिछले कुछ बरसों में, जबसे कि क्रान्तिकारी सामाजिक परिवर्तन की भावना ने जोर पकड़ा है, अक्सर यह कहा जाने लगा है कि इस प्रकार के परिवर्तन में हिंसा आवश्यक रूप से काम में लानी पड़ती है, इसलिए इन परिवर्तनों के लिए जोर नहीं दिया जा सका। श्रेणी-युद्ध का चिह्न तक नहीं किया जाना चाहिए (फिर चाहे वह कितना ही ज्यादा क्यों न मौजूद हो), क्योंकि वह हमारे उस पूर्ण सहयोग और उस अहिंसात्मक प्रगति की भावना में, जो हमें अपने भावी लक्ष्य की ओर ले जानेवाली है, बिछन डालता है। यह बहुत मुमकिन है कि सामाजिक मसले का हल किसी-न-किसी मौके पर हिंसा के बिना न हो सके, क्योंकि यह तो निश्चय ही मालूम पड़ता है कि जिन वर्गों को विशेष अधिकार प्राप्त है वे अपने प्राप्त अधिकारों को कायम रखने के लिए हिंसा से काम लेने में नहीं हिचकेंगे। लेकिन सिद्धान्ततः अगर अहिंसात्मक तरीके से कोई बड़ा भारी राजनैतिक परिवर्तन कर सकना सम्भव है, तो इसी तरीके से क्रान्तिकारी, सामाजिक परिवर्तन कर सकना उतना ही सम्भव क्यों नहीं होना चाहिए? अगर हम लोग अहिंसा के ऋषिये हिन्दुस्तान की राजनैतिक स्वतन्त्रता हासिल कर सकते हैं और ब्रिटिश साम्राज्यवाद को निकाल सकते हैं, तो हम उन्हीं तरीके से माण्डलिक राजाओं, जमींदारों और दूसरे सामाजिक मसलों को हल करके

समाजवादी सरकार क्यों नहीं कायम कर सकते ? प्रश्न इतना अधिक यह नहीं है कि यह सब कुछ अहिंसा के जरिये हो सकता है या नहीं । सवाल तो यह है कि या तो ये दोनों ही उद्देश्य अहिंसा के जरिये हासिल हो सकते हैं या फिर एक भी नहीं । यह तो कहा ही नहीं जा सकता कि अहिंसात्मक अस्त्र का प्रयोग सिर्फ विदेशी शासकों के ही खिलाफ किया जा सकता है । जाहिरा तौर पर तो किसी देश में उसके अपने देशी स्वार्थी समुदायों और अडगानीति ग्रहण करनेवालों के खिलाफ उसका प्रयोग करना ज्यादा आसान होना चाहिए, क्योंकि उनपर उसका मनो-वैज्ञानिक असर बाहरवालों की बनिस्बत ज्यादा पड़ेगा ।

हिन्दुस्तान में इन दिनों जो यह प्रवृत्ति चल गई है कि उद्देश्य और नीतियों को महत्व इसलिए बुरा बता दिया जाय क्योंकि वे अहिंसा से टकराती हैं, मुझे ऐसी मालूम होती है मानो इन समस्याओं को समझने का जो सही तरीका है उसे छोड़कर दूसरी तरह देखा जाता है । पन्द्रह बरस पहले हमने अहिंसात्मक उपाय को इसलिए इस्तिथार किया था कि हमें यह विश्वास हो चला था कि उसके द्वारा हम सबसे अधिक वाञ्छित और कारगर तरीके से अपने लक्ष्य पर पहुँच जायेंगे । उस वक्त हमारा लक्ष्य अहिंसा से अलग था । वह न तो केवल अहिंसा का पुछला ही था, न उसका परिणाम । उस वक्त कोई यह नहीं कह सकता था कि हमें आजादी या स्वतन्त्रता को अपना ध्येय तभी बनाना चाहिए जब वह अहिंसात्मक तरीकों से ही मिल सके । लेकिन अब हमारे ध्येय का फँसला अहिंसा की शर्तों में होता है, और अगर वह उनके मुताबिक ठीक नहीं बैठता तो नामजूर कर दिया जाता है । इसलिए अहिंसा का खयाल एक ऐसा जड़वाद बनता जा रहा है जिसके खिलाफ आप कुछ नहीं कह सकते । इस कारण आध्यात्मिक रूप में अब वह हमारी बुद्धि को अपील नहीं करता और श्रद्धा और धर्म के

घोसले मे अपनी जगह ले रहा है। इतना ही नहीं, वह तो स्वार्थी समुदायो के लिए पक्का लगर बन रहा है और ये लोग मौजूदा स्थिति को ज्यो-का-त्यो बनाये रखने के लिए उससे नाजायज फायदा उठा रहे हैं।

यह दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि मेरा विश्वास है कि अहिंसात्मक प्रतिरोध के विचार और लड़ाई की अहिंसात्मक विधि, हिन्दुस्तान और बाकी की दुनिया के लिए, अत्यन्त लाभप्रद है और गांधीजी ने वर्तमान विचार-जगत को इनपर गौर करने के लिए विवश करके बड़ी जबरदस्त सेवा की है। मेरा विश्वास है कि उनका भविष्य महान् है। यह ही सकता है कि मानव समुदाय अभी इतना आगे नहीं बढ़ पाया है कि वह उन्हें पूरी तरह अपना सके। ए० ई० की 'इंटरप्रेटर्स' नामक पुस्तक के एक पात्र का कहना है कि—“आप अन्वो को प्रकाश के लिए अपनी मशाल देते हैं, लेकिन उससे उन्हें क्या विशेष लाभ पहुँच सकता है ?” सम्भव है कि आज वह आदर्श अधिक फलीभूत न हो सके, लेकिन सब महान् विचारों की तरह उसका प्रभाव बढता रहेगा, और हमारे कार्य उससे अधिकाधिक प्रभावित होते रहेंगे। असहयोग, जिसका अर्थ है उस राज्य या समाज से जिसे हम बुरा समझते हैं। अपना सहयोग हटा लेना, एक बहुत ही जबरदस्त और क्रान्तिकारी धारणा है। यदि उच्चकोटि के मुट्ठी-भर लोग भी उसपर अमल करे तो उसका प्रभाव फैल जाता है और बढता चला जाता है। सख्या की वृद्धि से उसका बाहरी प्रभाव और अधिक दिखाई देने लगता है। लेकिन उस हालत में प्रवृत्ति यह होती है कि दूसरी बाते नैतिक सवाल को दबा लेती हैं। ऐना नानून पढता है कि उसके विस्तार से उनकी गहराई पर उसका अनर पढना है। सामूहिक शक्ति धीरे-धीरे वैयक्तिक शक्ति को पीछे धकेल देती है।

फिर भी विशुद्ध अहिंसा पर जो जोर दिया जाता, है उमने वह ए-

दूर की-सी तथा जीवन से एक भिन्न-सी वस्तु बन गई है और यह प्रवृत्ति हो चली है कि लोग या तो उसे अन्धे होकर धर्म की तरह मजूर कर लें या उसे बिल्कुल नामजूर कर दें। उसका दौड़िक अंश पीछे जा छिपा है। १९२० में हिन्दुस्तान के आतंकवादियों पर उसका बहुत असर पड़ा था और जिससे बहुत-से उस दल से अलग हो गये और जो बने रहे, वे भी असमञ्जस में पड़ गये और अपने हिंसात्मक कार्यों को बन्द कर दिया, लेकिन अब उन पर इस अहिंसा का कोई ऐसा असर नहीं रहा है। कांग्रेसवादियों में भी बहुत-से ऐसे लोग, जिन्होंने असहयोग और सविनय भंग के आन्दोलनों में महत्त्वपूर्ण भाग लिया था और जिन्होंने अहिंसा का उसके सब व्यापक अर्थों में ईमानदारी से पालन करने का प्रयत्न किया था, अब वे काफिर समझे जाते हैं और कहा जाता है कि उन्हें कांग्रेस में रहने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वे अहिंसा को न तो धर्म के तौर पर और न धर्म के रूप में मानने को तैयार हैं और न उस एकमात्र लक्ष्य को ही छोड़ने को तैयार हैं, जिसे प्राप्त करना वे अपना कर्तव्य समझते हैं। अर्थात् समाजवादी राज्य, जिसमें सबके लिए समान रूप से न्याय और सुविधाये होंगी। व्यवस्थित समाज तो तभी कायम हो सकता है, जबकि आजकल जो विशेष सुविधाये और सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकार प्राप्त हैं वे अधिकार समाप्त कर दिये जायें। निस्सन्देह गाँधीजी आज भी वही जिन्दा हस्ती बने हुए हैं, जिनकी अहिंसा सजीव और उग्ररूप की है और कोई नहीं कह सकता कि वह कब देश को एक बार फिर आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर देंगे। अपनी तमाम महत्ता और परस्पर विरोधी बातों और जनता को बिलक्षण रूप से प्रभावित करने की शक्ति के कारण वह साधारण स्टैंडर्ड ने ऊँचे हैं। जैसे हम दूसरों को नापते तोलते हैं, वैसे उनका नाप-तोल नहीं हो सकता। लेकिन बहुत-से, जो उनके अनुयायी होने का दावा करते हैं, निकम्मे भ्रान्तिवादी या टालस्टाय

टाइप के अप्रतिरोधी या किसी सकुचित सम्प्रदाय के सदस्य बन जाते हैं, जिनका कि जीवन और वास्तविकता से कोई सम्पर्क नहीं होता। और ये लोग अपने आस-पास ऐसे बहुत से लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं जिनका स्वार्थ इसीमें है कि वर्तमान व्यवस्था कायम रहे और जो इसी मतलब से अहिंसा की शरण लेते हैं। इस तरह अहिंसा में समय-साधकता घुस पड़ती है और हम प्रयत्न तो करते हैं विरोधी के हृदय परिवर्तन का, लेकिन अहिंसा को सुरक्षित रखने की धुन में हम स्वयं परिवर्तित होजाते हैं, और विरोधी की लाइन में आ जाते हैं जब जोश ठंडा हो जाता है और हम कमजोर पड़ जाते हैं। तब हमेशा थोड़ी सी पीछे की तरफ हट-जाने और समझौता करने की प्रवृत्ति हो जाती है और इसे बड़े फल के साथ अपने विरोधी को जीतने की कला के नाम से पुकारा जाता है। कभी-कभी तो इसकी प्राप्ति के लिए हम अपने पुराने साथियों तक को खो देते हैं। हम उनकी आदतों की, उनके भाषणों की, जो हमारे नये दोस्तों को चिढ़ाते हैं, निन्दा करते हैं और उनपर हमारी एकता भंग करने का इलजाम लगाते हैं। सामाजिक व्यवस्था में वास्तविक परिवर्तन किये जाने पर जोर देने के बजाय हम मौजूदा समाज में दया और उदारता पर जोर देते हैं और स्वार्थी समुदाय जैसे-जैसे ही बने रहते हैं।

मेरा विश्वास है कि साधनों की महत्ता पर जोर देकर गांधीजी ने हमारी बड़ी सेवा की है। फिर भी मैं इस बात का विश्वास के साथ महसूस करता हूँ कि अन्तिम जोर तो लाजिमी और ज़रूरी तौर पर हमारे सामने जो ध्येय या मकसद हो उसीपर देना चाहिए। जबतक हम ऐसा नहीं करते तबतक हम इधर-उधर घूमने में और इधर-उधर के मामूली सवालियों पर अपनी ताकत बरबाद करते रहने के सिवा और कुछ नहीं कर सकते। लेकिन साधनों की भी उपेक्षा नहीं की जा सकती, क्योंकि नैतिक पक्ष के अलावा उससे बिल्कुल अलग उनका एक व्यावहारिक पक्ष भी है। हीन

और अनैतिक साधन अक्सर हमारे लक्ष्य को ही विफल कर देते हैं, खूबदस्त नई-नई समस्याएँ खड़ी कर देते हैं। और, आखिरकार, किमी आदमी के बारे में कोई सही निर्णय हम, उसके उद्घोषित लक्ष्य से नहीं कर सकते, बल्कि उन साधनों से ही करते हैं जिन्हें कि वह व्यवहार में लाता है। ऐसे साधनों को अपनाने से, जिनमें कि व्यर्थ की लड़ाई पैदा हो और धृष्टता की वृद्धि हो, लक्ष्य की प्राप्ति और भी अधिक दूर हो जाती है। सच बात तो यह है कि साधन और साध्य का एक दूसरे से इतना नज़दीकी सम्बन्ध है कि उनको अलग-अलग करना बहुत मुश्किल है। अतः निश्चय रूप से साधन ऐसे होने चाहिए, जिनसे धृष्टता या क्षय यथासम्भव कम हो जायें या सीमित हो जायें, (क्योंकि उनका होना तो अनिवार्य-सा है) और सद्भावनाओं को प्रोत्साहन मिले। वस्तुतः प्रश्न किसी विशिष्ट साधन का उतना नहीं होता, जितना कि वह हेतु, उद्देश्य और स्वभाव का बन जाता है। गाँधीजी ने इसी बुनियादी भावना पर जोर दिया है और अगर वह मानव स्वभाव को किसी उल्लेख-योग्य सीमा तक बदलने में कामयाब नहीं हुए हैं तो उनको एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय हलचल पर, जिसमें लाखों ने हिस्सा लिया, इसकी छाप बिठाने में आश्चर्यजनक कामयाबी हुई है। कड़े नैतिक अनुशासन पर उन्होंने जो जोर दिया वह भी बहुत जरूरी था, हालाँकि उन्होंने उस वैयक्तिक अनुशासन के जो स्टैंडर्ड कायम किये हैं वे जायद बहस-तलव हैं। वह वैयक्तिक पापों और कम-जोरियों को तो बहुत ज्यादा महत्त्व देते हैं और सामाजिक पापों को बहुत कम। इस अनुशासन की आवश्यकता तो स्पष्ट है, क्योंकि मुसीबतों का गम्ना छोड़कर शक्ति और अधिकार के स्थान पर पहुँचे हुए विशेष अधिकारप्राप्त ममूट में मिलने के प्रलोभन ने बहुत-से कांग्रेसवादियों को बाँधने से बाहर खींच लिया है। क्योंकि किमी भी नापी कांग्रेसवादी के लिए उस मुक्तिप्राप्त स्थान के द्वार तो मदा खुले ही रहते हैं।

आजकल सारी दुनिया कई तरह के सकटों से ग्रस्त है। लेकिन इनमें सबसे बड़ा सकट आध्यात्मिक सकट है। यह बात पूर्व के देशों में खासतौर पर दिखाई देती है, क्योंकि हाल में दूसरी जगहों की अपेक्षा एशिया में बहुत जल्दी-जल्दी परिवर्तन हुए हैं और सामञ्जस्य स्थापित करने की क्रिया बड़ी कष्ट-प्रद है। राजनैतिक समस्या, जो कि आज इतना महत्त्व पा गई है, शायद सबसे कम महत्त्व की चीज है। हालांकि हमारे लिए तो यह प्रवान समस्या है और इसके पहले कि हम असली मामलों में लगे, उसका सतोप-प्रद हल हो जाना जरूरी है। पिछले बहुत-से युगों से हम लोग एक अपरिवर्तनीय मूल सामाजिक व्यवस्था के आदी होगये हैं। हममें से बहुतों का अब भी यह विश्वास है कि सिर्फ यही आचार समाज के लिए सम्भव और ठीक आचार है, और नैतिक दृष्टि से हम उसे ठीक मान लेते हैं। लेकिन भूतकाल से वर्तमान को मिलाने की हम जितनी कोशिशें करते हैं वे सब बेकार हो जाती हैं, जोकि अव्य-म्भावी ही है। अमेरिकन अर्थशास्त्री वेब्लेन ने लिखा है कि—“अन्त में आर्थिक सदाचार आर्थिक आवश्यकताओं का अनुकरण करता है।” आजकल की चरुते हमें इस बात के लिए मजबूर करेगी कि हम उनके मुताबिक सदाचार की एक नई व्याख्या बनावे। अगर हम लोग इस आध्यात्मिक सकट में से निकल भागने का कोई रास्ता ढूँढना चाहते हैं और चाहते हैं कि हम आजकल की सच्ची आध्यात्मिक उपयोगिताओं को महसूस कर ले तो हमें निर्भक्तिता से और साहस के साथ समस्याओं का सामना करना पड़ेगा और किन्हीं भी धार्मिक आदेशों की शरण लेने से काम नहीं चलेगा। धर्म जो-कुछ कहता है वह सला भी हो सकता है और बुरा भी। लेकिन जिस तरीके से वह उसे कहता है और यह चाहता है कि हम उसपर विश्वास करले, उससे किसी बात को बुद्धिपूर्वक समझ लेने में हमें कतई कुछ मदद नहीं मिलती। जैसा कि फ्रूड ने कहा है कि धर्म के

आदेश—“विश्वास किये जाने योग्य है इसलिए कि हमारे पूर्व पुरुष उनपर विश्वास करते थे, दूसरे इसलिए कि हमारे पास उनके लिए प्रमाण मौजूद हैं, जो हमें उसी पुराने जमाने से विरासत में मिलते आये हैं, और तीसरे इसलिए, कि उनकी सचाई के बारे में सवाल उठाना मना है।”^१

अगर हम अहिंसा पर उसके सब व्यापक भावों सहित निम्नान्त धार्मिक-दृष्टि से विचार करे तो बहस के लिए कोई गुंजाइश नहीं रहती है। उस हालत में तो वह एक सम्प्रदाय का सञ्चित ध्येय होजाता है, जिसे लोग माने या न मानें। उसकी सजीवता जाती रहती है और उसमें मौजूदा मसलों को हल करने की क्षमता नहीं रहती। लेकिन अगर हम लोग मौजूदा हालतों के सिलसिले में उसपर बहस करने को तैयार रहें तो वह हमें इस दुनिया के नवनिर्माण के हमारे प्रयत्नों में बहुत मदद दे सकता है। ऐसा करते समय हमें साधारण व्यक्ति को कमबोरियो और उसके स्वभाव का ध्यान रखना चाहिए। विस्तृत प्रमाण में सामूहिक रूप से और खासकर फायदालट और क्रांतिकारी परिवर्तनों के लिए किये जानेवाले किमी भी प्रयत्न पर केवल इसी बात का असर नहीं पडता कि नेता लोग उसके सम्बन्ध में क्या सोचते हैं, बल्कि मौजूदा अवस्थाओं का और इमसे भी अधिक मानवप्राणी उसके साथ काम करते हैं वे उसके सम्बन्ध में क्या सोचते हैं, इसका भी प्रभाव पडता है।

दुनिया के इतिहास में हिंसा का बहुत बड़ा हिस्सा रहा है। आज भी वह बहुत महत्त्वपूर्ण हिस्सा ले रही है और गालियन आगे भी बहुत बलत तक वह अपना काम करती रहेगी। पिछड़े जमाने में जो परिवर्तन हुए, उनमें वे ज्यादातर हिंसा और बलप्रयोग में ही हुए। एक मर्तवा डब्ल्यू० ई० मन्डलिन ने कहा था कि—“मुझे यह कहते हुए दुःख होता है कि

१ The Future of an Illusion

अगर राजनैतिक सकट के समय इस मुल्क के लोगो को हिंसा से नफरत, व्यवस्था से प्रेम और धीरज से काम लेने की हिदायतो के अलावा और हिदायते न जारी की गई होती, तो इस मुल्क मे लोगो को जो आजा-दियाँ हैं वे उन्हें कमी प्राप्त न हो पाती ।”

पिछले जमाने की, और आजकल भी, हिंसा की महत्ता की उपेक्षा करना नामुमकिन है । उसकी उपेक्षा करना जिन्दगी की उपेक्षा करना है । फिर भी अवश्य ही हिंसा एक बुरी चीज है और वह अपने पीछे दुष्ट परिणामो की एक लम्बी लीक छोड जाती है । और हिंसा से भी ज्यादा बुरी घृणा, क्रूरता, बदला और सच्चा की वे प्रवृत्तियाँ हैं जो अक्सर हिंसा के साथ चलती है । सच बात तो यह है कि हिंसा स्वतः बुरी नहीं बल्कि वह इन्हीं प्रवृत्तियो की वजह से बुरी है जो उसके साथ-साथ चलती है । इन प्रवृत्तियो के बिना भी हिंसा होसकती है । वह तो बुरे उद्देश्य के लिए भी होसकती है और अच्छे के लिए भी । लेकिन हिंसा को इन प्रवृत्तियो से अलग करना बहुत मुश्किल है, और इसलिए यह वांछनीय है कि जहा तक मुमकिन हो हिंसा से बचा जाय । फिर भी उससे बचने में हम यह नकारात्मक रज इस्तियार नहीं कर सकते कि उससे बचने की बुन में दूसरी व उससे कही ज्यादा बडी बुराइयो के सामने सर झुकादें । हिंसा के सामने दब जाना या हिंसा की नीव पर टिके हुए किसी अन्याय-पूर्ण शासन को मजूर कर लेना अहिंसा की स्पिरिट के विलजुल खिलाफ है । अहिंसा का तरीका तो तभी ठीक कहा जा सकता है जब वे सजीव हो और इतनी सामर्थ्य रखता ही कि ऐसे शासन या ऐसी नामाजिक व्यवस्था को बदल डाले ।

अहिंसा यह कर सकती है या नहीं, यह मैं नहीं जानता । मेरा खयाल है कि वह हमें बहुत दूर तक ले जा सकनी है, लेकिन इन बात मे मुझे शक है कि वह हमें अन्तिम ध्येय तक ले जा सवनी है । हर

हालत में किसी-न-किसी किस्म का बल-प्रयोग तो लाजिमी मालूम पड़ता है, क्योंकि जिन लोगों के हाथ में ताकत और खास अधिकार होते हैं वे उन्हें उस बल नहीं छोड़ते जबतक ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं कर दिया जाता, या जबतक ऐसी सुरते न पैदा करदी जार्ये जिनमें उनके लिए इन खाम हकों का रखना उन्हें छोड़ने से ज्यादा नुकसानदेह न हो जाय। समाज के मौजूदा राष्ट्रीय और वर्गीय संघर्ष ज़रूर बल-प्रयोग के कमी नहीं मिट सकते। निस्सन्देह हमें बहुत बड़े पैमाने पर लोगों के हृदय बदलने पड़ेंगे, क्योंकि जबतक बहुत बड़ी तादाद हमारे हमसख्त न होगी, तबतक सामाजिक परिवर्तन के आन्दोलन का कोई वास्तविक आधार कायम नहीं हो सकेगा। लेकिन कुछ पर बल-प्रयोग करना ही पड़ेगा। हमारे लिए यह ठीक नहीं है कि हम इन बुनियादी लड़ाइयों पर परदा डालें और यह दिखलाने की कोशिश करे कि वे है ही नहीं। ऐसा करने से न मिर्क सच्चाई का ही दमन होता है, बल्कि इसका सीधा परिणाम यह होता है कि यह लोगों को वास्तविक स्थिति से गुमराह करके मौजूदा व्यवस्था को मजबूत बनाता है और शासक-वर्ग को वह नैतिक आधार मिल जाता है, जिसकी, अपने विशेष अधिकारों को संचित ठहराने के लिए वे हमेशा, तलाश में रहते हैं। किसी भी अव्यवस्थित पद्धति का मुकाबला करने के लिए यह लाजिमी है कि जिन मूलतः उपरतियों पर वह टिकी हुई है उनका रहस्योद्घाटन करके नग्न सत्य सामने रग दिया जाय। अमहयोग वीं एक खूबी यह भी है कि वह इन गहन उपरतियों और नूझी बातों को मानने और आगे बढ़ाने में सहयोग देने में उतार मरने उनका जण्डाफोट कर देता है।

उपरोक्त अन्तिम खंड वीं यहीं ही सचना है कि समान न्याय और समान मुक्ति प्राप्त एक उग-रहित समाज ही, ऐसा समाज जिसका निर्माण मानव-समाज की नैतिक और मानव-नियम दृष्टि में लंबा उठाने

और उनमें सहयोग, निस्वार्थपरायण सेवा-भाव, सत्यनिष्ठा, सद्भाव और प्रेम के आध्यात्मिक गुणों की वृद्धि करने के सुनिश्चित आधार पर हुआ हो और अन्त में एक ऐसी सत्कारव्यापी व्यवस्था हो जाय। जो कोई इस लक्ष्य के रास्ते में रोड़ा बनकर आवेश उसे हटाना होगा। हो सके तो नम्रता से अन्यथा बलपूर्वक, और इस बात में बहुत-कम शक है कि अक्सर बलप्रयोग की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर उमका प्रयोग करना ही पड़े तो वह घृणा और क्रूरता की भावना से नहीं, बल्कि एक रक्षावट को दूर करने की शुद्ध इच्छा से। ऐसा करना मुश्किल होगा, लेकिन यह काम भी तो आसान नहीं है, कोई सीधा रास्ता भी नहीं है और गड़बड़ों की कोई गिनती नहीं। हमारे सिर्फ उपेक्षा कर देने से ही ये विककते और गड़बड़े दूर नहीं हो जायेंगे, बल्कि उनका असली रूप जानकर और साहस के साथ उनका मुकाबिला करके उन्हें हटाना होगा। यह सब बातें काल्पनिक और सुखस्वप्न सी मालूम होती हैं और अधिकतर यह सम्भव नहीं है कि बहुत-से लोग इन उच्च भावनाओं से प्रेरित होंगे। लेकिन हम उन्हें अपनी नजर के सामने रख सकते हैं और उनपर जोर दे सकते हैं और यह हो सकता है कि इसके फलस्वरूप हममें से बहुतों में जो घृणा और दूसरे विकार भरे हुए हैं वे कम हो जायें।

साधन हमें इस लक्ष्य तक पहुँचानेवाले और इन भावनाओं पर अवलम्बित होने चाहिए। लेकिन हमें यह बात जरूर महसूस कर लेनी चाहिए कि मानव-स्वभाव जैसा है उसे देखते हुए आम लोग हमारी अपीलों पर और इलीजों पर हमेशा ध्यान नहीं देंगे और न उन्हें नैतिक उसूलों के मूलाधिक काम ही करेंगे। हृदय-परिवर्तन के अलावा बल-प्रयोग की अक्सर उनपर जरूरत पड़ती रहेगी और सबसे अधिक हम जो कुछ कह सकते हैं वह यही है कि उसको सीमित कर दें, और उसको इस प्रकार से काम में लावे कि उसकी बुराई कम हो जाय।

फिर देहरादून जेल

अलीपुर-जेल में मेरी तन्दुरुस्ती ठीक नहीं रहती थी। मेरा वजन बहुत घट चुका था, और कलकत्ते की हवा और दिन-दिन बढ़ती हुई गर्मी मुझे परेशान कर रही थी। अफवाहे थीं, कि मुझे किसी अच्छी आबोहवा वाली जगह भेजा जायगा। ७ मई को मुझसे अपना सामान समेटने और जेल से बाहर चलने को कहा गया। मैं देहरादून-जेल में भेजा जा रहा था। कुछ महीनों की तनहाई के बाद शाम की ठण्डी-ठण्डी हवा में कलकत्ता के बीच होकर गुजरना बड़ा अच्छा मालूम होता था और हावड़ा के आलीशान स्टेशन पर लोगो की भीड़ भी भली मालूम होती थी।

मुझे अपने इस तवाबले पर खुशी थी और मैं उम्मीद-भरी नज़रों से देहरादून और उसके आस-पास के पहाड़ों की तरफ देखता था। लेकिन वहाँ पहुँचने पर देखा कि, नौ महीने पहले, जैनी जाते समय जैसा मैंने उसे छोड़ा था, वह सब हालत अब नहीं रही है। मैं अब एक नये स्थान पर रखा गया, जो भवेलियों के रहने की जगह को साफ और ठीक करके नियत किया गया था।

कोठरी की शकल में वह कुछ बुरी नहीं थी। उसके साथ एक छोटा-ना बरामदा भी था। उससे लगा हुआ करीब पचास फीट लम्बा सहन था। देहरादून में पहली बार मुझे जो पुरानी कोठरी मिली थी, उनमें यह अच्छी थी। लेकिन दीर्घ ही मुझे मालूम हुआ कि दूसरी तब्दीलियाँ कुछ बेहतरी के लिए न थीं। घेरे की दीवार, जो दस फीट ऊँची थी, गामरुंग मैंगी गरज में उमी बरफ चाग या पाँच फीट और

बढा दी गई थी। इसने पहाड़ियों के जिस नजारे की मैं इतनी लम्बीद कर रहा था, वह बिलकुल छिप गया था, और मैं सिर्फ कुछ दरहनों के मिरे ही देख पाता था। मैं इस जेल में लगभग तीन महीने से ज्यादा रहा, लेकिन मुझे कभी पहाड़ों की झलक तक दिखाई नहीं दी। पहली बार की तरह, इस बार मुझे बाहर जेल के दरवाजे के सामने घूमने की इजाजत न थी। मेरा छोटा-सा आँगन ही कसरत के लिए काफी बड़ा समझा गया था।

ये तथा दूसरी नई बन्दिने नाउम्मेदी पैदा करनेवाली थी, जिससे कि मैं खिन्न गया। मैं अनमना हो गया और अपने आँगन में जो थोड़ी-बहुत बख्श कर सकता था, उसतक के करने को तबीयत न रही। शायद ही मैंने कभी अपने को इतना अकेला और दुनिया से जुदा महसूस किया हो। तनहाई कैद का मेरी तबीयत पर खराब असर होने लगा, और मेरी जिस्मानी और दिमागी हालत गिर गई। मैं जानता था कि दीवार के दूसरी तरफ कुछ फीट की दूरी पर बायूमण्डल में ताजगी और खुशबू भरी है, घास और मिट्टी में मिलकर ठण्डी-ठण्डी सुगन्ध फैल रही है और हरे-हरे वृक्षों के बीच में दूर-दूर तक रास्ते बने हुए हैं। लेकिन ये सब मेरी पहुँच के बाहर थे और बारवार उन्हीं दीवारों को देखते-देखते मेरी आँखें पथरा जाती थीं। वहाँ पर जेल की मामूली चहल-पहल तक न थी, क्योंकि मैं सबसे अलग और अकेला रखा गया था।

छ हफ्ते बाद भूसलाघार वारिस हुई, पहले हफ्ते में बारह इञ्च पानी बरसा। हवा बदली और नवजीवन का सञ्चार हुआ, गर्मी कम हुई और शरीर हल्का हुआ और आराम-सा मालूम होने लगा। लेकिन आँखों या दिमाग को कुछ आराम न मिला। जेल के बार्डर के जाने-जाने के लिए जब कभी मेरे सहन का लोहे का दरवाजा खुलता था, तो एक क्षण के लिए बाहरी दुनिया की झलक लहराते हुए हरे-भरे खेत

और रग-विरगे वृक्ष, जिन पर मेह की बूँदें मोती की तरह चमकती थीं, विजली के कीव की भांति अकस्मात् दिखाई देकर तत्काल छिप जाती थी। दरवाजा शायद ही कभी पूरा खुलता हो। सिपाहियों को साफ तौर पर हिदायत थी कि अगर मैं रुही नजदोक होऊँ तो वह न गौला जाय, और वे जब-कभी खोलते भी थे, तो बस जरा-ही हरियाली और ताजगी की ये थोड़ी-थोड़ी झाँकियाँ अब मुझे अच्छी नहीं लगती थी, इन्हें देखकर मुझे घर की याद हो आती थी और दिल में एक दर्द-सा उठता था, इसीलिए जब कभी दरवाजा खुलता तो मैं बाहर की तरफ नहीं देखता था।

लेकिन यह सब परेशानी असल में जेल की ही वजह से नहीं थी। यह तो बाहरी घटनाओं का असर था। मुझे सताने के लिए एक तरफ तो कमला की बीमारी थी और दूसरी तरफ मेरी राजनैतिक चिन्ताये। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा था कि कमला को उसकी पुरानी बीमारी ने फिर आ दबाया है और ऐसी दशा में मैं उसकी कोई भी सेवा न कर सकने में मजबूरी और लाचारी महसूस कर रहा था। मैं जानता था कि मैं कमला के पास होता तो अवस्था बहुत-कुछ बदल जाती।

अलीपुर में तो यह बात न थी, पर देहरादून जेल में मुझे रोजाना अखबार मिलने लगा और मुझे बाहर के राजनैतिक और दूसरे हालात मालूम होने लगे। पटना में आल इण्डिया काँग्रेस कमिटी की करीब तीन बरस बाद बैठक हुई (इस दरमियान में तो वह करीब-करीब गैर-कानूनी ही रही।) इसकी कार्रवाई पढकर तबीयत भ्रष्टा-सी गई। मुझे आश्चर्य हुआ कि देश और दुनिया में इतना कुछ हो जाने के बाद जब यह पहली बैठक हुई तो परिस्थिति की छानबीन करने, पूरी चर्चा करने और पुराने दरों में से निकलने की कुछ कोशिश नहीं की गई। दूर से ऐसा जान पड़ा, मानो गाँधीजी, अपने पुराने एकतन्त्री रूप में खड़े होकर कह रहे हैं, "अगर मेरे बताये रास्ते पर चलना हो, तो मेरी शर्तें

कबूल करो।" उनकी माँग विलकुल स्वाभाविक थी। क्योंकि यह तो हो नहीं सकता था कि उन्हें रखा भी जाय और काम भी उनसे उनके गहरे विश्वासों ने विरुद्ध लिया जाय। मगर ऐसा जहर लगा कि ऊपर से लादने की वृत्ति ज्यादा थी और आपस में चर्चा करके किसी नीति को निश्चित करने की कम। यह विचित्र बात है कि एक तरफ तो गाँधीजी लोगों के दिल और दिमाग पर कब्जा कर लेते हैं और फिर उन्हींकी लाचारी को शिकायत करते हैं। मैं समझता हूँ, जनता ने जितनी बफादारी और भक्ति के सामूहिक रूप में उनका साथ दिया है, उतना बहुत कम लोगो का दिया है। ऐसी हालत में जनता को यह दोष देना न्यायोचित नहीं मालूम होता कि उससे जो बड़ी-बड़ी आशयों बाँध ली गई थी वे पूरी नहीं हुई। पटना की बैठक में गाँधीजी अन्त तक ठहरे तक नहीं, क्योंकि उन्हें हरिजन-यात्रा जारी रखनी थी। उन्होंने आल इण्डिया कांग्रेस कमिटी से फालतू बातों में न पड़कर काम-से-काम रखने और वकिंग कमिटी के रखे हुए प्रस्तावों को जल्दी-से निपटाने के लिए कहा और फिर चले गये।

शायद यह सच है कि लम्बे वाद-विवाद से भी कोई और अच्छा नतीजा न निकलता। सदस्यों के विचारों में छतनी गड़बड़ी और स्पष्टता की कमी थी कि नुकताचीनी करने को तो बहुत लोग तैयार थे, लेकिन रचनात्मक परामर्श शायद ही किसीने दिया हो। उस वक्त की परिस्थिति में यह था तो स्वाभाविक, क्योंकि लडाई का भार अलग-अलग प्रान्तों से आये हुए इन्हीं नेताओं पर आ पडा था, और वे जरा थके हुए और परेशान से थे। उन्हें कुछ ऐसा तो लगा कि अब लडाई बन्द करनी पड़ेगी, मगर यह न सूझा कि आगे क्या किया जाय। उस समय दो स्पष्ट दल बन गये। जिनमें से एक तो कौंसिलों द्वारा केवल वैधानिक आन्दोलन के पक्ष में था और दूसरा कुछ अनिश्चित समाजवादी विचारों

के प्रवाह में बहने लगा। अर्धिन ज्यादातर मेम्बर दोनों में से किसी एक पक्ष के भी समर्थक नहीं थे। उन्हें यह भी पसन्द न था कि पीछे हटकर फिर कांसिलो की शरण ली जाय जोर साथ ही गमाजवाद से कुछ डर भी लगता था कि वही डम नई चीड़ ने आपन में फूट पैदा हो जाय। उनके कोई रचनात्मक विचार न थे और उनको एक मात्र आशा और सहारा गांधीजी थे। पहले की तरह डम बार भी उन्होंने गांधीजी की तरफ देखा और जैसा उन्होंने कहा किया। यह बात दूसरी है कि बहुतों को गांधीजी की बात पूरी तरह पसन्द न थी। गांधीजी के सहारे से नरम वैधानिक विचार के लोगों का कमिटी और काँग्रेस दोनों में बोलवाला हो गया।

यह सब तो होना ही था। मगर जितना मैंने सोचा था, उसने कहीं ज्यादा काँग्रेस पीछे हट गई। पिछले पन्द्रह साल में, जब से अखण्ड-योग का जग हुआ, काँग्रेस के नेताओं ने कभी इतनी परले सिरे की नैष ङग की बातें नहीं की थीं। पिछली स्वराज-पार्टी, हालाँकि वह खुद भी प्रतिक्रिया का ही एक रूप थी, इस नये दल की विचार-धारा को देखते हुए कहीं आगे बढ़ी हुई थी। और स्वराज्य-पार्टी में जैसे बड़े और प्रभावशाली व्यक्ति थे वैसे इसमें हैं भी नहीं, इसमें बहुत-से लोग तो ऐसे थे, जो जड़तक जोखम रहा, आन्दोलन से जान-बूझकर अलग रहे और अब काँग्रेस में घुसावट शामिल होकर बड़े आदमी बन गये।

सरकार ने काँग्रेस पर मे बन्दिशें उठा ली और वह कानूनी संस्था बन गई। लेकिन इसकी बहुत-नी सहायक मस्यारों फिर भी गैर-कानूनी बनी रही—जैसे, काँग्रेस का स्वयंसेवक विभाग—सेवादल और कई स्वतन्त्र किसान समार्यों, शिक्षण-मस्यारों, और नीजवान-समार्यों। जिनमें एक बच्चों की संस्था भी थी। खास तौर पर 'खुदाई त्रिदमतरार' या सरहदी लाल कुर्तीवाले फिर भी गैरकानूनी बने रहे। यह संस्था १९३१

में कांग्रेस की वाफायदा शाखा बनकर सरहद्दी सूचे में उसकी तरफ से काम करती थी। इस तरह हालांकि कांग्रेस ने अपनी हलचल का सीधी-लडाई वाला हिस्सा पूरी तरह मुलतवी कर दिया था और बंप ढग इस्तिथार कर लिया था, फिर भी सरकार ने सत्याग्रह के लिए जो खास कानून बनाये थे, वह सब-के-सब कायम रखे और कांग्रेस सस्या के ज़रूरी हिस्सो पर पाबन्दियाँ जारी रखी। किसानो और मजदूरो की संस्याओ को दवाने की तरफ भी खास ध्यान दिया गया। और मजददार बात तो यह है कि साथ-ही-साथ बड़े-बड़े सरकारी अफसर घूम घूमकर जमीदारो और ताल्लुकेदारो को संगठित करने लगे। जमीदारो की इन संस्याओ को हर तरह की सहूलियते दी गई। युक्तप्रान्त की इन संस्याओ में से बड़ी-बड़ी दो का चन्दा लगान के साथ सरकारी आदमियो ने इकट्ठा किया।

मेरा खयाल है कि मैंने हिन्दू या मुस्लिम साम्प्रदायिक संस्याओ के साथ कभी रिवायत नही की है। लेकिन एक घटना ने हिन्दू-सभा के लिए मेरे मन में खास तीर पर कटुता पैदा कर दी। इसके एक मन्त्री ने खामस्वाह लाल कुर्तीवालो पर लगाई गई बन्दिशो की हिमायत करके सरकार की पीठ ठोक दी। एक तो मामूली नागरिक अधिकारो का छीना जाना, और फिर भी वह ऐसे वक्त में जब कोई लडाई नही थी, ऐसी कार्रवाई के समर्थन से में दग रह गया। सिद्धान्त का सवाल छोड भी दें, तो भी यह सबको मालूम था कि लडाई के दिनों में, इन मरहूदो लोगो का बर्ताव विलक्षण रहा, और उनके नेता खान अब्दुलगफ्फारखाँ, जो देश में ऊँचे दरजे के बहादुर और ईमानदार आदमी हैं, और जो वगैर मुकदमा चलाये नज़रबन्द कर दिये गये थे, अनौतक जेल में थे। मुझे ऐसा लगा कि इससे ज्यादा साम्प्रदायिक द्वेष और क्या हो सकता है। मुझे उम्मीद थी कि हिन्दू-महासभा के बड़े नेता इस मामले में अपने

साथी की फौरन तरदीद करदेंगे। लेकिन जहाँतक मुझे मालूम है, उनमें से किसी ने एक शब्द भी न कहा। हिन्दू-महासभा के मन्त्री के इस वक्तव्य से मुझे बड़ी अशान्ति हुई।

वह वक्तव्य जैसे ही बुरा था, लेकिन मुझे ऐसा दिखाई दिया कि देश में एक नई स्थिति पैदा हो जाने का पेशखीमा हो। गर्मी के दिन थे और तीसरे पहर का वक्त। मेरी आँखें झपक गईं। याद पड़ता है कि एक अजीब-सा सपना देखा। अन्दुलगणफारखी पर चारों तरफ से हमले हो रहे हैं और मैं उन्हें बचाने के लिए लड़ रहा हूँ। थकान से चूर और भारी बेबना से व्यथित होकर जागा तो क्या देखता हूँ कि तकिया आँधुओं से तर है। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, क्योंकि जागृत अवस्था में तो कभी मुझपर ऐसी भावुकता सवार नहीं हुआ करती।

उन दिनों मेरा चित्त सचमुच ही ठिकाने न था। नींद ठीक नहीं आती थी। यह मेरे लिए नई बात थी। मुझे तरह तरह के बुरे सपने भी आने लगे थे। कभी-कभी नींद में चिल्ला उठता था। एक बार तो मेरा यह चिल्लाना मामूली से ज्यादा खोर का हो गया। जब मैं चौककर उठा, तो बिस्तर के पास जेल के दो सिपाहियों को खड़ा पाया। उन्हें मेरे खोर से चिन्ता हो गई थी। सपना मुझे यह आया था कि कोई मेरा गला घोट रहा है।

इसी अर्थ में काँग्रेस काँग्रेस कमेटी के एक प्रस्ताव का भी मेरे दिल पर तकलीफदेह असर हुआ। यह कहा गया था कि "निजी सम्पत्ति की ख़ासी और वर्गयुद्ध के मन्त्रव्य में होनेवाली गैरखिस्मेदाराना खर्चा को मद्दे नज़र रखकर" यह प्रस्ताव पास हुआ है, और आगे चलकर इसके खरिये काफ़ेवालों को यह बताया गया था कि कराची काँग्रेस के प्रस्ताव में "न तो किसी मारूल बरह या मुदाबळे के बिना निजी सम्पत्ति की ख़ासी या ख़ासाल रक्ता गया है, न वह वर्गयुद्ध की हिमायत ही करता

है।" "वर्किंग-कमिटी की यह भी राय है कि सम्पत्ति की ज़ब्ती और वर्गयुद्ध कांग्रेस के अहिंसा के सिद्धान्त के खिलाफ है।" इस प्रस्ताव की भाषा अनुचित थी, जिससे एक हदतक यह जाहिर होता था कि इसके बनानेवाले यह जानते ही नहीं कि वर्गयुद्ध क्या चीज़ है। इस प्रस्ताव द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नये कांग्रेस समाजवादी दल पर हमला किया गया था। असल में, इस दल के किसी भी जिम्मेदार शख्स की तरफ से ज़ब्ती की कभी कोई बात नहीं कही गई थी, हाँ, मौजूदा परिस्थितियों में जो वर्गयुद्ध-मौजूद है, कभी-कभी उसका जिक्र कर दिया जाता था। वर्किंग कमिटी के इस प्रस्ताव में यह इशारा पाया जाता है कि कोई भी ऐसा शख्स जो इस तरह वर्गयुद्ध को इस अस्तित्व में यकीन रखता हो कांग्रेस का मामूली मेम्बर तक नहीं बन सकता। किसीने कांग्रेस के समाजवादी हो जाने या निर्जी सम्पत्ति के विरुद्ध होने की कभी कोई शिकायत नहीं की थी। कुछ मेम्बर यह राय रखते थे, लेकिन अब यह जाहिर हो गया कि इस राष्ट्रीय सस्था में जहाँ सबके लिए जगह है, समाजवादियों के लिए कोई जगह नहीं।

अक्सर यह कहा गया है कि कांग्रेस राष्ट्र की प्रतिनिधि है—यानी, राजा से लेकर रक तक सभी किस्म के लोग इसमें शामिल हैं। राष्ट्रीय आन्दोलनों का बहुधा यह दावा हुआ ही करता है। इसका मतलब शायद यह है कि ये आन्दोलन राष्ट्र के बहुत बड़े बहुमत के प्रतिनिधि होते हैं और उनकी नीति सभी किस्म के लोगों की भलाई की होती है। लेकिन जाहिर है कि यह दावा तो किया ही नहीं जा सकता। कोई राजनैतिक सस्था विरोधी-हितों की प्रतिनिधि नहीं हो सकती। क्योंकि ऐसा करने से न केवल वह कमजोर और बे-मानी सस्था हो जायगी, बल्कि उसका अपना कोई विशेष चिन्ह और स्वरूप भी कायम न रह सकेगी। कांग्रेस या तो एक ऐसा राजनैतिक दल है, जिसका कोई एक

मेरी कहानी

(या अनिश्चित) उद्देश है और राजनीतिक सत्ता हासिल करने के लिए उसका उपयोग करने के लिए उसकी एक छाम विचारधारा है, या वह एक ऐसी प्रयोगकारिणी और प्रचारिणी सत्ता है, जिसके अपने कोई विचार नहीं हैं, बल्कि का भला चाहती है। यह तो उन्ही लोगों की नुमाइशदा बन सकती है उद्देश और सिद्धान्त के साथ आमतौर पर सहमत हो और के विरोधी हैं उन्हें राष्ट्र-विरोधी या समाज-विरोधी और प्रति-समझकर उनके असर को रोके या मिटाये ताकि कांग्रेस अपने तो पर अमल कर सके। यह सही है कि साम्राज्य-विरोधी राष्ट्रीय-लन में अधिक लोगों के सहमत होने की गुणाङ्ग रहती है, क्योंकि सामाजिक सघर्ष से कोई सम्बन्ध नहीं होता। इस तरह कांग्रेस न-किसी मात्रा में भारतवासियों के भारी बहुमत की प्रतिनिधि बहुत रूप में खरूर रही है और सब तरह के विरोधी दल के लोग समें शामिल रहे हैं। ये लोग एकमत सिर्फ इस बात पर रहे कि ज्यवाद का विरोध करना चाहिए। लेकिन इस मामले पर और का जुदा-जुदा लोगों का जुदा-जुदा ढग था। साम्राज्यवाद के विरोध स मूल प्रश्न पर जिन लोगों की राय बिलकुल खिलाफ रही, वे कांग्रेस से निकल गये और किसी-न-किसी शकल में ब्रिटिश सरकार साथ मिल गये। स तरह कांग्रेस एक तरह की स्थायी संबंदल सि बन गई, जिसमें एक-दूसरे से मिलते-जुलते कई दल रहे जो एक काम और गाँधीजी की खबरदस्त हस्ती से बचे रहे।

आगे चलकर वर्किंग कमिटी ने वर्गयुद्ध-सम्बन्धी अपने प्रस्ताव का अर्थ समझाने की कोशिश की। इस प्रस्ताव का महत्त्व उसकी भावा या मन्त्रमून में उतना न था, जितना कि इससे कि उससे कांग्रेस की बदली हुई विचार-धारा का एक धार फिर परिचय मिलता था। साफ है कि

यह प्रस्ताव कांग्रेस के नये पार्लमेण्टरी दल की प्रेरणा से पास हुआ था । यह दल आनेवाले असेम्बली के चुनाव में जायदादवाले लोगो की सहायता प्राप्त करना चाहता था । इस दल के (या, इन लोगो के प्रभाव से) कांग्रेस का दृष्टिकोण अधिकाधिक नरम होता जा रहा था और वह मुल्क के नरम और पुराने खयाल के लोगो को मिलाने की कोशिश कर रही थी । जिन लोगो ने पहले कांग्रेस की हलचलो का विरोध किया था और सत्याग्रह के जमाने में भी कांग्रेस का साथ दिया था, उन लोगो के प्रति भी चापलूसी-भरे शब्द कहे जाने लगे । यह भी महसूस किया गया कि शोर मचाने और नुकताचीनी करनेवाला विरोधी-पक्ष (कांग्रेस के गरम विचारवाले लोग) इस मेल-मिलाप और मत-परिवर्तन के काम में बाधक बन रहा था । बर्किंग कमिटी के प्रस्ताव और दूसरे व्यक्तिगत भाषणो से यह प्रकट था कि कांग्रेस की कार्यकारिणी गरमदलवालो के काटने-खसूटने पर भी अपना नया रास्ता छोडने को तैयार नही थी । यह भी जाहिर होता था कि अगर गरमदल का रुख न बदला तो उसे दबोचकर कांग्रेस से ही निकाल बाहर कर दिया जायेगा । कांग्रेस के पार्लमेण्टरी बोर्ड ने जो ऐलान निकाला उसमें ऐसा नरम और फूँक-फूँककर कदम रखने का कार्यक्रम बताया गया, जैसा पिछले पन्द्रह साल मे कांग्रेस ने कभी इस्तिहार नही किया था ।

गाँधीजी के अलावा भी कांग्रेस के नेताओ मे कई ऐसे मशहूर लोग थे, जिनकी राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के आन्दोलन में बडी देशकीमती सेवायें रही हैं और जिनकी सचाई और निर्भयता के कारण देशभर में बडी इज्जत की जाती है । लेकिन इन नई नीति की वजह से कांग्रेस के दूसरी श्रेणी के ही नही, चोटी के नेताओ में भी बहुत-से ऐसे थे जिन्हें आदर्शवादी नही कहा जा सकता था । कांग्रेस के दूसरे कार्यकर्ताओ मे अलबत्ता बहुत-से आदर्शवादी थे, लेकिन इस समय सम्मान-लोलुपो और समय-

साजको के लिए दरबजा जितना ज्यादा खुल गया था, उतना शायद ही पहले कभी खुला हो। गांधीजी के रहस्य पूर्ण और भ्रमात्मक व्यक्तित्व के सिवा, जिसने कि सारी नुमाइश पर अपना प्रभाव जमा रखा था, कांग्रेस के ये दो रुख थे—एक तो वह जो त्रिलकुल राजनैतिक था और संगठित दल का रूप इत्तयार कर रहा था, और दूसरा था धर्मनिष्ठा और भावुकता से पूर्ण प्रार्थना-सभाओं का।

सरकार की तरफ विजय का वातावरण स्पष्ट रूप से प्रकट था। उसका विचार था कि वह जीत उस नीति की सफलता के कारण है जिसका प्रयोग करके उसने सत्याग्रह और उसके आन्दोलन को शाखाओं को दबा दिया था। ऑपरेशन तो सफलतापूर्वक हो ही गया था। फिर उस समय यह क्यों चिन्ता होने लगी कि मरीज जियेगा या मरेगा। हालाँकि उस वक्त कांग्रेस किसी हद तक दबादी गई थी, फिर भी सरकार अपनी दमन नीति को, कुछ मामूली-सी तबदीलियों के साथ, वैसा ही जारी रखना चाहती थी। वह जानती थी कि जबतक असन्तोष का आधारभूत कारण मौजूद है, तबतक राष्ट्रीय नीति में इस प्रकार के परिवर्तन क्षणिक ही हो सकते हैं, और इसलिए अपनी नीति में ज़रा भी ढिलाई करने से आन्दोलन की गति कहीं उल्टी अधिक तेज़ रफ्तार न पकड़ले। वह शायद यह भी समझती थी कि कांग्रेस अथवा मजदूर या किमान-वर्ग में से अधिक गरम विचारवालों को दबाने की अपनी नीति जारी रखने में कांग्रेस के विशेष नेताओं की बहुत अधिक नाराजी की कोई आशंका नहीं है।

देहरादून-ज़ेल में मेरे विचारों का प्रवाह किसी हदतक इन्ही प्रकार का था। पश्चिमिनि के सम्पर्क में न होने के कारण वास्तव में मैं छटना-रुम के सम्बन्ध में अपना निश्चित मत बनाने की स्थिति में न था। अष्टाष्ट में तो मैं पश्चिमिनि ने त्रिलकुल ही अपरिचित था, देहरादून में

मुख्य सरकार की पसन्द के अखबार के जरिये अघूरी और कभी-कभी विल-कुल एकतरफा खबरें मिलने लगी थी। अपने बाहर के साथियों के सम्पर्क में आने और परिस्थिति के निकट अध्ययन से मेरे विचारों में किसी हद-तक परिवर्तन होना बहुत मुमकिन था।

वर्तमान परिस्थिति से परेशान होकर मैं भूतकाल की बातों का, जब से मैंने सार्वजनिक कार्यों में कुछ भाग लेना शुरू किया तबसे हिन्दुस्तान में गुजरी हुई राजनैतिक घटनाओं का खयाल करने लगा। हमने जो-कुछ किया, उसमें हम किमी हदतक सही रास्ते पर थे ? किस हद-तक गलती पर थे ? उसी समय मुझे यह सूझा कि मैं अपने विचारों को अगर कागज पर लिखता जाऊँ तो वह अधिक व्यवस्थित और उपयोगी होंगे। इससे मुझे अपने विभाग को एक निश्चित काम में लगाये रखने में उसे और इस तरह चिन्ता और परेशानी से दूर रखने में भी सहायता मिलेगी। इस तरह जून सन् १९३४ में देहरादून-जेल में मैंने अपनी यह 'कहानी' लिखना शुरू की और आठ महीने तक, जबतक इसकी धुन सवार रही, लिखता रहा। अक्सर ऐसे मीके आये जब मुझे लिखने की इच्छा न हुई, तीन बार ऐसा हुआ कि महीने-महीने भर तक मैं न लिख सका। लेकिन मैंने इसे जारी रखने की कोशिश की, और अब मैं इस व्यक्तिगत यात्रा की समाप्ति के निकट पहुँच चुका हूँ। इसका अधिकांश एक अजीब परेशानी की हालत में लिखा गया है, जबकि मैं उदासी और मानसिक चिन्ताओं में दबा हुआ था। धारद इसकी प्रोडीनी हालत, जो कुछ मैंने लिखा, उसमें आगई है, लेकिन इन लिखने ने ही मुझे वर्तमान चिन्ताओं को भूलाने, अपना गम कन करने में बड़ी सहायता दी। जब मैं इसे लिख रहा था, मुझे बाहर के पाठकों या श्रोताओं का बिल्कुल खयाल न था, मैं अपने-आपको नबोधन करता था, जो अपने लाभ के प्रश्न बनाकर उनके उत्तर देता था। जनी-नभी नों उतने

मेरा कुछ मनोरञ्जन भी होजाता था । यथा-सम्भव मैं बिना किसी लाग-लपेट के सीधा सोचना चाहता था, और मुझे खयाल था कि शायद भूत-काल का यह सिंहावलोकन मुझे इस काम में सहायक होगा ।

आखिरी जुलाई के करीब कमला की हालत बड़ी तेजी से बिगड़ने लगी और कुछ ही दिनों में वह नाचुक होगई । ११ अगस्त को मुझसे एकाएक देहरादून-जेल छोड़ने की कहा गया और उस रात को मैं पुलिस की निगरानी में इलाहाबाद भेज दिया गया । दूसरे दिन शाम को हम इलाहाबाद के प्रयाग स्टेशन पर पहुँचे और वहाँ मुझसे चिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि मैं अस्थायी तौर पर रिहा किया जा रहा हूँ कि जिससे मैं अपनी बीमार पत्नी को देख सकूँ । यह मेरी गिरफ्तारी से एक दिन कम छटा महीना था ।

: ६५ :

ग्यारह दिन

“स्वयं काटकर जीर्ण म्यान को दूर फेंक देती तलवार,

इसी तरह चोला अपना यह रख देता है जीव उत्तार ।”

मेरी रिहाई आरजी थी । मुझे बता दिया गया था कि मेरी रिहाई एक या दो दिन के लिए, या जबतक डॉक्टर बिलकुल जरूरी समझें तब तक के लिए है । अनिश्चितता से भरी हुई यह एक अजीब स्थिति थी, और मेरे लिए कुछ निश्चित कर सनना सम्भव न था । एक निश्चित अर्थात् होती ची में जान सकता था, कि मेरी क्या स्थिति है और मैं अपने-आपको उसके अनुकूल बनाने की कोशिश करता । मौजूदा हालत जैसी थी, ठममे तो मैं किसी दिन, किसी भी जेल को वापिस भेज दिया जा मरना था ।

१ चापरन के मूल अंग्रेजी पद्य का भावानुवाद ।

परिवर्तन आकस्मिक था और मैं उसके लिए ज़रा भी तैयार न था। कैद की तनहाई से मैं एकदम डॉक्टरों, नर्सों और रिश्तेदारों से भरे हुए घर पर पहुँचाया गया। मेरी लड़की इन्दिरा भी शान्ति-निकेतन से आगई थी। मुझमें मिलने और कमला की हालत दरियापत्त करने के लिए बहुत-से मित्र बराबर आते जा रहे थे। रहन-सहन का ढंग भी विलकुल जुदा था, घर के सब आराम थे, और अच्छा खाना था। वह सब कुछ होते हुए भी कमला की खतरनाक हालत की चिन्ता परेशान कर रही थी। मैंने उसे बहुत दुबली और निहायत कमचोर हालत में पड़े देखा। उसका छाया के समान ढाँचा-भर वडी कमचोरी से बीमारी से लोहा ले रहा था। और यह खयाल कि शायद वह मुझे छोड़ जायगी असह्य वेदना देने लगा। इस समय हमारी शादी को साठे अठारह साल हुए थे। मेरा दिमाग उस दिन और उसके बाद के इन सब पिछले बरसों में जो-कुछ गुञ्जरा उसके तरफ घूमने लगा। शादी के वक़्त मैं छद्मीम साल का था और वह करीब सत्रह बरस की, दुनियावी तौर-तरीकों से सर्वथा अलिप्त निरी अवोध बालिका थी। हमारी उम्र में काफी अन्तर था, और उससे भी अधिक अन्तर हमारे मानसिक दृष्टि-विन्दु में था, क्योंकि उसकी वनिस्वत मेरी उम्र कहीं ज्यादा थी। सर्जिदिगी के इन सब लक्षणों के होते हुए मुझमें बडा लटकपन था, और मैंने धायद ही कभी यह महसूस किया हो कि इस सुकुमार और भावुक लडकी का मन्तिष्क फूट की तरह धीरे-धीरे विकसित हो रहा है और उसे सहृदयता और हौशियारी के साथ सहारा देने की आवश्यकता है। हम दोनों एक-दूसरे की तरफ आकर्षित हो रहे थे और काफी अच्छी तरह हिल-मिल गये, लेकिन हमारा दृष्टि-पथ जुदा-जुदा था और एक दूसरे में जनुकूलना वा अभाव था। इस विपरीतता के कारण कभी-कभी आपस में मध्यम तक की नौदन आ जाती थी; और कई बार छोटी-मोटी बातों पर बच्चों के-से छोटे-नाइं

झगड़े भी हो जाया करते थे, जो ज्यादा देर तक न टिकते थे, और तुरन्त ही मेल-मिलाप होकर समाप्त हो जाते थे। दोनों का स्वभाव तेज था, दोनों ही तुलकमिजाज थे, और दोनों में ही अपनी शान रखने की बच्चों की-सी जिद थी। इतने पर भी हमारा प्रेम बढ़ता गया, हालाँकि परस्पर अनुकूलता का अभाव धीरे-धीरे कम हुआ, हमारी शादी के इक्कीस महीने बाद हमारी लहकी और एकमात्र सतान इन्दिरा पैदा हुई।

हमारी शादी के बिलकुल साथ-ही-साथ देश की राजनीति में अनेक नई घटनाएँ हुईं और उनकी ओर मेरा झुकाव बढ़ता गया। वे होमरूल के दिन थे। उनके पीछे फौरन ही पंजाब के मार्शल लॉ और असहयोग का खमाना आया और मैं सार्वजनिक कामों के आधी तूफान में अधिकाधिक पँसता ही गया। इन आन्दोलनों में मेरी तल्लीनता इतनी बढ़ गई थी कि ठीक उस समय, जबकि उसे मेरे पूरे सहयोग की आवश्यकता थी, मैंने अनजान में उसे बिलकुल नखरबन्दा कर, उसे अपने खुद के भरोसे पर छोड़ दिया। उसके प्रति मेरा स्नेह बराबर बना रहा, बल्कि बढ़ा भी और यह जानकर बड़ी तसल्ली हुई कि वह अपने शान्तिप्रद प्रभाव के साथ इसमें मेरी सहायक है। उसने मुझे बल दिया। लेकिन साथ-ही उसकी तन्दुरस्ती पर भी असर पड़ा होगा और उसने अपने प्रति कुछ लापरवाही की भी महसूस किया होगा। इस तरह उसे भूला-सा रहने और कभी-कदास ही उसकी सुध लेने के बजाय उसपर मेरी बहूपा रही होती, तो भी किसी कदर अच्छा ही था।

उसके बाद उसको बीनारी का दौरा शुरू हुआ और जेल-निवास के कारण मेरी लम्बी घंटाखिरी रहने लगी, जिससे हम केवल जेल की मुलाकात के समय ही मिल सकते थे। सत्याग्रह-आन्दोलन ने उसे हमारे प्रथम श्रेणी के योद्धाओं के बीच ला खड़ा किया, और जब वह खुद जेल गई तो उसकी उम्र बड़ी चुशी हुई। हम नदा एक-दूसरे के ओर भी

निकट आते गये। कभी-कभी होनेवाली ये मुलाकाते अनमोल होती गईं, हम उनकी वाट जोहते रहते थे और बीच के दिन गिनते रहते थे। हम आपस में एक दूसरे से उकताते न थे और हमारी वाते नीरस नहीं हुआ करती थी क्योंकि हमारी मुलाकातो और अल्पकालिक सम्मिलनो में हमेशा कुछ-न-कुछ ताजगी और नवीनता बनी रहती थी। हम दोनों में से हरेक बराबर एक दूसरे में नई-नई वाते पाते रहते थे, हालाँकि कभी-कभी ये वाते शायद हमारी पसन्द की न होती थी। हमारी बढ़ती हुई उम्र के इन मतभेदों में भी लडकपन की मात्रा रहती।

हमारे वैवाहिक जीवन के अठारह बरस बाद भी उसकी सूरत पर कौमार्य अभी तक वैसा ही बना हुआ था, स्त्रियोचित सजीदगी का कोई चिन्ह न था। इतने असे पहले वह जैसी दुल्हन बनकर हमारे घर में आई थी, अब भी बिल्कुल वैसी ही मालूम होती थी। लेकिन मैं बहुत बदल गया था, और हालाँकि अपनी उम्र के मुताबिक मैं काफी योग्य, क्रियाशील और चुस्त था—और कुछ लोगों का कहना था कि अब भी मुझमें लडकपन की कई सिफते मौजूद हैं, फिर भी मेरा चेहरा मेरे साथ बोखा करता है। मेरे सिर के आगे बाल उड़ गये थे और जो बाकी थे वे पक गये थे, पेशानी पर सिलवटे, चेहरे पर झुरियाँ और आँखों के चारों तरफ काली झाई पड़ गई थी। पिछले चार बरसों की मुमीबते और परेशानियाँ मुझपर अपने बहुत-से निशान छोड़ गई थीं। इन पिछले बरसों में मैं और कमला जब कभी किमी नई जगह जाते, तो मैं यह जानकर हैरान हो जाता था, कि अक्सर कमला को मेरी लडकी नमन लिया जाता। वह और इन्दिरा सगी बहने-भौ दिखाई देती थी।

वैवाहिक-जीवन के अठारह बरस ! लेकिन इनमें से गिनने माल मेंने जेल की कोठरियो में, और कमला ने अस्पतालो और मेनिटोरियम में बिताये ? और फिर इम समय भी मैं जेल की मज्दा भुगतना हुआ कुछ

ही दिनों के लिए बाहर आ गया था। और वह बीमार पड़ी हुई जीवन के लिए मर्षण कर रही थी। अपनी तन्दुरुस्ती के बारे में उसकी अपरवाही पर कुछ झुंझलाहट भी आई। लेकिन फिर भी मैं उसे दोष किस तरह दे सकता था, क्योंकि उसकी तेज तबीयत अपनी अक्रिय-शीलता और राष्ट्रीय युद्ध में पूरा हिस्सा लेने में अपनी जानारी के कारण उसे छटपटाती रहती थी। शरीर ऐसा करने में समर्थ न होने के कारण न तो वह ठीक तरह से काम ही कर सकती थी, न ठीक तौर पर अपना इलाज ही करा सकती थी। नतीजा यह हुआ कि अन्दर-ही-अन्दर सुलगती रहनेवाली आग ने उसके शरीर को बरबाद कर दिया।

“सचमुच ही, इस समय, जब कि मुझे उसकी सबसे अधिक आवश्यकता है, वह मुझे छोड़ तो न जायगी? क्यों, इसलिए कि हम दोनों ने एक दूसरे को ठीक तरह से पहचानना और समझना अभी-अभी शुरू ही किया है। हम दोनों ने एक दूसरे पर बहुत भरोसा किया था, हम दोनों को एक-साथ रहकर बहुत काम करना था।”

प्रतिदिन और प्रतिघण्टे उसकी हालत देख-देखकर मेरे दिल में इस तरह के खयाल उठते रहते थे।

साथी और मित्र मुझसे मिलने आये। अभीतक जो-कुछ ही चुका था, और जिससे कि मैं बाकिफ नहीं था, उसके बारे में उन्होंने बहुत कुछ कहा। उन्होंने वर्तमान राजनैतिक समस्याओं के बारे में मुझसे चर्चा की और प्रश्न पूछे। मुझे उन्हें जवाब देना मुश्किल मालूम हुआ। कमला की बीमारी का खयाल दिमाग से दूर होना आसान न था, और तनहाई और जेल की जुदाई के कारण मैं इस स्थिति में नहीं था कि इन सब ठोस प्रश्नों का जवाब एकाएक दे सकता। अपने लम्बे तजुर्बों ने मुझे यह सिखाया है कि जेल में मिली हुई मुक्तसिर-सी जानकारी से स्थिति का ठीक-ठीक अन्दाजा नहीं लगाया जा सकता। अच्छी तरह

सोचने-भमरने के लिए व्यक्तिगत सम्पर्क जरूरी था, उसके वगैर राय जाहिर करना सर्वथा नाश्विक-ना भीर असलियत से दूर होता। इसके साथ ही मुझे गांधीजी और कांग्रेस वर्किंग कमिटी के अपने पुराने साथियों के साथ सब बातों पर चर्चा करने से पहले कांग्रेस की नीति के सम्बन्ध में कुछ निश्चित राय जाहिर करना, उनके प्रति अन्याय करना मालूम हुआ। जो कुछ हो चुका था, उसपर मेरे दिमाग में काफी आलोचना भरी हुई थी, लेकिन मैं कोई निश्चित सूचना देने के लिए तैयार न था। उस समय जेल से बाहर आने का कोई खयाल न होने के कारण उस दगा में मैंने सोचा ही न था।

इसके साथ ही एक खयाल यह भी था कि, सरकार ने मुझे अपनी पत्नी के पास आने देने की जो शिष्टता दिखाई है, उसको ध्यान में रखते हुए मेरे लिए यह मुनासिब न होगा कि इस मीके का मैं राजनैतिक बातों के लिए उपयोग करूँ। हालाँकि ऐसे कामों से दूर रहने की मैंने कोई शर्त या वादा नहीं किया था, फिर भी इस खयाल का मुझ पर बराबर असर होता रहा।

मिवा झूठी अफवाहों के खण्डन के मैंने किसी भी सार्वजनिक वक्तव्य का देना टलाया। प्राइवेट बातचीत में मैंने किसी निश्चित नीति का समर्थन नहीं किया, लेकिन पुरानी घटनाओं की आलोचना काफी खुलकर की। कांग्रेस-समाजवादी दल उन्हीं दिनों अस्तित्व में आया था, और मेरे बहुत-से गहरे साथी उसमें शरीक थे। जहाँतक मैंने उसे समझा, उसकी साधारण नीति मुझे पसन्द थी, लेकिन वह एक अजीब और खिचड़ी-सी जमात मालूम हुई, और अगर मैं बिलकुल आश्चर्य होता, तो भी एकाएक उसमें शरीक न होता। स्थानीय राजनैतिक झगड़ों में भी मेरा कुछ समय लिया, क्योंकि कुछ दूसरी जगहों की तरह इलाहाबाद में भी स्थानीय कांग्रेस कमिटियों के चुनाव के समय असाधारण रूप से

जहरीला प्रचार हुआ था। इनमें सिद्धान्त की कोई बात न थी, ये विलकुल कुछ व्यक्तियों के अपने स्वानुशी प्रश्न थे। मुझे कहा गया कि इस तरह पैदा हुए कुछ व्यक्तिगत झगड़ों को निवटाने में मैं मदद करूँ।

इन झगड़ों में पड़ने की मेरी ज़रा भी इच्छा न थी, न मेरे पास समय ही था। इसके होते हुए भी कुछ घटनाएँ मेरे सामने आईं और उनसे मुझे बड़ा दुःख हुआ। यह एक ताज्जुब की बात थी कि स्थानीय कांग्रेस के चुनाव पर लोग-बाग इतने अधिक उत्तेजित हो उठे। इनमें सबसे अधिक प्रभुत्व व्यक्ति बही थे, जो अनेक निजी कारणों से सत्याग्रह के समय कांग्रेस से अलग हो गये थे। सत्याग्रह के बन्द हो जाने के साथ ही वे कारण प्रभावहीन हो गये, और ये लोग एकाएक मैदान में निकल आये और एक-दूसरे के खिलाफ भयंकर और अक्सर कमीना तक प्रचार करने लगे। यह एक असाधारण बात थी कि किस तरह दूसरे दल को गिराने के जोश में शिष्टता के साधारण नियमों तक को भुला दिया गया था। खामकर मुझे इस बात का बहुत ही रज हुआ कि कमला के नाम और उसकी बीमारी तक का इन स्थानीय चुनावों के खातिर दुरुपयोग किया गया।

जिन व्यापक प्रश्नों पर चर्चा हुई, उनमें कांग्रेस का असेम्बली के आनेवाले चुनाव में अपनी ओर से उम्मेदवार खड़ेकर चुनाव लड़ने का निर्णय भी था। नौजवान-दल में से बहुतों ने इस निर्णय का विरोध किया था, क्योंकि उनके खयाल में यह उसी पुराने वैधानिक और संपत्ति के सम्बन्ध पर वापस लौटना था, लेकिन उन्होंने इसके बदले और गंभीर सम्बन्ध नहीं भुजाया। यह एक अजीब सी बात थी कि हमें के कुछ विरोधी ऊँच-ऊँचे सिद्धान्तों के आधार पर कांग्रेस के अन्तर्गत हमारे सम्बन्धों द्वारा चुनाव लड़ने के खिलाफ न थे। उनका

मकसद यही मालूम होता था कि साम्प्रदायिक सस्थाओं के लिए मैदान साफ छोड़ दिया जाय ।

इन स्थानीय झगडों और तेशी से बढने हुए ऐसे राजनैतिक दाव-पेचों से मुझे नफरत हो गई । मैंने देखा कि मेरा उनसे मेल नहीं बैठता है और अपने ही शहर इलाहाबाद में मैं अपने को अजनबी-सा महसूस करने लगा । ऐसे में अपने को उस वातावरण के अनुकूल न पाकर मैं हैरान था । ऐसे वातावरण में जब इन जैसे मामलों पर ध्यान देने का समय आता तो मैं क्या कर सकता था ।

मैंने कमला की हालत के बारे में गाँधीजी को लिखा । क्योंकि मेरा खयाल था कि मैं जल्दी ही वापस जेल में चला जाऊँगा, और सम्भव है कि अपने दिल की बात जाहिर करने का फिर दूसरा मौका न मिले, इसलिए मेरे दिमाग में जो बातें घूम रही थी उनकी भी कुछ कुछ झलक उन्हें देदी । हाल की घटनाओं ने मुझे बहुत अधिक सन्तप्त और परेशान कर दिया था, और मेरे पत्र में उसकी एक हलकी-सी छाप थी । मैंने यह सूचित करने की कोशिश नहीं की थी कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं । मैंने जो-कुछ भी किया वह तो इधर की घटनाओं से मेरे दिल पर जो-कुछ भी प्रतिक्रिया हुई थी उसका खुलासा भर था । वह पत्र क्या था, सर्वथा दवे हुए जोश का उबाल था, और बाद में मुझे मालूम हुआ कि गाँधीजी को उससे बहुत दुःख पहुँचा ।

दिन-पर-दिन निकलते जाते थे, और मैं जेल की तलबी या सरकार से किसी दूसरी इत्तिला मिलने का इन्तज़ार करता रहता था । समय-समय पर मुझे यह कहा जाता रहा कि आगे के लिए कल या परसो हिदायत जारी होनेवाली है । इस बीच डॉक्टरों को यह हिदायत हो गई थी कि वे सरकार को कमला की हालत की रोषाना सूचना देते रहे । मेरे आने के बाद से कमला की हालत कुछ सुधर गई थी ।

: ६६ :

फिर जेल में -

छाया निरङ्कुशगतिःस्वयमातपस्तु छायाञ्चित शतश एव निजप्रसंगम् ।
दुःख सुखेन पृथगेवमनन्तद्दुःख पीडानुबेधविधुरा तु सुखस्य वृत्तिः ॥'

राजतरंगिणी, ८-१९, १३

मैं फिर नैनी-जेल के अन्दर दाखिल हो गया । मुझे ऐसा जान पड़ने लगा, जैसे मैं एक नई सजा को मियाद झुट कर रहा हूँ । कभी जेल के भीतर, कभी जेल के बाहर, मैं एक खिलौना-सा बना हुआ था । जीवन में इस प्रकार के अस्थिर परिवर्तन भावना-तन्त्रों को हिता हानने हैं, और अपने आपको नये परिवर्तनों के अनुकूल कर लेना इतना गहन काम नहीं होता । मैं आशा कर रहा था कि इन बार भी मुझे नैनी की उसी पुरानी कोठरी में रखा जायगा, जिनमें मैं अपनी पिछली लम्बी सजा काट चुका था । वहाँ थोड़े से प्ल के पेट थे, जिनमें से वहनोई रणजीत पण्डित ने शुरु में लगाया था, और एक दगमदा भी था । लेकिन नम्बर ६ की उस पुगनी बरत में एक नखनन्द को, जिन पर न तो कोई मुकदमा चलाया गया था, न कोई सजा दी गई थी, रखा दिया गया था । यह उचित नहीं समझा गया कि मैं उगने सम्पन्न से आऊँ, इसलिए मुझे जेल के दूसरे हिस्से में रखा गया, जो 'नीली' अर्थात् अन्दर की तरफ था, और जिनमें फूट का शृंगारो गुप्त भी नहीं थे ।

१. छाया स्वयम्भू गति है, फिर भी प्रकाश—

छाया-मिथ्या विविध रूप दिग्ने स्थितः है ।

है दुःख तो सुख है सुख के पङ्क्तु,

पीडा अनन्त दुःख की सुख की सततता ।

लेकिन मुझे अपने इस स्थान की इतनी चिन्ता नहीं थी, मेरा मन तो दूसरे स्थान पर था। मुझे डर था कि कमला की हालत में जो थोड़ा-सा सुधार हुआ है, वह मेरे द्वारा गिरफ्तार होने के समाचार से रुक जायगा। और हुआ भी ऐसा ही। कुछ दिनों तक ऐसी व्यवस्था रही कि कमला की हालत के बारे में मुझे हररोज डाक्टर का एक मुक्तिसिंसा बुलेटिन मिल जाता था। यह भी घूम-फिरकर मेरे पास पहुँचता था। डाक्टर टेलीफोन से पुलिस के सदर दफ्तर को सूचना देता, और पुलिस उसे जेल तक पहुँचा देती। डाक्टरों और जेल के कर्मचारियों में सीधा सम्बन्ध वाञ्छनीय नहीं समझा गया। दो सप्ताह तक तो मुझे यह सूचना नियमित, और कभी-कभी अनियमित, रूप से मिलती रही, और उसके बाद रोक दी गई, हालाँकि कमला की हालत दिन-पर-दिन गिरती ही जा रही थी।

दुबरे समाचारों और समाचारों की प्रतीक्षा ने दिनों की असहनीय छाया और रातों को उनमें भी भीषण बना दिया। समय की गति मानो विलगुल रुक गई हो या अत्यन्त मुन्ती से सरक रही हो, हरेक घण्टा भार और आतक-मा जान पड़ता था। इतनी तीव्रता से इस तरह की भावना को मैंने कभी महसूस नहीं किया था। उस समय मेरी ऐसी धारणा थी कि दो-तीन महीने के अन्दर बम्बई-कार्टेज के अधिवेशन के बाद ही, मेरे छूट जाने की सम्भावना थी, लेकिन वे दो महीने भी कभी न गमाए जाते-याँ दिग्गई वे रहे थे।

मेरी दुःशा गिरफ्तारी के ठीक एक महीने बाद एक पुलिस अफसर मुझे मेरी पत्नी से थोड़ी-सी देर के लिए मुलाकात कराने ले गया। मुझे बताया था कि मुझे उन तरह अपने से दो बार उमसे मिलने दिया गया जहाँ और उनके लिए समय भी निश्चित हो गया था। मैंने थोड़े दिन प्रतीक्षा की—तीनों महीने नहीं आया, अभी तर्ह पाँचवा,

छठा और सातवाँ दिन बीता, मैं इन्तज़ार करते-करते थक गया। मेरे पास समाचार पहुँचा कि उसकी हालत फिर चिन्ताजनक होनी जा रही है। मैंने सोचा कि मुझसे सप्ताह में दो बार कमला से मिल सकने की बात कहना कैसा अजीब भजाक था।

सितम्बर का महीना भी किसी तरह खतम हुआ। मेरी खिन्दगी में वे तीस दिन सबसे लम्बे और सबसे खराब थे।

कई व्यक्तियों के द्वारा मेरे पास तक यह सलाह पहुँचाई गई कि अगर मैं अपनी मियाद के बाकी दिनों के लिए राजनीति में भाग न लेने का आश्वासन—चाहे वह लिखित भले ही न हो—देवूँ तो मुझे कमला की तीमारदारी के लिए छोड़ा जा सकेगा। राजनीति उस समय मेरे विचारों से दूर की चीज़ थी, और बाहर जाकर ग्यारह दिनों में मैंने राजनीति की जो दशा देखी थी, उससे तो मुझे घृणा ही हो गई थी, पर आश्वासन की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। उसका अर्थ होता, अपनी प्रतिज्ञाओं, कार्यों, साधियों और खुद अपने साथ विश्वासघात करना। परिणाम कुछ भी होता, यह तो एक असम्भव गर्त थी। ऐसा करने का अर्थ होता अपने अस्तित्व की जड़ों पर भर्साघात, और उन सब चीज़ों को, जो मेरी दृष्टि में पवित्र थीं, अपने हाथों कुचल डालना। मुझसे कहा गया कि कमला की हालत दिन-पर-दिन बिगड़ती जा रही है, और उसके निवट मेरी उपस्थिति से जीवन और मरण का अन्तर पड़ सकता है। तो मेरा व्यक्तिगत दम्भ या अहंकार क्या कमला के जीवन से बड़ी चीज़ थी? मेरे लिए यह एक भयंकर समस्या बन जाती, पर भाग्यवश, कम-से-कम इस रूप में, वह मेरे सामने उपस्थित नहीं हुई। मैं जानना था कि इस प्रकार के किसी भी आश्वानन को खुद कमला नापसन्द करती, और अगर मैं कोई ऐसा काम कर बैठता, तो उसे धक्का लगता और नुकसान भी हो जाता।

अक्टूबर के शुरु में मुझे फिर उमसे भेंट करने के लिए ले गये। वह करीब-करीब गाफिल-मी पडी हुई थी, बुखार बहुत तेज था। मुझे अपने निकट रखने की उसकी इच्छा बड़ी तीव्र थी, पर जब मैं जेल लौट जाने के लिए उमने विदा होकर चला, तो उसने सहासपूर्ण मुस्कराहट से मेरी ओर देखा और मुझे नीचे झुकने का इशारा किया। मैं जब उसके नज़दीक जाकर झुका, उमने मेरे कान में कहा, "सरकार को आश्वासन देने की यह क्या बात है ? ऐसा हरगिज न करना।"

कुल ग्यारह दिन मैं जेल के बाहर था। हम लोगो ने इन दिनों निश्चय कर लिया था, कि कमला के स्वास्थ्य में थोड़ा-सा सुधार होने पर, उसे इलाज के लिए किसी अविक उपयुक्त जगह पर भेज देंगे। तभी से हम उसके कुछ अच्छा होने की इन्तज़ारी कर रहे थे, पर, उसके बजाय उसकी हालत दिन-दिन गिरती ही जा रही थी, और अब छ हफ्ते बाद तो, यह गिरावट बहुत साफ दिखने लगी थी। इन्तज़ार करते रहना इसलिए अब बेकार समझा गया, और यह निश्चय किया कि उसे ऐसी ही हालत में मुवाली की पहाड़ी पर भेज दिया जाय।

जिस दिन कमला मुवाली जानेवाली थी उमके एक दिन पहले मुझे उससे मिलने के लिए ले जाया गया। मैं सोच रहा था, अब फिर दुबारा कब इससे भेंट होगी, और भेंट होगी भी या नहीं ? पर, वह उस दिन प्रसन्न और कुछ स्वस्थ दिखाई दे रही थी, और इससे मुझे इतनी खुशी हुई कि कुछ पूछिये नहीं।

करीब तीन हफ्ते बाद, मुझे नैनी-जेल से अलमोड़ा डिस्ट्रिक्ट जेल में भेज दिया गया, जिसमें मैं कमला के ज्यादा नज़दीक रह सकूँ। मुवाली रास्ते में ही पडना था—गुलाम की 'गारद' के साथ मैंने कुछ घण्टे वहीं बिनाये। मुझे कमला की हालत में थोड़ा सुधार देखकर बड़ा अच्छा लगा और उमने विदा लेकर मैं खुशी-खुशी, अपनी अलमोड़ा तक की यात्रा

पूरी कर मका । मच तो यह है कि कमला तक पहुँचने के पहले ही पहाड़ों ने मुझे प्रफुल्लित कर दिया था ।

मुझे वापस इन पहाड़ों में पहुँच जाने की वड़ी सुशी थी । ज्यो-ज्यो हमारी मोटर चक्करदार नडक पर तेजी से आगे बढ़ती जा रही थी, सवेरे की ठंडी हवा और धीरे-धीरे खुलता जानेवाला प्रकृति का सौन्दर्य मुझे एक विचित्र हृष से भर रहा था । हम ऊपर-ऊपर चढते जा रहे थे, घाटियाँ गहरी होनी जा रही थी—पर्वत की चोटियाँ बादलों में छिपती जा रही थी । हरियाली भी रग बदलती गई, और चारों ओर की पहाड़िया देवदार की घटा से घिरी हुई दिन्वाई देने लगी । कभी सडक की किमी मोड को पार करते ही, अचानक हमारे सामने पर्वत-श्रेणियों का एक नया विस्तार और कहीं घाटियों की गहराई में एक छोटी नदी कलकल करती हुई दिखाई देती । उस दृश्य को देखते-देखते मेरा जी नहीं अघाता था, उसे पूरा ही पी जाने की प्रबल इच्छा हो रही थी । मैं अपने स्मृति-पात्र को उससे भर लेना चाहता था, जिससे, उस समय, जबकि मच्चा दृश्य देखना मुझे नसीब नहीं होता, उसीको मैं अपने मन में जगाकर आनन्द उठा लेता ।

पहाड़ियों की तलहटी में छोटी-छोटी झोपड़ियों के झुण्ड दिखाई देते थे, और उनके चारों ओर छोटे-छोटे खेत । जहाँ कहीं थोडा-भी ढाल मिल गया, वही कडी मेहनत-मशक्कत करके खेत बना लिये । दूर से वे झरोखो या छज्जो के समान दिखाई देते थे, या ऐसा जान पडता था, मानो वडी-वडी मीढियाँ ही जो घाटी के नीचे से पहाडी की चोटी तक सीधी कस्तार-बन्द चली गई हो । इस बिखरी हुई जनसस्या के लिए प्रकृति से थोड़े से खाद्य-पदार्थ निकलवाने के लिए मनुष्य को कितनी कडी मेहनत करनी पडती है ! इस लगातार परिभ्रम के बाद भी कितनी कठिनाई से उनकी ज़रूत पूरी हो पाती है । इन छज्जेनुमा खेतों के कारण पहाड़ियों में

एक तरह की वस्ती का-सा बोध होता था और उनके सामने वनस्पति-गुन्य या जगलो से लदी ढालू जमीन बड़ी विचित्र लगती थी ।

दिन में यह सारा दृश्य बड़ा मनोहर दिखाई देता है, और ज्यों-ज्यों सूर्य आकाश में ऊँचा चढ़ता जाता है, उसकी बढ़ती हुई गरमी से पहाड़ों में एक नया जीवन दिखाई देने लगता है, और वे अपना अजनबी-पन भूलकर हमारे मित्र और माथी-में भालूम होने लगते हैं । लेकिन दिन दूर जाने पर उनका सारा रूप कैसा बदल जाता है ! जब रात अपने लम्बे-चौड़े डग भरती हुई विश्व को अँक में भर लेती है, और उन्मत्त प्रकृति को पूरी आकादी देकर जीवन अपने बचाव के लिए छिपान का मार्ग ढूँढना है, तब ये जीवन-शून्य पर्वत कैसे ठडे और गम्भीर बन जाते हैं । चाँदनी या तारों की रोशनी में पर्वतों की श्रेणियाँ रहस्यमयी, भयकर, विराट, और फिर भी अपारिष्व-सी आकृति ग्रहण कर लेती हैं, और प्रादियों के बीच से वायु की कराह सुनाई-पड़ती है । गभीर मुसाफिर अपने अनेक मार्ग पर चलता हुआ बाँप उठता है, और अपने चारों ओर विरोधी शक्तियों की उपस्थिति का अनुभव करता है । पवन की मनमनाहत भी गंभीर-ना उठती और' उपेक्षा-सी करती दिखाई देती है । सभी नवा बन्द भी हो जाती है, दूसरी किसी प्रकार की आवाज भी नहीं होती, और चारों ओर एक पूर्ण शान्ति होती है, शान्ति गहनता से गहनता गगने लगती है । केवल टेलीग्राफ के तार अपने अपने गुणगुणों से ही जीरे और गगने अधिक चमत्कार और अधिक कर्तव्य शक्ति से गगन से । पर्वत-श्रेणियाँ मजिदगी में एक ओर देखनी लगती हैं और ऐसा ताप गगन से नीचे गगन गगन रहस्य उग और

रहता है, और कई किस्म के जानवरो और कीड़ो की आवाजों रात के सन्नाटे को चीरती रहती है ।

लेकिन जब हम मोटर में बैठे अलमोडा जा रहे थे, रात अपनी सर्दी और वीरान नदेसा लिये हमसे—अब भी दूर थी । हमारी यात्रा का अन्त अब समीप ही आगया था । सड़क के मोड़ को पार करने और बादलों के एकसाथ हट जाने से मुझे एक नया दृश्य दिखाई दिया, कितना अचरज थीर खुशी हुई मुझे वह देखकर । बीच में आ जानेवाले जगलो से लदे पहाडो के बहुत ऊपर बड़ी दूर पर, हिमालय की बर्फीली चोटियाँ चमक रही थी । अतीत के सारे बुद्धि-वैभव को लिये भारतवर्ष के विस्तृत मैदान के ये सतरी बटे शान्त और रहस्यमय लगते थे । उनके देखने से ही मन में एक शान्ति-सी छा जाती थी, और हमारे छोटे-छोटे द्वेप और सघर्ष, मैदान और शहरो की वासनाये और छल-छिद्र तुच्छ-से लगने लगते और उनके हमेशा के मार्गों से बहुत दूर की चीज लगते ।

अलमोडा की छोटी-सी जेल एक ढालू जमीन बनी हुई है । मुझे उसीमें एक 'शानदार' वरक रहने के लिए दी गई । इसमें ५१×१७ फीट का एक बड़ा-सा कमरा था, जिसका फर्श कच्चा और बड़ा ऊँचा-नीचा था, छत कीडो की खाई हुई थी, जिसमें से टुकड़े टूट-टूटकर बराबर नीचे गिरा करते थे । उसमें पन्द्रह खिडकियाँ और एक दरवाजा था, या यों कहना चाहिए कि इतने सीखचो से जड़े हुए खुले स्थान थे, क्योंकि अंमल में तो दरवाजा या खिडकी एक भी नहीं थी । ताजी हवा को तो कमी हो ही नहीं सकती थी, क्योंकि सरदी बढ गई थी । कुछ खिडकियो को नारियल की चटाइयो से बन्द कर दिया गया था । इस बड़े कमरे में (जो देहरादून की जेल के किसी भी कमरे से बड़ा था) मैं अपने एकाकी वैभव में रहता था । लेकिन मैं बिलकुल अकेला भी नहीं था, क्योंकि कम-से-कम दो दर्जन चिड़ियो ने उस टूटी-छत में

अपना घर बना रक्खा था। कभी-कभी कोई मटकता हुआ बादल, अपनी अनेक बाहों द्वारा, कई खिड़कियों में से प्रवेश करता हुआ मेरे पास आ जाता, और सारी जगह को कुहरे से भरकर नमी फैला देता।

यहाँ रोज़ शाम के साढ़े चार बजे मेरे आखिरी भोजन, या यो कहना चाहिए कि भारी चाय ले लेने, के बाद पाँच बजे मुझे बन्द कर दिया जाता था, और फिर सबेरे ७ बजे मेरा सीखचोवाला दरवाजा खुलता था। दिन के समय या तो बैरक में या उसके बाहर एक पास के बालान में, घूम लिया करता था। मेरी चहार-दिवारी से एक-डेढ़ मील दूर के एक पहाड़ की चोटी दिखाई देती थी, और मेरे सिर पर नीले आकाश का अनन्त वितान तना रहता था, जिसपर बादल छिटके रहते थे। इन बादलों की बड़ी आश्चर्यजनक शकलें बन जाती, जिन्हें देखते-देखते मैं कभी थकता न था। खयाल करता था कि मैं उन्हें सब तरह के जानवरों का रूप धारण करते हुए देख रहा हूँ, और कभी-कभी वे मिलकर इतने बड़े बन जाते कि एक भारी महासागर के समान दिखाई देने लगते। कभी वे समुद्र के किनारे से लगते, और देवदार के पेड़ों के बीच से आनेवाली वायु की भर्मराहट समुद्र के ज्वार-भाटे की-सी आवाज लगती। कभी-कभी कोई बादल बड़े साहस के साथ हमारी ओर बढ़ता नज़र आता। दिसाने में तो बड़ा ठोस और घना लगता, पर हमारे नज़दीक आते-आते वह विलकुल कोहरा बन जाता और हमें लपेट लेता।

मुझे अपनी विशाल बैरक छोटी कोठरी से ज्यादा पसन्द थी, हालाँकि छोटी कोठरी से इसमें अकेलापन ज्यादा महसूस होता था। बाहर पानी बरसता तो मैं उसमें ही घूम-फिर सकता था। लेकिन जैसे-जैसे सर्दी बढ़ती गई, उसका सुनापन बढ़ता गया और जब सर्दी बहुत ही बढ़ गई, तब मेरा टापी हुआ और खुले में रहने का प्रेम भी कम पड़ गया। मुझे उस समय बड़ी खुशी हुई, जब नये साल के शुरु होते ही

खूब बर्फ पड़ा और जेल का नीरस वातावरण भी सुन्दर हो उठा। बर्फ से लिपटे हुए जेल की दीवारों के बाहर के देवदार वृक्ष तो बहुत ही सुहावने और लुभावने दिखने लगे।

कमला की हालत में उतार-चढ़ाव होते रहने से मुझे चिन्ता रहती थी और कभी कोई खराब खबर मिल जाती, तो उससे मैं कुछ देर के लिए उदास हो जाता, लेकिन पहाड़ की हवा का सान्त्वना देनेवाला प्रभाव मुझ पर पड़ता और मैं फिर गहरी नींद में सोने की आदत पर लौट आता था। निद्रा-लोक के किनारे पर खड़े होकर मैं कभी-कभी सोचता था कि यह नौद भी कैसी आश्चर्य और रहस्य की चीज है। मनुष्य उससे जगे ही क्यों? मैं बिल्कुल ही न जागूँ तो?

तो भी जेल से छुटकारा पाने की मेरी इच्छा प्रबल थी, और इस वक्त तो बहुत ही तीव्र हो रही थी। बम्बई-काँग्रेस खत्म हो चुकी थी नवम्बर भी आकर चला गया और नसेम्बली के चुनावों की चहलपहल भी खत्म हो गई थी। मुझे आशा हो चली थी कि मैं जल्दी ही छोड़ दिया जाऊँगा।

लेकिन उसके बाद ही खान अब्दुलगफार खान की गिरफ्तारी और सच्चा और श्री सुभाष बोस के हिन्दुस्तान में अल्पकालिक आगमन पर उनको दी गई विचित्र आज्ञा की आश्चर्यजनक खबर मिली। यह आज्ञा स्वतः मनुष्यता से खाली और अविचारपूर्ण थी, और एक ऐसे मनुष्य पर लगाई गई थी जिसकी, अपने अमर्य देशवासियों के दिल में प्रेम और आदर की जगह है और जो, अपनी बीमारी की परवाह न करके, मृत्यु-घोषा पर पड़े हुए अपने पिता के दर्शनों के लिए दौड़कर आया था और फिर भी उनसे मिल न सका था। यदि सरकार का दृष्टिकोण उन नरर का बना हुआ है, तब तो मेरे जल्दी छूटने की कोई उम्मीद नहीं थी। मैं के सरकारी वक्तव्यों से यह बात साफतौर पर जाहिर भी हो गई थी।

उनकी हालत में थोड़ा सुधार हो जाने के कारण मुझ वहाँ भेजा नहीं गया ।

जनवरी ने अपना स्थान अब फरवरी को दे दिया है, और वायु-मण्डल में वसन्त के आगमन की आहट सुनाई दे रही है । बुलबुल और दूसरी चिड़ियाँ फिर दिखाई और सुनाई देने लगी हैं और जमीन में जगह-जगह छोटे-छोटे कुत्ले फूटकर इस विविध दुनिया पर अपनी अचरज-भरी नजर डाल रहे हैं । सदा बहार के फूल पहाड़ियों में स्थान-स्थान पर रक्त के-से लाल चम्पे बनाते जा रहे हैं, और शान्तिपूर्ण वातावरण में बेर के फूल बाहर झाँक रहे हैं । दिन बीतते जा रहे हैं और ज्यों-ज्यों वे समाप्त होते जाते हैं, मैं उन्हें गिनता रहता हूँ और अपनी अगली भुवाली-यात्रा की बात सोचता रहता हूँ । मुझे आश्चर्य होता है कि इस कहावत में कहाँ तक सचाई है कि जीवन के बड़े-बड़े पुरस्कार निराशा, निर्दयता और वियोग के बाद ही मिलते हैं । अगर ऐसा न हो तो शायद उन पुरस्कारों का मूल्य ठीक-ठीक न आँका जा सके । शायद विचारों की स्पष्टता के लिए कष्ट-सहन जरूरी है, परन्तु उसकी अधिकता विमग पर पर्दा डाल सकती है । जेल से आत्म-चिन्तन को प्रोत्साहन मिलता है और अनेक वर्षों के जेल-निवास ने मुझे अधिक-से-अधिक अपने अन्त-निरीक्षण के लिए विवश किया है । स्वभाव से मैं अन्तर्मुखी नहीं था, पर जेल का जीवन तेज काँफ़ी या झुचले के सत की तरह आत्म-चिन्तन की ओर ले जाता है । कभी-कभी मनोरंजन के लिए, मैं प्रोफेसर मैक-डूगल^१ के निर्धारित किये हुए मापदण्ड पर अपनी अन्तर्मुखी और बहिर्मुखी वृत्तियों के सम्बन्ध की परीक्षा करता हूँ, तो मुझे आश्चर्य होता है कि एक प्रवृत्ति से दूसरी की ओर परिवर्तन कितनी अधिक बार होता रहता है, और कितनी तेजी के साथ ।

१. इंग्लैण्ड का प्रसिद्ध आधुनिक मानस शास्त्री । —अनु०

कुछ ताजी घटनायें

बीते निशा उदय निदचय सुप्रभात—
आते नहीं दिवस हन्त ! पुन गये जो ॥
आशा भरी नयन मध्य अपार किन्तु—
बीतीं वसन्त-स्मृतिया दिल को दुखाती ॥'

मुझे जो अलखवार बिये जाते थे, उनसे मुझे बम्बई-काँग्रेस के अधिवेशन की कार्रवाई का हाल मालूम हुआ। उसकी राजनीति और व्यक्तियों में स्वभाव से ही मेरी दिलचस्पी थी। बीस साल के गहरे सम्पर्क ने मुझे काँग्रेस के साथ इतना कसके बाँध दिया था कि मेरा व्यक्तित्व करीब-करीब उसमें लीन होगया था और पदाधिकार और जवाबदेही के बन्वनों से भी कही ज्यादा मजबूत कुछ ऐसे अव्यक्त बन्धन थे, जिन्होंने मुझे इस महान् सत्या व अपने हज़ारों पुराने साथी कार्यकर्ताओं के साथ बाँध दिया था। लेकिन इतने पर भी इस अधिवेशन की कार्रवाई से मुझे कुछ स्फूर्ति मिलना कठिन दिखाई दिया। कुछ महत्त्वपूर्ण निर्णयों के होते हुए भी मुझे तो सारा अधिवेशन लाचार-सा मालूम हुआ। जिन विषयों में मेरी दिलचस्पी थी, उन पर शायद ही विचार हुआ हो। मैं इसी चक्कर में था कि अगर मैं वहाँ मौजूद होता, तो मैंने क्या किया होता। निश्चित तौर पर मैं कुछ नहीं जानता था। मैं कह नहीं सकता था कि नई परिस्थितियों और अपने आस-पास के वातावरण के सम्बन्ध में मेरा क्या रुख रहा होगा। आखिर मैंने सोचा कि इस कठिन निर्णय पर पहुँचने के लिए मैं जेल में अपने दिवाग पर क्यों जोर दूँ, जबकि उस

१. चीनी कवि ली तई-थो के पद्य का भावानुवाद।

वक्त ऐसा निर्णय करना बिलकुल बेकार था। समय आयगा, जब मुझे आजकल की समस्याओं का मुकाबिला करना पड़ेगा और अपना कार्य-पथ निश्चित करना होगा। ऐसी हालत में इन गहरे विचारों में पडकर इस तरह के निर्णय की पहले से कल्पना करना बिलकुल वाहियात बात है क्योंकि ऐसा करने का भार मुझ पर पडने से पहले ही परिस्थितियाँ बदल जायेंगी।

अपने सुदूर और पहाड़ पर के एकान्त निवास स्थान पर से अधिक-से-अधिक जो दो मोटी विशेषतायें मैं जान सका, वे थी—गाँधीजी का खबरदस्त व्यक्तित्व और पण्डित मदनमोहन मालवीय और श्री अण्णे द्वारा प्रदर्शित मात्प्रदायिक निर्णय का बिलकुल नगण्य विरोध प्रदर्शन। जो लोग भारत के सर्वसाधारण और मध्यमवर्ग की मनोवृत्ति को अच्छी तरह जानते हैं, उन सबको तो यह जानकर कुछ अचरज नहीं हुआ कि किस तरह गाँधीजी एक छोर से दूसरे छोर तक भारत के एकमात्र सर्व-सर्वा बने हुए हैं। सरकारी अफसर और कुछ दकियानूसी राजनीतिज्ञ अपनी भीतरी इच्छा को ही कल्पना का आधार बनाकर अक्सर यह सोचने लगते हैं कि अब राजनैतिक-क्षेत्र में गाँधी-युग बीत गया है, या कम-से-कम उनका प्रभाव बहुत-कुछ क्षीण होगया है। और जब गाँधीजी अपनी उस सारी पुरानी शक्ति और प्रभाव के साथ मैदान में आते हैं, तो ये लोग चकित रह जाते हैं और इस प्रत्यक्ष परिवर्तन के लिए नये-नये कारण खोजने लगते हैं। कांग्रेस और देश पर गाँधीजी की अगर प्रभुता है तो वह उनके उन विचारों के कारण, जो कि आमतौर पर स्वीकार किये जा चुके हैं, उतनी नहीं हैं, जितनी कि उनके अद्वितीय व्यक्तित्व के कारण। व्यक्तित्व तो सभी जगह अपना काफी प्रभाव रखता है, लेकिन हिन्दुस्तान में तो वह प्रमुखरूप से और भी अधिक काम करता है।

कांग्रेस से उनकी अलहदगी हम अविशेषण का एक अजीब वाक्या या और ऊपरी तौर से तो यही मालूम होता था कि कांग्रेस और हिन्दुस्तान के इतिहास का एक महत्त्वपूर्ण अध्याय सम्पन्न होगया। लेकिन असल में इसका महत्त्व कुछ अधिक नहीं था क्योंकि वह चाहें तो भी अपने व्यापक नेतृत्व-पद से पीछा नहीं छोड़ा सकते। उनकी यह प्रतिष्ठित स्थिति किमी पदाधिकार या अन्य किसी प्रत्यक्ष सम्बन्ध के कारण नहीं थी। कांग्रेस में आज भी गाँधीजी का दृष्टिकोण करीब-करीब पहले जैसा ही शलकता है, और यदि वह उनके मार्ग से भटक भी जाय तो भी, गाँधीजी अनजाने में भी, उसे और देश को बहुत अधिक हृद तक प्रभावित करते रहेंगे। इस भार और जवाबदेही से वह अपने को जुदा कर नहीं सकते। देश की प्रत्यक्ष स्थिति का खयाल करते हुए उनका व्यक्तित्व खुद ही हमरो का ध्यान बरबस अपनी ओर खींचता है, और इस तरह उसकी अपेक्षा की नहीं जा सकती।

वह इस वकत, कांग्रेस से शायद इसलिए अलग होगये है, कि उनके कारण कांग्रेस किसी कठिनाई में न पड़े। शायद वह किसी तरह के व्यक्तिगत सत्याग्रह की बात सोच रहे हैं, जिसका अवश्यम्भावी परिणाम सरकार से झगडा छिड जाना होगा। वह इसे कांग्रेस का प्रश्न नहीं बनाना चाहते।

मुझे खुशी हुई कि कांग्रेस ने देश का विधान निश्चित करने के लिए कास्टीट्यूएण्ट असेम्बली का विचार मजूर कर लिया। मेरे खयाल में इस समझ्या के हल करने का हमके सिवा कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं, और निश्चय ही हमें कमी-न कमी ऐसी असेम्बली बनानी पड़ेगी। शीघ्रता तो यही है कि ब्रिटिश सरकार की अनुमति के बगैर ऐसा ही नहीं मकेगा, हाँ, कोई सफल गान्ति हो जाय तो बात दूसरी है। यह जो माफ है कि वर्तमान परिस्थितियों में सरकार से ऐसी अनुमति

मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। देश में जबतक इतनी ताकत पैदा नहीं होजाती कि वह इस तरह का कोई कदम उठाने को बलपूर्वक आगे बढ़ सके, तब तक ऐसी असेम्बली बन नहीं सकती। इसका लाजिमी नतीजा यही है जबतक राजनैतिक समस्या भी नहीं सुलझ सकेगी। कांग्रेस के कुछ नेताओं ने विधानकारिणी असेम्बली के विचार को मजूर करते हुए, इसकी उम्रता को कम करके करीब-करीब पुराने ढंग के एक बड़े मर्यादित सम्मेलन का रूप दे दिया है। यह कार्रवाई बिल्कुल बेकार होगी। वही पुराने लोग, ज्यादातर अपने आपही चुने जाकर सम्मिलन हो जायेंगे, और उसका परिणाम होगा मतभेद। कांस्टीट्यूएण्ट असेम्बली की अपनी मन्दा तो यह है कि इस असेम्बली का चुनाव विम्बुनम्मा ने जनता के द्वारा हो और जनता से ही इसे ताकत और स्फूर्ति मिले। इन प्रकार का सम्मेलन ही असली प्रश्नों पर विचार करने में गारंटी हो सकेगा, और साम्प्रदायिक या अन्य दंगलों से, जिनमें हम लोग रोजी बार उलझ जाते हैं, बरी रहेगा।

काँग्रेस के चुनाव-सम्बन्धी कार्यक्रम में मेरा कोई उत्साह न होते हुए भी मेरी इस बात में बड़ी विलचस्पी थी और मैं मनाता था कि काँग्रेस के उम्मीदवार जीतें, या अधिक सही शब्दों में कहा जाय तो यो कहना चाहिए कि मैं उनके विरोधियों की हार मनाता था। इन विरोधियों में पद-लोलुप साम्प्रदायवादी, पथभ्रष्ट और ऐसे लोगों का अजीब-सा सम्मिश्रण था, जिन्होंने सरकार की दमन-नीति का जोरो से समर्थन किया था। इस बात में कोई शक नहीं था कि इनमें से अधिकांश लोग द्वारा दिये जायेंगे, लेकिन बदकिस्मती से साम्प्रदायिक निर्णय ने मुख्य प्रश्न को ढक दिया और इनमें से बहुतों ने साम्प्रदायिक सगठनों की व्यापक रूप में फैली हुई भूजाओं की शरण ली। लेकिन इतने पर भी काँग्रेस की बड़ी मार्कों की सफलता मिली, और मुझे खुशी हुई कि अवाञ्छनीय लोगों में से बहुत से खदेड़ दिये गये।

मुझे खासकर, नामधारी काँग्रेस नेशनलिस्ट पार्टी का खल, बहुत ही खेदजनक लगा। उसके साम्प्रदायिक निर्णय के प्रति तीव्र विरोध को समझा जा सकता है, लेकिन अपनी स्थिति को मजबूत बनाने के लिए उसने ऐसे कट्टर साम्प्रदायिक सगठनों के साथ सहयोग किया, यहाँ तक कि सनातनियों के सगठनों तक का जिनसे बढ़कर कि आज भारत में, राजनैतिक और सामाजिक, दोनों ही दृष्टि से प्रतिगामी दल दूसरा नहीं है। साथ ही, अनेक मशहूर राजनैतिक प्रतिगामियों तक का सहारा लिया। बगाल को छोड़कर, जहाँ कारण विशेष से एक जबरदस्त कांग्रेस दल ने उनका भ्रमर्यन किया, उनमें से अधिकतर सब तरह में कांग्रेस के विरुद्ध थे। इसमें शक नहीं कि कांग्रेस के सबसे जबरदस्त विरोधी यही लोग थे। इतनी मारी तरह की विरोधी शक्तियों के मुकाबिले में, जिनमें कि अमीरदार, नरम दलवाले, और निस्सन्देह सरकारी अफसर तक शामिल थे, काँग्रेस उम्मीदवारों ने काफी धानदार विजय प्राप्त की।

साम्प्रदायिक निर्णय के प्रति कांग्रेस का रुझान विचित्र था, लेकिन इस परिस्थिति में इससे भिन्न शायद ही हो सकता था। यह उसकी पिछली तटस्थता की नीति का था जो कहो कि कमजोर नीति का लाजिमी परिणाम था। शुरु से ही दृढ़ नीति अख्तियार की जाती, और बिना किसी तात्कालिक परिणाम की चिन्ता किये उसका पालन करते रहना अधिक शानदार और सही तरीका होता। लेकिन क्योंकि कांग्रेस ऐसा करने में अनिच्छुक रही, इसलिए उसने जो रास्ता अख्तियार किया उसके सिवा उसके पास और कोई उपाय था ही नहीं। साम्प्रदायिक निर्णय एक सास बेहूदगी की चीज थी और उसका स्वीकार किया जाना असम्भव था, क्योंकि, उसके बने रहने तक किसी तरह की आजादी हासिल करना नामुमकिन था। यह इसलिए नहीं कि इसने मुसलमानों को बहुत अधिक दे दिया था। किसी दूसरी तरह शायद यह मुमकिन था कि वे जो-कुछ भी मांगते सब कुछ दे दिया जाता। बात यह थी कि इस निर्णय द्वारा ब्रिटिश सरकार ने भारत को आपस में एक दूसरे से अलग अनगिनती हिस्सों में बाँट दिया था, जो एक दूसरे को भागे बढ़ने से रोकता, और उसके प्रभाव को विलकुल बेकार कर देता था, जिसने कि हिंदी अंग्रेजी सत्ता सर्वोपरि बनी रह सके। इसने ब्रिटिश सरकार पर की निर्भरता को अनिवार्य बना दिया।

सामरत बगल में, जहाँ कि छोटे से यूरोपियन समुदाय को भारी प्रधानता दी गई है, हिन्दुओं के साथ बहुत ही अन्याय किया गया है। ऐसे निर्णय या फैसले, या और जो कुछ भी उमे कहा जाय, (उने निर्णय के नान से पुकारे जाने पर आपत्ति की गई है) का तीव्र विरोध होना जरूरी था। और चाहे यह तम पर लाने में ही दिया जाय या राजनैतिक कारणों से, अन्यायी रूप से वह बर्दाश्त कर लिया जाय, फिर भी यह रहेगा हमें जगडे की जट ही। मेरा अपना खयाल है कि इसके

पक्ष में एक ही बात कही जा सकती है कि खुद इसकी वुराई ही इसका गुण है और ऐसी हालत में वह किसी बात का स्थायी आधार बन नहीं सकता।

नैशनलिस्ट पार्टी, और उससे भी अधिक हिन्दू-महासभा और दूसरे साम्प्रदायिक संगठनों ने स्वभावतः ही इस खबरदस्ती से लादे गये निर्णय का विरोध किया। लेकिन असल में उनकी आलोचना उसके समर्थकों की तरह ब्रिटिश सरकार की विचारधारा के आधार पर टिकी हुई थी। यह उनको ऐसी विचित्र नीति की ओर ले गई और अब भी आगे लिये जा रही है जिससे सरकार अवश्य ही प्रसन्न हुई होगी। साम्प्रदायिक निर्णय के मूल से परेशान होकर ये लोग इस आशा में कि सरकार को छालच देने या खुश करने से वह उक्त निर्णय को हमारे पक्ष में बदल देगी, दूसरे मुख्य विषयों के प्रति अपना विरोध नरम करते जा रहे हैं। हिन्दू-महासभा इस दिशा में सबसे आगे बढ़ गई है। उसको यह सूझता नहीं मालूम पड़ता कि इस नीति का अख्तियार करना सिर्फ अपमान-जनक ही नहीं है बल्कि उससे निर्णय का बदला जाना बहुत ज्यादा कठिन हो जाता है, क्योंकि यह मुसलमानों को खिझाता ही है और उन्हें और भी अधिक दूर खींच ले जाता है। सरकार के लिए राष्ट्रीय शक्तियों को अपनी ओर कर सकना मुश्किल है। अन्तर बहुत बड़ा है और स्वार्थों का संघर्ष बहुत ही साफ है। उसके लिए यह भी मुश्किल है कि साम्प्रदायिक स्वार्थों के संकुचित मसले पर हिन्दू और मुस्लिम दोनों साम्प्रदायिकों को खूब कर सके। उसे तो किसी एक को चुनना था, और उसने अपने दृष्टिकोण के अनुसार मुस्लिम सम्प्रदायवादियों का पक्ष चुनना पसन्द किया और ठीक पसन्द किया। क्या वह सिर्फ मुट्ठीभर हिन्दू सम्प्रदायवादियों को खुश करने के लिए अपनी सुनिश्चित और और लाभदायक नीति पण्ड देगी मुसलमानों को नाखुश करेगी ?

खुद यह बात कि सामूहिक रूप से हिन्दू राजनैतिक दृष्टि से बहुत आगे बढ़े हुए हैं और राष्ट्रीय आजादी के लिए बहुत जोर देते हैं, उनके विरुद्ध अवश्य जायगी। नगण्य साम्प्रदायिक रियायतो के कारण (और नगण्य के सिवाय वे किसी महत्त्व की हो ही नहीं सकती) उनके राजनैतिक विरोध में कुछ अन्तर नहीं पड जायगा, लेकिन ऐसी रियायते मुसलमानो के हक में एक अस्थायी अन्तर पैदा कर देंगी।

असेम्बली के चुनावो ने दोनो अत्यन्त प्रतिक्रियावादी साम्प्रदायिक सस्थाओ, हिन्दू महासभा और मुस्लिम-कान्फ्रेंस, के हिमायतियो की अत्यन्त स्पष्ट रूप से कलाई खोल दी। इसके उम्मीदवार बड़े-बड़े जमींदारो या साहूकारो से लिये गये थे। महासभा ने हाल ही में कर्ज-बिल का जोरो में विरोध करके भी साहूकार-वर्ग के प्रति अपनी शुभचिन्तकता बतलाई थी। हिन्दू-समाज के सिरमौर इन छोटे समुदायो से हिन्दू महासभा बनी है और इन्हीके एक भाग या कुछ वकील, डॉक्टर आदि पेशे वाले लोगो से लिबरल-दल बना है। हिन्दुओ पर उनका कोई खास प्रभाव नहीं है, क्योंकि निम्न मध्यम वर्ग में राजनैतिक चेतना जागृत हो गई है। औद्योगिक नेता भी इन लोगो से अलग ही रहते हैं, क्योंकि नये-नये धन्धो और अर्द्धमाण्डलिक वर्ग की आवश्यकताओ में परस्पर कुछ विरोध रहता है। उद्योग-धन्धेवाले लोग, सीधे हमले या दूसरे किमी खतरे में पडने का साहस न होने के कारण, राष्ट्रवादियो और सरकार दोनो ही से अपना सम्बन्ध अच्छा रखना चाहते हैं। वे लिबरल या साम्प्रदायिक दलो पर कोई खास ध्यान नहीं देते। औद्योगिक प्रगति और लाभ ही उनका मुख्य लक्ष्य रहता है।

मुसलमानो के निम्न मध्यम-वर्ग में यह जागृति अभी होनी है, और औद्योगिक दृष्टि से भी वे लोग पिछडे हुए हैं। इस तरह हम देखते हैं कि अत्यन्त प्रतिक्रियावादी, ज़ागीरदार, और सरकारी नौकरियो में रहे

हुए अधिकारी लोग न सिर्फ उनकी साम्प्रदायिक सस्थाओं पर ही कब्जा किये हुए हैं बल्कि भारी जानि पर अपना भारी प्रभाव काम में ला रहे हैं। सरकारी उपाधिवारियों, मूनपूर्व मिनिस्टरो और बड़े-बड़े जमींदारो के मजमे का नाम ही मुस्लिम कान्फेस है। और फिर भी मेरा खयाल है कि सर्वमाधारम मुस्लिम जनता, शायद सामाजिक विषयो में कुछ स्वतन्त्रता होने के कारण, हिन्दू-जनता की अपेक्षा ज्यादा हिम्मत और ताकतवर है। और इसलिए मुमकिन है कि एक बार चेतना मिलते ही वह बड़ी तेजी से समाजवाद की ओर बढ़ जायेंगे। इस समय तो मुस्लिम शिक्षित-वर्ग बौद्धिक और चारीरिक दोनों ही तरह से चेतना-हीन सा हो गया है और उसमें कोई स्फूर्ति नहीं रह गई है। अपने पुराने रहनुमाओ के खिलाफ आवाज उठाने का वह साहस कर नहीं सकता।

राजनैतिक दृष्टि से सबसे आगे बढी हुई महान् सस्था काँग्रेस के नेता जो पथ-प्रदर्शन कर रहे हैं, वह वर्तमान अवस्था में जनता को जैसा नेतृत्व मिठना चाहिए उसकी अपेक्षा कहीं अधिक फूक-फूककर कदम रखने का है। वे जनता से सहयोग की तो माँग करते हैं, लेकिन उसकी राय जानने या दृ ख-दरद मालूम करने की कोशिश शायद ही करते हो। अमेरवली के चुनाव से पहले उन्होंने विभिन्न नरम गैर-काँग्रेसियो को अपनी ओर खींचने की गरज से अपने कार्यक्रम को नरम बनाने की हर तरह से कोशिश की। मन्दिर-प्रवेध बिल जैसे कामो तक के सम्बन्ध में उन्होंने अपना रस बदल दिया था, और मधरास के महान् कट्टर-पन्थियो तक को शान्त करने के लिए उसके सम्बन्ध में आश्वासन दिये गये थे। लागू-रहित और उग्र चुनाव-कार्यक्रम ने कहीं अधिक उत्साह पैदा किया होता, और जनता को शिक्षित करने में उससे कहीं अधिक मदद मिली होती। अब क्योंकि काँग्रेस ने पार्लिमेण्टरी कार्यक्रम को अपना लिया है, इनकारि अमेन्डमेण्टों में किसी विषय पर वोट गिने जाने के समय कुछ

नगण्य वोट पाजाने की आशा से, उसमें राजनैतिक और सामाजिक दकिया-
नूसों के लिए और भी ज्यादा गुजाईश हो जायगी, और काँग्रेस के नेताओं
और जनता के बीच खाई और भी चौड़ी हो जायगी। असेम्बली में
जोरदार भाषणों की झड़ी लग जायगी, और सर्वोत्तम पार्लमेण्टरी शिष्टता
का अनुसरण किया जायगा, समय-समय पर सरकार को हराया जायगा—
जिसकी कि सरकार अविचल भाव से उम्मेदारी करेगी, जैसा कि वह पहले
में करती आई है।

पिछले कुछ बरसों में, जबकि काँग्रेस काँग्रेस का वहिष्कार
कर रही थी, सरकारी मुखिया लोग अक्सर हमसे कहा करते थे कि
असेम्बली और प्रान्तीय काँग्रेस जनता की असली प्रतिनिधि हैं और
लोकमत को प्रकट करती हैं। लेकिन यह दिल्ली की बात है, कि अब
जब कि असेम्बली में अधिक प्रगतिशील दल का प्रभुत्व है, सरकारी
दृष्टिकोण बदल गया है। जब कभी काँग्रेस को चुनाव में मिली सफलता
का हवाला दिया जाता है, तो हमसे कहा जाता है कि मतदाताओं की
संख्या बहुत ही थोड़ी, तीस करोड़ या उसके लगभग जनता में से, केवल
तीस लाख ही है। जिन करोड़ों लोगों को वोट देने का हक नहीं मिला
है, सरकार के मतानुसार वे साफ तौर पर अंग्रेजी सरकार के हामी हैं।
इसका जवाब साफ है। हरेक वालिग व्यक्ति को मत देने का अधिकार दे
दिया जाय, और तब पता लग जायगा कि इन लोगों का खयाल क्या है।

असेम्बली के चुनाव के बाद ही भारतीय शासन-मुधारों पर ज्वॉइण्ट
पार्लमेण्टरी कमिटी की रिपोर्टें प्रकाशित हुईं। इसकी चारों ओर ने और
भिन्न-भिन्न जो आलोचनायें हुईं, उनमें अक्सर इस बात पर जोर दिया
गया था कि उसने भारतवासियों के प्रति 'अधिरवान' और 'मन्देह'
प्रकट होता है। हमारी राष्ट्रीय और सामाजिक समस्याओं पर निचार
करने का मुझे यह तरीका बड़ा विचित्र मालूम हुआ। त्ना रिटिंग

साम्राज्यवादी नीति और हमारे राष्ट्रीय हितों में कोई महत्वपूर्ण विरोध नहीं है ? सवाल यह है कि इनमें से किसकी बात रहे। स्वतन्त्रता क्या हम महज साम्राज्यवादी नीति को कायम रखने के लिए ही चाहते हैं ? मालूम तो यही होता है कि ब्रिटिश सरकार यही समझे हुए थी, क्योंकि हमें सूचित कर दिया गया है कि जबतक हम ब्रिटिश-नीति के अनुसार अपना आचरण रखेंगे और जैसा वह चाहती है, ठीक उसके अनुसार काम करके स्व-शासन के लिए अपनी योग्यता प्रदर्शित करते हैं, तबतक 'सरक्षणों' का उपयोग नहीं किया जायगा। अगर भारत में ब्रिटिश नीति को ही जारी रखना है, तब अपने खुद के हाथों में शासन की बागडोर लेने का यह सब शोरगुल क्यों मचाया जा रहा है ?

यह साफ़ जाहिर है कि ओटावा-पैक्ट, आर्थिक दृष्टि से इंग्लैण्ड के सिवा हिन्दुस्तान के लिए, बहुत लाभकारी नहीं हुआ है।^१ हिन्दुस्तान के साथ के ब्रिटिश व्यापार को निस्सन्देह लाभ पहुँचा है, और वह पहुँचा है भारत के राजनीतिज्ञों और व्यवसायियों की राय के अनुसार भारत के विस्तृत हितों के बलिदान पर। उपनिवेशों, खासकर कनाडा और आस्ट्रेलिया के सम्बन्ध में स्थिति इससे उल्टी है।^२ उन्होंने ब्रिटेन के साथ बड़ा कड़ा व्यापा-

१ सर विलियम करी ने दिसम्बर सन् १९३४ में पी० एण्ड० ओ० जहाजी कम्पनी की लन्दन की एक मीटिंग में सभापति की हैसियत से भाषण देते हुए भारतीय व्यापार का उल्लेख करते हुए कहा था कि "ओटावा-पैक्ट ब्रिटेन के लिए निश्चित रूप से लाभप्रद रहा है।"

२. जून सन् १९३४ के लन्दन के 'इकनोमिस्ट' अखबार ने लिखा था कि ओटावा-परिपद् का "समर्थन केवल उसी दशा में किया जा सकता था, जबकि यह वास्तविक दुनिया से साम्राज्य के व्यवसाय का योग्य घटाये बिना अन्तर्साधारण के व्यवसाय का योग्य बढ़ाती। वास्तव में वह साम्राज्य के क्षीणोन्मुख व्यापार के सामने बहुत ही थोड़े से अनुपात में अन्तर्साधारणिक व्यापार को उत्तेजना दे सकती है। यह विभाजन भी ग्रेट-

रिक्त सीमा किया और उसे हानि पहुँचाने के लिए एक नया कदम उठाया।
इतने पर भी, अपने उद्योग-व्यवसाय की वृद्धि और लाभ को बढ़ा देने के
साथ अपना व्यापार बढ़ाने के लिए वे अटलांटा और उनके इतने दूर
से छुटकारा पाने का हमेशा प्रयत्न करने रहते हैं। कनाडा में एक
प्रमुख राजनैतिक दल, याने लिबरल दल जिसके हाथों में कड़ी ही
शासन सूत्र आजाने की सम्भावना है, निम्नलिखित रूप में अटलांटा-पैक्ट को
रद्द करने की वचनबद्ध है। "आमेरिका में अटलांटा-पैक्ट के लगे की

ब्रिटेन की अपेक्षा कहीं अधिक उपनिवेशों के हित में रहा है। हमारे
साम्राज्य का आयात सन् १९३१ के २४,७०,००,००० पाउंड से बढ़कर
सन् १९३३ में २४,९०,००,००० पाउंड हुआ था। किन्तु निर्यात
१७,६०,००,००० पाउंड से घटकर १६,३५,००,००० पाउंड हो गया
था। यह बात भी देखना है कि १९२९ से १९३३ के बीच साम्राज्य
को हमारा निर्यात ५०.९ फी सदी घटा था, जबकि साम्राज्य से हमारा
आयात सिर्फ ३२.९ फी सदी ही घटा था। विदेशों को हमारे निर्यात
की कमी कहीं अधिक कमी नहीं हुई, किन्तु इन देशों से हमारे आयात
की कमी कहीं अधिक थी।"

१. मेलबोर्न का 'एज' नामक पत्र भी अटलांटा-पैक्ट को पसन्द नहीं
करता। उसकी राय में यह पैक्ट "एक निरन्तर बाधा बन रहा है, और
अब दिन-दिन लोग इसे बहुत बड़ी गलती मानते जा रहे हैं।" (१९
अक्टूबर सन् १९३४ के 'मिडवैस्टर गार्जियन' नामक साप्ताहिक पत्र से
से उद्धृत।)

२. कनाडा के वर्तमान अनुदार प्रधान मन्त्री श्री बेंनेट तक व्यापा-
रिक मामलों में ब्रिटिश सरकार के लिए कष्टकर हो रहे हैं। वह
'नई योजना' (New Deals) की चर्चा कर रहे हैं और उनके विचारों
में आश्चर्यजनक तबदीली हो रही है। श्री स्टिबोिनोव, सर स्ट्रैफर्ड
किन्ग और श्री जॉन स्ट्रेची के भयंकर प्रभाव ने वे समाधिवादी बन गये
हैं। इतने तमाम अनुदार, उदार और इन्फ्लिक्शन मिथिल भावित्वालों को

खीचतानी के परिणामस्वरूप कुछ तरह के कपडों और सूत पर चुंगी बढ़ा दी गई, जिसपर लकाशायर के वस्त्र-व्यवसायियों की ओर से सख्त नाराजगी जाहिर की गई और इसे ओटावा-पैक्ट का भग कहकर उसकी निन्दा की गई। इसीके विरोध और बदले के रूप में लकाशायर में आस्ट्रेलियन माल के बहिष्कार का आन्दोलन भी शुरू किया गया। आस्ट्रेलिया पर इस धमकी का कुछ भी खास असर नहीं हुआ, बल्कि इसके खिलाफ वहाँ भी कड़ा रुख इल्लियार किया गया।'

यह स्पष्ट है कि आर्थिक सघर्ष का कारण कनाडा और आस्ट्रेलिया के लोगों में ब्रिटेन के प्रति किसी दुर्भावना का होना नहीं है, हाँ, माथलैण्ड वालों में यह दुर्भावना प्रत्यक्ष है। सघर्ष स्वार्थों के परस्पर विरोध के कारण होना है, और जहाँ कहीं इस किस्म के हिन-विरोध हो, हिन्दुस्तान में 'संरक्षण' का उद्देश्य, यह देखना रहता है कि ब्रिटिश हित प्रबल रहे। 'संरक्षण' के क्या नतीजे होंगे, इसका एक हलका-सा इशारा हाल में की गई भारतीय-ब्रिटिश व्यापारिक मन्धि से लग जायगा, जिसकी ब्रिटिश-धन्वेवालों की तो खबर थी, लेकिन जो भारतीय व्यव-

इस बात का सकेत और चेतावनी समझनी चाहिए कि वे इस किस्म के विचार रखना या ऐसे विचार रखनेवालों का साथ छोड़ दें, नहीं तो वे छुड़ ही उन अथरुद सिद्धान्तों के समर्थक बन जायेंगे। (उपर्युक्त नोट लिख चुकने के बाद मुना कि कनाडा में भी किंग के नेतृत्व में लिबरल पार्टी ने चुनाव में गहरी विजय प्राप्त करली है, और शासन-सूत्र अब उन्हींके हाथ में आये हैं।)

३ मैन्डबोर्न के 'एज' नामक पत्र ने लिखा था कि लकाशायरवाले अगर अपने प्रस्तावित बहिष्कार को बन्द न करें तो आस्ट्रेलिया की लकाशायर के रहे-सहे व्यापार का भी प्रबल बहिष्कार करना ही चाहिए। अविचल दृष्टि के साथ हमें लकाशायर को जवाब देना होगा। (९ नवम्बर १९३४ के माप्पारिह 'मैन्डबोर्न गार्जियन' से उद्धृत।)

साथियो और उद्योग-बन्धेवालो से छिपाकर की गई थी, और उनके विरोध करते रहने और असेम्बली के रद्द कर देने पर भी सरकार ने अपनी जिद्द से उसे कायम रक्खा। ऐसे सरक्षणो की तो बडी जबरदस्त कनाडा, आस्ट्रेलिया और दक्षिण अफरीका में है, जिससे कि इन उपनिवेशो के लोग न केवल व्यापारिक मामले मे ही, वरन साम्राज्य-रक्षा और उसकी अविच्छन्नता के महत्त्वपूर्ण विषयो में भी मनमाना रास्ता अख्तियार न करले।^१

कहा गया है कि साम्राज्य का अर्थ है 'कर्म', और सरक्षणो का निर्माण इसीलिए किया गया है कि शाही लेनदार अपने सब विशिष्ट स्वार्थो और शक्तियो को अक्षुण्ण बनाये रखने के लिए अपने अभागे कर्जदार पर अपना जबरदस्त कानू रख सके। एक विचित्र दलील, जो अक्सर सरकार की तरफ से दुहराई जाती है, यह है कि गांधीजी और कांग्रेस ने ऐसे सरक्षणो के विचार को स्वीकार कर लिया है, क्योंकि सन् १९३१ के दिल्ली के गांधी-अविन समझौते मे भारत के हित में 'सरक्षण' की बात स्वीकार की जा चुकी है।

ओटावा-पैक्ट और वाणिज्य-व्यवसाय-सम्बन्धी सरक्षण फिर भी छोटी

१. दक्षिण अफरीका-सघ के रक्षा-सचिव श्री ओ० पीरो ने कहा था कि सघ साम्राज्य-रक्षा की किसी भी आम योजना में भाग नहीं लेगा, न किसी बाहरी युद्ध में ही सहयोग करेगा, फिर भले ही ब्रिटेन उस युद्ध में शामिल क्यों न हो। "अगर सरकार अविचारपूर्वक दक्षिण अफरीका को दूसरे बाहरी युद्धों में भाग लेने के लिए मजबूर करे, तो बहुत बड़े पैमाने में अशान्ति फैल जायगी, मुमकिन है कि गृह-युद्ध छिड जाय। इसलिए वह साम्राज्य-रक्षा की किसी आम योजना में भाग नहीं लेगी।" (केपटाउन से ५ फरवरी १९३५ को भेजा हुआ रूटर का सवाद) प्रधान सचिव जनरल हर्ट जोग ने इस वक्तव्य की पुष्टि की है, और बताया है कि वह यूनियन सरकार की नीति को जाहिर करता है।

चाते हैं। जो कही अधिक महत्त्व की बात है, वह तो है वे बीसियों सुविचारों, जिनका उद्देश्य हिन्दुस्तानियों पर अपने हरेक महत्त्वपूर्ण राज-नैतिक और आर्थिक प्रभुत्व को, जिसने कि भूतकाल और वर्तमान में उन्हें इस देश के शोषण में सहायता दी है, स्थायी बना देना है। जबतक ये सुविचारों और 'सुरक्षण' बने हुए हैं, तबतक किसी भी दिशा में वास्तविक उन्नति हो सकना गैरमुमकिन है, और तबदीली के लिए, किसी किस्म के वैध प्रयत्न के लिए कोई जगह ही नहीं छोड़ी गई है। ऐसा हरेक प्रयत्न 'सुरक्षणों की नगी बीवारों के साथ टकरायगा' और थोड़े दिन-दिन साफ होता जायगा कि केवल वैध मार्ग से ही काम नहीं चलेगा। राजनैतिक सुधार की दृष्टि से यह प्रस्तावित शासन-संशोधना और इसका भीमकाय सब एक बाह्यगत चीज है, और सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से तो यह और भी बदतर है। समाजवाद का रास्ता तो जान-बूझकर रोक दिया गया है। ऊपरी तौर से बहुत-कुछ जवाबदेही भी (लेकिन वह भी अधिकतर 'सुरक्षित' श्रेणियों को ही) सौंप दी गई है, लेकिन वास्तविक महत्त्व की कोई शक्तियाँ—कृष्ण कर-घर सक्ने के साधन नहीं दिये गये हैं। बिना किसी उत्तरदायित्व के सारी शक्ति इकट्ठे अपने हाथों में रखे हुए हैं। निरकृपाता के नगोपन को ढकने के लिए कोई क्षीणी आदर तक नहीं है। हरेक आदमी जानता है कि इस समय की सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि विधान पूरी तरह से लचीला और प्रात्य-शक्तियुक्त हो जिससे कि वह तैजी से बदलती रहनेवाली

१. लन्दन का 'इकनोमिस्ट' (अक्तूबर १९३४) बतलाता है—
 "भविष्य के लिए सिद्धि राज का एक लाभ यह मालूम होता है कि पृथिवी के अनेक हिस्सों में घसनेवाले मूल निवासियों को हम सहृदयी ढर पर लकाशायर का माल खरीदने के लिए मजबूर कर सकेंगे।" सीलोन इसका सबसे अधिक ज्वलन्त और नया उदाहरण है।

अवस्था के अनुकूल हो सके। निर्णय जल्दी होना चाहिए, और हाथ में उन निर्णयों को अमल में लाने की शक्ति, भी होनी चाहिए। इनने पर भी, इसमें शक है कि पार्लेमेण्टरी प्रजातन्त्र, भी जैसा कि आजकल पश्चिम के कुछ देशों में चल रहा है, आधुनिक विश्व के सुचारु-संचालन के लिए अवश्यक परिवर्तन कर सकने में सफल हो सकेगा या नहीं, लेकिन वह प्रश्न हमारे यहाँ नहीं उठता, क्योंकि हमारी गति ह्यकडियो और बॅडियो से जान-बूझकर रोक दी गई है, और हमारे दरवाजे बन्द करके ताले लगा दिये गये हैं। हमे ऐसी मोटर देदी गई है, जिसमें सब जगह रोकने के लिए ब्रेक तो काफी लगे हुए हैं, लेकिन उसे चलानेवाला एंजिन नदारद है। मार्शल-लॉ—फौजी कानून ही जिनका आधार है, ऐसे लोगों का बनाया हुआ यह शासन-विधान है। शास्त्रबल में विश्वास रखने वाले के लिए मार्शल-लॉ—फौजी कानून—ही उसका असली सहारा है, उसके लिए उसके छोड़ने का अर्थ है अपना सर्वनाश।

इंग्लैण्ड के इस तोहफे से हिन्दुस्तान को किस हदतक आजादी मिली है, इसका पता इसी बात से चल सकता है कि नरम-से-नरम और राज-नैतिक दृष्टि से अत्यन्त पिछड़े हुए दलों तक ने इसे प्रगति-विरोधी बताकर इसकी तीव्र निन्दा की है। सरकार के पुराने और कट्टर हिमायतियों को भी इसकी आलोचना करनी पडी है, लेकिन उन्होंने की है अपने उसी सदा के खुशामदी ढग के साथ। दूसरे लोगों ने उग्ररूप से विरोध किया है।

नरम झलवालो का जो यह अटल विश्वास था कि भगवान ने हिन्दुस्तान को अंग्रेजों के मातहत करने में अपार बुद्धिमानी से काम लिया है, शासन-विधान की इन घाराओं ने उनके लिए उसपर उतना ही डटा रहना मुष्किल कर दिया है। उन्होंने तीव्र आलोचना की, लेकिन असलियत की अवहेलना करके और नुन्दर शब्दों और लुभावने हाव-भावों से, उसमें इमी बात पर सबसे अधिक जोर दिया कि रिपोर्ट और विल,

दोना में, 'डोमीनियन स्टेड्म' (औगनिवेशिक स्वराज) शब्द गायब है। इस मन्बन्व मे, उनकी तरफ से, बडा वावैला मचा था और अब क्योंकि सग सँमुअल होर ने इम विषय मे एक वक्नव्य प्रकाशित कर दिया है, बहुत हदतक उसमे उनके आत्म-सम्मान की रक्षा हो जायगी। सम्भव है, औगनिवेशिक स्वराज अज्ञात भविष्य के गर्भ में वास करनेवाली एक झूठी छायामात्र होगी—एक असम्भव से भी असम्भव जगह, जहाँ हम कभी पहुँच नहीं सकेगे। हाँ, उसके सपने देख सकते हैं और उसकी अनेक सुन्दरताओ का ओजमय वर्णन कर सकते हैं। शायद ब्रिटिश पार्लमेण्ट के प्रति मन में पैदा हुए सन्देहो से परेशान होकर सर तेजवहादुर सप्रू ने अब सम्राट् की धरण ली है। क्योंकि वह एक अत्यन्त सुयोग्य और कुशल कानूनवा है उन्होने एक नया ही वैधानिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया है। वह कहते हैं—“ब्रिटिश पार्लमेण्ट और ब्रिटिश जनता भारत के लिए कुछ करे या न करे, इन दोनो के ऊपर सम्राट है जो कि भारतीय प्रजा का सदा हितचिन्तन और शान्ति और समृद्धि की आकाक्षा किया करते हैं।” यह ऐसा सुखव सिद्धान्त है, जो हमें शासन-विधान, कानून और राजनैतिक और सामाजिक क्रान्तियो की झझटो में पडने से बचाता है।

लेकिन यह कहना भी ठीक नहीं होगा कि नरम दलवालो ने शासन-विधान का विरोध कम कर दिया है। उनमें से अधिकांश ने यह विलकुल स्पष्ट कर दिया है कि वे मौजूदा हालतो को, बुरी होने पर भी, पसन्द करते हैं, बनिस्वत उम बिन-मागे तोहफे के जो कि हिन्दुस्तान के सर पर सबरदस्ती लादा जा रहा है। लेकिन इस बात को कहते रहने के सिवा, खुद उनके मिद्धान्त उन्हे आगे बढकर कुछ करने से रोकते हैं, और यह कहा जा सकता है कि वे उक्त बातो पर जोर देते रहेंगे। एक पुरानी

१ लखनऊ की, २९ जनवरी १९३५ को एक सार्वजनिक सभा में दिये हुए एक भाषण से।

कहावत, वर्तमान समय के अनुकूल तबदील कर दी जाने पर, उनके मोटो का अच्छा काम दे सकती है और वह है—“अगर एक बार कामयाबी न मिले, तो फिर चिल्लाओ ।”

लिवरल नेताओ और कितने ही दूसरे लोगो ने, जिनमे कि कुछ काँग्रेसवाले भी शामिल है, इंग्लैण्ड मे मजदूर-दल की विजय और मजदूर सरकार की स्थापना पर कुछ आशा बाँध रखी है । निस्सन्देह कोई वजह नही है कि हिन्दुस्तान ब्रिटेन के प्रगतिशील दलो के सहयोग से आगे बढ़ने का प्रयत्न क्यों न करें, अथवा मजदूर सरकार के आगमन से लाभ क्यों न उठावे । लेकिन इंग्लैण्ड के भाग्यचक्र के परिवर्तन पर ही विलकुल निर्भर रहना न तो सम्मान की बात है, न राष्ट्रीय गौरव के ही किसी तरह अनुकूल है । और यह कोई अच्छी बुद्धिमानी की बात भी नही है । ब्रिटिश मजदूर दल से हम इतनी ज्यादा आशा क्यों रखें ? हम अभी दो बार मजदूर दल की सरकार देख चुके है, और उसके समय हिन्दुस्तान को जो तोहफे मिले है, उन्हें हम भूल नही सकते । श्री रेमजे मेकडानलड भले ही मजदूर-दल से अलग हो गये हो, लेकिन उनके पुराने साथियो में भी कोई ज्यादा परिवर्तन हुआ दिखाई नही देता । सन् १९३० के अक्टूबर में साउथपोर्ट मे होनेवाली मजदूर दल-कान्फेन्स में श्री वी० के० कृष्ण मेनन ने यह प्रस्ताव रखा था—“इस कान्फेन्स का यह विश्वास है कि यह बहुत-ही जरूरी है कि हिन्दुस्तान में पूर्ण स्वराज की स्थापना के लिए स्वभाग्य-निर्णय का सिद्धान्त तुरन्त कार्य में परिणत किया जाय ।” श्री आर्थर हेण्डर्सन ने इस प्रस्ताव को वापस

१. “Try again”(ट्राई अगेन) अर्थात् फिर प्रयत्न करो, यह अंग्रेजी की कहावत है, किन्तु लेखक का व्यंग है कि इनके लिए ट्राई के बदले क्राई करके “Cry again” अर्थात् “फिर चिल्लाओ” की कहावत अधिक मौजू है । —अनु०

ले लेने के लिए बड़ा जोर दिया और कार्यकारिणी की ओर से अपनी मजबूत-निर्णय की नीति को भारत के लिए उपयोग में लाने का आश्वासन देने में साफ इन्कार कर दिया। उन्होंने कहा—“हम यह बात बहुत ही साफ तौर से बता चुके हैं कि सम्भव हुआ तो हम हिन्दुस्तान के सब सङ्घानों से सलाह करेंगे। इस बात से सबका समाधान हो जाना चाहिए।” लेकिन लोगों का यह सन्तोष इस तथ्य को सामने रखने से बाधित बम हो जायगा कि पिछले मजदूर सरकार और राष्ट्रीय सरकार की भी यही उद्घोषित नीति थी, जिसका परिणाम था राउण्ड टेबल कान्फ्रेंस, व्हाइट-पेपर, जॉइन्ट पार्लियामेण्टरी कमिटी की रिपोर्ट और नया इण्डिया-एक्ट।

यह बिलकुल स्पष्ट है कि साम्राज्य की नीति के मामलों में इंग्लैण्ड के अनुदार और मजदूर-दल में बहुत कम फर्क है। यह सच है कि सर्व-साधारण मजदूर-वर्ग कहीं अधिक आगे बढ़ा हुआ है, लेकिन अपने अनुदार नेताओं पर उनका असर बहुत ही कम है। यह ही सकता है कि मजदूर के उग्र विचारवाले दक्षिणमध्य हो जायें, क्योंकि आजकल परिस्थितियाँ बड़ी तेजी बदल रही हैं, लेकिन क्या विधायक के नीति-परिवर्तन के द्वारा हमें भारतीय राष्ट्रीय और सामाजिक प्रगतियाँ अपना प्रवाह बदल दें और मो जायें ?

हमारे देश के विचारक दल और मिडिल मजदूर दल पर जिस तरह अंग्रेजों की चोटें हैं, उगता एक अजीब पहलू है। अगर, इसी फरक से, एक मजदूर दल उग्र विचार का वातावरण और इंग्लैण्ड में अपने समाज-कार्य-कारण की बातों में परिणत हो जाये, तो हिन्दुस्तान में और क्या परिणत हो पायेगा? और अगर हमें अपने देश पर अपनी क्या प्रतिनिधित्व होगी? हमारे देश के समाज-कार्य-कारण के लिए तो बहुत कुछ करना है। वे मजदूर दल के समाज-कार्य-कारण के लिए परिणत हो पायेंगे और

भारत में उनके प्रचलित किये जाने से डरेगे। यहाँतक सम्भव हो सकता है कि अगर सामाजिक क्रान्ति ब्रिटिश-सम्बन्ध का लक्षण हो जाय तो शायद इन लोगो की ब्रिटिश-भक्ति ममाप्त ही हो जाय। उम दशा में यह मुमकिन हो सकता है कि मुझे जैमे व्यक्ति जो राष्ट्रीय स्वतन्त्रता और ब्रिटेन से सम्बन्ध-विच्छेद के हामी हैं, अपने विचार बदल दें और ममाजवादी ब्रिटेन के साथ निकट भन्धन रखना पसन्द करने लगें। निस्सन्देह हममे किसीको भी ब्रिटिश जनता के साथ सहयोग करने में कोई आपत्ति नहीं है, यह उनका साम्राज्यवाद है, जिनके कि हम विरोधी हैं, साम्राज्यवाद को एक धारणी उन्होंने घता बताई नहीं कि सहयोग का मार्ग खुल जायगा। उस समय नरप दलवालो क्या होगा? शायद वे नई व्यवस्था को, ईप्वर की अगाध बुद्धि का दूसरा मकेत ममत्कर, स्वीकार कर लेंगे।

गोलमेस-कान्फ्रेंस की फार्वार्ड और मय धामन के विधान का एक खास नतीजा है देशी नरेशो को मैदान में बहूत जागे ला देना। उनमें और उनकी 'स्वतन्त्रता' के प्रति प्रदर्शित कट्टर अनुशासनिकियों की धुन-विन्नता ने उनमें एक नया जोग भर दिया है। एवमे पढ़े तभी उागी ज्ञाना महत्त्व नहीं दिया गया था। पढ़े उनकी मजा नहीं थी कि वे ब्रिटिश रेगिमेण्ट के मनेय माय नर को 'रगीतार' करके, मीन प्रमेन देगी नरेशों के प्रति भान्त-मनार का व्यवहार भी माय ही करेयन-पूर्ण था। उनमें भीतरी मामों में उमशती लीगी मरने, मी, लो कवन न्याय न्याय ही उमरई जागी थी। शाय मी विधिवत विचारों के मन्ना-दा एव शरणा में 'अपरा' दिवे हुन-के-मन्ना, मन्ना शरणा में मी

में भारतीय राजनैतिक क्षेत्रों की बाहरी घटनाओं को समझने की कोशिश की है, लेकिन मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि ये सब बातें कोई अमरी महत्त्व की नहीं हैं। और इन सबकी तरह मैं रहनेवाली भारत की स्थिति का ज़राल मुझे परेशान कर रहा है। असलियत यह है कि हर तन्त्र की स्वतंत्रता का दमन हो रहा है, सब जगह घोर कष्ट और निराशा फैली हुई है, सम्भावना दूषित की जा रही है, और अनेक प्रकार की हीन वृत्तियों को प्रोत्साहन मिल रहा है। बहुत बड़ी सख्या में लोग जेलों में पड़े या अल्प आयु यौवन नष्ट कर रहे हैं और बरसों से अपने ज़िगर का जून पी रहे हैं। उनके परिवार, मित्र और सम्बन्धी और हज़ारों दूसरे लोगों में कटुता बढ़ती जा रही है और नगो-पाशविकता के सामने अपनी

१ होम सेक्टर सर हेरो हेग ने २३ जुलाई १९३४ को बड़ी धारा-सभा में जेलों और स्पेशल कैम्पो में बन्द नज़रबन्दों की संख्या इस प्रकार बतलाई थी—बंगाल में १५०० और १६०० के बीच, देवली में ५००, कुल २००० और २१०० के बीच। यह संख्या तो नज़रबन्दों की है, जिन पर न तो मुकदमा चलाया गया न सजा दी गई। इसमें दूसरे राजनैतिक फ़ौदों शामिल नहीं हैं। जिन लोगों को सजा दी गई है, आमतौर पर उनकी सजा बहुत अधिक है। एमोशिएटेड प्रेस के १७ दिसम्बर (१९३४) कथनानुसार कलकत्ता के हाल के एक मामले में हाईकोर्ट ने बिना लाइसेन्स हथियार और कारतूस रखने के अपराध में ९ वर्षों की कड़ी क़द की सजा दी थी। अनियुक्त के पास एक रिवाल्वर और छ कारतूस निकले थे।

दूसरे दिनों (१९३५ के निम्नलिखित पन्नाहों में) नागरिक स्वतन्त्रता का दारुण करने वाले कड़े क़ानूनों की मियाद और बढ़ा दी गई। इनमें से प्रमुख विभिन्न भागों में अनेक्टमेंट एक्ट—मारे हिन्दुस्तान में लागू कर दिया गया है। अनेक्टमेंट ने इन क़ानून को ठूँस दिया था; लेकिन बाद में क़ानूनगार ने अपने विरोधाभास में इसे जायज़ कर दिया। दूसरे प्रांतों में भी ऐसे ही क़ानून बनाने लगे हैं।

जलालत और बेवसी की कुत्सित-भावना ने उन्हें घेर लिया है। साधारण समय में भी अनेक सस्याये गैरकानूनी करार दे दी गई हैं और 'सकट काल के अधिकार' (इमर्जेन्सी पावर्स) और 'शान्ति रक्षा-विधान' (ट्रिक्विलिटी एक्ट्स) सरकारी शस्त्रागार में करीब-करीब स्थायीरूप से शामिल कर लिये गये हैं। स्वाधीनता पर प्रतिबन्ध लगाने के अपवाद दिन-दिन साधारण नियम से बनते जा रहे हैं। बहुसङ्ख्यक पुस्तके और पत्रिकायें या तो खूब की जा रही है या 'सी कस्टम्स एक्ट' के मातहत उनकी प्रवेशबन्दी की जा रही है और 'भयकर' साहित्य रखने के अपराध में लम्बी-लम्बी सजाये दी जाती हैं। किसी राजनैतिक या आर्थिक प्रश्न पर निर्भीक सम्मति देना अथवा रूप की वर्तमान सामाजिक या सांस्कृतिक स्थिति की प्रशंसात्मक रिपोर्टें सेसर की प्रबल नापसन्दी का शिकार होनी है। 'माडर्न रिव्यू' को बगल सरकार की ओर से महज इमी बात पर चेतावनी दे दी गई है कि उसने श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर का रूस-सम्बन्धी लेख छपा था, वह लेख जो उन्होंने स्वयं रूस जाकर आने के बाद लिखा था। भारत के उपमन्त्री इस पर पार्लमेंट में फरमाते हैं कि—“उस लेख में, भारत में ब्रिटिश राज्य की नियामतो का विकृतरूप दिखाया गया था” इसलिए उसके खिलाफ कार्रवाई की गई थी।^१ इन नियमतो के निर्णायक सेन्सर महोदय होते हैं, और हम उनके विरुद्ध मन नहीं रख सकते या जाहिर नहीं कर सकते। डब्लिन की सोसाइटी ऑफ फ्रेण्डस् के नाम भेजे गये श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर के सक्षिप्त वक्तव्य के प्रकाशन तक पर आपत्ति की गई थी। केवल मास्कृतिक विषयो में रुचि रखने, और जान-बूझकर अपने को राजनीति से अलग रखनेवाले और न केवल हिन्दुस्तान बल्कि समस्त ससार में सम्मानित और विख्यात श्री रवीन्द्र जैसे सन्त कवि तक को जब इस तरह दबाया जाता है, तब विचारे अस-

हाय जन-साधारण का तो कहना ही क्या ? सरकार ने आतक का जो वातावरण बना रखा है वह तो दमन के इन वास्तविक नमूनों से भी कहीं ज्यादा बढ़तर है। निष्पक्ष पत्र-सञ्चालन ऐसी परिस्थिति में असम्भव है, न इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीति या मौजूदा समस्याओं का ही ठीक ठीक अध्ययन हो सकता है। सुधार, उत्तरदायी शासन और ऐसी ही बातों की शुरुआत करने के लिए यह एक बड़ा विचित्र वातावरण बनाया गया है। ✓

हरेक समझदार आदमी जानता है कि ससार इस समय एक विचार क्रान्ति के मध्य में है, और हमेशा मौजूदा परिस्थितियों के प्रति, अस्पष्ट या स्पष्ट रूप से अनुभूत घोर असन्तोष फल रहा है। हमारे देखते-ही-देखते बड़े महत्त्व के परिवर्तन हो रहे हैं, और भविष्य, चाहे उसका रूप कुछ ही हो, बहुत दूर नहीं है—वह कोई ऐसी दूर की चीज नहीं है, जो मस्तिष्क में निरी आस्थनीय दिलचस्पी पैदा करता हो। यह एक ऐसी वस्तु है, जिसका प्रत्येक व्यक्ति के हित अथवा अहित से सम्बन्ध होगा, इसलिए निश्चय ही प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि आज जो विभिन्न शक्तियाँ काम कर रही हैं उन्हें वह समझे और अपना कर्तव्य-पथ निश्चित करे, पुरानी दुनिया खत्म होने जा रही है और एक नये ससार का निर्माण हो रहा है। किसी समस्या का जवाब ढूँढने के लिए यह जरूरी

१. ४ सितम्बर १९३५ को असेम्बली में हिन्दुस्तान में प्रेस-एक्ट के प्रयोग के सम्बन्ध में एक सरकारी वक्तव्य दिया गया था। उसमें बताया गया था कि सन १९३० के बाद ५१४ समाचार पत्रों पर अमानत और जप्ती आदि का प्रयोग हुआ था। इनमें से २४८ पत्र बन्द कर देने पड़े, क्योंकि वे और अधिक अमानत की रकम की व्यवस्था न कर सके; बाकी के १६६ पत्रों ने अमानत दे दी, जो २, ५२,८५३ रुपये की रकम थी।

है कि पहले यह जान लिया जाय कि वह है क्या । निस्सन्देह समस्या का समझना उतना ही महत्त्व रखता है, जितना कि उसका हल निकालना ।

अफसोस है कि हमारे राजनीतिज्ञ दुनिया की समस्याओं से आश्चर्यजनक रूप से नावाकफिफ हैं, या उनके प्रति उदासीन हैं । सम्भवत यह अज्ञान अधिकांश सरकारी अफसरो तक बढा हुआ है, क्योंकि सिविल-सर्विस वाले बड़े बड़े से और सन्तोष के साथ अपने ही छोटे-से सकुचित दायरे में रहना पसन्द करते हैं । केवल सर्वोच्च अधिकारियों को ही इन समस्याओं पर विचार करना पड़ता है । ब्रिटिश सरकार को तो अवश्य ही लिखी हुई घटनाओं का ध्यान रखना पडता है और उन्हीके अनुसार अपनी नीति निर्धारित करनी पडती है । यह दुनिया जानती है कि ब्रिटिश वैदेशिक नीति पर हिन्दुस्तान के आधिपत्य और उसकी रक्षा का बहुत बडा प्रभाव रहता है । भला कितने भारतीय राजनीतिज्ञ यह विचारने की तकलीफ गवारा करते हैं कि जापान के साम्राज्यवाद, या रूस के सोवियट-सघ की बढती हुई ताकत, या स्यागकियाग में होनेवाले ब्रिटिश-रूस-जापानी पड्यन्त्र अथवा मध्य-एशिया या अफगानिस्तान या फारस की घटनाओं का हिन्दुस्तान की राजनैतिक समस्या के साथ अत्यन्त गहरा सम्बन्ध है ? मध्य-एशिया की स्थिति का प्रत्यक्ष परिणाम कश्मीर पर पडता है, इसलिए वह ब्रिटिश सरकार की साधारण और रक्षण-नीति का आधारस्तम्भ बन गई है ।

किन्तु इससे भी अधिक महत्त्व के हैं वे आर्थिक परिवर्तन, जो आज सारे नसार में हो रहे हैं । हमें जान लेना चाहिए कि उन्नीसवीं सदी का तीर-तरीका गुडर चुका है और वर्तमान आवरणकाले इसके जरिये पूरी नहीं की जा सकती । बकीरों का नजारे दे-देकर गुम् करने का तरीका, हिन्दुस्तान में इतना अधिक प्रचलित है, जो अब, जब कि यहाँ नजारे नहीं रहते हैं कुछ काम का नहीं रहा । ब्रजग, उं को नेड

की पटरी पर रखकर उसे रेलगाड़ी नहीं कहा जा सकता। इसको ना अमली समझकर छोड़ देना होगा, और इसका स्थान दूसरे को देना होगा। रूस के सिवा भी 'नवीन-योजनाओं' और महान् परिवर्तनों की चर्चा हो रही है। सब प्रकार से पूँजीवादी प्रणाली को कायम रखने और मजबूत करने की दिली इच्छा से प्रेसीडेण्ट रूजवेल्ट ने अत्यन्त माहमपूर्वक ऐसी योजनायें प्रचलित की हैं, जिसमें अमेरिका का सारा जीवन ही बदल सकता है। उसने "अत्यधिक विशिष्ट अधिकार-प्राप्त वर्ग को उखाड़ फेंकने और पददलित निम्न वर्ग को सक्रिय रूप से उन्नत बनाने की" घोषणा की है। वह सफल हो या न हो, यह बात दूसरी है, लेकिन उस व्यक्ति का साहस और अपने देश को पुरानी लीक से बाहर खींच निकालने की उसकी महत्त्वकांक्षा अवर्णनीय है। अपनी नीति बदलने या अपनी भूलों को स्वीकार करने में भी वह नहीं हिचकिचाता। इंग्लैण्ड में श्री लॉयड जॉर्ज अपना 'न्यू डील' (नई योजना) लेकर सामने आये हैं। इन्हें भारत में भी अनेक नई योजनायें चाहते हैं। यह पुरानी धारणा कि "जो कुछ जानने योग्य है, वह सब जान लिया गया है, और जो कुछ करने योग्य है, वह सब कुछ किया जा चुका है" एक भयकर ज़ेवकूपी है।

हमें बहुत-सी समस्याओं का सामना करना है और वह हमें चहादुरी के साथ करना चाहिए। क्या आज की सामाजिक और आर्थिक प्रणाली को जिन्दा रहने का कोई अधिकार है जब कि वह जन-साधारण की अवस्था को अधिकतर उन्नत करने में असमर्थ है? क्या कोई दूसरी प्रणाली इस प्रकार व्यापक प्रगति का आश्वासन देती है? केवल राज-नैतिक परिवर्तन से किस हद तक क्रान्तिकारी प्रगति हो सकती है? अगर किसी प्रमुख आवश्यक परिवर्तन के रास्ते में स्थापित स्वार्थवाले बाधक हों तो क्या यह बुद्धिमानी और नैतिकता होती कि जन-समूह की दुःख-दरिद्रता की कीमत पर उनको कायम रखने का

प्रयत्न किया जाय ? अवश्य ही उद्देश्य स्थापित स्वार्थों को आघात पहुँचाना नहीं है, वरन उनको दूसरे लोगो पर आधार करने से रोकना है। यदि इन स्थापित स्वार्थों से समझौता हो सकना मुमकिन हो सकता हो, तो वह कर लेना अत्यन्त वाञ्छनीय होगा। लोग भले ही इसके भलाई-बुराई के सम्बन्ध में मतभेद रखें, लेकिन समझौते की सामाजिक उपयोगिता में बहुत कम सन्देह होगा। साफ है कि यह समझौता इस प्रकार नहीं हो सकता कि एक नया स्थापित स्वार्थ कायम करके दूसरे स्थापित हित को हटाया जाय। जब कभी भी मुमकिन और जरूरी हो, समझौते के लिए उपयुक्त मुआवजा दिया जा सकता है, क्योंकि झगड़े में अधिक हानि होने की सम्भावना है। मगर, अफसोस है, कि सारा इतिहास यह बताता है कि स्थापित हितवाले ऐसे समझौते स्वीकार नहीं करते। वे वर्ग, जो कि समाज के प्रमुख अंग नहीं रह गये हैं, काफी विवेकशून्य होते हैं। वे सब कुछ या न कुछ के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा देते हैं और इस तरह अपना अन्त कर लेते हैं।

ज्वन्ती आदि के सम्बन्ध में बहुत-सी 'असम्बद्ध चर्चा' (जैसाकि कांग्रेस कार्य-समिति ने अपने एक प्रस्ताव में कहा था) हो रही है। लेकिन ज्वन्ती—मुस्तकिल और निरन्तर ज्वन्ती, तो मौजूदा प्रणाली का आधार है, और इसका अन्त करने के लिए ही सामाजिक क्रान्ति की बात कही जा रही है। हर रोज मजदूरों के गाँव पानी की कमाई ज्वन की जा रही है, और इस हवनक लगान और मालगुजारी बढ़ाकर कि किमान उनके अंदा करने में असमर्थ हो जायें, उनकी जोत ज्वन करली जाती है। पहले कुछ व्यक्तियों ने नार्वेजिक भूमि पर क्रुद्धा कर लिया और उनमें बड़ी-बड़ी जमींदारियाँ बनाली, इस तरह भू-स्वामी किमान भी उखाड़ फेंके गये। मार्गश यह कि ज्वन्ती ही मौजूदा प्रणाली का आधार है वही उसका प्राण है।

रानो कुछ हद तक सुधारने के लिए समाज कुछ सामयिक उपाय काम भोगता है, जो स्वयं ही जवनी के रूपक है, जैसे भारी टैंक, विरसन-कर, कर्ज से छुटकारा दिलाने का कानून, मुद्रा-वृद्धि आदि। हाल ही में हमने राष्ट्रों को अपरिमित कर्ज की अदायगी से इन्कार करने देखा है, केवल रूस का सोवियट सभ ही नहीं, वरन अग्रणी पूंजीपति राष्ट्र तक इन्कार कर गये हैं। सबसे अधिक उज्ज्वल उदाहरण ब्रिटिश सरकार का है, जिसने समुक्त राष्ट्र अमेरिका का कर्ज अदा करने से इन्कार कर दिया है—खुद अग्रेषो द्वारा हिन्दुस्तान के सामने रखा गया एक भयकर उदाहरण। लेकिन इन सब जक्तियों से और कर्जों को इस तरह रद्द कर देने से, सिर्फ कुछ हद तक ही मदद मिलती है, आधारभूत कारणों से छुटकारा नहीं मिलता। नये निर्माण के लिए तो जब पर कुठाराघात करना होगा।

मीजूदा हालत बदलने का उपाय निश्चित करते समय हमें भौतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से उसकी उपयोगिता का अन्दाजा करना होगा। बहुत मकुचित दृष्टि बनाये रखने से हमारा काम चल नहीं सकता—हमें दूरदर्शी बनना होगा। हमें देखना होगा कि इस परिवर्तन से, भौतिक और आध्यात्मिक दृष्टियों में मनुष्य को सुख-समृद्धि की वृद्धि में कर्हातक सहायता मिलेगी। लेकिन हमें इस बात का भी सदा ध्यान रखना होगा कि मीजूदा व्यवस्था को न बदलकर, हमारे निराशामय और कुत्सित भुख-मरी और गरीबी और अध्यात्मिक तथा नैतिक-पतन के गहन भार सहित उसे ज्यों-ना-ज्यों चलने रहने देने के लिए, हमें कितनी जबरदस्त कीमत चुानी पटनी है। ठेकेगा बहनेवाली प्रथम की बाढ की तरह वर्तमान आदिम व्यवस्था अगणित मानव प्राणियों लगानार कुचलनी हुई तवाही की जोग दिने जा रही है। हम उस जठ-प्रलयकारी बाढ की रोक नहीं माने या हमें मे उउ जंग बाल्टी में पानी उलीच-नलीचकर हन

प्राणियों को बचा नहीं सकते। बांध बनवाने होंगे, नहरे निकालनी होंगी, जल की नाशक शक्ति को बदलना और मनुष्य की भलाई के लिए उसका प्रयोग करना होगा।

यह साफ है कि समाजवाद जो महान् परिवर्तन लाना चाहता है, वह कुछ कानूनों के सहसा पास कर लेने मात्र से नहीं हो सकता। लेकिन और आगे बढ़ने और इमारत की नींव रखने के लिए कानून बनाने की मूल सत्ता का हाथ में होना जरूरी है। अगर समाजवादी समाज का महान् निर्माण करना है, तब तो वह न तो भाग्य के भरोसे पर छोड़ा जा सकता है, न रुक-रुककर, जितना कुछ बनाया गया है उसे तोड़ने का अवसर देते हुए, काम करने से वह पूरा हो सकता है। इस तरह प्रमुख रुकावटों को हटाना होगा। हमारा उद्देश्य किनी को वञ्चित करना नहीं, बरन सम्पन्न करना है, वर्तमान दरिद्रता को सम्पन्नता में बदल देना है। लेकिन ऐसा करने के लिए रास्ते में से सब रुकावटों और स्वार्थों को, जोकि समाज को पीछे रखना चाहते हैं, जरूर ही हटाना होगा। और जो रास्ता हम अस्तित्थार कर रहे हैं, वह सिर्फ इस प्रश्न पर निर्भर नहीं है कि हम क्या पसन्द करते हैं या क्या पसन्द नहीं करने, अथवा न केवल मैथानिक न्याय पर ही, बरन इम बात पर निर्भर होगा कि वह आर्थिक दृष्टि में ठीक हो, उन्नति की तरफ ले जा सकने योग्य हो और जिससे ज्यादा-से-ज्यादा जन-समाज का कल्याण हो सके।

हिमो अधया म्यार्थों का मरण अनिवार्य है। कोई बीच का रास्ता नहीं है। हममें ने हरेक को अपना रास्ता चुनना होगा। लेकिन चुनने में पहले हमें उसे जानना होगा, समझना होगा। समाजवाद की नाब-संगमय अरीत में याम नरी चन्गा। हमने नाथ-नाथ प्राणां और नदी में पुष्ट आगोपना म्दिये और मुनिमुन नरुबीनी विवेचन भी नदी में आगिए। विवेचन में तो हम तात् का मारिन्ध दृष्टान्त में नोदू

है, लेकिन भारत में उसका भयकर अभाव है, और बहुत-सी अच्छी-अच्छी किनावो का यहाँ आना रोक दिया गया है। लेकिन विदेशों की पुस्तकों का पढ़ना ही काफी नहीं है। अगर भारत में समाजवाद का निर्माण होना है, तो वह भारतीय अवस्थाओं के आधार पर ही होगा और इसके लिए उनका जागृकी से अध्ययन होना आवश्यक है। हमें इसके लिए ऐसे विशेषज्ञों की जरूरत है, जो गहरे अध्ययन के बाद एक सर्वांगीण योजना तैयार कर सकें। बदकिस्मती से हमारे विशेषज्ञ अधिकार में सरकारी नौकरियों में या अर्द्ध सरकारी यूनिवर्सिटियों में फँसे हुए हैं, और वे इस दशा में आगे बढ़ने का साहस नहीं कर सकते।

समाजवाद की स्थापना करने के लिए केवल बौद्धिक वातावरण ही काफी नहीं है। दूसरी शक्तियाँ भी आवश्यक हैं। लेकिन मैं यह धरुन महसूस करता हूँ कि बिना उस आधार के किसी हालत में भी हम विषय का मर्म नहीं समझ सकते, और न कोई जोरदार हलचल ही पैदा कर सकते हैं। इस क्षण तो खेती की समस्या हिन्दुस्तान की सबसे अधिक महत्त्व की समस्या है, और शायद भविष्य में भी ऐसी ही रहे। किन्तु औद्योगिक समस्या भी कम महत्त्व की नहीं है और वह बढ़ती ही जा रही है। हमारा लक्ष्य क्या है—कृषि-प्रधान राष्ट्र या उद्योग-प्रधान राष्ट्र? अवश्य ही, मुख्यतः तो हमें कृषि-प्रधान ही रहना होगा लेकिन उद्योग की ओर भी आगे बढ़ा जा सकता है, और मैं समझता हूँ, अवश्य बढ़ना चाहिए।

हमारे उद्योग-बन्धों के मालिक लोग अपने विचारों में आश्चर्यजनक रूप से पिछड़े हुए हैं, वे आधुनिक दुनिया के 'अप-टू-डेट' पूँजीपति भी नहीं हैं। भारतीय लोग इतने निर्दल हैं कि वे उनको पक्का ग्राहक नहीं मानते, और मजदूरी की वृद्धि और काम के घण्टों की कमी करने की किसी भी मांग का वे जबरदस्त विरोध करते हैं। इन्हीं दिनों कपड़े की

मिलो में काम का समय दस घण्टे से घटाकर नौ घण्टे कर दिया गया है। इस पर अहमदाबाद के मिल मालिकों ने मजदूरों की—फुटकरिये मजदूरों तक की मजदूरी घटा दी है। इसतरह काम के घण्टों की कमी का अर्थ हुआ वंचारे मजदूर की आयवनी की कमी और उसके जीवन के रहन-सहन का और भी नीचा स्टेण्डर्ड। लेकिन रेगनलाइजेशन (अर्थात् औद्योगिक एकीकरण) मजदूर की उचित मजदूरी बढ़ाये बिना ही, उसपर काम का भार और उसकी थकान बढ़ाता हुआ, तेजी से बढ़ता जा रहा है। सब उद्योगवादियों का दृष्टिकोण उन्नीसवीं सदी के शुरू जमाने का-सा है। जब मौका आता है, वे अनाप-शाप लाभ उठाते हैं, और मजदूर वैसे-का-वैसा बना रहता है; लेकिन अगर कोई आफत आजाती है, तो मालिक लोग यह शिकायत करने लगते हैं कि मजदूरी घटाये बिना काम नहीं चल सकता। उनको सरकार की तो मदद ही है, हमारे मध्यम-श्रेणी के राजनीतिज्ञों की सहानुभूति भी आमतौर पर उन्हीं की ओर है। इतने पर भी अहमदाबाद में सूती मिलों के मजदूरों की अवस्था कहीं अधिक अच्छी है जनिस्वत बम्बई या दूसरी जगह के। आमतौर पर सभी सूती मिल मजदूरों की हालत बगाल के जूट मिलों के और कोयले की खानों के मजदूरों से अच्छी है। छोटे-छोटे, अमगठिन उद्योग-धंधों के मजदूर औद्योगिक परिमाण में सबसे नीचे दर्जे के हैं। कपड़े और जूट के करोड़-पति मालिकों के गणनचुम्बी प्रमादों और विलानी-जीवन और गान-गाँकन की अगर अध-नगे मजदूरों के रहने की काज-कोठरियों ने तुलना की जाय तो उनसे गहरी क्षिप्ता मिल सकती है। लेकिन हम उम अन्दर तो स्वाभाविक भाव लेते हैं और उनमें निनी प्रगर विचिन्ता या प्रभारित हुए बिना उसकी उपेक्षा कर देते हैं।

१. उत्पादकों, मजदूरों आदि के सहयोग में उद्योग की दृष्टि से उन्नतता जिसमें उत्पत्ति और विप्रेषण का अनुमान पायम रहता है। —५७०

विमान के मजदूर-वर्ग की हालत इतनी खराब है, लेकिन आर्थिक दृष्टि में नए विमान-समुदाय की हालत से कहीं अच्छी है। किसान-समुदाय को एक लाभ जरूर है, वह यह कि वह खुली हवा में रहता है जो मन्दी यस्तियों के पतित जीवन से बच जाता है। लेकिन उसकी तरफ हमनी गिर गये हैं कि, वह अक्सर अपने स्वच्छ वायुमण्डल वाले गाँवों में, गाँधीजी के शब्दों में, गोबर का ढेर बना डालता है। उसमें नए लोग या मित्रों सामाजिक हित का काम करने की भावना ही नहीं होती। हमने फिर उसकी निन्दा करना आसान है, लेकिन वह बेचारा क्यों तो गया, जबकि जीवन खुद ही इसके लिए एक अत्यन्त कटु धोरण लगाने पर व्यक्तित्वन सघर्ष का विषय बन गया है और हर एक आरम्भ में प्रहार करने के लिए हाथ उठाये लडा है ? किस तरह वह अपनी जिन्दगी जिता रटा है, यही अत्यन्त आश्चर्य की बात है। देखा गया है कि मन् १९०८-२९ में पञ्जाब के ठेठ किसान की औमत आमदनी तो जाना थी। लेकिन १९३०-३१ में वह गिर कर तीन पैसे प्रति व्यक्ति हो गई। पञ्जाब के विमान मुम्बई, विहार और बंगाल के किसानों की श्रेणियाँ नहीं अतिरिक्त माने जाते हैं। मुम्बई के कुछ पूर्वी विभाग (गोवर्णमन्ट) में, मन्दी आने से पहले मन्दि के दिनों में मन्दिनी ही जाना होता था। मन्दि-श्रेणियों में मन्दिनी प्रयत्नों द्वारा मन्दिनी श्रेणियों में जाना करने की बातें करना बेचारे विमान श्रेणियों में देखनी ही श्रेणियों में जाना ?।

सा मालूम होता है। आगामी वर्षों में भारत क्या रूख अस्तित्व करेगा ? समाजवाद और फेसिज्म इस युग की प्रधान वृत्तियाँ मालूम होती हैं, और मध्यममार्ग तथा ढिलमिल-यकीन समुदाय लुप्त होते जा रहे हैं। सर मालकम हेली ने भविष्यवाणी की थी कि हिन्दुस्तान राष्ट्रीय-समाजवाद को ग्रहण करेगा जो एक प्रकार का फेसिज्म ही है। निकट भविष्य के लिहाज से तो शायद उनका कहना ठीक ही है। देश के नवयुवक और युवतियों में फेसिस्ट भावना साफ प्रकट है—खासकर बंगाल में और किसी हद तक दूसरे प्रान्तों में भी, और कांग्रेस में भी उसकी झलक बाने लगी है। फेसिज्म का सम्बन्ध उग्र रूप की हिंसा से होने के कारण कांग्रेस के बड़ेबूढ़े, जिन्होंने अहिंसा का व्रत ले रखा है, स्वभावत ही उससे डरते हैं। लेकिन फेसिज्म का, कांफरेट स्टेट का, यह कथित सार्विक आधार कि व्यक्तिगत सम्पत्ति कायम रहे और स्थापित स्वार्थों का लोप न होकर राज्य का उनपर नियन्त्रण रहे, शायद उन्हें पसन्द आजायगा। शुरू में ही देखने पर यह तो बड़ा सुन्दर ढंग मालूम होता है, जिमसे कि पुराना तरीका बना भी रहे और नया भी मालूम हो। रोटी खा भी लो और उसे बनाये भी रखो, ये दोनो बातें एकसाथ मुमकिन भी हैं या नहीं, यह बात दूमरी है।

फेसिज्म को अगर सचमुच प्रोत्साहन मिला तो वह मिलेगा मध्यम-श्रेणी के नवयुवकों से। वस्तुतः इस समय हिन्दुस्तान में जो आन्दोलनारी हैं वह मध्यम-श्रेणी का ही भाग हैं, मजदूर या किसान-वर्ग का उनका नहीं, हालाँकि कल-बारखानों के मजदूर-वर्ग में इसकी शक्तना अधिक है। यह राष्ट्रवादी मध्यम-श्रेणी फेमिनिस्ट विचारों के प्रचार के लिए उपयुक्त क्षेत्र है। फ़िल्म जबतक विदेशी सरकार बनाई हुई है, दूर के रंग या फेमिज्म नहीं चले पाएँगे। भारतीय फेमिज्म भारतीय स्वतन्त्रता का अवसर ही हमी होगा, और अन्तिम दिग्दिग् साम्राज्य-

बाकिना ये वह अपने को मिया न सकेगा। इसे जन-साधारण से महायता लेनी पड़ेगी। यदि ब्रिटिश-मत्ता सर्वथा उठ जाय तो फौमिज्म बड़ी तेजी से बढ़ेगा, नौतिक मध्यमश्रेणी के उच्चवर्ग तथा स्थापित स्वार्थों से इसे सहायता अवश्य मिलेगी।

लेकिन ब्रिटिश सत्ता के शीघ्र उठ जाने की सम्भावना नहीं है, और इस बीच सरकार के उग्र दमन के बाद भी समाजवादी और कम्युनिस्ट विचारों का भी जोरो से प्रचार हो रहा है। भारत में कम्युनिस्ट पार्टी (साम्यवादी सस्था) गैर कानूनी करार दे दी गई है, और साम्यवादी शब्द का इनना लचीला अर्थ लगाया जाता है कि उससे सहानुभूति रखने वाले और बड़े-बड़े प्रोप्रायमवाले मजदूर सघों तक को शामिल कर लिया जाता है।

फ्रेडिज्म और साम्यवाद, इन दोनों में से मेरी सहानुभूति विलकुल साम्यवाद की ओर है। इस पुस्तक के इन्हीं पृष्ठों से मालूम हो जायगा कि मैं साम्यवादी होने से बहुत दूर हूँ। मेरे सस्कार शायद एक हृद तक अब भी उसीसबी सदी के हैं और मानववाद की उदार-परम्परा का मुझ पर इतना ज्यादा प्रभाव पड़ा है कि मैं उससे विलकुल बचकर निकल नहीं सकता। यह मध्यमवर्गीय सस्कार मेरे साथ लगे रहते हैं और इसलिए स्वभाव से ही बहुत-से साम्यवादी मिथों की खिजलाहट के कारण बने हुए हैं। कट्टरता को मैं नापसन्द करता हूँ, और कार्ल मार्क्स के लेख या और किसी दूसरी पुस्तक की ईश्वरीय वाक्य समझना, जिसको कि

१. मानववाद (Humanism) वह विचारधारा अथवा कार्य-पद्धति है जिसमें अधिक शैवी अथवा धार्मिक दृष्टिकोण से देखने की अपेक्षा मानवहित को अपना अपना मुख्य दृष्टिकोण माना जाता है। अर्थात् इस इस मत के अनुसार अनन्वय प्राणी के हितगृहित पर ही सब वस्तुओं की उपयोगिता-अनुपयोगिता नापी जानी चाहिए। —अनु०

बेलेज्ज न किया जा सके, और सैनिक अन्धानुकरण और स्वमत-विरोधियों के खिलाफ जिहाद, जो कि आज के साम्यवाद के प्रधान लक्षण से बन गये हैं, मुझे पसन्द नहीं है।

मूल्यों के सिद्धान्त (Theory of Value) या दूमरी किन्हीं बातों में मानस का विवेचन गलत हो सकता है, मैं उसका निर्णय करने के लिए उपयुक्त नहीं हूँ, फिर भी मैं समझता हूँ कि समाज-विज्ञान में उसकी एक असाधारण और अत्यन्त गहन गति थी और प्रत्यक्ष में इसका कारण यी वह वैज्ञानिक शैली जो उसने अस्तित्थार की थी। अगर इस शैली के अनुसार पूर्ण इतिहास या वर्तमान घटनाओं का अध्ययन किया जाय तो अन्य किसी भी प्राप्त शैली की अपेक्षा वह जल्दी हो सकेगा, और यही कारण है कि आधुनिक जगत् में होनेवाले परिवर्तनों का जो आलोच-नात्मक और शिक्षाप्रद विवेचन हो रहा है, वह मार्क्स-मतानुयायी लेखकों की ओर से ही हो रहा है। यह कहना आसान है कि मार्क्स ने, मध्यम-वर्ग में होनेवाली क्रान्तिकारी भावनाओं की जागृति, जो आज इतनी प्रत्यक्ष है, और ऐसी ही कुछ दूसरे प्रवृत्तियों की उपेक्षा की अथवा उनका महत्व आँका है। लेकिन मार्क्सवाद की सबसे बड़ी विशेषता जो मुझे मालूम होती है, वह है उसमें कट्टरता का अभाव होना, निश्चित दृष्टिकोण पर अग्रह रखना और उसको क्रियाशीलता। यह दृष्टिकोण हमें अपने समय के समाज-संगठन की समझने में सहायता कर सकता है और काम करने का तरीका और बाधाओं से बचने का उपाय बता सकता है।

लेकिन मायों का यह तरीका भी न्यायी कथना न बदल जा करने वाला नहीं है, बल्कि उगे स्थिति के अनुकूल बनाया जा सकता है। कम से कम मैंने ही मती राय थी और उसने घटनाएँ हई परिस्थितियों के अनुसार काम करके अतिशयपूर्वक इसे मादित भी कर दिया। यह

हमस कदता है कि "किन्हीं खास अवसर की वास्तविक परिस्थिति का, विकास की एक विशेष सीमा तक पहुँच जाने पर, विस्तृत रूप से विचार किये बिना किन्हीं सघर्ष के निश्चित साधनों के प्रश्न पर 'हाँ', या 'ना' कह देना मार्क्स-पद्धति का विलकुल उल्लंघन करना है।" उसने फिर कहा है—“दुनिया में कोई भी पूर्ण नहीं है, परिस्थितियों से हमें शिक्षा लेनी होगी।”

इस विस्तृत और व्यापक दृष्टिकोण के कारण ही एक सच्चा सम-सद्वार साम्यवादी वर्गव्यक्ति, एक हृद तक सामाजिक जीवन की सजीव भावना जगाता है। राजनीति उसके लिए तात्कालिक हानि-लाभ का लेखा या अघेरे में टटोलने की चीज नहीं रह जाती। जिन आदर्शों और लक्ष्यों को पूरा करने के लिए वह प्रयत्न करता है, वे उसके लिए परिश्रम और उसके प्रसन्नतापूर्वक किये हुए बलिदान को सार्थक और सफल बनाते हैं। वह समझता है कि वह उस महान् नेमा का एक अंग है जो मनुष्य-जाति का भाग्य और उसका भविष्य रचने के लिए आगे बढ़ रही है, और 'इतिहास के माथ कदम-ब-कदम चलने' की उसमें बुद्धि है।

शायद अधिकांश कम्युनिस्ट इन सब बातों को नहीं समझते। शायद लेनिन ही ऐसा मनुष्य था जो जीवन की इस सजीव भावना को पूरी तरह समझता था, जिनमें कि उसके प्रयत्नों को इतना कारगर बनाया फिर भी, कुछ हद तक, फरेक कम्युनिस्ट, जो उनके आन्दोलन के तत्त्व को समझ गता है, उन बातों को जानता है।

कम्युनिस्टों के माथ मद्र के साथ पेज आसकना बहुत मुश्किल है, उन्होंने हमारे को चिटाने देने का अजीब ढंग अस्त्रियार कर लिया है। लेनिन के भी बुरी तरह मतलब हुए आदर्शों हैं, और कम के नोस्ट्रियार के बाहर, उन्हे जनगिननों कठिनाइयों का मुझाविका करता पन्ना है। मैंने उनके मद्रान् गारम और बलिदान की धमि को हमेशा

सराहा है। करोड़ो अभागो की तरह वे भी अनेक प्रकार से बहुत मुसीबतें उठाते हैं, लेकिन किसी क्रूर और सर्वव्यक्तिसम्पन्न भाग्य में अन्ध-श्रद्धा रखकर नहीं। मर्दों की तरह वे मुसीबतों का सामना करते हैं, और उनके इस मुसीबत वरदास्त करने में एक करुण गौरव रहता है।

रूस के समाजवादी प्रयोगो की सफलता-असफलता का भावसँ के सिद्धान्तो पर कोई जाहिरा असर नहीं पडता। यह हो सकता है, हालाँकि इसकी अधिक सम्भावना नहीं है, कि प्रतिकूल परिस्थितियो या राष्ट्र-शक्तियो का झकट्टा हो जाना उन प्रयोगो को तहस-नहस कर डाले। लेकिन उस महान् सामाजिक उथल-पुथल का महत्त्व फिर भी बना ही रहेगा। वहाँ अधिकतर जो-कुछ भी हुआ, उसके प्रति मेरी स्वाभाविक अरुचि होते हुए भी मैं यह समझता हूँ कि वह ससार के लिए ज्यादा-से-ज्यादा आगा का सदेवा देता है। मुझे रूस का पूरा ज्ञान नहीं है, और न मैं अपने आगको उसके कार्यों का उपयुक्त निर्णायक ही समझता हूँ। मेरा अन्देगा तो यह है कि अत्यधिक हिंसा और दमन का वातावरण उनके पीछे कहीं ऐसी भयंकर लीक न छोड जाय, जिससे उनका पीछा छुडाना मुश्किल होजाय। लेकिन सबसे बडी बात जो रूस के वर्तमान भाग्य-विषयताओ के पक्ष में कही जा सकती है, वह यह है कि वे लोग अपनी भूलों से गिटा घटन करने से नहीं हिचकते; वे अपना कदम पीछे ले मरने हैं, और किन नये सिरे से धुरू कर सकते हैं। अपने आदर्ग को वे हमेशा अपने गमने रखते हैं। कम्यूनिस्ट इन्टरनेशनल—अन्तर्राष्ट्रीय साम्यवादी मण्डल—दूसरे देशो में उठाई गई उनकी प्रगतियाँ नितान्त जगजग की हैं, और अब तो वही प्रगतियाँ घटते-घटते कम-से-कम रूप में रह गई हैं।

उसने बढकर सम्प्रदायवाद का करना है। साम्प्रदायिकता की दृष्टि से हिन्दुस्तान एक गहरे अन्वकार में है। प्रभावशाली लोग निकम्मी बातों, साजिशों और हथकण्डों के फँलाने में यहाँ अपनी शक्ति बरबाद कर रहे हैं और इनमें एक-दूसरे को मान देने की कोशिश कर रहे हैं। उनमें से बिनले ही ऐसे होंगे जो दुनिया को ऊँचा उठाने और अधिक उज्ज्वल बनाने के प्रयत्न में दिम्बस्वी रहने हों। लेकिन शायद यह तो एक अभ्यायी हालत है, जो कि शीघ्र ही मिट जायगी।

कम-से-कम काँग्रेस इस साम्प्रदायिक अन्वकार से ज्यादातर दूर ही है, लेकिन उसका दृष्टिकोण निम्न वर्ग-जैसा है, और इसके, तथा दूसरी मसम्थाओं के लिए जो उपाय वह सोचती है, वे भी निम्न वर्ग-जैसी होंगे ही हैं। मगर इस ढंग से उसका मफल हो सकना मुमकिन नहीं मान्य होता। वह आज इस निम्न भयम-श्रेणी की प्रतिनिधि है, क्योंकि हम समय इसीकी आवाज बुलन्द है और यही सबसे अधिक शक्तिकारी है। लेकिन फिर भी वह इतनी ताकतवर नहीं है, जितनी कि वह दिखाई देती है। वह दोनों ओर—एक सबल और सुरक्षित और दूसरी अब भी कमजोर लेकिन बढ़ती हुई—दो शक्तियों से दबाई जा रही है। इस समय यह अपने अग्नित्व के खतरे में से गुजर रही है, भविष्य में उसका क्या होगा, यह वह मज्जा बटिन है। जबतक वह अपने महान् उद्देश, राष्ट्र की आजादी, की प्राप्ति को पूरा नहीं कर लेती, तबतक वह उन सुरक्षित शक्तियों की ओर जा नहीं सकती। लेकिन इसके पहले कि वह इसमें सफलता प्राप्त करे यह मुमकिन है कि दूसरी शक्तियाँ जोर पकड़ लें और उसे अपनी ओर खिंचने के लिए प्रभावित कर लें। या धीरे-धीरे उसकी शक्ति कम हो जाएगी, यह सम्भव मान्य होता है कि जबतक राष्ट्रीय शक्ति प्राप्ति तक शक्ति में प्राप्ति नहीं हो जाती, तबतक काँग्रेस एक मुदत तक जीवित रहेगी।

कोई भी हिंसाजनक प्रवृत्ति अनावश्यक, हानिकर और शक्ति की वरवादी मालूम होती है। मेरा खयाल है कि असफल और इक्की-दुक्की हिंसा के कुछ उदाहरणों के होते हुए भी हिन्दुस्तान ने आम तौर पर इस प्रवृत्ति की निरर्थकता को समझ लिया है। वह रास्ता हमें हिंसा और प्रतिहिंसा की निराश भूल-भुलैयाँ में डालने के सिवा, जिससे कि निकल सकना मुश्किल होगा, और कटी नहीं ले जा सकता।

हमसे अक्सर यह कहा जाता है कि हमको आपस में एक सूत्र में बँध जाना चाहिए और सबको 'मिलकर मुकाबिला' करना चाहिए। श्रीमती सरोजिनी नायडू अपनी सारी काव्यमयी भावुकता के साथ इसका चोरो से प्रचार करती हैं। वह कवीयत्री है, इसलिए प्रेम और एकता के महत्त्व पर जोर देने का उन्हें अधिकार है। इसमें शक नहीं कि 'सयुक्त मुकाबिला' हमेशा ही वाञ्छनीय वस्तु है, वशतँ कि वह मुकाबिला हो। इस वाक्य का विश्लेषण किया जाय तो उससे इसी नतीजे पर पहुँचते हैं कि जो कुछ चाहा जाता है वह है भिन्न-भिन्न वर्गों के चोटी के व्यक्तियों का पारस्परिक शतनामा या समझौता। ऐसे मजमूए का लाजिमी नतीजा यह होगा कि अत्यंत भकाशील और नरम लोग लक्ष्य का निर्णय और पथ-प्रदर्शन करेगे। जैसाकि सबको पता है, उनमें से कुछ लोग हर तरह के आन्दोलन को नापसन्द करते हैं, इसलिए नतीजा होगा 'सयुक्त अवरोध' अर्थात् सब हलचलो का रुक जाना—'सयुक्त सामने' के बजाय 'सयुक्त पीठ दिखाने' का एक व्यापक प्रदर्शन होगा।

अवश्य ही यह कहना बेवकूफी होगी कि हम लोग दूसरों के साथ सहयोग या समझौता न करेगे। जीवन और राजनीति दोनों ही इतने गूढ हैं कि उनका सरलता से समझा जा सकना हमेशा मुश्किल है। लेनिन जैसे कट्टर आदमी तक ने कहा था कि "बिना समझौता किये या मार्ग बदले आगे कुछ करना मानसिक छिछोरपन है, और फ़ान्सिकारी

धर्म की गम्भीर कार्य-कुशलता के विरुद्ध है।" समझौते लाबिमी है, पर हमें उनके सम्बन्ध में बहुत अधिक परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम समझौता करे या उससे इन्कार कर दें, यह एक गौण बात है। असली बात तो यह है कि मुख्य वस्तुओं को हमेशा पहला स्थान मिलना चाहिए, और गौण वस्तुओं उनका स्थान कमी न लेने पावे। अगर हम अपने सिद्धान्त और ध्येय पर दृढ़ हैं तो स्थायी समझौते कुछ नुकसान नहीं पहुँचा सकते। लेकिन खतरा यही है कि कहीं हम अपने कमजोर माइनों को अप्रसन्नता के डर से अपने सिद्धान्तों और ध्येयों से पीछे न हट जायें। किसी को गुमराह करना कहीं ज्यादा बुरा है, वनिस्वत किसी को नाबुलूग करने के।

मे अचलित घटनाओं के सम्बन्ध में सरसरी तीर-पर और कुछ हद तक तात्त्विक दृष्टि से लिख रहा हूँ और एक दूर बँठे हुए दर्शक की तरह तटस्थ रहने की कोशिश करता हूँ। आम तीर पर यह ख्याल है कि जब कार्य मुझे अपनी ओर बुलाता है, तब मैं तमाशबीन नहीं बना रहता, बल्कि अक्सर मुझसे कहा गया है, कि मेरा दोष यह है कि काफी उत्तेजना के बिना ही मैं बेवकूफी से उसमें कूद पड़ता हूँ। मैं अब क्या करूँगा, और अपने देशबन्धुओं को क्या करने की सलाह दूँगा, यह सब निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। शायद सार्वजनिक कामों में लगे हुए व्यक्ति की स्वाभाविक सतर्क वृत्ति मुझे समय से पहले ही किसी बात से बचन-बद्ध हो जाने में रोक देती है। लेकिन अगर मैं सचाई के साथ कहूँ तो कहना हीगा कि सचमुच मैं कुछ नहीं जानता, न जानने की कोशिश ही करता हूँ। जब मैं काम कर नहीं सकता, तब परेशान क्यों होऊँ ? जरूर ही मैं एक बहुत हद तक तो परेशान होता हूँ, लेकिन यह अनिवाय है। कम-से-कम जवमक में जेल में हूँ, तबतक तो, मैं तत्काल-निर्णय की समस्याओं के चक्कर में फँसने में बचने की कोशिश करता हूँ।

जेल में रहते हुए सब हलचलो से दूर रहना पड़ता है। यहाँ मनुष्य को घटनाओं का शिकार होकर रहना पड़ता है, कार्य का विषय बनकर नहीं, मनुष्य में कुछ होने की आशा में रह-रहकर इन्तज़ार करना पड़ता है। मैं हिन्दुस्तान और सारी दुनिया की राजनैतिक और सामाजिक समस्याओं पर लिख रहा हूँ, लेकिन जेल की अपनी उस छोटी-सी दुनिया को, जो कि एक अरसे से मेरा घर बन गई है, इस सबसे क्या नाता ? कैदियों की एक ही बात में खास बड़ी दिलचस्पी रहती है, और वह है उनकी अपनी रिहाई की तारीख का खयाल।

नैनी जेल में और यहाँ अलमोडा में भी बहुत-से कैदी मेरे पाम 'जुगली' के बारे में पूछने को आया करते थे। पहले तो मैं समझ ही नहीं सका कि यह 'जुगली' क्या चीज़ है, लेकिन बाद को मुझे खयाल आया कि वह जुबिली है। वे वादशाह जार्ज की सिलवर जुबिली मनाई जाने की अफवाहों की ओर निर्देश करते थे, लेकिन उसे समझते न थे। पिछले उदाहरणों के कारण उनके लिए उसका एक ही अर्थ था—कुछ लोगों की जेल से मुक्ति या सज़ा में काफी कमी। इसलिए हरेक कैदी, और खास कर लम्बी अवधिवाले कैदी, आगे आनेवाली 'जुगली' के बारे में बड़े उत्सुक थे। उनके लिए शासन-सुधार-विधान, पार्लमेण्ट के कानून और समाजवाद और कम्युनिज़्म की वनिस्वत यह 'जुगली' कहीं ज्यादा महत्त्व की चीज़ थी।

उपसंहार

हमें कर्म करने का आवेश है, किन्तु यह हमारे हाथ की बात नहीं कि हम अपने कार्यों को सफल बना सके।

ताल्लुद

मैं अपनी कहानी की समाप्ति पर पहुँच गया हूँ। अपनी जीवन-यात्रा का, अधिकतर अपने से ताल्लुक रखनेवाला, यह विवरण, जैसा कुछ भी यह है, अलमोडा जिला जेल के अपने निवास के आज दिन—१४ फरवरी १९३५—तक का है। तीन महीने पहले आज के ही दिन मैंने इस जेल में अपनी पैतालीसवीं वर्षगांठ मनाई थी, और मैं ख्याल करता हूँ कि अभी मुझे और भी कई बरस जीना है। कमी-कमी उम्र और थकान का ख्याल मुझपर छा जाता है, लेकिन फिर मैं अपने को उत्साह और चैतन्य से भरपूर महसूस करने लगता हूँ। मेरा शरीर काफी गठीला है और मेरे दिमाग में सदमों को पार कर जाने की क्षमता है, इसलिए मैं समझता हूँ कि मैं अभी काफी असें तक जिन्दा रहूँगा, बशर्ते कि कोई अघिटिन घटना न घट जाय। लेकिन इसके पहले कि मविष्य के सम्बन्ध में कुछ लिखा जाय उसका उपभोग कर लिया जाना जरूरी है।

मेरे यह साहसिक काम शायद बहुत उत्तेजना पैदा करनेवाले नहीं रहे हैं, कई बरसों के जेल-निवास को साहसिक कार्य का नाम नहीं दिया जा सकता और न वे किसी तरह अद्वितीय ही हुए हैं, क्योंकि इन बरसों को मैंने, उनके सब उतार-चढ़ाव सहित, अपने हजारी देश-भाइयों और बहनों के साथ बिताया है, और इसलिए जुदी-जुदी भावनाओं, और हर्ष-निपाद, प्रचण्ड हल्चली और बरबस एकान्तवास का यह वर्णन, हम सबका मनुष्य वर्णन है। मैं जन-समूह का ही एक व्यक्ति रहा हूँ, उसके साथ

काम करता रहा हूँ, कभी उसका नेतृत्व कर उमे आगे बढ़ाता रहा हूँ, कभी उससे प्रभावित होता रहा हूँ, और फिर भी, दूसरी इकाइयों की तरह दूसरों से अलग जन-कोलाहल के बीच में अपना पृथक् जीवन व्यतीत करता हूँ। हम अक्सर भिन्न-भिन्न रूप में प्रकट हुए हैं, और उनके अनुसार अपने अनेक रंग बताने हैं, लेकिन हमने जो-कुछ किया उसमें बहुत कुछ असलियत थी, बहुत सचाई थी, और उसने नगण्य-प्राणियों को ऊँचा उठा दिया, हमें अधिक सजीव बना दिया और इतना महत्त्व दे दिया जो कि अन्यथा हमें मिल नहीं सकता था। कभी-कभी हमें जीवन की उस पूर्णता को अनुभव करने का सौभाग्य मिला जो आदर्शों को कार्यरूप में परिणत करने से होती है और हमने समझ लिया कि इससे भिन्न कोई भी दूसरा ऐसा जीवन बिताना, जिसमें इन आदर्शों का परित्याग करके किसी महान् शक्ति के सामने दीनता-अधीनता ग्रहण करनी होती, अपने अस्तित्व को नष्ट करना होता, असन्तोष और अन्त क्लेश से भरा होता।

इन वर्षों में मुझे बहुत-से तोहफों के साथ-साथ एक अनमोल तोहफा यह भी मिला है कि मैं जीवन की अधिकाधिक महत्त्व का प्रयोग समझने लगा हूँ, जहाँ इतना सीखने को मिलता है। क्रमोन्नति की भावना मुझमें हमेशा रही है, वह अब भी मुझमें है और मेरी हलचलों, जहाँ तरह-प्रकारों के पठन-पठान में रचि पैदा करती है और आम तौर पर जीवन को जीने योग्य बनाती है।

'मेरी कहानी' के लिखने में मैंने हरेक छटना पर जो मनोनाय और विचार उठते थे, उन्हें देने का—जहाँ तक सम्भव हो सकता था उन समय के अपने भाव स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है। किसी चीज़े हुए मनोनाय को फिर से स्मृति में लाना कठिन है, और बाद में आनेवाली घटनाओं को भुलाना सरल नहीं है। इस तरह मेरे आरम्भिक दिनों के दर्शन का निम्ने विचारों का प्रभाव जरूर पड़ा होगा, लेकिन मैंने उद्देश्य, सामान्य—ने

ही काम के लिए, अपने मासिक विक्राम को अकित करना था। मैंने जो कुछ लिखा है, शायद वह इस बात का इतना वर्णन नहीं है, कि मैं क्या रह चुका हूँ, जितना इस बात का कि कभी-कभी मैं कैसा होना चाहता था, या कैसा होने की कल्पना करता था।

कुछ महीनों पहले सर सी० पी० रामस्वामी ऐयर ने अपने एक सार्वजनिक भाषण में कहा था कि मैं जनता के भावों को प्रदर्शित नहीं करता, बल्कि जोर भी अधिक खतरनाक व्यक्ति, अपने आत्म-बलिदानों, आदर्शवाद और आत्मविश्वास की दृढ़ता के कारण, जिसे कि उन्होंने 'आत्म-सम्मोहन' कहा था, हो गया हूँ। 'आत्मसम्मोहन' से श्रेष्ठ व्यक्ति शायद ही अपने सम्बन्ध में निर्णय कर सकता है और किसी भी हालत में मैं इस व्यक्तिगत मामले में सर रामस्वामी के साथ बहस-मुवाहिसे में न पडना चाहूँगा। बहुत बरसों से हम एक-दूसरे से मिले नहीं हैं, लेकिन बहुत ज़रूर पहले एक समय था जबकि हम दोनों होमरूल लीग के सक्रिय मंत्री थे। उसके बाद तो बहुत घटनायें घट चुकी हैं और रामस्वामी चक्करदार बीनों को पार करते हुए गगनचुम्बी मीनार पर चढ़ते-चढ़ते थोड़ी तक जा पहुँचे, जब कि मैं पृथिवी पर ही, पृथिवी का साधारण प्राणी बना हुआ हूँ। सिवा इसके कि हम दोनों एक राष्ट्रवासी हैं अब उनमें और मुझमें कोई ममानता नहीं रही है। वह अब, पिछले कुछ बरसों में भारत में ब्रिटिश-राज्य के जबरदस्त हामी है, भारत और उससे बाहर दूसरी जगह डिक्टेटरशिप के ममयंक हैं और खुद भी एक देशी रिदायन में स्वेच्छाचारिता के समकदार आभूषण बने हुए हैं। मैं समझता हूँ, हम अधिकांश बातों में मतभेद रखते हैं, लेकिन एक साधारण से मामले में हम महमत हो सकते हैं। उनका यह कहना बिल्कुल सच है कि मैं जनता का प्रतिनिधि नहीं हूँ। इन विषय में मुझे कोई भय नहीं है। निस्सन्देह, कभी-कभी मैं यह सोचने लगता हूँ कि दरअसल क्या

में किसी के भी भाव को प्रदर्शित करता हूँ, और मैं इसी नतीजे पर पहुँचता हूँ कि, नहीं, मैं वैसा नहीं करता। यह बात दूसरी है कि बहुत-से लोग मेरे प्रति कृपा और मंत्रीपूर्ण भाव रखते हैं। मैं पूर्व और पश्चिम का एक अजीब-सा सम्मिश्रण—मिक्सचर—बन गया हूँ, हर जगह वेमोजू—अपने घर में कहीं का भी नहीं-सा। शायद मेरे विचार और जीवन का मेरा रास्ता पूर्वी की अपेक्षा पश्चिमी अधिक है, लेकिन हिन्दुस्तान जैसा कि वह अपने सब बच्चों के हृदय में रहता है, अनेक रूप से मेरे हृदय में भी है और अन्तर के किसी अनजान कोने में, कोई सी, (या सत्या कुछ भी हो) पीढियों के ब्राह्मणत्व की जातीय स्मृतिर्था छिपी हुई है। मैं अपने पिछले सस्कार और नूतन अभिज्ञान से मुक्त हो नहीं सकता। यह दोनों मेरे अंग होगये हैं, और जहाँ वे मुझे पूर्व और पश्चिम दोनों में मिलने में सहायता करते हैं, वहाँ साथ ही, न केवल सार्वजनिक कार्यों में बल्कि खुद जीवन में भी एक अब्याप्तिक निरानन्दता का भाव पैदा करते हैं। पश्चिम में मैं विदेशी हूँ—अजनबी हूँ। मैं उसका हो नहीं सकता। लेकिन अपने देश में भी मुझे कभी-कभी ऐसा लगता है मानो मैं कहींका निर्वासित हूँ।

सुदूर पर्वत सुगम्य और उनपर चढ़ना सरल मालूम होता है, उसका शिखर आवाहन करता दिखाई देता है, लेकिन, ज्यों-ज्यों हम उसके नजदीक पहुँचते हैं, कठिनाइयाँ दिखाई देने लगती हैं, और जैसे-जैसे ऊँचे चढ़ते जाते हैं, चढ़ाई ज्यादा-से-ज्यादा मालूम होने लगती है और शिखर वादलो में छिपता नजर आने लगता है। फिर भी चढ़ाई प्रयत्न किये जाने योग्य है और उसका अपना एक विचित्र आनन्द और एक विचित्र सन्तोष है। शायद जीवन को मद्दत्त देनेवाली चीज़ सघर्ष ही है, अन्तिम परिणाम इतना नहीं। अक्सर यह जानना मुश्किल होता है कि सही रास्ता कौन-सा है, कभी-कभी यह जानना ज्यादा आसान

होता है कि कौन-सा रास्ता सही नहीं है, और दरअसल जिसमें कुछ सचाई है, उसे नज़रअन्दाज़ कर दिया जाता है। अत्यन्त नम्रता के साथ मैं गहान् सुकरात के अन्तिम शब्दों का उल्लेख करना पसन्द करूँगा। उसने कहा था—“मैं नहीं जानता कि मृत्यु क्या चीज़ है— वह कोई अच्छी चीज़ हो सकती है, और मुझे इसका कोई भय नहीं है। लेकिन मैं यह जानना हूँ कि किसीके उज्ज्वल भूतकाल को नष्ट कर देना बुरा है, इसलिए जिनके वारे में मैं जानता हूँ कि बुरी है उसनी अपेक्षा जो अच्छी हो सकती है उसे मैं अपना पसन्द करता हूँ।”

बरसो मेंने जेल में बिता दिये। अकेले बैठे हुए, अपने विचारों में डूबे हुए, कितनी ऋतुओं को मैंने एक दूसरे के पीछे आते-जाते और अन्त में विस्मृति के गर्भ में लीन होते देखा है। कितने चन्द्रमाओं को मैंने पूर्ण विकसित और क्षीण होते देखा है और कितने झिल-झिल करते सारामण्डल को अबाध और अनवरत गति और शान के साथ घूमते देखा है। मेरे जीवन के कितने अतीत दिवसों की यहाँ चिन्ता-भस्म बनी हुई है, और कभी-कभी मैं इन अतीत दिवसों की प्रेतत्माओं को उठते हुए, अपनी दुःखद स्मृतियों को साथ लाते हुए, कान के पास आकर यह कहते हुए सुनता हूँ “क्या यह करने योग्य था” और इसका जवाब देने में मुझे कोई शिंसाक नहीं है। अगर अपने मौजूदा ज्ञान और अनुभव के साथ मुझे अपने जीवन को फिर से दुहराने का मौका मिले, तो इसमें शक नहीं कि मैं अपने व्यक्तिगत जीवन में अनेक तददीलिया करने की कोशिश करूँगा, जो-कुछ मैं पहले कर चुका हूँ, उसको कई तरह से उन्नत करने का प्रयत्न करूँगा, लेकिन सार्वजनिक विषयों में मेरे प्रमुख निर्णय ज्यों-के-थो बने रहेंगे। निस्सन्देह, मैं उन्हें बदल नहीं सकता, क्योंकि वे मेरी अपेक्षा कहीं अधिक जबरदस्त हैं, और मेरे कानू से बाहर की सत्ता ने मुझे उस ओर खींचकर उन तक पहुँचाया है।

मेरी गजा तो आग पूरा एक बरस हो गया, गजा के दो बरसों में मैं एक बरस बाग गया हूँ। दूसरा पूरा एक बरस अभी बाकी है, क्योंकि इस बार विश्वापती दिन न बटेंगे, गारी गजा में इस तरह दिन नहीं गटने। उनना ही मर्दा, पिछली अगस्त में जो ग्यारह दिन मैं बाहर रहा था, वे भी मेरी गजा की जगधि में बढा दिये गये हैं। लेकिन यह साल भी बौन जायगा और मैं जेल में बाहर ही जाऊँगा—मगर उसके बाद ? मैं नहीं जानता, लेकिन एक ऐसा भाव उठता है कि मेरे जीवन का एक अचानक समाप्त हो गया है, और दूसरा आरम्भ होगा। वह क्या होगा, यह मैं स्पष्ट अनुमान नहीं कर सकता। मेरी जीवन-कथा के—'मेरी कहानी' के ये पन्ने अब समाप्त होते हैं।

कुछ और

बेडनबीलर, स्वादेन्साल्ड

२५ अक्टूबर, १९३५

पिछले कई महीने में मेरी पत्नी भुवाली से यूरोप इलाज कराने के लिए गई। उसके यूरोप चले जाने से मेरा भुवाली जाना बन्द हो गया, पहाड़ी सबको पर मेरा हर पलबाडे आवागमन बन्द हो गया। वह मुझे अब दिखाई न देती थी, और अलमोडा-जेल मेरे लिए अब पहले से भी ज्यादा सुनसान हो गया।

क्वेटा के भूकम्प की खबर मिली, जिसने कुछ समय के लिए दूसरी सब बातें भुला दी। लेकिन अधिक समय के लिए नहीं, क्योंकि भारत सरकार हमें उसको या उसके विचित्र तरीको को, भूलने नहीं देती। फौरन ही मालूम हुआ कि काँग्रेस के सभापति बाबू राजेन्द्रप्रसाद को, जोकि भूकम्प सहायता का काम हिन्दुस्तान के प्राय किसी भी अन्य मनुष्य से अधिक जानते हैं, क्वेटा जाने और पीडितों की सहायता करने

की इजाजत नहीं दी गई। न गाँधीजी या अन्य किसी प्रसिद्ध सार्वजनिक कार्य-कर्ता को ही वहाँ जाने दिया। क्वेटा-भूकम्प के बारे में लेख लिखने के कारण कई भारतीय अखबारों की छाननें ज़ब्त करली गईं।

क्विवर देखिए उधर सब ओर फौजी मनोवृत्ति, पुलिस-दृष्टिकोण दिखाई देता था—असेम्बली, में सिविल शासन में, सीमान्त पर बम बरसाये जाने में, सबमें, इसीका बोलबाला था। ज्यादातर ऐसा मालूम होता था, मानो हिन्दुस्तान में अंग्रेज़ी सरकार हिन्दुस्तानी जनता के एक बड़े समुदाय में निरन्तर लड़ाई लड़ रही है।

पुलिस एक काम की और आवश्यक शक्ति है, लेकिन वह दुनिया, जो पुलिस के सिपाहियों और उनके डबों से भरी हो, धायब रहने के लिए उपयुक्त स्थान न होगी। अक्सर यह कहा गया है कि शक्ति का अनियन्त्रित प्रयोग प्रयोग-कर्ता को गिरा देता है, क्योंकि इससे वह जिसके विपक्ष इमका प्रयोग करता है उसे ज़लील और हीन बना देता है। इस समय हिन्दुस्तान में ऊँची नौकरियाँ, खासकर भारतीय सिविल-सर्विस वालों के दिन-पर-दिन बढ़ते जानेवाले नैतिक और बौद्धिक पतन के सिवा शायद ही कोई बात माक़ों की दिखाई देती हो। खासतौर पर ऊँचे अफसरों में यह सबसे अधिक पाई जाती है, लेकिन आमतौर पर सभी नौकरियों में यह एक जाल की तरह फैली हुई है। जब कभी किसी ऊँचे पद पर नये आदमों की नियुक्ति का समय आता है, तब निश्चित-रूप में वही आदमी पसन्द किया जाता है, जो इस नई मनोवृत्ति का सबसे अच्छा परिचायक होता है।

गन ४ मिनम्बर को एफ़एफ़ में अलमोडा-जेल से छोड़ दिया गया, क्योंकि यह गमाचार मिला था कि मेरी पत्नी की हालात नाजुक हो गई हैं। ग्राट्टम्यान्ट (जर्मनी) के वेडनबौलर स्थान पर उसका इलाज हो रहा था। मुझे कहा गया कि मेरी मजा मूल्यवी करदी गई है, और

मैं अपनी रिहाई के साठे पाच महीने पहले छोड़ दिया गया। मैं फौरन हवाई जहाज से यूरोप को रवाना हुआ।

यूरोप इस समय हर तरह से अज्ञान्त है, युद्ध और उपद्रवों की आगकायों और आर्थिक संकट के वादल क्षितिज पर हमेशा ही मँडराते रहते हैं, अवीसीनिया पर घावे हो रहे हैं और वहाँ की जनता पर बम-बर्पा की जा रही है। अनेक साम्राज्यवादी सत्ताये आपस में टकरा रही हैं और एक-दूसरे के लिए खतरनाक बनी हुई हैं, और अपने अधीन जनता पर निर्दय अत्याचार करनेवाला, उसपर बम बरसानेवाला इंग्लैंड, साम्राज्यवादी सत्ताओं का सिरमौर इंग्लैंड, शान्ति और राष्ट्रसंघ की दुहाइयाँ दे रहा है। लेकिन यहाँ इस 'ब्लैक फारेस्ट' में शान्ति और निस्तब्धता का राज्य है, यहाँतक कि जर्मनी का प्रसिद्ध चिन्ह स्वस्तिक भी नजर नहीं आता। मैं देख रहा हूँ कि उपत्यका से कोहरा उठकर फ्रांस के सुदूर सीमान्त को छिपाता हुआ दिखनेवाले भू-प्रदेश को ढक रहा है और मैं हैरत में हूँ कि उस पार क्या है ?

परिशिष्ट—क

[२६ जनवरी १९३०, पूर्ण स्वाधीनता-दिवस, का प्रस्ताव-पत्र]

"हम भारतीय प्रजाजन भी अन्य राष्ट्रों की भाँति अपना यह जन्म-सिद्ध अधिकार मानते हैं कि हम स्वतन्त्र होंगे रहें, अपनी मेहनत का फल हम खुद भोगें और हमें जीवन-निर्वाह के लिए आवश्यक सुविधाएँ मिलें जिसे हमें भी विकास का पूरा-पूरा मौका मिले। हम यह भी मानते हैं कि अगर कोई सरकार ये अधिकार छीन लेनी है और प्रजा को सताती है तो प्रजा को उस सरकार के बदल देने या मिटा देने का भी हक है। हिन्दुस्तान की अंग्रेजी सरकार ने हिन्दुस्तानियों की स्वतन्त्रता का ही अपहरण नहीं किया है, बल्कि उसका आधार भी शरीरों के रक्त-शोषण पर है और उसने आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से हिन्दुस्तान का नाश कर दिया है। इसलिए हमारा विश्वास है कि हिन्दुस्तान को अंग्रेजों से सम्बन्ध-विच्छेद करके पूर्ण स्वराज्य या मुकम्मिल आजादी प्राप्त कर लेनी चाहिए।

"भारत की आर्थिक बरबादी हो चुकी है। जनता की आमदनी को देखते हुए उससे बेहिसाब कर बसूल किया जाता है। हमारी औसत दैनिक आय सात पैसे है और हमसे जो भारी कर लिये जाते हैं उनका २० फी सदी किसानों से लगान के रूप में और ३ फी सदी गरीबों से नमक-कर के रूप में बसूल किया जाता है।

"हाथ-कटाई आदि ग्राम-उद्योग नष्ट कर दिये गये हैं। इससे साल में कम-से-कम चार महीने किसान लोग बेकार रहते हैं। हाथ की कारी-गरी नष्ट होजाने से उनकी बुद्धि भी मर होगई और जो उद्योग इस प्रकार नष्ट कर दिये गये हैं उनकी जगह दूसरे देशों की भाँति कोई नये उद्योग जारी भी नहीं किये गये हैं।

“चुंगी और सिक्के की व्यवस्था इस प्रकार की गई है कि उससे किसानों का भर और भी बढ़ गया। हमारे देश में बाहर का माल अधिकतर अंग्रेजी कारखानों से आता है। चुंगी के महसूल में अंग्रेजी माल के साथ साफ़तीर पर पक्षपात होता है। इसकी आय का उपयोग गरीबों का बोझा हल्का करने में नहीं, बल्कि एक अत्यन्त अपव्ययी शासन को कायम रखने में किया जाता है। विनिमय की दर भी ऐसे मनमाने तरीके से निश्चित की गई है कि जिससे देश का करोड़ों रुपया बाहर चला जाता है।

“राजनैतिक दृष्टि से हिन्दुस्तान का दर्जा जितना अंग्रेजों के जमाने में घटा है उतना पहले कभी नहीं घटा था। किसी भी सुधार-योजना से जनता के हाथ में असली राजनैतिक सत्ता नहीं आई। हमारे बड़े-से-बड़े आदमों को विदेशी सत्ता के सामने सिर झुकाना पड़ता है। अपनी राय आज़ादी से जाहिर करने और आज़ादी से मिलने-जुलने के हमारे हक छीन लिये गये हैं और हमारे बहुत-से देशवासी निर्वासित कर दिये गये हैं। हमारी सारी शासन की प्रतिभा भारी गई है और सर्व-साधारण को गाँवों के छोटे-छोटे ओहदों और मुश्कीली से सन्तोष करना पड़ता है।

“संस्कृति के लिहाज़ से शिक्षा-प्रणाली ने हमारी जड़ ही काट दी और हमें जो तालीम दी जाती है उससे हम अपनी गुलामी की ज़ज़ीरो को ही प्यार करने लगे हैं।

“आध्यात्मिक दृष्टि से, हमारे हथियार ज़बरदस्ती छीनकर हमें नामदं बना दिया गया। विदेशी सेना हमारी छाती पर सदा मीज़ूद रहती है। उसने हमारी मुक़ाबिले की भावना को बड़ी दुरी तरह से कुचल दिया है। उसने हमारे दिलों में यह बात बिठा दी है कि हम न अपना घर सम्हाल सकते हैं और न विदेशी हमलों से देश की रक्षा कर सकते हैं। इतना ही नहीं, चोर, डाकू और बदमाशों के हमलों से भी हम

अपने बाल-बन्धो और जान-माल को नहीं बचा सकते। जिस शासन ने हमारे देश का इस तरह सर्वनाश किया है, उसके अधीन रहना हमारी राम मे मनुष्य और ईश्वर दोनों के प्रति जुर्म है। किन्तु हम यह भी मानते हैं कि हमें हिंसा के द्वारा स्वतंत्रता नहीं मिलेगी। इसलिए हम ब्रिटिश सरकार से यथा-संभव स्वेच्छा-पूर्वक किसी भी प्रकार का सहयोग न करने की तैयारी करेंगे और सविनय अवज्ञा और करबन्दी तक के साज सजायेंगे। हमारा पक्का विश्वास है कि अगर हम राखी-राखी सहायता देना और उत्तेजना मिलने पर भी हिंसा किये बगैर कर देना बन्द कर सके तो इस अमानुषी राज्य का नाश निश्चित है। इसलिए हम शपथपूर्वक सकल्प करते हैं कि पूर्ण स्वराज्य की स्थापना के लिए कांग्रेस समय-समय पर जो आज्ञायें देगी, उनका हम पालन करते रहेंगे।”

परिशिष्ट — ख

[यरवडा सेण्ट्रल जेल, पूना से १५ अगस्त, १९३० को कांग्रेस-नेताओं द्वारा सर तेजबहादुर सभू और श्री मुकन्दराव जयकर को लिखा गया सुलह की शर्तोंवाला पत्र ।]

प्रिय भिन्नगण,

आप लोगों ने ब्रिटिश-सरकार और कांग्रेस में शान्तिपूर्ण समझौता करने का जो भार अपने ऊपर लिया है, उसके लिए हम लोग आपके बहुत-बहुत आभारी हैं। आपका वाइसराय के साथ जो पत्र-व्यवहार हुआ है, और आपके साथ हम लोगों की जो बहुत अधिक वाते हुई हैं और हम लोगों में आपस में जो कुछ परामर्श हुआ है, उस सबका ध्यान रखते हुए हम उम नतीजे पर पहुँचे हैं कि अभी ऐसे समझौते का समय नहीं आया है, जो हमारे देश के लिए सम्मानपूर्ण हो। पिछले पाँच महीनों में देश में जो ग़रब पी जागृति हुई है और भिन्न-भिन्न सिद्धान्त व मत रखनेवाले

लोगो में से छोटे-बड़े सभी प्रकार और वर्ग के लोगो ने जो बहुत अधिक
 कष्ट सहन किया है, उसे देखते हुए हम लोग यह अनुभव करते हैं कि न
 तो वह कष्ट-सहन काफी ही हुआ है, और न वह इतना बड़ा ही हुआ
 है कि उससे तुरन्त ही हमारा उद्देश्य पूरा हो जाय। शायद यहाँ यह
 बतलाने की कोई आवश्यकता न होगी कि हम आपके या वाइसराय के
 इस मत से सहमत नहीं हैं कि सत्याग्रह-आन्दोलन से देश को हानि पहुँची
 है या वह आन्दोलन कृसमय में खड़ा किया गया है या वह अवैध है।
 अंग्रेजो का इतिहास ऐसे-ऐसे रक्तपूर्ण क्रान्तियों के उदाहरणों से भरा
 पड़ा है जिनकी प्रशंसा के राग गाते हुए अंग्रेज लोग कभी नहीं थकते,
 और उन्होने हम लोगो को भी ऐसा ही करने की शिक्षा दी है। इसलिए
 जो क्रान्ति विचार की दृष्टि से बिलकुल शान्तिपूर्ण है और जो कार्य-
 रूप में भी बहुत बड़े पैमाने में और अद्भुत रूप से शान्तिपूर्ण ही है,
 उसकी निन्दा करना वाइसराय या किसी और समसदार अंग्रेज को
 शोभा नहीं देता। पर जो सरकारी या गैर सरकारी आदमी वर्तमान
 सत्याग्रह-आन्दोलन की निन्दा करते हैं, उनके साथ राजा करने की
 हमारी कोई इच्छा नहीं है। हम मानते हैं कि सर्व-आधारण जिन
 आश्चर्य-जनक रूप से इस आन्दोलन में शामिल हुए, यदि हम का
 यथेष्ट प्रमाण है कि यह उचित और न्यायपूर्ण है। यदि हमें भी बात
 यही है कि हम लोग भी प्रसन्नतापूर्वक आपके मत में बदलने का
 की कामना करते हैं कि अगर किसी तरह सम्भव हो, तो हमें

यह विश्वास दिलाते हैं कि सम्मानपूर्ण शान्ति और समझौते के लिए जितने मार्ग हो सकते हैं, उन सबको ढूँढकर उनका आसरा लेने के लिए हम अपनी ओर से कोई बात न उठा रखेंगे, तो आशा है कि आप हम लोगों की इस बात पर विश्वास करेंगे। लेकिन फिर भी हम मानते हैं कि अभी तक हमें क्षितिज पर ऐसी शान्त का कोई लक्षण नहीं दिखाई देता। हमें अभी तक इस बात का कोई आसरा नहीं दिखाई पड़ता कि ब्रिटिश सरकारी दुनिया का अब यह विचार हो गया है कि खुद हिन्दुस्तान के स्त्री-पुरुष ही इस बात का निर्णय कर सकते हैं कि हिन्दुस्तान के लिए सबसे अच्छा कौन-सा रास्ता है। सरकारी कर्मचारियों ने अपने शुभ विचारों की जो निष्ठापूर्ण घोषणायें की हैं और जिनमें से बहुत-सी प्रायः अच्छे उद्देश से की गई हैं, उनपर हम विश्वास नहीं करते। इसर मुद्दों से अग्रेज इस प्राचीन देश के निवासियों की घन-सम्पत्ति का जो बराबर अपहरण करते आये हैं, उनके कारण उन अग्रेजों में अब इतनी क्षमति और योग्यता नहीं रह गई है कि वे यह बात देख सकें कि उनके इस अपहरण के कारण हमारे देश का कितना अधिक नैतिक, आर्थिक और राजनैतिक ह्रास हुआ है। वे अपने-आपको यह देखने के लिए तैयार ही नहीं कर सकते कि उनके करने का सबसे बड़ा एक काम यही है कि वे जो हमारी पीठ पर चढ़े बैठे हैं, उसपर से उतर जायें, और लगभग सौ बरसों तक भारत पर उनका राज्य रहने के कारण सब प्रकार से हम लोगों का नाश और ह्रास करनेवाली जो प्रणाली चल रही है, उससे वे बाहर निकलकर बिक्रमित होने में हमारी सहायता करें, और अबतक उन्होंने हमारे साथ जो अन्याय किये हैं, उनका इस रूप में प्रायश्चित्त कर डाले।

पर हम यह बात जानते हैं कि आपके और हमारे देश के कुछ और मित्र-त्रियों के विचार हमारे उन विचारों से भिन्न हैं। आप यह विश्वास करने हैं कि शांति के मार्गों में परिवर्तन हो गया है, और अधिक

नहीं तो कम-से-कम इतना परिवर्तन जरूर हो गया है कि जिससे हम लोगों को प्रस्तावित परिपद् में जाकर गरीब होना चाहिए। इसलिए हालांकि हम इस समय एक खास तरह के बन्धन में पड़े हुए हैं, तो भी जहाँतक हमारे अन्दर शक्ति है वहाँतक हम इस काम में खुशी से आप लोगों का साथ देंगे। हम जिस परिस्थिति में पड़े हुए हैं, उसे देखते हुए, आपके मित्रतापूर्ण प्रयत्न में हम अधिक-से-अधिक जिस रूप में और जिस हद तक सहायता दे सकते हैं, वह इस प्रकार है —

(१) हम यह समझते हैं कि वाइसराय ने आपके पत्र का जो जवाब दिया है, उसमें प्रस्तावित परिपद् के सम्बन्ध में जिस भाषा का प्रयोग किया गया है, वह भाषा ऐसी अनिश्चित है कि पारसाल लाहौर में जो राष्ट्रीय मार्ग पेश की गई थी, उसका ध्यान रखते हुए हम वाइसराय के उस कथन का कोई मूल्य या महत्व ही निर्धारित नहीं कर सकते; और न हमारी स्थिति ही ऐसी है कि कांग्रेस की कार्य-समिति, और जरूरत हो तो महासमिति के नियमित अधिवेशन में बिना विचार किये हम लोग अधिकारपूर्ण रूप से कोई बात कह सके। पर हम इतना अवश्य कह सकते हैं कि व्यक्तिगत तौर पर हम लोगों के लिए इस समस्या का कोई ऐसा निराकरण तबतक सन्तोषजनक न होगा जबतक कि (क) पूरे और स्पष्ट शब्दों में यह बात न मान ली जाय कि भारत को इस बात का अधिकार प्राप्त होगा कि वह जब चाहे तब ब्रिटिश साम्राज्य से अलग हो जाय। (ख) भारत में ऐसी पूर्ण राष्ट्रीय सरकार स्थापित हो जो उसके निवासियों के प्रति उत्तरदायी हो। उसे देश की रसक शक्तियों (सेना आदि) पर और वयाम आर्थिक विषयों पर पूरा अधिकार और नियन्त्रण प्राप्त हो और जिसमें उन ११ बातों का भी समावेश हो जाय जो गांधीजी ने वाइसराय को अपने पत्र में लिखकर भेजी थी। (ग) हिन्दुत्वान को इस बात का अधिकार प्राप्त न हो जाय कि उत्तरत हो तो

वह एक ऐसी स्वतन्त्र पचायत बैठकर इस बात का निर्णय करा सके कि, अंग्रेजों को जो विशेष पावने और रिवायते वगैरा प्राप्त हैं, जिसमें भारत का सार्वजनिक ऋण भी शामिल होगा, और जिनके सम्बन्ध में राष्ट्रीय सरकार का यह मत होगा कि ये न्याय-पूर्ण नहीं हैं या भारत की जनता के लिए हितकर नहीं हैं, वे सब अधिकार, रिवायते और ऋण आदि उचित, न्यायपूर्ण और मान्य हैं या नहीं।

नोट—अधिकार हस्तान्तरित होते वक्त भारत के हित के विचार से इस किस्म के जिस लेन-देन आदि की जरूरत होगी, उसका निर्णय भारत के चुने हुए प्रतिनिधि करेंगे।

(२) अगर ब्रतलाई हुई बातें ब्रिटिश-सरकार को अगर ठीक लेंगे और वह इस सम्बन्ध में सन्तोष-जनक घोषणा कर दे तो हम कांग्रेस की कार्य-समिति ने इस बात की सिफारिश करेंगे कि सत्याग्रह-आन्दोलन या सविनय-अहिंसा का आन्दोलन बन्द कर दिया जाय, अर्थात्, केवल आज्ञा-मग करने के लिए ही कुछ विधिष्ट कानूनों का भंग न किया जाय। पर खिलायती कपड़े और धराब, ताड़ी वगैरा की दूकानों पर तब तक शान्तिपूर्ण पिछेडियां जारी रहेंगी, जबतक कि सरकार खुद कानून बनाकर धराब, ताड़ी आदि और खिलायती कपड़े की बिक्री बन्द न कर देगी। मग मग अपने परों में बराबर नमक बनाते रहेंगे और नमक-कानून की दण्ड-सम्बन्धी धारायें काम में नहीं लाई जायेंगी। नमक के सरकारी या गैरों के निजी गोदामों पर धावा नहीं किया जायगा।

(३) (क) जहाँ सत्याग्रह-आन्दोलन रोक दिया जायगा, जहाँही उनमें साथ से मग सत्याग्रही बँदी और राजनैतिक बँदी, जो मग पाएँगे वे मग को मियाँ में अगरी नहीं दें या जिन्होंने लोगों को हिंसा करने के लिए उताविल नहीं किया है, सरकार द्वारा छोट दिने जायेंगे।

कानूनों के अनुसार जो तमाम सम्पत्तियाँ जब्त की गई हैं, वे सब लोगों को वापिस करदी जायेंगी। (ग) सञ्जायापना सत्याग्रहियों से जो जुमनि वसूल किये गये हैं या जो जमानते ली गई हैं, उन सबकी रकमें लौटा दी जायेंगी। (घ) वे सब राज-कर्मचारी, जिनमें गाँवों के कर्मचारी भी शामिल हैं, जिन्होंने अपने पद से स्तीफा दे दिया है या जो आन्दोलन के समय नौकरी से छुड़ा दिये गये हैं, अगर फिर से सरकारी नौकरी करना चाहें तो अपने पद पर नियुक्त कर दिये जायेंगे।

नोट—ऊपर जो उपधाराये दी गई हैं, उनका व्यवहार असहयोग-काल के सञ्जायापत्ता लोगों के लिए भी होगा।

(इ) बाइसराय ने अबतक जितने आर्डिनेन्स जारी किये हैं, वे सब रद्द कर दिये जायेंगे।

(फ) प्रस्तावित परिषद् में कौन-कौन लोग सम्मिलित किये जायेंगे और उसमें काँग्रेस का प्रतिनिधित्व किस प्रकार का होगा, इसका निर्णय उसी समय होगा जब पहले ऊपर बताई हुई आरम्भिक बातों का सत्तीय-जनक निपटारा हो जायगा।

भवदीय

मोत लाल नेहरू, मोहनदास करमचन्द गाँधी,
सरोजिनी नायडू, वल्लभभाई पटेल,
जयरामदास दौलतराम, सैयद महमूद,
जवाहरलाल नेहरू।

परिशिष्ट—ग

[२६ जनवरी १९३१ को पढ़ा गया स्मारक-प्रस्ताव]

“भारत-माता की उन सन्तानों का, जिन्होंने लाजादी की मन्तु लबाई में भाग लिया और देश की स्वतन्त्रता के लिए अनेक रक्त और

कुर्बानी की, अपने उन महान् और प्रिय नेता महात्मा गाँधी का, जो कि हमारे लिए सतत स्फूर्ति के स्रोत रहे हैं, और जो हमें सदैव उसी ऊँचे आदर्श और पवित्र साधनों का मार्ग दिखाते रहे हैं, उन सैकड़ों हजारों बहादुर नवयुवकों का, जिन्होंने स्वतन्त्रता की वेदी पर अपने प्राणों की बलि चढ़ाई, पेसावर और सारे सीमाप्रान्त और शोलापुर, मिदनापुर और बम्बई के बाह्यो का, उन सैकड़ों हजारों भाइयों का, जिन्होंने दुश्मन के नृशस लाठी-प्रहारों का मुकाबिला किया और उन्हें सहा, गढ़वाली रेजीमेन्ट के सैनिकों और फौज और पुलिस के उन सब भारतीय सिपाहियों का, जिन्होंने कि अपनी जानें खतरे में डालकर भी अपनी देश भाइयों पर गोली आदि चलाने से इन्कार कर दिया, गुजरात के उन दबंग किसानों का, जिन्होंने कि बिना झुके और पीठ दिखाये सभी नृशस व्यत्याचारों का मुकाबिला किया, भारत के अन्य प्रदेशों के उन बहादुर और पीडित किसानों का, जिन्होंने कि सब प्रकार के दमन को सहकर भी सटार्ड में पूरा भाग लिया, उन व्यापारियों और व्यवसाय-क्षेत्र के अन्य ममुदायों का, जिन्होंने कि अवरदस्त नुकसान उठाकर भी राष्ट्रीय सशाम में, विशेषकर विदेशी बन् और ब्रिटिश माल के बहिष्कार में, सहायता दी, उन एक लाख स्त्री-पुरुषों का, जो जेल गये और सब प्रकार के पाट सहे, यहाँ कि सभी-कभी जेल के अन्दर भी लाठी-प्रहार और चोटें मही, और छामकर उन साधारण स्वयमेवकों का, जिन्होंने कि नाग्नमाना के सच्चे निपाहियों की तरह बिना किसी प्रकार की ल्याति या पुग्गान् भी उच्छा के एम-मात्र अपने महान् ध्येय का ही ध्यान रखा, जो कि उठिनारों के बीच भी अनवरत और सान्तिपूर्वक रूप से के निवासी शीघ्र और इनजनापूर्ण हृदय से अभिमानन करते हैं, और हम अन्नमन्दन और हार्दिक मगानना करते हैं, भारत की नागी-गाति का, जो कि भारत-माना के पाट के ममय अपने

घरो की शरण छोड़कर अदम्य साहस और सहिष्णुतापूर्वक, राष्ट्रीय सेना में अपने भाइयों के साथ कबे-से-कबा भिड़ाकर अगली कतार में खड़ी रही और वलिदान और सफलता के उल्लास में पूरा-पूरा भाग लिया, और भारत की उस युवकशक्ति और दानर-सेना पर जिसे कि उसकी सुकुमार आयु भी लड़ाई में भाग लेने और अपने ध्येय पर कुर्बान होने से न रोक सकी, अपना गर्व प्रकट करते हैं।

और साथ ही, हम कृतज्ञतापूर्वक इस बात की सराहना करते हैं कि भारत की सब बड़ी और छोटी जातियों और वर्णों ने इस महान् सपना में हाथ बँटाया और ध्येय की प्राप्ति के लिए शक्तिमत् प्रयत्न किया। खासकर अल्पसंख्यक जातियों—मुस्लिम, सिख, पारसी, ईसाई आदि के प्रति और भी कृतज्ञता प्रकट करते हैं, जिन्होंने अपने साहस और अपनी अनन्य मातृभूमि के प्रति अपनी एकनिष्ठ भक्ति के साथ, एक ऐसे संयुक्त और अविभाज्य राष्ट्र के निर्माण में, जिसकी कि जय निश्चित ही, सहायता दी, और हिन्दुस्तान की स्वतंत्रता प्राप्त करने और उसे कायम रखने तथा उस नवीन स्वतंत्रता का भारत के सब समुदाय के लोगों की बेड़ियाँ तोड़कर सबमें से असमानता दूर करने के रूप में मानवता के उच्चतर उद्देश्य की पूर्ति के लिए उपयोग करने का निश्चय किया। भारत के हित के लिए वलिदान और कष्ट-सहन के ऐसे महान् और स्फूर्तिदायक उदाहरणों को अपने सामने रखते हुए हम स्वतंत्रता की अपनी प्रतिज्ञा को दुहराते हैं और जबतक हिन्दुस्तान आजाद नहीं हो जाता तबतक अपनी लड़ाई जारी रखने का निश्चय करते हैं।

गम्यता साहित्य मण्डल : 'सर्वोदय साहित्य माला' के प्रकाशन

- ✓ १. दिव्य जीवन। स्वेट मार्टिन की The Miracles of Right Thought नामक पुस्तक का अनुवाद। जीवन की कठिन समस्याओं से निराशा युक्तों के लिए, यह पुस्तक सजीवनी विद्या के समान है। उत्साह-वर्धक ओजपूर्ण और सही रास्ता बतानेवाली। मूल्य 1२)
- ✓ २. जीवन साहित्य। महान् विचारक फ्रांका कालेल्कर के शिक्षा, मन्दृति, गम्यता राजनीति आदि महत्त्वपूर्ण विषयों पर लिखे निबन्ध। मूल्य ११)
३. तामिल श्रेष्ठ। दक्षिण के अछूत महात्मा तिरुवल्लुवर का उच्चकोटि की नैतिक, धार्मिक, राजनैतिक, सामाजिक शिक्षाओं से भरा हुआ ग्रन्थ। मुमिना गैरकः श्री राजगोपालाचार्यः। मूल्य 111)
- ✓ ४. भाग्य में व्यसन और व्यभिचार। [लि० वंजनाय महोदय] इसमें तत्परी तथा भाषणों में यह बताया है कि भारतवर्ष में शराब, धूम्रपान, पीपल जराँम आदि दुर्दमन विष फँस तथा उनमें भाग्यवर्षों की परत तथा बुरा लगियाँ दूरे और हा सही है, व्यभिचार के पाप ने शराब पीने की प्रवृत्ति पैदा की है, जो कि प्रसार हमें दूर करने में सहायता देगा। मूल्य 111२)
- ✓ ५. सामाजिक दर्शनियाँ। [गडा ज्ञानपीथ] मूल्य 111)

भूतकाल की झाकी देख और अपने को आदर्श स्त्री-रत्न बनावे ।
तीन भागों में । चौथा भाग तैयार हो रहा है । मूल्य १)

३. ^{अन}अनोखा । (बनारस)

८. ब्रह्मत्रय-विज्ञान । (जगन्नारायणदेव शर्मा) इस पुस्तक में ब्रह्मन्तों
की महिमा, उसके पालन की विधि, उसके लाभ आदि बातें बहुत
बच्छे ढंग से बताई गई हैं । पुस्तक में वेद, उपनिषद्, पुराण आदि
सद्ग्रन्थों के शुभ वचनों का बहुत अच्छा संग्रह है । मूल्य ॥१८॥

९. यूरोप का इतिहास । (रामकिशोर शर्मा) यह राष्ट्रीयता, ज्ञान-
चलिदान तथा आजादी का इतिहास है । हम भारतीयों को यह
इतिहास जरूर पढ़ना चाहिए । मूल्य २)

१०. समाज-विज्ञान । (चन्द्रगज भट्टारी) समाज-संरचना, उसके
विकास तथा निर्माण पर इसमें बहुत अच्छी तरह विचार किया गया
है । समाजशास्त्र पर हिन्दी की मौलिक पुस्तक । मूल्य १।००

११. खहर का संपत्तिशास्त्र । रिपब्लिकीन सिद्धांतों के अन्तर्गत
of Khaddar का हिन्दी अनुवाद । इसमें खहर के सम्बन्धी विचार

दक्षिण अफ्रीका का सत्याग्रह । (महात्मा गांधी) सत्याग्रह की उत्पत्ति तथा उसके प्रयोग का खुद गांधीजी द्वारा लिखा इतिहास पढ़ें कि किस प्रकार बहादुरी ने इस क्षत्र द्वारा अफ्रीका-वासियों ने अपने अधिकारों की बिना दूसरों को तकलीफ पहुँचाते हुए रक्षा की । मूल्य १।)

ब्रिजयी चारडोली । [अप्राप्य] मूल्य २।

१. अनीति की राह पर । समय, इन्द्रिय-निग्रह तथा ब्रह्मचर्य पर गांधीजी की यह कृति अनुपम और सर्वश्रेष्ठ है । मूल्य ॥२)

१. सीता की अग्नि-परीक्षा । (काली प्रसन्न घोष) लका-विजय के बाद सीताजी की अग्नि-शुद्धि का यह वैज्ञानिक विश्लेषण है । विज्ञान का हवाला देकर, यह बताया गया है कि सीता की अग्नि-परीक्षा की घटना सच्ची है । मूल्य १।)

२. कन्या शिक्षा । हिन्दी के यशस्वी लेखक स्व० चन्द्रशेखर शास्त्री ने इसमें बिलकुल सरल ढंग से, शुरु से लेकर विवाह के बाद तक के कन्याओं के जीवन तथा उनके कर्तव्यों की चर्चा प्रश्नोत्तर के रूप में बड़े सुन्दर ढंग से की है । कन्याओं के सीखने योग्य सभी बातें इसमें आ गई हैं । मूल्य १।)

१६. कर्मयोग । अश्विनीकुमार दत्त की यह पुस्तक पढ़ने से पाठक 'कर्मयोग' के ससार में प्रवेश पा जाते हैं और उनकी पारमाथिक सुख का अनुभव होने लगता है । मूल्य ॥२)

२०. कलचार की करतूत । रूस के महान् लेखक महात्मा टाल्स्टाय की सरल भाषा में शरान के आविष्कार की मनोरंजक और शिक्षा-प्रद कहानी । मूल्य २।)

२१. ^{4/17}व्यावहारिक सभ्यता। बच्चों युवकों, यहाँ तक कि अवस्था-
प्राप्त लोगों के लिए भी रोज के व्यवहार में आनेवाली शिक्षाओं
की पोथी। बोधप्रद, शिक्षाप्रद तथा ज्ञानप्रद। मूल्य ॥१॥
२२. अन्धेरे में उजाला। टाल्सटाय के Light Shines in The
Darkness नामक नाटक का अनुवाद। इस नाटक में टाल्सटाय ने
अपने जीवन की छाया अंकित की है। उनके हृद्गत मनोभावों
और हृदय-मग्न की यह अनुपम कहानी है। मूल्य ॥१॥
२३. स्वामीजी का बलिदान। (ह० उ०) [अप्राप्य] मूल्य ॥१॥
२४. हमारे ज़माने की गुलामी। [जन्त . अप्राप्य] मूल्य ॥१॥
२५. स्त्री और पुरुष। समय तथा ब्रह्मचर्य पर टाल्सटाय की यह
पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण है। स्त्रियों को अपनी इच्छा-पूर्ति का
साधन समझनेवाले इसे पढ़ें और समझे कि स्त्री-पुरुषों का सम्बन्ध
भोग-विलास का नहीं बल्कि एक पवित्र उद्देश्य के लिए किया गया
एक पवित्र सम्बन्ध है। मूल्य ॥१॥
२६. सफाई। घर, गाँव तथा शरीर की सफाई के सम्बन्ध में उत्तम
पुस्तक। ग्रामीणों के काम की चीज। मूल्य ॥२॥
२७. क्या करें ? टाल्सटाय की सुप्रसिद्ध पुस्तक What to do का
अनुवाद। गरीबों एवं पीड़ितों की समस्याएँ और उनका हल। यह
पुस्तक नहीं बल्कि समझावही हृदय का मग्न है। मूल्य ॥१॥
२८. हाथ की कतार-बुनाई। [अप्राप्य] मूल्य ॥१॥
२९. आत्मोपदेश। यूनान के प्रसिद्ध विनायक मन्नास एलिसेटस के
उत्तम और महत्वपूर्ण उद्देश्यों का मग्न। मूल्य ॥१॥

- ✓२० यथार्थ आदर्श जीवन । [अप्राप्य] मूल्य ॥१७
- ३१ जय अंग्रेज नहीं आये थे । इसमें बताया गया है कि भारत की दुर्दशा किस प्रकार अंग्रेजों के यहाँ आने के बाद से शुरू हुई । स्व०-वावाभाई नौरोजी की *Poverty and Un-British Rule in India* के आधार पर लिखित । मूल्य १)
- ३२ गंगा गोविन्दसिंह । [अप्राप्य] मूल्य ॥२७
- ३३ श्री रामचरित्र । श्री विन्तामणि विनायक वैद्य लिखित रामायण की कहानी । कृष्ण और मधुर । मर्यादा-गुरुपुस्तक श्री रामचन्द्रजी का जीवन-चरित्र । मूल्य १।)
- ३४ आश्रम-हरिणी । (वामन मल्हार जोशी) एक पौराणिक गाथा । विषवा-विवाह-समस्या पर पौराणिकों के विचार । मूल्य १।)
- ३५ हिन्दी-मराठी-फ़ोप । (अप्राप्य)
- ३६ स्वाधीनता के सिद्धान्त । आयरलैण्ड के अमर शहीद टिरेन्स मैकस्विनी के *Principles of Freedom* का अनुवाद । आत्मा की इच्छावालों की नसों में नया रून, नया जोश और स्फूर्ति भरनेवाली पुस्तक । मूल्य १।)
- ३७ महान् मानुष्य की ओर । (नाथूराम शुक्ल) इस पुस्तक में मानुष्य की जिम्मेदारी, उसकी मुक्ता और आदर्श का दिग्दर्शन है । श्री-उपयोगी उत्तम और दिलचस्प पुस्तक । मूल्य ॥१८
- ✓३८ शिक्षार्थी की योग्यता । (तामनकर) छत्रपति शिवाजी का चरित्र-चित्रण । रामो धामन-प्रणाली का तर्कपूर्ण अध्ययन । मूल्य १।)
- ३९ नरगिन हृदय । गुरुगुरु कागटी के आनन्द श्री देवशर्मा के

विचार-तरंगों का सुन्दर संग्रह। स्व० स्वामी अख्यानन्द के वाणीवादि सहित। मूल्य १।)

४०. ~~हालैण्ड~~ की राज्यक्रान्ति [नरमेघ] अंग्रेजी के सुप्रसिद्ध लेखक मोटले की Rise of the Dutch Republic के आधार पर श्री चन्द्रमाल जौहरी का लिखा हुआ डच-प्रजा के आत्मयज्ञ का पुनीत और रोमांचकारी इतिहास। हृदय में उथल-पुथल मचा देनेवाला क्रांतिकारी ग्रंथ। मूल्य १।)

४१. दुखी दुनिया। गरीब और पीड़ित मानवी दुनिया के कर्ण चित्र। श्री राजगोपालाचार्य की सच्ची घटनाओं पर लिखी कहानियाँ। मधुर, कर्ण और सुन्दर। मूल्य १।)

४२. जिन्दा लाश। टाल्सटॉय के The Living Corpse नामक नाटक का अनुवाद। टाल्सटॉय के सब नाटकों में यह बड़ा ही कर्ण और मर्मस्पर्शी है। मूल्य १।)

४३. आत्म-कथा। (महात्मा गांधी) ससार के साहित्य का यह एक उज्ज्वल रत्न है। उपनिषदों की भाँति पवित्र और उपन्यासों की भाँति रोचक। चरित्र की निर्मल और मन को ऊँचा उठानेवाला। हरिभाऊ उपाध्याय द्वारा किया गया प्रामाणिक अनुवाद। मूल्य १।)

४४. जव अंग्रेज आये। [जन्तु : अप्राप्य] मूल्य १।)

४५. जीवन-विकास। डाबिन के विकासवाद के सिद्धान्त को विपद रूप से समझानेवाली हिन्दी में यह एक ही पुस्तक है। मूल्य १।) १।)

४६. किसानों का विगुल। [जन्तु : अप्राप्य] मूल्य २।)

४७. फाँसी। बिाटर ह्यूगो लिखित Sentence to Death नामक उपन्यास का अनुवाद। फाँसी की मजा पाये हुए हुए दुःख के मर्म-भावों का चित्रण। रोचक और कर्ण हृदय को दर्शनी। मूल्य २।)

४८. अनासक्तियोग। गीता पर महात्मा गांधी की व्याख्या, मूल
इलोक सहित मूल्य केवल ३)
केवल अनासक्तियोग २), : गीताबोध ७॥
४९. स्वर्ण विद्वान (हरिकृष्ण प्रेमी) [ज्ञानतः अप्राप्य] मू० १२)
५०. मराठों का उत्थान और पतन। (गोपाल दामोदर तामसकर)
मराठा साम्राज्य का विस्तृत और सच्चा इतिहास। मराठी भाषा
में भी मराठों का ऐसा सच्चा और बड़ा इतिहास नहीं है। ऐसा
महाराष्ट्र के अनेक विद्वान् और नेता मानते हैं। मूल्य २॥)
५१. भाई के पत्र। (रामनाथ 'सुमन') स्त्री-जीवन पर प्रकाश
झालनेवाली, उनकी घरेलू एव रोजमर्रा की कठिनाई में पय-
प्रदर्शक; बहनों के हाथों में दिये जाने योग्य एक ही पुस्तक।
सस्ता संस्करण मूल्य १)
५२. स्वर्गान। (हरिभाऊ उपाध्याय) चरित्र को गढ़नेवाले तथा युवकों
को गच्चा रास्ता दिखानेवाले उच्च और उत्तम विचार। मूल्य १२)
५३. युगधर्म। (ह० उ०) [ज्ञानतः अप्राप्य] मूल्य १२)
५४. स्त्री समस्या। (मुकुटबिहारी वर्मा) नारी-जीवन की जटिल
समस्याओं का गम्भीर अध्ययन। स्त्री-आन्दोलन के इतिहास सहित-
स्त्रियों की समस्या पर यह अच्छी धीरे-धीरे करने योग्य
'रिफ्लेक्स' का है। मूल्य १॥॥ सजिल्द २)
५५. विदेशी द्रव्यों का मुकाबिला। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री श्री मनमोहन
दास ने इनमें बतलाया है कि माँग किन् प्रसार अपनी ऊर्ध्वरत
का प्रग रगत रगत तर मरना है और विदेशी वपडे को हिन्दु-
मूल्य ॥२)

५६. चित्रपट । प्रो० शान्तिप्रसाद वर्मा एम० ए० के संग्रह । भावनामय, कष्ट और मधुर ।

५७. राष्ट्रवाणी । (गांधीजी) [अप्राप्य]

५८. इंग्लैण्ड में महात्माजी । (महादेव देसाई) दूसरी गोलमेज परिषद् के समय की इंग्लैंड की य सरस और मजेदार वर्णन । हिन्दी में अपने ढंग का वृत्तान्त ।

५९. रोटी का सवाल । महाद्वर क्रांतिकारी लेखक की अमर कृति *Conquest of Bread* का सरल वाद का सुन्दर, सरल और सुबोध विवेचन ।

६०. देवी-सम्पद् । उत्तम नैतिक एवं धार्मिक पुस्तक मनुष्य को मोक्ष होता है ।' गीता की इस उक्ति क मनुष्य को मोक्ष का रास्ता बतानेवाली पुस्तक ।

६१. जीवन-सूत्र । अंग्रेजी में थॉमस केम्पिस लिखित *Imitation of Christ* का अनुवाद । जीवन विचारों को सात्त्विक बनानेवाली पोथी । अंग्रेजी के समान माना जाता है ।

६२. हमारा कलंक । अस्पृश्यता निवारण पर महा एवं लेखी का संग्रह, उनके महान् उपवाम की कथा के आशीर्वाद सहित ।

६३. बुद्बुद् । (हरिभाऊ उपाध्याय) अपने भाद्यों में जीवन का मिलातेवाले युवकों के लिए चिंतनीय पुस्तक ।

६४. संघर्ष या सहयोग ? प्रिम क्रोपाटगिन की *What is What* पुस्तक का अनुवाद । इसमें बतलाया है कि अनुभव

लेकर मनुष्य तक सबके जीवन का आधार सहयोग है, संघर्ष नहीं, एकता है, लड़ाई नहीं। मूल्य १।।)

६५. गांधी-विचार दोहन। (किशोरलाल मसखवाला) इसमें महात्माजी के समस्त राजनैतिक, धार्मिक, सामाजिक एवं नैतिक विचारों का बड़ा सुन्दर सकलन और दोहन किया गया है। मूल्य ॥॥)

६६. पश्चिमा की क्रांति। (सत्यनारायण) [जुद्ध : अप्राप्य] ₹॥॥)

६७. हमारे राष्ट्र-निर्माता। (रामनाथ 'सुमन') लोकमान्य तिलक, स्व० मोतीलालजी, मालवीयजी, महात्माजी, दास बाबू, जवाहरलालजी, मौ० मुहम्मदअली, सरदार और प्रेसिडेण्ट पटेल की जीवनीयाँ—उनके सम्मरण, जीवन की झलकियाँ और उनके व्यक्तित्व का विश्लेषण। हिन्दी में यह पुस्तक जीवन-चरित्र लिखने का एक नया ही मार्ग उपस्थित करती है। अपने ढंग की एक ही मौलिक पुस्तक। मूल्य २।। ३)

६८. स्वतंत्रता की ओर। (हरिभाऊ उपाध्याय) इसमें बताया गया है कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, और हम उस लक्ष्य को निम्न प्रयाग और किल माघनों से प्राप्त कर सकते हैं। हमारा गमाज कैसा हो, हमारा साहित्य कैसा हो, हमारा जीवन कैसा बने, जिसमें हम स्वतंत्रता की ओर बढ़ते चले जायें। हिन्दी में इस पुस्तक का बड़ा आदर हुआ है और अपने ढंग की एक ही मौलिक पुस्तक माननी जाती है। मूल्य १।।)

६९. आगे बढ़ो। स्वेट् 'नार्सन' के Pushing to the Front का हिन्दी अनुवाद। इतिहास में पड़े युद्धों को अच्छे मापी के समान समझना शक्यता है। मूल्य ॥॥)

